


पं० श्रीराम शर्मा आचार्य वाङ्मय

विवाहोन्माद : समस्या और समाधान



प. श्रीराम शर्मा आचार्य वाङ्मय

विवाहोन्माद : समस्या और समाधान



प्रकाशक :

अखण्ड ज्योति संस्थान, मथुरा




प्रकाशक

अखण्ड ज्योति संस्थान

मथुरा-२८१ ००३



© सर्वाधिकार सुरक्षित



मुद्रक

जनजागरण प्रेस, मथुरा

समर्पणम्

ॐ वन्दे भगवतीं देवीं श्रीरामञ्च जगद्गुरुम् ।
पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः ॥

मातृवत् स्नालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका ।
नमोऽस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा-प्रज्ञा युता च या ॥

भगवत्याः जगन्मातुः, श्रीरामस्य जगद्गुरोः ।
पादुकायुगले वन्दे, श्रद्धाप्रज्ञास्वरूपयोः ॥

नमोऽस्तु गुरवे तस्मै गायत्रीरूपिणे सदा ।
यस्य वागमृतं हन्ति विषं संसारसंज्ञकम् ॥

असम्भवं सम्भवकर्तुमुद्यतं प्रचण्डझञ्झावृत्तिरोधसक्षमम् ।
युगस्य निर्माणकृते समुद्यतं परं महाकालमर्मुं नमाम्यहम् ॥

त्वदीयं वस्तु गोविन्द ! तुभ्यमेव समर्पये ।

भूमिका

विवाह एक पवित्र बन्धन है। दो आत्माओं का मिलन है। इसके माध्यम से नर और नारी मिलकर एक परिपूर्ण व्यक्तित्व की, एक गृहस्थ संस्था की स्थापना करते हैं। किसी भी समाज में वर्जनाओं को बनाए रखने तथा नैतिक मूल्यों का आधार सुदृढ़ बनाने के लिए विवाह एक कर्तव्य बंधन के रूप में अनिवार्य माना जाता है। यह इस बंधन के शुभारंभ की, दाम्पत्य जीवन की शुरुआत की सार्वजनिक घोषणा है। स्वाभाविक है कि ऐसे प्रसंग पर सभी को प्रसन्नता हो, सभी कुटुम्बीजन सार्वजनिक रूप से अपने हर्ष की अभिव्यक्ति करें, इसीलिए हर्षोत्सव के रूप में एक संक्षिप्त-सा समारोह हर जाति, धर्म, सम्प्रदाय में ऐसे अवसरों पर मना लिया जाता है। विवाहोत्सव के तरीके अलग-अलग हो सकते हैं पर हर्षाभिव्यक्ति के रूप में यह मनाया प्रायः सभी देशों-वर्गों में जाता है।

हिन्दू समाज में यह विवाहोत्सव जिस गरिमा के साथ सम्पन्न होना चाहिए था, जैसा कि भारतीय संस्कृति की अनादि काल से परंपरा रही है, वह न होकर कुछ ऐसे विकृत रूप में अब समाज के समक्ष आ रहा है कि लगता है कि गरीब माना जाने वाला यह राष्ट्र वास्तव में गरीब नहीं है या तो खर्चीली शादियों ने हमें गरीब बनाया है अथवा हम अमेरिका का स्वाँग रचाकर अपने अहं का प्रदर्शन इस उत्सव के माध्यम से करने लगे हैं, जिसने एक उन्माद का रूप अब ले लिया है।

परमपूज्य गुरुदेव की वेदना यही है कि विवाह जैसे धर्मकृत्य को, एक पुनीत प्रयोजन को क्यों अपव्यय प्रधान प्रदर्शन से, अहंता के उद्धत नृत्य के रूप में बदल दिया गया। देन-दहेज, तिलक, नेग-चलन, धूमधाम में जिस तरह अधिक खर्च किया जाता है व उसी में बड़प्पन अनुभव किया जाता है, यह हमारे समाज के लिए धर्म की बात है। जो अपने घर में होने वाले विवाहों में जितना अधिक अपव्यय करता है, उसी अनुपात में उसे बड़ा आदमी माना जाता है, यह एक विडम्बना है। पारस्परिक प्रतिस्पर्धा इतनी बढ़ गयी है, कि पहले से दूसरा व दूसरे से तीसरा अधिकाधिक खर्च करता देखा जाता है। अपनी तथाकथित प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व फूँककर भी शादियाँ सम्पन्न की जाती हैं व इसी में बड़प्पन माना जाता है।

हमारे देश में जहाँ तीन चौथाई आबादी रोज कुआँ खोदकर पानी पीने जैसी कहावत चरितार्थ कर अपनी उसी दिन की आजीविका की व्यवस्था करती है तथा अधिकतर व्यक्ति जो मध्यम वर्ग में हैं- वेतन भोगी हैं, व्यापारी हैं उनकी भी ऐसी स्थिति नहीं है, वे इस प्रतिस्पर्धा में पिस जाते हैं। औसत भारतीय बचत तब करे जब कमाई बढ़े व आजीविका के अन्य वैकल्पिक स्रोत विकसित हों। वह हो नहीं पाता व लड़की विवाह योग्य हो जाती है। ऐसे में कन्याओं की दुर्गति होना स्वाभाविक है। लड़की वाला वैसे भी हमारे समाज की चली आ रही षड्यन्त्रकारी नीति के कारण दीन-हीन, भिक्षुक की तरह गिड़गिड़ाता रहता है पर उसकी सुनता कौन है? लड़के नीलामी की तरह बोली पर चढ़े रहते हैं, अनाप-शनाप माँग होती है एवं वधू पक्ष उसमें पूरी तरह कंगाल हो जाता है। आज बड़ी संख्या में अधेड़ होती जा रही अविवाहित कन्याओं की समस्या इसी विवाहोन्माद के अभिशाप के कारण पैदा हुई है। जब तक लड़के का विवाह आमदनी का एक साधन माना जायगा, तब तक वस्तुतः लड़कियों को सताए जाने का क्रम बन्द नहीं होगा। लड़की पक्ष के गरीब व दीवालिये होते चले जाने का सिलसिला रुकेगा नहीं।

बहुसंख्य व्यक्ति बेईमान होते नहीं। उन्हें आज के सामाजिक प्रचलन जिनमें विवाह का अपव्यय भी एक कारण है, ऐसा बनने पर मजबूर कर देते हैं। यदि इस नैतिक संकट से हमें जूझना है एवं समाज को हर दृष्टि से सुसंस्कारी, समृद्ध बनाना है तो हमें पुनः विवाह की वैदिक व्यवस्था की ओर लौटना होगा जिसमें बिना किसी आडम्बर के सादगी भरे विवाह सम्पन्न होते थे।

सादगीपूर्ण आदर्श विवाहों में अपना पैसा बचता है, अपने स्नेहीजनों के पैसों की भी बचत होती है तथा दोनों पक्षों में असाधारण प्रेमभाव बना रहता है। बचा हुआ पैसा बच्चों के भविष्य को उज्वल बनाए रखने में खर्च हो सकता है। भारतीय कन्याओं की आत्माएँ पूज्यवर के अनुसार उन रत्नों की शत-शत आशीर्वादों द्वारा पूजा करेंगी जो इस कुप्रथा की पूतना को मार सकें, ताड़का को भगा सकें, सूर्यणखा की नाक काट सकें। समाज के नवनिर्माण की धुरी पर केन्द्रित वाङ्मय का यह खण्ड पूरी तरह विवाह संस्कार- उससे जुड़ी परम्पराओं में आया आडम्बर एवं शुचिता कैसे लायी जाय तथा सफल दाम्पत्य जीवन कैसे जिया जाय, इसी विषय को समर्पित है। पूज्यवर ने आदर्श विवाहों के, सामूहिक विवाह एक धर्मानुष्ठान के रूप में मनाये जाने के आंदोलन को जन्म दिया एवं प्रायः एक लाख से अधिक ऐसे संस्कारवान दम्पती समाज क्षेत्र को विगत पैंसठ वर्षों में दिए जो कि एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि है। यह कार्य कैसे गति पकड़े? कैसे यह एक आन्दोलन का रूप ले? इसके लिए उनसे बड़े विशद रूप में सबका मार्गदर्शन किया है। जातीय संगठन आगे आकर समाज सेवा के इस कार्य को गति दें, आदर्श विवाहों के अभिमन्दन की एक श्रेष्ठ परम्परा स्थापित हो जाय, इस पर उनसे न केवल मार्गदर्शन दिया है अपितु इसे व्यावहारिक बनाते हुए सक्रिय रूप देने का प्रयास भी किया है। पूज्यवर लिखते हैं कि आदर्श विवाहों की ख्याति दूर-दूर तक फैलनी चाहिए ताकि वैसा करने का उत्साह औरों में भी उत्पन्न हो। विवेकशीलता के जागरण के अभाव में अनेकों व्यक्तियों द्वारा ऐसी आदर्श परम्परा के अवलम्बन का जब व्यापक प्रचार किया जाएगा तो औरों में भी अनुकरण की उमंग जागेगी। इसके लिए वे समाचार पत्रों व मीडिया के विभिन्न अंगों का अवलम्बन लेने की बात भी कहते हैं एवं ऐसे प्रतिज्ञा-पत्र भराए जाने के लिए एक सामूहिक मुहिम छेड़ी जाने का उल्लेख भी करते हैं।

समस्या तो निश्चित ही विकट है। बढ़ती आधुनिकता व साधनों के संचय की होड़ में यह और भी विकराल रूप लेती जा रही है। समाधान इसका है एवं वह धर्मतंत्र के माध्यम से ही निकल सकेगा। इसमें कोई संदेह नहीं। वाङ्मय के इस खण्ड में समाज निर्माण के क्षेत्र में दिशा दिखाने वाले प्रेरक मार्गदर्शन मात्र ही नहीं, राष्ट्र की समृद्धि का मूल मर्म भी विस्तार से दिया गया है। पढ़ने वाले निश्चित ही न केवल लाभान्वित होंगे, आदर्शवाद के प्रति उनका सम्मान भी बढ़ेगा।

—ब्रह्मवर्चस

विराट गायत्री परिवार एवं उसके संस्थापक-संरक्षक एक संक्षिप्त परिचय

इतिहास में कभी-कभी ऐसा होता है कि अवतारी सत्ता एक साथ बहुआयामी रूपों में प्रकट होती है एवं करोड़ों ही नहीं, पूरी वसुधा के उद्धार-चेतनात्मक धरातल पर सबके मनों का नये सिरे से निर्माण करने आती है। परमपूज्य गुरुदेव पं. श्रीराम शर्मा आचार्य को एक ऐसी ही सत्ता के रूप में देखा जा सकता है जो युगों-युगों में गुरु एवं अवतारी सत्ता दोनों ही रूपों में हम सबके बीच प्रकट हुई, अस्सी वर्ष का जीवन जीकर एक विराट् ज्योति प्रज्वलित कर उस सूक्ष्म ऋषि चेतना के साथ एकाकार हो गयी जो आज युग परिवर्तन को सन्निकट लाने को प्रतिबद्ध है। परमवंदनीया माताजी शक्ति का रूप थीं जो कभी महाकाली, कभी माँ जानकी, कभी माँ शारदा एवं कभी माँ भगवती के रूप में शिव की कल्याणकारी सत्ता का साथ देने आती रही हैं। उनसे भी सूक्ष्म में विलीन हो स्वयं को अपने आराध्य के साथ एकाकार कर ज्योतिपुरुष का एक अंग स्वयं को बना लिया। आज दोनों सशरीर हमारे बीच नहीं हैं किन्तु, नूतन सृष्टि कैसे ढाली गयी, कैसे मानव गढ़ने का साँचा बनाया गया, इसे शान्तिकुंज, ब्रह्मवर्चस, गायत्री तपोभूमि, अखण्ड ज्योति संस्थान एवं युगतीर्थ आँवलखेड़ा जैसी स्थापनाओं तथा संकल्पित सृजन सेनानीगणों के वीरभद्रों की करोड़ों से अधिक की संख्या के रूप में देखा जा सकता है।

परमपूज्य गुरुदेव का वास्तविक मूल्यांकन तो कुछ वर्षों बाद इतिहासविद, मिथक लिखने वाले करेंगे किन्तु, यदि उनको आज भी साक्षात् कोई देखना या उनसे साक्षात्कार करना चाहता हो तो उन्हें उनके द्वारा अपने हाथ से लिखे गये उस विराट् परिमाण में साहित्य के रूप में युग संजीवनी के रूप में देखा सकता है जो वे अपने वजन से अधिक भार के बराबर लिख गये। इस साहित्य में संवेदना का स्पर्श इस बारीकी से हुआ है कि लगता है लेखनी को उसी की स्याही में डुबोकर लिखा गया हो। हर शब्द ऐसा जो हृदय को छूता, मन को व विचारों को बदलता चला जाता है। लाखों-करोड़ों के मनों के अंतःस्थल को छूकर उसने उनका कायाकल्प कर दिया। रूसो के प्रजातंत्र की, कार्लमार्क्स के साम्यवाद की क्रान्ति भी इसके समक्ष बौनी पड़ जाती है। उनके मात्र इस युग वाले स्वरूप को लिखने तक में लगता है कि एक विश्वकोश तैयार हो सकता है, फिर उस बहुआयामी रूप को जिसमें वे संगठनकर्ता, साधक, करोड़ों के अभिभावक, गायत्री महाविद्या के उद्धारक, संस्कार परम्परा का पुनर्जीवन करने वाले, ममत्व लुटाने वाले एक पिता, नारी जाति के प्रति अनन्य करुणा बिखेरकर उनके ही उद्धार के लिए धरातल पर चलने वाला नारी जागरण अभियान चलाते देखे जाते हैं, अपनी वाणी के उद्बोधन से एक विराट् गायत्री परिवार एकाकी अपने बलबूते खड़े करते दिखाई देते हैं तो समझ में नहीं आता, क्या-क्या लिखा जाये, कैसे छन्दबद्ध किया जाय, उस महापुरुष के जीवनचरित को।

आश्विन कृष्ण त्रयोदशी विक्रमी संवत् १९६७ (२० सितम्बर, १९११) को स्थूल शरीर से आँवलखेड़ा ग्राम जनपद आगरा जो जलेसर मार्ग पर आगरा से पन्द्रह मील की दूरी पर स्थित है, में जन्मे श्रीराम शर्मा जी का बाल्यकाल-कैशोर्य काल ग्रामीण परिसर में ही बीता। वे जन्मे तो थे एक जमींदार घराने में, जहाँ उनके पिता श्री पं. रूपकिशोर जी शर्मा आस-पास के, दूर-दराज के राजघरानों के राजपुरोहित, उद्भट विद्वान, भागवत कथाकार थे किन्तु, उनका अंतःकरण मानव मात्र की पीड़ा से सतत विचलित रहता था। साधना के प्रति उनका झुकाव बचपन में ही दिखाई देने लगा। जब वे अपने सहपाठियों को, छोटे बच्चों को अमराइयों में बिठाकर स्कूली शिक्षा के साथ-साथ सुसंस्कारिता अपनाने वाली आत्मविद्या का शिक्षण दिया करते थे, छटपटाहट के कारण हिमालय की ओर भाग निकलने व पकड़े जाने पर उनसे संबंधियों को बताया कि हिमालय ही उनका घर है एवं वहीं वे जा रहे थे। किसे मालूम था कि हिमालय की ऋषि चेतनाओं का समुच्चय बनकर आयी यह सत्ता वस्तुतः अगले दिनों अपना घर वहीं बनाएगी। जाति-पाँति का कोई भेद नहीं। जातिगत मूढ़ता भरी मान्यता से ग्रसित तत्कालीन भारत के ग्रामीण परिसर में एक अछूत वृद्ध महिला

की जिसे कुछ रोग हो गया था, उसी के टोले में जाकर सेवा कर उनसे घरवालों का विरोध तो मोल ले लिया पर अपना व्रत नहीं छोड़ा। उस महिला ने स्वस्थ होने पर उन्हें ढेरों आशीर्वाद दिये। एक अछूत कहलाने वाली जाति का व्यक्ति जो उनके आलीशान घर में घोड़ों की मालिश करने आता था, एक बार कह उठा कि मेरे घर कथा कौन कराने आएगा, मेरा ऐसा सौभाग्य कहाँ। नवनीत जैसे हृदय वाले पूज्यवर उसके घर जा पहुँचे एवं कथा पूरे विधान से कर पूजा की, उसको स्वच्छता का पाठ सिखाया, जबकि सारा गाँव उनके विरोध में बोल रहा था।

किशोरावस्था में ही समाज सुधार की रचनात्मक प्रवृत्तियाँ उनसे चलाना आरम्भ कर दी थीं। औपचारिक शिक्षा स्वल्प ही पायी थी किंतु, उन्हें इसके बाद आवश्यकता भी नहीं थी क्योंकि जो जन्मजात प्रतिभासम्पन्न हो वह औपचारिक पाठ्यक्रम तक सीमित कैसे रह सकता है। हाट-बाजारों में जाकर स्वास्थ्य-शिक्षा प्रधान परिपत्र बाँटना, पशुधन को कैसे सुरक्षित रखें तथा स्वावलम्बी कैसे बनें, इसके छोटे-छोटे पैम्फलेट्स लिखने, हाथ की प्रेस से छपवाने के लिए उन्हें किसी शिक्षा की आवश्यकता नहीं थी। वे चाहते थे, जनमानस आत्मावलम्बी बने, राष्ट्र के प्रति स्वाभिमान उसका जागे, इसलिए गाँव में जन्मे इस लाल ने नारी शक्ति व बेरोजगार युवाओं के लिए गाँव में ही एक बुनताघर स्थापित किया व उसके द्वारा हाथ से कैसे कपड़ा बुना जाय अपने चैरों पर कैसे खड़ा हुआ जाय यह सिखाया।

पंद्रह वर्ष की आयु में वसंत पंचमी की वेला में सन् १९२६ में उनके घर की पूजास्थली में, जो उनकी नियमित उपासना का तब से आगार थी, जबसे महामना पं. मदनमोहन मालवीय जी ने उन्हें काशी में गायत्री मंत्र की दीक्षा दी थी, उनकी गुरुसत्ता का आगमन हुआ अदृश्य छायाधारी सूक्ष्म रूप में। उनसे प्रज्वलित दीपक की लौ में से स्वयं को प्रकट कर उन्हें उनके द्वारा विगत कई जन्मों में सम्पन्न क्रिया-कलापों का दिग्दर्शन कराया तथा उन्हें बताया कि वे दुर्गम हिमालय से आये हैं एवं उनसे अनेकानेक ऐसे क्रियाकलाप कराना चाहते हैं, जो अवतारी स्तर की ऋषिसत्ताएँ उनसे अपेक्षा रखती हैं। चार बार कुछ दिन से लेकर एक साल तक की अवधि तक हिमालय आकर रहने, कठोर तप करने का भी उनसे संदेश दिया एवं उन्हें तीन संदेश दिए- १. गायत्री महाशक्ति के चौबीस-चौबीस लक्ष्य के चौबीस महापुरश्चरण जिन्हें आहार के कठोर तप के साथ पूरा करना था। २. अखण्ड घृतदीप की स्थापना एवं जन-जन तक इसके प्रकाश को फैलाने के लिए समय आने पर ज्ञानयज्ञ अभियान चलाना, जो बाद में अखण्ड ज्योति पत्रिका के १९३८ में प्रथम प्रकाशन से लेकर विचार-क्रान्ति अभियान के विश्वव्यापी होने के रूप में प्रकटा तथा ३. चौबीस महापुरश्चरणों के दौरान युगधर्म का निर्वाह करते हुए राष्ट्र के निमित्त भी स्वयं को खपाना, हिमालय यात्रा भी करना तथा उनके संपर्क से आगे का मार्गदर्शन लेना।

यह कहा जा सकता है कि युग निर्माण मिशन, गायत्री परिवार, प्रज्ञा अभियान, पूज्य गुरुदेव जो सभी एक-दूसरे के पर्याय हैं, की जीवन यात्रा का यह एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसमें भावी रीति-नीति का निर्धारण कर दिया। पूज्य गुरुदेव अपनी पुस्तक 'हमारी वसीयत और विरासत' में लिखते हैं कि- "प्रथम मिलन के दिन समर्पण सम्पन्न हुआ। दो बातें गुरुसत्ता द्वारा विशेष रूप से कही गईं- संसारी लोग क्या करते हैं और क्या कहते हैं, उसकी ओर से मुँह मोड़कर निर्धारित लक्ष्य की ओर एकाकी साहस के बलबूते चलते रहना एवं दूसरा यह कि अपने को अधिक पवित्र और प्रखर बनाने की तपश्चर्या में जुट जाना- जौ की रोटी व छाछ पर निर्वाह कर आत्मानुशासन सीखना। इसी से वह सामर्थ्य विकसित होगी जो विशुद्धतः परमार्थ प्रयोजनों में नियोजित होगी। वसंत पर्व का यह दिन गुरु अनुशासन का अवधारण ही हमारे लिए नया जन्म बन गया। सद्गुरु की प्राप्ति हमारे जीवन का अनन्य एवं परम सौभाग्य रहा।"

राष्ट्र के परावलम्बी होने की पीड़ा भी उन्हें उतनी ही सताती थी जितनी कि गुरुसत्ता के आदेशानुसार तपकर सिद्धियों के उपार्जन की ललक उनके मन में थी। उनके इस असमंजस को गुरुसत्ता ने ताड़कर परावाणी से उनका मार्गदर्शन किया कि युगधर्म की महत्ता व समय की पुकार देख-सुनकर तुम्हें अन्य आवश्यक कार्यों को छोड़कर अग्निकाण्ड में पानी लेकर दौड़ पड़ने की तरह आवश्यक कार्य भी करने पड़ सकते हैं। इसमें स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के नाते संघर्ष करने का भी संकेत था। १९२७ से १९३३ तक का समय उनका एक सक्रिय स्वयं सेवक-स्वतंत्रता सेनानी के रूप में बीता, जिसमें घरवालों के विरोध के बावजूद

पैदल लम्बा रास्ता पार कर वे आगरा के उस शिविर में पहुँचे, जहाँ शिक्षण दिया जा रहा था, अनेकानेक मित्रों-सखाओं-मार्गदर्शकों के साथ भूमिगत हो कार्य करते रहे तथा समय आने पर जेल भी गये। छह-छह माह की उन्हें कई बार जेल हुई। जेल में भी वे जेल के निरक्षर साधियों को शिक्षण देकर व स्वयं अंग्रेजी सीखकर लौटे। आसनसोल जेल में वे श्री जवाहरलाल नेहरू की माता श्रीमती स्वरूपरानी नेहरू, श्री रफी अहमद किदवाई, महामना मदनमोहन मालवीय जी, देवदास गाँधी जैसी हस्तियों के साथ रहे व वहाँ से एक मूलमंत्र सीखा जो मालवीय जी ने दिया था कि जन-जन की साझेदारी बढ़ाने के लिए हर व्यक्ति के अंशदान से, मुट्टी फण्ड से रचनात्मक प्रवृत्तियाँ चलाना। यही मंत्र आगे चलकर एक घण्टा समयदान, बीस पैसा नित्य या एक दिन की आय एक माह में तथा एक मुट्टी अन्न रोज डालने के माध्यम से धर्मघट की स्थापना का स्वरूप लेकर लाखों-करोड़ों की भागीदारी वाला गायत्री परिवार बनाता चला गया, जिसका आधार था प्रत्येक व्यक्ति की यज्ञीय भावना का उसमें समावेश।

स्वतंत्रता की लड़ाई के दौरान कुछ उग्र दौर भी आये, जिनमें शहीद भगतसिंह को फाँसी दिये जाने पर फैले जनआक्रोश के समय श्री अरविन्द के किशोर काल की क्रान्तिकारी स्थिति की तरह उनसे भी वे कार्य किये, जिनसे आक्रान्ता शासकों के प्रति असहयोग जाहिर होता था। नमक आन्दोलन के दौरान वे आततायी शासकों के समक्ष झुके नहीं, वे मारते रहे परन्तु, समाधि स्थिति को प्राप्त राष्ट्र देवता के पुजारी को बेहोश होना स्वीकृत था पर आन्दोलन से पीठ दिखाकर भागना नहीं। बाद में फिरंगी सिपाहियों के जाने पर लोग उठाकर घर लेकर आये। जरारा आन्दोलन के दौरान उनसे झण्डा छोड़ा नहीं जबकि, फिरंगी उन्हें पीटते रहे, झण्डा झीने का प्रयास करते रहे। उनसे मुँह से झण्डा पकड़ लिया, गिर पड़े, बेहोश हो गये पर झण्डे का टुकड़ा चिकित्सकों द्वारा दाँतों में भींचे गये टुकड़े के रूप में जब निकाला गया तब सब उनकी सहनशक्ति देखकर आश्चर्यचकित रह गये। उन्हें तब से ही आजादी के मतवाले उन्मत्त श्रीराम मत्त नाम मिला। अभी भी आगरा में उनके साथ रहे या उनसे कुछ सीख लिए अगणित व्यक्ति उन्हें मत्तजी नाम से ही जानते हैं। लगानबन्दी के आँकड़े एकत्र करने के लिए उनसे पूरे आगरा जिले का दौरा किया व उनके द्वारा प्रस्तुत वे आँकड़े तत्कालीन संयुक्त प्रान्त के मुख्यमंत्री श्रीगोविन्द वल्लभ पंत द्वारा गाँधीजी के समक्ष पेश किये गये। बापू ने अपनी प्रशस्ति के साथ वे प्रामाणिक आँकड़े ब्रिटिश पार्लियामेंट भेजे, इसी आधार पर पूरे संयुक्त प्रान्त के लगान माफी के आदेश प्रसारित हुए। कभी जिनसे अपनी इस लड़ाई के बदले कुछ न चाहा उन्हें सरकार ने अपना प्रतिनिधि भेजकर पचास वर्ष बाद ताम्रपत्र देकर शांतिकुंज में सम्मानित किया। उसी सम्मान व स्वाभिमान के साथ सारी सुविधाएँ व पेंशन उनसे प्रधानमंत्री राहत फण्ड के नाम समर्पित कर दीं। वैरागी जीवन का सच्चे राष्ट्र संत होने का इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है?

१९३५ के बाद उनके जीवन का नया दौर शुरू हुआ, जब गुरुसत्ता की प्रेरणा से वे श्री अरविन्द से मिलने पाण्डिचेरी, गुरुदेव ऋषिवर रवीन्द्रनाथ टैगोर से मिलने शांति निकेतन तथा बापू से मिलने साबरमती आश्रम, अहमदाबाद गये। सांस्कृतिक, आध्यात्मिक मोर्चे पर राष्ट्र को कैसे परतंत्रता की नेड़ियों से मुक्त किया जाय, यह निर्देश लेकर अपना अनुष्ठान यथावत् चलाते हुए उनसे पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रवेश किया, जब आगरा में 'सैनिक' समाचार पत्र के कार्यवाहक संपादक के रूप में श्रीकृष्णदत्तपालीवाल जी ने उन्हें अपना सहायक बनाया। बाबू गुलाब राय व पालीवाल जी से सीख लेते हुए सतत स्वाध्यायरत रहकर उनसे अखण्ड ज्योति नामक पत्रिका का पहला अंक १९३८ की वसंत पंचमी पर प्रकाशित किया। प्रयास पहला था, जानकारियाँ कम थीं अतः पुनः सारी तैयारी के साथ विधिवत् १९४० की जनवरी से उनसे परिजनों के नाम पाती के साथ अपने हाथ से बने कागज पर पैर से चलने वाली मशीन से छापकर 'अखण्ड ज्योति' पत्रिका का शुभारंभ किया जो पहले तो दो सौ पचास पत्रिका के रूप में निकली, किन्तु क्रमशः उनके अध्यवसाय घर- घर पहुँचाने, मित्रों तक पहुँचाने वाले उनके हृदयस्पर्शी पत्रों द्वारा बढ़ती-बढ़ती नवयुग के मत्स्यावतार की तरह आज दस लाख से भी अधिक संख्या में विभिन्न भाषाओं में छपती व एक करोड़ से अधिक व्यक्तियों द्वारा पढ़ी जाती है।

पत्रिका के साथ-साथ 'मैं क्या हूँ' जैसी पुस्तकों का लेखन आरम्भ हुआ। स्थान बदला, आगरा से मथुरा आ गये, दो-तीन घर बदलकर घीयामण्डी में जहाँ आज अखण्ड ज्योति संस्थान है, आ बसे। पुस्तकों

का प्रकाशन व कठोर तपश्चर्या, ममत्व विस्तार तथा पत्रों द्वारा जन-जन के अंतःस्थल को छूने की प्रक्रिया चालू रही। साथ देने आ गयीं परमवंदनीया माताजी भगवती देवी शर्मा, जिन्हें भविष्य में अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका अपने आराध्य इष्ट गुरु के लिए निभानी थी। उनके मर्मस्पर्शी पत्रों ने, भाव भरे आतिथ्य, हर किसी को जो दुःखी था- पीड़ित था, दिये गये ममत्व भरे परामर्श ने गायत्री परिवार का आधार खड़ा किया, इसमें कोई सन्देह नहीं। यदि विचारक्रांति में साहित्य ने मनोभूमि बनायी तो भावात्मक क्रान्ति में ऋषियुगल के असीम स्नेह ने ब्राह्मणत्व भरे जीवन ने शेष बची भूमिका निभायी।

'अखण्ड ज्योति' पत्रिका लोगों के मनों को प्रभावित करती रही, इसमें प्रकाशित 'गायत्री चर्चा' स्तम्भ से लोगों को गायत्री व यज्ञमय जीवन जीने का संदेश मिलता रहा, साथ ही एक आना से लेकर छह आना सीरज की अनेकानेक लोकोपयोगी पुस्तकें छपती चली गयीं। इस बीच हिमालय के बुलावे भी आये, अनुष्ठान भी चलता रहा जो पूरे विधि-विधान के साथ १९५३ में गायत्री तपोभूमि की स्थापना, १०८ कुण्डी यज्ञ व उनके द्वारा दी गयी प्रथम दीक्षा के साथ समाप्त हुआ। गायत्री तपोभूमि की स्थापना के निमित्त धन की आवश्यकता पड़ी तो परमवंदनीया माताजी ने जिनने हर कदम पर अपने आराध्य का साथ निभाया, अपने सारे जेवर बेच दिये, पूज्यवर ने जमींदारी के बाण्ड बेच दिये एवं जमीन लेकर अस्थायी स्थापना कर दी गयी। धीरे-धीरे उदारचेताओं के माध्यम से गायत्री तपोभूमि एक साधना पीठ बन गयी। २४०० तीर्थों के जल व रज की स्थापना वहाँ की गयी, २४०० करोड़ गायत्री मंत्र लेखन वहाँ स्थापित हुआ, अखण्ड अग्नि हिमालय के एक अति पवित्र स्थान से लाकर स्थापित की गयी जो अभी तक वहाँ यज्ञशाला में जल रही है। १९४१ से १९७१ तक का समय परमपूज्य गुरुदेव का गायत्री तपोभूमि, अखण्ड ज्योति संस्थान में सक्रिय रहने का समय है। १९५६ में नरमेध यज्ञ, १९५७ में सहस्रकुण्डी यज्ञ करके लाखों गायत्री साधकों को एकत्र कर उनसे गायत्री परिवार का बीजारोपण कर दिया। कार्तिक पूर्णिमा १९५८ में आयोजित इस कार्यक्रम में दस लाख व्यक्तियों ने भाग लिया, इन्हीं के माध्यम से देशभर में प्रगतिशील गायत्री परिवार की दस हजार से अधिक शाखाएँ स्थापित हो गयीं। संगठन का अधिकाधिक कार्यभार पूज्यवर परमवंदनीया माताजी पर सौंपते चले गये एवम् १९५९ में पत्रिका का संपादन उन्हें देकर पौने दो वर्ष के लिए हिमालय चले गये, जहाँ उन्हें गुरुसत्ता से मार्गदर्शन लेना था, तपोवन नंदनवन में ऋषियों से साक्षात्कार करना था तथा गंगोत्री में रहकर आर्ष ग्रन्थों का भाष्य करना था। तब तक वे गायत्री महाविद्या पर विश्वकोश स्तर की रचना गायत्री महाविज्ञान के तीन खण्ड लिख चुके थे, जिसके अब तक प्रायः पैंतीस संस्करण छप चुके हैं। हिमालय से लौटते ही उनसे महत्वपूर्ण निधि के रूप में वेद, उपनिषद्, स्मृति, आरण्यक, ब्राह्मण, योगवाशिष्ठ, मंत्र महाविज्ञान, तंत्र महाविज्ञान जैसे ग्रन्थों को प्रकाशित कर देव संस्कृति की मूलधाती को पुनर्जीवन दिया। परमवंदनीया माताजी ने उन्हीं वेदों को पूज्यवर की इच्छानुसार १९९१-९२ में विज्ञानसम्मत आधार देकर पुनर्मुद्रित कराया एवं वे आज घर-घर में स्थापित हैं।

युग निर्माण योजना व 'युग निर्माण सत्संकल्प' के रूप में मिशन का घोषणा पत्र १९६३ में प्रकाशित हुआ। तपोभूमि एक विश्वविद्यालय का रूप लेती चली गयी तथा अखण्ड ज्योति संस्थान एक तप-पूत की निवास स्थली बन गया, जहाँ रहकर उनसे अपनी शेष तप साधना पूरी की थी, जहाँ से गायत्री परिवार का बीज डाला गया था। तपोभूमि में विभिन्न शिविरों का आयोजन किया जाता रहा, पूज्यवर स्वयं छोटे-बड़े जन सम्मेलनों के द्वारा विचार क्रान्ति की पृष्ठभूमि बनाते रहे, पूरे देश में १९७०-७१ में पाँच १००८ कुण्डी यज्ञ आयोजित हुए। स्थायी रूप से विदाई लेते हुए एक विराट सम्मेलन (जून १९७१) में परिजनों को विशेष कार्य-भार सौंप परमवंदनीया माताजी को शांतिकुंज, हरिद्वार में अखण्ड दीप के समक्ष तप हेतु छोड़कर स्वयं हिमालय चले गये। एक वर्ष बाद वे गुरुसत्ता का संदेश लेकर लौटे एवं अपनी आगामी बीस वर्ष की क्रिया-पद्धति बताया। ऋषि परम्परा का बीजारोपण, प्राण प्रत्यावर्तन, संजीवनी व कल्प साधना सत्रों का मार्गदर्शन जैसे कार्य उनसे शांतिकुंज में सम्पन्न किये।

सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थापना अपनी हिमालय की इस यात्रा से लौटने के बाद ब्रह्मवर्चस शोध संस्थान की थी, जहाँ विज्ञान और अध्यात्म के समन्वयात्मक प्रतिपादनों पर शोध कर एक नये धर्म वैज्ञानिक धर्म के मूलभूत आधार रखे जाने थे। इस सम्बन्ध में पूज्यवर ने विराट परिमाण में साहित्य लिखा, अदृश्य जगत के

अनुसंधान से लेकर मानव की प्रसुप्त क्षमता के जागरण तक, साधना से सिद्धि एवं दर्शन-विज्ञान के तर्क, तथ्य, प्रमाण के आधार पर प्रस्तुतीकरण तक। इसके लिए एक विराट ग्रन्थागार बना व एक सुसज्जित प्रयोगशाला। वनौषधि उद्यान भी लगाया गया तथा जड़ी-बूटी, यज्ञ विज्ञान तथा मंत्र शक्ति पर प्रयोग हेतु साधकों पर परीक्षण प्रचुर परिमाण में किये गये। निष्कर्षों ने प्रमाणित किया कि ध्यान साधना, मंत्र चिकित्सा व यज्ञोपैथी एक विज्ञानसम्मत विधा है। गायत्री नगर क्रमशः एक तीर्थ, संजीवनी विद्या के प्रशिक्षण का, एकेडमी का रूप लेता चला गया एवं जहाँ ९-९ दिन के साधना प्रधान, एक-एक माह के कार्यकर्ता निर्माण हेतु युगशिल्पी सत्र सम्पन्न होने लगे।

कार्यक्षेत्र में विस्तार हुआ। स्थान-स्थान पर शक्तिपीठें विनिर्मित हुईं, जिनके निर्धारित क्रियाकलाप थे- सुसंस्कारिता व आस्तिकता संवर्धन एवं जन-जाग्रति के केन्द्र बनना। ऐसे केन्द्र जो १९८० में बनना आरंभ हुए थे, प्रज्ञासंस्थान, शक्तिपीठ, प्रज्ञामण्डल, स्वाध्याय-मण्डल के रूप में पूरे देश व विश्व में फैलते चले गये। ७६ देशों में गायत्री परिवार की शाखाएँ फैल गयीं, ४६०० से अधिक भारत में निज के भवन वाले संस्थान विनिर्मित हो गये, वातावरण गायत्रीमय होता चला गया।

परमपूज्य गुरुदेव ने सूक्ष्मीकरण में प्रवेश कर १९८५ में ही पाँच वर्ष के अंदर अपने सारे क्रिया-कलापों को समेटने की घोषणा कर दी। इस बीच कठोर तपसाधना कर मिलना-जुलना कम कर दिया तथा क्रमशः क्रिया-कलाप परमवंदनीया माताजी को सौंप दिये। राष्ट्रीय एकता सम्मेलनों, विराट दीप यज्ञों के रूप में नूतन विधा को जन-जन को सौंप कर राष्ट्र देवता की कुण्डलिनी जगाने हेतु उनसे अपने स्थूल शरीर छोड़ने व सूक्ष्म में समाने की, विराट से विराटतम होने की घोषणा कर गायत्री जयन्ती २ जून, १९९० को महाप्रयाण किया। सारी शक्ति वे परमवंदनीया माताजी के दे गये व अपने व माताजी के बाद संघशक्ति की प्रतीक लाल मशाल को ही इष्ट-आराध्य मानने का आदेश देकर ब्रह्मबीज से विकसित ब्रह्मकमल की सुवास को देवसंस्कृति दिग्विजय अभियान के रूप में आरंभ करने का माताजी को निर्देश दे गये।

एक विराट श्रद्धांजलि समारोह व शपथ समारोह जो हरिद्वार में सम्पन्न हुए, में लाखों व्यक्तियों ने अपना समय समाज के नवनिर्माण, मनुष्य में देवत्व के उदय व धरती पर स्वर्ग लाने का गुरुसत्ता का नारा साकार करने के निमित्त देने की घोषणा की। परमवंदनीया माताजी द्वारा भारतीय-संस्कृति को विश्वव्यापी बनाने, गायत्री रूपी संजीवनी घर-घर पहुँचाने के लिए पूज्यवर द्वारा आरम्भ किये गये युग संधि महापुरश्चरण की प्रथम व द्वितीय पूर्णाहुति तक विराट अश्वमेध महायज्ञों की घोषणा की गयी। वातावरण के परिशोधन, सूक्ष्मजगत के नवनिर्माण एवं सांस्कृतिक व वैचारिक क्रान्ति ने सारी विश्ववसुधा को गायत्री व यज्ञमय, वासंती उल्लास से भर दिया। स्वयं परमवंदनीया माताजी ने अपनी पूर्व घोषणानुसार चार वर्ष तक परिजनों का मार्गदर्शन कर सोलह यज्ञों का संचालन स्थूल शरीर से किया व फिर भाद्रपद पूर्णिमा १९ सितम्बर, १९९४ महालय श्राद्धारंभ वाली पुण्य वैला में अपने आराध्य के साथ एकाकार हो गयीं। उनके महाप्रयाण के बाद, दोनों ही सत्ताओं के सूक्ष्म में एकाकार होने के बाद मिशन की गतिविधियाँ कई गुना बढ़ती चली गयीं एवं जयपुर के प्रथम अश्वमेध यज्ञ (नवम्बर ९२) से छब्बीसवें अश्वमेध यज्ञ शिकागो (यू. एस. ए. जुलाई ९५) तक प्रज्ञावतार का प्रत्यक्ष रूप सबको दीखने लगा है।

गुरुसत्ता के आदेशानुसार सतयुग के आगमन तक १०८ महायज्ञ देवसंस्कृति को विश्वव्यापी बनाने हेतु सम्पन्न होने हैं। युग संधि महापुरश्चरण की अंतिम पूर्णाहुति उसी के बाद होगी। प्रथम पूर्णाहुति नवम्बर १९९५ में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर युगपुरुष पूज्यवर की जन्मभूमि आँवलखेड़ा में मनायी गई। उनके द्वारा लिखे गये समग्र साहित्य के वाङ्मय का जो एक सौ आठ खण्डों में फैला है, विमोचन भी यहीं सम्पन्न हुआ। विनम्रता एवं ब्राह्मणत्व की कसौटी पर खरे उतरने वाले वरिष्ठ प्रज्ञापुत्र ही उनके उत्तराधिकारी कहे जाएँगे, यह गुरुसत्ता का उद्घोष था एवं इस क्षेत्र में बढ़-चढ़कर आदर्शवादी प्रतिस्पर्धा करने वाले अनेकानेक परिजन अब उनके स्वप्नों को साकार करने आगे आ रहे हैं। 'हम बदलेंगे-युग बदलेगा' का उद्घोष दिग-दिगन्त तक फैल रहा है एवं इक्कीसवीं सदी उज्ज्वल भविष्य, सतयुग की वापसी का स्वप्न साकार होता चला जा रहा है, यह स्पष्ट दिखाई दे रहा है।

□□□

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ
भारतीय संस्कृति की अनुपम देन- विवाह संस्कार	१.१	विवाह संस्कार का उद्देश्य-दो आत्माओं का मिलन	१.५५
हिन्दू संस्कृति में विवाह का उद्देश्य	१.१	दम्पति द्वारा विवाह शताब्दी	१.५५
विवाह एक व्रत है-एक संकल्प भी	१.२	एक नया ताजमहल-स्वर्गीय पति की स्मृति में	१.५६
विवाह-आत्मविकास रूपी सोपान की एक सीढ़ी है	१.४	हिम्मत करें तो आप अकेले नहीं	१.५७
विवाह की उपयोगिता	१.६	विवाह नहीं सेवा करो	१.५८
विवाह का महान आदर्श और उसकी प्राप्ति	१.६	विवाह अर्थात् सहजीवन	१.५९
विवाह का आदर्श व्यक्तित्व की समग्रता	१.८	क्या विवाह एक उद्देश्यविहीन कार्य है?	१.६१
विवाह का उद्देश्य और आदर्श	१.१०	विवाह का उद्देश्य समझें और उसे प्राप्त करें	१.६३
विवाह और उसका आदर्श	१.१३	क्या विवाह हर किसी के लिए आवश्यक है?	१.६५
आदर्श विवाह की परम्परा को प्रोत्साहन देना चाहिए	१.१५	असमर्थ लोगों के विवाह का आग्रह अनुचित	१.६८
विवाह की आयु क्या हो?	१.१६	शिक्षित विवाह का अर्थ समझें और पालन करें	१.७०
वयस्क होने पर ही विवाह हों	१.१८	वैवाहिक जीवन के दायित्व भलीभाँति समझे जाएँ	१.७१
विवाह की तैयारी से पूर्व	१.२१	विवाह कामज नहीं, योगज हों	१.७३
विवाह बन्धन-कठोर कर्तव्य का पालन	१.२२	विवाह का उद्देश्य भुला देने पर विषाद ही पल्ले पड़ेगा	१.७६
विवाह का निर्णय विवेकपूर्वक करें	१.२५	विवाह एवं प्रजनन से जुड़े दायित्वों को समझें	१.७९
विवाह और उसका दृष्टिकोण	१.२७	विवाह से पहले स्वप्नलोक न बसायें सुयोग्य जोड़ियाँ इस प्रकार मिलेंगी	१.८३
एक दृष्टिकोण यह भी	१.२९	लड़की-लड़का ढूँढते समय यह ध्यान रखें जीवन-साथी के चुनाव के आधार	१.८६
विवाह समझ-सोचकर ही करें	१.३१	वर-वधू का चुनाव कैसे करें?	१.९१
विवाह संस्था में सोच-समझकर ही जुड़ें	१.३३	लड़की मध्यवृत्ति के लड़के को दें	१.९३
विवाह की जिम्मेदारी और उसका निर्वाह	१.३४	वधुएँ ढाली जाती हैं	१.९५
दायित्व निर्वाह के बिना विवाह न करें	१.३७	वधू को गृहलक्ष्मी बनाया जाय विवाह प्रक्रिया पर समाज का नियंत्रण आवश्यक	१.९७
विवाहों की असफलता-कारण और निवारण	१.३९	पाश्चात्य और पौराणिक वैवाहिक जीवन	१.९८
विवाहित जीवन की सफलता और असफलता	१.४०	विवाह की भिन्न-भिन्न प्रथाएँ	१.१००
वैवाहिक सफलता और उसकी पृष्ठभूमि	१.४२	विवाहोन्माद के पिशाच से ऐसे पिण्ड छूटेगा	१.१०३
विवाह की सफलता-सघन आत्मीयता पर निर्भर है	१.४४		
विवाह की सफलता पारस्परिक उत्कर्ष में, अभिवर्द्धन में	१.४७		
सुखी वैवाहिक जीवन	१.४८		
एक आत्मा दो शरीर	१.५०		
विवाह का आधार शरीर नहीं	१.५२		
शादी करूँगा-तो काली लड़की से	१.५३		
अभिनय नहीं हृदय शुद्धि	१.५४		

विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ
विवाह-संस्था को विकृतियों के जंजाल में न डुबोयें	२.१	विवाह में आयु समस्या का निदान	२.४८
रुग्ण विवाह संस्था को स्वस्थ बनाया जाय	२.१	असुन्दर कन्याएँ क्या इसी तरह बिलखेंगी?	२.४९
विवाह संस्कार को कौतुक न बनाया जाय	२.४	विवाहों की गरिमा और महत्ता को न भूलें	२.५०
विवाहों की चित्र-विचित्र रस्में	२.६	दहेज के दानव का अन्त अब होना ही चाहिए	३.१
विवाह सम्बन्धी ये रूढ़मान्यताएँ अब बदलनी ही होंगी	२.८	दहेज का दानव कब तक जियेगा ?	३.१
अपनी विवाह-संस्था को कहीं पश्चिम का ग्रहण न लग जाय	२.१०	दहेज प्रथा अनैतिक, अवांछनीय और अविवेकपूर्ण है	३.२
विवाह में रूप-लावण्य को प्रमुखता न मिले	२.१२	दहेज का एक कारण यह भी है	३.५
रूप को नहीं सुसंस्कारिता को महत्व दिया जाय	२.१४	दहेज का कलंक धोना ही चाहिए	३.७
लड़की देखने जाते हैं, तो क्या देखते हैं?	२.१५	दहेजखोरी घृणित पाप है	३.८
लड़की ही क्यों देखी जाय?	२.१७	इस उभय-पक्षीय शत्रु-प्रथा 'दहेज' का अन्त कीजिए	३.९
कुरूप पत्नी का गला घोट कर हत्या	२.१८	दहेज की प्रथा का विरोध होना चाहिए	३.११
दूल्हे की हेकड़ी इस तरह धूल में मिली	२.१९	हत्यारी दहेज प्रथा का नाश हो	३.१३
इन अवरोधों का समाधान होना ही चाहिए	२.२०	दहेज का असुर तो ऐसे ही मरेगा	३.१४
अन्तर्जातीय विवाहः शास्त्रसम्मत	२.२२	दहेज का दानव अब तो मरना ही चाहिए	३.१६
प्रेम विवाहों की भावुकता अहितकर	२.२४	दहेज प्रथा बन्द न हुई तो दूल्हे पिटेंगे	३.१८
प्रेम विवाह आगा-पीछा सोचकर ही करें	२.२६	दहेज के दानव से लड़ने को अब नारी शक्ति भी आगे आये	३.२०
विवाह की मर्यादाएँ भंग न की जाएँ	२.२७	दहेज लेना अत्याचार एवं देना अनाचार का प्रतीक	३.२२
बहुपत्नी और बहुपति प्रथा के समर्थन में अजीब तर्क	२.२८	लेन-देन पीड़ित परिवारों के आशा केन्द्र यह निष्ठुरता अब बन्द होनी ही चाहिए	३.२६
पत्नी एक-पति अनेक	२.३१	पूर्व मान्यताओं को उखाड़े बिना दहेज प्रथा उन्मूलन संभव नहीं	३.२८
विवाह करने से पहले इन बातों का भी ध्यान रखें	२.३२	इन धूर्तों से लड़कियों के अभिभावक बचें	३.३०
जीवन-साथी के चुनाव का सही आधार भ्रान्तियों से घिरा विवाह और प्रजनन अपरिपक्व आयु में विवाह अनुचित	२.३४	दहेज का कुचक्र अंततः भयानक विपत्ति उत्पन्न करेगा	३.३१
अनमेल विवाह आखिर रुक ही गया	२.३६	निरुद्देश्य विवाह असफल दाम्पत्य	३.३४
वृद्ध विवाह का दुष्परिणाम	२.३९	इस सभ्य डकैती से भी जूझिए	३.३६
बुढ़ाऊ करने चले विवाह	२.४१	दहेज न लो, न दो और न उसका समर्थन करो	३.३८
अनमेल विवाह इस प्रकार टल सका	२.४२	इस छद्म वेधी राक्षस को पहचानें	३.४२
वृद्धावस्था में विवाह की इच्छा यों दुर्गति कराती है	२.४३	भारतीय समाज पर एक बहुत बड़ा कलंक-दहेज प्रथा	३.४३
अनमेल विवाह आखिर नहीं ही हो सका	२.४४	दहेज की बलिवेदी पर निरीह बच्चियों का नृशंस वध	३.४८
बूढ़े वर जी बैरंग लौटे	२.४५		
बुढ़ापे में ब्याह रचाकर जेल की हवा खाने का उपक्रम	२.४६		
	२.४७		

विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ
दहेज का कलंक आखिर कब तक	३.५१	दहेजखोरों की अक्ल यों ठिकाने लगेगी	३.८१
दहेज प्रथा की बलिवेदी पर	३.५२	जिन्हें इन्सान की कोई कद्र नहीं उनसे	
दहेज के पिशाच की चपेट में अध्यापक	३.५३	विवाह क्या	३.८३
दहेज की बलिवेदी पर दो आहुतियाँ	३.५४	खर्चीली शादियाँ हमें दरिद्र और बेईमान	
प्राणों का मूल्य-एक मोटर साइकिल	३.५५	बनाती हैं	४.१
बहू से प्यारी मोटर साइकिल	३.५६	विवाहों में अपव्यय की मूर्खतापूर्ण कुरीति	४.१
हत्या तो न होती	३.५६	शादियों में अनावश्यक अपव्यय	४.३
दहेज के लालच में बहू को जला दिया	३.५७	विवाहों में अनावश्यक अपव्यय क्यों करें	४.५
आप दहेज मँगेंगे तो हम जेवर	३.५८	ये खर्चीले हुल्लड़ व तमाशेबाजी अब	
नारी का यह उत्पीड़न-अब समाप्त हो		बन्द हों	४.८
जाना चाहिए	३.५९	विवाहों में बर्बादी का प्रतिरोध किया जाय	४.८
दहेज की बलिवेदी पर पारिवारिक जीवन		खर्चीली शादियाँ परले सिरे की मूर्खता	४.१०
की हत्या	३.६०	विवाहों में अपव्यय की कुप्रथा बन्द हो	४.११
दहेज प्रथा उन्मूलन का एक साहसिक		विवाहों में होने वाला अपव्यय रोका जाय	४.१४
प्रयास	३.६१	शादियाँ खर्चीली न हों	४.१५
दहेज लोलुप तो इसी प्रकार ठीक होंगे	३.६२	बारात या विरोधी पर आक्रमण	४.१६
दहेज मिटेगा पर इस तरह	३.६३	शादी बनाम बर्बादी	४.१८
दहेज के बदले पिटाई	३.६४	शादियों की शोभा सादगी से ही है	४.१९
गहरी छानबीन महँगी पड़ गई	३.६५	मितव्ययी आदर्श विवाहों का	
दो हाथ की कमाई लाख हाथों		प्रचलन अत्यावश्यक	४.२१
से खाई	३.६६	विवाह परम्परा में शालीनता का	
दस हजार मिल गए, अब बहू की आशा		अभिनव समावेश	४.२३
न करें	३.६८	दरिद्रता और बेईमानी छोड़नी हो तो	
विवाह में वर के पिता का आदर्श	३.६८	खर्चीली शादियाँ बन्द करें	४.२७
पुत्र के साहस ने पिता को सुधार दिया	३.६९	अवांछनीय तत्वों को न आदर दीजिए,	
दहेज की परवाह न कर शादी की	३.७१	न समर्थन कीजिए	४.३०
दहेज समस्या का समाधान इस तरह	३.७२	विवाह के विकृत मानदण्डों को बदलना	
बड़े भाई की भूल छोटे भाई ने सुधारी	३.७३	ही होगा	४.३३
वरपक्ष वाले भी कम परेशान नहीं	३.७४	इन घातक परम्पराओं का उन्मूलन	
बात पैसे की नहीं सिद्धान्त की थी	३.७५	आवश्यक है	४.३५
अपने दौंव से अपनी हार	३.७५	विवाह वैभव प्रदर्शन का साधन नहीं	४.३६
लालची बाप को इस तरह अकल आई	३.७६	आदर्श विवाह की ओर बढ़ते चरण	४.३७
दहेज लोलुप वर इसी तरह ठीक होंगे	३.७७	आदर्शवादी परिवारों में विवाह का आदर्श	४.३८
विवाह का उद्देश्य सम्पत्ति प्राप्त नहीं	३.७८	उत्साहवर्द्धक आदर्श विवाह	४.३९
विवाह सम्बन्धी कठिनाइयों का हल		बिना खर्च का विवाह	४.४०
इस प्रकार होगा	३.७९	अभिनव विवाह, जिसने एक नया	
सगाई-एक विचित्र व्यापार	३.७९	आदर्श रखा	४.४१
केवल सोचें नहीं, कुछ करें भी	३.८०	बीस पैसे में विवाह इस तरह हुआ	४.४२

विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ
विवेकपूर्ण विवाह इस तरह सम्पन्न हुआ	४.४३	विवाहों के आदर्श और सिद्धान्त	५.१
अनुकरणीय आदर्श विवाह	४.४४	विवाहोत्सव के लिए बुद्धि बेच क्यों दी	५.१
मानवीय सहृदयता का प्रतीक		जाय	५.१
आदर्श विवाह	४.४५	विवाहों का वातवरण धर्मनुष्ठान	
सजीव गुड़िया का विवाह	४.४५	जैसा रहे	५.११
बिना खर्च का विवाह	४.४६	क्या विधवा विवाह शास्त्र विरुद्ध है?	५.२१
आदर्श विवाहों की ओर बढ़ते कदम	४.४७	बाल विवाह का अभिशाप	५.२९
बड़ी बारात अभिशाप सिद्ध हुई	४.४८	उच्चशिक्षित कन्या की विवाह समस्या एवं	
ब्याह में धूमधड़ाका न हुआ तो क्या हुआ?	४.४८	उसका हल	५.४०
विवाहों को रचनात्मक दिशा दी जाय	४.४९	सार्वजनिक सत्कार्यों के लिए दान	५.६२
आनन्द विवाह-एक अनुकरणीय प्रथा	४.५१	अपव्यय का कुचक्र तोड़ ड़ालें	५.६४
आदर्श विवाहों के सामूहिक आयोजन	४.५२	आदर्श विवाहों का प्रचलन कैसे हो?	५.७४
विवाहदिन उत्सवों की परम्परा प्रचलित		नये रक्त को नवयुग की चुनौती	५.७४
की जाय	४.५२		



भारतीय संस्कृति की अनुपम देन—विवाह संस्कार

हिन्दू संस्कृति में विवाह का उद्देश्य

संसार की अन्य जातियों की अपेक्षा हिन्दू जाति की अपनी कुछ विशेषताएँ हैं। इसका आधार आध्यात्मिकता है। ऋषि अपनी लम्बी खोज के परिणामस्वरूप इस निर्णय पर पहुँचे थे कि मनुष्य जीवन की सच्ची सुख-शान्ति और आनन्द आध्यात्मिकता में ही है। इसलिए उन्होंने हिन्दू जाति के प्रत्येक क्रिया-कलाप, आचार व्यवहार एवं चेष्टा में इस तत्त्व का विशेष स्थान रखा। यही कारण है कि हमारी छोटी से छोटी क्रिया में भी धर्म का दखल है। हमारी खान-पान, मलमूत्र त्याग, सोना-उठना आदि सभी शारीरिक और मानसिक, बौद्धिक क्रियाएँ धर्म द्वारा नियन्त्रित की गई हैं ताकि इनको भी हम ठीक ढंग से करें और जैसा करना चाहिए, उससे नीचे न गिरें और मनुष्य जीवन के परम लक्ष्य आध्यात्मिक उन्नति को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ सकें। हमारे वेद शास्त्रों का प्रयास इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए है। ऊँचे आदर्शों को लेकर चलने के कारण ही संसार की सभी सभ्य जातियों में इसका हमेशा ऊँचा स्थान रहा है। विवाह के सम्बन्ध में भी यही बात लागू होती है क्योंकि हिन्दू धर्म में विवाह का उद्देश्य काम-वासना की तृप्ति नहीं वरन् मनुष्य जीवन की अपूर्णता को दूर करके पूर्णता की ओर कदम बढ़ाना है। विवाह में प्रयोग आने वाले मन्त्र हमें इसी ओर संकेत करते हैं।

यह तो मानना ही पड़ेगा कि सृष्टि की रचना के लिए परमात्मा ने स्त्री और पुरुष में कुछ ऐसे आकर्षण उत्पन्न किये हैं जिससे वह एक-दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। इस सृष्टि का क्रम तो चलना ही है, उनमें वह स्वाभाविक काम-प्रवृत्तियाँ तो जाग्रत होंगी ही और हिन्दू धर्म की मान्यता के अनुसार मनुष्य जन्म ८४ लाख पशु-पक्षी, कीट-पतंग आदि योनियों के पश्चात् होता है और वह पशु प्रवृत्तियाँ उसमें रहती ही हैं, इसलिए-जिस प्रकार से पशु को स्वच्छन्द छोड़ देने से वह किसी भी खेत में चरता रहता है, इसी तरह मनुष्य भी स्वच्छन्दता प्राप्त करके अपनी स्वाभाविक कामवासना को शान्त करने के लिए अनियन्त्रित हो जायेगा और स्त्रियों के लिए पुरुष के हृदय में और पुरुष के लिए स्त्रियों के हृदय में अनुचित

आकर्षण की भावना जाग उठेगी और अवसर मिलने पर वह अपनी पशु-प्रवृत्ति को चरितार्थ करेगा। इस पद्धति को नियन्त्रित करने के लिए ही विवाह की व्यवस्था की गई है कि पुरुष एक स्त्री तक सीमित रहे और संसार की अन्य स्त्रियों को पवित्र दृष्टि से देखे। इस प्रकार से विवाह वह पुनीत संस्कार है जिसने मानव को मानव बनाने का कार्य किया है और उसकी पशु-प्रवृत्तियों पर नियन्त्रण लगा दिये हैं। इसके अभाव में मनुष्य पशु से गया-गुजरा होता। न उसकी कोई पत्नी होती, न माँ, न बहिन, न बेटी। अपनी कामवासना की पूर्ति के लिए वह कुत्तों की तरह लड़ता, झगड़ता और छीना-झपटी करता। हिन्दू धर्म के अनुसार होने वाले विवाह में प्रयोग में आने वाले मन्त्रों द्वारा कन्या यह कहती है कि—“तुम कभी पर-स्त्री का चिन्तन नहीं करोगे और मैं पति-परायण होकर तुम्हारे ही साथ निर्वाह करूँगी। तुम्हारे सिवा अन्य किसी पुरुष को पुरुष ही नहीं समझूँगी।”

उपनिषदों में आता है कि सृष्टि के आरम्भ से ही स्त्री धारा व पुरुष धारा—दो धाराएँ चलीं। इन दो धाराओं का मिलन ही सृष्टि विस्तार का कारण है। विवाह का वास्तविक उद्देश्य स्त्री धारा को पुरुष धारा में मिला कर उसे मुक्ति की अधिकारिणी-त्रिवेणी बनाना है। विवाह के समय कन्या अग्नि को साक्षी करके कहती है, “आज मैं इस युवक को पति रूप से स्वीकार करती हूँ ताकि पति लोक को पहुँच सकूँ।” युवक एक और मन्त्र के द्वारा कहता है, “मैं इस देवी को पत्नी रूप में ग्रहण करता हूँ ताकि ब्रह्मलोक में पहुँच सकूँ। एक मन्त्र में पतिलोक का वर्णन है दूसरे में ब्रह्मलोक का। वास्तव में दोनों का एक ही अर्थ है। पतिलोक है पतियों का पति ईश्वर। ब्रह्मलोक है वह परमात्मा जिससे बड़ा और कुछ नहीं। हमारी संस्कृति में पति और पत्नी ईश्वर को प्राप्त करने के लिए गृहस्थ में प्रवेश करते हैं। संसार की और कोई भी संस्कृति ऐसा ऊँचा आदर्श उपस्थित नहीं कर सकती। इसीलिए एक विद्वान ने लिखा है कि “विशाल मानव जाति की एकता का अनुभव तभी हो सकता है जब व्यक्ति समष्टि के लिए अपने व्यक्तित्व का बलिदान कर दे। इस त्याग को

१.२ विवाहोन्माद : समस्या और समाधान

उद्भूत करने की प्रारम्भिक पाठशाला है परिवार और उसका आधार है विवाह-प्रथा ।... कन्या अपने घर को छोड़ कर अपना शरीर, मन और आत्मा सब कुछ अपने पति के चरणों में अर्पण कर देती है, उसे ही अपना देवता मानती है । उसकी प्रसन्नता में ही उसकी प्रसन्नता होती है । वह अपने व्यक्तित्व को पति में मिला देती है । एकता अनुभव करती है और पति उसे अपनाकर अपनी वृत्ति, कामना, इच्छा और वासनाओं को नियन्त्रित और संयमित करता हुआ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता जाता है । स्त्री, पुरुष की पशु-वृत्तियों को अपने तक सीमित कर लेती है । इस तरह उसे पशुता की ओर कदम बढ़ाने से रोकती है । मन गतिशील है । वह निरन्तर कार्य करता रहता है । एक तरफ से मुड़कर वह दूसरी ओर लग जाता है । जब उसकी शक्तियों का व्यय इधर से बच जाता है तो वह निर्माण कार्य में लगता है और मनुष्य को श्रेष्ठ मार्ग की ओर अग्रसर करके पूर्णता की ओर बढ़ाता है ।

भारतीय संस्कृति में विवाह एक धार्मिक बन्धन है । धर्म का नियन्त्रण रहने से यह सम्बन्ध शिथिल नहीं हो पाते क्योंकि धर्म के प्रति श्रद्धा होने के कारण वह अधर्म करके, पाप कमा कर, नरक भोगों को प्राप्त नहीं करना चाहते । इस तरह से विवाह को धार्मिक कर्तव्य समझते हुए सांसारिक दौड़ में कदम से कदम मिला कर एक साथ चलते हैं चाहे कभी-कभी आपस में मन-मुटाव भी हो जाये । यदि एक-दूसरे में अरुचि भी उत्पन्न हो जाये तो भी पर-पुरुष या पर-स्त्री की ओर आँख उठाकर देखने या उनका ध्यान करने को वह अधर्म और पाप समझते हैं ।

विवाह के मधुर सम्बन्ध से आत्मभाव का विकास होता है । विवाह द्वारा उसके ममत्व का विस्तार स्त्री तक होता है । फिर बाल-बच्चे होने पर उनकी ओर बढ़ता है । इस तरह धीरे-धीरे विस्तार पाता हुआ गली, मुहल्ले, नगर, प्रान्त, देश और समस्त विश्व में व्याप्त होकर "वसुधैव कुटुम्बकम्" के उच्चतम आदर्श की ओर बढ़ता है । यह उच्चतम आत्मविकास प्रेम की अन्तिम सीढ़ी है और वह अपने परम लक्ष्य को प्राप्त हो जाता है ।

पुरुष स्त्री की साधना का व्यावहारिक क्षेत्र दाम्पत्य जीवन है । जो इसमें असफल रहे, उसकी साधना अधूरी ही मानी जाती है । यह दोनों के लिए परीक्षा का क्षेत्र है । इसमें

तरह-तरह के दुःख, कलह, कठिनाइयाँ आती हैं । एक-दूसरे के लिए त्याग के अवसर आते हैं, कभी-कभी प्रतिकूल व्यवहार हो जाता है । इनमें सहनशीलता, धैर्य, त्याग, क्षमा आदि गुणों को प्रकट करने वाला ही उत्तम साधक माना जाता है ।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि भारतीय संस्कृति में विवाह का वास्तविक उद्देश्य काम-वासना की तृप्ति नहीं वरन् मनुष्य जीवन के परम पुनीत कर्तव्य आध्यात्मिक उन्नति के द्वारा ईश्वर प्राप्ति है जो अन्य जातियों व संस्कृतियों में देखने में नहीं आता ।

विवाह एक व्रत है—एक संकल्प भी

मनुष्य जीवन की पूर्णता पाणिग्रहण-संस्कार के बाद प्रारम्भ होती है । जब तक मनुष्य अकेला रहता है तब तक वह अपूर्ण रहता है, उसका जीवन स्वार्थपूर्ण प्रवृत्तियों में ही बीतता है । नैतिक जीवन के जो संस्कार मनुष्य में बाल्यावस्था में पड़ते हैं उनका विकास गृहस्थ जीवन में ही होता है । प्रेम और निष्ठा, तप और त्याग, श्रम और पालन, शील और सहिष्णुता आदि सदगुणों का उन्नयन पूर्ण रूप से गृहस्थ जीवन में ही होता है । गृहस्थी, मनुष्य की सर्वांगपूर्णता का विद्यालय है और विवाह उसका प्रवेश । जिस प्रकार शिक्षा की प्रारम्भिक नींव विद्यार्थी के लिये अधिक महत्त्वपूर्ण होती है उसी प्रकार गृहस्थ-जीवन के सुचारु-संचालन के लिए विवाह की परम्परा भी बड़े महत्त्व की होती है । इस उद्देश्य की स्मृति दिलाने के लिए वेद ने पाणि-ग्रहीत पुरुष से कहलवाया है—

गृह्णामि ते सौभाग्याय हस्तं मया पत्या जरदतिर्व्यासः ।

भग्नेअर्यमा सविता पुरन्दिर्मह्यं त्वादुर्गार्हपत्याय देवाः ।।

“हे प्रियतमे ! जीवन के इस पुण्य-पर्व पर मैं देवताओं की सुखद साक्षी में तुम्हारा हाथ अपने हाथ में लेता हूँ । हे सुहागिनि ! तुम चिरकाल तक मेरे साथ सौभाग्यशालिनी बनकर रहो । मैं अपनी गृहस्थी का संचालन तुम्हारे हाथ में देता हूँ, सुखपूर्वक इसका निर्वाह करो ।”

वह समय सचमुच कितना सुखद होता है, जब मनुष्य देवताओं की साक्षी में उपर्युक्त व्रत धारण करता है । मनुष्य का एकाकीपन, उसकी उदासीनता समाप्त होती है और एक ऐसे जीवन का सूत्रपात होता है जिसमें वह अपने जीवन-ध्येय की प्राप्ति के सभी साधन प्राप्त कर लेता है ।

उस दिन मनुष्य का क्षेत्र विभाजन होता है। पुरुष आजीविका और उदर-पोषण के सात्त्विक कर्मों में लगता है और स्त्री गृह-कार्य सँभालती है। इन कार्यों में विवेक, सत्यनिष्ठा और विचार से ही गृहस्थ जीवन सफल होता है। रस्म के रूप में केवल भौवरों डालकर अस्तव्यस्त गृहस्थ जीवन बिताना भारतीय परम्परा के सर्वथा प्रतिकूल है। हमारे सिद्धान्त ऐसे हैं जिनमें विवाह जीवन की अग्नि-परीक्षा का प्रारम्भ है अतः इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करने से ही गृहस्थ जीवन सार्थक हो सकता है।

त्याग और तपस्या की यह भूमिका भी बड़ी सुखदायी होती है। मनुष्य यदि विवाह काल में किये गये संकल्पों का पालन करता रहे तो सचमुच गृहस्थ जीवन में स्वर्गीय सुख का वातावरण उत्पन्न कर सकता है। पत्नी साक्षात् लक्ष्मीस्वरूप होती है। इस धन, इस लक्ष्मी के अभाव में मनुष्य का जीवन नीरस व निष्प्राण ही बना रहता है। प्रणयी का यह कथन किसी भौंति असत्य नहीं कि—

अग्नेऽहमस्मि त्वं त्वं नमस्वस्वप्नेऽहम् ।

स्वप्नमस्मृत् त्वं चौरं पृथिवी त्वम् । ।

‘तुम लक्ष्मी हो। मैं तुम्हारे बिना दीन था। सत्य ही तुम्हारे बिना उस जीवन में कुछ भी सुख न था। सौम्ये! हमारा सम्मिलन साम और उसकी ऋचा, धरती और आकाश के समान है।’

उपर्युक्त शब्दों में स्रष्टा ने विवाह की सबसे महत्त्वपूर्ण व्याख्या की है। विवाह का प्रश्न किसी व्यक्ति का प्रश्न नहीं वह सम्पूर्ण समाज से सम्बद्ध है। इसलिये उन विवाहों को, जो व्यक्ति और समाज के हित को विचार करके न किये गये हों, दोषयुक्त ही मानना चाहिये।

सुख प्राप्ति की आकांक्षा केवल भोग-विलास से पूरी नहीं होती। मनुष्यत्व का विकास भोग से नहीं संयम से होता है। इसलिए विवाह का हेतु भी भोगेच्छा की पूर्ति नहीं हो सकती। राष्ट्र की सम्पत्ति, श्रेष्ठ नागरिकों के जन्म देने के लिए संयमित जीवन जीने की जो शर्त लगा दी गई है उससे विवाह का हेतु भोग-विलास कदापि नहीं हो सकता। विवाह एक संकल्प है जो राष्ट्र के भावी बल सत्ता और सम्मान को जाग्रत रखने के लिए लिया जाता है।

शास्त्रकार का कथन है—

तावेदि विषाग्रवधे सवरेतो दयावधे ।

प्रयत्नं प्रयत्नवधे पुत्रान् विन्दावधे वदन् । ।

अर्थात् ‘विवाह का उद्देश्य परस्पर प्रीति युक्त रह कर राष्ट्र को सुसन्तति देना है।’ ऐसी परम्परा को जीवित रखने के लिए ही ‘पाणिग्रहण’ को संस्कार का रूप दिया जाता है किन्तु आज जो पद्धति अपनाई जा रही है उसमें बहुधा कोई उद्देश्य नहीं होता। बाल-विवाह की प्रथा से तो और भी अनर्थ होता है। अल्पवय के किशोर बालक जिन्हें यह ज्ञात नहीं होता कि विवाह एक व्रत है, दाम्पत्य-जीवन को खिलवाड़ में ही बिताते हैं। फलस्वरूप अनेकों तरह की सामाजिक कुरीतियाँ, अनर्थ और अनैतिकता का ही प्रसार होता है।

प्रेम-विवाह की आधुनिकतम परम्परा भी सोद्देश्य नहीं, एक आवेश मात्र है जिसके परिणाम कुछ दिन में बड़े ही भयानक निकलते हैं। असफल ग्रहण और तलाक के अधिकांश मामले प्रेम-विवाह वालों में ही पाये जाते हैं। ऐसे विवाह चंचलता और उच्छ्वलता पर अधिक आधारित होते हैं जो आजीविका या विचार-वैषम्य की गम्भीर परिस्थिति आते ही मनुष्य को इस तरह बर्बाद करते हैं कि उसकी तमाम शारीरिक और मानसिक शक्तियाँ नष्ट हो जाती हैं।

ऐसे विवाह केवल आकर्षण से होते हैं। प्रेम को आकर्षण नहीं कह सकते। इस दृष्टि से इन विवाहों को आकर्षण-विवाह कहा जाय तो अत्युक्ति न होगी। यह आकर्षण सौन्दर्य या धन के लिए होता है जिसमें स्थिरता नहीं होती, इसलिए इन विवाहों का प्रचलन भी हमारे समाज के अहित का कारण है।

बेमेल, बाल या आकर्षण विवाहों की पद्धति भारतीय नहीं है। इन्हें एक सामाजिक अभिशाप ही कहा जा सकता है। इनसे विवाह की पवित्रता, विवाह के संकल्प का लक्ष्य पूरा होना तो दूर रहा, अनेकों अनर्थ और उपद्रव ही खड़े बने रहते हैं।

यह अनियमितताएँ देश, काल, परिस्थिति और बाह्य-संस्कृति के प्रवेश के कारण उत्पन्न हुई हैं इसलिए ये परिवर्तनीय हैं।

सही पद्धति वह है जिसमें व्यक्ति और समाज के स्वास्थ्य, बल, शारीरिक-बौद्धिक और मानसिक उन्नति मनुष्य जाति की चिरन्तनता, स्फूर्ति, एकता, तेजस्विता, प्रसन्नता और चिरस्थायी

१.४ विवाहोन्माद : समस्या और समाधान

सुख का विचार किया जाता है। विचार-हीन पद्धति चाहे वह नयी हो या पुरानी उसे प्रमाण मान लेना हमारी सबसे बड़ी भूल है। हमें इन परम्पराओं की तुलना में विवेक का आश्रय लेना अधिक उचित प्रतीत होता है।

सफल वैवाहिक परम्परा वह है जिसमें इन्द्रिय-लालसा और भोग-भाव मर्यादित रहें, भावों में शुद्धि रहे। संयम से त्याग की ओर मनुष्य की प्रवृत्ति हो। संतानोत्पत्ति से वंश-रक्षा, प्रेम की पूर्णता में पारिवारिक सरसता और उल्लास के द्वारा गृहस्थ की पवित्रता ही विवाह का सही दृष्टिकोण होना चाहिए। दूसरों के हित के लिए त्यागमय जीवन का अभ्यास और अन्त में जीवन सिद्धि ही विवाह का पवित्र उद्देश्य होना चाहिए।

हिन्दू-विवाहों की आर्य परम्परा पूर्ण वैज्ञानिक थी, उसमें आज की तरह स्त्री-पुरुष का भेद-भाव न किया जाता था। पुरुष को अधिक श्रेष्ठ और नारी को अपवित्र मानना, कलंकित ठहराना यह इस युग का सबसे बड़ा दूषण है। हमारे यहाँ विवाहों में पत्नी का समादृत स्थान है। इनमें से एक को प्रमुख और दूसरे को गौण मानने की नीति अज्ञानी लोगों की चलाई हुई है। स्त्री-पुरुष का संयोग ही पारिवारिक विकास का मूल है। इस नैसर्गिक प्रवृत्ति की पूर्ति के लिए भेद-भाव की परम्परा असामाजिक है, इसको दूर किया ही जाना चाहिए।

मङ्गल-मय जीवन का सूत्राधार है—

ते सन्तु जरहृद्यः सन्ध्रियौ रोविष्णु सुमनस्यमानौ ।

पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतः वृणुयाम् शरदःशतः । ।

“हम सौन्दर्य युक्त होकर परस्पर प्रीतिपूर्वक जीवन-यापन करें। हमारी भावनाएँ मङ्गलकारक हों। हम सौ वर्ष देखें, सौ वर्ष जियें और सौ वर्ष तक जीवन के बसन्त का मधुर राग सुनते रहें।” नीतिकार ने उपर्युक्त वचनों में स्पष्ट कर दिया है कि सुखमय गृहस्थी का आधार स्त्री-पुरुषों की एकता, आत्मीयता और प्रेम भावना है। इसके लिए विवाह को कौतुक नहीं, एक व्रत मानना है और उसे ज्वलन्त संकल्प की भाँति जीवन-पर्यन्त धारण किये रहना है। पारिवारिक सुदृढ़ता की यही सर्वांगपूर्ण भूमिका है।

विवाह—आत्म-विकास रूपी सोपान की एक सीढ़ी है

हिन्दू धर्म में जिन षोडश संस्कारों का विधान है उनका ध्येय जीवन को पशुत्व से देवत्व की ओर उन्मुख करना है। जीव अपनी शैशव दशा में पशु के समान ही खाता-पीता,

सोता-जागता और रोता-चिल्लाता रहता है। उस समय उसके जीवन में बुद्धि तत्व अविकसित रहने से उसका जीवन आध्यात्मिक नहीं होता। जब वह तनिक बड़ा होता है तब क्रमशः माता-पिता और गुरुजनों की आज्ञा-पालन आदि गुणों को सीखता है और इस तरह उसे धीरे-धीरे आत्म-दमन, आत्म-संयम और इच्छा-निरोध का पाठ सीखना पड़ता है। उसे आज्ञा-पालन द्वारा अपने क्षुद्र 'स्व' का—अपने दैहिक व्यक्तित्व का—भाव भुलाना पड़ता है और तब धीरे-धीरे उसकी हृदय-गुहा में आत्मा का प्रकाश होता है, उसका आत्म-भाव उभरता है और तब उसका आत्म-विस्तार प्रारम्भ होता है। ज्यों-ज्यों वह आत्म-दमन करता है, अपने ऊपर नियन्त्रण लगाता है, त्याग करता है, त्यों-त्यों उसमें आत्मीयता का भाव बढ़ता जाता है। बड़ा होने पर जीव का विवाह-संस्कार होता है। यह होने पर जीव के ऊपर अनेक जिम्मेदारियों आ पड़ती हैं। यहाँ तो देह-भाव-विलोपन और आत्म-बलिदान का पाठ पूरा-पूरा सीखना पड़ता है। कालान्तर में जो संतान प्राप्ति होती है, उसकी सेवा बिना आत्म-त्याग और बलिदान के सम्भव नहीं। साथ-साथ अपने जीवन सहचर के व्यक्तित्व में जो अपने व्यक्तित्व को मिलाना होता है—वह भी बिना आत्मोत्सर्ग के सम्भव नहीं। कदाचित् अपने जीवन-सहचर के व्यक्तित्व में अपने व्यक्तित्व को हमें विलीन भी करना पड़ता है—होमना भी पड़ता है—और यह देह-भाव को बनाए रखकर नहीं बन सकता। इस जीवन में तो इच्छा-निरोध, आत्म-संयम की पूरी-पूरी साधना करनी पड़ती है क्योंकि बिना इसके अपने जीवन-सहचर के साथ पूर्णतया घुल-मिल जाना नहीं बनता। अतएव विवाह में आत्म-विलीनीकरण परमावश्यक है और यह आत्म-विलीनीकरण—देह-भाव का यह उच्छेद-पशुत्व को दबाने और देवत्व को जगाने का एक साधन है। अतएव विवाह पशुत्व से देवत्व की ओर बढ़ने का एक मार्ग है।

विवाह भौतिक दृष्टि के अतिरिक्त, आध्यात्मिक जीवन के क्रमिक विकास की दृष्टि से भी जीवन के बाल्यकाल के पश्चात् स्वाभाविक रूप से ही आवश्यक है। बाल्यकाल के उपरान्त आध्यात्मिक सोपान पर आगे चढ़ने के लिए जो अगली सीढ़ी हो सकती है वह विवाह-बन्धन ही है। बाल्यकाल के उपरान्त एकदम संन्यास धर्म में पहुँचना सबके लिए सरल नहीं और न अपेक्षित ही है। बाल्यकाल में सदा खाते-पीते, सोते-जागते सुखों का उपभोग ही होता है—इन्द्रियों की वृत्ति

का प्रयत्न ही चलता रहता है। इच्छाओं का निरोध नहीं होता किन्तु इसके ठीक विपरीत संन्यास में एकदम त्याग ही त्याग है। अतएव विवाह ही एक ऐसी बीच की अवस्था है जो मनुष्य को विरक्ति और भोग की अवस्था के ठीक बीचों-बीच रखकर विरक्ति और त्याग के साथ-साथ ही सुख-भोग की शिक्षा देती है। मध्यम मार्ग इस जीवन में ही सम्भव है। राग-द्वेष से विमुक्त होकर सुखोपभोग करना इस जीवन के अतिरिक्त न तो बाल्यावस्था में सम्भव है और न संन्यासावस्था में। इसलिए विवाह एक पवित्र बन्धन है और विवाहित जीवन को योग्यतापूर्वक निबाहने में ही मनुष्य का आध्यात्मिक कल्याण है।

सफल विवाहित जीवन ईश्वर से सम्मिलन की पूर्वावस्था है। जायसी आदि संतों ने ईश्वर-प्रेम कैसा होना चाहिए उसकी एक सुदृढ़ झोंकी पति-पत्नी के प्रेम को माना है। जायसी ने अपने काव्य पद्मावत में महारानी पद्मिनी और रतनसिंह के प्रेम का उत्तम चित्रण किया है। जब लौकिक प्रेम के निबाहने में इतनी जानिसारी की आवश्यकता होती है तो ईश्वर-प्रेम तो फिर सिर का सौदा है, सिर हथेली पर रखकर चलना है। अतएव लौकिक प्रेम ही ईश्वर से सामीप्य लाभ करने का मार्ग प्रशस्त करता है। शास्त्रकारों की दृष्टि में विवाहित जीवन पवित्र जीवन है। तैत्तरीयोपनिषद् में तो “प्रजातेतु मा व्यबच्छेत्सीः” ऐसा उपदेश है। अतएव जहाँ पवित्र जीवन है वहाँ पापमय उत्पत्ति कहीं हो सकती है। फिर हम ब्रह्म ज्ञान हो जाने पर भी सत्यकाम जाबाल और समुग्वा रैक्य जैसे ब्रह्मज्ञानियों को भी विवाह करते देखते हैं। इससे भी विवाहित जीवन की पवित्रता ही प्रतिपादित होती है। केवल आत्म-संयम का होना, न होना ही विवाहित जीवन को पवित्र या अपवित्र बना देता है। पुनश्चः भगवान् कृष्ण ने भी तो कहा है “धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ” अर्थात् प्राणियों में स्थित मैं धर्म अविरुद्ध काम हूँ।

ऋग्वेद का वचन है—

“समाना व आनूतिः समाना हृदयानि वः
सम्ननमस्तु वो मनो यथा वः सुसहासति ।”

अर्थात् हमारा आचरण समान हो, हमारे हृदय समान हों, हमारे मन समान हों और हम एक-दूसरे की सहायता के लिए सदा तत्पर रहें। यदि हम अपने जीवन-सहचर के साथ

भी एकात्म्यता और अभिन्नता का अनुभव नहीं कर सकते तो वेद में वर्णित समाज के साथ इतनी अभिन्नता हो सकना तो बहुत दूर की बात है। इस दृष्टि से भी विचार करें तो विवाह बन्धन उत्कृष्ट सामाजिक तथा आध्यात्मिक जीवन-यापन करने के लिए उत्तम शिक्षण-स्थल है। विवाह आध्यात्मिक विकास के लिए सुअवसर प्रदान करता है।

विवाहित जीवन बहुतों के लिए दुःखमय प्रतीत होता है किन्तु इसका कारण केवल आत्म-संयम और पुरुषार्थ की कमी है। कठिनाइयों केवल हमारी चरित्रगत तथा पुरुषार्थ सम्बन्धी न्यूनताओं की ओर ही संकेत करती हैं और मानो हमें उन पर विजय प्राप्त करने के लिए उद्बोधित करती हैं। जो लोग पलायन-मनोवृत्ति लेकर विवाह-बन्धन से बच निकलते हैं वे दुःख और कठिनाइयों से भी भले ही बच निकलें, किन्तु कठिनाइयों से बच निकलना ही जीवन का लक्ष्य नहीं है। इससे उद्देश्य की सिद्धि नहीं होती। जीवन का लक्ष्य है अपनी आत्म-शक्ति बढ़ाना और अपनी उन चरित्र-गत तथा पुरुषार्थ सम्बन्धी न्यूनताओं को दूर करना, जो कठिनाइयों को जन्म देती हैं और जिनके रहते हुए कठिनाइयों प्रतीत होती हैं। विवाहित जीवन की उपेक्षा कर तथा अपनी चरित्र-गत न्यूनताओं के ज्ञान से अपरिचित रह कर पूर्ण आनन्द भोगने का दावा करना भ्रम-मात्र है। पूर्ण-आनन्द तो पूर्णतया पुरुषार्थी और दोष-मुक्त होने पर ही प्राप्त हो सकता है। विवाह पुरुषार्थी और पूर्णतया दोष-मुक्त होने का बढ़िया साधन है। अतएव जिनके जीवन में कोई दोष नहीं है और जो पूर्ण पुरुषार्थी हैं केवल वे ही इस बीच की सीढ़ी-विवाहित जीवन की उपेक्षा करने के अधिकारी हैं क्योंकि उनको विवाहित जीवन फल-आत्म-विजय प्राप्त ही रहता है।

मनुष्य ने अपने विकासकाल में जिस सर्वोत्तम तत्त्व को विकसित किया है वह माता-पिता का हृदय ही है। इसमें जिस सुकोमलता का निवास है वह मनुष्य को देवोपम बना सकता है इसी के कारण मनुष्य इस/हिंसक विश्व में सर्वोपरि सुशोभित हो रहा है। इस प्रेम-मय हृदय की प्राप्ति के लिए विवाह ही द्वार को उन्मुक्त करता है।

विवाहित जीवन में जो बात मैं अत्यन्त बुरी समझता हूँ वह अपने सहचर के प्रति दुराव है। उसकी नजर की चोरी की कौन कहे हमें तो उससे अपने विचारों को भी न छुपाने

१.६ विवाहोन्मत्तः सम्पन्न और सम्मान

का आदर्श सदा अपने सामने रखना चाहिए। हम कभी ऐसे विचारों को स्थान न दें जिसे हम अपने जीवन-सहचर पर प्रकट न कर सकते हों। तभी विवाहित जीवन सफल, सुखी और शांतिमय हो सकता है।

विवाह की उपयोगिता

आधुनिक मनोविज्ञान इच्छाओं को पार करने का मार्ग दर्शाता है, उनका दमन मानसिक बीमारियाँ उत्पन्न करता है। इसी से अनेक बार मानसिक नपुंसकता उत्पन्न होती है। मनुष्य के अन्तस्तल में अनेक वासनाएँ दब कर अन्तप्रदेश में छिप जाती हैं। इनसे समय-समय पर अनेक बेढंगे व्यवहार, गाली देने की प्रवृत्ति, कुशब्दों का उच्चारण, आत्महीनता की-भावना-ग्रन्थि की उत्पत्ति, स्मरण-विस्मरण, पागलपन तथा प्रलाप हिस्टीरिया इत्यादि अनेक मानसिक व्याधियाँ उत्पन्न होती हैं। मानसिक व्यापारों में एक विचित्र प्रकार का संघर्ष चला करता है। मन की अनेक कोमल भावनाएँ विकसित नहीं हो पातीं, मनुष्य शिकायत करने की मनोवृत्ति का शिकार बना रहता है। दूसरे के प्रति वह अनुदार रहता है, उसकी कटु आलोचना किया करता है। अधिक उग्र या असंतोषी, नाराज प्रकृति, तेज स्वभाव का कारण वासनाओं का समुचित विकास एवं परिष्कार न होना ही है। इस प्रकार का जीवन गीता में निंघ माना गया है।

प्रत्येक स्त्री-पुरुष के जीवन में एक समय ऐसा आता है, जब उसे अपने जीवन साथी की तलाश करनी होती है। आयु, विचार, भावना, स्थिति के अनुसार सदगृहस्थ के लिए उचित जीवन साथी की तलाश होनी चाहिए। उचित शिक्षा एवं आध्यात्मिक विकास के पश्चात् किया हुआ विवाह मनोवैज्ञानिक दृष्टि से ठीक है। आजन्म कौमार्य या ब्रह्मचर्य महान् है। उनका फल अमित है किन्तु साधारण स्त्री-पुरुषों के लिए यह सम्भव नहीं है। इससे मन की अनेक कोमल भावनाओं का उचित विकास एवं परिष्कार नहीं हो पाता। वासना को उच्च स्तर एवं उन्नति की भूमिका में ले जाने के लिए एक-एक सीढ़ी चढ़ कर चलना होता है। एक सीढ़ी को लौंघ कर दूसरी पर कूद जाना कुछ इच्छाओं का दमन अवश्य करेगा, जिसके फलस्वरूप मानसिक व्याधि हो सकती है।

अतः प्रत्येक सीढ़ी पर पाँव रख कर उन्नत जीवन पर पहुँचना ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए।

एक पिता तथा माता के हृदय में जो नाना प्रकार के स्वर झंकृत होते हैं, उन्हें भुक्त भोगी ही जान सकता है। दो हृदयों के पारस्परिक मिलन से जो मानसिक विकास सम्भव है, वह पुस्तकों के शुष्क अध्ययन से प्राप्त नहीं किया जा सकता। विवाह काम-वासना की तृप्ति का साधन मात्र है ऐसा समझना भयंकर भूल है। वह तो दो आत्माओं के, दो मस्तिष्कों, दो हृदयों और साथ ही साथ दो शरीरों के विकास, एक-दूसरे में लय होने का मार्ग है। विवाह का मर्म दो आत्माओं का स्वैक्य (Harmony) है, हृदयों का अनुष्ठान है, प्रेम, सहानुभूति, कोमलता, पवित्र, भावनाओं का विकास है। यदि हम चाहते हैं कि पुरुष-प्रकृति तथा स्त्री-प्रकृति का पूरा-पूरा विकास हो, हमारा व्यक्तित्व पूर्ण रूप से खिल सके तो हमें अनुकूल विचार, बुद्धि, शिक्षा एवं धर्म वाली सहधर्मिणी चुननी चाहिए। उचित वय में विवाहित व्यक्ति आगे चल कर प्रायः सुशील, आज्ञाकारी, प्रसन्नचित्त, सरल, मिलनसार, साफ-सुथरे, शान्तचित्त, वचन के पक्के, सहानुभूतिपूर्ण, मधुर-भाषी, आत्मविश्वासी और दीर्घजीवी पाये जाते हैं।

कुँवारा प्रायः अतृप्त वासना, स्वप्रदोष, लड़कपन, संकोची और संकुचित दृष्टिकोण वाला रहता है, वह जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता, सामाजिक कार्यों में दिलचस्पी नहीं रखता, दूसरों के दुर्गुणों तथा न्यूनताओं में मजा लेता है। संघर्ष से दूर भागता है, वह विरोधी, वाचाल तथा ईर्ष्या से युक्त होता है। क्रोध, घृणा, भय, वासना और लज्जा से उसकी शान्ति सदैव भंग रहती है। आजन्म कौमार्य देश, धर्म और समाज के लिए हितकर नहीं है।

विवाह का महान आदर्श और उसकी प्राप्ति

पश्चिमी देशों में विवाह जहाँ केवल शारीरिक आकर्षण, सुन्दर देहयष्टि और यौनतृप्ति की आकांक्षा से प्रेरित होकर किये जाते हैं, वहीं भारतीय जीवन पद्धति विवाह को जन्म-जन्मान्तरों का साथ मान कर चलती है। विवाह के आदर्श और उद्देश्य को लोग न समझ पाएँ अथवा उसकी उपेक्षा करें यह बात अलग है किन्तु भारतीय मनीषियों की यह दृढ़ मान्यता रही है

कि विवाह दो आत्माओं का वह मंगल मिलन है जो जन्म-जन्मान्तरों तक चलना चाहिए। चिता की लपटों में पंचीभूत होने के उपरान्त भी विवाह संस्कार के समय बैधी गूढ़ एवं अदृश्य ग्रन्थि सदैव बनी रहनी चाहिए। संस्कार के समय वर वधू से प्रतिज्ञा करता है—

अन्नप्राणेन मन्त्रिन्न प्राणं सूत्रेण प्रश्निन्ना ।

बन्ध्यापि सत्यम् ग्रन्थिन्न मनश्च हृदयं चेत ।।

अर्थात् हे वधू, हम अपने निश्चल मन और हृदय को बाँध रहे हैं। मन को अन्नदानादि के पाश में तथा हृदय को अपने प्राणतंतु में सत्यतापूर्वक बाँध कर हम जन्म-जन्मान्तरों तक एक रहें।

इस प्रतिज्ञा के बाद वर-वधू दोनों सम्मिलित रूप से देवताओं से प्रार्थना करते हैं—

सम्बन्धु विश्वेदेवाः समापो हृदयानि नौ ।

सं मत्तरीश्वर सं धाता समुपेदी दक्षसु नौ ।।

अर्थात् हे देवगण! आप निश्चय करके जानें, हम दोनों के हृदय जल के समान मिले हुए हैं। हम प्राणवायु (मातरिश्वा) की तरह समता रखेंगे, जगत के धारणकर्ता (धाता) परमात्मा की तरह एक-दूसरे को धारण करेंगे अर्थात् स्वरूप से, स्वभाव से और बुद्धि से एक हो जायेंगे।

इन प्रतिज्ञा वचनों में विवाह के भारतीय आदर्श की स्पष्ट प्रतीति होती है कि यह कोई दैहिक, लौकिक आकर्षण या आवेशजन्य कदम नहीं होता बल्कि इस साधना पथ पर आरूढ़ होने का व्रत पर्व है, जो दोनों के भिन्न अस्तित्व को घुला-मिलाकर गंगा-यमुना की तरह एकाकार संगम समन्वय में परिणत करता है। दोनों के मन-प्राण को वायु की तरह अभेद और एकाकार बनाता है। विवाह का भारतीय आदर्श स्त्री-पुरुष दोनों को एक सूत्र में बाँध कर ऐसे अवयवी का सृजन करता है जिसका आधा अंग पुरुष और आधा अंग स्त्री बनाती है। इस आदर्श की प्रतीकात्मक अभिव्यंजना अर्धनारी-नटेश्वर की प्रतिमा में देखी जा सकती है। पति-पत्नी को एक-दूसरे का अर्धांग और दोनों के संगम समन्वय से एक पूर्ण इकाई की सृष्टि एक ऐसी आदर्श, पवित्र, सुन्दर और भव्य सम्बन्ध स्थापित करने की प्रेरणा है कि उससे अधिक पवित्र, सुन्दर और भव्य कल्पना कोई की ही नहीं जा सकती।

इन आदर्शों को व्यावहारिक जीवन में उतारा जाय तो पति-पत्नी का जीवन तमाम अभावों और दैन्य कष्टों से रहते हुए भी स्वर्गोपम आनन्दप्रद बन सकता है। विवाह के आदर्श

और संस्कार की प्रेरणाएँ दाम्पत्य जीवन को इतना भव्य और अनुपम बनाती हैं कि उसके सामने सभी लौकिक और प्रत्यक्ष आकर्षण फीके पड़ जाते हैं। लेकिन यह सम्भव तभी होता है जबकि इन प्रेरणाओं को आचरण और अन्तरंग में उतारा जाय। दाम्पत्य जीवन की सफलता या विवाह की सार्थकता केवल संस्कार सम्पन्न होने अथवा उसके आदर्शों की चर्चा मात्र करने से सिद्ध नहीं हो जाती अपितु उसके लिए प्रेम के उदात्त आदर्शों को जीवन-क्रम में अनवरत उतारते रहना आवश्यक है।

विवाह की सफलता का मात्र इतना ही अर्थ नहीं है कि पति-पत्नी एक-दूसरे के बनें अपितु उसकी सार्थकता तभी सिद्ध होती है जब विवाह के समय दिये गये वचनों और की गई प्रतिज्ञाओं को आजीवन स्मरण रखा जाय और उन्हें चरित्र तथा व्यवहार में उतारने की साधना की जाती रहे। कई बार पारिवारिक जीवन में अभावों और कठिनाइयों के कारण भी कई प्रकार की समस्याएँ उठ खड़ी होती हैं। पति-पत्नी में मन-मुटाव या शिकवा-शिकायत होने लगती है। इसका कारण प्रेम का अभाव अथवा विवाह की बुराई नहीं समझना चाहिए। वास्तविक कारण तो समझ का अभाव है। निस्संदेह जीवन में कई और आपदाएँ, कठिनाइयाँ आती रहती हैं, पर इसके साथ यह भी एक तथ्य है कि जीवन-सागर में अभावों की सीपियाँ और विपदाओं के जंजाल होने के साथ-साथ सुख और सन्तोष प्रदान करने वाले बहुमूल्य मणिमुक्तक भी हैं। इस समझ को विकसित करने के साथ जीवन के अभावों और विपत्तियों से त्रस्त न होते हुए कठिनाइयों और चुनौतियों को शक्ति के साथ ग्रहण किया जा सकता है।

दाम्पत्य जीवन में दुःख या क्लेश उत्पन्न होते हैं और पति-पत्नी में अनबन अथवा मन-मुटाव पैदा होते हैं तो इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि विवाह के आदर्शों को भली-भाँति समझा या हृदयंगम नहीं किया गया। स्मरण रखा जाना चाहिए कि पति-पत्नी सुख-दुःख में समान रूप से भागीदार होने का व्रत लेते हैं। यदि सुख में ही अपना स्वत्व समझा जाय और दुःख की घड़ियों में दूसरे पक्ष को अकेले छोड़ दिया जाय तो यह वचन भंग जैसा ही अपराध होगा। होना तो यह चाहिए कि अभावों और विपदाओं के समय पति-पत्नी का प्रेम सान पर चढ़ी धातु की तरह चमक कर, निखर कर आये इस सम्बन्ध में यदि थोड़ी-सी समझ विकसित कर ली जाय तो दाम्पत्य जीवन के इस संत्रास से मुक्त रखा जा सकता है।

१.८ विवाहोन्माद : समस्या और समाधान

कई बार ऐसा भी होता है कि पति-पत्नी दोनों एक-दूसरे के प्रति अटूट और एकनिष्ठ प्रेम रखते हैं । इसके उपरान्त भी छोटी-छोटी घटनाएँ कई गलत-फहमियों को जन्म देती हैं और दोनों के बीच एक झीनी-सी दरार पैदा कर देती हैं । जिसे यदि ठीक न किया जाय तो वह चौड़ी ही होती जाती है और परिणामतः दाम्पत्य सम्बन्ध भले ही न टूटे, पर टूटने जैसी स्थिति अवश्य बन जाती है । इस तरह की गलत-फहमियाँ विचार और व्यवहार के, अपने परिवार में मिले परिवेश से उत्पन्न हुए संस्कारों के कारण भी उत्पन्न हो जाती हैं तो उचित यही है कि जब भी कोई गलत-फहमी या भ्रम पैदा होने की स्थिति आये उसके पूर्व ही उनका समाधान कर लिया जाय ।

बाहरी कारणों या शारीरिक परेशानियों से ही मानसिक सन्तुलन डगमगा जाने की स्थिति में भी कई बार कभी पति या कभी पत्नी के मुँह से ऐसी बात या ऐसे उद्गार निकल पड़ते हैं जो दाम्पत्य सम्बन्धों में कलह के बीज बो देते हैं । कई बार पारिवारिक और सामाजिक कठिनाइयों तथा दुविधाएँ भी तनाव-कसाव का वातावरण उत्पन्न कर देती हैं और भी न जाने कितने ही छोटे-बड़े प्रसंग ऐसे आते रहते हैं जिनके कारण दाम्पत्य जीवन नीरस लगने लगता है या प्रतीत होता है कि जीवन-साथी द्वारा उपेक्षा हो रही है ।

इस तरह के तनाव या तिकताएँ उत्पन्न होने का एकमात्र कारण विवाह के आदर्श और उद्देश्यों को न समझ पाना है । यदि पति-पत्नी एक-दूसरे के प्रति अपने उत्तरदायित्व को भली-भाँति समझते हों, एक-दूसरे के प्रति स्निग्ध, स्नेह और प्रेमपूर्ण व्यवहार करते हों तो वातावरण चाहे लाख कितना ही दूषित या तनावपूर्ण क्यों न हो उसके कारण कभी तनाव अथवा सम्बन्धों में बिगाड़ नहीं आ सकता है ।

कहा गया है कि दाम्पत्य अपूर्व माधुर्य और प्रीति की संचित निधि है । इसे बहुत सँभाल कर रखना चाहिए । यह पूर्णतया सत्य है । यदि पति और पत्नी एक-दूसरे के लिए सच्चे भाव से समर्पण कर सकें, अपनी सुविधा छोड़ एक-दूसरे की असुविधा दूर करने में दोनों पक्ष होड़ करने लगे तो निस्सन्देह विवाह का, दाम्पत्य जीवन का उद्देश्य सार्थक और सोद्देश्य सम्पन्न हो सकता है जिसके लिए विवाह के समय देवताओं से अभिन्न हृदय जल-धाराओं के संगम की तरह प्राणवायु के समान और एक-दूसरे को परमात्मा के समान धारण करने की प्रतिज्ञा की जाती है ।

विवाह का आदर्श व्यक्तित्व की समग्रता

पाश्चात्य-सभ्यता के प्रभाव से कहे अथवा पतनोन्मुख मानसिकता के कारण कहे, विवाह का इन दिनों जितना अर्थ का अनर्थ किया जा रहा है, उतना शायद ही कभी किया गया हो । अब प्रायः यह समझा जाने लगा है कि विवाह का उद्देश्य वासना के उद्दाम-वेग को बाँधना या उसकी उचड़ को पूरा करना मात्र ही है । कहा जाता है कि विवाह वासना को शालीन और मर्यादित ढङ्ग से पूरा करने के लिए समाज द्वारा निर्धारित किया गया है । यही कारण है कि कन्या का चुनाव करते समय उसके रङ्ग, रूप एवं वेश-विन्यास के आकर्षण को ही प्रधानता दी जाती है । कन्याओं में भी यह झुकाव न्यूनाधिक मात्रा में होता है । कहना नहीं होगा कि यह झुकाव भयानक ही है । यदि लोग इसी तरह सोचते रहे तो दाम्पत्य-जीवन शरीर प्रधान रहने से एक प्रकार के वैध-व्यभिचार का ही रूप धारण कर लेगा । पश्चिमी देशों में यही स्थिति है, यहाँ शारीरिक आकर्षण समाप्त होते ही या आकर्षण के सूत्र लुप्त होते ही विवाह-सम्बन्ध टूट जाता है और मजे की बात यह है कि छोटे-छोटे कारण इस आकर्षण को फीका बना देते हैं तथा उस बहाने साधारण कारणों से जीवन-साथी को छोड़ दिया जाता है ।

भारत में विवाह-विच्छेद की वैसी सुविधा नहीं हो, पर विवाहों का उद्देश्य यदि वासना की पूर्ति करना ही समझा जाता रहा तो वह दिन दूर नहीं, जब यहाँ भी वैसी ही माँग उठने लगे और कानून बदलकर एक बड़े वर्ग की या बहुसंख्यक लोगों की इच्छा माँग को देखते हुए वैसी ही व्यवस्था करनी पड़े । बात यहाँ तक तो पहुँच ही चुकी है कि पत्नी का चुनाव शारीरिक-आकर्षण को ध्यान में रखकर किया जाता है । थोड़े ही दिनों में इसकी प्रतिक्रिया पति के चुनाव के रूप में भी सामने आयेगी । तब असुन्दर-पतियों को कोई पत्नियाँ पसन्द नहीं करेंगी और उन्हें दाम्पत्य-सुख से वंचित ही रहना पड़ेगा ।

शारीरिक आकर्षण को प्रधानता देना पश्चिम की रीति-नीति है, इस सम्बन्ध में भारतीय दृष्टिकोण सर्वथा भिन्न और आदर्श रहा है । यहाँ समझा जाता रहा है कि विवाह दो आत्माओं का पवित्र बन्धन है । दो प्राणी इस अवसर पर

अपने अलग-अलग अस्तित्व को समाप्त कर एक सम्मिलित इकाई के निर्माण का संकल्प करते हैं। इसीलिए शास्त्रकारों ने विवाह को एक भव्य-संस्कार एवं महान्-यज्ञ के रूप में प्रतिष्ठित किया है। इसका उद्देश्य स्त्री और पुरुष की दो स्वतन्त्र धाराओं का समन्वय करना है। परमात्मा ने नर और नारी के रूप में निस्सन्देह दो स्वतन्त्र इकाइयों को सृजा है, लेकिन दोनों में कई कमियाँ, अनेक विशेषताएँ और भिन्न-भिन्न विभूतियाँ प्रदान की हैं परन्तु नर में स्वभावतः जो कमियाँ हैं, वे कमियाँ नारी स्वभाव की विशेषता के रूप में मिलती हैं और नारी-स्वभाव की कमजोरियाँ—पुरुष में विशेषताओं के तौर पर देखी जा सकती हैं। कहा जा सकता है कि एक के स्वभाव की कमजोरी दूसरे के स्वभाव की विशेषता से पूरी होती है, एक की रिक्तता को दूसरे की विशिष्टता भरती, पूरा करती है। विवाह इन कमजोरियों और विशेषताओं को, अपूर्णता तथा प्रवृत्तियों को सम्मिलन के माध्यम से समग्रता में बदलने की व्यवस्था है।

विवाह-बन्धन को अग्ने और पंगु का साथ भी कहा जा सकता है। क्योंकि दोनों की रिक्तता एक-दूसरे की प्रवृत्ति और विशेषताओं से पूरी होती है। इसलिए विवाह को सामान्यतया मानव-जीवन की एक प्रमुख आवश्यकता माना गया है। एक-दूसरे को अपनी योग्यताओं एवं भावना का लाभ पहुँचाते हुए गाड़ी में लगे हुए दो पहियों की तरह प्रगति-पथ पर अग्रसर होते चलना ही विवाह का उद्देश्य है और यही भारतीय-संस्कृति का विवाह आदर्श है। वासना-पूर्ति का दाम्पत्य जीवन में अत्यन्त गौण स्थान है, ठीक उतना ही—जितना कि रुपये में एक पैसे का। निन्यानवेँ और पैसे होते हैं, तब एक रुपया बनता है। उसी प्रकार अनेकानेक और तत्त्व होते हैं, तब दाम्पत्य जीवन सफल होता है।

वस्तुतः भारतीय-दृष्टि से विवाह का उद्देश्य वासना की पूर्ति नहीं, अपितु दो आत्माओं के मिलन द्वारा एक ऐसी महती शक्ति का निर्माण करना है, जो दोनों के लौकिक एवं आध्यात्मिक-जीवन के विकास में सहायक सिद्ध हो सके। विवाह के उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए शास्त्रकार ने कहा है—

द्विधा कृत्वाऽऽत्मनो देहमर्थेन पुरुषोऽभवत्।

अर्द्धेन नारी तस्यां च विराज्यमनुत्पुत्रभुः।।

अर्थात्—परमात्मा ने प्रारम्भ में स्वयं को दो भागों में विभाजित किया। आधे भाग में नर रूप से वह प्रतिष्ठित हुआ और आधे में नारी।

इस आदर्शकी प्रतीकात्मक अभिव्यञ्जना अर्द्धनारीश्वर मूर्ति के रूप में होती है। जिसकी प्रबल प्रेरणा है कि विवाह का आदर्श, मात्र ऐहिक सुख-शान्ति या काम-वासनाओं की पूर्ति करना मात्र नहीं है वरन् एक-दूसरे से घुल-मिलकर, अपने व्यक्तित्व को परस्पर घुला-मिलाकर, एक सम्पर्क इकाई का निर्माण करना है, जिससे कि व्यक्तिगत उत्कर्ष, पारिवारिक सुख-शान्ति और सामाजिक-विकास का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। सप्तपदी में विवाह के मुख्यतः सात उद्देश्य बताये गये हैं। विवाह-संस्कार के समय वर-वधू पवित्रतम मन्त्रों द्वारा जब प्रतिज्ञाएँ करते हैं, उनसे भी विवाह का आदर्श पुष्ट होता है।

परम्परागत विवाहों में पहली प्रक्रिया सम्प्रदान की जाती है। जिसमें वर-वधू के हाथ एक साथ बाँध दिये जाते हैं और उनके वस्त्रों को भी मिलाकर एक गाँठ लगा दी जाती है। इसका तात्पर्य यह है कि वर-वधू दोनों काय-कलेवर की दृष्टि से अलग दिखाई देते हुए भी आत्मिक-दृष्टि से एक होने के लिए वचनबद्ध हैं और उस मार्ग पर अग्रसर होने के लिए प्रतिज्ञा कर रहे हैं। उस समय प्रार्थना भी की जाती है कि, “वर-वधू का यह सम्बन्ध इन्द्र और इन्द्राणी, विभावसु और स्वाहा, सोम और रोहिणी, नल और दमयन्ती, वैश्रवण और भद्रा, वशिष्ठ और अरुन्धती एवं अन्ततः नारायण और लक्ष्मी के समान चिर-स्थायी हों।

सप्तपदी के सात पदों में पहला कदम अन्न के लिए, दूसरा बल के लिए, तीसरा धन के लिए, चौथा सुख के लिए, पाँचवाँ परिवार के लिए, छठवाँ प्रेम के लिए और सातवाँ समाज के लिए उठाया जाता और कहा जाता है—

सखे सप्तपदी भव सप्त मामनुव्रता भव।

विष्णुस्त्वानयतु पुत्रान् विन्वावहे, बहूँस्ते सन्तु जरवरुथय।।

अर्थात्—प्रिय सखे ! हम सात कदम साथ चले इसलिए कि विवाहित-जीवन के सात उद्देश्यों को प्राप्त करने में हम एक-दूसरे के साथ रहें। हम एक-दूसरे के साथी-सहचर बने रहने के लिए वचनबद्ध हैं। हमारे सहचरत्व में किसी भी कारण कोई व्यवधान नहीं आयेगा और हमारा प्रेम सभी सुखों का स्रोत होगा।

वर-वधू दोनों एक-दूसरे के प्रति प्रेम, कर्तव्य-पालन, त्याग, उत्सर्ग और बलिदान की प्रतिज्ञा करते हैं। वधू, वर

से कहती है—“मैं सदा मधुर-भाषिणी, कुटुम्ब की रक्षा करने वाली, दुःख-सुख में तुम्हारी साथी, सहचरी रहूँगी । मैं सदा तुम्हारे दुःख में दुखी और सुख में सुखी रहूँगी । तुम्हारी सभी आज्ञाओं का पालन करूँगी । धर्म, अर्थ और काम के साधक कार्यों में मैं तुम्हारे साथ रहूँगी और कभी तुम्हारी वंचना नहीं करूँगी । यह प्रतिज्ञाएँ प्रायः इन मन्त्रों के द्वारा की जाती हैं—

स्वजीवनं मेतदित्यं भक्तः खनु जीवने ।
 भूषा चाबागिनी नित्यं, भिक्तस्थामि गृहे सदा ॥
 शिष्टतापूर्वकं सर्वैः, परिवारजनैः सह ।
 औदार्येण विधास्यामि, व्यवहारं च कोमलम् ॥
 श्रद्धया पालयिष्यामि, धर्मं पातिघ्नतं परम् ।
 सर्वदिवानुकूल्येन, पत्युरादेशपालिका ॥
 सुभूषणपरा स्वच्छा मधुरप्रियभाषिणी ।
 प्रतिपाने भविष्यामि, संतत सुखदायिनी ॥
 देवस्वरूपो नारीणां भर्ता भवति मानवं ।
 मत्सेति त्वां भविष्यामि, नियता जीवनावधिम ॥
 पूज्यास्तव पितरो ये, श्रद्धया परमा हि मे ॥
 सेवया तोष कयिष्यामि तस्वय ॥
 कदापि क्वापि किमपि करिष्ये न परास्मृषी ।
 प्रति जानामि मम च त्वमेव सर्वमेव हहि ॥

वधू की इन प्रतिज्ञाओं को स्वीकार करते हुए वर कहता है—

ॐ मम व्रते ते हृदयं दशामि ममचित्तमनुचित्तं जस्तु ।
 मम वाचनेकमना जुषस्व प्रजापति ध्रुवाभिपुनक्तु मधमा । ।
 मदीय वित्तानु गर्तं च चित्तं सदा ममाज्ञा परिपालनं च ।
 पतिव्रता धर्मपरायणा त्वं कुर्या सदा सर्वमिदं प्रयत्नं ॥ ।

अर्थात्—अपना हृदय मेरे चित्त में लगाओ, अपना चित्त मेरे चित्त के अनुरूप करो, तुम मेरे वचन का पालन करो, प्रजापति मुझे तुम्हें प्रसन्न रखने में प्रवृत्त करें । तुम भी पतिव्रता, धर्मपरायणा, सदा मद्गतं चित्ता, मेरी आज्ञाकारिणी और अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार मेरे कार्य करने में तत्पर रहो ।

इन प्रतिज्ञाओं और विवाह-संस्कार के कर्मकाण्डों में कहीं भी यह प्रतीत नहीं होता कि जीवन-साथी का चुनाव और वरण वासनापूर्ति के उद्देश्य से होता, बल्कि जीवन की, व्यक्तित्व की रिक्तता पूर्ति के लिए किया जाता है । यदि महत्त्व की दृष्टि से पति-पत्नी की प्रधानता का निर्धारण करना ही हो तो

भारतीय-मान्यता पत्नी को प्रधानता देने की है । स्मरणीय है कि विवाह-संस्कार के समय यज्ञ की सात परिक्रमाओं में तीन परिक्रमा करते समय पुरुष आगे रहता है और चार परिक्रमाओं में पत्नी आगे रहती है । स्पष्ट है कि पत्नी को नेतृत्व का, प्रेरणा का अधिक अवसर दिया गया है । उसमें यह क्षमता है भी सही । इतिहास-पुराण के व्यापक सन्दर्भों को देखने से भी पता चलता है कि नारी के अंतस् की शक्तियाँ, मातृत्व निर्माण एवं नेतृत्व की क्षमता ही पुरुष और परिवार के शारीरिक, मानसिक, भौतिक तथा आत्मिक शक्तियों का विकास करती हैं और मनुष्य को जीवन-पथ पर आगे बढ़ाती हैं ।

स्त्री शान्ति-स्वरूपा है; परिवार की शोभा है, देवी और ज्योति है । उसकी ज्योति से सम्पूर्ण परिवार प्रकाशित होता रहता है । वह घर की प्राण है । स्वजनों के ही नहीं, प्राणिमात्र के दुःख-दर्द को समझने और स्वार्थ को परमार्थ में ढालने की विराट् चिन्तन-वृत्ति नारी से ही पुरुष को अनुदान स्वरूप मिली है । इसी सत्य को ऋषि ने इस प्रकार व्यक्त किया है—

ब्रह्मापरं पुज्यतां ब्रह्म पूर्वं ब्रह्मान्ततो मध्यतो, ब्रह्म सर्वतः ।
 अनाद्याथां देवपुरां प्रपद्य शिवास्योना प्रतिनोके विराज ।

(अथर्व १४/१/६४)

अर्थात्—हे मनुष्यो ! पत्नी के पीछे ब्रह्म उद्यता, महानता हो, आगे ब्रह्म हो । इस प्रकार ब्रह्म से सर्वत्र घिरी हुई पत्नी पति के हृदय में राज्य करे ।

यही है विवाह का भारतीय आदर्श । आगे-पीछे और मध्य में चतुर्दिक ब्रह्म के विराजमान होने का अर्थ उसकी उद्यता, महानता का दर्शन करना है । उस महानता से पति-हृदय की, पुरुष के स्वभाव की रिक्तता की पूर्ति होनी चाहिए । वासना या स्वार्थ-साधन, स्वयं की सन्तुष्टि विवाह का उद्देश्य और आदर्श कभी नहीं हो सकता ।

विवाह का उद्देश्य और आदर्श

विवाह क्या है ? इसकी परिभाषा करते हुए भारतीय धर्मशास्त्र उसे दो आत्माओं का एकीकरण कहता है ।

विवाहो गयते लोके शक्तिशक्तिमत्तोरेव ।

एकीकरणमुभयोरात्मनोरिति च श्रुतिः । ।

अर्थात्—जिस प्रकार शक्ति और शक्तियान दोनों एक होकर रहते हैं, उसी प्रकार दो आत्माओं का एकीकरण विवाह है, ऐसी श्रुति मान्यता है ।

द्वयस्य धीन्निवृत्तद्वयः प्राणशरीरयोः ।

उभयोस्त्वनीरुधैव प्रेमव्रतसमन्वयः ।।

अर्थात्—दो शरीर, दो मन, दो बुद्धि, दो हृदय, दो प्राण, दो आत्माओं का समन्वय करके पति-पत्नी प्रेम व्रत का निर्वाह करें ।

आदर्शों की स्थापना, पालन एवं उन्हें परिपक्व बनाने का अभ्यास करना ही वस्तुतः विवाह का प्रधान उद्देश्य है । आत्मभाव को एकाकीपन की परिधि में सीमित रखने से मनुष्य स्वार्थी कहलाता है । अपनापन अधिक व्यापक क्षेत्र में विस्तृत करने से ही आत्मिक प्रगति होती है । इस तथ्य को परिवार व्यवस्था के साथ जोड़ने पर विवाह की व्यावहारिक उपयोगिता बनती है । इसमें परिवार गौण और आत्म विस्तार प्रमुख है । गृह व्यवस्था की आवश्यकता तो होटल के सहारे भी पूरी हो सकती है पर दुःख-सुख में हर घड़ी साथ रहने वाले घनिष्ठ मित्र का अभाव तो विवाह से ही पूरा होता है । प्रकृति की प्रजनन प्रेरणा को ध्यान में रखते हुए यह मैत्री नर-नारी के बीच होना अधिक उपयुक्त माना गया है । यों सिद्धान्त की दृष्टि से आत्मिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए दो नर या दो नारियाँ भी विवाह जैसे स्नेह बन्धन में बँध कर घनिष्ठ मैत्री का निर्वाह कर सकते हैं ।

इन दिनों विवाह का प्रधान उद्देश्य कामुकता की पशु-प्रवृत्ति को पूरा करना भर बन गया है । अस्तु भड़काने वाली मौसलता के, रूप यौवन के आधार पर साथी का चुनाव किया जाने लगा है । लड़कों को रूपवती वधू की माँग है । वे इस चुनाव में अपनी पसंदगी रूप के आधार पर करना चाहते हैं । इसके लिए वे अभिभावकों से आग्रह भी करते हैं । लड़कियों का सामाजिक स्तर अभी गिरा हुआ है, इसलिए वे संकोचवश वैसा खुला आग्रह तो नहीं कर पातीं पर मन-मन में चाहना उनकी भी वैसी ही रहती है ।

कामुकता के लिए अधिक आकर्षक मौसलता को, रूप-यौवन को प्रधानता दी जाय, यह प्रवृत्ति विवाह के मूल आदर्श से मेल नहीं खाती । वर-वधू दोनों ही शरीर और मन से स्वस्थ हों, समानता के आधार पर जितने अधिक हों उतने ही अच्छे हैं, यह सामान्य बात हुई । विकृति वहाँ उत्पन्न होती है जहाँ मात्र रूप को ही प्रधानता दी जाती है । यह तो वेश्यावृत्ति जैसा आकर्षण हुआ, जिसके कारण अधिक

आकर्षक रूप की प्यास आगे भी बनी रहेगी और पाश्चात्य देशों की तरह आये दिन विवाहों को जोड़ना-तोड़ना पड़ेगा ।

जहाँ रूप के आधार पर विवाह शृंखला जोड़ी जा रही हो, समझना चाहिए कि वहाँ दाम्पत्य जीवन की आधारशिला से परिचित होने का अवसर नहीं आया । इस आधार पर जुड़े विवाह सदा खोखले ही रहेंगे और उनके टूटने, छूटने या शिथिल, विकृत होने का खतरा सदा ही बना रहेगा । जो लड़का रूप का आग्रह करता हो, उसे हवा में उड़ने वाले आधार रहित तिनके की तरह, रस लोभी भीरे की तरह ओछा-उथला गिना और उसका आस्था आधार अप्रामाणिक माना जा सकता है ।

विवाह दो आत्माओं के बीच एकता की स्थापना तथा उसका निर्वाह करना है । इसमें भौतिक समानता उतनी आवश्यक नहीं है । यदि है भी तो वह लोकाचार भर है, आदर्श नहीं । बड़प्पन इसमें है कि छोटे को उठाने और निबाहने में अपनी आन्तरिक गरिमा का परिचय दिया जाय । रूपवान, विद्वान पति यदि अपने से कम रूप एवं योग्यता की पत्नी को स्वेच्छापूर्वक साथी चुनता है और उसे अधिक सुयोग्य बनाने की, सार्थक स्नेह देने की बात सोचता है, तो उसे आदर्शवादी कहा जा सकता है । यही बात पत्नी के बारे में भी है । अपने से अधिक अच्छे के सहारे अधिक लाभ लेना व्यावसायिक चतुरता है, इसमें आदर्शवादिता का पुट कहाँ है? गौरव तो इसमें है कि अपनी विशेषता का लाभ अपने से पिछड़े को दिया जाय । ऐसे ही कदम साथी का हृदय जीत सकते हैं । रूप लोभी लोगों द्वारा पसन्द कर लिए जाने पर रूपवती पत्नी चुनने वाले का बड़प्पन कभी स्वीकार न करेगी । वह अपनी विशेषता के चरणों पर गिरा हुआ नमनकर्ता ही उन्हें मानेगी ।

कामुकता का आकर्षण रूप-यौवन में हो सकता है पर आत्मिक एकता के लिए मौसलता का कोई उपयोग नहीं । वह दो असमानों के बीच भी आदर्शों के आधार पर मैत्री हो सकती है । अभिभावकों और बच्चों के बीच घोर असमानता रहती है, फिर भी उनके बीच सघन आत्मीयता बनी रहती है । भौतिक समानता के आधार पर ही विवाह सफल हो सकते हैं, इस मान्यता ने दाम्पत्य जीवन के बीच रहने वाली आदर्शवादिता का स्तर बढ़ाया नहीं, घटाया ही है ।

भारतीय धर्म शास्त्र इस मान्यता को एक प्रकार की बाधा और विकृति ही मानते हैं और कहते हैं कि यदि चुनाव में इसी आधार को प्रधानता दी गई तो विवाह की सफलता धूमिल पड़ जायेगी ।

वासना मोहं संविगे रूपसौन्दर्यं कैकृतः ।

उपयोगस्तु वैशयं प्रेम्णः करोति धूमिलम् ।

वासना येन वासनां मन्त्रा विषयतेजनम् ।

पुण्यपरिजन्मस्य प्रयोजनस्तमसकृतः ।

अर्थात् कामुकता की पूर्ति के लिए रूप-यौवन को प्रधानता देने की वृत्ति विवाह संस्था के मूल आधार प्रेम आदर्श को धूमिल कर देती है । विवाह को वासना पूर्ति का साधन मानना इस पुण्य प्रयोजन को घोर तामसिक बना देता है ।

वासना, जीवन का लक्ष्य नहीं हो सकता । इस विकृति को नियन्त्रित और सीमाबद्ध करना भी विवाह का एक उद्देश्य है । रूब आकर्षण इसे भड़काता है, ध्यान से देखा जाय तो अनाकर्षक माँसलता ही संयम प्रयोजन में अधिक सहायक होती है, अस्तु प्रधानता अनुतेजक शरीर रचना को मिलनी चाहिए । रूप-लावण्य की उत्तेजना तो उस संयम साधना में उलटी बाधक होती है जो मर्यादा बन्धनों में बाँधने के लिए विवाह सम्बन्ध की एक महत्त्वपूर्ण कड़ी के रूप में जुड़ी होती है ।

इन्द्रिय संयम और वासना निरोध में विवाहित जीवन सहायक हो सके, तभी उसकी सार्थकता है । इस तथ्य की ओर इंगित करते हुए शास्त्र कहता है—

आत्मा संयम सन्मार्गे नारीपुरुषयोः शुभा ।

एषा सफलतैवात्य सार्थकता च पूर्णताः ।।

अर्थात् पति-पत्नी यदि एक-दूसरे को अधिक संयमशील बनाने में सहायक हो सके तो ही दाम्पत्य जीवन की सार्थकता है ।

विवाह का यदि आध्यात्मिक उद्देश्य समझना हो और उस धर्मानुष्ठान का पुण्य फल घर-परिवार में स्वर्ग का अवतरण करना हो, तो वर्तमान आधारों को बदलना होगा और परिष्कृत दृष्टिकोण को अपनाकर उसकी आधारशिला रखनी होगी ।

शरीर बल पाने का अभ्यास व्यायामशाला के माध्यम से भी किया जाता है । आत्मबल प्राप्त करने की अनेक साधनाओं में एक गृहस्थ योग भी है । पर शुभ पुण्य प्रयोजनों को ध्यान में रखते हुए उसे शुभ सङ्कल्प के साथ किया जाना

चाहिए । दो आत्माओं के गठबन्धन के बीच वासना की विष विकृति को मध्यस्थ नहीं बनाना चाहिए ।

आलोत्कर्ष में भक्ति योग का, प्रेम साधना का प्रमुख स्थान है । उच्चस्तरीय मैत्री का अभ्यास एक छोटी व्यायामशाला मानकर गृहस्थ क्षेत्र में किया जा सकता है और परस्पर एक-दूसरे का इस सन्दर्भ में सहयोग करने के लिए पति-पत्नी भी सहायक हो सकते हैं । यद्यपि यह क्षेत्र इतने तक ही सीमित नहीं है, दूसरे साथी भी हो सकते हैं, पर अधिक सुविधाजनक मैत्री पति-पत्नी की ही होती है । दोनों एक-दूसरे की प्रेम साधना के सहायक पूरक बनकर इस योगाभ्यास को सुविधापूर्वक आगे बढ़ा सकते हैं । पर यह सम्भव तभी है जब विवाह को वासना पूर्ति के नरक से ऊँचा उठाकर प्रेम साधना का माध्यम बनाया जाय । कहना न होगा कि प्रेम में लेने की नहीं मात्र देने की ही भावना रहती है । प्रेमी अपने प्रिय पात्र से कुछ चाहता भौंगता नहीं, वरन् कुछ न कुछ अनवरत रूप से देने की बात ही सोचता रहता है । वासना एवं शारीरिक आकर्षण के आधार पर आरम्भ हुई मैत्री पाने के लिए, लेने के लिए है । उसमें कामुकता की तृष्णा ही माध्यम है । ऐसी दशा में यह प्रयोग आत्मिक दृष्टि से खोटा ही सिद्ध हुआ । देने में सहायता करने की बात है । दान में अधिक सत्पात्र वह माना जाता है जो अधिक अभावग्रस्त है ।

इस कसौटी पर प्रेम साधना के लिए अधिक उपयुक्त साथी ढूँढने के लिए रूप-यौवन को कसौटी नहीं बनाया जा सकता । सहयोग पाने के साथ-साथ सहयोग देने की आन्तरिक कोमलता जिसमें हो, ऐसे साथी की तलाश कर लेना ही अभीष्ट है । सहयोग अस्वीकार न करे वरन् उस आदान-प्रदान में सहायक सिद्ध हो, ऐसा भावनाशील साथी जिन्हें मिल जाय, समझना चाहिए कि उस पति-पत्नी का विवाह उद्देश्य सार्थक हो गया ।

इस तथ्य की ओर संकेत करते हुए शास्त्र कहता है—

समुत्कर्षविक्रसार्थमन्योन्यस्य च द्वावपि ।

कल्याणानन्दयोः स्यातां स्वर्षाशीलौ प्रसन्नौ ।।

अर्थात् पति-पत्नी एक-दूसरे के उत्कर्ष, कल्याण एवं आनन्द में सहयोग देने की परस्पर स्वर्षा करते रहें ।

अपने लिए कम चाहने और दूसरे को अधिक देने की अपेक्षा रखने से ही यह प्रयोजन पूरा हो सकता है । पुरुष

की स्थिति आज अधिक सुदृढ़ है और वह अग्रिणी है, इसलिए इस स्पर्धा में भी उसे ही अपनी वरिष्ठता सिद्ध करनी चाहिए। स्वभावतः सद्भाव, स्नेह, सौजन्य सहयोग देने में आगे रहने की वरिष्ठता भी उसी को सिद्ध करनी चाहिए। पत्नी के प्रति उदारता बरतने में उसी को बाजी जीतनी चाहिए। हम अपनी स्थिति का सही मूल्यांकन नहीं कर पाते। हम समर्थ हैं तो हमें समर्थ की तरह सहयोगी बनना ही चाहिए। पुरुष वर्ग शोषक बनकर ही समर्थ कहला सकता है, यह भ्रान्ति मस्तिष्क से निकलते ही सहयोग में प्रतियोगिता चल पड़ेगी।

पत्नी अपने पितृगृह से स्वजन-सम्बन्धियों को छोड़ कर सदा-सर्वदा के लिए आत्मदान करने पतिगृह में आती है। अपनी सारी योग्यता और विशेषताओं का लाभ पति-परिवार को देती है। अन्न, वस्त्र मात्र के मूल्य पर उसे अपना समूचा व्यक्तित्व समर्पण करना पड़ता है। इस अनुदान के लिए पति को सच्चे अर्थों में अपने को ऋणी अनुभव करना चाहिए और उस ऋण भार को चुकाते हुए चित्त को हलका करना चाहिए। शास्त्र का यही निर्देश है—

ऋणमुक्तः स्वजायायाः पतिर्भवति नान्यथा ।

नारी साक्षाद् गृहे लक्ष्मी स्तत्रसादोद्भवपेक्षते । ।

अर्थात्—पत्नी को प्रसन्न रख कर ही पति उसके ऋण से उच्छ्रित होता है। स्नेह, सम्मान और सहयोग से पूजी जाने पर उसकी प्रतिभा गृह-लक्ष्मी के रूप में उभरती है। फलस्वरूप पति-परिवार में स्वर्गीय वातावरण का सृजन होता है।

यौन प्रयोजन से प्रेरित विवाह तो कीट-पतङ्गों और पशु-पक्षियों में भी होते हैं। वे बनते-बिगड़ते और बदलते रहते हैं। आधुनिक सभ्यता पुनीत विवाह संस्था को उसी निकृष्ट स्तर पर घसीटे लिए जा रही है। फलतः दाम्पत्य जीवन आशंका, अविश्वास और असहयोग के दुर्गन्ध-युक्त दल-दल में धँसता चला जा रहा है। मनुष्य जीवन का अति महत्वपूर्ण मोड़ विवाह के साथ आरम्भ होता है। उसका भावी उत्थान-पतन बहुत कुछ दाम्पत्य जीवन के कारण उत्पन्न होने वाली अनेकानेक समस्याओं पर निर्भर रहता है। ऐसे पुण्य प्रयोग की आधारशिला यौन प्रयोजन के लिए नहीं वरन् अत्यन्त उच्च कोटि के आध्यात्मिक आदर्श पर रखी जानी चाहिए, तभी उसकी सार्थकता है।

विवाह और उसका आदर्श

विवाह व्यवस्था स्त्री-पुरुष को पति-पत्नी बनाकर उनकी शारीरिक वासनाओं को संयमित करने के लिये बनायी गयी है न कि कामोपभोग की खुली छूट देने के लिए। प्रकृति ने पशु-पक्षियों पर तो अपना नियन्त्रण रखा है कि वे उसकी व्यवस्था के अनुसार ही कामोपभोग कर सकें। मनुष्य पर ऐसा अंकुश इसलिये नहीं रखा गया है कि वह पशुओं की अपेक्षा अधिक विवेकयुक्त और संयम समर्थ है।

वैवाहिक जीवन में काम और वासना को पृथक-पृथक करके चलना ही उसके उद्देश्य की रक्षा करना है। न तो भारतीय सभ्यता संस्कृति में ही विवाह का अभिप्राय शारीरिक वासनाओं की अबाधतृप्ति माना गया है और न ही पाश्चात्य सभ्यता संस्कृति में वरन् सभी धर्मों में सभी संस्कृतियों में विवाह को धर्म कृत्य व मानवीय गौरव और गरिमा के अनुरूप जीवन-यापन करने में एक साथी का चयन करना ही रहा है।

सन्तानोत्पादन के लिए शारीरिक संसर्ग अनिवार्य हो सकता है किन्तु वैवाहिक सम्बन्धों के पारस्परिक प्रेम के लिये पति-पत्नी के पारस्परिक प्रेम के लिये इसे आवश्यक मानना नितान्त भ्रामक है किन्तु, दुर्भाग्य से इन दिनों कुछ इस प्रकार की विकृत धारणाएँ लोगों के मन में बनती जा रही हैं कि कामोपभोग भूख लगने पर भोजन करने की तरह ही आवश्यक है, मल-मूत्र विसर्जन की तरह वीर्य विसर्जन भी एक सहज स्वाभाविक क्रिया है। इस मान्यता ने जितना अनिष्ट मानव समाज का किया है, उतना शायद किसी रूढ़ि परम्परा ने किया हो किन्तु, आज का शिक्षित और अशिक्षित व्यक्ति दिन पर दिन इस पर विश्वास करके पति-पत्नी के बीच सम्भोग की अनिवार्यता पर बल देता जा रहा है।

ऐसी विकृत मान्यताओं का श्रीगणेश कुछ सिर-फिरे मनोवैज्ञानिकों ने किया है, जो आज छूट के रोग की तरह फैलता ही जा रहा है। अब तो बाहरी देशों में नौबत यहाँ तक पहुँच गयी है कि इस शारीरिक तृप्ति के लिए पति-पत्नी का रिश्ता देखना ही आवश्यक नहीं रह गया है। कहना न होगा कि मनुष्य की सभ्यता का प्रतीक नयी बढ़ती हुई पशुता का द्योतक है।

काम का अर्थ होता है, मानसिक आल्हाद प्राप्त करना, अपने आपको प्रसन्न रखना व अपने सहभागी की प्रसन्नता में वृद्धि करना । काम से अभिप्राय क्रीड़ा होता है और उसकी उत्पत्ति होती है प्रसन्नता से । प्रसन्नता शरीर की वस्तु नहीं, मन और आत्मा की वस्तु होती है ।

आयु परिपक्व होने पर जीवन-साथी की जो कामना मन में जागती है उसमें शारीरिक वासना का लेश मात्र अंश भी नहीं होता है किन्तु, सामाजिक वातावरण व इधर-उधर की सुनी सुनाई बातें, गन्दे और कुत्सापूर्ण पूर्वाग्रह मन में जो विचार उत्पन्न कर देते हैं वे उसे शारीरिक वासना से संयुक्त करके विकृत कर देते हैं । प्रायः देखा जाता है कि विवाहोपरान्त पति-पत्नी के बीच बरसाती नाले की तरह शारीरिक आकर्षण का प्रवाह बह निकलता है । शरीर की वासनाओं की तृप्ति तो कभी होती नहीं । इस अनियन्त्रित कामोपभोग का दुष्परिणाम शरीर को खोखले होने और मानसिक शक्तियों के हास रूप में परिलक्षित होता है ।

इस असंयम का सबसे बड़ा मूल्य चुकाना पड़ता है पत्नी को, विवाह होने के कुछ समय बाद ही उसकी गोद में एक बालक आ जाता है । वह अपने आपको पत्नीत्व के ढाँचे में तो ढाल ही नहीं पाती कि माँ बन जाना पड़ता है जिसके लिये न तो उसका शरीर ही तैयार होता है और न मन ही । पति भी नहीं चाहता है कि वह इतना शीघ्र पिता बन जाय । उसके और पत्नी के बीच एक तीसरे प्राणी के आ जाने के कारण वह यदि पत्नी के शरीर से ही प्यार करता रहा है तो उसके माँ बन जाने पर उससे वितुष्ण हुए बिना नहीं रहता । यहाँ तो सिर मुड़ते ही ओले पड़ने जैसी उक्ति चरितार्थ हो जाती है ।

मनुष्य जीवन के चार उद्देश्यों में से काम भी एक है । विवाह काम को धर्मसम्मत बनाता है । काम मनुष्य का एक सहज स्वभाव है जो उसे पुरुषार्थ के लिये प्रेरित करता है । काम से शारीरिक संसर्ग की कोई विशेष संगति नहीं । पति-पत्नी के साहचर्य सुख में काम का महत्वपूर्ण स्थान होता है । यह जब संयम में बँध जाता है तो साहचर्य सुख की श्रीवृद्धि करता है किन्तु यही काम जब असंयमित और विकारग्रस्त हो जाता है तो मनुष्य की पशु-प्रवृत्तियों को भड़काने का काम करता है ।

स्त्री-पुरुष की जननेन्द्रिय, आँख, नाक, कान जैसी ही कोमल और मार्मिक होती है । इसको इतना संवेदनशील, कोमल और मर्मस्थल बनाने का प्रकृति का यही अभिप्राय रहा है कि इसका उपयोग साल-छह महीने में ही किया जाना चाहिए अन्यथा उनके क्षतिग्रस्त और रोगग्रस्त हो जाने का भय रहता है । जो लोग इनके इस महत्त्व और प्रकृति को नहीं जानते और इनसे अन्धाधुन्ध काम लेते हैं उन्हें यौन रोग हो जाते हैं । लोगों के शीघ्रपतन, सुजाक, धातु दौर्बल्य के रोगों के पीछे उनकी यह अत्यधिक कामोपभोग की वृत्ति ही मुख्य कारण होती है । स्त्रियों में श्वेत प्रदर व रक्त प्रदर का रोग भी इसी कारण होता है ।

इस सम्बन्ध में पुरुष अत्यधिक दोषी होते हैं । स्त्रियाँ तो बेचारी उनकी वासना की शिकार होकर मुफ्त में ही रोग ग्रस्त हो जाती हैं । जाने क्यों लोग ऐसा सोचने लगते हैं कि वे इसी की भूखी होती हैं या उन पर अपने पौरुष की धाक जमाने के लिए वे इसे आवश्यक समझते हैं । विवाह होते ही अब तक यत्नपूर्वक संचित कोष को वे अन्धाधुन्ध खर्च करने लगते हैं । यौवन की शारीरिक शक्ति के कारण उसका कुप्रभाव शीघ्र तो दृष्टिगोचर नहीं होता पर जब होता है तो उनके लिए पछताने के अतिरिक्त कोई चारा नहीं रहता ।

अमेरिका, स्वीडन, जर्मनी आदि देशों में जहाँ यौनाचार सम्बन्धी सभी मर्यादाओं को बला-ए-ताक रख दिया गया वहाँ यौन रोगों में अत्यधिक वृद्धि हो गयी है । इन देशों में युवक-युवतियाँ यौवन के आरम्भ में ही खूब यौनाचार करके खोखले ही हो जाते हैं इससे यह परिणाम होता है कि वे जब संतान की कामना करने लगते हैं तो स्वयं को उसके लिये असमर्थ पाते हैं । पुरुष पिता बनने योग्य नहीं रहता और स्त्री माँ बनने के अयोग्य हो जाती है । ऐसी स्थिति में उन्हें भारत जैसे देशों के अनाथालयों से बच्चे गोद लेने पड़ते हैं ।

सामान्यतः स्त्रियाँ पुरुषों की अपेक्षा अधिक संयमी और कामदक्ष होती हैं । वे अपने प्रेम को प्रदर्शित करने का जंगली तरीका शारीरिक संसर्ग पसन्द नहीं करतीं । सामीप्य, वार्तालाप, दर्शन, दृष्टि-विनिमय, हास-परिहास, सेवा आदि के द्वारा ही वे अपना प्रेम प्रदर्शित करती हैं । लज्जा उनका स्वाभाविक गुण होता है किन्तु पुरुष प्रायः उन्हें समझने में भूल करता है और वह उत्तेजित हो उठता है । क्रूरता और कठोरता

पुरुष में ही अधिक होती है। उसको उन प्रवृत्तियों के नियमन के लिए ही उसे नारी के साहचर्य में बाँधा जाता है किन्तु वह उसका अर्थ समझ नहीं पाता है।

उत्तेजना किसी भी प्रकार की हो यह मनुष्य की शारीरिक, मानसिक क्षमताओं का हास करती है। उत्तेजित अवस्था में हृदय की धड़कन बढ़ जाती है। हार्मोन्स के स्राव का क्रम बिगड़ जाता है। स्नायुओं पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। क्रोध के समय मनुष्य उत्तेजित होता है, तब भी यही प्रक्रिया होती है और जब वह कामातुर होता है तो भी यही स्थिति बनती है। यह उत्तेजना मनुष्य के लिए बहुत घातक सिद्ध होती है। बार-बार उत्तेजित होने पर स्नायुओं की क्षमता में जो हास होता है वह बहुत हानिकारक होता है। क्रोध करने वाले को क्रोध की आदत पड़ जाना इसी का परिणाम है। अधिक कामोपभोग करने वालों को भी ऐसी ही आदत पड़ जाती है जो शरीर के महत्त्वपूर्ण तत्व वीर्य को नष्ट करता है। वीर्य रक्त से भी अधिक महत्त्वपूर्ण होता है। चोट लगने पर अधिक रक्त बह जाने पर व्यक्ति जीवित नहीं रहता उसी प्रकार अधिक वीर्य नाश से भी मनुष्य की हालत अधमरे की सी हो जाती है। वह न तो मरता ही है न जी ही पाता है।

आदर्श विवाह की परम्परा को प्रोत्साहन देना चाहिए

लोभ पाप का मूल है। यही मन की सद्वृत्तियों को दुर्वृत्तियों में परिवर्तित कर देता है। विचारों को दूषित करना इसके बायें हाथ का खेल है। झूठ, छल, कपट, बेईमानी, घूसखोरी आदि इसी के बाल-बच्चे हैं। यह केवल अपनी ओर देखने की प्रेरणा देता है। इसकी शिक्षा यही है कि दूसरों की ओर से नेत्र बिल्कुल बन्द कर लो। केवल अपने सुख और लाभ को देखो। दूसरों की हानि और लाभ की ओर दृष्टिपात करने की आवश्यकता नहीं है। हमें तो वही काम करना है जिसमें हमारी चाँदी हो, चाहे इसमें दूसरों की सरासर हानि ही क्यों न हो। लोभ से स्वार्थ की उत्पत्ति होती है। स्वार्थ हमारा ऐसा शत्रु है जो हमारी वास्तविक सुख-शान्ति और आत्मिक उन्नति में बाधक बनता है।

लोभ के कारण हमारा व्यक्तित्व गिर जाता है। ब्राह्मणों का ब्राह्मणत्व केवल लोभ के कारण ही नष्ट हुआ है। जिसे पृथ्वी का देवता कहते थे, उसकी आज कोई पूछ नहीं। जिनके आगे राजा-महाराजा शीश झुकाते थे, साधारण व्यक्ति भी आज उनको हेय दृष्टि से देखते हैं, आज भी जो निःस्वार्थी ब्राह्मण हैं, उनकी कीर्ति उज्ज्वल है, संसार उनके सामने मस्तक झुकाता है। केवल ब्राह्मणों की ही नहीं सभी वर्णों में अधिकांश व्यक्तियों की यही दशा है। इसीलिए हमारा सामाजिक पतन हो रहा है। संसार की सुख-शान्ति इसी के कारण डौंवाडोल हो रही है।

आज मनुष्य का लक्ष्य धन कमाना ही रह गया है चाहे वह उपाय उचित हो या अनुचित। चरित्र पतन करने वाली फिल्में केवल धन के लोभ से बनाई जाती हैं। काम-वासना को उद्दीप्त करने वाले उपन्यासों को लिखना इसी आधार पर है। गौ व अन्य पशुओं का वध, पशु बलि की प्रथा की प्रवृत्ति इसी से हुई है। अच्छे-अच्छे स्वादिष्ट पकवानों के लोभ ने ही मृत्यु-भोग को जन्म दिया है। दूसरों के स्वास्थ्य की कुछ भी परवाह न करके बीड़ी, सिगरेट व चाय आदि का जोर-शोर से प्रचार, चाँदी के सिक्कों की खनखनाहट के कारण ही होती है। दहेज माँगने का कारण भी यही है।

विवाह तो ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दो मन एक हो जाते हैं। परन्तु एक तभी हो सकते हैं जब उनके विचारों, गुणों और स्वभावों में अनुकूलता हो, उनकी रुचि आपस में मिलती हो। आज लोग दम्पति के भविष्य को नहीं देखते। उनकी नजर तो केवल रंग-बिरंगे, चमकीले पदार्थों, सुन्दर वस्त्रों, गहनों और रूप्यों पर होती है। कन्या का चुनाव शिक्षा, शील, नम्रता, लज्जा, सरलता आदि गुणों के आधार पर नहीं किया जाता। जिघर की बोली बढ़ जाती है उधर को झुकाव हो जाता है। कन्या वालों को अपना पेट काट कर, कर्ज लेकर, किसी भी तरह से इसकी पूर्ति करनी पड़ती है। न करें तो लड़की को अधिक आयु तक अविवाहित रख कर बदनामी मोल लेनी पड़ती है।

लड़की वाले का सारा परिवार, जब तक विवाह न हो जाये, इस उलझन में पड़ा रहता है कि इस समस्या को कैसे हल किया जाये। उनको निरन्तर चिन्ता धेरे रहती है। इसकी

जिम्मेदारी उन लालची भेड़ियों पर है जो दूसरों की परिस्थिति को न देख कर केवल अपना पेट भरने की फिकर में रहते हैं। इस पिशाच वृत्ति का मूल लोभ में ही है। इसको मन से हटाये बिना इस प्रथा का उन्मूलन करना असम्भव नहीं तो कठिन अवश्य है।

लोभ का नाश सद्विचारों द्वारा ही हो सकता है। उत्तम विचारों की जननी गायत्री है। सफल गायत्री उपासकों में कोमलता का भाव जाना स्वाभाविक है। वह अपने थोड़े से लाभ के लिए किसी को जीवन भर दुःखों और चिन्ताओं की अग्नि में जलाना पसन्द नहीं करते। वह तो परमार्थ पथ के पथिक होते हैं। वह भली प्रकार जानते हैं कि दूसरों को दुःखी करके आज तक कोई सुखी नहीं हुआ है। जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है, उनके लिए खाई पहले ही खुदी रहती है। वह तो 'वसुधैव कुटुम्बकम्' के सिद्धान्त पर चलता है। सभी प्राणियों को अपने परिवार का एक सदस्य मानता है। उसकी प्रवृत्ति निरन्तर परहित की ओर रहती है। गायत्री परिवार के परिजनों ने थोड़े से समय में जो कार्य कर दिखाया है, इतिहास में उसका उदाहरण मिलना कठिन है। समाज उनकी ओर बड़ी-बड़ी आशाएँ लगाये बैठा है।

कहते हैं दान की प्रथा पहले घर से ही चालू करनी चाहिए। गायत्री उपासकों को आदर्श विवाहों की परम्परा, जिसमें दहेज का कोई प्रश्न न हो, अपने घरों से ही शुरू करनी चाहिए। जिन विचारों को हम व्यापक बनाना चाहते हैं, उन पर पहले स्वयं आचरण करना चाहिए तभी समाज पर उसका अच्छा प्रभाव पड़ता है।

प्रसन्नता की बात है कि परिजनों ने शान्तिकुंज की आवाज को सुना है और उसे कार्य रूप में लाना भी आरम्भ कर दिया है।

विवाह की आयु क्या हो ?

विवाह की आयु क्या हो, इस प्रश्न पर विचार करने से पूर्व यह सोचना होगा कि वह किया किसलिए जाता है। स्पष्ट है कि वर-वधू मिल कर एक नये गृहस्थ का सूत्रपात करते हैं। यह अति कठिन उत्तरदायित्व है। इस भार को उठाने के लिए उनकी शारीरिक और मानसिक स्थिति पूरी तरह सक्षम-परिपक्व होनी चाहिए। कच्ची आयु में असह्य भार लद

जाने पर कैसी दुर्गति हो सकती है इसकी कल्पना कर सकना किसी भी दूरदर्शी के लिए कठिन नहीं होना चाहिए।

पति-पत्नी के बीच पारस्परिक ताल-मेल बिठाने के लिए दोनों पक्षों का समुचित मानसिक विकास आवश्यक है। प्रजनन कर्म में निरत होने के लिए शरीर का समुचित विकास होना चाहिए। कच्ची आयु में, इस दिशा में उठ गये कदम स्वास्थ्य की जड़ें खोखली कर देते हैं और फिर आजीवन दुर्बलता एवं रुग्णता का अभिशाप सहन करना पड़ता है। बच्चों के बच्चे कैसे होंगे, इसका परीक्षण कच्चे बीज को जमीन में बोकर उनसे उगने वाले अंकुरों को देख कर लगाया जा सकता है। प्रौढ़ता आने से पूर्व जो लड़कियाँ बच्चे जनती हैं उनका स्वयं का स्वास्थ्य तो सदा सर्वदा के लिए नष्ट हो ही जाता है उनके बच्चे भी शारीरिक और मानसिक दृष्टि से अविकसित ही बने रहते हैं।

किशोरावस्था विकास की आयु है। उसमें शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के विकास के लिए आवश्यक क्षमताएँ उत्पन्न होती और बढ़ती हैं। इन्हें यदि अभीष्ट प्रयोजन से रोक कर वासना की दिशा में मोड़ दिया जाय तो उसका स्पष्ट प्रभाव व्यक्तित्व के हर दृष्टि से अविकसित रह जाने के रूप में सामने आ खड़ा होगा। जो बच्चे आरम्भिक कक्षाओं में अच्छे नम्बरों से उत्तीर्ण होते थे वे ही विवाह हो जाने के उपरान्त फेल होने लगते हैं अथवा घटिया डिवीजनों में पास होते हैं। इसका प्रधान कारण असमय में ही उनके गले में विवाह का रस्सा बाँध जाना ही होता है। चिन्तन वासनात्मक दिशा में मुड़ता है और मस्तिष्क को सामर्थ्य देने वाली चिकनाई गन्दी नाली में बहने लगती है। ऐसी दशा में न शारीरिक स्वास्थ्य सही रह पाता है और न मानसिक प्रखरता बनी रह सकती है। निस्तेज और निर्बल बने हुए बालक विवाह की खुशी तो मना सकते हैं, पर वह उन्हें बहुत मँहगी पड़ती है। इस जल्दबाजी से उत्पन्न हुई क्षति को आजीवन पूरा कर सकना सम्भव नहीं होता।

विवाह के साथ दाम्पत्य जीवन का ताल-मेल बिठा सकने के जो उत्तरदायित्व कंधों पर आते हैं उनके लिए आवश्यक मानसिक विकास आयु की परिपक्वता के साथ ही सम्भव है। इतना ही नहीं वधू को समुरालू में जाकर नये व्यक्ति से वास्ता पड़ता है—नई जिम्मेदारियाँ सँभालनी पड़ती हैं और नये

वातावरण में अपने आप को फिट करना पड़ता है। इस अजनबीपन के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए आवश्यक मनोबल और अनुभव चाहिए। कच्ची आयु की लड़कियाँ वह सब कर नहीं पातीं। फलतः इस दबाव में बेतरह दबकर या तो सर्वथा असहाय, दीन-दुर्बल बन जाती हैं या फिर विकृत मनःस्थिति में झगड़ालू और अपने में खिन्न रहने का स्वभाव बना लेती हैं। दोनों ही परिस्थितियों में उनका व्यक्तित्व नष्ट हो जाता है। जो कली यथासमय फूल बनकर अपने सौन्दर्य से उपवन की शोभा बढ़ा सकती थी वही असमय विवाह के बन्धन में बँध कर बेतरह कुचल जाती है और अपनी उपयोगिता खो बैठती है। परिस्थितियों से इस प्रकार दबोची हुई बच्चियाँ आजीवन डरती-मरती किसी प्रकार रोते-रूलाते जिन्दगी के दिन पूरे करती हैं। उनके द्वारा अपना, पति का तथा ससुराल का जो हित-साधन हो सकता है वह हो ही नहीं पाता। अवांछनीय उतावली सदा हानिकारक होती है। विवाह के सम्बन्ध में तो उसकी हानि उतनी भारी होती है, जिसकी क्षतिपूर्ति हो सकना एक प्रकार से असम्भव ही माना जा सकता है।

किशोरावस्था विशेष रूप से विकास की आयु है। इसके उभार इसी योग्य हैं कि उन्हें योग्यता सम्पादन में लगाया जा सके, वे अनुभवहीनता के कारण इतने परिपक्व नहीं होते कि कोई महत्त्वपूर्ण उत्तरदायित्व इस अवधि में कंधे पर डाले और निबाहे जा सकें। आठवें दर्जे के छात्र नागरिक शास्त्र की कई पुस्तकें पढ़ लेते हैं और वे मताधिकार एवं शासन संस्थाओं के बारे में इतना जान लेते हैं कि उन्हें मतदान देने या प्रतिनिधि बनने में कोई अड़चन नहीं समझी जानी चाहिए। फिर भी उस छोटी उम्र में उन्हें वैसे अधिकार नहीं मिलते। इसके लिए वयस्क बनने तक उन्हें प्रतीक्षा करनी पड़ती है। बालिग मताधिकार का तात्पर्य ही यह है कि जिनकी आयु परिपक्व हो गई, वे ही शासन के विषय में सक्रिय भूमिका निभाने का उत्तरदायित्व वहन करें। इससे पहले नहीं।

निर्धारित तथ्य यह है कि चौदह वर्ष की आयु से लेकर २० वर्ष की आयु तक लड़कियों की प्रजनन शक्ति सर्वाधिक होती है। इसके बाद विवेक-बुद्धि जगने के साथ-साथ शरीर की उत्पादन क्षमता घट जाती है और बच्चे उत्पन्न करने की दर घट जाती है। औसत ३५ वर्ष की आयु में स्त्रियाँ बच्चे पैदा करना बन्द कर देती हैं। १४ से ३५ वर्ष तक २१ वर्ष

प्रजनन अवधि के रहते हैं। यदि लड़कियों के विवाह २० वर्ष की आयु में किये जायें तो अवधि छः वर्ष घट जाती है और २१ के स्थान पर १५ वर्ष ही इसके लिए अवसर रह जाता है। यह अंकुश बहुत बड़ा है। इतने भर से एक तिहाई प्रजनन रुक सकता है और उसी अनुपात से हर गृहस्थ पर तथा पूरे राष्ट्र पर आने वाला संकट कम हो सकता है।

यह सोचना मूर्खतापूर्ण है कि लड़कियों की विवाह आयु बढ़ा देने से चरित्र संकट उत्पन्न होगा। चरित्र संकट रोकने के लिए जल्दी विवाह करने से काम नहीं चलेगा वरन् वे कारण रोकने पड़ेंगे जो इसके लिए उत्तरदायी हैं। अच्छे वातावरण में—शिक्षा जैसे कार्यों में संलग्न बालक अपना उत्साह सृजनात्मक कार्यों में लगाये रहते हैं। अध्ययनरत लड़कियाँ जल्दी विवाह होने की बात सुनकर दुःख ही व्यक्त करती हैं। चरित्र संकट की घटनाएँ पिछड़े वातावरण में ही होती हैं। सुधार उसी का किया जाना चाहिए।

अपने देश में दो प्रान्तों की स्थिति समझने योग्य है। महाराष्ट्र और केरल में विवाह की आयु बहुत समय से ऊँची रही है। महाराष्ट्र में पिछली जन-गणना के आधार पर शहरी लड़के २४.४ वर्ष की और देहाती लड़के २१.३ वर्ष की आयु में विवाह करते रहे हैं। इसी प्रकार लड़कियों की औसत आयु १८.२ रही है। केरल इससे भी आगे रहा है। वहाँ शहरी क्षेत्रों के लड़के २७.८ और देहाती लड़के २६ वर्ष की आयु में विवाह का औसत प्रस्तुत करते रहे हैं। वहाँ शहरी लड़कियों की औसत विवाह आयु २०.७ और देहातों में १६.६ रही है। वहाँ जाकर यह देखा जा सकता है कि चरित्र संकट उन क्षेत्रों की अपेक्षा कहीं कम है जिनमें कि विवाह में जल्दबाजी की कुरीति ने जड़ जमा कर रखी है। बड़ी आयु में विवाह होने का परिणाम इन दोनों प्रान्तों की स्वास्थ्य एवं शिक्षा की स्थिति सन्तोषजनक होने के रूप में देखा जा सकता है जबकि बाल-विवाह के लिए उतावले क्षेत्र इस दृष्टि से कहीं अधिक पिछड़ी स्थिति में पाये जाते हैं।

किशोर, किशोरियों को शारीरिक परिपुष्टि, विद्या अध्ययन, शिल्प-उपयोग आदि की वृद्धि में लगा रहना ही हितकर है ताकि वे अपना भविष्य उज्वल बना सकें। व्यक्तित्व को विकासोन्मुख बनाने की यही अवधि है। इससे विवाह कर देने का तात्पर्य है उनकी सामर्थ्य को निचोड़ डालना और

विकास के मार्ग में भयानक अवरोध खड़ा कर देना । स्पष्ट है कि विवाह के बाद अपवाद स्वरूप ही कहीं किसी बालक का शारीरिक, मानसिक विकास सम्भव होता है । बनावट की दृष्टि से तो आयु वृद्धि के साथ कलेवर बढ़ता है, पर भीतर से उनमें खोखलापन ही दृष्टिगोचर होता है । स्मरण शक्ति और ओजस् घट जाने से वे प्रायः मस्तिष्कीय दृष्टि से झूठ बनकर वे न पढ़ने-लिखने में कोई आशाजनक सफलता प्राप्त कर पाते हैं और न शारीरिक बलिष्ठता ही पल्ले रहती है । बाल-विवाह का अर्थ बच्चों का भविष्य अन्धकारमय बना देने के अतिरिक्त और कुछ हो ही नहीं सकता ।

यहाँ यह विचारणीय है कि लड़की और लड़के की विवाह आयु में बहुत अन्तर होना क्या किसी तथ्य पर आधारित है? अथवा वैसे ही लड़का बड़ा और लड़की छोटी होने की बात सोची जाती रही है । जहाँ तक शारीरिक और मानसिक विकास का सम्बन्ध है दोनों का विकास-क्रम लगभग एक ही गति में चलता है । यह बात 'बालिग' होने की, मताधिकार मिलने की आयु में भी स्पष्ट है । बच्चे उत्पन्न करने की क्षमता में आयु का अन्तर हो सकता है पर व्यक्तित्व के विकास में दोनों की गति एक जैसी ही चलती है और किशोरावस्था का अन्त एवं यौवन का पदार्पण २० वर्ष से पूर्व किसी में भी नहीं होता । प्रजनन की उतावली हो तो लड़कियों को १८ वर्ष में भी वयस्क कहा जा सकता है अन्यथा शरीर शास्त्र और मानसिक शास्त्र उनमें से एक को भी २० वर्ष से पूर्व परिपक्व घोषित नहीं कर सकते । विवाह की बात सोचने से पूर्व यदि उसके परिणामों पर भी विचार किया जा सके तो निश्चय ही बाल-विवाह को हर दृष्टि से अनुचित और अवांछनीय ही माना जायेगा ।

वयस्क होने पर ही विवाह हों

विवाह किस आयु में करें, इस संदर्भ में विचार करने से पूर्व यह देखना होगा कि मनुष्य को स्वाभिमान और सही तरीके से जीना है तो उसे किन मूल-भूत आवश्यकताओं की पूर्ति करनी चाहिए । स्वास्थ्य सबसे पहली आवश्यकता है । उसी के आधार पर चैन से जिया जा सकता है । साथियों को चैन से रहने दिया जा सकता है । स्वस्थ मनुष्य श्रम करता है और आजीविका उपार्जित करता है । स्वावलम्बन उसी के लिए सम्भव है जो नीरोग है । जो शरीर से स्वस्थ,

हृष्ट-पुष्ट है । आयु भी उसी को पूरी मिलती है । अपने बच्चों का शुभचिन्तक होने की बात को प्रमाण देकर सिद्ध करना पड़ता है अन्यथा शत्रुता निभाने वाला भी अपने को शुभचिन्तक कह सकता है ।

पुत्रों के शुभचिन्तक वे ही माने जा सकते हैं जो उसे स्वस्थ, शिक्षित, स्वावलम्बी और सदगुणी बनाने के लिए समुचित प्रबन्ध करें । आहार-विहार के औचित्य के साथ-साथ यह भी आवश्यक है कि बच्चों का ब्रह्मचर्य परिपक्व होने तक सुरक्षित रहे । कच्ची आयु में छेड़-छाड़ करने से शरीर ऐसा हो जाता है जैसा कि रस निचुड़ जाने के उपरान्त बचा हुआ नीबू का छिलका । यह तथ्य लड़की और लड़के दोनों पर समान रूप से लागू होता है । नटखट लड़के पेड़ों का गोंद निकालने के लिए उनमें खोद कर खड्डे बना देते हैं, गोंद निकलने लगता है और पेड़ सूखने, मुरझाने लगता है । बाल-विवाह के उपरान्त आमतौर से वर-वधू काम-क्रीड़ा करने लगते हैं । अपरिपक्व शरीरों में ऐसी छेड़-छाड़ उन्हें कमजोर बनाती है । जीवनी-शक्ति घटाती है । कोई बड़ा पुरुषार्थ करने योग्य, परीक्षा में अच्छे नम्बरों से उत्तीर्ण होने योग्य नहीं रहने देती । विवाह का अर्थ ही काम-क्रीड़ा की छूट माना जाता है । अल्पवयस्क वर-वधू वैसा आचरण करने लगे तो उन्हें कोई टोकता नहीं वरन् बराबर वाले तथा मजाक कर सकने के रिश्ते वाले उन्हें इसके लिए प्रोत्साहित करते हैं । उपेक्षा दिखाने पर उनकी भर्त्सना करते हैं ।

लड़कियों की यह विशेषता है कि वे छोटी आयु में बहुत जल्दी गर्भिणी हो जाती हैं । अमेरिका में सहशिक्षा का प्रचलन है । वहाँ लड़की लड़के यौनाचार बहुत बुरा नहीं मानते । फलस्वरूप १४ से लेकर १७ वर्ष की आयु में एक तिहाई छात्राएँ गर्भवती हो जाती हैं । यह नियम सर्वत्र लागू होता है । अपने देश में भी । बाल-विवाह वाली लड़कियाँ प्रायः १६ वर्ष से पहले ही गर्भवती हो जाती हैं । जबकि शारीरिक दृष्टि से परिपक्व होने की उनकी न्यूनतम आयु १८ वर्ष है । ऐसी लड़कियों की वृद्धि तो रुक ही जाती है, उनके रक्त-मौस में से एक नया प्राणी बनना शुरू हो जाता है । इसका तात्पर्य है कि जो कुछ उस समय तक कमाया था उसका महत्त्वपूर्ण भाग छिन जाना ।

प्रसव पीड़ा में कोमल अंग क्षत-विक्षत हो जाते हैं। फलतः आजीवन उन्हें जननेन्द्रिय सम्बन्धी बीमारियों का शिकार रहना पड़ता है। साथ ही अपच, सिरदर्द, रक्तत्रप्यता जैसे रोग घेर लेते हैं। जो काम करते हैं वह अशक्ति के रहते जैसे-तैसे हो पाता है। दूध कम निकलने से ऐसे बच्चों की मृत्यु भी अधिक होती है और बच्चे के मरते ही नया गर्भ फिर पेट में आ जाता है। देखा गया है कि बीस वर्ष तक पहुँचते-पहुँचते कई लड़कियाँ तीन-चार बच्चों की माता बन चुकी होती हैं। इससे बच्चे तो दुबले रहते ही हैं, माता का भी कचूमर निकल जाता है। वे भरी जवानी में बुढ़ापे के लक्षणों से घिर जाती हैं। बीमारियों से घिरी रहती हैं और कराहते-घिसटते ज्यों-त्यों करके समय बिताती हैं। अकाल मृत्यु मरती भी हैं। कितनी ही तो प्रसव पीड़ा में ही दम तोड़ देती हैं। यह बाल-विवाह का ही दुष्परिणाम है। जिसे सम्पन्न करते हुए अभिभावक मोद मनाते हैं। सच पूछा जाय तो इस प्रकार की सिसकती मौत के मुँह में धकेल देने की जिम्मेदारी उन्हीं की है। जिसे वे न जानते हैं और न मानते हैं।

शिक्षा के लिए भी तो समय चाहिए। मैट्रिक की शिक्षा को यदि मध्यवर्ती स्तर माना जाय तो वहाँ तक पहुँचने के लिए शहरी लड़कियों को न्यूनतम सोलह और ग्रामीण लड़कियों को अठारह वर्ष लगने चाहिए। शिक्षा की उपयोगिता स्वास्थ्य से कम नहीं। मानसिक विकास के लिए पढ़ना-लिखना आवश्यक है। अशिक्षित महिलाएँ न बच्चों को सुयोग्य बना सकती हैं और न जीवन विकास के आवश्यक विषयों से परिचित ही हो पाती हैं। अशिक्षित को कूपमंडूक की, अंधे की उपमा दी जाती है जो बहुत हद तक ठीक भी है। वह बाजारू खरीद-फरोक्त, व्यापार, नौकरी, राजकीय झगड़े-झंझट आदि हर महत्त्वपूर्ण कार्य में अपने को असहाय-असमर्थ पाती है।

शिक्षा का स्वावलम्बन से भी गहरा सम्बन्ध है। अच्छी नौकरी के लिए शिक्षित होना अनिवार्य है अन्यथा शारीरिक श्रम की ही कोई मजदूरी करके तंगी के दिनों में परिवार का पोषण करना पड़ता है। कई बार तो घर से बाहर जाने का प्रतिबन्ध भी इस प्रकार की आजीविका कमाने में बाधक बन जाता है। पर शिक्षित महिलाएँ इस प्रकार के बन्धनों को स्वीकार नहीं करती और घर बाहर जहाँ भी रोजी-रोटी की

गुंजाइश मिलती है उसे अपनाकर परिवार की आर्थिक सहायता करती हैं। किन्तु जिन लड़कियों को छोटी आयु में ही बाल-विवाह के शिकंजे में कस दिया गया है उनके लिए न तो स्वस्थ रहना सम्भव है, न शिक्षित बनने के लिए आवश्यक समय मिलता है। छोटी उम्र में तो चिट्ठी-पत्री लिखना जितना ही पढ़ पाती हैं। ससुराल में पढ़ने का प्रयत्न करने पर उन्हें दुत्कारा जाता है। पढ़ना तो बाप के घर ही सम्भव है। ससुराल में तो दिन भर काम करना पड़ता है। फिर जिस घर में अशिक्षा का साम्राज्य है वहाँ नई बहू को पढ़ने की छूट देने में अन्य महिलाओं की हेटी जो होती है।

पिछले दिनों अभिभावक अध्यापक बच्चों को उन विषयों की शिक्षा देते थे जो उनके व्यक्तित्व को विकसित करें। शालीनता, सुसंस्कारिता की सैद्धान्तिक और व्यावहारिक रूपरेखा बनायें। सद्गुणों का महत्त्व, माहात्म्य समझाएँ और सुसंस्कारिता के आधार पर उपलब्ध होने वाली गरिमा को हृदयंगम कराएँ। वस्तुतः उसी को शिक्षा कहा जा सकता है जिसके आधार पर चिन्तन, चरित्र एवं व्यवहार को शालीनता सम्पन्न किया जा सके। यह व्यक्तिगत परमार्थ और अभ्यास का विषय है। इसके लिए प्रश्नोत्तर शैली पर जिज्ञासाओं का समाधान किया जाता है। इस प्रकार व्यवहार, अभ्यास करने का अवसर दिया जाता है। जिसमें व्यक्ति व्यवहार में सभ्य और दृष्टिकोण से सुसंस्कृत बन सके। यही शिक्षा का मूलभूत आधार भी है। सामान्य ज्ञान को विभिन्न विषयों की पुस्तकें पढ़कर भी समझा जा सकता है। जो जीवन व्यवहार में समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी, बहादुरी का समावेश कर सके उसी को सद्ज्ञान कहा जाता है। यह सब आवश्यक तो लड़कों के लिए भी है पर लड़कियों के लिए तो अनिवार्य ही है। क्योंकि उन्हें पितृगृह में स्नेह और ससुराल में सम्मान इसी आधार पर उपलब्ध होता है। सर्वत्र गुणों की ही पूजा होती है। किसी का समुन्नत बनना, प्रगति पथ पर अग्रसर होना इसी बात पर निर्भर है कि उसे सुसंस्कारिता को समझने, अपनाने और व्यवहार में उतारने का कितना अवसर मिला। प्राचीनकाल में भारत की नारियाँ इसीलिए देवी-उपमा से विभूषित होती थीं कि उनके कण-कण में देवत्व का, वर्चस्व का अनुपात असाधारण मात्रा में भरा रहता था। इसके लिए

उन्हें लम्बे समय तक सिखाया और अभ्यास कराया जाता था। ऐसी लड़कियाँ जिस घर में जाती थीं उस घर की रानी बनकर रहती थीं। गृहलक्ष्मी कहलाती थीं। यह सब अनायास ही नहीं हो जाता था, इसके लिए उन्हें बचपन और किशोरावस्था को पूरी तरह अभ्यास के लिए नियत-निर्धारित रखना पड़ता था। समय भी काफी लगता था। परीक्षा में खरे सोने की तरह उत्तीर्ण होने के उपरान्त ही उनके विवाह की चर्चा चलती थी। ऐसा घर-घर दूँदा जाता था जहाँ रूप-शृंगार को नहीं सदगुणों को पहचाना और सम्मानित किया जाय।

किन्तु अब तो स्थिति ही बदल गई। बचपन में ही विवाह होने लगे। ऐसी दशा में उन्हें स्वास्थ्य रक्षा, शिक्षा, संयम तक का जब अवसर नहीं तो फिर सुसंस्कारिता के अनिवार्य अभ्यास के लिए समय कहाँ से मिले। सदगुणों से खेलने और झूले पर झूलने वाली बच्चियों को जब विवाह के बंधन में हाथ-पैर बाँध कर कस दिया है तो वे अपने आपको दीन, हीन, असहाय, असमर्थ के अतिरिक्त और क्या कुछ अनुभव कर सकती हैं।

लड़कों के लिए यह गुंजाइश है कि घर में अथवा समाज में जहाँ कहीं रहें वहाँ से जानकारीयाँ बढ़ाते रहें, अनुभव सम्पादित करते चलें, इस प्रकार उनके ज्ञान भण्डार में बढ़ोत्तरी होती रहे किन्तु विवाह के उपरान्त लड़कियों के लिए सभी मार्ग बन्द हो जाते हैं। वे पितृ-गृह से ससुराल और ससुराल से पितृ-गृह आती जाती रहती हैं। बहुत हुआ तो किसी विवाहोत्सव, मेले-ठेले या तीर्थयात्रा में चली गई। इससे स्थान बदलने का पर्यटन मनोरंजन तो हो जाता है पर ऐसा नहीं होता कि वहाँ से कुछ ऐसा ज्ञान सम्पादन करके अपने उस ज्ञान भण्डार को बढ़ा सकें। ऐसा ज्ञान भण्डार जो उनके व्यक्तित्व विकास या परिवार उत्कर्ष के काम आए, इसका तात्पर्य यह हुआ कि बचपन में विवाह से पहले जो कुछ उन्होंने सीखा था उसी पूँजी पर उन्हें सारी जिन्दगी काटनी पड़ेगी।

स्वास्थ्य जो माता-पिता के घर से आया था उसकी आयु के हिसाब से स्थूलता भले ही बढ़ जाय, पर भौतिक जीवनी-शक्ति में आमतौर से घटोत्तरी ही होती चलती है। मासिक धर्म के हिसाब से प्रकृति निचोड़ती है। स्तन-पान के हिसाब से बच्चे उन्हें चूसते हैं। गर्भ से उन्हीं का रक्त मौस कटकर नया लोथड़ा बनता है। प्रसव पीड़ा को तो किसी

भयंकर मेजर आपरेशन के समतुल्य ही समझा जाना चाहिए। जिसमें जब तक अती नहीं टल जाती जननी को शूली पर ही चढ़े रहना पड़ता है। इन विपत्तियों में से मात्र मासिक धर्म ही एक प्रकृति प्रदत्त है। शेष सभी तो विवाह के उपहार मात्र हैं। जिनके ऊपर नारी शरीर की तिल-तिल करके बलि चढ़ती रहती है। ऐसी अग्नि परीक्षा में लड़की को वयस्क होने से पहले ही गुड़ियों से खेलने की उम्र में ही गृहस्थी के भार में झोंक देना परिणाम की दृष्टि से विशुद्ध अत्याचार है। लोकाचार की दृष्टि उसे कुछ भी क्यों न कहा जाय।

यदि अभिभावक उतनी उतावली न बरतें और लड़की को कूड़ा-कचरा समझकर किसी दूसरे के घर में फेंक देने की निष्ठुरता न बरतें तो यह हो सकता है कि लड़कों की तरह लड़कियाँ भी किशोरावस्था को माता-पिता के घर रहकर ही पूरी कर लें। इस अवधि को पति की चरण दासी, ससुराल की बेगारिन बनाने की अपेक्षा यदि उसके विकास के लिए नियत निर्धारित करके स्वास्थ्य सम्पादन—शिक्षा संचय, व्यक्तित्व को प्रतिभावान बनने में लगने दिया जाय तो इससे कोई गाज नहीं टूट गिरेगी। विवाह में जो पैसा खर्च किया गया था उसे यदि बैंक में जमा कर दिया तो उसके ब्याज मुनाफे में ही इतना मिलता रह सकता है कि लड़की पितृ-गृह में रहकर ही अपने भविष्य की दृढ़ता और सुनिश्चितता का संचय करती रहे।

मनुष्य शरीर के साथ यदि मनुष्य हृदय भी मिला हो तो बच्चे-बच्चे के बीच अन्तर करने की कोई गुंजाइश नहीं है। भले ही वह लड़का हो या लड़की। सृष्टि क्रम के दोनों ही अविभाज्य अंग हैं। दोनों का ही समान महत्त्व है। सच पूछा जाय तो लड़की की उपयोगिता, आवश्यकता एवं महत्ता लड़कों से कहीं अधिक बढ़कर है। वह जननी है उसी के अनुग्रह और बलिदान से मानवी वंश चल रहा है। यदि वह अपने अनुग्रह की मुट्ठी सिकोड़ ले तो समझना चाहिए कि जीवित पीढ़ी सौ वर्ष से भी कम समय में उजाड़ हो जायेगी। धर्मपत्नी के रूप में वही घर बसाती है। यदि वह किसी की चरण दासी या बेगारिन बनने से इन्कार कर दे और स्वावलम्बी स्वतन्त्र जीवन जीने का निश्चय कर ले तो समझना चाहिए कि परिवार नाम की धरती पर स्वर्ग का आनन्द देने वाली

संस्था के बनने-बसने का कोई आधार ही न रहेगा । घर के चलते-फिरते खिलौनों में लड़के तो नटखट भी पाए जाते हैं पर लड़कियाँ तो मुदुलता की मूर्तिमान प्रतिमा होती हैं । बहिन-भाई का प्यार अपने ढंग की अनोखी पवित्रता और घनिष्टता लिए हुए होता है । इन विशेषताओं के कारण दार्शनिकों और भाव विश्लेषकों ने नारी को गृहदेवी की उपमा दी है । वह स्वर्ग की अप्सराओं से, वन-देवियों से, किन्नरियों और यक्षणियों से किसी प्रकार कम नहीं है । पुरुष पराक्रम की दृष्टि से अपने आप को बढ़-चढ़ कर इसलिए बड़ा कह सकता है कि नारी ने प्रजनन का कठोर कर्तव्य अपने कंधे पर लेकर शारीरिक दृष्टि से दुर्बलता ओढ़ने की स्वीकृति दे दी है । इसी उदारता की विवशता मानकर पुरुष का दर्प फूला है । यदि नारी उस विवशता को अस्वीकृत कर दे तो वह किसी भी दृष्टि से किसी भी क्षेत्र में पुरुष से पीछे नहीं हो सकती । फिर नर के पति-परमेश्वर कहलाने की, अन्नदाता बनने की कहीं कोई गुंजाइश न रहेगी ।

इसे विडम्बना ही कहना चाहिए कि लड़कियों को कूड़ा-कचरा और लड़कों को हीरा-मोती समझा जाता है । हर व्यवहार में उनके बीच अन्तर रखा जाता है । भोजन, वस्त्र, शिक्षा, चिकित्सा, मनोरंजन आदि में लड़की के लिए निरन्तर कटौती होती रहती है और लड़कों के ऊपर उदारता के मणि-मुक्ता बरसाए जाते रहते हैं । लड़के से आशा की जाती है कि वह वंश चलाएगा, परलोक में पिण्डदान पहुँचाएगा, बुढ़ापे में सहारा देने वाली लकड़ी बनेगा । यह सभी बातें अनगढ़ कल्पनाएँ मात्र हैं । लड़का जो प्राप्त करता है उसका सौवाँ अंश भी नहीं लौटाता । जबकि लड़की श्रद्धा और सद्भावना तो बनाए ही रहती है । उसे यदि पुत्र मानकर चला जाय तो जो आशाएँ लड़के से की गई थीं उन्हें वह कहीं अच्छी तरह पूरा कर सकती है ।

विवाह की तैयारी से पूर्व

विवाह निश्चित करने से पूर्व भावी सम्बन्धी मिल-जुलकर अपनी स्थिति का स्पष्टीकरण कर लें, यही उत्तम है । लड़की-लड़के के गुण-दोष मिलाने का काम पिछले दिनों पण्डितों-ज्योतिषियों के जिम्मे छोड़ा जाता रहा है । सम्भव है

कभी ऐसे अदृश्यदर्शी रहे हों जो बिना स्पष्टीकरण के ही स्थिति को जान लेते हों, पर अब तो वैसा कुछ कहीं दीखता नहीं । इसलिए दोनों पक्षों के कर्त्ता-धर्त्ताओं को ही मिल-जुलकर ऐसा विचार-विनिमय कर लेना चाहिए जिससे बाद में कोई झंझट खड़ा न हो ।

दान-दहेज की बात हो तो वह मसला भी हल कर लिया जाय । जन-जातियों में लड़की वाला-लड़के वाले से अपनी बेटे देने के बदले पैसा माँगता है । वह नकदी या वस्तुओं के रूप में भुगतान करना पड़ता है । यह प्रचलन सवणों में उलटा है । उनमें लड़के वाला लड़की वाले से दहेज में रकम तथा अन्य सामान माँगता है । बारात की धूमधाम और शाही मेहमानदारी की भी शर्तें लगाता है । लेकिन बात अनैतिक होने के कारण खुले मुँह उस बात को कह नहीं सकता । केवल अनुमान लगा लेता है कि यहाँ से इतना तो मिल ही जायेगा । यदि अनुमान गलत निकला, कम मिला तो फिर बाद में झगड़ा-झंझट खड़ा करते हैं । लड़की को सताते हैं । उसे न भेजने या न बुलाने की बात कहते हैं । ऐसी दशा में आपसी सम्बन्ध भी बिगड़ते हैं और लड़की का भविष्य भी बिगड़ता है । इससे अच्छा यही है कि अपनी मनःस्थिति का दोनों पक्ष मिल-जुलकर स्पष्टीकरण कर लें ।

इसी प्रकार लड़की-लड़के को कोई रोग है या कमी-कमजोरी है तो उसे भी स्पष्ट कर देना चाहिये । आरम्भ का दुराव पीछे जब प्रकट होता है तब विश्वासघात का, दुराव-छल का लांछन लगता है । पारस्परिक सद्भावना का अन्त हो जाता है । अक्सर बीमार लड़की-लड़कों की बीमारी छिपाई जाती है । ताकि विवाह होने के बाद दूसरा पक्ष उसका इलाज कराये और पैसा खर्च करे । यह चतुरता, आरम्भ में ही अपनी आफत दूसरे के सिर मढ़ देने पर प्रसन्नता देती है, पर पीछे उसकी प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है वह ऐसी होती है, जिसकी तुलना में विवाह न करना अच्छा रहता ।

विशेषतया मिर्गी, दमा, पागलपन जैसी बीमारियों का तो स्पष्टीकरण कर ही देना चाहिए ताकि पीछे फजीहत न होती फिरे । गलतफहमी में रखकर विवाह पटा लेने की अपेक्षा यही अच्छा है कि जो विवाह का उत्तरदायित्व ठीक प्रकार से वहन करने की स्थिति में नहीं है उसे उसके लिए बाधित न किया जाय । कुँवारी या कुँवारा रहना उतना बुरा नहीं है जितना कि उन्हें जिन्दगी भर के लिए परेशानी में झोंक देना ।

कुंवारापन बेइज्जती की बात मानी जाती है। पर वस्तुतः यह न्यायसंगत बात है कि जिससे अपना बोझ लेकर ही चलना कठिन पड़ रहा है उसे एक नयी गृहस्थी का बोझ लेकर चलने के लिए बाधित किया जाय। इसे कौशल नहीं अत्याचार ही कहा जा सकता है। अच्छा हो कि जहाँ भी जिस ओर भी कोई कमी हो उसे अपने पक्ष की सफाई कर देनी चाहिए। भले ही इसमें विवाह न होने की जोखिम उठानी पड़े।

दान-दहेज के सम्बन्ध में भी दोनों पक्ष अपनी सफाई कर लें। जिससे व्यर्थ की आशा करने और पीछे वैसा न बन पड़ने पर मनोमालिन्य की स्थिति उत्पन्न हो।

लड़की-लड़कों की शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वभाव की जानकारी दोनों पक्षों को होनी चाहिए। ताकि उसे सुधारने या सहन करने की तैयारी पहले से ही रखी जा सके। इन दोषों के रहते हुए भी यदि विवाह करना हो तो अभिभावकों को पहचान कर ही चलना चाहिए कि इस स्थिति के रहते यदि बाद में भी जो दायित्व स्वीकार है उसका निर्वाह करना है। किसी की नाव मैंझधार में नहीं छोड़नी है।

होता यह है कि सम्पन्न घर, अच्छी नौकरी, देखने में सुन्दर लड़का तलाशने में लड़की वाले रहते हैं। यही दृष्टिकोण दूसरे लड़की वालों का भी रहता है। फलतः एक अनार सौ बीमार वाली कहावत चरितार्थ होने लगती है। नीलाम की बोली बढ़ने लगती है और दहेज की माँग आसमान छूने लगती है। उसे किसी प्रकार चुकाते हुए लड़की के सुखी होने की बात सोचना उचित नहीं। क्योंकि ऐसा करने से लड़के वालों के दिमाग बिगड़ते हैं और वे लड़की पर जैसे-तैसे दोष लगाकर दूसरा विवाह करने और दहेज पाने की बात सोचने लगते हैं। ऐसे परिवारों का अहंकार भी बादलों तक जा पहुँचता है, वे उसकी पूर्ति लड़की को नौकरानी बनाकर पूरी करना चाहते हैं। ऐसे लड़कों में कई प्रकार के दुर्गुण और दुर्व्यसन भी पाये जाते हैं। जिनका सबसे अधिक प्रभाव लड़की पर पड़ता है और सम्पन्न घर दूँहने की बात पर उसे महत्त्व देने वालों को पीछे पछताना पड़ता है।

अपना देश गरीबों का देश है। जो अपना गुजारा परिश्रमपूर्वक कर सके उस मध्यवर्ती स्थिति वाले को अमीर मान लेना चाहिए और लड़की को पलंग पर बैठकर राज करने वाली बनाने का सपना न देखकर परिश्रमपूर्वक गृहस्थी चलाने

के ढँचे में छलकर एक साथी सहायक के रूप में दूसरे के घर भेजना चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि लड़की को स्कूली शिक्षा के साथ-साथ गृहस्थी चलाने और पारस्परिक सम्बन्धों को निमाने जैसी विशेषता उसके अभिभावक पहले से ही पैदा कर दें।

छोटी बच्चियों का विवाह करने के स्थान पर उन्हें बड़ी और समझदार होने देना चाहिए, ताकि ससुराल में जाकर आने वाली समस्याओं का स्वरूप और समाधान वे पहले से ही समझ सकें। पिता के घर में ही उन्हें इतना करने और सीखने देना चाहिए कि पति के घर में कोई अचरज या अनौखापन न मालूम पड़े और चलते हुए ढर्रे में अपने आप को आसानी से व्यवस्थित कर सके। उनके दिमाग में मध्यवर्ती परिवार में जाकर अपनी प्रतिभा का परिचय देने की बात रहनी चाहिए। शिक्षा के दिनों में जो कल्पना किसी अफसर के घर जाने और मोटर में सैर करने की रहती, उतनी महत्त्वाकांक्षाएँ नहीं पनपने देनी चाहिए। स्कूली वातावरण में इस प्रकार की ललक उभरना स्वाभाविक है। इसकी काट-छँट आरम्भ से ही की जानी चाहिए। कुशल माली जहाँ पौधों को खाद-पानी देता है, वहाँ उनकी रखवाली और काट-छँट भी करता रहता है। लड़कियों के सम्बन्ध में परिवार के संचालकों का, विशेषतया महिलाओं का यही दृष्टिकोण रहना चाहिए, ताकि विवाह के उपरान्त उन्हें मन मसोसना या असंतुष्ट न रहना पड़े।

स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियों की भी कई सहेलियाँ होती हैं। उनसे अधिक घुलने-मिलने या उनके घर जाने का, घूमने का मन रहता है, लड़कों की तरह लड़कियाँ भी कैद में रहना क्यों पसन्द करें? पर ध्यान रखने योग्य बात यह है कि जिस प्रकार लड़कों को कुसंग से बचाया जाता है उसी प्रकार मनचली लड़कियों के साथ अधिक घनिष्टता भी अच्छी नहीं। क्योंकि उठती उम्र में दुर्गुण आसानी से अपना लिए जाते हैं जबकि सद्गुणों का प्रभाव इतना जल्दी नहीं पड़ता।

विवाह-बन्धन—कठोर कर्तव्य का

पालन

विवाह की सफलता के सन्दर्भ में सोचा यह जाता है कि जोड़ीदार उपयुक्त विशेषताओं से सम्पन्न मिले तो काम चले। आमतौर से लड़की का रूप-सौन्दर्य और लड़के का

कमाऊपन देखा जाता है । पर इन दोनों ही विशेषताओं का महत्त्व अत्यन्त स्वल्प है । रूप-सौन्दर्य दर्शनीय और आकर्षक होता है, पर उसमें ऐसी कोई विशेषता नहीं, जिसके कारण व्यवहार एवं दृष्टिकोण भी उपर्युक्त बनता हो । गृहस्थ-जीवन तो व्यवहार पर आधारित है । रूप और व्यवहार में न तो समन्वय है और न विरोध—दोनों का क्षेत्र लगभग भिन्न है । दर्शन का आकर्षण क्षणिक है और वह मात्र आँखों को प्रभावित करता है । किसी सुन्दरी का व्यवहार सद्भाव सम्पन्न ही हो यह आवश्यक नहीं, असद्व्यवहार चल रहा हो तो रूप-सौन्दर्य से उस क्षति की पूर्ति नहीं हो सकती । रूपवान यदि गुणवान न हुआ तो सहचरत्व का आनन्द कैसे रह सकेगा । इसलिए रूपवती वधू ढूँढ़ने वाले किसी समझदारी का परिचय नहीं दे रहे होते, वरन् सौन्दर्य के साथ जुड़े हुए अहंकार का खतरा मोल लेते हैं । बहुत बार उस आकर्षण के लालची लोग ऐसी स्त्रियों को पय-भ्रष्ट करते और गृहस्थ-जीवन में दरार डालते भी देखे जाते हैं । दूर-दर्शिता की दृष्टि से यह अधिक उपर्युक्त है कि सामान्य सौन्दर्य की लड़की को ही पर्याप्त माना जाय । आकर्षण नहीं तो उसके साथ जुड़े रहने वाले खतरे भी तो नहीं हैं । प्रायः साधारण रूप के साथ अपेक्षाकृत अधिक शालीनता और नम्रता जुड़ी देखी गई है ।

लड़के का कमाऊ होना ही सब कुछ नहीं है । बहुत कमाने वाला, किन्तु अपव्ययी, व्यसनी व्यक्ति गृहस्थ की दृष्टि से निर्धनों से भी बुरा पड़ता है । ऐसे लोग अपनी कमाई का अधिकांश भाग ठाट-बाट, शान-शौकत और आवारागर्दी में उड़ा देते हैं और स्त्री-बच्चों को दरिद्रों जैसी कठिनाई में दिन गुजारने पड़ते हैं । इनकी अपेक्षा वह कहीं अच्छे हैं, जो भले ही कम कमाते हैं, पर जो नाते हैं—घर जमा करते हैं और खर्च का बजट पत्नी तथा परिवार के लोगों के परामर्श से बनाते हैं । इस स्थिति में मितव्ययता और दूर-दर्शिता के सहारे खर्च चलाने पर अमीरों की तरह सुखी और सन्तुष्ट रहा जा सकता है । अधिक आमदनी होने पर भी यदि विलासिता अपनाई गई है तो सदा खाली हाथ ही रहना पड़ेगा और आड़े वक्त के लिए दो पैसे भी पास न मिलेंगे ।

वर अधिक कमाता है तो अच्छी बात है, पर उसका सद्गुणी होना आवश्यक है । यदि वैसी बात न हो तो बढ़े हुए पैसे से दुर्गुण ही बढ़ेंगे और उनका दबाव अधिकतर वधू

को ही सहना पड़ेगा । धनी दुर्गुणी और निर्धन सद्गुणी में से एक चुनना हो तो सद्गुणी को ही महत्त्व देना पड़ेगा । इस प्रकार वर रूपवान है कि नहीं, यह बात भी कुछ विशेष महत्व नहीं रखती । सच तो यह है कि यदि स्वेच्छा से कुरूप साथी चुना गया है तो उस उदारता का प्रभाव दूसरे पक्ष पर असाधारण रूप से पड़ेगा और भले ही मुख से कुछ न कहे, पर मन ही मन कृतज्ञता व्यक्त करेगा । कहना न होगा कि कृतज्ञता की भावना—सेवा और सद्व्यवहार में परिणत हुए बिना नहीं रहती ।

विवाह-सम्बन्ध निर्धारित करने में आमतौर से रूप और धन की कसौटी पर परख की जाती है, पर वे दोनों ही परीक्षण ओछे एवं छोटे हैं । प्रेम-विवाहों में प्रायः बाह्य-आकर्षण ही उन्माद उत्पन्न करता और तुरंत-फुरत एक-दूसरे को प्रणय-बन्धन में बँधने की स्थिति तक घसीट ले जाता है । पर देखा यह गया है कि आवेश का नशा उतरते ही जब वास्तविकता सामने आती है तो व्यवहार क्रमशः रूखा ही नहीं, विद्वेषपूर्ण भी बनता चला जाता है । इस प्रकार के प्रेम-विवाह बहुत ही कम सफल होते हैं, अधिकांश में उन्हें पछताते ही देखा गया है ।

यहाँ पति-पत्नी की परस्पर पसन्दगी और सहमति को अनुचित नहीं ठहराया जा रहा है—वह रहे, पर यह सहमति उथले आधार पर बनी हुई नहीं होनी चाहिए । उसके पीछे साथी के गुण, कर्म, स्वभाव की लम्बे समय से चली आ रही शृंखला का सूक्ष्म निरीक्षण जुड़ा होना चाहिए । स्वभाव और चरित्र न तो तत्काल बनता है और न बिगड़ता है, उसके पीछे पृष्ठ-भूमि होती है और इतिहास भी । यही है—किसी व्यक्तित्व को परखने की कसौटी । विवाह को सफल बनाने के लिए यदि उपर्युक्त जोड़ीदार तलाश करना हो तो उसके सम्बन्ध में अत्युक्ति पूर्ण नहीं, वरन् यथार्थ जानकारी प्राप्त की जानी चाहिए । इस प्रकार की खोजबीन में गुप्तचरों जैसी जासूसी का झंझट तो उठाना पड़ता है और भाग-दौड़ करने तथा समय लगाने का बोझ भी उठाना पड़ता है । पर तथ्य इसी से सामने आते हैं और गुण-दोषों का स्वरूप सामने रहने पर निर्णय भी तभी ठीक होते हैं । उतावली में शकल देखने तथा आमदनी का विवरण जानने भर से जो निर्णय किये जाते हैं, उनमें पीछे पश्चाताप की गुंजायश बहुत रहती है ।

वस्तुतः रूप, धन एवं गुण, स्वभाव के आधार पर की गई परख भी अधूरी तथा ओछी है। इस कसौटी पर कस लेने के उपरान्त भी यह निश्चिन्तता नहीं हो सकती कि गृहस्थ सुखपूर्वक चल जायेगा। दूसरा व्यक्ति कभी भी बदल सकता है या उसके सम्बन्ध में जो निष्कर्ष निकाला गया था—वह गलत हो सकता है। इस क्षेत्र की सफलता का एकमात्र सूत्र है—अपने में उस दूर-दर्शिता का और सदाशयता का होना, जिसके सहारे दूसरे को सुधारा या बदला जा सकता है। यदि वैसा न बन पड़े तो ताल-मेल बिठाने वाला एकपक्षीय प्रयास भी किया जाता रह सकता है। साथी के सर्वथा अनुपयुक्त सिद्ध होने पर भी परिष्कृत आदर्शवादिता अपनाये रहकर इस प्रकार का चिन्तन रखा जा सकता है, जिसके कारण अपने कर्तव्य-पालन की प्रतिक्रिया आत्म-सन्तोष का सत्परिणाम प्रस्तुत करती रहे। साथी के अनुपयुक्त आचरण से निराशा होनी तो स्वाभाविक है, पर इतने पर भी एकपक्षीय कर्तव्य-पालन टकराव की स्थिति से बचाये रह सकता है और अपने सद्व्यवहार का आनन्द अपनी प्रतिक्रिया, प्रतिध्वनि एवं प्रतिच्छाया से अपने को आशान्वित किये रह सकता है। ऐसी दशा में यह सम्भावना भी बनी रहती है कि रस्सी की रगड़ से पत्थर पर निशान बन जाय और कठोरता बरतने वाला पाषाण-हृदय भी कालान्तर में कोमल बन सकता है। ऐसे परिवर्तन और सुधार के असंख्य उदाहरण हम अपने इर्द-गिर्द ढूँढ़ सकते हैं। इसके विपरीत उन उदाहरणों की भी कमी नहीं—जिनमें कटुता, कर्कशता, आक्षेप, अपमान, अविश्वास जैसे विषाक्त तत्त्व मिलते जाने पर मन फट गये और कभी एकता की स्थिति उलट कर उपेक्षा और विद्वेष में परिणत हो गई।

सच तो यह है कि विवाह उन्हें ही करना चाहिए, जिनमें इस स्तर का आत्मविश्वास विकसित हो गया हो कि जैसे भी साथी से पाला पड़ेगा, उसे गला-धुला कर अपने ढाँचे में ढाल लिया जायेगा। अपने रंग में रँग लिया जायेगा। इस प्रयास में कठोरता और अहंकार की नीति सफल नहीं होती। उदारता, विश्वास और आत्मीयता की सघन संवेदनाएँ ही पत्थर को पानी बना देने में सफल होती हैं। जिनमें दीर्घकालीन अभ्यास से ऐसी विशेषता अपने में पैदा करली हो, वे खुशी-खुशी विवाह

कर सकते हैं। इसकी तैयारी में यदि देर तक प्रतीक्षा करनी पड़े तो ठहरना चाहिए, भले ही उस तैयारी में बाल सफेद ही क्यों न हो जायें।

जब तक दूसरे की सहायता से—कृपा, अनुकम्पा से मनोरथ सिद्ध करने की बात मन में रहेगी, तब तक परावलम्बन की स्थिति बनी रहेगी और पराधीन पर-मुखापेक्षी जिस तरह आशा-निराशा के झूले में झूलते रहते हैं, वैसी ही दुर्दशा अपनी भी होती रहेगी। अनुकूलता दिखाई गई तो सन्तोष, प्रतिकूलता बरती गई तो रोष क्रन्दन। भला यह भी कोई बात रही। स्वावलम्बन से कम में किसी को चैन नहीं। स्वाधीनता बिना किसी की गति नहीं। विवाह भी सृष्टि के अन्य प्रयोजनों की तरह एक छोट-सा अनुबन्ध है, जिसमें महत्ता हर व्यक्ति की अपनी ही रहती है। अपने भाग्य और भविष्य का निर्माण हर किसी को अपने हाथ ही करना पड़ा है। परिस्थितियों की प्रतिक्रिया मनःस्थिति के अनुरूप होती है। विवाह को सफल बनाने में साथी जितना योगदान देता है, उससे असंख्य गुनी भूमिका अपनी होती है। विवाह करना हो तो साथी से अनुकम्पा एवं अनुकूलता की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, वरन् यह मानकर चलना चाहिए कि किसी अनाथ, असहाय को सनाथ, समर्थ बनाना है और इसके लिए उदारतापूर्वक अनुदान देते रहना है। इससे कम में न तो मित्रता निभती है और न साथ रहने का आनन्द मिलता है। साथी के सद्व्यवहार की अपेक्षा प्रतीक्षा करते रहने से तो सन्तोष की आशा धूमिल ही बनती जायेगी। जिस प्रकार अपना मन दूसरे पक्ष की सहायता से सुखी बनना चाहता है। अपने में न तो कुछ दोष दिखाई पड़ता है और न बदलने जैसा कोई स्वभाव दीखता है। हो सकता है, साथी की मनःस्थिति भी वैसी ही हो और वह हम से भी तरह-तरह की आशाएँ, अपेक्षाएँ सँजोये बैठा हो।

अब प्रश्न उठता है कि जब अनुदान की वर्षा कर सकने योग्य क्षमता उत्पन्न करने पर ही विवाह की सफलता निर्भर है और जीवन-रस समर्पण करने पर ही मित्रता निभने का आनन्द मिलता है तो विवाह किया भी जाय या नहीं? इस प्रश्न का दुहरा उत्तर है—जो आत्मनिर्भर नहीं है, वे अन्धे, पंगु का जोड़ मिलाकर किसी तरह अपना काम चलायें और विवाह करके भौतिक-सुविधा का एक अंश प्राप्त करके कामचलाऊ

सन्तोष प्राप्त करें। पर जिनके सामने कोई उच्च आदर्श है, वे तब तक ठहरें जब तक कि उन्हें लक्ष्य की ओर कदम से कदम मिलाकर साथ चलने वाला और सच्चा सहयोग दे सकने की मनःस्थिति और परिस्थिति वाला साथी न मिल जाय।

जिन्हें भौतिक-सुखों के प्रति ही आकर्षण है, वे जहाँ भी थोड़ी उपयुक्तता जैचे, वहाँ बिना बहुत अधिक सोच-विचार किये सम्बन्ध जोड़ सकते हैं। काम-चलाऊ विवाहों में लाभ-हानि बराबर है। लाभ यह है कि वासना के लिए व्यवस्थित मार्ग मिल जाता है और गड़बड़ फैलने का खतरा सीमित हो जाता है। गृह-व्यवस्था में साथ सहयोग मिल जाता है और सुख-दुख की घड़ियों में किसी कदर सहयोग मिलता है। किन्तु यहाँ भी ध्यान यही रखा जाता है कि इतना भी मिलेगा तब—जब अपने को प्रतिकूलता को अनुकूलता में बदलने की कला आती है। अनाथ और असमर्थ होने की स्थिति में तो भिक्षुकों को मिलने वाली यत्किंचित सहायता के बदले अपनी अन्तरात्मा ही बेचनी पड़ती है। अस्तु, काम-चलाऊ विवाहों के बन्धन में बँधने से पूर्व भी इतनी क्षमता तो प्राप्त कर ही लेनी चाहिए, जिसके बल पर साथी को सीधा खड़ा हो सकने में सफलता मिल सके।

सामान्य स्तर के विवाहों में साथी का सहयोग मिलता है, पर बदले में उसका ऋण साथ का साथ ही चुकाते चलना पड़ता है। आत्माओं के मिलन का आदर्श ऊँचा है, वह कहीं-कहीं कभी-कभी ही झलक दिखाते देखा जाता है। आमतौर से आदान-प्रदान की नीति ही कार्यान्वित होती है। पति का सहयोग पत्नी प्रायः तब पाती है—जब शरीर से श्रम और मन से अनुकूलता की कीमत चुकाती है।

पत्नी का सहयोग तब मिलता है—जब उसकी तथा उसके उदर से उत्पन्न हुए बालकों के लिए अपनी भौतिक तथा मानसिक उपलब्धियों का प्रायः समूचा अंश नियोजित किया जाता है। सामान्य कहे जाने वाले व्यावहारिक विवादों में आदान-प्रदान का इतना मूल्य तो चुकाना ही चुकाना पड़ता है। कम मूल्य में अधिक लाभ देने वाली किसी की भाग्य-लाटरी ही छप्पर फाड़कर बरस पड़े और अयोग्य होने की स्थिति में भी दूसरे पक्ष की उदारता से गृहस्थ-जीवन सुखद बन पड़े तो इसे अपवाद चमत्कार ही समझा जाना चाहिए।

सोद्देश्य-विवाह हो अथवा लोक-प्रवाह का गठ-बंधन दोनों ही दशा में दोनों पक्षों को अपना उत्तरदायित्व निभाने और विवाह-सुख की कीमत चुकाने की तैयारी करनी चाहिए। इसमें जितनी कमी रहेगी, उतनी ही इस प्रयोग में असफलता हाथ लगेगी और सुख की आशा को जंजाल जैसी निराशा में परिणत होने की सम्भावना रहेगी।

हर हालत में विवाह आसमान से बरसने वाली सुख-सुविधा का वरदान नहीं, कठोर कर्तव्य का निर्वाह है। उसमें पाने की आशा कम और देने की तैयारी अधिक करके ही चलना चाहिए। जो इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए वस्तुःस्थिति को समझते हुए समुचित तैयारी के साथ इस क्षेत्र में प्रवेश करेंगे, वे ही उसकी सफलता का आनन्द लेंगे। दूसरों को तो मृग-तृष्णा में भटकते हुए पाना कम और खोना अधिक पड़ता है।

विवाह का निर्णय विवेकपूर्वक करें

प्रत्येक मनुष्य का जीवन अनन्त सम्भावनाओं से भरा होने पर भी लोगों की भिन्न-भिन्न प्रकृति के अनुरूप ही उन्हें अपना रास्ता चुनना होता है। सामान्यतः मानवीय प्रकृति में परिवर्तन बहुत कम तथा बहुत कठिनाई से ही हो पाता है। इसलिये जीवन-सम्बन्धी जो विभिन्न व्यवस्थाएँ हैं, उनमें से कोई-सा व्यवस्था-क्रम किसे अनुकूल पड़ेगा; यह सोचकर ही उस सम्बन्ध में निर्णय लेना सही कहा जा सकता है।

विवाह के बारे में भी हमारे प्राचीन साहित्य व समाज में दो भिन्न-भिन्न मान्यताएँ दिखाई पड़ती हैं। उनकी भिन्नता का वास्तविक आधार मानवीय प्रकृति की भिन्नता ही है। यह समझ लेने पर उनमें आपसी विरोध नहीं दिखाई पड़ेगा।

प्राचीन साहित्य में एक ओर तो गृहस्थ-धर्म की गौरव-गरिमा के वर्णन पढ़ने को मिलेंगे, तो दूसरी ओर संन्यासी को सर्वश्रेष्ठ मानने का लगभग निर्विवाद प्रतिपादन भी देखा जा सकता है। इन दोनों मान्यताओं में कोई वास्तविक अन्तर्विरोध नहीं, अपितु पूरकता है।

सामाजिक-जीवन को श्रेष्ठ दिशाएँ दिखाने वाले सूत्र और व्यवस्थाएँ जो समाज-चिन्तक खोजते एवं निरूपित करते हैं, उन्हें उस हेतु मानव-जीवन के स्वरूप का गहराई से शोध करना होता है। उसके प्रत्येक पक्ष पर गम्भीर विचार-विमर्श के लिए

स्वाध्याय एवं अनुभूति के अगन्ध सागर में बार-बार गोते लगाना होता है। तत्वान्वेषण, गहन-साधना और उत्कृष्टता से पूर्ण तादात्म्य की जिनमें स्वाभाविक प्रवृत्ति हो, उनकी गृहस्थ धर्म के कठिन दायित्वों के निर्वाह के लिए समय निकाल पाना बहुत दुष्कर लगता है। अतः उनमें से अधिकांश ने यदि अकेले रहना पसन्द किया तो यह स्वाभाविक ही है। संन्यास-आश्रम जीवन की उस आवश्यकता की पूर्ति के लिये ही बनाया गया था, जो भीड़भाड़, भागदौड़ भरे सामान्य दैनन्दिन जीवन में उपेक्षित ही रही आती है। आश्रम-व्यवस्था के अनुसार तो गृहस्थ एवं वानप्रस्थ आश्रम के बाद भी संन्यास का क्रम रखा गया है। जो विशिष्ट प्रकृति एवं प्रवृत्ति के मनस्वी हैं, उनका आजीवन ब्रह्मचारी, अविवाहित एवं संन्यासी बनकर रहना स्वाभाविक है। अपने उत्कृष्ट प्रयोजन की प्राप्ति के लिये उन्हें जिस ओज, तेज, शौर्य, उल्लास, साहस, स्फूर्ति की आवश्यकता पड़ती है, उनका बना रहना तभी सम्भव है, जब अपनी आन्तरिक शक्तियों का एक भी अंश इधर-उधर खर्च न होने दिया जाये। हनुमान, भीष्म, शंकराचार्य, दयानन्द, विवेकानन्द आदि में ब्रह्मचर्य का तेज ही प्रस्फुटित हुआ था और वे असाधारण कर्तव्य कर सके थे। घर-गृहस्थी का बोझ उठाकर वैसा असामान्य अत्युच्च स्तर बनाये रख पाना और असम्भव प्रतीत होने वाले काम कर पाना सम्भव न हो पाता।

सार्वजनिक सेवा में अत्यन्त व्यस्त या जीवन के विशेष लक्ष्यों में तन्मय लोगों को गृहस्थ होने से बचाना ही उचित है। जो लोग जीवन में श्रेष्ठ प्रयोजनों में ही अपना एक-एक क्षण लगाना चाहते हैं और काम-भावना जिनमें प्रचण्ड नहीं हो पाई है, उसके रूपान्तरण की इच्छा तथा सामर्थ्य जिनमें है, उनका विवाह करना आवश्यक नहीं।

अतः विवाह के पूर्व युवक-युवतियों को भली भाँति विचार कर, निर्णय लेना चाहिए। माता-पिता को भी सन्तान की प्रवृत्ति एवं प्रकृति देख-समझकर ही उस दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए। संतान का स्वस्थ-समर्थ होना उसके लिए विवाह की तैयारी करने का सुनिश्चित संकेत नहीं है। आज की व्यस्तता और विषमता भरी दुनिया में, जिन्हें विशिष्ट लक्ष्यों में खप जाने, डूब जाने, तल्लीन हो जाने की उमंग है, संकल्प है, दृढ़ता है उनका विवाह से दूर रहना अनुचित नहीं है, अपितु

यह नितान्त स्वाभाविक एवं सही निर्णय भी है। उच्चस्तरीय चिंतन-मनन या समाज, राष्ट्र, मानवता के लिये अपने सम्पूर्ण जीवन का समर्पण जैसे श्रेयस ही जिनके लिए प्रिय बन चुके हों, उनके द्वारा विवाह से विरत रहने का निर्णय प्रशंसा और प्रोत्साहन के ही योग्य है। अविवाहित रहना संदेह और निन्दा का कारण तो उस समय बनता है, जब तक असंयम से छीला और मन उद्देश्यहीनता से भटकाने में डूबा हो। जिनके जीवन का उद्देश्य ही स्थिर नहीं हुआ है, जिनमें एक क्षण विवेकानन्द बनने की इच्छा उपजती है तो दूसरे क्षण वाजिदअलीशाह बन जाने का मन करता है और किसी अन्य क्षण में सिनेमा का कलाकार बनना ही सर्वाधिक श्रेयस्कर प्रतीत होने लगता है, उनके अविवाहित रहने पर स्वयं उनकी और समाज की हानि की ही सम्भावना अधिक है। प्रकृति ने इस शरीर को अमोघ शक्ति के अजस्र प्रवाह का संस्थान बनाया है। संशयग्रस्त, आलस्यत्रस्त, प्रमादी व्यक्ति इस शक्ति को न देखने योग्य वस्तुएँ देखने, न सुनने योग्य चर्चाएँ सुनने और करने तथा वैसे ही दृश्यों एवं भावों का मनन करने में नट करता रहता है। कभी-कभार उसके मन में सद्विचार भी जोर मारता रहे, तो इतना भर ही उसके अविवाहित रहे आने का आधार नहीं बनना चाहिए। क्योंकि आज की स्थिति में सद्विचारों का पोषक वातावरण कहीं-कहीं ही मिलेगा जबकि शरीर-नाश, मानसिक विभ्रम और चारित्रिक-स्खलन की उत्तेजना देने वाला वातावरण पग-पग पर प्रस्तुत होता रहेगा।

ऐसे दुर्लभ लोगों को तो अनुकूल एवं योग्य जीवनसाथी का चयन कर विवाह कर ही लेना चाहिए। ऐसे लोग न तो संत हो सकते, न ही विशिष्ट मनस्वी व्यक्तियों की तरह एकाकी जीवन जी पाते। गृहस्थाश्रम की प्रशंसा ऐसे ही सामान्य-स्तर के, बीच में झूलते रहने वाले लोगों के आत्मविकास की उपयुक्त व्यवस्था जुटाने वाले जीवनक्रम के रूप में की गई है और यह उचित ही है। इसका यह अर्थ नहीं कि ऐसों को निरंकुश काम-उपभोग की छूट देने की सुविधा के लिये गृहस्थ-आश्रम रचा गया है। वस्तुस्थिति इससे विपरीत है। कामुकता की पशु-प्रवृत्ति ही प्रधान उद्देश्य बन जाने पर तो गृहस्थ-जीवन भी चकनाचूर हो जाता है। वह भार बनकर रह जाता है। कामेच्छा के प्रचण्ड आवेग को प्रारम्भ में यदा-कदा शामिल कर सकने और इस प्रकार उसे नियंत्रित एवं सीमाबद्ध कर

सकने की दृष्टि वहाँ भी प्रधान रहती है, तभी गृहस्थाश्रम धन्य बनता है। इन्द्रिय-संयम, वासना-विजय में सहायक हो सकना ही विवाह की सार्थकता है। किन्तु प्रारम्भ में उसकी उत्कृष्टता अदम्य हो सकती है। उससे उत्पन्न आवेश भटकन की धारा में ले जाकर पटक सकता है। कुचली हुई वासनाएँ सुप्त मन के किसी कोने में आहत सर्पिणी-सी पड़ी रहकर, मौका पाते ही तेज गति से प्रहर कर सकती हैं या वहीं विष-धमन करती हुई गम्भीर शारीरिक-मानसिक रोगों को जन्म दे सकती हैं। वैसी भयानक स्थिति न आये वह मानसिक उद्वेग अनुभव और अभिव्यक्ति के अवसर पाकर धुल-बह जाये, इसीलिये उचित आयु हो जाने पर विवाह की आवश्यकता प्रतिपादित की गई।

आत्मविकास, आध्यात्मिक उन्नति उस स्थिति में भी मूल उद्देश्य है। उनका सम्बन्ध मात्र संन्यास-आश्रम से नहीं। दो परस्पर पूरक सत्ताएँ मिलकर, एक-दूसरे की मदद करती हुई, उस दिशा में पहले से अधिक सुगमता से आगे बढ़ सकती हैं। उच्चस्तरीय सदगुणों की साधना का अभ्यास अपने परिवार में करते हुए व्यक्ति बहुत आगे बढ़ सकता है। इसी सार्थकता के कारण गृहस्थाश्रम प्रशंसा का पात्र रहा है।

आजीवन सहचर बनकर, घनिष्ट मित्र के रूप में जीवन-यात्रा में निरन्तर साथ देते हुए आगे बढ़ने के लिये अनुकूल गुण-कर्म-स्वभाव वाले युवक-युवती का शारीरिक एवं आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होने पर विवाह करना एक पुण्य प्रयोजन हो सकता है। उस हेतु आवश्यक तैयारी, छानबीन एवं क्रियाशीलता उन्नित एवं आवश्यक ही है।

परन्तु विवाह को हर स्थिति में अनिवार्य मान बैठना भारी भूल है। असहायों-अपंगों, असमर्थों-अपरिपक्वों और अयोग्य लोगों द्वारा विवाह करना तो एक सामाजिक अपराध एवं स्वयं को नारकीय आग में झोंक देने वाला कार्य ही है, सुयोग्य-समर्थ लोगों के लिये भी विवाह की अनिवार्यता नहीं समझी जानी चाहिए।

समझदार लोग विवाह के बाद के भी परिणामों का उचित विचार कर अपनी स्थिति के अनुरूप ही निर्णय लेते हैं। डॉ० राममनोहर लोहिया नर-नारी समता के प्रखर पक्षधर थे। नारी के प्रति उनके मन में सदा ही ऊँचा भाव रहा। राग, संवेदना और सामाजिक जीवन के विविध पक्षों के अनुभव की इच्छा भी उनमें दूसरों से कम नहीं अधिक ही थी। नारी

को वे प्रगति में बाधा नहीं मानते थे। तो भी उन्होंने विवाह नहीं किया क्योंकि वे जानते थे और कहते थे कि मेरे पास इतनी फुरसत नहीं, जो मैं उस जिम्मेदारी को निभा सकूँ।

स्वतन्त्रता-आन्दोलन के एक सक्रिय सेनानी और अपने समय के अत्यन्त सम्पन्न तथा सम्माननीय व्यक्ति श्री जमनालाल बजाज ने अपनी बेटी से उनका विवाह करना चाहा। वह लड़की उसी वातावरण में पली थी, जो लोहिया के राष्ट्रभक्त मन के अनुकूल था। इस प्रकार गुण-कर्म-स्वभाव की अनुकूलता होने पर भी, उन्होंने अपने जीवन-लक्ष्य को देखते हुए विवाह नहीं किया।

विवाह के बाद का सिर्फ सुनहला रूप ही सोचकर निर्णय नहीं लेना चाहिए। उससे मिलने वाले सुखों का विचार और कल्पनाएँ ही पर्याप्त नहीं, दूसरा पहलू भी दिमाग में रखा जाना चाहिए। हर परिणाम हमारे वश में नहीं होता और न ही सदा वैसा सहयोग-सद्भाव ही प्राप्त हो पाता, जैसे कि कल्पना की जाती है। विवाह में सिर्फ अनुदान ही नहीं प्राप्त होता, प्रतिदान भी देना होता है। उसकी कीमत आँक कर, हर पक्ष पर विचार करने के बाद ही फैसला करना समझदारी है। शरीर से अनाकर्षक जार्ज बर्नाड शॉ से जब एक प्रख्यात सिने-सुन्दरी ने विवाह का प्रस्ताव करते हुए उसके बाद अपने जैसी सुन्दर और शॉ जैसी बुद्धिमान सन्तान की सम्भावना व्यक्त की, तब कुशाग्रबुद्धि शॉ का ध्यान तत्काल ही दूसरी सम्भावना की ओर दौड़ गया और वे मुस्कराकर बोले—
“मझेदया, यदि परिणाम इससे उल्टा रहा तो ?”

विवाह को लेकर मीठे-मधुर सपने सँजोने वालों की बुद्धि शॉ की तरह तीव्र न हो, तो भी उन्हें ठहर कर, शान्त चित्त से तस्वीर के दूसरे पहलू की भी कल्पना अवश्य कर लेना चाहिए। अपनी सभी सम्भावित भूमिकाओं की तैयारी होने पर ही, इस दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए।

विवाह और उसका दृष्टिकोण

हमने आज जीवन की आध्यात्मिकता खो दी है। अब आत्मोत्सर्ग एवं आत्म-परिष्कार की जगह हममें भोग और स्वाद-भौज और शौक की प्रवृत्तियाँ बढ़ रही हैं। विवाह के समय युवकों और युवतियों, दोनों के मन उन स्वप्निल आकांक्षाओं से भरे होते हैं जो यों देखने में और कल्पना में

तो बड़ी लुभावनी लगती हैं, पर जिनके अन्दर भावी दुःख के डंक छिपे होते हैं। जब दुःख की घड़ियाँ आती हैं तब आश्चर्य सा लगता है कि क्या हो गया, वह स्वर्ग कैसे नष्ट हो गया ?

इस दुःख और दुःखप्रद स्थिति का कारण यह होता है कि पति और पत्नी दोनों अलग-अलग अपने सुख और अपनी आकांक्षाओं एवं स्वप्नों का संसार लिये फिरते हैं और उसकी पूर्ति के लिये एक-दूसरे से बहुत ज्यादा पाने की इच्छा और आशा कर लेते हैं। अधिकार और भोग की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है और संयुक्त जीवन का दृष्टिकोण नष्ट होता जाता है। फलतः दोनों अतृप्त और असन्तुष्ट, प्यासे से छटपटाते रहते हैं।

जिनको विवाहित जीवन में प्रवेश करना है और सुखप्रद विवाहित जीवन बिताने की जिनकी इच्छा है उनको विवाह के पूर्व इस प्रश्न पर भली-भाँति विचार कर लेने की आवश्यकता है। यदि विवाह को एक नाटक, एक मनोविनोद, राग-रंग का एक साधन समझते हों तो वे भूल कर रहे हैं और अच्छा हो वे विवाह न करें। जहाँ राग-रंग का भाव है, वहाँ स्वभावतः मनुष्य बहुत नीची नैतिक सतह पर होता है; वहाँ उसमें अधिकार की, अपने सुख की, भोग एवं शोषण की भावनाएँ प्रधान रहती हैं और वह दूसरे के दृष्टिकोण, दूसरे की आकांक्षाओं और सुख-दुःख के प्रति उदार नहीं हो सकता। जहाँ आत्म-सुख और भोग की प्रवृत्तियों की प्रबलता है वहाँ आत्म-निमज्जन सम्भव ही नहीं है और बिना आत्म-निमज्जन के प्राण को आनन्द से पूर्ण करने वाली और जीवन का प्रत्येक अँधेरा कोना प्रकाशित कर देने वाली अनुभूति हो नहीं सकती।

विवाहार्थी को अपने आसमान पर उड़ते हुए मन को जमीन पर उतार लेने की आवश्यकता है और यह कि उसे पूर्ण स्वस्थ चित्त से इस प्रश्न पर सोचना चाहिये। उसे अपने सामने विवाहित जीवन का वह चित्र रखना चाहिये जिसमें उसे कर्तव्य और कल्याण का एक लम्बा और संयुक्त जीवन आरम्भ करना है, जिसमें उसे सुखी एवं तृप्त जीवन के लिये कदम-कदम पर अपने पर लगाम रखना होगा, जहाँ समझौता और सामञ्जस्य के बिना काम नहीं चलता उसे अपने सामने विवाह का यह बहु-प्रचलित और लोकप्रिय, पर झूठा और दगा देने वाला चित्र नहीं रखना चाहिये। जहाँ नारी हमारे स्वप्नों को पूर्ण करती जायेगी और जहाँ जीवन हास्य, विलास और उल्लास

से पूर्ण होगा; जहाँ यौवन की शोखियाँ और शरारतें सदा जीवन को मृदुल एवं रसपूर्ण करती रहेंगी। अक्सर यह स्वप्न ही हमारे दुःखों का कारण होता है क्योंकि वह ज्यादा देर तक इस संघर्ष से पूर्ण जीवन की गरमी में ठहर नहीं सकता। संसार में, समाज में, कुटुम्ब में हम अनेक बन्धनों एवं मर्यादाओं से बँधे हैं और हमारी शक्तियाँ सीमित हैं, इसलिये नारी कामधेनु की तरह सदा सब कुछ देती रहकर भी नित्य नवीन और युवा बनी रहे, यह सम्भव नहीं है।

विवाहार्थी युवक के लिये एक ओर तो यह आवश्यक है कि वह अपने शरीर को पूर्णतः नीरोग एवं मन को स्वस्थ रखे और दूसरी ओर उस स्त्री से, जिसके साथ विवाह बन्धन में बँधने जा रहा है, बहुत अधिक आशाएँ न कर ले। वह समझे कि वह जो उसके साथ जुड़ने आ रही है मनुष्य ही है और उसकी ही भाँति उसमें भी आशाएँ, आकांक्षाएँ, दुर्बलताएँ और अपूर्णताएँ होंगी। युवक को इन सबके साथ उसे ग्रहण कर लेना है और यह कि जहाँ वह अन्धा न होगा तहाँ वह अपना जीवन-संगिनी के दोषों को देखने पर जोर भी न देगा और यह भी कि उसे निभा लेने की सहिष्णुता अपने में पैदा करेगा। विवाहित जीवन की सफलता के लिये सबसे जरूरी शर्त यह है कि पति और पत्नी वादी-प्रतिवादी के रूप में अपने को अनुभव न करे वरन् यह सोचकर चले कि हमें एक-दूसरे को अपना लेना है और एक-दूसरे के हाथ में अपने को दे देना है तथा एक-दूसरे को उठाते हुए, जीवन-यात्रा में एक-दूसरे का बोझ हल्का करते, एक दूसरे को उन्नत और कल्याण-मार्ग पर अग्रसर करते चलना है। यह भी कि यहाँ से एक नवीन मार्ग चुनना है।

विवाह करने के पूर्व प्रत्येक युवक को भली-भाँति इस प्रश्न पर विचार कर लेना चाहिए। यह समझ लेना चाहिये कि स्त्री भी मनुष्य है। उसकी कार्य-शक्ति और सहन-शक्ति की भी सीमा है। तुम चाहते हो कि तुम्हारी स्त्री तुम्हारी मित्र हो, तुम्हारी पत्नी हो, तुम्हारे बच्चों की योग्य माता भी हो तुम्हारे घर को भी साफ-सुथरा और व्यवस्थित रखे। जब उसके सिर में भयंकर पीड़ा हो रही हो तब भी तुमसे हँसकर बोले तुमसे मीठी, दिल गुदगुदाने वाली विनोद की बातें करे, तुम्हारे किसी क्रम में अन्तर न पड़ने दे। तुम यदि चाहते हो कि जब तुम दिन भर की थकावट के बाद, उसे मिटाने के लिये

सिनेमा जाओ, क्लब जाओ या मित्रों से मिलने निकलो अथवा सैर-सपाटे करो तब वह गृह के एकान्त में बैठी अपने बच्चों को सम्भालती रहे, तुम्हारे लिये भोजन तैयार करती रहे और गृहस्थी के अन्य हजारों झंझटों में सिर खपाती रहे और इसके लिये न सिर्फ जुबान पर बल्कि दिल से भी किसी तरह की खीझ न आने दे तो तुम वह चाहते हो जो एक औसत प्राणी से सम्भव नहीं है। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारी बीबी बच्चों को पढ़ाये, जंरा गाना-बजाना भी सीख ले; सिलाई-कटाई और कसीदे के नये-नये तर्ज सीखती रहे; तुम्हारे मित्रों की पलियों में से किसी से पीछे न रहे, यदि तुम चाहते हो कि इन कामों को करते हुए वह भोजन भी बनाये, बर्तन भी साफ करे, चाय और नाश्ता भी तैयार कर दे, घर को कलापूर्ण ढंग से सजाये तो यह तुम एक आदमी से किसी देव या भूत का काम चाहते हो।

कहने का यह आशय नहीं कि कोई स्त्री इतनी माँगें पूरी कर ही नहीं सकती पर वह एक असाधारण स्त्री होगी। साधारणतः न पुरुष, न स्त्री इतने काम अकेले सम्भाल सकती है। जब तुम्हारा मन घर के बाहर जाकर जरा स्वच्छ हवा खाने को छटपटा रहा है; जब तुम्हें दिन भर की थकावट दूर करने के लिये मित्रों के सत्संग या विनोद की आवश्यकता है तब तुम्हारे लिये यह सोचना कठिन क्यों होना चाहिये कि तुम्हारी स्त्री को विनोद, विश्राम और स्फूर्ति की तुमसे कुछ कम आवश्यकता नहीं है।

असल बात यह है कि आज के दाम्पत्य-जीवन में प्रत्येक पति के लिये निरन्तर आत्म-निरीक्षण की आवश्यकता बहुत बढ़ गई है। प्रतिदिन यह सोचने की आवश्यकता है कि मुझसे अपनी पत्नी के प्रति कोई दुर्व्यवहार तो नहीं हुआ है, कोई अन्याय तो नहीं हो रहा है? मैं उससे जो कुछ चाहता हूँ, वह और उतना दे सकने की क्षमता उसमें है और यदि नहीं है तो उस क्षमता को बढ़ाने के लिये मैंने क्या किया है अथवा क्या करना चाहिए? मैं उसके प्रति अपने-कर्तव्य पालन में कहाँ तक ईमानदार हूँ?

सुखी दाम्पत्य जीवन के लिये यह बात बहुत जरूरी है कि प्रत्येक पुरुष, प्रत्येक विवहित युवक अपने दिल को परखना सीखे, अपने को देखना सीखे। मैं यह नहीं कहता कि वह पत्नी के सम्बन्ध में, उसके दोषों के सम्बन्ध में आँख मूँद कर

चले—यद्यपि ऐसा करके भी वह उससे अधिक घाटे में न रहेगा जितना नित्य के दोष-दर्शन और छिद्रान्वेषण से रहता है। जो कुछ मैं कहता हूँ वह यही है कि पत्नी में समाकर पत्नी को देखो, उसी वृत्ति और उदाहरण से उसे देखो जिससे अपनी कठिनाइयों, अपनी दुर्बलताओं और अपने दोषों का विचार करते हो। अपने प्रत्येक व्यवहार में उसे निर्भय होने का, पनपने का मौका दो। उसे वाणी से नहीं, हृदय से स्पर्श करो, उसे अपराधी समझकर उस पर जज बनने का लोभ त्याग दो और निरन्तर आत्म-निरीक्षण करते हुए भी स्पष्ट हो जाने दो कि तुम न केवल अपने सुख के लिये वरन् उसके सुख के लिये भी उससे क्या चाहते हो?

एक दृष्टिकोण यह भी

विवाह एक आम बात है। युवक-युवती उसके पीछे किसी काल्पनिक रस की आकांक्षाएँ सँजोये रहते हैं। यह कल्पनाएँ प्रचलित कामुकता के प्रवाह में और भी अधिक रंगीली हो जाती हैं। प्रतीत यह होने लगता है कि युवती को देवता मिला और युवक को अप्सरा। दोनों की समीपता होते ही अमृत बरसेगा और आनन्द से सराबोर हो जायेंगे।

यह कल्पना शत-प्रतिशत की होती है पर उसकी पूर्ति कठिनाई से ही एक प्रतिशत हो पाती है। कारण कि नये चेहरे देखने और उन पर अलौकिक सुन्दरता का आरोपण करने पर सुहावने बहुत लगते हैं। आरम्भिक दिनों में दोनों पक्षों के स्वभाव का मृदुल अंश ही उभर कर आता है। आम निचोड़ने पर पहले घूँट में मीठा रस ही मुँह में जाता है। इसके बाद उसका भीतरी भाग प्रकट होने लगता है। गुठली आमतौर से खट्टी होती है।

हर मनुष्य देवता नहीं होता। आदमी, आदमी ही रहता है। उसमें गुणों की तुलना में दोष अधिक होते हैं पर जैसे-जैसे परिचय घनिष्ट होता जाता है वैसे ही वैसे वस्तुस्थिति खुलती जाती है। इतना ही नहीं एक दूसरा प्रकरण भी खुलता है। हर कोई दूसरे से अधिक प्राप्त करना चाहता है और देना कम से कम। यह प्रवृत्ति दोनों ओर काम करती है और रसाकसी आरम्भ हो जाती है। उदासी और ऊब आती है। मनोमालिन्य बढ़ता है और उपेक्षा का सिलसिला चल पड़ता है। संकोच का आवरण हटने लगे तो दोषारोपण का भी आदान-प्रदान

१.३० विवाहोन्मत्तः सम्पत्त्या और सम्पन्न

होने लगता है। उत्तर प्रत्युत्तरों में प्रायः कटुता बढ़ती जाती है।

विवाह के बाद कामुकता को अविच्छिन्न रूप से जोड़ लिया गया है। वे आरम्भ के ही दिन होते हैं जिनमें दूसरे का अनुचित आग्रह भी मुँह बन्द कर सह लिया जाता है। पर पीछे जो एक की क्षमता से बाहर होता है और दूसरा उसके लिए दबाव डालता है तो यह कारण भी कलह का बनता है। संयम का महत्व न समझने वाले कितने ही मूर्ख स्वयं खोखले बनते हैं और साथ ही कई प्रकार के लोगों से आक्रान्त करके उस उभरते स्वास्थ्य को कुचल-मसल कर फेंक देते हैं। इस अत्याचार को सदा अनदेखा नहीं किया जाता रहता वरना दबा हुआ दोष उभरता है। कुछ दिन पूर्व के देवता और अप्सरा, दैत्य और चुड़ैल बन जाते हैं। वासना तब तक रहती है जब तक उसमें दोनों को समान रस मिले। आमतौर से स्त्रियाँ क्षीणकाय होती हैं। पुरुष आतंक का परिचय देते हैं। यदि कहीं दूसरी जगह भी आँख चलने लगी तो वह शेष रहे बचे उत्साह को भी समाप्त कर देता है। ऐसी दशा में भी कुछ होता है तो उसे बलात्कार से अधिक और क्या कहा जा सकता है।

समय ने कुछ ऐसी करवट ली है कि पति-पत्नी के संयोग के उपरान्त एक-वर्ष के भीतर बच्चा गोदी में आ जाता है। नौ-दस महीने तक भ्रूण माता की आधी जीवनी-शक्ति खाता रहता है। इसके बाद हर दूसरे वर्ष एक नया बच्चा और आने लगता है। इससे माता के ऊपर उसकी साज-सँभाल और पिता के ऊपर सुविधा, योग्यता विषयक आर्थिक जिम्मेदारी बढ़ती है। उसकी पूर्ति में समूचा समय, श्रम, मन और धन खप जाता है। साथ में पिछले परिवार के अनेक सदस्य भी तो होते हैं। इन सब की व्यवस्था और सुविधा के लिए इतना चिन्तित और व्यस्त रहना पड़ता है कि दाम्पत्य जीवन सम्बन्धी रंगीली कल्पनाओं के लिए व्यावहारिक जीवन में नहीं के बराबर ही स्थान बच पाता है। योग्यता बढ़ाने, सेवा कार्य करने आदि की महत्वाकांक्षाओं की एक प्रकार से इतिश्री हो जाती है। कोल्हू के बैल की तरह उठने से लेकर सोने तक इसी गोरख-धंधे में पिसना और पीसना पड़ता है।

अनुमान था कि पति-पत्नी मिलकर एक-दूसरे की प्रगति में सहायता करेंगे। एक-दूसरे का सुख बढ़ावेंगे संयुक्त शक्ति

के बल पर परिवार को शान्तिनिकेतन और समाज को समुन्नत बनाने में सफल होंगे। पर उस दिशा में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ता। कल्पनाएँ, कल्पनाएँ बनकर रह गईं। अधिकारों की लड़ाई छिड़ती है, कर्तव्यों के सम्बन्ध में कुछ बन पड़ना तो दूर, सोच सकना तक सम्भव नहीं होता। मिल-जुलकर जो पूर्व प्रस्तुत परिवार था उसी को समुन्नत बनाने पर ध्यान देना था पर वह होता कैसे? हर साल नये बालक उत्पन्न करने की विडम्बना इतनी बढ़ती चली गई कि उसी पर सारा ध्यान केन्द्रित हो गया। न पारिवारिक कर्तव्यों का ध्यान रहा और न देश, धर्म, समाज, संस्कृति के लिए आत्मिक प्रगति, लोक मंगल के लिए कुछ कर सकने का अवसर मिला।

जन-साधारण को इसी कुचक्र में पिसते देख कर समझदारों को यही अनुभव व्यक्त करते सुना गया कि विवाह एक घूँहेदानी है जिसमें काम-क्रीड़ा के लटकते टुकड़े के लिए ललचाकर घुस पड़ने की बेतहाशा उतावली होती है। एक बार जहाँ जाल में फँसे वहाँ फिर निकलने की सम्भावना तभी होती है जब परिवार स्वावलम्बी और सुसंस्कारी बन जाय अन्यथा उनके अनाथ अनगढ़ रहने की स्थिति में मरते दिन तक यही बेचैनी रहती है कि हमारे मरने के बाद इनका क्या होगा?

जिन्हें मछली, चिड़िया, कबूतर की तरह जाल में फँसते हुए कोई ऐतराज नहीं होता उनकी बात दूसरी है अन्यथा दूरदर्शी विवेकवान पृथक दृष्टि से विचार करते हैं और कामुकता की तुलना में जीवन सम्पदा का कोई उच्च उपयोग सोचते हैं। जार्ज बर्नाडशाँ, राममनोहर लोहिया जैसों ने अपनी जीवन सम्पदा को विवाह जंजाल में नहीं फँसने दिया। जो उस ओर कदम बढ़ा चुके उन्होंने रामकृष्ण परमहंस, अत्रि, याज्ञवल्क्य, भट्टाचार्य आदि की तरह पत्नी को कामिनी नहीं सहचरी बनाया। दोनों ने संयुक्त शक्ति को ऐसे प्रयोजनों में खर्च किया जिसका लाभ समूचे समाज ने उठाया। सरदार बल्लभ भाई पटेल की पुत्री मनुवेन ने अपने पिता को सिर पर लदे देश सेवा के महान कार्य में अत्यधिक व्यस्त देखा तो उसने निश्चय किया कि पराई दावेदारी बजाने की अपेक्षा पिता के महत्त्वपूर्ण कार्यों में जुट जाना लाख गुना महत्त्वपूर्ण है। यह कार्य पति के साथ भी किया जा सकता है पर यह तभी हो सकता है

जब विवाह के साथ प्रजनन को न जोड़ा जाय । आचार्य कृपलानी, जय प्रकाश नारायण आदि ने विवाह के दिन ही निश्चय कर लिया था कि वे 'संतानोत्पादन के जाल में न फँस कर दो मित्रों या भाइयों की तरह उद्देश्यों के निमित्त अपनी शक्तियों को नियोजित करेंगे ।

कई ऐसे युवक रहे हैं जिन्होंने विवाह नहीं किया और अपनी आमदनी से पूरे परिवार के भाई-भतीजों को सुयोग्य बनाया । बड़े-बूढ़ों की सेवा सहायता में अपना धन और समय लगाया । कई युवतियाँ ऐसी हैं जिन्होंने दहेज की चक्की में पिसने से पूरे परिवार को बचाने के लिए विवाह से स्पष्ट इन्कार कर दिया । उच्च शिक्षा के बाद नौकरी की और अपने छोटे भाई-बहनों की संरक्षिका बनकर उनका भविष्य बनाने में अपना मन लगाया । यह तभी हो सका जब उसने कड़क कर विवाह करने से स्पष्ट शब्दों में इन्कार कर दिया और ऐसा जीवन जिया जिस पर किसी ओर से उँगली न उठे ।

विवाह भूसी का लड्डू है जो देखने में अच्छा और सस्ता लगता है पर खाने पर उससे कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता । जो खाता है सो पछताता है और जो नहीं खाता वह भी पछताता है । विवाह की धूमधाम, शहनाई, रंग-बिरंगे कपड़े, जेवर, दहेज आदि के आकर्षण और नर्तकों जैसे विलास-परिहास के रंगीले सपने लगते तो अच्छे हैं पर पीछे जब उसकी उपयोगिता का गम्भीरतापूर्वक निष्कर्ष निकालने का अवसर आता है तो यही दृष्टिगोचर होता है कि हीरे जैसी जिन्दगी कूड़े-कचरे में डाली और बर्बाद कर दी गई । समर्थ गुरु रामदास, सहजोबाई, दयानन्द, विवेकानन्द आदि ने अपनों का विवाह अनुग्रह इसीलिए टुकराया था कि वे हीरे जैसे मूल्यवान जीवन को कामुकता के काँच के कचरे में गिरा कर सदा-सदा के लिए पश्चाताप करते रहने की भूल में पड़ना नहीं चाहते थे ।

विवाह समझ-सोचकर ही करें

विवाह एक पवित्र उत्तरदायित्व है । गृहस्थ जीवन में सुविधाओं की अपेक्षा कर्तव्यों की कठिनता ही अधिक रहती है । जो उन कठिनाइयों पर विचार किए बिना विवाह का उत्तरदायित्व अपने कर्णों पर ले लेता है वह अदूरदर्शिता करता है, जिसका परिणाम क्लेश, कलह, असन्तोष तथा अशान्ति के रूप में ही प्रकट होता है ।

क्या मेरी आयु एवं स्वास्थ्य उस उत्तरदायित्व के अनुकूल है ? मेरी वर्तमान आयु उसका भार उठाने में अपर्याप्त तो सिद्ध नहीं होगी ? अपने साथ, किसी लड़की की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमारे पास साधनों की तो कमी नहीं है ? क्या हमारे पास वह बलबूता है, वह परिश्रमशीलता और योग्यता मौजूद है जिसके बल पर हम अभाव को अपने घर में धँसने न देंगे ? क्या छोटी-छोटी बातों की उपेक्षा और कलह अथवा अशान्ति के अवसरों को टाल जाने योग्य सहिष्णुता वर्तमान है ? क्या हमने अपना दृष्टिकोण इतना विकसित कर लिया है जिससे अपने तथा पत्नी के अधिकारों के बीच सन्तुलन कायम रख सकें ? हममें कोई ऐसी दुर्बलता अथवा व्यसन तो नहीं है, जो हमारे तथा हमारी पत्नी के बीच स्निग्ध सम्बन्धों में व्याघात उत्पन्न करे ? क्या हमने अपने आचरण तथा चरित्र में पत्नीव्रत के योग्य दृढ़ता एवं विश्वास उत्पन्न कर लिया है ? कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे इस मस्तिष्क में वह अहंकार निवास कर रहा है जो पुरुष एवं नारी, पति तथा पत्नी के बीच विषम भाव को प्रोत्साहित करता है और अपने लिये अग्रस्थ स्थान रखने और पत्नी को पीछे ढकेले रहने की प्रेरणा देता है ? क्या हममें उस उदारता की कमी तो नहीं जिसके आधार पर पत्नी को दासी, सेविका, सहायिका, सहघर्मिणी, गृह-स्वामिनी तथा गृहलक्ष्मी मानकर आदर देने में सुख अनुभव होता ? हमारा स्वभाव नीरस, कर्कश, कटु अथवा स्वार्थी तो नहीं है ? इस दाम्पत्य जीवन के लिये अपेक्षित स्नेह, सौहार्द्र, माधुर्य एवं सरसता की आवश्यक मात्रा भी है अथवा हम मरुस्थल की तरह नीरस एवं शुष्क ही हैं—आदि ऐसे प्रश्न हैं, जिन पर विवाह से पूर्व खूब गहराई से विचार कर ही लेना चाहिये । इन पर विचार किये बिना केवल सुख की सम्भावना से दाम्पत्य-जीवन में सहसा बँध जाना अदूर-दर्शिता ही है ऐसे ही साहसिक तथा अदूरदर्शी व्यक्तियों का दाम्पत्य-जीवन प्रायः असफल ही रहता है । असफल गृहस्थ से जिन शोक-सन्तापों तथा कलह-क्लेशों का जन्म होता है उनकी अशान्ति तथा उनका पश्चाताप आजीवन नारकीय यातना से पीड़ित रखता है ।

इन प्रश्नों पर विचार कर लेने, अपनी स्थिति तथा परिस्थिति को देख समझ लेने और जो कमियाँ हैं उन्हें पूरी कर लेने के बाद ही विवाह बंधन में बँधना दूरदर्शिता है । ऐसे दूरदर्शी व्यक्तियों का ही विवाहित जीवन सफल तथा

सुखमय बना करता है और ऐसे ही बुद्धिमान सफल तथा शान्त गृहस्थ, परिवार तथा घर पृथ्वी पर स्वर्ग का निदर्शन उपस्थित किया करते हैं। विवाह करना है, करना चाहिये किन्तु अपेक्षित दूरदर्शिता के साथ।

सन्तान की आवश्यकता है, उसे होना भी चाहिए। उससे वंश चलेगा, बुढ़ापे में सुख मिलेगा और 'पुर' नामक नरक से त्राण होगा। समाज में सन्तान वाले कहे जायेंगे। स्वयं का पुंसत्व तथा पत्नी का उर्वरत्व प्रमाणित होगा। घर में चलह-पहल रहेगी, पास-पड़ोस में दबाव रहेगा। इस आधार पर सन्तान की कामना एवं उसकी पूर्ति करते रहना अभिमानजन्य बड़ी ही स्थूल अदूरदर्शिता है। इन थोथी कल्पनाओं से प्रेरित होकर जो व्यक्ति सन्तान पर सन्तान उत्पन्न किये जाते हैं वे न केवल अपने लिये ही बल्कि समाज के लिये भी संकट की सम्भावना बढ़ाते चले जाते हैं।

सन्तान दाम्पत्य-जीवन का फल अवश्य माना गया है। पर साथ ही यह सुफल भी हो सकता है और कुफल भी। निश्चय ही जो अदूरदर्शी दृष्टिकोण से ग्रस्त इन फलों को बढ़ाते ही चले जाते हैं, उन्हें विश्वास रखना चाहिये कि कदाचित् ही उनके यह फल मीठे तथा मधुर होंगे और उनका कटु स्वाद चखने के लिये तैयार रहना चाहिये।

लड़के-लड़कियाँ पैदा हो जाने से ही कोई सन्तानवान नहीं हो जाता। जिन वृक्षों के फल उपयोगी, सुन्दर तथा स्वास्थ्यदायक नहीं होते वे फलोत्पादक होने पर भी फलवान नहीं माने जाते, सन्तानवान होने का गौरव पाने के लिये सत्सन्तानों का होना आवश्यक है। स्थिति से अधिक सन्तानों का जमघट लगा लेने से, घर में भौड़ इकट्ठी कर लेने से यदि कोई सन्तान का सुख चाहता है तो वह गधे के सिर पर सींग खोजने जैसी बात करता है। सन्तानों का उत्पादन खूब सोच-समझकर ही करना चाहिये। दूरदर्शी व्यक्ति अनेक अयोग्य सन्तानों की अपेक्षा एक योग्य सन्तान में ही अपने को अहोभाग्य मानता है। अधिक सन्तानें उत्पन्न करते रहने के पश्चात् परिणाम जो सामने आते हैं, फिर उनसे निपटते नहीं बनता और आधे से अधिक जीवन घोर अशान्ति, असन्तोष, कुढ़न तथा कुण्ठा में बिताना पड़ता है। अदूरदर्शी असन्तानोत्पादकों का बुढ़ापा तो असहनीय स्थिति में जल-जलकर नष्ट होता है। जिस अन्तिम आयु में सुख-शान्ति की

सबसे अधिक आवश्यकता होती है वही सबसे अधिक शोक-सन्तापों में बीतती है।

सन्तानों की परम्परा लगा देने से पूर्व इस बात पर गम्भीरतापूर्वक विचार कर लेना दूरदर्शिता है कि हमारी स्थिति एवं हमारा तथा विशेषतौर पर पत्नी का स्वास्थ्य कितनी सन्तानों के पालने, पढ़ाने तथा सुयोग्य बनाने के योग्य है? क्या जिन सन्तानों को हम उत्पन्न करने की सोच रहे हैं उन्हें सुसंस्कारी, सुशील तथा सम्यक् बनाने के लिये हम लोगों ने अपनी आन्तरिक तथा बाह्य व्यवस्था को ठीक कर दिया है? क्या हमारे पास इतना व्यवसाय एवं व्यापार है अथवा भविष्य में हो सकता है जिसके आधार पर अपनी आगामी सन्तानों को काम-धन्धे से लगाकर आचारा होने से बचा लेंगे? यदि इन प्रश्नों का उत्तर आपके पास स्वीकारात्मक नहीं है तो निश्चय ही आप प्रजनन बढ़ाकर अदूरदर्शिता की गलती कर रहे हैं।

निरुद्देश्य एवं निरर्थक सन्तानें पैदा करने वाली पत्नी का स्वास्थ्य तो स्वाहा कर ही डालते हैं, साथ ही अपनी आर्थिक व्यवस्था को भी आँच दिखाते हैं। इस बात की तैयारी करते हैं कि आगे चलकर आपकी अयोग्य सन्तानें आपके बुढ़ापे की लकड़ी न बनकर किये का फल देने के लिये पीड़न दण्ड बन जायें। वे आपको अशक्त, निरुपयोगी तथा निर्धन समझ कर अवज्ञा का व्यवहार करें। जो कुछ आपके पास है वह सब नोंच-खसोट कर खा डालें और आप दोनों एक किनारे पड़े रोते-धोते अपने भाग्य कोसा करें। सुव्यवस्थित तथा सुसंस्कृत एवं शिक्षित न बनाई जा सकने वाली सन्तानें समाज वंश में कितनों का नाम ऊँचा किया करती हैं यह आये दिन देखा जा सकता है। कोई भी दूरदर्शी व्यक्ति प्रारम्भिक अहंकार की तुष्टि की अपेक्षा, सन्तानों के सम्बन्ध में पश्चाताप, अभिशापों से अधिक सतर्क रहते हैं और एक दो सत्सन्तानों की कामना में ही तृप्त हो जाते हैं।

दूरदर्शी उन परिस्थितियों को भी देखता है जब धन के अभाव में सन्तानें अवज्ञा कर सकती हैं। गुणों का तिरस्कार हो सकता है, अकाल तथा भुखमरी की स्थिति आ सकती है। वे जानते हैं कि एक निर्धनता का दोष हजार व्याधियों को जन्म दे देता है। विपत्तियाँ, संकट तथा दुर्दिन कहकर नहीं आते और जब वे आ पड़ते हैं तो पास का पैसा सगे-सम्बन्धियों से भी अधिक सहायक सिद्ध होता है। पैसे के अभाव में

उस साहस का भी अभाव हो जाता है जो भवितव्यताओं से टकरा लेने के लिये आवश्यक होता है। आय को बढ़ाते रहना और व्यय को नियन्त्रित रखना दूरदर्शिता है और एक ऐसी आवश्यक दूरदर्शिता है जिसे हम सबको अपनाना तथा प्रयोग में लाना ही चाहिये।

आइये, सांसारिक जीवन के सुख-शान्ति के इन चार आधारों के विषय में दूरदर्शिता से काम लेते रहकर सुख-शान्ति के साथ अगले तथ्य की ओर बढ़ने की तैयारी करें।

विवाह संस्था में सोच-समझकर ही जुड़ें

किसी महान प्रयोजन को लक्ष्य मानकर चलने वाले धर्मसेवी, लोकसेवी, परिव्राजक स्तर के महापुरुष तो अविवाहित जीवन में ही सुविधा अनुभव करते हैं पर सामान्यजनों को सामान्य जीवन में विवाहित रहकर काम चलाना ही सुविधाजनक पड़ता है। इसमें प्रकृति की प्रेरणाएँ भी पूरी होती हैं और वंश वृद्धि की ललक कामुकता के रूप में गृहस्थ बसाने की प्रेरणा देती है। साधारणतया इन्हीं दो कार्यों की शृंखला जीवन अवधि को व्यस्तता के बीच पूरी कर देती है। जीवन संकट इन्हीं दो प्रयासों की लीक पर घिसटता रहता है और आयुष्य की अवधि पूरी कर लेता है। यही प्रचलन भी है और यही सर्वसुलभ सुविधाजनक भी।

तरुणार्थ के आगमन वाले दिनों सामान्यतया ऐसी प्रकृति प्रेरणा होती है कि जोड़ा बनकर रहें। नये रक्त के साथ जुड़ी हुई उमंगें इसके लिये प्रेरित करती हैं। जिन्हें किसी महान लक्ष्य की प्राप्ति के लिये जीवन समर्पण करना है उन्हें छोड़कर सामान्यजन विवाह की इच्छा करते और उसका संरंजाम भी जुटाते हैं।

इस सन्दर्भ में उससे अधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता है जितनी कि आमतौर से बरती जाती है। लोग सुन्दर शरीर वाला साथी पाने की फिराक में रहते हैं। विवाह प्रायः इसी आधार पर हो नके तो प्रसन्नता व्यक्त की जाती है। इसके अतिरिक्त लड़के का कमाऊ और लड़की का चुलबुलापन भी पसन्दगी का एक कारण माना जाता है। जहाँ इतनी ही दूँढ़-खोज रहती है वहाँ अड़चन पड़ती है। अनेकों प्रस्ताव अस्वीकृत करने पड़ते हैं—क्योंकि भारत, भारत है।

इस देश में औसत रंग-रूप के नर-नारी उत्पन्न होते हैं। किसी भी घर-परिवार को देखभाल लिया जाय उसके सदस्य औसत रंग-रूप के मिलेंगे, पर जब इस सामान्य उपलब्धि से आगे बढ़कर विशेष रूपवानों की खोज होती है, तो वह सहज, सर्वत्र उपलब्ध न होने के कारण अगणित प्रस्तावों में से कहीं कोई एक बड़ी कठिनाई से पसन्द आता है। उस पसंदगी में लड़के वाले ही सब कुछ नहीं होते, लड़की वाले भी अपनी बच्ची के अनुरूप लड़का खोजते हैं। यदि उसमें कमी रही तो विवशता की बात दूसरी है अन्यथा उसे रद्द कर दिया जाता है या फिर मजबूरी में जैसे-तैसे गले उतारा जाता है और सदा असमता की शिकायत ही बनी रहती है। खुले शब्दों में न कहा जाय तो मन में असंतोष बना ही रहता है। जैसी चाहिये वैसी सघनता बन नहीं पाती। दाम्पत्य जीवन अधूरा ही रहता है। यह असंतोष कई बार तो इच्छित वस्तु खोजने लगता है और व्यभिचार का मार्ग भी पकड़ लेता है। अति रूप की स्थिति में प्रायः यह खतरा बना ही रहता है।

इसलिये अच्छा यही है कि औसत भारतीय स्तर के लड़के-लड़की खोजकर विवाह रचा दिया जाय। दुर्लभ वस्तु में प्रतिस्पर्धा भी खड़ी होती है, प्रस्ताव अनेक आते हैं। चयन एक का होना है ऐसी दशा में अनेक इच्छुकों को निराश भी होना पड़ता है। इस सन्दर्भ में लम्बी खोजबीन चलती रही तो आयु अधिक बढ़ जाती है और उपयुक्त जोड़े मिलना कठिन हो जाता है। फिर लड़के की खूबसूरती प्रधान रही तो लड़की वालों को उसकी कीमत अधिक दहेज देकर चुकानी पड़ती है। सुन्दर लड़कियों के गृहस्थ में पड़ने के बाद भी नखरे तो बने ही रहते हैं। यदि उनकी शिक्षा ऊँची रही तो फिर नौकरी की तलाश रहती है। नियुक्ति भिन्न-भिन्न स्थानों पर होने की दशा में प्रायः दोनों ही पक्षों को एकाकी जैसा स्वतन्त्र जीवन बिताना पड़ता है। यह स्थिति न तो सन्तोषजनक है और न सुविधाजनक। विवशता हो तो इस स्थिति को स्वीकारना पड़ता है।

‘विवाह का उद्देश्य सफल हो’ की यदि कामना हो तो रंग-रूप को प्राथमिकता नहीं दी जानी चाहिये। औसत स्तर को ही सुखद और सत्परिणामदायक मानकर चलना चाहिये। छोटी आयु में विवाह करना हर दृष्टि से हानिकारक है। विशेषतया लड़कियों के लिये। आयु के परिपक्व होने से पूर्व

विवाह कर देने पर, ससुराल के अजनबी लोगों के बीच पहुँचकर, अजनबी वातावरण में, नये किस्म के दबाव भरे काम करने के कारण लड़कियों का मानसिक विकास रुक जाता है। वे अपने को असहाय, विवश, दीन, हीन, पीड़ित अनुभव करने लगती हैं। इससे व्यक्तित्व दब जाता है। एक नौकरानी से अधिक उनकी भूमिका नहीं रह जाती। इस अनाचार जैसे दबाव में लड़कियों को फैसाने में अभिभावकों को उतावलापन नहीं करना चाहिये। उठती आयु पढ़ने की होती है। व्यक्तित्व की परिपक्वता का आयु के साथ सीधा सम्बन्ध है। अल्प-वयस्क या अविकसित की परिभाषा कानून में भी निर्धारित है। अठारह वर्ष से कम आयु की लड़की का और इक्कीस वर्ष से कम आयु के लड़के का विवाह करना जुर्म है। सरकार के सामने ऐसे प्रमाण उपस्थित होने पर दोनों पक्षों को सजा हो सकती है और विवाह भी रद्द हो सकता है।

यह न्यूनतम आयु मर्यादा उपयुक्त या सुविधाजनक नहीं है। वोट देने का अधिकार लड़के या लड़की को अठारह वर्ष की आयु के बाद ही मिलता है। इस निर्धारण के पीछे यही मान्यता काम करती है कि अपरिपक्वता की सीमा पार करने की आयु इक्कीस वर्ष है। यह लड़की और लड़के दोनों पर समान रूप से लागू होती है। यही विवाह का उपयुक्त समय है। लड़कों के लिये भी और लड़कियों के लिये भी। यदि विद्याध्ययन के उपयोगी अनुभव अभ्यास में अधिक समय बीत जाय तो हर्ज नहीं, पर जब तक गृहस्थ की जिम्मेदारी समझने-निबाहने का समय नहीं आता है तब तक उसकी प्रगति के अवसर में व्यवधान उपस्थित न किया जाय तो ही ठीक है। विकसित देशों और विकसित वर्गों में यह आयु पच्चीस के उपरान्त ही सही मानी जाती है। इससे पूर्व शिक्षा, योग्यता, अनुभव बढ़ाने का, प्रतिभा उपार्जन का समय है। उसे रोककर विवाह के बन्धन में बाँध दिया जाय, तो इसका अर्थ यह है कि विकास क्रम में समय से पूर्व ही अवरोध उत्पन्न कर दिया गया और बढ़ी हुई योग्यता के आधार पर जो लाभ जीवन भर उठाया जा सकता था उससे वंचित रहने के लिये विवश कर दिया गया। यह नियम लड़की और लड़के दोनों पर ही समान रूप से लागू होता है।

यदि कानून की पकड़ से निकलते ही अठारह वर्ष की लड़की का विवाह कर दिया गया है तो ससुराल वालों का

कर्तव्य बनता है कि कन्या पक्ष ने उतावलापन करके लड़की को जिस योग्यता वृद्धि से वंचित कर दिया है उसकी पूर्ति वे लोग करें। अठारह से पच्चीस के मध्य सात वर्ष बचते हैं, इस समय में ससुराल वाले यही समझें कि पितृ पक्ष का अधूरा उत्तरदायित्व उन्हें पूरा करना है अर्थात् वधू के पच्चीस वर्ष के होने तक शिक्षा का, योग्यता, प्रतिभा और शारीरिक-मानसिक परिपक्वता का काम उन्हें पूरा करना है। जिस प्रकार लड़कियाँ स्कूल जाती हैं उसी प्रकार बहुएँ भी पढ़ना जारी रखे रहें तो कोई हर्ज नहीं वरन् यह छूट उन लोगों की सहृदयता-सज्जनता में ही शुमार होगी।

दोनों ही पक्ष यदि इन बातों का ध्यान रखें, परिपक्व अवस्था में विवाह संस्था के बन्धनों में बँधें तो वह महत्त्वपूर्ण दायित्व पूरा हो सकता है, जिसकी उनसे अपेक्षा की जाती है। परिवार संस्था एक छोटा गणतन्त्र है, स्वयं में एक प्रयोगशाला है। यदि सदगृहस्थ विकसित कर हमें राष्ट्र के लिये सशक्त लोक-सेवियों की पीढ़ी तैयार करनी है तो विवाह सम्बन्धों में आने वाली विकृतियों को मिटाकर इस संस्था का शुद्धिकरण करना होगा। परिवार निर्माण का यह प्रारम्भिक व अति महत्त्वपूर्ण सोपान है।

विवाह की जिम्मेदारी और उसका निर्वाह

अति महत्त्वपूर्ण उत्पादन उद्योगों के संयोजक उसके लिए समुचित पूँजी, क्षेत्र, कारीगर, कच्चा माल आदि का प्रबन्ध करते हैं। डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, वैज्ञानिक आदि उत्पन्न करने के लिए साधन सम्पन्न विद्यालय बनाने होते हैं। पढ़ने वाले छाँटकर लिये जाते हैं और पढ़ाने वालों की योग्यता भी ऐसी रखी जाती है जिसके आधार पर जो उत्पादन सोचा गया था वह खरा उतरे। अपनी तथा उत्पादनकर्ता की ख्याति बढ़ाये।

ठीक इसी प्रकार भावी पीढ़ी का निर्माण भी है। सन्तानोत्पादन का तात्पर्य यौनाचार का मनोरंजन नहीं, वरन् यह है कि राष्ट्र और समाज को यशस्वी बनाने वाले सुयोग्य एवं समर्थ नागरिकों का उत्पादन हो। इस कार्य के लिए समूचे कुटुम्ब को शिक्षक, सहायक शिक्षक की भूमिका निभानी होती है। अतएव उन सभी को अपने-अपने भावी कर्तव्य से

अवगत और प्रशिक्षित करना होता है। सन्तान तो एक बार में एक ही होती है पर इस कार्य में प्रकारान्तर से सारा परिवार ही ऐसा योगदान करता है जिससे अभीष्ट उत्पादन सम्भव हो सके।

बच्चा, जननी के उदर में बनता और बढ़ता है। यह अवधि ऐसी है जिसमें माता का आहार-विहार ही नहीं धिन्तन और उल्लास भी भरा-पूरा रहे। मनुष्य शरीर ही नहीं—मन भी है। उसमें दस प्रतिशत शरीर और नब्बे प्रतिशत मन को श्रेय होता है। इसलिए जननी की गर्भावस्था ऐसी व्यतीत होनी चाहिये जैसी फूलों की खिलती महकती फुलवारी।

यह कार्य अचानक नहीं हो सकता। पत्नी के घर में प्रवेश करते ही नव-वधू की प्रसन्नता और सुविधा का समुचित ध्यान रखना पति का ही नहीं, समूचे परिवार का कर्तव्य है। इस आधार पर अभिनव सन्तति का व्यक्तित्व ढलता है और समूचे परिवार को यह शिक्षण मिलता है कि सज्जना, शालीनता और प्रगतिशीलता किसे कहते हैं और उसे अपनाने के लिए स्वभावों को कैसे बदलना, सुधारना पड़ता है; जहाँ यह समझ लिया गया है, वहीं विवाह का उद्देश्य सधता है। जहाँ मनोमालिन्य, क्लेश द्वेष छाया रहे, समझना चाहिए कि इस वातावरण से किसी असुर उत्पादन की सम्भावना है।

स्त्रियों भाव प्रधान होती हैं। उनकी भावनाएँ झुईमुई स्तर की होती हैं। उन्हें डरा-धमकाकर, त्रास देकर छुपाया जा सकता है पर अनुकूल नहीं बनाया जा सकता। जिन्हें सार्थक विवाह करना हो और नव-वधू के सहारे परिवार में शालीनता और नवजात बालक में प्रगतिशीलता भरनी हो, वहाँ उसकी जननी को समुचित मान, स्नेह, श्रेय और सहयोग मिलना चाहिये। यह कर्तव्य ससुराल के हर सदस्य का है। वधू तो सर्वथा अपरिचित स्थान पर आती है और वह उत्तरदायित्व उठाती है जो इससे पूर्व देखे-सुने भले ही हों, निभाये कभी नहीं होते। ऐसी दशा में उससे भूलें होना स्वाभाविक है। इन भूलों को बालक की तोतली बोली तथा अनगढ़ उठक-पटक की तरह विनोद में लेना चाहिये। सुधारते समय ऐसा कुछ नहीं करना चाहिये जिससे उसका मन टूटे।

परिवार बनाना यदि अभीष्ट हो तो नारी का कार्य क्षेत्र घर ही रहना चाहिये। उसे भी नौकरी करनी हो तो घर पर बच्चों के साथ हँसने-हँसाने वाले दूसरे होने चाहिये अन्यथा

जहाँ-तहाँ जिस-तिस के हाथ बच्चों को छोड़कर चले जाना, बच्चों के साथ प्रत्यक्ष अत्याचार करना है। ऐसी स्थिति में पले हुए बालक भोजन, वस्त्र और खिलौने आदि की व्यवस्था कर देने पर पल तो जाते हैं पर मन, स्नेह और सहयोग का प्यासा रह जाने से आधा-अधूरा रह जाता है और उससे मानवोचित संस्कार पनपने नहीं पाते।

इसलिए बहुत सूझबूझ कर जब उपयुक्त सुविधा हो तो तभी एक दो बालकों की मर्यादा निश्चित कर लेनी चाहिये अन्यथा समुचित खाद पानी न मिलने पर जो दशा पीधों की होती है वही आगे चलकर बच्चों की रह जाती है।

घर में प्रवेश करते ही वधू को नवजात बालक मान कर स्नेह-दुलार, श्रेय और सहयोग से उसका मन बढ़ाना चाहिये ताकि वह समयानुसार परिवार को संभालने, बच्चों को पालने और पति को मिठास प्रदान कर सकने में सफल हो सके। इन सभी बातों से वह सर्वथा अपरिचित होती है इसलिए इस प्रशिक्षण को इस प्रकार देना चाहिये जिससे उसके कली जैसे कोमल मन को किसी प्रकार चोट लगे बिना, जो चाहा गया है वह अनुभव अभ्यास हो सके। पत्नी और परिवार के बीच चौकस खड़े रहकर यह भूमिका पति को निभानी चाहिये। उपेक्षापूर्वक नहीं, पूरी सावधानी के साथ।

अपना वर्तमान परिवार हो या उत्पन्न होने वाले नये बच्चे के माध्यम से नया परिवार, इन दोनों की भावी सुखद सम्भावनाओं का दायित्व उस व्यक्ति पर है, जो पति बनने में प्रसन्नता व्यक्त करता है और उससे बहुत प्रकार की सुखद कल्पनाएँ करता है।

इन दायित्वों की अवहेलना करने में पुरुष पक्ष सबसे आगे है। उसकी सामन्ती मनोवृत्ति अन्यत्र चरितार्थ होने की गुञ्जायश कम होती है क्योंकि 'जैसे को तैसा' की नीति के अनुसार असम्यता का बदला असम्यता से चुकाया जा सकता है पर पत्नी ही एक ऐसी प्राणी है जिसके साथ चाहे जैसा दुर्व्यवहार किया जाय, वह रोने के अतिरिक्त जबाब भी नहीं दे सकती।

अपने हिन्दू समाज में यह अनीति विशेष रूप से पनप रही है और उसके परिणाम क्रमशः पक रहे हैं। दहेज विरोधी कानून पास हो चुका है। तलाक के समर्थन में कानून पास हो गया। स्त्रियों को पति के साथ जलने के लिए विवश करने

वाली प्रथा का राजा राममोहन राय ही अन्त करा गये थे । राजपूतों में प्रचलित कन्या-वध पर रोक सौ वर्ष पहले ही लग चुकी है । स्त्रियों को जैसे ही अपने अधिकारों का ज्ञान होगा, वैसे ही वे ऐसी स्थिति में रहने की अपेक्षा विधवाओं की तरह मेहनत-मजदूरी करके पेट पालने लगेंगी और पुरुषों को बतायेंगी कि सामन्तवादी युग बीत गया फिर भी आप उसका रीब-दौब किसलिए किस आधार पर लिये फिरते हैं ।

विवाह हो जाने के उपरान्त जिन्हें उपयुक्त पति मिले, उनका दाम्पत्य जीवन और पारिवारिक जीवन दोनों ही सुखद हो सकते हैं । दो पहिये की गाड़ी ठीक प्रकार चल सकती है । पर जिसने मध्यकाल की रखैलों या गुलामों की तरह व्यवहार आरम्भ कर दिया है, प्रश्न उनका है । वे अगले दिनों अपने लिए और समस्त समाज के लिए क्या विकृतियाँ उत्पन्न करेंगे, इसकी कल्पना हमें पश्चिम की ओर मुँह करके सहज ही करनी चाहिए ।

अफसरों का विनोद क्लबों में होता है और नारी उनके आगमन की घर में प्रतीक्षा करती रहती है । उसके जिम्मे रह जाता है कर्तव्यों की उपेक्षा पर नित नये संतानों का बोझ लादते रहने में कुशलता । इस स्थिति का परिणाम अभी तो इतना ही होना है कि सन्तान बड़ी होने पर रोगी, अपंग, दुर्बल और बुद्धिहीन हो और पिता से अपनी माता से किये हुए दुर्व्यवहार के बदले पूरा-पूरा त्रास दे परन्तु, बाद में यह भी होगा कि रीब-दौब थोड़ा शिथिल होते ही न केवल पत्नी वरन् समूचा परिवार पिछले किये हुए कृत्यों का स्मरण करें और पूरा-पूरा बदला चुकायें ।

इन दिनों रोगी और अपंग बच्चों की भरमार है । इसका प्रमुख कारण उनकी माता का घुटन भरा जीवन व्यतीत करना है । जो लोग विवाह का उत्तरदायित्व नहीं समझते और पत्नी को समुचित स्नेह, सहयोग नहीं दे सकते, उनके लिए उचित यही है कि विवाह न करें और छुट्टल बैल की तरह मनचाहा करें । इससे वे स्वयं भी मला-दुरा भुगतेंगे । कम से कम पत्नी को और बच्चों को तो नारकीय यातनाएँ सहने के लिए विवश न करेंगे ।

आपके प्रति बच्चों के हृदय में घृणा एवं उपेक्षा के भाव उत्पन्न न हों, घरेलू वातावरण उन्हें बोझिल और विद्रोही बनाने में सहायक न हो, इसके लिए आवश्यक है कि आप मृदुभाषी

हों । कटु वाणी, गाली-गलौज, उपेक्षा व तिरस्कार द्वारा वे विद्रोही एवं कुण्ठित हो जायेंगे क्योंकि अपमानित एवं उपेक्षित बालक का सन्तुलित विकास न होने के कारण वह प्रतिशोध की भावना से छूट नहीं पाता ।

उपेक्षा व तिरस्कार द्वारा बच्चों के मन को जीता नहीं जा सकता बल्कि उनके कोमल मस्तिष्क पर उपेक्षा व अपमान की ऐसी ठेस लगती है जिससे वे केवल अपने माँ-बाप के प्रति ही विद्रोही और अनुशासनहीन नहीं बनते, उनकी हिंसक, क्रोधी एवं उद्वेग प्रवृत्ति उन्हें अपराधों के जगत में ला खड़ा करती है, भटकावपूर्ण जीवन जीने के लिए । बच्चों के हृदय में एक मूल भावना होती है कि वे भी अपने स्वजनों द्वारा अपने आचरण एवं व्यवहार से उनका प्यार, प्रशंसा एवं सम्मान पावें किन्तु, अपने से बड़े शिक्षक, अभिभावक एवं अन्य जनों के कहने व करने में अन्तर देखकर उनका कोमल मन दुविधा में पड़कर प्रभित हो जाता है और वे व्यवहार के प्रति उदासीन होते जाते हैं ।

बच्चों की बुद्धि क्षमता परखे बिना जो अभिभावक उनसे उच्च आकांक्षाएँ रखते हैं यह कहाँ तक न्यायसंगत है ? बच्चों से अपेक्षित व्यवहार पाने के लिए उनके कारण व समस्या को जाने बिना उन्हें दण्डित करना व भावना के वशीभूत हो गलियाँ देना, तिरस्कार करना अनुचित ही नहीं, मूर्खतापूर्ण है । इससे तो हम उनकी निगाहों में गिर जायेंगे ।

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसन्धान परिषद् ने आज से एक शताब्दी पूर्व भारत के नेत्रहीन लोगों के आँकड़े संकलित किये थे, एक करोड़ की संख्या में अपने देश के लोग ऐसे हैं जिन्हें आँखों से बिल्कुल नहीं दिखाई देता । नेत्र रोग पीड़ित तो ५ करोड़ की संख्या में बैठते हैं । जन्म के समय तो नहीं अधिकांशतः पोषण की कमी में ही अन्धेपन के शिकार होते हैं । प्रतिवर्ष ३० हजार बच्चे कुपोषण के कारण ही अन्धे होते हैं । यह परिवार की उपेक्षा से ही होता है ।

उड़ीसा राज्य में अन्धे बच्चों का अनुपात ६ प्रतिशत है । गुजरात में पौन प्रतिशत, कर्नाटक, आन्ध्र, तमिलनाडु और प० बंगाल में इनका प्रतिशत १ से ३ प्रतिशत के मध्य रहा है । अपने राष्ट्र का कैसा दुर्भाग्य है कि बच्चों को फल और दूध की सुविधा तो अलग रही, हरी सब्जी (विटामिन ए) तक की आपूर्ति कर सकना मुश्किल पड़ रहा है ।

विश्व-स्वास्थ्य संगठन दिवस के अवसर पर पी० जी० आई० चडीगढ़ के बाल चिकित्सा विभाग के अध्यक्ष प्रो० वी० एन० एस० वालिया ने पिछले दिनों कहा कि “बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि हमारे देश में २५ प्रतिशत बच्चे अपनी पाँचवीं वर्षगाँठ के पूर्व ही काल कवलित हो जाते हैं। इन्हें मात्र ६ रुपये वार्षिक की औषधियों एवं पारिवारिक स्नेह द्वारा मनोवैज्ञानिक पोषण देकर बहुत हद तक बचाया जा सकता था। भावी नागरिकों के प्रति यह दृष्टिकोण बड़ा निराशाजनक है।” आपने आगे कहा कि “हृदय रोग सम्बन्धी व्यवस्था की लाखों रुपयों की लागत की ५ नई इकाइयों प्रतिवर्ष देश में स्थापित की जा रही हैं जबकि बच्चों की देखभाल करने वाली एक भी राष्ट्रीय अनुसन्धान शाखा या राष्ट्रीय स्तर का चिकित्सालय नहीं है। भारतवर्ष में बच्चों की मृत्यु दर १२२ प्रति हजार है जबकि श्रीलंका व थाईलैण्ड में इससे कम है।”

डॉ० वी० एन० एस० वालिया ने बताया—“यदि बच्चों के स्वास्थ्य के प्रति समाज की यही उपेक्षापूर्ण नीति बनी रही तो अगामी २६-३० वर्षों में जन्म लेने वाली पीढ़ी पूर्णरूपेण अपङ्ग एवं मानसिक रूप से अविकसित लोगों की ही होगी।”

यह अन्धे, अपंग, बुद्धिहीन बालक बताते हैं कि उनकी माता की मनःस्थिति वैसी नहीं रही जैसी कि सुप्रजनन के लिए आवश्यक है। यह जिम्मेदारी पिता की है कि वह विवाह की जिम्मेदारी तथा उसके ठीक तरह निर्वाह न करने की दुःखद प्रतिक्रिया को समझे। समाज की एक इकाई परिवार है। जब तक परिवार के उत्तरदायी व्यक्ति इस सम्बन्ध में जागरूक नहीं होते, बच्चों का विकास सम्भव नहीं।

दायित्व निर्वाह के बिना विवाह न करें

अध्यापन, लेखन, कृषिकर्म, चिकित्सा कार्य, अभियांत्रिकी, संस्था संचालन आदि समस्त कार्यों को हाथ में लेने के पूर्व तो उस हेतु वांछित जानकारी एवं प्रशिक्षण प्राप्त करने को सभी महत्त्व देते हैं। लेकिन बहुलक्ष्यीय दायित्वों वाली विवाह-संस्था में प्रविष्ट होने के पूर्व वांछित तैयारी की ओर प्रायः कोई ध्यान देना आवश्यक नहीं समझा जाता। ऐसी स्थिति में यदि विवाह के उपरान्त विग्रह, विक्षोभ ही हाथ लगे और विफलता की अनुभूति मन का विषाद एवं निराशा से बोझिल बनाती जाये, तो इसमें क्या आश्चर्य।

दुनिया में ऐसा कोई नर या ऐसी कोई नारी नहीं है, जो किसी न किसी गुण से सम्पन्न न हो, पर ये गुण विवाह के लिए उनकी पात्रता से कोई सम्बन्ध नहीं रखते। वैवाहिक सफलता के लिए सर्वाधिक महत्त्व इसी बात का है, कि पति एवं पत्नी द्वारा गृहपति एवं गृहिणी की भूमिका निभाने की कितनी तैयारी कर ली गई है। एक पुरुष बहुत बड़ा विद्वान, राजनेता, लेखक, वक्ता, कलाकार, शिल्पी, चिकित्सक, अफसर या अध्यापक हो सकता है। इससे उसकी अपने क्षेत्र में कार्य करने की क्षमता एवं योग्यता प्रकट होती है। परन्तु एक कुशल गृहपति बन सकने की सामर्थ्य इसमें नहीं प्रमाणित होती। इसी प्रकार कोई महिला विदुषी या आधुनिका, समाज-सेविका, निर्भीक वक्ता, निपुण अध्यापिका या प्रशासिका आदि हो सकती है, उसमें स्नेह-सद्भाव, क्रमलता-करुणा की नैसर्गिक विभूतियाँ भी प्रचुर हो सकती हैं, किन्तु यदि दक्ष गृहिणी की जिम्मेदारियों निभाना उसने नहीं सीखा है तो एक गृहिणी के रूप में उसे पग-पग पर कठिनाई आयेगी और अपनी प्रतिभा तथा शक्ति का अधिकांश भाग उसे सन्तुलन साधने में ही खर्च करना होगा। सुन्दर, सुशील एवं सुशिक्षित महिला भी दक्ष गृहिणी बन पाने में विफल रह सकती है और इसी कारण अनेक पारिवारिक विवादों को जन्म दे सकती है, यदि उसे उन गृह-कार्यों को सुसम्पादित करने का अभ्यास नहीं है और रुचि भी नहीं है, जिन्हें कि उसे पत्नी रूप में सँभालना पड़ता है।

ऐसी शिक्षित लड़कियों की कमी नहीं, जो मायके में रसोईघर में दूर-दूर रहने से ही खुश रहती हैं। कपड़ों के दाग छुड़ाने का ज्ञान नहीं। वस्तुओं को व्यवस्थित ढंग से रखने का व्यावहारिक अनुभव-अभ्यास नहीं। माँ-बाप यह सोचते रहे कि विवाह के बाद तो बिटिया को गृहस्थी की गाड़ी में जुटना ही है। अभी उसे खेलने-खाने दिया जाय। ऐसा अदूरदर्शितापूर्ण लाड़-प्यार और लापरवाही कई बार लड़की के जीवन को विषमय और दुःखपूर्ण बनाकर रख देती है। इसीलिए, लड़की को पति-गृह भेजने की तैयारी करने से पहले जहाँ माँ-बाप को यह विचार करना चाहिए कि नई भूमिका निभा सकने में उनकी लाइली कहाँ तक सक्षम बनाई जा चुकी है, वहीं वयस्क-समझदार लड़कियों को भी घर बसाने के पूर्व उसे चला सकने की योग्यता अर्जित कर लेनी चाहिए अन्यथा कलह-कटुता ही उनके पल्ले पड़ेगी।

मित्रों एवं परिचितों के बीच लोकप्रिय तथा अपने आजीविका सम्बन्धी कार्य में कुशल युवक को भी गृहस्थी बसाने के पहले मात्र सपनों और ख्यालों की दुनिया में ही नहीं छोड़े रहना चाहिए। उसकी भावी पत्नी कोई दिव्य अलौकिक प्राणी नहीं होगी, वह गुण-दोष समन्वित मानवी होगी। यह तथ्य ध्यान में रखकर गुणों को देख-सराह सकने और उनके बढ़ सकने योग्य वातावरण बना सकने की अपनी क्षमता बढ़ानी चाहिए। साथ ही दोषों को सहते हुए धीरे-धीरे उन्हें दूर कर सकने का प्रयास करने का धैर्य अपनाना चाहिए। इसके बाद ही नवीन भूमिका अपनाने के लिए आगे बढ़ना चाहिए।

सामान्यतः विवाह सम्बन्ध मौ-बाप तय करते हैं। गोरी-सुन्दर लड़की, प्रतिष्ठित-सम्पन्न घराना लड़के वाले देखते-तलाशते हैं और कमाऊ सुन्दर पूत लड़की वाले। बस रिश्ता पक्का, धूमधड़ाका शुरू, हल्ला-गुल्ला, बांजे-गांजे के साथ विवाह सम्पन्न। मैत्री के लिये शील-व्यसन की समानता देखी जाती है, पर इस अनुपम मैत्री एवं आत्मीयता के लिये रुचि, स्वभाव, महत्वाकांक्षा, प्रवृत्ति आदि के तालमेल का विचार तक जरूरी नहीं माना जाता। परस्पर एक-दूसरे की भावनात्मक-मानसिक स्थिति को समझने की इच्छा एवं तत्परता हो या नहीं, पति-पत्नी बन बैठेंगे। गुण, कर्म, स्वभाव, सम्वेदना स्तर का विचार किये बिना सम्पन्न यह गठजोड़ शीघ्र ही ढीला पड़ने लगे तो इसमें विस्मय की कोई बात नहीं है। ऐसे बिना सोचे-समझे होने वाले विवाह दो परिवारों में कलह-विपत्ति, दो व्यक्तियों के जीवन में दुःख, हताशा, समाज में दूषित प्रभाव और तनाव का ही कारण बनते हैं। इसीलिये नये जीवन-पथ में प्रवेश के पूर्व यात्रा के लिये अपेक्षित शक्ति, कौशल एवं पाथेय जुटाना परमावश्यक है।

भावी पति और भावी पत्नी, दोनों जब मिलकर एक सम्मिलित व्यक्तित्व बन जाने की उत्कट इच्छा से संयुक्त हो उठें, तभी उन्हें दाम्पत्य-जीवन का प्रारम्भ करने के लिये आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि जीवन-यात्रा का उत्तरदायित्व दोनों के सामूहिक व्यक्तित्व पर ही निर्भर है। निजी विशिष्ट गुणों, रूप, सौन्दर्य, आमदनी आदि के विचार से भी अधिक महत्त्व इस बात को देना चाहिए कि नये उत्तरदायित्व वहन करने की तत्परता कितनी है। इस हेतु सफल दम्पति बन सकने के लिए वांछित गुणों का अध्ययन, विचार एवं अर्जन भी अत्यावश्यक माना जाना चाहिए। सफल सार्थक श्रेष्ठ दम्पतियों

के जीवन-क्रम का अध्ययन और कुशल दाम्पत्य-जीवन की विधि एवं विशेषताओं की जानकारी देने वाले श्रेष्ठ साहित्य का अध्ययन भी इसी तैयारी का अंग माना जाना चाहिए। इस बहुज्ञात, कई बार सुने गये किन्तु यौवन की उमंग में उपेक्षित तथ्य को बार-बार स्मरण कर लेना चाहिए कि रूप, यौवन या प्रसिद्धिदायक किसी गुण-विशेष से प्रेरित, आकर्षण जितना तीव्र दीखता है, उतना ही उथला होता है और बहुत शीघ्र ही वह आकर्षण मिट जाता है।

दाम्पत्य जीवन की गाड़ी को भलीभाँति अग्रगामी, गतिशील बनाये रखने के लिये ऐसे उथले आकर्षणों से अधिक आवश्यक है—‘एक-दूसरे को समझने की उदारता, सन्तुलन की सही दृष्टि एवं अहंकार की अल्पता।’

यों सही तैयारी तो वह है जिसमें सामूहिक व्यक्तित्व की तैयारी की जाय। नारी और पुरुष के कार्यों की वर्तमान विभाजक रेखा भ्रान्तिपूर्ण है। इसे अटल-अचल मानने से आज काम चलने का नहीं। सामूहिक व्यक्तित्व का अर्थ यहाँ रुचियों, सम्वेदनाओं का समञ्जस्य है, वहीं आज की स्थिति में घरेलू कार्यों को भी सामूहिक रूप में सँभालने की तैयारी भी होनी चाहिए।

आवश्यकता पड़ने पर भोजन बनाने से लेकर अन्य घरेलू कार्यों तक को सँभाल सकने को पति को भी तैयार रहना चाहिए। इसमें लज्जा या अपमान की भ्रान्त अनुभूति नहीं होनी चाहिए। महापुरुषों के जीवनों का अध्ययन करने वालों को तो इसमें किसी प्रकार के संकोच का अनुभव हो ही नहीं सकता। राजा नल, महाबली भीष्म जैसे पुराण-पुरुषों से लेकर आधुनिक भारत की संस्कृति, साहित्य एवं राजनीति के क्षेत्र की विभिन्न विभूतियों—स्वामी विवेकानन्द, महाप्राण निराला, महात्मा गांधी प्रभृति को पाक-कला में दक्षता प्राप्त रही है। विदेशी महापुरुषों को भी इसमें रुचि एवं निपुणता प्राप्त रही है। विदेशों में तो प्रत्येक नागरिक घरेलू कार्यों को मिलजुल कर करना ही नितान्त स्वाभाविक मानता है। परन्तु अपने यहाँ ऐसे भी पुरुष कम नहीं, जो पत्नी को दिन-रात काम में जुटे, थकता-चूर होते देखकर भी अपना बहुत-सा समय आलस्य में पसरे रहने, ताश, शतरंज खेलने और गपशप में नष्ट करते रहते हैं। पत्नी की सुध लेने, उसे सहारा देने में अपनी हेठी मानते हैं।

इधर समानता के नये दौर में ऐसी लड़कियों की भी संख्या बढ़ रही है, जो चूल्हे-चौके को व्यर्थ की झंझट एवं भार मानती हैं। ऐसी लड़कियों को स्वयं तथा उनके माँ-बाप को उनका विवाह करने के पूर्व हजार बार सोच-समझ लेना चाहिए; अन्यथा विवाह के कुछ ही दिनों बाद वह मस्ती और मौज तेजी से आक्रोश तथा अलगाव की ओर मुड़ने में देर नहीं लगती। ऐसी लड़कियों को विवाह के पूर्व न केवल पति-गृह की आर्थिक स्थिति, अपितु यहाँ की पारिवारिक परम्पराओं की भी भलीभाँति जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए।

यों दैनन्दिन काम-काज में हाथ बँटाने की बात तो सामान्य भारतीय पुरुषों के समक्ष अभी आम बात नहीं बनी है और अधिकांश परिवारों में तनावों का प्रारम्भ पति की कुटिलता-प्रतिकूलता या दर्प से होता है। हारी-बीमारी में भी पत्नी की सेवा-सुश्रूषा से नाक-भौं सिकोड़ने वाले पति, पत्नी के हृदय में कचोट तो पैदा कर ही देते हैं, भले वह अपनी व्यथा मुँह में न लायें। अपने अस्त-व्यस्त कार्यक्रमों के द्वारा पत्नी को निरन्तर परेशानी में डालने वाले, उसके पति असहयोग-असहानुभूति का भाव रखने वाले पति दाम्पत्य-जीवन के स्वाभाविक आनन्द का भला कभी भी अनुभव कर सकते हैं? अपनी आदतों, अपनं रहन-सहन के तौर-तरीकों पर विचार कर उन्हें पारिवारिक जीवन के अनुकूल बनाने की इच्छा रखने वाले पुरुषों को ही विवाह करना चाहिए, अन्यथा घर में एक सुन्दर कठपुतली दासी को बिठाने की उनकी कामना कुल मिलाकर उन्हें भी कलह-क्लेश और कष्ट ही देगी।

फिर, मात्र पति-पत्नी ही परिवार में नहीं रहने वाले हैं, परिवार के अन्य सदस्यों से भी तालमेल बिठाने की क्षमता एवं रुचि आवश्यक है। सबसे अधिक बड़ी और सुनिश्चित जिम्मेदारी बच्चों की आने वाली होती है। पति-पत्नी के तनाव का उन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना निश्चित होता है। बच्चों के लिये पर्याप्त समय भी प्रत्येक माता-पिता को देना होता है। एक-एक के पालन में मात्र पैसा और शक्ति ही नहीं, माँ-बाप का बहुत-सा समय खर्च होता है। उनके भावनात्मक विकास में तो माँ-बाप के सम्बन्धों का प्रभाव पड़ता ही है। पति-पत्नी का पारस्परिक तनाव एवं टुटन बच्चों में हीन ग्रन्थियाँ एवं कुपठा पनपाते हैं।

अतः विवाह करने से पूर्व अपनी मानसिक भावनात्मक मनोभूमि नये दायित्वों और नयी भूमिकाओं के अनुकूल बना लेना आवश्यक है। साथ ही, दैनिक कार्यों के स्वरूप एवं क्रम में जो नये परिवर्तन होने हैं, उनके प्रति अपनी कितनी भावभूमिका और तत्परता है, यह भी विचार कर लेना चाहिए।

लापरवाही से, खिलवाड़ समझते हुए यदि इतना महत्त्वपूर्ण निर्णय ले लिया गया, तो वह खुद के ही जीवन से खिलवाड़ सिद्ध होगा। काम-क्रीड़ा या रूप-नृष्णा की शान्ति की कामना से यदि विवाह रचाया जा रहा है, तब तो आजीवन, अशान्ति, अतृप्ति और अस्थिरता की आग में जलते रहने की पूरी तैयारी माननी चाहिए।

विवाहों की असफलता—कारण और निवारण

विवाह एक संस्कार है, शरीरों का आदान-प्रदान मात्र नहीं। संस्कार उसे कहते हैं, जो मनुष्य का सुसंस्कृत मार्ग-दर्शन करे। लोगों को व्यवस्थित-कला और सुरुचिपूर्ण जीवन की प्रेरणा भी दे और मानव जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक भी हो।

इस परिभाषा में अब अपने यहाँ प्रचलित विवाह पद्धति का विश्लेषण करें तो यह पता चलता है कि विवाह अब संस्कार न रहकर रूढ़िवादी परम्परा का रूप धारण कर चुके हैं। जातियों, उपजातियों के बवले, दहेज विवाह के अनाप-शनाप व्यय, नेग-निछेन, कुण्डली से गुण मिलाना, मुहूर्त और कई-कई दिन तक लम्बी बारातें रोकना यह सारी बुराइयों इतनी बढ़ गई हैं कि विवाह को संस्कार कहना भी ठीक नहीं लगता।

पुरुष अपने आप में अपूर्ण है, उसे जीवन व्यवहार में और आत्मिक आकांक्षाओं में सहयोग के लिए समान गुण, संस्कार और सिद्धान्तों वाली धर्मपत्नी की आवश्यकता पड़ती है। उसी प्रकार स्त्री को भी अपनी आध्यात्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सहायक साथी की आवश्यकता होती है। विवाह को उन दोनों आत्माओं के 'जीवन-लक्ष्य की प्राप्ति में सहयोग' का संकल्प कहना चाहिए। उस दृष्टि से ऊपर वर्णित जटिलताओं की कहीं भी कोई भी उपयोगिता दृष्टिगोचर नहीं होती।

देवताओं, अग्नि और भगवान की साक्षी में सम्पन्न होने वाला विवाह एक प्रकार का धार्मिक अनुष्ठान है। दो आत्माओं के भावनापूर्ण आध्यात्मिक विलयन को विवाह कहते हैं। पर अब जो परम्पराएँ प्रचलित हैं, उनमें कहीं भी न तो ऐसी प्रेरणा मिलती है और न शिक्षा का ही प्रावधान रखा गया है। इसलिए परम्परागत विवाहों को अब आदर्श विवाहों के रूप में ढालने की नितान्त आवश्यकता है।

यह सब आदर्श विवाह होंगे जिनमें पति-पत्नी यह अनुभव करें कि ये वासना की पूर्ति, बच्चे पैदा करने अथवा सामान्य जीवन बिताने के लिए ही प्रणय-सूत्र में नहीं आबद्ध हो रहे वरन् वे परस्पर हित के लिए कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य, विवेक और अपने साथी को अधिक महत्त्व देने के लिए तैयार रहेंगे। विवाह अपने आपको समाज सेवा में ढालने का प्रारम्भिक किन्तु अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कदम है, उसके अनुरूप ही मानसिक और भावनात्मक तैयारी भी होनी आवश्यक है।

तैयारी न होने के कारण ही आजकल विवाह असफल हो रहे हैं। कहीं दहेज को लेकर पति-पत्नी झगड़ते हैं, विचार-वैषम्य के कारण टकराव है। शरीर, रूप और स्वास्थ्य का आकर्षण कुछ दिन ही चलता है। इनका थोड़ा भी अभाव होने पर पति-पत्नी परस्पर खिंचने लगते हैं, एक घर में रहते हुए भी मन से कोसों दूर। ऐसे दम्पति जीवन-लक्ष्य की प्राप्ति करना तो दूर पार्थिव जीवन ही ऐसे जीते हैं, जैसे कोई हजार मन वजन का पत्थर उनकी छाती पर चढ़ा हो।

होना यह चाहिए कि दोनों शरीर और स्वास्थ्य के साथ-साथ भावनात्मक एकता का भी परिपालन पूर्ण निष्ठा के साथ करें। इसके लिए न तो दहेज आवश्यक है, न लम्बी बारातें। उस वातावरण के विकास की आवश्यकता है, जो उनके मन में सूक्ष्म रूप से वह संस्कार भर सकें और उन्हें इस बात की सशक्त प्रेरणा दे सकें कि विवाह का आध्यात्मिक उद्देश्य शारीरिक उद्देश्य की अपेक्षा अधिक महत्त्वपूर्ण है। यदि यह बात मन में बैठ जाए तो असफल विवाहों की समस्या स्वयंमेव हल हो जाय।

अस्तु, अब विवाह-परम्परा को जटिलताओं से उन्मुक्त रखकर आदर्शवादी बनाने की आवश्यकता है। बुद्धिवाद ठीक है पर जब तक इसमें भावनात्मक समन्वय न हुआ, विवाहों

की आध्यात्मिकता विकसित न होगी। इसलिए पुरानी पद्धति को धीरे-धीरे हटाकर उसके स्थान पर विवाहों को धार्मिक आयोजन के रूप में मनाने की परम्परा डालनी पड़ेगी।

विवाहित जीवन की सफलता और असफलता

विवाहित जीवन में जो हाहाकार हम देख रहे हैं उसका एक प्रधान कारण यह भी है कि पति का कर्तव्य प्रायः उपदेश तक ही समाप्त हो जाता है। उसने भ्रमवश समझ लिया है कि गृहस्थी का सारा बोझ स्त्री के लिये ही है। वह यह भी समझता है कि उसका काम जीवन के इन छोटे-छोटे और रोज पैदा होने वाले सवालों की तरफ ध्यान देना नहीं है, उसका काम बस जिन्दगी की एक चहारदीवारी तैयार कर देना है जिसमें वह और उसकी स्त्री दोनों सुरक्षितता का अनुभव कर सकें। वह स्त्री को उसके कर्तव्य भी समय-समय पर बताता रहता है और जब उस कर्तव्य का पालन करने में वह कभी असमर्थ रह जाती है तो उसका मन खीझ से भर जाता है। वह सोचता है और अक्सर कहता भी है कि, मैंने कहाँ से झँझट पाली—निर्द्वन्द्व मेरा जीवन था; न कोई चिन्ता न झँझट। वे उम्रों स्वप्न और वे महत्त्वाकांक्षाएँ इस जीवन की कड़ी धूप में नष्ट हो गईं। तब वह एक लम्बी आह लेता है, किस्मत पर रोता है और उसमें अपने ही प्रति अपनी अक्षमता के प्रति, एक संघर्ष और प्रतिहिंसा पैदा होती है और उसका मन अन्धकार से भर जाता है।

यह विषय पति तक ही नहीं रह जाता। वह फिर स्त्री के हृदय पर आक्रमण करता है। वहाँ से बच्चों, फिर घर के अन्य प्राणियों में फैल जाता है। फिर पति की भाँति स्त्री भी सोचने लगती है—'कैसा कंचन-सा मेरा शरीर था। माँ-बाप ने कभी त्यौरियाँ चढ़ाकर मेरी ओर न देखा; मुझे हाथों-हाथ रखा। आज मैं निरपराध क्या-क्या सहन कर रही हूँ। फिर भी जिन्दगी क्या है, रोज की झिंकझिंक है। इससे मौत क्या बुरी होगी? आखिर मैंने 'उनके' लिये क्या नहीं किया? क्या नहीं सहा? फिर भी इतना खिंचाव क्यों है?' तब उसे लड़कपन के उम्रों से भरे दिन याद आते हैं। 'वह माता-पिता का दुलार, वह बहिनों का बहनाया, वह भाइयों का मुटुल स्नेह,

वह सहेलियों की चुहल ! कैसे देखते-देखते दिन बीत जाते थे। वह सब सपना हो गया, मैंने माता-पिता को छोड़ा, सहेलियों को छोड़ा। मेरा दूसरा अब कौन है ?

तब यह स्त्री, जो गृह के लिये लक्ष्मी थी और जिसके स्नेह का अमृत पीकर बच्चे धर को स्वर्ग बनाये हुए थे, अपने को भूलने लगती है। तब वह विष होने लगती है। तब उसमें जातीय वेदना का बोध जाग्रत होता है। तब वह अन्य स्त्रियों से दुखभरी वाणी में कहती है—'बहिन, हम स्त्रियाँ तो सहने और दुःख झेलने के लिये ही पैदा हुई हैं। हमको सुख कहाँ? गलत भावों की इस जहरीली आँधी से उसके दिल का दिया बुझ जाता है। जिन्दगी एक बोझ हो जाती है।

कोई शैतान अन्धविश्वासियों में भी सदा के लिये देवता बनकर नहीं रह सकता। देवता बनने के लिये देवता जैसा काम भी करना चाहिये। उसके लिये देवता बनने की कोशिश सच्चाई के साथ करनी चाहिये। मैं यह भी कह दूँ कि मेरे नजदीक कोई देवता मनुष्य से बढ़कर नहीं है। मनुष्यता की अनुभूति ही सच्चे देवत्व की जननी है। गलतियाँ आदमी से होती हैं। इसलिये मैं जिन्दगी के कँटीले मार्ग पर चल रहे पति या पत्नी से कौंटा लग जाने पर उनको अपमानित करने, उनको जानवर मान लेने को तैयार नहीं हूँ। पर मैं मानता हूँ कि सच्चाई और वफादारी तभी निभ सकती है जब हम अपने दिलों को साफ रखें और जो गलती हो जाय, उसे समझने, उसे स्वीकार करने और पश्चाताप करने को सदा तैयार रहें। तभी जीवन का सच्चा सुख और विकास सम्भव है।

अब वह मोलापन कुछ ज्यादा काम न देगा जिसमें पति समझ लेता था कि मैं बुरा हूँ या भला पर मेरी स्त्री को तो देवी होना ही चाहिये और उसका कर्तव्य मेरी सेवा, मेरी पूजा करना ही है। स्त्री का जो भी कर्तव्य हो, जो भी रास्ता हो, आज वह रास्ता हम अपने परम्परा से चले आये हुए अधिकार के बल पर उसे नहीं बतला सकते। आज उसे अपने श्रेणी का, अपने जैसा मनुष्य और अपना सच्चा साथी मानकर ही हम उसके साथ निभ सकते हैं और उसे निभा सकते हैं। सिर्फ सूखे सिद्धान्तों और लाचार-दलीलों को लेकर तिल का ताड़ बनाते रहने से यह न होगा। इसके लिये पति को स्त्री की दुर्बलता न देखनी होगी, अपनी दुर्बलता भी देखनी होगी।

उसे अपनी महत्ता का भी स्मरण करना होगा और उस दुर्बलता को दूर करने और अपनी महत्ता को बनाये रखने या उसमें सच्चाई लाने के लिए पूरी चेष्टा करनी होगी। यह जमाना अन्ध-श्रद्धा का नहीं है। अपनी आँखों में विस्मय और ओठों पर प्रश्न लिये नारी आज उठी है। अब लँगड़ा-सूला, व्यभिचारी, कैसा भी पति पूजा का सिद्धान्त चल सकेगा, इसकी आशा करना सिर्फ अपने को धोखा देना है। फिर सदाचारी, ईमानदार और पत्नी-व्रती पति के मुख से तो ऐसी बात क्षण भर को सहन की जा सकती है पर स्वयं दुर्बलताओं का गुलाम है उसके मुँह से यह महज परले सिरे का स्वार्थ जैसा लगता है।

इसलिये पति देवता को अपना यह भाव त्याग देना होगा कि वह मूलतः ही अपनी पत्नी का पूज्य है। नारी से तो अब भी मैं यही कहूँगा कि उसका यह भाव रखना उसके लिये कल्याणकर है लेकिन पति से मुझे यही कहना चाहिये कि उसके लिये अपने सम्बन्ध में इस तरह का ख्याल रखना उसे चौपट करने वाला और उसे अँधेरी और बदबूदार खाइयों में ढकेल देने वाला है। उसे तो जिन्दगी का बोझ उठाने में अपनी पत्नी से ज्यादा वफादारी का सबूत देना ही अच्छा है। उसे स्त्री में दोष-दर्शन की वृत्ति छोड़कर अपने को देखने, परखने और सुधारने की वृत्ति डालनी चाहिये।

यह मनुष्य की बड़ी सामान्य कमजोरी है कि वह दूसरों के बारे में जितनी कठोर कसौटी का इस्तेमाल करता है अपने बारे में नहीं। दूसरों की जिन्दगी को वह ऊँचे पैमाने से नापना चाहता है और अपनी कमजोरियों के लिये तरह-तरह की सफाई देता है। सामाजिक एवं घरेलू सम्बन्धों में गलतफहमी और विषमता पैदा होने का एक बहुत बड़ा कारण यही है। यदि आदमी दूसरों के बारे में भी उतना ही मुलायम और उदार हो जितना वह अपने बारे में होता है तो हमारी आधी समस्याएँ अपने आप खत्म हो जायें। हमारे बीच बहुत-सी कटुता इसलिये पैदा होती है कि दूसरों के दोषों पर हमारी निगाह जरूरत से ज्यादा तेजी के साथ दौड़ती है, जब अपने दूर से चमकते दिखने वाले दोषों पर भी हम सुनहरी कलई करके लोगों की आँखों में धूल झोंकना चाहते हैं।

दाम्पत्य जीवन के लिये भी यही बात है। एक रिवाज चल पड़ा है और पतियों ने अपने और अपनी बीबियों के लिए

नीति और सदाचार के अलग-अलग पैमाने बना लिये हैं । आचार की जो शिथिलता पति के लिये क्षम्य है वह पत्नी के लिये अक्षम्य है । मनोरञ्जक बात तो यह है कि लम्पट पुरुष जो दूसरों की बहू-बेटियों की ओर लोलुप व्यवहार करने को आतुर है, अपनी औरत से सती-सावित्री होने की आशा रखता है । यह मनोवृत्ति क्रोध करने योग्य नहीं है; यह दयनीय है ।

पतियों के लिये बहुत अच्छा होगा यदि वे जल्द से जल्द सम्पन्न लें कि इस तरह की हालत अब नहीं चल सकती । सदाचार का एक ही पैमाना दोनों के लिये निभ सकता है—वही ठीक है और वही होना चाहिये । बल्कि पुरुष और पति होने के नाते मैं तो चाहूँगा कि पति अपनी पत्नियों की जाँच की कसौटी में भले ही थोड़ी-बहुत शिथिलता रखें पर अपनी परख में उनको बड़ा बेरहम होना चाहिये । आज तक जो कुछ उन्होंने अपने प्रथागत अधिकार के बल पर पाया है उसे सच्ची शक्ति और चरित्र-बल से प्राप्त करने का दावा उनको करना चाहिये । लाठी और झूठे गर्व के बल पर औरतें अब हाँकी नहीं जा सकतीं ।

इसकी अपेक्षा कि तुम अपनी पत्नी से अधिक आशाएँ कर लो, यह ज्यादा अच्छा होगा कि पहले तुम उसके प्रति अपने कर्तव्य का पालन करो । शान्तिमय और प्रेममय गृहस्थ जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि इसमें अपने सुख की अपेक्षा अपने जीवन-साथी का सुख और हित पहले देखना पड़ता है । अपने हित की रक्षा का सर्वोत्तम तरीका ही दूसरे के हित की रक्षा करना है । आत्मदान ही सच्चे सुख की कुञ्जी है ।

वैवाहिक सफलता और उसकी

पृष्ठभूमि

यह कहना अतिशयोक्ति ही होगा कि दाम्पत्य-जीवन स्त्री के रूपवती होने से सफल हो जायेगा । वस्तुतः विवाहित जीवन के रूप का स्थान, एक सीमा तक होते हुए भी वह बहुत गौण है । यह बिल्कुल सम्भव है कि नारी के रूपवती न होने या कम रूपवती होने पर भी तुम सुखी हो सकते हो और यह असम्भव नहीं कि रूपवती लड़की से विवाह करके भी तुम्हारा जीवन उस अमृत से वंचित ही रह जाय जिसके बिना विवाहित जीवन नरक है । बात यह है कि विवाहित

जीवन का सुख काव्य का काल्पनिक आनन्द नहीं है । यह इसी लोक में घोर परिश्रम द्वारा एक ऐसे जीवन का निर्माण करने का प्रयत्न है जिसमें नारी और पुरुष एकत्र रहकर और संयुक्त होकर अपनी परिपूर्ण अभिव्यक्ति कर पाते और स्वार्थ एवं परार्थ का समन्वय करते हैं ।

केवल रूप को देखकर कोई निर्णय मत करो । हो सकता है कि तुम्हारे साथ पढ़ने वाली लड़की ने अपनी शरारत, शोखी और सौन्दर्य से तुम्हारे दिमाग पर नशे की तरह अधिकार कर लिया हो । तुम समझते हो कि हम दोनों दिल से एक-दूसरे को चाहते हैं । तुम्हारा कहना है कि बिना उस लड़की के तुम्हारा जीवन सुखी नहीं हो सकता और तुम दूसरे के साथ शादी करने की बात मन में भी नहीं ला सकते । यह जवानी ऐसी ही चीज है; यह दिलों में बेकरारी पैदा करती है और भविष्य के प्रति बड़ी जल्दबाजी से काम लेती है । पर मैं कहूँगा कि जल्दी मत करो; जो ज्वार तुममें उठा है, उसे ठिकाने लगाने दो और तब शान्ति के साथ सोचो कि तुम्हारी मानसिक दशा क्या है ? क्या तुम शान्ति के साथ और निरुद्धेग होकर अपने सम्बन्ध में ठीक-ठीक विचार करने की स्थिति में हो? भावावेश में निर्णय मत करो; वह दोनों के लिये दुःखदायी होगा । मैं ऐसे कई उदाहरण दे सकता हूँ जिनमें विवाह के पूर्व लड़का-लड़की दोनों एक-दूसरे को चाहते थे उनका कहना था कि वह रूपजनित मोह नहीं है, हम दिल से प्रेम करते हैं, पर विवाह के बाद वे प्रेम के सपने बहुत जल्द खत्म हो गये । बेचारी स्त्रियाँ अक्सर ऐसे मामलों में ज्यादा घाटे का सौदा कर लेती हैं । स्त्रियों के लिए बहुत जरूरी है कि वे पुरुषों के रूप-जनित आकर्षण को बहुत मूल्य न दें । मैं तो कहूँगा कि जो स्त्री अपने रूप का उपयोग पुरुष को आकर्षित करने में करती है, उसके भाग्य में पछताना ही बड़ा है क्योंकि वह दाम्पत्य-जीवन का आरम्भ पुरुष की हलकी वासना को जगाकर करती है और जब जीवन के मध्याह्न के बाद यौवन और रूप की दोपहरी ढलने लगती है तो रूप लोभी या रूप के पीछे आया हुआ पुरुष विरक्त होने लगता है । जो सहयोग रूप की नींव पर खड़ा किया है और जिसमें आत्म-नियन्त्रण, त्याग तथा जीवन के स्थायी तत्त्व नहीं है वह अधिक दिनों तक चल ही कैसे सकता है ?

'आधुनिक युवती में पुरुष को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्तियाँ अधिक सजग हो रही हैं और उसे इसके लिये अपने को अधिक से अधिक आकर्षक बनाने की चिन्ता में बहुत समय और शक्ति खर्च करनी पड़ रही है। शरीर को जीवन में बहुत प्रधानता मिल गई है और इन सबके कारण 'रमणी' ऊपर आ गई है और पनप रही है जबकि 'माता' बोझ के नीचे दब गई है। उसका जो फल होना चाहिए था, वही हुआ है। नारी के स्वतन्त्र विकास का दावा मिथ्या के गर्त में डूब गया है और जीवन में सर्वत्र भोग और अधिकार की स्वार्थपूर्ण वासनाएँ जग गई हैं। क्या पुरुष, क्या स्त्री दोनों का स्वाभाविक ओज और स्वाभाविक विकास नष्ट हो गया है और लघु आमोद एवं तुच्छ क्रीड़ा-विलास से जीवन पंकिल हो उठा है। उसके मुख-मण्डल पर यौवन की कान्ति क्षणस्थायी होती है। प्राण, मद्यप की भाँति पंगु से अपने में शिथिल एवं गतिहीन हो रहे हैं।

अक्सर आजकल रूप-तृष्णा को प्रेम समझ लिया जाता है। रूप-तृष्णा में अधिकार और भोग की लालसा होती है, जब प्रेम प्रेमास्पद के लिये अपने सुख और सुविधा का बलिदान करने को तैयार होता है। सच्चे प्रेम की नींव बाह्य रूप में नहीं, उससे कहीं गहरी होती है और उसके साथ सदा उत्कट भावना, कर्तव्य तथा कल्याण की इच्छा लगी होती है। इसलिये विवाहित जीवन में वे लोग अधिक सफल होते हैं जो एक उदार दृष्टिकोण और कर्तव्य को लेकर चलते हैं। सुनहरे स्वप्नों के जाल जीवन की कठोर वास्तविकता के धक्कों से टूट जाते हैं। क्योंकि पति-पत्नी का जीवन केवल उन्हीं तक नहीं होता और उनको समाज की कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। उसे जीविका के लिये जो जीवन की समस्त स्थूल आवश्यकताओं में सबसे प्रबल आवश्यकता और शक्ति है, दुनिया के बियाबान में काँटों पर चलना पड़ता है और जब पैर काँटों से छलनी हो रहे हों और दिलों को घोर प्रतियोगिता की सर्द हवाएँ शिथिल किन्ने डालती हों, तब सदा प्रेम के कोमल एवं लुभावने सपने देखते हुए चलना सम्भव नहीं है।

इसलिये जिसे आजकल प्रेम-विवाह कहा जाता है उसकी अपेक्षा कर्तव्य-विवाह अधिक सफल होता है। पहले में जहाँ आकांक्षाएँ बहुधा काल्पनिक होती हैं और अतिशयोक्ति की

सीमा तक बढ़ी होती हैं वहाँ दूसरे में आदमी वास्तविकता की भूमि पर होता है। जब मैं कर्तव्य की प्रधानता की बात कह रहा हूँ तब मैं प्रेम की श्रेष्ठता को भूला नहीं हूँ। मैं मानता हूँ कि दाम्पत्य-जीवन क्या, सम्पूर्ण मानव-जीवन, सम्पूर्ण समाज-जीवन प्रेम के बिना आत्मा-रहित शरीर के समान है; इसके बिना सब कुछ जड़, स्फूर्तिहीन और चेतना-रहित है। जगत में जो कुछ है प्रेम का ही विस्तार है; उसी की प्रकृति और विकृति है। पर मेरा कहना इतना ही है कि जहाँ प्रेम उद्देग से धुँधला-और स्वार्थ से पड़ल्लू है वहाँ वह विकृत होकर विष का काम करता है। वस्तुतः वह प्रेम होता नहीं। प्रेम सब कुछ देकर भी सदा अपने में परिपूर्ण होता है। पर इतनी बारीकी में जाना सबके लिये सम्भव नहीं। अतः मैं इसे यों कहूँगा कि जो प्रेम त्याग से नम्र नहीं है और विवेक से प्रकाशित नहीं है उसे प्रेम समझने की भूल मत करो। सच्चा प्रेम सदैव विवेक से परिष्कृत होता है। प्रेम और विवेक दोनों का उपयुक्त सामंजस्य करके चलना ही गृहस्थ जीवन और मानव की परिपूर्णता का साधन है।

इसलिये जहाँ जीवन-संगी के चुनाव का सवाल है वहाँ हृदय और मस्तिष्क दोनों का सन्तुलन करके और शान्त होकर, पूरी गम्भीरता के साथ विचार करना चाहिये। तुम्हें न केवल अपने वर्तमान का वरन् भविष्य का भी पूरा ध्यान रखना चाहिये अपने जीवन के लिये तुम जिम्मेदार हो; चुनाव का अन्तिम निर्णय तुम पर निर्भर करता है। तुम सोचो और निर्णय करो, पर यह कुछ बुरा न होगा कि तुम अपने निर्णय में उन बुजुर्गों को भी शरीक होने दो जिन्होंने दुनिया देखी है और जो जीवन के उतार-चढ़ाव के बीच से गुजरे हैं।

मैं यह नहीं कहता कि रूप का कोई मूल्य नहीं है पर मैं इतना जरूर कहता हूँ कि जीवन के संघर्ष में इस हलकी और क्षण स्थायी चीज के भरोसे तुम ज्यादा सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। उसके लिये कहीं ज्यादा ठोस चीज की जरूरत है। रूप-लिप्सा में अन्धे बनकर दूसरी ज्यादा जरूरी चीजों की तरफ से मुँह मत मोड़ो। यह रूप पहले तो संयोग से मिला हुआ पदार्थ है, यानी इसके प्राप्त करने में लड़की ने कोई परिश्रम नहीं किया। इससे उसके गुणों का या योग्यता का कोई सम्बन्ध नहीं है। इससे उसके संस्कारों का भी कुछ पता

नहीं चलता । तब इस चीज के प्रति तुम्हारी इतनी ललचाई नजर क्यों है ? क्यों नहीं लड़की में पहले शील, गुण, स्वभाव की अच्छाई की माँग की जाती ? मधुर बोली, सहनशील स्वभाव, परिश्रमशीलता, सन्तोष वृत्ति, उदार मानस—ये वे चीजें हैं जिनके कारण नारी गृहलक्ष्मी है । पर आज इन बातों पर कौन ध्यान देता है ? आजकल का युवक पति तो स्त्री में चटक-मटक, रूप और यौवन का नशे से पूर्ण तोड़ चाहता है और तभी गृहस्थ इतने सूने तथा निरानन्द हो रहे हैं ।

यद्यपि जिन्दगी मामूली व्यापारिक अर्थ में सौदा नहीं है, पर व्यापक और श्रेष्ठ अर्थ में यह एक कठिन सौदा है ।

विवाह की सफलता—सधन आत्मीयता पर निर्भर है

प्रजनन प्रक्रिया में जो आवेश, उद्वेग है, नर-नारी के बीच जो आकर्षण है, वह प्रकृति ने इस प्रयोजन के लिए सँजोया है कि उस आधार पर दो व्यक्तियों के मिलन की भावनात्मक एवं रासायनिक क्रिया, इस जगती के लिए कुछ उपयुक्त अनुदान प्रस्तुत करती रहे ।

दो वस्तुओं के मिश्रण से तीसरी वस्तु बनाने की रासायनिक प्रक्रिया से हर कोई परिचित है । औषधि शास्त्री जानते हैं कि यदि अमुक वनस्पतियों, धातुओं अथवा क्षारों का अलग-अलग सेवन किया जाय तो उससे सामान्य परिणाम ही रहेगा पर यदि उन्हें मिला दिया जाय तो इस मिश्रण से एक नई वस्तु, नई प्रक्रिया उत्पन्न होगी । रसायन शास्त्र इस रीति-नीति को खोजता रहता है और उपलब्ध ज्ञान के आधार पर नित नये आविष्कार करता रहता है ।

यही मिश्रण सृष्टि निर्माण क्रम में चलता रहने से रंग-बिरंगे और विविध प्रतिभाओं से सुसम्पन्न फूल और तरह-तरह के स्वाद वाले फल उत्पन्न होते हैं । नर-नारी के बीच ऐसे अद्भुत घुलनशील तत्त्व हैं कि यदि वे गहन स्तर तक परस्पर मिल सकें तो एक नया व्यक्तित्व उत्पन्न होता है और उसके प्रभाव से दोनों अपना पुराना स्तर खोकर नये स्तर के बन जाते हैं । कुमारी अवस्था में लड़की जिस स्तर की थी उसमें विवाह के बाद काया-कल्प जैसा परिवर्तन होता है और किशोर लड़के विवाह से पूर्व जिस प्रकृति के थे विवाह के बाद वे इतने बदल जाते हैं कि केवल आकृति ही पुरानी रह जाती है, प्रकृति में

जमीन आसमान जैसा अन्तर उपस्थित होता है । पर यह होगा तभी जब वे दोनों भावगद्गर में गहराई तक उतर कर एक-दूसरे में घुल जाने की स्थिति प्राप्त कर लें । शारीरिक संयोग बहुत उथला है । वह नाई की दुकान पर हज़ामत बनवा लेने या तेल मालिश करा लेने, दाद खुजाने जैसी न्यप्य और तुच्छ क्रिया है, वह भी विवाह का एक प्रयोजन है, पर उतने भर से व्यक्तित्वों का मिलन या घुलन पूरा नहीं होता, उसके लिए ममता, आत्मीयता, भावुकता, वफादारी और आत्म-समर्पण के भाव गहनस्तर पर उतर कर एकत्व में परिणत होने चाहिए ।

व्यक्तित्व के घुलन का अर्थ है—भावनात्मक इतनी सधनता जिसमें शरीरों की भिन्नता का आभास ही नष्ट हो जाय । एक प्राण दो शरीर का आभास होने लगे । इतनी सधनता के प्रतिफल दो होते हैं एक प्रखर, एक अभिनव व्यक्तित्व का ऐसा नव-निर्माण जिसकी आभा से दोनों शरीर समान रूप से जगमगा उठें । दूसरा प्रतिफल होता है सन्तान की ऐसी उपलब्धि जो अगणित प्रतिभाओं और विशेषताओं से सम्पन्न हो । विवाह का मूल प्रयोजन यही है । नर-नारी के बीच स्वाभाविक आकर्षण का कारण यही है । रतिक्रिया में जिस आनन्द, आवेश का समावेश है उसका कारण भी यही है । प्रकृति चाहती है उसकी दुनिया में जीवधारियों का वंश ही न बना रहे वरन् उनका स्तर भी विकसित होता रहे, भावनात्मक सधनता का सम्मिश्रण व्यक्तित्वों का स्तर विकसित करता है और पीढ़ियों में विशेषता भरता है । यही प्रक्रिया जब शारीरिक सधनता में परिणत होती है तो उच्चकोटि के गुणों से सम्पन्न सन्तति का जन्म होता है । दो भिन्न लिंगी प्राणियों की अपूर्णताओं का समाधान करके एक-दूसरे के पूरक बनते हुए पूर्णता को प्राप्त करें यही दाम्पत्य-जीवन का मूलभूत प्रयोजन है ।

जहाँ पति-पत्नी की प्रकृति मिल जाती है और दोनों में परस्पर सधन सहयोग होता है वहाँ इच्छित सन्तान का होना सुनिश्चित है ।

कोर्टफील्ड (इंग्लैण्ड) के कर्नल जान फ्रान्सिसवान की पत्नी लुईस एलिजाबेथ अत्यन्त धार्मिक प्रकृति की विदुषी महिला थी । पति भी उनके ठीक उसी प्रकृति के थे । दोनों दूध पानी की तरह एक थे । सन्तान के सम्बन्ध में दोनों की

इच्छाएँ भी एक सी थीं। पति को जब अवसर मिलता गिरजा जाते पर पत्नी तो बहुत ही भक्तिभाव सम्पन्न थीं वे घण्टों उपासना करती थीं और यही प्रार्थना करती थीं कि उनकी सभी सन्तानें धर्म की सेवा में ही अपने जीवन का उत्सर्ग करें। उनकी यह मनोकामना पूर्णतः सफलीभूत हुई। लुईस के ८ लड़के और ५ लड़कियाँ थीं। वे सभी धर्म सेवी बने, अविवाहित रहे और सारा जीवन ईसाई मिशन के लिए दान कर दिया। पादरी और ननों के रूप में पवित्र जीवन बिताने वाले पवित्र माता के इन पवित्र बच्चों की चर्चा पाश्चात्य जगत में शताब्दियों तक चर्चा का विषय रही है।

दो व्यक्तियों के मिलन की जादूगरी रासायनिक प्रक्रिया—भावनात्मक प्रक्रिया उत्पन्न करने की असाधारण उपलब्धि के लिए पति-पत्नी के बीच सघन प्यार और विश्वास होना चाहिए। उसमें आशंकाओं और तुनक मिजाजी के लिए कोई स्थान नहीं। जब साथी के गुण ही गुण दिखाई पड़ें—और भूल, अपेक्षा अथवा विनोद, उपहास की वस्तु बन जाय उसके कारण मनोमालिन्य उत्पन्न होने की सम्भावना ही न हो तब समझना चाहिए कि सच्चे मन से समर्पण या घुलने की बात पूरी हुई। आशंकाओं, सन्देहों, अविश्वासों, छिद्रान्वेषणों के बीच यह सघनता फलती-फूलती नहीं, उसे विश्वास और ममत्व का उन्मुक्त आकाश चाहिए।

जर्मनी का प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ लेखक और कवि कार्ल हम्बोर अपनी पत्नी को अत्यधिक प्यार करता था। पत्नी का नाम था—कैटोलिन वान। पत्नी यों गुणवती और सुयोग्य भी थी पर पति के प्यार ने उसकी दृष्टि में उसे मानवी नहीं देवी बना लिया था। वह उसके सम्बन्ध में प्रायः प्रतिदिन १०० पंक्तियों की कविता लिखता था। ३८ वर्ष की उम्र में उसने यह विवाह किया था। पत्नी अधिक दिन जीवित न रही। पर उसने दूसरा विवाह नहीं किया और सौ पंक्तियों की कविता करने क्रम उसने विधुर होने के बाद भी जारी रखा। जब तक वह इस श्रद्धांजलि को उसने कब्र पर चढ़ा नहीं देता था तब तक वह सोता नहीं था।

यदि इतनी सघनता न हो तो दोनों में से जिसका व्यक्तित्व अधिक प्रतिभासम्पन्न और जबरदस्त होता है उसी की छाप सन्तान पर पड़ती है। इसलिए सन्तान का स्तर उसी दिशा में विकसित होता है। हलके स्तर का सरल व्यक्तित्व अपनी

कोमलता के कारण दब जाता है। ऐसे गृहस्थ तो चलता रह सकता है पर एकपक्षीय प्रयत्न एक हाथ से ताली बजाने की तरह अपूर्ण ही रहता है।

फ्रान्स के एक पादरी यह सिद्ध करना चाहते थे कि यदि एक पक्ष सज्जन है तो दूसरे को अपने में ढाल सकता है। यह बात तभी हो सकती है जब दूसरा पक्ष जैसा भी कुछ है अपना पूर्ण समर्पण कर दे। यदि दोनों व्यक्तित्व अपनी अहमता अलग-अलग बनाये रहें तो उनमें जो जबरदस्त होगा उसी की विजय होगी। पर सज्जन पादरी एकांगी बात सोचते थे। वे पुरुष की सज्जनता के महत्त्व को ही सब कुछ मानते थे। उन्होंने अपनी बात सही सिद्ध करने के लिये विपरीत गुण, स्वभाव वाली पत्नी से विवाह करके सुयोग्य सन्तान की बात सिद्ध करने का प्रयत्न किया, पर वे सफल न हो सके।

क्लारमाण्ट (फ्रान्स) के पादरी क्रेटीन यह दावा करते थे कि वंश परम्परा से अपराधों का कोई सम्बन्ध नहीं है। मनुष्य का भला या बुरा होना शिक्षा, संस्कार तथा वातावरण पर निर्भर है। वंशानुक्रम की अद्भुत विशेषताओं पर बल देने वाले वैज्ञानिकों को चुनौती देने के लिए उन्होंने गृहस्थ जीवन स्वीकार किया और एक अपराधी वंश की लड़की से विवाह कर लिया। उसका बाप पड़ोसी के घर में ईर्ष्यावश आग लगाने के अपराध में जेल काट चुका था। विवाह के बाद सन्तानें भी हुईं। उनकी शिक्षा-दीक्षा पर भी यथा-सम्भव ध्यान दिया गया। किन्तु वंश परम्परा का प्रभाव सन्तान पर समयानुसार उभरता ही गया और वे कई पीढ़ियों तक आगे भी अपराध ही करते रहे।

क्रेटीन के तीन लड़के हुल पियरी, टामस और वैयातिस, तीनों ही समयानुसार अपराधी प्रकृति के बने और डकेजनी, हत्या जैसे अपराधों में समय-समय पर वे तीनों ही फाँसी पर चढ़ा दिये गये।

पियरी फाँसी पर चढ़ने से पूर्व अपनी एकमात्र संतान छोड़ गया था—जीन फ्रान्सिस। बड़ा होने पर वह भी एक डकैती में पकड़ा गया और बाप की तरह वह भी मौत के घाट उतार दिया गया।

टामस के दो लड़के थे—मार्टिन तथा जान फ्रान्सिस। यह दोनों भी तलवार के घाट उतारे गये।

मार्टिन का बेटा भी अपराधी प्रवृत्तियों में व्यस्त रहा और केने फ्रान्स भी जेल में सड़-सड़ कर मरा ।

पादरी के तीसरे लड़के की सन्तान का भी यही हाल हुआ । वैपतिस का एकमात्र लड़का भी अपनी पत्नी के साथ आजीवन कैद की सजा भुगतते-भुगतते जेल में ही मरा । जेल जाने से पूर्व वे सात बच्चे उत्पन्न कर चुके थे । वे भी जब बड़े हुए तो अपराधों का ही धन्धा अपनाया और उन सब ने भी अपने बाप-दादों की परम्परा निबाही और वे जेल काटते, फाँसी खाते, समाप्त हुए ।

कड़ियों का वंश-परम्परा की रक्षा और रक्त शुद्धि पर बहुत ध्यान रखा है । उनका कहना यह रहा है कि अपना रक्त अपने रक्त वंश धुलकर ही शुद्ध रह सकता है । दूसरी जाति या स्वभाव के लोगों के साथ रक्त का सम्मिश्रण नहीं होना चाहिए । इससे रक्त दूषित होता है और अवांछनीय सन्तान उत्पन्न होती है । अभी भी रोटी-बेटी को वंश-कुल की मर्यादाओं में सीमित रखने की बात यही सोचकर की जाती है । इस सम्बन्ध में मिश्र में तो अति ही बरती गई । वहाँ के शासक सोचते थे कि राजवंश का रक्त अत्यन्त पवित्र है । उसे दूसरे रक्त के साथ धुलकर अपनी विशेषता नहीं खोनी चाहिए इसलिए विवाह शादी अपने घर-परिवार में ही नहीं, सगे बहिन-भाइयों में ही सीमित रखी जाय । यह प्रयोग किया तो बहुत दिन गया, पर सफल नहीं हुआ ।

मिश्र के टाल्मी राजवंश में प्राचीन काल में, भाई-बहिन की शादी का प्रचलन था । यह वंश अपने को दैवी शक्तियों से उत्पन्न मानता था और दूसरे लोगों के साधारण रक्त के साथ अपना रक्त नहीं मिलाना चाहता था । रक्त शुद्धि की दृष्टि से उन लोगों ने यह प्रथा चलाई और वह बहुत समय तक चलती भी रही । इतिहासकारों के अनुसार यह क्रम तेरह पीढ़ियों तक चला और वह तब बन्द हुआ जबकि एक बार सब लड़के ही लड़के पैदा हो गये और बाहरी लड़की लिये बिना वंश डूबने का ही खतरा पैदा हो गया ।

मिश्र के दूसरे उच्च समझे जाने वाले घरानों में भी राजवंश की देखा-देखी यह प्रथा चल पड़ी थी । मिश्र की अति सुन्दर साम्राज्ञी 'क्लियोपात्रा' अपने रूप-लावण्य के लिए प्रख्यात थी । उसने अपने विनोद कौतुक की तुप्ति के लिये एक-एक करके दोनों सगे भाइयों से विवाह किया और पसन्दगी से उतर जाने पर दोनों को मरवा भी डाला ।

टैक्सस के गवर्नर हेनरी स्मिथ ने एक-एक करके अपनी तीनों सगी बहिनों से खुद ही विवाह किया था । लोग जब उसकी निन्दा करते थे तो वह यही कहता—नर-नारी की घनिष्टता को आवश्यकतानुसार प्रणय से बदलना प्रकृति के कानून में दोष युक्त नहीं—मनुष्य समाज ने भले ही उस पर बन्धन लगाये हों ।

मूल प्रश्न रक्त शुद्धि का नहीं व्यक्तित्वों की घुलनशीलता का है । इसके लिये एक पक्ष का प्रयास सफल नहीं हो सकता, इसमें दोनों को ही पिघलना पड़ता है और यह प्रयत्न करना पड़ता है कि घनिष्ट एकता को हर कीमत पर बनाये रखा जाय । यदि ऐसा न हुआ तो फिर जो पक्ष अधिक सबल होगा दूसरे पर छा जाने का प्रयत्न करेगा । यहाँ समर्थता का अर्थात् शारीरिक या बौद्धिकता, सबलता से नहीं वरन् भावनात्मक प्रचण्डता से है । यदि किसी में घृणा या प्रतिहिंसा की भावना तीव्र है तो उसी की तीव्रता रहेगी । सीधा सरल स्वभाव उसके भावनात्मक दबाव से अपना प्रभाव खो बैठेगा । भले ही वह शारीरिक या बौद्धिक दृष्टि से बलिष्ठ या विकसित ही क्यों न दिखाई पड़े ।

बर्लिन (जर्मनी) की एक महिला इमगाड्रिन्स ने पाँच बार विवाह किये । उनमें से प्रत्येक को क्रमशः आत्महत्या करके ही अपने जीवन का अन्त करना पड़ा । उसकी भावात्मक प्रचण्डता इतनी तीव्र थी कि पति उसके शिकार होकर अपना सन्तुलन खोते चले गये ।

कई बार कई व्यक्तियों को यह सनक सवार रही है कि चूँकि पुरुष पक्ष बहुत स्वस्थ, सुयोग्य एवं समर्थ है इसलिये उसे बहुत विवाह करने चाहिए और बहुत बच्चे पैदा करने चाहिए ताकि वे उसी के जैसे गुण वाले हों और उनका नाम या वंश अधिक ख्याति प्राप्त करे । यह प्रयोग अनेक जगह हुए हैं पर उससे संख्या मात्र बढ़ी । पति-पत्नी में सघन विश्वास का वातावरण न बना, प्रेम और सौहार्द भी पैदा न हुआ, फलस्वरूप सन्तान संख्या वृद्धि की बात तो सहज थी सो पूरी हो गई पर पिता के गुण ही सब सन्तान में होंगे यह प्रयोजन पूरा न हुआ । घृणा और अविश्वास के वातावरण में चलने वाले दाम्पत्य-जीवन किसी प्रकार गाड़ी धकेलते तो रहते हैं पर उनको जो शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक, सामाजिक एवं वंश परम्परागत लाभ मिलना चाहिए वह बिलकुल भी नहीं मिलता ।

मोरको का एक नगर है । यहाँ के सभी निवासी अपने को राजकुमार कहते हैं । इस नगर का संस्थापक था मुलाई इस्माइल नामक एक मुसलमान राजा । उसने कितने ही युद्ध किये और गुलाम पकड़े । पकड़े गये पुरुषों को उसने शहर की इमारतें बनाने में लगाया और स्त्रियों को बच्चे उत्पन्न करने में लगाया । इन दो शौकों को पूरा करने के लिए ही वह युद्ध लड़ता और आक्रमण करता था । उसकी मृत्यु समय तक जीवित और समर्थ बच्चों की संख्या ८८८ हो गई थी और गुलाम इतना बड़ा नगर बना चुके थे जिनमें इन सब बच्चों के स्वतन्त्र परिवार रह सकें । इस कार्य में उसे बीस वर्ष लगे । उसकी छोड़ी हुई इन ८८८ सन्तानों की वंश वृद्धि से ही यह पूरा नगर बसा है । अस्तु वे सभी राजा के वंशज होने के कारण अपने को राजकुमार या राजकुमारी कहते हैं ।

हाँ कई पलियों होते हुए भी उनके बीच स्नेह सौहार्द, विश्वास और प्रेम का वातावरण बना रहे तो उस विषमता के बीच भी सन्तुलन बना रह सकता है और सामूहिकता के साथ सौजन्य का एकत्रीकरण भी सफल हो सकता है ।

हंगरी के प्रसिद्ध वायलिन वादक रैकज पाली—अपनी कई पलियों द्वारा उत्पन्न तथा गोद लिये हुए ४६ बच्चों के पिता थे । उन्हें अपनी वायलिन वादन कला की ही तरह बालकों के समूह में खेलने में भी आनन्द आता है । उन्होंने अपनी इन दोनों अभिरुचियों को परस्पर मिलाकर रखा । सभी बच्चों को वायलिन वादन सिखाया और उनमें से एक को छोड़कर शेष सभी अपने पिता की तरह वायलिन कलाविदों के रूप में प्रख्यात हुए ।

भारत में बहुपत्नी प्रथा कभी थी । इनमें श्रीकृष्ण भगवान को भी सम्मिलित बताया जाता है । पर यह प्रयोग सफल तभी हो सकता है जब इस सारे समूह का स्तर बहुत ही उच्च कोटि का हो, अन्यथा ईर्ष्या-द्वेष की आग जब एक पत्नी एक पति वाली स्थिति में नरक उत्पन्न कर देती है तब बहुपत्नी या बहुपति वाली स्थिति घटिया स्तर से तो सर्वनाश ही प्रस्तुत करेगी ।

विवाह का उद्देश्य यदि संख्या वृद्धि करने वाला पशु प्रजनन हो तो बात दूसरी है अन्यथा व्यक्तित्वों में प्रखर प्रत्यावर्तन उत्पन्न करना और प्रतिभाशाली सन्तान प्राप्त होना तभी सम्भव है जब नर-नारी के बीच अत्यन्त गहरे एवं सघन स्तर की

आत्मीयता स्थापित हो सके । ऐसे ही विवाह सच्चे अर्थों में विवाह हैं अन्यथा उन्हें एक मजबूरी का निर्वाह मात्र ही कहा जा सकता है ।

विवाह की सफलता पारस्परिक उत्कर्ष में—अभिवर्द्धन में

दाम्पत्य जीवन में ऐसा कुछ नहीं है जैसा कि सिनेमा के प्रणय प्रसंगों में देखा या दिखाया जाता है । अवकाश और एकान्त में ही यदाकदा उसका कार्यान्वयन हो सकता है अन्यथा पति के व्यवसाय में बाहर रहने और पत्नी के घरेलू काम निपटाने और बच्चों की, कुटुम्बियों की साज-सँभाल में ही सारा समय निकल जाता है । रात्रि को एकान्त मिलने पर भी दोनों पक्षों की परिवार, दफ्तर या समाज की इतनी समस्याएँ होती हैं जिन पर परामर्श और विचार-विनिमय आवश्यक होता है । वर्तमान की कठिनाइयों और भविष्य की योजनाओं का ताना-बाना बुनना अपने आप में इतना रोचक, आवश्यक और महत्त्वपूर्ण कार्य है जिसे करने के लिए वह समय ही उपयुक्त पड़ता है । यदि उसे भी उच्छृंखल आचरणों में बिता दिया जाय तो फिर अन्य कोई समय ऐसा नहीं रह जाता जिससे कि एक-दूसरे की मनःस्थिति को, कठिनाइयों को समझा और सँभाला जा सके ।

अन्तर इतना ही है कि वार्तालाप में स्नेह, सद्भाव और सहानुभूति का समावेश होना चाहिये । यह अभिव्यक्ति ही वह विशिष्टता है जिससे प्रेम की प्यास बुझाने का सहज समाधान हर घड़ी निकलता रहता है । मिठास वाणी और व्यवहार में होती है उसमें यदि उल्लास का समावेश रहे तो फिर कामुकता का चिन्तन सहज ही घट जाता है और उस स्तर का आचरण करने के लिए आतुरता नहीं रह जाती । यह स्वास्थ्य रक्षा, मानसिक सन्तुलन और भविष्य निर्माण की दृष्टि से उचित भी है और आवश्यक भी ।

दाम्पत्य जीवन की आवश्यकता और सफलता के सम्बन्ध में हमें अपने उलझे अवास्तविक दृष्टिकोण को सुलझाना चाहिए । पति-पत्नी एक-दूसरे के सखा-सहचर मात्र हैं । वे एक-दूसरे की अपूर्णता को पूर्ण करते हैं और मिलजुल कर ऐसा कार्यक्रम बनाते हैं जिससे पारस्परिक घनिष्टता एवं निष्ठा का समावेश अधिकाधिक होता रहे । किसी को किसी की

वफादारी पर आशंका करने का अवसर न आये । दुराव की इसमें कहीं कोई गुञ्जायश नहीं है । किन्तु इतनी खुली स्थिति बनने से पूर्व यह भी आवश्यक है कि गलतियों के सम्बन्ध में 'भूलो और क्षमा करो' की पृष्ठभूमि बन चुकी हो ।

वफादारी और समर्पण भावना एकपक्षीय नहीं होती । उसका उत्पादन एवं अभिवर्द्धन करने के लिए दोनों ही पक्षों को समान रूप से प्रयत्न करना चाहिए । इतना ही नहीं इस प्रतिस्पर्धा में दोनों को एक-दूसरे से अधिक प्रामाणिक सिद्ध करना चाहिये ।

पैसे के सम्बन्ध में पति का दायित्व है कि वह पत्नी को उसकी सही और समग्र जानकारी देता रहे । वेतन की राशि अपनी जेब में रखना और पत्नी को घर खर्च भर देने के लिए देने से यह आशंका पनपती है कि दुर्व्यसन जन्य कोई दुष्प्रवृत्ति तो नहीं पनप रही है । सच्चे साथी होने के नाते यह आवश्यक है कि कमाऊ पक्ष अपने विश्वस्त परिजनों को उसकी जानकारी दे और खर्च के सम्बन्ध में भी योजनाबद्ध कदम उठाये । पति-पत्नी जहाँ एक-दूसरे की प्रसन्नता को—सद्भावना को घटने न देने के लिए प्रयत्नशील रहें वहाँ उन्हें एक-दूसरे का संरक्षण भी होना चाहिये । दोनों एक-दूसरे की व्यवहारकुशलता और औचित्य को मर्यादा में रखने के लिए दृष्टि भी रखें एक-दूसरे के अनगढ़पन से परिचित रहें और धैर्यपूर्वक मिठास का समावेश रखते हुए यह प्रयत्न करें कि साथी की शालीनता, सज्जनता एवं व्यवहारकुशलता, नीति-मर्यादा में कमी न पड़ने पाये । प्यार की अभिव्यक्ति पाशविक इच्छाओं की छूट ही विवाह नहीं है । उनका वास्तविक उद्देश्य है—एक-दूसरे के व्यक्तित्व को निखारना और सुधारना । इस कार्य को करते हुए कटुता एवं विग्रह की स्थिति भी नहीं आनी चाहिये । इसी में बुद्धिमता है ।

सुखी वैवाहिक जीवन

सफल विवाहित जीवन मनुष्य के सुख की एक आधारशिला है । यदि सच्चा दाम्पत्य प्रेम हुआ तो वह दोनों की अन्तरात्मा का केवल विकास ही नहीं करता, वरन् उसमें निहित उस अमूल्य भावना की सिद्धि का कारण होता है जो पुरुष, नारी के प्रति तथा नारी, पुरुष के प्रति अनुभव करती है । वास्तव में सच्चे दाम्पत्य प्रेम का आधार ही सुखी वैवाहिक

जीवन है । अब हमें देखना है कि इस सुखी वैवाहिक जीवन के मूल तत्त्व क्या हैं । सच तो यह है कि वैवाहिक आनन्द का कोई शिक्षित मापदण्ड नहीं है और न कोई ऐसा निरपेक्ष नियम ही है जिसके अनुसार इस अत्यन्त कलापूर्ण क्षेत्र में मानवीय सम्बन्धों का नियन्त्रण होता हो । अनेक स्त्री और पुरुष ऐसे ही जीवन में सुखी हैं जो अन्य स्त्री-पुरुषों के दुःख और निरुत्साह का कारण बन जाते हैं । कई दम्पति सन्तान के अभाव में दुःखी हैं, तो कई बिना सन्तान के ही पूर्ण सुखी हैं । कई अपनी गरीबी में सुखी हैं, तो कड़ियों की आर्थिक अवस्था ही उनके दुःख की जड़ है । शारीरिक प्रतिकूलता जहाँ एक दम्पति के दुःख का कारण है, वहीं दूसरे के सुन्दर सहयोग का आधार है । अनेक ऐसी बातें हैं, जिनका वैवाहिक जीवन के आरम्भ में कोई महत्त्व नहीं दिया जाता, परन्तु समय बीतने पर वे ही सुख या दुःख का कारण बन जाती हैं । अनेक दम्पति जो आरम्भ में सब प्रकार से सुखी होते हैं, बाद में दुःखी रहने लगते हैं, क्योंकि मनुष्यों का मानसिक और आध्यात्मिक विकास विभिन्न गतियों से होता है ।

उपरोक्त बातों के होते हुए भी सुखी वैवाहिक जीवन की कुछ मौलिक आवश्यकताएँ हैं और वे इस प्रकार हैं—वैवाहिक बन्धन में बँधने वाले दोनों साथियों में एक-दूसरे के आत्मसम्मान की ठोस बुद्धि, मानसिक परिपक्वता, शारीरिक स्वास्थ्य, दृष्टिकोण में मनोवैज्ञानिक स्वतन्त्रता, प्रेमकला तथा लैंगिक ज्ञान, पारिवारिक उत्तरदायित्व की परिपक्व भावना, वस्तु-स्थिति के अनुकूल आचरण करने की योग्यता, काल्पनिक आदर्श से मुक्ति, विस्तृत एवं उदार मानवीय प्रवृत्ति तथा सहयोग के आधार पर आगे बढ़ने, कष्ट उठाने और जीवन के सुख-दुःख में भाग लेने की क्षमता आदि । ये ही दिन-प्रतिदिन की वैवाहिक समस्याओं को सफलतापूर्वक सुलझाने के मूल मन्त्र हैं । अपने वैवाहिक साथी की परिस्थिति से पूर्ण आत्मीयता तथा उसे निरन्तर उत्साहित करते रहने की तत्परता, दाम्पत्य जीवन की साधारण बाधाओं को सहज ही में दूर कर देती है । साथ ही यदि दोनों समान रूप से शिक्षित हुए और दोनों की समाज के लिये उपयोगी काम-धन्धों में भी समानता हुई, तो सोने में सुगन्ध आ जाती है । अन्त में थोड़ी बहुत आर्थिक स्वतन्त्रता और धार्मिक तथा सामाजिक साम्यता यदि उपलब्ध हो, तो

वह वैवाहिक जीवन को सुखद बनाने में बड़े ही सहायक होते हैं ।

परन्तु बहुत कम ऐसे व्यक्ति हैं, जो उपरोक्त आदर्श साधनों के साथ विवाह सम्बन्ध में प्रवेश करते हैं । यही कारण है कि जीवन में हमें अनेक बेजोड़ गठ-बन्धन जैसे किसी निर्दयी पुरुष और अबला स्त्री में, किसी जबरदस्त मर्दानी औरत और लैण्ण पुरुष में, किसी स्वतन्त्र एवं साहसी पुरुष तथा कायर एवं मूर्ख स्त्री में, किसी स्वस्थ और पुष्ट स्त्री और सूखे हुए किताबी कीड़े पुरुष में, किसी बालिका और वृद्ध में, किसी अशिक्षित तथा गँवार स्त्री और शिक्षित पुरुष में, किसी सुन्दर युवक और कुरूप स्त्री या सुन्दर स्त्री और कुरूप पुरुष में देखने को मिलते हैं ।

अब यदि हम वैवाहिक असफलता के कारणों पर किंचित दृष्टिपात करें तो देखेंगे कि बेजोड़ विवाह न होने पर भी लैंगिक विज्ञान और प्रेमकला की अनभिज्ञता वैवाहिक असफलता का एक प्रधान कारण है । जीवन के आरम्भ से ही हमें चलने, बोलने, अभिवादन करने तथा कायदे से कपड़े पहनने आदि की शिक्षा दी जाती है । हमारी पढ़ाई-लिखाई के साथ-साथ हमें खेलने-कूदने, लोगों से मिलने-जुलने तथा अन्य सामाजिक शिष्टाचारों की शिक्षा दी जाती है । जीविकोपार्जन करके हम अपना निर्वाह कर सकें, इसके लिये कुछ उद्योगों की भी शिक्षा हमें दी जाती है, परन्तु शायद ही कोई ऐसा पुरुष या स्त्री हो, जिसे किसी कुशल शिक्षक द्वारा इस बात की शिक्षा दी गई हो कि एक सफल प्रेमी, आदर्श पति अथवा पत्नी कैसे बना जा सकता है ।

हमारे आधुनिक जीवन का अभिशाप यह है कि अश्लील आख्यानों से भरे हुए उपन्यासों, कामोद्दीपक चित्रों और लेखों से पूर्ण समाचार पत्रों तथा लम्पटतापूर्ण दृश्यों से भरे हुए नाटकों और चलचित्रों की प्रबल धारा में बहाकर हम अपने नौजवानों का दिमाग अनेक गलत धारणाओं से भर ही नहीं देते, वरन् उनकी स्वाभाविक एवं सामान्य काम-वृत्ति को बुरी तरह उत्तेजित और विकृत भी बना देते हैं । जहाँ एक तरफ हम अपने ही हाथों इतने विधाक्त वातावरण की सृष्टि करते हैं, वहाँ दूसरी तरफ लैंगिक-ज्ञान (सैक्स) के ऊपर एक गुप्त और अपवित्रता का झूठा पर्दा डालकर अपने बच्चों को जीवन की इस अमूल्य जानकारी से वंचित रखते हैं । जिस समय लड़की

को यह विश्वास कराया जाता है कि उसके जीवन का एकमात्र लक्ष्य विवाह को सफल बनाना तथा एक सुन्दर घर बसाना है, कामवृत्ति और गर्भाधान आदि सम्बन्धी अत्यन्त उपयोगी जानकारी उससे छिपा कर रखी जाती है । वैवाहिक जीवन को सफल बनाने के लिए इस अज्ञान को दूर करना आवश्यक है । कुशल शिक्षक तथा डाक्टर और लेडी डाक्टर भावी दाम्पत्य के इस विषय की शिक्षा के लिए उपयुक्त व्यक्ति होंगे ।

वैवाहिक नैराश्य का दूसरा प्रधान कारण स्त्री और पुरुष के बीच प्रभुता और शान के लिए प्रतिद्वन्द्विता है । इस प्रतिद्वन्द्विता को आज हम बड़े स्पष्ट रूप में, विशेष कर शिक्षित दाम्पत्यों में देख सकते हैं । कुछ अंशों में हम इसे उस आन्दोलन की ही एक शाखा कह सकते हैं जो आधुनिक शिक्षित नारी आज के शक्तिशाली पुरुष की निरंकुशता के विरुद्ध चला रही है । व्यक्तिवादी समाज के व्यापारिक कार्यों में एक जीवनदायिनी शक्ति के रूप में प्रतिद्वन्द्विता को चाहे हम जो भी महत्त्व दें, परन्तु प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिए तो प्रतिद्वन्द्विता मृत्यु के समान है अथवा वह छिपी हुई चट्टान है, जिससे टकराकर अनेक विवाह विचूर्ण हो चुके हैं ।

लोग इसे एक मनोवैज्ञानिक आदेश की भाँति ग्रहण करें कि जिस भी व्यक्ति ने अपने स्त्री या पुरुष साथी पर प्रभुत्व जमाना चाहा या उसकी निन्दा की तथा उसके आत्म-सम्मान को ठेस पहुँचाई, उसने सदा के लिए अपने वैवाहिक आनन्द पर कुठाराघात कर लिया ।

वैवाहिक नैराश्य का तीसरा प्रधान कारण काल्पनिक आदर्शवाद है । वह लड़की जो अपने को स्वर्ग की परी समझकर आशा करती है कि सारी दुनिया उसके ऊपर निम्नवर होगी तथा वह लड़का जो अपने को एक विशिष्ट व्यक्ति और सुन्दर सलोना युवक मानकर प्रत्येक नारी की आराधना को अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझता है और जिसे जीवनसंगिनी बनाने के लिए जल्दी कोई लड़की ही पसन्द नहीं आती, शायद ही कल्पना के इस मायाजाल से निकल कर धरती पर पाँव रख सके, इनका उपचार तो तभी हो सकता है, जब एक नये सिरे से इनका मनोवैज्ञानिक कायाकल्प किया जाय, अन्यथा ऐसे लोगों का वैवाहिक जीवन बड़ा ही दुःखद होता है ।

वास्तव में लोगों का वैवाहिक जीवन अधिक सफल होता यदि दाम्पत्य बाह्य आकर्षण और सुन्दरता पर आधारित

प्रेम की बात कम सोचते तथा अपनी आर्थिक परिस्थिति, सन्तान पालन के सिद्धान्त, खाली समय का पारस्परिक सदुपयोग, एक-दूसरे की भावनाओं का समुचित ध्यान, साथ मिलकर जिम्मेदारी उठाने की योग्यता आदि आवश्यक विषयों पर गम्भीरतापूर्वक विचार कर अपनी जीवन नौका को कुशलता के साथ खेते। कितनी विचित्र बात है कि यदि कोई आदमी किसी व्यापार या साझेदारी में केवल इसलिए शामिल होने को लालायित हो उठता है कि उस व्यवसाय विशेष के दफ्तर की कुर्सी और भेज उसे बहुत पसन्द है तो लोग उसे बेवकूफ बनाते हैं, परन्तु यदि वही आदमी एक लड़की से केवल इसलिये शादी करले कि वह देखने में सुन्दर है, नाच अच्छा करती है तथा पार्टियों में जाने की शौकीन है तो उसके मित्र उसे बधाई देते नहीं थकते। ऐसे गुणों तथा बाह्य सुन्दरता और आकर्षण पर आधारित प्रेम बिल्कुल अस्थायी रहता है। अवस्था के साथ-साथ जीवन ढलने पर ऐसा प्रेम प्रायः हवा हो जाता है। प्रेम का सच्चा बन्धन तो आन्तरिक सुन्दरता पर अवलम्बित है। प्रत्येक व्यक्ति में कोई न कोई गुण अवश्य होता है। दाम्पत्य को एक-दूसरे की आन्तरिक सुन्दरता और विशिष्ट गुणों की खोज कर प्रेमपूर्वक जीवन निर्वाह करना चाहिए। हाँ विवाह बन्धन में फँसने के पूर्व इस बात का ध्यान रहे कि स्त्री और पुरुष दोनों में प्रत्येक दृष्टिकोण से अधिक से अधिक साम्य रहे। शुरू की जरा-सी भी जल्दीबाजी और असावधानी सारे वैवाहिक जीवन को दुःखद बना सकती है।

अन्त में यह ध्यान रखना आवश्यक है कि विवाहित जीवन को सुखमय बनाने का सबसे सुन्दर नियम वास्तव में यह है कि विवाह करने के पहले अपने साथी को भली-भाँति समझ लीजिये तथा विवाह के बाद उसे वही समझिये जो वह वास्तव में है और आदर्श कल्पना को त्याग कर उसी का सन्तोषपूर्वक प्रसन्नता के साथ उत्तम से उत्तम उपयोग कीजिये।

एक आत्मा दो शरीर

मनुष्य के आदि पिता मनु के पास जाकर ऋषि-महर्षियों ने पूछा—“हे भगवन्! वर्णों एवं जातियों के धर्म क्रम से आप ही हमें बता सकते हैं। सर्वप्रथम आप ही उत्पन्न हुए, अतः अचिन्त्य और अप्रमेय ब्रह्म के कार्य का तत्त्व आप से अधिक कौन जानता होगा?”

ऋषिगणों की ज्ञानपिपासा पूरी करने के लिए मनु ने वर्णों एवं जातियों के धर्म क्रमपूर्वक बताने से पूर्व संसार की उत्पत्ति, सृष्टि का क्रम, ब्रह्म का स्वरूप, युग-युग में आयु का प्रमाण आदि विषयों का स्पष्टीकरण किया। यह विवेचन मनुस्मृति के प्रथम अध्याय में आता है। मनुष्य की उत्पत्ति के प्रकरण में भगवान मनु ने कहा है—“जैसे ऋतु-परिवर्तन के समय ऋतुएँ स्वयं अपना चिन्ह धारण कर लेती हैं वैसे ही जीव भी अपने-अपने कर्मों को प्राप्त होते हैं। ब्रह्मा ने जब मनुष्य की सृष्टि करनी चाही तो उसने मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, जाँघ से वैश्य और चरण से शूद्र उत्पन्न किये। स्पष्ट कहा गया है कि आरम्भ में मनुष्य की सृष्टि हुई थी। फिर आगे उल्लेख आता है—प्रभु ने अपनी देह के दो भाग किये। आधे से पुरुष तथा आधे से स्त्री बनाकर स्वयं प्रभु उसमें विराजित हुए।

यह प्रकरण इस सन्दर्भ में उद्धृत किया गया है कि यह लोग प्रायः कहते हैं, भगवान ने स्त्री और पुरुष की रचना करते समय स्त्री को बुद्धि और शक्ति नहीं दी तथा पुरुष को सौन्दर्य और हृदय। यह मान्यता सर्वथा अनुपयुक्त है कि स्त्री के पास बुद्धि और शक्ति का अभाव है। किसी कारण से आजकल की नारी मन्दबुद्धि या निर्बल दिखाई देती है तो इसका कारण भगवान नहीं पुरुष है, जिसने स्त्री पर तरह-तरह के बन्धन, प्रतिबन्ध, लांछन और वर्जनाएँ लगाकर उसके विकास को रोक दिया।

इन सब वर्जनाओं के पीछे क्या कारण रहे हैं? इस सम्बन्ध में विचार करते समय दो ही तथ्य सामने आते हैं। पहला तो यह कि मध्यकाल के अंधयुग में जब स्त्रियों का शील और सतीत्व असुरक्षित समझा जाने लगा तो उसका बचपन में ही विवाह करना, घर के भीतर ही रहना, घरेलू कामकाजों को ही निबटाना, पर्दा करना जैसे प्रतिबन्ध लगाना आवश्यक समझा गया हो। परिस्थितियाँ वैसी रही हों तो संकट के समय अपनाये जाने वाले इस तरह के उपायों को अनुचित भी नहीं कहा जा सकता।

पर वैसी परिस्थितियाँ न रहने के बाद भी उन बन्धनों और प्रतिबन्धों को लागू किये रहना कहाँ तक उचित है यह समझ में नहीं आता। आज का मनुष्य स्वभाव से न तो

परम्परा भक्त है और न पूर्वजों के प्रति श्रद्धालु । स्वार्थ कहें या रूढ़िवादिता के कारण उसने जितनी उचित परम्पराओं और जितने उपयोगी रीति-रिवाजों को त्याग दिया है उनको दृष्टिगत रखते हुए दूसरा कारण उसकी संदिग्ध नीयत ही समझना पड़ता है ।

इतिहास ऐसे असंख्य उदाहरणों से भरा पड़ा है जिनमें नारी ने बुद्धि-कौशल और शौर्य साहस में पुरुष को भी पीछे छोड़ दिया है । महर्षियों ने नारी को तो 'मातृशक्ति' की संज्ञा दी पर पुरुष को 'पितृशक्ति' क्यों नहीं कहा ? स्पष्ट है कि वह शरीर बल में न सही धैर्य, साहस, मनोबल, सहनशीलता जैसे शौर्यपरक गुणों में नारी पुरुष से इक्कीस ही बैठती है और अपने अजस्र अनुदानों से पुरुष को आगे बढ़ाती रही है । महादेवी वर्मा ने इन्हीं विचारों को इस प्रकार व्यक्त किया है—'नारी केवल माँसपिण्ड की देह नहीं है । आदिम काल से आज तक विकास पथ पर पुरुष का साथ देकर उसकी यात्रा को सफल बना कर, उसके अभिशापों को स्वयं झेल कर और अपने वरदानों से जीवन में अक्षय्य शक्ति भर कर मानवी ने जिस व्यक्तित्व चेतना और हृदय का विकास किया है उसी का पर्याय नारी है ।'

कवीन्द्र रवीन्द्र ने 'नारी के हास को जीवन निर्झर का संगीत' कहा है तो आचार्य चतुरसेन शास्त्री कहते हैं, 'नारी पुरुष की शक्ति के लिए जीवन-सुधा है । त्याग उसका स्वभाव है, प्रदान उसका धर्म, सहनशीलता उसका व्रत और प्रेम उसका जीवन है ।' जयशंकर प्रसाद ने तो नारी से यह निवेदन तक किया है कि तुम मनुष्य के जीवन को अमृत के झरने की तरह बहाया करो क्योंकि श्रद्धा (सर्व के प्रति पूज्य और आदर भाव रखने वाली) तथा विश्वास की मूर्ति हो । कामायनी में उन्होंने गाया है—

नारी केवल तुम श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में ।

पीयूष स्रोत सी बहा करो, जीवन के सुन्दर समतल में । ।

संसार के सभी महापुरुषों ने नारी में उसके दिव्य स्वरूप के दर्शन किये हैं जिससे वह पुरुष की पूरक सत्ता ही नहीं उसकी उर्वरक भूमि के रूप में भी उसकी उन्नति, प्रगति एवं कल्याण के साधन प्रस्तुत करती है । कहने को अर्धाङ्गिनी कह कर उसे पुरुष के अस्तित्व के साथ एकाकार किया गया है । जैसे हृदय और मस्तिष्क । स्थूल के ये दोनों अंग जरा

भी गड़बड़ा जायें तो जीवन संकट उपस्थित हो जाता है और आप उन्हें अलग निकाल कर रखने की बात सोचें तथा जरूरत पड़ने पर मनमाने ढंग से प्रयुक्त करने का विचार करें तो इससे ज्यादा मूर्खतापूर्ण बात क्या होगी ? हृदय और मस्तिष्क कहने को तो शरीर के ही अंग हैं पर सारे शरीर का स्वास्थ्य, शक्ति, कौशल और चातुर्य इन पर ही निर्भर रहने से इनका महत्त्व बढ़ जाता है । उसी प्रकार स्त्री को पुरुष की अर्धाङ्गिनी कहा गया है । पुरुष ने हृदय और मस्तिष्क को अलग सुरक्षित रखने की मूर्खता तो नहीं की पर उससे भी बड़ा पागलपन वह कर गुजरा है और वह पागलपन है स्त्री को अबला, पैर की जूती और दासी बनाकर ।

होना तो यह चाहिए था कि हृदय और मस्तिष्क की तरह उसे अधिक महत्त्व दिया जाता । उसे गरिमा-मण्डित किया जाता । न हो सका ऐसा तो ज्यादा हानि नहीं रहती पर मानवी चेतना के विकास पथ पर पत्थर की अमेध दीवार तो तब बन कर खड़ी हो गयी जब उसे पद-दलित, शोषित और दीन-हीन बना डाला । कल्पना कीजिए निर्माण, पालन-पोषण और संवर्धन की प्रक्रिया बन्द हो जाय तो मनुष्य समाज की क्या प्रगति होगी ? कुछ वर्षों में नहीं थोड़े ही समय में मनुष्य जाति की सारी सभ्यता और समूचा अस्तित्व तहस-नहस हो जायेगा । स्मरण रहे नारी के प्रति पुरुष का कैसा भी व्यवहार रहा हो, वह उसके साथ चाहे जैसी रीति-नीति बरत रहा हो पर नारी इतनी सहनशील, धैर्यवान और शांत है कि अपने जैसे-तैसे हाथों से भी मनुष्य का निर्माण, पालन-पोषण और प्रेरणा-प्रोत्साहन देने का काम कर रही है । उसके हाथ बनाने के लिए हैं बिगाड़ने के लिए नहीं । परिस्थिति-वश उसका स्वभाव कितना ही कठोर हो जाय पर उसकी रग-रग में बहने वाली कोमलता और हर श्वास के साथ व्यक्त होता प्रेम कभी ओझल नहीं हो सकता, जिसकी पावन गोदी में संसार भर के जीवमात्र का शिशु पला और बढ़ा है ।

सम्भव है नारी में कोमलता और सहिष्णुता के जो प्राकृत गुण हैं उन्हें पुरुष ने निर्बलता समझ लिया हो । लेकिन यह भ्रान्ति है—प्रकृति ने नारी के स्वभाव में इन गुणों का समावेश एक विशेष उद्देश्य से किया है । वह उद्देश्य है—मातृत्व के दायित्व का निर्वाह । कोमलता और सहिष्णुता के कारण ही उसे अपने बच्चे का रोना सुनकर अनुभव होने लगता है कि

१.५२ विवाहोन्माद : सम्पत्त्या और समाधान

बच्चा भूखा है। कोमलता के कारण ही बच्चे की मूकभाषा को अपनी अन्तरिन्द्रियों से समझ लेती है। कहा जाता है कि जब माँ और दूध पीता बच्चा दूर हों और बच्चे को भूख लगी हो तो माँ के स्तन भारी होने लगते हैं। कई आर्द्र-हृदय महिलाओं के स्तनों से तो दूध टपकने लगता है। यह सब नारी की कोमलता के कारण ही सम्भव हो सका है। कदाचित् उसे पुरुष की तरह कठोर हृदय मिला होता तो बच्चे भूख से बिलबिलाते रह जाते।

उसकी सहिष्णुता को भी अबलापन का चिन्ह भ्रान्तिवश मान लिया गया है अन्यथा वह सहनशील न होती तो घर में भिन्न-भिन्न प्रकृति के परिजनों का निर्वाह किस तरह कर पाती। बाहर से पति आता है हारा-थका। थकावट के साथ ही मामूली बातों पर चिड़चिड़ाहट भी आ जाती है। नारी यदि असहिष्णु होती तो घर सुख-शान्ति के मन्दिर नहीं सजान और बदबूदार कूड़ाघर बन जाते। उसकी सहिष्णुता में ही मानव-जीवन की स्थिति और निभाव सम्भव है। क्या असहनशील व्यक्ति अपने ऊपर किसी बच्चे का पेशाब करना और मल-त्याग देना सहन कर सकेगा। पिता तक अबोध शिशुओं द्वारा मल-मूत्र त्याग देने के कारण गोदी से उतार देते हैं। माँ भी यही रवैया अपना ले तो बच्चों का पालन-पोषण और निर्माण-संवर्धन ही असम्भव हो जाय। उसकी कोमलता और सहिष्णुता को अबलापन के रूप में कदापि नहीं लिया जा सकता।

त्याग, बलिदान, स्नेह, श्रद्धा, दया के मानवी गुण भी नारी में पुरुष की अपेक्षा अधिक ही हैं। माता-पिता के लिए लड़की जितनी आत्मीयता और जितनी सेवा-भावना रखती है उतनी पुत्र में भी नहीं होती। कहते हैं लोभी पुत्र बाप के मरने पर उसकी सम्पत्ति को हथियाने की चिन्ता करने लगते हैं पर बेटी ससुराल से आने पर गली के नुक्कड़ से ही 'हाय माँ' और 'हाय बापू' कहकर चीखने लगती है। पराये घर जाकर भी लड़की अपने माँ-बाप को नहीं भूलती जबकि अपने घर में रहते हुए भी लड़का माँ-बाप की उपेक्षा, अवहेलना और अवज्ञा करने लगता है। यही स्थिति भाई-बहिन के सम्बन्ध में भी है। भाई-भाई अलग हो सकते हैं, लड़-झगड़ लेते हैं, मनमुटाव कर लेते हैं पर भाई से बहिन परायापन जताते, लड़ाई-झगड़ा करते और मनमुटाव रखते हुए बहुत कम ही देखने में आती है।

पुरुष पत्नी के प्रति एक ही दायित्व निभाता है—उसके निर्वाह का, जीवन-साथी का, उसकी आवश्यकताओं को पूरा करने का। पर शास्त्रकार ने स्वयं पत्नी को छह रूपों में पति का साथी-सहचर बताया है—कार्य में मन्त्री के समान, सेवा में दासी की तरह, भोजन कराते समय माता के रूप में, आनन्दोपभोग के लिए रम्भा की भाँति, धर्म और कर्तव्य को धारण करने में पृथ्वी के समान तथा क्षमाशील भार्या—पत्नी इन छह गुणों से युक्त है। ऐसा और कोई साथी मिलना दुर्लभ ही नहीं असम्भव प्रायः है।

नारी मानवी चेतना का अभिन्न अंग है। अभिन्न ही नहीं जड़ की भाँति वृक्ष का प्रमुख भाग भी। पर खेद है कि आज उसे न जाने क्यों प्रतिबंधित और मानवी अधिकारों से वंचित रखा जा रहा है। वह तो भारतीय नारी की जीवनी-शक्ति अति प्रबल है—जिसके आधार पर वह अपनी भूमिका अभी तक किसी रूप में अपनी क्षमता और योग्यता के अनुसार निभाती चली आ रही है। यही कारण है कि विश्व की अनेक उन्नत सभ्यता और संस्कृति वाले देशों में उनकी प्राचीन प्रगति का परिचय खण्डहरों के रूप में मिलता है, वहीं भारतीय संस्कृति आज भी जीवित है और केवल नारी के कारण। उचित है कि उसे मस्तिष्क की तरह प्रधानता दी जाय। लेकिन अभी इस प्रधानता से पूर्व कम से कम पहले और दूसरे दर्जे का वर्ग-विभाजन रोकना पड़ेगा तथा नारी को भी पुरुष के समान प्रगति करने के अवसर उपलब्ध कराने होंगे।

विवाह का आधार शरीर नहीं

पटियाला में एक अमरीकी युवती का विवाह एक लँगड़े पंजाबी युवक के साथ जौहर रीति से सम्पन्न हुआ। अमरीकी युवती कुमारी मागरिट बोस्टन की आयु १६ वर्ष और युवक की आयु २२ वर्ष है।

विवाह का आधार कोई बाह्य आकर्षण न होकर वह आध्यात्मिक पृष्ठ-भूमि है, जिसके द्वारा ही दो आत्माएँ एक बन्धन में बँध कर परस्पर एक-दूसरे के आत्मोत्कर्ष में सहयोगिनी हुआ करती हैं। शारीरिक और भौतिक सुख-सुविधाएँ तो उस आध्यात्मिक उद्देश्य की पूर्ति में एक अंश तक ही सहायक होते हैं। आत्मिक-उच्चता और पवित्रता हो तो, बाह्य-जीवन के अभावों के बीच भी दाम्पत्य जीवन को सुखपूर्वक जिया जा सकता है। यह सम्बन्ध इसी का एक आदर्श उदाहरण है।

युवक और युवती दोनों कुछ दिन पूर्व से पत्र-मित्र थे। यद्यपि पत्रों का आदान-प्रदान भावनाओं तक ही सीमित रहता है, इसलिये चालाक और चाटुकार लोग भावुक व्यक्तियों को भ्रमित भी कर सकते हैं। पर पंजाबी युवक ने यह बात तभी स्पष्ट कर दी कि वह शारीरिक दृष्टि से अपूर्ण युवक है, उसकी एक टँग नहीं है, बैसाखी के सहारे चलना पड़ता है।

युवती कुमारी बोस्टन ने युवक की आन्तरिक निश्चलता को परखा और देखा कि शरीर का अक्षम होना मुख्य रूप से आजीविका को प्रभावित करता है, किन्तु ऐसी कोई बात युवक में नहीं है। वह अध्यवसायी है और अपनी आजीविका अपने हाथों कमा सकता है, तो फिर आधी टँग न होने को ही अपूर्णता क्यों माना जाय? महत्त्वपूर्ण बात तो यह है कि ऐसे होनहार व्यक्ति को यदि किसी का भावनात्मक सहयोग मिल सके तो उससे उसकी प्रतिभा का और भी विकास हो सकता है।

इस दृढ़ता के साथ कुमारी बोस्टन ने युवक से शादी करने का प्रस्ताव दोहराया और अपनी ओर से अन्तिम सौंस तक पूर्ण साथ देने का आश्वासन दिया। जहाँ इस तरह पवित्र भावना से एक-दूसरे के उत्थान को उद्देश्य मान कर विवाह-सम्बन्ध होते हैं वहाँ दाम्पत्य जीवन सफल और सार्थक ही होते हैं।

कुमारी बोस्टन की भावना से प्रभावित होकर उनके अभिभावकों ने भी सम्बन्ध की स्वीकृति दे दी। वह वहाँ से भारतवर्ष आई। पटियाला में एक गुरुद्वारा में उनका पूर्ण सिक्ख रीति से विवाह सम्पन्न हुआ। कुमारी बोस्टन का नया नाम नीरा रखा गया है। पंजाबी युवक का चण्डीगढ़ में अपना निजी स्टूडियो है, जहाँ वह दूसरे हाथ पाँव से समर्थ लोगों की तरह अपनी आजीविका शानदार ढंग से कमा लेता है।

कुमारी बोस्टन ने यह साहस व्यक्त कर यह सिद्ध कर दिया है कि विवाह सम्बन्ध शारीरिक वासनाओं की पूर्ति के लिये नहीं होते। वह पति-पत्नी के आध्यात्मिक उत्थान का पवित्र माध्यम है और उसे उसी पवित्र भावना से निबाहना भी चाहिये। यदि भौतिक और लौकिक आकर्षणों से कुछ कमी भी रहे तो भी आत्मिक पवित्रता द्वारा इसे पूरा किया जा सकता है।

शादी करूँगा तो काली लड़की से

राम झल्लाकर बोला—“तो तुम्हीं लोग रखना उसे! मुझे कोई मतलब नहीं ऐसी लड़की से।”

माँ ने समझाया—“बेटा! पिताजी कह रहे हैं, उनकी बात मान लेनी चाहिये तुम्हें।”

अब राम का भी स्वर तनिक धीमा हो गया। कहने लगा—“तुम यह क्यों नहीं सोचती हो कि बीना गोरी है, सुन्दर है, ठीक है। मैं न करूँगा उससे विवाह तो उसे एक से एक अच्छे लड़के मिल जायेंगे। किन्तु ऐसी लड़कियों का फिर क्या होगा जो केवल अपनी चमड़ी सौवली होने के कारण ही विवाह के बाजार में अनखरीदी ही रह जाती हैं। जीवन भर काम तो गुण ही आते हैं। रूप-रंग की वाहवाही तो बस साल दो साल की ही होती है। मैं स्वयं अपने जीवन पर यह प्रयोग करके दिखाना चाहता हूँ कि काली लड़की के साथ भी सुखी और सन्तुष्ट दाम्पत्य जीवन बिताया जा सकता है। सदगुणों की सुगन्ध के आगे रूप की चकाचींध कुछ भी नहीं।”

माँ अब चुप थीं। पिताजी प्रतीक्षा में थे कि राम की सहमति मिले तब कन्या पक्ष वालों को अन्तिम उत्तर दिया जाय। उन्हें मना ही करना पड़ा। यह घटना गोरखपुर की है।

तभी उनके यहाँ पहुँचे श्री लक्ष्मीप्रसाद जी। अपनी कन्या के लिए सम्बन्ध माँगने। राम के पिताजी-राम से बहुत असन्तुष्ट बल्कि नाराज थे। गुस्से में कह दिया मैं कुछ नहीं जानता। आप सारी बात लड़के से ही तय कर लें।

राम इस स्थिति के लिए तैयार न था। पर अब तो तीसरे मनुष्य के सामने बात कही जा चुकी थी और अपने सिद्धान्त की रक्षा के लिये हल्का-सा विरोध इसी प्रकार सहन करना था।

लक्ष्मीप्रसाद जी ने कहा—“मेरी कन्या इस वर्ष एम० ए० म्दतीर्ण कर चुकी है। घर के काम में बहुत ही निपुण है। स्वभाव से अत्यन्त सरल। हमने उसे सब प्रकार योग्य बनाने का प्रयत्न किया है। मैं अधिक क्या कहूँ। जब आकर आप लोगों की सेवा करेगी तभी उसका प्रमाण मिल सकेगा बस कमी एक ही है। रंग उसका सौवला है। इसी कारण मुझे कई स्थानों से निराश होकर लौटना पड़ा है। यदि आपको कोई आपत्ति न हो.....तो.....।”

और उन्होंने राम की ओर ऐसी निगाहों से देखा जैसे अपराधी फैसला सुनने से पूर्व जज की ओर देखता है ।

राम को ऐसी ही निराश, हताश दृष्टि को आशा की किरण देने की चाह थी । माँ भी वहीं बैठी थीं । राम ने कहा—“रंग-रूप की कोई बात नहीं है पिताजी ! यह तो ईश्वर का ही निर्मित किया हुआ होता है । उपयोगिता गुणों की होती है ।” अब लक्ष्मीप्रसाद जी को जैसे डूबते समय तिनके का सहारा मिल गया था । तत्काल बोले—“उसकी ओर से मैं आपको पूरा विश्वास दिला सकता हूँ । आपको कभी किसी शिकायत का अवसर नहीं मिलेगा ।”

एक पिता की आशा किरण को विस्तार देता हुआ राम यह कहकर उठ गया—“मेरी ओर से माताजी आपको सब कुछ कह देंगी ।”

माँ ने सहर्ष सम्बन्ध पक्का कर लिया । आधे-आधे मन से पिताजी भी राजी हो गये । विवाह भी शुभ लग्न देखकर हो गया । आज विवाह को सात वर्ष हो चुके हैं । राम तथा मेधा का जीवन बड़ा ही सुखी है । तीन भाइयों में राम की बहू ही अब माता-पिता को सबसे अधिक प्यारी है ।

और मेधा ? उसने तो विवाह के पश्चात् आश्चर्य से अभिभूत होकर राम से सर्वप्रथम यही प्रश्न किया था कि आप स्वयं इतने गोरे हैं । फिर मुझे कैसे पसन्द कर लिया ? राम मुस्करा भर दिया था उस समय । पर मेधा को अब अच्छी तरह मालूम पड़ा कि राम तन की नहीं, मन की गोरारी का पारखी है ।

अभिनय नहीं हृदय शुद्धि

मेडागास्कर के एक मध्यमवर्गीय युवक फिलिप्स का विवाह एक धनाढ्य परिवार की युवती एनन के साथ हुआ । लड़की के पिता ने यह सम्बन्ध इसलिये चुना था कि लड़का परिश्रमी था, योग्य और लगनशील था । उसने पैसे को महत्त्व न देकर गुणों को महत्त्व देने का प्रयोग किया और उसे लगा वह शत-प्रतिशत सफल रहा ।

पति-पत्नी में अटूट घनिष्टता, असीम प्रेम । लड़की का पिता उनके पास १ माह रहा उसे बड़ा सन्तोष हुआ कि उसका चुनाव गलत नहीं रहा । इसके बाद वह किसी व्यापार के सम्बन्ध में अफ्रीका चला गया ।

विवाह का प्रारम्भिक आकर्षण महीने दो महीने तो रहा पर पीछे अहंकार प्रदर्शन की भावना उठ खड़ी हुई । दोनों खिंचे-खिंचे रहने लगे । लड़की का कहना था—मुझे तुमसे भी योग्य और सुन्दर वर मिल सकता था, मैंने धन देकर, तुम्हारा उपकार किया है । लड़का कहता था—अपनी सम्पत्ति अपने पास रखो ! मैं तुम्हारे हाथ बिक नहीं गया, मेरी बाँहों में शक्ति है, आप कमा सकता हूँ पर स्त्री के सामने स्वाभिमान नहीं बेच सकता ।

स्थिति बिगड़ती देखकर दोनों ने सम्बन्ध विच्छेद कर लिया । अदालत ने तलाक की स्वीकृति दे दी, दोनों अलग-अलग अपने-अपने घर रहने लगे ।

एनन के पिता को यह सब कुछ नहीं मालूम था । उसे विश्वास था दोनों बहुत सुखी होंगे । वृद्ध की इकलौती सन्तान, वह कभी सोच भी नहीं सकता था कि उसकी पुत्री असफल वैवाहिक जीवन जिये । इसीलिये पश्चिम जैसे तड़क-भड़क वाले देश में भी उसने गुण और सदाचरण वाला लड़का चुना था; धन-सम्पत्ति, पद-प्रतिष्ठा, परिवार आदि का उसने ख्याल भी नहीं किया था ।

उसने अफ्रीका से पत्र लिखा—“प्रिय पुत्री ! आशा है तुम सुखी होगी, तुम्हारे बीच कोई मनोमालिन्य नहीं होगा । सदैव विनीत भाव से घर में व्यवहार करना । तुम यदि अपने को सँभाले रख सकीं तो तुम्हारा पति तुम्हारे प्रेम का दास बना रहेगा, मान-प्रदर्शन और अहंकार की बुराई से सदैव दूर रहना । तुम्हें यह जानकर भी हर्ष होगा कि हम इसी माह के अन्त तक तुम्हें देखने आ रहे हैं । आशा है तुम दोनों सुखी और सकुशल मिलोगे ।”

लड़की ने पत्र पढ़ा तो आँखों में आँसू आ गये, उसने अनुभव किया सचमुच भूल हुई । प्रेम और समर्पण से दुश्मन के हृदय भी शुद्ध कर लिये जाते हैं, अपनों को तो उससे ऐसा बाँधकर रखा जा सकता है कि जीवनभर कभी साथ न छूटे । पर अब क्या हो सकता था । अब तो खेत चुगा जा चुका था ।

कहीं ऐसा न हो कि वृद्ध की आत्मा दुःखे, इसलिये उसने नाटक करने का निश्चय किया । वह एक दिन अपने पूर्व पति के घर गई और वृद्ध का पत्र दिखाकर बोली—“क्या हम एक सप्ताह उसी तरह नहीं रह सकते जैसे प्रारम्भ के दिनों

में रहते थे ।” मानवता के नाते युवक भी मान गया । दोनों फिर कुछ दिन के लिये पास-पास आ गये । सारी व्यवस्था ठीक पहले जैसी जम गई । बात-चीत, आदरभगत, स्वागत-सत्कार, लेन-देन में वही प्रेम, वही आत्मीयता और वैसे ही समर्पण ।

वृद्ध आया । देखकर निहाल हो गया । विदा लेते समय उसकी आँखें सुख के आँसू टपकाये बिना न रहीं । दस दिन के नाटक से पति-पत्नी के हृदय भी शुद्ध हो गये थे । लड़की पूर्व निश्चय के अनुसार विदा लेने पति के पास गई तो उसने पूछा—एनन क्या यह स्थिति चिरस्थायी नहीं हो सकती । पत्नी भी लगता था उसी प्रतीक्षा में थी कुछ ही दिन के प्रेम-विहीन जीवन ने उसे सीख दे दी थी । उसकी आँखें भी बरबस बरसात-सी जलवृष्टि करने लगीं ।

हाथ उठाया सामान फिर वहीं रख गया । फिर दोनों पति-पत्नी बन गये । एक नई उमंग, नई भावना, नव उल्लास के साथ । ७० वर्ष की आयु तक दोनों सुख-पूर्वक रहे, इस बीच न एक दिन झगड़ा हुआ, न एक दिन का वियोग । हाँ दोनों परस्पर समर्पण के भाव को नहीं भूले ।

विवाह संस्कार का उद्देश्य—

दो आत्माओं का मिलन

बम्बई की एक सुन्दर युवती कुमारी प्रभावती ने एक अपंग सैनिक अधिकारी के साथ विवाह करके एक उदाहरण प्रस्तुत किया है । भारत-चीन युद्ध के समय यह सैनिक अधिकारी पंकज जोशी, सुरंग फट जाने से घायल हो गये थे । चिकित्सालय में उनका एक पूरा पैर तथा दूसरे पैर का निचला भाग काट देना पड़ा ।

सेना से अवकाश प्राप्त करने के बाद अपंग स्थिति में उन्हें अपना जीवन भार-सा प्रतीत होने लगा । रह-रहकर शत्रुओं के दौंठ खट्टे करने के दृश्य सामने आते, पर दोनों पैरों से बेकार होने के कारण चलना-फिरना कठिन ही था । शेष जीवन किस तरह बीतेगा, इस पर जब वह सोचते तो निराशा के काले-काले भयावने बादल सामने आकर छा जाते । वह तुरन्त ही अपने मन को समझाते कि एक कैप्टिन के लिये इस प्रकार सोचना किसी भी प्रकार उचित नहीं । उन्होंने सोचा यदि किसी युवती से विवाह कर लिया जाय तो जीवन के शेष

दिन खुशी-खुशी आनन्द से बीत जायेंगे और दोनों एक-दूसरे को सहयोग देकर प्रगति की राह पर साथ-साथ चल सकेंगे ।

फिर क्या था कैप्टिन जोशी ने पूना की एक मासिक पत्रिका में अपनी अपंगता का उल्लेख करते हुए विवाह का विज्ञापन प्रकाशित करा दिया । अरे ! विज्ञापन को प्रकाशित हुए एक सप्ताह भी न हुआ था कि विवाह के लिये एक भावना सम्पन्न कुमारी तैयार हो गई और अन्त में उन्होंने कुमारी प्रभावती से शादी कर ली । विवाहोत्सव पर सैनिक बैण्ड ने आकर्षक धुनें बजाकर शुभकामनाएँ अर्पित कीं, सारा वातावरण हर्ष और उल्लास से भर गया ।

कुमारी प्रभावती सुशिक्षित, सुन्दर और सम्पन्न परिवार की युवती हैं । यदि वे चाहतीं तो थोड़े ही समय में अपने से अधिक पढ़े-लिखे, सुन्दर, स्वस्थ और अच्छा वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारी से विवाह कर सकती थीं, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया । वरन् समाज के सम्मुख एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया कि एक पत्नी अपाहिज पति के साथ भी रहकर सुखी तथा आनन्द का जीवन व्यतीत कर सकती है ।

आज कितने ही परिवार ऐसे हैं जिनमें विवाह के बाद प्रेम के धागे टूटते जा रहे हैं । शिक्षा, मासिक वेतन, सौन्दर्य और पारस्परिक व्यवहार को मनमुटाव का केन्द्र बनाकर न्यायालय तक के द्वार खटखटाये जाते हैं । दो प्राणी मिल कर अभिनव समाज की रचना का व्रत लेते हैं और दोनों पक्ष के लोग उस व्रत के साक्षी बनते हैं । अन्य लोग वैवाहिक कार्य की इस पवित्रता का महत्त्व समझते हुए सुखी दाम्पत्य-जीवन की शुभकामनाएँ अर्पित करते हैं ।

प्रभावती ने विवाह संस्कार को दो आत्माओं का पुनीत-मिलन माना । जब प्राणी अपने को शरीर से भिन्न आत्मा समझने लगता है तो उसके दृष्टिकोण में परिवर्तन हो जाता है । कोई व्यक्ति शरीर से अपंग हो सकता है पर उसकी आत्मा कितनी प्रबल होगी इसे हर व्यक्ति नहीं समझ पाता ।

प्रभावती के हृदय में विद्यमान सेवा, सहानुभूति, स्नेह और सहयोग के दैवी गुण विकास का अवसर खोज रहे थे और विवाह के बाद उन्हें मनचाही दिशा प्राप्त भी हो गई ।

दम्पति द्वारा विवाह शताब्दी

शताब्दियाँ मनाये जाने के अनेक समाचार समय-समय पर सुनने, पढ़ने को मिलते हैं । संस्थाओं, संगठनों तथा

१.५६ विवाहोत्सव : सम्स्या और समाधान

महापुरुषों की जन्म शताब्दियाँ बहुधा मनाई जाती हैं । दीर्घजीवी स्वयं अपने जन्म-दिवस के शताब्दी समारोहों में उपस्थित होकर, समाज को दीर्घ एवं क्रियाशील जीवन जीने की प्रेरणा दिया करते हैं । किन्तु अभी कुछ समय पूर्व ही रूस में, ट्रांस काकेशस क्षेत्र के एक दम्पति ने अपने विवाह के शताब्दी समारोह का स्वयं आयोजन करके एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया ।

दीर्घ जीवन की कामना मनुष्य को सदा से रही है । 'जीवेम शरदः शतम्' कहकर ऋषियों ने सौ वर्ष जीवन की सम्भावना घोषित की है । भारतीय शास्त्र मनुष्य के लिये १००, १२५ वर्ष का जीवन स्वाभाविक मानते हैं । यही निर्णय ट्रांस काकेशस में हुई वैज्ञानिकों की एक शोध गोष्ठी द्वारा लिया गया । वैज्ञानिकों की राय है कि मनुष्य सौ, सवासौ ही नहीं बल्कि डेढ़ सौ वर्ष तक भी क्रियाशील रहते हुए जीवित रह सकता है । उसी क्षेत्र के श्री बालाकिशी 'उसजीवी' तथा उनकी पत्नी अमीना ने अपने विवाह के शताब्दी समारोह का उत्साहपूर्ण आयोजन स्वयं करके उक्त मान्यताओं की सत्यता प्रभावित की ।

शताब्दी समारोह में सम्मिलित व्यक्तियों ने पाया कि दोनों पति-पत्नी अभी भी बहुत चुस्त तथा स्वस्थ हैं । समारोह के आतिथ्य से लेकर व्यवस्था तक के कार्यों को वह स्वयं ही कर रहे थे । ११४ वर्षीया हंसमुख अमीना में तो नवयुवती जैसे चंचलता तथा स्फूर्ति दिखाई पड़ती थी । अपने इस सफल दाम्पत्य निर्वाह पर उसे गर्व और प्रसन्नता दोनों ही पर्याप्त मात्रा में थे । उसने हास-परिहास के बीच कहा भी कि—“यहाँ पुरुषों द्वारा कई पलियाँ रखने का चलन रहा है, किन्तु पिछले १०० वर्षों से मैं इनकी इकलौती पत्नी हूँ ।” जहाँ पतिव्रत तथा पत्नीव्रत को कोई सैद्धान्तिक अथवा धार्मिक स्थान प्राप्त नहीं है—ऐसे स्थान पर अपने व्यक्तिगत गुणों के आधार पर यह उपलब्धि विशेष रूप से सराहनीय है भी ।

उनसे इस लम्बे सरस एवं सुखद जीवन का रहस्य पूछा गया तो उन्होंने नपा-तुला उत्तर दिया—“हमने सही अर्थों में एक-दूसरे का सहयोगी बनने का प्रयास मूरी ईमानदारी से किया तथा भगवान् की कृपा से यह सम्भव हो सका ।” ठीक भी है, सहयोगी सबको प्रिय होता है । जब पति-पत्नी एक-दूसरे पर अपने विशेषताओं के प्रदर्शन द्वारा अपनी श्रेष्ठता सिद्ध

करने लगते हैं तो परस्पर ईर्ष्या पैदा होकर विग्रह की स्थिति पैदा हो जाती है ।

स्वास्थ्य देने वाले आहार के बारे में उनसे पूछने पर उन्होंने बतलाया कि शाकाहार ही उन्हें प्रिय है तथा इसे वे अपने दीर्घ और नीरोग जीवन का एक कारण मानते हैं ।

दीर्घ जीवन के विषय में और पूछे जाने पर शतायुष्य प्राप्त दम्पति ने बतलाया कि कारण अनेक हो सकते हैं—किन्तु उनकी दृष्टि में विशेष महत्त्व निम्नलिखित नियमों का है—सादा एवं सन्तुलित आहार, प्रसन्न रहना, नियमित शारीरिक श्रम तथा स्वच्छ वायु का सेवन । अमीना ने बतलाया कि उसने कभी पति के श्रम पर आश्रित रहने का प्रयास नहीं किया । घर पर तथा खेत में पति के साथ बराबरी से कार्य करने का प्रयास किया । सबेरे पति के घूमने जाने पर वह अपने बगीचे की देखभाल तथा पौधों में पानी आदि देने का कार्य किया करती थी । पति-पत्नी को श्रम में विशेष आनन्द आता रहा है । दिन में भरपूर मेहनत करके रात को गहरी नींद सोने का सुख जीवन में महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है । उन्होंने बतलाया कि उनकी पत्नी उन्हें समय पर उनकी रुचि का भोजन तैयार करके देने में बहुत मुस्तैद रही है । बीच-बीच में चुटकुलों से हँसाते रहना उसकी अपनी विशेषता है ।

उक्त दम्पति के प्रत्यक्ष उदाहरण से सीख लेकर आज के अगणित अस्त-व्यस्त परिवार तथा रुग्ण व्यक्ति अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं ।

एक नया ताजमहल—स्वर्गीय पति की स्मृति में

शाहजहाँ ने अपनी प्रियतमा प्रियसी, नूरजहाँ की स्मृति में ताजमहल का निर्माण करवाया था, जो संसार का सातवाँ आश्चर्य माना जाता है । सुन्दर है, कीमती है, अद्भुत है, अद्वितीय है फिर भी आखिर जड़ ही । सिवाय उन दो अभिन्न प्रेमियों की याद ताजा कर देने के और कुछ नहीं ।

इसके विपरीत आज के युग में भी एक ऐसे ही 'प्रणय प्रतीक' का निर्माण हुआ है, जो जड़ होते हुए भी लाखों को नवीन जीवन देगा, मौत के मुख से निकालकर असंख्यों को फिर से प्राण दान देता रहेगा ।

यह प्रतीक एक चिकित्सालय के रूप में निर्मित हुआ है । निर्मात्री हैं, रूसी तानाशाह स्टालिन की सुप्रसिद्ध पुत्री

श्रीमती स्वेतलाना । उन्होंने अपने स्वर्गीय पति श्री कुँवर ब्रजेशसिंह की स्मृति को चिरस्थायी बनाने के लिये उक्त निर्माण कार्य करवाया है । स्वर्गीय ब्रजेशसिंह कालाकांकर के युवराज थे ।

उनके हृदय में देश के प्रति अगाध प्रेम तथा अटूट निष्ठा थी । भारत की स्वतन्त्रता के लिये उन्होंने प्राण-पण से प्रयत्न किये । इसी सन्दर्भ में उन्हें वर्षों विदेशों में भी भटकना पड़ा । तभी उनका प्रणय स्वेतलाना की कोमल भावनाओं में पोषित हुआ और दाम्पत्य सूत्र के चिर-बन्धन में बँध गये ।

किन्तु शायद नियति का चक्र कुछ और ही व्यूह रच रहा था । श्री ब्रजेशसिंह का देहावसान हुआ और स्वेतलाना को हृदय पर पत्थर रखकर यह क्रूर प्रहार सहन करना पड़ा । उसके पश्चात् उनकी यही इच्छा थी कि वे कालाकांकर में ही रहकर जन-सेवा में अपना जीवन व्यतीत करें । किन्तु कुछ राजनैतिक कारणों से विवश होकर उन्हें अमरीका जाना पड़ा । पर ये भौगोलिक सीमाएँ हृदय की भावनाओं को न तो दूर कर पाती हैं और न कम ही ।

अपनी सम्पत्ति से उन्होंने अपने पति की स्मृति में कालाकांकर में एक बड़ा अस्पताल बनवाकर वहाँ की चिकित्सा सम्बन्धी आवश्यकता को पूर्ण किया है । इसका श्रीगणेश इकतीस अक्टूबर सन् उन्नीस सौ सड़सठ को श्री ब्रजेशसिंह की बरसी पर हुआ था । भवन का शिलान्यास सुप्रसिद्ध कवि श्री सुमित्रानन्दन पंत के कर-कमलों द्वारा किया गया । श्रीमती महादेवी वर्मा इस अवसर पर विशेष अतिथि के रूप में आमन्त्रित थीं । दो वर्षों के अन्दर ही इस विशाल निर्माण कार्य का पूर्ण हो जाना उसके पीछे निहित गहन भावनाओं का ही प्रतीक है । अस्पताल में कुल पैंतीस बिस्तरों की व्यवस्था है, अभी सोलह पुरुषों के लिये, आठ स्त्रियों के लिए, छह बच्चों के लिये तथा पाँच विशेष व्यवस्था के लिये । श्रीमती स्वेतलाना ने अठारह लाख रुपया अमेरिका की बैंक में जमा कर दिया है । इस कार्य के लिये जो आवश्यकतानुसार यहाँ भेजा जाता रहेगा । अस्पताल में कुछ व्यक्तियों का कर्मचारी मंडल रहेगा । व्यवस्था पर लगभग ३० हजार रुपये मासिक व्यय होने का अनुमान है ।

यहाँ व्यय सम्बन्धी व्यवस्था 'ब्रजेशसिंह मेमोरियल ट्रस्ट' द्वारा की जा रही है । इकतीस अक्टूबर सन् उन्नीस सौ उन्हत्तर

को इस अस्पताल का उद्घाटन हिन्दी की प्रसिद्ध कवियित्री श्रीमती महादेवी वर्मा के कर-कमलों द्वारा हुआ । अस्पताल में दैनिक चिकित्सा की व्यवस्था इतनी सुन्दर है कि लगभग सौ व्यक्ति नित्य ही उससे लाभान्वित होते हैं ।

श्रीमती स्वेतलाना के इस कार्य ने अपने पति के प्रति गहन श्रद्धा को तो प्रगट किया ही है, साथ ही उनकी जन-कल्याण तथा लोकमंगल की रुचि का भी दिग्दर्शन कराया है । विदेशी महिला होते हुए भी भारतीय सतीत्व को निभाने वाली, पति की स्मृति को छाती से चिपकाये—जन-जन के दुःख दूर करने में अपने दर्द भुलाने वाली, स्वेतलाना निश्चय ही धन्यवाद एवं प्रशंसा की पात्र हैं ।

हिम्मत करें तो आप अकेले नहीं

विधवा विवाह करेंगे तो समाज में अप्रतिष्ठा होगी, पाप लगेगा, लोग कीचड़ उछालेंगे ऐसा सोचना निरर्थक है । जिन विधवाओं के सन्तान हैं या जो स्वेच्छा से ही पवित्र वैधव्य बिताने की इच्छुक हैं उन्हें वैसा करने देना अच्छा है पर जिन को छोटी अवस्था में ही इस दुर्भाग्य से ग्रस्त होना पड़ा और जिन्होंने अपनी आकांक्षाओं की रती भर भी पूर्ति नहीं देखी वे यदि विवाह की इच्छुक हैं तो इसमें उन्हें न तो दोषी ठहराना चाहिए न कलंकी । ऐसी विधवाओं का विवाह कर देना अपेक्षाकृत अधिक उपयुक्त ही रहता है ।

यह बात हम नहीं अब सारा देश मान रहा है । हमारे देश में विधवाओं की संख्या सारे विश्व से अधिक है इससे यह निर्विवाद सिद्ध है कि यहाँ सामाजिक कुरीतियों ही विधवाओं के लिए दोषी हैं । यह दोष लड़कियों पर ईश्वरेच्छा या भाग्य पर नहीं थोपा जाना चाहिए । अधिकांश विधवाएँ बाल-विवाह, वृद्ध-विवाह के कारण होती हैं ऐसा न होता तो भारतवर्ष संसार में सर्वाधिक विधवाओं के लिए अपवाद न बनता ।

अमेरिका में १०० के पीछे ७ विधवाएँ होती हैं; डेनमार्क, नार्वे, स्वीडन, फिनलैण्ड, स्विटजरलैण्ड, वेवेरिया, वरटम्बर, वेल्जियम में ८ प्रतिशत, जर्मनी व प्रशा में ६-६, इटली में भी ६ प्रतिशत विधवाएँ होती हैं । फ्रांस में १२, सर्रविया व हालैण्ड में ७-७, आस्ट्रेलिया में ६, न्यूजीलैण्ड व कैपकालोनी में ५-५ प्रतिशत विधवाएँ होती हैं, जबकि इनमें सबसे अधिक अर्थात् १८ प्रतिशत स्त्रियाँ विधवाएँ भारतवर्ष में होती हैं ।

भारतवर्ष में १०० विवाहिताओं में १८ विधवाएँ होना एक प्रकार का कलंक ही है । जो देश ईश्वर का सबसे बड़ा भक्त और उपासक है उस पर ही यह कलंक परमात्मा की इच्छा नहीं हो सकती । निःसन्देह यह हमारी अपनी कुरीतियों का फल है और यह कलंक कुरीतियों में सुधार करके ही धोया जा सकता है ।

प्रसन्नता की बात है कि अब लोगों में यह समझ आ रही है । रूढ़िवादी मान्यता वाले अपनी बात अपने मन में लिये बैठे रहें, उससे विचारशील लोग भयभीत क्यों हों । जब हम समझते हैं कि वैधव्य का दोष हमारी लड़कियों का नहीं है तो उन्हें इस अभिशाप में क्यों पिसने दें । जो इच्छुक हैं अथवा जो द्वितीय विवाह के लिए सर्वथा योग्य हैं उनका विवाह साहसपूर्वक करने में हम क्यों डरें और हिचकें ।

सन् १९१५ में ब्राह्मणों में ५ विधवाओं का विवाह कराया गया उससे कुछ रूढ़िवादी लोगों का विरोध हुआ और उसके फलस्वरूप सन् १९१६ में कुल ३ ब्राह्मण विधवाओं के विवाह सम्पन्न हुए । इस बीच लोगों को इन विवाहों से होने वाली अच्छाइयों के अध्ययन का अवसर मिला । फलस्वरूप १९१७ में ७ पुनर्विवाह हुए फिर यह संख्या बढ़ती ही गई । सन् १९१८, १९१९, १९२०, २१ और २२ में क्रमशः १५, १८, ३५, ३५ और ६६ पुनर्विवाह हुए ।

यही बात अन्य जातियों में रही, सन् १९१५ से लेकर सन् १९२२ तक क्षत्रियों और राजपूतों में क्रमशः ४, ६, १२, १३, ३३, ५०, ८१, १२८ पुनर्विवाह हुए । कायस्थों में जिनमें अरोड़ा व अग्रवाल भी सम्मिलित थे इस अवधि में क्रमशः ३, ४, ८, ११, ३२, ११७, १४७, १७१ विधवाएँ विवाही गईं । इसके बाद अब तक यह संख्या बढ़ती ही आई और अब प्रत्येक जाति में प्रतिवर्ष हजारों विधवाओं के देश भर में विवाह हो रहे हैं । ऐसा करके जिन लोगों ने प्रगतिशीलता का परिचय दिया वे सर्वथा प्रशंसा के पात्र हैं । उससे उन हजारों लोगों के लिये हिम्मत का रास्ता खुल गया है जो विधवाओं की वर्तमान अवस्था पर दुःखी हैं और जिनके मन में विधवाओं के पुनर्विवाह की लालसा बनी रहती है ।

हमारी हिम्मत जितनी बढ़ेगी और इस दिशा में हम जितना अधिक व्यावहारिक कदम उठायेंगे विधवाओं का ही नहीं हमारे समाज का उतना ही भला होगा ।

विवाह नहीं सेवा करो

प्रख्यात कवि माखनलाल चतुर्वेदी उन दिनों युवावस्था में थे । उसी समय उन्होंने 'कृष्णार्जुन-युद्ध' नाटक की रचना की थी । अपने साहित्यिक गुरु सप्रेजी के साथ एक जमींदार के निवास स्थान पर एक रात चतुर्वेदी जी इसी नाटक को अन्तिम रूप देने में संलग्न थे । अर्धरात्रि का समय था और चतुर्वेदी जी अपनी साहित्य साधना में निरत थे ।

उधर कोई दरवाजे की कुण्डी खटखटा रहा था । चतुर्वेदी जी अपनी साहित्य साधना में इस कदर लीन थे कि आरम्भ में तीन-चार बार तो उन्हें इस आहट का पता ही नहीं चला था । परन्तु जब बार-बार आहट हुई तो उन्होंने दरवाजा खोला । द्वार पर उन्होंने जो देखा—उसकी उन्हें स्वप्न में भी कल्पना नहीं थी । एक सद्य बाला सुन्दर युवती अभिसार किये द्वार पर खड़ी थी ।

देखते ही वे निश्चित नहीं कर पाये कि क्या कहूँ । परन्तु थोड़ा बहुत साहस जुटाकर उन्होंने ये शब्द कहे—देवी मैं इस समय अपने काम में व्यस्त हूँ । यदि तुम्हारी कोई समस्या है तो सुबह मैं तुमसे बात कर लूँगा ।

दिन में जमींदार के यहाँ भोजन करते समय चतुर्वेदी जी ने इस युवती को भोजन परोसते हुए देखा था ।

“पर बात ही ऐसी है कि इसी वक्त की जा सकती है—” युवती ने कहा ।

“ऐसी क्या बात है?”—चतुर्वेदी जी ने पूछा और फिर वृद्धतापूर्वक कहा—“जैसी भी बात हो मैं सुबह ही कलूँगा ।”

“क्यों आपका पौरुष क्या इस समय बात करने में घबराता है । आप इतने कच्चे आदमी हैं ।”

“युवती ने जैसे चतुर्वेदी जी की सच्चरित्रता पर ही प्रश्न-चिन्ह लगा दिया था । सुनकर उन्होंने दरवाजा छोड़ दिया और युवती ने अन्दर प्रवेश लिया । फिर स्वयं ही बोले—“तुम चाहे जो समझो पर मैं यहाँ हिन्दी साहित्य सम्मेलन के काम से आया हूँ । इसी काम में व्यस्त हूँ । किसी और काम के लिए मेरे पास क्षण भर भी समय नहीं है ।”

“फिर आपने दुखियों की सेवा करने का ढोंग क्यों रच रखा है ?”—युवती बोली ।

“ओह तो तुम दुखी हो । बोलो मैं तुम्हारी इस वक्त क्या सेवा कर सकता हूँ ।”—चतुर्वेदी जी ने पूछा ।

“दरअसल बात यह है कि मैंने इण्टर पास की है । मेरे पति विलायत से आई० सी० एस० पास करके आये थे । लगभग डेढ़ साल पहले उनका स्वर्गवास हो चुका है । मैं विधवा हूँ, मेरे पास दस हजार रुपया है और मैं आपको पसन्द भी करती हूँ । क्या आप मुझसे शादी करेंगे ?”

“परन्तु मैं तो छठवीं पास हूँ और विवाह की बात तुम्हारे माता-पिता क्यों नहीं करते ? और तुम भी करती हो तो इस वक्त क्या तुक है ?”

“बात यह है कि.....” और युवती ने निर्लज्ज मुस्कान बिखेरी ।

चतुर्वेदी जी ने कहा—“अच्छा हो तुम अपना धन किसी सेवा कार्य में लगाओ । विवाह करना कोई बड़ा अर्थपूर्ण नहीं है और मुझसे तो विवाह कर तुम वैसे भी पछताओगी । दस हजार रुपये दस साल भी चल गये तो उससे क्या होगा । तुम मेरे साथ बड़ी दुखी रहोगी ।”

चतुर्वेदी जी ने उस युवती को कई तरह से समझाया और उसके मस्तिष्क में सेवावृत्ति जाग्रत करने में सफल रहे । समझा-बुझा कर उसे वापस भेजा । जब वह युवती वापस लौट गयी तो सप्रेजी ऊपर आये । चतुर्वेदी जी ने विवाह की बात को छोड़कर शेष सब कुछ बता दिया । परन्तु सप्रेजी तो पहले ही सब कुछ जानते थे । युवती के ऊपर आने की आहट पाकर वे भी दबे पाँव ऊपर आ गये और बाहर से सब कुछ सुन रहे थे । उस दिन उन्हें अपने शिष्य की ऋजुता पर अपार गर्व हुआ । चतुर्वेदी जी की यह संयमनिष्ठा आजीवन बनी रही और उत्तरोत्तर बढ़ती ही रही । किसी भी कार्य में सफल होने के लिए व्यक्ति का चरित्रवान् होना नितान्त आवश्यक है ।

विवाह अर्थात् सहजीवन

विवाह का अर्थ है सहजीवन का शुभारम्भ—‘श्रीगणेश’ । इसमें दोनों पक्षों की साक्षी पर श्रेष्ठता का, शालीनता का आरोपण करना चाहिए । यदि उसमें कोई कमी तलाशनी हो तो वह विवाह से पूर्व ही तलाशनी चाहिए । इसके बाद छिद्रान्वेषण की कोई गुञ्जायश नहीं रह जाती ।

रूप, रंग, अंग, सौष्ठव आदि की निरख-परख करने की विवाह से पूर्व गुञ्जायश है । इसके बाद तो साथ जैसा भी कुछ है उसे शिरोधार्य करना होगा । विवशता से नहीं, स्वेच्छापूर्वक । रूप की पिपासा को समाप्त करना होगा । विवाह के बाद इस प्रकार की नुक्ता-चीनी करना, कमी निकालना और उस पर असंतोष व्यक्त करना तो अपने को और साथी को जानबूझ कर हैरान करना है । इससे एक पक्ष का असंतोष दूसरे पक्ष के लिए रोष, प्रतिशोध का कारण बनता है ।

आजकल रूप-यौवन को प्रमुखता दी जाने लगी है । उसके लिए सिनेमा के पात्रों की तुष्टि का मापदण्ड माना जाने लगा है । पति चाहता है कि सिनेतारिका जैसी सुन्दरी मिले । दूसरी ओर भी यही इच्छा रहती है । नारी भी वैसा ही सौन्दर्यवान पति चाहे तो उसमें कुछ अनुचित नहीं । जब सिनेमा, टेलीविजन मनोरंजन के माध्यम न रहकर यदि विवाह के चयन को प्रभावित करते हैं तो बड़ी कठिनाई खड़ी होती है । अपने देशवासियों की औसत बनावट मध्यवर्गीय होती है । उनमें से सुन्दरता और चंचलता के धनी लड़के-लड़की तलाशना मुश्किल है । फिल्म व्यवसाय तो मौसलता के आधार पर ही नर-नारियों का चुनाव करता है । इसके बदले वह भरपूर पैसा देता है और दर्शकों से उस पूँजी का लाभ भी पूरा उठाता है, इसलिए वहाँ प्राकृतिक गठन, मेकअप और उत्तेजक हाव-भावों का सुयोग बैठ जाता है । अधिक उत्तेजक आकर्षक बनने-बनाने के लिए वहाँ प्रशिक्षण पर भी बहुत खर्च होता है । पर गृहस्थ बसाने वाले नर-नारी तो औसत घर-परिवारों से आते हैं । इसलिए उनसे शरीर विन्यास की ऐसी ही आशा की जानी चाहिए जैसी कि अपने परिवार, पड़ोस और स्वजन-सम्बन्धियों में होती है । उतने में ही सन्तोष करना चाहिए । साथी का सौन्दर्य देखने के साथ ही अपना चेहरा भी शीशे में देखना चाहिए कि सिनेमा नट-नर्तकों जैसा रंग-रूप अपने को मिला है या नहीं । पुरुष को यदि अप्सरा चाहिए तो नारी भी यक्ष, गन्धर्व, किन्नर के सहचरत्व की अभिलाषी हो सकती है । यह झंझट सम्बन्ध पक्का होने से पूर्व ही निपटा लेना चाहिए । यदि उस समय मौन साध रखा गया है और पीछे असन्तोष व्यक्त किया जा रहा है तो वह ऐसी भूल है जिसका विकल्प जो उपलब्ध हो उसी को सर्वोत्तम मानने के

१.१० विवाहोन्माद : समस्वा और सम्पाशन

अतिरिक्त और कुछ हो नहीं सकता । यदि भीतर ही भीतर असन्तोष बना रहा तो वह समय-कुसमय उलाहने के रूप में फूटेगा ही । जब फूटेगा तो सभी को अपमान-तिरस्कार की अनुभूति करायेगा और ऐसी गौंठ बना देगा जो भविष्य में कठिनाई से ही खुल सके । ऐसा असंतोष परोक्षतः तिरस्कार का ही एक रूप है । तिरस्कार आक्रमण है । ऐसा आक्रमण जिसका घाव भरने में मुद्दतें गुजर जाती हैं और सहचरत्व के आनन्द को आरम्भ में ही लकवा मार जाता है ।

जिस प्रकार दो मनुष्यों के चेहरे एक जैसे नहीं होते और अपनी काल्पनिक उड़ानों की भी पूर्ति नहीं करते । उसी प्रकार स्वभावों में भी अन्तर होता है । चित्र, दृष्टिकोण, स्वभाव चिरकाल से अपनाई गयी रीति-नीति से विकसित होते हैं । उन पर पूर्व संचित संस्कारों की, अभिभावकों, परिवार के सदस्यों तथा इष्ट-मित्रों की तथा वातावरण की छाप होती है । हो सकता है कि वे सभी बातें अपने अनुकूल न पड़ें । अपनी मर्जी के सौंचे में ही साथी पूरी तरह न ढल पा रहा हो तो विवश-बाधित करने की अपेक्षा पक्ष-विपक्ष के लाभ-हानि समझते हुए धैर्यपूर्वक सुधार परिवर्तन की आशा, उपेक्षा करनी चाहिए । आदमी इतनी जल्दी अपनी पुरानी आदतों को नहीं बदल पाता । आवश्यक हेर-फेर के लिए उसे समय देना चाहिए । जो धीरे-धीरे जितना सुधार परिवर्तन हो रहा हो उस पर संतोष करना चाहिए । पारस्परिक तालमेल का यही तरीका है ।

दाम्पत्य जीवन में स्नेह-सौजन्य की तो पग-पग पर आवश्यकता पड़ती है । यह अपनी ओर से तो पूरी तरह निमाया जाय । साथी की प्रकृति यदि रूखी, नीरस और उथली हो तो भी बदले की यथावत् उपलब्धि की आशा रखनी चाहिए । अपनी ओर से किए गये सद्ब्यवहार को ही अपने कर्तव्य पालन की जिम्मेदारी समझकर उस पर गर्व करना चाहिए । देव-प्रतिमाओं को हम श्रद्धापूर्वक नमन-वन्दन करते हैं और यह आशा नहीं करते कि वे भी वैसा ही शिष्टाचार बरतेंगी । वे यथावत् विराजमान रहती हैं । प्रसन्नता-अप्रसन्नता का भाव व्यक्त नहीं करतीं । तो भी अपनी ओर से न बुरा माना जाता है और न उपालम्भ दिया जाता है । इसी प्रकार पति-पत्नी में से एक अधिक भावुक और दूसरा शील-संकोच का स्वभाव बनाये रहता है तो उसमें भी न बुरा मानने की

बात है और न अपनी ओर से सद्ब्यवहार में, प्रेममय व्यवहार में कुछ कमी करने की आवश्यकता है । दोनों की मनोभूमि में अपने-अपने ढंग से नेह निर्वाह की असंदिग्ध निष्ठा होनी चाहिए, भले ही उसके प्रदर्शन में खामी पड़ती है ।

विवाह से पूर्व दोनों में से किसी का मन कहीं अन्यत्र ललचाता रहा हो उस दिशा में कुछ कदम भी बढ़ गये हों तो न उस सम्बन्ध में पूछताछ करने की आवश्यकता है और न उस प्रयास को आचरण सम्बन्धी त्रुटि मानने की । अपना सम्पर्क जिस दिन से घोषित हुआ है उसी दिन से पतिव्रत और पत्नीव्रत का अनुबन्ध लागू होता है । पुराने इतिहास की छानबीन करना और एक-दूसरे पर लांछन लगाना, असामाजिक और अप्रासंगिक है । जो हो चुका वह भूल जाने ही योग्य है । सतर्कता तो विवाह के बाद ही आरम्भ होती है ।

साथी के प्रति सम्मान का भाव रखा जाना चाहिये । उससे जो शारीरिक, मानसिक अनुदान मिलते हैं उनके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए । यह भाव मन में रहना ही चाहिए । समय-समय पर इन भावनाओं का प्रकटीकरण भी करते रहना चाहिए । दोष-दुर्गुणों की त्रुटियों, भूलों की चर्चा एकान्त में कान पर मुँह रख कर चुपके से करनी चाहिए । दूसरों के सामने ऐसा कुछ नहीं कहना चाहिए जिनसे साथी का अपमान होता हो । उसकी प्रतिष्ठा घटती हो ।

स्मरण रखने योग्य तथ्य है कि किसी ने किसी को खरीदा नहीं है । कोई किसी का गुलाम या स्वामी नहीं है । सहजीवन को सच्चे अर्थों में चरितार्थ करने के लिए यह गठबन्धन हुआ है । उस आदर्श पर आँच नहीं आनी चाहिए । यह निर्वाह तभी हो सकता है जब दूध चीनी की तरह एक-दूसरे में पूरी तरह घुल जाया जाय ।

यहाँ एक तथ्य और भी ध्यान रखने योग्य है कि नर-नारी आपस में ही नहीं मिलते उनके साथ ही दोनों परिवारों के उत्तरदायित्व भी दोनों पर आते हैं । इस जिम्मेदारी की उपेक्षा करके दोनों को ही अपने शौक-मौज की चिन्ता करनी है, ऐसी संकीर्णता मन में नहीं आनी चाहिए । दोनों परिवारों में किसी को इस विवाह के कारण असुविधा तो नहीं हो रही, देखभाल इस तथ्य की भी बारीकी से की जानी चाहिए । जो भूल चल पड़ी हो उसमें सुधार होना चाहिए ।

क्या विवाह एक उद्देश्यविहीन कार्य है ?

विवाह के बारे में जो अनेक आधुनिक धारणाएँ फैली हैं, उनमें से मुख्य ये हैं—(१) विवाह एक द्विपक्षीय अनुबन्ध है। (२) विवाह स्वाभाविक यौन-आकर्षण एवं यौन आवश्यकता की पूर्ति के टिकाऊ प्रबन्ध हेतु सामाजिक स्वीकृति से सम्पन्न एक रस्म है। (३) विवाह का उद्देश्य निर्धारित करना व्यर्थ है। वह मनुष्य-समाज में प्रचलित एक स्वाभाविक विधान है, जो देशकाल के अनुसार भिन्न-भिन्न रूप लेता रहता है। मनुष्य प्रत्येक प्रिय वस्तु को अपने साथ यथासम्भव अधिक दिनों तक रखना चाहता है। यह नितान्त स्वाभाविक 'इन्स्टिक्ट' या 'सहज-वृत्ति' है। विवाह भी प्रिय पुरुष या नारी को यथासम्भव अधिक दिनों तक साथ रखने के प्रयास की इसी सहज वृत्ति का मान है।

यह तो हुई उन लोगों की बातें जो विचारशक्ति को महत्त्व देते हैं, जो गलत या सही कैसी भी धारणा हो, उसके प्रति ईमानदार तो हैं। इसके साथ ही मनुष्यों का एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो आजीवन मात्र अनुकरण ही करता रहता है। कोई भी कार्य वह क्यों करता है, इस पर विचार की उसे जरूरत नहीं महसूस होती है। वह क्या बोलता है? क्या करता है? इस ओर उसका कभी ध्यान ही नहीं जाता। वह तोतों की तरह वही वाक्य और शब्द दुहराए जाता है, जो वह चारों ओर बोले जाते सुनता है और वैसा ही व्यवहार किये चला जाता है, जो चारों ओर होते देखता है। ऐसे लोग भी विवाह के लिए प्रायः धार्मिक कार्य, जन्म-जन्मान्तर के सम्बन्ध, गृहस्थ आश्रम, गृहस्थ योग, विवाह-यज्ञ, जो शब्दों का प्रयोग करते हैं, पर व्यवहार वे ठीक उलटा करते हैं। जब चाहें तब अपनी उच्छृंखल यौन-क्षुधा तृप्त कर सकें तथा आवेश, क्रोध, दर्प आदि मनोभावों की निरंकुश अभिव्यक्ति एक व्यक्ति पर करते रह सकें, यही उनके विवाह प्रयोजन का मुख्य आधार दिखाई पड़ता है। कइयों को सौदेबाजी और लूटखसौट की पशु प्रवृत्ति को तृप्त करने का सर्वोत्तम मार्ग विवाह ही मालूम होता है। इस प्रकार मुँह से विवाह के ऊँचे-ऊँचे उद्देश्यों, आदर्शों को मानने की घोषणा करने वाले ऐसे लोग भी विवाह को स्वयं में कोई सौद्देश्य कर्म मानते हैं ऐसा नहीं लगता।

यदि सचमुच ही ऐसी उद्देश्यविहीनता से या कि शारीरिक संयोग की इच्छा पूरी करते रहने से और कोई हानि

न होती, तब तो अधिक चिन्ता की बात नहीं थी। लेकिन देखा यही जाता है कि खोखले, उद्देश्यविहीन विवाह न केवल दो नर-नारियों के जीवन को रिक्त, विकृत एवं दुष्कर बनाते हैं, अपितु उनकी विकृति की दुर्गन्ध चारों ओर समाज में भी फैलती है। आज हमारे समाज में चारों ओर गृहस्थी के नाम पर ऐसे ही सड़ाँध युक्त डबरे गड्ढे फैले, बिखरे हैं और व्यक्तिगत, पारिवारिक तथा सामाजिक जीवन भौतिक वस्तुओं, उपकरणों के ढेरों के बीच, निःसत्व, निस्तेज, नीरस एवं सतही, संकीर्ण होकर रह गया है। जीवन-यात्रा का सम्बल और प्रेरक तो विवाह बन ही नहीं पा रहा, वह उस मार्ग में बाधाओं का अन्तहीन क्रम खड़ा करने वाला एक जाल-जंजाल जरूर बनता है।

यह सही है कि प्रजनन-प्रक्रिया और शारीरिक संयोग में प्रबल आकर्षण एवं प्रचण्ड आवेश है। नर-नारी के बीच बड़े अद्भुत घुलनशील रस-समूह एवं तत्त्व समूह हैं। उनके मिलन से एक नये प्राणी की अनुपम रचना होना स्वयं में सृष्टि निर्माण क्रम की एक अनिवार्य, अनूठी और आद्वादक घटना है। किन्तु नर-नारी के बीच घुलने-मिलने की प्रचण्ड प्रेरणा का उद्देश्य मात्र शिशु सर्जन और वंश विस्तार की आवश्यकता पूरी करना नहीं है। वस्तुतः इस आकर्षण का मूल कारण दो भिन्न लिंगी प्राणियों की अपूर्णताओं का परस्पर पूरक बनकर पूर्णता प्राप्त करने की आध्यात्मिक आकांक्षा है। इस प्रकार नर-नारी के बीच का यह गहरा खिंचाव मूलतः आध्यात्मिक प्रयोजन वाला है।

प्रकृत आवेशों के परिष्कार और शोधन की शिल्प साधना से दोनों का अन्तस् किसी सुन्दर भावपूर्ण मूर्ति की तरह निर्मित होता चला जाता है। दोनों की चारित्रिक, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, स्वभावगत और व्यक्तित्व की विशेषताएँ परस्पर आबद्ध होकर एक सम्पूर्ण मनुष्य की सर्जना करती हैं।

विवाह के इस आध्यात्मिक उद्देश्य को समझे बिना इस जीवन में वे स्वर्गीय सुख प्राप्त नहीं हो सकते, जिनकी कि कल्पना की जाती है। विकृत आधारों को परिवर्तित किये बिना और परिपक्व, सुसंस्कृत, स्वस्थ, सही दृष्टिकोण को अपनाये बिना विवाह के वास्तविक लाभ मिलने के नहीं। उस पुण्य प्रयोजन को ध्यान में रखे बिना और शुभ-संकल्प के साथ

१.६२ विवाहोन्माद : समस्या और समाधान

उस दिशा में प्रवृत्त हुए बिना दो आत्माओं के बीच वासना की विष-विकृति ही छाई रहती है और क्षोभ, ताप, सन्ताप तथा पतन से उत्पन्न अवसाद को जन्म देती है । इसीलिए शास्त्र का भी स्पष्ट निर्देश है—

“आत्म संयम सन्मार्गो नारी पुरुषयोः शुभा ।

एषा सफलतैबस्य, सार्थकता च पूर्णताः ।।”

अर्थात्—परस्पर आत्म-संयम के मार्ग में एक-दूसरे को सहायता कर सकें, इसी में पति-पत्नी की सफलता, सार्थकता एवं पूर्णता है ।

विवाह के उद्देश्यों, उत्तरदायित्वों एवं उनके निर्वाह हेतु वांछित योग्यताओं को जाने-समझे तथा उस हेतु आवश्यक तैयारी किये बिना सम्पन्न विवाह चाहे प्रेम-विवाह के नाम पर किये जायें, चाहे दहेज लेकर, रंग-रूप को महत्त्व दिया जाय या परिवारों की प्रतिष्ठा को अथवा शिक्षा की उपाधि या इसी निपुणता विशेष को, ये विवाह वयस्कों के बीच हों या बाल-विवाह की दूषित परम्परा के कारण हों, जहाँ आधार ही अस्त-व्यस्त है, वहाँ निर्माण क्या होगा, विघटन की ही हर क्षण सम्भावना बनी रहेगी ।

विवाह कोई क्षण-विशेष तक सीमित कार्य नहीं । इसीलिए भावुकता के प्रवाह या प्रचलन की परिपाटी के सहारे उसका निर्णय अवांछित है । अभी ऐसा निर्णय होता है, इसका कारण हमारे वर्तमान सामाजिक संस्कार हैं । इन सामाजिक संस्कारों में आमूल परिवर्तन आवश्यक है, क्योंकि ये ही सामाजिक दुर्दशा के कारण हैं । विवाह का उद्देश्य अपने किसी एक भावावेग को या किसी एक कामना को तुष्ट-तृप्त करना नहीं है । वह सम्पूर्ण व्यक्तित्व तथा सम्पूर्ण जीवन से जुड़ा प्रश्न है । निश्चय ही भावावेग और कामनाएँ भी जीवन का अंग हैं । परन्तु जीवन उनके अनियन्त्रित समुच्चय का नाम नहीं है । न ही वे जीवन का नियम हैं । जीवन के नियम तो उनसे ऊपर हैं । विवाह यदि जीवन के नियमों को ध्यान में रखकर नहीं किया गया । नर-नारी के बीच सन्निहित पारस्परिक आकर्षण की प्रेरणा के स्वरूप एवं उद्देश्य को ध्यान में रखकर नहीं किया गया, तो वह भावावेगों और कामनाओं को भी तृप्त नहीं कर पायेगा । यह प्रकृति प्रेरणा है, आत्म-विकास तथा अहं के विसर्जन की । एक-दूसरे में आत्मसात् होने की यह प्रेरणा व्यक्तित्व के विस्तार और 'स्व'

के सीमित दायरे के उल्लंघन की प्रेरणा है । सतत् विकासशीलता जीवन का नियम है । विवाह जब व्यक्तित्व के विकास-विस्तार के इस प्रयोजन की पूर्ति के लिए किया जाता है तभी वह अभीष्ट लाभ करा पाता है । रूप की प्यास बुझाने या अन्य किसी भौतिक प्रेरणा मात्र से किया गया विवाह मनुष्य को इसलिए भी कभी भी शान्ति-सन्तोष नहीं दे सकता, क्योंकि वह अपने मूल रूप में ही मनुष्य की चेतन-सत्ता का अपमान है । निरी भौतिक कामना तो किसी भौतिक वस्तु को लेकर ही करने पर सफल हो सकती है । एक चेतन पिण्ड उस भौतिक कामना की पूर्ति में यदि सहायक बना भी तो अपनी स्वतः की इच्छा से, स्वयं की शक्तों पर ही बनेगा । जहाँ यह स्थिति आई, वहाँ दो भिन्न स्वाभिमानों की टकराहट शुरू । इसलिए पाने ही पाने की कामना से विवाह करना है तो करलें, पर उसकी पूर्ति असम्भव है । वह सपना कभी सच होने का नहीं । भले ही निरे भौतिक सुखों के प्रति आकर्षण के कारण ही विवाह रचा जाये, लेन-देन वहाँ भी बराबरी का ही चलता है । वासना की पूर्ति दोनों की हो, इसका ध्यान रखना पड़ता है । दूसरे का मन नहीं ताका गया, तो उससे भी अनुकूलता कभी प्राप्त हो नहीं पाती । सिर्फ दूसरे पक्ष से ही अपेक्षाएँ पालने पर तो वे कभी भी पूरी हो नहीं सकतीं ।

यदि मात्र सौन्दर्य को ध्यान रखकर, रूप की प्यास बुझाने के लिए विवाह किया गया है, तो भी उसकी पूर्ति इतनी आसान नहीं । रूपसी के खर्चे बढ़े-चढ़े होंगे, मात्र यही एक कठिनाई नहीं । रूपसी सद्व्यवहार वाली एवं शील-सम्पन्न हो ही इसकी कोई निश्चितता थोड़े ही है और यदि सद्व्यवहार नहीं हुई तो रूप शीघ्र ही कष्टकारक लगने लगेगा । कहीं शील भी न रहा, अहंकार अधिक हो गया तो पथ-भ्रष्टता के साथ ही अन्य खतरे भी जुड़ जाते हैं ।

यही स्थिति दूसरे पक्ष की भी है । लड़का कमाऊ है, रूपवान है, पर दुर्युणी है, कठोर है या शीलरहित है, तो पत्नी कभी भी शान्ति से नहीं रह सकेगी । उड़ाऊ या दुर्व्यसनी हुआ, तो सारी कमाई उड़ते देर न लगेगी । कोमल नहीं हुआ तो नित्य-प्रति अन्तर्दाह ही उत्पन्न करेगा । निष्ठावान नहीं है तो सारी सुख-सुविधाओं के बीच भी पत्नी तड़पती रहेगी । इसलिए रूप और धन को सामने रखकर किये जाने वाले विवाह विपत्तियाँ ही सामने लाते हैं । शकल देखकर और

कमाई के स्रोत जानकर तय होने वाले विवाह अन्ततः उद्देश्यहीन विवाह ही सिद्ध होते हैं। वस्तुतः इन्हें प्रचलित प्रवाहों से प्रभावित उसको धन ही मानना चाहिए। लेकिन ऐसे गठबन्धनों से भी स्थूल प्रयोजन तभी सिद्ध होते हैं, जब दोनों ओर से लेन-देन की बराबरी चले।

विवाह सम्बन्धी निर्णयों के वर्तमान आधारों को बदला जाना बहुत जरूरी है। उद्देश्य का तथा उस हेतु वांछित साधनों एवं सामर्थ्यों का भली-भाँति विचार किये बिना विवाह एक मृग-तृष्णा ही सिद्ध होते रहेंगे।

अतः युवक-युवतियों में ऐसी चिन्तन क्षमता एवं बौद्धिक परिपक्वता विकसित की जानी चाहिए कि वे विवाह जैसे महत्त्वपूर्ण निर्णय ठोस धरातल के आधार पर शान्त चित्त से विचार करने के बाद अपने जीवन का उद्देश्य निर्धारित करते हुए लिया करें अन्यथा यह खेल महँगा और विनाशकारी ही बना रहेगा।

विवाह का उद्देश्य समझें और उसे प्राप्त करें

परिवार समाज-जीवन की धुरी है। वह उसकी आधारभूत इकाई भी कही जा सकती है। अकेला व्यक्ति समाज की इकाई नहीं माना जाना चाहिए। अनेक अकेलों के मिलने पर समाज का सजीव स्वरूप खड़ा हो पाना आवश्यक नहीं है। क्योंकि सामाजिकता का प्रशिक्षण यदि उन्हें प्राप्त नहीं है, समाज के लिये आवश्यक गुणों और व्यवहार का उनमें अभाव है, तो वे मिलकर भीड़ ही बनायेंगे। इन गुणों और व्यवहार का प्रशिक्षण परिवार में ही होता है। इसीलिये परिवार को ही समाज की इकाई मानना उचित है। अनेक परिवारों के मिलने से समाज बन जाता है। उस हेतु आवश्यक पारस्परिक सम्बन्धों के नियमों की परिवार के प्रत्येक सदस्य को जानकारी एवं प्रशिक्षण प्राप्त होता है। इसलिये परिवारों का समूह स्वाभाविक रूप से समाज की इकाई का निर्माण कर देता है। उसके बनने में कोई अलग प्रशिक्षण एवं अलग प्रयास अपेक्षित नहीं रह जाते। कोई समाज कैसा है, यह इस पर निर्भर है कि उसके परिवार 'यूनिट्स' कैसे हैं, किस प्रकार कार्य करते हैं। परिवारों में जिन आदर्शों एवं व्यवहारों पर बल दिया जायेगा, समाज में वही आदर्श तथा व्यवहार प्रतिष्ठित होंगे।

इसलिये परिवार की इकाई को भलीभाँति चलाना सामाजिक कर्तव्य का ही एक भाग है। पति-पत्नी दोनों मिलकर ही इस कर्तव्य का निर्वाह कर पाते हैं। पुरुष सामान्यतः परिवार की बाहरी व्यवस्थाएँ सँभालता और इस प्रकार समाज की ऊपरी हलचलों में भागीदार होता है। इन तमाम सामाजिक गतिविधियों की जड़ों को सींचने की भीतरी व्यवस्था परिवार में नारी सम्भालती है। वही व्यक्तियों को इन सामाजिक कार्यों में सम्मिलित हो सकने में समर्थ बनाती है। साथ ही इस हेतु उन्हें प्रशिक्षण देती है। उस सामाजिक सक्रियता हेतु वांछित स्नेह, प्रेम, मैत्री एवं आत्मीयता के भावों को पोषण प्रदान करती है और परिवार के सदस्यों को इन क्रियाशीलताओं हेतु अवसर भी प्रदान करती है। शीलवान, सच्चरित्र, सुशिक्षित, सुयोग्य नारियाँ अपने परिवार की प्रेरणा-स्रोत बनकर समाज को उत्कर्ष की दिशा में बढ़ाती हैं। जबकि मूर्ख, फूहड़, कलहप्रिय, कटुभाषिणी, कामचोर, आलसी, अपव्ययी, विलासी नारियाँ दुष्प्रवृत्तियों को उभारकर समाज को पतनशील बनाती हैं। पुरुष के आचरण में नारी की और नारी के आचरण में पुरुष की भागीदारी होती है। विकसित समाज में पुरुष ही नहीं नारियाँ भी विकसित होती हैं और अधोगामी समाज में सिर्फ नारी को ही दबाकर नहीं रखा जाता। पुरुष के सद्गुण और श्रेष्ठताएँ भी उसी अनुपात में दबे देखे जा सकते हैं। पुरुषों का उद्धत दर्प या भ्रान्त-विकृत मान्यताएँ उनके विकास नहीं, पिछड़ेपन और गिरावट का ही प्रमाण होती हैं।

नर-नारी की इस परस्पर पूरकता को ध्यान में रखकर ही परिवार की इकाई का निर्माण किया गया है। उस पारिवारिक इकाई का सुव्यवस्थित-संचालन ही विवाह का उद्देश्य है।

परिवार-संस्था के सम्यक् संचालन हेतु पति-पत्नी मिलकर एक झमग्र घटक बनते हैं। दो अंगों वाली एक 'यूनिट' का निर्माण होता है। दो पहियों वाली यह दाम्पत्य-जीवन की गाड़ी ही भलीभाँति आगे बढ़ पाती है।

विवाह में स्त्री-पुरुष के परस्पर पूरक गुण मिलकर पूर्णता की सृष्टि करते हैं। दोनों का संयोग ही उस यूनिट का निर्माण करता है, जो सम्मिलित रूप में समाज को आगे बढ़ाता है। इस तथ्य को ध्यान में रखा जाय, तो दोनों के बीच प्रतिस्पर्धा

नहीं, अनिवार्य सहयोग का महत्त्व स्पष्टतः समझ में आ जाये। दोनों फेफड़े श्वसन एवं रक्त संचार प्रक्रिया को गति देने के लिये आवश्यक हैं। रक्त शोधन का भार दोनों गुर्दे मिलकर सहज रूप से वहन किये रहते हैं। किसी एक पर ही सारा बोझ पड़ जाने पर वह लड़खड़ाने लगता है। परिवार हेतु वांछित संयुक्त शक्ति का विभाजन कर उसे भलीभाँति संचालित करने में ही विवाह की सार्थकता है। दो में से किसी एक पर संकट आये, तो दूसरा उसके दायित्व स्वयं सँभाल ले, सहयोग करे।

सहयोगी का अर्थ स्वामी नहीं होता। यों अपने-अपने क्षेत्र के स्वामी दोनों को कहा जा सकता है। इस रूप में गृहस्वामी तथा गृहस्वामिनी दोनों विशेषण साथ-साथ उचित हैं। किन्तु जब पुरुष अकेला ही स्वयं को गृहपति मान बैठे और पत्नी को दासी मानने लगे तो वह विवाह-संस्था के मूल उद्देश्य पर ही कुठाराघात हो जायेगा।

भीतरी और बाहरी दोनों व्यवस्थाओं का समान महत्त्व है। प्रत्येक अपनी जगह आवश्यक है उपार्जन और सामाजिक संस्थाओं का संचालन भी आवश्यक है। विश्राम, निद्रा, आमोद, प्रमोद भी आवश्यक हैं। बाहर का सम्बन्ध एवं प्रबन्ध भी जरूरी है और घर-गृहस्थी की साज-सँभाल, देख-रेख भी जरूरी है। दोनों ही कार्य-विभाजन समान महत्त्व के हैं। दोनों के सन्तुलन से ही पारिवारिक एवं सामाजिक समस्वस्ता बनी रह सकती है।

विवाह के इस उद्देश्य को ध्यान में रखा जाय, तो त्याग और आत्मसमर्पण की स्वाभाविक भावनाएँ एवं वृत्तियाँ उमड़ेंगी। आवेगपूर्ण प्रकृति का होने पर भी पुरुष पत्नी के सान्निध्य में शान्ति, शीतलता का अनुभव करता है और नम्र बना रहता है। अपना सारा उपार्जन उसी गृहलक्ष्मी को अर्पण कर देता है। गृह की सम्पूर्ण व्यवस्था उसे सौंपकर निश्चिन्तता का अनुभव करता है। बिना जीवन-सहचरी के उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। वह अपने आनन्द में उसे पूरी तरह सहभागी बनाना चाहता है। इसी प्रकार पत्नी स्वयं दुःख उठाकर घर की सारी व्यवस्था करती है। अपना सुख पति के सुख पर उत्सर्ग कर देती है। यह पारस्परिक आत्मसमर्पण ही वैवाहिक जीवन की सार्थकता है।

विवाह के इस उद्देश्य को ध्यान में रखा जाये तो सामाजिक प्रगति और आध्यात्मिक उत्कर्ष दोनों ही दाम्पत्य-जीवन का स्वाभाविक अंग बन जायेंगे। साथ ही समाज को नये सुयोग्य नागरिक भी अपनी संतान के रूप में दे सकेंगे।

पति-पत्नी में पारस्परिक अनुकूलता एवं सहयोग रहा, तभी परिवार का वातावरण ऐसा बनेगा कि बड़ों की समुचित सेवा हो सकेगी एवं उन्हें सम्मान और रुचि के अनुकूल व्यस्तता का अवसर भी दिया जायेगा तथा छोटों को सुसंस्कारित-समर्थ बनाया जा सकेगा।

भारतीय दृष्टि में विवाह का उद्देश्य एक ऐसी संयुक्त एवं समर्थ इकाई का विकास करना है, जो पितृ-ऋण, मातृ-ऋण एवं समाज-ऋण को अदा कर सके। सन्तान को समाज में महत्त्व इसीलिये दिया जाता है कि उससे समाज की सदस्यता में कमी नहीं होने पाती। समाज के अनेक महत्त्वपूर्ण कार्य-परिवार रूपी इकाई सम्पादित करती है। सबके लिये रोटी की व्यवस्था। सन्तानें माता-पिता का तो बोझ ही बोझ बढ़ाती हैं। उनके भरण-पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं भावनात्मक निर्माण के लिये माता-पिता को अपना श्रम, समय, धन, प्यार, स्नेह, बुद्धि, ध्यान सब कुछ लगाते रहना होता है। इससे लाभ वस्तुतः समाज को होता है। उसकी एक इकाई की भलीभाँति देख-रेख होती है और उसे तैयार किया जाता है। जितनी अच्छी मजबूत, श्रेष्ठ यह इकाई होगी, उतना ही सुदृढ़, उत्कृष्ट समाज होगा। पति-पत्नी पारिवारिक जीवन के वास्तविक उद्देश्य को जितनी दूर तक अपने जीवन में प्राप्त करेंगे उतनी ही उपयोगी इकाई वे समाज की बन सकेंगे और समाज के लिये उसी अनुपात में उपयोगी सदस्य तैयार करना; अपने सभी सदस्यों का संरक्षण एवं उनकी सुरक्षा की व्यवस्था करना और नई-नई इकाइयाँ तैयार करना समाज के ये त्रिविध कार्य परिवार रूपी इकाई करती रहती है। उपार्जन-संरक्षण के क्रम को गतिशील रखने से पितृ-ऋण का भुगतान माना जाता है। गृह-व्यवस्था, सेवा, सुश्रूषा, स्नेह-प्रेम की पूर्ति से मातृ-ऋण तथा नई-नई इकाइयों को समर्थ-सुयोग्य बनाने से समाज-ऋण पूरा होता है। इस ऋण की समुचित भरपाई होते रहने से समाज की गतिशीलता बनी रहती है। इसीलिये समाज की रुचि रहती है। विवाह के अवसर पर समाज के

अधिक से अधिक प्रतिनिधि उपस्थित रहें, इसका सामर्थ्यानुकूल प्रयास हर कोई करता है—जिस विवाह में पड़ोसी, परिचित, मित्र और प्रतिष्ठित जन साक्षी रूप में उपस्थित न हों उस विवाह को फीका माना जाता है। वर-वधू तथा दोनों के अभिभावकों में भी इस स्थिति में उतना उत्साह नहीं रहता।

विवाह की इस महत्ता का ध्यान रहे, तो उसकी प्रारम्भिक तैयारी से लेकर उसके बाद के जीवन तक की दिशा स्वतः ही स्पष्ट होती रह सकती है। तब लड़के-लड़की अपना जीवन-साथी चुनते समय ही महत्त्व रूप और धन को नहीं, आजीवन सहचरत्व निभा सकने की अनुकूलता को देंगे, दोनों के अभिभावक भी अभी विवाह का प्रयोजन न तो सोचते हैं, न खोजते हैं। वे तो जैसे-तैसे इस जिम्मेदारी को निपटाना चाहते हैं। उसी भावभूमि में उनका ध्यान विवाह-उत्सव को कौतुकपूर्ण तथा मनोरंजक विवाह एवं परिवार-संस्था को इतना अधिक महत्त्व दिया जाता है।

नई इकाइयों की तैयारी से स्वयं को कोई लाभ नहीं होता। समाज का यह उपयोगी एवं आवश्यक कार्य परिवार की इकाई सर्वोत्तम रीति से सहज क्रम में सम्पन्न करती रहती है। इसीलिये परिवार चलाने की दिशा में उठाये जाने वाले महत्त्वपूर्ण कदम-विवाह के स्वरूप में पूरे बनाने या अपनी प्रतिष्ठा की धाक जमाने की ओर अधिक रहता है। अपने उत्तरदायित्व को ठीक से निभा पाने की अपेक्षित गम्भीरता नहीं रहती।

आवश्यकता विवाह के प्रयोजन को समझने और उसकी पूर्ति हेतु गम्भीरता से प्रयास करने की है। ताकि समाज प्राणवान एवं गतिशील बना रहे। पितृ-ऋण, मातृ-ऋण और समाज-ऋण का प्रत्येक के द्वारा भुगतान होता रहे। जिससे समाज घाटे की मार से जर्जर न हो पाये वरन् अधिकाधिक समृद्ध ही होता चले।

क्या विवाह हर किसी के लिए

आवश्यक है ?

हर किसी के लिए विवाह अनिवार्य माना जाना, पिछड़ेपन का चिन्ह है। हर किसी को विवाह करना ही चाहिए आज की यह मान्यता सर्वथा अदूरदर्शितापूर्ण है। विवाह

गुड्डे-गुड्डियों का नहीं मनुष्यों का होता है और उसके फलस्वरूप ऐसे उत्तरदायित्व कन्धों पर आते हैं जिन्हें उठा सकने की पूर्ण तैयारी भली प्रकार कर ली गई हो तो ही इस इम्तहान के लिए किसी को तैयार होना चाहिए।

वासना पूर्ति के लिए किए गये विवाह तो पशु-विवाह से भी गये-बीते हैं। पशु-पक्षी विशुद्ध शरीर के प्रजनन उभार को पूरा करने के लिए न्यूनतम मात्रा में वासना को चरितार्थ करते हैं। मादा का शरीर जितनी बार प्रजनन के लिए उत्साहित होता है जीवन में उतनी ही बार वह यौनाचार करती है। नर तो इसमें मात्र सहयोग करता है। यदि मादा प्रोत्साहित न करे तो नर वर्ग का पशु या पक्षी कभी वैसी चेष्टा नहीं करेगा और आजीवन शान्तिपूर्वक निर्वाह करता रहेगा। यही है प्राकृतिक वासना-मर्यादा। जीवन भर में उसका प्रयोग उँगलियों पर गिनने लायक संख्या में ही होना चाहिए। शारीरिक और मानसिक क्षमताओं को उपयुक्त प्रयोजनों में लगाये रहने और सफल बनाने वाली ओजस् शक्ति के लिए अन्य अनेक महत्त्वपूर्ण कार्य करने को पड़े हैं। उसे वासनाओं में ही नष्ट करते रहने के पीछे कोई बुद्धिमत्ता नहीं है। प्राकृतिक आवश्यकता तो उसे कह ही नहीं सकते। प्रकृति की इच्छा और प्रेरणा का क्या स्वरूप हो सकता है इसे समस्त सृष्टि में प्रजनन के साथ वासना का अविच्छिन्न सम्बन्ध होने के साथ जुड़ा हुआ देखकर समझा जा सकता है। मनुष्य की उचित मर्यादा भी यही हो सकती है कि जब जिन्हें जितने बच्चे पैदा करने हों तब वे जीवन भर में उतनी ही बार वासना को चरितार्थ करें।

अन्य प्राणियों की मूल प्रकृति सुधरती रहती है। शरीर प्रेरणा से प्रेरित होकर मादा अधिक बच्चे पैदा कर लेती है तो प्रकृति उसका सफाया भूख, ऋतु-प्रभाव, दुर्घटना एवं हिंसक प्राणियों के आक्रमण द्वारा करती रहती है। अन्य प्राणियों के ६० प्रतिशत बच्चे इसी कुचक्र में पिसकर मरते रहते हैं। पर मनुष्य की बुद्धिमत्ता ने शिशु-रक्षण का प्रबन्ध बहुत कुछ कर लिया है। अस्तु, बाल-मृत्यु की दर अन्य प्राणियों की तुलना में नगण्य ही रह गई है। ऐसी दशा में मानवी बुद्धिमत्ता का उत्तरदायित्व और भी अधिक बढ़ जाता है कि उनका प्रजनन उत्साह और भी कम हो।

इन दिनों मनोविकारों को उत्तेजित करने में अति बरती गई है। साहित्य, संगीत तथा कला में कामुकता को बेतरह भड़काया है। देखी-सुनी बातों से मनुष्य का मन प्रभावित होता है। पतनोन्मुख दुष्प्रवृत्तियों तो और भी अधिक आकर्षक होती हैं। कामुकता को विनोद मनोरंजन से भी आगे बढ़ाकर जब उसे अनिवार्य आवश्यकता मान लिया जाय तो यह एक दुर्भाग्य ही कहा जा सकता है। उनके पीछे न प्रकृति-प्रेरणा है और न विनोद की पूर्ति। काम को क्रीड़ा के अर्थ में लिया गया है। पति-पत्नी के बीच हास-परिहास चलने में तो विनोद की बात बनती भी है। पर काम-सेवन तो इतना महँगा मनोरंजन है जिसकी प्रतिक्रिया अतीव असहनीय बन जाती है। दोनों पक्ष अपने बहुमूल्य जीवन तत्व से वंचित होते हैं। प्रजनन शरीर और मन पर कितना दबाव डालता है यह किसी जननी का गम्भीर परीक्षण करके ही जाना जा सकता है। बच्चों का पालन कितना कठिन और कितना दुसह है, इसे भुक्तभोगी हुए बिना नहीं जाना जा सकता। पति की आर्थिक और पत्नी की शारीरिक दुर्दशा का पूरा लेखा-जोखा रखा जा सके—दोनों की शारीरिक, मानसिक और आर्थिक क्षति का विवरण तैयार किया जा सके तो प्रतीत होगा कि यह मनोरंजन कितना महँगा है। वासना-पूर्ति की दृष्टि से विवाह करना निस्सन्देह अत्यन्त महँगा और अत्यन्त कष्टकारक कदम है। अस्तु, उसे हर किसी के लिए अनिवार्य नहीं माना जाना चाहिए। हर बच्चे का विवाह होना ही चाहिए इस प्रकार का चिन्तन करने वाले अभिभावक निश्चित रूप से भयंकर भूल करते हैं। इसी प्रकार जो नर-नारी उत्तरदायित्वों और परिणामों को समझे बिना ऐसे ही इस आग में कूदते हैं वे भी अदूरदर्शिता का ही परिचय देते हैं।

विवाह का मुख्य प्रयोजन दो मित्रों का साथ-साथ रहकर जीवन की नाव खेने में सुनिश्चितता प्राप्त करना होना चाहिए। पर यह मित्रता समस्वरता और आदान-प्रदान की क्षमता पर ही निर्भर रह सकती है। एक दूसरे का साथ देने और मित्रता के कर्तव्य निभाने की स्थिति में है या नहीं यह खोज-तलाश विवाह से पूर्व ही कर लेनी चाहिए। इसमें रूप-सौन्दर्य या उत्तेजक प्रकृति का कोई योगदान नहीं, हो सकता। आजकल इसी की परख की जाती है। लड़के ऐसी पत्नी चाहते हैं जिनसे उन्हें वासनात्मक उत्तेजना मिल सके। शकल-सूरत की दृष्टि से लड़कियाँ पसन्द की जाती हैं। पर देखा गया है कि

यह परख दाम्पत्य-जीवन की सफलता में कोई विशेष योगदान नहीं देती। नशा पीने से पेट तो नहीं भरता। दाम्पत्य-जीवन की सफलता गुण, कर्म, स्वभाव की समस्वरता पर ठहरी हुई है। वह न मिल सकी तो आये दिन कलह मचेगा—बच्चे गोदी में आ जाने पर तो सॉप-छूँदर जैसी गति हो जायेगी। न छोड़ते बनता है न निगलते। गरम दूध मुँह से भर लेने पर न तो पीते बनता है और न उगलते। मन न मिलें तो एक घर में साथ रहने से भी क्या बनता है। एक ही घर में चूहे-बिल्ली भी तो रहते हैं पर उनके सहचर जैसा भाव कहाँ रहता है? यदि यह तत्त्व न मिल सके तो समझना चाहिए कि विवाह निरुद्देश्य ही नहीं हुआ वरन् दूसरे का भार लदने से गले में पत्थर बँध जाने जैसी स्थिति हो गई।

विवाह की अनिवार्यता सोचने वालों और उसमें उतावली करने वालों को कोई कदम उठाने से पूर्व हजार बार सोचना और देखना चाहिए कि वर-वधू आजीवन सहचरत्व निभा सकने—घनिष्ट मित्रता के सघन उत्तरदायित्वों को निभा सकने की मनःस्थिति एवं परिस्थिति में हैं या नहीं। मनःस्थिति इस अर्थ में कि साथी का साथ निभाने में मालिक-गुलाम का रिश्ता नहीं चलता वरन् तालमेल बिठाने, अपने लिए कम चाहने और साथी के लिए अधिक करने की भावना ही प्रखर रखनी पड़ती है। इस स्तर के संस्कार जिनमें विकसित हो गये हैं जिनका दृष्टिकोण परिष्कृत हो गया हो वे इस स्थिति में कहे जा सकते हैं कि उन्हें विवाह की छूट मिल सके।

परिस्थिति इस अर्थ में कि विवाह की तैयारी में शारीरिक और आर्थिक स्थिति को पूरी तरह ठीक बना लिया जाना चाहिए। इस सम्बन्ध में लड़की के सामने लड़के की अपेक्षा अधिक जोखिम है। यदि वह रुग्ण रहती है—मृगी आदि से पीड़ित है तो ससुराल वालों की इच्छानुसार उन लोगों की शारीरिक सेवा न कर सकेगी। मानसिक दृष्टि से दुर्बल होने पर भी वहाँ जाकर वह पग-पग पर तिरस्कृत होती रहेगी। शारीरिक और मानसिक दृष्टि से रुग्ण एवं अविकसित लड़कियों का कहीं किसी प्रकार कुछ भी तरकीब भिड़ाकर विवाह कर देने और अपना भार हलका कर लेने की बात सोचना गलत है। इससे अपना भार हलका कहीं होता है वरन् उलटा बढ़ जाता है। ससुराल जाते ही लड़की सताई जाती है। कई बार तो हत्या या आत्महत्या जैसी रोमाञ्चकारी घटनाएँ घटित हो जाती हैं। वैसा न हो तो आशा के विपरीत घटिया स्तर

की गलती होने पर ससुराल वालों का व्यवहार कठोर-कर्कश रहता है। ऐसी दशा में न लड़की को चैन, न उसके अभिभावकों को। विवाह में जो धन लगा था वह भी बेकार गया और लड़की सुखी रहने के स्थान पर और उलटी दुखी हुई। काली-कुरूप लड़कियों की भी जब मिट्टी पलीत होती है तब रुग्ण और अविकसित होने की स्थिति में तो और भी बड़ा संकट आता है। इन परिस्थितियों में अभिभावकों और लड़कियों का स्पष्ट निर्णय विवाह न करने का ही होना चाहिए। किसी प्रकार चपेक-चपाक की बात सोचते रहना भार हलका करना नहीं, स्पष्टतः उसे अनेक गुना बढ़ा ही लेना है। इस विपत्ति को निमन्त्रित करने की अपेक्षा अविवाहित रहने का निर्णय अधिक विवेकसम्मत है।

लड़की का विवाह करने से पूर्व उसका भी शारीरिक, मानसिक ही नहीं, उपार्जन-क्षमता को भी परखा-देखा जाना चाहिए। विवाह होते ही पत्नी का आर्थिक उत्तरदायित्व सिर पर आता है। इसके बाद ही बच्चों का सिलसिला चल पड़ता है। इस महँगाई के जमाने में बच्चों का भोजन, वस्त्र, चिकित्सा आदि का ही नहीं, उनकी शिक्षा, शादी और स्वावलम्बी बनाने के लिए पूँजी की भी आवश्यकता पड़ती है। कई बच्चे और पत्नी तो सँभालने ही होते हैं। साथ ही माता-पिता और भाई-बहिन के प्रति भी तो कर्तव्य होता है। आकस्मिक आवश्यकताएँ भी आती रहती हैं। चिकित्सा, मुकदमा, दुर्घटना अथवा सम्बन्धियों की सहायता के अनेक अवसर आये दिन सामने खड़े रहते हैं। इन सब का भार उठा सकने योग्य जिनकी उपार्जन क्षमता हो उन्हें विवाह बन्धन में बँधने या बाँधने की छूट दी जा सकती है। जो लड़के शारीरिक दृष्टि से दुर्बल, मानसिक दृष्टि से अविकसित और आर्थिक दृष्टि से अक्षम हैं उनका विवाह होना ही चाहिए ऐसा सोचने के पीछे तनिक भी समझदारी नहीं है।

अभिभावक सोचते हैं कि लड़का जैसा भी कुछ है बना रहे पर विवाह कर देने से उसे सेविका मिल जायेगी और कई प्रकार की रहेगी। इस शुभेच्छा की सराहना की जा सकती है और साथ ही एक बात और भी सोची जानी चाहिए कि जो लड़की घर बुलाई जायेगी उसकी कैसी दुर्गति होगी? वह ऐसे पति को पाकर क्या सुख पावेगी जिसे शारीरिक दुर्बलता ने, मानसिक अनुपयुक्तता ने तथा उपार्जन-सामर्थ्य की

अक्षमता ने घेर रखा है। अपने लड़के को सुविधा मिले, इसके लिए दूसरे की बेटी को आजीवन कष्ट सहने के गर्त में क्यों धकेला जाय? यदि अपनी बेटी किसी ऐसे अक्षम के पल्ले बँध जाती और आजीवन रोती-कलपती तो अपने को कितना कष्ट होता? यही बात दूसरों की लड़की तथा उनके अभिभावकों के बारे में सोची जानी चाहिए। किसी प्रकार बहला-फुसला कर किसी को धोखे में फँसाकर उसकी लड़की अपने लड़के के लिए ले ली जाय तो यह परले दर्जे की स्वार्थपरता ही हुई। अपने बेटे को सुखी बनाने के लिए पराई बेटी को नारकीय आग में जलने के लिए घसीट लेना कहीं का न्याय हुआ?

जिस प्रकार सक्षम लड़कियों का अविवाहित रहना उचित है उसी प्रकार अयोग्य लड़कों के विवाह की बात भी मस्तिष्क में से निकाल देनी चाहिए। अविवाहित रहना न तो लज्जा की बात है और न दुर्भाग्य की। उसे सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रश्न ही नहीं बनाया जाना चाहिए। हमारे लड़के या लड़की का विवाह नहीं हुआ तो कोई क्या कहेगा? लड़के की ओर हमारी अप्रतिष्ठा होना यह कल्पना सर्वथा निराधार और बेतुकी है। सच तो यह है कि इस प्रकार के निर्णय में विवेकशीलता, दूरदर्शिता, ईमानदारी और सहिष्णुता का समावेश होना हर दृष्टि से प्रशंसनीय और सच्ची प्रतिष्ठा प्रदान करने वाला है। यदि तात्किक दृष्टि से विचार किया जा सके तो विवाह के अनुपयुक्त मनःस्थिति और परिस्थिति वाले बच्चों के अविवाहित रहने की बात ही अधिक बुद्धिमत्तापूर्ण है। विवाह के उत्तरदायित्व निभा सकने की स्थिति में यही उचित है कि जो शक्ति गृहस्थ निर्वाह की अगणित समस्याओं को सुलझाने में लगती उसे अपने व्यक्तिगत जीवन को सुखी-सन्तुष्ट और समुन्नत बनाने में लगाया जाय।

उदंड, क्रूरकर्मी, निष्ठुर, उच्छृंखल लड़के इसी योग्य हैं कि उन्हें तब तक अविवाहित रहने दिया जाय जब तक कि वे अपनी मनःस्थिति और परिस्थिति को अपनी सहधर्मिणी के लिए बोझिल कर्तव्यों का निर्वाह कर सकने योग्य नहीं बना लेते। इसी प्रकार रुग्ण, अर्धविक्षिप्त अति कुरूप लड़कों को अविवाहित रहने दिया जाय तो यही अधिक बुद्धिमत्तापूर्ण है। इसमें भले ही उन्हें एकाकी रहना आखरे या वासना-सुख न मिल सके पर निरन्तर नारकीय जीवन जीने की असह्य प्रताड़ना से तो छुटकारा मिल ही सकेगा।

असमर्थ लोगों के विवाह का आग्रह अनुचित

जापान में एक तिहाई लोग विवाह नहीं करते । इससे न तो उस देश की प्रगति प्रभावित हुई है, न ही विवाह न करने वालों को जीवन में किसी बड़ी कमी का एहसास हुआ है । अविवाहित रहना कोई अपराध नहीं है ।

मनःस्थिति और परिस्थिति दोनों उपयुक्त हों तभी विवाह करना उचित है अन्यथा अविवाहित रहे जाना ही ठीक है ।

जिन्हें सहयोगी-सहयोगिनी की अनिवार्यता है और जो उसका भार उठा सकते हैं वे ही विवाह करें । विवाह कर लेना मात्र कोई पुरुषार्थ नहीं, न ही वह स्वयं में कोई सौभाग्य है । हाँ, सम्मिलित पुरुषार्थ द्वारा उसे अवश्य सौभाग्य में परिवर्तित किया जा सकता है । परन्तु ऐसा सौभाग्य विवाह के साथ ही नहीं बिना विवाह के भी उसी भाँति अर्जित किया जा सकता है ।

अविवाहित रहना न तो लज्जा की बात है न दुर्भाग्य की । लेखिका मेरी कारली से जब एक पत्रकार ने पूछा कि आपको विवाह की आवश्यकता का अनुभव नहीं होता क्या? तो उसने विनोदपूर्वक उत्तर दिया कि—“मैंने ये जो तीन जानवर तोता, कुत्ता और बिलाव पाल रखे हैं, वे पति की आवश्यकता पूरी कर देते हैं । तोता मेरे प्रति वफादारी की झूठी कसमें खाता रहता है, बड़ी-बड़ी बातें करता है और रोज एक जैसी ही रट लगाये रहता है । कुत्ता भोर होते ही उठकर गुरनि लगता है । बिलाव इधर-उधर घूमता रहता है और रात में बहुत देरी से घर आता है । आखिर पति यही सब तो करते हैं ?”

व्यंग्यपूर्ण होने पर भी इस बात में सार तो है ही । विवाह के बाद अधिकांश लोग एक-दूसरे को पीड़ा, तनाव, परेशानी के सिवाय प्रायः कुछ भी और नहीं दे पाते । अतः उस व्यर्थ की कुढ़न-जलन, व्यथा-वेदना को स्वयं लादना कोई बुद्धिमत्ता नहीं मानी जानी चाहिए । जहाँ गम्भीर उत्तरदायित्व की भावना और उसके निर्वाह की योग्यता न हो, वहाँ विवाह करना अनुचित है ।

विवाह को सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लेना तो सर्वथा भ्रान्ति-मूलक है । सामाजिक प्रतिष्ठा विवाह का जुगाड़

जमा लेने में नहीं, उसके बाद उसके उद्देश्य को पूरा कर सकने में ही है अन्यथा उपहास की ही स्थिति बनती है ।

मानसिक अथवा शारीरिक दृष्टि से असमर्थ लड़के-लड़कियों को धोखे अथवा प्रलोभन से ब्याह देना नैतिक दृष्टि से प्रवंचना है । लड़के वाले सोचते हैं कि विवाह कर दें, तो इस असमर्थ को एक सेविका मुफ्त में मिल जायेगी । अपने बेटे की इस सुविधा के लिये दूसरे की बेटी को नरक-कुण्ड में ला पटकना कैसे उचित कहा जायेगा ? लड़के के ऐसे अभिभावकों को इतना-सा विचार तो करना ही चाहिए कि यदि उनकी लाइली बेटी किसी अक्षम लड़के के पल्ले पड़कर जिन्दगी भर रोती-कलपती तो उन पर क्या बीतती ? फिर इस धोखाघड़ी से वस्तुतः कोई प्रयोजन सिद्ध भी नहीं होता । यह बात सिर्फ विशिष्ट अपवादों या दन्त कथाओं तक ही सीमित है कि पति कैसा भी हो, पत्नी उसकी निष्ठावान सेविका बनी ही रहेगी । पति की शारीरिक दुर्बलता, भावनात्मक क्रूरता या मानसिक रुग्णता पत्नी लम्बे समय तक स्वाभाविक रूप से बर्दाश्त नहीं कर पाती । वह या तो स्वयं रोगिणी बन जाती है या विद्रोहिणी हो उठती है । भीतर ही भीतर सुलगता धुआँ कभी भी आग बनकर फूट पड़ता है । तब जिस इज्जत और सहूलियत के फेर में यह सारा झमेला खड़ा किया गया था, वह स्वप्न ही बनकर रह जाता है । अपने ठगे जाने, अन्यायपूर्वक सताये जाने और निरन्तर शोषित किये जाने का एहसास किसी महिला को यदि उसमें स्वतन्त्र होने का साहस नहीं हुआ, तो पतन की भी प्रेरणा दे सकता है । वह सीलन और घुटनभरी जिन्दगी की कोठरी में नाली से ही हवा एवं प्रकाश आने देने को भी जीवन का एक सहारा और सुख मान बैठती हो तो इसमें क्या आश्चर्य! अतः शारीरिक या मानसिक दृष्टि से अक्षम-अयोग्य क्रूर-कठोर, दुर्बल-रुग्ण, उद्वण्ड-उच्छृंखल लड़कों की शादी कभी भी नहीं करनी चाहिए । जो स्वयं अपना भार नहीं उठा सकता वह पत्नी-बच्चे का भार इस बढ़ती महँगाई के दौर में कैसे उठा पायेगा ? आखिर विवाह कोई गुड्डे-गुडियों का खेल थोड़े ही है ।

यही बात लड़कियों के बारे में लागू होती है । शारीरिक-मानसिक दृष्टि से अपरिपक्व-अविकसित, दुर्बल रुग्ण लड़कियों को कहीं किसी भी प्रकार कुछ तरकीब भिड़ाकर विवाह कर देने वाले अभिभावक कभी भी सुखी नहीं रह पाते । वे जैसे-तैसे अपने सिर का भार हलका करना चाहते हैं । पर

विफल-मनोरथ ही रहते हैं। भार हलका नहीं होता, उल्टे बढ़ जाता है शारीरिक दृष्टि से दुर्बल लड़की को पग-पग पर अपमान सहना पड़ता है। पति तो प्रायः पत्नी से सेवा की ही अपेक्षा करते हैं। पत्नी की सेवा के लिये विरले ही प्रस्तुत होते हैं। जीवन भर साथ रहना है यह सोचकर सहायक हुए भी, तो घर वाले और रिश्ते वाले इसमें उनके पौरुष की कमी दिखा-दिखाकर ताने मारने, उत्तेजित करने और शर्मिन्दा करने से नहीं चूकते।

प्रजनन का असह्य भार तो दुर्बल लड़की सह ही नहीं पाती। वह प्रायः निरन्तर बीमार रहने लगती है टूटती जाती है और अंततः अभिभावक के सिर पर और बड़ा बोझ बनकर गिरती है। यदि मायके नहीं भी आई तो ससुराल में उसे मिलने वाली प्रताड़ना एवं यंत्रणा की सूचना किस अभिभावक का कलेजा नहीं कचोट देती। यह सब न भी हुआ, तो भी कुल मिलाकर उस लड़की को मिलेगा क्या? विवाह के बाद, वह कोई भी सुख तो प्राप्त न कर सकेगा, उल्टे दिन-रात अपनी अक्षमता-असमर्थता के मान से दबी-घुटी रहेगी।

यदि वह निरन्तर रुग्ण रहती है, तो पति पर बोझ बनेगी। पग-पग पर तिरस्कृत होगी। यदि मृगी, हिस्टीरिया जैसे रोग हैं तो वह खुद अपना शरीर तो सँभाल न सकेगी, ससुराल वालों की क्या सेवा करेगी? मानसिक दृष्टि से रुग्ण, अविकसित लड़कियों के बारे में भी यही बात है। वे पति और ससुराल वालों के लिये एक समस्या बन जाती हैं और कोई भी व्यक्ति सदैव के लिये समस्या पीड़ित नहीं रहना चाहता। अक्षम-असमर्थ लड़की का वैवाहिक जीवन उसे प्रायः कोई सुख नहीं दे पाता। यदि ससुराल वालों को पहले से नहीं मालूम है और उन्हें आशा के विपरीत घटिया स्तर की बहू मिली है, तो उनके व्यवहार में कठोरता-कर्कशता, तिरस्कार, अपमान, उपेक्षा-व्यंग्य भरा रहता है। ससुराल वाले अधिक कठोर हुए तो उनके द्वारा सताये जाने की बात बहुत आगे तक बढ़ जाती है। कई बार हत्या या आत्महत्या जैसी रोमांचकारी घटनाएँ घट जाती हैं। समर्थ, सुयोग्य लड़की तो अन्याय का विरोध भी कर सकती हैं, परन्तु पहले से ही आत्महीनता के बोध से दबी अक्षम-असमर्थ लड़की यह साहस कहाँ से सँजोए। माता-पिता जब उस पर होने वाले अन्यायों की बार-बार खबर पाते हैं, तो उसे अपने घर ले आते हैं।

विवाह में लगाया गया धन पूरी तरह व्यर्थ ही गया। न तो स्वयं को चैन मिला, न ही अपनी लाइली को।

अतः अभिभावकों को चाहिए कि अपनी अस्वस्थ, रुग्ण, अविकसित-अक्षम बेटी के ब्याह में धन लगाने की बजाय, उसके उपचार तथा सामर्थ्य-वर्धन में वही पैसा लगायें। रोग या स्थिति असाध्य हो, तब तो विवाह करना और अधिक हानिकारक है। उसके स्थान पर, संचित राशि से बेटी के आजीवन सम्मान निर्वाह की व्यवस्था करें तथा इस आधारहीन मूढ़ता के जाल में न फँसे कि बेटी का अविवाहित रह जाना बाप पर पाप का भार बढ़ाता है। उल्टे, अक्षम अयोग्य लड़की को ब्याह देने से अवश्य पिता की चिन्ता एवं बोझ सदा बढ़ता ही है, घटता कभी भी नहीं देखा जाता। अतः अभिभावकों को ऐसी स्थिति में स्पष्ट विवाह न करने का निर्णय लेना चाहिए। लड़की यदि शारीरिक दृष्टि से ही असमर्थ एवं रुग्ण है मानसिक दृष्टि से उसमें समझदारी आ गई है, तो उसे भी ऐसी स्थिति में विवाह-बन्धन में बँधने से इन्कार कर देना चाहिए।

हाँ, कोई आदर्शवादी युवक यदि सभी बातों को जानने के बाद ऐसी लड़की से विवाह करना चाहे, तब उसका विवाह किया जा सकता है। ऐसे लड़कों की भी कमी नहीं। आदर्श-प्रेरित भाव-भरी संवेदना में हर असमर्थता-प्रतिकूलता को सहयोगी अनुकूलता में बदल सकने की सामर्थ्य होती है। मन का सच्चा सद्भाव, स्नेह-प्यार पत्थर को देवता और शूल को फूल बना सकता है। किन्तु धोखा-ठगी फौंसने-फँसाने की कुटिलता से सदा हानि होती है। न तो अपने बेटे को सुखी बनाने के लिये पराई बेटी को नारकीय आग में जलने के लिये घसीट लाना न्याय है, न ही अपनी बेटी के हाथ पीले करने की उतावली में जिन्दगी भर के लिये उसका मन और मुँह पीला, उदास बना डालने की रूढ़िवादी कुरीति का कोई औचित्य है। विवाह के अनुपयुक्त मनःस्थिति एवं परिस्थिति वाले बच्चों को अविवाहित रखने का निर्णय ही उचित न्यायसंगत एवं बुद्धिमत्तापूर्ण है।

शारीरिक-मानसिक दृष्टि से सक्षम-सुयोग्य वयस्कों को भी विवाह की बात तभी सोचना चाहिए, जब आर्थिक स्थिति इतनी सुदृढ़ हो कि स्वयं का, वर्तमान परिवार, माता-पिता,

भाई-बहिन आदि का और पत्नी-बच्चों का भी भार वहन कर सकें। इस जिम्मेदारी को उठा सकने की योग्यता हुए बिना विवाह नहीं करना चाहिए।

माता-पिता, भाई-बहिन के प्रति कर्तव्यों की उपेक्षा कर, नये कर्तव्य ओढ़ते जाना गलत है। उन कर्तव्यों के निर्वाह के साथ ही नयी भूमिका निभाने की तैयारी हो तब विवाह किया जाय। इस महँगाई के जमाने में बच्चों के पोषण, चिकित्सा, शिक्षा आदि के लिये पूँजी की कदम-कदम पर जरूरत पड़ती है। परिजनो-सम्बन्धियों की सहायता, चिकित्सा, दुर्घटना, मुकदमा तथा अन्य आकस्मिक आवश्यकताएँ भी आये दिन आ खड़ी होती हैं। इन सबका ध्यान रख कर अपनी सामर्थ्य तौलकर, उतनी उपार्जन-क्षमता होने पर ही विवाह करना उचित है।

शिक्षित विवाह का अर्थ समझें और पालन करें

विवाह व्यक्तिगत के साथ-ही-साथ सामाजिक रूप धारण करता है, क्योंकि विवाह में दो व्यक्तियों के ऐसे सम्बन्ध का बीजारोपण होता है जो न केवल शारीरिक है बल्कि आध्यात्मिक भी है।

भारतीय जीवन-पद्धति में विवाह एक विशेष स्थान रखता है और इसके लिए समझौते-पत्र पर हस्ताक्षर की गई विवाह-पद्धति की कल्पना हास्यास्पद भी मालूम होती है। अनादि-काल से चली आ रही आध्यात्मिक पृष्ठभूमि पर आधारित सभी विचारधाराओं की नींव को यह कल्पना झकझोर देती है।

समझौता तो तब होता है, जबकि दोनों पक्षों के स्वार्थ का प्रश्न उठता है। स्वार्थ का सम्बन्ध अधिकतर भौतिक वस्तुओं से होता है। आध्यात्मिक सुख और सन्तोष में साझेदारी का प्रश्न नहीं उठता।

हिन्दू जीवन सिद्धान्त और व्यवहार दोनों में कोई भेद नहीं रखता। वेद, उपनिषद् और अन्य सभी धार्मिक ग्रन्थों में सिद्धान्त रूप से जो कुछ विद्यमान है वह व्यावहारिक जीवन में उतरता दिखाई देता है। हिन्दू विवाह-पद्धति अपने सामाजिक एवं आध्यात्मिक स्वरूप के कारण इस पृथ्वी पर एक आदर्श रूप में मान्य है।

समझौते से संरक्षण प्राप्त नहीं होता, क्योंकि संरक्षण देना और प्राप्त करना दोनों सन्तोष की अनुभूतियाँ हैं। समझौते-पत्र पर हस्ताक्षर के आधार पर किए गए विवाह उस ठेकेदार के कार्य के समान होंगे, जो कि ठेके का कार्य समाप्त हो जाने पर मालिक से कोई सम्बन्ध नहीं रखता और इस विवाह से उत्पन्न सन्तान भी क्या उसी निर्जीव इमारत की तरह नहीं होगी जो कि ठेकेदार द्वारा बनाई जाती है एवं समाप्ति के पश्चात् उसका उस पर कोई उत्तरदायित्व नहीं रह जाता? क्या सन्तान माता-पिता के बीच प्रेम एवं उत्तरदायित्व की भावनाओं की और अधिक सुदृढ़ बनाने वाली कड़ी नहीं है? क्या केवल भौतिक अर्थों एवं स्वार्थों को लेकर ही विवाह किए जाते हैं? मूल प्रवृत्ति रूप में विद्यमान वात्सल्य की भावना से प्रेरित होकर माता-पिता अपनी सन्तान के लिए बड़े-से-बड़ा उत्सर्ग करते देखे जाते हैं। केवल मात्र हस्ताक्षर की स्याही की कोई बूँद इन सूक्ष्म भावनाओं को व्यक्त नहीं कर सकती।

यह अवश्य है कि समय के बढ़ते हुए चरण के साथ-साथ हमें भी कदम मिलाकर चलना चाहिए। कुछ परिवर्तनों का लाना आवश्यक है। किन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि आधारभूत सिद्धान्त एवं आधारभूत आध्यात्मिक मान्यताओं की पूर्ण अवहेलना की जाय। हम चाह कर भी ऐसा नहीं कर सकते। संस्कार रूप में एवं वंश-परम्परागत रूप से हमें जो कुछ भी प्राप्त है उसे हम अपने रक्त से अलग नहीं कर सकते।

वैवाहिक जीवन की असफलताएँ अनेक बातों पर निर्भर होती हैं। यह दावे के साथ नहीं कहा जा सकता कि माता-पिता द्वारा तय किए गए विवाह, प्रेम-विवाह के मुकाबले में अधिक असफल होते हैं और समझौते-पत्र पर किए विवाह असफल नहीं होंगे। सन्तान पर माता-पिता के मनोमालिन्य का बहुत असर पड़ता है। अतः समायोजन पति-पत्नी के बीच जितना अधिक होगा, सन्तान के व्यक्तित्व का विकास उतना ही स्वस्थ होगा।

शिक्षा का क्षेत्र, स्वरूप एवं उन्नति सभी कुछ हमें आज पिछले युग से अधिक मात्रा में दिखाई देती है। शिक्षा का अर्थ केवल कुछ डिग्रियाँ मात्र प्राप्त कर लेना नहीं है। शिक्षा तो व्यक्ति के व्यक्तित्व का उत्थान एवं उसे भौतिक धरातल से ऊपर उठाने का प्रयत्न करती है। मानव मन की छिपी हुई सामर्थ्यों को शिक्षा अभिव्यक्ति प्रदान करती है, परिष्कृत करती

है और एक परिष्कृत व्यक्तित्व, स्वार्थ के साथ-ही-साथ परार्थ का भी ध्यान रखता है। भौतिक उद्देश्यों की अपेक्षा आध्यात्मिक मूल्यों की ओर अधिक ध्यान देता है। यदि शिक्षित युवक-युवतियाँ अपने को आध्यात्मिक धरातलों से नीचे गिरा लेंगे तो शिक्षा का कोई महत्त्व, मूल्य एवं अर्थ नहीं होगा।

वैवाहिक जीवन के दायित्व भलीभाँति समझे जाँँ

पाश्चात्य देशों में विवाह के पूर्व ही युवक-युवतियों को यौन-विषयक जानकारी दी जानी आवश्यक समझी जाती है। हमारे यहाँ इस विषय को गोपनीय मानकर बच्चों को नहीं बताया जाता। यह कहना कि बच्चों के वयस्क होते-होते उन्हें यौन-विषयक जानकारी दे देनी आवश्यक होती है, उचित मानें भी तो भी यह मत एकांगी ही ठहरता है। यौन-विषयक जानकारी युवक-युवतियों के लिए उतनी आवश्यक नहीं है जितना कि उन्हें विवाह के पूर्व वैवाहिक दायित्वों, विवाह की महत्ता और उसकी सफलता के तथ्यों का ज्ञान कराना आवश्यक है। इनका समुचित ज्ञान न होने के कारण या तो वे विवाहोत्तर जीवन की ऐसी काल्पनिक तस्वीर अपने मन-मस्तिष्क में लेकर चलते हैं कि जीवन के नग्न यथार्थ से टकरा कर जब वह टूटती है तो वे स्वयं भी बहुत कुछ टूट जाते हैं। ऐसी काल्पनिक तस्वीर वे न भी बनायें तो भी वे शारीरिक व मानसिक तौर से उन बातों के लिए तैयार नहीं रह पाते जो उनके सामने आती हैं। विवाह जैसे महत्त्वपूर्ण दायित्व और व्यवस्था का न वे स्वयं पूरा लाभ उठा सकते हैं, न समाज को ही और न परिवार को ही उसका लाभ दे सकते हैं।

आज तक अधिकांश माता-पिता विवाह को अनिवार्य तो मानते हैं—लड़के, लड़कियों के हाथ पीले करके गंगा नहाने की बात तो करते हैं किन्तु उनका यह गंगा नहाना कितना अधूरा रहता है जब बच्चे विवाहोत्तर जीवन के भार को उठा पाने में असमर्थ रहते हैं या बेगार की तरह गृहस्थी की गाड़ी को खींचते रहते हैं। विवाह की अनिवार्यता को स्वीकारने के साथ ही उसकी सफलता के लिए बच्चों को शारीरिक, मानसिक व बौद्धिक रूप से तैयार व समर्थ बनाना भी उतना ही महत्त्व रखता है, जितना कि विवाह करवा देना।

आज से कोई पचास वर्ष पहले लड़कियों के लिए जीवन-साथी का चुनाव प्रायः माता-पिता ही करते थे। यहाँ तक कि उनसे इस सम्बन्ध में सम्मति लेना भी आवश्यक नहीं समझा जाता था। अब स्थिति में कुछ परिवर्तन आ रहा है। माता-पिता इस विषय में उनकी सम्मति का ध्यान रखने लगे हैं। कुछ उदाहरण अब ऐसे भी देखने को मिलते हैं जब लड़के-लड़की माता-पिता की इच्छा के विपरीत प्रेम-विवाह भी कर लेते हैं। विवाह सम्बन्ध कैसे भी बाँधे गये हों, उसके पहले लड़के-लड़की के लिए उसके महत्त्व का ज्ञान, उसकी समग्र जानकारी आवश्यक होती है। उसके अभाव में वैवाहिक जीवन की सफलता बहुत कुछ असंदिग्ध ही रहती है।

माता-पिता की अपनी इच्छा को विवाह के सम्बन्ध में पुत्र-पुत्रियों पर थोपना उनके साथ एक तरह का अन्याय ही होता है किन्तु उन्हीं को अपनी अपरिपक्व बुद्धि के सहारे अपना जीवन-साथी चुनने की छूट देना भी हितकारी नहीं होता। उनकी राय भी ली जानी चाहिए किन्तु माता-पिता को उसके साथ-साथ अपने ज्ञान व अनुभवों का प्रयोग भी करना चाहिए।

विवाह आवश्यक तो है किन्तु प्रत्येक के लिए अनिवार्य नहीं। साथ ही विवाह की भी एक आयु, एक स्थिति और सामर्थ्य होती है। उसको ध्यान में नहीं रखते हुए किए गये विवाह सम्बन्ध सुखकर नहीं होते। शारीरिक दृष्टि से रोगी या मानसिक दृष्टि से अविकसित पुत्र का विवाह करके माता-पिता को किसी लड़की के जीवन से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। विवाह के लिए उस व्यक्ति की सामर्थ्य औंकी जानी चाहिए जिसका विवाह होने को है।

माता-पिता को अपने पुत्र के अपने पाँवों पर खड़े होने पर पत्नी व परिवार का भार उठा लेने की आर्थिक व बौद्धिक सामर्थ्य आ जाने पर ही विवाह की बात सोचनी चाहिए। जो युवक-युवतियाँ माता-पिता की इच्छा के विरुद्ध विवाह करते हैं उन्हें भी यह बात ध्यान में रखनी चाहिए। जहाँ तक हो वहाँ तक माता-पिता की सहमति लेनी ही चाहिए किन्तु यदि वे किसी भ्रान्त मान्यता के दुराग्रह से बुरी तरह ग्रस्त हैं और लड़के-लड़की मात्र आकर्षण या सुखद कल्पनाओं से ही प्रेरित हो विवाह नहीं कर रहे हों और उन्हें वैवाहिक जीवन

के उतार-चढ़ावों का भी ज्ञान है तो माता-पिता की इच्छाओं को महत्त्वहीन माना जा सकता है ।

ग्रामीण व अशिक्षित समाज में माता-पिता लड़के-लड़कियों की आयु, शरीर, सामर्थ्य, कमाने की शक्ति, भावी जीवन के संघर्षों व सुखों का ज्ञान आदि का ध्यान रखे बिना ही- उन्हें विवाह के जुए में जोत देते हैं, यह बहुत बुरी बात है। यह सन्तान के साथ बहुत बड़ा अन्याय ही नहीं समाज व राष्ट्र को दिया गया बहुत बड़ा धोखा है। शरीर, मन, बुद्धि से समर्थ होने पर ही बच्चों के विवाह की बात सोचनी चाहिए। बन्दर-बन्दरी नचाने, गुड्डे-गुड्डियों के ब्याह रचाने की इस अविवेकपूर्ण बाल-विवाह प्रथा ने हमारे देश का जो अनिष्ट किया है उसे हम आज तक भोग रहे हैं।

बच्चों को स्वयं स्कूलों में पत्र-पत्रिकाओं या तद्विषयक पुस्तकों द्वारा विवाह के पश्चात् उनके सिर पर आने वाली जिम्मेदारी व मिलने वाला सुख, दाम्पत्य व पारिवारिक जीवन की सफलताओं के सूत्र, अनुभव, सावधानियाँ, पारस्परिक समझ, मन-मुटाव से बचने के लिए क्या करें, आदि जानकारियाँ देनी चाहिए। जिनके अभिभावक नहीं है या जो स्वेच्छा से अपना जीवन-साथी वरण करना चाहते हैं उन्हें भी पुस्तकों, पत्र-पत्रिकाओं अपने मित्रों के अनुभव या अपने पास-पड़ोस में रहने वाले विवाहित दम्पतियों के जीवन का निरीक्षण और उन पर चिन्तन-मनन करके विवाह के पूर्व उसकी मानसिक तैयारी कर लेना चाहिए।

पारिवारिक सुख पाने के रहस्यों का ज्ञान कराने के नाम पर आजकल जो यौन विषयक पुस्तकें बिकती हैं इनमें सार की कोई बात नहीं रहती। उनमें ले देकर काम-वासना का ही मिर्च-मसाला भरा पड़ा रहता है। वे मार्ग-दर्शन तो कम देती हैं और कुत्साएँ अधिक फैलाती हैं, उत्तेजना भड़काती हैं। इनसे बचा रहना ही उत्तम है। काम-वासना ही दाम्पत्य जीवन का आधार नहीं होता। यह तो उसका एक नगण्य-सा अंग मात्र होती है।

युवक-युवतियों के पास चाहे कैसी ही उच्च डिग्रियाँ हों वे जीवन के अनुभवों में प्रायः कोरे ही होते हैं, विवाह के पूर्व उनके लिए यह जान लेना बहुत आवश्यक होता है कि उन्हें अपने-अपने सहधर्मों के साथ कैसे निभाव करना है। यह देखने में आते हैं कि माता-पिता के द्वारा निर्धारित किये गये

सम्बन्धों को मान करके विवाह कर लेने वाले पति-पत्नी भी अपने दाम्पत्य जीवन को निभाने में सफल होते हैं और स्वेच्छा से प्रेम-विवाह करने वाले दम्पतियों में भी आगे चलकर खट-पट होती है और नौबत तलाक लेने तक पहुँच जाती है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि साथी के चुनाव के स्थान पर निर्वाह और वैवाहिक जीवन के प्रति स्वस्थ व समग्र दृष्टिकोण होना ही सफलता का कारण होता है।

विवाह के सूत्रों में बँधने वालों को यह जान लेना आवश्यक है कि विवाहोपरान्त उन्हें बहुत कुछ मिलता है, किन्तु उसके लिए उन्हें बहुत कुछ देना भी पड़ता है। पत्नी को स्नेह, ममत्व, अनुराग, सेवा, सहयोग, संरक्षण, स्नेह, सद्भाव आदि देना पड़ता है। वैवाहिक जीवन वहाँ शुष्क व नीरस होने लगता है जहाँ साथी से अपेक्षाएँ तो हजार की जायें और अपनी तरफ से देने के लिए कुछ भी तैयार नहीं हों। अपेक्षाएँ करने की अपेक्षा देने की रीति-नीति अपनायी जाय तो अपने आप दाम्पत्य जीवन में मधुरता का प्रवाह उमड़ने लगता है।

वैवाहिक जीवन मात्र सुख की सेज नहीं वह काँटों का पथ भी है। उसमें सुख-दुःख की धूप-छाँव चलती ही रहती है। ऐसे समय पति-पत्नी के लिए परीक्षा के अवसर होते हैं। उनकी कल्पना विवाह के पहले ही कर लेना और उनसे निपटने की मानसिक तैयारी कर लेना ठीक रहता है। विषम समय में यदि पति-पत्नी एक-दूसरे का साथ देते रहेंगे तो उनकी दाम्पत्य नौका डगमगाने से बच जायेगी और यदि ऐसे समय में वे एक-दूसरे को उन परिस्थितियों के लिए जिम्मेदार ठहराने लगे तो वह डगमगाने लगेगी बहुत सम्भव है डूब ही जाय।

विवाह के पश्चात् सामान्य रूप से अर्थोपार्जन का दायित्व पति पर आ जाता है और गृह-प्रबन्ध और स्नेह रसवर्षण का दायित्व पत्नी सँभालती है। अब तक माता-पिता पर आश्रित या अकेले रहने वाले युवक-युवतियों को उस समय उत्पन्न होने वाली समस्याओं का ज्ञान नहीं होता। फिर जब विवाह के पश्चात् वे उनमें उलझते हैं तो उन्हें विवाह का जंजाल में फँसने जैसी बात लगने लगती है। क्योंकि वे उसकी मानसिक तैयारी नहीं किये होते हैं।

इंसान कोई पूर्ण नहीं होता, उसमें कुछ न कुछ दोष, कमियाँ रहती हैं। विवाह के पहले अपने जीवन-साथी के

बारे में यह आग्रह पालना कि वह ऐसा होगा, ऐसा करेगा, ऐसा बोलेंगा, हँसेगा, त्याग करेगा आदि बातें सोचने के साथ ही इसके लिए भी तैयार रहना चाहिए कि यदि उनमें वे सब गुण नहीं हैं जिनकी हमने कल्पनाएँ, अपेक्षाएँ की थीं तो उन्हें विकसित करने का धैर्य से प्रयास करेंगे।

विवाह के पश्चात् व्यक्ति की संयम, त्याग, बलिदान आदि की भूमिकाएँ आरम्भ होती हैं। विवाहोत्तर जीवन में असंयम चाहे शरीर का हो, धन का हो या अन्य कामनाओं का वह दुखद ही होता है। किन्तु यौवन के रंगीन पंख लग जाने पर इस आयु में व्यक्ति धरती से नहीं आसमान से बातें करना चाहता है जबकि उस रूमनियत का संयमित रूप ही वैवाहिक जीवन में निभ सकता है। अत्यधिक सुन्दर पत्नी या सर्वगुण सम्पन्न पुरुष की कल्पनाएँ कुछ ऐसी ही रूमनियत लिए हुए होती हैं। जबकि दाम्पत्य जीवन का प्रसाद पत्नी के शारीरिक सौन्दर्य नहीं मानसिक, बौद्धिक व आत्मिक सौन्दर्य और पति के विवेक, सूझ-बूझ व धैर्य पर निर्भर करता है। ऐसे दुराग्रह लेकर दाम्पत्य जीवन के मार्ग पर चलने वाले पथिक बीच मार्ग में ही थकित, अवसन्न होने लगते हैं। अतः विवाह के पूर्व अभिभावक, गुरुजन उन्हें इस सम्बन्ध में पूरी जानकारी करा दें। अकेले रहने वाले युवक-युवतियों भी इस सम्बन्ध में यथार्थ दृष्टि ही लेकर चलें तो यह उन्हें लाभदायक होगा।

विवाह के लिए आयु की परिपक्वता ही काफी नहीं रहती। उसके लिए सन्तुलित दृष्टिकोण का विकसित होना बहुत आवश्यक है। भिन्न-भिन्न गुण, कर्म व स्वभाव के व्यक्ति जीवन भर एक सूत्र में आबद्ध होकर रहते हैं तो उनमें सुखद प्रसंग भी आते हैं और दुखद प्रसंग भी आते हैं। बुरे दिन भी आते हैं, तो अच्छे दिन भी, कष्ट भी आते हैं तो हर्ष के प्रसंग भी। इन सबको धैर्यरहित समभाव से स्वीकारते हुए विवाह धर्म का निर्वाह करने की दक्षता तो विवाह के पश्चात् ही प्राप्त होती है किन्तु उनकी पूर्व जानकारी हो जाना बहुत आवश्यक होता है।

विवाह मात्र कामनाओं की तृप्ति का साधन नहीं यह तो एक धर्म है। इसी कारण पति-पत्नी को एक-दूसरे का सहधर्म कहा जाता है। दोनों एक-दूसरे के साथ रहकर एक महान् दायित्व का पालन करने को प्रवृत्त होते हैं तो उन्हें एक-दूसरे पर अधिकार मिल जाने की बात सोचने की अपेक्षा उसका

सहचर्य, सहयोग मिलने की ही भावना रखना हितकर होता है। यह बात नहीं भूल जाना चाहिए कि दोनों एक सूत्र में आबद्ध इसलिए हुए हैं कि अकेला व्यक्ति इस दायित्व को निभा नहीं पाता था अतः दो साथी मिलकर निभा रहे हैं, ताकि यह नीरस न हो जाय। इस सत्य को विवाह के इच्छुक युवक-युवतियों को बताना उनकी सामर्थ्य को देखना उतना ही आवश्यक है जितना विवाह सम्पन्न कराना।

विवाह कामज नहीं, योगज हों

विवाह की आवश्यकता पति-पत्नी को इसलिए होती है कि वे दोनों एक-दूसरे के साथी-सहयोगी बनकर प्रगति पथ पर बढ़ चलने में सहायक हो सकें। दुख-दर्द में हिस्सा बैठा सकें। एकाकीपन की अपूर्णता दूर कर सकें। प्रेम जीवन का अमृत कहा जाता है उसे निरन्तर उत्पन्न करते और एक-दूसरे को उपलब्ध कराते रहना है। इस प्रयोजन की पूर्ति के लिए मात्र गुण-कर्म-स्वभाव, दृष्टिकोण और काम में उत्साह परखा जाता है।

रूप-लावण्य को प्रधानता देने वाले जोड़े आरम्भ में भले ही उत्साह अनुभव करते हों, पर वह पानी का बबूला देर तक नहीं ठहरता। किशोरावस्था के अन्त और तरुणाई के आरम्भ वाले कुछ वर्ष ही ऐसे होते हैं जिनमें चेहरे की चमक-दमक बढ़ी-चढ़ी रहती है। इसके बाद परिपक्वता आते ही कोमलता का स्थान कठोरता लेने लगती है और चेहरा वैसा ही हो जाता है जैसा कि आम लोगों का होता है। नवीनता में ही आकर्षण और उत्साह रहता है। अधिक दिनों तक साथ-साथ रहने पर तो स्वाभाविक पारिवारिकता मात्र शेष रह जाती है। तब उस उमंग का कोई आधार नहीं रह जाता जिससे प्रेरित होकर अप्सरा-सी वधू और कामदेव से दूल्हा तलाश करने की ललक रहती है। अच्छा हो इस बच्चों की तरह चमकीले खिलौनों पर मचलने की दृष्टि को आरम्भ से ही निरर्थक मान लिया जाय और जोड़े मिलाते समय स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वभाव को ही सब कुछ मानते हुए चयन किया जाय।

अति सुन्दरता की तलाश खतरे से ही भरी है। उसमें नजर लगने का डर रहता है। चिकनी मिट्टी पर ही फिसलन होती है। दोनों में से जो पक्ष इस दृष्टि से कमजोर पड़ता हो दूसरा पक्ष उसकी अवमानना कर सकता है। जब रूप ही

सब कुछ ठहरा तो ऐसी दृष्टि वाला अधिक सौन्दर्य दीख पड़ने पर अपनी पसन्द दूसरी दिशा में भी मोड़ सकता है। इन खतरों को ध्यान में रखते हुए अपने देश वालों की आकृति-प्रकृति को ध्यान में रखते हुए चमड़ी की चमक और चेहरे की बनावट को उपेक्षा की दृष्टि से ही देखा जाना चाहिए।

कामुकता को भी वर-वधू उपेक्षा की दृष्टि से देखें उसकी छूट न चाहें। संयम बरतें और अपनी स्वस्थता तथा दीर्घ आयुष्य को अक्षुण्ण रखें। इस दिशा में अत्युत्साह बरतने पर संतानों की संख्या बढ़ने और उनके दुर्बल होने का खतरा ही रहता है। इसलिए विवाह का अर्थ समझना और समझाना चाहिए। इसी में यह अनुबन्ध भी जोड़ना चाहिए कि असंयम न अपनाया जाय और अपना तथा अपने साथी का स्वास्थ्य बर्बाद न किया जाय।

विवाह के बाद से लेकर न्यूनतम पाँच वर्ष ऐसे रहने चाहिए जिसमें एक-दूसरे की प्रगति में एकनिष्ठ होकर सहायता कर सकें। अधिक सुयोग्य बन सकें। इसी अवधि में बच्चों से लद जाना एक प्रकार से विवाह का उद्देश्य ही नष्ट करना है। परस्पर सहायक होने, अधिक समर्थ सुयोग्य बनने-बनाने का प्रयास छोड़कर दोनों को अस्वस्थता और आर्थिक चिन्ता में लादना किसी भी प्रकार बुद्धिमत्ता नहीं है। विवाह के साथ जुड़े हुए इन अनुबन्धों को न केवल पति-पत्नी समझें वरन् पूरे परिवार के लिए यही उचित है कि उपयोगी परामर्श देने और अनुकूल वातावरण बनाने में सहायक होते रहें।

विवाह दाम्पत्य जीवन तक सीमित नहीं है। इसके साथ समूचे परिवार की सुविधा-असुविधा भी जुड़ी हुई है। यदि उद्देश्य के साथ नीतिमत्ता जुड़ी रहे तो घर में एक समर्थ व्यक्ति बढ़ जाने से उसके ज्ञान और श्रम, सहयोग का लाभ समूचे परिवार को मिलेगा। हर सदस्य की अपनी स्थिति में कुछ अधिक सुविधा-प्रसन्नता जुड़ जाने का अवसर मिलेगा। किन्तु यदि विवाह होते ही संयुक्त परिवार से छिटक कर अलग हो जाने का मन बनने लगे तो नये आगन्तुक से लाभ मिलना तो दूर पुराने का सहयोग भी परिवार के हाथ से चला जायेगा और वह घाटे में रहेगा। भले ही नव-दम्पति अलग होकर अपनी आजीविका को दो पर ही खर्च करने लगने में अधिक सुविधा अनुभव करे। यह नीति अपनाने वाले यह गाँठ बाँध लें कि आगे चलकर उनका भी परिवार बनना है। उनके भी

बच्चों की शादियाँ होनी हैं। तब अपने अभिभावकों की कृति का वे भी अनुकरण कर सकते हैं और बुढ़ापे में उन्हें भी असुविधाओं के घेरे में छोड़कर अलग हो सकते हैं। यह अवसर तब आये जब घर की वर्तमान पीढ़ी स्वावलम्बी हो चुकी हो और सम्मिलित जिम्मेदारियाँ शेष न रही हों।

नव-वधू को गृहलक्ष्मी कहा जाता है। उसे अपना दायित्व यह अनुभव करना चाहिए कि जिस घर में प्रवेश किया है उसके वातावरण में रचनात्मक गतिविधियों का संचार करे। हर सदस्य को अधिक सुखी, समुन्नत, सुयोग्य बनाने में योगदान दें। बहुएँ यह कार्य अधिक अच्छी तरह कर सकती हैं। क्योंकि उन्हें परिवार के वातावरण में पूरे समय रहने का अवसर मिलता है जबकि लड़के दिन भर काम-काज में जुटे रहकर सोने-खाने के लिए ही घर आते हैं।

परिवारों में लड़की-लड़के का अन्तर नहीं उपजने देना चाहिए। बहू और बेटी में अन्तर नहीं होना चाहिए। बेटी का जन्मना उदासी का कारण नहीं होना चाहिए। उन्हें बेटे की तुलना में किसी प्रकार भी कम मान या महत्व नहीं मिलना चाहिए। सोचा यह जाना चाहिए कि अपनी माता और पत्नी भी तो किसी के घर बेटी बनकर ही जन्मी होंगी। उन्होंने ही तो अपने परिवार की सुखद संरचना की है। अपनी बेटी अपने घर न रही तो न सही किसी दूसरे का घर तो बसायेगी। अपने घर में भी जो महिलाएँ हैं वे किसी दूसरे के घर जन्मने के उपरान्त ही इस परिवार की सुव्यवस्था बनाने आई हैं। सृष्टि क्रम यही है। यदि बेटियों की उपेक्षा होने लगे, बेटे ही प्रिय लगने लगे तो यह भी सोचना चाहिए कि बेटियों के बिना संसार कैसे चलेगा। सर्वत्र बेटे ही बेटे होने लगे तो समझना चाहिए कि महिलाओं का अत्यधिक अभाव हो जाने पर एक प्रकार से मनुष्य का वंश ही समाप्त हो जायेगा। औचित्य इसी में है कि बेटियों को भी उतना ही मान दिया जाय जितना कि बेटे को मिलता है। अपना घर सँभालने के लिए जिस प्रकार सुयोग्य वधू की अपेक्षा रहती है, उसी प्रकार यह भी सोचा जाना चाहिए कि दूसरों का घर बसाने के लिए अपनी लड़की को हर दृष्टि से सुयोग्य बनाकर भेजा जाय।

यहाँ यह बात और भी ध्यान रखने योग्य है कि हर किसी का विवाह होना आवश्यक नहीं है। रोगियों, अविकसितों और असमर्थों को विवाह नहीं करना चाहिए।

स्वयं 'हेरानी' की स्थिति होने पर कोई दूसरे साथी की सेवा-सहायता करने का दायित्व कैसे निबाह सकता है ? हर प्रश्न गम्भीरतापूर्वक सोचा जाना चाहिए और असमर्थता की स्थिति में बिना विवाह के रहने का ही निश्चय किया जाना चाहिए ।

आज की परिस्थितियों में सन्तान न होना हर दृष्टि से सौभाग्य का चिह्न है । परिस्थितियाँ जनसंख्या वृद्धि के अनुरूप नहीं हैं । जिनकी संतानें नहीं हैं वे कई दृष्टि से भाग्यशाली हैं । एक तो इसलिए कि वे देश, समाज पर अनावश्यक भार बढ़ाने के लांछन से बच जाते हैं दूसरे इसलिए कि संतान न होने पर पति-पत्नी एक-दूसरे की अधिक सेवा-सहायता कर सकते हैं । अपनी क्षमता का लाभ परिवार को अधिक मात्रा में दे सकते हैं । समाज सेवा के लिए, पुण्य-परमार्थ के लिए उस बचत का उपयोग कर सकते हैं जो संतान होने की दशा में खर्च हो जाती और अपने पास न समय बच पाता है न धन ।

संतान के स्थान पर दूसरे के बच्चे गोद लेना सर्वथा निरर्थक है । इन दिनों अपने सगे बच्चे ही जब अभिभावकों की सेवा-सहायता नहीं करते तब यह आशा करना सर्वथा हास्यास्पद है कि दूसरे के बच्चे श्रवणकुमार बनकर सेवा करेंगे । वंश चलायेंगे । किराये के बच्चे भी यह सोच सकते हैं कि हमें बुढ़ापे में सेवा करने के लिए हमारे माँ-बाप से छुड़ाया गया है । बछड़े इसलिए पाले जाते हैं कि वे बड़े होने पर हल में जुतेँ और गाड़ी खींचें । यह आभास गोद रखे बच्चों में होकर ही रहता है और वे समय से पहले ही अपनी सुविधा वाली स्वार्थपरता अपना लेते हैं । आमतौर से गोद रखने वालों को अन्त में पश्चाताप करते ही देखा गया है ।

जहाँ ऐसी बात हो वहाँ यही उचित है कि अपने श्रम-साधनों को परमार्थ के लिए लगा दिया जाय । यदि बच्चे पालने में ही अधिक मोह हो असमर्थों के अनेक बालक पाले, पढ़ाये और स्वावलम्बी बनाये जा सकते हैं । सन्तान मोह न बढ़ाकर इस प्रकार परमार्थ कर देना ही कहीं अधिक श्रेयस्कर है ।

विवाह का प्रभाव व्यक्ति और पारिवारिक जीवन पर तो होता ही है । साथ ही यह भी ध्यान रखने योग्य है कि समूचा समाज उससे प्रभावित होता है । वर्तमान प्रचलन के अनुरूप

यदि खर्चीली शादियों का सिलसिला चलता रहा तो देश कभी भी कंगाली से उबर न सकेगा । हर गृहस्थ अपने जीवन में बहिन-भाइयों और लड़के-लड़कियों की ढेरों शादियाँ करने के लिए विवश होता है । खर्च दोनों में ही लगभग समान पड़ता है । लड़के वाला दहेज माँगता है तो उसे वधू के लिए प्रायः उतने ही कीमत के जेवर, कपड़े तथा अन्य उपहार देने पड़ते हैं । गाजे-बाजे, आतिशबाजी, बारात भी कम खर्च नहीं माँगते । उपहार में तो फर्नीचर काठ-कबाड़ मिलता है वह अनावश्यक होते के कारण व्यर्थ ही मकान घेरता है । मेवा, मिठाई जैसे उपहार मित्र, सम्बन्धियों में बँट जाते हैं । इस प्रकार लड़के वाला बदनम तो होता है पर नफे में वह भी नहीं रहता । बेटी वाले पर तो विवाह का भार पूरी तरह मुसीबत टूटने की तरह है । उसे दहेज के अतिरिक्त और भी बहुत से भेंट-उपहार देने पड़ते हैं । बारात की आवभगत भी कम महँगी नहीं पड़ती । अपने सम्बन्धियों को बुलाना, ठहराना भी कम खर्चीला नहीं होता । इस प्रकार कन्यापक्ष के बर्बाद होने की बात तो प्रसिद्ध ही है ।

विवाह चाहे लड़के का हो चाहे लड़की का । न्यूनाधिक मात्रा में समान रूप से खर्च कराते हैं । इसका परिणाम परिवार पर गरीबी छाई रहने के रूप में तो होता ही है । देश की आर्थिक स्थिति पर भी उसका कम प्रभाव नहीं पड़ता । उत्पादन के लिए, आजीविका अभिवर्धन के लिए अनेकों योजनाएँ बनती और चेष्टाएँ होती रहती हैं फिर भी आर्थिक स्थिति सुधारने का सुयोग बन नहीं पाता । गरीबी जहाँ की तहाँ बनी रहती है । कारण कि जो कमाया जाता है वह सारे का सारा विवाह-शादियों की गहरी खाई में गिरकर अपना प्रभाव समाप्त करता रहता है । आमदनी बढ़ने पर भी कुछ पूँजी न जुट पाने और उन्नतिजन्य किसी भी प्रकार का अवसर न मिल पाने का सबसे बड़ा कारण एक ही है कि खर्चीली शादियाँ किसी के पास कुछ बचने ही नहीं देती ।

विवाह की तरह और भी कितने ही ऐसे रिवाज अपने समाज में प्रचलित हैं जिनके कारण अनावश्यक खर्च अन्धाधुन्ध मात्रा में होता रहता है । घर का एक व्यक्ति उठ गया इससे परिवार को हानि ही हानि हुई । शोक-संताप ही छाया । इस अवसर पर भी लम्बे-चौड़े प्रीतिभोजों की मजबूरी सिर पर लदे तो समझना चाहिए कि दुहरी मार पड़ने की बात चरितार्थ

हुई। इन कुप्रचलनों के रहते सर्वसाधारण की आर्थिक स्थिति सुधरने की बात कहाँ से बन पायेगी।

आय बढ़े तो प्रगति के लिए आवश्यक सुविधा-साधन उपलब्ध हों। यह मान्यता जन-जन की है। शासक वर्ग, सामाजिक कार्यकर्ता और जिससे जो बन पड़ता है वह उसके लिए यथासम्भव प्रयत्न भी करता है। पर यह तथ्य न जाने क्यों भुला दिया जाता है कि अपव्ययों में कटौती करके भी उतना बचाया जा सकता है जितना कि वर्तमान परिस्थितियों में औसत आजीविका वृद्धि की आशा की जाती है। उदाहरण के लिए नशेबाजी और फैशनपरस्ती को लिया जा सकता है। इन दोनों का प्रवेश न केवल अज्ञानी, अशिक्षितों में हुआ है वरन् सम्पन्न सुशिक्षितों ने भी उन्हें अपने शरीर और परिकर में उत्साहपूर्वक प्रवेश दिया है। इसी पंक्ति में एक और दैत्य आ विराजता है—वह है खर्चीली शादियों का धमाल। हिसाब लगाकर देखा जाय तो प्रतीत होगा कि इस पर हर गरीब-अमीर को अपनी हैसियत के अनुसार अपव्यय करना पड़ता है, खुशहाली के जो अंकुर उगाये और बढ़ाये जा सकते हैं वे बढ़ने से पूर्व ही जल-धुन कर भस्म हो जाते हैं। देश भर में इस कुप्रचलन की बलिवेदी पर इतनी राशि चढ़ जाती है जिसे बचाकर कुटीर उद्योग जैसे उपयोगी माध्यमों का जाल सर्वत्र फैल सकता है। अपना समुदाय अपने ही बलबूते जापान जैसी सुसम्पन्नता उपलब्ध करने में समर्थ हो सकता है। पूँजी और श्रम यही दो तो आर्थिक प्रगति के आधार हैं। श्रम का अपहरण करने में आलस्य और विलास अग्रणी हैं। पूँजी को बर्बाद करने में खर्चीली शादियों को प्रमुख माना जा सकता है। हर परिवार को अपनी खुशहाली का समापन इन्हीं कुप्रचलनों पर करना पड़ता है। फिर वह आशा करना कैसे बन पड़े जिससे आर्थिक प्रगति का सुयोग हस्तगत हो, आवश्यक साधन सुविधा जुटाने का सुयोग बन पड़े।

निःसन्देह खर्चीली शादियों जैसी कुरीतियाँ व्यक्ति, परिवार और समाज को आर्थिक दृष्टि से दरिद्र और व्यक्तित्व की दृष्टि से अनगढ़ बनाती हैं। इन व्यवधानों के रहते प्रगति के लिए आवश्यक संरंजाम कैसे जुटे। यह प्रश्न ऐसा है जिसका हल समय रहते किया जाना चाहिए।

अपराधों की श्रेणी में उन कृत्यों की गणना होती है जो दूसरों पर प्रत्यक्ष चोट पहुँचाते हैं। पर न जाने क्यों उन अर्थों

को नजर-अन्दाज कर दिया गया है जो कुप्रचलनों के रूप में घड़िल्ले से चलते और सम्मान भी पाते हैं। दुर्गुणों और दुर्व्यसनों को इसी स्तर का समझा जा सकता है जो मात्र अभ्यस्त को ही हानि नहीं पहुँचाते वरन् अपने अपनाये जाने की प्रेरणा देकर अन्यान्यों को भी वैसे ही अनुकरण के लिए उकसाते हैं। ऐसे अनर्थों में खर्चीली शादियों को प्रमुख माना जाता है। इसे रोकने के लिए सभी प्रयत्न किये जाने चाहिए जिससे न केवल विरोध की आवाज उठे वरन् जहाँ वह किया जा रहा हो वहाँ असहयोग और बहिष्कार की भी आन्दोलनपरक प्रक्रिया चल पड़े।

इस आन्दोलन को आरम्भ करने के लिए प्रथम चरण यह होना चाहिए कि जन-जन को खर्चीली शादियों के कारण होने वाली हानियों से अवगत कराया जाय। इस हेतु लेखनी और वाणी के माध्यम से वह स्वर उभारे जायें जो अनर्थ के अभ्यासों को वापिस लौटने के लिए बाधित करें।

इस सन्दर्भ में एक प्रतिज्ञा आन्दोलन चलाया जाय जिसमें किशोर-तरुण और प्रौढ़-वृद्ध, नर-नारी यह प्रतिज्ञा करें कि वे न तो खर्चीली शादियों के लिए सहमत होंगे और न उनमें किसी प्रकार का समर्थन प्रदान करेंगे। इसके अतिरिक्त यह असहयोग भी चल पड़ना चाहिए कि जहाँ समझाने का प्रयास असफल हो चले वहाँ असहयोग का प्रयोग करके अपने रोष एवं विरोध का परिचय दिया जाय। इस प्रकार की प्रतिज्ञाएँ करायी जायें और उन प्रतिज्ञा पत्रों को महत्त्वपूर्ण उपलब्धियों के रूप में विज्ञापित किया जाय। जन-समारोहों में उनका प्रदर्शन करके जताया जाय कि समझदारी सर्वथा चली नहीं गयी है। भटक जाने के बाद अब वह वापस भी लौट रही है। अपने समाज को केवल अनर्थ ही अभीष्ट नहीं है वरन् वह सुधार और सृजन में योगदान देने के लिए कटिबद्ध हो रहा है।

विवाह का उद्देश्य भुला देने पर विषाद ही पल्ले पड़ेगा

इन दिनों एक ऐसी धारणा बन चुकी है कि विवाह दो व्यक्तियों का एक निजी मामला है, विवाह के द्वारा दो व्यक्ति अपनी कुछ विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति की व्यवस्था करते हैं।

जब यह धारणा बन जाये तो स्वाभाविक है कि विवाह के बाद दोनों अपनी उन आवश्यकताओं की यथाशीघ्र अधिक से अधिक पूर्ति की आकांक्षा करें तथा ऐसा न होने पर रुष्ट-सुख्य रहें। इस स्थिति में पुरुष-प्रधान समाज में पुरुष की अपेक्षाएँ अधिक बढ़ी-घड़ी होती हैं। उसके मन-मस्तिष्क में आवश्यकताओं की एक लम्बी सूची विद्यमान रहती है और वह उनकी पूर्ति के प्रति अत्यधिक आग्रही होता है। उदाहरणार्थ, वह चाहता है कि पत्नी मेरी मित्र व संगिनी हो, बच्चों की सुयोग्य माता हो, कुशल रसोइया हो, घर को साफ-सुथरा रखने में अच्छे से अच्छे सफाई-कर्मचारी से बढ़कर हो, रखवाली में चौकीदारों के कान काटे, बचत करने में दक्ष हो और सभी आवश्यक खर्चों में भी कंजूसी न करे। जब उसका अपना सिर पीड़ा से फट जा रहा हो, तब भी पति को सामने देखते ही खिल उठे, मधुर बातें करे, पति के किसी भी कार्यक्रम में व्यवधान न आने दे। मात्र वाणी में ही खीझ न आने दे, इतने से काम नहीं चलेगा। उदास भी न दिखे।

विचार करने पर स्पष्ट होगा कि इस सम्पूर्ण चिन्तन-क्रम में दुहरा दोष है। पहला दृष्टि-दोष तो आधार को लेकर ही है। विवाह का उद्देश्य दो व्यक्तियों की कुछ विशेष आवश्यकताओं को पूरा करना नहीं है। अपितु यह दोनों के निरन्तर विकास के लिए एक समवेत संकल्प है। यह विकास जिस समाज में और जिस कालखण्ड में होगा, उससे भी दोनों का जीवन प्रभावित होगा। समाज और युग-प्रवाह से वे अछूते नहीं रह सकते तथा उनके व्यक्तित्व का प्रभाव समाज और युगधारा पर किसी न किसी अंश में पड़े बिना नहीं रह सकता। अतः विवाह स्वाद और मौज-मजे की व्यवस्था के लिए नहीं, अपितु आत्म-परिष्कार के लिए किया जाता है। यह तथ्य ध्यान में न रहा और विवाह के समय मन उन सपनों तथा आकांक्षाओं में ही डूबता-उतरता रहा, जो कल्पना में तो मोहक-आकर्षक प्रतीत होती हैं, किन्तु जिनके डंक बहुत जहरीले होते हैं, तो विवाह के बाद उन सपनों और आकांक्षाओं का डंक जीवन में विष तथा पीड़ा की भी वृद्धि करेगा। वह निश्चित है—अधिकार और भोग की प्रवृत्ति से प्रारम्भ किया गया दाम्पत्य-जीवन दुर्बलता तथा अतृप्ति तक ही ले जाता है। संयुक्त विकास की स्वस्थ भावना वहाँ कभी पनप नहीं पाती और उसके अभाव में उल्लास-आनन्द जीवन से बहिष्कृत ही रहे आते हैं।

दोनों के इस आधारभूत दृष्टि-दोष के साथ दूसरा वैचारिक-दोष पुरुष की ओर से अधिक होता है। पत्नी से अधिकाधिक अपेक्षाएँ पालने वाला पति इस बात को भुला ही देता है कि पत्नी एक चेतन-जीव है, उसकी अपनी सीमाएँ और इच्छाएँ हैं। वह यह भुला देता है कि जो उसके साथ आ जुड़ी है, वह एक साधारण मनुष्य ही है। उसमें आशाएँ-आकांक्षाएँ ही नहीं, दुर्बलताएँ और अपूर्णताएँ भी होंगी। उसकी कार्य-शक्ति तथा सहनशक्ति दोनों की सीमाएँ होंगी। वह कर्तव्यों की साकार-मूर्ति मात्र नहीं हो सकती, साथ ही अधिकारों की मुखर इच्छुक भी हो सकती है। भ्रमण, विनोद, मनोरंजन और विश्राम की उसकी भी आवश्यकता उतनी ही है—जितनी पति की। इन तथ्यों को विस्मृत रखा गया तो फिर वैवाहिक जीवन में तनाव और हताशा ही बढ़ेगी।

इसीलिए विवाह की जिम्मेदारी ओढ़ने के पूर्व यह विचार कर लेना और उसे सदा स्मरण रखना आवश्यक है कि विवाह क्यों किया जा रहा है? क्या वह एक नाटक है? राग-रंग, मजा-मौज, मनोविनोद का साधनभर है? अपने निजी सुख के लिए एक व्यक्ति के शोषण का अधिकार पाने की वह एक चालाकी मात्र है। इच्छानुकूल वासना-तुष्टि के ठिकाने को उसकी व्यवस्था है? यदि ऐसा है तो इस विवाह से जिस देह-सुख की कल्पना की जा रही है, वह भी मिलने वाली नहीं। मनःतुष्टि और उल्लास-आनन्द की तो कोई सम्भावना ही नहीं। कर्तव्य और उत्कर्ष के सात्विक संकल्प से किया गया विवाह ही सन्तोष तथा प्रसन्नता दे सकता है और प्रगति की ओर ले जा सकता है।

विश्व-व्यवस्था ऐसी है कि यहाँ कुछ दिये बिना कभी कुछ मिलता नहीं। पत्नी से सुख-सन्तोष पाने वाले को उसके सुख-सन्तोष की भी चिन्ता करनी होगी, तभी आदान-प्रदान का यह क्रम जारी रह सकता है। पति की इच्छा-आकांक्षा के अनुरूप पत्नी ढले, इसके लिए पत्नी की इच्छाओं-रुचियों के प्रति भी समझदारी और सामंजस्य का भाव विकसित करना होगा। पत्नी की मधुर-छवि से मुग्ध होने के पूर्व उस माधुर्य को निर्मित कर सकने वाले आधार जानने होंगे। फिर पत्नी में कोई भी दोष-दुर्बलता दिखे ही नहीं, ऐसी कल्पना भी प्रवंचना ही सिद्ध होगी। उसके साथ सहिष्णु होना होगा और दुर्बलताएँ धीरे-धीरे ही दूर हो सकती हैं, यह स्मरण रखना होगा। अपनी दुर्बलताएँ भी देखनी होंगी।

१.७८ विवाहोन्माद : समस्या और समाधान

विवाह के उद्देश्य का विचार कर लेने का अर्थ उसके परिणामों का विचार कर लेना है। यदि विवाह का उद्देश्य उच्छृंखल यौन-जीवन जीना है तो दाम्पत्य-जीवन की उस स्थायी अतृप्ति के लिए भी तैयार रहना चाहिए, जो आज पश्चिमी नर-नारी की भाग्य-रेखा ही बन गया है। यदि भावनात्मक-उद्वेग विवेकरहित है, तो उससे सघनता नहीं, दुराव ही बढ़ेगा। शरीरों की भिन्नता मिटा डालने की कामना का अर्थ यदि शारीरिक-सामीप्य तक सीमित रह गया तो उससे प्राणों की घुलनशीलता सम्भव नहीं और तब दो व्यक्तित्वों के संयोग से उस तीसरे व्यक्तित्व के निर्माण की भी सम्भावना नहीं, जो कि दाम्पत्य-जीवन की वास्तविक उपलब्धि है। जब दोनों की प्रकृति में सामंजस्य होगा, तभी उनमें पूर्णता की अनुभूति होगी। अपने-अपने सुख की कामना को प्रधानता देते रहने पर दोनों को दुःख और विषाद ही मिल सकता है।

पति अपनी अक्षमताओं और विफलताओं से उत्पन्न खीझ को यदि पत्नी पर उतारता है तो उसकी प्रतिक्रिया भी अवश्यम्भावी है। दुर्भावों की झंझा से दोनों हृदयों की ज्योति-शिखा लड़खड़ाने लगती है। पति को यह सदा स्मरण रखना ही चाहिए कि वह पत्नी का अन्तरंग निकटतम सहचर है। उसकी भावनाओं, संवेदनाओं को सबसे अधिक उसे ही समझना चाहिए। उसके स्वास्थ्य, शक्ति और क्षमता की उसे सदा जानकारी रखनी चाहिए और आवश्यक सहायता करनी चाहिए। पत्नी के जीवन को सदा उच्च मापदण्डों पर कसना, किन्तु स्वयं की त्रुटियों के प्रति मन में सदा स्पष्टीकरण तैयार रखना—पति के व्यक्तित्व की भारी दुर्बलता है। सामान्यतः पति की शिक्षा पत्नी से अधिक होती है, उसकी दुनिया देखने का अनुभव भी अधिक ही होता है, अपने को वह पत्नी से अधिक बुद्धिमान भी मानता है, ऐसी स्थिति में संयम, सन्तुलन और व्यवहार-कुशलता की उसी से अधिक आशा की जानी चाहिए। किन्तु स्थिति उल्टी है। पुरुष बाहर भले ही व्यावहारिक-बुद्धि का परिचय दे, पर घर में वह तुनकमिजाज ही बना रहता है। छोटी-छोटी कमियाँ उसे क्रुद्ध कर देने को पर्याप्त होती हैं। तिल का ताड़ बनाने से प्रतिक्रिया में सदा कटुता उत्पन्न होती है। पत्नी के भी बुद्धि होती है और साथ ही भावना भी। अन्तर्दृष्टि की—भावुक संवेदना की मात्रा तो उसमें पति महोदय से भी अधिक रहती है। वह भी इस बात पर अधिक ध्यान देने लगती है कि पति महोदय मुझे तो

सेवा-भावना, सन्तुलन, स्नेह, कुशलता, दक्षता आदि का उपदेश देते रहते हैं, पर स्वयं इनमें से किसी भी गुण को अपनाने के प्रति कोई उत्साह नहीं रखते। यह क्षुद्र स्वार्थपरता उस समय अधिक कसकने लगती है, जब पति के प्रत्येक व्यवहार में यह भावना झलकती है कि "मैं बुरा होऊँ या भला, परन्तु पत्नी को तो देवी ही होना चाहिए। मुझे उसकी भाव-तृप्ति करने की आवश्यकता नहीं, उसका ही सर्वोपरि कर्तव्य मेरी सेवा-पूजा करते रहना है।" आज के युग में जब चारों ओर समतापूर्ण व्यवहार की माँग बढ़ती जा रही है, पत्नी के प्रति ऐसी क्रूर सामन्ती धारणाएँ पालने वाले पति जीवन में आनन्द की आशा व्यर्थ ही रखते हैं। संस्कारी-नारी में अभी भी पति के प्रति श्रद्धा का भाव गहराई तक अंकित रहता है, किन्तु इस भाव को सद्भावना तथा सद्व्यवहार से सींचना, हरा-भरा रखना और विकसित होकर जीवन में सुरभि तथा तृप्ति बिखेरने की सामर्थ्य पैदा करना पति का कर्तव्य है। पति द्वारा ऐसा व्यवहार तभी सम्भव है, जब वह यह याद रखे कि पत्नी उसकी जीवन-सहचरी है, एक चेतन प्राणी है। उसमें सिर्फ शरीर नहीं है, मन व आत्मा भी है। मात्र शरीर ही होता तो वह वैसा सुख और तृप्ति भी न दे पाती, जो प्राणों को स्पन्दित व पुलकित कर रसमय तथा ऊर्जस्वी बना देने में समर्थ है। भाव-संवेदनाओं को प्रभावित कर सकने और उनमें उभार ला पाने की क्षमता नारी के आन्तरिक सौन्दर्य का ही परिणाम होता है, देह-यन्त्र का नहीं। अतः नारी के मनःक्षेत्र और आत्मिक-क्षेत्र की देखभाल, चिन्ता तथा सेवा-सहयोग का दायित्व भी पति का ही है। इस दायित्व का निर्वाह करने की प्रेरणा तभी उत्पन्न होती है, जब विवाह का उद्देश्य मात्र शरीरों का मिलन नहीं, दो आत्माओं का सघन-सहयोग और एकात्म हो जाने की प्रखर इच्छा हो।

यह बात भली-भाँति समझ लेने योग्य है कि दाम्पत्य-जीवन के सुख और आनन्द का आधार शिक्षा और धन नहीं, अपितु परिष्कृत दृष्टिकोण तथा प्रखर उदात्त भावनाएँ हैं। शिक्षा और धन से दाम्पत्य-सुख का सम्बन्ध रहा होता तो धनिकों और पढ़े-लिखों के पारिवारिक-जीवन में, पति-पत्नी के बीच पनप रहे—वैमनस्य, मनमुटाव, तनाव और सम्बन्ध-विच्छेद के दृश्य तेजी से न बढ़ रहे होते। विवाह के समय जो कर्मकाण्ड सम्पन्न होता है, उसे यदि ठीक से समझा जाये, उसके संकेतों-निर्देशों का पालन किया जाये तथा उस समय

किये जाने वाले संकल्पों का जीवन में निर्वाह किया जाय, उन आदर्शों और संस्कारों का महत्त्व समझकर उन पर आचरण किया जाय, तो पति-पत्नी के बीच वह सचल आत्मीयता सहज ही विकसित होती जाये—जिससे घर नन्दन-वन कहला सकता है ।

पति और पत्नी दोनों के स्वभाव में मृदुलता दाम्पत्य-जीवन के लिए अत्यधिक आवश्यक है । परिश्रम की प्रवृत्ति भी दोनों में होनी चाहिए, अन्यथा आलस्य सभी गुणों को उदरस्थ कर जायेगा । दाम्पत्य-जीवन का वरण एक नई चुनौती है, वह अधिक परिश्रम की अपेक्षा रखता है, आलस्य तो पति-पत्नी दोनों की शक्तियों को घटाता तथा नष्ट करता है । प्रारम्भ में यह आलस्य हो सकता है—मिलन की अधिकाधिक आकांक्षा के रूप में उभरे, किन्तु इसमें सतर्कता आवश्यक है । किसी भी प्रिय से प्रिय कार्य की समय-सीमा बाँधनी जीवन में आवश्यक होती है । आजीविका-अर्जन के बाद का सम्पूर्ण समय यदि मिलन या गपशप के नाम पर आलस्य-प्रमाद में बिताया जाता रहा, तो इससे निश्चित ही कुछ दिनों बाद दोनों को ऐसा लगने लगेगा कि विवाह से उनके व्यक्तित्व का स्तर बढ़ने के बजाय घटा है और तब उनमें खिझ तथा कलह का उभार सम्भव है । अतः परिश्रमशीलता की आवश्यकता भी विवाह के बाद भली-भाँति स्मरण रखनी चाहिए । यह न भूलना चाहिए कि विवाह का उद्देश्य मात्र साथ-साथ बैठना-लेटना नहीं, साथ-साथ आगे बढ़ना भी है ।

परिश्रम के साथ ही, साथ-साथ आगे बढ़ने के लिए समझौते की भावना आवश्यक है । मनुष्य की अपनी सीमाएँ हैं । सभी में कुछ न कुछ कमी होती है । छोटी-छोटी भूलों को तूल देकर जीवनभर के साथ से बिगाड़ पैदा कर लेना हानिकारक सिद्ध होगा । दोष-दर्शन से जीवन दुःख, क्लेश, कठिनाइयों और कड़ुआहट से भर जायेगा । उदारता और समझौते की भावना तथा गुणग्राहकता के बिना गृहस्थ-जीवन का आनन्द नहीं मिल सकता । पति-पत्नी की कोमलता, भावुकता, संवेदनशीलता तथा समर्पण जैसे दुर्लभ गुणों का मूल्य समझकर उनके प्रति सदा कृतज्ञ रहे और पत्नी पति के गुणों के विकास-संवर्धन का निरन्तर प्रयत्न करती रहे तो दोनों का जीवन तृप्ति, उल्लास और आनन्द के अक्षय-कोष से भरा रहेगा । यही तो विवाह का प्रयोजन है ।

विवाह एवं प्रजनन से जुड़े दायित्वों को समझें

गृहस्थी बसाना हर एक का काम नहीं है । इसका बोझ उन्हें ही उठाना चाहिये, जिनके कंधे मजबूत हों । हर व्यक्ति को समझना चाहिये कि जिनकी शारीरिक, मानसिक एवं आर्थिक स्थिति सुदृढ़ नहीं है, उनके लिये यही उचित है कि वे विवाह न करें । इससे पत्नी को कुदृढ़ते हुए जीवन बिताना पड़ता है और बच्चों का जीवन अन्धकारमय बनता है । देश की स्थिति हर दृष्टि से कमजोर होती है और उनके गुनाह का दण्ड न जाने कितनों को भुगतना पड़ता है । विवाह के नाम पर अपनी काम-वासना की पूर्ति के लिये जो पत्नी का जीवन बर्बाद करते हैं और बच्चों को दारिद्र्य दुःख के गर्त में धकेलते हैं, वे स्पष्ट ही नैतिक और सामाजिक पाप करते हैं । ऐसे लोग कम से कम इतना तो करें ही कि विवाह के साथ ही परिवार नियोजन की व्यवस्था करलें, ताकि बाल-हत्या जैसे पाप से तो बचे रहें ।

इन दिनों प्रबुद्ध वर्ग में यह विचार दिन-दिन जोर पकड़ता जा रहा है कि लोग अविवाहित जीवन व्यतीत करें । यदि विवाह भी करें तो सन्तानोत्पादन न करने का आरम्भ से ही निश्चय करलें । जिनकी आर्थिक, बौद्धिक एवं शारीरिक क्षमता सन्तान को समुन्नत बनाने की है, वे न्यूनतम संख्या में बच्चे पैदा करें । एक या दो पर्याप्त माने जाने चाहिये । इस संदर्भ में विशेषज्ञों का एक सुझाव यह भी है कि उच्च वर्ग के लोग विवाह तो करें, सन्तानोत्पादन बिल्कुल न करें । वे निम्न वर्ग के बच्चे ले लें और उन्हें अपने आश्रय में लेकर पालें-पोसें ।

दूसरा उपाय यह है कि विवाह आवश्यक ही हो तो यह पच्चीस-तीस वर्ष की आयु के पूर्व नहीं होना चाहिये, कारण सन्तानोत्पादन की आधी वृद्धि इसी आयु में होती है । शेष सारी उम्र में जितने बच्चे पैदा होते हैं उतने २०-२५ वर्ष तक की महिलाएँ जन चुकी होती हैं । अतः २५ वर्ष से पूर्व लड़कियों और ३० वर्ष से पहले लड़कों के विवाह को गैरकानूनी ठहरा दिया जाना चाहिये । इसी तरह तीसरा उपाय यह हो सकता है कि अल्पवयस्कों के विवाह पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगा दिया जाय ।

वैज्ञानिक विशेषज्ञों एवं मूर्धन्य समाजशास्त्रियों का मत है कि वर्तमान वातावरण को साहित्य एवं शृंगारिकता के प्रचलन ने इतना कामोत्तेजक बना दिया है कि इन दिनों ब्रह्मचर्य अपवाद ही रह सकता है। सर्वसाधारण उसे हृदयंगम कर सके और व्यावहारिक जीवन में ला सके, यह असम्भव है। ऐसी स्थिति में उपाय एक ही रह जाता है कि नर-नारी के बीच विवाह भले ही होते रहें, पर वे सन्तानोत्पादन न करने की शारीरिक, मानसिक स्थिति उत्पन्न कर लें। बन्ध्याकरण का आपरेशन कर लें अथवा अन्य निरोधक उपाय बरतें।

जनसंख्या वृद्धि के खतरे को ध्यान में रखते हुए एवं व्यक्तियों को अधिक विकसित करने, प्रतिभाशाली बनाने की आवश्यकता को समझते हुए उक्त विचार न केवल चिन्तन क्षेत्र में ही वरन् व्यवहार में कार्यान्वित किये जा रहे हैं। इस सम्बन्ध में जापान की सरकार बहुत सचेष्ट है। जिन परिवारों को वहाँ सन्तान के पालन, पोषण के अयोग्य माना जाता है, उन्हें परिवार नियोजन के लिये बाधित किया जाता है और जो गर्भधारण हो चुके हैं, उन्हें गर्भपात की प्रसन्नतापूर्वक सलाह दे दी जाती है। वहाँ का हर नागरिक जानता है कि अनियंत्रित सीमा में बच्चे पैदा किये जाने लगे तो वह छोटा-सा टापू चालीस-पचास वर्ष के भीतर ही टिड्डी-दल की तरह मनुष्यों से भर जायेगा और वे मक्खी-मच्छरों की तरह अभावग्रस्त होकर बेमौत मरेंगे। इस दयनीय दुर्दशा के खतरे को समझकर वहाँ का हर व्यक्ति इस बात के लिये सचेष्ट रहता है कि जनसंख्या न बढ़ने पाये। यही कारण है कि सीमित साधन होते हुए भी वह देश आज समुन्नत स्थिति का उपभोग कर रहा है और उन खतरों से बचा हुआ है जो भारत जैसे देश के सिर पर नंगी तलवार की तरह नाच रहा है।

जापान के नर-नारी विवाह से बचते हैं। उनमें से प्रायः एक तिहाई लोग आजिवन अविवाहित रहते हैं। जो विवाह करते हैं वे भी युवावस्था में करते हैं साथ ही बच्चे न होने की व्यवस्था भी अपनाये रहते हैं। जो बच्चे पैदा करते हैं, उनकी संख्या कम ही होती है। वे सभी एक-दो सन्तान के बाद उस झंझट को समाप्त कर देते हैं।

अपने देश में भी अन्धाधुन्ध आबादी की वृद्धि से बचने के लिये यही तरीका उचित है कि जिनकी क्षमता पत्नी और बच्चों को समुचित पालन-पोषण की सुविधा जुटाने एवं सहयोग देने की नहीं है, वे संयम बरतें और विवाह न करें।

विवाह से पहले स्वप्नलोक न बसायें

विवाहोत्तर जीवन में सुख भी आते हैं, दुःख भी आते हैं। कर्तव्य और उत्तरदायित्व का भार भी उठाना पड़ता है तथा स्नेह व श्रद्धा की मधुर अनुभूतियाँ भी होती हैं। इस पथ पर काँटे भी आते हैं और फूल भी मिलते हैं। विवाह के पहले उनकी सही-सही कल्पना कर पाना व्यक्ति के लिए कठिन है। अच्छा यही है कि इसे यथार्थ रूप में स्वीकार किया जाय। स्वप्नों का संसार बसाना एवं तथाकथित प्रेम की सस्ती भावुकता दर्शाना आगे चलकर जीवन भर का पछतावा भी बन सकता है। इस प्रकार की भूल करने वाले स्वयं तो टूटते ही हैं अपनी पारिवारिक स्थिति को भी डगमगा देते हैं।

स्त्री-पुरुष को प्रकृति ने एक-दूसरे के पूरक-साथी-सहयोगी के रूप में रचे हैं। भिन्न लिंगी आकर्षण प्रकृति ने इसी कारण उत्पन्न किया है कि परस्पर एक-दूसरे के पूरक ये दोनों इस आकर्षण में बँधे रहकर अपने पारिवारिक तथा सामाजिक दायित्वों को हँसते-हँसते वहन कर लें। एक-दूसरे के सहयोग से जीवन में मधुरता उत्पन्न हो।

प्रकृति ने दोनों के निर्माण में अपनी अनूठी कला, का प्रयोग किया है। पुरुष को जहाँ कठोर श्रमशील, बुद्धि प्रधान बनाया है वहाँ नारी को कोमल, सुन्दर तथा भावना की देवी बनाया है।

यौवन के सोपान पर चरण रखते ही प्रकृति अपना काम आरम्भ कर देती है। युवक-युवतियों के शरीर तथा मन से बचपन भागने लगता है तथा यौवन आने लगता है। यहीं से जीवन-साथी की चाह मन में जागने लगती है। यह चाह तो जागती है किन्तु साथी के चुनाव का विवेक तथा चुनाव के पश्चात् के दायित्वों का ज्ञान इस आयु में लगभग नहीं होता।

इस समय मन में जो सपनों का संसार बसता है उसका जीवन के यथार्थ से कोई विशेष साम्य नहीं होता। यह बड़ी ही विषम आयु होती है। शरीर तथा मन में होने वाले परिवर्तन तथा प्रकृति का अपना खेल युवक-युवतियों को एक-दूसरे की ओर उन्मुख करता है युवक-युवतियों में परस्पर जो आकर्षण उत्पन्न होता है वह किसी वस्तु को पाने की लालसा भर होता है। उसका मूल्य उसे ज्ञात नहीं होता।

इस आयु में बुद्धि परिपक्व नहीं होती । इस समय जो आकर्षण होता है वह ठीक उसी प्रकार का होता है जिस प्रकार कोई बालक खिलौना देखकर मचलता है । जब तक खिलौना नहीं मिलता जब तक वह आकर्षण तीव्र रहता है । खिलौना मिल जाने पर उसे खूब प्रसन्नता होती है । यह प्रसन्नता थोड़ी ही देर में समाप्त हो जाती है फिर उसमें बालक को वैसा आकर्षण नहीं रह जाता ।

प्राचीनकाल में जब विद्यार्थी गुरुकुलों में पढ़ते थे तब वर कन्या का चुनाव अभिभावक तथा आचार्य मिलकर करते थे । उन दोनों की सहमति तो ली जाती थी । किन्तु देखने-परखने का भार गुरुजनों पर ही था । आज भी वह परम्परा उसी रूप में तो नहीं पर चिन्ह पूजा के रूप में चल अवश्य रही है । यदि आँखों पर दहेज व खानदान की मान-मर्यादा का पर्दा न पड़ा हो तो अभिभावकों का यह चुनाव आज भी लगभग ठीक ही होता है ।

विवाह के पूर्व एक-दूसरे को देख परख लेने की क्षमता का अभाव आज भी युवक-युवतियों में ज्यों का त्यों बना हुआ है । अपनी इस कमी से अनभिज्ञ रहकर स्वयं जीवन-साथी का चुनाव करना तथा भावी जीवन की लम्बी-चौड़ी कल्पना करना सिकता कर्णों से महल बनाने जैसा ही उपक्रम है ।

अब नारी का स्थान केवल घर नहीं रहकर उसका क्षेत्र बढ़ गया है । ऐसी स्थिति में युवक-युवतियों का परस्पर सम्पर्क भी बढ़ा । यह सम्पर्क बढ़ना प्रगति का चिन्ह ही है । समाज का यह अविकसित अर्द्धांग प्रगति करे इससे भला प्रसन्नता किसे न होगी ? किन्तु पाश्चात्य सभ्यता का प्रभाव भी इसके साथ ही साथ कदम मिला कर चला था । युवक-युवतियों के पारस्परिक आकर्षण में यह सहायक हुआ ।

सिनेमा तथा अश्लील साहित्य ने इस आकर्षण को गलत दिशा पर मोड़ दिया । इसका प्रभाव सब युवक-युवतियों पर पड़ा हो ऐसी बात नहीं है, पर ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है जो इस विकृत धारा के साथ बह चले हों ।

सस्ते रोमांटिक उपन्यासों तथा बेसिरपैर के कथानक वाले सिनेमा के नायक-नायिकाओं में जिस प्रकार नितान्त अव्यावहारिक एवं अवांछनीय प्रेम उपजता तथा बढ़ता है वैसी ही कल्पना कुछ युवक-युवतियों के मन में भी उपजने लगती है । समाज और परिवार का वातावरण भी इस प्रकार का है

कि इनके मन में विपरीत सेक्स के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है । दोनों मिलकर इनके अपरिपक्व मस्तिष्क को अपना घर बना लेते हैं ।

लड़के जब तक पढ़-लिख कर अपने पाँवों पर खड़े नहीं हो जाते तब तक माता-पिता तथा परिवार उनका भार उठाता है । कन्याओं का भी शादी होने तक भरण-पोषण, शिक्षा-दीक्षा का भार परिवार ही उठाता है । इन्हें उपार्जन कैसे होता है? सामाजिक मर्यादाएँ क्या होती हैं ? इन तथ्यों की जानकारी नहीं होती । ऐसी स्थिति में इनके मन-मस्तिष्क में जो वैवाहिक कल्पनाएँ, कामनाएँ उठती हैं । वे जीवन की सच्चाई से कोसों दूर होती हैं ।

जो युवक-युवतियाँ विवेकशील हैं वे तो भूल नहीं करते पर जिनका विवेक तथा अन्तःकरण सोया होता है उनके घरण बहकने लगते हैं । नगरों में इस प्रकार भटकने की सम्भावना अधिक रहती है । गाँवों में अभी यह विकृति लगभग नहीं आयी है । कॉलेज के छात्रों में जहाँ सहशिक्षा होती है ऐसे मानसिक विकार उठने की सम्भावनाएँ अधिक रहती हैं ।

विवाह के पूर्व एकान्त में मिलना भावी जीवन की अनेकानेक कल्पनाएँ करना इस प्रकार के अपरिपक्व मस्तिष्क युवक-युवतियों का एक आकर्षण बन जाता है । इसे वे प्रेम और उत्सर्ग समझ बैठते हैं । यह वही कहानी होती है जो पात्र बदल-बदल कर दोहराते हुए एक दम जीर्ण-शीर्ण हो चुकी है । तथ्य और सत्य से कोसों दूर होती है । वे अपने आप को इस कहानी के प्रथम नायक-नायिका समझकर दोहराते हैं । वस्तुतः यह सस्ती भावुकता मात्र होती है ।

इस आसक्ति को वे प्रेम समझते हैं । उन्हें यह पता नहीं होता कि प्रेम में लेने का प्रश्न नहीं उठता केवल देना ही सूझता है । अपनी कोई चाह नहीं मात्र समर्पण होता है । यह आसक्ति शरीर तथा मन का एक विकार मात्र होती है जो विकृत चिन्तन तथा विकृत दृष्टिकोण से पोषित होती है ।

यह विकृति यदि वार्तालाप तक ही सीमित रहे तो भी कम हानि नहीं होती । लेकिन उससे बढ़कर यह रोग पत्र लिखने, एकान्त में मिलने तक बढ़ जाय तो भयङ्कर अनिष्ट उपस्थित हो सकता है । इनका भावी जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ सकता है । मन यदि और निबन्ध हो गया मन में बैठा वासना का चोर शारीरिक मर्यादाएँ भी तोड़ गया तो

सर्वनाश ही उपस्थित हो जाता है। इसका कुपरिणाम युवकों को कम युवतियों को अधिक भुगतना पड़ता है।

अवैध बालकों की उत्पत्ति का यह भी एक कारण है। युवक तो अपना मुँह बचाकर निकल भागता है। दोनों पर उस मूर्खता का दण्ड बेचारी लड़की को अकेले ही भुगतना पड़ता है। वह कुवारी माँ कहलाती है। हमारे भारतीय समाज में भी अब यह विकृति फैलने लगी है। बड़े-बड़े नगरों में प्रतिवर्ष कितने ही अवैध बच्चों को इस प्रकार जीवित या मृतक सुनसान स्थानों पर छोड़ दिया जाता है। गर्भपात जैसे कुकर्म होते हैं।

कुंवारी माँ बनाने की विडम्बना से बच भी जायें तो भी मन में हीनता की जो ग्रन्थि बनती है वह जीवन भर सालती रहती है। अपने हाथों लिखे गये पत्र अन्य व्यक्ति के साथ विवाह हो जाने पर दुर्भाग्य की तरह पीछा पकड़ सकते हैं।

सीमाओं के बाँध नहीं भी टूटें तो भी आवश्यक नहीं कि इस प्रकार भी आसक्ति की परिणति विवाह बंधनों में हो ही जाय। यदि नहीं हो सकी तो ये रेत के घरोदे भावी जीवन के भवन की नींव को खोखला कर देते हैं। आँखों पर पड़े अविवेक के पर्दे में एक-दूसरे के कल्पित उदात्त स्वरूप को देखा होता है। यह स्वरूप होता तो भ्रम जाल ही है। किन्तु विवाहोत्तर जीवन में यह कल्पित भूत उत्पात मचाये बिना नहीं रहता। दोनों का दो भिन्न-भिन्न प्राणियों से विवाह हो जाता है। तो वे अपने जीवन-साथी को वह प्यार नहीं दे पाते जो देना चाहिये। उसके दोष ही उभर कर सामने आते रहते हैं। पहले की जीवन-साथी का कल्पित मूर्ति के तुलना में वह तुच्छ लगते हैं।

यह विवाह के पहले की गई भूल आगे जाकर दो परिवारों में आग लगा देती है। दूसरे पक्ष को जब यह ज्ञात होता है कि उसके जीवन-साथी का तन-मन पहले ही बिक चुका है तो कितनी ही कुशंकाएँ जाग उठती हैं। उनका जीवन तपती दोपहरी सा जलाने लगता है। वह भी अपने जीवन से निराश हो जाते हैं—परस्पर पूरे मन से सेवा, सहयोग भी नहीं दे पाते। इसका प्रभाव बच्चों पर भी पड़ता है।

जिन्होंने अपने भावी जीवन के दिवा-स्वप्न देखे थे, उन दोनों का विवाह हो भी जाय तो यह आवश्यक नहीं कि वे अपने वैवाहिक जीवन में सुखी रह सकेंगे उनके वे स्वप्न साकार

हो सकेंगे। तथाकथित प्रेम-विवाह प्रायः असफल होते देखे जाते हैं। स्वप्न आखिर स्वप्न ही तो होता है। स्वप्न सच्चे नहीं हुआ करते। इन सपने देखने वालों में से अधिकांश के सपनों का शीश महल जीवन के यथार्थ से टकरा कर चूर-चूर हो जाता है।

थोड़े दिन तो जोश रहता है। इसके पीछे प्रायः शारीरिक भूख ही अधिक रहती है। थोड़े ही समय में शरीर व मन दोनों ही थक जाते हैं। परिवार के दायित्वों की गाड़ी खिंचनी भारी पड़ने लगती है। यहाँ आकर पता लगता है कि वे झूठे सपने थे। विवाह से और दाम्पत्य प्रेम से उनका कोई सम्बन्ध नहीं था।

मन में अपने जीवन-साथी की जो काल्पनिक तस्वीर खिंच चुकी थी। उसमें गुण ही गुण नजर आ रहे थे। वही अब बिल्कुल बदला हुआ लगता है। आश्चर्य होता है कि उनमें असामान्य क्या था जिसे देखकर इतनी विह्वलता जाग उठी थी। अब एक-दूसरे के दोष उभर कर सामने आते हैं। इस कहानी के पात्र फिर एक-दूसरे को दोषी ठहराने लगते हैं—छिद्रान्वेषण करने लगते हैं।

उनमें यदि विवेक होता है तो वे अपने पारिवारिक जीवन के पाठ को उस क-ख-ग से पढ़ते हैं जिसे सामान्य रूप से विवाह करने वाले दम्पति आरम्भ करते हैं। इनका पारिवारिक जीवन सफल हो भी जाय तो उसका श्रेय उस पंहले वाले तथाकथित प्रेम को नहीं वर्तमान विवेकशीलता को ही देना होगा।

युवक-युवतियों में जोश होता है भावना होती है। उसे सही मार्ग पर चलाया भी जा सकता है। यह आवश्यक नहीं कि माता-पिता की इच्छा पर ही विवाह किया जाय, उनकी इच्छा के विरुद्ध भी विवाह किया जा सकता है। आदर्शों की रक्षा उन्नती पुनः प्रतिष्ठा तथा समाज में फैली विकृतियों को तोड़ने वाले युवक-युवतियों का साहस प्रशंसनीय कहा जायेगा जो देहेज तथा विधवा-विवाह आदि के बन्धनों को तोड़कर समाज में एक स्वस्थ परम्परा स्थापित करते हैं। इन्हें आदर्श विवाहों की संज्ञा दी जानी चाहिए।

विवाह एक उत्तरदायित्व। उत्तरदायित्व वहन करने की सामर्थ्य के बिना आने वाली समस्याओं से अनभिज्ञ रहकर कल्पना लोक बसाना युवकों का काम नहीं। जिनके पाँव

यथार्थ की धरती पर टिके हों उन्हें ही आदर्शों के स्वप्न देखने का अधिकार मिलता है। इस विडम्बना में न फँस कर विवाह होने पर जो भी जीवन-साथी मिले उसे निबाहने की पूर्व तैयारी कर लेना तथा उसी प्रकार के स्वप्न देखना ठीक है जिससे भावी जीवन मङ्गलमय हो सके।

सुयोग्य जोड़ियाँ इस प्रकार मिलेंगी

जिस प्रकार बाल-विवाह और दहेज प्रदर्शन, धूमधाम वाले विवाहों का प्रचलन लोगों की अभिरुचि में सम्मिलित हो गया है, उसी प्रकार वर-कन्या के अनुरूप जोड़ा मिलाने में भी लोगों के कुछ विशेष दृष्टिकोण हैं। यों कई समुदायों में लड़कों के लिये लड़की ढूँढने के लिये निकलने का रिवाज भी है, पर आमतौर से लड़की वाले ही लड़का ढूँढने निकलते हैं। इसमें पहली बात होती है—अपनी जाति या उपजाति की। लड़का उसी परिधि में मिलना चाहिये। इसके बाद यह देखा जाता है कि उसकी पैतृक आजीविका क्या है? कभी यह सोचा जाता रहा होगा कि लड़का कमाने-खाने योग्य न रहे, तो उस संचित सम्पदा के हिस्से पर लड़की का पालन-पोषण होता रहे। समय को देखते हुए यह परम्परा भी बुरी नहीं थी, किन्तु अब समझ में आने लगा है कि पैतृक सम्पदा के आधार पर लड़की का चुनाव गले का फंदा है।

जहाँ तक सुन्दरता का प्रश्न है, वह मात्र सोलह से बाइस वर्ष तक ही किसी की बनी रह सकती है। फिर क्रमशः वह कोमलता विदा हो जाती है, जिसे सुन्दरता कहा जाता था। इस देखभाल का नम्बर तीसरा माना जाता है कि लड़का स्वतन्त्र रूप से कुछ कमाने-खाने लगा या नहीं। उसके पीछे व्यसन, दुर्गुण, कुसंग तो नहीं लग गये। सुन्दर और सम्पन्न घर का होते हुए भी यदि लड़का दुर्व्यसनों का शिकार हो गया है, स्वभाव से क्रोधी या कामचोर है, तो वह न केवल स्वयं सदा परेशान रहेगा, वरन् उस लड़की को भी हैरानी में डाले रहेगा, जो उसके पल्ले बँधी है। देखभाल इन्हीं सब बातों की होनी चाहिये।

लड़की देखते समय इस सम्बन्ध में उनकी शकल-सूरत भी देखी जाती है। इसका बहुत बड़ा महत्त्व नहीं है। असल में लड़की की सूरत से नहीं, वरन् स्वभाव से घर-भर का काम पड़ता है। उसी कारण गृहस्थियाँ बनती और बिगड़ती हैं।

दस-पाँच मिनट में किसी को देख कर या दो-चार प्रश्न पूछ कर किसी के स्वभाव को नहीं जाना जा सकता। यह तभी सम्भव है, जब किसी रिश्तेदारी या पड़ोस का उनके साथ निकटवर्ती सम्बन्ध रहा हो और यह देखा जाय कि किस प्रकार की आदतें उसमें पल रही हैं। क्रोधी, आलसी, असहिष्णु, अनुदार जैसी प्रकृति तो नहीं है। यही दुर्गुण पारिवारिक कलह का कारण बनते हैं। इसके बीजांकुर पहले से ही हों या ढील डालने पर पनपते रहें, प्रौढ़ हो जायें, तो फिर आदत में सम्मिलित होने के उपरान्त उनका छूटना कठिन पड़ता है। ऐसी दशा में उन दोषों को टालने या सहते रहने के अतिरिक्त और कोई चारा नहीं रह जाता। तब वह लड़की घर सँभालने या नेतृत्व कर सकने योग्य तो रहती नहीं; किसी प्रकार निर्वाह भर करना पड़ता है। तलाश करने निकला जाय, तो उसके स्वभाव का पता लगाया जाय। इसलिये ऐसे सौम्य पड़ोसी से पूछ-ताछ की जाय, जो उस घर में आता-जाता रहा हो और स्वभाव सम्बन्धी अधिक ध्यान देता रहा हो।

लड़कियाँ भी सुन्दर वर चाहती हैं। लड़के तो प्रायः इसी बात पर अड़ जाते हैं और अभिभावकों तक की अवज्ञा करके उस लड़की के लिये आग्रह करते हैं, जो उनकी पसन्दगी पर खरी उतरे। उनकी कसौटी सिनेमा की अभिनेत्रियों, नर्तकियों को देखते-देखते बनती है, पर वे यह भूल जाते हैं कि धनवान, विद्वान होने की तरह रूपवान होने का भी एक नशा होता है। यदि वह भड़कने लगे, तो सामान्य शकल-सूरत के पति से वे भी सन्तुष्ट नहीं होतीं। उसके प्रति लगाव भी कम रहता है। उपेक्षा-अवज्ञा का सिलसिला चल पड़ता है। घर में आने-जाने वाले उस पर डोरे डालने शुरू करते हैं और फुसलाकर पतन के गर्त में गिराने तक के सरंजाम जुट्य लेते हैं। संस्कृत में एक उक्ति आती है—'अस्ति रूपवती चर्या शत्रु'। पत्नी का रूपवान होना भी एक प्रकार से घर में शत्रु पाल लेने के बराबर है। यह उक्ति सदैव ध्यान में रखनी चाहिये।

अमीरों के घर में उनका मुँह-मौंगा दहेज देकर पहुँचा देने के लिये मध्यवर्ती या गरीब लोगों का प्रयत्न करना बेकार है। वे गरीब घरों की लड़कियाँ अमीरों के घर जाकर तिरस्कृत होती हैं और नौकरानी की तरह काम करने के लिये बाधित होती हैं। उन्हें 'बेचारी' बनकर रहना पड़ता है। जिस घर

में अमीरी पहुँचती है, उसमें अहमन्यता एवं बदमिजाजी, बदसलूकी भी जा पहुँचती है। सज़नता, नम्रता, सहानुभूति, शिष्टता जैसे सदगुण अनायास ही विदा हो जाते हैं। उन दुर्गुणों का दबाव उस लड़की पर पड़ता है, जो गरीब घर से आई है। पग-पग पर तिरस्कृत होते रहने के कारण बहुत बार उन्हें आत्महत्या तक करनी पड़ती है या उन्हें दहेज की चिंता पर जिन्दा जला दिया जाता है। इस विडम्बना से तो बचना ही चाहिये। अधिक से अधिक, यह देख-परख लिया जाय कि लड़का कमा सकता है या नहीं, जिससे अपने परिवार का भली प्रकार निर्वाह कर सके। शिक्षा उच्चस्तरीय ही हो, इसका महत्त्व नहीं मानना चाहिये; क्योंकि माँ-बाप की दौलत की होली जलाकर ही आज का कोई लड़का कालेज की पढ़ाई कर सकता है, पर जैसा कि चाहा गया है उस आधार पर ऊँची नौकरी मिल जायेगी उसकी कोई गारण्टी नहीं। तीसरे डिवीजन पास होने वालों को ऊँची कक्षाओं में, अच्छे स्कूल में दाखिला तक नहीं मिलता। फिर ऊँची नौकरी कहाँ से मिले।

उच्च शिक्षितों में एक यह भावना घर कर जाती है कि मिले तो ऊँची नौकरी ही मिले। लम्बे समय तक उसकी प्रतीक्षा कर लेने पर उन्हें झक मारकर कोई कम पैसे की निजी नौकरी करनी पड़ती है। वह इतनी कम होती है कि परदेश में किराये का मकान लेने में वेतन का अधिकांश भाग चला जाता है। साथ ही इज़त रखने वाले कपड़े पहन कर भी रहना पड़ता है। इसके बाद जो बचता है वह इतना नहीं होता कि परिवार का भरण-पोषण ठीक प्रकार हो सके। स्त्रियों तो जननी बनने के बाद इस योग्य नहीं रहती कि घर से बाहर जाकर कुछ कमाने-धमाने में हाथ बाँटा सकें। उनकी अशिक्षा, संकोचशीलता और पति परिवार का भार भी ऐसा होता है कि वे यदि कुछ करना चाहें, तो कर भी नहीं सकतीं। ऐसी स्थिति में उन्हें वास्तविक गरीबी से भी गई-गुजरी स्थिति में रहना पड़ता है। सुशिक्षित लड़के के साथ रहकर भी वे गरीबी में गई गुजरी-स्थिति में रहती हैं।

यह खतरे हैं, जिन्हें आकर्षण समझ कर लोग फँस जाते हैं और पीछे जन्म भर अपनी भ्रान्ति के लिये सिर धुन्ते रहते हैं। लड़का या लड़की ढूँढ़ने से पूर्व, उचित सुयोग-संयोग बनाने से पहले अपना दिमाग साफ कर लेना चाहिये। किसके

दरवाजे जाना है, किसके नहीं। इस सम्बन्ध में अपना मत बन जाने पर आधी भाग-दौड़ में कटौती हो जाती है और केवल उन्हीं के यहाँ जाया जाता है, जहाँ उपयुक्तता है।

उपयुक्तता की कसौटियाँ यह मानी जा सकती हैं कि लड़का स्वस्थ है, भले ही सुन्दर न हो। स्वभाव व्यवहार में असम्य न हो, भले ही वह उच्च शिक्षित न हो। काम-धन्धे में लगा हुआ हो, भले ही उसके घर में पैतृक सम्पदा न हो। उसका परिवार सुसंस्कारी, मिलनसार, सज़न हो। ऐसा न हो कि कमाई अधिक या अवांछनीय होने के कारण गर्व से सीना फूल गया हो और सीधे मुँह बात तक न करता हो। अनुचित कमाई से घर भरने वाले ही अधिक इतराते, अधिक उदंडता दिखाते देखे गये हैं। उनके घरों में माँस-मदिरा का भी दौर रहता है। ऐसे घरों में किसी आधुनिक का गुजारा तो हो सकता है; किन्तु सभ्रान्त घर की लड़की का नहीं।

इसलिये सयानी कन्या जब १८ वर्ष से अधिक, वैसे आज के समय में बीस-इक्कीस वर्ष माना जाय तो ठीक रहेगा, हो जाय तो विवाह की बात सोचनी चाहिए, अपनी चादर देखकर ही पैर फैलाने चाहिए एवं प्रचलन के हिसाब से लड़का ढूँढ़ने निकलना चाहिए।

लड़की को ऐसी न रहने दिया जाना चाहिए कि वह घर-गृहस्थी के बारे में, अपने शरीर के बारे में, दाम्पत्य जीवन के उत्तरदायित्वों के सम्बन्ध में कुछ समझती ही न हो। जीवन में काम आने वाले गुण, कर्म, स्वभाव का स्वरूप एवं ढाँचा स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता। वहाँ अंकगणित, बीजगणित, इतिहास, भूगोल आदि के ऐसे विषय पढ़ाये जाते हैं, जो व्यावहारिक जीवन में काम नहीं आते। जो काम आते हैं वे पढ़ाये नहीं जाते। इसलिए अभिभावकों का कर्तव्य है कि लड़कियों को ही नहीं, लड़कों को भी व्यावहारिक ज्ञान के सम्बन्ध में प्रशिक्षण दें। यह कार्य ट्यूशन लगाकर किराए के मारटरो से नहीं कराया जा सकता। यह ऐसा दायित्व है, जिसे स्वयं ही निभाना चाहिए। माता-पिता दोनों मिलकर उन सभी विषयों को पढ़ा सकते हैं, जो स्कूलों में नहीं पढ़ाये जाते, पर स्कूली पढ़ाई से भी अधिक महत्त्वपूर्ण एवं आवश्यक हैं। इसे दुर्भाग्य ही कहना चाहिए कि इस प्रकार की भारत का क्षेत्रीय एवं जातीय समस्याओं के अनुरूप समाधान सुझाने

वाली पुस्तकें लिखने का काम कहीं से भी आरम्भ नहीं हुआ है। बाजार में केवल अँग्रेजी पुस्तकों के अनुवाद मात्र देशी भाषाओं में मिलते हैं। उनमें पाश्चात्य देशों की स्थिति के अनुरूप ही कुछ लिखा-छपा मिलता है। भारतीय परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में विवेचन कम ही देखने को मिलता है।

उपर्युक्त लड़की-लड़के तलाश करने में एक कठिनाई और है कि पुरातन मान्यता मार्ग पर आड़े आती है कि अपनी ही जाति में शादी करनी चाहिए। किन्तु जातियाँ बिखरी हुई हैं। पास-पास वे कदाचित् ही बड़ी संख्या में कहीं बसी हों। इसलिए लड़की, लड़के ढूँढ़ने के लिए दूर-दूर बिखरे क्षेत्रों में जाना पड़ता है। तब ऐसे लड़की-लड़कों का पता लगाना कठिन होता है, जो गुण, कर्म, स्वभाव की दृष्टि से अनुकूल पड़ते हों, उनके बारे में समग्र एवं गहरी जानकारी हो।

बहुत दूर-दराज के रिश्तों में एक प्रकार से सम्बन्ध विच्छेद की स्थिति बन जाती है। पितृ-गृह और ससुराल एक-दूसरे से जब बहुत दूर पड़ जाते हैं तो दोनों परिवारों के सदस्य परस्पर बहुत दिनों से मिलते हैं। ऐसी स्थिति में उनकी घनिष्टता और आत्मीयता भी कम हो जाती है। यह स्थिति दुःख-सुख बँटाने में और परस्पर निकटवर्ती रहने में सहायक नहीं रहती। लड़कियों को तो विशेष रूप से इससे भावनात्मक ठेस लगती है। एक पक्ष सं तिरस्कृत होने पर दूसरे पक्ष की हिमायत सिफारिश का आधार बना रहता है। इस स्थिति में वे निराश नहीं होतीं। हिम्मत में कमी नहीं आने पाती। दुःख मुसीबत में एक पक्ष उपेक्षा करे तो दूसरे से सहायता मिलने की आशा बनी रहती है। यह स्थिति हर दृष्टि से उपयोगी है। एक पक्ष के सिर पूरी तरह मढ़ दिये जाने दूसरी ओर से सान्त्वना के स्वर भी न मिलने से वे टूट जाती हैं और अपने को तिरस्कृत, उपेक्षित, असहाय अनुभव करने लगती है। इस स्थिति से तभी बचा जा सकता है जब कि दोनों परिवारों के बीच लम्बी दूरी न हो, किसी न किसी के आने-जाने का, खबर सुध लेते रहने का सिलसिला बना रहे।

जाति-उपजातियों की कट्टरता अब टूट रही है। प्रगतिशीलता समूचे हिन्दू समुदाय को एक करके रहेगी। जातियों के आधार पर अभी जो बिखराव चल रहा है वह बहुत समय तक टिक न सकेगा। लोग जाति बंधन को तोड़कर मानव मात्र के समूह में ही विवाह करने लगेंगे।

कारण कि जाति-पाँति के विभाजन का आधार न तो तर्क-संगत है, न विवेकसंगत न उसमें बुद्धि विवेक का समर्थन है। न उसकी संगठनात्मक उपयोगिता। प्राचीन परम्पराएँ भी इसका समर्थन नहीं करतीं। व्यवसाय के हिसाब से वर्ण और जातियाँ बनी थीं। अब हर व्यक्ति हर व्यवसाय को करने लगा है। ऐसी दशा में जाति वंश का कोई स्थिर आधार नहीं रहा और वह प्रचलन लकीर पीटने जैसा रह गया है।

यदि अभी से इन टीलों को, खाई-खड्डों को ढहा कर समतल भूमि बनाना शुरू कर दिया जाय तो यह सब प्रकार से श्रेयस्कर ही होगा। विवाह-शादियों में इससे भारी सुविधा मिलेगी। अपनी ही जाति का लड़का या लड़की ढूँढ़ने में उस छोटे दायरे के अन्तर्गत इच्छित जोड़ियाँ मिलने में भारी कठिनाई होती है। लड़कों की नीलामी बोली भी इसीलिए बढ़ती है कि उस छोटे दायरे में विक्रेता कम और खरीददार ज्यादा होते हैं। अच्छे लड़कों का एकाधिकार स्थापित हो जाता है और फिर वे अपना माल मुँहमाँगी कीमत पर बेचते हैं। यदि दायरा चौड़ा हो तो कम से कम उप-जातियों का झंझट तो मिट ही जाय। प्राचीनकाल की तरह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इन चार विभाजनों को मात्र व्यावसायिक मानकर मानव मात्र को एक वर्ण का माना जाय तो करोड़ों लड़के और लड़कियाँ सामने होंगे। इनमें से इच्छित जोड़ी मिलाने में तनिक भी कठिनाई न होगी। पड़ोस के गाँव मुहल्ले में भी जान-पहचान के सम्बन्धी मिल जायेंगे और शादियों की ढूँढ़-खोज के लिए जो भारी दौड़-धूप करनी पड़ती है उसकी आवश्यकता न रहेगी।

अपने गायत्री परिवार में ही इन दिनों पच्चीस लाख के करीब सदस्य हैं। यह संख्या किसी भी बड़ी जाति के समतुल्य है। यदि एक व्यक्ति एक के सम्पर्क में हो तो यह कुल ५० लाख हो जाते हैं। इसी परिवार के लोग बिना जाति-उपजाति का सवाल उठाए आपस में विवाह-शादी करने लगे तो उनके विचारों की समता के कारण आत्मीयता भी अधिक होगी और देन-दहेज, बारात, धूम-धाम का सवाल भी न उठेगा। यदि सुयोग्य जोड़े ढूँढ़ने हों तो हमें जाति-पाँति की कट्टरता छोड़नी होगी और आदर्शवादियों को अपने परिवार को इस हेतु महत्त्व देना होगा। यह काम हिम्मत भरा है, साथ ही जोखिम भरा भी। कट्टरवादी समूहों की संख्या कम नहीं है, हर जाति में वे भरे-पड़े हैं। इनसे मोर्चा लेना होगा। यदि इसे अभी च

किया जायेगा, तो समय स्वतः अगले बारह वर्षों में करा लेगा। दुनिया सिकुड़कर कितनी छोटी हो गयी है। अन्तर्देशीय विवाह होने लगे हैं एवं हम अभी जाति-उपजाति के बन्धनों से ही नहीं निकल पाये हैं। धिक्कार है, ऐसी समाज व्यवस्था को। या तो अब विश्व मानवता का अस्तित्व मिटेगा या "वसुधैव कुटुम्बकम्" की स्थापना होकर रहेगी। यह हम शीघ्र ही समझ लें, इसी में हमारा भला है।

लड़की-लड़का ढूँढ़ते समय यह

ध्यान रखें

साथी के चुनाव में विवाह से पूर्व वर की सम्मति लेनी चाहिए, यह ठीक है। पर-लड़का लड़की को देखे और लड़की लड़के को, दोनों की दोनों के प्रति सहमति होनी ही चाहिए। यह सिद्धान्त मोटेतौर से ही अच्छा है। थोड़ी बारीकी में जाने पर इसमें कई खोट दिखाई पड़ते हैं। आँखों से केवल स्थूलतः एक ही वस्तु देखी जा सकती है—सौन्दर्य। इससे भी महत्त्वपूर्ण है—स्वभाव। स्वभाव की परख वह कर सकते हैं। जिन्हें बहुत दिन साथ रहने का अवसर मिला हो। कुछ मिनट शिष्टाचार की भेंट को दर्शन झाँकी कह सकते हैं। यह एक-दूसरे की रुचि के अनुरूप सर्वथा बनावटी भी बनाया जा सकता है। सौन्दर्य में एक और कमी है कि वह इन दिनों की परख में मात्र किशोरावस्था का प्रतिनिधित्व करता है। किशोरावस्था अस्थिर है। समय बीतते ही वह चली जाती है। अट्टारह से लेकर बाईस तक उसकी अवधि है। इसके बाद व्यक्तित्व परिपक्व होने लगता है। फलतः जिस सौन्दर्य की सिनेमा के मापदण्ड से परख की जाती है उसका पलायन होने लगता है। सिनेमा की तारिकाएँ अपने व्यवसाय के लिए जो आकर्षण बनाये रहती हैं, उनका आधे से अधिक भाग कृत्रिम साजसजा से भरा होता है। यह कृत्रिमता अत्यधिक महँगी भी होती है। वर-वधू का चयन यदि दोनों मिलकर इसी आधार पर कर रहे होंगे तो उसमें धोखा ही धोखा उठाना पड़ेगा।

रूप का धन की तरह अपना अहंकार होता है और उसमें प्रदर्शन की महत्त्वाकांक्षा होती है। उसे दबाये रहना कठिन है। रूपवती अपनी छवि प्रदर्शन के उत्साह में कई बार शील की उस मर्यादा से बाहर भी जाती देखी गई हैं जो

गृहस्थ जीवन की शालीनता की दृष्टि से बाहर चली जाती हैं। लड़का यदि रूपवती को महत्त्व देता है तो निर्धारित वय समाप्त होते ही वह अन्य लड़कियों की ताक-झाँक कर सकता है। यही बात लड़की के सम्बन्ध में भी है। व्यक्तित्व की परिपक्वता जीवन की नाव खेती है। उसमें अनेकों अच्छाइयाँ होते हुए भी यह खराबी भी है कि लड़की-लड़के एक-दूसरे के किशोर सुलभ चंचल सौन्दर्य का अपहरण कर लेते हैं। दोनों पक्ष यही सोचते रहते हैं कि चयन के दिनों वाला अपना सौन्दर्य यथावत् बना हुआ है। कमी तो दूसरे के में आई है। यह मान्यता आगे चलकर व्यभिचारी दृष्टि उत्पन्न कर सकती है और जो परख सर्वोत्तम कसौटी समझी गई थी वह हानिकारक सिद्ध हो सकती है।

दूसरी कसौटी है, स्वभाव। यह भी एकांगी नहीं है। वह एक-दूसरे के सन्तुलित व्यवहार पर निर्भर है। विकसित व्यक्तित्व में आत्म-सम्मान की भावना विकसित हो जाती है। इसकी पूर्ति सामान्यतया पूरे परिवार में विशेषतया पति के माध्यम से पूरी होती है। इसमें चोट लगने पर संवेदनशील महिलाओं की मनःस्थिति गड़बड़ाने लगती है। यदि जल्दी ही समाधान न हो सका तो उसका परिणाम, भीतरी घुटन के रूप में प्रारम्भ होता है। स्त्रियाँ दूसरे तरह का वातावरण ढूँढ़ने लगती हैं। मैके चले जाने से, अलग रहने और आत्महत्या करने से लेकर स्वतन्त्र नौकरी ढूँढ़ लेने जैसे उपाय उन्हें सरल मालूम पड़ते हैं। इनमें से जो भी सरल दीखता है, उसे वे अपना लेती हैं। अलग होने का कारण असम्मान की प्रतिक्रिया है। यह प्रतिक्रिया सामने वालों के व्यवहार पर जितनी निर्भर है उससे कहीं अधिक वधू की संवेदनशीलता पर निर्भर है। रूपवती शिक्षिताओं में यह मादा अपेक्षाकृत अधिक विकसित होता है। कहा नहीं जा सकता कि किस व्यवहार को असम्मान गिन लिया जायेगा और उसका प्रतिशोध किस सीमा तक लिया जाने लगेगा। तलाकों की बढ़ती संख्या में यह कारण सबसे अधिक होता है। सहनशीलता, नम्रता आदि सद्गुण साथी में किस सीमा तक विकसित हुए हैं, इसका पता चलना दर्शन-झाँकी की रस्म पूरी करते समय सर्वथा असम्भव है। यदि इस तथ्य में भूल हुई तो रूप देखने के निमित्त की गई दर्शन झाँकी बहुत महँगी पड़ती है। अलग-अलग से नौकरी ढूँढ़ लेने के पक्ष में अनेकों दलीलें दी जा सकती हैं और उसे

उचित या लाभदायक भी ठहराया जा सकता है पर वह प्रकारान्तर में तलाक का ही एक तरीका है। अध्यापन आदि एक दो महकमे ही ऐसे हैं जिनमें पति-पत्नी के साथ रहने की सुविधा रहती है अन्यथा विभाग बदलते ही लगभग तलाक जैसी स्थिति बन जाती है और अपमान, असम्मान, प्रतिबन्ध अनुशासन की कड़ाई जैसी छेड़छाड़ का महंगा प्रतिशोध सामने आता है। गृहस्थ जीवन का उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है।

यदि विचारपूर्वक पति-पत्नी दोनों ने ही नौकरी करने का निश्चय किया हो तो नौकरी लायक उपयुक्त शिक्षा होने के लिए आयु निश्चित रूप से किशोरावस्था पार कर जायेगी। तब रूप-लावण्य का खेद करना बेकार है। व्यक्तित्व परिपक्व होने के कारण उसका समय निकल चुका होगा। पति-पत्नी दोनों ही नौकरी करेंगे तो पति की तरह पत्नी की शिक्षा भी उपयुक्त होनी चाहिए। ऐसी दशा में ग्रह भेदभाव भी छोड़ देना चाहिए कि पत्नी की आयु पति से छोटी हो। ऐसी दशा में कमाऊ वधू पति से आयु में बड़ी होना ही लाभदायक है। जिन्हें विकसित व्यक्तित्व वाली साथी चाहिए उन्हें नेपोलियन का उदाहरण ध्यान में रखना चाहिए जिसने अपने से आठ वर्ष बड़ी महिला से भावावेश में नहीं, वरन् जान-बूझकर, सोच-समझकर विवाह किया था। जैसलमेर के देहाती इलाकों में अभी भी यह रिवाज है कि दस-बारह वर्ष के लड़के का विवाह अठारह बीस वर्ष की लड़की से कर लेते हैं। कारण कि लड़की घर-गृहस्थी के अनेकों काम वयस्कों की तरह करती रहती है। साथ ही पति की साज सफलतापूर्वक भी करती रहती है। जहाँ उच्च शिक्षित वधू की आवश्यकता हो, वहाँ यह शर्त नहीं रखनी चाहिए कि लड़की लड़के से आयु में छोटी हो। यह दृष्टिकोण अपनाते ही किशोरी अर्थात् रूपसी का दृष्टिकोण मस्तिष्क में से तुरन्त निकाल देना चाहिए। नौकरी योग्य शिक्षा वाली पत्नी २५ वर्ष से कम आयु की कदाचित ही मिल सके। कक्षाएँ पास करने का जो नियम और समय लड़के के लिए है, वही लड़कियों के लिए भी है।

लड़का लड़की को देखकर विवाह के लिए पसन्द करेगा, इस मौग में कुछ बुराई नहीं है तो अच्छाई भी नहीं है। लड़का अपनी पसन्दगी की शर्त अभिभावकों को बता सकता है और फिर उनकी स्वीकृति को अपनी स्वीकृति कह सकता है।

रास्ता चलते लड़के-लड़की आपस में एक नजर से देख लें तो हर्ज भी नहीं है। पर उस शर्त को पूरी रस्म के साथ सम्पन्न किया जाय और फिर इन्कार कर दिया जाय तो उसे लड़की का प्रत्यक्ष अपमान ही कहना चाहिए। यह अपमान यदि कई जगह से हो तो लड़की की भावुक मनोभूमि पर इसका बहुत बुरा असर होता है। इस बात को इस तरह समझना चाहिए कि लड़के की कोई बहिन विवाह लायक हो और वह लड़के द्वारा देखे जाने और अस्वीकृत किये जाने के फेर में पड़ जाये तो उसकी प्रतिक्रिया बहुत बुरी होगी। कई स्वाभिमानि लड़कियाँ तो आवेश में तत्काल नौकरी ढूँढ लेती हैं। अपनी इच्छा विवाह की न होने की बात कहकर अपनी छोटी बहिन का विवाह करने की बात कह देती हैं। कई बार ऐसे अवसर भी आते हैं कि कमाऊ बहू की आमदनी के लालच में कई कम कमाने और गृहस्थी का खर्च अधिक होने वाले लड़के ऐसे विवाहों को लालचवश स्वीकृति देते हैं। किन्तु वे इस तथ्य को भूल जाते हैं कि लड़की इतनी भोली नहीं है कि वह मूल कारण को भूल गई होगी और जो कमाती होगी वह सास के बटुए में जमा करती रहेगी। कमाऊ लड़कियाँ आमतौर से अपनी आमदनी का धन अपनी जेब में रखती हैं। जरूरत के वक्त ही उनसे खुशामद-दरामद करके कुछ लिया जा सकता है। नौकरी भी करें और बाल-बच्चों का पालन-पोषण गृहस्थी का काम-धाम भी वे ही सँभाले ऐसा कोई नितान्त भोलेपन या मजबूरी में ही करती होगी।

गृहस्थी का उद्देश्य पुराने परिवार को सुविकसित करना और नये परिवार को सुयोग्य बनाना है। पति कमाने का कार्य-क्षेत्र सँभाले और पत्नी गृहलक्ष्मी की भूमिका निवाहे, तभी बात बनती है। इसकी पात्रता और योग्यता जिन लड़कियों में है, वे ही ससुराल में जाकर घर सँभालतीं और विवाह का उद्देश्य पूरा करती हैं। इस प्रयोजन की पूर्ति के लिए सिनेमा स्टाइल की रूपवती चंचल प्रकृति की लड़कियाँ प्रायः असफल ही रहती हैं। लड़के स्वयं देखकर लड़की को पसन्द करें यह बात इसी कारण मानी जा सकती है कि कोई सिर-फिरी बचकानी प्रकृति का लड़का अपने पल्ले बँधी लड़की को हैरान न करे अथवा अभिभावकों को ताने न दे। इस बात को मानने की मजबूरी हो तो उसे रास्ता चलते ही एक आँख से दिखा देना चाहिए ताकि दस जगह यह शेखी न बघारता फिरे कि मैंने

अमुक लड़की देखी, नापसंद करदी, अमुक को रद्द कर चुका हूँ । उससे अधिक सुन्दरी हो तो बात कीजिए अन्यथा पहले से ही रद्द मान लीजिए । ऐसे बहुत से रद्द करते फिरने वालों को भले लोग पहले से ही मनचला कहकर बात करना ही आरम्भ नहीं करते ।

लड़की-लड़कों की पसंदगी के उपरान्त अगला प्रश्न दहेज का चलता है । ऐसे मनचलों का सौदा उनके अभिभावकों से नहीं करना पड़ता वरन् उनकी खुद की नाक पर मक्खी बैठती है । अपने आप को जो कुछ उन्होंने समझ रखा है उसके अनुरूप न केवल देवी-अप्सरा जैसी लड़की चाहिए वरन् कुबेर जैसा दहेज दाता ससुर भी चाहिए । इसके उपरान्त विवाह की रस्म के समय घर-दोस्तों के सामने चित्र-विचित्र नखरे दिखाने के लिए उचित-अनुचित फरमाइशों के सरंजाम लगा देते हैं । कमी रहने पर ऐसी नाराजगी दिखाते हैं, ताकि सब लोग उनकी खुशामद करें । इसके लिए कोई कारण होना आवश्यक नहीं । आत्म-श्लाघा किसी न किसी तरह पूरी होनी चाहिए । इसके लिए जब बहाना ही ढूँढना रहा तो कुछ न कुछ निकल ही आता है । विवाह के समय विलायत जाने का पढ़ाई खर्चा—मोटर गाड़ी जैसी फरमाइशें, वीडियो आदि ऐसे ही लोग माँगते और न दे सकने वालों से गिड़गिड़ाने का झमा कराने का स्वाँग ऐसे ही लोग बनाते हैं ।

यह विकृत 'अहम्' है, जो रूपवती कन्या ढूँढने से आरम्भ होता है । विवाह के समय नखरे करने से लेकर वहाँ तक चलता है जहाँ लड़की के साथ अतिवादी व्यवहार करते हैं । वो तो घर वालों के साथ शिष्टाचार तक नहीं बरतने देते और सुहागरात मनाने के लिए काश्मीर जाने के लिए हजार दो हजार खर्च करते हैं या फिर लड़की के साथ धोंस जमाने, नखरे दिखाने और रौब गँठने का सिलसिला आरम्भ करते हैं । यह सब विकृत 'अहम्' के चिन्ह हैं । ऐसे लड़कों के साथ या तो बहुत चालाक लड़कियाँ निभती हैं या फिर रो-रो कर दिन बिताने वाली ।

सिनेमा बाज ऐसे लड़के गली-कूचों में सर्वत्र भरे पड़े हैं । चूँकि लड़की वालों की तलाश अधिक है, हर छोटी उपजाति में ही लड़के ढूँढने का आग्रह रहता है । इस सीमित दायरों में लड़की वालों की ढूँढ़ खोज अधिक रहती है और लड़के कम पाये जाते हैं । एक ही लड़के वाले के यहाँ अनेक लड़की

वाले पहुँचते हैं । यह संख्या जितनी बढ़ती है, उतने ही उनके दिमाग खराब होते जाते हैं ।

यह स्थिति का विश्लेषण है जिसका सामना अधिकांश लड़की वालों को करना पड़ता है । वस्तुस्थिति समझते हुए ही लड़के तलाश करने चाहिए । सद्गृहस्थ यदि लड़की को बनाना हो तो उन लड़कों पर नजर डालनी चाहिए, जो गृहस्थी किसे कहते हैं और उसे निभाया कैसे जाता है, यह जानते हों । लड़का ढूँढते समय लड़की वाले को कुछ बातों का ध्यान विशेष रूप से रखना चाहिए । एक यह कि लड़के के कई बहिनें हैं या नहीं और उन बहिनों का विवाह करते समय जो समस्याएँ सामने आती हैं, उनका सामना करना पड़ा है या नहीं । यदि करना पड़ा होगा तो उन्हें विदित होगा कि लड़की वालों को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ।

जीवन-साथी के चुनाव के आधार

प्रत्येक युवक-युवती गृहस्थ-जीवन में प्रवेश के पूर्व एक रहस्यमय कल्पनालोक में रहते हुए भावी गृहस्थी की झँकियाँ देखता और विचार करता है । आशाओं-आकांक्षाओं के एक विशाल भवन का वह कल्पना-लोक में निर्माण करता है । युवक की इच्छा रहती है कि उसकी भावी जीवन-सहचरी में परी-सा सौन्दर्य हो, ब्रह्मवादिनियों-सा तेज हो, विद्वत्ता और संस्कृति की छाप उसमें स्पष्ट दिखाई पड़े, परिश्रमी भी पर्याप्त हो, ताकि घर-गृहस्थी की झंझटों से उसे मुक्त ही रखे । माता-पिता और परिवार के सदस्यों की देखभाल में सदा तत्पर रहे, सहिष्णु हो, उदार हो, सेवाभावी हो, कठिनाइयों को हँसकर झेल ले आदि-आदि । युवती तो संवेदना और भावना की प्राण-प्रतिमा ही है । उसके भी सपने कम ऊँचे क्यों हों ? वह भी चाहती है—सुन्दर-आकर्षक सुसंगठित शरीर, निर्मल चरित्र, सम्पूर्ण निष्ठा । जब उससे अकरमात् कोई गलती हो जाय तो पति हँसकर क्षमा करदे, भरपूर प्यार दे, साथ में खूब घुमाए, उसके मनोरंजन का सदा ध्यान रखे, अधिक से अधिक समय उसके साथ रहे, समाज में प्रगति करे एवं प्रतिष्ठा प्राप्त करे, उसकी सुविधाओं का सदा ध्यान रखे, पर्याप्त आमदनी वाला हो और पत्नी के लिए खर्च करने में उदार हो आदि ।

स्पष्ट है कि ये सभी आकांक्षाएँ बहुत अतिरंजित नहीं हैं । एक ही व्यक्ति में इन सभी गुणों का होना असम्भव नहीं

है । परन्तु विश्व की यथार्थता कुछ और ही है । यहाँ हर प्रकार की विशेषताएँ एक ही व्यक्ति में मिलनी बहुत कठिन हैं । फिर समाज-व्यवस्था की भी महत्त्वपूर्ण भूमिका है । वर्तमान में सामाजिक-व्यवस्थाएँ इतनी विषम और विकृत हो चुकी हैं कि शिक्षा, स्वास्थ्य और उन्नति के अवसर सबके लिए समान नहीं हैं । किसी को लाख प्रयत्नों के बावजूद पोषक आहार नहीं मिल पाता, अतः शरीर उतना सुसंगठित नहीं हो पाता । तो किसी के पास शिक्षा भी है, स्वास्थ्य भी है, किन्तु आर्थिक समृद्धि नहीं है । अतः पत्नी के लिए डटकर पैसे खर्च कर सकने की स्थिति में उसके होने की कोई सम्भावना नहीं है । कोई भावनाशील है तो कुछ क्रोधी भी है, कोई हैसमुख और उदार है, किन्तु परिश्रमी कम है । ऐसी स्थिति में विश्व की कठोर वास्तविकताओं का ध्यान रखना ही होगा । अन्यथा कल्पना कभी भी पूरी न हो, सकेगी और मन में असन्तोष बना ही रहेगा । अतः आवश्यक यह है कि विवाह के पूर्व ही इस यथार्थ को भली-भाँति हृदयंगम कर जीवन-साथी के चुनाव के समय उन गुणों और विशेषताओं को प्राथमिकता दी जाये, जो सफल, प्रगतिशील दाम्पत्य-जीवन के लिए आवश्यक है ।

यहाँ एक दूसरा प्रश्न उभर आता है । सफल दाम्पत्य-जीवन की धारणा क्या है ? यदि गृहस्थ-जीवन की सफलता से तात्पर्य मजा-मौज उड़ाने भर से है, तो यह इच्छा सारी सुविधाएँ विद्यमान होने पर भी अधिक समय तक पूरी हो सकेंगी, इसमें सन्देह ही है । निरे मजा-मौज की प्रवृत्ति से व्यक्ति का आन्तरिक तत्त्व तेजी से नष्ट होगा और समस्त साधनों-सुविधाओं के होते हुए भी थोड़े ही दिनों में मनस्ताप की स्थिति या उपस्थिति होगी । यदि साधन-सुविधाएँ कुछ कम हैं, तब तो यह मजा-मौज थोड़े दिन भी चलने वाली नहीं और विवाह के कुछ ही दिनों बाद तनाव, अतृप्ति तथा खीझ की भावनाएँ दोनों ओर से उभरने लगेंगी ।

इसलिए गृहस्थ-जीवन में प्रवेश के पूर्व इस नयी भूमिका को स्वीकार करने का उद्देश्य स्थिर कर लेना आवश्यक है । यह बात अच्छी तरह समझ लेने योग्य है कि यदि विवाह का उद्देश्य शारीरिक सुख की सुनिश्चित व्यवस्था करना है, तो शीघ्र ही हताशा और पछतावा हाथ लगने वाला है । यदि मात्र अभिभावकों की इच्छा से दाम्पत्य-जीवन प्रारम्भ किया

जा रहा है, तब तो यह मनुष्य के लिए सर्वाधिक हीन स्थिति है । जिस कार्य की आवश्यकता एवं औचित्य स्वयं के ही मन में स्पष्ट न हो, उसे करने चल देना—गुलामी की ही स्थिति कही जा सकती है । धन-सम्पत्ति का लोभ यदि विवाह का प्रेरक-तत्त्व हो तो उस दृष्टि से यह मार्ग बहुत लम्बा और महँगा सिद्ध होगा । धन-सम्पत्ति तो परिश्रम और व्यवसाय-कौशल से ही मिलने पर अपनी होती है । विवाह के रूप में समृद्धि का 'शार्टकट' तलाशना या स्वयं की सौदेबाजी करना बहुत अधिक घाटे का सौदा सिद्ध होने वाला है । उस सम्पत्ति का उपभोग बहुत बड़ी कीमत चुकाने पर ही हो सकेगा—इतनी बड़ी कीमत कि उसे चुकाने पर मन अन्तर्दाह से भर उठेगा और उपभोग का आनन्द रंचमात्र भी न मिल पायेगा । जिसके कारण वह सम्पत्ति आई है, वह एक चेतन जीव है । अतः वह इस तथ्य से बेखबर नहीं रह सकता कि वस्तुतः यह सम्पत्ति उसकी अपनी है, उसके पिता की है और यह व्यक्ति इसके द्वारा खरीदा गया है । ऐसे में दोनों के बीच समानता की वह सहज भावना कभी भी आने से रही, जो प्रगति, सुख, सन्तुष्टि और तृप्ति के लिए अनिवार्य है ।

रूपाकर्षण भी दाम्पत्य-जीवन की सफलता का कभी आधार नहीं हो पाता । इसके विपरीत यदि रूपाकर्षण की प्रवृत्ति अधिक प्रबल हुई तो मन अतृप्ति, अस्थिरता और अन्तर्दाह से निरन्तर जलता रहता है । जीवनसंगिनी का चुनाव करते समय मात्र रूप पर अधिक ध्यान देने वाले उसके आन्तरिक गुणों को तो देखना दूर, स्वास्थ्य जैसे बाह्य-गुण तक को देखना भूल जाते हैं । इसी प्रकार पुरुष का सौन्दर्य मात्र देखने वाले भी उसके स्वास्थ्य को गौण स्थान दे देते हैं, जबकि अच्छा स्वास्थ्य जीवन में किसी भी सुख की अनुभूति के लिए सर्वप्रथम आवश्यक है । ऐसी अनेक घटनाएँ देखने में आती हैं, जब सुशिक्षिता, रूपवती नारी भी दुर्बल स्वास्थ्य के कारण दाम्पत्य-जीवन का बोझ नहीं सँभाल पाई और जीवन एक भार बनकर रह जाता है । पति अस्वस्थ हुआ और सुन्दर हुआ, तो भी कुछ ही दिनों में पत्नी को उस सौन्दर्य की निस्सारता स्पष्ट दिखने लगेगी । वह न तो जीवन-संग्राम में विजयी हो सकेगा, न ही वैसी ऊष्मा से भरा सान्निध्य दे सकेगा, जिसकी कि पत्नी, पति से अपेक्षा करती है ।

अच्छे स्वस्थ पुरुष का अर्थ यह नहीं कि वह बहुत मोटा-तगड़ा हो। अपितु उसमें परिश्रम की स्वाभाविक प्रवृत्ति हो और कोई रोग न हो। यदि किसी पुरुष ने आराम और पर्याप्त पोषक-आहार से शरीर मात्र सुगठित बना लिया है और जीवन-विकास के लिए वांछित अन्य गुण उसमें विकसित नहीं हो सके हैं, तो वह स्वास्थ्य किसी काम का न सिद्ध होगा।

इसी प्रकार अच्छी स्वस्थ स्त्री का मतलब यह नहीं कि वह खूब मोटी-तगड़ी हो। हाँ, यह आवश्यक है कि उसकी हड्डियाँ न निकली हों, शरीर में रक्त पर्याप्त हो और चेहरे पर ओज हो। काम करने में चुस्त हो, सुस्त न हो तथा गम्भीर रोगों से ग्रस्त न हो।

स्वास्थ्य के बाद दूसरा आवश्यक गुण है, उदार मनोभाव। विवाह एक संयुक्त संकल्प है। इसका सम्यक् निर्वाह तभी सम्भव है, जब दोनों में एक-दूसरे के प्रति उदारता व सहनशीलता का भाव हो। विवाहित-जीवन में ऐसे अनेक अवसर आते हैं, जब थोड़ी-सी जल्दबाजी और असहिष्णुता से तिल का ताड़ बन जाता है। क्षणभर का असंयम लम्बे समय तक क्षोभकारी छाप छोड़ जाता है। सहिष्णुता का अर्थ अनौचित्य को सहते रहना नहीं है। न ही उदारता का यह अभिप्राय है कि अन्यायमूलक, गर्हित आचरण के प्रति उपेक्षा-भाव रखा जाय। किन्तु जब यह स्पष्ट हो कि क्रोध या आवेश क्षणिक है या बात छोटी-सी है, तो उस समय उग्र प्रतिक्रिया न की जाय और छोटी-मोटी कमियों की कठोर भर्त्सना न की जाये। सहिष्णु स्वभाव का अर्थ दबूपन नहीं समझना चाहिए। यदि कोई नारी परिवार की कटु-परिस्थितियों का आघात चुपचाप झेलती जाती है और मन ही मन सुलगती रहती है तो इससे स्वयं उसका स्वास्थ्य तो नष्ट होता ही है, भीतर सुलग रहा घुँआ भी कभी किसी क्षण विशेष में भयानकता के साथ विस्फोटक रूप में प्रकट होता है और गहरा दूषित प्रभाव अंकित कर जाता है।

इसीलिए हँसमुख-स्वभाव होना भी आवश्यक है। हँसमुख होने और छिछोरेपन में अन्तर स्पष्ट है। अनावश्यक, निर्लज्ज, हा-हा, हू-हू तथा अगम्भीरता शीघ्र ही विरक्ति पैदा करने लगती है। नारी यदि बहुत अधिक हँसोड़ हुई और किसी गम्भीर प्रसंग में भी उसने हल्का-फुल्कापन दिखा दिया तो पति उससे गहरी आत्मीयता का अनुभव कदापि नहीं कर

सकता। इसी प्रकार प्रथम-दृष्टि में बहुत विनोदी दिखने वाले पुरुष भी गृहस्थ-जीवन में या तो तुनकमिजाज निकलते हैं या फिर इतने लापरवाह कि पत्नी की व्यथा की उन्हें चिन्ता ही नहीं हो, वे अपने ही धूम-धड़ाके, विनोद, अट्टहास में मस्त रहे आये। यह हँसमुख होना नहीं, विदूषक होना है। हँसमुख होने का अर्थ है—सदा हल्के-फुल्के रहना, बात-बात से मुँह न लटकाना और प्रफुल्ल-प्रसन्न रहे जाना। ऐसे व्यक्ति का चेहरा भीड़ में भी अलग दिखता है। मृदु-हास्य की मधुरता चेहरे को खिला रखती है। सभी के साथ उसके व्यवहार में कोमलता रहती है। नर-नारी दोनों के लिए यह गुण अत्यधिक मूल्यवान है। मृदु-स्वभाव की गृहिणियाँ ही परिवार के सभी सदस्यों से उत्तम व्यवहार करती हैं। प्रेम का शासन सदा कठोर शासन से अधिक शक्तिशाली होता है। घर के नौकरों तथा इसी कोटि के अन्य लोगों से भी प्रेमपूर्ण मृदुव्यवहार ही अधिक सफल सिद्ध होता है। कठोरता से विरोध और दुर्भाव ही पनपता है। हँसमुख, मृदुल स्वभाव वाले लोग अपने चारों ओर सच्चे हितैषी एकत्र कर लेते हैं। जबकि रुक्षता से दूरी और दुराव बढ़ता है।

इन सबके साथ, सर्वोपरि आवश्यक गुण है—परिश्रमशीलता। इस संसार में बिना परिश्रम के प्रगति सम्भव नहीं है। आलसी पुरुष और स्त्री समाज के लिए हर प्रकार से हानिकारक हैं। आलस्य का विष शरीर को तो विनष्ट करता ही है, मन-मस्तिष्क को भी प्रमादी व पंगु बना देता है। ऐसा मन संकुचित व कलुषित होता जाता है। मस्तिष्क की स्फूर्ति नष्ट हो जाती है।

परिश्रम के गुण से वंचित युवती कभी भी सुयोग्य गृहिणी नहीं बन सकती। उसे परिवार बसाने की कल्पना ही छोड़ देनी चाहिए। परिश्रम न करने वाला युवक समाज की भाग-दौड़ में कहीं भी ठहर नहीं सकता। उसके पल्ले सदा अभाव, अपमान, अवज्ञा और अवनति ही पड़ने वाली है। मात्र परिश्रमी युवक-युवती ही जीवन-लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ सकने की सोच सकते हैं। उनके ही व्यक्तित्व का विकास होता रह सकता है। सफलता उनका ही वरण करती है। चाहे सभी विभूतियाँ पहले से प्राप्त हों, किन्तु यदि परिश्रम की प्रवृत्ति न रही, तो वे सभी विभूतियाँ एक-एक कर देर-सवेर में विलुप्त हो ज़रने वाली हैं।

इन उभय-पक्षीय गुणों के साथ ही, एक विशेष गुण, जो लड़की में देखा जाना आवश्यक है, वह है—गृह-कला एवं गृह-व्यवस्था में उसकी प्रवीणता का । जो नारी गृह-प्रबन्ध में रुचि न रखती हो, वह पारिवारिक-दायित्वों को सँभाल न सकेगी । अन्य क्षेत्रों में वह कितनी भी प्रतिभा-सम्पन्न हो, पर गृह-कला में निपुण न हुई, तो उसे दैनन्दिन-जीवन में तनाव तथा परेशानी का ही सामना करना पड़ेगा । पति की आर्थिक-कठिनाइयों को भी गृह-कला में निपुण नारी ही समझ और समझा सकती है ।

इस प्रकार विवाह के पूर्व जिन बातों पर ध्यान देना जरूरी है, वे रूप या धन नहीं । अपितु स्वास्थ्य, प्रकृति या स्वभाव, रुचियाँ तथा समझ या प्रतिभा है । रूप के स्थान पर स्वास्थ्य की ओर ध्यान देना अधिक आवश्यक है, उसी प्रकार धन के स्थान पर गुण-सम्पदाएँ तथा शिक्षा की उपाधियों के स्थान पर प्रतिभा और समझदारी देखी जानी चाहिए । गुण-सम्पदाओं में सन्तुलन और सहिष्णुता दाम्पत्य-जीवन की आधारभूत आवश्यकताएँ हैं । रूप-गर्विता या ज्ञान-गर्विता नारी भी गृहस्थ-जीवन में सफल नहीं हो पाती ।

जीवन-साथी के चुनाव में इसीलिए सावधानीपूर्ण निरीक्षण आवश्यक है । भावावेश से हानि होगी । हृदय और मस्तिष्क दोनों को शान्त, सन्तुलित रखकर, भली-भाँति देख-परखकर निर्णय किया जाना चाहिए । अधिक अच्छा होगा कि स्वयं निर्णय लेने के पूर्व परिपक्व मित्रों और दुनिया देख चुके बुजुर्गों का परामर्श भी ग्रहण किया जाय । परिवार के वयोवृद्धों की बात को आँख मूँदकर मानने में यदि हानि है, तो उनके परामर्श की उपेक्षा भी हानिकर रहेगी । उनकी सलाह अवश्य लेनी चाहिए ।

वर-वधू का चुनाव कैसे करें ?

विवाह मानव जीवन की एक बहुत बड़ी घटना है । इससे मनुष्य के जीवन में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है । विवाह सम्बन्धों पर जनसाधारण के जीवन की सफलता-असफलता, सुख-शान्ति, उन्नति-विकास आदि निर्भर करते हैं । पति-पत्नी का ठीक-ठीक चुनाव होगा तो वे एक-दूसरे के लिए सहायक सिद्ध होंगे । उनका जीवन आनन्दमय रहेगा । दोनों अपने सम्मिलित प्रयत्नों से उन्नति की ओर अग्रसर हो सकेंगे ।

इसके विपरीत वर कन्या के चुनाव में असमानता अनियमितता रहेगी तो, दोनों का जीवन दूभर हो जायेगा । उनके जीवन में नारकीय वातावरण बन जायेगा । परस्पर एक-दूसरे के लिए बोझ बन जायेंगे । उन्नति के लिए बाधक सिद्ध होंगे । इसलिए वर-कन्या का ठीक-ठीक चुनाव एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सूझबूझ का काम है । इसमें की गई तनिक-सी भूल दोनों के जीवन को बिगाड़ देती है ।

एक समय था जब हमारे यहाँ विवाह वर-कन्या की बहुत छोटी अवस्था में ही कर दिया जाता था । इससे एक लाभ था कि कन्या बचपन से ही पति गृह में रहने की और वहाँ के वातावरण के अनुकूल बनने की अभ्यस्त हो जाती थी । लेकिन इससे लड़के-लड़कियों के जीवन विकास की सम्भावनाएँ ही प्रायः नष्ट हो जाती थीं । लड़कियाँ केवल घर की व्यवस्था करने की मशीन मात्र बनकर चहारदीवारी में घिरी रहती थीं । लड़के भी असमय में ही गृहस्थी के भार से दब जाते थे ।

आज की बदलती हुई सामाजिक परिस्थितियों व्यवस्थाओं मान्यताओं के कारण पुराने आधार प्रायः अनुपयुक्त होते जा रहे हैं । शिक्षा, औद्योगिक-विकास, संसार की विभिन्न संस्कृतियों के सम्मेलन के कारण विवाह सम्बन्धों के आधार भी बदलते जा रहे हैं । टूटती हुई सम्मिलित परिवार व्यवस्था के कारण यह आवश्यक हो गया है कि लड़के-लड़की योग्य और समर्थ हों, अपना भार स्वयं वहन करने में । बढ़ते हुए बुद्धिवाद विचारशीलता के कारण यह भी आवश्यक हो गया है कि लड़के-लड़की एक-दूसरे को समझ कर विवाह सूत्रों में बँधें अन्यथा अब वह समय नहीं रहा जबकि एक के अयोग्य होने पर भी दाम्पत्य जीवन-निभता रहता था । आजकल पति-पत्नी का मतभेद कलह, अशान्ति, तलाक, आत्महत्या तक के परिणाम उपस्थित कर देता है । हमारे यहाँ अभी यह प्रणाली चल रही है कि विवाह सम्बन्ध माता-पिता या अभिभावकगण तय कर लेते हैं लेकिन इसके दूरगामी परिणाम निकलते हैं और उनके दाम्पत्य जीवन की गाड़ी का चलना मुश्किल हो जाता है । पति-पत्नी के स्वभाव, विचार, रहन-सहन में एकरसता नहीं रहती । इसी तरह बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो अपनी सभ्यता संस्कृति की मर्यादाओं को भूलकर

विदेशी परम्पराओं का अनुगमन करते हैं। लड़के-लड़कियों में तनिक प्रेम हुआ कि विवाह का प्रस्ताव पैदा हुआ। चटपट विवाह भी हो गये। लेकिन ऐसे प्रेम-विवाहों की सफलता अभी तक संदिग्ध रही है। अधिकांश का परिणाम तलाक और पारस्परिक संघर्ष के रूप में ही मिलता है। इसी तरह विवाह सम्बन्धों में वर-वधू के चुनाव के आधार, मान्यताएँ बहुत कुछ बदल गई हैं किन्तु अभी इन्हें स्पष्ट और सर्वसम्मत नहीं माना जा सकता। पुरानी परम्पराओं का ही न तो आँख मीच कर अनुसरण किया जा सकता है, न नई मान्यताओं को ही एकदम अपनाया जा सकता है। वर-कन्या के चुनाव में हमें मध्यम मार्ग का अनुसरण करना पड़ेगा। प्राचीन और अर्वाचीन मान्यताओं को ध्यान में रखकर इस पर निर्णय करना होगा।

क्या वर-कन्या का चुनाव माँ बाप अथवा अभिभावकगण करें या यह प्रश्न केवल लड़के-लड़कियों पर छोड़ दिया जाय? ये दोनों ही व्यवस्थाएँ अपने आप में अपूर्ण हैं। क्योंकि गृहस्थ की गाड़ी लड़के-लड़कियों पर ही चलेगी माँ-बाप पर नहीं। इसलिए उन्हें एक-दूसरे को समझने-बुझने की आवश्यकता है। विवाह-सूत्र में बँधने से पूर्व विवाह का उद्देश्य, महत्त्व, उसका उत्तरदायित्व समझने की क्षमता भी उनमें होनी चाहिए। जब माँ-बाप अपनी रुचि के अनुसार वर-कन्या का चुनाव कर देते हैं तो आगे चलकर इनमें से बहुतों का दाम्पत्य जीवन विषाक्त हो जाता है, पति-पत्नी के स्वभाव, संस्कार विचार भावनाएँ आगे चलकर नहीं मिलते। लेकिन यह भी निश्चित है कि अनुभवहीन लड़के-लड़की अक्सर भावनाओं के आवेग में बह जाते हैं। वे एक-दूसरे को नहीं समझ पाते और गलत निर्णय कर डालते हैं और इस तरह के विवाह भी आगे चलकर परिणाम में अहितकर ही सिद्ध होते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि दोनों के मध्य का मार्ग अपनाया जाय।

लड़के-लड़कियों को परस्पर एक-दूसरे को समझने-बुझने का अवसर दिया जाय यह आवश्यक है। यह अच्छा है कि वे एक-दूसरे को समझ लें, जान लें। परस्पर के विचार आदर्शों से परिचित हो जायें किन्तु यह स्वतन्त्र न होकर माता-पिता की सहमति से ही होना चाहिए।

इस सम्बन्ध में देवदास गाँधी (महात्मा गाँधी के पुत्र) के विवाह की घटना प्रेरणास्पद है। निकट सम्पर्क में रहने पर देवदास जी और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी की पुत्री में प्रेम हो गया, जो आगे चलकर दोनों के अभिभावकों के समझ विवाह प्रस्ताव के रूप में आया। गाँधी जी और राजाजी ने इस सम्बन्ध में विचार करके निर्णय किया कि पाँच साल तक यदि इनका प्रेम स्थायी रहा तो विवाह कर देंगे। दोनों ने पाँच साल तक प्रतीक्षा की और पवित्र जीवन बिताया। इस परीक्षा के बाद भी जब इनका प्रेम स्थायी पाया गया तो विवाह कर दिया गया। इसी तरह जब तक प्रेम की परीक्षा न हो जाय, वह आन्तरिक और शुद्ध न हो तब तक प्रेम-विवाहों को टाल देना ही श्रेयस्कर होता है। स्मरण रहे भावावेश का नाम प्रेम नहीं है।

ऐसे विवाह तो हमारी संस्कृति और आदर्शों तथा भावी दुष्परिणामों की दृष्टि से सर्वथा त्याज्य है जिनमें अनुभवहीन बालक-बालिकायें माँ-बाप की नजर बचाकर अपने पड़ोस में या कहीं सम्पर्क में आने पर परस्पर प्रेम कर बैठते हैं। इससे कई लड़कियाँ अनगढ़, असंस्कृत, आवारा लड़कों के प्रेम में फँस जाती हैं तो कई लड़के चरित्रहीन, उच्छुंखल लड़कियों के चक्कर में उलझ जाते हैं।

विवाह सम्बन्धों में धन को कभी महत्त्व न दिया जाय। वर-वधू का चुनाव इस दृष्टि से करना कि वर अधिक धन सम्पत्तिवान् है या वधू के यहाँ से देहेज अधिक मिलेगा तो यह तो बड़ी भूल है। धन की प्रतिष्ठा देकर वर-वधू के गुण, कर्म, स्वभाव, स्वास्थ्य आदि के प्रति उपेक्षा बरतना उनका भावी जीवन नष्ट करना है। क्योंकि धनवान होकर भी लड़का चरित्रहीन, लम्पट, बदमाश, गुण्डा हो सकता है। उधर अधिक देहेज का लोभ देकर कई शारीरिक दृष्टि से अयोग्य खराब स्वभाव की लड़कियाँ सरलता से ब्याही जा सकती हैं। इसके अतिरिक्त धनी घरानों की लड़कियों के रहन-सहन का स्तर, उनकी माँगें बहुत महँगी होती हैं जिन्हें पूरा करने की गम्भीर समस्या आगे चलकर पैदा हो जाती है। अतः वर-वधू के चुनाव में धन का मूल्यांकन गलत है। इस सम्बन्ध में इतना तो देखना चाहिए कि लड़का खाता-कमाता हो, अपने जीवन निर्वाह में सक्षम हो। इससे अधिक माली हालत को गौण समझना चाहिए।

विवाह कब किया जाय ? इसका एक ही उत्तर है कि जब लड़के-लड़की सयाने हो जायें, अपने जीवन, उत्तरदायित्व का भार स्वयं वहन करने में समर्थ हो जायें । वयस्क हों किन्तु अपना भार स्वयं उठाने में असमर्थ हों तो ऐसे लड़के-लड़कियों का विवाह भी आज के युग में अनुपयुक्त ही है । बाल-विवाह, अल्पवयस्कों के विवाह के लिए तो कोई गुंजायश ही नहीं है । इस तरह के विवाह तो सभी भ्रष्टाचार हैं ।

वर-वधू चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण बात स्वास्थ्य के विषय में देखने की है । दोनों में से कोई भी शारीरिक दृष्टि से अयोग्य अथवा रुग्ण हो तो विवाह नहीं करना चाहिए । क्योंकि इससे उन दोनों का ही नहीं दो परिवारों का जीवन दुःखद बन जाता है । उनकी सन्तान भी रुग्ण पैदा होती है जिससे इन बच्चों को तथा सारे समाज को उनके भार का त्रास ही सहना पड़ता है । शारीरिक या मानसिक दृष्टि से अशक्त-अक्षम लोगों को विवाह नहीं करना चाहिए । हर बालक का विवाह अवश्य ही किया जाना चाहिए यह मनुष्य की भारी भूल है । जो गृहस्थ की जिम्मेदारियों को शारीरिक, मानसिक या आर्थिक कारणों से ठीक तरह उठा सकने में असमर्थ हैं उनके लिए विवाह से बचे रहना, अविवाहित रहकर आनन्द से जीवन-यापन करना ही उचित है ।

लड़की मध्यवृत्ति के लड़के को दें

दहेज की माँग, कम मिलने पर लड़की का, उसके पिता का तिरस्कार, गला घोट देने, तेल छिड़ककर जला देने, दूसरा विवाह कर लेने आदि के कितने ही संकट नव-वधुओं को सहने पड़ते हैं । शिक्षा और सभ्यता के साथ-साथ यह सोचा गया था कि इस प्रकार नारी का उत्पीड़न देखने-सुनने को न मिलेगा । मध्ययुग में अछूतों और स्त्रियों को पशु-सम्पत्ति की तरह गिना जाता था । उनके साथ ऐसे व्यवहार करने की सूरत थी जिन्हें सभ्य समाज में बर्बर कहा जाता है । दास-दासी खरीदने-बेचने के जमाने से ही यह रिवाज रहा होगा कि किसी खाले-पीते घर में अपनी लड़की पहुँचाने के लिए मुँहमाँगी रिश्वत दी जाय । न केवल विवाह के समय वरन् जब भी ससुराल वालों की मौज आये तभी नयी फरमायश प्रस्तुत कर दें और उसकी पूर्ति न होने पर घर में आई लड़की के साथ ऐसे जघन्य व्यवहार

करें जिसे सुनकर उनके पिता-माता का कलेजा दहल उठे और जो माँगा गया है उसे अपनी चमड़ी बेचकर भी हाजिर करें ।

अनुमान था कि सामन्तवादी बर्बर युग अब बीत गया और मानवीय अधिकारी की घोषणा कार्यान्वित होने लगेगी । किन्तु आये दिन देखने-सुनने में आने वाली नव-वधुओं की हत्याओं और आत्म-हत्याओं के समाचारों की अभिवृद्धि को देखते हुए लगता है कि मूल बर्बरता जहाँ की तहाँ है । उसके नाम, रूप भर में अन्तर पड़ा है । मध्यकाल में लुटेरे सयानी लड़कियों को उठाकर ले जाते थे, उनके बाप का घर खाली कर जाते थे । तब उसका नाम डकैती या चढ़ाई था । अब उसका नाम मुँहमाँगा दहेज हो गया है । यदि विवाह से पूर्व ही सौदा कर लिया जाय तो कम से कम पशुओं की खरीद बिक्री वाले हाट-बाजार वाला तरीका अपनाया कहा जायगा । लड़की को घर ले जाने के बाद तो वह अपनी बेटी हो गयी । अपनी बेटी के साथ अनाचार करने और वधू को सताने में कोई अन्तर नहीं । वह अपना परिवार छोड़कर अकेली ही तो आई है । ससुराल वालों का पूरा समुदाय है । ऐसी दशा में उस पर कुछ भी इल्जाम लगाया जा सकता है, कुछ भी त्रास दिया जा सकता है । खरीदी हुई मुर्गी या बकरी के साथ कुछ भी व्यवहार किया जा सकता है । आज विवाह का मतलब किसी की लड़की को वधू रूप में खरीद लेना हो गया है अन्तर इतना भर है कि पशु खरीदने वाले कीमत चुकाते हैं । विवाह में लड़की देने वाले को उसकी कीमत देनी पड़ती है । इस समूचे प्रचलन को देखकर लगता है कि हम बर्बर युग की ओर फिर वापिस लौटने लगे हैं । अन्तर इतना ही है कि उन कृत्यों के ऊपर सभ्यता की चादर ओढ़ा दी जाती है । दहेज इच्छा के अनुरूप न मिलने पर त्रास देने के बढ़ते हुए समाचारों से किसी भी विचारशील को ऐसा ही अनुभव होगा ।

यूँ कहने को दहेज विरोधी एक्ट बन गया है पर उससे कोई लाभ नहीं । लेन-देन प्रकट में न होकर गुप्त रूप में होता है । इसी से झलतफहमी रह जाती है । जब खुलेआम सौदा होता था तब दोनों पक्षों का दिमाग साफ रहता था । अब इशारों से विचलितियों के मार्फत बातें होती हैं । झगड़े की जड़ यहीं से आरम्भ होती है । यदि पहले ही सौदा ठोक-पीट कर

या लिखा-पढ़ी, दस्तावेज, रजिस्ट्री आदि के रूप में हो जाया करे तो बेचारी निरीह कन्या को जो त्रास सहना पड़ता है वह न सहना पड़े। कानून पास होने की अपेक्षा वह न होता तो अच्छा रहता। रिश्वतखोरी, व्यभिचार, जुआ आदि के विरुद्ध कानून बने हुए हैं पर उन अपराधों को दोनों पक्ष मिलजुलकर सहमति से करते हैं, ऐसी दशा में कानून क्या करे ?

वर पक्ष को कोसते बहुत दिन हो गये, पर इतने भर से काम चलता नहीं दीखता। अब कदम लड़की वाले को उठाने पड़ेंगे। एक पक्ष अपना दृष्टिकोण सुधार ले तो दूसरा पक्ष उतनी मनमानी नहीं कर सकता जितना कि इन दिनों कर रहा है। सुधारना लड़की के पिता को भी होगा। कहीं गलती उसकी भी रहती है। उसे सुधार लिया जाय तो समस्या का तीन-चौथाई समाधान हो सकता है। इस सम्बन्ध में कुछ सुझाव इस प्रकार हैं—

(१) उपजातियों के छोटे दायरे में मालदार लड़के सीमित होते हैं। लोग उन्हीं पर घुटने टूटकर पड़ते हैं। फलतः बेटे वालों के नखरे बढ़ते जाते हैं। काम न चले तो जातिमात्र को पर्याप्त समझें। ब्राह्मण, ठाकुर, वैश्य, कायस्थ आदि इसके अन्तर्गत जो उपजातियों का जंजाल फैला है, उसे दिमाग से निकाल दें।

(२) लड़का ऐसा तलाश करें जो काम-धन्धे में लगा हो। घर वालों का आश्रित न हो।

(३) योरोप औंधी-तूफान की तरह अपने देश में उड़ता चला आ रहा है। कोई विवाह कितने दिन टिकेगा, इसका भरोसा दिन-दिन कम होता जा रहा है। लड़की को इस योग्य बनाने के बाद विवाह करें कि वह आड़े वक्त में अपना गुजारा अपने पैरों पर खड़ी होकर कर सके।

(४) दहेज विशुद्ध छी-धन है। जो देना हो उसका प्रदर्शन न करें। विवाह के तीन वर्ष बाद उसे फिक्स डिपोजिट में लड़की के नाम डालें।

(५) लड़की को सहनशील, मृदुभाषी और साहसी बनायें, ताकि ससुराल में विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य रख सके। निर्वाह होता न दीखे तो पिता के घर यह खोज कर रखी जाय कि अभी भी अविवाहित है।

(६) ससुराल वाले न बुलायें तो लड़की को आकर पढ़ना आरम्भ करा देना और कहीं काम में लगा देना पिता का कर्तव्य

है। उसे ठेलकर न भेजें। अनेक जगह बुलाकर जहर आदि देकर पीछा छुड़ा लेते हैं ताकि दूसरा विवाह करके नया दहेज प्राप्त कर सकें।

(७) जिसके यहाँ पहली पत्नी के साथ दुर्व्यवहार हुआ हो उसक़े यहाँ सम्पन्न घर देखकर कोई दूसरा व्यक्ति अपनी लड़की न दे।

(८) आजकल अँग्रेजी पढ़े-लिखे लड़के सिनेमा ऐक्टर जैसी लड़कियाँ तलाश करते हैं। दहेज के लोभ में विवाह तो कर लेते हैं पर पीछे शक्ल-सूरत, नाक-भौं सिकोड़ते हैं। इसलिए लड़की लड़के को विवाह से पहले अवश्य दिखालें। पसन्द करें तो ही विवाह करें दबाव न डालें।

(९) विवाह के तीन वर्ष बाद तक यही समझते रहें कि अभी आधा विवाह हुआ है। लड़की लौटकर फिर पिता के घर आ सकती है।

(१०) वर-वधू को ऐसी शिक्षा दी जाय और उपाय बताये जायें ताकि विवाह के तीन वर्ष बाद सन्तानोत्पादन की बात सोचें।

(११) लड़की को पढ़ने दें। बहुत छोटी उम्र में विवाह न करें। ससुराल सम्बन्धी सभी बातों की आवश्यक जानकारी और सामने आने वाली समस्याओं के समाधान पितृ-गृह में ही समझा देने चाहिए ताकि नयी परिस्थितियों में अकेली फँस जाने पर लड़की संतुलन न खो बैठे।

स्मरण रहे समय का प्रवाह उल्टी दिशा में चल रहा है। योरोप, अमेरिका के प्रचलन फैशन बनकर भारत पर भी सवार होते जा रहे हैं। विशेष रूप से नई पीढ़ी के अँग्रेजी पढ़े-लिखे लड़कों में। रूप की प्यास सबसे अधिक है। ऐसी दशा में यदि अपनी लड़की रूपवती और बातून न हो तो मध्यम वृत्ति का लड़का ढूँढ़ें और उसके नखरों का पहले से ही पता लगा लें। इन दिनों पढ़ाई पूरी करने से पहले ही लड़के सिगरेट, शराब के आदी हो जाते हैं। ऐसी किसी कुटेब वाले लड़के से सम्बन्ध न करें।

अच्छा हो ऐसा सुयोग ढूँढ़ें जिसमें लड़के की तरह लड़की भी कमाले लगे। प्रगतिशील देशों में दोनों कमाते हैं। इससे घर का खर्च भी अच्छी तरह चलता रहता है और कोई किसी पर हावी भी नहीं होता।

मालदार घरों के बहुत पढ़े-लिखे लड़कों की उपेक्षा करें, मध्यम वर्ग की आर्थिक दशा सुसंस्कारी परिवार और सौम्य स्वभाव का लड़का अपनी पसंदगी की कसौटी हो । कुसंगग्रस्त दुर्गुणी, आवारा एवं अपव्ययी लड़कों से बचें ।

इन कसौटियों का ध्यान रखने से लड़का ढूँढ़ने में अधिक कठिनाई नहीं पड़ेगी ।

वधुएँ ढाली जाती हैं

वर और उसके परिवार को विवाह से पूर्व ही यह समझ लेना चाहिए या समझा दिया जाना चाहिए कि दूसरे परिवार की कन्या को अपने घर में बुलाये जाने के साथ जहाँ कितने ही अधिकार मिलते हैं-वहाँ उससे भी अधिक कर्तव्य उन सब पर लदते हैं ।

विवाह के समय कुछ उपहार की उपलब्धि, उत्सव का आनन्द, पराई लड़की को अपने घर का अंग बनाने का अवसर, उसके शिशुओं में वंश परंपरा आदि के प्रत्यक्ष लाभ तो स्पष्ट ही हैं । पति उसे आनन्ददायिनी, सहकारिणी, धर्मपत्नी के रूप में प्राप्त करके अपनी अपूर्णता को पूर्णता में विकसित करता है । यह सारे लाभ उपलब्ध होने के साथ-साथ इन सबसे भारी दायित्व भी साथ ही आता है कि वधू को आजीवन सम्मान और सहकार दिया जाय । उसकी योग्यता और स्वस्थता को बढ़ाने और बढ़ाते रहने का निरन्तर ध्यान रखा जाय । आते ही उससे पूरा घर सँभालने की आशा न की जाय । जिस प्रकार अन्य कार्य व्यवस्थाओं की शिक्षा दी जाती है उसी प्रकार उसे एक नौसिखिया मानकर शिक्षा दी जाय और गलतियों को उदारतापूर्वक सहा और प्रेमपूर्वक नीच-ऊँच समझाते हुए सुधारा जाय । साथ ही उसके मन में दुर्भावनाओं की अनुभूति होने जैसा कोई अवसर न आने दिया जाय ।

वधुओं में नये खून का जोश और अनुभवजन्य होश कम होता है । यह कार्य माँ-बाप के यहाँ प्रायः कम ही हो पाता है । छोटी होने पर खेलती-कूदती रहती हैं । कुछ बड़ी होने पर स्कूल जाने लगती हैं । काम-धन्धा करने या समस्याओं को समझने सुलझाने लायक शारीरिक-मानसिक विकास भी नहीं हो पाता कि विवाह की चर्चा चल पड़ती है । इस स्थिति में विछोह निकट देखकर घर में और भी दुलार मिलता है उससे अधिक काम कराया नहीं जाता । कहा जाता है-यह काम तो सास का है वह अपनी बहू को सिखा लेगी ।

सचमुच बात भी ऐसी ही है । पति का दायित्व पत्नी को श्रेय-सम्मान देते हुए साथ-साथ की जिम्मेदारियाँ सँभालने का परामर्श देते रहना भी है । पर उसकी व्यावहारिक शिक्षा सास या जिठानी आदि को ही देनी होती है । पर यह कार्य पूरी सद्भावना और मिठास का सम्मिश्रण करते हुए किया जाना चाहिए । तिरस्कार या उपहास के साथ तो यह सब हो ही नहीं पाता । प्रताड़ना या अपशब्द कहने से तो खून में और उबाल आता है । तिरस्कार उन्हें जिद्दी और विग्रही बनने के लिए उत्तेजित करता है ।

कभी-कभी पति-पत्नी के बीच आवेश, उत्तेजना और लड़-झगड़ का भी अवसर आता रहता है । ऐसी परिस्थितियों में सास या घर की बड़ी महिलाओं की अधिक जिम्मेदारी आती है । वे बात को बढ़ने या बिगड़ने न दें । लड़के को डपटें और उसे पति के दायित्व की जिम्मेदारी का बोध करायें । पर अकेले में बहू को भी दुलारपूर्वक समझाती रहें कि पति तो बन्दर होते हैं । उन्हें जैसे-तैसे सँभालना और समझाना चाहिये ताकि सही रास्ते पर चल सके ।

अच्छी सास नवविवाहिता के आरम्भ में बन पड़ने वाले अल्हड़पन को बहुत कुछ काबू कर सकती हैं । उनके बीच पनपने वाली ढीठता को अनुशासन में बदल सकती हैं । पति को नव-वधू से बड़ी-बड़ी आशाएँ करने की अपेक्षा उसे दुलार देते हुए स्नेह सम्मान के साथ अधिक सुयोग्य और सुसंस्कारी बनाने का प्रयत्न करना चाहिए । अनगढ़ को सुगढ़ बनाने में ही पति की कलाकारिता है । सुयोग्य पत्नियाँ बनी बनाई दुकानों पर नहीं बिकती । उन्हें प्रयत्नपूर्वक सुविकसित बनाया जाता है । इस कार्य में पति एवं सास ही नहीं, पूरे परिवार का योगदान होना चाहिए । लड़की से भी अधिक लड़के को सुधारने पर ध्यान देना चाहिए । विवाहित जीवन की यही विशेषतया भारी जिम्मेदारी है ।

वधू को गृहलक्ष्मी बनाया जाय

शास्त्रकारों ने वधू को पति कुल की दासी नहीं साम्राज्ञी कहा है । ऋग्वेद का एक मन्त्र है—

साम्राज्ञी श्वशुरम् भव,

साम्राज्ञी श्वश्रूषां भव ।

नन्दरि साम्राज्ञी भव,

साम्राज्ञी अधि देवसु ।

१.६१ विवाहोन्माद : सम्पत्ता और समाधान

अर्थात्—ससुर, सास, ननद, देवर आदि पर शासन कर सकने वाली बनी ।

इसी अभिप्राय को व्यक्त करने वाला अथर्ववेद का एक मन्त्र है—

वषा सिन्धुर्वीनां साम्राज्यं सुपुत्रे वृषा ।

सम्पत्तेषु श्वसुरेषु साम्राज्युत देवेषु । ।

अर्थात्—अमृत वर्षा करने वाला समुद्र जिस प्रकार नदियों के आश्रित रहता है उसी प्रकार तुम (वधू) पति गृह जाओ और वहाँ साम्राज्ञी बनकर रहो ।

साम्राज्ञी बनने का मतलब यहाँ अधिकार जताने, अंकुश लगाने, हुकूमत चलाने या प्रताड़ना देने से नहीं वरन् कर्तव्य और प्रेम के आधार पर अपने सद्गुणों से सबका मन अपने वश में कर लेने से है । अधिकार के शासन में आये दिन विद्रोह खड़े होते रहते हैं और सत्ताधीशों को पदच्युत होते देर नहीं लगती, पर कर्तव्य पालन, प्रेम, उदारता, सेवा के आधार पर जमाये हुए शासन की नींव बहुत गहरी होती है । शासित स्वेच्छापूर्वक स्नेह बन्धनों में बँधे रहते हैं । उनसे छूटने की इच्छा करना तो दूर पकड़ में तनिक-सी शिथिलता आते देख कर भी तिलमिलाने लगते हैं ।

यह शासन ऐसा है जिसमें माता के आधिपत्य में रहने से बालक कभी इनकार नहीं करता । प्रताड़ना देने पर भी उसी से लिपटता है और उपेक्षा देखकर उदास हो जाता है । पति और पत्नी के बीच का शासन भी ऐसा ही है, वह दासी और मालिक जैसा नहीं वरन् स्वेच्छा समर्पण पर आधारित होता है और उभयपक्षी चलता है । पत्नी अपने को पति का आश्रित मानती है और पति का मन भी ठीक उसी तरह पत्नी का शासन स्वीकार करता है । इसमें आधिपत्य का आग्रह कोई नहीं करता वरन् दोनों ही एक-दूसरे से शासित रहने के कारण एक-दूसरे को स्वामी अनुभव करते हैं ।

यहाँ भक्त और भगवान जैसी स्थिति होती है । अपने को सर्वतोभावेन ईश्वर के प्रति समर्पित करने वाला अनुभव करता है कि ईश्वर ने अपने को भक्त के लिए समर्पित कर दिया है । मीरा, सूर, नरसी, रुद्रामा आदि सच्चे भक्तों का सेवकत्व भगवान ने स्वीकार किया था, यह एक तथ्य है । दाम्पत्य जीवन में पत्नी अपने को दासी और पति को स्वामी घोषित करती है । घोषणा से न सही व्यवहार में पति भी

ठीक उसी स्तर की मान्यता रखता है । ऐसा ही उभयपक्षीय सघन स्नेह-सौजन्य होने पर मित्रता निभती है और दाम्पत्य जीवन का चरम सुख उपलब्ध होता है ।

मात्र पति को ही नहीं उस पूरे परिवार को वधू अपने सद्भाव बन्धनों में बाँध लेती है और बदले में उन सब का सघन सौजन्य प्राप्त करती है । इस स्थिति में दोनों पक्ष एक-दूसरे के वशवर्ती बन जाते हैं । वधू अनुशासन मानती और भाव-भरी सेवा साधना में संलग्न रहती है । अपने सद्गुणों में सबको मोहित किये रहती है । फलस्वरूप अनायास ही अनपेक्षित शासन-सत्ता उसके हाथ में आ जाती है । वह सब को अपनी उँगली के इशारे पर नचाती है । सब उसका कहना मानते हैं । यह सब किसी जादू या अधिकार के आधार पर नहीं वरन् स्नेह सौजन्य भरे सेवा भाव द्वारा सम्भव होता है । वधू को इसी प्रकार की शासन-सत्ता ग्रहण करने और साम्राज्ञी पद की अधिकारिणी बनने के लिए कहा गया है ।

ऐसी स्थिति प्राप्त करने के लिए सरस्वती जैसी उदात्त दूरदर्शिता अपनाने की आवश्यकता है । वधू को यही स्तर प्राप्त करने के लिए कहा गया है । अथर्ववेद की एक ऋचा है—

प्रतिष्ठित विराडसि विष्णुरिदेह सरस्वति ।

अर्थात्—हे पत्नी तू सरस्वती बनकर रह और इस घर की प्रतिष्ठा को विकसित कर ।

घर की प्रतिष्ठा सुगृहिणी पर निर्भर है, इस अभिप्राय को व्यक्त करने वाला शतपथ ब्राह्मण का एक सूत्र है—

गृहाः वै पत्न्ये प्रतिष्ठाः ।

अथर्ववेद में पत्नी के स्तर के अनुरूप पूरे परिवार की सुबुद्धि का बढ़ना-घटना निर्भर बताया गया है ।

“बास्ते त्वके सुगतयः सुपेशसोयाभिर्ददसि” ऋचा का भावार्थ यही है ।

ससुर घर में रहते हुए वधू अपनी स्थिति एवं अनुभूति को इस प्रकार व्यक्त करती है—

अहं केतुग्रहं मूर्धाहमुग्रां विवाचनी ।

ममेदनु क्रतुं पतिः सहाना या उपाचरेत् । ।

अर्थात्—मैं इस घर में मस्तक के रगान प्रमुख हूँ । मैं अपने पति के विचारों को प्रभावित करती हूँ । मैं उनके

साथ विचारों का आदान-प्रदान करती हैं। वे मुझे मान देते हैं और सहयोग करते हैं। मेरी इच्छानुकूल व्यवहार करते हैं।

इस प्रकार का सर्वोच्च सम्मान पद और अधिकार पाने के लिए नारी कोई राजकीय या सामाजिक व्यवस्था का सहारा नहीं लेती वरन् अपनी योग्यता, कुशलता, व्यवस्था और दूरदर्शिता जैसे सदगुणों के आधार पर उस पूरे परिवार की समुचित सेवा साधना करके यह स्नेह और सम्मान भरा स्थान अनायास ही प्राप्त कर लेती है।

इस स्तर की वधू जिस घर में हो उसके सौभाग्य का सूर्योदय हुआ ही समझना चाहिए। उस घर में स्नेह, सौजन्य का, उल्लास-उत्साह का, सम्पृद्धि-प्रगति का वातावरण बना रहता है। उसमें रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को सुखी-सन्तुष्ट अनुभव करता है।

ऐसी पत्नी तलाश करने पर कहीं बनी बनाई नहीं मिलती। वह बनाई जाती है। पूर्वजन्मों के कुछ संस्कार लेकर आने वाला नवजात शिशु जिस घर में जन्म लेता है वहाँ के संस्कारों के साथ अपने आपको घुलाता है। पिछले और नये संस्कारों के समन्वय से उसका व्यक्तित्व बनता है। ठीक इसी प्रकार पिता के घर में संस्कार लेकर आने वाली वधू ससुराल के वातावरण के साथ अपना समन्वय करती है और उसका नया व्यक्तित्व बनता है। इस नव-निर्माण में पति का सबसे अधिक योगदान रहता है। वह पत्नी को पूर्ण विश्वास, आश्वासन, स्नेह एवं सहयोग प्रदान करे तो उसके स्वभाव एवं क्रिया-कलाप को उच्चस्तरीय ढाँचे में ढाल सकता है। पितृ-गृह से अच्छे स्वभाव की आई हुई लड़की भी पति-गृह के अवांछनीय वातावरण से खीज कर खिन्न, उदास एवं विद्रोही स्वभाव की बन सकती है। इसी प्रकार कुछ पहले दोष-दुर्गुणों में भी परिष्कृत वातावरण के प्रभाव से आश्चर्यजनक परिवर्तन हो सकता है। सुगृहिणी कदाचित् ही बनी बनाई कहीं किसी को मिलती है। उसे गढ़ना और ढालना पड़ता है, इसके लिए पति को कुशल शिल्पी की भूमिका विशेष रूप से निबाहनी पड़ती है। यों इस प्रयास में सहयोग तो पूरे परिवार का अपेक्षित रहता है।

सुगृहिणी किसी परिवार का सबसे बड़ा सौभाग्य है। उसी आधारशिला पर वे भव्य भवन खड़े होते हैं जिनमें निवास

करते हुए परिवार का प्रत्येक सदस्य स्वर्गीय आनन्द का अनुभव करता है। वधू मात्र अपने पति की पत्नी ही नहीं होती वरन् वह पुत्र-वधु, देवरानी, जिठानी, भावज, चाची आदि भी होती है और समयानुसार उसे मामी, नानी, सास, माता, दादी भी बनना पड़ता है। इन सम्बन्धों के माध्यम से वह सम्बन्धित अनेक व्यक्तियों को प्रभावित करती है। यह प्रभाव यदि उच्चकोटि का हो तो उससे उन सभी के चरित्र एवं व्यक्तित्वों को सुसंस्कृत बनने का अवसर मिलता। सुगृहिणी का भाव भरा मानसिक स्तर सम्पर्क क्षेत्र की परिधि में आने वाले हर किसी के व्यक्तित्व को सींचता है और उसे सुविकसित बनाने के सहज अनुदान देता है।

खीज और खिन्नता ने जिसकी सक्रियता नष्ट की होगी वह गृहिणी अपनी गति-विधियों से घर की आर्थिक स्थिति को इस प्रकार सँभाले रहती है जिसमें स्वल्प आजीविका रहते हुए भी दरिद्रता का अनुभव न हो। सुरुचिपूर्ण दृष्टिकोण और स्फूर्ति उत्साह के समन्वय से घर की व्यवस्था और सुसजा देखने योग्य ही बनी रहती है। बच्चों से लेकर वृद्धों तक उससे सम्मान और सहयोग पाकर कृतकृत्य बने रहते हैं। पति के लिए तों दो शरीरों में दो मस्तिष्क और दो हृदयों की मिली-जुली शक्ति का असीम आनन्द और अनुपम लाभ प्राप्त करने का सौभाग्य मिलता है। पर यह सौभाग्य मिलता उन्हीं को है जो वधू को समुचित स्नेह, सम्मान एवं सहयोग देकर उसका हृदय जीतते हैं और उस स्थान पर प्रतिष्ठित करते हैं जहाँ पहुँचने पर कोई भी विचारशील लड़की गृहलक्ष्मी सिद्ध हो सकती है। ऐसी सुगृहिणी किसी को बनी बनाई नहीं मिलती वह प्रयत्नपूर्वक बनानी पड़ती है।

विवाह-प्रक्रिया पर समाज का नियंत्रण आवश्यक

विवाह एक सामाजिक-बन्धन है, अतः उस पर समाज का नियन्त्रण आवश्यक है। यों विवाह को एक निजी मामला मान लिया जाता है। किन्तु वस्तुतः विवाह तथा सन्तानोत्पादन दोनों ही सार्वजनिक तथा सामाजिक महत्त्व के विषय हैं। किसी भी समाज, राष्ट्र तथा विश्व का समुज्ज्वल भविष्य धन-सम्पृद्धि पर नहीं, वरन् अपने वर्तमान तथा भावी नागरिकों

के शारीरिक, बौद्धिक तथा चारित्रिक स्तर पर निर्भर करता है। किसी भी राष्ट्र की वास्तविक सम्पदा वहाँ के नागरिक ही होते हैं। अतः उनका अन्तर्बाह्य स्तर समाज की चिन्ता और चिन्तन का विषय है।

यद्यपि सुयोग्य संतति के सम्बन्ध में गुणसूत्रों आदि के हेर-फेर के वैज्ञानिक प्रयास भी जारी हैं, तो भी सर्वाधिक सुगम मार्ग यही है कि अभिभावकों को, पति-पत्नी को ही सुयोग्य बनाया जाय। एक ओर अयोग्य तथा अनुपयुक्त व्यक्तियों को अवाञ्छनीय उत्पादन से रोका जाय। दूसरी ओर सुयोग्य व्यक्तियों को ही विवाह करने तथा प्रजनन के लिए प्रोत्साहन दिया जाय। शारीरिक ही नहीं, आर्थिक, भावात्मक, चारित्रिक तथा बौद्धिक दृष्टियों से भी जो लोग विवाहोत्तर दायित्वों के निर्वाह में समर्थ हों, उन्हें ही इस बन्धन में बँधने की तथा सन्तानोत्पादन की छूट दी जाय।

आवश्यक है कि विवाह-बन्धन में बँधने के लिए न्यूनतम शर्तें निर्धारित हों। ऐसे लोग जो इन शर्तों को पूरा करते हों, जो न केवल स्वस्थ, उपार्जनशील तथा युवा हों, अपितु निष्ठावान हों, संतुलन-सामर्थ्य से सम्पन्न हों तथा साथी को समझ सकने योग्य संवेदना, उदारता एवं तत्परता रखते हों, विवाह के अधिकारी माने जायें अन्यथा आये दिन विग्रह खड़ा करने और सामाजिक शान्ति अस्त-व्यस्त करने वाले तथा दुर्बल, रोगी, अभावग्रस्त सन्तान को जन्म देने की स्थिति वालों को विवाह से विरत किया जाय।

भारतीय परम्परा में यह तथ्य स्वीकृत हुए हैं कि विवाह प्रक्रिया पर समाज का नियन्त्रण होना ही चाहिए। आज वह बहुत ही उल्टे-सीधे रूप में विद्यमान है। पर इससे इतना तो स्पष्ट होता ही है कि यह समाज की एक प्रमुख अवधारणा एवं सर्वस्वीकृत मान्यता है। आवश्यकता इस नियन्त्रण के उचित उपयोग की है और यह जिम्मेदारी समाज के प्रभावी वर्ग की है।

यौन-विनोद भर के लिए विवाह की छूट रोकी जानी चाहिए तथा अयोग्य सन्तति-उत्पादन को अवरुद्ध करना चाहिए। किन्तु प्रतिबन्ध-नियन्त्रण तथा मर्यादाबन्धन का काम सरकार के जिम्मे नहीं होना चाहिए वरन् समाज के भीतर से ही यह आग्रह उठाना चाहिए और उसका स्वरूप कठोर दंड-विधानयुक्त नहीं, अपितु उमदेश तथा भाव-

विधानयुक्त होना चाहिए। विवाह और प्रजनन के सभी पहलुओं पर सामाजिक और मनोवैज्ञानिक दृष्टियों से विचार कर, उनके तथ्यों का व्यापक प्रचार किया जाना चाहिए और विवाह को स्वयं में कोई बहुत बड़ा पुरुषार्थ मानने की भावना हतोत्साहित की जानी चाहिए।

पाश्चात्य और पौरात्य वैवाहिक जीवन

पानी के बुलबुलों की तरह बनने-बिगड़ने वाले विवाह सम्बन्धों ने पाश्चात्य जगत पर दो बहुत बुरे प्रभाव डाले हैं। एक महीक उस वचन अनुबन्ध का निर्वाह कब तक हो सकेगा, इसकी अनिश्चितता। पति-पत्नी प्रमत्ततः वासनात्मक आकर्षण से विवाह करते हैं। वह जब तक दोनों ओर से पटरी पर चलता रहता है तब तक वह अनुबन्ध बना रहता है जैसे ही किसी एक ओर से उसमें कमी पड़ती है वैसे ही असन्तुष्ट पक्ष दूसरा साथी तलाश करने में लग जाता है और जैसे ही संयोग बन जाता है वैसे ही विच्छेद की स्वीकृति अदालत से सरलतापूर्वक प्राप्त कर ली जाती है।

आदि से अन्त तक की क्रमबद्ध योजना उनमें से कोई पक्ष नहीं बनाता और न किसी योजना में कोई दूसरे पक्ष को सुनिश्चित सहकारी मानता है। एक घर में रहने और यौनाचार की मान्यता प्राप्त करने भर का लाभ दोनों इस विवाह विधा से उठाते हैं। आर्थिक बचत पर दोनों अपनी स्वतन्त्र दृष्टि रखते हैं। इसलिए या तो बचत होती ही नहीं या फिर उसे निजी सुरक्षा में रखने की बात सोचते हैं। संकट के समय अधिकांश विवाह टूट जाते हैं क्योंकि इन दिनों मनोरंजन की सुविधा घट जाती है और सहायता का झंझट सिर पर ओढ़ना पड़ता है। इसकी अपेक्षा सुरक्षित पक्ष को पल्ला झाड़ कर अलग हो जाना ही सुविधाजनक प्रतीत होता है। ऐसी दशा में कोई पक्ष किसी को जीवन-साथी नहीं मानता है। विवाह को एक ऐसा अनुबन्ध मानता है जो जब तक लाभदायक लगे तभी तक निभे। यही कारण है कि बिना जड़ की बेल बहुत समय हरी-भरी नहीं रहती।

दूसरी समस्या बच्चों की है। यों पाश्चात्य देश वाले इसे झंझट मानते हैं इसलिए वे इससे बचाव के तरीके अपनाते हैं। फिर भी यदि सन्तान या सन्तानों के रहते विच्छेद करना पड़े तो दोनों में से कोई भी उन्हें सँभालने की जिम्मेदारी उठाने

को सहज सहमत नहीं होता । ऐसी दशा में वे सरकारी अनायालय में दाखिल होते हैं । उनका खर्चा आमदनी के अनुपात में अभिभावकों को जमा करना पड़ता है । इस प्रकार पाले गये बच्चों का अभिभावकों के प्रति गहरा लगाव होना असम्भव है । श्रद्धा, सम्मान जैसा कुछ तो होता ही नहीं ।

सन्तान की अपेक्षा युवावस्था में काम-काज में हाथ बैटाने की तथा बुढ़ापे में सेवा-सहायता करने के सम्बन्ध में होती है । पाश्चात्य जगत में यह आशा लड़कियों से भी पूरी नहीं हो पाती । लड़कियाँ तो कुमारिका या परित्यक्त रहने की दशा में ही माँ-बाप की ओर कुछ ध्यान दे पाती हैं । ऐसी दशा में बूढ़ों को सरकारी बूढ़े खाने में अपंगों की तरह भर्ती होना पड़ता है । अपनी निज की या सरकारी पेंशन के सहारे तक ही उन्हें मौत के दिन पूरे करने पड़ते हैं । उन सम्पन्न देशों में यह अच्छाई है कि बड़ी हुई सम्पन्नता के कारण सरकार अनाथ बालकों एवं असमर्थ बूढ़ों का पालन-पोषण करती रहती है ।

भारत की दशा बहुत विपन्न है । यहाँ कुमारियों द्वारा जने हुए बच्चों को सामाजिक सम्मान नहीं मिलता न सरकार की ओर से ऐसी कोई व्यापक व्यवस्था है । तलाक शुदाओं के विधवाओं के बच्चों का पालन भी सरकार अपनी आर्थिक कठिनाइयों के कारण कर सके ऐसी सम्भावना नहीं है । इतने पर भी अपने देश के शिक्षित नवयुवक पाश्चात्य वैवाहिक स्वेच्छाचार की ओर तेजी से अग्रसर हो रहे हैं । सिनेमा इस सन्दर्भ में लड़के और लड़कियों को विशेष रूप से प्रोत्साहन कर रहा है । ये प्रेम-विवाह की ओर कदम तो बढ़ा देते हैं पर यह भूल जाते हैं कि वर्तमान सामाजिक ढाँचे के रहते वह उठाया हुआ कदम कितने दिन निभा सकेगा । तनिक-सी तुनकमिजाजी में तलाक की नौबत जब योरोप में आती है तो उसी की नकल करने पर यहाँ क्यों नहीं आयेगी । जब लड़के मन पसन्द की अति सुन्दर लड़की ढूँढ़ते हैं तो लड़कियाँ वैसा ही दृष्टिकोण क्यों नहीं रखेंगी । रूप-यौवन में यह खराबी है कि वह कुछ ही दिन आकर्षक लगता है । इसके बाद नवीनता खोजने लगता है । लड़के उस राह पर चलते हैं तो लड़कियों को कितने दिन तक उस अनुकरण से रोका जा सकेगा । समानता का दावा जब चल ही पड़ा है तो अपने देश में लड़कों

की भाँति अधिक सुन्दर साथी ढूँढ़ने के लिए उलटे-सीधे कदम क्यों नहीं उठावेंगी और योरोप जैसा सिलसिला यहाँ क्यों नहीं चल पड़ेगा ।

सामाजिक प्रथा-प्रचलन से एक ओर अतिशय कठोरता दूसरी ओर उच्छृंखलता के प्रति उत्साह । दोनों का निर्वाह एक साथ कैसे हो । इसी कारण अपने समाज में अभूतपूर्व विग्रह उठ खड़ा हुआ है । कदम पुरुषों की ओर आगे बढ़ा है तो देर-सवेर में उस पर अनुकरण स्त्रियों की ओर से न होने लगे इसकी कोई गारण्टी नहीं ।

पत्नी के कुरूप होने पिता के घर से विपुल-वैभव दहेज में न लाने किसी अन्य के साथ दोस्ती हो जाने पर तलाक लेने की इच्छा होती है पर वैसा प्रचलन अभी नहीं हो पाया है । इसलिए पीछा छुड़ाने के लिए गला घोट देने, जहर पिला देना, तेल छिड़ककर जला देने जैसे कुकृत्यों की बाढ़ आने लगी है । ऐसी घटनाओं से आये दिन के अखबार रंगे रहते हैं । यह समाजगत भयानक विग्रह है । इसे बदलना होगा । यों तो पुरातन परम्परा के अनुरूप पतिव्रत शब्द का उपयोग करते ही यह विचार करना पड़ेगा कि पत्नीव्रत उससे भी अधिक कड़ाई के साथ निभाया गया है या नहीं । यदि नहीं तो पत्नी के लिए भी वैसी ही गुंजायश छोड़नी पड़ेगी । पति की कुरूपता पर सन्तोष किया जाय और पत्नी की कुरूपता त्याज्य समझी जाय या तिरस्कृत की जाय । यह दुरंगी चाल कब तक चलेगी । पूर्वार्थ या पाश्चात्य दोनों में से एक ही मार्ग अपनाया पड़ेगा । पुरुषों के लिए योरोप जैसी सुविधा और उस मार्ग में बाधक प्रतीत होने पर पत्नी को मृत्यु-दण्ड । यह 'न्याय' कब तक चल सकेगा । फिर बच्चों का भविष्य और बुढ़ापे का आश्रय इन दो बातों पर भी विचार कर लेना चाहिए । वृद्धे माता के साथ पिता द्वारा बरते गये अनाचार को ध्यान में रखते हैं । इस समय कुछ कर न पाने की स्थिति में होने के कारण जब समय आता है तब बड़े होने पर पूरा-पूरा बदला चुकाते हैं । पिता के दुर्बल होने पर काम-धन्धा लड़कों के हाथ आते ही एक-एक पैसे के लिए मुहताज होना पड़ता है और आये दिन भर्त्सना सहनी पड़ती है ।

हमें निश्चय करना होगा कि दाम्पत्य जीवन का क्या स्वरूप हो । यदि पश्चिम का अनुकरण ठीक है तो आदि से

अन्त तक वैसी ही व्यवस्था बना देनी चाहिए और कुमारिकाओं से लेकर परित्यक्तजनों, विधवाओं को प्रजनन की छूट देते हुए उनके पालन का अनायालयों में प्रबन्ध करना चाहिए। उससे बुरा मानने जैसे कोई बात नहीं समझी जानी चाहिए। साथ ही दहेज की बात मन में से एक दम निकाल देनी चाहिए वह स्थायी जीवन में लड़की की वहबूदी और सुविधा के लिए दिया जाता है। जब वह आधार ही डगमगा गया तो ससुराल से उपहार पाने का तर्क ही क्या रहा।

भारत में नर-नारी सभी मध्यम वेष-भूषा के होते हैं। यदि पसन्दगी लड़की के स्वरूप पर आधारित होती है तो यह खतरा बना ही रहेगा कि इससे सुन्दर लड़की पर दृष्टि पड़ने के उपरान्त उस पसन्द की गई लड़की के प्रति भी निष्ठा न रहेगी। ऐसी दशा में ऐसी दृष्टि वाले लड़कों को भारत छोड़कर योरोप चले जाना चाहिए और वहाँ विवाह करना चाहिए और जो कठिनाइयाँ वहाँ उठानी पड़ती हैं उसके लिए तैयार रहना चाहिए।

यह बन नहीं पड़ेगा कि पुरुषों की तानाशाही सुपसंदगी चलती रहेगी। दौलत मिलती रहे और जब मन खड़ा हो तभी गरदन मरोड़ देने का विशेषाधिकार हाथ में बना रहे। पुरुष दूसरा, तीसरा, चौथा विवाह करते रहें, स्त्रियों को उसी घुटन भरे चातावरण में त्रास सहना पड़े। प्रतिशोध वे स्वयं न ले सकीं तो समाज का एक न्याय पक्ष उठ खड़ा होगा और इस स्वेच्छाचारिता की गरदन न सही नाक काट लेने जैसा तो कुछ करेगा ही। हमें दुहरे मापदण्ड नहीं रखने चाहिए और चुनाव करना चाहिए कि पाश्चात्य दाम्पत्य जीवन अपनाना है या पूर्वात्य। दोनों में अच्छाइयाँ और बुराइयाँ हैं दोनों में छूट तथा जिम्मेदारियाँ हैं अभी अवसर है कि हम पलीव्रत और पतिव्रत परम्पराओं को कठोरतापूर्वक निवाहें और सुखी दाम्पत्य जीवन जिएँ अन्यथा पश्चिम का अनुकरण हमें पश्चाताप ही नहीं प्रताड़ना के लिए भी विवश करेगा।

विवाह की भिन्न-भिन्न प्रथाएँ

काफी दिनों से एक युवक अपने पड़ोस की युवती के इर्द-गिर्द चक्कर लगाया करता था। युवती भी उसकी ओर आकृष्ट हुई और एक दिन युवक ने एक अँगूठी खरीदी तथा पड़ोसन लड़की के पास जाकर बोला—मिस ! क्या आप मेरी भेंट की हुई अँगूठी पहनना पसन्द करेंगी।

युवती ने अपने बायें हाथ की हथेली युवक की ओर इस प्रकार बढ़ा दी कि उसकी चौथी अँगुली शेष अँगुलियों से ऊपर रहे। युवक ने यह अँगूठी अनामिका में पहना दी। बाद में लोगों को पता चला तो पूछा—यह किसकी अँगूठी पहनी है।

युवती ने उनके उत्तर में उक्त युवक का नाम ले दिया और लोगों ने समझ लिया कि ये दोनों युवा हृदय निकट भविष्य में दाम्पत्य जीवन में प्रवेश करने वाले हैं। अमेरिका के अधिकांश क्षेत्रों में विवाह की मँगनी या सगाई की रस्म की यही पद्धति है। एक विशेष डिजायन की अँगूठी देखकर लोग समझ जाते हैं कि अमुक लड़की अभी अदत्ता है अथवा विवाहित या मंगेतर। फिलहाल तो अमेरिका में यह परिपाटी उसी प्रकार लुप्त होने लगी है जिस प्रकार कि हमारे देश में सगाई की वर्तमान रस्म। अब वहाँ भी चट मँगनी पट ब्याह होने लगे हैं और खट तलाक भी हो जाते हैं पर अधिकांश लोग इस परम्परा का अनुकरण करते हैं।

जापान में विवाह के समय लड़की को सफेद वस्त्र पहनाये जाते हैं जो शोक से चिन्ह समझे जाते हैं। माना जाता है कि लड़की का सम्बन्ध अपने पितृकुल के लिए सदा को समाप्त हो रहा है। रात को पुरोहित तथा पुरोहिताइन सफेद वस्त्र पहने वधू को वर के घर ले जाते हैं। लड़की के जाने के बाद मायके में उसी प्रकार सफाई और शुद्धि की जाती है जिस प्रकार कि हमारे यहाँ मृतक शरीर को श्मशान में जाने के बाद की जाती है। उसी दिन घर पर दावत दी जाती है। वर और वधू नौ बार शराब को अधरों से फूते हैं तथा वस्त्र बदलकर पुनः शराब को होठों से लगाते हैं। इस प्रकार विवाह हो गया मान लिया जाता है तथा सरकारी कार्यालय में विवाह का पंजीयन करा लिया जाता है।

चीन में विवाह के समय लड़की एक लाल रंग की कुर्सी पर बैठती है। यद्यपि उसे वस्त्र तो अच्छे पहनाये जाते हैं पर शृंगार बिल्कुल नहीं किया जाता। हमारे देश में जिस प्रकार वर बारात लेकर वधू के घर जाता है। उसी प्रकार चीन में वधू वर के यहाँ जाती है और वर उसका स्वागत करता है तथा वर और वधू के सिर के बालों का ग्रन्थिबन्धन किया जाता है।

उत्तरी स्कॉटलैण्ड में वर भावी पत्नी को कोई वस्तु भेंट करता है। यदि वधू उसे नियत अवधि तक सँभाले नहीं रहती है तो विवाह सम्बन्ध नहीं होने दिया जाता। क्योंकि जो एक वस्तु ही सँभाल कर न रख सकी। वह पूरा घर कैसे सँभालेगी।

अमेरिका के कितने ही भागों में आदिवासियों द्वारा विवाह के अवसर पर वर-वधू के ऊपर हिरन मार कर उसका ताजा खून छिड़कते हैं। इससे समझा जाता है कि दम्पति के कई अनिष्टों का निवारण हो गया तथा वे सुखी दाम्पत्य जीवन जी सकेंगे।

अबीसीनिया में वर-वधू की अँगुलियों को मोड़कर एक-दूसरे में फँसा दिया जाता है। अंकुश की तरह फँस चुकी अँगुलियों को चिरं स्थायी विवाह सम्बन्धों की गारण्टी समझा जाता है। बीजा नामक स्थान में वर-वधू की अँगुलियों से रक्त निकाल कर भोजन में मिला कर खाने को दिया जाता है। एक समारोह में इसी पद्धति को सम्पन्न कर विवाह हुआ मान लिया जाता है।

आयरलैण्ड के कुछ क्षेत्रों में वधू के सिर पर बनी बनाई पकी हुई रसोई का घड़ा फोड़ा जाता है। इस प्रथा के अनुसार यह विश्वास किया जाता है कि नव-दम्पति के घर में खाने-पीने का कभी अभाव नहीं रहेगा।

न्यूजीलैण्ड में वर-वधू को इकट्ठा कर वहाँ के बड़े बुजुर्ग लोग विवाह हो गया कि घोषणा कर देते हैं। और मान लिया जाता है कि विवाह हो गया। सुमात्रा में भी प्रकारान्तर से यही पद्धति विवाह के लिए अपनायी जाती है।

न्यू गायना जहाँ के आदिवासी नरभक्षी होते हैं, उन लोगों की प्रथा बड़ी विचित्र है। विवाह से पूर्व वर और कन्या की अनुमति ली जाती है और प्रायः एक ही स्त्री से दो पुरुष विवाह करने के लिए झगड़ उठते हैं। पर वधू उन दोनों में से किसी को नहीं मिलती। ऐसे अवसर पर या तो कबीले का सरदार उस लड़की से शादी कर लेता है अथवा कोई तीसरा व्यक्ति जिसे कि सरदार चुनता है।

मोरक्को में विवाह-मण्डप में धूप, लोहबान का धुआँ दिया जाता है और वर, वधू को अपनी गोद में उठाकर घर से बाहर ले जाता है। बाहर ले जाते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि वधू के पैर कहीं जमीन को न छू

जायें। ये सब विधि-विधान नव-दम्पति को भूत बाधा से बचाने के लिए सतर्कता की दृष्टि से पूरे किये जाते हैं।

कैलीफोर्निया में विवाह के अवसर पर वर-वधू एक दूसरे को नोचते हैं। दोनों में से जिसके शरीर पर ज्यादा नख चिन्ह होते हैं उसके प्रतिपक्षी को प्रबल समझा जाता है और माना जाता है दाम्पत्य जीवन में वही प्रभावी भी होगा।

तुर्की तथा यूनान में विवाह के समय पर वर-वधू एक-दूसरे पर जूते फेंकते हैं। जूते फेंकने की प्रक्रिया नव-दम्पति को टोने-टोटके से बचाने के लिए की जाती है।

ट्रान्सलवानिया में विवाह के समय कन्या को दो अन्य सहेलियों के साथ बिठा दिया जाता है तथा वर से कहा जाता है कि अपनी भावी पत्नी को पहचाने। न पहचान पाने वाले वर का भी विवाह तो हो जाता है पर यह मान लिया जाता है कि वह बड़ा अभाग्य है। इस्थोनिया में यही प्रक्रिया लड़की का वेश बनाये साले के साथ की जाती है। वह भी घूँघट मार कर (पर्दा ढक कर) अपनी बहिन के साथ बैठ जाता है तथा वर को अपनी पत्नी का पता लगाना पड़ता है।

अफ्रीका के कई क्षेत्रों में विवाह की रात दूल्हा अपने दरवाजे पर नंगी तलवार लेकर सारे समय पहरा देता रहता है। इस भय से कि कहीं उसकी पत्नी के आस-पास मण्डराने वाली दुष्ट आत्माएँ प्रभावित न कर दें, बेचारा न तो बैठ सकता है और न ही सो सकता है। एक बात और जब तक दम्पति कोई बच्चा न जन्मे विवाह कच्चा समझा जाता है। अधिक समय तक निःसन्तान रहने पर सम्बन्ध-विच्छेद भी हो जाते हैं।

दक्षिणी अफ्रीका की जंगली जातियों में विवाह के अवसर पर बैल के गले की झालर पत्नी के हाथ पर लपेट दी जाती है और जो भाग शेष बचता है वह वर के लिए भेज दिया जाता है।

स्विट्जर लैण्ड में अमेरिका की भाँति युवती को अँगूठी के स्थान पर फूल भेंट किये जाते हैं। युवती द्वारा फूल स्वीकार कर लेने का अर्थ विवाह की सहमति समझ लिया जाता है। कुछ क्षेत्रों में फूल लड़की के बिस्तर पर रख दिया जाता है। नियत अवधि के बाद युवक फूल को वहाँ नहीं पाता तो बड़ी प्रसन्नता से घर में प्रवेश करता है क्योंकि लड़की ने फूल उठाकर विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और

यदि फूल वहीं मुरझाया हुआ पाया जाता है तो समझा जाता है कि प्रस्ताव ठुकरा दिया गया ।

ऑस्ट्रिया में एक विशिष्ट नृत्य कार्यक्रम में चौंदा की एक सिक्का सफेद कागज में लपेट कर लाल फीते से बाँध दिया जाता है तथा अभीष्ट कन्या के हाथ में रख दिया जाता है । अगर वह सिक्का तीन दिनों तक कन्या ने अपने पास रख लिया और नहीं लौटाया तो समझ लिया जाता है कि प्रस्ताव स्वीकृत हो गया ।

हंगरी में विवाहार्थी युवक अपनी इच्छित प्रेयसी के घर शाम के समय जाता है तथा लड़की की माँ से कहता है कि—‘आपकी बेटी मुझे एक दियासलाई की सीक देने का कष्ट उठायेगी । यदि लड़की दियासलाई लेकर आँगन में आ जाये तथा युवक की सिगरेट अपने हाथों में सुलगा दे तो मैंगनी हो गयी मान ली जाती है और मैंगनी यदि अन्यत्र कहीं हो गयी हो तो लड़की की माँ कह देती है कि दियासलाई में तो पहले से ही आग लग गयी है । युवक निराश होकर लौट जाता है तथा अन्य घरों के दरवाजे खटखटाता है ।

मलाया में विवाह के लिए मध्यस्थगण चौंदा की एक थाली में कुछ उपहार ले जाते हैं और युवती के माता-पिता को देते हैं । अभिभावक यदि बर्तन को उलट दें तो समझा जाता है कि शादी की बात अन्यत्र तय हो चुकी है और बर्तन ज्यों का त्यों रखा हो तो विवाह की सारी बातें ठहरायी जायेंगी ।

तिब्बत में कुछ समय पूर्व तक जो भी युवक विवाह करना चाहता था वह अपने मित्रों के साथ अभीष्ट कन्या के घर में घुस जाता और लड़की को घोड़े पर बिठाकर चल देता । घर के लोग उसका पीछा करते तथा शोर मचाते । बाद में वर-वधू दोनों परिवार के लोग मिल-जुलकर दावत करते । लड़की तीन दिन तक वर के साथ रहती । यदि उसे अपना पति नापसन्द होता तो वह पिता के घर वापस आ जाती और विवाह सम्बन्ध टूट जाता । ऐसी लड़कियों को चरित्रहीन नहीं वरन् बड़ी भाग्यशालिनी समझा जाता था तथा समाज में उसकी और उसके परिवार की प्रतिष्ठा भी बढ़ जाती ।

इन पंक्तियों में विश्व के अनेक भागों में प्रचलित विवाह पद्धतियों की विचित्रता का परिचय दिया । पढ़कर आश्चर्य होना भी स्वाभाविक है और हँसी आना भी । मनुष्य का

स्वभाव है कि वह दूसरों पर हँसने अथवा उन्हें पिछड़ेपन का शिकार कहकर तिरस्कृत करने में जरा देरी नहीं करता । पर निष्पक्ष दृष्टि से देखा जाय तो हमारे यहाँ की विवाह पद्धति और कितनी ही परम्पराएँ कुछ कम विचित्र नहीं हैं ।

यदि दूसरे देशों में वहाँ के निवासियों को भारतीय समाज की विवाह पद्धति का परिचय दिया जाता होगा तो वह कुछ इसी प्रकार का हो सकता है—भारत में विवाह के समय वर घोड़े पर बैठकर गले में कटार टाँग कर वधू के घर अपने परिवार के लोगों सहित पहुँचता है ।

वधू के घर पर उसकी माँ वर का स्वागत करती है तथा उसकी पूजा करती है । बदले में वर हठ करता है किसी चीज के लिए । यदि वधू के परिवार वालों की स्थिति न देने जैसी होती है तो वर के साथ तथा माता-पिता भी वर की ओर हो जाते हैं तथा डराते-धमकाते हैं ।

रोने, गिड़गिड़ाने या बाद में देने का वायदा करने पर वर मान जाता है तो ठीक अन्यथा वधू पक्ष को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है । किसी से कर्ज लेकर व्यवस्था करनी पड़ती है ।

विवाह के बाद अब कन्या को विदा कर दिया जाता है तो माँ-बाप का जी बड़ा हल्का हो जाता है । उन्हें अपनी बेटी को जेवर-आभूषणों से सजा कर, नव-दम्पति को मनपसन्द उपहार देकर भेजना पड़ता है । उस समय वर का मिजाज बहुत तुनकपसन्द और सनकी रहता है तथा यह भी कि भारत में वर को भोजन कराते समय भी जिद करने का अधिकार है । वह चाहे जो माँग सकता है और कन्यापक्ष को उसकी यह माँगें पूरी करनी ही पड़ती हैं अन्यथा घर पर लड़की को ससुराल पक्ष वाले तरह-तरह से सताते हैं तथा कन्या पक्ष से अपनी मुँहमाँगी रकम या रुपये वसूल करते हैं ।

विश्व में प्रचलित विवाह प्रणालियों की तुलना में यहाँ प्रचलित शादी के रस्म-रिवाज कम विचित्र नहीं हैं । दूसरे क्षेत्रों के विवाह तो वहाँ के रीति-रिवाजों के कारण ह्यस्यास्पद चित्र ही प्रस्तुत करते हैं पर हमारे यहाँ की परिपाटियों के चित्र सहृदय लोगों की करुणामूलक भावनाओं को उभारते हैं और कन्यापक्ष की दयनीय दुर्दशा देखकर उनका हृदय हमारी निष्ठुरता पर जार-जार होता होगा ।

विवाहोन्माद के पिशाच से ऐसे पिण्ड छूटेगा

अनाचार और अविवेक के विरुद्ध मोर्चा खड़ा करने के अपने संघर्षात्मक कार्यक्रमों की प्रक्रिया की अब क्रमशः प्रखर से प्रखरतम होती चली जानी चाहिए। इस सन्दर्भ में हमें सबसे अधिक ध्यान 'विवाहोन्माद' विकृति से जूझने पर केंद्रित करना चाहिए। क्योंकि यह तात्कालिक प्रश्न है। इससे हर दिन हर एक को असह्य कष्ट होता है। हर लड़की चिन्तित है कि उसे न जाने किस क्रूर और निष्ठुर से पाला पड़ेगा। दहेज के लोभियों को अनैतिक कहा जाना किसी भी प्रकार अनुचित नहीं। जो लोग मुफ्त में मिलने वाली कन्या लेकर भी सन्तुष्ट नहीं हो सकते वरन् गौ दान के साथ-साथ दाता की घर-गृहस्थी को भी हड़पने को पैर फैलाये बैठे हैं उन्हें नैतिक कैसे कहा जाय? इस अनैतिक वातावरण में जाकर कोई भावनाशील कन्या न जो सुखी रह सकती है न सन्तुष्ट। उसका अपने भविष्य के बारे में चिन्तित रहना स्वाभाविक ही है।

कन्या का बाप धन की पोटली जुटाने में धुल-धुल कर मरता रहता है। बचत करते-करते कर्ज चुकाते-चुकाते उसे अपने परिवार की प्रगति एक प्रकार से ठप्प ही करनी पड़ती है। मोल-भाव के चक्कर में उसे दर-दर भटकना पड़ता है और बहकावों के कुचक्र में किसी निष्कर्ष पर न पहुँच पाने की उलझन में निरन्तर उद्विग्न रहना पड़ता है। सब कुछ दे चुकने पर भी यह लड़के वालों की आँख में नहीं सुहाता और ताने पर ताने सुनने के आघात बराबर सुनने पड़ते हैं। यह स्थिति कितनी कष्टकर होती है उसे भुक्तभोगी ही जानते हैं।

इस दहेज के कुचक्र में अपना सामाजिक जीवन भी नष्ट-भ्रष्ट हो गया है। बाहर से 'समधी' कहलाने वाले रिश्ते रिश्तेदार रहने वाले लोगों के बीच कितनी चौड़ी खाई रहती है उसे उसका अन्दर टटोल कर ही जाना जा सकता है। जिन लड़के वालों ने लड़की वालों को हर दृष्टि से तबाह कर डाला वे हिन्दू सम्बन्धी होने का दावा निरर्थक ही करते हैं। जो चोटें उन्होंने लगाई हैं उनके घाव भरने में जिन्दगियाँ गुजर जाती हैं। बाहर से रिश्तेदार भीतर से दुश्मन। यही आज की रिश्तेदारियों का घृणित स्वरूप बना देने का दोष इस दहेज प्रथा को ही है।

विवाह का स्तर देन-लेन पर उतर आने से सफल दाम्पत्य जीवन की नींव ही खोखली हो गई। वर-कन्या जहाँ नीलाम की बोली पर चढ़ रहे हैं उस उचक्यों के गिरोह को समाज जैसे पवित्र नाम से सम्बोधित नहीं किया जा सकता। इसी संरंजाम को जुटाने में हर व्यक्ति को बेईमानी से पैसा कमाने के लिए विवश होना पड़ रहा है। अपराधों और अनाचारों की बाढ़ भी आती चली जा रही है। अपव्यय की प्रतिक्रिया गरीबी, बेकारी, कर्जदारी, प्रगति-अवरुद्धता, शारीरिक, मानसिक अस्वस्थता ही हो सकती है। सो हम इन आपत्तियों को दिनोंदिन बढ़ती हुई अपने चारों ओर देख सकते हैं। राष्ट्रीय दृष्टि में उस अपव्यय ने हमें सबसे साधन सम्पन्न होते हुए भी सबसे पिछड़ी और गई-गुजरी दशा में लाकर पटक दिया। ऐसे पेटे के छेदों को जब तक बन्द न किया जाय इस पात्र में समृद्धि का रस कभी भी जमा न रह सकेगा। कितना कमाया जाय सब इन्हीं छेदों में से बह जायेगा। यदि सादगी के साथ विवाह-शादी होने का प्रचलन अपने देश में रहता होता तो निश्चित रूप से आज संसार के सबसे अधिक सम्पन्न राष्ट्रों में भारत की गणना हो रही होती।

यों अन्य कुरीतियाँ भी हैं और उनके दुष्प्रभाव भी हैं पर वे धुन की तरह धीरे-धीरे हमें खोखला करती हैं। किन्तु विवाहोन्माद तो उस आँधी-तूफान की तरह है जो देखते-देखते सब कुछ उखाड़-पछाड़ कर देता है और अस्त-व्यस्तता की स्थिति उत्पन्न कर देता है। मंद रोग से धीरे-धीरे भी निपटारा जा सकता है पर महामारी का उपचार तो तुरन्त ही किया जाना चाहिए। विवाहोन्माद महामारी की तरह है जिसको उपेक्षा करते रहने से घातक परिणाम होगा। दूर न करने से तो इस कोढ़ का विष स्थान विशेष तक सीमित न रहकर सारे शरीर में ही फैल जायेगा ऐसी दशा में यह कितना ही आवश्यक है कि हम इस दुष्प्रवृत्ति से जूझने के लिए बिना समय गँवाए कटिबद्ध हो जायें।

“दहेज न लो, न ही उसका समर्थन करो” का आदर्श अपनाने के लिये हमें पहले साधना चाहिए और उसे जनमानस में प्रविष्ट कराने के लिए हर सम्भव उपाय करना चाहिए। युग निर्माण परिवार को यह उपरोक्त आदर्श सच्चे हृदय से अपमाना चाहिए और इसके लिये भावनापूर्वक संकल्प करना चाहिए। अपने से गरीब घर की लड़की लेने की बात व बिना

दहेज की शादी करने की बात हर अभिभावक के मन में जमाने लगे तभी काम चलेगा । हर लड़के को अपने से कम सुन्दर कम योग्य लड़की अपनाकर उसे सुयोग्य बनाने के अरमान सँजोकर एक आदर्शवादी युवक के रूप में अपना उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए । पिछड़ों को ऊपर उठाना हर आदर्शवादी का कर्तव्य है । अपने से सम्पन्न अथवा सुन्दर की तलाश करना ही शोषण की स्वार्थ की प्रवृत्ति है । हमें इस आदर्शवादी मिशन का सदस्य होने के नाते उदारता, सेवा, सहायता, करुणा का परिचय देना चाहिए और अपने से पिछड़े हुआँ को अपनी सहायता से ऊँचा उठाने की सुविधा पहुँचाने के लिए अग्रसर होना चाहिए ।

उसी प्रकार लड़की वालों को अब गिड़गिड़ाने-धिधियाने और दौत निपोरने की हीनता को छोड़ देना चाहिए । जहाँ भलमनसाहत को तिलाञ्जलि दे दी है । वहाँ की सम्पन्नता, योग्यता और सुन्दरता धिक्कारने ही योग्य है । ऐसे जिन्हें रूप की प्यास प्रबल है उन लड़कों के साथ ब्याही हुई किसी भी लड़की का भविष्य खतरे में ही है । जो लोग लड़की के पिता का खून पीने के लिए जीभ लपलपाये बैठे हैं उन भेड़ियों के यहाँ किसी की लड़की सम्मान नहीं पा सकती । इस वर्ग के लड़कों और उनके अभिभावकों को मानसिक और नैतिक दृष्टि में कोढ़ी मानकर उनके सम्पर्क एवं आने से बचते ही रहना चाहिए । कम पढ़ी, गरीब और कुरूप लड़की से उम्र में छोटा लड़का यदि चरित्र और भावना की दृष्टि से ऊँचा है तो उसके साथ निस्संकोच विवाह कर देना चाहिए । ऐसे लड़कों के साथ गरीबी में भी लड़कियाँ स्वर्ग जैसा आनन्द प्राप्त करती हैं जबकि दुष्ट और भ्रष्ट अमीरों के यहाँ रोटी-कपड़ा बढ़िया रहने पर भी पग-पग पर नरक की आग में झुलसना पड़ता है । अपना दृष्टिकोण हर लड़की वाले को इसी प्रकार परिमार्जित करना चाहिए ।

किसी को दहेज देना ही हो तो उसे अमीरों को न देकर किसी गरीब लड़के की स्वावलम्बी बनाने की व्यवस्था के लिये उसे देना चाहिए, जो कि दामाद की सच्चे अर्थों में सहायता भी हो सके और वह उस अहसान की कृतज्ञतापूर्वक सदा याद रखे । अपनी लड़की को इतनी सुयोग्य बनाना चाहिए कि वह समय पड़ने पर अपनी और अपने परिवार का भरण-पोषण कर सकने में जितनी योग्यता से सम्पन्न हो । इतने पर भी

यदि सुयोग्य लड़का न मिल जाता, हर लड़की को; उसके अभिभावकों को अविवाहित जीवन-यापन की स्थिति स्वीकार करने को तैयार रहना चाहिए । अनीति के साथ समझौता करके जीवित रहना धिक्कारने के योग्य है । सम्मान और मान का जीवन भले ही एकाकी हो, अभावग्रस्त हो पर अभिनन्दनीय और अभिवन्दनीय ही है ।

हर परिवार में लड़की और लड़के हैं । आदर्शवादी परिवारों की संख्या बढ़े । वे प्रतिज्ञाबद्ध हों और अपने आत्मविश्वास के आधार पर अपनी समान विवाहें तथा कथित कुटुम्बी-सम्बन्धी और मित्रों में प्रतिगामियों—रूढ़िवादियों और मूढ़मति लोगों की भरमार होना स्वाभाविक है । उनके सामने विवेक और औचित्य का कोई मूल्य नहीं। जो ढर्रा चल रहा है उससे आगे की बात सोच ही नहीं सकते । ऐसे लोगों की उपेक्षा करने से ही काम चलेगा । यदि उनकी बातों से प्रभावित होने की कमजोरी मन में भी हो तो फिर बात नहीं बनेगी । इस संघर्ष में पाला मोर्चा कथित कुटुम्बी सम्बन्धियों से ही लेना पड़ेगा । इस आदर्शवादी प्रगति में वे ही सबसे ज्यादा रोड़े-अटकायेंगे और वे ही सबसे बड़े विघ्न सिद्ध होंगे ।

प्रह्लाद ने पिता की, भरत ने माता की, बालि ने गुरु की, विभीषण ने भाई की अवज्ञा की थी । गलत बात के लिए तथाकथित बड़े-बूढ़ों की बात को टालना हर दृष्टि से उचित है । उसमें न कुछ अनुचित है न पाप । न्याय, तर्क, विवेक और सत्य को सबसे बड़ा मान कर चलना होगा । वे कुटुम्बियों, मित्रों, रिश्तेदारों से भी बड़े हैं सो जहाँ कुटुम्ब और इंसाफ के बीच विग्रह उत्पन्न होता देखे, वहाँ न्याय और विवेक का ही समर्थन करना चाहिए । कुटुम्बी तो क्या सारा संसार भी यदि नाराज होता हो तो उसे होने देना चाहिए । यह साहस विवाह योग्य लड़कियों को लड़कों को और उनके अभिभावकों को इकट्ठा करना चाहिए । यह साहस ही शस्त्र है । जिसके द्वारा विवाहोन्माद के रावण को निरस्त किया जा सकता है ।

ऐसे साहसी लोगों को संगठनों की बिरादरी के रूप में युग-निर्माण परिवार को विकसित होना चाहिए । उनके संकल्प, परिचय, लड़की-लड़कों के विवरण शान्तिकुंज में इकट्ठे किए जा सकते हैं और जब जिसे विवाह की जरूरत हो उसी में से तलाश करके अपने उपयुक्त चुनाव कर लेना चाहिए ।

भविष्य में अपने यज्ञ सम्मेलन जहाँ हों वहाँ इस क्षेत्र के विवाह योग्य लड़की-लड़कों का तथा उनके अभिभावकों का आना भी आवश्यक माना जाय और उस विवाह हाट में अपने काम का सौदा ढूँढने का अवसर प्राप्त किया जाय । सम्बन्धों में रुचि मिलना उतना कठिन नहीं है । कठिना-साहसी वर्गों को मजबूत मन लेकर आगे आना है । अब इसी आवश्यकता को पूरा किया जाना चाहिए ।

पिछली बार भी युग-निर्माण योजना द्वारा यह आन्दोलन चलाया गया था । पर तब उसे सही ढंग से समझा नहीं गया । मात्र लड़कियों के परिचय विवरण आये । जबकि ब्याहे लड़कों के विवरण भेजे गये थे । पहला कदम तो लड़के वालों को ही उठाना होगा । लड़की वाले इस योजना से लाभ उठाना चाहें तो उन्हें साथ ही इसके लिए भी प्रतिज्ञा करनी होगी कि उनके सारे लड़के भी इसी योजना के आधार पर विवाहे जायेंगे । लड़कियों की शादी बिना खर्च, लड़कों पर रकम ऐंठना यह तो दूनी धूर्तता है । लड़के पर लेना है तो लड़की के लिए सादगी क्यों? तराजू एक ही होनी चाहिए और बाँट भी एक ही तरह के । पिछली बार जो फार्म प्रतिज्ञा-पत्र आये उनमें ६० प्रतिशत लड़कियों की ही बात थी । लड़के वाले तो चुप ही बैठे रहे । यह न कोई आदर्श है न सुधार । यह तो चालाकी भर है । सो पिछली बार का प्रयत्न तो एक प्रकार से असफल हो गया । इस बार उसे नये सिरे से आरम्भ करना चाहिए और पहल लड़के वालों को करनी चाहिए । जो परिवार, जो अभिभावक उसे सुधार प्रयास में सहमत-सम्मिलित हों उन्हें अपने परिवार की लड़कियों के ही नहीं लड़कों के लिये पहले तैयार होना चाहिए । तभी कुछ बात बनेगी । एकांगी स्वार्थ तो कभी सधता नहीं । सुधार की लम्बी मंजिल पर तो दोनों पैरों ही चला जायेगा और उसमें भी पहला कदम वह उठाना पड़ेगा जिसमें अपने को मुनाफा नहीं वरन् घाटा पड़ता है । यह कदम लड़के की बात आगे रखने पर ही सम्भव हो सकती है ।

यहाँ एक बात और साथ ही ध्यान में रखनी है कि जो लोग इतनी हिम्मत दिखावें उन्हें इस सिलसिले में एक कदम और भी साथ-साथ बढ़ा लेना चाहिए वह यह कि उपजातियों की जंजीर को और थोड़ा ढीला किया जाय । जाति की बात अभी नहीं कही जा रही पर उपजातियों की मान्यता भी

विवाहोन्माद की तरह ही मूर्खतापूर्ण है । इसके पीछे कोई शास्त्रीय, धार्मिक परम्परागत आधार नहीं है । यातायात की असुविधाओं के कारण जो लोग जहाँ बसे थे वहाँ शादी-ब्याह करते रहते थे । वह वर्ग उपजातियों में परिणत हो गया । वस इतना भर आधार उनके बीच है । अब जबकि यातायात की असुविधा नहीं रही और उपजातियों में बंटे हुए लोग एक क्षेत्र में रहने की अपेक्षा दूर-दूर रहने लगे तो उस पुरानी लकीर को पीटते रहने का कोई कारण नहीं । सरयू किनारे रहने वाले सरयू-पारीण, कन्नौज क्षेत्र के रहने वाले कान्यकुब्ज, मथुरावासी माथुर, मिथिला प्रान्त के मैथिल, मालवा निवासी मालवीय । स्थान, व्यवसाय आदि के आधार पर ही उपजातियाँ चल पड़ी हैं, इनका वर्ण-व्यवस्था से रत्तीभर भी सम्बन्ध नहीं है । हमें अब इस संकीर्णता से भी पीछा छुड़ाना चाहिए ताकि उपयुक्त लड़की-लड़कों के जोड़े मिलाने में कुछ अधिक व्यापक और विस्तृत क्षेत्र मिल सके । छोटी उपजातियों के घेरे में अच्छे जोड़े मिलना सदा कठिन ही बना रहेगा और उस कठिनाई के रहते देहेज जैसी दुष्ट प्रवृत्तियाँ भी जड़ जमाये रहेंगी । इस लिए जहाँ बिना देहेज की पूरी सादगी का विवाह किया जाता हो वहाँ यह दुहरा साहस किया जाना चाहिए । यह उपजातियों के कट्टे एवं निरर्थक धागे तोड़ देने चाहिए । भले ही मुख्य जाति का दायरा बनाना रखा जाय ।

ब्राह्मणों में हजारों उपजातियाँ हैं । ये रहें पर विवाह में बाधक क्यों बनें । एक उपजाति के ब्राह्मण की शादी यदि दूसरी उपजाति के ब्राह्मण में होती है तो इसमें शास्त्रीय, धार्मिक या परम्परागत वर्ण-व्यवस्था में रत्तीभर भी कमी नहीं आती । इसी प्रकार क्षत्रिय, वैश्य, कायस्थ आदि बड़ी जातियों में उपजाति के बन्धन तोड़कर विवाहों का प्रचलन होना चाहिए । उससे विवाहोन्माद आन्दोलन का अधिक व्यापक क्षेत्र में विकसित होने का अवसर मिलेगा और प्रस्तुत दुष्प्रवृत्तियों को अपेक्षाकृत अधिक आसानी से और अधिक जल्दी निरस्त किया जा सकेगा ।

अभिभावकों को जहाँ आन्दोलन में सम्मिलित होकर अपने बच्चों के लिये आदर्शवादी वातावरण का सृजन करना चाहिए वहाँ विवाह योग्य लड़की, लड़का को भी उस आवश्यकता को अवगत करना चाहिए । विद्यालयों में, छात्रावासों में, छात्र संगठनों में, खेल संगठनों में, युवक संस्थाओं


१.१०६ विवाहोन्माद : सम्बन्ध और सम्बन्धन

में यह आन्दोलन प्रविष्ट होना चाहिए । नई पीढ़ी को स्वयं इस सम्बन्ध में प्रतिज्ञाएँ करनी चाहिए कि अवांछनीय परिस्थितियों में शादी न करेंगे । दहेज और विवाहोन्माद का वातावरण उन्हें किसी को भी स्वीकार न हो । सादगी, सरलता और मितव्ययता ही उनके विवाह में बरती जानी चाहिए । यह निश्चय अविवाहितों को करना चाहिए और उस प्रतिज्ञा पर विरोध एवं दबाव सहकर भी दृढ़ रहना चाहिए । यह प्रतिज्ञा वे गुप्त न रखें वरन् अपने साथी, सम्बन्धी, कुटुम्बियों और अभिभावकों को भी दबी जवान से नहीं स्पष्ट शब्दों में कह दें ताकि वे इनकी इच्छा से परिचित रहें और कहीं ऐसा कदम न उठायें जिससे पीछे झंझट खड़ा हो ।

पुराने रूढ़िवादी, सड़े, गले दिमागों की अपेक्षा-नई पीढ़ी में विचारशीलता, विवेक और न्याय की मात्रा अधिक है । वे अनेक समस्याओं पर खुले दिमाग से अधिक अच्छी तरह विचार कर सकते हैं । अपनी इस प्रतिभा का उन्हें उपयोग करना चाहिए और इस निष्कर्ष पर पहुँचना चाहिए कि वर्तमान विवाहोन्माद का चलते रहना ही ठीक है या उसे बदले जाने की आवश्यकता है । इस प्रश्न पर भी गम्भीरतापूर्वक विचार करेंगे । यह निर्णय उन्हें लेना पड़ेगा कि इस अवांछनीय कुप्रथा को एक दिन के लिए भी सहन नहीं किया जाना चाहिए और

उसके उन्मूलन में अधिक से अधिक साहस प्रदर्शित करना चाहिए ।

साहस भी एक ही करना है । रूढ़िवादियों की उपेक्षा-अवज्ञा करना उनको बक-झक पर ध्यान न देना और मूढमति के आधार पर दिये हुए परामर्श को अनसुना कर देना । न्याय, तर्क या विवेक इस सुधार का सम्पर्क है बाधक नहीं । बाधक तो सड़े दिमाग वाले मूढमति लोग ही हैं उनके सामने न तर्क चलता है न न्याय, न विवेक दुराग्रह भरी अहमन्यता ही उनका आधार है । जो पुराना सो ठीक, जो ठर्रा सो सही, जो चल रहा है सो शिरोधार्य यही उनकी रीति-नीति हैं । स्वतन्त्र रीति से निरीक्षण करना और दूरदर्शिता कर कोई महत्त्वपूर्ण निर्णय कर सकने की क्षमता ही जो खो चुके हैं, उन्हें न सुधारना सम्भव है और न समझाकर परिवर्तन के लिए सहमत कर सकना शक्य है । उनकी तो उपेक्षा ही एकमात्र उपाय है । सो इसके लिए जहाँ भी साहस इकट्ठा किया जा सके जहाँ भी थोड़े प्रगतिशील लोग इकट्ठे होकर एक सुधारवादी वर्ग बना सकें । वही यह सम्भव हो सकेगा कि अपने समाज को अवांछनीय दुष्प्रवृत्तियों एवं कुरीतियों का उन्मूलन करने के लिए कुछ कारगर प्रगति की जा सके । समय की पुकार हमें इसी दिशा में हिम्मत करने और आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है ।



विवाह-संस्था को विकृतियों के जंजाल में न डुबोयें

रुग्ण विवाह-संस्था को स्वस्थ बनाया जाय

भारतीय विवाह-संस्था रुग्ण और विकृत हो चुकी है। उसका अब न कोई समकालीन वैश्विक सन्दर्भ है, न ही सनातन शास्त्रीय सन्दर्भ। यह विकृति मनोविज्ञान, लूटमार की व्यवस्था तथा उसकी-प्रतिक्रिया, बुद्धिया पुराण और अंधानुकरण की कर्दम प्रवृत्तियों का एक ज्वलन्त उदाहरण मात्र है। उसमें से स्वस्थ, उपयोगी लाभकारी और कल्याणकारी तत्त्व समाप्त प्रायः हो चले हैं। इस तथ्य को जो लोग समझ चुके हैं, वे ही उसकी विकृतियों से निर्ममतापूर्वक पिण्ड छुड़ाकर, नयी रचनात्मक रीतियों के साथ उसे जोड़ने हेतु सक्रिय हो सकते हैं। जो लोग इस लक्ष्य को ही मानने को तत्पर न हो जायें कि सम्प्रति हमारी विवाह संस्था विकृत एवं रुग्ण हो चुकी है और उसे पुनः स्वस्थ बनाने की आवश्यकता है, वे इस संस्था का क्षरण और विघटन ही देख सकेंगे। हिन्दू धर्म का सुदीर्घ, सुविस्तृत इतिहास है और उसके अनेक रूप हैं। इसकी विवाह सम्बन्धी मान्यताएँ तथा व्यवस्थाएँ भी निरन्तर परिवर्तित होती रही हैं और जो लोग वह तर्क देते हैं कि विवाह संस्था का मौजूदा स्वरूप सनातन है या सहस्रों वर्षों से चला आ रहा है, वे या तो मूर्ख होते हैं या फिर छल कर रहे होते हैं।

सच्चाई यह है कि विवाह संस्था के उद्देश्य, आधार, प्रविधि और प्रक्रियाएँ सभी में सतत् परिवर्तन होता रहा है। हाँ, प्रत्येक परिवर्तन प्राचीनता से अपने जुड़े होने के दावे के साथ किया जाता रहा है। यह भारतीयों की प्रिय शैली प्रतीत होती है कि वे प्रत्येक परिवर्तन की जड़ें शास्त्रों में बताएँ। परन्तु ऐसा बताते हुए, न केवल शास्त्रों से भिन्न, वरन् विपरीत मार्ग पर भी लोग बढ़ते रहे हैं।

हिन्दू धर्म के मूलाधार-ग्रन्थ ऋग्वेद का कथन है—

“तमस्यैरा युष्तायो युवानं

मर्त्यमानाः परि यन्त्यापः ।

स शुक्रेभिः सिन्धुभी रेवदस्मे

दीदायानिष्पो धृतनिर्णिगप्सु ।।”

(ऋग्वेद २/३५/४)

अर्थात् जिनके हृदय शुद्ध, निर्मल और पवित्र हों तथा जिनकी आयु इस हेतु पूर्ण हो चुकी हो, वे युवक और युवती परस्पर पाणिग्रहण करें। वे शक्ति सम्पन्न जन-विवाह करके परिवार को सतेज बनाएँ।

इस कथन से स्पष्ट होता है कि वैदिक काल में विवाह परिपक्व युवक-युवतियों के बीच, परस्पर इच्छा व संकल्प के साथ होता था। विवाह का निर्णय सीधे ही युवक-युवती करते थे। वे विवाह तेजस्वी जीवन जीने के लिए करते थे।

अब इस उद्देश्य की बाल-विवाह, देहेज-प्रथा, अलन-चलन आदि रीति-रिवाजों से घिरे तथा यौन-प्रजनन के लिए किए जाने वाले विवाहों से तुलना करें। भला दोनों लक्ष्यों में कौन-सा साम्य है? क्या विवाह के समय कुछ वैदिक मन्त्र बोल लेना या पुरोहित से बुलवा देना ही, विवाह को वैदिक बना देता है? श्रुति ही नहीं, मनु आदि रचित स्मृतियों में भी विवाह के जो विधान हैं, वे प्रचलित विवाह-रस्मों से सर्वथा भिन्न हैं।

आज विवाह के उद्देश्य के बारे में जो धारणाएँ फैली हैं, उन्हें तीन वर्गों में बाँटा जा सकता है—

- (१) विवाह एक द्विपक्षीय अनुबन्ध है। (२) विवाह स्वाभाविक यौन-आकर्षण तथा यौन-क्षुधा की पूर्ति के टिकाऊ प्रबन्ध के लिए सामाजिक स्वीकृति से सम्पन्न एक रस्म है। (३) विवाह समाज में प्रचलित वह विधान है, जिसके बारे में सोचना व्यर्थ है। उसे अपनाना ही अच्छा है।

दूसरी ओर भारतीय मनीषियों की दृढ़ मान्यता यह रही है कि विवाह दो आत्माओं का मंगल-मिलन है। पाणिग्रहण के समय बँधी गूढ़ एवं अदृश्य ग्रंथि जन्म-जन्मान्तर तक बँधी रहती है। भारतीय मान्यता के अनुसार, विवाह स्त्री-पुरुष दोनों को एक सूत्र में बाँधकर अर्द्ध नारी-नरेश्वर की तरह उन्हें एकरूप बना देता है। पति-पत्नी एक-दूसरे के अर्द्धाङ्ग होते हैं और दोनों का समन्वय एक पूर्ण इकाई की सृष्टि करता है। इस प्रकार विवाह, साधना पथ पर आरूढ़ होने का व्रत-पर्व है, जो दोनों के भिन्न अस्तित्व को घुला-मिलाकर गंगा यमुना की तरह एकाकार संगम में उन्हें परिणत करता है। तभी तो विवाह के समय पति-पत्नी परस्पर कहते हैं—

२.२ विवाहोन्मत्तः समस्या और सम्बन्धन

“यदेतद् हृदयं तव तदस्तु हृदयं मम ।
यदिदं हृदयं मम तदस्तु हृदयं तव ॥”

अर्थात् यह जो तुम्हारा हृदय है, वह मेरा हृदय बन जाय और यह जो मेरा हृदय है, वह तुम्हारा हो जाय ।

साथ ही, दोनों ही सम्मिलित रूप से देव शक्तियों को साक्षी रखकर संकल्प करते हैं ।

“सम्बन्धु विश्वेदेवाः सम्प्रपो हृदयानि नौ ।
सं भातरिष्वः सं भक्ता समुदेष्ट्री वचस्तु नौ ॥”

अर्थात् हे देवगण ! आप निश्चय जानें कि हम दोनों के हृदय जल के समान मिले हुए हैं । हम एक-दूसरे के लिए प्राण वायु बनकर रहेंगे । जगत के धाता परमात्मा की तरह हम एक-दूसरे को धारण करेंगे और स्वरूप, स्वभाव तथा बुद्धि से एक हो जायेंगे ।

विवाह के इस आध्यात्मिक उद्देश्य को समझे बिना इस जीवन में वे स्वर्गीय सुख प्राप्त नहीं हो सकते, जिनकी कि कल्पना की जाती है । विकृत आधारों को परिवर्तित किये बिना और परिपक्व, सुसंस्कृत, स्वस्थ, सही दृष्टिकोण अपनाये बिना विवाह के वास्तविक लाभ मिलने के नहीं । विवाह का प्रयोजन जाने बिना, स्थिर किये बिना जो लोग विवाह कर डालते हैं, क्या उन्हें कोई बौद्धिक प्राणी कहा जा सकता है ।

यों विषम योनियों का मिलन पशु-पक्षियों, कीट-पतंगों सभी में होता रहता है । वह एक सामान्य जैविक प्रक्रिया मात्र है, जो प्रकृति रूप से सृष्टि का प्रयोजन सिद्ध करती रहती है । पर नर-नारी के बीच का आकर्षण मात्र यौन-तृप्ति एवं प्रजनन की प्रेरणा से नहीं होता । क्योंकि मनुष्य की चेतना इतनी सतही नहीं होती ।

यह सही है कि प्रजनन प्रक्रिया और शारीरिक संयोग में प्रबल आकर्षण एवं प्रचण्ड आवेश है । नर-नारी के बीच बड़े अद्भुत घुलनशील रस समूह एवं तत्व हैं । उनके मिलन से एक नये प्राणी की रचना होना स्वयं में सृष्टि-निर्माण क्रम की एक अनिवार्य, अनूठी और आकाङ्क्षक घटना है । किन्तु शिशु सर्जन और वंश विस्तार की आवश्यकताएँ पूरी करना भर इस घुलनशीलता की प्रचण्ड प्रेरणा का लक्ष्य नहीं है । अपितु इस प्रबल आकर्षण का मूल कारण दो भिन्न लिंगी प्राणियों की अपूर्णताओं का परस्पर पूरक बनकर पूर्णता प्राप्त करने की आध्यात्मिक आकांक्षा है । इस प्रकार, नर-नारी के

बीच का यह गहरा खिंचाव मूलतः आध्यात्मिक प्रयोजन वाला है और इस आध्यात्मिकता की दृष्टि से विवाह को एक धार्मिक संस्कार की गरिमा दी गई है । यदि विवाह पति-पत्नी में एक नैतिक अनुशासन की भावना उत्पन्न न कर सके और विवाह के उपरान्त भी दोनों विषम योनि प्राणी साहचर्य के उच्च स्तर को प्राप्त करने के स्थान पर शारीरिक, जैविक आवश्यकता भर को ही प्रधानता देते रहें, उदर-भरण और देह-मिलन में ही अपनी सार्थकता समझते रहें, तब उस विवाह को निजी व्यवस्था मात्र ही कहना चाहिए । उसे न तो तब सामाजिक उत्सव ही माना जा सकता है, न ही धार्मिक कृत्य ।

अतः विवाह के सम्बन्ध में अवधारणा स्पष्ट होनी चाहिए । क्योंकि सृष्टि में प्रत्येक कार्य अपने कारण से जुड़ा रहता है और विवाह के सम्बन्ध में जो दृष्टिकोण तथा व्यवहार होगा, जिन आधारों पर वह तय किया जाएगा, जिस भौति सम्पन्न किया जाएगा, वैसे ही परिणाम सामने आयेंगे । जो लोग विवाह के लिए वर-कन्या का चयन तो किन्हीं और आधारों पर करते हैं, पर अपेक्षाएँ उन आधारों से भिन्न किस्म की पालते हैं; उन्हें विफलता और निराशा के सिवाय कुछ मिलने वाला नहीं ।

इस दृष्टि से आज की स्थिति देखें, तो विचित्र ही दृश्य सामने आता है । आज वर-वधू की जोड़ी किस आधार पर तय की जाती है । सर्वोपरि आधार तो जातीय-बन्धन का रहता है, जिसे एक प्रकार से सामाजिक रूढ़ियों का भय माना जा सकता है । यह भी इस बात का प्रमाण है कि सम्बन्धित लोगों के जीवन में कोई पोल है । क्योंकि सुस्पष्ट और सुदृढ़ चरित्र के लोग सदा से ही तेजस्वी होते रहे हैं और समाज की अनुचित रूढ़ियों को ठुकराते रहे हैं । अतः समाज का यह तथाकथित भय लोगों की सामाजिकता का घोटक है । यदि सचमुच सामाजिकता का भय हो, तो बेईमानी, घूसखोरी, मिलावट, छल तथा अमीरी के स्वाँग जैसी दुष्प्रवृत्तियाँ लोग क्यों अपनाये रहें । ये सब अपराध धड़ल्ले से करने वाले लोग, जब विकृत रूढ़ियों को मानते समय सामाजिकता की दुहाई देते हैं, तो यह विश्वसनीय नहीं लगता ।

वर-वधू की पसंदगी में अगला आधार धन का तलाश जाता है । लड़की वाले लड़के के परिवार की सम्पत्ति, पद-प्रतिष्ठा तथा आजीविका का स्वरूप देखते हैं । ऐसा कमाऊ

लड़का देखा-दूँढा जाता है, जिसकी ऊपरी आमदनी अर्थात् घूसखोरी ज्यादा हो। उधर लड़के वाले भी ऐसी ही लड़की तलाशते हैं, जो ज्यादा से ज्यादा देहेज ला सके। पसन्दगी का अगला आधार होता है रूप लड़का देखने में छैला लगे; यह लड़की वालों की इच्छा रहती है। उधर लड़के तो चाहते ही हैं परीसुन्दरी। इस पसन्दों से लोगों की सामाजिक मान्यता का स्पष्ट पता चलता है! धन को और वो भी काला धन, पसन्द करने वाले स्पष्टतः भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन देने वाले कामुकता के उभार की महत्त्वपूर्ण मानते हैं। दूसरी ओर यही लोग समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार और चारों ओर फैल रही वासनोत्तेजक परिस्थितियों पर रौब-क्षोभ-शोक व्यक्त करते देखे जाते हैं। दोहरेपन की भी कोई सीमा है क्या ऐसे व्यवहार में? यह दोमुँहेपन की पराकाष्ठा है।

काले धन और गोरे रूप को अतिशय प्रमुखता देने का जो दौर चला है, उससे हानियाँ ही सुनिश्चित हैं। पत्नी सुन्दर हो, तो एक लाभ यह माना जा सकता है कि वह मन को अधिक आकर्षक लगेगी। सुन्दर दृश्य, सुन्दर स्थान, सुन्दर वस्तुएँ मन को भाती हैं, सुन्दर चेहरा भी; यह स्वभाविक है। पर रूप को अधिक प्रधानता देने वाले वातावरण में लड़कियों के रूप-जन्य अहंकार की वृद्धि अनिवार्य है यह ध्यान रहे। जब वही लड़की पत्नी के रूप में आत्मगर्विता रूपसी बनकर रह जाती है, उसके व्यवहार से शिष्टता-शालीनता को उपेक्षा और रूप का दर्प प्रकट होता है, तब जिस रूप को इतनी अधिक प्रधानता दी गयी थी, जिसे पाना जीवन का बहुत बड़ा पुरुषार्थ मान लिया गया था, वही दंश देने लगता है।

बात यहीं समाप्त नहीं हो जाती, यह तो साधारण सी बात है कि देह के उभार के प्रति प्रचण्ड आकर्षण का वातावरण बनाने पर लड़की के दिल-दिमाग में भी यही मान्यता छा जाएगी और वह भी रूप के प्रति अदम्य आकर्षण पाल बैठेगी। ऐसी स्थिति में उसके भीतर भी किसी पति से अधिक रूपवान युवक के प्रति खिंचाव उभर सकता है। यह ध्यान रहे कि यह प्रक्रिया शील के परित्याग की ओर ले जाती है। फिर इन दिनों तो रूप ही नहीं, 'कट' को पसन्द करने का प्रचलन है। यह 'कट' क्या है? सिनेमा के पर्दे पर प्रस्तुत नट-नटनियों के शरीर की सजा से बने 'भावबिम्ब' ही 'कट' कहलाते हैं। ये 'कट' उन नट-नटनियों के भी शरीर की वास्तविक प्रतिच्छवि

नहीं होते, वरन् बनाव-ठनाव तथा कैमरे की करामात के सम्मिलित प्रयास-परिणाम होते हैं। अयथार्थ देह-बिम्ब की कल्पनाओं पर टिकी 'कट' की यह धारणा जिन लड़के-लड़कियों के दिल-दिमाग पर छा जाती है वे देह के इस कल्पित बाहरी ढाँचे यानी 'कट' से जिस युवक-युवती की देह दृष्टि की कुछ समानता देखते हैं, उधर ही उनका आकर्षण उमड़ पड़ता है। ऐसे में शील के प्रति आग्रह कितना शेष रह सकता है, सहज विचार किया जा सकता है। 'कट' और रूपाकार को प्रधानता देने वाली विवाह-संस्था के क्या परिणाम निकलेंगे कल्पना करना कठिन नहीं। इस प्रवृत्ति से विवाह तथा परिवार-संस्था के आधारभूत प्रयोजन तो पूरे होने असम्भव ही हैं, स्वयं रूप-यौवन तक सुलभ नहीं हो पाता। क्योंकि 'कट' और मौसलता को टटोलने फिरने वाली आँखों में न तो पैनापन होता, न ही गहराई। आकर्षण की अन्धी प्यास, विवेक के अभाव में कई बार मृग-मरीचिका में फँसा देती है। लिपे-पुते चेहरे के पीछे से झाँक रही बीमारी को सतहजीवी आँखें नहीं देख पाती। पाश्चात्य देशों में तो लड़के-लड़की आपस में कई दिनों तक साथ-साथ रहते हैं, घूमते हैं, एक-दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं, तब भी यौवन का आवेश सही निर्णय का संतुलन नहीं बना रहने देता। फिर कुछ मिनटों में देखा गया 'कट' और रूप-धोखा दे दे तो क्या आश्चर्य? ऐसे में स्वस्थ साथी तक नहीं मिल पाता।

यही बात धन के बारे में अन्धी मान्यता के प्रति भी लागू होती है। जहाँ ऊपरी कमाई ही देखी जाती है, वहाँ दिखाने का भी बोल-बाला रहता है। दिखाने के अभ्यस्त लड़के दुर्व्यसनी भी होते हैं। वह दुर्व्यसन धन को भी चौपट करता है, स्वास्थ्य को भी और उसे ब्याही गई लड़की की जिन्दगी में अभाव, अपमान, अवनति और अवसाद का ही आधिपत्य रहता है। फिर ऊपरी कमाई का अमीरी के प्रदर्शन से सीझा सम्बन्ध है। अपने समाज में विवाह के नाम पर प्रदर्शन और फिजूलखर्ची का जो भयानक अभिशाप फैला है, उसके मूल में काले धन को मस्तक नवाने की अनैतिकतापूर्ण प्रवृत्ति ही है। यह अपव्यय लोगों को न सिर्फ बेईमान बनाता है, वरन् भीतर से आर्थिक दृष्टि से भी खोखला बनाता है। इसी खोखलेपन को ढकने के लिए कुल, वंश की इज्जत आदि की बड़ी-बड़ी डींगें हाँकी जाती हैं। इन डींगों के तह

तक देखने पर, पता चलेगा कि ऐसे लोग प्रकारान्तर से, बेशर्मी साथ यह बखान रहे होते हैं कि उनके कुल में अमुक-अमुक पूर्वज किस कदर तिकड़मी, छली, शोषक, व्यभिचारी, अपव्ययी तथा दुर्व्यसनी थे। इसे ही शान की जिन्दगी, वगैरह कहा जाता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि इन दिनों विवाह में रिश्ते तय करते समय की बातचीत, लड़के-लड़की चुनने का परिधि-क्षेत्र, पसन्दगी के आधार, विवाह-उत्सव का स्वरूप और पति तथा पत्नी से एवं एक-दूसरे की ससुराल से पाली जाने वाली अपेक्षाएँ सभी कुछ असंगत, अस्पष्ट और अशालीन तथा अविवेकपूर्ण हैं। ये सारी प्रवृत्तियाँ अस्वस्थ, रुग्ण, विकृत मानस का लक्षण हैं। इससे मुक्त होने पर ही स्वस्थ, श्रेष्ठ वैवाहिक, पारिवारिक तथा सामाजिक जीवन जी सकना सम्भव है। यदि निरुद्देश्य रहकर ही इस रूढ़ि का निर्वाह किया जाता है, तब तो कोई बात नहीं। किन्तु यदि स्वस्थ दाम्पत्य-जीवन की चाह है तो स्वस्थ आधार बनाने होंगे। इस दृष्टि से तीन बातों को प्रधानता देनी होगी। उत्तम स्वास्थ्य, आधार-व्यवहार की अनुरूपता, स्वस्थ जीवन-दृष्टि विवाह को स्वस्थ, मधुर उत्सव के रूप में सम्पन्न करना भी स्वस्थ जीवन-दृष्टि का ही अंग है।

विवाह का प्रमुख प्रयोजन दो मित्रों का सम्पूर्ण सहजीवन है। यह मैत्री समस्वरता, समानता तथा आदान-प्रदान की क्षमता पर ही निर्भर है। अतः लड़के और लड़की दोनों को अपने जीवन-साथी का चुनाव इन्हीं कसौटियों पर कसकर करना चाहिए। तभी ये दाम्पत्य जीवन का आनन्द प्राप्त कर सकते हैं। यह चुनाव चाहे अकेले अभिभावक करें या पुत्र-पुत्री की सहमति से करें अथवा लड़के-लड़की स्वयं ही करें, किन्तु ये आधार ध्यान में रखे जाने चाहिए।

न्यूनतम आवश्यकता मात्र यह है कि लड़की-लड़के स्वस्थ हों, ताकि अपने उत्तरदायित्व भलीभाँति निभा सकें। दोनों में परिश्रम, कर्तव्य-निष्ठा तथा मानवीय सत्वृत्तियाँ पर्याप्त हों। उदारता और सदाशयता की कमी न हो। साथ ही दोनों की पारिवारिक परम्पराएँ अधिक भिन्न न हों, दोनों का जीवन सम्बन्धी दृष्टिकोण परस्पर प्रतिकूल न हों। इन आधारभूत आवश्यकताओं का ध्यान रखते हुए रिश्ते तय करने तथा उत्सव को सादगी-शालीनता से मनाने पर ही विवाह संस्था को स्वस्थ रखा जा सकता है।

विवाह संस्कार को कौतुक न बनाया जाय

भारतीय समाज में दीर्घ दासता के कारण तरह-तरह की विचित्र विसंगतियाँ एवं अन्तर्विरोध घर कर गये हैं। अंधकार-युग में पनपे इन दोषों को दूर करने पर ही हम सचमुच सुसंस्कृत कहला सकते हैं।

ऐसी विसंगतियों का एक मूर्त रूप यहाँ प्रचलित वर्तमान विवाह-व्यवस्था है। एक ओर तो हर भारतीय विवाह को धार्मिक कृत्य कहता-मानता है। संसार में प्रत्येक धार्मिक कृत्य की दो अनिवार्य विशेषताएँ होती हैं—पहली उनकी सादगी, ताकि सर्वसाधारण उन्हें कर सकें। दूसरी उनकी सात्विकता-सहजता, ताकि उन्हें करने वाले सुख-शान्ति, सन्तोष एवं प्रसन्नता का अनुभव करें। जो कृत्य मुट्ठी भर लोगों के लिए सुगम, औरों के लिए दुर्गम हो तथा लोगों की परेशानियाँ बढ़ाए, उसे धार्मिक कृत्य नहीं माना जा सकता।

अपने यहाँ विवाह का प्रचलित स्वरूप ऐसा ही हो गया है कि खर्च करने के पहले अच्छी-खासी पूँजी जुटानी जरूरी है। इतना धन न जुटा पाने के कारण अनेक लड़के-लड़कियाँ अनावश्यक समय तक कुँवारे बैठे रहते और तरह-तरह की विकृतियाँ अपनाते-फैलाते हैं।

इसके साथ ही विवाह का आयोजन जब होता भी है, तो वह इतने सारे दबावों को लेकर आता है कि मानो कोई बहुत बड़ी आफत आ गई हो। हैंसते-हँसाते, सात्विक उल्लास एवं सुरुचिपूर्ण साधारण सजा के वातावरण में वर-वधू, अभिभावक, कुटुम्बी, मित्र आदि बैठें, गम्भीरता और पवित्रता का वातावरण हो, ऐसी क्रियाएँ हों जो वर-वधू भलीभाँति समझें और सत्प्रेरणा ग्रहण करें तथा उपस्थित लोगों को भी सरसता, सदाशयता का आनन्द मिले, यह तो धार्मिक कृत्य हो सकता है। लेकिन अर्थहीन रीतिरिवाजों के कौतुकपूर्ण जाल-जंजाल को कौन समझदार व्यक्ति धार्मिक आयोजन मानेगा?

विवाह-संस्कार एवं धर्मकृत्य के नाम पर होने वाले विचित्र क्रिया-कलापों को यदि कोई स्वतन्त्र बुद्धि का व्यक्ति देखे, तो वह उसमें शामिल लोगों को या तो पागल मान बैठेगा या कोई टोना-टोटका जैसी रहस्यमय क्रियाएँ करने वाले लोग समझ बैठेगा।

एक विचित्र किन्तु सत्य तथ्य यह है कि इस ऊल-जलूल प्रक्रिया का शास्त्रीय विधि-विधानों से कोई सम्बन्ध नहीं है। यह बुद्धिया-विधान मूढ़ता की शक्ति से उपजा और उसी पर टिका है। प्रायः लोग पुरोहितों को विवाह की जटिल व्यवस्था का दोषी बनाते रहते हैं; लेकिन अन्धविश्वासों और मूढ़ताओं में फँसे लोग इन पुरोहितों के न होने पर भी इस कीचड़ में घँसे ही रहेंगे। इसका सबसे बड़ा प्रमाण यही है कि यदि किसी भी विवाह-शादी की पूरी प्रक्रिया को देखा जाय, तो वहाँ प्रत्येक समझदार पण्डित-पुरोहित यह कहता है कि “अच्छा भाई, सब लोग अपनी-अपनी रस्म पूरी कर लें, फिर मैं शास्त्रीय कृत्य शुरू करूँ।” जो ऐसा नहीं करता उसे मन्त्रोच्चारण करते समय बीच में ही रोका-टोका जाता है और कहा जाता है कि अमुक कृत्य हमारे कुल की रीति है वह न किया गया तो अमुक प्रकार का अनिष्ट होगा। इससे यही स्पष्ट होता है कि इन लोगों को मंत्रों और पण्डितों के प्रति भी अधिक आदर नहीं होता। सच तो यह है कि वर्तमान विवाह-पद्धति में शास्त्रीय विधि-विधानों का स्थान अत्यन्त गौण है। नई-नई मूढ़ताएँ तक उसमें आये दिन जुड़ती रहती हैं।

इन रीति-रिवाजों के कारण वर-वधू को घंटों व्यर्थ ही भूखे-प्यासे रहना और रात भर जागना पड़ता है। इनके दबाव से कार्य भार और अनावश्यक व्यस्तता इतनी अधिक बढ़ जाती है कि जिस घर में विवाह होता है, वहाँ के सभी वयस्क सदस्य चार-पाँच दिन तक अधपगलों की स्थिति में दौड़ते, भागते, व्यस्त रहते देखे जाते हैं। घरभर में हाहाकार-सा मचा रहता है, जिससे हर व्यक्ति के दिमाग पर तनाव रहता है, नींद उड़ जाती है। उत्तेजित मनःस्थिति और आनन्दरहित व्यस्तता का पाचन शक्ति तथा शरीर-संस्थान पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इससे सम्बन्धित व्यक्तियों का स्वास्थ्य प्रायः खराब हो जाता है। चाहिए तो यह था कि आनन्द, उमङ्ग, प्रसन्नता भरे विनोद और प्रेरणादायक वातावरण से पुलकित तन-मन इस आयोजन के उपरान्त नई ताजगी का अनुभव करता, दैनन्दिन व्यस्तता के दुहराव में परिवर्तन से सरसता और प्रफुल्लता आती लेकिन मूढ़ताजन्य रूढ़ि इस उत्सव को एक यंत्रणाभरी प्रक्रिया बनाकर रख देती है।

इन रीति-रिवाजों की बहलता के सारे स्वरूप को देखा जाय, तो वे भौंडे तो होते ही हैं मनुष्य को शक्ति देने के स्थान पर उसका मनोबल तोड़ने-गिराने वाले होते हैं। वर-वधू को

न जाने कितने नये-पुराने देवी-देवताओं ही नहीं, पेड़ों, स्थानों, दुराहे-तिराहे-चौराहों की पूजा करने को कहा जाता है। इस पूजा का कोई प्रेरक प्रतीकात्मक अर्थ भी नहीं बताया जाता। उल्टे उनके प्रति अन्धश्रद्धा और आतङ्क पैदा करने वाली कपोल-कल्पनाएँ गद्दी-कही जाती हैं। इससे वर-वधू को स्वस्थ जीवन-दृष्टि मिलने के स्थान पर उनमें जड़ता, भीरुता और विवेकहीन रूढ़िवादिता पनपती है।

इन रिवाजों की भरमार, भीड़भाड़ और आपाधापी में कोई न कोई अलन-चलन करने में चूक हो ही जाती है। बस, रूढ़ि के गुलामों को तत्काल वर-वधू के अनिष्ट की सम्भावनाएँ दीखने लगती हैं। इससे अभिभावकों को मानसिक कष्ट उठाना पड़ता है। साथ ही वर-वधू भी आशंकित-आतंकित हो जाते हैं।

स्थिति यह है कि इन रीति-रिवाजों का स्वरूप एक-सा कहीं नहीं है। इससे पढ़े-लिखे रहने वाले पण्डितों को भी इनकी कोई निश्चित जानकारी नहीं रहती। वे तो अपनी दान-दक्षिणा के जुगाड़ में रहते हैं और विवाह की धार्मिक पुस्तकों के आधार पर अपना दायित्व पूरा करने तक ही सीमित रहते हैं। शेष प्रपंच से आँखें मूँदे रहने में ही वे अपनी भलाई समझते हैं। क्योंकि उन्हें वहाँ कोई सुनने वाला तो है नहीं। अन्य शिक्षित लोगों को भी इनकी कोई जानकारी नहीं होती। वे इसी ताक में रहते हैं कि किसी प्रकार यह बला टले, रस्में पूरी हों और अपना नाश्ता-पानी, भोजन का क्रम चले। ऐसी स्थिति में सारे आयोजन का नेतृत्व करते हैं अनपढ़-अविकसित रूढ़िविद्। कई बार दो रूढ़िविदों में किसी विधि के स्वरूप, समय और क्रम के बारे में ठन जाती है। वर-वधू, अभिभावक, पण्डित, शिक्षित, बाराती सब मुँह बाए ताकते रहते हैं। उन दोनों में आपस में कटुतापूर्ण कहासुनी होती है और वातावरण अपवित्र, अशोभन बनता है। इन चित्र-विचित्र रिवाजों का कोई एक निश्चित विधान है नहीं। अतः उनका कोई सर्वमान्य निर्णय भी तो सम्भव नहीं है। अब यदि एक पक्ष की मानी तो दूसरा क्रुद्ध। यह पूरे विवाह को ही अशुभ ठहरा देगा। दोनों को मानो, तो अन्धी आस्था इसे भी अशुभ ठहरा डालती है, क्योंकि प्रत्येक पक्ष का विश्वास रहता है कि मात्र उतना ही और वैसा ही करना शुभ है, जैसा वह कह देता रहा है। ऐसी स्थिति में समय और धन की बरबादी तो होती ही है भावनात्मक की तुष्टि भी प्राप्त नहीं होती है।

२.१ विवाहोन्मत्तः समस्या और सम्पादन

सच तो यह है कि रीति-रिवाजों का अमर्यादित अनिर्धारित गोरखधन्धा इतना जटिल है कि उसका सन्तोष पूर्ण निर्वाह असम्भव है। फिर इस गोरखधन्धे पर प्रवर्तक हर रूढ़िवादी यह चाहता है कि इनके प्रति लोगों की अन्धश्रद्धा बनी रहे। यदि वह किसी भी विवाह को यह कह दे कि हाँ, इसमें सभी रस्में सही ढङ्ग से निभाई गई हैं, तो फिर उसी के अनुसार उस दम्पति के जीवन में कोई भी बाधा-व्यवधान नहीं आना चाहिए। क्योंकि सारे देवता, भूत, बाबा-जोगी, पीर-पगार आदि सब को तुष्ट कर दिया गया है। मूढ़ से मूढ़ रूढ़िवादी यह जानता है कि मनुष्य जीवन में परेशानियों और कष्ट के अवसर न आये, यह असम्भव है। अतः यह उसकी विवशता होती है कि वह किसी न किसी रस्म, नेग-जोग, अलन-चलन में कोई गलती रह गई होना या कमी रह जाना सिद्ध करे ताकि भविष्य में जब कभी कोई अप्रिय घटना घटे, तब वह अपने भविष्य-कथन की धाक जमा सके।

इस प्रकार यह सारा ही क्रम मूढ़तावर्धक, आतंककारी, मनोबल को घटाने वाला, व्यक्ति-जीवन में आशंकाएँ तथा हीनता-भाव बढ़ाने वाला, अविवेक की प्रतिष्ठा करने वाला और चिन्तन-मनन की क्षमताएँ घटाने वाला है। इनका पालन करने वाला समाज असंस्कृत और अज्ञानी ही बनता चला जायेगा, क्योंकि वह स्वयं नहीं जानता कि वह अमुक कृत्य क्यों कर रहा है?

विवाह की भूमिका से लेकर उपसंहार तक ऐसे सैकड़ों नहीं, हजारों छेटे-बड़े रिवाज, रस्म, अलन-चलन, पूजा-पाठ, टोंटके और व्यवहार किये जाते हैं, जिनका अर्थ एवं अभिप्राय पूछा जाय तो उन्हें करने और कराने वाले दोनों एक ही उत्तर दे पाते हैं—ऐसा होता चला आया है। हमारे यहाँ ऐसी चलन है। हमारे कुल की यह परम्परा है। जबकि एक तो जो होता चला आया है, वह सभी कुछ ठीक नहीं कहा जा सकता। दूसरे, सच्चाई यह है कि यह सब परम्परा-पुष्ट भी नहीं है। किसी भी घर और घराने में इन दिनों चल रहे इन रिवाजों में से तीन-चौथाई तक आज से डेढ़-दो सौ साल पहले नहीं चलते थे। उनकी संख्या क्रमशः बढ़ती गई है। हजारों वर्ष पहले उनका क्या स्वरूप था, यह जानने की तो रूढ़ि-पूजकों को कमी न इच्छा होती, न फुरसत मिलती। इस प्रकार इन रीति-रिवाजों का आधार न तो शास्त्र हैं, न परम्परा। विवेक

से तो उनका प्रत्यक्ष बैर ही है। वे मात्र अज्ञानता, मूढ़ता और मनोविकृति पर टिके तथा बढ़ रहे हैं।

धर्म-कृत्य तथा सुसंस्कार के नाम पर चलने वाली इन क्रीड़ाओं और पागलों की अनबुझ क्रियाओं जैसी विचित्र किन्तु उनसे हजार गुनी महँगी, हानिकारक एवं असम्भ्यतापूर्ण कुरीतियों के जंजाल को हटाना आवश्यक है। जिससे कि विवाह एक बोझ न बना रहे। वह सभ्य एवं सुसंस्कृत लोगों का सुरुचिपूर्ण आयोजन बने। चित्त को स्फूर्ति तथा प्रसन्नता दे। उसकी क्रियाएँ वर-वधू को भावभरी प्रेरणाएँ दें, अनबुझ-यान्त्रिक चेष्टाएँ न बनी रहें। उपस्थित लोगों को भी उससे शिक्षा मिले, हर्ष हो। शरीर, मन, बुद्धि, आर्थिक स्थिति एवं सामाजिक वातावरण पर उसका प्रतिकूल प्रभाव न पड़े अपितु उल्लास, आनन्द एवं आदर्श की धारा को विवाह-कृत्य वेगवान बनाए। यही विवेकशील मनुष्य के लिये उपयुक्त है।

विवाहों की चित्र-विचित्र रस्में

विवाह तो संसार भर में होते हैं पर उनके प्रथा-प्रचलन अलग-अलग हैं, विशेषतया जन-जातियों में तो उनकी विचित्रता ऐसी है कि उन्हें किसी सिद्धान्त पर आधारित नहीं, वरन् मात्र प्रचलन या अन्ध-विश्वास ही कहा जा सकता है।

विभिन्न देशों में इस तरह की भिन्न-भिन्न प्रथाएँ प्रचलित हैं। स्काटलैण्ड में दूल्हे को दुलहन तभी प्राप्त हो सकती है जब लड़की की माँ नमक से भरी हुई चीनी मिट्टी की प्लेट को भावी दामाद के सिर पर मारकर फोड़ नहीं देती। इसी तरह फिलीपींस के नेग्रिटो नामक द्वीप के मूल निवासियों में विवाह की स्वीकृति देने के उपरान्त वर-वधू वाले जोड़े को एक सार्वजनिक मंच पर बिठा दिया जाता है। सबके सामने वे दोनों अपना सिर एक-दूसरे से तब तक टकराते हैं जब तक दोनों लहू-लुहान न हो जायें। सम्भवतः वे परोक्ष की अपेक्षा प्रत्यक्ष रक्तबन्धन पर अधिक विश्वास रखते हैं।

पूर्वी नाइजीरिया में वर को वधू प्राप्त करने हेतु चाबुक के तीन प्रहार सहने होते हैं। पोलिनीशिया द्वीप समूह के मूल निवासी शादी के अवसर पर अपने पूर्वजों की अस्थियों की जहाँ पूजा किया करते हैं वहीं ब्राजील के आदिवासी शादी में दूल्हे तथा दुलहन के कानों में छेद कर सलाई डालकर शादी सम्पादित करते हैं। शादी से पूर्व वधू व पिंजड़े में बन्द कर

दुष्ट आत्माओं से सुरक्षित रखने का रिवाज दक्षिण फिजी में है, जबकि तिब्बत में दुलहन पक्ष के लोग वधू को छिपा दिया करते हैं और जब वर महोदय वधू को तलाशने आते हैं तब वधू के निकट सम्बन्धी वर के समक्ष भयंकर कठिनाइयाँ डालते हैं। न्यूगिनी में शादी के तुरन्त बाद नवीन पति-पत्नी बने जोड़े को अपने माता-पिता का घर छोड़कर अपना नया संसार बसाना होता है। मलाया के आदिवासियों में जब कोई युवती उस युवक से शादी नहीं करना चाहती, जिसके साथ उसकी शादी हो रही है तब उस युवक तथा युवती को पंचों के सामने दौड़ाया जाता है, जिसमें युवती को युवक से आगे निकलना होता है। सूडान में रहने वाली जन-जातियों में शादी से पूर्व वर व वधू के पक्ष वाले सामूहिक नृत्य करते हैं, जिनमें वर तथा वधू अपने-अपने कपड़े नाचते हुए उतार देते हैं। वधू के कपड़े वर तथा वर के कपड़े वधू नाचते हुए पहन लेती है। सामूहिक नृत्य में परिधान बदलने की इस क्रिया द्वारा शादी की स्वीकृति मान ली जाती है।

अफ्रीका के जंगलों में रहने वाली अलोवा जाति, वर तथा वधू की आयु में अधिक से अधिक अन्तर रखने की पक्षधर होती है। उनकी मान्यता है कि अन्तर जितना अधिक होगा सन्तान उतनी ही अच्छी होगी। वधू की आयु वर से बहुधा अधिक होती है। वधू ४० वर्ष की रहने पर वर १६ वर्ष का उत्तम माना जाता है।

भारत के एक राज्य सिक्किम में लेपसा नामक जाति में शादी के बाद लड़की की विदाई नहीं होती बल्कि लड़के को ही अपने माँ-बाप को छोड़ बिलख-बिलख कर विदा होकर ससुराल में आकर रहना पड़ता है। भारत के दक्षिण में टोडा जाति का युवक जब तक अपने होने वाले ससुर अर्थात् युवती के पिता के पैरों पर सिर रख याचना नहीं कर लेता कि वह उसकी लड़की को ठीक से रखेगा व ससुर जी हों नहीं कर दें, तब तक शादी सम्भव ही नहीं। छोटा नागपुर क्षेत्र में वधू बनने वाली युवती का अपहरण कर लाने की प्रथा है। यह कार्य लड़के को स्वयं करना पड़ता है उसके पश्चात् पंचायत बैठने पर शादी रचाई जाती है। पश्चिम बंगाल में सन्थाल जाति में प्रथा के अनुसार युवक अपने आकर्षण का परिचय युवती पर रंग या पानी छिड़क कर या डालकर देता है। जो प्रथाएँ प्राचीनकाल में प्रचलित थीं, उनमें क्रमशः अब समाप्त

होने वाले रिवाज सुमात्रा व चीन के हैं। सुमात्रा में कन्या के पिता की इच्छानुसार वस्तु द्वारा तौलकर ही कन्या ब्याही जाती थी। तौलने वाली वस्तु अनाज या किराने की कोई भी वस्तु हो सकती थी। चीन में भी दो प्रथाएँ प्रचलित थीं। प्रथम प्रथा के अनुसार दूल्हा दुलहन के बिस्तर पर प्रथम रात्रि तलवार रखता था ताकि दुलहन के साथ भावभीना व्यवहार ही हो। दूसरी प्रथा के अनुसार वर को सुई धागा दिया जाता जिसे प्रथम प्रयत्न में ही धागा सुई में पिरोना होता था। यदि प्रयास विफल रहा तो शादी भी विफल मान ली जाती थी।

‘अफ्रीका’ के सहारा मरुस्थल में एक स्थान है टिम्बुकटू, जिसमें त्वरिम नामक जाति के लोग रहा करते हैं, जो उसी तरह पर्दा किया करते हैं जैसे भारत में मुस्लिम एवं अन्य जातियों की नारियाँ। कहा जाता है कि इस जाति के पुरुष बहादुर, निर्भीक, लड़ाकू स्वभाव के किन्तु कुरूप हुआ करते हैं। उनमें शिक्षा का भी अभाव है। वे लम्बा-सा घूँघट निकाल कर अपनी माँ, बहिन, दादी, भाभी व पत्नी से पर्दा किया करते हैं। भोजन करते समय ही वे घूँघट खोलते हैं। उनका कहना है कि पुरुषों की परिपाटी के निर्वाह हेतु ही वे पर्दा करते हैं। कुछ का मत है कि इन पुरुषों में कुरूपता होने के कारण ही ये पर्दा करते हैं जिससे स्त्रियों के समक्ष उन्हें लज्जा का सामना न करना पड़े। खैर इससे यह तो ज्ञात होता ही है कि पर्दा प्रथा कितनी बेवकूफियों के कारण जन्मी व पुरुष को भी इसका शिकार होना पड़ा।

इन प्रथाओं के पीछे कोई तर्क न होने से लोग अब उन्हें छोड़ने और बदलने भी लगे हैं और उनके स्थान पर सभ्य समाज में प्रचलित कई प्रथाएँ अपना रहे हैं। उनका कहना है कि कभी-कभी ने कोई रिवाज चला दिया तो इसका यह अर्थ तो नहीं है कि उसे बदला नहीं जा सकता।

अफ्रीका की जन-जातियों में अभी भी बहु-विवाह की प्रथा है। जो जितना समृद्ध होता है, वह उतनी ही औरतें खरीद सकता है। अपने देश के नागालैण्ड की राजधानी कोहिमा के लोगावा गाँव के लुहंगम अंग एक मात्र ऐसे व्यक्ति थे जिनकी ६० पत्नियाँ थीं। जब वह २१ वर्ष के थे तब उनकी २२ बीवियाँ थीं। जिन्हें कानूनी मान्यता भी मिली हुई थी। बड़े भाई की मृत्यु के पश्चात् जब लुहंगम को परिवार का प्रमुख बनाया गया तो पारिवारिक सम्पत्ति के साथ उन्हें

भाई की ३८ पलियों भी हिस्से के रूप में मिलीं । इस प्रकार वे ६० पलियों के पति बने । उनकी क्या स्थिति हुई होगी, कल्पना भर की जा सकती है ।

उत्तरप्रदेश के देहरादून डिवीजन के जौनसार इलाके में बहुपति प्रथा है । वहाँ सब भाइयों के बीच बड़े का विवाह होता है और वह सब भाइयों की सम्मिलित पत्नी का दायित्व निभाती है । वे सभी स्वयं को पाण्डवों का वंशज मानते व परम्परा निभाते हैं ।

वर की आयु बड़ी और वधू की आयु छोटी हो, इस मान्यता के पीछे भी कोई तर्क नहीं है । अतएव उसे बहुत जगह तोड़ा भी जा रहा है । ब्रिटिश समाचार पत्रों में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार गत वर्ष ३२ वर्षीय एक महिला से १६ वर्षीय जुलियन विलियम नामक एक छात्र ने अपनी माता की आज्ञानुसार विवाह कर लिया । दम्पति प्रसन्नतापूर्वक गृहस्थी की गाड़ी खींच रहे हैं । वस्तुतः यूरोप में इस तरह के प्रचलन आम हैं । अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन और नैपोलियन की धर्मपत्नियों अपने पति की आयु से कहीं अधिक बड़ी थीं ।

एक भारत है, जहाँ विवाह परम्परा के ढर्रे में दिनों-दिन विकृतियाँ भरती-जा रही हैं, वे भी तब जबकि आधुनिकता दूर-दराज तक प्रवेश कर चुकी है । इसी कारण अनेक सुयोग्यों को भी अविवाहित रहना पड़ता है । जो करते हैं, वे आर्थिक दृष्टि से बुरी तरह बर्बाद हो लेते हैं । समय को देखते हुए हमें भी बुद्धिसंगत परिवर्तनों के लिए तैयार होना पड़ेगा, नहीं तो प्रकृति का चाबुक हमें मार-मार कर विवश कर मानने पर मजबूर कर देगा ।

विवाह सम्बन्धी ये रुढ़मान्यताएँ अब बदलनी ही होंगी

विवाह के सम्बन्ध में देश-काल के अनुसार अनेक मान्यताओं में हेरा-फेरी स्वाभाविक एवं आवश्यक है । इनमें से कुछ मान्यताएँ अन्धविश्वास का परिणाम हैं और कुछ भिन्न परिस्थितियों व कालखण्ड में निर्धारित व्यवस्थाएँ हैं, जो अब समय तथा समाज का स्वरूप बदल जाने के कारण अप्रासंगिक और अर्थहीन हो गई हैं ।

आदर्शों की स्थापना, पालन एवं उन्हें सुदृढ़ परिपक्व बनाने का अभ्यास विवाह का उद्देश्य है । आन्तरिक अनुकूलता ही इस उद्देश्य की पूर्ति में प्रधान साधन एवं योग्यता है । साथ ही, भौतिक-सामाजिक जीवन में सफलता तथा प्रगति के लिये उपयुक्त अनुरूपता और सहयोग की प्रवृत्तियों को देखा-परखा जाना चाहिए । जो भिन्नताएँ उद्देश्य पूर्ति में बाधक बनती हैं, उनका ध्यान रखा जाना चाहिए ! गुण, कर्म एवं स्वभाव की अनुकूलता तथा सामञ्जस्य का विचार ही इस दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है । अन्य बाहरी भिन्नताएँ विवाह के लिये बाधक नहीं बननी चाहिए ।

व्यक्तित्व को परखने की कसौटियों इसी प्रकार की होनी चाहिए कि स्वभाव और चरित्र की छानबीन की जाये । इसके अतिरिक्त वे बाहरी भिन्नताएँ नगण्य समझी जानी चाहिए, जिनसे आपसी तालमेल बनाकर गृहस्थ-जीवन में आगे बढ़ने में कोई वास्तविक व्यवधान न उत्पन्न होते हों ।

जिस प्रकार जन्मपत्री के गुणों के मिलान में कोई दम नहीं, अपितु व्यक्तित्व में सन्निहित गुणों की अनुकूलता ही जीवन में काम आती है, उसी प्रकार आयु, कद, वजन के सम्बन्ध में रूढ़ हो गई अनावश्यक मान्यताओं का आग्रह भी किसी काम का नहीं । स्वभाव, प्रवृत्ति तथा जीवन-दृष्टि की अनुरूपता हो तो सफल दाम्पत्य-जीवन उम्र, ऊँचाई और भार की असमानताओं के बाद भी मली-भौति जिया जा सकता है । इन असमानताओं से पारस्परिक प्रेम और प्रगति में रंचमात्र भी फर्क नहीं पड़ता । यदि सिर्फ ऊपरी समानता भी देखनी हो, तो भी रहन-सहन का वातावरण, रुचियाँ, शौक, स्वास्थ्य, शैक्षणिक एवम् तकनीकी दक्षताएँ आदि दर्जनों बाहरी समानताएँ हैं, जो कद, आयु आदि की अपेक्षा बहुत अधिक महत्त्वपूर्ण हैं ।

लड़का, लड़की से बड़ा ही हो, यह आग्रह अर्थहीन है । जब पत्नी को दबाकर रखा जाना जरूरी माना जाता था, तब शायद यह भी आवश्यक माना जाने लगा था कि लड़का लड़की से उम्र में बड़ा हो, जिससे वह लड़की के व्यक्तित्व पर छावी हो जाय, उसे दबा सके । लड़की का व्यक्तित्व विकसित होने से पहले ही उसे ससुराल भेजकर वहाँ के अजनबी वातावरण में उसे इस प्रकार ढलने देना भी तब जरूरी माना जाता था, जिससे कि वह ससुराल वालों को शासक और स्वयं को शासित

मानने लगे । जिनसे खून का रिश्ता नहीं, पहले से मैत्री नहीं, वे अपने को अन्न-वस्त्र आदि की सुविधाएँ दे रहे हैं, स्नेह-सम्मान भी कुछ दे देते हैं, यह सोचकर लड़की एहसानमन्द होकर दबी रहे, जो पाती है, उसे अपना अधिकार नहीं, ससुराल वालों की कृपा माने, इस तरह के विचारों के रहने पर तो लड़की की उम्र लड़के से कम होने का आग्रह समझ में आता था । किन्तु यह सहयोग-सहकार एवम् समानता का युग है । अब तो लड़की का विकसित व्यक्तित्व ही उसका वास्तविक गुण एवं पात्रता है । आज के जमाने में दबी-धुटी लड़की पति का साथ नहीं दे पाएगी । योग्य लड़के योग्य लड़की को ही पत्नी के रूप में पाने की इच्छा रखते हैं । लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उम्र कम होने की रुढ़ि का आतंक अभिभावकों तथा लड़कों की इच्छा एवम् पसन्द के बीच व्यवधान बन जाता है । यह समाप्त होना चाहिए । लड़की की उम्र लड़के के बिल्कुल बराबर हो या अधिक भी हो तो उसमें कुछ भी अनुचित नहीं । पाश्चात्य देशों का भौंडा अनुकरण तो अपने यहाँ भी सीख लिया गया है और उसी की उल्टी-सीधी नकल के रूप में लड़के लोग लड़कियाँ देखकर पसन्द करने की पहल भी करने लगे हैं । किन्तु वहाँ की अच्छाइयों तथा सही प्रवृत्तियों को मानने से अभी भी कतराया जाता है । पश्चिमी जगत में एक-दूसरे के गुणों, रुचियों की परख को देखकर विवाह की आपसी सहमति होने में उम्र कभी बाधा नहीं बनती । लड़की का अधिक उम्र का होना किसी भी हिचक का कारण नहीं बनता ।

कद के बारे में भी आग्रह इसी प्रकार का है । यदि दोनों के व्यक्तित्व में साम्य है, सामञ्जस्य की सम्भावनाएँ हैं तो इससे कोई अन्तर नहीं पड़ता कि लड़की लड़के से ३० सेण्टीमीटर छोटी है या बराबर है या थोड़ी बड़ी है । बाजार में देखने वालों में से कुछ लोगों को जोड़े की ऊँचाई का आनुपातिक सन्तुलन भाता है अथवा नहीं, इस आधार पर भला कभी जीवन सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण निर्णय लिये जाने चाहिए । दोनों को जीवन ऐसी चालू बाजारू टिप्पणियों के सहारे नहीं, संसार की कठोर वास्तविकताओं के बीच जीना पड़ेगा, यह तथ्य सदा ध्यान में रखना आवश्यक है ।

वजन की भिन्नता भी ऐसी ही बेमतलब है । पति छरछरा है और पत्नी स्थूल अथवा पति मोटा-तगड़ा है, पत्नी

दुबली-पतली, यह कोई गणना एवं विचार योग्य तथ्य नहीं है । क्योंकि इससे दोनों के आपसी रिश्तों तथा सामाजिक जीवन में कोई भी प्रभाव पड़ने वाला है नहीं । ऐसी भिन्नताओं को उपहास या टीका-टिप्पणी का विषय बनाना मात्र कुछ खाली दिमाग और निठल्ले-बेकार लोगों का स्वभाव होता है । इन भिन्नताओं के कारण हर प्रकार से अनुकूल और अनुरूप लड़के-लड़की का विवाह टाल देना हर दर्जे की मूर्खता और हानिकारक संकीर्णता ही मानी जानी चाहिए थी । परन्तु आज अभी स्थिति यह है कि अच्छे-खासे, समझदार कहे जाने वाले और प्रतिष्ठित लोग भी इन भिन्नताओं के कारण अपने बेटे या बेटे का रिश्ता टालकर अपेक्षाकृत कम उपयुक्त, किन्तु बाहरी समानताओं वाले रिश्ते तय कर लेते हैं, इसका कारण समाज की नुक्ताचीनी का काल्पनिक भय है । समाज के जो लोग ऐसी बेमतलब की नुक्ताचीनी करते रहते हैं, उनकी बातें सुनने और मानने लगे तो जीवन दूमर हो जायेगा ।

कद, वजन, आयु सम्बन्धी रूढ़मान्यताओं का सम्बन्ध साथी के शरीर से ही है । इससे भिन्न, किन्तु इसी प्रकार अनुचित और भी अनेक भ्रान्त मान्यताएँ हैं; जो मात्र प्रचलन के आधार पर लोकस्वीकृति पाये हुए हैं । उनका तर्कसंगत आधार कुछ नहीं है । जैसे विधुर और विधवा के विवाह सम्बन्धी यह रूढ़ि कि विधुर के पूर्व पत्नी से हुए बच्चे तो दूसरी पत्नी आकर पाले-सम्भाले किन्तु यदि विधुर किसी विधवा से ब्याह करे, तो उसके पूर्व के बच्चे वह न स्वीकार करे । बच्चे बाप से भी अधिक माँ के सगे और निकट होते हैं । अतः विधवा के बच्चे उसके साथ रहने ही चाहिए । कोई व्यक्ति जब उससे विवाह करे तो उसे उसके बच्चों की भी जिम्मेदारी सहज रूप में सहर्ष उठानी चाहिए उसमें लज्जा, संकोच या हिचक जैसी कोई भी बात है नहीं । ऐसा रहने पर, किन्हीं कारणों से ब्याह आवश्यक मानने वाले विधुर कई बार अपने अनुकूल विधवा से मात्र इसी कारण ब्याह नहीं कर पाते कि उसके भी पहले के बच्चे हैं ।

उपजातियों की भिन्नता से भी कई बार बहुत उपयुक्त रिश्ते टल जाते हैं और बेमेल बंधन बाँध दिये जाते हैं । एक तो जाति-बिरादरी की मान्यता ही संकीर्ण और भ्रान्त है । सोचा यह जाना चाहिए कि मनुष्य मात्र एक है । सांस्कृतिक, धार्मिक समानताएँ सोचनी हैं तो हिन्दूमात्र एक है, यह विचार करना चाहिये जो लोग इतना नहीं कर पाते और जाति की

जकड़न से मुक्त होने की दृष्टि अभी जिनमें विकसित नहीं हो सकी है, वे भी उपजाति का बन्धन तो अवश्य ही अस्वीकार करें। क्योंकि उपजातियाँ पूरी तरह स्थान-विशेष के आधार पर बन गई हैं और उन पर आग्रह घोर अज्ञानता, इतिहास-बोध की कमी तथा मनुष्य के वास्तविक स्वरूप, विकास-क्रम एवं सामाजिक व्यवस्था-क्रम की गैरजानकारी का परिणाम है। ब्राह्मणों में जो लोग कन्नौज के आस-पास के थे वे कान्यकुब्ज हो गये, जो मालवा के थे वे मालवीय हो गये, जो सरयू नदी के उत्तर में बसते थे वे सरयूपारीण हो गये। अब उन्हीं के वंशजों द्वारा उन विशेषणों को चाहे जहाँ जाने पर भी ढोते फिरना तथा उसे ही रोटी-बेटी का सघन आधार एवं मापदण्ड बना रखना जड़-बुद्धि बने रहने के अतिरिक्त और कुछ नहीं। अन्य सब जातियों में भी उपजातीय विभाजनों के आधार मुख्यतः स्थानाधारित है। इतने छोट-छोटे मानदण्डों को मानकर चलने से, इतनी संकरी परिधि में बँधे रहने-से, प्रगति की उस दिशा में बाधाएँ पैदा होती हैं, जिस ओर मानव-समाज जा रहा है और भविष्य में जैसा उसका स्वरूप बनने वाला है।

कृत्रिम विभाजनों और ओछी संकीर्णताओं पर तत्त्वदृष्टा मनीषी निरन्तर प्रहार करते रहे हैं और कर रहे हैं। समाज में अब जड़ता तथा ठहराव अधिक दिनों तक चलने का नहीं। ऐसी स्थिति में प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम उन संकीर्णताओं को तो तत्काल तिलांजलि दे देनी चाहिए, जो सामञ्जस्यपूर्ण गृहस्थ-जीवन प्रारम्भ करने के मार्ग तक में अड़चने-रूकावटें बनकर खड़ी होती रहती हैं। इन व्यवधानों के कारण मनुष्य का स्वयं का जीवन अधिक अनुकूल साथी से वंचित रहकर अभावग्रस्त बनता है और समाज को भी अधिक अच्छे नागरिक नहीं मिल पाते। उपयुक्त और उत्तम दम्पति निश्चय ही अधिक योग्य संतति समाज को सौंपने में समर्थ होते हैं। इतने महत्त्वपूर्ण लाभों-अनुदानों से स्वयं को तथा समाज को वंचित रखने में जो कष्ट है, छोटी-छोटी भिन्नताओं को समाप्त करने के लिये साहसपूर्वक आगे बढ़ने में उससे कम ही कष्ट होता है और लाभ अनेक होते हैं। समाज के जाग्रत-जीवन्त वर्ग का समर्थन भी प्राप्त होता है। अतः इस दिशा में कदम बढ़ाना ही चाहिए।

अपनी विवाह-संस्था को कहीं पश्चिम का ग्रहण न लग जाए

दाम्पत्य जीवन की सुव्यवस्था पर पारिवारिक, सामाजिक, व्यक्तिगत सभी प्रकार की उन्नति-प्रगति निर्भर करती है। पति-पत्नी के सहयोग, एकता, परस्पर आत्मोत्सर्ग, त्याग, सेवा आदि से दाम्पत्य जीवन की सुखद और स्वर्गीय अनुभूति सहज ही की जा सकती है। जब इनमें किसी तरह का व्यतिरेक और व्यक्तिगत उत्पन्न होता है, तो वह विवाह-विच्छेद के रूप में सामने आता और जीवन नारकीय बनता देखा जाता है।

इन दिनों यही दृश्य बड़े पैमाने पर सर्वत्र देखा जा रहा है। सहिष्णुता के अभाव में छोटी-मोटी बातों को बढ़ा-चढ़ा कर इस प्रकार प्रस्तुत किया जाता है कि राई जैसा प्रकरण पर्वताकार बन जाता है और तिल जितना छोटा प्रसंग भी विशालकाय ताड़ जितना प्रतीत होने लगता है। ऐसे में समझौते की कोई सम्भावना सफल नहीं हो पाती। जब दोनों पक्षों में से कोई तनिक भी झुकने को, सहने और निभाने को जरा भी तैयार न हो तो सौमनस्य की आशा कैसे की जा सकती है कि पति-पत्नी का द्विपक्षीय सम्बन्ध देर तक टिका रह पायेगा? जहाँ गुण तलाशने की जगह अवगुण ढूँढ़ने की दोषपूर्ण प्रवृत्ति हो, वहाँ विवाह की अन्तिम परिणति विच्छेद के रूप में ही सामने आती है। वर्तमान का यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है।

जबकि होना यह चाहिए कि दोनों के बीच सामञ्जस्य इस स्तर का हो, जैसा तालमेल गाड़ी के दो पहियों के मध्य होता है, जिनमें एक की स्थिति पर दोनों के गति-प्रगति निर्भर करती है। दोनों के बीच जितना समन्वय होगा, दाम्पत्य जीवन उतना ही सुखद, स्वर्गीय, उन्नत व प्रगतिशील बनेगा। इनमें से एक भी अयोग्य, कमजोर हो, तो जीवन-रथ डगमगाने लगेगा और पता नहीं कब वह दुर्घटनाग्रस्त होकर नष्ट-भ्रष्ट हो जाय, मार्ग में अटक जाय। इससे न केवल पति-पत्नी, वरन्, पारिवारिक व सामाजिक जीवन में गतिरोध पैदा होगा, क्योंकि दाम्पत्य जीवन पर ही परिवार का भवन खड़ा होता है और परिवारों से ही समाज बनता है। इसलिए पति-पत्नी का परस्पर तालमेल परिवार संस्था का एक महत्त्वपूर्ण पहलू है।

अपने देश में आजकल यह एक बड़ी समस्या के रूप में सामने आया है, पर पश्चिमी देशों में तो विकराल रूप धारण कर चुका है। वहाँ 'चट मैंगनी, पट शादी' जितनी सरलता और शीघ्रता से सम्पन्न होती है, उतनी ही जल्दी टूट भी जाती है। उनमें स्थायित्व का अभाव होता है। इन दिनों तो वह गुड्डे-गुड्डियों का विवाह रचाने जैसा तमाशा बनकर रह गई है। भारत में तो फिर भी वह पवित्र बन्धन कुछ सीमा तक अब भी कम है। यहाँ के शहरों तक में ही प्रायः वह परिपाटी सीमित है, जिसमें विवाह करने व तलाक देने की परम्परा है अन्यथा गाँवों में तो लोग इस कानूनी दौंव-पेंच से दूर ही रहना पसन्द करते हैं। वास्तविकता तो यह है कि ग्रामीण जीवन में इस प्रकार की वैवाहिक जटिलताएँ यदा-कदा यत्किंचित ही देखने को मिलती हैं। इन्हें छोड़ दिया जाय, तो ग्रामवासियों का वैवाहिक जीवन इतना सुखद और संतोषपूर्ण होता है कि उन्हें इस प्रकार की कोई बात सोचने की फुसत ही नहीं मिलती।

शादी सम्बन्ध की पेचीदगियों तो तथाकथित सभ्य समाज की देन हैं। इसके बारे में लिखती हुई अंग्रेज समाजशास्त्री एन० मैकिट्स अपनी पुस्तक 'मैरिज एण्ड मिसकैरिज' में कहती हैं कि "जहाँ शादी का अर्थ देहाकर्षण और काम-क्रीड़ा की पूर्ति भर लगाया जायेगा, वहाँ आये दिन विवाह होते और टूटते ही रहेंगे।" वे लिखती हैं कि सम्भवतः पाश्चात्य जगत में इन दिनों इस पावन परिणय की परिभाषा सिकुड़कर ऐसी ही संकीर्ण हो गई है, फलतः वहाँ यह रिश्ता ज्यादा दिन तक न तो स्थिर रह पाता है, न स्थाई। तनिक-सी नॉक-झोंक हुई नहीं कि पति-पत्नी तलाक लेने और देने की बात सोचने लगते हैं। इसका थोड़ा भी विचार नहीं करते कि इस सम्बन्ध-विच्छेद का संतानों पर क्या असर पड़ेगा। यही कारण है कि वहाँ की युवक-युवतियों में भी यह आदत छूट की तरह लगती दिखाई पड़ रही है।

कुछ इसी प्रकार का मन्तव्य प्रकट करते हुए डॉ० डेनेवल अपने ग्रन्थ 'ए रिव्यू ऑन वेडिंग' में लिखते हैं कि पौर्वात्य और पाश्चात्य विवाह में अन्तर मात्र इतना है कि पूर्वी देशों में इस रिश्ते को एक पवित्र बन्धन माना जाता है—एक ऐसा गठबन्धन, जो जन्म-जन्मान्तर से चला आ रहा हो, जबकि यूरोपीय देशों में यह मात्र एक कानूनी प्रक्रिया है, जिसमें

पत्नी मात्र कानूनसम्मत रखल है (लिंगलाइज्ड फॉर्म ऑफ कनव्यूबाइनेज)। प्राच्य देशों में शादी दो दिलों का मिलन है, किन्तु पश्चिम में यह सम्बन्ध शरीर तक ही सीमित होता है, अन्तर की गहराइयों तक उतरने की उसकी सामर्थ्य नहीं। यहाँ इसे एक शर्तनामा (कॉण्ट्रैक्ट) से अधिक और कुछ नहीं माना जाता, जबकि भारत में इसे उच्च आदर्शों के प्रस्तुत कर सकने वाले एक आवश्यक अनुबन्ध के रूप में स्वीकारा गया है। वे कहते हैं कि वास्तव में इस सम्बन्ध में भारतीय मान्यता ही ज्यादा सही और सटीक है कि विवाह एक प्रकार का दायित्व-वहन अथवा बन्धन है, इससे पलायन, दायित्व शून्यता या निर्बाध स्वतन्त्रता का कोई संकेत नहीं मिलता। उनके अनुसार घर जब तक बन्द होता है, तब तक वह निरापद और शान्तिमय होता है। कपाट खुला रहने पर उसमें चोर-उचक्रे आ सकते हैं और तरह-तरह के उत्पात-उपद्रव खड़े करके घर की शान्ति भंग कर सकते हैं। यह बन्धन का सुख है। जिस घर का दरवाजा टूट-फूटा, ढीला-ढाला और चौपट हो, वहाँ आये दिन आक्रमण होते और कुहराम मचते ही रहेंगे।

यह सत्य है कि पति-पत्नी परिवार रूपी घर का किवाड़ है। इस किवाड़ के दो पल्लों में से एक भी खराब, असहिष्णु, अनुदार, कठोर हुआ, तो घर लुट जायेगा, परिवार बिखर और बर्बाद हो जायेगा और बच्चों की जो दुःखदायी स्थिति होगी, उसका अनुमान लगाना कठिन है। विदेशों में इस दशा में उन्हें जो कष्ट उठाना पड़ता है, उसे गम्भीर नहीं तो पीड़ादायक अवश्य कहा जा सकता है, क्योंकि वहाँ दाम्पत्य जीवन में भी बच्चों को वह प्यार-प्रेम नहीं मिल पाता जो मिलना चाहिए। फिर तलाक के बाद माता-पिता के स्नेह की आशा कैसे की जा सकती है? तब तो नये साथी के साथ घर बसाने और ऐश-मौज करने में वे इतने व्यस्त हो जाते हैं कि संतान की कोई चिन्ता ही नहीं रहती और जब नये विवाह से नये जोड़े के बच्चे पैदा होते हैं, तब तो पहली संतान की एक प्रकार से उपेक्षा ही होने लगती है। पिता तो सौतेला होता ही है, माता के व्यवहार में भी बेरुखी झलकने लगती है।

जहाँ मातृत्व और पितृत्व का सूनापन सौंय-सौंय कर रह हो, वहाँ संतानों को ऐसे ही त्रास झेलने पड़ते हैं। अपने देश में अभी इसका प्रभाव तो इतना विकट नहीं हुआ है, पर य भी नहीं कहा जा सकता कि पश्चिम के प्रभाव से यह बिल्कुल

बधा हुआ है। तलाक के मामले पिछले दिनों यहाँ जितने अधिक प्रकाश में आये हैं, उनसे यही लगता है कि विवाह की मूल धुरी ही टूटकर बिखर गई है अन्यथा भारतीय संस्कृति में पुरुष और स्त्री को आधा-आधा अंग मानकर एक शरीर की व्याख्या की गई है, जिसमें स्त्री को अर्द्धांगिनी व वामा कहा गया है। जब दो अर्द्धांग जुड़ गये—मिल कर एक हो गये, तो फिर उनके अलग होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है, पर आज यह सब कुछ सम्भव होता दिखाई पड़ रहा है। विज्ञान जिस प्रकार दो संलग्न अंगों को काट कर अलग कर देता है, उसी प्रकार वर्तमान कानूनी प्रक्रिया भी पवित्र वैवाहिक सूत्र-बन्धन को तोड़ने और छोड़ने की मान्यता प्रदान कर देती है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि शादी अब यहाँ भी पति-पत्नी के अन्तर सम्बन्धों को अभिव्यक्त करने वाला पावन संस्कार न रहकर, बाह्य देहाकर्षण की बोधक बनकर रह गई है।

इसका कारण क्या है? गहराई में उतर कर उसकी जाँच-पड़ताल करने पर जो महत्त्वपूर्ण सूत्र हाथ लगता है, उससे यही प्रतीत होता है कि उसके पीछे कुछ इद तक भोगवादी मान्यता प्रधान कारण है और शेष के लिए इन दो की अनुदारता एवं असहिष्णुता को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। यदि इन सबसे बचा जा सके, तो कोई कारण नहीं कि विवाह अपनी भारतीय अवधारणा के अनुरूप 'पावन परिणय' जैसा कुछ आज साबित न हो सके।

विवाह में रूप-लावण्य को प्रमुखता न मिले

विवाह के लिए लड़की-लड़कों का चुनाव करते समय देखा यह जाना चाहिए कि जिन्हें साथ-साथ जीवन काटना है, उनकी अभिरुचि और आदतें एक जैसी हैं या नहीं। इन्हीं के सहारे परस्पर निभती और लम्बी जिन्दगी पार होती है। इन दोनों क्षेत्रों में भिन्नता रहने पर असन्तोष, मनोमालिन्य और विरोध, संघर्ष का वातावरण बना रहता है। ऐसी दशा में रोटी-कपड़े की व्यवस्था बनी रहने पर भी वह स्नेह-सहकार बन नहीं पड़ता, जिसकी दाम्पत्य जीवन और परिवार व्यवस्था में पग-पग पर आवश्यकता बनी रहती है।

सिनेमा और टी० वी० ने इस सम्बन्ध में एक नया दृष्टिकोण दिया है। यह दोनों साधन अब से बीस-तीस वर्ष

पहले मात्र अमीरों के लिए उपलब्ध थे। गरीबों के लिए वे कौतूहल का एक कारण तो थे पर थे दुर्लभ। अब उनका असाधारण रूप से प्रचलन हुआ है। जहाँ बिजली पहुँच गयी है वहाँ अपने घर न सही पड़ौसी के यहाँ तो टी० वी० लगा हुआ है ही। वस्तुतः विनोद अब जब तब की बात नहीं वरन् नित्यकर्मों की तरह दैनिक आवश्यकता बन गया है। बिना अधिक कठिनाई के उसे देखने का अवसर मिल जाता है। किशोर-किशोरियों को उसे देखने की रुचि भी अधिक होती है और फुरसत भी मिल जाती है। बड़ी आयु वाले तो पारिवारिक, व्यावसायिक कर्मों में व्यस्त रहने के कारण दैनिक रूप से उसे देख नहीं पाते, पर किशोरों को उसे देखने का अपने यहाँ अथवा पड़ौस में जुगाड़ बैठ ही जाता है।

इस सर्वसुलभ मनोरंजन में रहती तो अन्य बातें भी हैं पर, प्रधानतया प्रेम कहानियों, प्रणय प्रसंगों की भरमार रहती है। उठती आयु में इस ओर प्रवृत्ति भी अधिक रहती है। जो दृश्य देखे गये हैं, उनमें एक ही छाप पड़ती है कि अपने को भी ऐसा सुयोग्य संयोग मिलना चाहिए। साथी ऐसा होना चाहिए जैसा कि इन मनोरंजन प्रसंगों में दीख पड़ता है। स्पष्ट है कि अपनी कृति को अधिक लोकप्रिय बनाने के लिए निर्माता अधिक सुन्दर नर-नारियों को अभिनय के लिए तलाशते और नियुक्त करते हैं। देखने वाले भी रूपवानों को ही पसन्द करते हैं। निर्माताओं के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा भी इसी बात की है कि कौन अपने निर्माणों में कितनी रूपवान युवक-युवतियों को जुटा सकते हैं। इस दृश्य आकर्षण पर ही उनकी सफलता का अधिक आधार रहता है।

कुरूप या साधारण नखशिख वाले यदि अभिनेता लिए जायें तो कथानक आदर्शवादी होते हुए भी उन्हें पसन्द नहीं किया जाता। फलतः निर्माता घाटे में रहते हैं। उनकी विवशता भी यह है कि प्रतिस्पर्धा में अधिक रूप-लावण्य वाले अभिनेता चुनें। बात इतने से भी नहीं बनती, कथावस्तु प्रणय प्रसंगों पर निर्भर हो। साथ ही वे लोग एक-दूसरे को रिझाने के लिए अपने व्यवहार में ऐसे प्रदर्शन करें जिससे दर्शकों को अधिक गुदगुदी, अधिक उत्तेजना उपलब्ध हो। यही है वह मसाला जो आज के सर्वप्रमुख मनोरंजन माध्यम सिनेमा और टी० वी० पर रंग-बिरंगी प्लेटों में परोसा हुआ मिलता है। उत्सुकतावश अथवा मजबूरी में यही सब देखने को मिलता

है। यों उनमें शिक्षा प्रसंगों का भी पुट रहता है। पर उन्हें तो उपेक्षापूर्वक ही देखा जाता है। शिक्षक और शिक्षार्थी की मनोभूमि न बन पाये, उस स्तर का वातावरण जुड़ा हुआ न हो तो जो शिक्षा के नाम पर जबरदस्ती थोपा जाता है वह अनसुना ही रह जाता है। अरुचिपूर्वक जो देखा जाय उसका प्रभाव भी क्या पड़ना।

कामुकता मनुष्य की पशु-प्रवृत्तियों में प्रथम है। वयस्कता आरम्भ होते ही वह मनुष्य के मन को उत्तेजित करने और गुदगुदाने लगता है। सिनेमा, टी० वी० में यह घटनाक्रम के रूप में आँखों के सामने आता है। दर्शक यदि अविवाहित है तो वह भी सोचता है कि उसे भी ऐसा ही साथी मिले। विवाहित है तो कामचलाऊ दाम्पत्य जीवन में न्यूनता देखकर कहीं अन्यत्र से वैसा ही सुयोग ढूँढने के लिए मानसिक ताना-बाना बुनता है। इन इच्छुकों में से कितनों की कामना पूरी होती है यह तो नहीं कहा जा सकता। परन्तु मानस इस प्रकार का बनता और ढलता जाता है।

कुछ समय पूर्व अश्लील पुस्तकें और कामुक प्रसंगों वाले उपन्यास इस स्तर की भूमिका निभाया करते थे। इसी प्रयोजन के लिए बनी तस्वीरें भी कुछ काम चला देती थीं पर अब तो अधिक सुगम और सरस दूसरे माध्यम हाथ आये हैं। इसलिए पुराने आधारों की अपेक्षा नई उपलब्धि ही जनआकर्षण का केन्द्र बनती जा रही है। इससे साधारण दाम्पत्य जीवन में असन्तोष भड़कता है और दूसरा कुछ नवीन पाने के लिए उस समुदाय के मानस में उफान आता है जिन्हें यह आधुनिक उपकरण मनोरंजक दृश्य देखने के लिए सुविधापूर्वक उपलब्ध हैं। परस्पर चर्चा का विषय भी वे रहती हैं। पत्र-पत्रिकाओं में उनके फोटो और विवरण छपते रहने से खाली समय में उन्हीं पर विचार करते रहने की सामग्री मिलती रहती है। इस आधार पर मौसलता, रूप, लावण्य, शोखी, चुलबुलापन, उत्तेजक अभिनय ही दिमागों में घूमते रहते हैं।

यह सब मनोरंजन तक सीमित होकर रहा होता तो भी अच्छा था। बात दो कदम और आगे बढ़ जाती है और हर दर्शक की एक ही इच्छा उभरती है कि इस प्रकार के अवसर उसे भी हाथ क्यों न लगे। सरल उपाय व्यभिचार हो सकता है, जो सुझता है वह येन-केन प्रकारेण कार्यान्वित होने का अवसर भी ढूँढता है। व्यभिचार की प्रवृत्ति बढ़ती है। वह

प्रकट या गुप-चुप रूप से अनुरूप ताने-बाने बुनती है। कई बार किसी सीमा तक सफल भी हो जाती है। पर असन्तोष के बीज सभी दर्शकों के मनों में बो जाती है। साधारण लड़की उन्हें पसन्द ही नहीं आती। सादगी पर्याप्त नहीं लगती।

यह कठिनाई वयस्क लड़के-लड़कियों के विवाह अवसर पर उपयुक्त जोड़े ढूँढने के साथ उपस्थित होती है। कोई समय था जब लड़के-लड़की का विवाह करना अभिभावकों की पसन्दगी पर निर्भर था। पर अब वे इतने से सन्तुष्ट नहीं होते और चयन में अपनी पसन्दगी को प्रमुखता देने की इच्छा प्रकट करते हैं। इस ढूँढ-खोज में यदि गुण कर्म, स्वभाव में समता वाला साथी ढूँढने की इच्छा काम कर रही होती तो भी उसका औचित्य समझा जाता। पर वैसा होता नहीं। सिनेमा के अभिनेता-अभिनेत्री आदर्श के रूप में सामने रहते हैं। इन्हीं का जैसा नख-शिख चाहिए और उन्हीं का जैसा उत्तेजक हाव-भाव भी। ऐसा अपने घरों में कहीं मिले। भारत योरोप नहीं है। यहाँ के लड़के-लड़की गौरवर्ण नहीं होते और न उन्हीं जैसे स्वच्छन्द स्वच्छाचार की शिक्षा मिली होती है ताकि वे साथी को अपने मायाजाल में फँसा सकें। सभ्यता, शालीनता, कुल परम्परा, बड़े-बूढ़ों की उपस्थिति जैसे प्रतिबन्धों के कारण विशेषतया दबी हुई स्थिति ही पसन्द करने वालों के सामने उपस्थित होती है। ऐसी स्थिति में आसमान के सपने देखने वालों को जमीन कैसे पसन्द आये। देखा गया है कि लड़की लड़कों की पसन्दगी का एक बहुत बड़ा संकट सामने है जिसके कारण चलती चर्चा और प्रयत्न असफल हो जाते हैं और दोनों की आयु असाधारण रूप से बढ़ती जाती है। प्रचलन के अनुसार उठती आयु में ही विवाह हो जाते हैं। जो उस अवधि को पार कर चुके उनके लिए फिर नये सिर से ककहरा पढ़ना पड़ता है। चेहरे की चमक तनिक-सी ढलते ही उस पर बुढ़ापा उभरने लगता है। बड़ी आयु के अविवाहित लड़के भी नहीं मिलते। ऐसी दिशा में कँवारे रहना एक मजबूरी बन जाती है। ऐसे असफलों की संख्या उतनी तेजी से बढ़ती जाती है जितनी तेजी से प्रेम-प्रसंगों को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाने वाला दृश्य मनोरंजन।

हमें आसमान में बिना पंखों की उड़ान न उड़कर जमीन को देखते हुए चलाना चाहिए। भारत में ६० प्रतिशत

लड़की-लड़के सामान्य रंग-रूप के होते हैं । अपनी माता, बहिन, भाभी, फूफी, चाची आदि के चेहरों पर दृष्टि डाली जाय तो वे सभी सामान्य रंग-रूप की मिलेंगी । फिर इन सिरफिरों के लिए स्वर्ग लोकों से परियों या यक्षिणी, गन्धर्व उतर कर कहीं से आये ? इसलिए सिनेमा और व्यावहारिक जीवन के अन्तर को अपनी नई पीढ़ी को समझा ही दिया जाना चाहिए । यहाँ सौन्दर्य परिवार व्यवस्था में काम नहीं आता वरन् गुण-कर्म स्वभाव के आधार पर जिन्दगी की नाव पार लगती है ।

रूप को नहीं, सुसंस्कारिता को महत्त्व दिया जाय

सुन्दरता हर किसी को प्रिय है । सुन्दर दृश्य, सुन्दर स्थान, सुन्दर वस्तुएँ मन को भाती हैं । सुन्दर चेहरा भी भाये यह मन की स्वाभाविक विशेषता है । अन्य सदगुणों के साथ-साथ चेहरे का सौन्दर्य भी हो तो इसे एक अतिरिक्त विशेषता माननी चाहिए परन्तु जहाँ रूप को ही प्रधानता दी जाती है तथा अन्य मानवोचित गुणों-सुसंस्कारों की उपेक्षा की जाती है वहाँ भारी भूल होती है । जीवन-साथी के चुनाव में इन दिनों रूप को ही प्रधानता देने का जो दौर चला है उससे लाभ तो बहुत कम हैं, हानियाँ अनेक हैं । रूप आकार को अत्यधिक प्रधानता देने की पागल दौड़ में जो लोग बिना सोचे-विचारे सम्मिलित होते रहते हैं वे वस्तुतः अपने ही पैरों में कुल्हाड़ी मारते हैं । नर-नारी के बीच आकर्षण तथा सम्बन्धों का आधार शरीर की बाह्य सुन्दरता बन जाने से आपसी स्नेह, संवेदना, श्रद्धा, शील, सौजन्य, संयम, शिष्टता एवं शालीनता जैसे सदगुणों की उपेक्षा होने लगती है । फलतः शरीराकर्षण के आधार पर स्थापित हुए सम्बन्धों में प्रगाढ़ता नहीं आती । शरीर का सौन्दर्य कम होते ही नर-नारी के परस्पर सम्बन्ध भी मधुर नहीं रह पाते । रूप को अधिक महत्त्व दिए जाने के खतरे भी अधिक हैं ।

ऐसी स्थिति में लड़की के रूपवान होने से अहंकार बढ़ जाना स्वाभाविक है । अहंकार की छाप उसके व्यवहार में झलकने लगती है जिसके कारण परिवार के अन्य सदस्यों के प्रति व्यवहार सुमधुर नहीं रह पाता । यदि पत्नी आत्मगर्विता रूपसी बनकर रह जाये उसके आचरण में दर्प प्रकट होने

लगे—वह शिष्टता एवं शालीनता की उपेक्षा करने लगे तो जिस रूप को इतनी प्रधानता दी गई थी वही उपदंश जैसा घातक सिद्ध होता है । शरीर के उभार के प्रति प्रचण्ड आकर्षण का वातावरण बना देने से लड़की के दिल-दिमाग में रूप के प्रति अदम्य आकर्षण की मान्यता बैठ जाएगी । अन्य सदगुणों की चारित्रिक विशेषताओं की उपेक्षा कर देने से वह अपनी शील की रक्षा कर सकने में भी असमर्थ सिद्ध होती है । रूप के प्रति आकर्षण से शील को छोड़कर भटकने का अवसर मिलता है ।

दूसरी ओर रूपसी नारी पर कामलोलुप पुरुष भी डोरे डालने के फेर में रहते हैं । वे उसी के लिए जोड़-तोड़ करते, ताना-बाना बुनते रहते हैं । चारित्रिक विशेषताओं को महत्त्व न दिए जाने से कितनी ही रूपवान नारियों के भटकने की सम्भावना बनी रहती है । व्यभिचारियों की दाल वहीं गलती है जहाँ रूप को प्रधानता दी जाती है । जिनके व्यक्तित्व की आधारशिला चरित्र के ऊपर रखी गई है वहाँ रूप, आकर्षण के संवेग में बहने की गुंजाइश नहीं रहती ।

पश्चिमी देशों में परिवार संस्था जराजीर्ण हो चली है । दाम्पत्य जीवन में यत्किंचित ही मधुर स्नेह दिखाई पड़ता है । विवाह सम्बन्धों को टूटते देरी नहीं लगती । तलाक की घटनाएँ दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं । समाजशास्त्रियों का मत है कि इसका एक प्रधान कारण है—जीवन-साथी के चुनाव के रूप को अतिरंजित महत्त्व दिया जाना । अपने देश में भी उनका अन्धानुकरण किया गया तो विवाह संस्था खोखली होकर रह जायेगी । दाम्पत्य जीवन की पवित्रता सुरक्षित नहीं रह सकेगी । आपसी सम्बन्धों में न तो पवित्रता रह पायेगी और न ही मधुरता । रूप प्रधान दृष्टि रूप को ही महत्त्व देगी और जहाँ कहीं भी वह दिखाई देगी उधर ही जाने के लिए मचलेगी । फलस्वरूप नर-नारी न तो अपनी शालीनता की रक्षा कर पायेंगे और न ही चरित्र की । निस्सन्देह यह स्थिति व्यक्ति, परिवार एवं समाज तीनों ही के लिए घातक सिद्ध होगी ।

सुन्दर स्वास्थ्य, नीरोग काया को महत्त्व दिया जाय, शरीराकर्षण की बात इस सीमा तक तो सही है पर रंग एवं रूप को तो किसी भी हालत में अतिरंजित प्रश्रय नहीं मिलना चाहिए । ऐसा सम्भव भी नहीं है कि अभीष्ट प्रकार की कल्पना

के अनुरूप हर किसी को रूपवान, गोरे वर्ण का जीवन साथी मिल जाय, अपने देश की जलवायु भी ऐसी नहीं है। उत्तरी भारत के पहाड़ी अंचल और पश्चिमी भारत में पंजाब, हरियाणा जैसे क्षेत्रों में यह सुन्दरता भले ही पाई जाए अन्यत्र चमड़ी के रंग पर आधारित सुन्दरता के मापदण्ड पर कम ही लोग खरे उतरेंगे।

यहाँ बाह्य सौन्दर्य की महत्ता को नकारा नहीं जा रहा है वरन् यह कहा जा रहा है कि वह तभी प्रशंसनीय-अभिनन्दनीय है जब सुसंस्कारिता से अनुप्राणित हो अन्यथा रूप और सुसंस्कारिता के बीच चयन का अवसर आने पर दूसरे को ही प्रधानता दी जानी चाहिए। विवाह के उपरान्त दाम्पत्य जीवन में स्थायित्व इसी के आधार पर आता है तथा मधुर सामंजस्य तभी स्थापित हो पाता है।

लड़की देखने जाते हैं, तो क्या देखते हैं ?

लड़के का विवाह सम्बन्ध तय करते समय सारी बातें तब तक ऊपरी और सतही समझी जाती हैं, जब तक लड़की को देखकर पसन्द न कर लिया गया हो। पहले तो माता-पिता या घर के बड़े-बुजुर्ग लड़की देखने जाया करते थे, पर अब आधुनिकता के माहौल में लड़के द्वारा लड़की देखने की परम्परा चल निकली है। अब लड़की देखने का रिवाज उसी तरह आम हो गया है जैसा कि शादी से पूर्व सगाई का।

कन्या के घर भावी वर महोदय जब उसे देखने पहुँचते हैं तो उस समय अभिभावकों का ज्यादातर ध्यान इस बात पर रहता है कि बेटी को अधिक से अधिक आकर्षक बनाकर उनके सामने देखने-परखने के लिए प्रस्तुत किया जाय। लड़के क्या देखते हैं। 'व्यक्तित्व'। नहीं, व्यक्तित्व की परख कोई एक-आध क्षण में नहीं हो जाती और न ही दो-चार दिन में होने की है। कोई कुशल मनःशास्त्री ही इतनी जल्दी किसी का व्यक्तित्व भौंप सकता है और कन्या को देखने आये भावी जामाता कोई मनोवैज्ञानिक तो होते नहीं।

मनोवैज्ञानिक हों भी तो उस समय उनका दृष्टिकोण लड़की के स्वभाव को जानना या समझना नहीं होता। वे उसे देखते समय प्रायः यही सोचते हैं कि लड़की सुन्दर है अथवा नहीं, रंग कैसा है, नयन-नक्श और हाव-भाव कैसे हैं?

अधिकांश लड़कों का यही दृष्टिकोण रहता है। वे चमड़ी का उजलापन देखने जाते हैं और उसी आधार पर अपनी राय देखते हैं।

कहा तो जाता है कि लड़की में अपेक्षित गुणों को देखने के लिये जाया जाता है। यह अनुकूल रहेगी या प्रतिकूल, उसका स्वभाव कैसा है? उसमें कोई अवगुण तो नहीं है, अंग-भंग तो नहीं है। पर ये सारी बातें गलत हैं। यदि गुण और स्वभाव की परख या अनुकूलता अथवा प्रतिकूलता देखने का ही उद्देश्य है तो उसकी कसौटी क्या मानी गयी है? कुछ कहा नहीं जा सकता और थोड़ी-बहुत कसौटियाँ हों भी तो एक नजर में क्या-क्या देखा जा सकता है? लड़की चाय या नाश्ता रखने के लिये ही सब लोगों के सामने बुलायी जाती है और रखते ही लजा-सकुचाकर वापस भाग जाती है। कुछ क्षणों में व्यक्तित्व की पहचान कैसे कर ली जाती होगी? समझ आना मुश्किल है।

देखकर आने के बाद वर महाशय को यदि वह पसन्द आ जाती है, तो घर वालों से कह देते हैं कि ठीक है और पसन्द नहीं आयी तो जो गलतियाँ देखने में आती हैं, वे कुछ इस प्रकार बता दी जाती हैं—लड़की का रंग काला है, नाक चपटी है, बहुत मोटी है, नाटे कद की है, आँखें टेढ़ी हैं आदि-आदि। यह सब बातें सिद्ध कर देती हैं कि लड़का अपनी जीवन-साथी नहीं एक सुन्दर रमणी को देखने गया था, जो उसकी कसौटी पर पास हो गयी या फेल।

अभिभावक भी लड़की देखने जाते हैं तो उनका दृष्टिकोण लड़की देखना नहीं वरन् अपने बेटे के लिये सलौनी बहू की तलाश करना होता है। घर की बड़ी-बूढ़ी स्त्रियाँ उस समय उसके नयन-नक्श का नाप-जोख देखने के साथ-साथ घर की माली हालत का पता लगाने की चेष्टा भी करती हैं। क्योंकि आगे चलकर दहेज में क्या माँगा जायेगा। उस परिवार की स्थिति और क्षमता को देखकर ही तो निश्चित किया जाना है। घर की बड़ी-बूढ़ी महिलाएँ अपनी भावी बहू का रूप-रंग परखने के साथ-साथ उसकी पहनी हुई साड़ी और वस्त्रों का भी मूल्यांकन कर लेती हैं और उसी आधार पर अन्य लोगों को अपनी राय देती हैं कि परिवार सम्पन्न है या निर्धन। वहाँ से दहेज में क्या-क्या मिलने की आशा की जा सकती है और क्या-क्या माँगना चाहिए?

लड़के रूप-रंग को पसन्द करते हैं तो परिवार के जिम्मेदार लोग आर्थिक स्थिति का अनुमान लगाते हैं। दोनों में से कोई दाम्पत्य जीवन के साथी की तलाश अथवा घर के लिये सुयोग्य गृहिणी को देखने-परखने नहीं जाते। जबकि दाम्पत्य जीवन और पारिवारिक जीवन में इसे ही प्रधानता दी जानी चाहिए। देखा जाता है कि सुयोग्य, गुण सम्पन्न, शिष्ट और विदुषी लड़कियाँ भी दहेज की सम्भावना न दिखाई देने के कारण नापसन्द कर दी जाती हैं। लड़के इन गुणों से सम्पन्न किन्तु असुन्दर लड़कियों को नापसन्द कर देते हैं और रूपवान् दीखने में सुन्दर गोरी चमड़ी, सुडौल नक्शे की लड़कियों के कितने ही दुर्गुण नजर-अन्दाज कर पसन्द कर लेते हैं। घर के लोगों के लिये दहेज का प्रलोभन ही सब कुछ बन जाता है।

इस तरह विवाह जीवन-साथी का चुनाव और निर्धारण नहीं व्यापार तथा सौदा बन जाता है। सवाल उठता है कि इस विडम्बना को कैसे रोका जाय? तो सर्वप्रथम हमें वहीं से शुरूआत करनी होगी, जबकि लड़की को देखने के लिये जाया जाता है। सुन्दरता एक अच्छी चीज है, पर चमड़ी की नहीं व्यक्तित्व की। रंग का उजलापन आँखों को कुछ क्षण भले ही नयनाभिराम लगे पर सद्गुणों तथा अच्छे स्वभाव के बिना वह बोझ लगने लगता है।

तब क्या लड़की देखना बन्द कर दिया जाय? यह ध्यान रखना चाहिये कि न तो लड़की देखना आवश्यक है और न ही वह कोई परहेज योग्य प्रथा है। सवाल लड़की देखने या न देखने का नहीं है, सवाल यह है कि हम लड़की में देखते क्या हैं? रूप-रंग? तो वह व्यर्थ है, क्योंकि कुछ दिनों बाद ही वह आकर्षण समाप्त हो जाने का है। गृहस्थी की गाड़ी पति-पत्नी दोनों से चलती है। एक के बिना दूसरे की कोई सामर्थ्य नहीं और न उसकी धुरी सुन्दरता और कमनीयता पर टिकी है, वरन् इसकी धुरी है प्रेम, सेवा, सहयोग एवं सामंजस्य।

मनोवैज्ञानिक जे० रीड ने एक पुस्तक लिखी है, 'टुवर्ड क्रिएटिवनैस ऑव ह्यूमन रिलेशन्स' अपनी रचना में उन्होंने मानवीय रिश्तों को मजबूती के आधार पर प्रस्तुत किया है। उनके अनुसार सामान्यतया कोई भी किसी की ओर उसकी बनावट देखकर आकर्षित होता है। नजदीक आने पर यह सम्मोहन टूटता है और मेल-मिलाप का आधार बनता है—व्यवहार। धीरे-धीरे व्यवहारों के द्वारा एक-दूसरे को उनके

चरित्र के क्षेत्र में प्रवेश कराते हैं। यदि इस क्षेत्र में कोई कमजोरी दीखी तो व्यवहारकुशलता भी धरी रह जाती है और पनपती है एक वितृष्णा। चरित्र के बाद अगला और कहीं अधिक गहन क्षेत्र है विचारों, आकांक्षाओं और उद्देश्यों का। इसमें यदि सामंजस्य बैठ सका तो रिश्तों की मजबूती असाधारण हो जाती है अन्यथा पास रहते हुए बेगानापन बना रहता है। कड़ुवाहट और घृणा से दोनों जीवन विषाक्त हो उठते हैं।

रीड के मनोवैज्ञानिक मापदण्डों के अनुसार विवाह के पहले यदि कुछ परखने योग्य है तो वह है—सामंजस्य। परखना यह चाहिए कि वर-कन्या की प्रकृति कितनी अनुकूल है, उनके गुणों में कितना सामंजस्य है, उनके संस्कार कैसे हैं? और वे एक-दूसरे के प्रति सहिष्णुता रख सकते हैं या नहीं। देखा यह जाता है कि पत्नी तो पति की हर अच्छी-बुरी आदत सह लेती है और उसके अनुरूप ढल जाती है। टेढ़े तो पति पड़ते हैं। इसलिये कन्या की अपेक्षा लड़के की परख करना कहीं अधिक आवश्यक है। इसीलिये मानवीय रिश्तों के आदि व्याख्याकार मनु ने कहा है कि विपरीत स्वभाव वाले, अनुदार, अयोग्य और अकर्मण्य लड़के से कन्या का विवाह कभी नहीं करना चाहिए, भले ही कन्या को आजीवन कुँआरी रखना पड़े। असंगत वर से विवाह करने की अपेक्षा, न विवाह करना श्रेष्ठ।

न केवल कन्या के गुण, कर्म, स्वभाव परखे जायें वरन् लड़के को भी परखना कहीं अधिक आवश्यक है। उसके गुण, कर्म, स्वभाव परखते समय कहीं अधिक सतर्कता की आवश्यकता है। इस सम्बन्ध में बड़े-बुजुर्गों को भी अपना दिमाग साफ रखना चाहिये कि वे कन्या पक्ष की माली हालत का जायजा लेने नहीं, वहाँ के वातावरण का अध्ययन करने जायें। कम से कम इतनी समझ तो सभी में होती है कि घर के अन्य लोगों के तौर-तरीके, व्यवहार, उठने-बैठने के ढंग, पड़ोसियों के प्रति उनका दृष्टिकोण या रुख तथा घर के सदस्यों में आलीयता, प्रेम, सद्भाव और सद्व्यवहार कर सकें। वर और कन्या पक्ष दोनों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए।

कम से कम लड़की वालों को अपनी बेटी की नुमाइश करने में तो संकोच करना ही चाहिए। पलकों में पाली अपनी लाड़िली को कोई रूप की कसौटी पर कसने आये तथा उसी आधार पर उसे पत्नी बनाने के लिये राजी हो जाय तो ऐसे

युवक से बेटी को क्या सुख मिलेगा ? अतएव उपयुक्त यही है कि एक-दूसरे की जाँच का आधार मनोवैज्ञानिक बने । यथार्थ सौन्दर्य को मापने की कसौटी भी यही है । यह प्रचलन सबसे पहले बेटे वाले अपने घर से आरम्भ करेंगे तो स्वभावतः उन्हें भी अपनी लड़की के लिये ऐसे ही समान विचारधारा के सज्जन मिलते चले जायेंगे । विचार क्रान्ति का एक महत्त्वपूर्ण पक्ष है विवाहों से सम्बन्धित सभी दिखावों, नखरों, नेग-दहेज इत्यादि का बहिष्कार । इस कार्य को अपनी आज की पीढ़ी को अभी से ही आरम्भ कर देना चाहिए ।

लड़की ही क्यों देखी जाय ?

“बेटी सरिता, जरा चाय दे जाना बैठक में ।” सरिता के पिताजी ने अपनी आवाज में भरपूर मिठास उपजाते हुए पुकारा । सरिता इस आवाज का अर्थ भली प्रकार समझती है । यह उसके लिये कोई पहली आवाज नहीं है । यह चाय दे जाना उसके लिये कितनी दुर्वह और कष्टकारक प्रक्रिया हो गयी है कि उसका जी जानता है । लौकिक-लाज और माता-पिता के मानापमान का भय जो हो नहीं तो उसका जी तो करता है मुँह खोल कर कह दे कि मैं बार-बार यों बलि-पशु की सी स्थिति का सामना करने में असमर्थ हूँ ।

सरिता को लग रहा था कि उसके पाँवों में मन-मन भर के पत्थर बाँध दिये हों । फिर भी वह इस दुर्वह दायित्व को निभाती है । उसका आक्रोश और विवशता और गहरी हो जाती है । कोई दसियों बार वह इस स्थिति से गुजर चुकी है । पहली दो चार बार तो उसे कुछ बुरा नहीं लगा पर अब तो जब भी वह एक, दो या चार, पाँच आँखों के सामने से गुजरती है इस चाय देने के अर्थ-प्रसंग में, तो उसे कभी देखा गया वह दृश्य याद आ जाता है—किसी कसाई द्वारा बकरे को खरीदते समय आँखों ही आँखों में यह तौलने का कि इसमें कितना मौस निकलेगा ।

इस दुःखद प्रक्रिया में अकेली सरिता को ही गुजरना पड़ता है, उस जैसी विवाह योग्य साठ प्रतिशत से भी अधिक लड़कियों को इस स्थिति से गुजरना पड़ता है, लड़की देखने की स्थापित हो चली सी परम्परा के कारण प्रायः लड़की देखने वालों का रवैया वही होता है या लगता है, लड़की को इस परम्परा के निर्वाह के दौरान । लड़की के या उसके माता-पिता

के मन पर क्या गुजरती होगी जब हजार प्रश्न करने और भेदती हुई नजरों से उसके व्यक्तित्व का पोस्टमार्टम कर लेने के बाद आगन्तुकों से उत्तर मिलते हैं—“साहब लड़की की नाक जरा लम्बी है ।” “उसे तो वह नहीं भाता ।” “रंग जरा साफ नहीं है ।” “भाई क्या करें आजकल के लड़के हैं, हम तो बाज आये इनकी कोई नजर में चढ़ती ही नहीं ।”

कोई उनसे यह पूछे कि आपके लड़के के कौन से सुरखाब के पर लगे हुए हैं या उनका व्यक्तित्व कैसा सुदर्शन है, तो कैसी रहे पर, वे तो बेचारे लड़की वाले हैं, कुछ यह कैसे कह सकते हैं । जैसे लड़की को पाल-पोस कर बड़ा क्या किया एक अपराध कर दिया हो ।

इस प्रकार यह लड़की देखने की प्रथा कितनी ओछी और हृदयहीन है, साथ ही अर्थहीन भी । भला दस-बीस मिनट या इससे कुछ अधिक समय में किसी को क्या देखा-परखा जा सकता है । बहुत हुआ तो थोड़ा रंग-रूप, सलीका और बातचीत का ढंग ही तो देखा जा सकता है । इतने से ही क्या लड़की के खरी-खोटी होने की पहचान हो सकती है ।

प्रश्न तो यह उठता है कि लड़की देखी ही क्यों जाय ? क्या लड़के वाले उसे खरीद रहे हैं या लड़की वाले अपनी बेटी बेच रहे हैं । कैसी विडम्बना है । यह हजार कठिनाइयाँ सहकर पाली-पोसी लड़की दे रहे हैं, ऊपर से लोग लम्बा-चौड़ा दहेज भी माँगते हैं और ऊपर से तुरा यह कि लड़की देखेंगे वह भी निर्लज्ज ढंग से । हाँ, यदि लड़की वाले लड़का देखने जायें तो उसका कुछ औचित्य भी है क्योंकि उन्हें अपनी कन्या किसी को सौंपनी है उसका जीवन सुखी बनाने के लिये ।

हमारे यहाँ पहले स्वयंवर की प्रथा प्रचलित थी जिसमें लड़कियाँ लड़कों को परखा करती थीं । उसका कुछ औचित्य भी था । पर आज लड़की देखने की प्रथा जो चल पड़ी है उसका कुछ औचित्य समझ में नहीं आता । जब लड़कियाँ लड़का देखने नहीं जाती तो लड़कों को लड़की देखने का क्या अधिकार है । जब नर और नारी को ईश्वर ने समान बनाया है, कानून के समान अधिकार प्रदान किये हैं तो समाज यह मानने को तैयार क्यों नहीं होता ।

लड़की देखने में उसे कितना मानसिक आघात पहुँचता है, यह बहुत कम लोग सोचते हैं । वे तो समझते हैं कि इस

थोड़े समय के इन्टरव्यू पर ही लड़के के भावी जीवन की सफलता निर्भर है। जबकि इस थोड़े से समय में कुछ भी तो नहीं जाना जा सकता। प्रायः लोग अपनी इस मूर्खता पर बाद में पछताते हैं।

एक बार किसी महाशय को सुन्दर लड़की चाहिए थी, जबकि वे स्वयं बदसूरत थे। लड़की देखी तब वे भी थे और उनके माता-पिता भी सबने मिलकर लड़की पसन्द की। विवाह हुआ। अब वे कहते हैं लड़की का मेकअप ही उसे सुन्दर बना रहा था, उनकी पत्नी इतनी सुन्दर नहीं है जितनी उन्हें चाहिए। इसी बात को लेकर वे दिन-रात पछताते हैं।

पहले भी लड़की देखने की प्रथा थी पर इतनी विकृत और भौंडी नहीं थी। लड़के की माता अतिथि के तौर पर लड़की के घर जाती थी। वह लड़की को, उसके घर-परिवार को देख लेती थी। लड़की को पता ही नहीं चलता था इसका कि उसे कोई देखने आया है। फिर जब उसे लड़की पसन्द आ जाती थी तो सम्बन्ध का प्रस्ताव भेज देती थी अपनी ओर से। तब दहेज का भी झगड़ा नहीं के बराबर था।

अब तो माता-पिता ही नहीं लड़का स्वयं भी लड़की देखना चाहता है। बहुत से माता-पिता तो शादी के पहले के पत्र-व्यवहार में ही लड़की वालों से इतने प्रश्न पूछ बैठते हैं कि उनसे सच-सच उत्तर देते नहीं बनता। चाहे उनका लड़का बदसूरत और निठल्ला ही क्यों न हो लड़की चाहेंगे सर्वगुण सम्पन्न भला यह कहाँ का न्याय है।

यह लड़की देखने की प्रक्रिया कभी-कभी तो लड़की के लिए बड़ी दुःखद हो जाती है। सुनते हैं कि एक बार लड़की देखने आयी लड़के की माँ ने उसके कुछ बाल पकड़ कर खींच लिये थे, यह देखने के लिये कि वे नकली तो नहीं हैं। बेचारी लड़की रो पड़ी थी अपनी इस दुर्गति पर। समझ में नहीं आता कि लोग लड़की की खाल और बाल को ही इतना ही महत्त्व क्यों देते हैं। उन्हें गृहलक्ष्मी चाहिए या नर्तकी।

लड़की देखने के इस क्रम में आजकल के अपने आपको आधुनिक समझने वाले अधिकांश युवक अपने माता-पिता से किसी कदर पीछे नहीं रहना चाहते। वे तो लड़की को भी देखना ही नहीं समझ लेना चाहते हैं थोड़े से समय में। वे एकान्त में बात-चीत करना भी चाहते हैं, साथ-साथ घूमना

और पिकचर देखना भी चाहते हैं। शादी के बाद यह सब बातें ठीक हो भी सकती हैं पर उसके पहले यह सब कैसे उचित कहा जा सकता है। यह तथाकथित आधुनिक लड़की देखने की प्रक्रिया कभी-कभी तो लड़की के लिये बड़ी दुःखदायी हो जाती है। माता-पिता अच्छा लड़का हाथ से निकल जाने के भय से उनका साथ-साथ घूमना, एकान्त में मिलना स्वीकार कर लेते हैं। इसके कभी-कभी भयंकर परिणाम होते हैं। यदि वे क्वारेपन की सीमा से बाहर निकल गये तो लड़की और माता-पिता के लिये पछताने के अतिरिक्त कोई चारा नहीं रहता।

लड़की को ही क्यों देखा-परखा जाना आवश्यक है जबकि लड़कों के लिये तो ऐसा कुछ नहीं होता। सुन्दर हो, सुघड़ हो, गृह कार्य में दक्ष हो और आधुनिक भी हो। यह सब अर्हताएँ मात्र लड़कियों के लिये ही क्यों आवश्यक मानी जाती हैं। लड़का भी सम्य, सुशील, सुन्दर, स्वस्थ, कमाऊ और विवेकी हो यह क्यों नहीं देखा-परखा जाता। यदि नहीं देखा-परखा जाता तो फिर यह लड़की देखने और नारी स्वाभिमान को बार-बार चोट पहुँचाने वाला यह गोरखधंधा भी बन्द किया जाना चाहिए। जहाँ न्याय और समता का तकाजा है या तो इस लड़की देखने की प्रथा को समाप्त किया जाय या लड़कों को चुनने के लिये लड़कियों को भी समाज वैसा ही अधिकार दे।

आज जबकि समाज में स्त्रियों और पुरुषों के समानाधिकार की आवाज-उठ रही है तो यह देखकर आश्चर्य भी होता है कि लड़की को देखकर उसे प्रदर्शन की वस्तु क्यों बनाकर उसे उपयुक्त ठहराने की मान्यता बल पकड़ती जा रही है। इस अनुचित अवांछनीय नयी परम्परा को निरुत्साहित किया ही जाना चाहिए अन्यथा यह समाज को काहे गला-गला कर मारने लगेगा।

कुरूप पत्नी का गला घोट कर हत्या

घटना राजेन्द्र नगर (नई दिल्ली) थाना क्षेत्र के अन्तर्गत दसघेरा ग्राम की है। वहाँ के सुल्तानसिंह नामक व्यक्ति को बन्दी बनाया गया है। उस पर अपनी पत्नी का गला घोट कर हत्या कर देने का आरोप है।

यों हत्याओं तथा आत्म-हत्याओं की घटनाएँ आये दिन होती रहती हैं। कहीं कुछ कारण होता है कहीं कुछ। अधिकांशतः मनोबल के अभाव में या मानसिक आवेश में ही ऐसी घटनाएँ होती हैं।

पर यहाँ कारण कुछ दूसरा ही था। सुल्तानसिंह की पत्नी का यही दोष था कि वह अनपढ़ और कुरूप थी।

कुरूपता कोई ऐसा अवगुण नहीं है जिसकी सजा हत्या कर देना है। अशिक्षा कोई ऐसा रोग नहीं है जिसका कोई उपचार उपलब्ध न हो। अशिक्षा कोई ऐसी जीवन की कमी नहीं है, जिसका पूरा किया जाना सम्भव न हो। चाहिए यह था वे स्वयं उसे पढ़ते और जिस प्रकार का व्यक्तित्व वे पत्नी का चाहते थे वैसा निर्माण करते।

लेकिन, पुरुष की नित्य नवीनता की चाह—उसे जघन्य से जघन्य कर्म करने से भी नहीं रोक पाती। सुल्तान सिंह भी दूसरा विवाह करने के स्वप्न देख रहे थे ऐसा बताते हैं। इसी कारण रास्ता साफ करने के लिये पत्नी शान्ति का गला घोट कर हत्या कर दी।

प्रकाशित समाचार के अनुसार श्री सुल्तानसिंह गुड़गाँव में ओवरसियर हैं। १६ अक्टूबर को उक्त घटना घटी। हत्या करने के तुरन्त बाद ही पकड़े जाने, रहस्योद्घाटन हो जाने के भय से अन्वेषि भी कर दी।

किसी प्रकार पुलिस को खबर लग ही गई और उन्हें बन्दी बना लिया गया।

पत्नी तो गई ही। नौकरी भी गई, इज्रत भी गई और जिस नवीन आशा के बल पर जीवन-संगिनी की हत्या करने में भी हाथ नहीं काँपे—वह आशा भी गई।

रह गया केवल पश्चाताप, निराशा तथा अन्धकारमय भविष्य। पढ़ी-लिखी पत्नी की आकांक्षा तो थी, किन्तु स्वयं अपनी पढ़ाई-लिखाई का क्या सदुपयोग किया उन्होंने? पढ़-लिख कर तो दृष्टिकोण विस्तृत होना चाहिए। सोचने-विचार करने की दिशा बदलनी चाहिए। किन्तु झूठी शान हल्के स्वार्थ तथा स्वप्निल सुखों की आकांक्षा ने अपना प्रभाव जमाया और सुख स्वप्न देखते-देखते दुःख के गर्त में जा गिरे।

सुन्दर पत्नी पाने की लालसा आज समाज के हर युवक का एक स्वप्न है किन्तु उनमें कितने ऐसे हैं जो सौन्दर्य और पढ़ाई का सही अर्थ समझते हैं?

उन्हें तो शिक्षित पत्नी केवल इसलिये चाहिए कि वह आधुनिक ढंग के रहन-सहन को अपना सके—पाश्चात्य सभ्यता से प्रभावित श्रृंगारिक प्रसाधनों का प्रयोग कर सके तथा वे उसे साथ लेकर गर्व से चल सकें कि मेरी पत्नी भी आधुनिका नारी है और इस भावना को प्रोत्साहन मिलता है सिनेमा से। युवक वहाँ जो भी रूप, रंग, श्रृंगार प्रसाधन, हाव-भाव तथा तौर-तरीके देखते हैं वैसे ही घर में भी चाहते हैं और न मिलने पर जिन्दगी को दुःख का सागर समझने लगते हैं तथा भगवान् को या किस्मत को कोसते रहते हैं। फिर हत्या या आत्म-हत्याएँ करने तक में नहीं हिचकिचाते।

दूल्हे की हेकड़ी इस तरह धूलि में मिली

घटना जबलपुर की है। किशनलाल की कन्या का विवाह था। बारात आने को थी। चहल-पहल का कहना ही क्या? तभी बाजों की आवाज सुनाई दी और उनके एक मित्र ने आकर कहा “शर्माजी बारात आ गई है।”

स्वागत-सत्कार के पश्चात् बारात भोजन करने बैठी। भोजन परोसा गया। भोजन व्यवस्था पूर्ण शाकाहारी ढङ्ग की थी। तभी वर महोदय जो एम० बी० बी० एस० थे, बोल पड़े “आपको जब मालूम था कि मैं तो सामिष भोजी हूँ—तो वैसी व्यवस्था क्यों नहीं की गई।”

किशनलाल विनीत स्वर में बोले—“कैसी बात करते हो बेटा! बारात में सह-भोज होता है। यह ब्राह्मणों की बारात है। इसमें तो ऐसी ही व्यवस्था करनी थी हमें जो सभी को स्वीकार्य हो। आगे से जब कभी आया करोगे तो हम होटल में प्रबन्ध करवा दिया करेंगे।”

किन्तु राजेश वर किसी प्रकार नहीं माना। कहने लगा “मैं तो आता रहूँगा पर मेरे मित्र जो आज आये हैं—उनका स्वागत सत्कार तो आपको उन्हीं की रुचि के अनुसार करना चाहिए।”

किशनलाल बड़ी दुविधा में पड़ गये। बारात के सभी व्यक्ति इस बात से हैरान थे। वर के पिता का भी यही कहना था कि “वह तो दूल्हा है। उसकी प्रत्येक इच्छा की पूर्ति करना आपका कर्तव्य है।”

तब वर के एक सम्बन्धी बोले “राजेश ! तुम्हारी जिद उचित होती तो हम सभी किशनलाल को मजबूर करते । पर इस समय तुम गलती पर हो । बात मानो और भोजन कसे । सभी जानते हैं मौस खाना न तो कोई आदर्श है और न ही अनिवार्य । तुम्हें अपने मित्रों का इतना ही ख्याल है तो अपने घर पर जो चाहो सो खिलाना । एक गलत आदत को, इस प्रकार सामाजिक स्तर पर—वह भी विवाह जैसे पवित्र अवसर पर कभी भी स्वीकार नहीं किया जा सकता ।”

पर राजेश तो चोट खाये सर्प की तरह तड़पकर उठ गया । बोला “जो व्यक्ति पेट भर खाना भी नहीं खिला सकता उसके यहाँ बैठा रहना भी व्यर्थ है । मुझे नहीं पता था कि आप हमारा यों अपमान करेंगे ।”

सब ने समझाया पर वह न माना तो नहीं ही माना । तब स्थिति सँभालने के विचार से दो-चार व्यक्तियों ने यह भी कहा कि “न हो तो इन्हें होटल भेज दीजिये मित्रों के साथ ।”

पर किशनलाल अपने सिद्धान्त के पक्के थे । उन्होंने कहा “अनीति के आगे झुकना कायरता है । ब्राह्मण समाज में मौसाहार का स्वाभाविक रूप से ही निषिद्ध है । फिर ब्राह्मण ही क्या ? यह तो मानव मात्र के लिये ही लज्जा का विषय है । अच्छा हुआ—समय रहते इन्होंने अपने दुराग्रही स्वभाव का परिचय दे दिया अन्यथा कन्या को मौस खाने के लिये बाध्य करते—तब मालूम पड़ता हमें ।”

अन्ततः सभी किशनलाल के पक्ष में थे । उधर राजेश को भी मनाने का प्रयास किया जा रहा था । जैसे-तैसे वह राजी हुआ ।

किन्तु यह क्या ? तभी कन्या स्वयं मण्डप में आई और कह दिया—“जिसे किसी शरीफ आदमी की इज्जत से अधिक प्रिय अपना स्वाद हो उसके साथ मैं कभी विवाह न करूँगी । यदि आप में कोई साहसी युवक हो—तो मैं आमन्त्रित करती हूँ । भले ही वह केवल क्लर्क अथवा स्कूल मास्टर हो । मैं विवाह के लिए प्रस्तुत हूँ ।”

सभी आश्चर्यचकित रह गये । तब राजेश का दूर का एक भाई—जो हिन्दी में एम० ए० था तथा हायर सैकेण्ड्री स्कूल में मास्टर था—सामने आया और उसी सजे-सजाये मण्डप में उसका विवाह हो गया । वर तथा उनकी मित्र-मण्डली को सामिष भोजन तो नहीं ही मिला—दुल्हन से भी हाथ धोने पड़े । बेचारे बड़े ही बेआबरू होकर कूचे से निकले ।

इन अवरोधों का समाधान होना ही चाहिये

मध्य युग के बाद से नर और नारी के अधिकार और कार्य-क्षेत्र में जो विषमता आयी है, उसे देखते हुए ऐसा लगता ही नहीं कि नारी भी नर का, समाज का एवं मनुष्य जाति का उतना ही अविच्छिन्न और अभिन्न अंग है, जितना पुरुष । विभिन्न प्रकार की प्रथा-परम्पराओं, कुरीतियों के आधार पर उसे अब तक दबाया-दबोचा, कुचला-पीसा ही गया और जब कभी नारी अधिकार की बात आती है, उसे यह कहकर अमान्य और अयोग्य ठहरा दिया जाता है कि वह भोग की वस्तु है अथवा उसमें उतनी क्षमता-दक्षता नहीं, जितनी पुरुषों में, फिर वह किस प्रकार पुरुषों के कार्य-क्षेत्र की अधिकारिणी बन सकती है? यह मात्र धोयी दलीलें भर हैं । तर्क तो यह भी दिया जा सकता है कि पुरुष प्रधान समाज ही आज की अराजकता का प्रमुख कारण है । यदि नारी प्रधान समाज रहा होता, तो वह अपनी स्वाभाविक शालीनता और सहृदयता से शायद आज यह स्थिति उत्पन्न न होने देती । कुछ भी हो, अब उसे दमित और दलित स्थिति में किसी भी प्रकार नहीं रखा जा सकता है ।

इस विषमता को समाप्त करने के लिये सर्वप्रथम उन सामाजिक कुप्रथाओं को निरस्त करना होगा जिनके कारण नारी को घर की चहारदीवारी में बन्द रहने एवं जनसंपर्क से वंचित रहने के लिये विवश होना पड़ता है और किसी कार्य-क्षेत्र में प्रवेश करने का अधिकार प्रायः नहीं के बराबर मिलता है । विवाह से सम्बन्धित कुरीतियाँ तो इतनी भारी हैं कि उनसे त्राण पाये बिना सम्भवतः महिला उत्कर्ष का कार्य कदाचित् कभी भी सम्भव हो सके । खर्चीली शादियाँ हमें दरिद्र और बेईमान बनाती हैं । गरीबों को अमीरों जैसा स्वाँग बनाने के लिये ऐसा दबाव डालती हैं, जिन्हें उपहासास्पद के अतिरिक्त और कुछ नहीं कहा जा सकता । दहेज, जेवर, धूमधाम, बारात आदि के बहाने इतना खर्च करना पड़ता है कि बेटी वाले का तो दिवाला ही पिट जाता है साथ ही बेटे वाले को भी बर्बादी बदनामी के अतिरिक्त और कुछ हाथ नहीं लगता । विवाह संसार भर में होते हैं, पर उसका स्वरूप छोटे पारिवारिक उत्सव जैसा सीधा-सादा ही होता है । उसमें डकैती जैसी लूट अथवा पागलों जैसी बर्बादी का कहीं कोई माहौल नहीं होता ।

अपना भारत ही है, जिसमें कर्ज लेकर, बर्तन बेचकर भी पटाखे जलाने जैसी बेतुकी हरकतें करते देखा जाता है। यह बर्बादी जब तक चालू रहेगी, तब तक कन्या शिक्षा की ओर उत्साह बढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि अधिक पढ़ी-लिखी लड़कियों के योग्य लड़का ढूँढ़ने में अधिक ऊँची बोली पर नीलामी खरीदनी पड़ती है। यह विवाहों वाली राशि यदि कन्या की शिक्षा पर व्यय की जा सके, तो अधिकांश बालिकाओं को शिक्षा प्राप्त करने, स्वावलम्बी बनने का अवसर मिल सकता है।

विवाह विग्रह में दो और भी चट्टान की तरह मार्ग रोके हुए खड़े रहने वाले संकट हैं। इनमें एक है छोटे दायरे वाली उपजातियों में ही सम्बन्ध करने की हठधर्मिता। थोड़ी-सी मंडली के बीच सुयोग्य लड़कों का प्रायः अभाव ही पाया जाता है। जो थोड़े-से होते हैं, उनकी नीलामी बोली बहुत ऊँची चली जाती है। ऐसी दशा में कई बार तो निर्धन परिवार की कन्याओं को अविवाहित ही जीवन बिताना पड़ता है, अथवा अयोग्यों के साथ गठबन्धन बँधता है। यदि उपजातियों का बन्धन कम से कम उस पूरी जाति तक विस्तृत कर लिया जाय, तो लड़के तलाश करने की कठिनाई आधी हल हो सकती है। ब्राह्मण, ठाकुर, वैश्य, कायस्थ जैसी अनेकानेक जातियाँ अपने उपजाति के बन्धनों की परवाह न करके समूची जाति में विवाह के जोड़े खोजने लगे तो उनकी तीन-चौथाई कठिनाई दूर हो सकती है और वह समस्या सहज हल हो सकती है, जो हर बेटी वाले को परेशान किये रहती है। कई बार तो बाल-विवाह करके कन्या को पढ़ाने और अधिक दहेज देने के झंझट से झुटकारा पा लिया जाता है। बाल-विवाह कितने घातक होते हैं, इसे हर कोई जानता है। इसमें लड़के-लड़की असमय ही जर्जर हो जाते हैं।

कन्या को यदि सुशिक्षित बनाना है, तो लड़कों की अपेक्षा उसकी आयु कुछ अधिक ही हो जाती है। लड़कों को छोटी उम्र से पढ़ाने, द्यूशन की सुविधा देने जैसे लाभ मिलते हैं और वे अपेक्षाकृत कम उम्र में आधी पढ़ाई पूरी कर लेते हैं, जबकि लड़कियों को वैसी सुविधा न मिलने पर वे उच्च शिक्षा प्राप्त करते-करते कुछ बड़ी हो जाती हैं।

यह निरा अन्धविश्वास ही है कि लड़की से लड़का बड़ी आयु का होना चाहिए। इस कारण छोटी आयु में लड़कियों का विवाह करना पड़ता है कि बड़ी आयु का लड़का मिलने

में कठिनाई होगी। बाल-विवाहों के मूल में यही अन्धविश्वास काम करता है। विवाह को कोई बड़ा काम निपटाना या बोझ उतारना माना जाता है। बूढ़े लोग सोचते हैं कि यह उत्सव मरने से पहले अपनी आँखों से देख लें, तो अच्छा। इस मूढ़-मान्यता के कारण लड़कियों को उपयुक्त शिक्षा प्राप्त करने या स्वावलम्बन की योग्यता प्राप्त कर लेने से पूर्व ही विवाह बन्धन में बँधना पड़ता है और घरेलू काम-काज से लेकर प्रजनन में प्रवृत्त होने जैसे कितने ही नये झंझट सिर पर लद जाने पर बाद में प्रगति का मार्ग ही रुक जाता है। इस प्रतिबन्ध को हटाने से ही नारी के लिये यह सम्भव है कि वह अपने शारीरिक, मानसिक विकास का उपयुक्त अवसर प्राप्त कर सके और किसी महत्त्वपूर्ण कार्य का उत्तरदायित्व सँभालने योग्य बन सके। विकास की आयु २५ वर्ष मानी गयी है। इसके उपरान्त लड़के या लड़की का कुछ वर्ष बड़ा-छोटा होना कुछ महत्त्व नहीं रखता। जन्म-पत्री मिलाने, अपनी ही उपजाति में सम्बन्ध होने और वर की आयु वधू से अधिक होने के हठ के कारण नारी को सुविकसित होने और उपयुक्त साथी मिलने में भारी कठिनाई होती है। विकास के इस नये युग में प्रवेश करते हुए इन तीनों ही अन्धविश्वासों को हटा दिया जाना चाहिए और लड़की को भी उतना अवसर प्राप्त होना चाहिए कि वह उपयुक्त दक्षता और परिपक्वता प्राप्त कर सके।

लड़कों के पास पूरा अवसर एवं अवकाश रहता है कि वे शिक्षा, स्वास्थ्य, सम्पर्क आदि के लिये उपयुक्त समय एवं सुविधा प्राप्त कर सकें। लड़कियों के घर के भीतर रहने का प्रतिबन्ध रहता है और उन्हें माता के साथ घरेलू काम-काज में हाथ बँटाने में भी ढेरों समय लगाना पड़ता है। अवसर के अभाव में योग्यता कैसे बढ़े और वे स्वावलम्बन से लेकर सामाजिक प्रगति के कामों में किस प्रकार योगदान दे सकने की स्थिति में पहुँचें? इस अवरोध को मिटाने के लिये इतना तो करना ही चाहिए कि उन्हें व्यक्तित्व का विकास कर सकने की दृष्टि से पच्चीस वर्ष तक तो विवाह बन्धन में बँधने के लिये बाधित न किया जाय। समुन्नत देशों में यही होता है और लड़कियाँ भी लड़कों की तरह ही हर क्षेत्र में प्रगति के अवसर प्राप्त करती हैं। भारत का केरल प्रान्त भी ऐसा है, जिसमें विवाह के लिये उतावली नहीं की जाती और लड़कियाँ भी लड़कों की तरह ही हर दृष्टि से विकसित पाई जाती हैं।

उपरोक्त सुधारों को कर लेने से नारी उत्कर्ष के मार्ग में अड़े अवरोधों में से तीन-चौथाई का समाधान हो सकता है और वे पुरुष के समतुल्य ही अपनी उपयोगिता, क्षमता सिद्ध करने में पूरी सक्षम सिद्ध हो सकती हैं। यह सब इसलिये भी आवश्यक हो गया है कि न्याय की पुकार दिन-दिन तीक्ष्ण होती जा रही है और कहते हैं कि मनुष्य-मनुष्य के बीच इतना अन्तर उत्पन्न न होने दिया जाय कि एक पक्ष दबता-कुचलता चला जाय और दूसरा पक्ष इसमें अपने आतंकवादी बड़प्पन का प्रदर्शन करके अहंकार का पुतला बना रहे। दूसरी, बढ़ती हुई मँहगाई, आवश्यकता एवं महत्वाकांक्षा की मँग है कि जब नारी भी नर की तरह मनुष्य तत्त्व का अविच्छिन्न और समानता का हकदार अंग है तो उसे प्रगति के पथ पर बढ़ते हुए अपनी गरिमा सिद्ध करने का अवसर क्यों न मिले ? तीसरा कारण है इक्कीसवीं सदी में नारी का वर्चस्व बढ़ा-चढ़ा होने की सुनिश्चित सम्भावना का चरितार्थ होना। नेतृत्व का हकदार केवल पुरुष ही पिछले दिनों रहता आया है, उसका दर्प एवं आतंक संसार के कोने-कोने में अनीति और अव्यवस्था ही उत्पन्न करता रहा है। विग्रहों और अनाचारों में उसी की प्रधान भूमिका रही है। अब महाकाल ने कार्य-विभाजन में परिवर्तन करने का निश्चय किया है और सोचा है कि नारी की कोमलता और सरलता भरे नेतृत्व का लाभ संसार भर को क्यों न लेने दिया जाय यह स्थान परिवर्तन न्यायोचित है। अवसर हस्तान्तरित होते रहने पर ही तो पता चलता है कि दक्षता और सुव्यवस्था किन हाथों में अधिक सुरक्षित रहती और अधिक प्रगति करती है।

अन्तर्जातीय विवाह : शास्त्रसम्मत

समाज के संगठनात्मक एवम् संरचनात्मक स्वरूप को गढ़ने-निखारने में विवाह की अपनी भूमिका है। इसकी उपयोगिता और आवश्यकता सिर्फ स्त्री-पुरुष के पारस्परिक सम्बन्धों तक सीमित नहीं है। परिधि के अन्तर्गत पारिवारिक सामाजिक सम्बन्धों की प्रक्रिया घटित होती है। यही कारण है कि समाजशास्त्रियों ने विवाह को एक घटना न मानकर एक संस्था माना है। जिस समाज में यह संस्था विकृतिग्रस्त है उसमें बिखराव और कुरूपता के आगमन को अस्वाभाविक नहीं माना जाएगा।

वर्तमान में हिन्दू समाज की यह महत्वपूर्ण संस्था नाना विकृतियों से ग्रस्त है। इसी के परिणामस्वरूप इसे अनेकों फिरके-कुनबों में अलग-अलग बँटा हुआ देखा जा सकता है। शायद ही विश्व में कोई दूसरा समाज या समुदाय इतना बिखरा हो। हर टुकड़ा अपनी-अपनी चित्र-विचित्र मान्यताओं एवम् रीतियों को ढे रहा है। इसी पृष्ठभूमि पर अनमेल विवाह-दहेज जैसी कुरीतियाँ पनप रही हैं। विवाह दो ही आयामों में सिमट गया है। दहेज के अभाव में अनमेल। ऐसी स्थिति में स्त्री-पुरुष दोनों ही अपनी क्षमता-प्रतिभा, सामर्थ्य को आपसी संघर्ष में ही समाप्त कर लेते हैं। दहेज देने की स्थिति में सम्भव है योग्य वर खरीदा जा सके। किन्तु इस चक्कर में कन्या पक्ष को अपने अस्तित्व पर कुठाराघात करना पड़ता है।

इन विकृतियों की परिणति सिर्फ व्यक्तिगत या पारिवारिक दायरे तक नहीं सिमट कर रह जाती। परिवार टूटने की शृंखला अभिक्रिया ने पूरे समाज को बिखेर कर रख दिया है। जो वैवाहिक संस्था समूचे समाज को एक सूत्र में आबद्ध करने का माध्यम थी। अपनी मधुरिमा से इसके सौन्दर्य में अभिवृद्धि करती थी। इसे नष्ट करने का माध्यम क्यों बनी ?

विभिन्न विचारक इस प्रश्न के उत्तर में एक ही बात कहते हैं कि जातियों, उपजातियों के उधेरेक के कारण ही बिखराव का क्रम पनपा और बढ़ा है। आरम्भ में भले ही इसका उद्देश्य सामाजिक सुव्यवस्था को सुदृढ़ रखना रहा हो पर पिछले दिनों के अन्धकार युग में इन मान्यताओं ने काफी गहरी जड़ें जमाई—वह भी विकृत रूप में। ऐसी स्थिति में इसका आधार—कि समाज के सभी लोग परस्पर सहयोग से एक-दूसरे की आवश्यकताएँ पूरी करें तथा समाज को आगे बढ़ाएँ, विनिष्ट हो गया। पल्ले पड़ी संकीर्णता। जिसके तहत प्रत्येक वर्ग ने जाति में, जाति ने उपजाति में अपने को सिकोड़ कर रख लिया।

इस लघु दायरे के अन्तर्गत सिमटे रहकर विवाह करने की परम्परा चल पड़ी। इसका निर्वाह करने वाले को उस समूह का श्रेष्ठ सदस्य माना जाने लगा। संकीर्णता की इस स्थिति में वर-वधू मँहगे हो जायें तो आश्चर्य क्या ? मँहगाई की दशा में गुण, कर्म, स्वभाव चिन्तन, चरित्र व्यवहार में परस्पर विरोधी विपरीत अनमेल लड़के-लड़कियों को एक साथ जिन्दगी का लम्बा सफर तय करने के लिये मजबूर किया जाय। यह स्थिति की विडम्बना ही कही जाएगी।

कुछ भी हो—इस विकृति से समाज अवश्य जर्जरित हुआ। कुछ लोग इस जर्जरित करने वाली प्रणाली को शास्त्र-आज्ञा मानकर स्वीकार करने पर बल देते हैं। इस तरह का बल दिया जाना भी एक भ्रान्ति से अधिक और कुछ नहीं। वसुधा को एक कुटुम्ब मानने वाला शास्त्र इस तरह के संकीर्णता से भरे प्रतिपादन करे—यह सम्भव नहीं। उल्टे श्रीमद्भगवद्गीता अपने चौथे अध्याय १३वें श्लोक में जाति का आधार गुण, कर्म को स्वीकारती है। महाभारतकार ४२/१ में कहते हैं। “स्वर्ण.....सत्त्वदर्शिनः” अर्थात् लोगों की सन्तान भिन्न-भिन्न स्वभावों की होती हैं। अतः ऋषियों के अनुसार आचरण ही जाति का निर्धारक है। स्मृतिकार स्पष्ट करता है—

अन्त्यजो विप्र जातिश्च, दुष्यरीष्येति मे मतिः ।

एक बौनि प्रसूतश्च एक शाखेन जायते ॥

अन्त्यज और विप्र जाति के लोग एक जाति के सगे भाई हैं अतः उनमें भेद-भाव अस्वाभाविक और अनुचित है। ये सब एक ही शाखा में लगे अलग-अलग फल-फूलों के समान हैं।

अच्छा हो जाति व्यवस्था का सैद्धान्तिक आधार समझा जाय। आज के आधुनिकतम एवम् प्रगतिशील देशों में इसी सैद्धान्तिक आधार को मान्यता मिलती देखी जा सकती है। विचारक, शासक, व्यापारी, कर्मचारी अन्य कुछ नहीं चतुर्वर्ण का रूपान्तरण भर हैं। इनमें न तो कोई ऊँचा है और न नीचा। शास्त्रकार इस सम्बन्ध में बिल्कुल स्पष्ट रहे हैं। भविष्यपुराण के ब्रह्म पर्य के ४२वें अध्याय में आता है कि यदि एक पिता के चार पुत्र हैं तो उन चारों में कोई भेदभाव या ऊँच-नीच नहीं माना जाता। परमेश्वर सबका पिता है, इसलिए मनुष्य समाज में जातिभेद का कोई औचित्य नहीं।

कट्टर संकीर्णता के कारण आजकल अन्तर्जातीय विवाह में हिचकिचाहट होती है। यहीं उपजातियों की दीवारें भी नहीं तोड़े टूटतीं। पर प्राचीन काल में ऐसी संकीर्णता नहीं थी। वर-वधू में जाति और उपजातियों का नहीं गुण और स्वभावों का मेल बिठाया जाता था और ऐसे विवाह सामाजिक रूप से मान्य होते थे। व्यास और पाराशर मुनि की माताएँ दूसरे वर्ण की थीं। व्यास की माँ केवट पुत्री थीं और पाराशर की माँ श्वपच (घांडाल) के घर जन्मी थीं। द्वपद, मात्स्य, यवक्रीत, आयु, दत्त, द्रोण, कक्षीवान, श्रंगी महर्षि, कश्यप

मुनि नीच कहे जाने वाले कुलों में जन्मे थे। वशिष्ठ ने अपने पौत्र का विवाह चित्रमुख वैश्य की कन्या से किया था। राजा नीप का विवाह शुक्राचार्य ब्राह्मण की कन्या से हुआ था। भीष्म के पिता शान्तनु ने धीवर कन्या से शादी की थी। वशिष्ठ गणिका के पुत्र थे। मातंग के पिता नाई कुल के थे और माँ ब्राह्मण थीं।

क्षत्रिय कन्या पद्मा ने पिप्पलाद और लोपामुद्रा ने अगस्त्य ऋषि से विवाह किया था। विश्वामित्र ने मेनका से सम्बन्ध स्थापित किया, जिसकी बेटी शकुन्तला दुष्यन्त से ब्याही गई। श्रंगी ब्राह्मण ने राजा दशरथ की पुत्री शान्ता से विवाह किया था। प्रियव्रत की बेटी उर्जस्वती से शुक्राचार्य ने विवाह किया था। सूर्यवंशी कन्या रेणुका का विवाह यामदग्नि ऋषि से हुआ।

इस प्रकार के अनेकानेक उदाहरण हैं, जिसमें सम्बन्ध जातीय समानता के आधार पर नहीं गुण, कर्म, स्वभाव के मेल के आधार पर किये जाते थे। यही कारण है उस समय समाज न केवल व्यवस्थित, संगठित ही था बल्कि व्यापक भी था। आधुनिक समय की वैज्ञानिक धारणा भी उपरोक्त ऋषि दृष्टि का समर्थन करती है। समाज मनोविज्ञानी वी० एल० वाशम ने ‘साइकोलॉजिकल डेवलपमेण्ट एण्ड ह्यूमैन सोसायटी’ में विभिन्न समाजों के पारस्परिक सम्बन्धों की मनोवैज्ञानिक विवेचना की है। उनके अनुसार विवाह सम्बन्ध का आधार वर-वधू की मानसिकता को माना जाय। इसके विवेचन-विश्लेषण को आधार बनाकर चुने गए सम्बन्ध ही चिर मधुर हो सकते हैं आनुवंशिकी के ख्यातिनाम अध्येता विनचेस्टर अपने अध्ययन ‘प्रिंसिपल्स ऑफ जेनेटिक्स’ में स्पष्ट करते हैं कि किसी भी प्रजाति का विकास तभी सम्भव है जबकि प्रजनन के सम्बन्धों का दायरा बड़ा हो। इसी के आधार पर भावी सन्तति हो सकती है।

वैज्ञानिक एवम् सामाजिक अध्ययन प्राचीन परम्परा से तो मेल खाते हैं पर आधुनिक लोकप्रचलन से इनका कोई तालमेल नहीं। इसका एक ही कारण है कि जाति-पाँति का आधार न तो तर्कसंगत है, न विवेकसंगत, न उसमें बुद्धि-विवेक का समर्थन है और न उसकी संगठनात्मक उपयोगिता। इस अनौचित्यपूर्ण परम्परा का टूटना ही स्वाभाविक है और यह होगा।

श्री अरविन्द 'मानव एकता' नामक ग्रन्थ में कहते हैं । समाज के बिखराव एवम् विघटन को बढ़ावा देने वाली ये परम्पराएँ अल्पकालिक हैं । भावी युग में इनका कोई स्थान न होगा । होना भी नहीं चाहिए—समाज को सन्तान के रूप में उत्कृष्ट नागरिक दे पाना तभी सम्भव हो पाता है जबकि माता-पिता योग्य हों और गुणों में सामंजस्य भी रखते हों । यह एक तथ्य है कि मानसिक और बौद्धिक दृष्टि से पिछड़ी पत्नी पति के विकास में रुकावट पैदा करती है तो उसी प्रकार अशिक्षित पति, पत्नी के विकास में अवरोध उत्पन्न करता है । यों दोनों एक दूसरे के सहयोगी बनकर एक-दूसरे के पिछड़ेपन को दूर कर सकते हैं । पर वैसी परिस्थितियाँ कम ही लोगों के लिए बन पाती हैं । अतः आवश्यक हो जाता है कि गुण, प्रवृत्ति एवम् प्रकृति के रूप में दोनों एक दूसरे से समानता रखते हों । यह तभी सम्भव है जब जाति-उपजाति की बेड़ियाँ टूटें । इससे विवाह संस्था भी विकृति मुक्त होकर अपने प्राकृतिक स्वरूप को प्राप्त होगी । समाज भी विघटन-बिखराव से छुटकारा पा एक सूत्र में आबद्ध होगा । संगठनात्मक एवम् संरचनात्मक स्वरूप पुनः अपना खोया सौन्दर्य पा सकेगा । यों इन बेड़ियों के तोड़ने का कार्य एक क्रान्ति-सा है । परन्तु एक महती क्रान्ति से अभिन्न होने के कारण इसको सम्पन्न करने वालों को कम श्रम में भारी प्रतिष्ठा और लोकसम्मान का पुरस्कार ही मिलेगा और समाज में एक उपयोगी और आवश्यक परम्परा पुनः अपने पूर्व रूप में चल निकलेगी ।

प्रेम-विवाहों की भावुकता अहितकर

“किन्हीं नये आदर्शों एवं व्यवस्थाओं का समावेश करके त्रुटियों को सुधारा तो जा सकता है, किन्तु आधुनिकता के नाम पर युवक-युवतियाँ स्वेच्छ से प्रेम-विवाह करें यह न तो उनके लिए ही हितकर है और न समाज के लिए । इससे भाव संवेदना की आड़ में ऐसी उत्कृष्टता पनप सकती है जो सामाजिक-स्वास्थ्य को ही छिन्न-भिन्न कर डाले ।”

उक्त उद्गार कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक वरिष्ठ वकील कु० मुकर्जी के हैं, जिन्होंने अपने व्यावसायिक जीवन में इस सन्दर्भ में प्राप्त ठोस अनुभवों के आधार पर पिछले दिनों कलकत्ता में सम्पन्न हुए ७० भा० महिला सम्मेलन में कहे । उन्होंने आगे बताया कि अभिभावकों की स्वीकृति के बिना होने वाले तथाकथित प्रेम-विवाह कुछ ही समय में छिन्न-भिन्न

हो जाते हैं तब उनकी दुर्दशा का यथार्थ रूप सामने आता है । ऐसे विवाह अधिकांश टूटते और परिवार दुःखी परिवार में बदल जाते हैं ।

अपने कथन के समर्थन में उन्होंने एक ऐसी लड़की का उदाहरण दिया जिसने घर आकर पढ़ाने वाले अपने शिक्षक से प्रेम-विवाह कर लिया । माता-पिता इस सम्बन्ध के विपक्ष में नहीं थे, किन्तु वे चाहते थे लड़के की व्यक्तिगत स्थिति, आजीविका और सामाजिक व्यवहार की जानकारी के बिना शीघ्रता में ऐसा नहीं किया जाना चाहिए । किन्तु भावनाओं के तीव्र संवेग के कारण लड़की को उतनी प्रतीक्षा भी असह्य लगी और उतावली में उसने शादी कर डाली । माता-पिता को अपनी यह उपेक्षा अखरी तो, पर वे कर भी क्या सकते थे ? मन मसोस कर रह गये ।

लड़की की दृष्टि में शिक्षक महोदय का वह आदर्श रूप था जो वे केवल लड़की के घर में आकर दिखाते थे । स्वस्थ, सुन्दर, सम्पन्न, विद्वान और सदाचरणशील । इन्हीं गुणों ने लड़की की भावनाओं को भड़का दिया, पर भावनाओं का पारिवारिक जीवन की व्यावहारिकता में सीमित स्थान है—सम्पूर्ण नहीं । विवाह के बाद आवश्यकताएँ बढ़ती हैं, वह प्रेम तो पूरा नहीं कर सकता । भोजन, वस्त्र, आवास और पति के जिस स्वरूप की कल्पना की गई है, कम से कम उतनी विलासिता के सुख-सुविधा के साधन तो चाहिए ही । पर जब यथार्थ की धरती पर उतरे तब पता चला कि शिक्षक महोदय में वह सब होता तो वे पचास रुपये प्रतिमाह का दयूशन नहीं करते । आखिर सम्बन्धों में तनाव प्रारम्भ हुआ और एक दिन तलाक की स्थिति आ गई । लड़की पति के साथ रह नहीं रही थी क्योंकि कल तक जिन्हें गुणों की खान समझा गया था आज वे अभावों, अश्लीलताओं की साकार प्रतिमा प्रतीत हो रहे थे । माता-पिता के घर भी वह इसलिए नहीं जा सकती थी कि विवाह उनकी असहमति और उन्हें अपमानित करके ही तो हुआ था । इस स्थिति में लड़की को भयंकर द्विविधा और आत्महीनता का सामना करना पड़ा ।

प्रेम भावनाएँ जीवन का प्राण हैं, इसमें रत्ती भर सन्देह नहीं । प्रेम के अभाव में इनसान शैतान हो जाता है यह भी ठीक है । किन्तु उत्तेजित या विवेकशून्य प्यार विष से कम

नहीं, उसमें भविष्य के व्यावहारिक जीवन के बारे में कुछ विचार करने की शक्ति ही नहीं रहती। फलतः वही प्यार जिन्दगी को उजाड़ देने वाला होता है। ज्ञान और अनुभवों की कमी और विकासशील शारीरिक शक्तियों की युवा उम्र में तो वह और भी विस्फोटक होता है। इसलिए अपने यहाँ माता-पिता के अनुशासन में उसे नियन्त्रित कर दिया गया था। शायद ही कोई माता-पिता इतने हृदय शून्य हों जिनके मन में सन्तान के कल्याण का भाव न हो। कई बार उनके अनुभव उनकी वैयक्तिक परिस्थितियाँ भी ऐसी हो सकती हैं, जिससे उनके बेटे-बेटियाँ सन्तुष्ट न हों, किन्तु अधिकांश में उनकी इच्छा से विवाहों की परम्परा एक श्रेष्ठ परम्परा थी। आज भी इस तरह के विवाहों का प्रतिशत प्रेम-विवाहों की अपेक्षा अधिक है, जबकि इस तरह के विवाहों की असफलता का औसत प्रेम-विवाहों की तुलना में बहुत ही कम है।

अपने आप वर चुनने की 'स्वयंवर' प्रथा पहले भी थी, किन्तु तब भी माता-पिता की सहमति आवश्यक थी। अभिभावकों का ज्ञान और उनका पूर्व परीक्षण कन्या की अपेक्षा कहीं अधिक उपयोगी रहता था। आज किन्हीं लड़के-लड़कियों को अपने अधिक शिक्षित होने का गुमान हो और वे यह अनुभव करते हैं कि उनके माता-पिता उनकी भावनाओं का भली प्रकार मूल्यांकन नहीं कर पायेंगे तथा उन्हें जैसे जीवन-साथी की आवश्यकता है, वैसा नहीं ढूँढ़ पायेंगे तो अभिभावकों के अधिकारों में कुछ संशोधन किये जा सकते हैं, किन्तु उनकी उपेक्षा अन्ततः युवकों के लिए अपने पैरों आप कुल्हाड़ी मारने के समान अहितकर ही होगी।

स्वतन्त्रता पूर्व से स्वतन्त्रता प्राप्ति के दो दशकों तक प्रेम-विवाहों की एक व्यापक शीतलहर इस देश में से गुजरी। डॉ० मर्वेण्ट ने तब यह पता लगाने के लिए एक व्यापक सर्वेक्षण कर युवक-युवतियों की सम्मति संग्रहीत की और यह पाया कि ७६.२ प्रतिशत लोग प्रेम विवाहों के पक्षधर थे। इससे पूर्व डॉ० श्रीमती नीरा ए० देसाई ने सन् १९४५ में 'सर्व रिपोर्ट ऑन रोल्ल एण्ड एटिच्यूइस टू विमेन' के आधार पर यह प्रतिशत ६८.२ निकाला था स्पष्ट था कि सिनेमा और उस तरह के साहित्य ने १०-१५ वर्षों में ही इस अनुपात को बहुत अधिक आगे बढ़ा दिया। शिक्षा के प्रभाव शहरीकरण के प्रभाव के कारण अधिकांश युवा-युवतियाँ अपने सम्बन्ध तय करने

से पूर्व अपनी राय लिए जाने के कटु समर्थक थे। इस तरह की लहर का ही यह परिणाम था कि सन् १९७० में हुई १३३७७५ शादियों में से ६६६ विवाह ही अन्तर्जातीय थे। ६० प्रतिशत से अधिक लोग इस तरह के विवाहों के पक्ष में नहीं थे।

किन्तु काठ की हॉडी आग में एक बार चढ़ सकती है; बार-बार नहीं। स्टील का रंग जितना रगड़ी उतना चमक सकता है, पर कलई रगड़ से और जल्दी घुल जाती है, यही स्थिति प्रेम विवाहों की हुई। जिस अनुपात में प्रेम विवाह इन वर्षों में हुए उससे अधिक विच्छेद हुए। कई घटनाएँ तो इतनी भयावह हुईं कि उन लड़कियों को वेश्यालयों तक की शरण लेनी पड़ी। कल तक जो लोग तलाक का ही समर्थन करते थे वे भी अब तलाक और उसके बाद की समस्याओं के दूरगामी परिणामों पर विचार करने के बाद इस निष्कर्ष पर आ गये हैं कि हर समाज की भावनात्मक पृष्ठभूमि के साथ उसकी कर्तव्यनिष्ठ परम्पराएँ भी आवश्यक हैं। अतएव केवल मात्र भावनाओं के उतार-चढ़ाव के आधार पर तलाक नहीं होना चाहिए क्योंकि विवाह विच्छेद के दुष्परिणाम अन्ततः लड़कियों के ही पल्ले पड़ते हैं।

सौभाग्य की बात है कि अब इन परिस्थितियों की गम्भीरता स्वयं उस वर्ग ने अनुभव कर ली है; जो किसी समय इस बात के लिए अधिक उतावला रहता था। 'स्टेट्स ऑफ हिन्दू विमेन इन दि फेमिली एण्ड हाउस होल्ड' समिति के लिए तैयार अपनी रिपोर्ट में टी० एन० मदान ने अपनी हाल की सर्व रिपोर्ट तैयार की है जिसमें यह बताया गया है—अब ६०.०४ प्रतिशत युवक-युवतियाँ विवाह के मामलों में माता-पिता के निर्देशन में की जाने वाली पूर्व आयोजित शादी के पक्ष में ही थे।

पूर्व आयोजित शादियों का सबसे बड़ा लाभ यह है कि माता-पिता लड़का उसी वर्ग में ढूँढ़ते हैं जिसमें वह स्वयं होते हैं। इस स्थिति में न तो लड़की ही अति-रंजित कल्पनाएँ करती है और नहीं लड़का अव्यावहारिक अपेक्षाएँ।

युवक-युवतियों का सही दिशा में सोचना सौभाग्य की बात है, किन्तु अभी भी यह समस्या पूर्णतया समाप्त नहीं। सामाजिक मेल-मिलाप में छूट, सह-शिक्षा आदि के कारण अभी भी इस दिशा में पूर्ण सावधानी और सतर्कता आवश्यक है। यह बात युवक-युवतियाँ तो अनुभव करें ही साथ ही

अभिभावकों को भी उस रीति-नीति का अनुसरण करना चाहिए जिसमें लड़के-लड़कियों की अपनी पसन्द का भी समावेश बना रहे। विद्रोह इसी सामंजस्य से ही टल सकता है। प्रेम-विवाहों की बाढ़ और उनके सम्भावित दुष्परिणाम इसी तरह रोके जा सकते हैं।

प्रेम-विवाह आगा-पीछा सोचकर ही करें

संविधान में जाति-पाँति का भेदभाव निरस्त कर दिया गया है। आर्थिक सहायता की दृष्टि से अनुसूचित जातियों का उल्लेख भर है। जातिगत ऊँच-नीच का राजनैतिक दृष्टि से कोई महत्व नहीं रहा, तो भी लोगों के मनो में से पुरातन मान्यता विवाह-शादियों के सम्बन्ध में अभी भी बाधक होती है। इसलिए अभिभावक अभी भी अपने वयस्क लड़के-लड़कियों के विवाह जाति-बिरादरी की सीमा में ही करना चाहते हैं।

इसमें व्यतिक्रम तब होता है, जब लड़के-लड़की में कोई अपनी मर्जी से कहीं सम्बन्ध बना लेते हैं और उसी के लिए हठ करते हैं। इसमें अभिभावक अपनी तौहीन मानते हैं कि विवाह के सम्बन्ध में सोचने और कदम उठाने का अधिकार हमारा था, सो ये उसे छीनकर हमारी अवज्ञा कर रहे हैं। जिद और चिद्र में बात बढ़ जाती है। फलतः बात दूसरों में फैल जाती है। लोग प्रेम-विवाह की बात को पूर्व सम्बन्ध जुड़ जाने से मानते हैं। फलतः अन्यत्र वर खोजने पर ही वह चर्चा आड़े आती है और लड़की को अप्रामाणिक मानकर उपयुक्त ढूँढ़-खोज में सफलता नहीं मिलती। वे ऐसे झंझट को घर में नहीं लाना चाहते। ऐसी दशा में अभिभावक अन्यत्र विवाह कर पाये तो कैसे? लड़की भी उलझी रहे, तो कब तक?

जाति-बिरादरी की सीमा में बात हो तो ज्यों-त्यों करके विवाह की चिन्ह-पूजा करके विदाई कर दी जाती है पर वह होता बेमन से ही है। जाति-बिरादरी की भिन्नता हो, तब तो कोर्ट-विवाह या प्रेम-विवाह द्वारा घर बसा लेने को भी मान्यता नहीं मिलती। परिवार का सहयोग नहीं मिलता, यहाँ तक कि सहेलियों के अभिभावक भी उनसे सम्बन्ध न रखने—न मिलने-जुलने का प्रतिबन्ध लगाते हैं ताकि वे भी ऐसा ही कदम न उठा बैठें।

प्रेम-विवाह का आरम्भ तो उत्साह भरा होता है, पर उसका अन्त अपने देश में बहुत करके बुरा ही देखा गया है। दोनों पक्ष एक-दूसरे के चरित्र पर संदेह करने लगते हैं। जोश में कमी आने पर जब गृहस्थ के बन्धन लदते हैं और उत्तरदायित्व बढ़ते हैं, तो नुक्ताचीनी वाली बात बढ़कर उस प्राथमिक साहस को सराहने की अपेक्षा अन्य लोगों की तरह चरित्रदोष कहने लगते हैं। ऐसी दशा में विच्छेद के लिए जो पक्ष आतुर हो उस पर पारिवारिक या सामाजिक दबाव पड़ने और समझाने-बुझाने की बात भी प्रायः नहीं के बराबर ही बन पाती है। कहते हैं यह लोग स्वतन्त्रतावादी हैं, जैसी मर्जी होगी वैसा ही करेंगे।

विधवा का पुनर्विवाह उतना कठिन नहीं होता जितना परित्यक्ता का। विशेषतया प्रेम विवाह की परित्यक्ता का दोष तो लड़की के सिर ही मढ़ा जाता है। उसके कुटुम्बी-सम्बन्धी भी मुँह मोड़ लेते हैं और उपेक्षा बरतने पर गुथी और भी अधिक उलझ जाती है। लड़का अपनी ठिठाई में और भी अधिक लाम देखता है। मौज के दिन बीत गये अब दायित्व के दिनों कठिनाई कौन निबाहे। आरम्भ में जिनका विरोध था, वह ऐसे अवसर पर प्रतिशोध बन जाता है। ऐसी स्थिति में लड़की पर दुहरी मार पड़ती है। बात बढ़कर विच्छेद तक पहुँचती देखी गयी है और इस मान्यता का पृष्ठपोषण ही होता जाता है कि प्रेम विवाह भारत में सफल हो सकें ऐसी स्थिति अभी नहीं बनी है।

सम्पन्न परिवारों और बड़े लोगों की बात दूसरी है पर मध्यवर्ती या छोटे परिवार के लोगों के सामने एक समस्या यह भी उत्पन्न होती है कि उनके बच्चों का विवाह जाति-पाँति की मर्यादा में नहीं हो पाता। माता-पिता समान जाति के न होने पर प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि बच्चों को माता के वर्ण का माना जाय या पिता के वर्ण का? उनके लिए विवाह-शादी का सुयोग बिठाना भी एक समस्या बन जाती है। इतना ही नहीं लड़की के अभिभावकों के परिवार पर उँगली उठने के कारण उनके बच्चों की शादियों में भी अड़चन पड़ती है।

ऐसे कितने ही कारण और उदाहरण हैं, जिनमें बिना अभिभावकों की मर्जी के किये हुए प्रेम-विवाह मध्यम वर्ग में तो कठिनाई से ही निभते हैं। दोनों कमाऊ और स्वावलम्बी हों तो बात दूसरी है। ऐसी दशा में आर्थिक स्वावलम्बन की

हिम्मत रहने पर संकट को एकाकी रहने की स्थिति में भी पार कर लिया जाता है ।

पाश्चात्य देशों की नकल फैशन तक तो निभ जाती है, पर सामाजिक स्थिति भिन्न होने से विवाहों की परिपाटी अपना कठिनाई से ही निभ पाता है । वहाँ प्रेम-विवाहों का आम प्रचलन है । तलाक, गर्भपात में भी कोई अड़चन नहीं है । कोई कितने ही पुनर्विवाह कर ले, समाज को कोई हस्तक्षेप नहीं करना पड़ता । आम प्रचलन होने के कारण इस बन्धन-विच्छेद में समाज में चर्चा नहीं होती । कमाई के साधन और शिशुपालन गृहों का प्रबन्ध होने से वहाँ यह सब कुछ चल जाता है । पर भारत में तो अभी उतनी प्रगतिशीलता नहीं आ पायी है । इसलिए प्रेम-विवाहों की सफलता आदि से अन्त तक संदिग्ध ही रहती है । उसकी सफलता सुविधा सम्पन्न और सुशिक्षित वर्ग में ही है । मध्यम वर्ग के लोग उस अनुकरण में हैरान होते ही देखे गये हैं ।

सुधारवाद का जहाँ तक सम्बन्ध है, वहाँ जाति-पाँति का दायरा संकीर्णता छोड़कर अधिक चौड़ा करना चाहिए । पहली किशत में इतना कदम उठ सके तो ठीक है कि उपजातियों का प्रतिबन्ध उठा दिया जाय । कायस्थ-कायस्थ मात्र में और ब्राह्मण-ब्राह्मण में शादी करने लगे तो उपयुक्त जोड़े तलाशने में दस गुनी सुविधा हो सकती है । उस बड़े हुए दायरे में ऐसे प्रगतिशील परिवार भी मिल सकते हैं, जो दहेज-जेवर आदि की खर्चीली कुरीतियों से ऊँचे उठ सकें ।

यह सुधार कार्य अभिभावकों को करना चाहिए । जाति-पाँति तोड़कर विवाह करना हो तो अभिभावकों को समय के सामने झुकना चाहिए और उसको मान्यता देनी चाहिए । विवाह का स्वरूप उसी प्रकार से विधिवत् करना चाहिए, जिसे दोनों परिवारों के अधिकांश लोगों का समर्थन मिल सके ।

ऐसा करने से लड़की का पिता के घर आवागमन बना रहता है । सहेलियों में मिलना-जुलना भी । जाति-पाँति का दायरा चौड़ा करने से दूसरों को भी प्रोत्साहन मिलता है । दोनों के बीच मनोमालिन्य उत्पन्न होने पर उसे सुधारने, समझाने का भी अधिकार रहता है । इससे लड़की की हिम्मत बनी रहती है और विवाह होने के उपरान्त ही अपने साहस पर पश्चाताप करने और दुःखी होने की स्थिति में नहीं फँसती । विवाहों में लड़की-लड़के की सहमति होनी आवश्यक है ।

दोनों एक-दूसरे को देख लें, वार्तालाप कर लें तो भी हर्ज नहीं है । पर योरोप स्तर जैसे प्रेम-विवाहों जैसा जोखिम तत्काल न उठाये । समाज को बदलने का कार्य समझदार वयस्कों को आगे बढ़कर करना चाहिए । भोले-भावुक बच्चों को उससे उत्पन्न कठिनाइयों में हठपूर्वक नहीं फँसने देना चाहिए । अभिभावकों का इसमें सहयोग रहना उचित भी है और आवश्यक भी ।

विवाह की मर्यादाएँ भंग न की जायें

हम कभी मुसलमानी शासन काल को अपने पतन का कारण समझ कर उसे कोसने लगते हैं, कभी ब्रिटिश साम्राज्य में दोष निकालने लगते हैं, कभी भारतवर्ष के धर्मों को इस दुर्दशा का उत्तरदायी ठहराते हैं और शिक्षा परिपाटी को बदनाम करने लगते हैं । सम्भव है, इस तरह के छिद्रान्वेषण में हम किसी सीमा तक ठीक हों किन्तु वास्तविक लांछन तो उस अपवित्रता के सिर आता है जो संसार में पवित्र सम्बन्ध को, जो विवाह है, अपवित्र कर देती है और यह वही सम्बन्ध है जिससे हम सब भारतवासी उत्पन्न हुए हैं और जिसने हमको ऐसा बना रखा है जैसे हम आज हैं । इस अत्यन्त आवश्यक और अति पवित्र प्रथा को और अत्यन्त बेपरवाही, अत्यन्त निर्लज्जता और अत्यन्त मूर्खतापूर्ण विधि से ध्यान दिया जाता है । जन्मपत्रों का मिलान, ज्योतिष शास्त्र की गिनती, शुभ शकुनों की पहचान, मन्त्रों के गान और असीम पवित्र रीति के होते हुए भी भारतवर्ष में विवाह, बुरे समय, अशुभ शकुन से और अपवित्र होते हैं । कोई भी नक्षत्र ऐसे अशुभ घरों में नहीं ठहर सकते, जहाँ वे देख रहे हों कि अल्पायु बच्चों के विवाह नक्षत्रों के लग्न और मुहूर्त के नाम से हो रहे हैं । इस दृश्य को, जो मनुष्यत्व से विपरीत बल्कि पशुत्व से भी नीचे हैं, देखकर वे भय के मारे काँपने लगते हैं । ऐसे पति-पत्नी के अपवित्र विवाह को जो अपने निर्वाह का प्रबन्ध तक स्वयं नहीं कर सकते, पवित्र करने में पवित्र वेद की ऋचाएँ भी अपना प्रभाव खो देती हैं और उसी समय से वे सदैव के लिये प्रभाव शून्य हो जाती हैं । देश में अयोग्य, कर्तव्यहीन, निकम्मे और मुफ्तखोरों के उत्पन्न करने के लिये निर्धनों के विवाह

करने वाली प्रथा को दूषित दुर्गन्ध के सम्मुख किन पुष्पों में ऐसी सामर्थ्य है जो अपनी सुगन्ध स्थिर रख सकें ।

सदाचार के नाम पर, भारत माता के नाम पर, अपने लिये और अपनी संतान के लिये कृपा करके इन विचारहीन कुसमय और अन्धाधुन्ध विवाहों को, जो देश में हो रहे हैं, रोको, रोको । ऐसा करना लोगों को पवित्र कर देगा और आबादी वाली समस्या को भी किंचित हल कर देगा । मानलो कि ये प्रस्ताव प्रकृति-नियम के विरुद्ध है । फिर भी तुम्हें प्राण-नाशक दुर्भिक्ष और सिसक-सिसककर मारने वाली मृत्यु के कोड़े खाकर इन आदेशों पर चलना पड़ेगा । इसमें अत्युक्ति नहीं । इन शब्दों में तो कठोर घटनाएँ और दारुण वास्तविक तथ्य छिपे हुए हैं । सारे संसार के किसी भी सभ्य समाज से पूछ-देखो—क्या बाल-विवाह और अक्षतयोनि-विधवाओं की दुर्दशा संसार में प्रकृति-नियम के घोर विरुद्ध नहीं है ? क्या तुम में मनुष्यत्व का कोई परमाणु शेष रह गया है ? तब इन अमानुषिक और अप्राकृतिक रीति-रिवाज के रोके बिना भला तुम्हें कैसे चैन आ सकता है ? बाल-विधवाओं के सुकोमल बाहु सहायता के लिये अज्ञाततः फैले हुए हैं । तुम्हारी आँखों के सामने तुम्हारी अग्निवत् रीति-रिवाज की चिता पर ये जीती-जागती सतियाँ जल रही हैं और इनकी निर्दोष रोती हुई आँखों द्वारा साक्षात् भगवती तुम्हारी ओर सहायता के लिए देख रही है । कब तक तुम रोती-चिल्लाती भवानी से मुख मोड़े रखोगे ? यदि तुम कान में कड़ुआ तेल डाल कर बैठ जाओगे अर्थात् उनके रोने-चिल्लाने को कुछ काल तक न सुनोगे, तो वह भयानक रक्त की प्यासी और बदला लेने वाली चुड़ैल बन जायेगी ।

यूरोप में जितने ही नीची श्रेणी के लोग होते हैं उतने ही शीघ्र उनके यहाँ विवाह भी होते हैं । किन्तु इसमें संशय नहीं है कि जितना शीघ्र हिन्दुस्तानियों का विवाह होता है, उतना शीघ्र किसी नीच से नीच जाति का भी यहाँ विवाह नहीं होता । ऊँची जातियाँ ३० वर्ष से पहले बहुत ही कम शादी-विवाह करती हैं । उनका यह ख्याल है कि बच्चे कम हों, किन्तु योग्य हों ।

हर्बर्ट स्पेंसर अपने जीवन शास्त्र के सिद्धान्त में इस बात को दिखलाता है कि ज्यों-ज्यों मानसिक उन्नति अधिक होती है, त्यों-त्यों सन्तानोत्पादक शक्ति कम हो जाती है, सन्तानोत्पादक

शक्ति कहीं ही जो प्रायः समस्त प्राणियों में रहा करती है, अपना लक्ष्य बनाकर हम अपने आपको कब तक इतना नीचा बनाये रखेंगे ? हमारे शास्त्रों के अनुसार जो ब्रह्मचर्य का गुण वर्णन करने में कभी उकताते नहीं, कोई भी शक्ति, चाहे शारीरिक हो या आत्मिक, पवित्रता के बिना नहीं हो सकती । मानवीय पौरुष का वह भाग जिसको मैथुन-क्रियाओं और मैथुन-विचारों में काम-शक्ति कहते हैं, यदि रोका जाय और वश में लाया जाय, तो वह सहज में ओजस् और अक्षय आत्मिक बल में बदल जाता है । इसलिये काम-वासनाओं को अपने वश में करना चाहिए । वह मूर्ख, जिसने इस पाशविक काम पर अधिकार नहीं पाया और प्रकृति के महान सम्बन्ध अर्थात् स्त्री-पुरुष के सम्बन्ध को खेल-तमाशा समझ रखा है, उसे नहीं मालूम कि वह सचमुच अपना ही रक्त, अपना ही श्वेत रक्त, जो उसकी जान है, बहा रहा है । समस्त पापों की जड़ इसी दैवी शक्ति का अनुचित प्रयोग है, जैसे कुपात्र के पास धन-सम्पत्ति (अर्थात् अनुचित स्थान पर द्रव्य) कूड़ा-कर्कट ही है । काम-वासना को जो पशु-वृत्ति का विशेषण दिया जाता है, उससे भी उसका नीचत्व स्पष्ट होता है ।

बहुपत्नी और बहुपति प्रथा के समर्थन में अजीब तर्क

इन दिनों एक पति और एक पत्नी का सिद्धान्त सही माना जाता है और सम्भवतः भविष्य में भी यही उपयोगी भी सिद्ध होता रहे; पर संसार में प्रयोग इस पद्धति से भिन्न प्रकार के भी होते रहे हैं और उनका सिलसिला अभी जारी है । समय ही बतायेगा कि बहुपति या बहुपत्नी प्रथा में कुछ वैसा भी है या नहीं जैसा कि उनके समर्थक दलील प्रस्तुत करते हैं ।

बहुपत्नी प्रथा का प्रचलन भूतकाल में रहा है । महर्षि याज्ञवल्क्य के दो पत्नियाँ प्रसिद्ध हैं । रामकथा के गायक जानते हैं कि दशरथ जी के तीन पत्नियाँ थीं । पाण्डु की दो पत्नी कुन्ती और माद्री प्रसिद्ध हैं । भगवान् कृष्ण के कई पत्नियाँ थीं । इस प्रकार के उदाहरणों से भारत का पौराणिक साहित्य भरा पड़ा है ।

बहुपत्नी प्रथा के समर्थक एक बड़े कुटुम्ब का द्रुत-गति से निर्माण—एक समर्थ व्यक्ति के आश्रय में अनेक सन्तानों के

विकास की सम्भावना—स्त्रियों में आधिपत्य वृत्ति और ईर्ष्या की संकीर्णता से आगे बढ़कर सामूहिक भावना के विकास जैसे लाभ गिनाये जाते हैं । इनके पक्ष और विपक्ष में बहुत कुछ कहा जा सकता है । यह शोध का विषय है कि उपरोक्त दलीलें ठीक हैं अथवा यह कथन ठीक है कि प्रेम-भावना का क्षेत्र कइयों तक बिखर जाने से स्नेह, सद्भाव घट जाते हैं । स्त्री, बच्चों पर समुचित ध्यान नहीं दिया जा सकता । दाम्पत्य-जीवन के बिखराव में नीरसता आ जाती है और पति-पत्नी में से किसी को किसी पर पूरा भरोसा नहीं रहता ।

सम्भव है प्राचीनकाल में लोगों की मनोवृत्ति अधिक उदार और मिल-जुलकर रहने के आनन्द में रस लेने वाली रही हो और पत्नियों अधिक सहेलियों के साथ रहने में अधिक सुविधा तथा उल्लास अनुभव करती रही हों अब मनःस्थिति और सामाजिक स्थिति बदल जाने से व्रह प्रचलन बन्द करना अभीष्ट हो गया हो तो उसे समय की गति के साथ चलना ही कहा जायेगा ।

प्राचीनकाल में जनसंख्या न्यून थी और सर्वत्र सधन वन थे । कृषि, पशु-पालन तथा हिंस्र पशुओं एवं आक्रमणकारी दस्युओं में आत्म-रक्षा के लिए निज का बड़ा कुटुम्ब उपयोगी माना जाता रहा हो । छोटे कुटुम्ब कठिनाई अनुभव करते हों, सम्भव है उन दिनों वेतनभोगी मजदूर न मिलते हों और घर-परिवार के लोगों को ही मिल-जुलकर अपनी निर्वाह व्यवस्था जुटानी पड़ती हो । ऐसी दशा में बहुपत्नी प्रथा की उपयोगिता समझी गई हो और उस प्रकार का प्रचलन उचित समझा जाता रहा हो तो उसे परिस्थितियों का तकाजा ही कहा जायेगा । इसी आधार पर उन दिनों अधिक सन्तानोत्पादन को प्रोत्साहित किया जाता रहा होगा और उसे सौभाग्य का चिन्ह माना जाता रहा होगा । पीछे जैसे-जैसे एकाधिकार की प्रवृत्ति पनपती गई होगी और आर्थिक साधन सरल होते गये होंगे तो बहुपत्नी प्रथा को असुविधाजनक समझकर हटाया जाने लगा होगा ।

बहुपत्नी प्रथा की तरह बहुपति प्रथा का भी भूतकाल में प्रचलन रहा है और अभी भी यत्र-तत्र वह प्रथा प्रचलित है । कुन्ती के बारे में पौराणिक उल्लेख यह है कि उन्होंने पाँच पुत्र पाँच देव पतियों के सहयोग से उत्पन्न किये, उन दिनों संतान का उद्देश्य लेकर इस प्रकार का नियोग प्रचलन था

भी । द्रोपदी के पाँच पति प्रसिद्ध हैं । पाँचों पाण्डवों की एक ही पत्नी थी । भगवान् कृष्ण ने इस प्रयोग की सफलता में बहुत दिलचस्पी ली । वे द्रोपदी को समय-समय पर मनोयोगपूर्वक इसके लिये प्रशिक्षित करते रहे कि वह मानव समाज के सम्मुख उस प्रयोग की निर्दोषिता पिता और सफलता प्रस्तुत करने में शक्ति भर प्रयत्न करें । तदनुसार वह प्रयोग सफल भी रहा । न पाण्डवों को द्रोपदी से कोई शिकायत रही और न द्रोपदी को पाण्डवों से । नये ढङ्ग की आचार पद्धति और मनःस्थिति ढालने में असुविधा जरूर हुई होगी, पर प्रयोग ने यह सिद्ध किया कि यदि अनुकूल परिस्थितियाँ हों तो बहुपत्नी प्रथा की तरह बहुपति प्रथा भी बिना कष्ट-कठिनाई के चल सकती है ।

भारत के उत्तर प्रदेश में देहरादून जिले के अन्तर्गत 'जौनसार बावर' एक क्षेत्र है यहाँ भी बहु-पति प्रथा पीढ़ियों से प्रचलित है । वे लोग अपने को पाण्डवों का वंशज कहते हैं और द्रोपदी द्वारा अपनाई गई बहुपति प्रथा का पूर्ण समर्थन करते हैं । यहाँ जमीनों की जोतें छोटी हैं उनका विभाजन नहीं होता और पीढ़ी-दर-पीढ़ी एक परिवार सुविधापूर्वक अपना निर्वाह करता रहता है । जबकि एक पति एक पत्नी के प्रचलन वाले लोगों की जमीनें एक दो पीढ़ी में ही टुकड़े-टुकड़े हो जाती हैं । बैटवारे में इतने छोटे टुकड़े हाथ रहते हैं कि उनमें से कोई भी उससे अपना गुजारा नहीं कर सकता और अपना क्षेत्र छोड़कर कहीं सुदूर स्थानों में नौकरी-चाकरी के लिए भाग जाना पड़ता है । तब बहुपति प्रथा अपनाये हुए परिवार गर्वोन्नत मस्तक से कहते हैं कि हम अपनी उदार सहकारिता से लाभान्वित होते हैं जबकि आधिपत्य अधिकार की, स्वार्थ भरी संकीर्णता से भरे लोग न केवल स्वयं भी भारी बोझ के नीचे मरते-खपते हैं वरन् अपनी स्त्री-बच्चों को भी अनाथ, असहाय बनाते हैं ।

एक पत्नी एक पति क्षेत्र में दूसरे का प्रवेश असह्य माना जाता है और इस प्रसंग में खून-खसूर तक होते रहते हैं । पर यह एक वर्ग विशेष की एक मनोवृत्ति मात्र है इसके पीछे कोई गम्भीर कारण नहीं है ।

जौनसार बावर निवासी इन बहुपति प्रथा समर्थक परिवारों को इसकी हानियाँ बताई जायें तो वे तेवर बदल कर

२.३० विवाहोन्माद : समस्या और समाधान

कहते हैं कि—“यदि एक माता की गोदी में जब चार बच्चे खेल सकते हैं और समान स्नेह संरक्षण प्राप्त कर सकते हैं तो कोई कारण नहीं कि एक पत्नी चार पतियों को सुखी-सन्तुष्ट न रख सके। इसमें न तो ईर्ष्या-द्वेष की कोई बात है और न खून-खश्चर की। गड़बड़ी आधिपत्य मूलक संकीर्णता ही फैलाती है।”

चीन का एक संरक्षित प्रदेश सियांग अपनी अन्य विशेषताओं के साथ एक विचित्रता यह भी लिये हुए है कि वहाँ बहुपति प्रथा को प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार किया हुआ है। इस क्षेत्र में गैलॉग नस्ल के लोग रहते हैं उन्हें ऐसी कोई विवशता नहीं कि बहुपति प्रथा के बिना काम न चले पर वे इसे अधिक उदार, अधिक सामाजिक और अधिक प्रगतिशील मानते हैं और अपने इस प्रचलन पर सन्तोष ही नहीं गर्व भी करते हैं।

उस क्षेत्र में बहुपति प्रथा का प्रचलन रूढ़ि परम्परा के आधार पर नहीं चल रहा—वरन् उन्होंने उसकी हर दृष्टि से उपयोगिता समझी है और उत्साहपूर्वक अपनाया है। इस प्रसङ्ग को लेकर वहाँ कभी कोई ईर्ष्यालु प्रसङ्ग नहीं आता न मनोमालिन्य होता है और न घात-प्रतिघात की बात कोई सोचता है। तिब्बतियों में भी यह प्रथा एक सीमा तक प्रचलित है। सुविधा की दृष्टि से वे प्रायः एक पत्नी—एक पति के सिद्धान्त पर ही चलते हैं, पर यदि कोई परिवार बिना लोभ या दबाव का सहारा लिये स्वेच्छापूर्वक बहुपत्नी या बहुपति प्रथा का आश्रय ले तो उसकी कोई भर्त्सना नहीं करता।

बहुपति प्रथा के समर्थन में परिवार का चिरस्थायी सुसंगठन बना रहना प्रधान कारण बताया जाता है। बड़े भाई की शादी करदी जाती है और शेष भाई भी उसी से प्रणय सम्बन्ध रखते हैं। समय का उचित विभाजन रहने से यह दाम्पत्य-जीवन नारी पर भी अनुचित दबाव नहीं डालता। सन्तानें अपने कानूनी पिता को पिताजी तथा उसके अन्य भाइयों को मझले पिताजी, छोटे पिताजी आदि कहती हैं। इससे परिवार की सम्पत्ति का बँटवारा नहीं होता, समृद्धि बनी रहती है और परिवार छिन्न-विछिन्न नहीं होने पाते। पारस्परिक स्नेह-सम्बन्ध की शृंखला उसमें झीनी नहीं पड़ती वरन् और अधिक मजबूत होती है। ये लोग अपने इन्हीं तर्कों को बड़े जोर-शोर और आत्मविश्वास के साथ उन लोगों के सामने

प्रस्तुत करते हैं जो बहुपत्नी प्रथा को अनुपयुक्त बताते हैं। इस समर्थन में स्त्रियाँ और भी दो कदम आगे रहती हैं। वे अपने को अधिक सुखी, अधिक सुरक्षित, अधिक स्नेह संचित अनुभव करती हैं और एकाकी पति वाली महिलाओं की तुलना में अपने को अधिक उदार मानती हैं और कहती हैं मैं अक्षय सुहागिन हूँ। आजीवन मुझे विधवा होने का दुर्भाग्य नहीं सहना पड़ेगा। एक पति के न रहने पर भी अन्य पतियों के कारण उसका सुहाग-सौभाग्य अक्षुण्ण ही बना रहेगा। बच्चों को भी कभी अनाथ बनने की आशंका नहीं रहती।

अफ्रीका में बहुपत्नी प्रथा का प्रचलन बहुत उत्साह से है। इसमें पुरुष नहीं महिलाओं को अधिक उत्साह है। कांगो देश की महिलाएँ उस पुरुष की भर्त्सना करती हैं जिसके घर में एक ही पत्नी हो। ऐसे परिवार उन्हें बहुत असुविधाजनक लगते हैं और वे पतियों को अन्य पतियाँ लाने के लिए बाध्य करती हैं अन्यथा वे उस मरघट जैसे सुनसान घर को छोड़कर अन्य किसी भरे-पूरे घर में चली जाती हैं। इसी प्रकार संसार के अनेक भागों में मातृ प्रधान परिवार प्रथा प्रचलित है उनमें पतियों को दास या पैर का जूता बनकर रहना पड़ता है। पतियों के बदलने, बेचने, पीटने या कई पति रखने की वहाँ स्त्रियों को पूरी छूट है। इस प्रथा को उन समाजों में पूरी मान्यता प्राप्त है।

सभ्यता के विकास के साथ-साथ इन दिनों बहुपत्नी प्रथा और बहुपति प्रथा को अवांछनीय माना जाता है। केवल आक्रमणकारी और बर्बर लोग ही संसार पर अपना आधिपत्य जमाने की दृष्टि से संख्या वृद्धि की दृष्टि से बहुपत्नी प्रथा का समर्थन करते हैं। बहुपति प्रथा को अंगीकार करने वाली महिलाएँ वेश्या, कुल्टा कही जाती हैं और उन्हें न तो सामाजिक सम्मान मिलता है, न कानूनी समर्थन, लुक-छुपकर ही यह सब चलता है। इन दिनों पतिव्रत की तरह ही पत्नीव्रत का ही समर्थन किया जाता है और विज्ञ समाज इसी के पक्ष में है।

किन्तु एक नया तर्क और नया आधार बुद्धिजीवी वर्ग की ओर से बहुपति प्रथा के समर्थन में प्रस्तुत किया जाने लगा है, जोरदार शब्दों में प्रसार किया जाने लगा है। इन समाजशास्त्रियों का कथन है कि बढ़ती हुई जनसंख्या की विभीषिका का सामना करने के लिए यही उपाय सबसे सरल और सुविधाजनक सिद्ध होगा, वे कहते हैं कि यदि मनोभूमि

में सहकारिता-सामूहिकता और उदारता के तत्व बढ़ जायें तो यह प्रचलन हानि रहित तो है ही पारिवारिक जीवन में सुविधा, सद्भावना एवं समृद्धि की बढ़ोत्तरी भी करेगा । संयुक्त परिवार प्रथा सुदृढ़ होगी और परिवार नियोजन की समस्या सहज ही हल हो जायेगी ।

तार्किक कहते हैं कि जब हर क्षेत्र में सामूहिकता की उपयोगिता सिद्ध हो रही है तो दाम्पत्य-जीवन में यह प्रयोग सफल क्यों नहीं होगा ? उत्साही नर-नारियों ने पाश्चात्य देशों में यह प्रयोग कार्यान्वित भी करना आरंभ कर दिया है । देखादेखी अनेक परिवार इसी आधार पर बनते जा रहे हैं और वे जोर-शोर से यह प्रचार कर रहे हैं कि एकाधिकारवादी दाम्पत्य जीवन की अपेक्षा उनका गृहस्थ जीवन कहीं अधिक सुख-सुविधाओं से सम्पन्न है ।

आज हमें पतिव्रत धर्म और पत्नीव्रत धर्म का ही समर्थन करना उचित प्रतीत होता है, पर उसके प्रतिपक्ष में जो प्रयोग चलते रहे हैं—चल रहे हैं—वे भी कम दिलचस्प नहीं हैं । समय ही बतायेगा कि इन अजीब लगने वाले तर्कों का कुछ महत्त्व भी है या नहीं ।

पत्नी एक—पति अनेक

लन्दन से प्रकाशित होने वाले दैनिक 'मिरर' के १८ जनवरी, १९६५ के अंक के पृष्ठ ११ पर एक लेख छपा था । लेखक पोलैण्ड के इन्जीनियर पालवस्की ने विश्व की बढ़ती हुई जनसंख्या पर चिन्ता व्यक्त करते हुए एक सुझाव दिया था कि जनसंख्या न बढ़ने देने के लिए एक पत्नी सात व्यक्तियों से विवाह करे । प्रयोग के लिए उन्होंने अपने आपको प्रस्तुत किया और शेष ६ पति व एक पत्नी जो इस स्थिति में सन्तुष्ट हों, ढूँढ़ने का विज्ञापन भी दिया ।

अपनी योजना को एक लेख बनाकर विश्व की अनेक संस्थाओं, डाक्टरों, नेताओं, सम्पादकों और सम्वाददाताओं को भेजकर बताया कि इस प्रथा से आगे बढ़ने वाली जनसंख्या कुल १/७ रह जायेगी क्योंकि अभी एक व्यक्ति १ वर्ष में १ बच्चा पैदा कर सकता है उस स्थिति में सात व्यक्ति १ वर्ष में १ ही बच्चा पैदा कर सकेंगे और इस तरह आबादी वृद्धि का अनुपात कम हो जायेगा । इस सुझाव पर इंग्लैण्ड की एक १७ वर्षीया युवती कुमारी ग्वेण्डोलिन सात पतियों की पत्नी

बनने को तैयार हुई, उसी प्रकार दो आस्ट्रियन भी इस मसौदे पर तैयार हुए । शेष चार पतियों की पूर्ति सम्भवतः अब तक भी नहीं हो सकी । क्योंकि तब से अब तक इस सम्बन्ध का कोई और समाचार नहीं छपा ।

बहुपति प्रथा हिमालय के कुछ भागों में अभी भी मिलती है । भारतीय इतिहास में केवल द्रोपदी का ही एक उदाहरण मिलता है जिसने एक साथ पाँच पति वरण किये । इतिहास का यह पृष्ठ उस युग में जब लोग श्रद्धावादी होते थे, चाहे जैसा रहा हो पर आज के बुद्धिमान् व्यक्ति उसे उपहास की ही दृष्टि से देखते हैं । एक स्त्री का अनेक पतियों के संरक्षण में रहना न केवल समस्यामूलक बात है, वरन् यह मातृत्व के साथ घोर विडम्बना भी है । इसका अर्थ यह है कि पुरुष जनसंख्या के लिये स्त्री को ही मुख्य कारण मानता है और उस समस्या के सुधारने के लिये भी उसे ही कठपुतली बनाना चाहता है ।

पहले ही नारी की पवित्रता पर भयंकर चोटें हो चुकी हैं । निरोध टिकियाँ स्त्री के लिये, लूप और आपरेशन स्त्री के लिये यह सब नारी का अपमान ही है । यदि जनसंख्या पर नियंत्रण की सचमुच चिन्ता है तो दोनों ही पक्ष कामवासना का नियन्त्रण क्यों नहीं कर सकते । उससे तो और भी अनेक लाभ हैं । स्वास्थ्य अच्छा रहता है । मन में उल्लास और मस्ती रहती है । कम बच्चों की शिक्षा-दीक्षा और पालन-पोषण भी अच्छी तरह किया जा सकता है । पति-पत्नी चिरस्थायी प्रेम का जीवन जीते हैं वह अच्छे या कृत्रिम साधन अपनाकर शरीर बिगाड़ना और मातृशक्ति का इस तरह बाजारू बनाना ।

ऐसे सुझाव और साधनों को दुनिया का कोई भी समझदार और भावनाशील व्यक्ति समर्थन नहीं करेगा । श्री पालवस्की का यह सुझाव भी उसी तरह असमर्थित ही रहा । स्वयं परिवार नियोजन की अन्तर्राष्ट्रीय संस्था ने लिखा—“हम आपके विचारों में काफी रुचि रखते हैं किन्तु आपके विचारों से हमारा सामंजस्य नहीं । अतएव हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते ।”

'ब्रिटिश वेण्टिस्ट पेसिकिस्ट फेलोशिप' ने तो पत्र ही वापस कर दिया और साथ में पत्रोत्तर दिया कि—“आपसे अनुरोध है कि भविष्य में ऐसा साहित्य न भेजें ।” किसी भी

समझदार आदमी ने सुझाव का समर्थन नहीं किया और इस तरह ३७ वर्षीय पालवस्की की योजना जहाँ से उठी थी गुड़ीमुड़ी होकर वहीं समाप्त हो गई । जहाँ तक इस सुझाव की बात थी उसे अयुक्तिसंगत ही कहेंगे पर इससे जनसंख्या वृद्धि की समस्या की भयंकरता ही प्रकट होती है । वह पक्ष उपेक्षणीय नहीं । यदि प्रजनन जिस गति से बढ़ रहा है, उसी गति से बढ़ता रहा तो ६५ वर्ष बाद रहने तक की समस्या खड़ी हो जायेगी उस समय जनसंख्या अपना विस्फोट आप करेगी और एक-दूसरे को मारकाट डालेगी, इसलिये विषय को गम्भीरता से भी समझा जाना चाहिये । जनसंख्या की वृद्धि को रोकने के सबसे कारगर प्रयत्न किये जाने चाहिए किन्तु यह ध्यान भी रखा जाना आवश्यक है कि प्रजनन और मातृत्व वैसा ही प्रश्न न बन जाये जैसा कि पालवस्की का सुझाव ।

विवाह करने से पहले इन बातों का भी ध्यान रखें

विवाह करने के तुरन्त बाद ही मनुष्य की जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं । विवाह से पूर्व तक पुरुष स्वतन्त्र और स्वकेन्द्रित रह सकता है । वह चाहे जो करे, चाहे जहाँ अपनी कमाई को लगाये, अपनी आमदनी से कुछ बचाये या न बचाये । पर जैसे ही विवाह होता है, युवक को अपनी गतिविधियाँ बदल देनी पड़ती हैं । उस पर अंकुश रखने वाली पत्नी तब घर में आ जाती है और उसे समय पर घर आना पड़ता है । यही नहीं, उसके निर्वाह की व्यवस्था भी करनी पड़ती है । अब तक वह अपनी कमाई को जिस प्रकार अपने लिए ही खर्च करता था, बाद में उसे परिवार का—पत्नी का भी निर्वाह उसी में से करना पड़ता है और उसे ऊल-जलूल या अण्ट-शण्ट खर्चों से बचना पड़ता है ।

परिवार बसाने की—विवाह करने की बात तब ही सोचनी चाहिए, जबकि व्यक्ति आत्मनिर्भर हो गया हो । जिनके रोजगार की व्यवस्था नहीं है या जिन्हें पत्नी का निर्वाह भी कर सकें, इतनी पर्याप्त आय नहीं है—उन्हें विवाह नहीं करना चाहिए । भारतीय अभिभावकों में यह दोष व्यापक रूप से देखा गया है कि वे अपने लड़कों को आत्मनिर्भर होने से पहले ही विवाह-बन्धन में बाँध देने की बात सोचते हैं । परिवार सम्पन्न हो या विपन्न, लड़के का विवाह तभी करना चाहिए—जबकि

वह स्वयं भी कुछ उपार्जन करने लगा हो । लोग सोचते हैं कि भगवान का दिया सब कुछ है तो लड़के के कमाने या न कमाने का प्रश्न कहाँ बाधा पैदा करता है ?

यह सोचना गलत है । आत्मनिर्भर पति ही अपनी पत्नी पर अपने पौरुष का परिचय दे सकते हैं । परिवार या अभिभावकों पर आश्रित रहने वाले युवकों की पत्नियाँ अपनी आवश्यकताओं के लिए पति की ओर ताकती हैं तो पति माँ-बाप की ओर । यह स्थिति निश्चय ही असम्मानपूर्ण है । विवाह का अर्थ ही यह है कि दम्पति- समाज के लिये एक इकाई बनकर तैयार हो गये हैं तथा उसका संयुक्त एकात्म और आत्मनिर्भर अस्तित्व है ।

अतः पहले रोजगार-धन्धे की बात सोचनी चाहिए और फिर उसके बाद विवाह की । विवाह करते समय भी कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक है । एक तो यह कि अपनी स्थिति से ऊँची-स्थिति में विवाह नहीं किया जाना चाहिए । ज्यादा पढ़ी-लिखी पत्नी चाहने वाले लोग कम हों, तो भी सुन्दर पत्नी तो सभी चाहते हैं । वैसे सुन्दरता और सफेद रङ्ग का दाम्पत्य-जीवन की सफलता-असफलता से कोई सम्बन्ध नहीं है । अच्छा तो यह है कि कन्या को देखते समय इन बातों को कोई महत्व ही न दिया जाय । परन्तु कम से कम इतना तो सोच ही लेना चाहिए कि मैं सुन्दर पत्नी चाहता हूँ, पर मैं भी सुन्दर हूँ या नहीं ? यदि अपनी ओर न देखकर, केवल सुन्दरता को ही महत्त्व दिया जाय तो अधिकांश सम्भावना निराश होने की ही रहती है और कदाचित् धन-प्रतिष्ठा के बल पर यह सम्भव भी हो जाये तो दाम्पत्य-सम्बन्धों में नीरसता और कटुता जन्म लेने लगती है । सुन्दर पत्नी भी तो—सुन्दर पति की अपेक्षा करती है और उसकी यह अपेक्षा पूरी न होने पर मुँह से भले ही वह कुछ न कहे, पर ग्रन्थि अपने आप ही उसे खिन्न करती रहती है । जिसका स्पष्ट प्रभाव उसके दाम्पत्य-जीवन में दिखाई देने लगता है । यह भी एक तथ्य है कि पति के व्यक्तित्व के अनुरूप ही पत्नी फबती है ।

सुन्दर पत्नी से विवाह की अपेक्षा युवकों को भी तभी करनी चाहिए, जबकि वे उस सौन्दर्य की रक्षा कर सकें । सौन्दर्य एक ऐसा गुण है, जिसकी उपेक्षा कम से कम मनुष्य तो सहन नहीं कर सकता । स्त्रियाँ पुरुषों की अपेक्षा अपने सौन्दर्य के प्रति और भी सजग रहती हैं, तो उसकी अपेक्षा

पूरी करने की क्षमता हम में है या नहीं—यह पहले देख लेना चाहिए ।

सुन्दरता की लालसा के साथ-साथ युवक सम्पन्न परिवारों में—अपने से ऊँची स्थिति के सम्बन्ध चुनना अधिक पसन्द करते हैं । कारण यह है कि उन परिवारों से अच्छा दान-दहेज मिलने का आकर्षण रहता है । या यह भी कि अपने से अच्छी स्थिति के घर की लड़की को 'बहू' बनाकर लायेंगे तो हमारी प्रतिष्ठा और इज्जत में भी वृद्धि होगी । लेकिन यह आशा भी दुराशाभर सिद्ध होती है । ससुराल पक्ष अक्सर अपने जमाई का सम्मान लड़की से भी अधिक करता है । पर अधिक ऊँची स्थिति में विवाह करने वालों को अपनी ससुराल में वैसा सम्मान नहीं मिल पाता ।

सम्पन्न व्यक्ति अपनी लड़की में कोई कमी होने के कारण निम्नवर्गीय परिवार में उसका विवाह करेगा या धोखे में आकर । यदि लड़की में कोई कमी होने के कारण विवाह हुआ है, तो भी सम्पन्नता का गुरूर बार-बार यह व्यक्त करवाता रहेगा कि पर्याप्त दान-दहेज देकर हमने लड़के को खरीदा है और धोखे में आकर यदि सम्बन्ध हुआ हो तो कलई खुल जाने पर दोनों परिवारों के सम्बन्ध बहुत ही कटुतापूर्ण हो जाते हैं ।

अपने से ऊँची स्थिति के परिवार में तो विवाह हरगिज ही नहीं किया जाना चाहिए । अपने समान आर्थिक स्थिति और अपने समान रूप, गुण की लड़की में किये गये विवाह ही सफल होते हैं । स्मरणीय है, न आर्थिक स्थिति दाम्पत्य-जीवन को सफल बनाती है और न रूप-सौन्दर्य ही । सुन्दरता तलाशी तो जाय, पर वह शरीर की नहीं, गुण की होनी चाहिए । रूप-सौन्दर्य कुछ ही वर्षों की चीज है । एकाध बच्चा होने पर या आठ-दस वर्ष बीत जाने पर न वह सौन्दर्य रहता है, जिसकी चमक ने आँखों को चौंधिया दिया था और न वह माँसलता, जिसने पति को विवाह से पूर्व आकृष्ट किया था, जबकि गुण स्थायी विशेषताएँ बने रहते हैं ।

साँवली या काली लड़की भी गुणवान हो तो वह अपनी सेवा, सुशीलता और सद्व्यवहार से न केवल पति की हृदय-साम्राज्ञी बनी रहती है, वरन् घर के अन्य सदस्यों की प्रिय-पात्रा बन जाती है और सुन्दर नयन-नक्श वाली गोरी-चिड़ी लड़कियों में सेवा, त्याग, प्रेम, सद्व्यवहार व सुशीलता आदि गुण न हों तो वह अपने सौन्दर्याभिमान के कारण तथा इन

गुणों के अनुपस्थित रहने से भी घर में कोहराम मचाये रहती हैं ।

दहेज, पद या प्रतिष्ठा के प्रलोभन में आकर अपने से ऊँची स्थिति के परिवार की लड़की से विवाह करने का अर्थ है—अपनी शक्ति से अधिक खर्च करने की परिस्थितियों को प्रत्यक्ष आमन्त्रण देना । सम्पन्न घराने से अच्छा दहेज मिलता है, वह तो शान-शौकत के साथ विवाह करने में ही खर्च हो जाता है । थोड़ा-बहुत जो कुछ बचता है, वह इतना पर्याप्त नहीं रहता कि उससे वैभव में पली लड़की के अम्प्यास में आये हुए शोक और आवश्यकताओं को आसानी से पूरा किया जा सके । लड़की को सिनेमा जाने की आदत है और परिवार की स्थिति ऐसी हो कि दोनों वक्त भोजन मिल जाय, उसी पर सन्तोष किया जाता हो तो सिनेमा देखने के लिए खर्च कहाँ से आये ? पत्नी ने चालीस-पचास से कम रुपये वाली साड़ी अब तक के जीवन में कभी नहीं पहनी हो और पतिदेव की सामर्थ्य १५-१६ रुपये वाली साड़ी लाकर ही देने की हो तो उसकी माँगें कहाँ से पूरी होंगी ? प्रतिष्ठा या धन के प्रलोभन में आकर ऊँची स्थिति में विवाह करना—उसी समय के लिए लाभदायक दीखता है, पर बाद में पत्नी की आवश्यकताएँ पूरी करने अथवा उसे अपनी विवशता समझाने में जो परेशानियाँ भुगतनी पड़ती हैं—वे उस गलती का अनुभव बड़े तीखे रूप में कराती हैं । ऐसी समझदार लड़कियाँ कम ही होती हैं, जो नये परिवार की विवशता और स्थिति को समझ सकें तथा उनसे तालमेल बिठा सकें । ऐसी दशा में घर में बड़ा कलहपूर्ण वातावरण बन जाता है ।

विवाह के बाद भी कई एक सतर्कताएँ रखना जरूरी है अन्यथा गृहस्थी के दायित्व व्यक्ति को उससे कतराने वाला बना देते हैं और पति सोचता है कि यह कहाँ की झंझट मोल ले ली । अधिकांश दम्पति इस प्रकार की गलतियाँ करते हैं और जहाँ भी दो विवाहित-मित्र इकट्ठे होते हैं; गृहस्थी के झंझटों की चर्चा करने लगते हैं । इसका कारण यही है कि दाम्पत्य-जीवन में ऐसी गलतियाँ होने लगती हैं, जो गृहस्थी को झंझटों और उलझनों का अखाड़ा बना देती हैं अन्यथा परिवार तो व्यक्ति के आनन्द, शान्ति और सुखों का आगार होते हैं । वहाँ आकर तो व्यक्ति को अपनी दिनभर की थकान को भूल जाना चाहिए और आनन्द में डूब उठना चाहिए ।

पहली गलती तो यह हो जाती है कि युवक नई-नई शादी होने के बाद पत्नी पर अधिक धाक जमाने के लिए अनावश्यक खर्च करने लगते हैं। एक बार हाथ खुल गया तो हमेशा की परेशानी बन जाती है और व्यक्ति की अपनी सामर्थ्य हो या न हो, यह आवश्यकता से अधिक खर्च करने के लिए मजबूर-सा हो जाता है और आर्थिक तंगी बनने लगती है। मितव्ययिता के आदर्श का सभी स्थितियों में दृढ़-प्रतिज्ञा से अनुसरण किया जाना चाहिए। विवाह से पहले ही, विवाह के समय या विवाह के बाद में व्यक्ति को प्रत्येक परिस्थिति में इस गुण में जरा भी ढील नहीं आने देनी चाहिए।

आय से अधिक व्यय के साथ-साथ अधिक सन्तान पैदा करना भी एक भयंकर भूल बन जाती है, जिसके बड़े भयंकर दुष्परिणाम होते हैं। साधारण स्थिति का गृहस्थ दो बच्चों से अधिक को न तो पाल सकता है और न उन्हें समुचित शिक्षा दिलाकर योग्य बना सकता है। अधिक बच्चे आर्थिक-संकट की जड़ तो हैं ही—पत्नी के और स्वयं के स्वास्थ्य पर भी भीषण आघात हैं। कई बार लोग एक पुत्र की आशा में सन्तान की संख्या बढ़ाते रहते हैं। दोनों सन्तानें लड़कियाँ हों तो भी किसी स्थिति में अगली सन्तान को आमन्त्रण नहीं देना चाहिए। क्योंकि वे दो लड़कियाँ ही परिवार की आर्थिक-नींव हिला डालने के लिए काफी हैं और इस पर यदि तीसरी बार भी लड़की हो गई तो बरबादी के बीज पूरी तरह बो दिये गये—कहा जा सकता है। पुत्र हो या पुत्री—हर मध्यमवर्ग के परिवार को दो सन्तानों से अधिक को जन्म नहीं देना चाहिए। यदि जीवन सुख-चैन के साथ गुजारना है तो ऐसी भयंकर गलती कभी भी न करने की कसम खानी चाहिए।

सन्तान का जन्म होना सभी दम्पतियों के लिए खुशी की बात बन जाती है। पर पहला बच्चा होने पर कई पति-पत्नी जैसे अपना होश खो बैठते हैं और उन्हें अपनी आर्थिक-मर्यादा का ही होश नहीं रहता। दोनों हर्ष-विभोर होकर अपना सर्वस्व लुटा देने के लिए जैसे तैयार हो जाते हैं। खुशी और उल्लास व्यक्त किया जाय, पर अपनी आर्थिक-स्थिति को भूलकर नहीं। इसके लिए ज्यादा से ज्यादा मंगल-गीत और जलपान जैसे छोटे आयोजन रखे जा सकते हैं। यह नहीं कि दान-दक्षिणा, दावत-भोज आदि अनेकानेक खर्चीले आयोजन कर डाले जायें और सारी पूँजी को स्वाहा कर सिर पर कर्जा लाद लिया

जाय। यह तो खुशी के जोश में होश भूलकर—“घर फूँक के तमाशा देखने” जैसी बात हो गई। कहना नहीं होगा कि ऐसी फिजूलखर्चियों के कारण सदा पछताना ही पड़ता है। बच्चे के जन्म पर किया जाने वाला खर्च बचाकर उसके विकास और स्वास्थ्य-सम्बर्धन में लगाना अधिक लाभदायक और बुद्धिमतापूर्ण रहता है—अपेक्षाकृत फिजूल खर्चियों के।

नये दम्पतियों को इन सब बातों की सतर्कता रखनी चाहिए और सम्भावित गलतियों से बचना चाहिए। पत्नी-रंजन एवं पुत्रोत्सव के समय जो लोग अपने को नियन्त्रित और विवेकशील बनाये रखते हैं, उनका दाम्पत्य-महल एक ऐसी सुदृढ़ नींव पर खड़ा होता है, जो कठिन से कठिन परिस्थितियों और समस्याओं के अन्धड़ों में भी अप्रभावित रहता है।

जीवन-साथी के चुनाव के सही आधार

जीवन-साथी के चुनाव की प्रक्रिया क्या हो, यह बात विवाह के प्रयोजन से जुड़ी है। विवाह का प्रमुख प्रयोजन दो मित्रों का सम्पूर्ण सहजीवन है। यह मैत्री समस्वरता सामञ्जस्य, समानता तथा आदान-प्रदान की क्षमता पर ही निर्भर है। अतः लड़के और लड़की दोनों को अपने जीवन-साथी का चुनाव इन्हीं कसौटियों पर कसकर करना चाहिए, तभी वे दाम्पत्य-जीवन का आनन्द प्राप्त कर सकते हैं। यह चुनाव चाहे अकेले अभिभावक करें या पुत्र-पुत्री की सहमति से करें अथवा लड़के-लड़की स्वयं ही करें, किन्तु ये आधार ध्यान में रखे जाने आवश्यक हैं।

विवाह के लिये प्राथमिक उभयनिष्ठ आधार है आयु एवं बुद्धि की परिपक्वता। अपरिपक्व आयु में किया गया विवाह वर-वधू को कुछ सीमा तक कुंठित बना देता है। आत्मनिर्भरता की स्थिति आये बिना विवाह करने से सदा हानि होती है। जीविकोपार्जन की उचित व्यवस्था किये बिना न तो अभिभावकों को लड़के की शादी का आग्रह करना चाहिए और यदि ऐसा आग्रह हो ही तो, न ही युवकों को उसे स्वीकार करना चाहिए।

विवाह करते समय आजकल लड़की वाले लड़के की पारिवारिक स्थिति में उसके परिवार की सम्पत्ति, पद-प्रतिष्ठा और आजीविका के स्वरूप को देखते हैं। धनी घर का, ऐसा कमाऊ लड़का देखा-दूँढ़ा जाता है, जिसकी ऊपरी आमदनी

पर्याप्त हो । उधर, लड़के वाले ऐसी लड़की तलाशते फिरते हैं जो देखने में रूपवती हो और अपने साथ अधिकाधिक दहेज ला सके । इससे समाज और जीवन के प्रति इन लोगों की मान्यता का पता चलता है । ऊपरी कमाई देखने वाले स्पष्ट रूप से भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन देते हैं और रूप-सौन्दर्य को प्रधानता देने वाले कामुकता के उभार को महत्त्व देते हैं । जबकि यही लोग समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार और चारों ओर फैल रही उत्तेजक परिस्थितियों पर दोष-क्षोभ, शोक व्यक्त करते देखे जाते हैं । ऐसे दुहरेपन के रहते विवाह से वे सत्परिणाम नहीं प्राप्त हो सकते, जिनके कारण उसका वास्तविक महत्त्व है ।

विवाह के प्रयोजन को मन में भलीभाँति स्पष्ट कर लेना चाहिए । इसके पीछे अपनी आकांक्षा क्या है, इसका आन्तरिक अवलोकन करना चाहिए । यदि आजीवन साहचर्य निभाने और अभिन्न मैत्री बनाये रखकर संयुक्त रूप से उत्तरदायित्व सँभालने की आकांक्षा है, तब उस दृष्टि से साथी की खोज और चुनाव किया जाना चाहिए । यदि आकर्षक मौसलता से रूप-नृत्य में आहुति दे देकर मनके खेलने के लिए, वेश्या-वृत्ति जैसी लालसा के लिये, वासना का व्यवस्थित उपाय, निश्चित आधार ढूँढ़ा जाना है, तो बात भिन्न है । यदि निरुद्देश्य रहकर ही इस रूढ़ि का निर्याह किया जाना है और अपने गले में पत्थर बाँध लेने में भी झिझक नहीं है, तब भी कोई बात नहीं । किन्तु यदि दाम्पत्य-जीवन की सफलता की चाह है, तो गुण-कर्म-स्वभाव की अनुकूलता-अनुरूपता ही देखनी होगी । एक-दूसरे का साथ दे सकने और मैत्री का दायित्व भली-भाँति निभा सकने की कसौटी बनानी होगी । लड़कों और उनके अभिभावकों को इस दृष्टि से मुख्यतः तीन बातें देखनी चाहिए । पहली उत्तम स्वास्थ्य । दूसरे सामान्य ज्ञान एवं मध्यम स्तर तक की न्यूनतम शिक्षा । तीसरी आचार-व्यवहार की अनुरूपता ।

लड़की का स्वास्थ्य उत्तम न हुआ तो घर-गृहस्थी के उत्तरदायित्व वह निभा न सकेगी । सन्तान का भार तो उसे तोड़कर ही रख देगा । अच्छा स्वास्थ्य जीवन में किसी भी सुख की अनुभूति के लिये सर्वप्रथम आवश्यक है । सुशिक्षिता, रूपवती और सुशीला नारी भी जर्जर स्वास्थ्य होने पर दाम्पत्य-जीवन का बोझ नहीं सम्भाल पातीं । स्वस्थ स्त्री का मतलब है कि उसे कोई गम्भीर रोग न हो हडिड्यौं न निकली

हों, शरीर में रक्त पर्याप्त हो और चेहरे पर हो ओज । सुस्त न हो, काम करने में रुचि रखने वाली तथा फुर्तीली हो ।

इसके बाद देखा जाना चाहिए कि उसे सामान्य ज्ञान और मध्यम स्तर की शिक्षा प्राप्त हो । वह गृहकला, गृहव्यवस्था तथा व्यवहार-कुशलता में दक्ष हो अन्यथा अन्य क्षेत्रों में विशेष प्रतिभा होने पर भी वह दाम्पत्य जीवन में तनाव तथा परेशानी का ही अनुभव करेगी । पर गृहस्थी ठीक से चला न सकेगी तथा आर्थिक कठिनाइयों को भी बढ़ायेगी ही, उन्हें सुलझाने में सहयोग न दे सकेगी ।

अधिक शिक्षित लड़कियों को उन्हें ही पसन्द करना चाहिए, जिनके घर की स्थिति अच्छी सुविधा सम्पन्नता की हो अन्यथा, आर्थिक स्थिति दुर्बल होने पर, उच्च शिक्षित लड़कियाँ वहाँ तालमेल बिठा पाने में प्रायः असफल रहती हैं । अधिकांश उच्चशिक्षिता लड़कियों में अपनी स्वतन्त्र आजीविका की व्यवस्था का भी भाव रहता है । इससे गृहस्थ-जीवन का लाभ नहीं मिल पाता । बच्चों को उचित संरक्षण, स्नेह-प्यार नहीं मिल पाने से उनका समुचित विकास नहीं हो पाता । पति-पत्नी दोनों नौकरी करने लगते हैं, तो घर की स्थिति धर्मशाला जैसी होकर रह जाती है । दो में से एक का तबादला अन्यत्र हो गया तो दोनों को अलग-अलग व्यवस्था जमानी होती है और विधवा एवं विधुर जैसी जिन्दगी जीनी होती है । अतः उच्च शिक्षित लड़कियों की पसन्द से पहले इन सब तथ्यों पर तथा लड़की को मूल प्रकृति पर भली-भाँति विचार कर लेना चाहिए । उच्च शिक्षित लड़कियों को भी विवाह के बाद उत्पन्न होने वाली इन सब परेशानियों का विचार कर लेना चाहिए । अधिक सम्पन्न घर न मिल रहा हो तो अपनी पूर्ण मानसिक तैयारी होने पर ही मध्यवर्गीय घरों में विवाह करना चाहिए अन्यथा शादी के बाद आये दिन तनावों का सामना करते हुए तलाक तक रोज बात पहुँचे, इससे अविवाहित रहे आना और स्वतन्त्र जीवन जीना ही अच्छा ।

आचार-व्यवहार की अनुरूपता रहने पर मैत्री का सघन भाव सहज ही बन जाता है । अतः खानदान देखते समय बिरादरी या पद आदि नहीं, वहाँ की पारिवारिक परम्पराएँ देखी जायें । अनुकूल परम्पराओं में पले लोगों में तालमेल बैठना अधिक सुगम होता है ।

रूप के बारे में मध्यम दृष्टि अपनानी चाहिए। बहुत अधिक सौन्दर्य के साथ प्रायः असंतुलित महत्वाकांक्षाएँ अथवा मान जुड़ा रहता है। फिर सर्वत्र रूप की ही माँग होने और उसकी उस मात्रा में पूर्ति न हो पाने के कारण वह एक दुर्लभ और विशेष गुण बन बैठा है। जबकि पारिवारिक जीवन में उसकी कोई भी अलग उपयोगिता नहीं है। उल्टे उससे झंझटें ही खड़ी होती हैं। व्यावहारिक दृष्टिकोण रखने वालों को इस विषय में औसत स्तर ही देखना चाहिए।

यही कसौटियाँ लड़के के बारे में भी लागू होती हैं। सौन्दर्य नहीं स्वास्थ्य और अधिक धन-सम्पन्नता नहीं, आत्मनिर्भरता, परिश्रमशीलता तथा सच्चरित्रता को ही जीवन में काम आना है। लड़का देखते समय स्वास्थ्य और स्वभाव को ही सर्वाधिक महत्त्व देना उचित है। जो लड़का स्वभाव से परिश्रमी है, वही समाज की भाग-दौड़ में ठहर सकेगा। आलसी तो अपना शरीर नष्ट करेगा, मन-मस्तिष्क को प्रमादी, पंगु और संकीर्ण बना लेगा तथा पैतृक सम्पत्ति एवं प्राप्त विभूतियों को भी गँवा बैठेगा। यही बात दुर्व्यसनी युवक के बारे में लागू होती है। प्रमादी और कामचोर लोग ही दुर्व्यसनों में अधिक फँसते हैं। दुर्व्यसनी लड़का कितना भी सुन्दर एवं सम्पन्न हो, वह अपने व्यसन की ज्वाला में स्वास्थ्य, धन सभी कुछ होमता जायेगा और उसके तथा उससे बैँधी लड़की के पल्ले सदा अभाव, अपमान, अवनति और अवसाद ही पड़ेगा।

अस्वस्थ और आलसी पुरुष जीवन-संग्राम में कभी भी विजयी न हो सकेगा। उसकी सुन्दरता और सम्पन्नता पत्नी की वह आन्तरिक ऊष्मा से भरा सात्रिध्य एवं पुलकन न दे सकेगी, जिसकी कि वह अपेक्षा करती है।

उदारता एवं सदाशयता भी जीवन-साथी के आवश्यक गुण हैं। अतः लड़के की तलाश करने वाले अभिभावकों को उसके परिवार का भावात्मक वातावरण देखना-जानना चाहिए। साथ ही लड़के की प्रकृति का भी पता लगाना चाहिए। उदारता का अर्थ चरित्र की शिथिलता और अन्याय के प्रति सहनशीलता अथवा दम्बूपन नहीं, अपितु क्षणिक आवेश में न बहना, छोटी-छोटी कमियों पर आग-बबूला न हो उठना और अपने ही दृष्टिकोण मात्र को प्रधानता न देना है।

जीवन-साथी की शारीरिक समर्थता, पति की आर्थिक सुदृढ़ता एवं उपार्जन की क्षमता और दोनों की आन्तरिक स्वस्थता ही विवाह के लिये चयन का आधार बनना चाहिए।

जो आदर्शवादी हैं, उन्हें कुरूप लड़कियों को अपनाना चाहिए। इससे अपने मन की आदर्श-भावना को सन्तोष मिलेगा। साथ ही गुणों एवं उपयोगिता की दृष्टि से किसी भी प्रकार का घाटा न रहेगा। उल्टे साथी की कृतज्ञता अनुदान बनकर बरसेगी। आदर्शनिष्ठ लड़कियाँ भी कुरूप, किन्तु सुयोग्य लड़के पसन्द करें, तो इससे उन्हें लाभ ही होगा, हानि नहीं। आदर्शवादियों द्वारा ही बीमार, अपंग-अपाहिज, असहाय से भी विवाह रचा जा सकता है। विधवा से किसी कुमार द्वारा विवाह भी आदर्श की ही श्रेणी में आता है।

जीवन-साथी के चुनाव में सतर्क, शान्त-संतुलित निरीक्षण की आवश्यकता है। एक ओर जहाँ अपनी समुचित तैयारी न होने पर, मात्र अभिभावकों की इच्छा से विवाह करना मानसिक दासता है, वहीं दूसरी ओर साथी के चयन में उनके विवेकपूर्ण परामर्श की उपेक्षा भी हानिकारक सिद्ध होती है। अहंकारजन्य औद्धत्य में अभिभावकों की राय को अनसुनी करने से अपनी ही हानि होती है। उनकी सलाह सुनकर और अपनी रुचि तथा सामर्थ्य देखकर निर्णय करना ही सही सिद्ध होता है। दाम्पत्य-जीवन की आधारभूत आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर ही जीवन-साथी चुना जाना चाहिए।

भ्रान्तियों से घिरा विवाह और

प्रजनन

विवाह आयोजन होते रहने के कारण वे एक प्रथा प्रचलन में सम्मिलित हो गए हैं। लड़के-लड़कियों को जैसे पालना, पोसना और पढ़ाना आवश्यक समझा जाता है। उसी प्रकार यह भी जरूरी मान लिया गया है कि हर लड़के या लड़की का विवाह होना ही चाहिए। इसके उपयुक्त तरुणाई आने से बहुत पहले ही दूँद-खोज आरम्भ कर दी जाती है।

कई वर्ग समुदायों में बाल-विवाह का प्रचलन है। लड़की वाले देखते हैं कि जिस बच्चे को अपने घर से निकाल बाहर करना है उस पराई अमानत को घर में रोककर खिलाने-पहनाने आदि का बोझ सिर पर क्यों लादे रहा जाय? क्यों न उसे जहाँ जाना है वहीं भेज दिया जाय। एक लाभ यह भी सोचा जाता है कि लड़का बड़ा होने पर इस सम्बन्ध में अपनी टाँग अड़ाने लगेगा। लड़की की पसन्दगी से लेकर दहेज में इच्छित वस्तुएँ माँगने जैसी अनेक उलझनें खड़ी होंगी। जब तक

उसका बौद्धिक विकास नहीं हो जाता है तभी तक यह काम निपट दिया जाय तो अच्छा । विवाह में गुड़िया-गुड़ों जैसा तमाशा तो होता था, उस उत्सव की मजेदारी जितनी जल्दी देख ली जाय उतनी ही अच्छी रहे । पीछे समय आ धमका तो एक काम अधूरा रह गया, यह हसरत मन में ही बनी रहेगी । इसलिए जरूरी कामों में से एक इसको भी निपट लिया जाय तो अच्छा । ससुराल वालों को भी छोटी बहू घर-आँगन में कुदकती-फुदकती दीखती है तो अच्छी लगती है । उसकी अपनी मर्जी कुछ होती ही नहीं जैसा मन आया वैसा कर लिया, कह दिया । उसे कुछ एतराज भी नहीं होता । माँ-बाप की याद आती है सो जल्दी-जल्दी उसे मैके भेजते भी रहते हैं । दोनों घरों को अपना समझकर उनमें रिस-पिस जाती है, तरुणी होने पर इच्छित परिस्थितियों के साथ तालमेल बैठने न बैठने का झंझट नहीं रहता है । बाल-विवाह के समर्थक प्रायः इन्हीं तर्कों को देते रहते हैं, इतना ही नहीं वे अपनी इच्छा के विपरीत दूसरे पक्षों पर विचार न कर पाने के कारण जो सोचा गया है उसे सही भी समझते हैं और उसे ही उठाते हैं ।

पर वह यह नहीं सोचते कि इस उतावली के कुछ दूसरे पक्ष भी हैं और वे अपेक्षाकृत अधिक वजनदार भी हैं । उनमें से एक यह है कि लड़की के पढ़ने-लिखने का अवसर सदा-सर्वदा के लिए चला जाता है । जितना अक्षर ज्ञान पिता के घर में प्राप्त कर लिया था वहीं विराम लग जाता है । बहू बनने के बाद शर्म, घूँघट, पर्दे के प्रतिबन्ध लग जाते हैं । बहुएँ स्कूल पढ़ने जायें इसका कोई प्रचलन भी नहीं है । ससुराल में उसे घरेलू कामों में लगने और बड़ी-बूढ़ी महिलाओं का वजन हलका करने की अपेक्षा की जाती है । रोटी, कपड़ा जिसके लिए खर्चा जा रहा है उसके बदले में कुछ तो काम लिया ही जाय । यही व्यावहारिक गणित है ।

घरों की अन्य स्त्रियाँ बिना पढ़ी ही होती हैं । देवरानी, जेठानी, सास, छोटी बड़ी सास आदि सभी तो बिना पढ़ी होती हैं । फिर उनमें एक नयी छोटी बहू पढ़-लिख जाय तो बात-बात में अपनी योग्यता का परिचय देगी और अन्यों का अपमान करेगी । इसलिए यही अच्छी है कि उस परिवार की अन्य महिलाओं का उदाहरण देकर सब की तरह रहने के लिए ही जोर देकर कह दिया जाय ।

छोटे लड़कों का विवाह भी कम धूमधाम से होता है इसलिए उनमें खर्च भी कम पड़ता है । ससुराल वाले थोड़े में ही खुश हो जाते हैं । लड़की की अपनी न निजी पसन्दगी होती है, न फरमाइश । सास-ससुर घर में एक नई गुड़िया देखकर ही खुश हो जाते हैं । दहेज आदि की कोई बड़ी फरमाइश भी नहीं करता । जो मिला उसी में सन्तुष्ट हो जाते हैं । पढ़ाई सम्बन्धी भी कोई बड़ी राशि या सौगात पाने पर भी जोर नहीं देते । बचपन में लड़के का मूल्य भी तो स्पष्ट नहीं होता ऐसी दशा में उसकी बड़ी कीमत माँगी जाय तो किस बूते पर, थोड़े ही खर्च में दोनों ओर का समारोह निपट जाता है ।

इन सुविधा सरलताओं को देखते हुए पिछड़े इलाकों में अभी भी बाल-विवाह चलते हैं । अशिक्षितों और पिछड़े वर्ग में विशेष रूप में । यद्यपि कानून के अनुसार लड़की की आयु १८ वर्ष और लड़के की न्यूनतम २१ वर्ष होनी चाहिए । पर इसका परिपालन शिक्षितों और शहरी लोगों में ही हो पाता है । जहाँ शिक्षा-व्यवस्था है वहाँ के लोग अपनी लड़कियों को भी लड़कों के साथ-साथ पढ़ाते रहते हैं । पर जहाँ प्राइमरी स्तर के स्कूल ही लैंगड़ी-लूली स्थिति में चल रहे हैं वहाँ लड़कियों को दूर दराज के स्थान में पढ़ाने कैसे भेजा जाय ? बड़ी आयु की सह-शिक्षा अभी लोगों के गले नहीं उतरी है । इसलिए जब शिक्षा का द्वार बन्द है तो लड़कियों का बोझ जल्दी उतारने में बरती जाने वाली उतावली समझदारी तो नहीं पर स्वाभाविक तो पड़ती है । इसमें यह लाभ और सोचा जाता है कि छोटी उम्र की लड़कियों का 'स्व' जाग्रत नहीं हुआ होता । इसलिए वे किसी भी परिवार में जाकर वहाँ की परिस्थिति को अपना भाग्य-भविष्य मान कर किसी प्रकार उसमें तालमेल बिठा लेती हैं और बिना अधिक झंझट किए जीवन भर निभ जाती हैं । जबकि परिपक्व आयु की लड़कियों को अपने 'स्व' का असाधारण रूप से बढ़ जात्रे से नए परिवार में निम्ना कठिन पड़ता है । उन्हें अपने रूप का, शिक्षा का, पितृ परिवार का, दहेज का, स्वावलम्बी हो सकने का मन रहता है । फलतः वे एक सीमा तक ही परिवार में घुल पाती हैं । किसी का व्यंग्य उपहास या कटुवचन, अपमान जैसा व्यवहार भी सहन नहीं होता । अभ्यास न होने से दूसरी देवरानी, जिठानी जितना काम भी नहीं कर पाती । ऐसी दशा में उन्हें सम्मिलित परिवार भारभूत लगता है और पति कमाऊ हुआ तो आरम्भ से ही

२.३८ विवाहोन्माद : समस्या और समाधान

अलग रहने की माँग करती हैं। परिवार के अन्य लोग सहमत न भी हों तो पति को तो कई प्रकार के दबाव डालकर सहमत कर ही लेती हैं। ऐसी दशा में संयुक्त परिवार को कमाऊ बेटे के बिछुड़ जाने पर उस लाभ से वंचित होना पड़ता है, जो सम्मिलित रहने पर घर के सभी लोगों को मिलता। इस प्रकार का झंझट आगे चलकर खड़ा न होने पाए इस दृष्टि से ससुराल वाले भी बड़ी उम्र की सुशिक्षित लड़कियाँ जिन घरों में पहुँची हैं उनकी फजीहत देखते हुए इसके लिए तैयार हो जाते हैं कि लड़के का भी छोटी उम्र में विवाह कर लिया जाय। उसके दिमाग पर घर-परिवार की जिम्मेदारी पड़ती है तो अपनी गतिविधियों के निर्माण में समझदारी का परिचय देने लगते हैं। अपने को घर-गृहस्थी वाला समझते हैं, और अशुगल में नहीं पड़ते, जिनमें अल्हड़ आयु के जोशीले लड़के पड़ते और कुसंग में पड़कर कहीं से कहीं चले जाते हैं। आवारागर्दी कुँआरे लड़कों में ही अधिक देखी जाती है। विवाहित होने पर तो मन घर में भी रमने लगता है। इसलिए उच्छृंखलता अपनाने की सम्भावना कम ही रह जाती है। यही बात लड़कियों के बारे में भी, जब बड़ी होने लगती हैं तो स्कूल-कालेजों में उन्हें फैशनपरक वेश विन्यास बड़प्पन का चिन्ह मालूम पड़ने लगता है। घर की स्थिति अच्छी न होने पर भी वे अपना रहन-सहन, बनाव-शृंगार बनाती तो भोलेपन में हैं किन्तु वही उनके दिमाग को खराब करने के लिए काफी होता है। फैशन महँगा तो है ही। साथ ही साज, सँभाल, धुलाई, सफाई, पोताई में ढेरों समय भी लगता है। इस जंजाल में उनका मन विवाह की बात सोचता है और वह चाहती हैं कि उन्हें ऐसा घर-वर मिले जहाँ इसी शान-शौकत की जिन्दगी बनी रहे। नौकर सब काम करते रहें और उन्हें पति के साथ खर्चोले सैर-सपाटे का अवसर मिलता रहे। लड़कियाँ भी टी० वी०, सिनेमा देखती हैं। लड़कों की तरह उनके मन में भी सुन्दर जोड़ीदार मिलने की आकांक्षा जग पड़ती है। भारत में सभी के शरीर औसत दर्जे के होते हैं। जिन्हें सुन्दर कहा जाय ऐसे लड़के-लड़कियाँ तो सौ पीछे मुश्किल से एक दो ही निकलते हैं। उन्हीं को छोटने चुनने या संयोगवश मिलने की प्रतीक्षा में वयस्क लड़के-लड़कियाँ मन बनाये रहते हैं। ऐसे लड़के तो कई बार अपनी पसन्दगी की लड़की पास करने का हठ खुलेआम प्रकट कर देते हैं। किन्तु लड़कियों के लिए चुनाव करना और फेल पास करना कठिन पड़ता है।

जहाँ सुन्दरता होती है वहीं अक्सर अन्य सुविधाओं का अभाव रहता है। ऐसी दशा में जिन लड़के-लड़कियों को अपने सपनों के अनुरूप साथी नहीं मिलते वे अपने भाग्य को कोसते और साथी को इसी कमी के कारण टोकते रहते हैं। यह कठिनाई तब खड़ी होती है जब किन्ही सुन्दर जोड़ों पर उनका ध्यान अटकता है। इस रुझान को उभारने में सिनेमा, टी० वी० की उत्तेजना है जो उठती आयु वालों को भड़काती है और जो सम्भव है, सामान्य सुलभ है, उसके प्रति असन्तोष पैदा करती है।

सम्भवतः इसी फिजूलखर्ची के चलते लड़की के बाप से दहेज तलब किया जाता है। दूसरे की स्थिति और कठिनाई की उपेक्षा की जाती है और चाहा जाता है कि बाप के घर से फटकार पड़ने पर ससुराल वालों को ही दुहा जाय। विवाह के अवसर पर दावत, बरतन, जेवर, कपड़े, फर्नीचर आदि भी वयस्क लड़के-लड़कियों को खुश करने के लिए ही दिए जाते हैं। इस महँगाई के जमाने में कोई सद्गृहस्थ कठिनाई से ही अपना परिवार पाला जाता है। तब किसी प्रकार विवाह की शान-शौकत का माहौल बनाने में वर-वधू के अभिभावक ही नहीं लड़कियाँ परोक्ष रूप से और लड़के प्रत्यक्ष रूप से ठाठ-बाट की माँग करते हैं। न मिलने पर कई प्रकार के विग्रह खड़े होते हैं। लड़की, लड़कों के बीच भी इसी प्रश्न को लेकर खाई पैदा हो जाती है और उसके ऐसे दुष्परिणाम सामने आते हैं जिनके रोमांचकारी विवरण आए दिन समाचार पत्रों में पढ़ने के लिए तथा लोकचर्चा में सुनने को मिलते रहते हैं।

समझा जाता है कि बड़ी आयु तक लड़की-लड़कों को सामने होने देना उचित नहीं। जब तक उनकी रूप-सौन्दर्य की, ठाठ-बाट की, दहेज की माँग उनकी ओर से उभरे तब तक उससे पहले ही बाल-विवाह कर दिया जाय तो अच्छा। वर-वधू तो अबोध होते हैं उनकी तो कोई महत्वाकांक्षा होती नहीं। अभिभावक अपेक्षाकृत समझदार होते हैं। अपनी और सामने वाले की हैसियत समझते हैं। इसलिए किफायतसारी में ही उस झंझट को निपटा लेते हैं और अनुभव करते हैं कि उनके सिर का एक बड़ा बोझ उतर गया। बाल-विवाह के अन्यान्य ही दुष्परिणाम होते हैं। इसका उन्हें भान नहीं होता। इसी अंधेरगर्दी में अभी तक बाल-विवाहों का प्रचलन देहाती, पिछड़े क्षेत्रों में चल रहा है। लोकमान्यता के आगे कानूनी प्रतिबन्ध भी अपने को अशक्त अनुभव करते

हैं। यदि इस कुप्रथा को हटाना है तो लोकचिन्तन में समाई हुई उपरोक्त मूढ़ मान्यताओं को निरस्त करना पड़ेगा। लाभ पक्ष जो लोगों के मनों में समाए हुए हैं वे क्यों गलत हैं यह समझना पड़ेगा और गले उतारना पड़ेगा कि जो लाभ सोचे गए हैं, वे उथले हैं और वे गहरे हैं जो इस कुप्रथा के उन्मूलन हेतु दिए जाते हैं।

अपरिपक्व आयु में विवाह अनुचित

पारिवारिक उत्तरदायित्व का निर्वाह करने के लिए शारीरिक-मानसिक परिपक्वता आवश्यक है। कुछ लोग बड़ी हुई आयु में भी मानसिक दृष्टि से अविकसित रहे आते हैं, उन समस्याग्रस्त, असामान्य लोगों की बात भिन्न है। उनके लक्षण भी प्रारम्भ से ही दिखने लगते हैं। किन्तु कितनी भी प्रखर बुद्धि का किशोर हो, उसका मानसिक विकास आयु के साथ ही परिपक्व हो पाता है। किशोरावस्था में भाव-विह्वलता, नाजुकमिजाजी, आवेश का आधिक्य और अतिरेकी झुकाव स्वाभाविक है। इस स्थिति में दाम्पत्य-जीवन की जिम्मेदारियों कंधों पर उठा सकने की सूझ-बूझ नहीं विकसित हो पाती।

अतः विवाह की स्थिति तभी मानी जानी चाहिए, जब लड़के-लड़की दोनों की आयु एवं बुद्धि परिपक्व हो। अपरिपक्व स्थिति में विवाह करना सर्वथा अनुचित है। पढ़ाई की अवधि में विवाह करना पढ़ाई को चौपट कर देना है। क्योंकि उससे अध्ययन-क्रम में अस्तव्यस्तता आना निश्चित है। दिमाग का खिंचाव भी दूसरी ओर तेजी से होने लगता है। इस दुहरे खिंचाव और अपरिपक्व स्थिति में शरीर-शक्ति के क्षय से स्वास्थ्य गिरता है। दूसरों पर ही पूरी तरह निर्भर रहने पर वैवाहिक जीवन का कोई आनन्द भी अनुभव नहीं हो पाता। पति-पत्नी अपनी उचित निजी इच्छाएँ-आवश्यकताएँ भी संकोचवश व्यक्त नहीं कर पाते। ऐसे में नववधू को स्वाभाविक उल्लास का अनुभव नहीं हो पाता। कहीं घर में किसी ने व्यंग्य या उलाहना दे दिया, पति की अनुपार्जक स्थिति पर कटाक्ष कर दिया, तो वह बेचारी भीतर ही भीतर कट जाती है। उधर घर वालों को भी नये प्राणी के आने से तालमेल बनाने में जो थोड़ी बहुत असुविधा होती है वह उस स्थिति में आक्रोश के रूप में फूटता है, जब नवागन्तुक या उसके पति की स्थिति निर्भरता की न हो, यदि यह सब न भी हो और परिवार में नई बहू को उचित स्नेह-सम्मान मिले, तब

भी पढ़ाई में लगे युवक की एकाग्रता का भंग होना, अध्ययन में व्यवधान आना, स्वयं में इतनी बड़ी गलती है कि वह अकेला ही कारण उस समय विवाह न करने को पर्याप्त है।

अपरिपक्वता की स्थिति में भावनात्मक एवं बौद्धिक सन्तुलन की सामर्थ्य नहीं होने से छोटी-छोटी बातें चुभतीं, उत्तेजित करती हैं। मामूली-सा व्यवहार दिमाग को झिंझोड़कर रख देता है। प्रसन्नता और उदासी की तरंगें उठती-गिरती रहती हैं। ऐसी स्थिति में, एक बिल्कुल नये मोड़ पर खड़े कर दिये जाने से नया सन्तुलन सँभाल पाना अत्यन्त कठिन हो जाता है और शुरूआत में ही मन पर इतना दबाव पड़ जाता है कि वह प्रभाव जीवन भर बना रहता है।

विवाह की दृष्टि से कच्ची उम्र का अर्थ है— लड़के की आयु २४ वर्ष से तथा लड़की की १८-१९ वर्ष से कम होना। कच्ची उम्र में प्रजनन-कर्म में निरत होने से स्वास्थ्य की जड़ों पर ही प्रहार होता है। परिणाम यह होता है कि आजीवन क्षीणता-रुग्णता का दण्ड भोगना पड़ता है।

असमय में ही चिन्तन वासनात्मक दिशा में मुड़ जाने से मस्तिष्क निस्तेज निर्बल हो जाता है। समय से पहले का यौन-सुख बहुत महँगा पड़ता है। जो उमंग-उत्साह सृजनात्मक कार्यों में लगकर जीवन में अनेक उपलब्धियों का आधार बनता—वही शरीर को मथने वाली उत्तेजना में लगने लगता है।

वैवाहिक दायित्व निभाने के लिए पति का उपार्जनशील होना भी आवश्यक है। कमाई न करने वाले को अभिभावकों—बड़ों द्वारा उत्साह में सुविधाएँ दी जा सकती हैं, तो क्रोध की स्थिति में उन्हें छीनने-समाप्त करने की धमकियाँ भी दी जा सकती हैं। पत्नी के आ जाने पर अभिभावकों का साधारण गुस्सा भी असह्य अपमानकारक प्रतीत होने लगता है। इस प्रकार के भावनात्मक उतार-चढ़ावों के समय धैर्य एवं सन्तुलन बनाये रखने का अभ्यास अपरिपक्व आयु में हो नहीं पाता। ऐसी स्थिति में बड़ी उम्र प्रतिक्रिया का उफान उठता है और उसके परिणाम सदा हानिकारक होते हैं। मार-पीट करने, पारिवारिक मर्यादा एवं शिष्टता भुला बैठने, घर से भाग खड़े होने, सारा गुस्सा एवं सारी खीज बेचारी पत्नी पर उतारने जैसी गतिविधियाँ सुख-शान्ति एवं क्रमबद्धता को समाप्त कर देती हैं। पढ़ाई या प्रशिक्षण चल रहा हो, तो वह

तो वह तो टूटने-बिखरने लगता है । जिस घर में उल्लास-उत्साह, स्नेह दुलार, आत्मीयता की अनुभूति होती थी, वहीं व्यंग्य-उपहास, नुक्ता-चीनी' विरोधव्यवधान तथा परायेपन की दूरी का अनुभव होने लगता है । नयी परिस्थितियों की वास्तविकताओं को न समझ पाने वाला अपरिपक्व मन इस अप्रत्याशित बोध से दबा-दबा घुटा-घुटा रहने लगता है ।

कम उम्र की लड़की पर ऐसे में जो बीतती है, उसकी कल्पना की जा सकती है । ससुराल में व्यवहार की शैली भी बदलनी पड़ती है । नई जिम्मेदारियाँ सिर पर आ जाती हैं और नये वातावरण से सामायोजक की समस्या उपस्थित हो जाती है । उधर पति के साथ घर वालों का यह व्यवहार । उसे चारों ओर अन्याय-अनौचित्य ही नजर आने लगता है । परिवार के सदस्यों के मन में अपने और अपने पति के प्रति विद्यमान प्रेम को नहीं समझ पाती । भले ही वे लोग इन्हें जिम्मेदारियाँ सिखाने सौंपने के लिए आवश्यक सतर्कताएँ बरत रहे हों, पर उन्हें तो व्यवहार की रुक्षता ही बढ़-चढ़कर दीखती है । यदा-कदा निकल गये व्यंग्यबाण सालते रहते हैं अन्यमनस्क मन को अन्य प्रसंगों में घर वालों के स्नेहपूर्ण वाक्य भी कृत्रिम तथा खोखले मालूम होने लगते हैं । कोमल मन भीतरी मार से मुरझाने लगता है । असहायता का भाव उसे दबू बना देता है या फिर आक्रोश का उफान झगड़ालू एवं संकीर्ण बना डालता है । दोनों ही स्थिति में व्यक्तित्व की स्वाभाविकता तो नष्ट होती है ।

इसी दबी-घुटी स्थिति में उसके सिर पर मातृत्व का भार आ जाता है । पहले से ही नाजुक-मन इस मौके पर और भी कमजोर, भावुक हो उठता है । छोटे से छोटा व्यवहार भी महत्वपूर्ण लगने लगता है और हल्की-सी भी रुखाई या लापरवाही अपने तथा अपनी भावी सन्तान के प्रति अत्याचार प्रतीत होती है । इस अवसादयुक्त, अप्रसन्न, असन्तुलित, नाजुक मनःस्थिति में उत्पन्न सन्तान की मनोभूमि भी वैसी ही हो जाती है । शारीरिक अपरिपक्वता उस सन्तान को शारीरिक दृष्टि से भी कच्चा कमजोर बना रखती है । कच्चे बीज के धरती में बोने से कभी भी हृष्ट-पुष्ट अंकुर नहीं उगते । अपरिपक्व माता-पिता की संतान भी अविक्सित ही बनी रहती है ।

अतः किसी स्थिति में अपरिपक्व आयु में लड़के-लड़कियों को विवाह-बंधन में नहीं बाँधा जाना चाहिए । भले ही वे पूर्ण स्वस्थ हों और बढ़ती उमर में अच्छे-खासे आकर्षक लग रहे हों । उन्हें थोड़ा पकने देना चाहिए ।

देखने में वे पूर्ण वयस्क जैसे ही लगते हैं, तो भी उनकी मनोभूमि उथली, भावोच्छ्वसित रहती है । आगा-पीछा सोच-समझ सकने, आवश्यकतानुसार झुकने और तनने, लचीला बन सकने तथा दैनन्दिन जीवन के साधारण आघातों से अविचलित बने रहने की गम्भीरता उनमें नहीं होती । ऊपर से देखने में उनकी वृद्धि हो चुकती है, किन्तु मानसिक परिपुष्टि शेष रहती है । अतः कानूनी दृष्टि से विवाह योग्य आयु हो जाने के बाद भी विवाह उसी स्थिति में किया जाना चाहिए, जब लड़के-लड़की ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली हो । लड़की की उम्र २० वर्ष से कम न हो । लड़का पढ़ाई तथा प्रशिक्षण पूर्ण कर आजीविका-उपार्जन में व्यवस्थित रीति से जुट गया हो । उसने सामाजिक जीवन का प्रारम्भ कर दिया हो ।

छात्र-जीवन में व्यवहार—सन्तुलन का नहीं, आवेग-पूर्ण उत्साह का ही अभ्यास होता है । महाविद्यालयों का वातावरण ऐसा है कि वहाँ असंतुलित उमंगों की ही प्रतिस्पर्धा घला करती है । छात्र के लिये वैसा ही अल्हड़पन स्वाभाविक मान लिया जाता है । सामाजिक जीवन के लिये जो व्यावहारिक सूझ-बूझ, तालमेल और सहिष्णुता आवश्यक होती है, उसका उन्हें प्रायः छात्र-जीवन में अभ्यास नहीं होता । अतः वैसी ही आवेगपूर्ण मनोभूमि बनी रहती है ।

आजीविका में व्यस्त होते ही, उन व्यावहारिक सच्चाइयों के थपड़े खाने होते हैं, जिनकी ठीक-ठीक कल्पना छात्र जीवन में नहीं हो पाती । अपने व्यवसाय से सम्बद्ध दक्षताएँ सीखते हुए प्रत्येक युवक उन अनेक अमूल्य गुणों के महत्त्व से अनायास ही परिचित हो जाता है, जिन्हें छात्र-जीवन में या तो वह जानता ही नहीं था या जिन्हें दुर्बलताएँ समझता था । वह मनोवेगों पर नियंत्रण की विशेषताएँ और लाभ जान जाता है । विनम्रता तथा सामाजिक शिष्टता की अनावश्यकता समझने लगता है । आवश्यक गोपनीयता का महत्त्व जान लेता है । हर बात को तूल देने से, हो सकने वाले झंझटों से परिचित हो जाता है । दूसरों का महत्त्व समझने लगता है और पैसों की कीमत भी जान लेता है । उसके हाथ तब चाहे जहाँ खुलने से बचने लगते हैं । मितव्ययिता उसे न केवल उचित अपितु आवश्यक लगने लगती है । ये सभी गुण उसे अच्छा पति एवं सद्गृहस्थ बनने में मदद करते हैं ।

अतः परिपक्व एवं उपार्जनशील युवक ही विवाह के योग्य माने जाने चाहिए । वे ही नये दायित्वों को निभाते हुए प्रगति-पथ पर आगे बढ़ सकते हैं । दूसरों पर आश्रित

अवलम्बित व्यक्ति पर नया बोझ लाद देना नासमझी है । हानि की उसमें बिल्कुल सम्भावना नहीं ।

अनमेल विवाह आखिर रुक ही गया

ग्राम कटिया के राम भरोसे अपनी लड़की की शादी तै करके लौटे तो बड़े खुश नजर आ रहे थे । खुशी की बात भी थी साल भर से योग्य वर की तलाश में इधर-उधर गाँवों में चक्कर लगा रहे थे पर कहीं भी सम्बन्ध तै नहीं हो पा रहा था । अबकी बार जब लौटे और उन्होंने परिवार में यह शुभ समाचार सुनाया तो सभी को खुशी हुई । गाँव में जिस किसी ने भी सुना अपनी सहानुभूति प्रकट की ।

विवाह की तैयारियाँ होने लगीं, दहेज का सामान खरीद लिया गया । खाने-पीने की सारी व्यवस्था हो गई । गाँव की ही एक चौपाल लिपा-पुता कर बारात ठहराने के लिए ठीक कर ली गई । जरूरत की अनेक वस्तुयें माँगकर रख ली गई क्योंकि शादी के दिनों में एक-एक वस्तु के अनेक माँगने वाले हो जाते हैं फिर देने वाला भी सोचता है किसको दें किसको न दें ।

बड़ी सज-धज के साथ बारात आई, आतिशबाजी और बैण्ड भी लाया गया था । बारात का स्वागत कर जनवासे में ठहरा दी गई । लड़के की उम्र लगभग ५० वर्ष थी, जिसने देखा वही आश्चर्य में पड़ गया ।

जितने मुँह उतनी बातें, लड़की के मामा ने आकर अपनी बहिन से कहा 'जीजी ! साल भर बाद भी क्या यह बुद्धा ही शादी के लिए रह गया था । जब जीजाजी इस लड़के को देखने गये थे तो क्या उस समय उनकी आँखें फूट गई थीं । आज तो वह लड़की की गरदन ही कटाने को तैयार हैं, मैं अब अच्छी तरह समझ गया इन्होंने लड़के वालों से अवश्य ही करारी रकम ऐंठी होगी नहीं तो ऐसे लड़के के लायक थी यह मुझी ।'

'तो अब क्या हो सकता है भैया । तुम्ही बताओ, जब से मुझी ने शादी की यह बात सुनी है तब से बराबर रो रही है न उसे यह सम्बन्ध पसन्द है और न मुझे ही । अब तो मैं यह सोचती हूँ कि हम दोनों को ही गाँव छोड़कर बाहर चला जाना चाहिए । जब लड़की ही नहीं होगी तो शादी किसके साथ हो जायेगी, और थोड़े बहुत

झगड़े के बाद बारात लौट जायेगी । यहाँ रहने पर तो गाँव वाले या बाराती भाँवरे डालने को विवश कर सकते हैं क्योंकि लड़के को तुम्हारे बहनोई ने ही स्वयं देखा है और तै किया है ।' लड़की की माँ ने उत्तर दिया ।

रात हो चली थी, एक बैलगाड़ी का इन्तजाम कर वह तीनों ही गाँव छोड़कर चल दिये । लड़की के मामा ने सोचा जब मैं ही इन्हें ले जा रहा हूँ तो किसी दूसरी रिश्तेदारी में ले जाने से लाभ भी क्या है ? अतः वह अपने ही घर ले गये । इधर द्वाराचार का समय हुआ तो बाराती इस प्रतीक्षा में थे कि शीघ्र ही दरवाजे पर बुलाने का निमन्त्रण आयेगा । पर जब माँ बेटी ही घर में नहीं तो शादी किस के साथ होती ।

अब तो बारात वालों ने झगड़ा डाल दिया वह तो उल्टे चार हजार रुपये की भेंट राम-भरोसे को दे चुके थे अतः खामोश भी कैसे रहते । फिर बारातियों ने कहा हम लोगों की इसमें क्या गलती ऐसा तो था नहीं कि लड़के को छिपाकर रख दिया जाता । लड़की के पिता स्वयं देख आये थे उस समय तो वे स्वार्थ में अन्ये थे सोचा शादी भी हो जायेगी और चार हजार रुपये की भेंट मुझे मिल ही रही है । कुछ लोगों ने गाँव में उड़ा दिया कि राम भरोसे ने ही माँ, बेटी को घर से बाहर भगा दिया है ताकि शादी न हो सके । आपसी बातों में मामला न सुलझा तो रात को ही पंचायत जोड़ी गई । दोनों पक्षों के लोगों के अतिरिक्त गाँव के प्रतिष्ठित लोग भी एकत्रित थे । आखिर पंचायत ने तीन हजार रुपया वापिस करा दिया और खाना खिलाकर बिना दुल्हन के बारात को विदा किया । एक हजार जुर्माने का इसलिये काटा कि इन्होंने अनुचित कार्य के लिए क्यों कदम उठाया और क्यों ललचाने के लिये पैसा दिया । गाँव वालों तथा घर पर आये रिश्तेदारों ने राम भरोसे की नीयत की भरपेट निन्दा की और जिसके मन में अया उसने बुरा-भला कहा । माँ की सूझ-बूझ का ही यह परिणाम था कि यह अनमेल विवाह होने से रुक गया और जितना झंझट होना चाहिए था वह नहीं हो पाया । व्यक्ति की स्वार्थपरता ही ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति करती रहती है ।

वृद्ध विवाह का दुष्परिणाम

गुजनौर (सौराष्ट्र) के धनी-मानी व्यक्ति ने ढलती आयु में अपना विवाह कर एक लड़की का जीवन तो बिगाड़ ही दिया, अपनी भी मिट्टी खराब कर ली ।

इस धनी व्यक्ति का कपड़े का अच्छा-खासा व्यापार है, जिसमें लाखों की सम्पत्ति कमाई। समाज में अपनी प्रतिष्ठा भी बना रखी थी। किन्तु उन्हें कुछ ऐसी सनक सवार हुई कि साठ-साल की आयु में विवाह कर बैठे और अपनी सारी प्रतिष्ठा खो दी। यहीं तक नहीं उनके तीन लड़कों ने भी अपने को अलग कर लिया और अपना कारोबार भी अलग करने लगे हैं। अभागा बूढ़ा अपनी तरुण पत्नी को लिये अलग-अलग पड़ा हुआ दुर्भाग्य को रो रहा है। विवश ब्याही हुई लड़की निश्चय ही असंतुष्ट है। घर में जब-तब ऐसी कलह हो जाती है कि बूढ़े को दुकान पर ही शरण मिलती है।

सेठजी पर दुर्भाग्य आने की घटना इस प्रकार है—“एक दिन वह दुकान पर कुछ उदास बैठे थे; आने-जाने और मिलने-जुलने वालों ने उस उदासी का कारण पूछा। पहले तो सेठजी टालते रहे पर जब उनके विश्वासी और तथाकथित हितचिन्तकों ने बार-बार पूछा तो उन्होंने अपनी व्यथा का वर्णन किया। बोले—“भाई क्या बतलायें आज की दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। जबसे घर वाली का स्वर्गवास हो गया, हर बात की तकलीफ है। न मन माफिक खाना मिले और न कोई आराम। घर में दो-दो बहुरैं हैं, लेकिन अपने को रोटी-पानी की तकलीफ ही रहती है। आज ही मैंने इतना कह दिया कि शाक-भाजी कुछ अच्छी नहीं बनी। बस इतने पर ही बहू ने उत्तर दिया कि कितनी ही अच्छी वस्तु क्यों न बनाओ पिताजी को कुछ पसन्द ही नहीं आती।”

बस इतना सुना था कि ‘पर घर घायल’ परामर्श दाताओं ने सेठजी की कमजोरी पकड़ ली और लोग अपना जाल पूरने लगे। हित की बात तो यह थी कि सेठजी को समझाते कि जिद्दा की लिप्सा एक तो वैसे ही अच्छी नहीं होती। फिर बुढ़ापे में तो स्वादलिप्सा ही क्या? सारी लिप्सायें छोड़कर अपने को अधिक-से-अधिक बन्धन मुक्त बनाने का अभ्यास करना चाहिए। इसी से बचा हुआ लोक तथा दीर्घ-कालीन परलोक-सुधरता है। फिर क्या पता ऐसी बात बहू के मुख से किसी मानसिक उद्विग्नतावश निकल गई हो। आखिर वह भी तो आपकी बच्ची ही है। परिवार में सहिष्णु तथा सहनशील बनकर ही चलना बुद्धिमानी है।

पर यार लोगों ने कहा यह—“राम-राम बहू ने ऐसा ताना मारा। आज इतना कहा कल इससे ज्यादा कुछ कह सकती है। मेरी माने तो आपको अपना प्रबन्ध कर ही लेना

चाहिए। दूसरे की अधीनता से बढ़कर संसार में कोई कष्ट नहीं।”

सेठजी का मस्तिष्क फिर गया और उन्होंने बीस हजार की बाजी लगाकर एक सट्टेबाज की लड़की निश्चय करली। विवाह की तैयारी होने लगी और तिथि भी निश्चित हो गई। यार लोगों के तो मजे ही हो गये लेकिन सेठजी के लड़के, हित-चिन्तक तथा सामाजिक कार्यकर्ता चिन्तित हो उठे। सभी यह सोचने लगे कि इनको यह हो क्या गया है, जो मौत के द्वार पर मौर बाँधने की सोच रहे हैं। सबने उन्हें विवाह के दिन तक समझाने का प्रयत्न किया, किन्तु कुमियों का चढ़ाया शैतान उनके सिर से नहीं ही उतरा और उन्होंने अपनी मनमानी कर ही डाली।

नतीजा यह हुआ कि समाज में उनकी थू-थू होने लगी, सारे विचारशील व्यक्तियों ने सम्बन्ध तोड़ लिये, बाजार में व्यंग्य और आलोचना होने लगी, बाहर निकलना मुश्किल हो गया। इस पर सबसे बड़ी बात यह हुई कि उनके तीनों लड़के जिसमें एक क्वारा है, उनसे अलग हो गये और सेठजी बिल्कुल बहिष्कृत तथा तिरस्कृत दशा में अपने किये पर पछताते हुए परामर्शदाताओं को कोसते और तरुण पत्नी के भय से भागे-भागे से रहते हैं।

बुढ़ऊ करने चले विवाह

पोल तब खुली जब बारात गँव आ गई। सारे गँव में अफवाह फैल गई प्यारेलाल ने १४ सौ रुपयों के लोभ में फूल जैसी कोमल कन्या १४ वर्षीय विमला का विवाह रसूलपुर के ५५ वर्षीय बूढ़े के साथ कर दिया। जिन्हें फुरसत नहीं थी वह भी तमाशा देखने के लिये जनवासे जा पहुँचे। वर और बाराती दोनों अपनी-अपनी झेंप मिटाने के प्रयत्न में थे पर वे स्पष्ट समझ रहे थे कि सारा गँव उनका मजाक उड़ा रहा है।

कच्ची हौड़ी को कितना ही पोता जाये आँच में आते वह फूटती ही है। दहेज और कुल गोत्र की ऊँचाई निचाई की समस्याएँ माना हिन्दू समाज में गहराई तक व्याप्त हैं। पर व्यवहार में इस बुराई को बनाये ही रखा जाय यह कोई आवश्यक नहीं। संसार ने पृथ्वी से चन्द्रमा तक पहुँचने की हिम्मत दिखा दी और हम हैं जो अपने समाज में व्याप्त इन कुरीतियों का अन्त भी नहीं कर सकते। यदि कुछ लोग

साहसपूर्वक इन बुराइयों को मिटाने के लिये उठ खड़े हो जायें तो लालची और रूढ़िवादी अभिभावकों को इस अनैतिक कुप्रथा को बनाये रखने में एक दिन भी सफलता न मिले ।

हतवीर्य हिन्दू उससे स्वयं चिपका रहेगा तब तक इन कुप्रथाओं को भी फलने फूलने का अवसर मिलता ही रहेगा । यहाँ भी ऐसा ही हुआ । प्यारेलाल को यदि दहेज का भय था तो अपनी ही जाति के किसी निर्धन से विवाह कर देते । १० साल पीछे विधवा हो जाने की अपेक्षा मेहनत और सादगी का जीवन जी लेना अच्छा है इतना भी ध्यान आ जाता तो यह नौबत न आती । सारे गाँव में प्यारेलाल की धू-धू हो रही थी ।

पर कहे कौन ? दूसरों की बात पर हँसी आती है । अपनी जिम्मेदारी समझने के लिये कोई तैयार नहीं । हँसने वाले बहुत थे, विवाह को बुरा बताने वाले और कन्या के प्रति सहानुभूति दिखाने वाले भी कम नहीं थे पर किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि बारातियों का सामान छीनकर उन्हें डण्डे मारकर गाँव से निकाल देते । प्यारेलाल से भी लड़की छीनकर किसी युवक के साथ उसकी शादी करा देते ।

आई आफत औरों से दूर न हो तो उसका स्वयं ही साहसपूर्वक मुकाबला करना चाहिए । यह बात इस लड़की ने सिद्ध कर दिखाई । उसने जैसे ही सुना कि विवाह के लिए आये हुए वर महोदय की आयु उसके पिता की आयु से भी अधिक है तो उसने स्पष्ट कह दिया कि मैं आजीवन क्वारी बनी रहूँगी पर यह विवाह कभी नहीं कहूँगी । गाँव की अधिकांश महिलाओं ने कन्या की बात का समर्थन किया । एक बुढ़िया अपने को दादी सिद्ध करना चाहती थी बोली बेटी—अपने पिता की इच्छा को टालना पाप है । इस पर उसने बिगड़कर उत्तर दिया—यह तब की कह रही हो बूढ़ी माँ, जब हमारे बुजुर्ग लालची और कायर नहीं होते थे । आज के पिता यदि लड़की का हित भी नहीं समझ सकते तो उनकी बात का मानना भी कहाँ का न्याय है । बुढ़िया को कोई उत्तर देते न बन पड़ा ।

खबर बूढ़े वर के पास भी पहुँची । बेचारे बहुत भड़मड़ाये । पंचायत जोड़ी । लेकिन अब तक गाँव भर के युवक लड़की के पक्ष में हो गये थे । उन्होंने वर सहित बारातियों को खूब फटकारा । प्यारेलाल जी को भी सैकड़ों

लताड़ें मिलीं । लड़की को अच्छा वर ढूँढ़कर विवाह करने का गाँव वालों ने आश्वासन दिलाया और बारात बैरंग लौटा दी । बुढ़ऊ अपना मनोरथ लेकर जैसे गये थे वैसे का वैसे लेकर वापस लौट आये । गाँव वालों ने ऐसी खिल्ली उड़ाई कि कई महीने घर से बाहर भी नहीं निकले ।

अनमेल विवाह इस प्रकार टल सका

शारदा के माता-पिता की मृत्यु तो बचपन में ही हो चुकी थी । अतः उसका पालन-पोषण चाचा टोरमल द्वारा किया गया था । चाची अच्छे स्वभाव की थीं अतः १५-१६ वर्ष तक अपने बच्चों के साथ उसकी भी देखभाल करती रहीं और यह पता नहीं चलने दिया कि शारदा की माँ अब इस दुनिया में नहीं है । दो वर्ष पूर्व हैजे से चाची की मृत्यु हो गई । शारदा की आयु अब १८ वर्ष हो चुकी थी । किसी न किसी प्रकार उसकी शादी तो करनी ही थी । उनके पास खर्च था अधिक आय थी कम । उस पर भी उसके आचरण अच्छे न थे ।

टोरमल ने अपनी भतीजी की शादी के लिए नानग राम नामक एक ५५ वर्षीय बुढ़े को ढूँढ़ निकाला, जो पहले से ही टी० वी० का रोगी था । उसकी स्त्री की मृत्यु हो चुकी थी, पर वृद्धावस्था में भी इसकी कामवासना शान्त न हुई थी । पैसे के बल पर वह १८-१९ साल की लड़की से विवाह करके उसके जीवन से खिलवाड़ करने की बात हर समय सोचता रहता था । पर मरणासन्न रोगी को कौन अपनी लड़की सौंपे ?

नानगराम को पता चला तो उसने टोरमल को बुलाकर बीस हजार रुपये की लम्बी रकम देकर अपनी भतीजी का विवाह कर देने के लिए राजी कर लिया । लोभी व्यक्ति तो अपनी और परिवार की हानि की ओर से भी आँखें बन्द करके पैसे के लिए टूट पड़ता है । शारदा समझदार थी । उसे जैसे ही पता लगा तो बहुत घबरायी और घण्टों अकेले में बैठकर रोती रही । उसने सोचा कि यह समस्या रोते रहने से हल नहीं हो सकती । इसके लिए तो किसी की सहायता होनी ही चाहिए ।

उसी गाँव में शारदा के मामा रहते थे । मौका देखकर वह उनके पास गई और रो-रोकर सारा हाल कह सुनाया । मामा बड़े भले आदमी थे, नाम था बखतावरमल उन्होंने अपनी

भांजी की पूरी-पूरी सहायता करने का आश्वासन दिया । उसी दिन शाम को वह टोरमल से मिले और समझाते हुए कहा जिस बच्ची को आपने स्वयं पाल-पोस कर बड़ा किया है, अब शादी के समय उसे क्यों नरक में डकेल रहे हो ? उस बुढ़े के गले में बाँध कर आप उसकी जिन्दगी क्यों बरबाद कर रहे हो ? कल-परसों उसकी मृत्यु होते ही उसकी सहायता कौन करेगा इसका भी कुछ ध्यान है आपको ।

रुपये के लालची चाचा पर बखतावरमल की बात का बिल्कुल भी असर नहीं हुआ । विरोधी वातावरण बढ़ता देखकर वह किसी दूसरे गाँव में शारदा को ले जाकर विवाह करने की व्यवस्था करने लगा ।

स्थान निश्चय होते ही टोरमल ने नानगराम को सारी स्थिति समझा दी । बखतावरमल ने गाँव के सुधारक नवयुवकों को सारी बातें बताकर इस अनमेल विवाह को रोकने के लिए तैयार करना शुरू किया । लखमीचन्द्र के तेईस वर्षीय पुत्र रामप्रकाश को गाँव वालों ने पसन्द किया । बिना दहेज की शादी करने के लिए पिता पुत्र दोनों ही तैयार हो गये । यह तय किया गया कि जिस गाँव में शारदा की शादी की जाने वाली है वहाँ जाकर गाँव के कुछ सम्प्रान्त व्यक्ति उस कन्या को ले आवें और रामप्रकाश से शादी करदें ।

हुआ भी यही, जिस गाँव में शादी होनी थी, वहीं निश्चित समय पर बखतावरमल छह युवकों सहित पहुँच गये । प्रारम्भ की कुछ रश्में अदा हो गईं तो कन्या शौच का बहाना बनाकर घर के पिछले द्वार होकर पड़ोसी के घर चली गईं । वहाँ बखतावरमल पहले से उपस्थित थे । उन्होंने उसे मकान में बन्द कर बाहर से ताला लगा दिया और दरवाजे पर खुद बैठ गये । मकान में पीछे भी एक द्वार था शारदा पीछे से निकल कर बाहर चली गईं, जहाँ कुछ दूर पर एक घोड़ागाड़ी और तीन युवक प्रतीक्षा कर रहे थे ।

वह घोड़ागाड़ी शारदा को बिठाकर शहर की ओर चलदी । काफी देर तक प्रतीक्षा करने के बाद शारदा नहीं आई, तो उसकी तलाश के लिए सब दौड़ पड़े, पर वह तो अब गाँव से बहुत दूर जा चुकी थी । किसी व्यक्ति ने टोरमल से कहा कि मैंने लड़की एक वृद्ध व्यक्ति के साथ पंड़ोस के मकान में अवश्य जाते हुए देखी है । नानगराम के आदमी वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि बखतावरमल दरवाजे पर ताला लगाये बैठे हैं ।

काफी कहने-सुनने के बाद भी उन्होंने चाबी न दी । अनेक व्यक्तियों ने उन्हें बुरा-भला कहा और मारना शुरू कर दिया । बखतावरमल के साथ केवल दो-तीन आदमी थे । अतः बीच-बचाव के बाद भी उनकी काफी पिटाई हो गई । ताला तोड़ा गया, पर उसमें शारदा कहाँ थी ? आखिरकार दूसरी घोड़ागाड़ी में बखतावरमल को चढ़ाकर तीनों युवक लखमीचन्द्र के गाँव गये । इधर यह देखते ही रह गये ।

पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार शारदा सीधी विवाह मण्डप में पहुँची । पण्डितजी सारी सामग्री लिए तैयार थे । वर रामप्रकाश भी वहीं उपस्थित थे । विवाह में किसी प्रकार की बाधा न पहुँचे इस दृष्टि से भी अनेक नवयुवक सुरक्षा के लिए तत्पर दिखाई दे रहे थे । शारदा का विवाह विधिपूर्वक सकुशल सम्पन्न हो गया और टोरमल तथा नानगराम की सारी योजना धूल में मिल गई । सहृदय वृद्ध बखतावरमल ने शारदा की रक्षा करके सुयोग्य वर से विवाह सम्पन्न कराया और अपने कर्तव्य को पूर्ण करने में आने वाली किसी भी विपत्ति की चिन्ता न की ।

वृद्धावस्था में विवाह की इच्छा यों दुर्गति कराती है

जीवन-साथी पाना हर कोई चाहता है । किन्तु विवाह का भी एक समय होता है । वर-वधू की आयु में आवश्यकता से अधिक अन्तर होने पर वह विवाह दुःखदायी होता है । ढलती आयु में विवाह की इच्छा करने वालों की कैसी दुर्गति हो सकती है इसका अनोखा उदाहरण बिहार के काजी टोला ग्राम में पिछले दिनों देखने को मिला ।

विवाह दो आत्माओं का पवित्र सम्बन्ध होता है । इसे अनिवार्य धर्मकृत्य इसीलिये माना गया है । किन्तु आजकल दहेज की कुप्रथा ने इसे एक सौदा बना दिया है । जो गरीब पिता अपनी कन्या के लिये योग्य तथा समवयस्क वर खरीद नहीं पाता, उसे विवश होकर अपनी कन्या को हर किसी को सौंप देनी पड़ती है । ढलती आयु में विवाह की इच्छा करने वालों की यहाँ बन आती है और वे अपनी वृद्धावस्था को धोखा देकर युवती कन्या से विवाह रचाने का सपना देखने लगते हैं । कई बार ये सपने सच भी होते हैं और कभी उन्हें अपमानित होना पड़ता है ।

अपनी तथा कन्या की आयु में अन्तर पर ध्यान न देने वाले विवाह की इच्छा करने वाले लोगों को कुछ ठगों ने बुरी तरह ठगा। उन लोगों का यह ठगा जाना दूसरों के लिए एक सीख छोड़ गया।

ये ठग लोग लगन आरम्भ होने के पहले ही बेधड़ा प्रखण्ड के काजी टोला गाँव में एक परिवार की तरह रहने लगे। एक सुन्दर सुकुमार किशोरी भी यदाकदा इस परिवार में दिखाई पड़ती थी। परिवार के मुखिया-लड़की के पिता ने अपने आपको बहुत गरीब प्रदर्शित किया। लड़की के विवाह की चिन्ता में घुलते हुए बताया। उसने ऐसे व्यक्तियों की खोज की जो उम्र निकल जाने पर भी विवाह करने के इच्छुक हों तथा उसकी लड़की के साथ विवाह करके बदले में उसे धन दे सकें, जिससे उसका शेष जीवन सुख से कट जाय।

उस शिकारी के जाल में सात ऐसे व्यक्ति फँसे जिनकी आयु पचास से सत्तर के बीच थी वे सभी इस आयु में भी विवाह करना चाहते थे। वे एक से चार हजार तक की रकम देने को तैयार हो गये। यह रकम लड़की के पिता बने व्यक्ति ने पहले ही ले ली। प्रत्येक व्यक्ति से पृथक-पृथक दिन बात हुई थी। वे अपने आपको विवाह का अकेला प्रत्याशी समझ रहे थे।

इस नाटक का दूसरा दृश्य बड़ा ही कौतूहलपूर्ण रहा। जब एक ही दिन एक कन्या के लिए सात बारातें आईं। सोलह वर्ष की लड़की को ब्याहने आये सात बूढ़ों ने एकदूसरे को घूर-घूर कर देखा तो आश्चर्य हुआ। 'कामातुराण्यं भयं न लज्जा' का दृश्य उपस्थित हुआ। वधू पक्ष ने पहले तो इनकी उपेक्षा की फिर स्वयंम्बर जैसी शर्त रखी—'जो सबसे अधिक दे वह कन्या को वरे।' नीलाम बोली शुरू हुई और साढ़े सात हजार पर समाप्त हुई। साढ़े सात हजार रुपये उसी समय लेकर बावन बरस के वर के साथ लड़की बने लड़के की सप्तपदी की रस्म पूरी हुई।

वर महाशय अपनी नवोद्गा को देखकर फूले न समा रहे थे। सुहागरात के सपने आँखों में तैर रहे थे। उन्हीं उमंगों में डूबते-उतराते, वे अपनी बारात सहित सोनपुर मानसी शटल रेलगाड़ी के एक डिब्बे में सवार हुए।

उनके स्वप्नों का यह शीशमहल उस समय टूट कर बिखर गया। जब उनकी नवविवाहिता शौचालय गयी। तिलरथ स्टेशन पर गाड़ी रुकते ही उस शौचालय से एक

अपटूडेट पंजाबी किशोर निकला और ट्रेन से उतरते ही भीड़ में मिल गया। वे हड़बड़ा कर उठे। देखा शौचालय खाली था। एक पत्र वहाँ पड़ा था जिसमें लिखा था "एक दिन दुल्हन साथ रखने की कीमत दे ही चुके हो, आगे बढ़ना खतरे से खाली नहीं है।"

भागलपुर जिले में अमरपुर गाँव के यह वर महाशय कन्या के पिता के पास पहुँचे। वह तब तक मकान खाली करके जा चुका था। जो लोग मरते समय तक भोगविलास में लिप्त रहना चाहते हैं—उनका परलोक तो बिगड़ता ही है, इस लोक में भी कम दुर्गति नहीं होती।

अनमेल विवाह आखिर नहीं ही हो सका

राधापुर ग्राम की युग-निर्माता शाखा के कर्मठ कार्यकर्ता श्री मनोहरलाल ने अपने साहस तथा विवेक से एक कुमारी को अनमेल विवाह की बलिवेदी पर चढ़ने से बचाकर एक आदर्श प्रस्तुत किया है।

यहाँ के एक कृषक होरी की कन्या विवाह योग्य थी। गाँवों में कन्याओं के विवाह की आयु सामान्यतः १२-१३ वर्ष से प्रारम्भ होकर १५-१६ वर्ष तक मानी जाती है। रधिया भी १४ वर्ष की ही थी अभी।

पास के ही गाँव के एक सज्जन ने होरी को बहकाया। "अपनी कन्या का विवाह करना है या नहीं।" होरी ने कहा "हाँ, करना क्यों नहीं है। अच्छे वर की तलाश में हूँ मिलते ही कर दूँगा।"

पर वे तो अपनी स्वार्थसिद्धि की योजना बनाकर आये थे। बोले "एक लड़का मैं बताता हूँ। बहुत ही सज्जन, सीधा तथा पैसे वाला। लड़की राज करेगी जाकर। बस बात इतनी है कि पहली बहू मर चुकी है। बाल-बच्चे भी कोई खास नहीं केवल तीन हैं।"

होरी ने पहले तो कुछ आना-कानी की परन्तु जब उसे यह मालूम पड़ा कि वे लोग बजाय रुपया माँगने के उल्टा और पाँच हजार देने को तैयार हैं, तो वह राजी हो गया।

विवाह पक्का हो गया। सबने केवल यही जाना कि रधिया दूजिया वर को ब्याही जा रही है। निर्धन पिता की मजबूरी का हवाला देते हुए कुछ व्यक्तियों ने रधिया के प्रति सहानुभूति व्यक्त करदी बस।

२.४६ विवाहोन्माद : समस्या और समाधान

पर जब बारात चढ़ी तो यह देखकर सब दंग रह गये कि वर महोदय की आयु पचास वर्ष से कम नहीं। जबकि बिचौलिये ने तीस वर्ष बताई थी।

सब काना-फूसी करते रहे। लेकिन मनोहर लाल से वह अन्याय सहन न हुआ। उन्होंने होरी से कहा “यह क्या कर रहे हैं आप! रधिया को एक बूढ़े व्यक्ति के साथ ब्याह कर क्यों उसका भविष्य बिगाड़ रहे हैं।”

होरी के उत्तर में इस समय होरी नहीं पाँच हजार रुपये बोल रहे थे। वह कहने लगा “तुम्हें क्या? मैं चाहे अपनी लड़की को किसी के भी साथ ब्याह दूँ।”

पर मनोहर इस समय अकेला नहीं था दस-बारह शाखा के अन्य सदस्य भी थे। सब इस अनमेल विवाह का विरोध कर रहे थे। उनका मत देखा तो गाँव के मुखिया भी बोले— ‘पैसे वाले घर में ही देना क्या जरूरी है होरी! तुम गरीब थे तो कोई गरीब लड़का देख लेते। कहीं वह चौदह वर्ष की बच्ची और कहीं यह पचास वर्ष का वर!’

बात बढ़ी तो बढ़ती ही गई! विरोध बढ़ा, तो सघन ही होता गया। अन्त में नौबत यहाँ तक आ गई कि पंचायत के सामने मामला रखा गया। बीच वाले महोदय भी पकड़ से बाहर न रह सके। सारा भेद खुल गया। उन्होंने भी बीच में एक हजार रुपया लिया था।

आखिर सर्वसम्मति से उस विवाह का विरोध किया गया और विवाह रुक गया। बूढ़े वर महोदय बारात सहित अपनी जान बचाकर भागे। होरी भी अपने लालच पर पछता रहा था। पर अब प्रश्न दूसरा ही आ पड़ा था सबके सामने। रधिया मेंहदी रचाए—मांगलिक शृंगार किये—कंकणा बाँधे हुए बैठी थी।

अब साहस दिखाया बीस वर्षीय तरुण मनोहर लाल ने। होरी के आँसुओं को पोंछकर कहा “मैं प्रस्तुत हूँ तुम्हारी समस्या के हल के लिये।” स्वयं बी० ए० का छात्र होते हुए भी उस कम पढ़ी-लिखी कन्या को मनोहरलाल ने सहर्ष पाणिग्रहण कर स्वीकार किया। इस साहस के लिये सभी ने उसे सराहा।

बूढ़े वर जी बैरंग लौटे

“आपके पास धन है, सम्पत्ति है इसका अर्थ यह नहीं कि आप किसी नादान कन्या के गले की फाँसी बनें। दो

विवाह पहले हो चुके हैं, बच्चे भी हैं और अब आपकी आयु भी ५० वर्ष से कम न होगी। लड़की का बाप विवश होकर, आर्थिक दरिद्रता के कारण अथवा लोभ लालच वश अपनी सुकुमार कन्या को बूढ़े के गले बाँधना चाहता है तो उसे दूसरा दरवाजा मिल जायेगा, पर फूफा जी! कृपया आप सब इस अघेड़ अवस्था में शादी न कीजिये। इसके परिणाम भयंकर हो सकते हैं। १४ वर्ष की कन्या से इस उम्र में शादी करना आपके लिये बिलकुल शोभा नहीं देता।”

पं० मानप्रसाद के यहाँ माल उड़ाने वाले चापलूस भर रहे थे वहाँ ऐसी शिक्षा देने वाले सम्बन्धी भी थे। श्री चक्रपाणि अवस्थी उनकी दूसरी शादी के साले पं० मूलचन्द अवस्थी का पुत्र है। उसने इन्हें सम्बन्ध न करने के लिये बहुत मना किया पर हिन्दू समाज की थोथी अहमन्यता और मिथ्या विडम्बना को क्या कहें, पण्डितजी का इरादा न बदला। अघेड़ अवस्था में नई बहू पाने का लोभ जो सता रहा था। ऐसी कितनी ही भारतीय स्त्रियाँ बेचारी इन मनहूस व्यक्तियों के दम्भ का शिकार बनती हैं और या तो आजीवन भार ढोते-ढोते मर जाती हैं या छोटी अवस्था में ही विधवा होकर कष्ट-पीड़ा और नरक का जीवन बिताती हैं।

दुःख तो इस बात का है कि ऐसे कृत्य विचारवान व्यक्तियों के सामने होते हैं, फिर भी इनका प्रतिरोध नहीं होता। जो लोग इस तरह के विवाहों का खण्डन करते हैं वे भी प्रत्यक्ष संघर्ष से बचकर रहने में ही अपना हित समझते हैं। बुराइयों का विरोध न होने से वे और भी बढ़ती हैं। इन तत्वों को सजा देने और निराश करने के लिये समाज तैयार हो जाये तो बुराइयाँ २० प्रतिशत तुरन्त कम हो जायें।

दो ही रास्ते हैं। कन्याएँ साहस करें और ऐसे विवाह करने से खुलकर इनकार कर दें, भले ही आजीवन कुमारी रहना पड़े। दूसरा तरीका यह है कि नवयुवक ऐसे विवाहों का प्रतिरोध करें और आवश्यक हो तो स्वयं बिना खर्च शादी के लिये प्रस्तुत हों। यह दोनों रास्ते व्यावहारिक हैं। मसाज के लोभी और लालची तत्त्वों को निरुत्साहित करना इसी तरह सम्भव होगा। इस विवाह में पण्डित मानप्रसाद जी की भी यही दशा की गई।

बारात बड़ी धूम-धाम से दरवाजे पहुँची। स्त्रियों ने जैसे ही वर महोदय को देखा, आपस में काना-फूसी शुरू कर दी।

बात कन्या के कानों तक पहुँची । पहले तो वह निराश हुई पर बाद में उसने सोचा यदि उसने अभी साहस से काम नहीं लिया तो आजीवन कष्टपूर्ण और उपेक्षित जीवन जीना पड़ेगा । एक बार स्वयं छत पर चढ़कर वर महोदय की शक्ति देखी और फिर नीचे आकर माता-पिता से साफ इनकार कर दिया कि वह—इस वर के साथ विवाह नहीं करेगी चाहे उसे प्राण ही क्यों न देने पड़ें । थोड़ी देर में ही बात सब तरफ फैल गई । गाँव के लोगों ने ही नहीं अधिकांश बारातियों ने भी इस साहस का समर्थन किया । वर महोदय पहले तो बिगड़े और मुकदमा चलाने की धौंस दी पर जब उन्होंने देखा जनमत विरोध में है और उनकी पिटाई के लिये भी कुछ लोग तैयार हैं, तो बेचारे सिटपिटा गये और मारे शर्म के रातों-रात अपने घर भाग आये । सारी बारात बैरंग लौटी । गाँव वालों ने लड़की के पिता की भी खूब निन्दा की और अन्त में पड़ोस के दूसरे गाँव में एक अच्छे घर के युवक के साथ सम्बन्ध पक्का करा दिया ।

पं० मानप्रसाद जी अपने किये पर अब पछता रहे हैं, पर अब क्या होता है, यह तो उन्हें पहले ही सोचना था । ऐसी परिस्थिति जहाँ भी पैदा हो लोगों को साहसपूर्वक उसका मुकाबला करना चाहिए, तभी यह बुराईयों रास्ते पर आयेंगी । समझाने से तो बुद्धिमान ही समझते हैं, न समझने वालों को तो ऐसा ही आतिथ्य प्रदान करना चाहिए ।

बुढ़ापे में ब्याह रचाकर जेल की हवा खाने का उपक्रम

दैनिक हिन्दुस्तान दि० २६ अक्टूबर सन् १९६६ में प्रकाशित एक समाचार के अनुसार दिल्ली में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी । बाद में स्वयं भी आत्महत्या करने का प्रयास किया । वे सज़न हैं रक्षा मंत्रालय में असिस्टेंट श्री प्रहलाद कुमार अग्रवाल । छपे समाचार के अनुसार घटनाक्रम पर विचार करते हैं तो मनुष्य की अदूरदर्शिता पर बड़ा दुःख होता है । प्रहलाद कुमार की अवस्था इस समय क्या होगी इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पहली पत्नी से उनके तीन बच्चे हैं जिनसे सबसे बड़ा लड़का बाईस वर्ष का है और बी० ए० पास कर चुका है । दूसरी लड़की है जिसकी आयु सोलह वर्ष है । तीसरा भी लड़का है जो दस या बारह वर्ष का है ।

चाहिए तो यह था कि साल दो साल में लड़के का विवाह रचाते । घर में बहू लाते । कन्या भी विवाह योग्य ही है । उसका विवाह करते । किन्तु हाय री कामवासना ! इसके वश होकर ही इस आयु में स्वयं विवाह करने का कौतुक रचाया । वह भी सत्रह वर्षीया युवती से । करना ही था तो किसी समवयस्क विधवा से करते ।

अभी दो वर्ष पूर्व ही सरला सक्सेना से उन्होंने अदालत में विवाह किया था ! वासना पूर्ति में बाधा न पड़े, अघेड़ आयु में निज की ही वयस्क संतानों के समक्षलज्जित न होना पड़े, इस कारण वयस्क पुत्र को तथा युवती कन्या को किसी सम्बन्धी के यहाँ भेज दिया ! बुरा कर्म आखिर बुरा कर्म ही है ! करते लाज तो आती ही है । फिर भी इन्द्रियों के वश में हुआ मनुष्य गलत निर्णय लेने में नहीं चूकता ।

छोट पुत्र ही उनके पास रहता था । श्री प्रहलाद दास ने अपने बयान में कहा कि “पत्नी बदचलन थी तथा बच्चों के साथ दुर्व्यवहार करती थी । मैंने इसी कारण उसकी हत्या की !”

जरा सोचिये । एक कुमारी कन्या-मातृत्व से एकदम अफ़ूती जिसकी भावनाएँ होती हैं । केवल प्रणय सम्बन्धी कल्पनाएँ ही करती है प्रत्येक कुमारी कन्या ! उससे यह आशा करना कि वह मातृत्व दे सके वह भी इतने बड़े बच्चों को एकदम असम्भव है और जब अधिक आयु के व्यक्ति कम आयु की लड़कियों से विवाह करते हैं तो उनको स्वयं अपने में हीन भाव का अनुभव होता है । वास्तविकता सिर पर चढ़कर बोलती है और फलस्वरूप वे अपनी पत्नियों को शंका की दृष्टि से देखने लगते हैं । इस प्रकार के विवाहों में नित्यानर्ध प्रतिशत ऐसा ही होता है ।

स्वयं ही इन सारी समस्याओं को जन्म देकर फिर पत्नी को दोषी ठहराना कहीं तक उचित है—समझ में नहीं आता! समाज में फैली इस भयंकर कुरीति को जड़ से हटाया और मिटाया ही जाना चाहिए !

उस दिन भी लड़के ने माता के दुर्व्यवहार की शिकायत की और इसी बात को लेकर पति-पत्नी में झगड़ा हो गया ! क्रोध में आकर प्रहलाद कुमार ने छुरे से पत्नी पर प्रहार किया । बेचारी इस नारकीय संसार से ऊपर चली गई । बाद को पकड़े जाने के भय से प्रहलाद दास ने स्वयं भी उसी छुरे से अपने शरीर में कई घाव किये । सुबह उन्हें खाट पर पड़ा

पाया पुलिस ने । डाक्टर के अनुसार दुर्घटना रात दो या ढाई बजे के लगभग हुई बताते हैं । सुबह जब बच्चा जागा तब उसने पड़ोसियों को माँ की मृत्यु की सूचना दी !

जरा-सा अपने ऊपर काबू रखा होता और बुढ़ापे में ब्याह नहीं रचाया होता तो क्यों यह अवसर आता? क्यों एक निरपराध निरीह कन्या यों कसाई के हाथ गाय की तरह काटी जाती ? क्यों स्वयं को इतने कष्ट उठाने पड़ते । पत्नी भी गई और सजा भुगतनी पड़ी वह अलगम ।

विवाह में आयु-समस्या का निदान

कृष्णा के पिता हजारीलाल द्विवेदी ने जितनी दौड़धूप की, उतनी कोई-कोई लड़की वाला ही करता होगा । पर वे कृष्णा का सम्बन्ध कहीं पक्का न कर सके । एक दिन वे बहुत चिन्तित बैठे थे कि कृष्णा आ गई । वह जानती तो सब कुछ थी पर पिता का दुःख बँटाने के उद्देश्य से पूछ ही डाला—“पिताजी, आज आप बहुत उदास दिखाई देते हैं, कोई बात हुई क्या ?” द्विवेदी ने अपनी पुत्री को देखा तो उनका दर्द आँखों में उतर आया—इस बार उन्होंने कोई बात छुपाई नहीं—कहने लगे—“बेटी ! मैंने तुझे इसलिए एम० ए० तक पढ़ाया था कि तू योग्य बनकर नारीत्व-को सार्थक करे, पर आज मुझे तेरी शिक्षा अभिशाप-सी दिखाई देती है !” इससे आगे और कुछ-कहने में उनका गला भर आया, पर कृष्णा समझ गई कि दिल्ली वालों ने भी सम्बन्ध अस्वीकृत कर दिया ।

कृष्णा ने निश्चय किया कि वह अपने पिता का बोझ स्वयं हलका करेगी, पर इस तरह नहीं जैसे दूसरी निरीह कन्याएँ कर डालती हैं । आत्महत्या की बात न सोचकर उसने भी एक नया साहस व्यक्त करने का निश्चय कर लिया । वह यह था कि यदि अपनी ही बिरादरी का कोई कम उम्र का, कम पढ़ा स्वस्थ युवक मिल जाये तो उससे विवाह करने में कोई हर्ज नहीं । यदि कम उम्र की कन्या और अघेड़ आयु के पुरुष में शादी हो सकती है तो २७ वर्ष की कन्या और २२ वर्ष के नवयुवक में विवाह-सम्बन्ध क्यों नहीं हो सकता ?

इस विचार पर वह कई बार स्वतन्त्र चिन्तन कर चुकी थी, पर वह चाहती थी कि कोई अन्य व्यक्ति इस दृष्टिकोण पर पहले करे । अपने पिता से तो वह न कह सकी, पर एक दिन अपनी प्रिन्सीपल से उसने अपना विचार व्यक्त किया और उचित सलाह देने का आग्रह किया । प्रिन्सिपल नमिता देवी ने इस नई सूझ का उत्साहपूर्वक स्वागत किया—उन्होंने

आशीर्वाद दिया कि इस तरह सभी पढ़ी-लिखी कन्याएँ अपने अभिभावकों का बोझ हलका कर सकें तो यह समाज में एक स्वस्थ परम्परा का ही विकास होगा । आज शिक्षित नारियों की समाज को बड़ी आवश्यकता है । अच्छे व्यक्ति और सम्य समाज की सुधड़ विचारशील माताएँ ही कर सकती हैं । पर यदि उन्हें अच्छी तरह पढ़ाया जाए तो यह बड़ा सिर दर्द है कि बड़ी उम्र की कन्याओं से कोई विवाह नहीं करता और कोई राजी भी हो जाये तो फिर दहेज जान ले लेता है ।

“बेटी मैं तुम्हारे सुझाव का पूर्णतः समर्थन करती हूँ, यह दकियानूसी समाज ऐसे ही सीधा होगा ।” उन्होंने आगे कहा—“तुम चाहो तो मैं इस पर तुम्हारा सहयोग भी कर सकती हूँ । मेरी बहिन का एक लड़का है पर पढ़ा कम है—इन्टर पास है । स्वस्थ है, सुन्दर भी है । अब मास्टरी करने लगा है । जावामंडी कस्बे में रहते हैं, अधिक पैसा तो नहीं है पर हैं खाते-पीते तुम चाहो तो मैं बातचीत करूँ ।”

कृष्णा ने स्वीकृति दे दी । प्रिन्सिपल साहिबा ने अपनी बहिन को अपने बच्चे सहित एक दिन के लिए घर आने का पत्र लिख दिया । २५ अप्रैल को सवेरे की गाड़ी से दोनों चन्डीगढ़ आ गये । घर पर कई दिन तक इस सम्बन्ध की चर्चा हुई ।

लड़के को तो कोई अधिक एतराज न था, उसे केवल इतना ही भय था कि वह केवल इन्टर है और कृष्णा एम० ए० । अधिक पढ़ी-लिखी लड़की से सम्मथ है विचार मेल न खायें, उसे अपनी शिक्षा पर अहंकार हो या उसे छोटी नजर से देखे । पर मौसी के इस कथन पर कि—वह मेरी छात्रा है, शिक्षित ही नहीं सादगी पसन्द, शीलवान् और व्यवहारकुशल भी है । नन्दकिशोर राजी हो गया और अपनी स्वीकृति दे दी । बहिन ने थोड़ी ना-नूँ की, पर जब लड़के का रुख देखा तो वे भी बाध्य हो गयीं और विवश होकर शादी करने को राजी हो गयीं ।

लड़के की ओर से निश्चिन्त होकर उन्होंने इस बीच बुलाकर लड़का दिखा दिया । आयु का ही अन्तर था, शरीर से कोई नहीं कह सकता था कि यह कृष्णा से छोटा होगा । कृष्णा ने रिश्ता मंजूर कर लिया । शादी भी पक्की हो गई ।

३ मई को हजारीलाल का बोझ हलका हो गया । शादी हो जाने तक कई लोग, कई तरह से उनका मजाक उड़ाते रहे पर कृष्णा उनकी हिम्मत बँधाती रही । विवाह के बाद तो

उसने सभी विरोधियों का सिर ही नीचा कर दिया । पहले जो सम्बन्धी बिगड़ गये थे, आज वही कृष्णा के साहस की प्रशंसा कर रहे हैं । शिक्षा किसी की बेकार नहीं जाती, फिर कुशल कन्याओं का तो कहना ही क्या । कृष्णा ने अपनी सास और पति दोनों को धोड़े ही दिनों में अपने व्यवहार से मुग्ध कर लिया । दूसरी समझदार कन्याएँ भी उनके सन्तुष्ट जीवन को देखकर सहारा पा गई हैं । जिन्हें विवाह सम्बन्धी कठिनाइयाँ हैं, वे नये आदर्श पर स्वयं भी अग्रसर होने को प्रस्तुत हैं ।

कृष्णा ने घर का सारा उत्तरदायित्व सँभाल लिया । घर की सफाई-सजावट से लेकर खाना बनाने तक का सारा कार्य करने में उसकी उच्च शिक्षा बाधक नहीं हुई वरन् इसका बड़ा लाभ यह हुआ कि कल तक जो इण्टर था वही इस वर्ष बी० ए० की परीक्षा दे रहा है । बिना पैसे का द्यूटर घर में ही मिल जाने से उसकी शिक्षा का द्वार खुल गया । पूछे तो कहता है 'भाई अब तो हम पी० एच० डी० करेंगे । कृष्णा जैसी सहयोगिनी धर्मपत्नी पाकर यह कोई कठिन बात नहीं है । कृष्णा २५००) पाती है, लड़का १५००) कमाता है । दोनों मिलकर गृहस्थी का खर्च बड़ी अच्छी तरह चला लेते हैं । दोनों में पारस्परिक प्रेम भी कम नहीं है ।

हमारे देश में शिक्षित कन्याओं के विवाह की बड़ी उग्र समस्या है । विवाह से पूर्व शिक्षा की बाधा होने से बधियाँ उच्च कक्षाएँ उत्तीर्ण करने तक सयानी हो जाती हैं तो पुराने ख्याल के लोग या तो उनसे अपने लड़कों की शादी नहीं करते या फिर दहेज इतना माँगते हैं जो मध्यम वर्ग का व्यक्ति न दे पाये । लड़की को पढ़ाया जायेगा तो आखिर उसमें बड़ा खर्च लगेगा ही । ऐसा स्थिति में अभिभावक विवाह के लिए धन कहाँ से लायें ? इन दोनों समस्याओं को कृष्णा, प्रिन्सिपल और उनकी बहिन तथा नन्दकिशोर की तरह के व्यक्ति अगुआ बनकर सुलझाने में मदद दे सकते हैं । यदि यह विवाह पूर्ण सुखी और सन्तुष्ट सिद्ध हो सकता है तो दूसरे ऐसे विवाह क्यों सफल नहीं हो सकते ? विवाह को आध्यात्मिक दृष्टिकोण से लिया जाय और उसे पारिवारिक समुन्नति, समाज को स्वस्थ और सुयोग्य नागरिक देने की परम्परा माना जाये तो अधिक पढ़ी-लिखी लड़कियों का पढ़े-लिखे और छोटी आयु के युवकों के साथ विवाह होना सहायक ही सिद्ध होता है, हानि की उसमें बिल्कुल सम्भावना नहीं ।

असुन्दर कन्याएँ क्या इसी तरह बिलखेंगी ?

अभी पिछले दिनों की बात है रेडियो पर बहिनों का कार्यक्रम चल रहा था । अपनी-अपनी समस्याओं वाले प्रकरण में एक बहिन ने अपनी समस्या लिख कर भेजी थी कि 'मैं अभी अविवाहित हूँ किन्तु मेरी आयु ३५ वर्ष की हो चुकी है । मैं बहुत बदनूरत हूँ इसलिये मुझे ब्याह कौन करेगा ? लेकिन मुझे बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार है और मैं एक बच्चा गोद लेना चाहती हूँ । यह कहाँ तक सम्भव तथा उचित है?'

आँखों में आँसू आ गये उस बहिन की बात सुनकर । और एक दर्द उठा हृदय में.....समाज में फैली उस सौंदर्यासक्ति के प्रति, जिसमें विवाह का उद्देश्य केवल एक गौरा, सुन्दर नारी शरीर मिल जाना ही बना दिया है ।

पन्द्रह से लेकर पैंतीस तक । बीस वर्ष उस बेचारी ने जाने कितने सपने—कितने अरमान—कितनी सजीव आशाएँ सँजोयी होंगी और जब अवस्था का उतार भी मुँह फाड़े सामने आ गया तो बेचारी को मातृत्व की प्यास भी एक बच्चा गोद लेकर बुझाने की बात सोचना पड़ी । नारी स्वभाव से ही भावनाशील होती है । पर उसकी समस्त भावनाओं का विकास-समग्र व्यक्तित्व का पूर्ण विस्तार हो पाने के लिये गृहस्थ जीवन व्यतीत करना—अत्यन्त आवश्यक है और जिसको वह विस्तार न मिल पाये—केवल इसीलिये कि वह बदनूरत है—तो उनकी अंतर्वेदना का अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है ।

क्या समाज के युवक जो जरा भी समझदार हैं, इस समस्या पर सोचने का तथा सक्रिय कदम उठाने का साहस करेंगे ? उन्हें यह सोचना चाहिए कि जीवन का क्रम कुछ ऐसा है कि सुख तथा शान्ति की उपलब्धि सद्गुणों के आधार पर ही सम्भव है । लड़की में शारीरिक सौन्दर्य यदि कम है या नहीं भी है तो क्या उसके सद्गुणों का, उसकी भावनाओं का, उसके जीवन का कोई मूल्य नहीं ? पर होता यह है कि शादी की बात किसी की भी, कहीं भी चले, सबसे पहले लड़की का 'रंग रूप' ही देखा जाता है ।

प्रस्तुत प्रसंग में उक्त बहिन को कितनी निराशा, कितनी पीड़ा का अनुभव हुआ होगा यह निर्णय लेते समय कल्पना से ही हृदय भर आता है । कोई युवक, कोई पुरुष उसे नहीं अपना सका जो उसके चमड़ी के रंग तक ही अपनी दृष्टि

सीमित न रखता उसके ममतामय तथा उदार हृदय एवम् पावन आत्मा को भी देख सकता । नारी एक ऐसा कन्या खोजती है जिस पर वह अपने सिर का—अपनी समस्त विचार-भावना एवं मानसिक शक्तियों का बोझ डाल सके । तब पुरुष को भी यही उचित है कि केवल उसकी केश गन्ध की मादकता में ही न डूबे, उसके विचारों एवं भावनाओं का भी आदर करे । बड़ी ही करुणा तथा खेद का विषय है कि समाज में कन्याओं को अपने 'सुन्दर' न होने के कारण जीवन में सहज अधिकार से वंचित होना पड़े और अपनी मातृत्व की प्यास बुझाने के लिये—किसी का बच्चा गोद माँगना पड़े । तब उसे कितना दुःख, कितनी वेदना होती होगी जब वह यह सोचती होगी कि मैं असुन्दर हूँ मुझसे कौन ब्याह करेगा ?' यह तो एक की बात रही । पर अधिकांशतः आजकल का पद्म-लिखा सम्य कहलाने वाला युवक वर्ग इसी शारीरिक सुन्दरता की चकाचींध में दृष्टिहीन विवेकहीन होता चला जा रहा है । आवश्यकता है कि लोग सद्गुणों को जीवन-के अखण्ड साहचर्य का आधार बनावें ।

विवाहों की गरिमा और महत्ता को न भूलें

विवाह की पवित्रता को अक्षुण्ण रखने और उसकी सफलता का पथ प्रशस्त करने के लिए यह आवश्यक है कि उनके मूल स्वरूप एवं दर्शन को अक्षुण्ण बनाये रखा जाय ।

भारतीय प्राचीन परम्पराओं के अनुरूप विवाह दो आत्माओं का मिलन था । शरीर की स्थिति को उसमें पूर्णतया गौण रखा जाता था । रंग-रूप किसका कैसा है इस पर कोई ध्यान नहीं देता था । शरीरों में स्थिरता क्या है । आज का बालक कल तरुण हो जाता है और परसों वृद्ध बनकर अशक्त दीखता है । आज जन्म तो परसों मृत्यु । आज चमक तो कल अन्धेरा । जरा-सी अस्वस्थता का धक्का लगते ही आज का रूपवान कल कुरूप ही नहीं बन जाता, ऐसा अरुचिकर भी हो जाता है कि आज ललचाने वाले, मरने का दम भरने वाले कल पास खड़े होने से भी कतराते हैं । बद्बू हर अङ्ग से छूटती है और दूसरे का सहारा लिये बिना मलमूत्र त्याग सकना कठिन हो जाता है । ऐसी काया को कोई रूप का लोभी क्यों पसंद करेगा ? रंग-रूप और चमक-दमक के आधार पर विवाह करना भारतीय परम्परा में हेय माना गया है ।

अद्यत्क ऋषि आठ जगह से टेड़े-कुबड़े और अति कुरूप थे, उनकी काया को देखकर जनक के राजसभासद हैंसने लगे तो ऋषि ने राजा से यह पूछा—आपने चमारों को सभासद क्यों नियुक्त किया ? चमड़े को महत्त्व देने वाला चमार । जाति के चमार होने में हर्ज नहीं पर अपने यहाँ चमड़े की परख तक जिसकी दृष्टि सीमित है, उसे मानसिक चमार कहकर तिरस्कृत किया जाता रहा है । रूप के आधार पर विवाह का क्या तुक । काम क्रीड़ा में चमड़ी का आकर्षण हो सकता है । पर आत्माओं के मिलन का जहाँ लक्ष्य हो वहाँ गुण, कर्म, स्वभाव की थोड़ी जाँच-पड़ताल आरम्भ में की जाती है और एक-दूसरे के बन्धन में बँध जाने के बाद जो जैसा है उसे देवता अथवा देवी मानकर निबाहना पड़ता है । भारतीय विवाहों का आधार आत्मा है और आत्मा केवल सौन्दर्यवान ही हो सकती है । कुछ दोष-दुर्गुण भी होते हैं तो शरीर या मन के होते हैं । फटे कपड़े पहनकर अपना लड़का गोदी में आये तो उसे दुत्कार कौन देगा ? शरीर या मन के कुछ दोष दुर्गुण साथी में हों तो उस की उपेक्षा, अवज्ञा क्यों की जाय । जितना सुधारना सम्भव होगा उतना शान्तचित्त और धैर्यपूर्वक सुधारने का प्रयत्न चलता रहेगा । जो सुधार न हो सके उसे मानव की आवृत्ति और प्रकृति की अनिवार्य भिन्नता मानकर सहन किया जायेगा । भारतीय विवाहों की आधारभित्ति वही है ।

भौतिकवादी दृष्टि में विवाहों का आधार शरीर और मन है । वहाँ आत्मा की प्रतिष्ठा नहीं । विवाह होते हैं तो उसमें माता-पिता का हस्तक्षेप नहीं रहता । भारतीय दृष्टिकोण की बात अलग है, यहाँ चित्र, कटार आदि के साथ भी विवाह हो जाते थे । माँ-बाप ने जिसके पल्ले कंधा दिया फिर सोच-विचार की, उलट-पुलट की, संतोष-असन्तोष की बात क्या रह गई? अब तो धर्म कर्तव्य ही शेष रह गया सो उसे हर हालत में निबाहना ही होगा । भारतीय यों सोचते रहे हैं । पर भौतिकवादी अपनी रुचि की समता का साथी ढूँढ़ते हैं । वहाँ आकर्षण की महत्ता है । शरीर आकर्षक हो तो पसंदगी । मन हैंसने खेलने का, चंचलता का, गीत-वाद्य का आदी हो तो पसंदगी । यह पसंदगी शरीर के काम-क्रीड़ा और मन की चपलता, चंचलता की कसौटी पर निर्भर रहती है । सो नर-नारी को यह पसंदगी स्वयं ही अपनी परख से करनी पड़ती है । पाश्चात्य देशों में इस आधार पर विवाह होते हैं ।

परख यकायक पूरी नहीं हो सकती, आदमी के गुण-दोष धीरे-धीरे साथ बसने और रहने पर प्रकट होते हैं। सो वहाँ दाम्पत्य जीवन एक प्रकार से प्रयोगों की तरह चलते रहते हैं। आरम्भिक आकर्षण में उन्माद रहता है। पीछे स्वाभाविकता प्रकट होती है और असलियत खुलती है। विवाह हुआ आरम्भ में बहुत उत्साह। नशा उतरा तो खटपट। बस, विवाह समाप्त दोनों ने दूसरे ठिकाने ढूँढ़े। उसका भी यही क्रम। उसी प्रकार जुड़ते विवाह बंधन वहाँ ऐसे ही प्रयोगात्मक रूप से चलते रहते हैं और जिन्दगियाँ ऐसी ही अस्थिर विश्वस्त वातावरण में व्यतीत हो जाती हैं। जो भी हो यह एक आधार है। भले ही भौतिक सही पर उसमें कुछ वजन है उसके पीछे कुछ तर्क है। शरीर और मन की अनुकूलता को विवाह का आधार मानकर नई सभ्यता चल रही है। वो बात किसी सीमा तक समझ में आती है। गुण-दोष सही गलत का निष्कर्ष अलग बात है पर सोचने का एक तरीका तो है ही।

भारतीय परम्परा में आत्माओं का मिलन और चिरस्थायी आत्मसमर्पण। भौतिक परम्परा में शरीर और मन का आकर्षण और उस आकर्षण के रहने की अवधि तक विवाह। यह दो दृष्टिकोण देर से चल रहे हैं। उनके अनुभव भी मीठे कडुए अपने-अपने ढंग के प्रस्तुत होते रहते हैं। सो उनकी उपयोगिता-अनुपयोगिता के विवाद भी होते रहते हैं और देर-सवेर में यह निष्कर्ष निकल ही आवेगा कि दोनों में कौन-सा दर्शन उचित एवं उपयुक्त है।

एक तीसरा अति भ्रष्ट और अति निकृष्ट दर्शन कुछ ही समय से सामने आया है कि जहाँ से अधिक पैसा लड़की के साथ मिले वहीं का विवाह स्वीकार किया जाय। इसमें न आत्मा तक पहुँचने का प्रश्न है और न वर कन्या का पारस्परिक पसंदगी की कसौटी पर कसने का अवसर है। पाश्चात्य देशों में कोर्ट शिप की पूरी-पूरी छूट है। लड़की-लड़के एक-दूसरे को टटोलते रहते हैं और जब यह अन्दाज लगा लेते हैं कि इसके साथ रहना ठीक है तब शादी कर लेते हैं। प्रयोग में अनुकूलता नहीं बैठी तो दूसरी दूकान तलाशते हैं। हर हालत में विवाह होता तभी है जब लड़की-लड़के अपना मन भर लेते हैं। यहाँ तो इसका भी प्रश्न नहीं है। आत्मा की बात तो भुला ही दी गई तो भारतीयता का तो अन्त ही समझा जाय। पाश्चात्य भौतिकता के लिए भी यहाँ अवसर नहीं। लड़का सिर्फ लड़की की शक्ति देखकर पसंदगी व्यक्त कर सकता है।

फोटो 'फीचर' और 'कट' देख सकता है। लड़की के लिए तो वह रास्ता भी बन्द है। उसकी पसंदगी का सवाल ही नहीं। बकरी गड़रिये के हाथ बिक रही है या कसाई के हाथ इसमें उसकी पसंदगी की क्या आवश्यकता? लड़की किस शक्ति-सूरत और किस आदत के लड़के के साथ ब्याही जा रही है उसमें लड़की का फैसला आड़े नहीं आता। उसे न पूछा जाता है न बताया जाता है। सो पाश्चात्य दृष्टि से भी वह आधा ही उपक्रम रह गया एक ने पसन्द किया दूसरे ने नहीं। तो वह पाश्चात्य भी नहीं रहा। इसे भौतिक भी नहीं कह सकते। फिर लड़के ने भी तो केवल शक्ति देखी है। स्वभाव, मन आदि की जानकारी पाने की योरोप जैसी छूट उसे भी नहीं है। सो भारत की वर्तमान स्थिति को चौथाई भौतिकवाद कहना चाहिए। लड़की को पूछा नहीं गया सो आधा भौतिकवाद रह गया। इसमें भी लड़के को शक्ति भर देखने को मिली, कोई शिप का अवसर नहीं मिला सो उसे आधे का आधा अर्थात् चौथाई भौतिकवाद ही उसके भी पल्ले पड़ा।

विवाह को मानव-जीवन की एक अति महत्वपूर्ण प्रक्रिया माना जाना चाहिए। दो व्यक्तियों के समन्वय से एक तीसरी सत्ता उभरती है। दोनों अपनी-अपनी विशेषताएँ तथा दुर्बलताएँ एक-दूसरे को देते हैं और उस आदान-प्रदान के माध्यम से एक नई इकाई तैयार होती है। इस उभार पर उन दोनों का समन्वित जीवन परिवार का विकास तथा सामाजिक प्रभाव की एक अति समर्थ प्रक्रिया बनती है। इसे काम-कौतुक या भोजन व्यवस्था जैसे तुच्छ प्रयोजनों का माध्यम नहीं माना जाना चाहिए। इस प्रयोग का यदि विश्लेषण किया जाय तो एक के बाद एक गंभीर प्रतिक्रियाओं एवं उपलब्धियों के परत खुलते चले जायेंगे और प्रतीत होगा कि रसायन-शास्त्र के संमिश्रणों की तरह मानव-जीवन के दो तत्वों का वह मिलाप हर दृष्टि से अद्भुत है। इसका प्रभाव-परिणाम पीढ़ी दर पीढ़ी चला जाता है और उससे व्यक्ति तथा समाज के भविष्य को उज्ज्वल अथवा अन्धकारमय बनने की अप्रत्याशित-संभावनाओं का उदय होता है। ऐसे महत्वपूर्ण प्रसंग की आधारशिला कुछ आदर्शों और सिद्धान्तों पर ही रखी जानी चाहिए।

भारतीय परम्परा के अनुरूप दो आत्माओं के मिलन का आदर्श इतना महान है कि उसे चाहे तो घर तपोवन में संभव

२.५२ विवाहोन्माद : सम्बन्ध और सम्प्राप्त

होने वाली योग-साधना कह सकते हैं। इस आधार पर स्थापित दाम्पत्य सम्बन्ध दुष्प्रवृत्तियों के निराकरण और सद्वृत्तियों के अभिवर्धन की एक सुव्यवस्थित प्रयोगशाला कह सकते हैं। इस आदर्श के अनुरूप जिन्होंने अपनी विवाह प्रक्रिया का निर्धारण कर लिया होगा वे इस लोक में स्वर्ग का आनन्द भुगत रहे होंगे और परलोक में मोक्ष की संभावना का पथ प्रशस्त कर रहे होंगे।

पाश्चात्य भौतिकवादी आधार पर जिनके विवाह प्रयोग चलते रहते हैं उनके दूरगामी परिणाम भयावह हैं। भविष्य के बारे में हर व्यक्ति अपने साथी से, शंकाशील, आशंकित, आतंकित रहता है और अपने को असुरक्षित अनुभव करता है। साथी कभी भी धोखा दे सकता है। इस आशंका और अविश्वास के वातावरण में जो पाणिग्रहण सम्पन्न हुये हैं उनका भविष्य उज्ज्वल हो भी कैसे सकता है? शरीर शिथिल और अस्वस्थ होने पर भी उसे साथी के सामने इस तरह प्रस्तुत करना पड़ता है कि कहीं आकर्षण कम न हो जाय। मन में उदासीनता, खिन्नता या व्यथा होने पर भी साथी के साथ उसको इच्छानुरूप बनावटी हैंसी हैंसनी पड़ती है अन्यथा यह भय रहता है कि आकर्षण घटने पर साथी दूसरा घोंसला ढूँढ सकता है और सम्बन्ध टूट सकता है। वेश्याओं और व्यभिचारियों के बीच जैसी कृत्रिमता, ढोंगबाजी, चापलूसी, बनावट आवश्यक होती है वैसी ही स्थिति वहाँ विवाहित लोग भी परस्पर अनुभव करते हैं और इस कला को सीखते तथा बरतते हैं।

इस भौतिकवादी जीवन का संतान पर क्या प्रभाव पड़ता है? अभिभावकों के प्रति उनकी क्या मान्यता रहती है? इसे वहाँ जाकर देखा जाय तो प्रतीत होगा कि वहाँ पारस्परिक जीवन एक प्रकार से समाप्त ही हो गया है। कुटुम्ब नाम की कोई चीज नहीं। जिस प्रकार पशु-पक्षी प्रकृति की प्रेरणा से अपने असहाय बच्चों की देखभाल करते हैं और जैसे ही वे अपने पैरों पर खड़े हुये कि माता-पिता और सन्तान का रिश्ता समाप्त। लगभग वैसी ही स्थिति वहाँ है। बुढ़ापे में कोई यह आशा नहीं करता कि उसे समर्थ बच्चों से किसी प्रकार की सहायता मिलेगी। किशोरावस्था पार करते-करते बालक भी अपने को पूर्णतया एकाकी अनुभव करते हैं और उसी आधार पर अपने स्वावलम्बन का ढाँचा खड़ा करते हैं।

भारत में पाश्चात्य दर्शन को दाम्पत्य जीवन में प्रविष्ट करने की दौड़ मच रही है तो उसके परिणाम भी उसी अनुपात में उत्पन्न होते जायेंगे। लड़का भौतिकवादी बन जाय और लड़की अध्यात्मवादी बनी रहे यह नितान्त असम्भव है। दोनों को एक ही तराजू पर तुलना होगा। एक पक्ष एक नीति बरते, दूसरा दूसरी, यह नहीं हो सकता। लड़कों को यदि रूप प्रधान, चंचल लड़कियों चाहिये तो ठीक है, उन्हें वैसी पसन्दगी को कार्यान्वित करना चाहिये, पर पूरी तरह इसके लिए तैयार रहना चाहिए कि पत्नी द्वारा भी वही दृष्टिकोण अपनाया जा सकता है। यदि उसे लड़के की सूरत आकर्षक न लगी तो फिर पश्चिमी देशों के भौतिक दर्शन के अनुसार जो हो रहा है, जो होना चाहिए, वह उनके लिये भी प्रस्तुत होगा।

आत्मवादी दर्शन में लाभ ही लाभ है। भौतिकवादी दर्शन में लाभ और हानि दोनों हैं। लाभ यह कि जब तक पसन्दगी और सहमति है तब तक दोनों खूब मौज-मजे से रहेंगे। जब गड़बड़ पैदा होगी तो जो शतरंज में कमजोर पड़ेगा वह ज्यादा जोखिम उठायेगा। इसलिये उसमें आधा लाभ और आधी हानि है।

एक तीसरा दर्शन अपने देश में चल पड़ा है, उसे क्या नाम दिया जाय उसके लिये सोचना पड़ेगा। पर जो भी नाम दिया जायेगा ऐसा होगा, जिससे अत्यन्त घृणित, निकृष्ट, पतित और नृशंस मनोवृत्ति का परिचय मिलता हो। वह दर्शन यह है कि किसी लड़की को तब लिया जाय जब उसके साथ बहुत-सा धन दहेज के रूप में मिले। अपने समाज में यही 'अन्धेर दर्शन' चल रहा है। सुयोग्य, सुशील, रूपवती, गुणवती कन्या क्यों न हो, यदि उसके बाप के पास लड़के के अभिभावकों को सन्तुष्ट करने जितना धन नहीं है तो वह सम्बन्ध नहीं हो सकता। लड़की सर्वथा गौण है, उसकी विशेषताओं को कोई नहीं पूछता। पूछ केवल एक ही बात की है कि विवाह में दहेज कितना मिलेगा। जिसके पास धन देने को नहीं उसकी लड़की को अविवाहित ही रहना पड़ेगा अथवा किसी बूढ़े-सड़े वाले के पल्ले उसे बैधना पड़ेगा। सुयोग्य घर-वर तो यहाँ पैसे से ही मिलते हैं।

पैसा साथ में न मिले तो कोई अपने लड़के के लिए किसी लड़की को क्यों ले? यहाँ तो खुलेआम नीलाम होते हैं। जो बोली बढ़ाये उसके हाथ नीलाम छूटे। बढ़-चढ़कर

धन दिये बिना लड़की की शादी अच्छे घर नहीं हो सकती । इस तथ्य के कारण लड़कियाँ हर घर में अभिशाप बन रही हैं । उनका जन्मना, विकसित होना माता-पिता तक की आँखों में चुभता है । जन्मते ही दहेज की चिन्ता होने लगती है और अभिभावक उसे जुटाने लगते हैं । पर ईमानदारी से अपने गरीब देश में जहाँ व्यापार, नौकरी आदि में मुट्ठी भर पैसे हाथ लगते हैं, प्रचुर धन कैसे प्राप्त हो ? इसके लिये बेईमानी, धूर्तता, ठगी, चोरी, रिश्वत जैसे घृणित तरीके ही अपनाते पड़ते हैं । लड़की हर गृहस्थ में होती है । विवाह सभी को करना पड़ेगा और उसमें दहेज दिये बिना किसी का छुटकारा नहीं । ऐसी दशा में इन्हीं भ्रष्ट तरीकों को अपनाये बिना गुल्मी किसी तरह नहीं सुलझ सकती । इस कुचक्र में सारा समाज भ्रष्ट और बेईमान होता चला जाता है । बेईमान समाज की जो अवन्ति एवं दुर्गति होनी चाहिये, हो सकती है । उसका मूर्तिमान दृश्य हम अपने चारों ओर प्रस्तुत देख सकते हैं ।

दहेज-प्रधान विवाहों का दर्शन किस तथ्य और तर्क पर आधारित है, उसका रहस्य किसी भी प्रकार समझ में नहीं आता । लड़की के पिता ने अपनी लड़की को पाला-पोसा, बड़ा किया, पढ़ाया-लिखाया, वह उसे अगर किसी के घर मुफ्त में सेवा करने के लिये दे रहा है, तो किसी कदर उसका हक तो बनता है कि वह अपने अनुदान का बदला या मुआविजा माँगे, लड़की वाला दहेज माँगे तो उसका तर्क, कारण अथवा आधार समझ में आता है और उसका कुछ औचित्य भी प्रतीत होता है । पर लड़के वाला किसी की सुयोग्य लड़की बिना मूल्य प्राप्त करने के अतिरिक्त उससे पैसा भी माँगे, इसका तर्क, कारण, आधार और औचित्य किसी भी प्रकार समझ में नहीं आता ।

धन विवाह का आधार बने, इस मान्यता ने तो भारतीय अध्यात्मवाद को करोड़ों मील पीछे छोड़ दिया । भौतिक दर्शन भी हजारों मील पिछड़ गया । आत्मा, शरीर, मन सब पीछे रह गये । पैसे के आधार पर विवाह हो तो इसका अर्थ यह

हुआ कि लकड़ी पत्थर की तरह लड़की-लड़के भी खरीदने बेचने की चीज है । धन के आधार पर ही उनका क्रय-विक्रय होना चाहिये । पर यह व्यापार दर्शन भी यहाँ फिट नहीं बैठता । वस्तु देने वाले को मूल्य चुकाना पड़ता है । लड़की को यदि काष्ठ की बनी कठपुतली माना जाय, तो भी पैसा उसे देना चाहिये जो उसे खरीदे, घर ले जाय । यदि ऐसा होता तो उसे व्यापार-दर्शन कह सकते थे और समझा जा सकता था कि मानव जीवन में आत्मा, मन, गुण आदि का कोई मूल्य नहीं । भेड़-बकरियों की तरह मनुष्यों की भी खरीद-बेच यहाँ चलती है । पर यह बात भी नहीं बनी । माँस विक्रय कसाई करते हैं । लड़की, लड़का के माँस का मूल्य लिया जाय और उसकी खरीद बिक्री हो ऐसी कुछ-कुछ संगति बैठती है, पर पूरी वह भी नहीं बैठती । पूरी तब बैठती जब लड़के वाले पैसा लेकर अपना लड़का लड़की वाले को बेच देते और वह ससुराल में जाकर रहता और पशु चराता, घास छीलता । उसे मनुष्य बिक्री या कसाई-दर्शन कह सकते थे । पर यह नामकरण भी तो वर्तमान सामाजिक स्थिति में 'फिट' नहीं बैठता ।

विवाह का इतना घृणित आधार जितना हम तथाकथित धार्मिक, आस्तिक और सभ्य-सुशिक्षित कहलाने वालों के बीच चल पड़ा है, उतना सम्भवतः जंगलियों में भी नहीं । असभ्य लोगों में खरीद, अपहरण के क्रम चलते रहते हैं । पर हम सभ्य लोगों ने तो जो गतिविधि अपनाई है, जो परम्परा बनाई है उसे तो क्या कहा जाय ? किस तराजू पर तोला जाय ? उसके औचित्य, समर्थन में क्या तर्क प्रस्तुत किया जाय ? कुछ भी समझ नहीं आता । फिर भी वह प्रथा कितनी गहरी जड़ जमाये बैठी है और आश्चर्य इस बात का है कि उसके उन्मूलन की आवाज़ नहीं उठती, वरन् विचारशील लोग भी उसी को अपनाये बैठे हैं उसकी आलोचना करते हैं और उसी का अनुकरण । हे भगवान् ! हिन्दू-समाज की इस विडम्बना को क्या कहा जाय ? क्या नाम दिया जाय ?

दहेज के दानव का अन्त अब होना ही चाहिए

दहेज का दानव कब तक जियेगा ?

विश्व की किसी भी संस्कृति, किसी भी देश ने विवाह को एक महान् आध्यात्मिक संस्कार की इतनी महत्ता प्रदान नहीं की जितनी इस देश ने। यहाँ विवाह को दो आत्माओं का पुनीत गठबन्धन माना जाता है। यह दो व्यक्तियों का ही नहीं दो परिवारों के संगम का पुनीत बन्धन है। जन्म से ही अपरिचित दो कुटुम्बों के बीच जब इतनी घनिष्ठ आत्मीयता जमती देखते हैं तो भारतीय विवाहों की गरिमा अपने प्रखर रूप में चरितार्थ हो उठती है।

किन्तु जहाँ अपने सभी तरह के आध्यात्मिक, धार्मिक आदर्शों का रूप विकृत होता चला जा रहा है दहेज और वधू शुल्क में कट्टर प्रचलन के साथ अब विवाह सामाजिक जीवन में आत्मीयता और अन्तरंग एकता स्थापित करने का, दो परिवारों को, दो आत्माओं को एक स्नेह सूत्र में जोड़ने का माध्यम न रहकर विग्रह, विद्वेष और अनैतिक आचरणों की प्रेरणा का साधन बन गया है। अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में इन दिनों जिस अनैतिकता के दर्शन होते हैं उसमें वित्तेषणा उतनी प्रमुख नहीं जितनी अभिभावकों को बेटियों के लिए दहेज जुटाने की समस्या। जिसके बिना आज किसी भी लड़की का विवाहित जीवन सुखी और सम्मानित रहना तो दूर उन्हें पग-पग पर अपमान, अवहेलना तथा आत्मघात का शिकार होना पड़ता है।

दहेज के इस रक्त-पिपासु दानव से हर गृहस्थ, हर व्यक्ति परिचित है। वह रहता और चलता भी इसी समाज में है पोषण और संरक्षण भी उसे वहीं मिल रहा है जो उसके भार से कराह रहे हैं, दबे जा रहे हैं फिर भी यह कैसी विडम्बना है कि थोड़े से पैसे वालों की नकल का क्रम यथावत चल रहा है। बेटों के व्याह का समय आता है तो यह दहेज का क्रूर दस्यु के रूप में आ धमकता है, पर जैसे ही बेटे का नम्बर आया कि वही पीड़ित व्यक्ति उसे गले लगाने दौड़ते हैं। दहेज लोगों की इसी फूट का लाभ लेकर लोगों का रक्त चूस रहा और

अट्टहास कर रहा है और यह भारतीय समाज है कि कानों में उँगली डाले बैठा है उसमें इस पाशविक प्रतिबन्ध को तोड़ डालने का साहस नहीं होता।

'ब्राइडवेलथ एण्ड डावरी' के लेखक श्री ए० एस० अल्लेयर ने व्यापक सर्वेक्षण के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि १९वीं शताब्दी के मध्य तक यह एक स्वैच्छिक उपहार और पवित्र स्नेह के प्रतीक के रूप में माना जाता था। परिवार में कन्या ही एक मात्र ऐसी हुआ करती है जिस पर बड़े-बूढ़े, माता-पिता तथा बड़े भाइयों का सर्वाधिक स्नेह हुआ करता है। इतने दिनों तक आँगन में खेलने-कूदने वाली लाइली बेटों की विदाई पर उसे कुछ उपहार देकर विदा करना उसी स्नेह का प्रतीक और बालिका के किसी भी संकट के समय की सहायता से पाथेय रूप में पड़ी उक्त परम्परा ने अभी कुल ५०-६० वर्षों से इतना वीभत्स रूप धारण कर लिया है कि हर बेटे वाला उसे न केवल अधिकार मान बैठा है अपितु अब तो जानवरों की तरह विवाह योग्य लड़कों की विधिवत् नीलामी होने लगी है। जो जितना अधिक दे उसी की कन्या से शादी। इस भीड़ी परम्परा ने निर्धन घरों को उजाड़ कर रख दिया। हजारों लाखों कन्याएँ अपनी भावनाओं का गला घोटकर बूढ़ों और विधुरों के पल्ले इसलिए मढ़ दी जाती हैं क्योंकि उनके अभिभावक समुचित दहेज जुटाने में असमर्थ रहते हैं। उच्च शिक्षित कन्याओं के लिए तो यह एक प्रकार से फाँसी का फन्दा ही है। कम पढ़ी-लिखी का तो सामान्य परिवार में कम दहेज में भी विवाह हो सकता है किन्तु शिक्षित परिवारों का टेढ़ा मुँह हजारों में सीधा नहीं होता। पैसे की इस अनियन्त्रित लालसा ने जब से पैर फैलाया संस्कारों की महत्ता समाप्त हो गई। अब विवाह दो आत्माओं को, दो परिवारों को जोड़ने वाला नहीं तोड़ने और काट डालने वाला फरसा बन गया है। उसकी प्रतिच्छाया-पारिवारिक कलह, अशान्ति, उद्विग्नता और अपराधों के रूप में घर-घर देखी जा सकती है। जब तक इस नासूर से नहीं निपटा जाता सामाजिक सुख-शान्ति और व्यवस्था की कल्पना ही निरर्थक है।

कुछ रुपये देकर छुट्टी हो गई होती तो भी एक बात थी, पर यह तो अजगर की तरह भयानक भी है लम्बा तड़ंगा भी। नकद, कैश सर्टिफिकेट के अलावा

आभूषण, फर्नीचर, अलमारियाँ, कीमती वस्त्र और साइकिल, घड़ी, पंखे, फ्रिज से लेकर स्कूटर व टेलीविजन तक के उपहार भी उसी के भाग हैं। इसके अतिरिक्त भी विवाह के बाद न्यूनतम एक वर्ष तक अनिवार्य रूप से प्रत्येक पर्व, त्यौहार पर लड़के वाले के यहाँ मिष्ठान्न, पकवान तथा अन्य उपहार भोजना उसका तीसरा चरण है। इस तरह जब तक यह दहेज एक परिवार का रस-रस चूस कर दूसरे पेट में नहीं पहुँचा देता तब तक चैन नहीं लेता। कल्पना की जा सकती है कि इस अन्धी परम्परा के कारण निर्धन और मध्यम वर्ग के परिवारों को कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता होगा।

कहने को तो यह युग सभ्यता और प्रगतिशीलता का कड़ा जाता है शिक्षा की अभिवृद्धि के साथ लोगों के चिन्तन में भी वैज्ञानिकता का विकास हुआ उसमें सन्देह नहीं किन्तु इस दृष्टि से वह जितना आगे बढ़ा नहीं उससे अधिक पीछे फिसला है। देश का कोई ऐसा प्रान्त नहीं जहाँ यह प्रथा किसी न किसी रूप में विद्यमान न हो। इसके कारण लोगों को साहूकारों और पैसे वालों से ऋण लेना अनिवार्य हो जाता है और फिर उनका भयंकर शोषण चलता है जिससे वे पीढ़ियों तक पनप नहीं पाते, पोषण से वंचित, शिक्षा-दीक्षा से वंचित, संस्कारों से वंचित, सन्तानें उजड़, गँवार और अयोग्य होती चली जाती हैं दहेज को इसी दृष्टि से सामाजिक कोढ़ की संज्ञा दी गई है जिस अङ्ग पर लगा उसे समूल नष्ट करके ही छोड़ता है अतएव बुद्धिमत्ता का तकाजा यह है कि उसे त्यागने का साहस किया ही जावे उसे अब और अधिक समय प्रश्रय न मिले इसी में भारतीय समाज का हित है।

दहेज के लिए, लिए जाने वाले ऋणों में खेती रहन गिरवी, मकानों की गिरवी, जेवर, जायदाद और जमानत के अतिरिक्त ५ से लेकर १८ प्रतिशत तक अतिरिक्त ब्याज चुकाना पड़ता है। कई बार तो बेचारी कन्या को स्वतः ही उसके लिए जूझना पड़ता है इसका एक दर्दनाक उदाहरण 'वुमन एण्ड वर्क, सनडे वर्ल्ड मई १९७३ के अंक में शान्ति सितारमन ने प्रस्तुत किया है। वह लिखते हैं जब घर वाले किसी तरह दहेज न जुटा सके तो लड़की को एक सेल्स गर्ल के रूप में काम करना पड़ा उसे वर्ष में ८००० रुपये अपनी शादी के लिए कमाना था। पेट काट कर, दिन-रात परिश्रम कर वह अपने इस प्रयास में जुटी थी अभी तक यह मंजिल आधी भी पार न हुई थी कि लड़के वालों ने "और इन्तजार नहीं कर सकते" लड़के

का सम्बन्ध अन्यत्र कर दिया। लड़की की आयु बढ़ने के साथ-साथ दहेज की माँग भी बढ़ती गई, उस पर भी दर्द यह कि अच्छे लड़कों का मिलना भी बन्द हो गया। इसी आशा और निराशा के दुश्चक्र में फंसी इस लड़की ने अन्ततः विवाह न करने का ही फैसला लिया और इस दहेज प्रथा के अन्त के लिए ही आजीवन काम करने का निश्चय कर लिया।

यह एक बड़ी बात थी। इस दिशा में पहल तो करनी चाहिए पुरुषों को पर यदि उनके कान पर जूँ न रेंगे तो फिर शिक्षित महिलाओं को स्वयं ही इस राक्षस से जूझने और उसे मार भगाने का साहस करना पड़ेगा। इसमें हिचकिचाहट से काम चलेगा नहीं।

दहेज प्रथा अनैतिक अवांछनीय और अविवेक पूर्ण है

देश के आर्थिक सामाजिक और पारिवारिक जीवन के लिए विवाहों के समय आड़े आने वाली दहेज प्रथा एक प्रकार से अभिशाप ही है। उसका हर क्षेत्र के हर वर्ग पर प्रभाव पड़ता है और वैयक्तिक एवं सामूहिक जीवन में सब प्रकार बर्बादी उत्पन्न होती है। इस विभीषिका से सर्व साधारण को अपरिचित रहने देना बुद्धिजीवियों की भारी भूल है। यदि उस कुरीति द्वारा उत्पन्न होने वाले दुष्परिणामों से सर्व साधारण को परिचित रखा गया होता तो उसके उन्मूलन के लिए अब तक कुछ प्रयत्न हुए होते और इससे बचने बचाने का कोई कारगर रास्ता निकला होता।

लड़के वाले वधू को तब स्वीकार करें जब उन्हें इच्छित धन राशि मिल जाय और उनकी मन मर्जी के बरात तथा धूमधाम के खर्च सहने के लिए कन्या के पिता को विवश किया जाय इसी का नाम दहेज है। कई असभ्य लोग तो मुँह फट खुला मोल भाव करते हैं पर कुछ सफेद पोश मुँह से तो हौं-हौं ना-ना करते रहते हैं, चिकनी चुपड़ी बातें बनाते रहते हैं पर अपने बुजुर्गों द्वारा पीठ पीछे सौदा पटाते हैं। मोल भाव के लिए प्रति स्पर्धा दिखाई पड़ती रहे इसलिए दो टूक मना भी नहीं करते ऐसे ही देते और बहाने बनाते उसे लटकाये रहते हैं। जहाँ ऊँची बोली होती है वहाँ रिश्ता पक्का कर लेते हैं। यही हर लड़की वाले पर बीतती रहती है और बार-बार चक्कर

३.३ विवाहोन्माद : समस्या और समाधान

काटता रहता है और यह समझ नहीं पाता कि उसे वहाँ सफलता मिलेगी या नहीं। उस मृग तृष्णा में लड़कियों की उम्र बड़ी हो जाती है, तब उनसे बड़ी आयु के लड़के न मिलने की एक नई समस्या खड़ी हो जाती है। लड़के वालों की माँग पूरी न कर सकने, बहुत समय बीत जाने के जंजाल में अनेकों लड़कियों को अविवाहित जीवनयापन करने के लिये विवश होना पड़ता है।

यह दयनीय स्थिति एक नहीं अनेक घरों की है। जो धन जुटाने में सफल होते हैं उन्हें एक प्रकार से आर्थिक दिवालिया बनना पड़ता है। कर्ज लेना पड़ता है या बेईमानी से अधिक उपार्जन का रास्ता पकड़ना पड़ता है। कितनों को ही अपने बच्चों की शिक्षा, उचित भोजन, वस्त्र, निवास, चिकित्सा आदि की आवश्यक मदों में कमी करके दहेज जुटाना पड़ता है। फलतः परिवार के विकास में भारी अवरोध उत्पन्न होता है और पिछड़ा हुआ जीवन जीने के लिये विवश होना पड़ता है। प्रगति और हँसी-खुशी के प्रायः सभी द्वार इस कंजूसी—कोताही में बन्द हो जाते हैं।

इस प्रथा परम्परा का प्रभाव समाज के प्रायः प्रत्येक क्षेत्र और वर्ग पर पड़ता है। नारी की स्थिति दयनीय होती है। कन्या के जन्मते ही उसके अभिभावक उसे भार मानते हैं और दुर्भाग्य की सूचना के रूप में ग्रहण करते हैं। ऐसी अनिच्छित सन्तान अपने अभिभावकों तक के सच्चे स्नेह से वंचित रह जाती है। बात-बात में उसे लड़के के तुलना में हीन अनुभव करना पड़ता है। स्वाभिमान की भावना को पग-पग पर चोट लगते रहने से उसमें हीनता की भ्रान्ति बन जाती है और फिर बड़ी होने पर भी वह मानसिक दृष्टि में पिछड़ी हुई डरपोक रह जाती है। कोई साहस पूर्ण कदम उठाना या हिम्मत भरी बात सोचना उसके लिए सम्भव ही नहीं रहता। उपेक्षा का अपने अर्वाँछनीय एवं अनावश्यक व्यक्तित्व का जब उसे ज्ञान होता है तो निराशा और हारी हुई मनःस्थिति में दिन गुजारने लगती है। आशा और उत्साह के अवसर सामने आने पर भी वह अपने में कुछ स्फूर्ति अनुभव नहीं करती। अपने देश की लड़कियों से अधिकांश की यही मनोवैज्ञानिक स्थिति है।

जब कि विवाह योग्य होता है तो उन्हें तरह-तरह के मानसिक आघात लगते हैं। अभिभावकों की भाग-दौड़,

लड़के वालों की मनाही, दहेज की लम्बी-चौड़ी माँग, उतनी व्यवस्था न होने के निराशाजनक वातावरण में जब घर वालों को ग्रसित दुखित देखती है और अनुभव करती है कि उसका कारण मैं हूँ तो उन्हें मन ही मन स्वभावतः बहुत दुख होता है। पर लोक-लाज पर कुछ भी नहीं कर सकती। ऐसे ही घुलती रहती हैं। लड़के वाले देखने आते हैं और नाक-नक्श में, रंग रूप में, घर की तुलना न कर सकने के कारण इन्कार करके चले जाते हैं। सयानी लड़कियों को स्वभावतः इससे अपना तिरस्कार अनुभव होता है और वे इस विवशता पर खिन्न एवं उदास ही बनी रहती हैं।

जिन लोगों ने माँ-बाप का सारा रक्त चूस कर अपने दहेज एवं धूमधाम की हविस पूरी की है। उनकी निहुरता के प्रति मन ही मन घृणा के बीजांकुर जम जाते हैं। आखिर है तो वह भी मनुष्य ही। समझ तो उसमें भी है। दुनिया को देख समझ तो वह भी सकती है। जीवन समर्पण भी उसका किसी को प्रसन्न न कर सके। धन के बूते ही वह किसी के घर में प्रवेश कर सके तो इससे ज्यादा निहुरता एवं कृतघ्नता और क्या हो सकती? विवशता में वे ससुराल जाती तो हैं ही पर मन में घृणा और रोष भी भरे रहते हैं जो समय-समय पर चोट लगते ही घाव में होने वाली—टीस की तरह प्रकट होती रहती है। वधुओं को चिड़चिड़ी, रूठने वाली, असंतुष्ट, खिन्न और विद्रोह स्थिति में अक्सर देखा जाता है। उसका मूल कारण उनके मन में जमा हुई वह घृणा होती है जो उनके पिता का घर अपने तनिक से लोभ और अहंकार की पूर्ति के लिए बर्बाद कर डालने के कारण उत्पन्न हुई होती है। घृणा के यह बीज जीवन भर जमे रहते हैं और वे अपने सास-ससुर यहाँ तक कि पति तक के लिये सच्चा सम्मान नहीं रख पातीं। बाहरी शिष्टाचार की बात दूसरी है। मन में जब घृणा भरी पड़ी हो तो बाहर की लीपा-पोती से वह श्रद्धा और सेवा नहीं झलक सकती जो कि स्वर्ग जैसा वातावरण उत्पन्न करती है और अमृत जैसा रस भर जाती है। दहेज के लालची लोग इस अपने तनिक से लोभ स्वार्थ और अहंकार की पूर्ति तो कर लेते हैं पर यह भूल जाते हैं कि वे उसके बदले में कितने गहरे विष बीज बो रहे हैं और लड़कों के—उसके माँ-बाप के मन में अपने ओछेपन की दुष्टता को—कितनी बुरी कितनी गहरी—छाप छोड़ रहे हैं। ऐसा पैसा किस काम

का जो वधू तथा उसके अभिभावकों को सदा द्वेष और घृणा-छिपाये रहने के लिए मजबूर होना पड़े ।

यह कुचक्र लौटकर अपने ही ऊपर पड़ता है । जिनके दहेज के कोल्हू में दूसरी पेला उन्हें पेलने वाले भी मिल जाते हैं और समय आने पर उनकी भी वैसी ही दुर्गति बनाते हैं जैसी उन्होंने दूसरों की बनाई थी । हर गृहस्थ के यहाँ लड़कियाँ भी होती हैं । लड़के के समय पर उन्होंने जो दुष्टता बरती उसका दण्ड जब उन्हें दूसरों के उसीड़न का भुगतना पड़ता है तो आँखें खुलती हैं । तब ध्यान आता है कि कुकर्म का दण्ड भी मिलने की इस संसार में व्यवस्था मौजूद है । अपने लड़के के समय जब अहङ्कार में डूबे हुए बाघ बने फिरते हैं उन्हें ही अपनी लड़की के समय बकरी बनकर मिमियाने के लिये विवश होना पड़ता है । दस दिन पहले अकड़ा और उठा फिरने वाले व्यक्ति दस दिन बाद जब दौँत निपोरते और धिधियाते हुए देखा जाता है तब प्रतीत होता है कि आदमी कितना ओछा और कितना बेपैदी का है । तब उनका मुँह कोई भी बन्द कर देता कि आपने अपने लड़के के समय दूसरों का खून चूसा अब अपनी जेब खाली करने में क्यों कतराते हैं । तब उनके पास कोई उत्तर नहीं रह जाता और सबसे सहानुभूति खोकर वे अपने को हारे हुए जुआरी की तरह सब ओर से व्यङ्ग और उपहास का पात्र अनुभव करते हैं । उनकी परेशानी से लोग रस लेते हैं और चाहते हैं कि उन्हें और भी अधिक तङ्ग होना पड़े । जो दूसरों से लूटा, वह ब्याज समेत चुकाना पड़े । बारात में जिन्हें खुशामद के साथ ले गये थे और जिनकी चापलूसी में बहुत खर्च किया था वे भी इस विपत्ति के अवसर पर सहानुभूति दिखाने की अपेक्षा उल्टे व्यंग कसते हुए और मखौल उड़ाते देखे जाते हैं ।

जो पैसा या सामान लिया गया था वह एक प्रकार से यों ही बेकार चला जाता है । 'मन के धन' वाली कहावत भरी पूरी होती है । पल्ले कुछ नहीं पड़ता । फर्नीचर, रेडियो, बर्तन, जेवर, खिलौने मिठाई कपड़े जैसी चीजें बेकार जगह घेरती हैं । इनसे घर की आर्थिक स्थिति में कुछ भी वृद्धि नहीं होती है । इन दुहरी चीजों को बेचा भी नहीं जा सकता और दुहरा उपयोग होने की भी कोई गुञ्जायश नहीं । कबाड़ खाने की तरह वह घर की जगह और घेर लेता है । कुछ चीजें बँट जाती हैं कुछ टूट-फूट कर बेकार हो जाती हैं । जो नकद पैसा मिला उसके बदले में कर्मत जेवर और कपड़े दुल्हिन पर

चढ़ाने पड़ते हैं चढ़ायें तो बात हेटी होती है—नाक कटती है । नगदी प्रायः जेवर कपड़े में खर्च हो जाती है । दावत, बारात, आतिशबाजी, बाजे-गाजे, नेग-चार, अलन-चलन न जाने कितने छुट-पुट सिर दर्द होते हैं जो ढेरों पैसा बर्बाद कराते हैं । इनमें जो लगता है उसका हिसाब फैलाकर देखा जाय तो लड़के वाला भी कुछ नफे में नहीं रहता, उसे भी घर से ही थोड़ा बहुत लगाना पड़ता है । दुल्हिन के लिये बनवाया गया जेवर रहना तो घर में ही है पर एक तरह से उस पूँजी की उत्पादन शक्ति तो समाप्त हो ही जाती है । जेवर रोज घिसते टूटते हैं, सोने-चाँदी में मिलावट का घन्था कितना बदनाम है इसे कौन नहीं जानता । तरह-तरह के डिजाइनों की मजूरी कितनी देनी पड़ती हैं । इन सब बातों पर ध्यान दिया जाय तो प्रतीत होगा कि जेवरों में लगा हुआ धन एक प्रकार से बर्बादी के मद में ही चला गया । उस पूँजी से घर की प्रगति या समृद्धि में कोई सहायता नहीं मिली । कीमती कपड़ों का क्या मूल्य उन्हें कौन पहनता है । बेकार में बन्द पड़े-पड़े ऐसे ही कीड़ों की खुराक बन जाते हैं । लाभ कुछ नहीं—प्रतिक्रिया इतनी बुरी—यह बात यदि मनुष्य के दिमाग में बैठ जाय तो उसे दहेज लेकर धूमधाम से मूर्खता करने की चर्चा भी न करना ही उचित प्रतीत हो ।

कोई जमाना था जब धूमधाम करने वाले, अमीरी का प्रदर्शन करने वाले बड़े आदमी माने जाते थे । अब जमाना दूसरा है । अब समाजवाद, साम्यवाद की हवा चलने लगी है । धनियों और अमीरों को अब न जाने क्या-क्या कटु शब्द कहे जाते हैं । इस पर भी कोई आदमी अमीरों का ऐसा भोंडा फूहड़ और बचकाना प्रदर्शन कर रहा हो जैसा कि विवाह—शादियों में किया जाता है तो समझदार व्यक्ति उनके विरुद्ध तरह-तरह के लाञ्छन लगाते हैं । कहते हैं इतना पैसा यदि किसी समाज हित के काम में दिया जा सकता था । पर बेईमानी से कमाने वाले और निष्ठुर प्रकृति के लोग तो ऐसे ही उद्धत प्रदर्शनों में पैसा फूँक सकते हैं जैसा कि यह बरात वाला सेठ फूँक रहा है । भले ही वह धूमधाम कर्जा लेकर की गई हो पर उसे करने वाले को अब केवल भर्त्सना का पात्र ही बनना पड़ता है । वह जमाना चला गया जब किसी ऐसे अमीरी का स्वाँग बनाने वाले प्रशंसा और प्रतिष्ठा पाते थे । अब तो उनके लिए घृणा, तिरस्कार, व्यंग, लाञ्छन और उपहास भी मिल सकता है । उन्हें गालियाँ पड़ने के अतिरिक्त और कुछ नहीं मिल सकता सो उचित भी है ।

३.५ विवाहोन्माद : समस्या और समाधान

जब कि वैयक्तिक और सामाजिक जीवन में अनेक उपयोगी कार्य पैसे के बिना रुके पड़े रहते हैं तब इस तरह पैसे की होली जलाना भला किस तरह बुद्धिमत्ता पूर्ण कहा जायगा । भला इस आचरण को कौन सराहना करेगा? उसे किसका समर्थन मिलेगा ? अपना पैसा गंवाकर उल्टे अपयश का भागी बनने को जिन्हें इच्छा हो उन्हें ऐसी ही ब्याह शादी की धूम मचानी चाहिए जैसी कि अपने समाज के प्रतिगामी, विवेक रहित और अदूरदर्शी लोग आमतौर से पागलों की तरह आये दिन करते रहते हैं ।

राष्ट्रीय क्षति का तो कहना ही क्या । भारत में ६० करोड़ की आबादी है । इसमें १ करोड़ से भी अधिक गरीब परिवार है । इनमें सर्वथा हिन्दुओं के लगभग ६५ लाख परिवार हैं । प्रत्येक परिवार को एक पीढ़ी में यदि औसतन ४ विवाह करने पड़ते हैं और प्रति विवाह में दोनों पक्षों का मिलाकर न्यूनतम ५० हजार भी खर्च करना पड़ता है तो ४ विवाहों में २ लाख हुआ । २ लाख को ६५ लाख परिवारों के साथ गुणा करें तो रकम १३ खरब रुपया हो जाता है । यह इतनी बड़ी राशि है कि हिन्दुस्तान को इतने में ही अमेरिका जितना सम्पन्न बनाया जा सकता है । हर वर्ष जो पैसा विवाहों में लगता है उससे भारत सरकार के समस्त बजट को चलाया जा सकता है । प्रत्येक परिवार यदि ५० हजार रुपये की विवाहों में खर्च-होने वाले राशि कुटीर उद्योग, पशुपालन आदि बागवानी, कृषि, परिवहन आदि कार्यों में लगा दें तो उसके फलस्वरूप वर्तमान आमदनी दूनी हो सकती है । यदि एक वर्ग का ही विवाहों वाला पैसा शिक्षा कार्य के लिए दे दिया जाय तो देश के प्रत्येक बालक को मेडिकल, इंजीनियरिंग, कृषि, शिल्प, व्यवसाय, आदि को शिक्षा का समुचित प्रबन्ध हो सकता है । प्रौढ़ों की निरक्षरता भी इन्हीं पैसों में दूर की जा सकती है । यदि यह बर्बादी रोकी जा सके और उसे सृजनात्मक कार्यों में लगाया जा सके तो भारत दस वर्षों के भीतर आर्थिक प्रगति में संसार के समस्त देशों को पीछे छोड़ सकता है ।

इतनी बड़ी अर्थ शक्ति हम सर्वथा निरर्थक विवाहोन्माद जैसे मूर्खता पूर्ण काम में खर्च करते रहते हैं । इससे अनेक प्रकार की सामाजिक जटिलताएँ पैदा होती हैं । बराती लोग किसी शादी में जाने के लिए ठाठ-बाट के कपड़े बनते हैं । औरतें सजधज की तैयारी करती हैं । इसमें कितनी निरर्थक खरीद फरोख्त होती है । बरातियों सम्बन्धियों का यातायात, काम घटने से उत्पादन में कमी,

अलन-चलन, नेग-जोग, उपहार व्यवहार का खर्च जोड़ा जाय तो वह भी सब मिलाकर शादी के खर्च से आधा तो जरूर ही हो जाता है । यह आर्थिक बर्बादी आखिर देश को गरीब ही तो बनायेगी । जो पैसा उत्पादन नहीं करता, उत्पादन को बढ़ावा नहीं देता, केवल खर्च से भी अनुपयोगी जिससे होता है वह अर्थशास्त्र की दृष्टि से बर्बादी की संख्या में ही रखा जायेगा और धन की बर्बादी से बेरोजगारी एवं गरीबी की ही वृद्धि होती है ।

अपने गरीब देश को एक-एक पाई की बात करनी चाहिए और उसे मात्र ऐसे कार्यों में लगाना चाहिए जिससे उपयोगी उत्पादन बढ़े लोगों को काम मिले और आमदनी बढ़े । विवाह शादियों में होने वाला अपव्यय यदि रुक सके और उसे उत्पादन में लगाया जा सके तो देश के ६० लाख भिक्षुक और करीब ३ करोड़ बेकारों को काम मिल सकता है और श्रम शक्ति को काम मिल जाने से हिन्दुस्तान जापान का अनुकरण करते हुए उतना ही सम्पन्न, एवं समर्थ बन सकता है । यह होगा तभी जब बर्बादी को रोकने और उस शक्ति को उत्पादन में लगाने की व्यवस्था हो सके । इस दिशा में कदम बढ़ाने का शुभारम्भ करते हुए हमें सबसे पहले विवाहोन्माद से पिण्ड छुड़ाना पड़ेगा और दहेज जैसी अनैतिक असांजिक और अवांछनीय कुरीतियों का उन्मूलन करने के लिए तत्पर होना पड़ेगा ।

नैतिक, सामाजिक, पारिवारिक और राष्ट्रीय दृष्टि से दहेज प्रथा—शादियों में पैसे की बर्बादी का अवांछनीय उपक्रम रोका जाना चाहिए । हर व्यक्ति को इस दुष्ट प्रथा के द्वारा होने वाली हानियों को समझाना चाहिए ताकि उसके उन्मूलन के लिए हर व्यक्ति को सहमत कर सकना सम्भव हो सके ।

दहेज का एक कारण यह भी है ?

वर्तमान समाज का रूप बहुत कुछ वैसा ही है जैसा कि मध्ययुग में रहा है । सैकड़ों वर्षों से हमारे समाज में धन की प्रधानता रही है । विवाह का आधार भी धन ही रहा है और अब भी है । विवाह के अनेक नियमोपनियमों के बावजूद धन के आगे सभी को झुकना पड़ा । धन के बल पर ही तो योजनागंधा ऐसी सुन्दरी को शान्तनु जैसे बूढ़े प्राप्त कर सके । धन के प्रभाववश ही तो राजा-महाराजा आवश्यकता से अधिक स्त्रियों को अपने

यहाँ रख लेते थे । मुसलिम शासन में तो जितना ही धनी होता था वह उतनी ही अधिक स्त्रियाँ और रखेलियाँ रखता था । आजकल भी प्रायः यही दृश्य दिखाई देता है । यद्यपि मनु आदि स्मृतिकारों ने विवाह के सम्बन्ध में अनेक प्रतिबन्ध लगा रखे हैं, परन्तु धन के सम्मुख वे सभी ढीले पड़ जाते हैं । धन के बल पर नीच जाति का पुरुष ऊँची जाति की कन्या से विवाह कर सकता है । यही नहीं, कुरूप तथा अङ्गहीन होने पर भी धनी व्यक्ति किसी सुन्दरी से विवाह कर सकता है । एक पत्नी के मर जाने पर अथवा जीवित रहने पर भी धनवान् व्यक्ति किसी अन्य कुमारी से विवाह कर सकता है । इसके अगणित उदाहरण हमें वर्तमान समाज में देखने को मिलेंगे ।

हम मानते हैं कि हमारे समाज में ऐसे माता-पिता भी हैं जो धन के इस व्यापक प्रभाव से मुक्त हैं । ऐसे लोगों ने व्यक्तिगत योग्यता के आधार पर ही अपनी कन्याओं का विवाह किया है । परन्तु एक बड़ी संख्या ऐसे अभिभावकों की है जो किसी धनी से नाता जोड़ने के हेतु चिन्तित रहते हैं । इसका परिणाम यह होता है कि अयोग्य अथवा साधारण योग्यता के लोग अपने धन के बल पर दो-दो तीन-तीन शादियाँ कर लेते हैं और बहुत से सुशिक्षित युवकों को अच्छी पत्नी नहीं मिलती ।

विवाह के इस दूषित आधार से सम्बद्ध एक दूसरी समस्या दहेज की है । संसार से जिस प्रकार दुःख-दारिद्र्य दूर करने के अनेक विफल प्रयत्न किये गये । उसी प्रकार दहेज को मिटाने के भी अनेक प्रयास हुए हैं परन्तु दहेज की प्रथा अब भी पूर्ववत् बनी है । कहा जाता है कि दहेज के कारण कितनी ही निर्दोष कन्याओं के प्राण गये और कितने ही माँ बाप कंगाल हो गये । फिर भी क्या कारण है कि यह समस्या ज्यों की त्यों है । एक कहावत है कि धन की तीन गति हैं—दान, भोग और नाश । बस धनी वर्ग से संचित धन के (उपयोग अथवा दुरुपयोग) का यह भी एक उपाय निकाल रखा है । कन्या के साथ-साथ वे वर पक्ष वालों को रत्न सुवर्ण तथा अन्य बहुमूल्य वस्तुएँ देते हैं । इस प्रकार के आदान-प्रदान में वे गर्व का अनुभव करते हैं ।

दहेज के सम्बन्ध में एक और मत है । बहुत से गरीब माँ-बाप ऐसे हैं जो येन-केन उपायों द्वारा धनिक वर्ग से सम्बन्ध स्थापित करने को लालायित रहते हैं । ऐसे लोगों को बाढ़ रोकने के लिए दहेज प्रतिबन्ध स्वरूप है । जहाँ तक धनिकों की बात है, दहेज कोई समस्या नहीं

है । इसे रोकने अथवा निर्मूल करने की कोई आवश्यकता नहीं । कुछ समय पूर्व युक्त-प्रान्तीय असेम्बली में श्री जयराम वर्मा ने दहेज प्रथा विरोधी कानून बनाने का प्रस्ताव किया था । परन्तु उन्हें यह प्रस्ताव वापिस लेना पड़ा । उनसे कहा गया कि इस प्रकार के विधान को कार्यान्वित करने में अनेक कठिनाइयाँ पड़ेंगी । कोई भी अभिभावक अपने नये सम्बन्धी को अदालत द्वारा दण्ड दिलाना नहीं चाहेगा । सच्ची बात तो यह है कि दहेज के सभी विरोधी नहीं । जब गरीब माँ बाप किसी धनिक के लड़के से अपनी कन्या ब्याहना चाहते हैं उस समय दहेज की लम्बी रकम चुकाने में उन्हें कठिनाई जान पड़ती है और यह प्रथा उनके लिए समस्या का रूप धारण कर लेती है । ऐसी स्थिति में बहुत-सी निरीह कन्याओं को अपना बलिदान करना पड़ता है और समाज में लोग नारे लगाने लगते हैं कि दहेज प्रथा बुरी है और उसे मिटाना आवश्यक है ।

कुछ वर्ष पहले प्रयाग के एक प्रसिद्ध सज्जन ने दहेज-प्रथा की बुराइयों की चर्चा करते हुए लिखा था कि जिन कन्याओं को दहेज की प्रथा के फलस्वरूप दुःख भोगना पड़ता है उनके अभिभावकों का 'माथा ऊँचा' रहता है । तात्पर्य यह है कि ऐसे अभिभावक स्वयं निर्धन होते हुए धनिकों के घर ही अपनी कन्याओं का विवाह करना चाहते हैं । यदि वे अपने ही समान आर्थिक स्थिति के लोगों से सम्बन्ध स्थापित करें तो दहेज समस्या के रूप में उनके समक्ष उपस्थित ही न हों । हमें धनिक वर्ग की अन्धभक्ति से अपने को विरत करना होगा । अपनी पूँजीवादी मनोवृत्ति को सुधार कर जनतन्त्रीय भावनाओं को अपनाना होगा ।

एक पुरानी कहावत है कि 'वैर, ब्याह और प्रीति' समान में ही करना चाहिये । यह कथन बड़ा ही सारगर्भ एवं महत्वपूर्ण है । जब विवाह आर्थिक साम्य के अनुकूल होंगे तो पुनर्विवाह, बहु-विवाह आदि स्वयं ही निर्मूल हो जायेंगे । तब यह दृश्य देखने में नहीं आयेगा कि विधुर एवं प्रौढ़ लोग तो अनेक विवाह, सो भी कुमारियों से, कर लें और बहुत से युवकों को योग्य पत्नियाँ ही न मिलें । विवाह का आधार प्रेम होना चाहिये । वास्तविक प्रेम आर्थिक दृष्टि से विषम लोगों में नहीं हो सकता । होगा भी तो वह कृत्रिम प्रेम ही होगा । समान लोगों में विवाह का आधार धन न होकर व्यक्तिगत योग्यता मानी जायगी ।

इस सम्बन्ध में हम अपने देश के प्रबुद्ध नारी समाज तथा अपनी प्रगतिशील बहिनों से अपील करेंगे कि उन्हें

३.७ विवाहोन्माद : सम्बन्ध और सम्मान

स्वयं इस दिशा में अग्रसर होना चाहिए। साधारण स्थिति की बहिनों से हम कहेंगे कि धनिक की दासी बनने की स्वप्न देखते उन्हें बहुत दिन हो गये। अब समय बहुत कुछ बदल गया है। यह समाजवाद का युग है। हमें चाहिये कि समान लोगों से प्रेम करना सीखें। यदि समान आर्थिक स्थिति के लोगों में विवाह सम्बन्ध होंगे तो दहेज की समस्या आपसे आप लुप्त हो जायगी। उसके लिये कानून बनाने की आवश्यकता न पड़ेगी। अब हम स्वतन्त्र देश के नागरिक हैं। हमारा आदर्श समाजवादी जनतन्त्र की स्थापना है। अतएव हमें पूँजीवादी मनोवृत्ति का त्याग कर समाजवादी मनोवृत्ति को अपनाना होगा, तभी हमारा कल्याण है।

दहेज का कलंक धोना ही चाहिए

दहेज में बड़ी-चढ़ी रकम पाने और बड़प्पन दिखाने के लिए धूमधाम की खर्चीली शादी करने की प्रथा अब हर दृष्टि से विज्ञानों द्वारा हेय ठहराई जाने लगी है। सामन्तों और जमींदारों का जमाना दूसरा था जब दूसरों को दबाने और अपनी शान बढ़ाने में ही बड़प्पन माना जाता था। संभवतः वह प्रचलन उसी जमाने का है।

अब हर विचारशील और औचित्य का समर्थक यह अनुभव करने लगा है कि इससे बेटी वाले को कोल्हू में पेलना और अपने सिर पर निष्ठुरता का कलंक लादना किसी प्रकार उचित नहीं है। जो मिला था वह भी जेब में नहीं रहता धूमधाम से वह भी फुलझड़ी की तरह जल जाता है। सदा के लिए अपयश पल्ले बँधता है।

आज जिन्होंने लड़के के विवाह में लिया है उन्हें कल उसी प्रकार अपनी लड़कियों के विवाह में खर्चना भी पड़ेगा। देते समय यह स्मरण आता है कि हमारे द्वारा भी कोई गरीब इसी प्रकार निर्दयता पूर्वक सताया गया था।

दहेज विरोधी अनेकों कानून बने और पारित हुए। दहेज लेना और देना दोनों ही कानून के अन्तर्गत अपराध हैं तथापि समाज इसके कारण प्रायः पंगुसा है। परिणाम स्वरूप नित्य ही अखबारों के पृष्ठ दहेज के कारण हत्या अथवा आत्म-हत्या के समाचारों से रंगे होते हैं। असंख्य ललनार्ये अपने प्राणों को इसकी बलिवेदी पर निछावर करके जीवन लीला को समाप्त कर देती हैं।

दहेज में आई हुई सम्पत्ति वधू की सम्पत्ति मानी जाती थी। इस प्रकार के विवरण इतिहास के पृष्ठों को

पलटने से विदित हुए। रोमन कानून में पत्नी को ही दहेज का स्वामी बताया है। यहूदियों में भी यह प्रथा प्रचलित थी। मुसलमानों में मेहर का यही प्रयोजन है।

प्राचीन काल में भारत में दहेज प्रथा नहीं थी। वधू को जो कुछ भी दिया जाता था। वह केवल उपहार के रूप में होता था। मनु महाराज के कथनानुसार वधू को दी गई सम्पत्ति का, सम्बन्धी प्रयोग नहीं करता था तो इसे विक्रय नहीं कर सकते हैं परन्तु इसे वधू के सम्मान में दिया हुआ उपहार कहा जा सकता है। विवाह एक गंभीर और पवित्र बन्धन है। उपस्थित बरातियों के समक्ष अग्निदेव को साक्षी मानकर वर वधू को वैवाहिक दायित्वों एवं कर्तव्यों को दोहराते हुए समझाया जाता है। 'दहेज' का शब्द हमारी प्राचीन मान्यताओं एवं परम्पराओं में भिन्न था।

इस समस्या का एक हल अन्तर्जातीय विवाह भी हो सकता है। हमें कन्या के लिए जाति में योग्य वर प्राप्त करने के कारण ही अधिकतम कीमत दहेज के रूप में चुकानी पड़ती है। यदि हम दूसरी जातियों में देखें तो सहज ही सुशील और योग्य वर पा सकेंगे तब दहेज का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होगा।

पहले जमाने में कहा जाता था कि बहू गरीब घर की लाना और लड़की बड़े घर में ब्याहना। परन्तु अब कोई भी तो गरीब घर की लड़की को ब्याहने को तैयार नहीं है। समाज का सन्तुलन बिखर गया है। यह गृहलक्ष्मी कही जाने वाली बहू धन लक्ष्मी लेकर पंधारे तब तो यह गृहलक्ष्मी हो पावेगी।

सरकार ने कानून बना दिया है कि दहेज देना एवं दहेज लेना दोनों अपराध हैं। इस अधिनियम को बने लगभग २२ वर्ष हो चुके हैं। परन्तु यह दहेज रूपी दानव दिन दूना रात चौगुना बढ़ता जा रहा है। समस्त समाज के अन्दर हाहाकार मचा रखा है। अतः हमारा कर्तव्य है कि हम इसके उन्मूलन में सरकार का सहयोग करें। जनता के सहयोग से ही केवल किसी नियम या आज्ञा का पालन हो सकता है।

१९६१ के बने इस कानून में २६ नवम्बर १९८० को सरकार के आदेश के अनुसार विवाह होने के पाँच वर्ष के भीतर तक किसी बहू की मृत्यु होती है और कोई सन्देह पैदा होता है तो उसकी जाँच अवश्य होगी। परन्तु हर मरने वाली को दहेज का शिकार नहीं कहा जा सकता है।

'दहेज के बारे में सताई गई युवतियों में अधिकतम संख्या सास द्वारा सताई गई युवतियों की होती है। इससे स्पष्ट होता है कि दहेज प्रथा स्त्री-पुरुष के बीच संघर्ष की समस्या नहीं है। यह नारी का नारी के प्रति संघर्ष है। सास यह भूल जाती है कि वह भी कभी बहू थी, जो आज सास है तथा आज भी वह किसी की माँ है या बेटी है।

पायोनियर समाचार पत्र की एक रिपोर्ट के अनुसार भानपुर शहर में पिछले वर्ष धूमधाम के साथ सम्पन्न हुई ५०० शादियों में १० करोड़ रुपये की धनराशि दहेज के रूप में दी गयी है। मोटे तौर पर अनुमान लगाया जाय तो प्रत्येक विवाह में १० हजार से ३ लाख तक की धनराशि बैठती है। मात्र डेढ़ करोड़ की राशि तो प्रकाश एवं साज-सज्जा पर खर्च हुई। विवाह-रथ सुसज्जित कार मोटरें तथा मर्करी लाइट की पंक्तियों का व्यय तो अतिरिक्त बैठता है।

यदि दहेज ही लेना देना हो तो उसका स्वरूप यह होना चाहिए कि कन्या का पिता और ससुर दोनों ही विवाह की स्मृति में अपनी सामर्थ्यानुसार कन्या के नाम किसी बैंक में फिक्स डिपोजिट कर दें, जिसे पाँच वर्ष तक किसी भी कारण न निकाले जाने का प्रतिबन्ध रहे। इतने दिन में वह धन लगभग दूना हो जाता है। इससे इस नई गृहस्थी की समृद्धि बढ़ने में सहायता मिलेगी।

हममें से हर किसी को ध्यान रखना चाहिए कि खर्चीली शादियाँ हमें दरिद्र और बेईमान बनाती हैं। इस कलंक से जितनी जल्दी छूटा जा सके उतना ही अपने समाज का हित है।

दहेज खोरी घृणित पाप है

दहेज के विरोध में समाज के सभी अङ्गों ने आवाज बुलन्द की है। सुधारकों ने प्लेटफार्मों और पत्र-पत्रिकाओं द्वारा दहेज की तीव्र निन्दा की है और अब सरकार को भी दहेज विरोधी कानून बनाने पर मजबूर होना पड़ा जिसके परिणाम स्वरूप दहेज लेना और दहेज देना केवल सामाजिक कुरीति न रह कर जुर्म भी बनने जा रहा है। आज हमें विचार करना है कि दहेज क्यों घृणित है। प्रत्येक पुत्री के माता-पिता का फर्ज है कि विवाह के समय अपनी पुत्री को पुरस्कार रूप में अवश्य वस्त्र आभूषण तथा अन्य गृहस्थी का सामान आदि प्रेम पूर्वक अपनी सामर्थ्य व श्रद्धानुसार दे और इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं हो

सकती। परन्तु जब पुत्र पक्ष वाले नाजायज प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष दबाव डालकर दहेज के नाम से लम्बी रकम पुत्री के पिता से वसूल करते हैं और रकम न मिलने पर लड़की को यातनायें देते हैं अथवा अपने सम्बन्धी से सम्बन्ध विच्छेद कर देते हैं, तो ऐसी दशा में कुटुम्बों में पारस्परिक प्रीति होने के बजाय मनमुटाव और क्लेश की भावना पैदा हो जाती है।

आज के आर्थिक संकट के समय जब महँगाई के कारण निर्वाह मुश्किल से हो पाता है दहेज के लिये कहाँ से रकम बचाई जावे। पहले जमाने में जब संयुक्त परिवार प्रणाली प्रचलित होने के कारण कम आमदनी में परिवार का पालन पोषण भली भाँति हो जाता था, कन्या शिक्षा शून्य थी और कन्या शिक्षा पर कुछ खर्च नहीं करना पड़ता था, कन्याओं के विवाह ६ या १० वर्ष की उम्र में हो जाते थे अर्थात् उनके पालन पोषण में अब की अपेक्षा आधे से बहुत कम खर्च पड़ता था, तो दहेज देना मुश्किल बात न थी। परन्तु आज बजाय १० वर्ष की उम्र के प्रायः १८ या २० वर्ष की उम्र में लड़की की शादी हो पाती है और उस समय तक लड़कों के पालन पोषण और शिक्षण की अपेक्षा अधिक लड़कियों के पालन-पोषण और शिक्षण पर माँ बाप को खर्च करना पड़ता है तो वे विचारे इतना सब खर्च बरदाश्त करते हुए दहेज के लिये लम्बी रकम कहाँ से लावें। पिता की जायदाद में पहले पुत्री का कोई हक नहीं था। ऐसी दशा में यदि दहेज के रूप में उनको कुछ धन दिया जाना अनुचित नहीं था। परन्तु अब तो लड़की को लड़के के बराबर पिता की पूँजी का जायदाद में कानून द्वारा हक हासिल है तो फिर दहेज देने लेने का प्रश्न ही न्याय संगत नहीं है। परन्तु लड़के के पिता को उचित और अनुचित से क्या वास्ता अथवा लड़की वाले की आर्थिक स्थिति से क्या सम्बन्ध। उसको दहेज में लम्बी रकम तय करने और वसूल करने का हौसला केवल इसलिये होता है कि कन्याओं की संख्या प्रायः अधिक है और सभी कन्याओं के माता पिता जितना शीघ्र हो सके कन्या का विवाह कर डालना चाहते हैं। इसके विपरीत योग्य लड़कों की संख्या कम है। अगर लड़कों के विवाहों में विलम्ब हो जावे या विवाह न भी हो तो समाज उसे बुरा नहीं समझता। किसी की विवशता पर

३.६ विवाहोन्मत्तः समस्या और समाधान

उसकी गर्दन दबाना घृणित पाप के सिवाय और क्या हो सकता है ?

किसी का जी दुखाकर पाप द्वारा प्राप्त किया हुआ धन कभी लाभप्रद नहीं हो सकता । ऐसा धन पहले तो रुकता ही नहीं और जब तक रुकता है रिश्वत के पैसे की तरह, उसके सेवन करने वाले की बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है और उस पापी की सन्तान पर भी बुरे संस्कारों की छाप पड़ती है ।

तय की हुई से अथवा आशा से कम मिली हुई दहेज की रकम के कारण अगर लड़की को तंग किया जावे या उसको सुनाकर उसके माता पिता की वह अमुक बहाने पर अपने पिता से धन मँगाकर अपने सास-ससुर या पतिदेव की अभिलाषा की पूर्ति करे तो यह पाप चौगुना हो जाता है और प्रायश्चित्त करने पर भी अक्षम्य है ।

कैसी निर्लज्जता की बात है कि लड़की वाले से उसके सामर्थ्य से अधिक धनराशि दहेज में वसूल करने के परिणाम स्वरूप वह बेचारा कर्जदार हो जावे अपना स्वास्थ्य ठीक न रख सके जिन्दगी भर चिन्ताग्रस्त रहे और अपने बाल बच्चों का ठीक प्रकार पालनपोषण तथा शिक्षण करने में असमर्थ रहे और उनको दीन हीन छोड़ जावे और उसकी यह सब दशा उन लोगों के कुकृत्यों द्वारा हो जिनसे उसने निकटतम नाता जोड़ा है और जिन्होंने विषबाण छाती में लगाकर प्रेम शान्ति, अभिन्नता का दिखावटी प्रदर्शन लड़की की विदा के समय किया है ।

समय है अब भी दहेज खोर आँखें खोलें, समय की प्रगति को पहिचानें, दहेज खोरी की पापमय लालसा को हृदय में हजार कोस दूर फेंक दें वरना वह दिन दूर नहीं है जब दहेज खोरी के जुर्म में जेल में तो उन्हें सड़ना ही पड़ेगा, उनके पूर्वजों के नाम को ऐसे कपूतों के कुकृत्यों के कारण बड़ा लगेगा और वह समय दूर नहीं है जब उनको अपने लड़कों के उपयुक्त कन्याओं के साथ विवाह करने के लिये दरदर भटकना पड़ेगा । समय और परिस्थिति के परिवर्तन के अनुसार अच्छे वर की खोज और चयन में जो बाधाएँ थी बहुत कुछ दूर हो गई हैं और होती जा रही हैं । अच्छा यह ही है कि सामाजिक वातावरण को सुधारा जावे और यह तभी सम्भव है जब वर के माता पिता केवल कानूनी गिरफ्त से बचने का प्रयत्न न करें वरन् हृदय से दहेज खोरी को घृणित पाप समझकर सदा के लिये तिलौजलि दे दें और प्रेम पूर्वक बिना किसी लोभ लालच से अपने पुत्रों के विवाह करें ।

इस उभय-पक्षीय शत्रु-प्रथा 'दहेज' का अन्त कीजिए

हिन्दू समाज में दहेज की कुप्रथा इस बात का प्रमाण है कि इससे नारी को हीन समझने और उसके महत्व को कम आँकने का अन्याय पूर्ण दृष्टि कोण घर किये हुए है । इसी दृष्टिकोण का दोषी किसी लड़के का पिता, कन्या के पिता से दहेज के रूप में एक लम्बी रकम की माँग करता है और कन्या के विवाह के लिए गरजमन्द लड़की का पिता उसकी इस अनुचित माँग को विवशतः पूरी करने की कोशिश करता है । इसके लिए बहुत बार उसका घर मकान तक रहन हो जाता या बिक जाता है । अनेक बार उसे सिर से पैर तक कर्ज में डूबकर इस दहेज रूपी दण्ड को भुगतना पड़ता है । जिसके फलस्वरूप प्रायः उसकी आगामी पीढ़ी तक आर्थिक कठिनाई का शिकार बनी रहकर अपनी उन्नति एवं प्रगति से वंचित हो जाती है । जो कि एक प्रकार से समाज की ही हानि मानी जायगी किन्तु दहेज के लोभी व्यक्ति अपने इस सामाजिक अपराध की ओर जरा भी ध्यान नहीं देते । इस अनैतिक एवं असामाजिक मार्ग पर चलते हुए अपने अनुचित स्वार्थ की सिद्धि को न केवल अपना अधिकार ही समझते हैं अपितु उसमें बड़प्पन का भी अनुभव करते हैं ।

लड़के-लड़की के विवाह के माध्यम से जिस व्यक्ति से जीवन भर के लिए एक सगा सम्बन्ध स्थापित किया जाना है, दहेज के नाम से उसका आर्थिक शोषण कर लेने में कौनसा बड़प्पन है—यह एक बात किसी भी बुद्धिमान की समझ में नहीं आ सकती । इसके विपरीत यदि विचार पूर्वक देखा जाये तो वास्तव में यह एक ऐसा अपराध है जिसके लिये इसके दोषी को बहिष्कार जैसा सामाजिक दण्ड मिलना चाहिए ।

जब किसी कन्या का पिता बेटी का विवाह ठीक करने के लिए, लड़के के पिता से बात करने जाता है तो सबसे पहले दहेज का सवाल सामने आता है । यदि दहेज की रकम तय हो जाती है तब तो बात आगे चलती है, अन्यथा वहीं खत्म कर दी जाती है और कन्या का पिता अपना सा मुँह लेकर लौट आता है । बहुत बार दहेज की मनमानी रकम पाकर लड़के का पिता अपने सुन्दर, सुयोग्य और होनहार बेटे का विवाह सर्वथा अयोग्य कन्या से कर देता है । इसी प्रकार दहेज न दे सकने

के कारण अनेक पिताओं को अपनी सुन्दर, सुशील और निपुण कन्याओं को हर प्रकार से अयोग्य एवं अनुपयुक्त वरों के साथ बाँध देना पड़ता है। यह दोनों स्थितियाँ वर-वधू का गृहस्थ जीवन असन्तोष-जनक और भविष्य को नष्ट करके ही रहती हैं। अपनी सन्तान के साथ इस प्रकार का अहितकर व्यवहार करना किसी भी पिता अथवा अभिभावक के लिये लज्जा की बात है किन्तु दहेज के लोभी पिता उनके लिए इस प्रकार की अवांछनीय स्थिति पैदा कर देने में जरा भी सझोच नहीं करते।

लड़के-लड़की का विवाह उनके जीवन को सुखी और भविष्य को उज्वल बनाने के लिये, एक धार्मिक-कर्तव्य की भावना से अनुप्राणित होकर करना चाहिये। किन्तु बड़े दुःख की बात है कि प्रायः अभिभावक लोग, उनके विवाह का यह परम उद्देश्य नितान्त गौण रखकर दहेज पाने के लोभ से प्रेरित होकर ही विवाह का नाटक रचाते हैं। उनकी बला से वर-कन्या का जीवन दुःख पूर्ण स्थिति में बीते या उनके भविष्य में आग लग जाये। बड़े परिश्रम और लाड़-प्यार से बच्चों को बड़ा करके, जब उनके जीवन को सावधानी के साथ अग्रसर करने का समय आता है, तो दहेज के लोभ में अधिकांश पिता ऐसी नादानी कर बैठते हैं, जिसे सन्तान के साथ यदि विश्वासघात करना तक कह दिया जाये तो भी अनुपयुक्त न होगा।

किसी लड़की का पिता जब किसी लड़के के पिता के सम्मुख, उसके पुत्र से अपनी पुत्र का विवाह करने का प्रस्ताव करता है, तो लड़के के पिता को शायद ऐसा अनुभव होने लगता है कि अमुक व्यक्ति, उसके मध्ये, बिना दूध की गाय सरीखा, कोई ऐसा पशु मढ़ना चाहता है, जिसका भरण-पोषण बिना किसी लाभ के, आजीवन उसे और उसके पुत्र को करते रहना होगा। तभी तो वह अपने यहाँ उस लड़की पर आने वाले खर्च के अनुमान पर लड़की के साथ एक लम्बी चौड़ी रकम भी देने के लिए दबाव डालता है अन्यथा, उसके पुत्र की गृहस्थी बसाने, उसके जीवन को सुखी एवं व्यवस्थित बनाने के लिए, उसकी प्रत्येक अच्छी बुरी परिस्थिति में एक सच्चे साथी के रूप में अपनी पुत्री अर्पण करने वाले से दहेज के रूप में किसी रकम की माँग करने का और क्या अर्थ हो सकता है।

जिस समाज में उस नारी जाति की इतनी उपेक्षा, इतना अवमूल्यन और इतनी अवमानना हो, उसे इतना निरुपयोगी और व्यर्थ की वस्तु समझा जाये, जिसके जीवन

का अणु-क्षण उपयोगिता के एक सजीव सत्य के सिवाय और कुछ नहीं होता, वह मिथ्याचारी समाज, यदि उन्नति और विकास की प्रतियोगिता में संसार से पीछे रह जाता है तो इसमें आश्चर्य करने जैसी कोई बात नहीं है। नारी की उपेक्षा करके कोई भी समाज न तो आज तक गौरव पा सका है और न आगे ही जा सकता है। इस ध्रुव सत्य को किसी अन्य उपाय से अन्यथा कर सकना सम्भव नहीं है।

किसी के घर जब लड़का पैदा होता है तो आनन्द बधाये बजने लगते हैं। लेकिन जब लड़की का जन्म होता है तो सारे घर में मातम सा छा जाता है। एक ही माता-पिता के समान अंश पुत्र और पुत्री के बीच इस असमान भावना का कारण यह दहेज ही है। कन्या के जन्म से पिता की चिन्ताओं में एक और बड़ी चिन्ता की वृद्धि हो जाती है। वह यह कि कन्या जन्मी है तो बड़ी भी होगी। जब बड़ी होगी तो उसका विवाह भी करना होगा। जब विवाह करना ही होगा तो विवाह के व्यय के अतिरिक्त जो एक बड़ी रकम दहेज के रूप में देने के लिये चाहिए वह कहीं से आयेगी। बस उसी दिन से पिता के मस्तिष्क में दहेज की चिन्ता का यह काँटा चुभने लगता है। जिसके फलस्वरूप या तो वह परिवार का तन-पेट काटकर एक-एक पैसा बचाने में लग जाता है अथवा अधिक धन कमाने के प्रयत्न में अपनी ईमानदारी खो बैठता है। इन दोनों दशाओं में कन्या के पिता को जिस कठिनाई कष्ट और पाप का भागीदार बनना पड़ता है उसकी बहुत कुछ जिम्मेदारी इस दुष्ट दहेजप्रथा और उन असामाजिक व्यक्तियों पर आती है जो इसे बनाये रखने का प्रयत्न करते हैं। जिसका दण्ड, देर-सवेर किसी न किसी प्रकार से, प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप में भोगे बिना वे बच नहीं सकते।

संसार में अपवाद रूप कदाचित ही कोई ऐसा गृहस्थ होता है, जिसके लड़के ही लड़के हों और लड़की एक भी न हो। नहीं तो भगवान की व्यवस्था में कन्यादान का पुण्य प्राप्त करने का अवसर सभी को मिलता ही है। यदि किसी एक व्यक्ति के कोई लड़की नहीं है तो उसके लड़कों के एक नहीं अनेक लड़कियाँ हो सकती हैं। तब किसी लड़के का पिता यह क्यों नहीं सोच पाता कि आज वह किसी लड़की वाले के सम्मुख दहेज की जिस जटिल समस्या को खड़ा कर रहा है कल वही समस्या उसके समक्ष भी खड़ी की जायेगी जब वह अपनी बेटी का विवाह

३.११ विवाहोन्माद : समस्या और समाधान

करने का उपक्रम करेगा । तो क्यों न इस कुप्रथा को तिलांजलि देकर दूसरों के साथ अपने को भी इस समस्या के जाल में फँसने से बचा लिया जाये ।

इसके विपरीत इस प्रकार से सोचना तो सर्वथा असामाजिक एवं अनैतिक है कि जब लड़की के विवाह में हमने दहेज दिया है तो लड़के के विवाह में लेंगे भी, अथवा जब लड़के के विवाह में हमने दहेज लिया है तो लड़की के विवाह में दहेज देने को तैयार भी हैं । यह तो ठीक वैसी ही बात है—कि जब हम किसी एक व्यक्ति द्वारा लूटे गये हैं तो हम भी किसी दूसरे व्यक्ति को लूट लेने का अपना अधिकार सुरक्षित मानते हैं । या जब हमने किसी को लूटा है तो किसी दूसरे के हाथों खुद भी लूटने को तैयार बैठे हैं । इस प्रकार की अनावश्यक एवं अहितकर बदले की भावना से मनुष्य का वैयक्तिक विकास तो रुकता ही है, समाज में स्नेह, सहयोग और सह-अस्तित्व की आधार भावना को भी ठेस पहुँचती है । समाज की आर्थिक व्यवस्था में असन्तुलन एवं अस्त-व्यस्तता उत्पन्न होती है । जिससे राष्ट्र की समवेत प्रगति में अवरोध उत्पन्न होता है । अपनी मानसिक दासता के वशीभूत रहकर इस प्रकार की रूढ़िमयी कुप्रथा को बनाये रखने का अभ्यास कायरता पूर्ण स्वार्थपरता के सिवाय और कुछ नहीं माना जा सकता ।

दहेज का लोभ केवल लड़के के पिता तक ही सीमित नहीं है । लड़कों की फरमाइश सुनकर लड़की वाले के प्राण ही सूख जाते हैं । न जाने किन-किन नेगों और रस्मों के नाम पर वे मोटर-साइकिल, मोटर कार, कीमती सूट, घड़ी, रेडियो, जेवर यहाँ तक कि देश में पढ़ाई का खर्चा और विदेश भिजवा कर पढ़ने तक की माँग करते देखे जाते हैं । निहायत अनपढ़ और गँवार लड़के तक लड़की वाले के सम्मुख शान-शौकत की ऐसी-ऐसी चीजों को माँग रखते हैं जिन्हें देख सुनकर शर्म आने के साथ-साथ क्रोध भी आता है । यह सब माँगें-फरमाइशें किसी लड़की वाले की हैसियत बिगाड़ देने के उपक्रम के सिवाय और क्या मानी जा सकती है ।

विचार करने की बात है कि लड़कियाँ जब यह देखती सुनती होंगी कि उनसे विवाह करने को तब तक कोई तैयार नहीं होता जब तक कि उसे मनमाना सामान और बहुत सा रुपया पैसा दहेज के रूप में न दिया जाय । तब उनके सुकुमार मन पर क्या-क्या बीतती होगी ? क्या

वे यह अनुभव न करती होंगी कि उनसे विवाह करना किसी के लिए इस कदर घाटे का सौदा है कि उसकी क्षति पूर्ति उनके पिता की ओर से की जानी अनिवार्य मानी जाती है । ऐसी स्थिति में वे अपने अस्तित्व को कितना दीन-हीन, निस्सार और निरुपयोगी अनुभव करती होंगी ?

जो समाज अपनी लड़कियों और राष्ट्र की भावी माताओं को, इस प्रकार अपने को अभागा और भार स्वरूप अनुभव करने को विवश करता है, वह समाज निश्चय ही पुरोगामी अविवेकी एवं असंस्कृत समाज है । वह अपने बीच उदात्त एवं उन्नत-मनोभूमि वाले नागरिकों के जन्म की आशा करने का अधिकारी नहीं है । माँ की दीन-हीन क्षुब्ध एवं कुचली हुई मनोभूमि से क्षुद्र संस्कार ग्रहण कर जन्म लेने वाले बच्चे दीन-हीन, दबू और तुच्छ मनोभूमि वाले ही हो सकते हैं । इस प्रकार दहेज की यह दुष्ट प्रथा समाज एवं राष्ट्र के प्रति, प्रत्यक्ष एवं परोक्ष दोनों रूपों में एक ऐसा विश्वासघात है जो किसी भी नागरिक के लिए कलंकपूर्ण धिक्कार से कम नहीं है । इसलिए जितना जल्दी हो सके, लोक-परलोक, समाज और सन्तान की कल्याण-भावना से प्रेरित होकर, इस उभय-पक्षीय शत्रु-प्रथा को तिलांजलि देकर, वह पुण्य-लाभ कीजिए जिसका सुफल आपकी सन्तान की और आपके समाज की प्रत्यक्ष सेवा करके सबको सुखी कर देगा ।

दहेज की प्रथा का विरोध होना चाहिए

हिन्दू समाज की अनेक कुरीतियों में आजकल दहेज की प्रथा अत्यधिक दुखदायी बनी हुई है । सभी लोग इससे दुखी हैं, साथ ही सभी लोग इससे बेतरह चिपके हुए हैं । कुत्ता जैसे सूखी हड्डी चबाने से अपने ही गलफटे छिलने से निकले हुए खून को पीकर प्रसन्न होता है और इस दुखदायी हड्डी को छोड़ना नहीं चाहता । वही बात हिन्दू समाज और दहेज प्रथा के सम्बन्ध में कही जा सकती है ।

प्रत्येक परिवार में लड़के हैं और प्रत्येक परिवार में लड़कियाँ । लड़की की शादी में जो लोग दहेज देते हुए कुड़कुड़ाते हैं, इस प्रथा को बुरा बताते हैं वे ही अपने लड़के की शादी के समय लम्बी-चौड़ी रकम माँगते हैं और यह भूल जाते हैं कि अपनी लड़की के लिए दहेज

देते समय हमें कितनी कसक हुई थी तथा आगे की लड़कियों को दहेज देते समय कितनी कठिनाई उठानी पड़ेगी, लड़के का विवाह करते समय एक प्रकार के विचार मानना और लड़की के विवाह में दूसरे प्रकार का विचार बनाना, एक ऐसी विडम्बना है जिसकी सूत देखा देखी औरों को भी लगती है और सभी लोग इस द्विविधा के कुचक्र में उलझे हुए दूसरे के लिए दुखदायी परिस्थितियाँ उत्पन्न किया करते हैं ।

दहेज के पाप में कन्या पक्ष और वर पक्ष दोनों ही दोषी हैं । हाँ वर पक्ष को अधिक दोषी मान लेने में कुछ हर्ज नहीं । लड़के वाले लड़की वाले से दहेज माँगते हैं । लड़की वाले, लड़के वाले से बढ़िया कपड़े, कीमती जेवर, ठाठ-बाट की बरात, बाजे, आतिशबाजी आदि चाहते हैं । दहेज का जो रुपया बेटे वाले ने लिया था वह इन खुराफातों में फूँक गया । बेटी वाला तबाह हो गया, बेटे वाले से हिसाब पूछिये तो वह बतायेगा कि दहेज के अतिरिक्त इतनी रकम घर से और लग गई । दोनों ही दुखी हैं । पर बाहरी मन से दोनों ही मिथ्या अभिमान में फूलते हैं । बेटी वाला शेखी मारता है—मैंने इतनी रकम देकर शादी की, मैं इतना अमीर आदमी हूँ । बेटे वाला कहता है मेरी 'बात' इतनी बड़ी है, मेरी इज्जत 'आबरू' इतनी बढ़ी-चढ़ी है कि बेटे के विवाह में इतना दहेज आया । इस शेखी खोरी से दोनों पक्ष मन बहलाते हैं, पर दोनों ही दुखी हैं । एक मर मिटा दूसरा खाली हाथ रह गया ।

दहेज के नाम पर जो कुछ दिया जाता है उसमें नकद रकम के अतिरिक्त बर्तन, कपड़े, मिठाई, जेवर, फर्नीचर आदि सामान का भी बड़ा भाग रहता है, यह सामान बेटे वाले के यहाँ एक निरर्थक कूड़े के समान घर में जमा हो जाता है । क्योंकि जीवनोपयोगी वस्तुएँ तो प्रायः सभी लोग अपने घरों में रखते हैं । यह नई चीजें आ जाने से परिग्रह अधिक जमा भले ही हो जाय पर इसकी कोई विशेष उपयोगिता नहीं होती । इसी प्रकार बेटे वाले की ओर से बेटी वाले के यहाँ जो चीजें भेजी जाती हैं उनका कोई खास उपयोग नहीं है । वे क्षणिक वाहवाही के साथ बर्बाद हो जाती है और परिश्रम से उपार्जित की हुई कमाई का एक महत्वपूर्ण भाग यों ही बर्बाद हो जाता है ।

इसमें सन्देह नहीं कि दहेज की प्रथा सामाजिक, आर्थिक, नैतिक और राष्ट्रीय दृष्टि से अत्यन्त हानिकारक

और घोर निन्दनीय है । इसके कारण गरीब घरों की सुयोग्य कन्याएँ, साधन सम्पन्न परिवारों में नहीं पहुँच सकतीं । जिस पिता के पास कई कन्याएँ हैं वह अत्यधिक चिंतित रहता है, अनीति से, अति परिश्रम से धन कमाने का प्रयत्न करता है जिससे उसका जीवन बड़ा दुखमय बन जाता है । इस पर भी यदि धन जुटाने में सफलता न मिली तो कई बार बड़ी लोमहर्षक, हृदय द्रावक घटनाएँ घटित हो जाती हैं कई बार इसी उलझन में सुयोग्य कन्याओं को अयोग्य वरों के साथ और सुयोग्य वरों को अयोग्य कन्याओं के साथ बँधना पड़ता है । इन असमान जोड़ों को सदा असन्तुष्ट और अशान्त जीवन बिताना पड़ता है ।

कन्या विक्रय के समान ही वर विक्रय भी एक नैतिक पाप है । यह पाप जाति को पददलित, अपमानित और निरुत्साही करने वाला है । इसी कुप्रथा के कारण आज कन्या का जन्म दुर्भाग्य सूचक माना जाता है और उसकी मृत्यु पर लोग खुशी मनाते हैं । पिछले दिनों तो कई जातियों में जन्मते ही कन्या को मार डालने का रिवाज चल पड़ा था और कहीं कहीं तो गुप चुप रूप से यह अब भी होता है । इतना तो निश्चित है कि खाते-पीते लोग भी पुत्र की अपेक्षा कन्या के लालन-पालन तथा शिक्षण में उपेक्षा तथा कंजूसी करते हैं वे सोचते हैं कि उसके विवाह का ही इतना भारी बोझ सिर पर रखा है तो अन्य बातों में भी उसके लिए खर्च करके उस बोझ को क्यों बढ़ाया जाय ।

जहाँ कन्या के सम्बन्ध में उसके अभिभावकों को इस प्रकार सोचना पड़े जहाँ कन्या को सुसंस्कृत बनाने के लिये प्रयत्न होने की क्या आशा की जा सकती है? फलस्वरूप उपेक्षित कन्याएँ ज्यों त्यों बढ़ती रहती हैं । यदि पिताओं पर दहेज का भार न होता तो अवश्य ही वे उन्हें सुयोग्य बनाने के लिए अधिक प्रयत्न करते । आज जो कन्या पिता के लिए दुर्भाग्य की प्रत्यक्ष प्रतिमा बनी हुई है वह पति के लिए भी दुर्भाग्य से अधिक और क्या सिद्ध होगी । यदि दहेज का राक्षस हमारे समाज में न होता तो हमारी कुसुम सी कलियाँ-कन्याएँ पिता के घर में भी मोद भरतीं और पतिओं के यहाँ भी गृहलक्ष्मी सिद्ध होतीं ।

प्रत्येक विचारशील व्यक्ति दहेज की निन्दा करेगा । प्रत्येक भारत वासी इससे दुखी है क्योंकि कोई विरला ही ऐसा होगा जिसके घर में कन्या न हो । इतना होते हुए

३.१३ विवाहोन्माद : समस्या और समाधान

भी आश्चर्य है कि यह कुप्रथा कम होने की अपेक्षा दिन-दिन अधिक रूप से बढ़ती जाती है इस कुचक्र के तोड़ने में सफलता नहीं मिलती। यदि चक्र इसी प्रकार चलता रहा तो हिन्दू जाति का भारी अहित होगा। दहेज आर्थिक दृष्टि से एक शैतानी चक्र है जिसमें फँसा हुआ हमारा समाज दिन-दिन निर्धन, अस्थिर और अव्यवस्थित होता जाता है। सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से जनता और सरकार का समान रूप से कर्तव्य है कि इस कुप्रथा के विरुद्ध वातावरण तैयार करें। इसके लिए निम्न उपाय किए जाने चाहिए।

(१) दहेज के सम्बन्ध में अधिक दोष वर पक्ष वालों का है। उनकी ओर से इसे हटाने का विशेष प्रयत्न किया जाना चाहिए। लड़के वालों को चाहिए कि गुप्त या प्रकट रूप से दहेज लेने से इन्कार कर दें।

(२) कन्या पक्ष वाले विवाह के समय जेवर बहुत बढ़िया कपड़े तथा अन्य ऐसी चीजे लेने से इन्कार कर दें जिनमें वर पक्ष वालों को दिखाने के लिए खर्च करने को विवश होना पड़े। यदि वर पक्ष वालों को जेवर पहनाना ही हो तो अपने घर जाकर पहनावें। उन्हें दिखाने के लिए न लावें।

(३) कन्या पक्ष वर पक्ष के और वर पक्ष कन्या पक्ष के उन खर्चों को कम करावें, जिन्हें कम कराया जा सकता है।

(४) युवक, विचाशील और उदार बनें। ये अपनी अभिभावकों को स्पष्ट कह दें कि यदि उनके विवाह में दहेज लिया गया तो ये विवाह न करेंगे।

(५) कन्याएँ शिक्षा की ओर अग्रसर हों और अध्यापन एवं समाज सेवा कार्य करने में रुचि लेकर अधिक समय तक कुमारी रहने का आदर्श उपस्थित करें ताकि १५-१६ वर्ष की आयु देखकर पिता को घबराहट न हो और जहाँ-तहाँ जल्दी-पल्दी में जैसे-तैसे विवाह करके कोई दुखदायी परिणाम उपस्थित न करें।

(६) दहेज के विरुद्ध लेखनी और वाणी द्वारा घोर घृणा उत्पन्न की जाय। जो लोग ऐसा करें उनका सामाजिक असहयोग किया जाय।

(७) सरकार कानून बनाकर दहेज लेना-देना दण्डनीय घोषित कर दे।

(८) उपजातियों के बन्धन ढीले किये जाय। ब्राह्मणों के ब्राह्मणों में, क्षत्रियों के क्षत्रियों में इसी प्रकार प्रत्येक वर्ण में बिना उपजातियों के बंधन का विचार किये हुए विवाह हों।

(९) कुछ सम्पन्न और नेतृत्व करने वाले परिवार इस दशा में पहल करके समाज का पथ प्रदर्शन करें।

(१०) जो उपरोक्त विचारों से सहमत हों उनका एक संगठन बने और यह संगठन अपने सदस्यों से सुयोग्य जोड़े चुनकर आदर्श विवाहों की प्रथा चालू करे।

इन सुझावों के आधार पर यदि दहेज प्रथा के विरुद्ध धर्म युद्ध छेड़ा जावे तो हमारा विश्वास है कि इस सत्यानाशी कुरीति से हिन्दू जाति अपना पीछा छुड़ा सकती है और अपने समाज के पारिवारिक तथा दाम्पति जीवनो को सुख शान्तिमय बना सकती है।

हत्यारी दहेज प्रथा का नाश हो

हिन्दू समाज किसी समय अत्यन्त उन्नत और सुसंगठित था। आज उसकी अवनत दशा का कारण भले ही राजनीतिक हो, किन्तु यह तो मानना ही पड़ेगा कि उसमें इतनी बुराइयाँ भर गयी हैं कि ऐसा मालूम होता है यदि बुराइयाँ शीघ्र दूर न की गयीं, तो वह छिन्न-भिन्न होकर ही रहेगा। यदि भारतीय संस्कृति की रक्षा करनी है और इस आधुनिक काल में भारत की प्राचीन सभ्यता और संस्कृति को उपयोगी बनना है तो बुराइयों, कुरीतियों और अन्धकार को दूर करना ही पड़ेगा। इससे सम्भव है लोगों को पीड़ा हो, हानि उठानी पड़े किन्तु थोड़े से लोगों के लिये उज्वल भविष्य को चौपट होने देना कहीं की बुद्धिमानी होगी? क्या पीड़ा के डर से लोग अपने शरीर के फोड़े का आपरेशन नहीं कराते? आपरेशन हो जाने पर क्या आजीवन उसके निशान बने रहने की सम्भावना नहीं रहती?

हिन्दू समाज में जहाँ अनेक बुराइयाँ, नाशकारी प्रथाएँ और प्रचलित धार्मिक मनोवृत्तियाँ हैं, वहाँ दहेज का लेन-देन बड़ी ही भयंकर और अनिष्टकर रूप में वर्तमान है। उसकी हानियाँ देखकर लोगों को रोमांच क्यों नहीं होता? नवयुवकों में इसके नाश करने की प्रबल इच्छा क्यों नहीं उठती? यह तो समाज का देश का दुर्भाग्य ही कहा जायगा? जो नवयुवक बड़ी-बड़ी गरम बातें करते हैं, सुधारवादी बनते हैं, जो छात्र जरा-जरा सी बात पर हड़ताल कर बैठते हैं, उनके कान पर जू तक नहीं रेंगती। यह देश की अजीब परिस्थिति का एक नमूना ही तो है। उच्च शिक्षा प्राप्त युवक भी जब निर्लज्ज होकर दहेज के लिये शादी करते दिखलायी पड़ते हैं, तब हम नारियों को पुरुष समाज के प्रति कितनी घृणा पैदा होती है, वह क्या लिखा जा सकता है।

भला ऐसी अवस्था में पुरुष-स्त्रियों को स्वतन्त्रता देंगे? जब वे थोड़े से रुपये या मोटर-साइकिल के लिये इस प्रकार अड़ जाते हैं, जैसे वे आजादी के लिये सत्याग्रह कर रहे हों, तो शादियों की प्रथा और दहेज को त्याग देने की उनसे कौन सूखी आशा करेगा। होंगे वे देश के नौनिहाल, रहने दो उन्हें भावी भारत के भाग्य-विधाता। किन्तु स्त्री तो उनसे कुछ आशा नहीं करती।

अब कुछ लोग यह कहने लगे हैं कि वधू का पिता अपनी लड़की को कुछ भी दे सकता है। यह पाखण्ड किसी से छिपा है क्या? एक लड़की को उसका पिता चाहे सर्वस्व उठाकर दे दे, किन्तु वर्तमान सामाजिक अवस्था में क्या उसका वह भोग कर सकती है, यदि उसे बहुत सा रुपया ही दे दिया जाय तो कौन कह सकता है कि वह कुछ दिनों में पुरुष के हाथ नहीं लग जायगा। वे रुपया लेकर करेंगी क्या? इतनी शिक्षा नहीं, इतना ज्ञान नहीं कि वे पुरुषों की यथा समय सहायता करें या सुझावें कि किस प्रकार धन का उपयोग किया जाना चाहिए, अपने लिये कुछ खरीद सकती ही नहीं, फिर पिता का दिया हुआ रुपया ही, कभी-कभी उनके लिये भार हो जाता है।

किन्तु सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि पिता का रुपया न देना, उनके जीवन के लिये महान् कष्टकर साबित होता है। गृह कलह और पति-पत्नी मतभेद का एक यह भी कारण तो है कि एक वधू घर से रुपये और गहने नहीं लायी। स्त्रियों को कुछ समय पहले यह भ्रान्ति थी कि उनके भाई पढ़-लिखकर इस प्रथा को दूर करेंगे। किन्तु नयी रौशनी के साथ-साथ दहेज माँगने की नयी-नयी तरकीबें सोच निकाली गयीं।

स्त्री समाज को दहेज की प्रथा से जो कष्ट मिलते हैं, वे तो मिलते ही हैं, पर स्वयं पुरुष इसे अच्छी तरह भुगतता है। इस लालच के कारण उसे प्रायः अनुकूल संगिनी नहीं मिलती और सदा के लिये थोड़े से रुपयों में वह अपना सारा जीवन, शान्ति और सुख बेच डालता है। धन सब वस्तुएँ नहीं ला सकता। स्वार्थान्धता तो इतनी तीव्र है कि अपनी बहिन के लिये वे इतना दहेज नहीं दे सकते और तब इस प्रथा की घोर-निन्दा की जाती है, किन्तु अपने आप पर उसे लागू नहीं कर सकते यह अनुमान नहीं वरन् इसके जीते-जागते उदाहरण वे स्वयं मौजूद हैं।

कितनी ही योग्य बहिनें इस कुप्रथा के कारण कौमार्य जीवन व्यतीत कर जाती हैं। किसी का विवाह वृद्ध से

हो गया और उन्होंने सदा के लिये वैधव्य स्वीकार कर लिया और भी कितनी बुराइयाँ इससे उत्पन्न होती हैं, यह तो सभी मानते हैं। उन्हें दोहरना अपने हृदय को कष्ट देना है।

दहेज की घातक प्रथा ने हिन्दू समाज में कुहराम मचा रखा है। न मालूम हिन्दू-समाज की कितनी भोली-भाली युवतियों को इस निरंकुश प्रथा की बलिवेदी पर बलिदान होना पड़ता है। फिर भी, समाज का पत्थर का दिल नहीं पसीजता। आखिर दहेज के नाम पर ऊँची-ऊँची रकम पा जाने से क्या कोई परिवार धनी हो जाता है? दहेज के लिये लड़की के परिवार को बर्बाद करने में क्या कोई वर-पक्ष दौलतमन्द या खुशहाल हो सकता है? अगर किसी परिवार को बर्बाद करने से ही खुशहाली नसीब होती हो तब तो अभी तक के नीति-शास्त्र की परिभाषा शायद गलत रही है।

इस दहेज के ही सम्बन्ध में थोड़े दिन हुये उजैन में एक बड़ी ही रोमांचकारी घटना हुई थी। स्वर्गीय प्रिंसिपल ताटके की लड़की विवाह योग्य हो गई थी, उम्र १७ वर्ष की थी—बिल्कुल तरुणी! लेकिन जहाँ उसके विवाह की बात चल रही थी वहाँ वे लोग दहेज में इतनी बड़ी रकम तलब कर रहे थे जिसे देने में कन्या पक्ष कतई असमर्थ था। किन्तु, वर पक्ष को लड़की के परिवार की स्थिति पर कुछ भी रहम न आया और वे अपनी माँग पर अड़े ही रहे। कन्या के सम्बन्धी हैरान और परेशान थे। वे कहाँ से इतनी बड़ी रकम लाते कि उसे देकर अपनी लड़की की शादी करते। परिवार में गमी छापी हुई थी। लड़की पढ़ी-लिखी थी। उसने अपने दिल में महसूस किया कि वही अपने परिवार के दुख का कारण हो रही है। अगर वह न होती तो उसके परिवार को इतनी बड़ी परेशानी का शिकार न बनना पड़ता। उसने आलस्य करने का निश्चय कर लिया और आखिरकार अपनी साड़ी पर तेल डालकर दिया सिलाई छुआ दी। अग्नि की लपेटों में जल कर उसने बेरहम समाज के चंगुल में पड़ने से अपने को बचा लिया और अपने परिवार को आर्थिक कष्टों से बचा लिया। हिन्दू समाज की निरंकुशता पर, वह सती आज स्वर्ग में बैठी अट्टहास कर रही है।

दहेज का असुर तो ऐसे मरेगा

भारतवर्ष में दहेज एक ऐसा असुर है, जिसकी क्रूरता में अगणित कन्याएँ अपना प्राण त्याग चुकीं, अनेकों वैधव्य

३.१५ विवाहोन्माद : समस्या और समाधान

का दुख भोग रही हैं, अनेकों परित्यक्ता बनकर त्रास पा रही हैं। कन्याओं के माता-पिता का तो यह असुर रक्त पान करके किसी योग्य ही नहीं रहने देता। कसाई और उसकी छुरी से बकरी जिस प्रकार डरती रहती है, उसी प्रकार दहेज का भय कन्याओं के जीवन तथा उनके माता-पिताओं के साथ प्राणों पर बीतने वाली दिल्लीगी किया करता है।

जिस साधारण आर्थिक स्थिति के व्यक्ति को कन्या का पिता बनने का दुर्भाग्य प्राप्त हो चुका है वह भुक्त-भोगी भली प्रकार जानता है कि किसी खाते-पीते घर का पढ़ा-लिखा लड़का पटाने में उसे कितनी दीनता, कितनी जलालत, कितनी गले न उतरने वाली कठोर शर्तें स्वीकार करने को विवश होना पड़ता है। इस कठिनाई ने कन्या और पुत्र के समान दर्जे की स्थिति ही बदल दी है, अब तो पुत्र का जन्म सौभाग्य का और कन्या जन्म दुर्भाग्य का चिन्ह माना जाता है। पुत्र जन्म पर बाजे बजते हैं तो कन्या के जन्मते ही घर-घर में उदासी छा जाती है।

बालक-बालक के बीच माता-पिता की दृष्टि में भी ऐसे अन्तर उत्पन्न करने का हेतु प्रधानतया यह 'दहेज' का असुर ही है, जिसका कल्पना जन्म के दिन ही करली जाती है और एक के साथ कुछ पाने की और दूसरे के साथ कुछ गमाने की दृष्टि उत्पन्न होने से स्नेह भाव में अन्तर आ जाता है। बच्चों के प्रति-माँ-बाप की दृष्टि में ऐसी भेद बुद्धि उत्पन्न करा देना भी इस दहेज के असुर की ही माया है।

हर गृहस्थ में पुत्रों की भौति कन्याएँ भी होती हैं, इसलिए कन्या की बारी आने पर उसे भी दहेज के बोझ से पिसना पड़ता है, इस प्रकार यह कटु अनुभव प्रायः सभी गृहस्थों को होता है, सभी दुखी और परेशान हैं और हर किसी को कन्या के अभिभावकों के रूप में दहेज की निन्दा करते देखा और सुना जा सकता है, किन्तु वही व्यक्ति जब पुत्र का पिता या वर पक्ष की स्थिति में आता है तो तुरन्त गिरगिट की तरह रंग बदल जाता है और दहेज को अपना अधिकार एवं प्रतिष्ठा का माध्यम और धन कमाने का एक स्वर्ण सुयोग मानकर उस अवसर से भरपूर लाभ उठाना चाहता है। मनुष्य का यह दोगला रूप देखकर आश्चर्य होता है कि थोड़ी सी देर में ही वह अपने अनुभव को भूल जाता है। यदि वर पक्ष के रूप में वह दहेज का समर्थक था तो अब कन्या पक्ष का बनने की स्थिति में अपना घर कुर्क कराने में क्यों झिझकता

है। यदि कन्या पक्ष के रूप में दहेज को बुरा मानता है तो लड़के की शादी के अवसर पर बेचारे कन्या पक्ष वालों को अपनी जैसी कठिनाई में ग्रस्त मानकर उनके साथ सहानुभूति का बर्ताव क्यों नहीं करता। वह दुर्गंगी घाल दहेज के असुर को जीवित रहने में सहायक होती है और वचन तथा कार्य में भिन्नता बरतने वाले समाज सुधारकों के लैक्चर तथा लेखों को एक कौतूहल मात्र समझे जाने की स्थिति से आगे नहीं बढ़ने देती।

हमें अपने विचार और कार्यों में एकता लानी होगी, यदि दहेज बुरा है तो लड़के के पिता के रूप में उसे समझाने को तैयार रहना होगा। यदि दहेज अच्छा है तो कन्या के पिता के रूप में भी उसे बिना शिकायत और रंज माने देना होगा। दुटप्पी चालें चलना हमारे नैतिक अधःपतन का चिन्ह है। पतित व्यक्ति चाहे वे धनी, विद्वान्, चौधरी, पंच कोई भी हों, कोई प्रभावशाली प्रेरणा देकर समाज का पथ-प्रदर्शन करने की क्षमता नहीं रखते। दहेज का विरोध जहाँ-तहाँ सुनाई पड़ता है पर उसके पीछे कोई बल नहीं होता क्योंकि वे विरोध करने वाले व्यक्ति ही करनी और कथनी में अन्तर रखकर अपनी स्थिति उपहासास्पद बना लेते हैं। उनकी आवाज के पीछे कोई बल न होने के कारण वह सुधार आन्दोलन नपुंसक ही रहता है।

अब चौधरी, पंच और जातीय कर्णधारों द्वारा आयोजित सभा सम्मेलनों के प्रस्तावों पर निर्भर रहने से काम न चलेगा। इस विडम्बना की बहुत देर से परीक्षा होती चली आ रही है। अब कुछ ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है अन्यथा इस गिरती हुई आर्थिक स्थिति के जमाने में एक ऐसा सामाजिक संकट उत्पन्न हो जायगा जिसमें "जीवित रहते हुए आत्म-हत्या" करने जैसे कष्ट से कम त्रासदायक अनुभव न किया जायगा।

इस दिशा में लड़के और लड़कियाँ पहल कर सकते हैं। चालीस-पचास वर्ष से ऊपर की आयु के माता-पिता प्रायः अपना साहस खो बैठते हैं। लड़के का पिता लोभ नहीं छोड़ना चाहता और लड़की का पिता यह नहीं सोच सकता कि किसी निर्धन घर में कन्या को दे दूँ तथा जब तक सुयोग्य लड़का न मिले तब तक सयानी कन्या को अनिश्चित काल के लिए अविवाहित रहने दूँ। इन वयोवृद्धों को लाठी की तरह सहारा देकर लड़के और लड़कियाँ उन्हें रास्ता बता सकते हैं। भावनाशील लड़कों को प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि अपनी अपेक्षा निर्धन घर की

कन्या से बिना प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दहेज के शादी करूँगा। अभिभावकों से उन आदर्शवादी युवकों को स्पष्ट शब्दों में कहना पड़ेगा कि प्रत्यक्ष ही नहीं, अप्रत्यक्ष दहेज की बात चलाई जायगी तो वह उस विवाह को करने के लिए कदापि तैयार न होंगे।

इसी प्रकार मनस्वी कन्याएँ अपना साहस बटोर कर अपने घर वालों को बता दें कि वे दहेज माँगने वाले सामाजिक कोढ़ी अमीरों के यहाँ जाने की अपेक्षा निर्धन और घटिया स्थिति के घरों में जाने के लिए तैयार हैं पर दहेज के साथ सम्पन्न घरों में तथा कथित 'सुशिक्षित' लड़कों के साथ विवाह करना पसन्द न करेंगी। अनुकूल स्थिति न आने पर कन्याओं को आजीवन कुमारी रहने का व्रत लेना चाहिए और अपने त्याग से एक दूषित वातावरण को तोड़ने का आदर्श उपस्थित करना चाहिए। माता-पिता को आर्थिक संकट में डालने से बचाने के लिए कई कन्याएँ आत्म हत्याएँ कर चुकी हैं, पर उससे अच्छा मार्ग यह आत्म-त्याग का है। कन्याओं के ऐसे आत्म-त्याग भी दहेज के लोभी रक्त पिपासुओं की आँखें खोलने में कुछ कारगर हो सकते हैं।

अर्थ—लोलुप वर पक्ष वालों को दहेज की बुराई की जड़ माना जाता है। बहुत अंशों में यह ठीक भी है, पर कन्या पक्ष वालों को भी उस सम्बन्ध में सर्वथा निर्दोष नहीं माना जाता। वे आर्थिक सम्पन्नता की दृष्टि से लड़के ढूँढ़ते हैं। जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है, उन्हीं पर सैकड़ों लड़की वाले टूटते हैं, फलस्वरूप उन लड़के वालों का दिमाग खराब हो जाता है और लड़के को नीलाम की बोली पर चढ़ा देते हैं। यदि लड़की वाले अपेक्षाकृत निर्धन घर के और कम 'सुशिक्षित' लड़के ढूँढ़कर सामान्य स्थिति के सम्बन्ध से काम चलाते तो अधिक अमीर और खूबसूरत लड़कों पर जो भीड़ टूटती है वह न टूटे और दहेज का प्रश्न बहुत अंशों तक हल हो जाय। दहेज न देने के साथ-साथ लड़की वालों को इसके लिए भी तैयार रहना चाहिए कि ऊँची कीमत्त-ज्वेरा कपड़े की न तो माँग की जाय और न उनका प्रदर्शन कराया जाय। अच्छा तो यह-जैके 'भार्गव' समाज में प्रचलित रिवाज की भाँति कन्या का पिता ही जो कुछ जेवर कपड़ा स्वेच्छापूर्वक दे सकता हो, वह देकर कन्या को विदा करदे। विवाहोत्सव की भारी खर्चीली रिवाजें बन्द करके कम से कम व्यक्तियों की उपस्थिति में यह एक साधारण पारिवारिक आयोजन मात्र बना लिया जाय। दहेज का जितना धन इन प्रदर्शनों

और तूमाल बाँधने की विडम्बना में खर्च हो जाता है, इसे बन्द करना भी दहेज बन्द करने के समान आवश्यक है।

अब स्थिति ऐसी आ गई है कि हमारे बच्चों को प्राण संकट में डालने वाले इस दहेज रूपी असुर का विनाश करने को किन्हीं ठोस आधारों पर कदम उठाया जाना चाहिए। यद्यपि व्यापक अर्थ लोलुपता से उत्पन्न अनेक अनैतिकताओं की भाँति यह भी एक सामाजिक अनैतिकता है, जिसके लिए केवल वर के पिता को ही दोषी मान लेना और केवल उसी के सुधरने से सब कुछ ठीक हो जाने की आशा नहीं की जा सकती। कन्या वाले भी अमीर घर इसलिए ढूँढ़ते हैं कि इनकी कन्या को उत्तराधिकार के विपुल धन की स्वामिनी तथा बहुमूल्य आभूषणों से सुशोभित बनने का अवसर मिले। उन्हीं भी अपना यह दृष्टिकोण बदलना पड़ेगा। विवाह योग्य लड़के और लड़की यदि साहस से कार्य लें तो भी इस सत्यानाशी प्रथा को बदलने तथा गलत तरीके से सोचने वाले माँ-बापों को सही तरीके से सोचने के लिए विवश करने में महत्वपूर्ण कार्य कर सकते हैं।

समय की माँग है अब दहेज बन्द होना चाहिए। प्रसन्नता की बात है कि हमारी ही भाँति अनेक बुद्धिमान व्यक्ति सोच रहे हैं और दहेज के विरुद्ध तगड़ा मोर्चा लगाने की तैयारी में संलग्न हैं। आगरा-नौबस्ता निवासी पं० मुकुटबिहारीलाल शुक्ल बी० ए० एल-एल० बी० अपनी कन्या का विवाह बिना दहेज दिये बड़े आदर्श के साथ करने में सफल हो चुके हैं। बरेली के सुप्रसिद्ध कथावाचक तथा 'राधेश्याम रामायण' के निर्माता पं० राधेश्यामजी सुप्रसिद्ध धनीमानियों में हैं, उन्होंने भी अपनी सुशिक्षित विवाह योग्य नाती-नातिनियों का विवाह बिना दहेज के करने का निश्चय किया है। हम चाहते हैं कि अखंड-ज्योति तथा गायत्री परिवार के मनस्वी लड़के-लड़कियाँ तथा वर-कन्याओं के अभिभावक उपरोक्त भावनाओं के अनुसार दहेज के असुर का दमन करने के लिए कुछ वास्तविक एवं ठोस आदर्श उपस्थित करने के लिए कदम उठावें।

दहेज का दानव अब तो मरना ही चाहिए

विवाह एक नये जीवन का, नये परिवार का शुभारम्भ है। इस तथ्य को सत्य करने के लिए जिस आधार की अनिवार्य आवश्यकता है, वह है—प्यार और सम्मान।

३.१७ विवाहोन्माद : समस्या और लम्बायान

इसके बिना यह सम्बन्ध एक प्रकार से भार रूप ही रह जाता है। भार ही नहीं बन्धन भी, बन्धन ही नहीं, नरक भी।

कोई भी स्वस्थ मनुष्य इतनी स्थिति में होता है कि अपना पेट भर ले और अपने सहयोगी अथवा आश्रित का भी गुजारा कर दे। कन्या ससुराल इस लिए नहीं भेजी जाती कि वह अपंग-अपाहिज है। माँ-बाप उसका पेट नहीं भरते रह सकते अथवा वह अपना निर्वाह स्वयं नहीं कर सकती, वरन् इसलिए भेजा जाता है कि उसे अपेक्षाकृत अधिक दुलार-सम्मान मिले। साथ ही एक साथी एवं परिवार का ऐसा सहयोग भी मिलेगा जिससे वह जीवन को सुखी-समुन्नत बना सके। पति या ससुराल के अन्य सदस्यों से ऐसी ही आश-अपेक्षा करते हुए लड़की का विवाह किसी सुयोग्य लड़के के सम्य परिवार में किया जाता है।

दाता का दर्जा सदा ऊँचा रहा है और गृहीता का नीचा। इस दृष्टि से वर को वधू का और ससुराल को सम्बन्धी का कृतज्ञ होना चाहिए। बदले में कम से कम इतना तो करना ही चाहिए कि वधू तथा उसके अभिभावकों को सहकार-सद्भाव मिलता रहे। यही औचित्य भी है और यही संसार भर के सम्य देशों का प्रचलन भी।

पर इसे दुर्भाग्य ही कहना चाहिए कि विश्व को सभ्यता का पाठ पढ़ाने वाले अपने समाज की मान्यताओं और प्रथाओं में ऐसा अन्तर आया, जिसे स्वर्ग से उतर कर नरक में जा घुसने के समतुल्य माना जाय तो कुछ अत्युक्ति न होगी।

विवाह को ही लीजिये। ससुराल वाले चाहते हैं कि लड़की का बाप अपने कपड़े-वर्तन बेचकर और ऋण लेकर उनके लिए दहेज में मोटी रकम प्रदान करे। इतना ही नहीं जिन मसखरों को जोड़-बटोर कर बरात के नाम पर ले जाया जाता है, उनको शाही दावत और आराम के ठाट-बाट मिले। जो दिया जाय उसे इस प्रकार प्रदर्शन किया जाय मानो किसी के यहाँ डकैती डालकर अपने अभिमान को मूँछ मरोड़ते हुए दिखाया जा रहा है।

वर नाम के महाशय भी इस अवसर पर अपनी दरिद्रता और हीनता दिखाने में नहीं चूकते। कभी मोटर माँगते हैं, कभी स्कूटर, कभी विलायत पढ़ने का खर्च, कभी क्या? कभी क्या? इस माँग का मतलब है कि वे कोई बिगड़े हुए कपूत हैं, जिसका बाप तो कुछ कर नहीं सकता और वे स्वयं भी अपाहिज या भिखमंगे जैसे

हैं जो लड़की के बाप के आगे पल्ला पसार कर अपनी फरमाइशें पूरी करवायें।

तृष्णा का कोई अन्त नहीं। जो मिला है उसे कम मानना और अधिक पाने के लिए वधू को त्रास देना कि वह अपना दुखड़ा रोककर इन डाकुओं के लिए किसी प्रकार और धन माँग लाये। सामान्यतया यही है दहेज का मोटा स्वरूप, जो हर स्थिति में कम ही आंका जाता है और बदले में वधू को तिरस्कृत या पीड़ित किया जाता है। लड़कियाँ स्वभावतः भावुक होती हैं। विशेषतया उस स्थिति में जब कि वे ससुराल के सम्बन्ध में प्यार, सम्मान और सहयोग के सपने सँजोकर आई हों। इस स्थिति में वे भी भावुक हो उठती हैं।

ससुराल का दुर्व्यवहार पति की उपेक्षा, अपना अन्तर्द्वन्द्व मिलकर ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देते हैं जिसमें या तो नववधू के प्राण लेकर दूसरी जगह से अधिक पैसा बटोरने का षडयंत्र बनाया जाता है या अपमान से ग्रस्त वधू स्वयं ही आत्महत्या कर बैठती है। कोई लांछन लगाकर परित्यक्ता बना दी जाती है।

इस प्रकार की घटनाओं की बाढ़ आ जाने पर समाज के विचारशील वर्ग का आक्रोश उमड़ना स्वाभाविक होगा। अतएव सरकार पर काफी दिनों से दबाव डाला जा रहा था कि इस अन्याय-उत्पीड़न को रोकें। खर्चीली शादियाँ पूरे समाज को दरिद्र और बेईमान बनाये दे रही हैं। इसलिए इस कुप्रथा पर बन्धन लगाये जाएँ।

तदनुसार सरकार इस कुप्रथा के विरुद्ध शिकंजा कसने से एक-एक कदम आगे बढ़ रही है। हलके नियन्त्रणों से बात बनती न देखकर उसने दहेज लूटने वाले लुटेरों के विरुद्ध क्रमशः बड़े प्रतिरोध लगाये हैं।

२० मई १९६१ को पारित किये गये अधिनियम में भारत सरकार ने दहेज लेना व देना—रिश्वत लेने-देने की तरह दंडनीय अपराध घोषित किया। दहेज में वधू के अलावा किसी अन्य को कोई वस्तु या नकदी मिले तो उसे वधू की निजी सम्पत्ति मानते हुए उसे वापिस कर दिया जाय। इसमें हीला-हवाला करने पर १६ मास का कारावास और जुर्मानों की व्यवस्था की गई।

लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया और दहेज के दैत्य पर कोई कारगर अंकुश न लगा। इसी प्रसंग में लड़कियों का उत्पीड़न विधिवत् चलता रहा है।

कानून को कुछ कमजोर परक देखते हुए २५ दिसम्बर १९८३ को सरकार ने एक नया संशोधन पास किया,

इसमें पति या उसके सम्बन्धियों द्वारा वधू पर अत्याचार करने की स्थिति में तीन वर्ष तक की कैद पति और उसके सम्बन्धियों को देने की व्यवस्था की गई। इस संशोधन में वधू को आत्महत्या के लिए उकसाने या उसके स्वास्थ्य को क्षति पहुँचाने वाले भी अत्याचारकर्ता ठहराये गये। दहेज के लिए वधू को सताना भी अपराध घोषित किया गया।

विवाह के उपरान्त सात वर्ष के भीतर यदि हत्या या आत्महत्या का सन्देह है तो उसके शव की डाकटरी परीक्षा कराने का भी प्रावधान रखा गया। साथ ही यह धारा भी जोड़ी गई कि ससुराल वाले पूर्णतया निर्दोष हैं—यह साबित करने की जिम्मेदारी भी उन्हीं की है।

इसके बाद भी दहेज का दानव काबू में न आया तो सरकार ने ११ सितम्बर १९८५ को तीसरा उससे भी बड़ा कानून पास किया। इसके अनुसार दहेज लेने-देने या उकसाने वालों को ६ महीने की अपेक्षा जेल दो वर्ष तक की और जुर्माना दस हजार तक का रखा गया। यह साबित हो कि दहेज में दस हजार से अधिक रकम ली गई है तो जुर्माना उस अनुपात में भी बढ़ सकता है।

वधू या वर को कोई छोटे-मोटे उपहार यदि किन्हीं सम्बन्धियों ने दिये हैं तो उनका पूरा विवरण मूल्य सूची बनाकर वर-वधू को सदा अपने संदूक में रखना पड़ेगा, जिसे कभी भी माँगा और देखा जा सके। इस सूची पर विवाह में सम्मिलित लोगों की गवाहियाँ भी होंगी। यदि वधू के निमित्त दी हुई वस्तु या राशि ससुराल वालों ने अपने कब्जे में रखी है तो भी वह एक दंडनीय अपराध होगा।

लड़की के अभिभावक यदि किसी भय से शिकायत न करना चाहें तो पुलिस को भी यह अधिकार दिया गया है कि वह अपनी ओर से छानबीन करे। सार्वजनिक संस्थायें भी ऐसी रिपोर्ट कर सकती हैं।

आक्रोश भरे लोग यहाँ तक कहते सुने गये हैं कि इतने पर भी दहेज जीवित रहा तो ससुराल वालों की सारी सम्पत्ति कुर्क करके बेटी वाले के यहाँ भिजवाने और वर को लड़की के पिता के यहाँ बन्धुआ बनाकर रखे जाने जैसी नौबत आ सकती है।

आशा की जानी चाहिए कि दहेज के कलंक से अपना समाज जितना कलंकी बना है उसे ही पर्याप्त मानकर समय का तकाजा लोगों को सुधार देगा—ऐसा समय न आवेगा कि लड़का और उसके घर की सम्पत्ति बेटी वाले के यहाँ भेजनी पड़े।

दहेज प्रथा बन्द न हुई तो दूल्हे पिटेंगे

दहेज-निषेध-अधिनियम सन् १९६१ में कानून के रूप में अस्तित्व में आया। किन्तु इसके १६ वर्षों के बाद भी दहेज-प्रथा में किञ्चिन्मात्र कमी नहीं हुई है। इसी से स्पष्ट होता है कि जब तक समाज में कुरीतियों और कुच्यवस्थाओं का बोलबाला रहेगा, तब तक जन-कल्याणकारी कानून अपने उद्देश्य की सिद्धि में सर्वथा निष्फल रहेंगे।

स्थिति यह है कि एक ओर तो दहेज-प्रथा लगातार बढ़ती जा रही है दूसरी ओर अभी तक दहेज सम्बन्धी एक भी मामला न तो न्यायालय में लाया गया है, न ही जनता के समक्ष उसका सार्वजनिक विरोध किया गया है।

दहेज-प्रथा को सामाजिक अविाकास का परिणाम बनाने वाले लोग अब इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दे पा रहे हैं कि आखिर शिक्षित युवक वर्ग आचरण में इस कुप्रथा का निर्लज्जतापूर्वक समर्थन क्यों कर रहा है ?

जन-जागृति के इस दौर में, नवयुग की प्रभात-बेला में, यह अनीतिपूर्ण कुप्रथा भी लगता है दबाव से ही दूटेगी। ऐसे दबाव का एक रूप हाल ही में बिहार में सामने आया है। अभी तक तो दहेज की मार से दुर्लहिनें और उनके अभिभावक ही त्रस्त थे, पर अब दूल्हे भी इसकी चपेट में आने लगे हैं। शायद, अपने साथ होने वाला यह विचित्र व्यवहार उनके विवेक को झिझोड़े। या यह भी हो सकता है कि अभी कुछ और उग्र कदमों, कुछ अधिक प्रबल दबावों की जरूरत पड़े और यह कुप्रथा तब दूटे, जब शरीरजीवी लोगों के शरीर पर ही चोट पड़ने लगे। यों धन पर, घर की व्यवस्था पर, पारस्परिक सौहार्द्र एवं दाम्पत्य जीवन के माधुर्य पर तो इस राक्षसी प्रथा का अभी भी घातक प्रभाव पड़ता है। पर ढर्रे के, गुलाम लोग उसे ठीक से समझ नहीं पाते। चमड़ी पर घोट पड़ेगी तब तो समझना ही होगा।

हो-यह रहा है कि बिहार में अब दूल्हों का अपहरण होने लगा है। लोग अपनी जाति के विवाह-योग्य वरों का अता-पता लगाये रहते हैं। यह भी खोज-खबर रखते हैं कि लड़का बहुत अधिक उदंड़ या आवारा तो नहीं है, रुद्धि-भोर ही है ? यह सब पता लगाकर, लड़के का अपहरण कर लिया जाता है। रास्ता चलते या कालेज

३.१६ विवाहोन्माद : समस्या और समाधान

के छात्रावासों में रहने वाले लड़कों का उनके कमरों से अपहरण किया जाता है। फिर उन्हें डराया-धमकाया जाता है। कुछ मामलों में मारपीट किये जाने की भी खबर है। पर इस बात का सदा ध्यान रखा जाना है कि भावी दामांद को अधिक चोट न लगे। हाँ, इस सिलसिले में उसके किसी साथी या संरक्षक को, यदि प्रतिरोध किया गया तो, अधिक चोट भी लग सकती है। कई बार वर को फुसलाया-बहकाया भी जाता है। इस प्रकार भय, दबाव आदि के वातावरण में वर से कन्या के पाणिग्रहण-संस्कार एवं विवाह की सभी रस्में, कन्यापक्ष वालों की उपस्थिति में, पुरोहित द्वारा सम्पन्न करवा ली जाती हैं। फिर धार्मिक बातें की जाने लगती हैं—यथा “करम गति टारे नाहि टैरै।” या “विधि का लिखा कौ मेटनहारा” अथवा “जनम विवाह मरण गति सोई। जहाँ जस लिखा, तहाँ तस होई” इत्यादि! तदुपरान्त वरपक्ष को कुछ दहेज भी दिया जाता है, यह कहकर कि हमारी तो इतनी ही हैसियत है, आदि।

यह विचित्र प्रथा भी तरह-तरह के रंग दिखा रही है। उदाहरण के लिए कुछ ऐसे मामलों का पता चला है कि ऐसे भी लड़के हैं, जो स्वयं अपनी जाति की अमुक लड़की से विवाह करना चाहते हैं और उसके माता पिता या भाई द्वारा सम्पर्क करने पर स्वीकृति दे देते हैं। पर, उस लड़के के घर वाले दहेज के लोभ में वहाँ नहीं अन्यत्र शादी करना चाहते हैं। तब, खुद लड़के की सहमत से उसका अपहरण किया जाता है। इससे विवाह भी हो जाता है और लड़के को अपने घर वालों की नाराजगी का भी सामना नहीं करना पड़ता। वह घर में कह देता है—“क्या करूँ? वे लोग मारने की धमकी दे रहे थे?” यह सुनने पर माँ बगैरह तो तुरन्त ही लड़के के प्रति सहानुभूति दिखाने लगती हैं और भगवान को धन्यवाद देने लगती हैं कि उनके लड़के की जान तो बची। बहू तो जो भाग्य में थी, सो मिलती ही।

कुछ पत्रकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने वर-अपहरण की इस विचित्र प्रवृत्ति की छानबीन की तो उन्हें कई मनोरंजक तथ्य भी ज्ञात हुए। उदाहरण के लिए एक ऐसी घटना का पता चला कि किसी लड़के का अपहरण कर कन्या पक्ष वाले उसे तौंगे में बैठाकर ले जा रहे थे, तो एक जगह किसी अवरोध के कारण घोड़ा कुछ ठिठका। लड़का उतरकर सरपट भागा और दूर खेतों में

जा छिपा। अपहरण-कर्ताओं ने दूँ-खोजा, फिर हताश होकर चले गये। लड़का छिपता छिपता किसी जान-पहचान वाले अपनी ही जाति वाले के घर पहुँचा। उन लोगों को सारी घटना बतायी। उनके भी विवाह योग्य लड़की थी। सो, उनने अपनी ही लड़की का उस लड़के से जबरन विवाह कर दिया। उन्होंने सोचा—“चलो अपहरण की झंझट से बचे। घर बैठे लड़का आ गया। बेटी का भाग्य और भगवान की कृपा है।”

प्रायः अपहरणकर्ता केवल वर की जाति के होते हैं, वरन् उसके रिश्ते के भी होते हैं। इसीलिए जबरन विवाह के बाद, वे वधू से अधिक दुर्व्यवहार नहीं कर सकते, क्योंकि रिश्तेवालों का दबाव होता है। एक महाविद्यालयीन छात्र से जब पूछा गया कि आपने अपने अपहरण का प्रतिरोध क्यों नहीं किया? तो उसने कहा—बंदूक का डर तो था ही। पर सबसे बड़ी बात यह थी कि उस जीप में जिसमें मुझे जबरन बैठाया गया था, मेरे जीजाजी बैठे थे। तीन साल पहले हमारे घर वालों ने उनका भी अपहरण किया था और उनसे हमारी सगी बहन का विवाह ऐसे ही जोर-जबरदस्ती के साथ किया था। इसलिए मैं नैतिक रूप से भी दब गया—उन्हें देखकर।”

एक ऐसी भी घटना प्रकाश में आयी है कि नालंदा जिले में कुछ लोगों ने एक लड़के का अपहरण किया और उसे कई दिन कोठरी में कैद रखा। इसी बीच पता चला कि लड़का भिन्न उपजाति का है। ठीक से पता नहीं लगाया गया था। अब क्या था; अपहरण करने में जो श्रम और शक्ति लगी, वह अकारण गयी जानकर उन लोगों की पशुता भड़क उठी। ऐसी निकृष्ट स्वार्थी अपने स्वार्थ की तनिक सी भी क्षति कैसे सह सकते हैं? दूसरे का वे भले ही बहुत कुछ नष्ट कर डालें। बर्बरता की यही तो पहचान है। उन उन्मत्तों ने उस अपहृत लड़के को जहर खिलाकर उसे गाड़ी में बैठा दिया। लड़का अगले स्टेशन में बेहोश होकर गिर पड़ा। संयोगवश, समय पर चिकित्सा-सुविधा उपलब्ध हो गई और वह बच गया तब सारा मामला प्रकाश में आया।

समाजशास्त्रियों का मत है कि यह धिनैनी प्रक्रिया उस अंकुर का वृक्ष एवं फल है, जो छेंका के रूप में शुरू हुई। मैंगनी या सगाई की रस्म के समय कन्या-पक्ष वरपक्ष को सगुन के रूप में कुछ धन देता है। बिहार में इसे छेंका कहते हैं। छेंका का अर्थ है—लड़के को

छेंक देना, घेर देना, जिससे वह कहीं और भागे नहीं। मानो-वह कोई सौँड़ या बैल-बछड़ा है। घेराव की यह मान्यता ही अब अपहरण के रूप में सामने आ रही है।

यह स्थिति मनुष्य को माल या पशु मानने की मनोवृत्ति का स्वाभाविक परिणाम है। लम्बे समय तक लड़की को चेतन विवेक सम्पन्न प्राणी नहीं, वस्तु के रूप में देखने का प्रचार किया गया। दूसरी ओर प्रत्यक्षतः वह नर के ही समान प्राणी थी। इसका स्वाभाविक परिणाम यह हुआ कि खुलकर भले ही न कहा जाये, पर जब नारी 'माल' है तो नर भी 'माल' है, यह निष्कर्ष सामूहिक अवचेतन ने स्वयं स्वीकार कर लिया। वर-अपहरण इसी स्वीकृत का फल है। शायद अब इस मार से लड़के वाले चेतें या फिर वे समय की अधिक तीखी मार का इन्तजार करें। अन्ततः बदलना तो होगा ही। इस कुप्रथा को समाप्त तो होना ही पड़ेगा, सीधे हो या टेढ़े।

दहेज के दानव से लड़ने को अब नारी शक्ति भी आगे आये

आधी शताब्दी से अधिक समय से अपने देश में जो सामाजिक सुधार के आन्दोलन चलते रहे हैं, उनमें से दहेज-प्रथा का विरोध मुख्य है। प्रायः प्रत्येक श्रेष्ठ विचारक एवं लोकसेवी ने इस कुरीति पर प्रहार किया, इसके विरुद्ध आवाज उठाई। ऐसा एक भी प्रमुख सामाजिक—राजनैतिक संगठन नहीं है, जो दहेज-प्रथा के उन्मूलन का आह्वान न कर चुका हो।

लेकिन थोड़ी-बहुत हलचल के अतिरिक्त कोई उल्लेखनीय परिणाम इस क्षेत्र में अभी तक नहीं सामने आया। इसके विपरीत, दहेज का सौदा और उसका प्रदर्शन, दोनों अधिकाधिक बढ़ते ही जा रहे हैं। शादी के बाद लड़के-लड़की एक नया जीवन शुरू करने वाले हैं, उस जीवन पथ के लिए किन-किन गुणों, शक्तियों और विधियों की आवश्यकता होगी, आपसी तालमेल के साथ निरन्तर ऊर्ध्वमुखी प्रगति कैसे होती रह सकती है, आदि का विचार करने की तो कतई जरूरत ही नहीं समझी जाती है। मानो, ये बहुरंगी, बहुविधि गुण और शक्तियाँ अनायास ही विवाह के बाद पति-पत्नी में आ ही जाने वाली हैं, भले ही इसके लिए कोई तैयारी न की जाये, न अभ्यास, विचार और प्रयास किया जाये। बस, एक ही बात विवाह का

प्रसंग उठते ही सबसे पहले तय की जाती है, दहेज कितना दे सकेंगे ?

मंच पर, सभाओं में जितना ही इस कुप्रथा का विरोध किया जाता है, व्यवहार में इसका प्रचलन उतना ही बढ़ता जा रहा है और इसका स्वरूप अधिकाधिक विकृति होता जा रहा है।

पहले दहेज स्त्री-धन के रूप में दिया जाता था, जिस पर उसी स्त्री का अधिकार रहता था, जिसके विवाह में पिता या संरक्षक द्वारा यह धन दिया जाता था। इस धन का सार्वजनिक प्रदर्शन भी इसीलिए होता था कि यदि किन्हीं विशेष परिस्थितियों में किन्हीं कारणों से लड़की से ससुराल में अच्छा व्यवहार न हो और पति-पत्नी सम्बन्धों में तनाव आ जाये, तो इलाके के प्रतिष्ठित लोगों के सामने दिया गया धन व सामान, लड़के वालों को वापस करना होता था। इस प्रकार पूर्व में यह प्रथा दोनों स्थितियों में लड़की के पक्ष में जाती थी। एक तो लड़की के घर वाले स्वेच्छा से स्त्री-धन देते थे, जिसे घराती-बराती सब देखते थे और यह उपहार इस बात का घोटक होता था कि लड़की सम्पन्न परिवार की एक सम्मानित सदस्य है उसके साथ ऐसा ही व्यवहार ससुराल में भी अपेक्षित है। दूसरे, क्षेत्र के प्रतिष्ठित लोग उस उपहार-धन के गवाह रहते थे और अनबन की स्थिति में लड़के वालों को सबके सामने यह सामान एवं धन लौटाना होता था।

आज दहेज का सामान सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए इस उद्देश्य से रखा जाता है कि उससे लड़के वाले अपने रुतवे को दिखाना चाहते हैं कि हमारे लड़कों का बाजार, मूल्य इतना बढ़ा-चढ़ा है, हम इतना दहेज वसूल करते हैं। यानी इसके लिए समाज में हमारी धाक जमनी चाहिए। दूसरी ओर अनबन होने पर दहेज का धन और सामान लड़की को लौटाने का रिवाज भी अब बिल्कुल खत्म हो गया है। लड़के वाले उसे लड़की को मिला धन नहीं मानते, स्वयं के द्वारा ऐंठा गया धन मानते हैं। अपनी कीमत वसूल करने का यह सौदा वाला मनोभाव दहेज लेते समय होने के कारण उनमें इतनी नैतिक चेतना भी नहीं रह जाती कि यदि लड़की से नहीं पट पाती और उसे हम मायके लौटने को विवश कर रहे हैं, तो उसका धन भी लौटा दें। समाज का दबाव भी अब ऐसे मामलों में नहीं पड़ता। क्योंकि सामाजिक भावभूमि ही यह बन गई है कि "लूटो-खसोटो, जो पाओ, दबोच लो" फिर ऐसे समाज के प्रभावी लोगों का अपने सदस्यों पर कोई नैतिक

दबाव शेष नहीं रहता । मुसलमान-समाज में अभी यह प्रथा जारी है और अपनी पत्नी से सामाजिक स्वीकृति के बिना सम्बन्ध तोड़ने वाले मुसलमान को 'मेहर' की यह रकम अदा करनी होती है, परन्तु हिन्दू समाज में अब अनबन की स्थिति में दहेज लौटाने का रिवाज बिल्कुल नहीं रह गया है । ऐसी स्थिति में दहेज-प्रथा अपने वर्तमान रूप में सर्वाधिक अनुचित, अन्यायपूर्ण तथा विकृत रिवाज बनी हुई है ।

दहेज के इस दानव को नष्ट करने की जिम्मेदारी अब खुद नारी-शक्ति पर आ गई है । जो कुरीति उनके सार्वजनिक अपमान पर आधारित है, जो उनके व्यक्तित्व का मूल्य घटाती है और उनके मन को कुण्ठित करती है, उसके विरुद्ध उन्हें ही शंखनाद करना होगा । धनलोलुपों के हृदय स्वयं ही परिवर्तित हो जायेंगे, इसकी आशा पूरी तरह छोड़ दी जानी चाहिए और यह भी स्मरण रखना चाहिए कि कोई भी सामाजिक बुराई सरकारी प्रयासों तथा कानून भर में समाप्त नहीं की जा सकती । समाज के जिस वर्ग को उस बुराई का शिकार होना पड़ता है, जब वही अपनी समस्या को सुलझाने के लिए आगे बढ़ता है, तभी वह सुलझती है ।

अपने देश में विवाह एक विचित्र रीति और एक दुर्गम लक्ष्य-सा बना दिया गया है । जो नितान्त स्वाभाविक और सहज सम्बन्ध होने चाहिए थे, जिसमें पुरुष-स्त्री की आपसी स्वीकृति, स्वभाव तथा शील की समानता और निष्ठा का आधार होना चाहिए था, वही विवाह हिमालय पर्वतारोहण तथा चक्रव्यूह भेदन जैसा कठिन बनाकर रखा गया है ।

नारी के प्रति हमारे समाज का व्यवहार दोमूँहा है । उसे सीधे-सीधे दासी बनाकर नहीं रखा गया है, अपितु उसके व्यक्तित्व-विकास के अवसर छीनकर उसे यह सिखाया जाता रहा है कि इसी में तुम्हारे नारीत्व की परम सार्थकता है, इसी तरह सिमटी-सिकुड़ी रहने की तपश्चर्या ही तुम्हारा गौरव है । शिक्षा के प्रसार के साथ नारी का परिवार में प्रभाव कुछ बढ़ा है । पहले भी घर चलाने की सारी जिम्मेदारी उसी की होने से पति महोदय पर उसका कुछ तो परोक्ष प्रभाव रहता ही था । शादी-विवाह में घर के बड़े-बूढ़ों भर की नहीं, बड़ी-बूढ़ियों की भी सलाह ली जाती रही है । अब तो, भले ही छिछली और औपचारिक ही सही, लड़की की पसन्द की भी चर्चा और पूछ होने लगी है । उधर, लड़के-लड़कियाँ देखने के बाद ही शादी करते

हैं । ऐसी स्थिति में विवाह तय होने में नारी की निजी भूमिका का भी महत्व हो गया है । दूसरी ओर दहेज, गहने-जेवर आदि को लेकर बड़ी मात्रा में कलह और कटुता का विस्तार मुख्यतः नारियाँ ही करती हैं । क्योंकि भाँगवादी पुरुषों की प्रधानता वाले समाज में नवशिक्षित नारियाँ भी उनके ही मूल्यों-मानदण्डों को अपनाए हैं । इने-गिने आदर्शवादी ध्येयनिष्ठ पुरुषों को वे भी अव्यावहारिक और अजूबा मानती है ।

इसलिए दहेज की कुरीति को समाप्त करने की इच्छुक जाग्रत युवतियों को गलत मान्यताओं पर विश्वास करने वाले पुरुषों की जड़ता तो तोड़ना ही है, अपनी ही बहनों के मानसिक विभ्रमों को, गुलामी के चिन्हों जैसे प्रचलनों और मापदण्डों को भी बदलने की वैचारिक पृष्ठभूमि बनानी होगी । इसके लिए जहाँ आन्दोलन और संघर्ष की प्रखरता आवश्यक है, वही शिक्षण और संवाद की रचनात्मकता, धैर्य तथा श्रम भी जरूरी है । विवाह के विरोध की तो कोई बात नहीं है, पर चाहे जैसे हो सके, विवाह कर डालना ही मानो जीवन में कोई बहुत बड़ा काम कर लेना है, ऐसी मान्यता पर भी प्रहार करना होगा । आज इस मान्यता के कारण विवाह इतना कठिन कर्म होकर रह गया है कि उसे लेकर सौदेवाजियाँ की जाती हैं । विवाह ने एक लूटखसोट भरे व्यापार का रूप ले लिया है । वह कोई सहज मानवीय सम्बन्ध रह ही नहीं गया है ।

विज्ञापनों और कुछ संस्थाओं द्वारा विवाह के नाम पर की जाने वाली ठगी एवं जालसाजी के खतरे शहर के ही लिए होते हैं । गाँव में कुल वगैरह की पूछ-ताछ की जाती है । पर, गाँव में भी अब कुलीनता का वास्तविक आधार धन को ही माना जाने लगा है । फिर गाँवों के सम्पन्न घरों में तो नारी को बराबरी का दर्जा देने की कल्पना तक नहीं की जाती । दहेज, पर्दा, घर के भीतर ही रहने की कैद को वहाँ स्वाभाविक स्थिति माना जाता है ।

ऐसी स्थिति में जाग्रत बहनों का दायित्व बहुत बढ़ जाता है, दहेज का प्रश्न मूलतः समाज में नारी की स्थिति से जुड़ा हुआ है । दहेज-प्रथा नारी का सामाजिक तिरस्कार तो है ही, पुरुषों की निर्दयता का निर्लज्ज प्रदर्शन भी है । कई बार तो यह निर्लज्जता इतनी बढ़ी-चढ़ी होती है कि दहेज न जुटा पाने वाले माँ-बाप की अविवाहिता बेटियों या कम दहेज लेकर जाने वाली विवाहित नवयुवतियों द्वारा निरन्तर अपमान सहते-सहते ग्लानिवश आत्मघात करते देखा

जाता है। दहेज के लोभ में दूसरा विवाह करने की इच्छा रखने वाले कई क्रूर पुरुष-पति या उनके पिता, भाई आदि नवयुवती पत्नी या बहू की हत्या तक कर देते हैं।

महात्मा गाँधी ने दहेज को एक पातकी-प्रथा कहा था और इसके विरुद्ध व्यापक लोकमत के निर्माण पर बल देते हुए यह भी कहा था कि जो नवयुवक इस प्रकार गलत ढंग से लिये गये धन से अपने हाथ अपवित्र करें, उन्हें समाज से बहिष्कृत करना चाहिये।

मुँह से दहेज का उग्र विरोध और आचरण में उसका डटकर समर्थन करने वाले बड़ों और अहंकारी युवकों, सभी के विरुद्ध सार्वजनिक रूप से अभिमत व्यक्त करने का दायित्व शिक्षित, तेजस्वी युवतियों को सम्भालना चाहिए। व्यक्तिगत जीवन में भी, दहेज-लोलुपों से विवाह न करने का संकल्प लेकर इस दिशा में बहुत कुछ किया जा सकता है। इका-दुका ऐसा होने की खबर भी मिलती रहती है। पर यह संख्या तेजी से बढ़नी चाहिए। साथ ही, महिलाओं के बीच आत्मचेतना जागृत करने हेतु सामूहिक शिक्षण का क्रम भी चलाया जाना चाहिए। यदि इस विकराल दानव से जूझने के लिए स्वयं नारियाँ ही दुर्गा रूप धरके आगे आयें तो समाज के सभी वर्गों के संवेदनशील लोग उनके सहयोग को उमड़ पड़ेंगे तथा इसका अंत हो जायेगा।

दहेज लेना अत्याचार एवं देना अनाचार का प्रतीक

उत्पादन और उपभोक्ता में जो पक्ष कमी का होता है उसे प्राप्त करने के लिए खुशामद करनी पड़ती है। भाग दौड़ में लगना पड़ता है तथा आवश्यकता के अनुरूप खर्च भी अधिक करना पड़ता है। यह सामान्य बुद्धि का लोक व्यवहार है। इतनी जानकारी हर कोई रखता है न रखता हो तो मण्डी में जाने पर आँखें खुल जाती हैं और वस्तु स्थिति कोई भी बता देता है।

उपयोगिता की दृष्टि से नर के लिए नारी अधिक आवश्यक एवं उपयोगी है। पत्नी चौकीदारी, रसोईदारिन, व्यवस्थापिका, सेविका और मनोविनोद की दृष्टि से वह कहीं अधिक उपयोगी है। बदले में वह रोटी, कपड़ा और यत्किंचित जेब खर्च ही पाती है। आज्ञाकारिणी सेविका के रूप में पति के निमित्त ही नहीं ससुराल के पूरे परिवार के लिए वधू का आगमन हर प्रकार से नफे का सौदा है। लड़की का पिता खिलाता-पिलाता और

पढ़ाता-लिखाता है। जब कुछ काम-धाम करने योग्य होती है तब उसकी योग्यता एवं सेवा का लाभ उठाने के लिए दूसरे घर भेज दिया जाता है।

यह क्रम चलता तो सब जगह है पर लड़की वाले को इसके लिए लड़के को रिश्वत संसार में कहीं भी नहीं देनी पड़ती। विकसित लोगों में पश्चिमवासी अधिक शिक्षित, सभ्य और सम्पन्न समझे जाते हैं। वहाँ भी लड़के अपने लिए उपयुक्त लड़कियाँ तलाशते फिरते हैं। जिस दिन विवाह होता है लड़की को उपहार देते हैं और उसके घर वालों को दावत पर बुलाते हैं। लाभ में लड़का रहा इसलिए विशेष खुशी उसी को होनी चाहिए और इसके उपलक्ष्य में प्रसन्नता व्यक्त करने का लोकाचार भी उसी को निभाना चाहिए यही होता भी है।

मुस्लिम समाज में पर्दे का झंझट है इसलिए लड़के के अभिभावक ही वधू तलाश करने निकलते हैं। प्रस्ताव उन्हीं को करना पड़ता है। स्वीकृत करना या अस्वीकृत करना यह कन्या के परिवार की मर्जी पर निर्भर रहता है और मना कर देने पर पता लगाकर अन्यत्र जाते हैं और अपना परिचय देते हुए अनुरोध करते हैं। हाँ में उत्तर मिलने पर बहुत प्रसन्न होते हैं और नियत समय पर विवाह हो जाता है। इसमें लड़के वाले इस बात का ध्यान रखते हैं कि कन्या परिवार पर कोई आर्थिक दबाव न पड़े। इसके लिए अपनी ओर से वे सज्जता ही दिखाते रहते हैं और कुछ खर्च किया जा रहा हो तो इन्कार भी करते रहते हैं।

पहाड़ी क्षेत्रों में, आदिवासी जन-जातियों में और हरिजनों में भी यही रिवाज है कि विवाहोत्सव में कुछ खर्च पड़ता है तो वह वर पक्ष को ही देना पड़ता है। उनके यहाँ भी अनुरोधकर्ता वर पक्ष के लोग ही होते हैं। कन्या पक्ष नखरे ही दिखाता रहता है। जब बात बन जाती है तो वर पक्ष बहुत प्रसन्न होता है। जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती उनके वहाँ लड़के को कुछ वर्ष या महीने लड़की के पिता के यहाँ नौकरी करनी पड़ती है।

कारण दो हैं। एक यह कि संसार भर में विवाह योग्य लड़कियों की संख्या कम और लड़कों की अधिक होती है। प्रकृति का कुछ ऐसा क्रम है जन्मते तो लड़के अधिक हैं यद्यपि उनकी मृत्यु संख्या अधिक होती है तो भी विवाह योग्य होने तक लड़के अधिक और लड़कियाँ कम रह जाती हैं।

राष्ट्र संघ द्वारा संग्रहीत आँकड़ों द्वारा स्पष्ट होता है कि लड़कियाँ जीवटदार होने के कारण बीमारियों और अकाल मृत्यु से बची रहती हैं। उन्हें प्रजनन योग्य अतिरिक्त क्षमता की आवश्यकता पड़ती है इसलिए शारीरिक विकास, जीवन शक्ति और दीर्घायु की दृष्टि से वे ही समर्थ होती हैं। साठ वर्ष की आयु होने तक महिलाओं की संख्या दस प्रतिशत अधिक पाई जाती है और बुढ़े पहले ही बिस्तर गोल कर चुके होते हैं।

पहाड़ी इलाकों में देहरादून के जौन सार बाबर क्षेत्र में एक वधू के उस परिवार के सभी भाई पति होते हैं। दूसरा कारण लड़कियों का कम और लड़कों का अधिक होना है। यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका के देशों में आँकड़े यही बताते हैं। अरब देशों में अन्यत्र की अपेक्षा यह कठिनाई अधिक है। वहाँ लड़के का विवाह होना बड़ी प्रसन्नता की बात मानी जाती है और आगन्तुक नव वधू को ससुराल वाले तथा सम्बन्धी उपहारों से लाद देते हैं।

संसार भर में भारत ही एक अभागा देश है जहाँ लड़की वालों को लड़के तलाश करने मारा-मारा फिरना पड़ता है। इतना ही नहीं दहेज में एक बड़ी राशि का सौदा करना पड़ता है। जिन्हें जितना अधिक दहेज मिलता है वे अपने बड़प्पन पर उतना ही अहंकार करता है। साथ ही लड़की वालों पर अपना रौब जमाते हैं।

किन्तु यह प्रथा हिन्दी उत्तर भारत के सवर्ण लोगों में ही है। दक्षिण भारत और पूर्व तथा पश्चिम में भी ऐसे रिवाज नहीं हैं। मात्र राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार के सवर्णों में ही यह विचित्र प्रथा अधिक है। मध्य प्रदेश में श्रमिक वर्ग बहुत हैं साथ ही जाति की दृष्टि से भी छोटी जातियाँ अधिक हैं। वहाँ दहेज मँगाने की जो हिम्मत करें ऐसे सवर्ण एवं मालदार कम ही हैं।

सवर्ण बिरादरियों में भी अभी तक कई जातियाँ ऐसी हैं जिनमें दहेज का कोई जिन्न नहीं। राजस्थान के कुछ इलाकों में तो लड़की पक्ष के लोग लड़के के यहाँ बारात लेकर जाते हैं और उन्हें अच्छी खातिर करनी पड़ती है। कई जातियों में दोनों पक्ष के विवाह का खर्च बेटे वाले को ही देना पड़ता है। ऐसी बिरादरियाँ बहुत कम हैं जहाँ बेटे वालों को बहुत पैसा देना पड़ता है। देने वाले अमीर वे होते हैं जिनके पास चोरी, बेईमानी की, नम्बर दो की अन्धाधुन्ध आमदनी होती है।

यह प्रथा कहाँ कितने लोगों में किस सीमा तक है यह जाँच-पड़ताल करने का विषय है। जहाँ भी ऐसा

देन-लेन होता है वहाँ वर पक्ष पर बहुत अधिक धिक्कार पड़ती है और देने वाले को चोर अनीति की कमाई करने वाला माना जाता है। सरकार दहेज विरोधी कानून बना चुकी है। इस पर भी कई गुपचुप देते हैं और यदि लड़की किसी दुर्घटना में मर जाय तो सभी एक मुँह से यही कहते हैं कि इन हत्यारों ने दहेज के लोभ में लड़की को जलाकर या जहर देकर मार डाला। ऐसे घर में कोई भला आदमी फिर दुबारा अपनी बेटी की हत्या कराने के लिए भेजने को तैयार नहीं होगा।

दहेज अब काफी बदनाम हो चुका है। उसे देने वाले और लेने वाले दोनों ही पक्ष दुष्ट अनाचारी माने जाते हैं। वह समय अब समाप्त हो चला जिसमें दहेज के कारण किसी की इज्जत बढ़ती थी। अब तो देना अनाचार, लेना अत्याचार का प्रतीक बन गया है। इन दोनों दुष्कर्मों का समूल नाश होना अति आवश्यक है।

लेन-देन पीड़ित परिवारों के आशा केन्द्र

पिछले दिनों आत्म-हत्याओं का जो सर्वेक्षण किया गया इसमें आत्म-हत्या के कारणों में भयानक बीमारियों के बाद पारिवारिक कलह दूसरे बड़े कारण के रूप में सामने हैं। इसमें भी सास-ससुर से लड़ाई झगड़े के कारण बहुओं ने ही अधिक आत्म-हत्या की। आत्म हत्या करने वाली बहुओं का प्रतिशत ६.७ रहा और यह एक चौंका देने वाला तथ्य है कि आत्म-हत्या करने वाली बहुओं में भी ऐसी स्त्रियों की संख्या अधिक थी जिनका विवाह हुए अधिक समय नहीं बीता था। इस संदर्भ में बोलते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री ज्ञानी जैलसिंह ने यह प्रश्न उठाया कि—स्टोव से जलकर और कुएं में डूबकर बहुएं ही क्यों हत्या करती हैं, सास ननदें क्यों नहीं?" इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा है—“जाहिर है कि दहेज के कारण बहुओं पर अधिक अत्याचार होता है।”

दहेज-प्रथा अब इतनी विकृत और घृणित स्तर की हो गयी है कि उसके नप्ररूप से भेंट होकर बहुओं को आत्म-हत्या के लिए विवश हो जाना पड़ता हो—यह अस्वाभाविक नहीं कहा जा सकता। सन् १९६२-६३ में राजस्थान सरकार द्वारा किये गये सर्वेक्षण से पता चला कि औसतन प्रतिदिन लगभग तीन आत्म-हत्याओं में से दो आत्महन्ता स्त्रियाँ होती थीं और उनमें से अधिकांश दहेज

के कारण सास ननद और घर के अन्य लोगों द्वारा दिये जाने वाले तानों तथा होने वाले झगड़ों से खीझ कर अपनी हत्या कर लेती थीं ।

पिछले दिनों राजस्थान की ही एक समाज सेवी संस्था द्वारा कराये गये एक सर्वेक्षण से पता चला कि पिछले दस वर्षों में वहाँ औसत १९१८ आत्म-हत्याएँ प्रति वर्ष होती रहीं । इन आत्म-हत्याओं में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की संख्या अधिक थी । पुरुषों में भी केवल अव्यस्क व्यक्तियों ने ही ज्यादातर आत्महत्या की जबकि महिलाओं में अधिकांश विवाहिता स्त्रियाँ थीं । सर्वेक्षण में बताया गया कि महिलाओं की संख्या औसतन १३८२ रही और पुरुषों की ५३६ । महिलाओं द्वारा अधिक आत्महत्या किये जाने के कारणों की खोज करने पर पता चला कि आत्म-हत्या करने वाली महिलाएँ अधिकांशतः पारिवारिक कारणों से बुरी तरह परेशान होकर ही आत्महत्या का मार्ग अपनाती हैं । कहना नहीं होगा कि पारिवारिक कारणों में मुख्यतः सास-बहू के झगड़े, दहेज और इन मामलों को लेकर हुई ज्यादतियाँ ही प्रधान कारण रहे । बीमारी, आर्थिक सङ्कट, परीक्षा में असफलता के कारण आत्महत्या के मामले तो बहुत थोड़े थे । अधिकांश आत्मघात इस सामाजिक कुरीति से उत्पन्न विद्वेषपूर्ण स्थिति में ही हुए ।

हर्ष है कि सरकार ने भी इस दिशा में कुछ प्रभावशाली कदम उठाये हैं । उड़ीसा, बिहार, मैसूर और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों ने दहेज प्रथा पर रोक लगाने के लिए सरकारी निर्णय लिये हैं और कानून बनाये हैं । सरकार की ओर से चुस्ती दिखाने के साथ जनसाधारण में दहेज प्रथा को रोकने के लिए उत्साह वर्धक रवैया अपनाया जा रहा है ।

लेकिन इस कुप्रथा को रोकने के लिए व्यापक स्तर पर सोचने की आवश्यकता है । क्योंकि शताब्दियों से चली आ रही इस अवांछनीय प्रथा को रोकने का काम जनमत जाग्रत करने से ही सफल हो सकता है । बहुत से लोग दहेज के सम्बन्ध में इतनी उत्सुकता न बताते हुए भी उसे शादी का एक अनिवार्य अंग मानते हैं और उसका दिया जाना अनिवार्य रूप से आवश्यक समझते हैं । सुधारवाद का मुखौटा लगाकर कई व्यक्ति कहते हैं कि उन्हें दहेज मिलने या न मिलने की जरा भी परवाह नहीं है । फिर भी यदि उन्हें दहेज के रूप में जो कुछ मिलता है उससे सन्तोष नहीं होता तो सारी खीझ बेचारी बहू पर उतरने लगती है ।

लड़की पढ़ी-लिखी हो और किसी नौकरी में भी हो तो भी उसकी योग्यता अच्छी शिक्षा या ऊँची नौकरी नहीं महज दहेज ही समझी जाती है कि वह कितनी भेंट अपने साथ लायी । मजे की बात तो यह है कि लड़कियों को पढ़ाना लिखाना भी इन कारण दूमर हो गया है । स्वाभाविक है कि लड़की बी० ए० हो तो उसके लिए कम से कम एम० ए० पास लड़का तो तलाश करना ही पड़ेगा और एम० ए० पास लड़के का भाव भी लागत पूँजी धन मुनाफा के व्यापारिक सिद्धान्त पर निर्धारित होगा । कहा जाता है—साहब हमने लड़के को एम० ए० पास कराया है और आई० सी० एस० कराया है । जिसमें पच्चीस हजार रुपया खर्च किया । कम से कम तीस हजार तो भेंट होना चाहिए । लड़की के माँ-बाप पहले ही अपनी बेटी को पढ़ा लिखाकर योग्य बनाने में काफी कुछ कर्च कर चुके हैं । अब दहेज के रूप में उसका दूना जुर्माना भरने पर पूरे परिवार की आर्थिक रीढ़ की हड्डी टूट-सी जाती है । इस प्रकार दहेज प्रथा ने भारतीय परिवारों में कन्या को एक अभिशाप ही बना दिया है ।

इधर दहेज के रूप में एक व्यवसाय चलता है । जितने ज्यादा लड़के हों-दहेज से घर भरने के उतने ही अच्छे अवसर एक लड़के की शादी में पाँच हजार रुपये भी मिलते हैं और अधिक नहीं चार लड़के ही हों तो भी बिना पूँजी लगाने पर २० हजार का लाभ । कई लोग दहेज के इतने लालची देखे गये हैं कि उनका जी अपने बेटे की एक शादी से नहीं भरता । उत्तर प्रदेश के चौरागढ़ में कुछ वर्षों पूर्व गणेशीलाल नामक व्यक्ति ने अपने लड़के की दुबारा शादी के लिए पहली विवाहिता को जिन्दा जला दिया । एक घटना तो ऐसी भी है जिसमें लालची पिता ये अपने बेटे के चार बार विवाह किये और चारों बार बहू को किसी न किसी प्रकार मार डाला ।

दहेज के लालच में जहाँ बहुओं को जलाने की नृशंसता भी की जाती है, वहीं अनेक परिवारों में बेचारी लड़कियाँ द्वारा अपने पिता का नाम बचाने के लिए खुदकुशी करने की घटनायें भी होती हैं । कोई भी व्यक्ति स्वेच्छा से अपनी जमा-पूँजी लुटाने को तैयार नहीं होता पर दहेज एक ऐसी विवशता है जिसमें लुटाने के लिए पहले से ही धन जोड़ना आरम्भ करता है । इसके लिए असमर्थ माता पिता जहाँ नितान्त प्राथमिक आवश्यकताओं में कटौती करते हैं, वहीं कितने ही मध्यमवर्गीय माता-पिता अपनी सन्तानों को योग्य बनाने शिक्षा दिलाने में खर्च करने की

३.२५ विवाहोन्माद : सम्पत्ति और समाधान

अपेक्षा विवाह के लिए पैसे जोड़कर रखना अधिक अच्छा समझते हैं ।

दहेज में देने के लिए पैसा इकट्ठा करने के कारण जहाँ लोग अपनी सन्तानों को अच्छी शिक्षा नहीं दिलाते वहीं रिश्वतखोरी, कालाबाजारी, जालसाजी, मुनाफाखोरी, जमाखोरी, कर चोरी और धोखा धड़ी जैसे अपराध करने के लिए भी विवश हो जाते हैं । दो लड़कियों की भी शादी करना हो और न्यूनतम पांच हजार का भी दहेज दिया जाय तो अन्य अलन-चलन और रस्म रिवाजों में होने वाला खर्च भी पांच हजार से क्या कम बैठता होगा ? अर्थात् एक लड़की की शादी में दस-हजार, दो की शादी में बीस हजार । इतने धन का प्रबन्ध उस पिता को तो करना ही पड़ता है जिसे दो बच्चियों की शादी करनी है । दो—दोई सौ रुपये मासिक कमाने वाला मध्यमवर्गीय परिवार वाला जीवन भर ईमानदारी से बचत करता रहे तो भी बीस हजार रुपये इकट्ठा करना मुश्किल है । मजबूरन उसे न चाहते हुए भी सामाजिक अपराधों में लगना पड़ता है और अनैतिक-अवांछनीय कर्मों द्वारा इतनी पूँजी जुटानी पड़ती है ।

माना कि ऐसा किसी स्थिति में न भी हो तो कर्ज लेकर मकान गिरवी रखकर जमीन बेचकर कहीं से तो प्रबन्ध करना ही पड़ेगा और ऐसी दशा में परिवार की माली हालत बिगड़ने के अतिरिक्त दूसरा कोई परिणाम नहीं हो सकता । दहेज प्रथा की एक हानि राष्ट्रीय संपदा का अपव्यय भी समझी जा सकती है । दहेज और ब्याह शादियों में खर्च किया जाने वाला धन न तो किसी उत्पादन कार्य में लगता है और न ही समाज की प्रगति में कोई सहायता करता है । सोने के आभूषण बनाने, विलासिता की सामग्री देने के रूप में विवाह का खर्च एक मृत प्राय पूँजी बनकर ही रह जाता है । स्मरणीय है आज आभूषण पहनने का इतना रिवाज न होने पर भी सोने चाँदी के जेवरों को दहेज में सम्मिलित करना अनिवार्य सा बना हुआ है ।

जीवन की सुरक्षा कन्या को पुत्र के समान प्रतिष्ठा पारिवारिक समृद्धि और नागरिकता की प्रतिष्ठा जाग्रत करने के लिए दहेज प्रथा का बन्द होना अनिवार्य आवश्यकता है । ७५-७६ में कई प्रान्तों की सरकारों ने दहेज प्रथा को रोकने के लिए कानून भी बनाये हैं । पर कानून बनाने के साथ उन्हें लागू करने के लिए जनमत जगाना भी एक बहुत बड़ा काम है जो जनस्तर पर किया जाना

चाहिए अन्यथा दहेज के प्रति आकर्षण बने रहते तो लोग कानून को भी चकमा देने का रास्ता खोजने में पीछे नहीं रहेंगे ।

दहेज प्रथा को बन्द करने का दायित्व सर्वप्रथम अभिभावकों और सम्पन्न परिवारों का है । उन्हें यह समझाया जाना चाहिए कि इस प्रकार वे जो कुछ प्राप्त करते हैं वह न तो उनके पास सुरक्षित रहता है तथा नहीं इसका उपयोग वे निजी सुविधाओं के लिए कर सकते हैं । दस हजार का दहेज माँगने पर कन्या पक्ष भी अपना बदला लेने से क्यों चूकेगा । “हम तो डूबेंगे ही तुम्हें भी ले डूबेंगे” के अनुसार लड़की के लिए जेवर, कपड़ों, घर की नाक रखने के लिए लम्बी बारात, फिर शादी के बाद बड़ी दावत आदि में प्राप्त की गयी रकम का कितना अंश बच जाता है ? कहना नहीं होगा कि खींचा गया सारा माल हा हा ही ही में ही स्वाहा हो जाता है । हाथ कुछ नहीं लगा और लोभी लालची का कलंक लगा सो अलग । तो व्यर्थ में ही घाटा और बदनामी क्यों उठायी जाय । लेकिन परिपक्व बुद्धि के लोग सारी विचारशीलता अपने ही पास ‘सर्वाधिकार सुरक्षित’ समझने वाले व्यक्तियों के मन-मस्तिष्क में यह बात बिठाना बहुत मुश्किल है । बड़ा दायित्व उन युवक युवतियों पर ही जाता है । जिसके विवाह होने हैं । उन पर भी जो विवाहित हो चुके हैं लेकिन उनकी पत्नियों को दहेज साथ न लाने के कारण भारी प्रताड़ना और तिरस्कार सहना पड़ रहे हैं । युवकों को बिना दहेज और बिना लेन-देन के विवाह करने के लिए दृढ़ता पूर्वक आगे आना चाहिए और विवाहित पतियों को अपनी पत्नी के अपमान व तिरस्कार के लिए भले ही परिवार वाले हों उनसे निःसंकोच संघर्ष करना चाहिए ।

आधुनिक विचारधारा के प्रगतिशील कहे जाने वाले युवकों के सम्बन्ध में यह आशा करना अकारण नहीं है कि वे जहाँ हर प्राचीन परम्परा को तोड़ने के लिए उन्मत्त हो जाते हैं तो दहेज को क्यों माँगते हैं । पर लगता है आधुनिकता और प्रगतिशीलता केवल बाहरी है जो पुराने आदर्शों का अन्धाधुन्ध विरोध करने में ही अपनी शान समझते हैं अन्यथा ऐसे युवकों के मुंह में दहेज का नाम सुनकर पानी नहीं आना चाहिए था । न कलेवा करते समय टी० वी० सेट के लिए अथवा मोटर साइकिल या स्कूटर के लिए जिद पर अड़ जाने की जरूरत थी । प्रगतिशीलता का अर्थ चिन्ह पूजा और क्षणिक आवेश नहीं है वरन् परम्पराओं के स्थान पर विवेक को अपनाने का

साहस है, जो हर उचित-अनुचित का भेद समझ सके तथा उचित को ही ग्रहण और स्वीकार करे ।

फिर भी पुराने रूढ़िवादी और अपनी नाक से इंच भर आगे देखने के लिए किसी कीमत पर तैयार नहीं । होने वाले अभिभावकों की अपेक्षा युवकों से अधिक आशा की जा सकती है । आज का युवक आधुनिकता से अभिशप्त है और वक्त आत्रे पर अवसरवादी बन जाता है पर उसे थोड़ी दिशा दे दी जाय, उत्साह भर दिया जाय तो वह इस कुप्रथा को समूल नष्ट कर देने में पीछे नहीं हटेगा यह निश्चित है । कहा जा चुका है कि सरकार अपनी कोशिशों में पीछे नहीं है । सन् १९६१ में ही शासन द्वारा दहेज प्रथा उन्मूलन कानून बनाया गया था । पर सरकार भी इस बात को स्वीकार कर चुकी है कि अकेला शासन ही सब कुछ नहीं कर सकता । समाज की जड़ों में बैठे इस घातक कीड़े को नष्ट करने के लिए सुनियोजित और सुव्यवस्थित रूप से दहेज प्रथा के उन्मूलन को जन स्तर का आन्दोलन चलना चाहिए ।

युवक अपने माता-पिता को स्पष्ट रूप से समझा दें कि अपने विवाह में न तो दहेज लेंगे और न ही कोई लेन-देन करेंगे । केवल समझायें ही नहीं यह प्रतिज्ञा भी करें कि वे अपनी शादी बिना दहेज लिये ही करेंगे तथा इस प्रतिज्ञा को अनिवार्य रूप से पूरा करें । युवतियाँ भी दहेज माँगने वाले परिवार में किसी तरह बहू बनकर चले भर जाने को राजी न हों । वे स्पष्ट रूप से ऐसी शादियों से इन्कार कर दें । विवाह के बाद का वह पक्ष उनके लिए पर्याप्त प्रेरणाप्रद हो सकता है जिसमें बात बात पर सास ससुर, ननद, जेठानी और पति तक के तानों से लगाकर मारपीट तक सहना पड़ती है और फिर भी अनिश्चितता की आश्रित । इससे अच्छा तो यह है वे पढ़ लिखकर योग्य बनें और अपने पैरों पर खड़ी होकर आत्म निर्भर स्वावलम्बी बन जाय । जो लोग दहेज की हानियों को समझते हैं वे घर-घर जाकर इस प्रथा के उन्मूलन की प्रेरणा देने का काम कर सकते हैं । स्त्रियों को स्वावलम्बी बनाने के दृष्टिकोण से भी कन्याओं को लिखा पढ़ाकर योग्य बनाया जा सकता है ताकि उनके लिए विवाह—निर्वाह की सुरक्षा का एक मोटा आधार बनकर रह जाय । वे परिवार जो दहेज से पीड़ित हैं या पीड़ित होने वाले हैं, के आशा केन्द्र युवक हैं और उन्हें ही इसके लिए आगे आने का साहस करना चाहिए ।

यह निष्ठुरता अब बन्द होनी ही चाहिए

आजकल लड़के को वरिष्ठ और लड़की को कनिष्ठ मानकर उनमें भेदभाव करने का आम प्रचलन है । बात इतने तक सीमित होती, तो राहत जैसी स्थिति अनुभव की जा सकती थी, पर जब लड़कियों को हेय मानकर उनसे पिण्ड छुड़ाने के उद्देश्य से भ्रूणावस्था में ही उनकी हत्या होने लगे, तो स्थिति की गम्भीरता समझी जा सकती है ।

मध्यकाल को कुप्रथाओं का विकास काल कहा जा सकता है, जब स्वच्छन्दतावादी मनोवृत्ति के विकास ने तरह-तरह की अन्ध-मान्यताओं को जन्म दिया । इसी काल में नर-नारी, बालक-बालिका के बीच भेदभाव उत्पन्न हुआ । नर को श्रेष्ठ और नारी को निकृष्ट, बालक उच्च, बालिका तुच्छ समझी जाने लगी । इस विकृत दृष्टिकोण से समाज में एक ओर जहाँ नारी की गरिमा गिरी, वहीं दूसरी ओर उसे अपमान, उपेक्षा और यातना का सामना करना पड़ा । पर्दा प्रथा और सती प्रथा जैसी नारी उत्पीड़न की परम्परायें जोर पकड़ने लगीं, जिसका चरमोत्कर्ष कन्या हत्या के रूप में सामने आया और यह एक स्थाई प्रथा बन गयी, प्रसव के उपरान्त कन्याओं को मौत के घाट उतारा जाने लगा । इस कुप्रथा का रोमांचकारी वर्णन इतिहासकारों ने अपनी कृतियों में विस्तारपूर्वक किया है । एडवर्ड मूर की पुस्तक 'हिन्दू इन्फैन्टि साइड' (१८११), रेवरेण्ड डॉन कार्नक की 'फीमेल इन्फैन्टि साइड' (१८१५), रेवरेण्ड जेम्स की 'इण्डियाज क्राइज टु दि ब्रिटिश ह्यूमैनिटी' (१८२०), कर्नल टॉड की 'ऐनेल्स एण्ड एण्टीक्विटीज ऑफ राजस्थान एण्ड द सेण्ट्रल प्राविन्स' (१८२६) आदि पुस्तकों में ऐसे ही कुप्रचलनों पर प्रकाश डाला गया है ।

आज यद्यपि कन्या हत्या के वे घृणित तरीके तो नहीं अपनाये जाते, फिर भी वह क्रम समाप्त हो गया ऐसा नहीं कहा जा सकता । अभी वह अपना अस्तित्व किसी और रूप में बनाये हुए है । अन्तर मात्र इतना है कि तब जन्म के उपरान्त यह कार्य होता था, किन्तु आज जन्म से पूर्व ही जब कन्या भ्रूण के रूप में पल रही होती है, तभी इस कार्य का सम्पादन हो जाता है । विज्ञान के विकास ने तब और अब के तरीकों में जमीन-आसमान

का अन्तर त्वा दिया है । तब के अपरिष्कृत तरीकों की तुलना में विज्ञान ने इसे और भी सरल और आसान बना दिया है, फलतः भ्रूण हत्या के रूप में कन्या हत्या की इन दिनों बढ़ोत्तरी ही हुई है ।

इस दिशा में नृतत्वेत्ताओं का ध्यान तब आकर्षित हुआ, जब कुछ वर्ष पूर्व यह कुकृत्य अपनी चरम सीमा पर था । उन्हें डर था कि कहीं इससे नर-नारी, बालक-बालिका का संतुलन तो नहीं बिगड़ रहा है, अतः उन्होंने दोनों के अनुपात का समय-समय पर अध्ययन करना आरम्भ किया । इस अध्ययन से जो तथ्य सामने आया वह स्थिति की भयंकरता को दर्शाता था । सन् १९०१ में जब दोनों के अनुपात का अध्ययन किया गया, तो प्रति हजार पुरुष के पीछे ६७२ महिलायें थीं । यह संख्या घटकर सन् १९३१ में ६५० और १९६१ में ६४१ हो गयी । सन् १९८१ की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुषों की कुल संख्या ३५.४ करोड़ और महिलाओं की ३३.१ करोड़ थी अर्थात् प्रति हजार पुरुष पीछे ६३३ महिलायें रह गयीं । बाद में वर्षों में इस संख्या में और भी कमी आयी है । इस प्रकार जब से यह अध्ययन शुरू हुआ, तब से लेकर अब तक इसमें लगातार घटोत्तरी ही होती गयी है । कुछ राज्यों में तो यह संख्या देश की औसत नारी संख्या में भी कम है । सिक्किम में प्रति हजार पुरुष के पीछे ८३५ और अन्डमान में उससे भी कम ७६० महिलायें रह गयी हैं । अध्ययनकर्त्ताओं के अनुसार इस असंतुलन का एक मात्र कारण मध्यकाल की कन्या हत्या और इन दिनों की मादा भ्रूण हत्या ही है । नीरा देसाई एवं मैत्रेयी कृष्णाराज की पुस्तक 'वीने एण्ड सोसायटी इन इण्डिया' के अनुसार सन् १९७८ से १९८३ के बीच कुल ७८ हजार भ्रूणों की हत्या की गयी । आगे के पाँच वर्षों में इससे भी अधिक भ्रूणों की भ्रूण-हत्या अनुमानित है ।

अब प्रश्न यह है कि इस कुप्रथा के अघावधि अस्तित्व के लिये किसे दोषी ठहराया जाय ? विज्ञान के विकास को या समाज को ? इस क्षेत्र के विशेषज्ञों का कहना है कि इसके लिये विज्ञान के विकास को दोषी ठहराना उचित न होगा । कारण कि विज्ञान का उद्देश्य तो मात्र इतना था कि गर्भ में पलते शिशु की देखभाल भलीभाँति की जा सके और विकृत भ्रूणों का समय रहते उपचार किया जा सके । किन्तु यदि गलत ढंग से प्रयोग कर इस विद्या का दुरुपयोग किया जाता है तो इसके लिये

चिकित्सा विज्ञान को दोषी नहीं ठहराना जाना चाहिये । वस्तुतः इसकी जड़ें मध्यकाल की उस सड़ी-गली मान्यता में निहित हैं, जिसने लड़के-लड़की के बीच विभेद की दीवार खड़ी की, पुरुष जाति को श्रेष्ठ माना और नारी को व्यक्ति के स्थान पर भोग-विलास की वस्तु मात्र माना ।

यदि कन्या को सिर्फ इसलिये हेय माना जाता है कि वह पुरुष की बराबरी नहीं कर सकती, तो यह मान्यता निराधार है । विश्व इतिहास पर दृष्टिपात करने पर ज्ञात होता है कि ऐसी कितनी ही महिलायें कितने ही क्षेत्रों में अब तक अपनी श्रेष्ठता और क्षमता का परिचय दे चुकी हैं, जो यह सिद्ध करता है कि महिला पुरुष से प्रतिभा और पुरुषार्थ में किसी भी प्रकार कम नहीं । राजनीति क्षेत्र में पिछले दिनों विश्व मंच में उभरी नारियों में भारत की प्रधानमन्त्री इन्दिरा गाँधी, श्रीलंका की सिरामाओ भण्डारनायके, इजरायल की गोल्डामायर प्रमुख थीं । वर्तमान समय में फिलीपीन्स की राष्ट्रपति एक्वीनो एवं इंग्लैण्ड की प्रधानमन्त्री थैचर विश्व राजनीति में महिलाओं की अगुआई कर रही हैं । साहस-पराक्रम के क्षेत्र में वे पुरुषों से पीछे हैं, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता । भारत की लक्ष्मीबाई ने किस प्रकार अंग्रेजों का मुकाबिला किया, यह सर्वविदित है । गैरीवल्डी की पत्नी एनीटा ने इटली के स्वतंत्रता संग्राम में अपने जिम्मे तोपची का कार्यभार लिया था । फ्रांस की स्वाधीनता में जोन ऑफ आर्क की महत्वपूर्ण भूमिका रही । चीन में ट्रेन चालक और इजरायल में विमान चालक अधिकांशतः महिलायें ही होती हैं । शारीरिक श्रम में पंजाब-हरियाणा की नारियाँ और बिहार-मध्य प्रदेश की आदिवासी महिलायें पुरुषों के समकक्ष समझी जाती हैं । लोकमंगल और सेवा कार्य के लिये बुद्ध की भिक्षुणियाँ प्रसिद्ध हैं । उदाहरणों से यह स्पष्ट है कि नारियाँ क्षमता, योग्यता में पुरुषों से किसी भी प्रकार कम नहीं हैं । इसी आशय का मन्तव्य प्रकट करते हुए जॉन स्टुअर्ट मिल अपनी पुस्तक 'दि सब्जेक्शन ऑफ वीमेन' (नारियों की पराधीनता) में कहते हैं कि वर्तमान समय में नर को श्रेष्ठ और नारी को कनिष्ठ मानने की समाज में जो परम्परा है, वह वस्तुतः गलत है और विकास के मार्ग में एक बड़ा अवरोध है । वे कहते हैं कि यदि सचमुच ही मनुष्य जाति को उन्नति करनी है तो नारी जाति को इस दुर्भाग्य से उबारकर बराबरी का दर्जा देना होगा । यह सत्य भी है, क्योंकि किसी भी देश की लगभग आधी आबादी नारियों की होती है ।

भ्रूण हत्या और कन्याओं की उपेक्षा जैसी कुप्रथाओं को तो रोका ही जाना चाहिये । हमारा निष्ठुर समाज यदि नारी की सृजनात्मक भाव संवेदना का उपयोग उठाना चाहता है तो उसे नारी को भ्रूण स्थिति में मारे जाने से, दहेज में जलाये जाने व उत्पीड़न से तथा परित्यक्ता व विधवा होने की स्थिति में उपेक्षा व कठोर व्यवहार से अपने को विरत करना होगा नहीं तो इस व्यवहार की भरपाई के लिये तैयार भी रहना होगा, यही इक्कीसवीं सदी का संदेश है ।

पूर्व मान्यताओं को उखाड़े बिना दहेज प्रथा उन्मूलन सम्भव नहीं

मानव जाति का इतिहास साक्षी है कि संसार में जितने भी बड़े-बड़े परिवर्तन हुए हैं, जन सहयोग की ही उनमें प्रमुख भूमिका रही है । अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, यह उक्ति बड़े परिवर्तन के संदर्भ में अक्षरशः सही है । व्यक्ति की सत्ता कितनी भी समर्थ क्यों न हो, बिना जन सहयोग के कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं कर सकता । कानून एक बड़ी शक्ति है, पर उसकी सफलता भी इस बात पर निर्भर करती है कि उसे जनता का कितना सहयोग मिला । जनमानस ने उसे किस सीमा तक मान्यता दी । दास प्रथा समाप्ति के संबंध में देश-विदेश में कानून बने, कई दशक बीत गये पर पूरी तरह उस प्रथा का उन्मूलन कहीं जाकर अब हुआ है जब कि जाग्रत जन मत ने उसे पूरी तरह अमानवीय घोषित कर दिया है । अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवी अधिकारों से संबंधित कानून पारित हुए वर्षों बीत गये पर समानता का अधिकार किस सीमा तक मिला है, यह किसी की नजरों से छुपा नहीं है । रंग भेद की नीति को अन्तर्राष्ट्रीय रंगमंच पर अमानवीय ठहराया गया है पर आज भी अमरीका, इंग्लैण्ड, जर्मनी जैसे प्रगतिशील देशों से लेकर दक्षिणी अफ्रीकी देशों में खुले तौर पर वर्ण के आधार पर मानव-मानव के बीच भेद भाव बरतते प्रत्यक्ष आये दिन देखा जा सकता है । मात्र कानून बना देने से समस्या का समाधान निकलना संभव रहा होता तो कभी का निकल गया होता ।

अपराधों के रोकथाम के लिए कानून में विस्तृत प्रावधान हैं । चोरी, डकैती हत्या, मारपीट, बलवा, धोखाधड़ी, मिलावट तस्करि, बेईमानी, जालसाजी, करचोरी, देशद्रोह, अपहरण, बलात्कार जैसे अगणित अपराधों के लिए विभिन्न प्रकार की दण्ड व्यवस्थाएँ कानून

में दी गयी हैं । अपराधों की रोकथाम के लिए सुरक्षातंत्र-पुलिस के रूप में भी सक्रिय रहता है । पर इन सब व्यवस्थाओं के बावजूद भी अपराध कृत्य होते हैं । सुरक्षा व्यवस्था एवं कानून कड़े होने पर भी उनमें कमी होने के कारण दिनों दिन बढ़ोत्तरी ही हो रही है ऐसी स्थिति में स्वाभाविक रूप से शंका सुरक्षा तंत्र एवं कानून व्यवस्था के ढील पोल पर होती है । ऐसा लगता है सारा दोष उन तंत्रों का ही है । एक सीमा तक तो वह दोषारोपण सही हो भी सकता है पर पूर्णतः उन्हें ही दोषी ठहराकर मन हल्का नहीं किया जा सकता ।

कहा जा चुका है कि कानून बना देने सुरक्षा तंत्र जुटा देने भर से मात्र अवांछनीय कृत्यों पर रोक थाम सम्भव रही होती तो कभी की हो गयी होती । बाल विवाह को रोकने के लिए 'शारदा एक्ट' के पारित हुए दो दशक से भी ऊपर हो गये पर आज भी राजस्थान, बिहार, पूर्वी उत्तरप्रदेश जैसे कितने ही प्रान्तों में घड़ल्ले से बाल विवाह होते हैं । कानून के दण्ड विधान एक किनारे रखे रह जाते हैं । जिनके लिए कानून बनाये गये हैं, वे ही उनकी अवमानना शुरू कर दें तो उसकी महत्ता एक कागजी संहिता से अधिक नहीं रह जाती । जाग्रत जन मानस के सहयोग के बिना कानून भी कुछ विशेष कर सकने में समर्थ नहीं है ।

दहेज प्रथा के संबंध में बने कानूनों के विषय में भी यही बात है । सरकार ने 'एण्टी डायरी' एक्ट १९६१ में पारित किया । जिसमें दहेज देने लेने को जुर्म घोषित किया गया है । पर उसका पालन कितने व्यक्तियों ने किया है, यह किसी से छुपा नहीं है । वह कुप्रथा घटने के स्थान पर निरन्तर बढ़ती ही गयी जिसका अब सबसे अमानवीय नृशंस स्वरूप नववधुओं को जलाने मारने की घटनाओं के रूप में हर दिन प्रकाशित होता है ।

दहेज प्रथा विरोधी कानू को १९८० में सरकार ने और भी कड़ा करते हुए यह प्रसारित कराया कि विवाह होने के पश्चात पाँच वर्ष के भीतर यदि किसी औरत की मृत्यु हो जाती है तथा यह संदेह हो जाता है कि मृत्यु दहेज के लोभ से अभिप्रेरित है तो उसकी जाँच कड़ाई से की जानी चाहिए । पर इससे भी कुछ विशेष बात नहीं बन सकी । दहेज के लिए बहुओं को प्रताड़ित करने, मारने जलाने अथवा आत्महत्या को विवश करने का क्रम अविरोध गति से चलता रहा ।

उपरोक्त पंक्तियों में न तो कानून की महत्ता कम की जा रही है न ही उसकी उपयोगिता को नकारा जा रहा

३.२६ विवाहोन्माद : सम्पत्ता और समाधान

है, वरन् कहा यह जा रहा है कि लोक मत की जागृति के बिना दहेज प्रथा की समाप्ति सम्भव नहीं है। कानून से सम्बन्धित प्रावधानों को तो वर्तमान परिस्थितियों में और भी कड़ा करने की जरूरत है। साथ ही उन कारणों की भी गम्भीरता से खोजबीन होनी चाहिए कि क्योंकि यह प्रथा प्रश्रय पा रही है जब कि सर्वत्र लेखनी, वाणी एवं प्रदर्शनों के माध्यम से विरोध के स्वर प्रस्फुटित हो रहे हैं।

विचार करने पर सच्चाई यह सामने आती है कि इसकी जड़ें अत्यन्त गहरी हैं। विरोध के स्वर तो उस समय प्रस्फुटित होते हैं जब घटना का अन्तिम दर्दनाक पहलू सामने आता है जबकि उसकी शुरुआत बहुत समय पूर्व ही मनोवैज्ञानिक रूप से हो चुकी होती है। मान्यताओं के जिस गर्भ में दहेज रूपी दानव पैदा होता, पलता तथा पोषण पाता है उसको उखाड़े बिना दहेज प्रथा का उन्मूलन सम्भव नहीं है। अविवेकपूर्ण ऐसी मान्यताओं में एक है—लड़के-लड़की के बीच भेदभाव। भारतीय समाज का अध्ययन पर्यवेक्षण करने वाले एक समाज शास्त्री का मत है कि देश के नब्बे प्रतिशत अभिभावक लड़कियों की तुलना में लड़कों को अधिक महत्व देते हैं। शिक्षित-अशिक्षित दोनों ही तरह के समुदायों में ऐसी परम्परा है नर नारी की समानता का नारा देने वालों के यहां भी जब किसी लड़की का जन्म होता है तो उनकी रूआंसी सूरत देखते बनती है। ऐसा लगता है दुखों के पहाड़ टूट पड़े हों। जबकि उनकी प्रसन्नता लड़के के जन्म के समय देखते ही बनती है। लड़के को अधिकांश व्यक्ति ऐसी हुण्डी मानते हैं, जिसे कभी भी भुनाया जा सकता है, जबकि लड़की को एक घाटे का सौदा। भेदभाव की सीमा मान्यताओं तक सीमित नहीं रहती, व्यवहार में भी प्रत्यक्ष दिखायी पड़ती है। खानपान शिक्षण आदि तक में पक्षपात चलता है। दहेज की शिकार नारियाँ होती हैं पर जब नारी भी पुरुष की उस अनैतिक मनसा में हमी भरती तथा उसी के अनुरूप आचरण प्रस्तुत करती हैं तो और भी आश्चर्य होता है। जिसे लड़का नहीं होता नारियाँ उसे दुर्भाग्यशाली घोषित कर देती हैं। वह नारी भी अपने को अमंगलकारी समझती तथा पीड़ा में घुटती रहती है भारतीय नारियों के मानस पटल की गहराइयों में जड़ जमाये भेदभाव की जड़ों को उखाड़े बिना दहेज प्रथा को प्रश्रय मिलता ही रहेगा। इक्के, दुक्के आदर्शवादियों की बात अलग है, अन्यथा अधिकांश अभिभावक लड़कों

के शिक्षण एवं विकास पर जो खर्च करते हैं, उसे विवाह के अवसर पर वसूल करने के सपने देखते रहते हैं। यह जानते हुए भी कि स्वयं की भी कन्या है उसका विवाह करना होगा। दहेज की फरमाइश होगी, दहेज प्रथा के विरुद्ध उनका रोना गाना उस समय आरम्भ होता है, जब लड़की विवाह योग्य होती है। लड़के की शादी के समय वे ही ऐसी बोली लगाते हैं जैसे किसी चल अथवा अचल सम्पत्ति की बिक्री चल रही हो। मोटी रकम ऐंठने के फिराक में स्वयं के ऊपर भविष्य में पड़ने वाले संकट का ध्यान नहीं रहता। सचमुच ही जो दहेज प्रथा का उन्मूलन चाहते हैं, उन्हें पहला आदर्श यह प्रस्तुत करना होगा कि यदि अपना लड़का विवाह योग्य है उसे आदर्श-विवाह के लिए बिना दहेज लिए प्रस्तुत करें। लड़की के विवाह के समय दहेज विरोध की उनकी आवाज भी तभी उचित जान पड़ती है। साथ ही घर में जो लड़के लड़कियाँ पल रहे हैं उनमें किसी प्रकार का ऐसा भेदभाव न बरता जाय जिसमें एक के वरिष्ठ तथा दूसरे के कनिष्ठ होने की दुष्प्रवृत्ति की दुर्गन्ध आती हो।

मान्यताओं का दूसरा दुखद पक्ष यह है कि हर व्यक्ति अपनी कन्या को ऐसे घर में भेजना चाहता है, जहाँ सम्पन्नता अधिक हो ताकि लड़की को आराम की जिन्दगी बिताने का सुअवसर मिल सके इस मान्यता को भी बदला जाना चाहिए। हर व्यक्ति को यह बात गिरह बाँध लेनी चाहिए सुख शान्ति का सम्पन्नता से कोई सम्बन्ध नहीं खाता पीता, श्रमशील लड़का तथा संस्कारी परिवार तो दूँदा जाय पर सम्पन्नता को अधिक महत्व न दिया जाय। कम व्यक्ति ही इस कटु सत्य से परिचित होंगे कि सम्पन्नता निष्ठुरता की आड़ में पलती तथा बढ़ती है। जहाँ-कहीं भी वह होगी, निष्ठुरता के संस्कार उस परिवार में सूक्ष्म रूप से अवश्य विद्यमान होंगे। ऐसे परिवारों में जाने पर लड़की के गुण, कर्म, संस्कार को नहीं, पैसे को अधिक महत्व दिया जाता है। दहेज में उसकी कमी होने पर प्रायः ऐसे ही परिवारों में लड़कियों को अधिक प्रताड़ना मिलती है। जिसकी चरम परिणति जलाने, मारने जैसी नृशंस घटनाओं के रूप में सामने आती है। खोजबीन की जाय, उन परिवारों में जहाँ कि बहुओं के जलाने मारने की घटनाएँ हुई हैं, तो यह तथ्य विदित होगा कि उनकी आर्थिक विपन्नता नहीं उन कृकृत्यों को कराने में प्रेरक तत्व लोभी प्रवृत्ति थी। उन परिवारों में मूल्य मानव एवं उसकी सत्त्वृत्तियों का नहीं पैसे का अधिक होता है। यही कारण

है कि एक को मारकर दूसरी शादी रचाने तथा अधिक दहेज हड़पने का दुश्चक्र चलता है। लड़की के लिए अधिक सम्पन्न परिवार ढूँढ़ने वालों को भलीभाँति विचारना तथा गम्भीरता से खोजबीन करनी चाहिए कि कहीं-किसी संकट को स्वयं तो आमंत्रित नहीं कर रहे हैं।

यह मान्यता भी निराधार है कि लड़का लड़की से अधिक पढ़ा लिखा, अधिक योग्य अधिक सुन्दर होगा तो ही वह सुखी रहेगी। भावनाशील सुसंस्कारी समझदार तथा आत्मनिर्भर लड़के कम पढ़े लिखे होने पर भी अधिक वफादार सिद्ध होते हैं। योग्य, सुशिक्षित व्यक्ति सदगुणी, भावनाशील तथा संस्कारी हो यह जरूरी नहीं। भावना से रहित रहने पर उसकी नजरों में भी संस्कारों का विशेष मूल्य नहीं होता। रूप, कट एवं पैसे के प्रति ऐसे वर्ग का भी विशेष आकर्षण रहता है। उनके न मिलने पर उनकी आन्तरिक निष्ठुरता उन्हें भी उन नृशंसों की श्रेणी में ले जाकर खड़ा कर देती है, जो क्षुद्र उद्देश्य के लिए नारियों की बलि देने में भी नहीं हिचकते। रूप कट एवं रंग को सुसंस्कारों की अपेक्षा अधिक महत्व देने वाला आन्तरिक चरित्र की दृष्टि से कमजोर भी होता है जो अधिक आकर्षण सामने आते ही कभी भी फिसल सकता है। नववधुओं को प्रताड़ित करने जलाने मारने में ऐसे वर्ग की भी महती भूमिका है अस्तु लड़की के लिए लड़का खोज-बीन करते समय अतिशय महत्व रूप रंग स्कूली शिक्षा को भी नहीं दिया जाना चाहिए। अधिक पढ़ी-लिखी लड़कियों की शादी एक समस्या बनती जा रही है उसका एक समाधान यह भी हो सकता है कि उनसे अधिक पढ़ा लिखा लड़का ढूँढ़ते रहने तथा बड़ी उम्र तक उन्हें कुँवारी बैठाये रहने की अपेक्षा थोड़े कम पढ़े-लिखे सुसंस्कारी तथा आत्मनिर्भर लड़के से ही शादी कर दी जाय। इससे उस खतरे से भी मुक्ति मिलेगी। जो दहेज की फरमाइश पूरी न होने पर प्रस्तुत होता है।

दहेज प्रथा उन्मूल के लिए कानून का संरक्षण मिल चुका है। चारों ओर से विरोध की आवाज भी उठ रही है। पर इन सबके बावजूद भी यह दानव अट्टहास कर रहा है। इसका कारण एक ही है जन जागृति का अभाव दहेज को प्रश्रय देने में किसी न किसी रूप से दोषी हर व्यक्ति है। उपरोक्त मान्यताएँ जब तक अपनी जड़ें जमाये रहेंगी तब तक न तो कानून कुछ कर सकता है और न ही वाणी अथवा लेखनी का कोरा विरोध। वे कारगर भी तभी सिद्ध हो सकेंगे जब जनमानस अपने भीतर टटोले

तथा उन मान्यताओं को उखाड़ फेंके जो किसी न किसी रूप में प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष प्रश्रय दहेज को देती हैं।

बर्बर सती प्रथा का पूरी तरह उन्मूलन तब हुआ जब जनमत ने अनुभव किया कि वह अमानवीय है। जन मानस को जगाने समझाने-बुझाने की अग्रणी भूमिका निभायी करुणा के प्रतिमूर्ति 'राजाराम मोहन राय' ने। उस प्रथा से दहेज की प्रथा कम नहीं कहीं अधिक त्रास दायक है। दहेज रूपी दानव से बचाव के लिए नारियाँ जनता के कोर्ट में अपील कर रही हैं। उन्हें आशा है कि न्याय भी इसी कोर्ट से मिलेगा। उस कुप्रथा से मुक्ति जन सहयोग से ही मिलेगी। आवश्यकता मात्र इतनी भर है कि जनमत को जागृत करने के लिए कुछ भावनाशील राजाराम मोहन राय की भाँति साहस पूर्वक उठ खड़े हों और उनसे नारियों की फरियाद सुना सकें।

इन धूर्तों से लड़कियों के अभिभावक बचें

लड़कियों के विवाह की समस्या दिन-प्रतिदिन भयंकर होती जा रही है। दहेज रूपी दानव के मुख में आये दिन कितनी ही लड़कियों को बलि चढ़ती है। कमाऊ और सुयोग्य लड़के के मिलने के बावजूद भी लड़की का भावी जीवन सुखी और उज्वल होगा, यह कहना कठिन है। कारण कि योग्य, सुशिक्षित परिवारों में ही ही बहुओं के जलाने-मारने की घटनाएँ अधिक प्रकाश में आ रही हैं। जो सम्पन्न एवं समर्थ हैं उनमें तो धन की लोलुपता और भी अधिक इन दिनों दिखायी पड़ रही है। चयन के एकांगी मापदण्डों के कारण कितने ही प्रकार की समस्याएँ उत्पन्न हो रही हैं। प्रायः अभिभावकों का दृष्टिकोण यह रहता है कि ऐसा लड़का मिले जो कमाऊ, सुन्दर तथा योग्य हो। एक सीमा तक तो यह सोचना उचित भी है पर इन पक्षों को अतिरंजित-महत्व देना भी उतना ही अनुचित है। सुसंस्कारिता के अभाव में वे विशेषताएँ लड़की के भावी जीवन के लिए उतनी हितकारी साबित नहीं हो पातीं जितनी कि होनी चाहिए।

कमाऊ तथा दीखने में सुन्दर लड़के का मिल जाना तथा शादी के लिए बिना अधिक ननुनच किये तैयार हो जाने को अभिभावक परम सौभाग्य की बात मानते हैं। पर यह सौभाग्य कितनी ही बार दुर्भाग्य सिद्ध होता है। धूर्तों को इन दिनों अभिभावकों तथा लड़कियों की विवशता

३.३१ विवाहोन्माद : समस्या और समाधान

तथा समाज की प्रचलित कमजोरी से अनुचित लाभ उठाने का अवसर मिल रहा है। पिछले दिनों राजधानी दिल्ली में एक ऐसा ही धूर्त पकड़ गया जिसने भोलीभाली लड़कियों की भावुकता लाभ उठाकर तथा अभिभावकों को बहाकर कितनी ही शादियाँ रचायीं कितनों को अपनी झूठ गँवानी पड़ी। अभिभावकों से मोटी रकम नकद एवं जेवर हड़पकर वह चलता बना।

बताया जाता है कि राजसिंह गौर नामक इस व्यक्ति ने चालीस से भी अधिक शादियाँ रचायीं। जिनमें से कुछ तो विज्ञात हैं और कुछ अविज्ञात। लड़कियों तथा अभिभावकों को प्रभावित करने के लिए यह विभिन्न प्रकार के हथकण्डे अपनाता। स्वयं को वह कभी डिप्टी सुपरिन्टेन्डेंट पुलिस बताता कभी डाक्टर, तो कभी हाइकोर्ट का एडवोकेट। कहीं जज के रूप में। किसी को मेजर बताता तो किसी को बायु सेना का पायलट, अभिभावकों को और क्या चाहिए, लड़का अच्छी पोस्ट पर हो, शकल सूरत से ठीक हो, इसी झोंसे में वे आ जाते। जब कि लड़कियाँ उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में।

आश्चर्य यह कि वह शादी के लिए किराये के माता-पिता भी कर लेता था उनका परिचय भी वह बड़े घराने के संचालकों के रूप में देता समय-समय पर वह उन्हें भी बदलता रहता था।

जिन लड़कियों से शादी करके उनका जीवन बर्बाद किया वे विभिन्न प्रान्तों की हैं उनके नामों की एक लम्बी लिस्ट है। विमला 'राज' मलिका-देहरादून (उ० प्र०), सन्तोष दिल्ली, वीना (गुज०) शोभा (राज०) आशा (बिहार) विजय, उषा, रमा आदि इनमें से कितनी ही के बच्चे हो चुके हैं भाग्य को कोसती हुयी वे अपनी बेवसी पर आँसू बहा रही हैं।

विगत दिनों बिहार में भी ऐसा ही एक युवक पकड़ा गया जिसने दस शादियाँ रचायी थीं। पुलिस के समक्ष उसने अपना अपराध स्वीकार करते हुए बताया था कि वह समय-समय पर अपना नाम एवं स्थान बदलता रहा, इसीलिए पकड़ा न जा सका।

जैसे तैसे शादी करके छुट्टी पा लेने की जल्दबाजी लड़कियों के लिए सदा के लिए अभिशाप सिद्ध हो सकती है। अभिभावकों को इसमें विशेष सतर्क रहना होगा। साथ ही लड़कियों को भी विशेष सचेत रहने की जरूरत होगी अन्यथा उनकी भावुकता उन्हीं के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। अभिभावक भी स्वावलम्बी तथा

स्वस्थ लड़के ढूँढ़े तो, पर सुंस्कारिता को किसी भी प्रकार कम महत्व न दें। दहेज का लालच देकर लड़कियों को बेचकर किसी भी स्थिति में उनका हित नहीं हो सकता यह झलीभाँति समझा जाना चाहिए।

दहेज का कुचक्र अंततः भयानक विपत्ति उत्पन्न करेगा

दहेज का लालच। उसके कारण कन्या पक्ष पर बढ़ता आर्थिक दबाव। इस दबाव के कारण कन्या जन्म को दुर्भाग्य सूचक माना जाना—उनकी उपेक्षा होना। उस उपेक्षा के कारण लड़कियों का मनोबल टूटना साथ ही उनका अल्पशिक्षित उपेक्षित-तिरस्कृत रहकर व्यक्तित्व की दृष्टि से अविकसित रह जाना। अविकसित व्यक्तित्व वाली नारी द्वारा गृह संचालन में, परिवार सुव्यवस्था में समुचित योगदान दे सकने की भूमिका न निभाना। अपनी प्रतिभा विकसित न कर पाना। फलस्वरूप समाज के आधे अंश को पक्षाघात पीड़ित की तरह बने रहना, एक पूरा कुचक्र है जिसके कारण समूचे राष्ट्र को भयावह हानि उठानी पड़ती है।

दहेज की बढ़ी-चढ़ी राशि एकत्रित करने के लिए हर हिन्दू परिवार को कुछ ऐसे उपाय अपनाने पड़ते हैं जिनसे व्यक्ति और समाज का सब प्रकार अहित ही अहित है। ईमानदार व्यक्ति बचत करता है। परिवार के भोजन, वस्त्र, चिकित्सा, शिक्षा आदि में कटौती करके विवाह के लिए बचाता है। इससे यह परिवार क्रमशः अधिकाधिक दीन, दुर्बल, अशक्त, असहाय बनता चला जाता है। इतने पर भी यदि कई कन्यायें हुईं तो उनके विवाहों में धन जुटाने के लिए घर के जेवर, बर्तन, खेत, पशु आदि के रूप में जो जमा पूँजी है उसे बेच डालने के लिए विवश होना पड़ता है। जो व्यापार करते हैं वे चालू पूँजी को निकाल लेते हैं और बेरोजगार हो जाने का दुर्दिन देखते हैं।

अपने देश में अर्थ उपार्जन के ऐसे साधन नहीं हैं जिनके द्वारा कोई व्यक्ति ईमानदार रहते हुए भी गुजारा करने के अतिरिक्त शादियों के लिए आवश्यक प्रचुर धन जुटा सके। महँगाई—बढ़े हुए परिवार तथा उनके सामान्य निर्वाह जैसी अनिवार्य आवश्यकता ही इतनी हो जाती है कि उनका सन्तुलन बैठना कठिन पड़ता है फिर उतना धन कहाँ से जुटे जिसकी कि प्रचलन के अनुसार आवश्यकता

पड़ती है। ऋण कोई क्यों दे ? देने वाला देखता है कि शादी के बाद जब निर्वाह के ही लाले पड़ जाते हैं तो कर्ज की वापसी कैसे होगी। ऐसी दशा में मित्र सम्बन्धियों में से कोई कर्ज भी नहीं देता। सहानुभूति दिखाकर या बहाने बनाकर मुँह मोड़ लेते हैं। किसी प्रकार कुछ कर्ज मिल भी गया तो उसकी वापसी सम्भव नहीं होती और सदा लज्जा से सिर झुकाए रहना पड़ता है। इस प्रकार लड़की की शादी एक प्रकार से पितृ पक्ष के लिए बर्बादी का कारण बनती है।

जिन्हें ईमानदारी के प्रति निष्ठा है या बेईमानी का सऊर अवसर नहीं है उन्हें इसी दयनीय स्थिति में रहना पड़ता है। कन्या बड़ी होती जाने पर चिन्ता बढ़ती है और उन्हें क्रूर के हाथों सुपुर्द करके जिन्दगीभर के लिए दुःख-दरिद्र में औसू बहाते दिन गुजारना पड़ता है। इससे अन्य प्रकार के लिए जो चतुर या प्रतिभाशाली हैं वे बेईमानी के हथकण्डे अपनाते हैं। सरकारी कर्मचारी हो तो रिश्वत का उपाय निकालते हैं। व्यापारी मिलावट व नकली माल, नाप-तौल में गड़बड़ करने जैसे रास्ते निकाल लेते हैं। उद्दण्ड लोग चोरी उठाईगीरी पर उतर आते हैं। दुस्साहसी बड़े अपराध करते हैं और डकैती, हत्या जैसी योजना बनाते हैं।

इस कुचक्र में न केवल वैयक्तिक चरित्र चिन्तन का विनाश होता है वरन् परिवारों की सुव्यवस्था बिगड़ने तथा समाज में अनेकानेक विग्रह उत्पन्न होने का माहौल बनता है। देखने में उपेक्षणीय, कौतुक कौतूहल जैसी लगने वाली विवाह-शादी की रस्म-रिवाज अभ्यस्त ढर्रे के कारण साधारण-सी लगती है पर उसके दुष्परिणामों को देखते हुए प्रतीत होता है कि यह किसी सर्वपक्षी भयानक विपत्ति से किसी प्रकार कम नहीं है। उसे इसी रूप में चलने दिया गया तो उसके कारण उत्पन्न होने वाले संकट से समूचे समाज को भयानक त्रास सहना पड़ेगा।

भारती समाचार के अनुसार हाल ही में गठित एक कार्यकारी दल की रिपोर्ट से ज्ञात हुआ है कि देश भर में दहेज प्रचलन में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है और नववधुओं को पीड़ित करने या जलाकर मार डालने में बढ़ोत्तरी होती जा रही है। विभिन्न स्थानों पर जाकर आम जनता के विचारानुसार समाज के सभी धर्म, सम्प्रदाय, वर्ग और समुदायों में दहेज प्रथा का प्रचलन हो चुका है जहाँ पहले नहीं था वहाँ भी प्रारम्भ हुआ है।

युनाइटेड न्यूज एजेंसी के अनुसार राज्य विधि आयोग की रिपोर्ट में बताया गया है कि दहेज के कारण मध्य प्रदेश में एक दिन में कम से कम दो महिलाएँ आत्महत्या करती हैं और एक महिला को मार दिया जाता है परन्तु पुलिस इसे दहेज सम्बन्ध कभी-कभी ही मानती है अन्यथा इन्हें 'घरेलू झगड़े' के रूप में दर्ज करती है। पूरे राज्य में पिछले तीन सालों में केवल एक केस दहेज सम्बन्धी दर्ज किया गया है।

यों दहेज विरोधी कानून भारत में कई वर्ष से प्रचलित हैं पर उसका स्वरूप एवं उपयोग ऐसा है जिससे मात्र वातावरण बनाने जैसा प्रचारात्मक प्रयोजन सधा है। कुछ ऐसा नहीं बन पड़ा जिससे उस आधार पर कोई प्रभावी रोकथाम सम्भव हो सके। अब प्रान्तीय सरकारों का ध्यान इस ओर गया है वे अपने-अपने क्षेत्र में कुछ कड़ाई बरतने की बात सोचने और कानून बनाने लगी हैं। इस सन्दर्भ में मध्य प्रदेश का सराहनीय उदाहरण सामने है। सम्भव है उससे इस तूफानी विनाश लीला पर कुछ नियन्त्रण लगे।

यदि सचमुच ही सरकार प्रयत्न इस दिशा में कोई ठोस कदम उठाने के मूड में है तो उन्हें दक्षिण कोरिया से शिक्षा लेनी चाहिए और ऐसे अनुबन्ध लगाने चाहिए जिससे किसी के लिए भी इस प्रथा को अपनाने और खर्चीली शादियाँ करने का अवसर न मिले।

दक्षिण कोरिया के सामाजिक मामलों से सम्बन्धित विभाग ने दहेज की रोकथाम के लिए सरकारी कानून में कठोर प्राविधान किये हैं। पूरे विवाह की रस्म-रिवाज में ३०० डालर खर्च की सीमा बाँध दी गई है। इसके उल्लंघन करने पर एक वर्ष के कारागार की सजा और ५०० डालर जुर्माना तक किया गया है। प्रदर्शन में फूलों का हार और गुलदस्ते की अनुमति प्रदान की गई है वहाँ बड़ी-बड़ी दावतों और प्रीतिभोजों पर भी प्रतिबन्ध है। उनका कहना है कि देश गरीबी के कगार से गुजर रहा है अतः सभी देशवासियों को सादा जीवन और चिर पुरातन परम्परा का अनुशीलन करना ही मानवी हितों की रक्षा का घातक है तड़क-भड़क नहीं। कानून में यह भी स्पष्ट किया गया है कि विवाह में दोनों पक्ष जितना सामान खरीदें उसका हिसाब सरकार को प्रस्तुत करें।

वस्तुतः यह सामाजिक प्रचलन का प्रश्न होने के कारण सुधार का उत्तरदायित्व उनके कन्धों पर आता है जो समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त या मूर्धन्य हैं, पिछले दिनों

३.३३ विवाहोन्माद : समस्या और समाधान

जातीय पंचायतों का संगठन था। अब ग्राम पंचायतों के रूप में उनका परिवर्तन हुआ है जहाँ-तहाँ जातीय संगठन भी नये रूप में बने हैं। कुछ समाजसेवियों का व्यक्तिगत प्रभाव भी अपने क्षेत्र में होता है। इस समूची क्षमता का उपयोग समाज-सुधार के निमित्त लगना चाहिए। राजनीति ही सब कुछ नहीं है। सरकार से सम्बन्धित रह कर लाभ लेने की बात सोचना ही पर्याप्त नहीं है। समाज के प्रति उत्तरदायित्व भी समझा जाना चाहिए और जनसम्पर्क में रहने वाले उदारमना लोगों को ऐसा वातावरण बनाना चाहिए जिससे प्रस्तुत कुरीतियों के प्रति असहयोग विरोध का आक्रोश उभर सके।

अपने देश में जाति-पाँतिगत ऊँच-नीच पर्दा प्रथानर-नारी असमानता, भिक्षा व्यवसाय, अन्धविश्वास, नशेबाजी आदि कितनी ही कुरीतियाँ प्रचलित हैं।

इन सबके विरुद्ध सुधारार्थक आन्दोलन उसी स्तर पर छिड़ना चाहिए जैसा कि स्वतन्त्रता आन्दोलन के समय छिड़ा था। उपरोक्त कुरीतियाँ सबसे अधिक त्रासदायक हैं। सबसे अधिक अनैतिक और राष्ट्र की अर्थव्यवस्था डगमगा देने में प्रमुख हैं दहेज प्रथा—खर्चीली शादियों की परम्परा। इससे जितनी जल्दी छूटा जा सके उतना ही अच्छा है। अन्यथा जिस प्रकार अग्रिकाण्ड एक छपर से आरम्भ होकर समूचे गाँव को जला देता है उसी प्रकार यह कुप्रथा हमारे सामाजिक जीवन में अनेकानेक विकृतियाँ बढ़ाती चली जायेगी।

यह निश्चित है कि इस कुप्रथा के विरुद्ध हर क्षेत्र में आक्रोश उमड़ रहा है। अच्छा हो उसे सही नेतृत्व में सही ढंग से, सही परिणाम तक पहुँचने की दिशा दी जाय और ऐसे विग्रह उत्पन्न करने से बचाया जाय तो बाँध टूटने पर नये स्तर के संकट खड़े करेंगे।

उदाहरण के लिए बिहार प्रान्त में एक ऐसे विद्रोह का परिचय मिला है जिसे अराजकता की संज्ञा दी जा सकती है।

बिहार के कुछ जिलों में बन्दूक की नोक पर शादियाँ जोर पकड़ती जा रही हैं। दहेज देने में असमर्थ माँ-बाप मनपसन्द वर का अपहरण कर लेते हैं और उसे परम्परागत वेदोक्त विधि से विवाह बन्धन में बाँधने पर मजबूर करते हैं।

इस प्रकार के क्रिया-कृत्य मुंगेर एवं निकटवर्ती जिलों में बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं।

यू० एन० आई० के एक सम्वाददाता को स्थानीय विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ कि अब तक एस प्रकार की ५०० शादियाँ मुंगेर एवं आसपास के जिलों में सम्पन्न हो चुकी हैं। उनके अनुसार विगत दो मास में ऐसी ३०० शादियाँ अकेले मुंगेर में हुईं। बेगूसराय, नालन्दा, खगड़िया, सहरसा आदि अन्य जिले हैं जहाँ पर २०० विवाह सम्पन्न किये गये।

इस क्षेत्र में अनेक दल क्रियारत हैं। कन्या के माता-पिता को इस दल को केवल इतना बताना पड़ता है कि उन्हें कैसा और कितनी योग्यता का वर चाहिए। बाद की जिम्मेदारी उस दल की होती है। वह अभीष्ट योग्यता वाले वर की तलाश में लग जाता है और उपयुक्त वर मिलते ही उसका अपहरण कर लेता है। फिर इसे पूर्व निश्चित स्थान पर लाया जाता है जहाँ विवाह का सारा सरंजाम पहले से ही मौजूद होता है। यहाँ पर वर-वधू की वेदोक्त विधि से शादी कर दी जाती है।

इन्जीनियरिंग के छात्र ज्योति मिश्रा को मुंगेर शहर में उस वक्त अपहरण कर लिया गया जब उसके माँ-बाप ने दहेज के एक लाख रुपये की माँग की। बाद में उस ज्योति मिश्रा का विवाह स्थानीय पत्रकार की लड़की से पिस्तौल दिखाकर कर दिया गया।

१७ वर्षीय विपिन कुमार एक दिन जमालपुर मुंगेर के एक सिनेमाघर में सिनेमा देख रहा था। इसी बीच कुछ लोगों ने उसे बाहर इन्तजार करती कार में जबरदस्ती ला बैठाया और समीपवर्ती गाँव ले गये जहाँ उसकी शादी कर दी गयी।

२० वर्षीय जयनन्दन कुमार मुंगेर में एक विवाह-समारोह में सम्मिलित था। इसी मध्य कुछ बदमाश उसे पिस्तौल दिखाकर निकटवर्ती घर में ले गये और उसका विवाह कर दिया।

बेलन वाजार, मुंगेर निवासी छात्र अंजनकुमार एक दिन जब कॉलेज से लौट रहा था तो कुछ छात्र गुण्डों ने उसे रास्ते से उठाकर उसकी इच्छा के विरुद्ध शादी कर दी और सांघ जब घर लौटा तो वह सपलीक लौटा।

विश्वस्त सूत्रों के अनुसार एक तृतीय ग्रेड कर्मचारी दहेज में २० से २५ हजार रुपये की माँग करता है जब कि प्रथम ग्रेड का डॉक्टर, इन्जीनियर अथवा अफसर एक लाख या इससे अधिक का प्रस्ताव रखता है। इस माँग के विरुद्ध कोई चारा न बन पड़ने पर यदि इस प्रकार का विद्रोह फूटे तो उसे परिस्थितियों की विवशता ही कहा जायेगा।

दहेज के रूप में बढ़ते हुए नारी-उत्पीड़न की रोक-थाम के लिए प्रकृति ने एक नया रास्ता अपनाया है। उसने लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या घटाने सकोड़ने का कदम आरम्भ किया है।

उत्तर प्रदेश की ताजी जन गणना के अंक हमारे सामने हैं। वे बताते हैं कि १००० पुरुषों के पीछे महिलाएँ मात्र ८२३ हैं। जिन समाजों में लड़कियाँ कम होती हैं और लड़के अधिक, उन्हें लड़के वालों को लड़की वालों की खुशामद करनी पड़ती है और पैसा भी देना पड़ता है। कुवैत में लड़कियाँ कम हैं। वे अन्य देशों से किसी भी प्रकार लड़की प्राप्त करने के लिए दौड़-धूप करते हैं। पंजाब में भी थोड़े दिन पहले लड़कियाँ कम थीं तब उन्हें भी विवाह के लिए लड़के वालों को ही दौड़धूप करनी पड़ती थी। मुसलमानों में अभी रिवाज है कि लड़के वाले ही लड़कियाँ तलाश करने जाते हैं। उत्तर प्रदेश के देहरादून जिले में जौनसार बावर एक इलाका है। वहाँ लड़कियाँ कम हैं। फलतः वे लोग बड़े लड़के का विवाह कर लेते हैं और एक ही वधू सब छोटे भाइयों की पत्नी मानी जाती है।

जन्मदर के हिसाब से अब लड़कियाँ कम और लड़के अधिक पैदा होने लगे हैं। यदि यही क्रम चलता रहा तो स्त्रियों का अकाल पड़ जायेगा और पुरुषों को उन्हें प्राप्त करने के लिये प्राचीनकाल के स्वयम्बर जैसी तैयारी करनी और योग्यता बढ़ानी पड़ेगी। तब हो सकता है कि पति को ही पत्नी प्राप्त करने के लिये दहेज में मोटी रकम देनी पड़े और पितृगृह छोड़कर पत्नी के पिता के यहाँ उसी तरह मेहनत मजदूरी करने जाना पड़े जैसा कि इन दिनों पत्नी को पति के घर रहने को विवश होना पड़ता है।

वर्ष १९८१ की जनगणना के अनुसार अपने देश की कुल जनसंख्या ६८ करोड़ ३८ लाख १० हजार इक्यावन में पुरुष ३५ करोड़ ३३ लाख ४७ हजार दो सौ उनन्चास और महिलाएँ ३३ करोड़ ४ लाख ६२ हजार आठसौ दो थी। वर्ष १९७१ में महिलाओं का औसत प्रति हजार ९७२ था जो १९८१ में घटकर ९३५ ही रह गया है।

१९०१—१० की जनगणना में भारत वासियों की औसत आयु २२.६ थी उसमें पुरुषों की २०.०० तथा स्त्रियों की २३.३ थी इसका अर्थ हुआ कि नर की तुलना में नारी अधिक दीर्घजीवी होती थी।

पर इन दशकों में से क्रम में निरन्तर परिवर्तन हुए हैं और नारी अपेक्षाकृत अल्पजीवी होती चली जा रही है। उदाहरणार्थ—१९२१—३१ में औसत आयु २६.८ थी इसमें पुरुषों की २६.६ स्त्री की २६.६ थी। १९३१—४१ में औसत आयु ३१.८ थी इसमें पुरुष ३२.६ और स्त्री ३१.४ थी। १९५१—६१ में औसत आयु ४६.३ इसमें पुरुषों की ४१.६ थी। १९६१—७१ में औसत आयु ४२.६ इसमें पुरुषों की ४६.४ स्त्री की ४४.७।

आँकड़े बताते हैं कि नर की औसत आयु बढ़ती जा रही है वहाँ संवत्स, उद्विग्र, खिन्न, तिरस्कृत नारी अपना शारीरिक, मानसिक स्वास्थ्य खोती और जिन्दगी के दिन घटाती जा रही है। यदि क्रम यही चला तो पुरुष समुदाय पर दुहरी मार पड़ेगी। एक तो संख्या की दृष्टि से ही स्त्रियाँ घट रही हैं ऊपर से उनका आयुष्य भी क्षीण हो रहा है। इन दोनों कारणों का प्रतिफल एक ही होगा कि नर को नारी की सेवा का लाभ उठाने का न्यूनतम अवसर मिले और जो अधिक सुयोग्य हो मात्र उन्हीं को विवाह का अवसर मिले शेष को कुमार या विधुर रहकर जिन्दगी गुजारनी पड़े। यह प्रकृति की दण्ड व्यवस्था इतनी भारी पड़ेगी इसका भी आज के दहेज के लोभियों को विचार करना चाहिए।

निरुद्देश्य विवाह असफल दाम्पत्य

भारतीय समाज किसी समय दाम्पत्य प्रेम का उत्कृष्ट आदर्श रहा है। अपनी निष्ठायें धराशायी होने से पूर्व यहाँ के लोग मर जाना पसन्द करते थे। विवाह वेदियों पर यज्ञ भगवान की साक्षी में एक दूसरे को दिये वचन और की गई प्रतिज्ञायें याद करने का अवसर ही बहुत कम आता था। हमारे गृहस्थ जीवन की परम्परायें थी ही ऐसी कि वृद्ध हो जाते थे, पर दाम्पत्य प्रेम उतना ही गतिशील, वैसी ही चमक जैसे कल ही विवाह करके आये हों। न जाने अपनी संस्कृति का यह कैसा वरदान था?

किन्तु पाश्चात्य सभ्यता की हवा में घुला हुआ जहर अब अपने परिवारों में भी छाने लगा। विवाह के बाद कुछ दिनों तक तो पति-पत्नी परस्पर आत्मीयता और प्रेम के धागों में बँधे रहते हैं एक-दो बच्चे होने तक भी किसी न किसी रूप में सरसता बनी रहती है किन्तु यह स्थिति अधिक समय तक नहीं चलती। पारस्परिक स्नेह, आत्मीयता और प्यार के बंधन ढीले पड़ते पड़ते बुरी तरह उलझ और टूट जाते हैं, बरसात में एक ही बिल में घुसे साँप और

३.३५ विवाहोन्माद : समस्या और समाधान

नेवले की सी स्थिति हो जाती है बाहर भाग न सकें भीतर रह न सकें । ऐसी घुटन का वातावरण जो हृदय की सम्बेदना को, रचनात्मक विचारों को, मानसिक स्थिरता को ही नष्ट कर डालता है । आज यह स्थिति हर घर में देखी जा सकती है । शुद्ध घी, दूध और अन्य वस्तुओं का ही अभाव नहीं हुआ अपितु दाम्पत्य प्रेम भी अब मिलावटी, मतलबी हो गया । वासनाओं का ज्वार उठता है उतनी देर के लिये किसी तरह समझौते की सी स्थिति निभ जाये वह बात अलग है अन्यथा मन-मस्तिष्क एक-दूसरे के प्रति द्वेष दुर्भावना से बुरी तरह सुलगते रहते हैं । यह दुर्भावनाएँ ही जब तब कलह के रूप में फूटती रहती हैं । यह दृश्य देखकर कोई यह नहीं कह सकता क्या यह वही भारतीय परिवार हैं जिनके निष्कर्षपूर्ण, मधुर मंगलमय होने की प्रतिष्ठा सारे संसार में है ।

आज स्थिति यह है कि कानूनी आधार मिल जाने से तलाकों की गति तेज हो गई है । सन् १९७१ की गणना से यह पता चलता है कि इस देश में जहाँ दाम्पत्य को एक आवश्यक निष्ठा एक अनिवार्य धार्मिक बन्धन के रूप में स्वीकार किया जाता है वहाँ तलाक के ८७०००० मामले न्यायालयों में आये । तात्पर्य यह कि हर १०० विवाहित दम्पतियों में से ३.२१ ने विवाह विच्छेद के लिये न्यायालय के दरवाजे खटखटाये । 'रिपोर्ट आफ दि सुसाइड इन्कवारी कमेटी' अर्थात् गुजरात, सरकार की आत्म-हत्या समिति ने अपनी रिपोर्ट के पृष्ठ ४७ में प्रकाश डालते हुये लिखा है कि आत्म-हत्या के अधिकांश मामले पति-पत्नी में चले आ रहे लम्बे समय से झगड़े और मनमुटाव के कारण हुये । तलाक तथा आत्म घात की यह बढ़ती हुई संख्या पारिवारिक जीवन में भीतर ही भीतर सुलग रहे ज्वालामुखी के संकेत मात्र हैं और यह चेतावनी देते हैं कि यदि समय रहते भारतीय जन सजग नहीं होते तो उसके भयङ्कर दुष्परिणाम पीढ़ियों तक भुगतने पड़ सकते हैं । बढ़ते हुये बाल अपराध युवकों की उच्चकूलताओं के कारण की खोज की जाये तो वह संस्कार विकृत दाम्पत्य की ही देन मिलेंगे । आधे-अधूरे मन से काम करने वाला काम भी वैसा ही फूहड़ करेगा जो हर कहीं बदसूरती फैला रहा होगा । दिन भर की हाय ! हाय !! तथा जलन और कुढ़न से स्वास्थ्य पर गम्भीर प्रतिक्रिया होनी अवश्यम्भावी है सो आज के रोग विशेषज्ञ कहते ही हैं कि आज की भयङ्कर बीमारियाँ शरीर से उतनी नहीं आती जितनी मन से । मन रोग ग्रस्त हो तो शरीर नीरोग रहे यह असम्भव बात

है । इस तरह की असंख्य समस्यायें वहाँ से पैदा होती हैं जहाँ से शान्ति और शीतलता की सुगंधित बयारि प्रवाहित होनी चाहिए थी । जहाँ से समाज को स्वच्छ और निर्मल बनाने वाली पतित पावनी स्नेह गंगा प्रवाहित होनी चाहिये थी ।

मनोवैज्ञानिक और आज के तथाकथित विशेषज्ञ इन समस्याओं का विश्लेषण प्रस्तुत करते हैं तब स्थिति और भी उपहासास्पद हो उठती है । सन्त जरथुख्र अपने शिष्यों को एक कहानी सुनाया करते थे—एक गाँव में बहुत खूँखार भेड़िया रहता था । वह आये दिन ग्रामवासियों को आतंकित किया करता था । सवेरा होने पर गाँव के प्रमुख व्यक्ति भेड़िये के फंजों के निशान ढूँढ़ते, उसकी लम्बाई चौड़ाई पर बहस करते, उसके रंग रूप की चर्चा करते पर यह कोई पता न लगाता कि वह रहता कहाँ है । आता कहाँ से है और उसे नष्ट किस तरह किया जा सकता है ।

जरथुख्र कहते—समस्याओं के वास्तविक कारणों का पता न लगाना भी इस गाँव वालों की कोरी बहस की तरह है ।

विशेषज्ञों की राय में पारिवारिक क्लेश का कारण (१) दहेज हो सकता है । लालची पति दहेज न पाने की नाराजी अपनी पत्नियों पर निकालते हैं, पर ऐसा बहुत कम होता है । हमारा उद्देश्य उन स्थिर सम्बन्धों का विवेचन करना है जो हर सामान्य गृहस्थ के जीवन के साथ जुड़े हुये रहते हैं ।

(२) दूसरा कारण बताया जाता है । पति-पत्नी का एक-दूसरे के प्रति-पूर्वाग्रह । यह समस्या अधिकांश स्त्रियों की ओर से उठती हैं । व्यावहारिक बुद्धि की कमी के कारण तथा भावुक अधिक होने के कारण उन्हें यह तो ध्यान नहीं रहता कि पति की आजीविका क्या है ? उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है—वह आये दिन वस्त्राभूषणों की फरमाइश करती रहती है जानते हुए भी दूसरों की प्रतिद्वन्द्विता में वे पतियों को कोंचती रहती हैं । प्रारम्भ में तो अत्यधिक आकर्षण के कारण वह कर्ज भी लेता है, पर माँगों के अनौचित्य पर ध्यान नहीं देता पर जब ध्यान आता है तब तक स्थिति विषम हो चुकी होती है फिर निपटारे का कोई रास्ता सूझ नहीं पड़ता ।

पति-पत्नी दोनों का अपना अपना स्वाभिमान होता है । प्रेम की भावना में वे एक-दूसरे में आत्मसात् होते हैं इसलिये किसी को अपने स्वाभिमान की बात ही याद

नहीं आती पर जैसे ही दोष निकालने की परम्परा चल पड़ी, दोनों ही अपने स्वाभिमान को प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लेते हैं, ऐसे अवसरों पर स्त्रियों पत्नियों की मायके चले जाने की बात आग में घी का काम करती है। यह जानते हुए भी लड़की पिता के घर अधिक समय तक नहीं रह सकती, न ही वहाँ उसे लम्बे समय तक आश्रय और सम्मान-मिल सकता है। कुछ उसकी कुछ घर वालों की भूल से विवाह के अवसरों पर। यह समस्या अक्सर आती और टूटते हुए स्नेह, बन्धन को और भी धक्का मार जाती है।

यह सब ऊपरी कारण हैं। मूल समस्या वहाँ से चलती है, जहाँ से विवाह शब्द प्रारम्भ होता है। जिन दिनों हमारे समाज में दाम्पत्य सम्बन्धों की समरसता और मधुरता चरम स्थिति में थी उस समय के लोगों को विवाह के उद्देश्यों, उत्तरदायित्वों और उन्हें निबाहने की अपेक्षित योग्यताओं का ज्ञान होता था। विवाह मात्र प्रजा उत्पत्ति का कारण न होकर आत्मविकास के पवित्र साधन के रूप में माना जाता था। इस श्रद्धा निष्ठा और योग्यता के कारण ही यहाँ का वैवाहिक जीवन अन्त तक मधुर बना रहता था जबकि अब ऐसे विवाहों की संख्या सीमित हो गई और केवल भावना प्रवाह में या अनजान में हुये विवाहों की भरमार है। प्रेम विवाह-दहेज लेकर विवाह, रंग रूप और शिक्षा को महत्व देकर हुये विवाह हों अथवा बाल्यावस्था में केवल परम्परा के रूप में हो गये विवाह हों दोनों में ही विघटनकारी तत्व जन्म से ही पनपे हुये होते हैं आगे की परिस्थितियाँ तो खाद-पानी के रूप में उन्हें विकसाती भर हैं। जब तक यह दोनों बातें नहीं हटतीं लाख मनोवैज्ञानिक प्रयत्नों के बावजूद पारिवारिक जीवन में निष्ठा और दृढ़ता आ नहीं पायेगी।

हमारे सामाजिक संस्कारों का स्वरूप ऐसा होना चाहिये जिसमें युवक-युवती भावनाओं के प्रवाह में बहने की अपेक्षा ठोस धरातल के चिन्तन करना सीखें, उनमें इतनी बौद्धिक प्रौढ़ता भी रहनी चाहिये कि वे इस महान दायित्व को निभा भी सकें यदि इस मात्र खेल समझा गया तो न केवल विवाहों का उद्देश्य नष्ट होगा अपितु दाम्पत्य जीवन की दुर्दशा के साथ-साथ सामाजिक दुर्दशा भी सुनिश्चित समझनी चाहिए।

इस सभ्य डकैती से भी जूझिए

पिछले दिनों मध्य प्रदेश के गाँव में एक शाम किसी बारात ने घोड़ी पर चढ़कर, बैण्ड बाजे बजाते हुए प्रवेश किया। गाँव बहुत बड़ा था और उस समय कई शादियाँ भी चल रही थीं इसलिए किसी का ध्यान इस ओर नहीं गया कि बारात किसके घर आयी है। साज सजावट में हरेक बाराती के पास बन्दूक थी। कुछ लोग पैदल चल रहे थे और कुछ घोड़ियों पर। दूल्हा बना बैठा व्यक्ति बड़ा फब रहा था और गैस बत्तियों से जुलूस को इतना सजाया गया था कि जो भी देखता उसी में सम्मिलित हो जाता। इतनी शान और इतने ठाट के साथ बारात किसके घर आयी है यह हर कोई एक-दूसरे से पूछ रहा था और उत्तर देने वाला शायद के 'अन्दाज' में ही अपना कुछ अनुमान बता पाया था।

लेकिन न तो वह बारात थी और न जुलूस। असलियत का पता उस समय लगा जब जुलूस गाँव के सेठ की हवेली के सामने जाकर रुका और बन्दूक का फायर हुआ। हवेली में तो ब्याह शादी जैसी कोई व्यवस्था ही नहीं दिखाई दे रही थी। अब लोगों को असलियत जानने में देर नहीं लगी और सभी सिर पर पैर रखकर भागे। बाराती बनकर आये ये डाकू गिरोह के सदस्य थे और उद्देश्य था गाँव को लूटना। जिस खुलेपन से दिन दहाड़े उन लोगों ने गाँव में प्रवेश किया वह उनकी चालाकी और चतुरता का ही प्रमाण है और बाराती बनकर आये ये डाकू रास्ते का कोई भी व्यक्ति हटाने के लिए बिना एक भी गोली बर्बाद किए किस प्रकार आसानी से अपनी मन्जिल तक पहुँचे। गोलियाँ चलीं तो लोग समझते रहे शादी का मौसम है, रोने पीटने की आवाज आयी तो लोग समझते रहे शादी का मौसम है और डाकू सोने चाँदी के जेवरों की गठरियाँ बाँधते रहे, तो भी ऐसे व्यक्तियों का अभाव नहीं था जो देखकर यह सोचते रहे कि शादी का मौसम है।

इस घटना में डाकेजनी का शिकार हुआ वह परिवार बड़ी दयनीय दुर्दशा में आ गया। जीवन भर की मेहनत से कमाई और एक-एक पैसा बनाकर जोड़ी गई धन-सम्पत्ति एक पाई भी न बची। कितनी मानसिक पीड़ा सहनी पड़ी होगी उस परिवार को। बताया जाता है कि उस

३.१७ विवाहोन्माद : समस्या और समाधान

परिवार के मुखिया का प्राण तो दहशत के मारे ही निकल गया । बाराती बनकर आये डाकुओं की यह घटना एक और तथ्यपूर्ण स्थिति की ओर इंगित करती है । विचारणीय है यह प्रश्न कि विवाह के अवसर पर घोड़ी पर सवार हो, बैण्ड-बाजे और रोशनी उजाले से सजी-धजी मित्र-मण्डली बारात को साथ लेकर दूल्हा जब कन्या परिवार की दहलीज पर आता है और उस समय भी बन्दूक चलती है । यह बात और है कि नाल का मुँह आकाश की ओर हो और उसमें केवल बारूद ही भरा हो छर्रें नहीं तो भी क्या किसी लुटेरे से कम लगता है ।

घोड़ी पर चढ़ आने बन्दूक चलने मित्रों का हजूम साथ लेने आदि सभी स्थितियाँ उस समय प्रत्यक्षतः डकैती बन जाती हैं जब दहेज माँग और नेग-जोग में वर तथा वर परिवार के सभी सदस्यों का निशाना घर में बिखरी हुई एक-एक कील भी बन जाती है । सारी क्रियाएँ एक जैसी हैं । बस फर्क इतना भर है कि डाकू मारपीट करते और वर परिवार के लोग इतना भर करने से चूके रहते हैं । कहीं-कहीं तो वह भी हो जाता है अन्यथा व्यंग्य बाण और कटाक्ष वचनों की गोलियाँ तो जबान की बन्दूक से निकल कर एक दूसरे को छेदती ही रहती हैं ।

ब्याह शादियों में एक दहेज प्रथा ऐसी है जिसकी अन्य सन्तानें नेग-जोग द्वारा चढ़ाई आदि कई-कई कुरीतियों के रूप में जन्म ले चुकी हैं और प्रत्यक्ष रूप से, बिना श्रम के रकम मिल रही है तो इसके समर्थन में तर्क भी खूब दिए जाते हैं । लगता है-लड़के वाला कन्या को जीवन भर अपने घर रखने का खर्च वसूल कर लेने के लिए ही कृत संकल्प हों ।

कहा जाता है कि दहेज ले रहे हैं तो कौन सा अनाचार किया जा रहा है । हम उनकी बेटी को जीवन भर अपने घर रखकर पालेंगे, खिलायेंगे, पिलायेंगे, पहनायेंगे भी तो सही । जीवन भर का खर्च जोड़ा जाय तो वह लिए गये दहेज की तुलना में अधिक ही होगा ।

बात सही लगती है । परन्तु इसी बात का दूसरा पहलू भी विचारणीय है । माना कि कन्या पर आने वाले खर्च का हिसाब-किताब भी ही चुकता किया जा रहा है तो कन्या की इस सेवा का मूल्य कौन चुकायेगा जो वह जीवन भर करते हुए उसकी अधिकारिणी बन जाती है । सामान्य से सामान्य रसोइया जो केवल दाल-शाक ही बनाता हो, पाँच व्यक्तियों का खाना बनाने के लिए ३०-४० रुपये से कम नहीं लेगा । बर्तन माँजने, झाड़ू निकालने और

चौका बुहारी करने वाली महरी भी २५-३० से कम पर क्या राजी होगी । फिर कपड़े धोने, बच्चे खिलाने और भी घर का छोटा-मोटा काम जो दिन भर में कितना ही निकलता है इस हिसाब से करवाया जाय तो २०० रुपये महीने का बजट बनता है । लड़की के खाने-पीने का खर्च और कपड़े पहनाने की कसर तो ब्याह के अवसर पर निकाल ली, अब दो ढाई हजार रुपये वार्षिक पारिश्रमिक भी तो चुकाना आवश्यक है ।

नहीं उसका कोई पारिश्रमिक नहीं चुकाया जा सकता । मजदूरी का तो मूल्य है परन्तु सेवा का मूल्यांकन कर पाना असम्भव है । उसका अपमान तो है ही और उसी प्रकार जीवन भर पालन-पोषण करने की बात भी दहेज का आधार सिद्ध नहीं होती । उल्टे उस परिवार का ऋणी होना चाहिए जिसने बड़े नाज-ओ-अन्दाज से पाली हुई बेटी को पढ़ा-लिखाकर वर परिवार के सुपुर्द किया है ।

इन दिनों समाज सुधार की चली हवा भी लोगों का दृष्टिकोण नहीं सुधार पा रही है । कई व्यक्ति हैं जो दहेज प्रथा की हानियों पर बढ़ चढ़कर भाषण देते हैं परन्तु अपने पुत्र की शादी हो रही हो तो चुपचाप समधी तक यह सन्देश पहुँचा देते हैं कि लड़का पाँच हजार माँग रहा है या लड़के की माँ का कहना है कि कम से कम इतना तो होना ही चाहिए । इस प्रकार कहकर वे समझते हैं कि साँप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी । अर्थ यह है कि प्रत्येक अवसर पर दहेज और विवाहोन्माद को अवांछनीय ठहराते हुए-उसे अपनी आदर्शनिष्ठा व्यक्त करते हुए इस बहाने को रक्षा कवच बना लिया । कोई पूछे भी सही कि 'आप तो जीवन भर दहेज और लेन-देन को अनुचित ठहराते रहे फिर अपने बेटे की शादी में दहेज क्यों ले रहे हैं ?'

तो छूटते ही यही उत्तर निकलता है—'साहब क्या करें ! हमने तो बड़ा मना किया था परन्तु लड़के की माँ नहीं मानी ।' लड़का उन्होंने अपना मान लिया है और लड़की को हमें दे दिया अब उसकी शादी में सोचेंगे अर्थात् यह सिद्धान्तवादिता उस समय काम आयेगी जब लड़की की शादी करनी होगी । यह बहाने बाजी और दुर्मुँही नीति प्रच्छन्न और भयावह आत्म प्रवंचना ही है । कोई उनसे पूछे कि किसी का घर लूटने के लिए यदि कोई डाकू दल आपको अपने गिरोह में सम्मिलित करना चाहे तो आप किस प्रकार इसके लिए राजी होंगे । स्वयं ही अपने सिद्धान्तों का प्रवंचक बनकर किस प्रकार इस अपराध

से बचा जा सकता है। किसी गिरोह में सम्मिलित होकर डकैती डालने में कोई व्यक्ति अनिच्छा पूर्वक कैसे सम्मिलित होगा।

न तो माँ ने लड़के को लिया है और न बेटी को सौंपा है। इतना अवश्य है कि दूसरों के घर की खुशी को चाटने के लिए तथाकथित आदर्शवादी और आत्म प्रवंचक व्यक्ति की ही जवान लार टपका रही है। विवाह समस्या और दहेज प्रथा की कुरीति के सन्दर्भ में जब तक इस प्रकार नहीं सोचा जाता कि यह अनैतिक है, अवांछनीय है और अपराध पूर्ण है तब तक इस कुप्रथा का उन्मूलन नहीं हो सकता।

कैसी विडम्बना है कि लोग डाकेजनी और लूटमार को तो अवांछनीय और अपराध पूर्ण बताते हैं परन्तु कुरीतिपूर्ण आज के प्रचलित विवाहों में समधी की ललचायी आँखों और गला घोट देने के उतारू दीखने वाले हाथों को निरपेक्ष और अपरोक्ष समर्थन के भाव से देखते रह जाते हैं। जो लोग हिंसा, अपहरण और लूटमार पर उन्मूलन की बात करते हैं और ऐसी घटनाओं के साथ आतंकित करने वाले अवांछनीय तत्वों का सामना करने के लिए साहस पूर्वक आगे आते हैं उन्हें इस प्रकार की सुसम्पन्न डकैती के समय भी आगे आना चाहिए।

दहेज न लो, न दो और न उसका समर्थन करो

विवाह-मानव जीवन की एक स्वाभाविक और सरल प्रक्रिया है। जहाँ कहीं मनुष्य रहता है वहाँ वह सम्पन्न होती रहती है। इसे सब जगह एक साधारण पारिवारिक कृत्य माना जाता है। उत्साह, उल्लास कौतूहल और नवीनता का उसमें समावेश रहने से उस अवसर पर उत्सव जैसे कुछ आयोजन भी हर जगह मनाये जाते हैं। पर वे होते ऐसे हैं जो प्रसन्नता का वातावरण बनाने में सहायक भर होते हैं उनका स्वरूप इतना विकराल नहीं होता जिससे उस व्यवस्था में संचालकों के प्राण ही निकल जायें। ऐसा सिर्फ अपने देश में होता है। यहाँ मनुष्य एक प्रकार से इस अवसर पर पागल जैसा हो जाता है। अपनी सामान्य समझदारी तक को तिलांजलि देकर वह करने को तैयार हो जाता है जिसे करने की किसी भी दृष्टि से कुछ भी उपयोगिता नहीं है।

अमेरिका संसार का सबसे सम्पन्न देश है वहाँ के विवाहों में वर-वधू को यहाँ से ज्यादा उत्साह होता है, क्योंकि उन्होंने वह सम्बन्ध अपनी मन मर्जी और पसन्दगी के साथ नियत किया होता है। इस अवसर पर हर्षोत्सव वे लोग भी मनाते हैं। पर वह होता मात्र परिवार और मित्रों तक ही सीमित है। दस-बीस आदमी उसमें सम्मिलित होते हैं। जलपान, नृत्य संगीत बधाई उपहार जैसे छुटपुट कार्य ही उस उत्सव में चलते हैं। समय भी कुछ घंटे का ही लगता है और आर्थिक दृष्टि से वह इतना हलका होता है कि किसी पर भार पड़ने का तो वहाँ प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता है। अमेरिका भौतिक दृष्टि से सम्पन्नता में, शिक्षा में एवं आज की तथाकथित सभ्यता में सबसे आगे है। वहाँ हर बात का मूल्यांकन किया जाता है और उसी के अनुसार व्यवस्था बनाई जाती है। विवाह का मूल्य और महत्व उनकी दृष्टि में एक छोटी-सी पारिवारिक घटना मात्र का है। सो उसी अनुपात से उसकी व्यवस्था बनती है। वर वधू गिरजे में जाकर पादरी की उपस्थिति में धर्म कृत्य करते हैं, सरकारी रजिस्टर में उस इकरार नामे को नोट कराते हैं। छोटा सा पारिवारिक उत्सव, जलपान हो जाता है। बात समाप्त, विवाह पूर्ण। न केवल अमेरिका में वर-संसार के प्रायः समस्त शिक्षित-अशिक्षित धनी, निर्धन, सभ्य-असभ्य धार्मिक नास्तिक देशों में इस सम्बन्ध में न्यूनाधिक मात्रा में लगभग एक-सा ही प्रचलन है। इस संदर्भ में प्रचलित प्रथा परम्पराओं में भिन्नता है। पर आर्थिक दृष्टि से विवाह को भार बनाया गया हो, ऐसा कहीं भी नहीं है।

वर वधू के अभिभावकों में से किसी को भी यह चिन्ता नहीं करनी पड़ती है कि विवाह का खर्च कैसे जुटाया जायेगा? वहाँ उपयुक्त लड़की लड़कों का जोड़ा मिलाने भर की ढूँढ़ खोज चलती रहती है। उसके अतिरिक्त विवाह के साथ चिन्ता का कोई कारण जुड़ा नहीं रहता। आर्थिक कारण तो बिल्कुल भी नहीं। असभ्य जंगलियों में वर पक्ष को पंच चौधरियों के लिए शराब दावत आदि की व्यवस्था जरूर जुटानी पड़ती है। पर सभ्य लोगों में उस जंगली प्रथा के भी अनुकरण की कोई आवश्यकता नहीं समझी जाती।

भारत अजीब देश है जहाँ की प्राचीन सभ्यता जितनी महान है उसका उतना ही निकृष्ट अपना प्रचलन है। विवाहोत्सव को ही लीजिये वह व्यक्ति, परिवार, और राष्ट्र के लिए वर्तमान रूप में एक प्रकार से अभिशाप ही बना

३.३६ विवाहोन्माद : समस्या और समाधान

हुआ है। इतना निरर्थक आडम्बर होता है, जिसे यदि बारीकी से देखा जाय तो उसमें ६६ प्रतिशत निरर्थक विडम्बना ही भरी पड़ी होती है। अलन-चलन और नेग-जीग को इतनी छुट-पुट प्रथा परम्परा उसके साथ जुड़ी होती हैं जिनका कारण महत्व और लाभ रत्ती भर भी समझ में आने योग्य नहीं होता। दावत और बारात में इतनी भीड़ जमा की जाती है जिसकी किसी भी प्रकार कोई आवश्यकता, उपयोगिता नहीं होती।

दावतों को अत्यन्त घनिष्ठ मित्रों तक और अपने समीपवर्ती कुटुम्बी संबंधियों तक सीमित रहना चाहिये। ऐसे घनिष्ठ लोग किसी के भी पाँच-पच्चीस हो सकते हैं। अधिक मित्रों की दावत करने वाला आत्म प्रवंचना ही करता है। जो इस जमाने में सामाजिकता एक प्रकार से टूट चुकी। ऐसे परिचित जिन्हें घनिष्ठ संज्ञा दी जा सके अब कहाँ? यदि परिचितों को घनिष्ठ कहा जाय तो हर पोस्टमेन के हजारों घनिष्ठ गिनाये जा सकते हैं। इन परिचितों को घनिष्ठ मानना अपने आपको धोखा देना है। फिर घनिष्ठ ही सही पर उसका अर्थ दावत के लिए भीड़ इकट्ठी करना और बारात का बवण्डर खड़ा करके अपना और दूसरों का समय तथा पैसा खराब करना किसी भी दृष्टि से बुद्धिमत्ता का चिह्न नहीं माना जा सकता।

अमीरी का स्वाँग बनाना दुनिया में सबसे ओछे किस्म का ढोंग है। जिन लोगों के पास गुजारे भर की व्यवस्था नहीं वे वधू के लिये हजार रुपये के कपड़े और कई हजार के जेवर बनवायें क्यों? किस लिये? जिनके पास मनोविनोद के लिये घर में हार्मोनियम या ट्रांजिस्टर तक नहीं है वे बारात में बैण्डबाजा बजवायें और दो घन्टे के लिए २००-१०००) फेंक दें। क्यों? किस लिये? विवाह के दिनों हर व्यक्ति अमीरी का ढोंग बनाने के मूड़ में होता है बरातियों से लेकर घर वालों तक हर एक को ऐसा स्वाँग रचने की हड़बड़ी मची होती है कि जो कोई उसे देखे उस पर अपनी अमीरी की ही धाक जम जाय। पोशाक से लेकर स्वागत सत्कार के उपकरणों तक में ऐसा ठाठ वाट बढ़ता जाता है, मानो कोई राजा महाराज कहीं से आये हों? बरातियों के दिमाग तो सातवें आसमान पर होते हैं। दो-दो कौड़ी के लड़के ऐसी शान जताते हैं मानो ये राजकुमारों से कम की आवश्यकताओं के आदी नहीं हैं। इससे साधन जुटाने में मेहमान का कचूर निकल जाता है। उस पर आर्थिक और व्यवस्था सम्बन्धी

मार इतना अधिक पड़ता है कि एक प्रकार से बिचारे का कचूर निकल जाता है।

आदि से अन्त तक विवाहोत्सव की क्रिया प्रक्रिया और उसके साथ जुड़ी हुई मनोवृत्ति का विश्लेषण कोई निष्पक्ष व्यक्ति करे तो उसमें कपड़े फाड़ने वाले पागलों जैसी चेष्टाओं की ही भरमार मिलेगी। तर्क, विवेक, कारण, आधार, लाभ और उपयोग को किसी भी कसौटी पर यह ढोंग या स्वाँग सही नहीं बैठता। फिर वर्तमान आर्थिक मंहगाई, बेकारी, बेरोजगारी और अव्यवस्था के जमाने में तो इस विडम्बना का कोई तुक ही नहीं रह जाता। समझदारी का एक कण भी कहीं बाकी हो तो उसका परामर्श यही हो सकता है कि इस 'तूफान बदतमीजी' को एक दम बन्द होना चाहिए। इसका न तो किसी को समर्थन करना चाहिये और न इस धमाल में किसी को सहयोग देना चाहिए किसी समझदार आदमी को अपनी अति घनिष्ठों को छोड़कर न किसी की बारात में जाना चाहिये और न दावत में शरीक होना चाहिए। संभव हो सके तो उन संयोजकों को इस प्रकार का स्वाँग रचने से रोकना ही चाहिए। रोकना संभव नहीं हो तो निरुत्साहित करना ही चाहिये। कम से कम इतना तो करना अति आवश्यक ही समझा जाय कि उसमें सम्मिलित होने, परामर्श देने का या प्रशंसा करने से तो बच कर ही रहा जाय।

हिन्दू समाज जितना पुराना है उतनी उसमें सड़न भी आ गई है। बूढ़े आदमी को जिस तरह दमा, खाँसी, गठिया, मोतियाबिन्द, कम नींद आदि कई बीमारियाँ घेर लेती हैं, उसी प्रकार अपने समाज को भी जाति और लिंग के आधार पर फैली हुई असमानता से लेकर मृत्युभोज और विवाहोन्माद तक अनेक विकृतियों, बीमारियों ने धर दबोचा है। या तो इनका इलाज करना पड़ेगा नहीं तो बूढ़े की जान लेकर ही यह हटेंगी। विवाहोन्माद का प्रश्न तात्कालिक और प्रचण्ड है। अन्य समस्यायें तो मंद विष की तरह हैं और वे धीरे-धीरे जलाने गलाने का काम कर रही हैं। पर विवाहोन्माद तो उस अग्रिकाण्ड की तरह है जिसे बुझाने का प्रयत्न न किया जाय तो सारे नगर को ही जलाकर समाप्त करने का कारण बनेगा।

हर व्यक्ति जिस समस्या के कारण दुःखी और उद्विग्न हो रहा है, हर किसी के गले में जो कुप्रथा फाँसी का फंदा बन कर कस गई है, उससे पिण्ड छुड़ाने का साहस एवं प्रयत्न न किया जाय यह कितने आश्चर्य की बात

है। इस सर्वमान्य अवांछनीयता के दुष्परिणामों को प्रत्यक्ष अनुभव में लाते हुए भुक्त भोगी भी उसके विरुद्ध आवाज न उठाये उसे छोड़ने का साहस न करें तो यही मानना पड़ेगा यह समूह अब मुर्दों का ढेर भर रह गया। जीवित समाजों में जो चिन्ह पाये जाते हैं वे जहाँ दृष्टि गोचर न हों वहाँ जीवितों को भी मृत ही कहा जाना चाहिये। लुहार की धोंकनी साँस लेती है, चक्की अनाज खाती और चाबी के खिलौने हरकत करते हैं पर उन्हें जीवित नहीं कहा जा सकता। जिन्हें शरीर यात्रा चलाने भस् का अभ्यास है जो हित अनहित के बीच अन्तर नहीं कर सकते, लाभ-हानि नहीं सोच सकते और जो अनुचित अवांछनीय है, जो कूड़े करकट की तरह बाहर फेंकने की हिम्मत नहीं कर सकते, उन्हें कोई जीवित क्यों कहेगा? किस आधार पर कहेगा? कुरीतियों को आँख मूँद कर कान बन्द कर सहन करते जाना इस वास्ते का सबूत है कि यह वर्ग अपनी जीवनी-शक्ति विवेकशीलता जागरूकता और सतर्कता खो चुका। ऐसे मृतकों को प्रकृति आज नहीं तो कल सड़े हुये कूड़े के खड्डे में नष्ट होने के लिये ही फेंकेगी।

यदि हमें जीवितों और जाग्रतों की पंक्ति में खड़ा होना है तो एक-एक करके इन कुरीतियों की जोंकों को अपने शरीर में छुड़ाकर फेंकना होगा, जो सारे रक्त को पिये जा रही हैं। दहेज की विवाहोन्माद की प्रथा ऐसी ही भयावह है जिसे सहन और स्वीकार करने से सर्वथा इनकार कर दिया जाना चाहिए। हमारा नारा होना चाहिये। “दहेज मत लो, मत दो और मत उसका समर्थन करो।” हम दहेज लेने के लालच को अविलम्ब छोड़ दें। अपने लड़के के सम्बन्ध में पहिले से ही यह निश्चय करके रखें कि जब भी उनका विवाह करेंगे, दहेज नहीं लेंगे। प्रत्यक्ष रूप से ही नहीं परोक्ष रूप से भी। आज मनुष्य की दुष्टता प्रकारान्तर में धूर्तता का जामा पहन कर पिछली खिड़की से चोर दरवाजे से घुस आने में प्रवीण होती जाती है। प्रत्यक्ष ये लोग ना-ना कहते रहते हैं और परोक्ष में हाँ-हाँ। सिर इनकारी के लिये हिलता रहता है और हाथ पीछे की ओर से स्वीकृति का इशारा करता रहता है। अब यह धूर्तता प्रत्यक्ष मौलभाव से भी अधिक घृणित है। विष देकर मारने की अपेक्षा लाठी से मारना और फाँसी पर चढ़ने में कम से कम बहादुरी तो है। अपनी इज्जत बनाने के लिये सफेद पर्दा ओढ़ना और छिपकर काले कारनामे करना यह तो और भी बुरा है।

सो अपने लड़कों पर दहेज न लेने की प्रतिज्ञा जिसे भी करनी हो सच्चाई और ईमानदारी से करनी चाहिये। उसे प्रत्यक्ष और परोक्ष की बात नहीं सोचनी चाहिये। जो करना सो स्पष्ट। जो न करना सो स्पष्ट, यही नीति अपनी हर बात में रहनी चाहिए। दहेज न लेने के बारे में भी।

अपनी लड़की के बारे में यह निश्चित करना चाहिए कि दहेज नहीं देना। कन्या को कुछ देना पिता की इच्छा एवं स्थिति पर निर्भर रहना चाहिये। जो दिया जाय वह लड़की का हक है। बाप और बेटी के बीच के इस प्रदान अनुदान में किसी तीसरे को हस्तक्षेप करने की चेष्टा नहीं करनी चाहिये। लड़के को न उसके अभिभावकों को इस प्रकार की इच्छा कतई नहीं करनी चाहिए। किसी लड़की को उसका बाप कुछ दे और उसे समुराल वाले झपट लें अथवा वर निखट्टू की तरह अपनी पत्नी की कमाई खाने की इच्छा करे तो उन्हें निर्लज्ज और अनैतिक ही माना जाना चाहिये। ऐसे कृपण, कृतघ्न और अनैतिक व्यक्तियों के घर में अपनी कन्या को देने के लिये किसी भावनाशील को तैयार नहीं होना चाहिए।

इस प्रयास में यह हो सकता है कि आज के युग समाज में अच्छे लड़के न मिलें। ऐसी दशा में लड़की के पिता और लड़की को इतना साहस इकट्ठा करना चाहिये कि कसाइयों के हाथ बिकने की अपेक्षा लड़की अविवाहित रह जाय और बिना शादी किये स्वावलम्बी जीवन बिताले। दहेज का पैसा लड़की की शिक्षा पर खर्च कर दिया जाना चाहिए। ताकि वह अपने पैरों पर खड़ी होने और अपना भार स्वयं उठाने की स्थिति को स्वीकार करके अपना जीवन यापन कर सके। यह स्थिति बुरी है पर कसाइयों के हाथ सौंपने से अधिक बुरी नहीं। दो बुराइयों में से एक चुनने की विवशता हो तो हल्की बुराई ही चुननी चाहिए। दहेजखोर खूनी भेड़ियों के यहाँ अपनी लड़की जाय इसकी अपेक्षा उसका अविवाहित रहना लाख दर्ज अच्छा है। हर समझदार लड़की को और हर विवेकशील अभिभावक को आज की विपन्न स्थिति में इतना साहस और त्याग करने के लिये तैयार होना चाहिये। अनीति से लड़ने में चोट खाने को भी तैयार रहना पड़ता है। ‘दहेज न दो’, के झन्डे के नीचे एकत्रित होकर सभी लड़की वालों की माया के असुर से लड़ने को तैयार होना चाहिए और हर लड़ाकू सैनिक चोट खाने को तैयार रहता है। उसी प्रकार इसके लिये भी तैयारी करनी चाहिए कि

आज की दुष्टता के वातावरण में यदि ठीक लड़के न मिलें तो अविवाहित जीवन स्वीकार है। ऐसी स्थिति आने पर हर अविवाहित लड़की तथा उसके अभिभावकों को गर्व करना चाहिये कि अनीति के साथ असहयोग करने में उसने चोट खाई। स्वतन्त्रता संग्राम के सेनानी, राजनैतिक पीड़ितों का सर्वत्र सम्मान है। इस समाज पीड़ित वर्ग का भी सम्मान ही किया जायेगा। क्योंकि उन्होंने अन्याय के आगे झुकने की अपेक्षा टूटना स्वीकार किया।

जब इतना साहस उत्पन्न हो जायेगा तो इस सर्वथा अविवेक भरी कुप्रथा के उन्मूलन में देर न लगेगी। लड़कियों सहित अभिभावक इस आदर्श को अपनायेंगे तो सारे समाज के समस्त लड़के भी निखट्टू नहीं मिलेंगे, न और समस्त लड़कों के बाप ही हरामखाऊ सिद्ध होंगे। विवेकशीलता उस वर्ग में भी मिलेगी और जिस तरह दूध गरम करने से मलाई ऊपर आ जाती है वैसी ही दहेज न दो के नारे की प्रतिक्रिया, दहेज न लेने के रूप में भी प्रतिध्वनित होगी। एक मोर बोलता है तो दूसरे भी आवाज लगाने लगते हैं। आदर्शवादी कन्यापक्ष पहल करे तो वर पक्ष वाले को भी हया शर्म आयेगी और उनकी भी भलमनसाहत उभरेगी। यों इस दिशा में पहला कदम लड़के वालों को उठाना चाहिए। प्रायश्चित्त उन्हीं को करना चाहिये क्योंकि अनीति को प्रोत्साहन यही पक्ष देता है। विवशता उत्पन्न करने का कलंक उसी के मत्थे है। पर मान लीजिए उधर से हिचकिचाहट दिखाई जाय तो और दाढ़ में लगे खून का चस्का छोड़ना उन्हें कठिन प्रतीत हो तो पीड़ितों को, शोषितों को तो अड़कर खड़ा होना ही चाहिये। इसके बिना दूसरों का रास्ता साफ न होगा। इस आन्दोलन की चपेट में जो लड़कियाँ आयेंगी। अविवाहित रहने को विवश होंगी, उन्हें एक प्रकार से इस धर्मयुद्ध की शहीद ही कहा जायेगा। उनका त्याग बलिदान ही इस समाज की निष्ठुर कलंक, कालिमा को धोने में समर्थ होगा।

दहेज न ले, न दो के नारे वस्तुतः परस्पर पूरक हैं। हर घर में लड़की होती है और हर घर में लड़का, सो दोनों नारे एक साथ लगाने से एक आदर्शवादी परिवार बन जाता है। ऐसे आदर्शवादी परिवार के समूह कुछ ही दिन में बड़ी मात्रा में सामने आयेंगे और उनकी भी एक छोटी बिरादरी बन जायेगी। उसी में परस्पर विवाह शादी होते रहेंगे। यह वर्ग आँधी तूफान की तरह बढ़ेगा

और आदर्शवादी वर्ग इतना बढ़ेगा कि प्रतिगामियों को अपना काला मुँह दिखाना कठिन हो जायेगा। कठिनाई आरम्भिक कुछ दिनों की ही है। जहाँ हिम्मत वाले आगे आये कि उनके पीछे वह भीड़ सहज ही आकर खड़ी हो जायेगी। जो इस जाल-जंजाल से अपने प्राण बचाने के लिये आतुर हो रही है। आवश्यकता केवल अग्रगामी लोगों की है, जो आगे कदम बढ़ा सकें, नेतृत्व कर सकें, आगे स्वयं बढ़कर उदाहरण प्रस्तुत कर सकें। ऐसे साहसी दिखाई नहीं पड़ते। कायरता ने हर किसी को नपुंसक बना दिया है। जिस दिन हिम्मत आगे आ गई उसी दिन अन्धकार को चीरता हुआ जातीय भविष्य को उज्ज्वल बनाने वाला सूर्य उगता हुआ दृष्टिगोचर होगा। बात हिम्मत भर की है। गाल बजाने को, कुड़कुड़ाने को, सीना तानकर खड़े होने की स्थिति में विकसित किया जा सके तो समझना चाहिए बेड़ा पार हो गया।

‘दहेज न लो’ आदर्श विवाह योग्य लड़कों को, उनके अभिभावकों को अपनाया चाहिये। सयानी लड़कियाँ और उनके संरक्षक-‘दहेज न दो’ की प्रतिज्ञा कर लें और बीच के सभी लोग ‘दहेज का समर्थन न करो’ की नीति अपना लें तो यह सत्यानाशी विवाहोन्माद कागज के रावण की तरह बात की बात में जल भुन कर नष्ट हो जाय। जन साधारण को कसम खानी चाहिये कि दहेज के प्रसंग जहाँ भी चल रहे हों वह किसी भी प्रकार उसमें रती भर भी सहयोग न करेंगे। न मन से, न वाणी से, न व्यवहारों से किसी भी प्रकार उसमें अपना व्यक्तिगत प्रभाव समय, समर्थन नहीं मिलना चाहिये। जहाँ तक हो सके विरोध ही करना चाहिए और लालायित पक्ष को फटकारना धमकाना ही चाहिये। यदि वश न चले तो अपना हाथ तो उस दुष्कर्म में किसी भी प्रकार का सहयोग करने से खींच ही लेना चाहिये, जहाँ दहेज का, लेन देन का, फिजूल खर्ची के उन्माद का माहौल बन रहा हो, वहाँ असहयोग होना ही चाहिये। दावत न खाएँ बारात में न जायें, किसी प्रकार का सहयोग न दें। अन्याय को यदि रोका न जा सके तो उसके समर्थन सहयोग के पाप का भागीदार तो नहीं ही बनना चाहिए। यह असहयोग भी एक प्रचंड विरोध का काम करेगा और अविवेकी लोगों का अन्दर का उत्साह कुछ इससे भी ठण्डा पड़ेगा।

‘दहेज मत लो, मत दो, न उसका समर्थन करो’ की नीति क्रमशः लड़के वालों को लड़की वालों को और सम्बन्धित व्यक्तियों को अपनाने के लिये कटिबद्ध होना

चाहिये विवाहोन्माद की सर्वनाशी कुप्रथा से तभी पिण्ड छुड़ाया जा सकता संभव होगा । उसके लिये साहस करने का ठीक यही समय है ।

इस छद्म वेशी राक्षस को पहचानें

नव-निर्माण अभियान भारत के खोये वर्चस्व को स्थापित करके विश्व को सद्ज्ञान का सन्देश और सत्कर्म की प्रेरणा देना चाहता है । किन्तु जब तक यह देश स्वयं दुर्गति ग्रस्त है तब तक दूसरों की सद्गति क्या करेगा । ऊपर से आदर्श सिद्धान्तों का आवरण ओढ़े रहना काफी नहीं है । स्टेज पर मेकअप द्वारा पहलवान बनने से कार्य नहीं चलता । ऐसे पहलवान की दुर्गति कोई भी सामान्य व्यक्ति कर सकता है । भारत वर्ष की दुर्गति भी आन्तरिक खोखलेपन के कारण हुई । जब हमारा पुरुषार्थ सो गया, तो महाकाल की जय हम भले बोलते रहे किन्तु मुझी भर आदमियों को लेकर लुटेरे हमें लूट ले गये । सोमनाथ महाकाल की प्रतिमा को ही तोड़ ले गये और उन्हें अपमान जनक स्थानों पर लगा दिया ।

उसका दोष हम किसी आक्रांता को देकर मिथ्या सन्तोष भले कर लें किन्तु असली दोष हमारी कमजोरी को दिया जायेगा । हम उन मान्यताओं से चिपके रहे जो हमें भाग्यवाद और देववाद की आड़ में दुर्बल बनाती चली गयी । अंदर से हम खोखले हो गये । आध्यात्मिक क्षमता जागी नहीं और लौकिक क्षमता गंवा बैठे । असली आक्रांता वे नहीं जो हमारी बाह्य सम्पन्नता को लूटले गये, वरन् वे भ्रान्त धारणायें हैं जिन्होंने हमारे आन्तरिक ओज को, आन्तरिक मजबूती को लूट लिया—नष्ट भ्रष्ट करके रख दिया ।

आज भी हमारा समाज ऐसे छद्म वेशी आक्रान्ताओं से मुक्त नहीं है । ऐसा ही एक बड़ा खूँखार, बड़ा निर्दय तथा बड़ा जबर्दस्त लुटेरा हमारा प्यार बना हमारे बीच रहा है । वह है विवाहोन्माद । विवाहों के समय आजकल जो रीति-नीति बरती जाती है वह भले ही सामान्य सामाजिक परिपाटी कही जाय किन्तु वस्तुतः वह उन्माद, पागलपन से कम कुछ भी कहीं नहीं जा सकती उन्माद तो इसके लिए अच्छे से अच्छा सम्बोधन है—अन्यथा इसे जल्लादी राक्षसत्व पैशाचिकता भी कहा जाय तो अत्युक्ति नहीं । यह समाज के हर वर्ग को चूस-चूसकर फेंकता जा रहा है । इंसानियत को कहीं टिकने नहीं देना चाहता ।

उन्माद यह इसलिए कि अपनी यथार्थ स्थिति भूल कर हम विवेक हीन आचरण करने लगते हैं । पागल व्यक्ति के हर लक्षण विवाहोन्माद ग्रस्त व्यक्ति में देखे जा सकते हैं । उन्मादी को तो अपनी हर क्रिया स्वाभाविक लगती है, किन्तु यथार्थ स्थिति मापनी है तो अन्य लोगों के दृष्टिकोण से उसे समझना होगा । विवाह दुनिया भर में सभी जगह होते हैं । वह सामान्य पारिवारिक उत्सव के रूप में ही सम्पन्न होते हैं । न किसी का निरर्थक समय नष्ट किया जाता है और न निरर्थक धन बर्बाद किया जाता है । सामान्य रूप से मिलने-जुलने वालों के साथ जलपान करके प्रसन्नता व्यक्त करली जाती है । हर विवेकशील व्यक्ति की दृष्टि में विवाहों का वर्तमान क्रिया कलाप उन्माद से कम और क्या कहा जायेगा ?

उन्मादी व्यक्ति अपनी उपयोगी वस्तुओं को अपनी सनक में, बिना किसी उपयोगिता के नष्ट करता है । कभी निरर्थक रूप से चिल्लाता कभी रोता, कभी बच्चों जैसी हरकतें करता है, कभी राजाओं जैसी अकड़ दिखाता है तो कभी दीनों जैसा गिड़गिड़ाने लगता है यथार्थ स्थिति से उसे कोई मतलब नहीं उसके लिए तो उसकी अपनी सनक ही सब कुछ है ।

विवाहोन्माद के समय उपर्युक्त एक-एक उदाहरण बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से चरितार्थ होता दिखाई देता है । अपनी अपने परिवार की, अपने समाज की यथार्थ आवश्यकताओं को भुलाकर थोथी शान के प्रदर्शन में हम अपने श्रम की कमाई उड़ा देते हैं । निरर्थक की शान और अकड़ दिखाकर वैमनस्य तथा जीवन भर के लिए कटुता पैदा कर लेते हैं । हम समझते हैं कि हमने अपनी सम्पन्नता की अपने बड़प्पन की धाक जमा ली किन्तु वस्तुतः हम अपनी सम्पन्नता और प्रगति की जड़ पर कठोर कुठारा घात करते चलते हैं । यही कारण है कि सारे प्रयासों के बाद भी हमारा समाज पनप नहीं पा रहा है ।

यह उन्माद लड़की वालों को दहेज के रूप में, अपने दरवाजे की शान के नाम पर लड़के वालों को जेवर, प्रदर्शन आदि के नाम पर, बरातियों को थोड़े समय के लिए नवाब बन जाने की आकांक्षा के रूप में बर्बाद कर रहा है । यह सब चौराहे पर खड़े होकर नोटों की होली जलाकर अपना वैभव दिखाने जैसी मूर्खता है ।

यह कुरीति अपने समाज को बेईमान तथा अभाव ग्रस्त बनाये रखने के लिए सर्वाधिक दोषी है धन का विनियोग उचित कार्यों में इसीलिए नहीं हो पाता कि

३.४३ विवाहोन्माद : समस्या और समाधान

शादियों में खर्च के लिये धन संग्रह आवश्यक है। जितना पैसा बैण्ड-बाजे में खर्च होता है उतने से जो परिवार को सुविधा के लिए गाय या भैंस रखी जा सकती है। प्रदर्शनों पर जो खर्च होता है उतने से बच्चों को उचित शिक्षा तथा उचित पोषक आहार दिया जा सकता है।

एक सामान्य हिसाब लगाये। चार बच्चियों का पिता विवाह में औसत रूप से १५००० एक पर खर्च करे तो ६०००० रुपया चाहिए। इतना धन ईमानदारी से अधिकांश व्यक्ति नहीं कमा सकते। यह कुरीति अपने समाज को कभी ईमानदार बनने नहीं देगी। कमा भी ले तो परिवार तथा समाज की प्रगति में किसी की कमाई कभी भी नहीं लग सकेगी। सब कुरीतियों का पेट भरने में ही खर्च होती रहेगी तो समाज का हित साधन कैसा होगा।

समाज में कटुता यह बनाये ही रखेगा। लड़कियाँ देखती हैं कि पितृ परिवार को पति परिवार बुरी तरह चूस रहा है। उसके भाइयों की पढ़ाई उसके कारण नहीं होने पाती घर का आर्थिक सन्तुलन उसके कारण डगमगा रहा है तो उसके मन में समाज के प्रति विद्रोह तथा अपने अस्तित्व के प्रति घृणा भर जाती है। अगणित कन्यायें इस दृष्टि में पड़कर आत्महत्या या गलत रास्तों का अनुसरण कर जाती हैं। जो जीवित रहती हैं वे जीवन की लाश भर ढोती रहती हैं। इस दृष्टि से हम ऋषियों की सन्तान नहीं राक्षसों की सन्तान कहे जाने योग्य हैं। निरीह बच्चियों की कराह हमें सुनाई नहीं देती। उन्हें दहेज की बलि वेदी पर चढ़ाने में हमारा हाथ जरा भी नहीं काँपता, हृदय जरा भी द्रवित नहीं होता इस कथम के प्रमाण में जितने चाहें उतने उदाहरण दिए जा सकते हैं।

यह रोग हिन्दू समाज में कैसर की तरह लग गया है। यदि इसे ठीक नहीं किया गया तो यह उस सारे अङ्ग को गला डालेगा। ऐसे मनुष्यता से हीन समाज को जीवित रहने का हक नहीं है। यदि समाज को समाप्त करना हो तो लोगों को विवाहोन्माद से चिपके रहने के लिए उत्साहित किया जाय। यह समाज शीघ्र ही नष्ट प्रायः हो जायेगा। पर यदि बचाना है तो जन मानस में इसके प्रतिरोध उभारा जाय। जिस प्रकार अमेरिका में दास प्रथा के विरुद्ध जन आन्दोलन खड़ा कर दिया गया था, गृह युद्ध छिड़ गया था वैसी स्थिति भी पैदा करनी पड़े तो करें। अपने अन्दर इसके विरुद्ध आग पैदा करें। हनुमान की तरह अपनी पूँछ में आग लगाकर सारी लज्जा जला डालने की तैयारी करें।

धर्म संस्कृति की बात छोड़ भी दें तो अपने अस्तित्व के लिए भी हमें इस कुरीति को छोड़ना ही पड़ेगा। अपने बच्चों के लिए, अपने घर परिवार के लिए अपने राष्ट्र की समृद्धि के लिए हमें विवाहों के साथ जुड़े हुए अनीति पूर्ण अपव्यय तथा द्वेष बढ़ाने वाले व्यवहार को दूर करना ही होगा।

इसके लिए हर सम्भव उपाय करना होगा। यह रोग सामान्य नहीं है। जब खेत में दीमक लगती है तो उसे जलाना पड़ता है अन्यथा हर फसल चौपट होती चली जाती है। माता-पिता में युवकों में तथा लड़कियों में भी इसके लिए रोष पैदा किया जाय। युवकों को समाज की बर्बादी का लांछन अपने ऊपर नहीं लेना चाहिए। माता-पिता नयी पीढ़ी के जीवन से खिलवाड़ न करें। मातायें मातृत्व को अपमानित करने वाले इस असुर के विरुद्ध दुर्गा बनकर खड़ी हो जाये। लड़कियाँ ऐसी दीन-हीन स्थिति में विवाह करने से इनकार कर दें। बहुत से समाजों में वट वृक्ष से फेरे डालकर कन्या को सौभाग्यवती बनाने का रिवाज है। इन देवताओं के गुणों से युक्त कोई युवक उन्हें वरण करना चाहे तो करे—अन्यथा स्वयं स्वावलम्बी जीवन व्यतीत करने में क्या हानि है ?

भारतीय समाज पर एक बहुत बड़ा कलंक—दहेज प्रथा

हमारे समाज को नैतिक रूप से खोखला और आर्थिक रूप से अपङ्ग कर देने वाली कुप्रथाओं में दहेज प्रथा की जितनी भी निन्दा-भर्त्सना की जाय कम है। दहेज विरोधी अधिनियम होने के बावजूद भी यह कुप्रथा क्यों बनी हुई है ? यह विज्ञ समाज के लिए विचारणीय तथ्य है। समाज शास्त्रियों का कहना है कि दहेज की व्यापक महामारी मानवी-मूल्यों के हास के कारण फैली है—अर्थ को अत्यधिक प्रमुखता दिये जाने की जन-मान्यता के कारण प्रत्यक्ष न सही, परोक्ष रूप से वह बढ़ती ही जा रही है। यद्यपि विचारशील वर्ग में कुछ जागृति आई है और वे दहेज के प्रति आक्रोश भी व्यक्त करते हैं, किन्तु उनकी यह अभिव्यक्ति प्रायः कन्या के विवाह के समय देखने में आती है, लड़के के विवाह का अवसर आते ही उनकी भी लोभ वृत्ति जाग पड़ती है और लड़के के पालन-पोषण, शिक्षा आदि में व्यय की गई धनराशि को ब्याज सहित वसूलने की कोशिश करते हैं। यहाँ यह नहीं कहा जा रहा है कि सभी लड़के

वालों की विवाह के समय यही मनोवृत्ति होती है किन्तु बिना माँग-जाँच के शादी करने वालों की संख्या दहेज लेने-देने वालों की तुलना में नगण्य ही मिलेगी ।

विवाह में दहेज कम मिलने के कारण कितनी ही हत्याओं की दर्दनाक घटनायें होती रहती हैं शायद ही कोई दिन ऐसा बीतता होगा जिस दिन समाचार पत्रों में इस तरह के अमानवीय कृत्यों की घटनायें न छपती हों ।

१७ नवम्बर १९६३ दैनिक हिन्दुस्तान के अनुसार आगरा जिले के थाना डाकी के अन्तर्गत आने वाले गाँव कछपुरा में एक युवा पत्नी को उसके पति, सास व ससुर ने जिन्दा ही गाँव की सीमा पर स्थित एक ट्यूबवैल के कुँएँ में ढकेल दिया और ऊपर से एक कनस्तर भर डीजल डालकर आग लगा दी । युवती जलकर माँस का लोथड़ा बनकर रह गई ।

बताया जाता है कि इस हत्या के वीभत्स दृश्य का मृतक के भाई ने स्वयं अपनी आँखों से देखा जो अचानक ही अपनी बहिन के कुशल समाचार जानने के लिए उस गाँव की ओर आ रहा था । पुलिस में नाम दर्ज लिखाई गई रिपोर्ट से पता चला कि विवाह के बाद से ही युवती के ससुराल वाले उसे दहेज कम लाने के कारण उत्पीड़ित करते थे जिससे वह कई महीनों से मायके में रह रही थी । गत दीपावली के एक दिन बाद दोनों पक्षों में समझौता होने के पश्चात वह ससुराल गई थी ।

२४ नवम्बर १९६४ के नवभारत टाइम्स में एक ऐसा ही समाचार छपा था । आगरा के अतिरिक्त जज श्री ओ० पी० सिंह ने राम प्रकाश नामक व्यक्ति को उग्र कैद की सजा दी । दहेज कम होने के कारण उसने अपनी पत्नी मीना की हत्या कर दी थी । हत्या में मदद करने के आरोप में रामप्रकाश की माँ प्रेमवती और भाई ओमप्रकाश को भी आजीवन कारावास की सजा दी गई है । मीना के पिता इन्दौर में एक छोटे कपड़े के व्यापारी हैं उनके छः लड़कियाँ और हैं । कहा जाता है कि मीना के ससुराल वाले विवाह में दिये गये गहने, कपड़े, बर्तन आदि से सन्तुष्ट नहीं थे । उस पर बार-बार रुपया पैसा लाने के लिए दबाव डाला जाता था ।

२५ सितम्बर १९६४ के दैनिक भागीरथी सन्देश में छपे समाचार के अनुसार सहारनपुर की पंजाबी कालौनी पटेल नगर में श्रीमती भूपिन्दर कौर नामक युवा पत्नी को जिन्दा जला दिया गया । पुलिस में लिखाई गई रिपोर्ट के अनुसार युवती के पति, सास-ससुर व नन्द ने उसे

दहेज कम लाने के कारण जीवित जला दिया । वे उसे लम्बे समय से उत्पीड़ित करते चले आ रहे थे तथा उसके माता-पिता के घर जाने अथवा चिट्ठी-पत्री लिखने तक पर कड़ा प्रतिबन्ध लगा दिया था ।

२५ नवम्बर १९६४ के पंजाब केसरी दैनिक में प्रकाशित समाचार तो दिल हिला देता है । उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में दहेज-लोलुपों द्वारा निर्दोष युवतियों की गत दिनों एक के बाद एक हत्यायें की गयीं । एक सर्वेक्षण के अनुसार इस जिले में गत वर्ष लगभग दो दर्जन महिलाएँ दहेज की बलि पर चढ़ाई जा चुकी हैं । इसी जनपद के ग्राम चकवाली के शुगन ने थाना झबरेडा में रिपोर्ट दर्ज कराई है कि उसके दामाद रणवीरसिंह एवं उसके परिवार के सदस्यों ने साँठ-गाँठ करके उसकी लड़की लीलावती को जहर देकर हत्या इसलिए कर दी कि उसने दहेज कम दिया था । पुलिस ने लीलावती के पति रणवीरसिंह एवं उसके परिवार के कुँवरपाल, बूँदीराम, रामस्वरूप व ब्रह्मपाल को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया । ऐसी ही एक घटना का विवरण इसी समाचार में और छपा है । सहारनपुर के ही दावकी गाँव के निवासी कुँवरपालसिंह ने मंगलौर थाने में अपने चाचा की लड़की मिथिलेश की हत्या की रिपोर्ट लिखाई जिसके अनुसार मिथिलेश की शादी लंदौरा गाँव के राजेन्द्र से हुई थी । शादी में दहेज कम मिलने के कारण उसका पति व परिवार के सदस्य उसे परेशान करते थे । मौका पाकर उन्होंने उसे जहर देकर मार डाला और उसकी मृत्यु तक को छिपाने का प्रयास किया । पुलिस ने मामले के रहस्य को खोज ही लिया पर मृतक के सन्तप्त परिवार को वे साँत्वना तो न दे सके ।

३ दिसम्बर १९६९ के दैनिक हिन्दुस्तान में छपी घटना तो सभ्य समाज के माथे पर पैशाचिकता का कलंक है । मुजफ्फरनगर के श्री ब्रजलाल की पुत्री 'पूनम' की हत्या बड़े ही रहस्यात्मक ढंग से कर दी गई । इसमें उसके पति का ही हाथ बताया जाता है । पूनम अर्थशास्त्र विषय में एम० ए० तथा सिलाई, बुनाई, कढ़ाई आदि कौशलों में प्रवीणता प्राप्त किए हुए थी । उसकी शादी मध्य प्रदेश के कटघोरा में सहायक अनुसंधान अधिकारी के पद पर कार्यरत राकेश गोयल के साथ हुई थी । विवाह के चार माह बाद ही दहेज रूपी दैत्य ने उसे ग्रस लिया ।

३.४५ विवाहोन्माद : समस्या और समाधान

पूनम की मृत्यु का समाचार फैलते ही पूरे नगर में शोक का वातावरण व्याप्त हो गया। कई सामाजिक संगठनों द्वारा इस कुकृत्य पर रोष व्यक्त किया गया तथा अनेक मौन जुलूसों एवं प्रदर्शनों का आयोजन किया गया। एक जनसभा में पूनम की माता ने जब कथित हत्या का विवरण दिया तो अनेक महिलाओं व पुरुषों की आँखों में आँसू झरने लगे। शोक विह्वल हो जाने के कारण कई वक्ता अपना मन्तव्य व्यक्त न कर सके। कोतवाली इन्स्पेक्टर महोदय ने ऐसी घटनाओं को समाज का कलंक कहा और इनके विरुद्ध संघर्ष छेड़ने का आह्वान किया।

दहेज के दानव के उत्पीड़न के कारण कितनी ही नव वधुएँ अत्याचार सहने की अपेक्षा मर जाना बेहतर समझती हैं और आत्महत्या करके उत्पीड़न से छुटकारा पाने का उपाय अपनाती हैं। आँकड़े बताते हैं कि विगत ५-६ वर्षों में महिलाओं द्वारा आत्म हत्याओं की घटनाओं में लगातार वृद्धि हुई है। इनके पीछे अन्य कारण भी हो सकते हैं किन्तु बहुतायत ऐसी घटनाओं की होती है जिनके मूल में किसी न किसी प्रकार कम दहेज के कारण ताना, व्यंग, उत्पीड़न आदि का ही हाथ होता है। गत वर्ष १८ नवम्बर के एक दैनिक पत्र के अनुसार अकेले दिल्ली नगर में २५ से ४४ वर्ष के आयु वर्ग में आग से जलकर मरने वालों में महिलाओं की संख्या पुरुषों की अपेक्षा दुगुनी हो गई है। दिल्ली प्रशासन के आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के अनुसार वर्ष १९६० के दौरान आग से मरने वालों में पैंसठ प्रतिशत महिलायें थीं जिनमें से अधिकांश २५ से ४४ वर्ष के आयु वर्ग की विवाहिताएँ थीं।

उत्तर प्रदेश के ही एक गाँव की घटना इससे मिलती जुलती है। वहाँ के एक सम्भ्रान्त कहे जाने वाले परिवार की नव-वधू प्रेमवती ने पास की नदी में कूदकर अपनी जान गँवा दी। दूसरे दिन पड़ोस के गाँव वालों ने लाश को देखकर स्थानीय थाने में सूचना दी। प्रमाणों के न मिल पाने से पुलिस कोई कार्यवाही न कर सकी। प्रेमवती के ससुराल वालों ने उसे दफना दिया। पीछे हुई खुश-फुस से यही ज्ञात हुआ कि प्रेमवती के ससुराल वाले उसके विवाह में मिले वस्त्र, आभूषण, बर्तन आदि से असन्तुष्ट थे और उसे तरह-तरह से ताने देकर उत्पीड़ित किया करते थे।

देखा जाय तो देश में ऐसा कोई भी विचारशील नहीं होगा जो दहेज प्रथा की आलोचना भर्त्सना न करता हो। शायद ही कोई समझदार व्यक्ति सैद्धान्तिक दृष्टि से इसका

समर्थक हो। आये दिन इस कुप्रथा के विरोध में गोष्ठियाँ आयोजित होतीं, चर्चाएँ चलती हैं। पत्र-पत्रिकाओं में इस विषय पर समय-समय पर लेख भी प्रकाशित होते रहते हैं जिनमें दहेज की कटु आलोचना की गई होती है। गोष्ठियों एवं चर्चाओं तक सीमित न रहकर दहेज लेने एवं देने को कानूनन भी अपराध घोषित किया गया है। ऐसा कृत्य करने वालों के लिए न्यायालय द्वारा दण्डित किए जाने का भी प्राविधान है।

इतने पर भी देखा गया है कि यह कुप्रथा यथावत बनी हुई है। प्रत्यक्ष न सही परोक्ष रूप से मोटी रकम दहेज में दिये बिना लड़कियों का विवाह होना कठिन पड़ रहा है। कारण क्या है कि दहेज प्रथा के विरोध में इतनी आवाज उठते हुए भी उसका उन्मूलन सम्भव नहीं हो पा रहा है। फलतः दहेज न दे पाने के कारण कितनी ही लड़कियों को लम्बी आयु तक अविवाहित रहना पड़ता है, माँग के अनुरूप रकम न मिलने पर विवाह के उपरान्त भी कितनों को उत्पीड़न एवं प्रताड़ना का शिकार बनना पड़ता है। धन के लालचियों, लोलुपों द्वारा कितनी ही नारियों को माँग की आपूर्ति न होने पर जलाने, मार डालने तक की घटनायें आये दिन प्रकाशित होती रहती हैं। निरन्तर उपेक्षा, तिरस्कार एवं प्रताड़ना न सह पाने के कारण कितनी को मुक्ति के लिए आत्म हत्या के लिए विवश होना पड़ता है। जहाँ यह स्थिति नहीं आने पाती वहाँ लड़की के विवाहोपरान्त उसके माता-पिता के साथ लम्बे समय तक के लिए गरीबी का अभिशाप जुड़ जाता है जिसके पाश से वे दीर्घ काल तक नहीं निकल पाते। विवाह का सुयोग न बन पाने के कारण भी कितनी ही लड़कियाँ आत्म ग्लानि की पीड़ा से छुटकारा पाने के लिए आत्म हत्या का अवलम्बन लेती देखी गयी हैं। दहेज की कुरीति के कारण देश में युवतियों की हत्या एवं आत्म हत्या की घटनाओं में किस तेजी से वृद्धि हो रही है, यह समाचार पत्रों के अवलोकन से पता चलता है। प्रस्तुत हैं कुछ लोमहर्षक घटनाएँ जिनमें दहेज के लोभियों ने माँग के अनुरूप धन-राशि न मिलने पर निरपराध देवियों को निर्ममता और निष्ठुरता पूर्वक मार डाला।

'पलवल' के निकट बारह कि० मी० दूर स्थित गाँव 'हरफली' की २१ वर्षीय युवती श्रीमती शीला देवी की हत्या दहेज की राशि न मिलने पर कर दी गयी। शीला के भाई श्री जयदेव, नवाबसिंह तथा वीरेन्द्रसिंह ने ससुराल वालों पर आरोप लगाया है कि उनकी बहिन को ससुराल

वाले दहेज को लेकर पिछले कई माह से उत्पीड़ित कर रहे थे और अन्ततः उन्होंने गला घोटकर हत्या कर दी। दैनिक पत्र भास्कर २६ जुलाई ६३ में प्रकाशित एक समाचार के अनुसार बदायूं में २५ जुलाई ६२ को पंजाबी क्वार्टर के निवासी श्यामलाल तथा उसके परिवार के अन्य सदस्यों ने मिलकर नव-विवाहिता की जलाकर हत्या कर दी। कहा जाता है कि पति-पत्नी के बीच दहेज की राशि को लेकर लम्बे समय से अनबन चल रही थी। धन न मिलने से ससुराल वालों ने एक कमरे में युवती को बन्द कर दिया तथा मिट्टी का तेल छिड़क कर शरीर में आग लगा दी। चीख-पुकार सुनकर मुहल्ले में भीड़ एकत्रित हुई। कमरे का दरवाजा तोड़कर अधजले शरीर को अस्पताल पहुँचाया गया। जहाँ पहुँच कर उसने दम तोड़ दिया। मरने के पूर्व पुलिस को दिये गये एक बयान में उसने आग लगाकर पति आदि द्वारा हत्या के प्रयास की पुष्टि की। बयान के आधार पर श्यामलाल को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है।

'नव भारत टाइम्स दैनिक पत्र' के अनुसार फर्रुखाबाद से ५० कि मी० दूर 'सारिख' थाने के पुरशेर गाँव में भी इसी प्रकार एक विवाहिता की निर्ममता पूर्वक जलाकर हत्या कर दी गयी। मृत युवती के भाई द्वारा पुलिस स्टेशन पर रिपोर्ट दर्ज कराई गयी कि उसकी बहिन की शादी पाँच छः वर्षों पूर्व श्रवण कुमार नामक एक व्यक्ति से हुई थी। घटना के दिन उसकी बहिन को मार-पीटकर एक कमरे में बन्द कर दिया गया तथा मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी गयी जिससे उसकी मृत्यु हो गयी। हत्या का कारण दहेज का न मिलना बताया जाता है। दैनिक पत्र 'हिन्दुस्तान' जुलाई ८१ में एक ऐसी ही घटना दहेज की माँग पूरी न होने से जला कर मारने की प्रकाशित हुई। मृत युवती के भाई ने पुलिस में रिपोर्ट लिखायी कि बहिन के ससुराल वाले सोने की जंजीर और एक गाय की माँग कर रहे थे। मेरे घर की स्थिति देने योग्य न थी। नाराज होकर मेरी बहिन को ससुराल के लोगों ने जलाकर मार डाला। सहारनपुर २६ अगस्त ८१ को पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करायी गयी कि मुहल्ला खान आलमपुरा में एक १६ वर्षीय नव विवाहिता फूल बानो की हत्या उसके शरीर पर पेट्रोल डालकर आग लगाकर कर दी गयी। मृत पुत्री के समक्ष बिलखती हुई उसकी माँ ने कहा कि "हमसे स्कूटर तथा सोने के आभूषण लड़के ने माँगे थे जिनकी आपूर्ति कर सकना आर्थिक विपन्नता के कारण

सम्भव न था। मेरी लड़की की हत्या इन निर्दयीयों ने इसलिए कर दी।"

'रुड़की' १ जुलाई स्थानीय पुलिस ने एक २१ वर्षीय नव विवाहिता की हत्या दहेज न मिलने पर करने के आरोप में ससुर, सास, पति तथा देवर आदि को गिरफ्तार किया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार युवती राजबाला के ऊपर उसके घर वाले अपने माता-पिता से स्कूटर माँगने के लिए दबाव डाल रहे थे। एक दिन इसी बात को लेकर उन्होंने राजबाला को इतना पीटा कि उसकी मृत्यु हो गयी। भेद खुल न जाय इस डर से रात को चुपके से लाश गंगा नहर में फेंक दी गयी बाद में जब राजबाला के लापता होने की अफवाह फैली तो पुलिस ने शव को नहर से बरामद कर लिया तथा हत्या के आरोप में घर वालों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

खैरथई, २६ मई १९६१ हिन्दुस्तान दैनिक पत्र ३० मई १९६१ में प्रकाशित समाचार के अनुसार मुंडावर कस्बे में एक महिला को गर्म चिमटे एवं लोहे के सलाखों से गोद कर ससुर तथा देवर द्वारा हत्या करने का प्रयास किया गया। आरोप है कि शादी के अवसर पर भगवती के अभिभावकों ने माँग के अनुरूप धन न दिये जाने से उस पर जुल्म डाना शुरू किया, निर्ममता इस सीमा तक पहुँची कि एक दिन उसे गर्म सलाखों के प्रहार से बेहोश कर दिया गया। मरणासन्न स्थिति में खबर मिलने पर भगवती के माता-पिता ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया। कई दिनों तक उपचार चलने के बाद किसी तरह उसकी जान बची। भगवती के भाई ने सम्बन्धित पूरी घटना की रिपोर्ट स्थानीय, पुलिस स्टेशन में रोते-रोते लिखायी। रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार करके हत्या के आरोप में जेल भेज दिया।

दहेज के कारण हत्या करने के अभियोग में मेरठ के प्रभावी सेशन जज श्री जी० के० माधुर ने मृत श्रीमती कुसुम की सास सावित्री की जमानत लेने से इन्कार कर दिया। हिन्दुस्तान दैनिक पत्र में छपे विवरण के अनुसार ७ जून १९६४ को कुसुम ने एक पत्र अपने पिता को लिखकर ससुराल के लोगों द्वारा पैसे की माँग को लेकर निरन्तर तंग किये जाने से अवगत कराया। १० जून को उसके पिता वस्तु स्थिति का पता लगाने कुसुम के घर पहुँचे पर इसके पूर्व ही ६ जून को कुसुम अग्नि की ज्वाला में दम तोड़ चुकी थी। सहारनपुर के श्रमिक नेता श्री सरदार लामसिंह जख्मी ने अपनी पुत्री ३० वर्षीय

३.४७ विवाहोन्माद : समस्या और समाधान

भूपिन्दर कौर को जलाकर हत्या किये जाने का विवरण दिया है। सरदार लाभ सिंह के छपे वक्तव्य के अनुसार 'मेरी पुत्री ने कई बार मुझ से कहा था कि पैसे के लोभी उसके पति तथा परिवार के अन्य सदस्य मिलकर किसी दिन उसकी हत्या न कर दें, मुझे कल्पना भी नहीं थी कि ऐसा भी हो सकता है। पर मेरी लड़की का सन्देह सच निकला। एक मित्र द्वारा सूचना मिली मेरी पुत्री भूपिन्दर की उसके घर वालों ने हत्या कर दी है। जाकर देखा तो भूपिन्दर कौर के जले शरीर को बाँधकर कार द्वारा किसी अज्ञात स्थान ले जाया जा रहा है। मेरा हृदय रो पड़ा। पुत्री की हृदय विदारक स्थिति देखकर मैं कार के आगे लेट गया। तब तक अन्य पड़ोसी भी एकत्रित हो गये। स्थिति बिगड़ती देखकर भूपिन्दर कौर के पति तथा उसके सहयोगी अधजले शरीर को छोड़कर भाग गये। अभी भूपिन्दर की हृदय की धड़कन चल रही थी। उसे लेकर शीघ्र ही अस्पताल पहुँचा पर अथक प्रयास के बाद भी वह नहीं बच सकी।

खण्डवा (म० प्र०) सत्र न्यायाधीश श्री बी० एल० श्रीवास्तव ने मूंदी के जगदीश शास्त्री नामक व्यक्ति को अपनी पत्नी को जलाकर मार डालने के अभियोग में दोषी पाकर आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया है। प्राप्त समाचार के अनुसार कमलेश नामक युवती का विवाह जगदीश से हुआ था। शादी में दहेज कम मिलने से जगदीश के माता-पिता तथा वह स्वयं कमलेश को प्रताड़ित करते रहते थे। १० नवम्बर ६० को अभियुक्त ने पत्नी के ऊपर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। अस्पताल में गम्भीर हालत में उसे पड़ोसियों ने भर्ती कराया पर उसे बचाया न जा सका। मरने के पूर्व कमलेश ने अपने बयान में पति जगदीश को तेल डालकर आग लगाने का दोषी ठहराया।

'नई दिल्ली' के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश श्रीमती सन्तोष दुग्गल ने पुत्र वधू को जला मारने के आरोप में दो सासों को आजीवन कारावास का दण्ड दिया। २१ वर्षीय हरदीप कौर को अभियुक्त दोनों महिलाओं ने डेढ़ वर्ष पूर्व उसके शरीर पर केरोसिन छिड़क कर आग लगा दी थी। हरदीप कौर को एक १० माह का नवजात शिशु भी था। बताया जाता है कि पुत्र वधू को मारने के पीछे महिलाओं का आशय यह था कि लड़के का विवाह किसी धनाढ्य घर में पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार कर दिया जायेगा।

दहेज के कारण उत्पीड़न की शिकार बनी महिलाओं को निरन्तर की पीड़ा से छुटकारा पाने का एक मार्ग आत्म हत्या दिखाई पड़ता है। पिछले कुछ वर्षों से युवतियों द्वारा आत्म-हत्या की घटनाओं में भारी अभिवृद्धि हुई है जिनके पीछे एक मात्र कारण दहेज रहा है। प्राप्त आँकड़ों के अनुसार वर्ष १९७६ में ६०० महिलाओं ने आत्म हत्या की। १९७७ में २७००, १९७८ में ३२००, १९७९ में ३५३० आत्म हत्या की घटनाएँ प्रकाशन में आयीं। १९८० में युवतियों को आत्म हत्या की चार हजार घटनाएँ दर्ज की गयीं अर्थात् वर्ष १९२६ में १९८० तक आत्म हत्या की घटनाओं में ५० प्रतिशत की वृद्धि हुई। सन् १९८० से १९९० तक में इसमें २० प्रतिशत की और वृद्धि हुई है, ऐसा विशेषज्ञों का कथन है।

विचारणीय तथ्य यह है कि कानून द्वारा दहेज को अपराध घोषित किये जाने तथा सर्वत्र विरोध की आवाज उठते हुए भी दहेज प्रथा का उन्मूलन सम्भव नहीं हो पा रहा है। फलतः अनेक मासूमों को प्रतिवर्ष दहेज की बलिवेदी पर अपनी आहुति देनी पड़ रही है। हत्या और आत्म हत्याओं की घटनाओं में निरन्तर वृद्धि होती जा रही है। इस सन्दर्भ में भारतीय समाज का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करना आवश्यक है।

एक विडम्बना तो यह है कि लड़की की शादी में जो दहेज की रकम देते हैं स्वयं भी अपने लड़के के विवाह में सूद ब्याज सहित वसूलना चाहते हैं। होना यह चाहिए कि लड़के पक्ष के ही दहेज प्रथा के उन्मूलन के लिए पहल करें पर लोभ का अवसर आते ही वे कन्या पक्ष की पीड़ा को भूल जाते हैं गलती कन्या पक्ष की भी कम नहीं है। विवाहों में धन को अधिक महत्व प्राप्त है। कन्या पक्ष के लोग ऐसे लड़के की तलाश करते हैं जो मात्र अधिक सम्पन्न हो अथवा किसी बड़े पद पर कमाऊ हो। गुण कर्म स्वभाव एवं संस्कार जैसी स्थायी तथा दाम्पत्य जीवन को माधुर्य पूर्ण एवं सद्भाव से युक्त बनाने वाली विशेषताओं पर ध्यान नहीं दिया जाता। फलतः इन मानवी विशिष्टताओं से रहित लड़के अधिकांशतः निर्मम एवं निष्ठुर होते हैं। धन का महत्त्व उनकी दृष्टि में सर्वोपरि होता है। उसे जैसे भी बने अर्जित करने का प्रयत्न करते हैं।

एक सुगम मार्ग इसके लिए दहेज ही दीखता है। कई बार ऐसे सम्पन्नों की दृष्टि यह भी रहती है कि घर में आयी नव वधू किसी तरह मर जाय तो किसी नये

सम्पन्न घर में रिश्ता जोड़कर दहेज की मनचाही राशि गांठी जाय । उत्पीड़न, जलाने, मारने का मनोवैज्ञानिक आधार यही है । अस्तु गलती दोनों पक्ष की है तथा इन हृदय विदारक घटनाओं के लिए लड़का पक्ष तो जिम्मेदार है ही लड़की पक्ष भी उतना ही दोषी है । कन्या पक्ष द्वारा जेवर, बहुमूल्य कपड़ों की माँग भी अवांछनीय माँगों के अन्तर्गत आती है । फलतः प्रकारान्तर से दहेज प्रथा को प्रश्रय मिलता है ।

समय की माँग है कि इस राक्षसी बर्बर प्रथा के उन्मूलन के लिए दोनों ही पक्ष समान रूप से विचार करें तथा प्रयास करें । आवश्यकता इस बात की भी है कि स्वस्थ एवं आदर्श विवाहों के प्रचलन के लिए लड़के लड़की के गुण, कर्म, स्वभाव को अधिक महत्व दिया जाय ।

दहेज की बलिवेदी पर निरीह बच्चियों का नृशंस वध

मनुष्यता के अनुबंध यह कहते हैं कि किसी पुरुष को बिना कोई कीमत चुकाए यदि आजीवन सेवा के लिए पत्नी मिलती है तो उसे न केवल उस महिला का वरन् उसके समूचे परिवार का भी आजीवन कृतज्ञ रहना चाहिए । बिना वेतन के दिन रात सेवा करने वाले सेवक किसी को कहीं मिल सकते हैं । यह उदार सेवा साधना तो मात्र नारी से ही बन पड़ती है कि वह अपने घर-परिवार को छोड़कर दूसरों के यहाँ रहे और मात्र रोटी, कपड़े पर दिन-रात आजीवन सेवा-साधना में रत रहे । इस प्रकार सहज ही अपना पितृ गृह छोड़कर अन्यत्र जाने को सहमत किसी नारी के प्रति ससुराल के प्रत्येक सदस्य को कृतज्ञ होना चाहिए । उपकार का बदला न चुका सकने पर भी निरन्तर ऐसा अनुभव करते रहना चाहिए कि उन्हें बहुमूल्य उपकार अनुदान प्राप्त करने का सौभाग्य मिला है ।

किन्तु हिन्दू समाज में होता ठीक इससे उलटा है । वधू से यह आशा की जाती है कि वह अपने साथ पिता के घर का सारा मालअसबाब भी ढोकर लायेगी । भले ही इसे जुटाने में उस परिवार को दर-दर भिखारी क्यों न बनना पड़े । माँग-जाँच तक बात सीमित रहे तो भी एक बात है । किन्तु होता यह है कि बढ़ी-चढ़ी राशि मिलने को अधिकार माना जाता है और न मिलने पर ससुराल वालों से तो प्रत्यक्ष लड़ना-झगड़ना बन नहीं पड़ता । उस निरीह लड़की को त्रास देना आरम्भ किया जाता है जो उस घर में पराश्रित होकर रह रही है और सताये जाने पर खुलकर न तो उसे प्रकट कर सकती है और न प्रतिरोध

करने की स्थिति में होती है । यह सताने का कृत्य इसलिए होता है कि वह अपने अभिभावकों से अपना कष्ट कहे और उसके निवारण के लिए कहीं से भी, किसी प्रकार भी जो राशि माँगी जा रही है उसे चुकाने का प्रबन्ध कराये ।

अभीष्ट धन देने की बहुत बार तो वधू के माता-पिता की स्थिति सचमुच ही नहीं होती । कई बार होती भी है तो वे सोचते हैं कि इतना धन विवाह में लगा दिया गया, अपना भी तो काम चलाना है, अपने को भी तो जीवित रहना है—फिर उचित कारण हो तो एक बात भी है । सुयोग्य कन्या सदा के लिए सेविका के रूप में दे चुकने और साथ ही विवाह में सामर्थ्य भर पैसा लगा देने के उपरान्त भी इस तरह की माँग को एक प्रकार से डकैती, राहजनी जैसा ही माना जायेगा । किसी अनुचित माँग के आगे सिर झुकाने के लिए भी किसी स्वाभिमानी और न्यायप्रिय आदमी का मन नहीं करता ।

इस खींचतान का दबाव उस निरीह बालिका पर पड़ता है जो अपना घर छोड़कर बड़ी-बड़ी आशाएँ और उमंगें लेकर ससुराल गई है । जहाँ तक सम्भव होता है वह ताने प्रताड़ना सहती और खून के घूँट पीती रहती है । बहुत बार तो इसी प्रकार तिरस्कृत प्रताड़ित स्थिति में दिन गुजारने से काम चल जाता है पर अनेक अवसरों पर ऐसी असह्य स्थिति आ बनती है जिसमें या तो वधू को आत्महत्या करके आये दिन की प्रताड़ना से छुटकारा पाना पड़े । या फिर ससुराल वाले ही उस असहाय के प्राण हरण कर लेते हैं । इसमें उन्हें एक दूसरा लाभ यह भी दीखता है कि एक वधू के मर जाने पर लड़के का दूसरा विवाह हो जायेगा और फिर पिछले विवाह की तरह और भी नया दहेज मिलेगा । इस प्रकार एक ही ढेले से दो शिकार होते हैं । माँग पूरी न होने पर अपहरण करने वाले डाकुओं की तरह हत्या कर देना और प्रतिशोध ठंडा करना, दूसरा नया विवाह होने पर अधिक धनराशि के मिलने पर दूना लाभ उठाना ।

यही कारण है कि नव वधुओं की हत्याएँ तथा आत्म हत्याएँ निरन्तर बढ़ती जा रही हैं । पैशाचिकता के नग्न नृत्य की यह विभीषिका इतनी भयावह है जिस पर न केवल उत्पीड़न सहन करने वालों को वरन् समूचे विज्ञ समुदाय को विचार करना चाहिए ।

इस सन्दर्भ में समाचार पत्रों में प्रकाशित कुछ घटनाएँ इस प्रकार हैं—औरंगाबाद के मराठवाड़ा क्षेत्र में सामाजिक कार्य कर्ताओं ने एक सर्वेक्षण में पाया कि ग्रीष्मकाल के

३.४६ विवाहोन्माद : समस्या और समाधान

सम्पन्न ८० प्रतिशत विवाहों में दुल्हनों को दहेज के रूप में तीस हजार से ५०,००० रुपये तक की राशि अपने दूल्हों के घर ले जानी पड़ी ।

सर्वेक्षण के अनुसार देहाती इलाकों में दहेज की राशि ३००० रुपये से लेकर २५००० रुपये तक है । शहरी क्षेत्रों में ६००० रुपये से ५० हजार रुपये तक है । इन्जीनीयर, वकील, डाक्टर, का न्यूनतम मूल्य २५ हजार है । फर्रुखाबाद से ५० किलोमीटर दूर सारिख थाने में एक व्यक्ति ने लिखाया कि उसकी बहन की शादी शेरपुर निवासी श्रवण कुमार के साथ छः वर्ष पहले हुई थी । इस बीच कोई बच्चा न उत्पन्न होने के कारण पति तथा परिवार वाले उसे प्रताड़ित कर रहे थे ।

सूचना के अनुसार काण्ड वाले दिन उसकी बहन को पति तथा ससुराल वालों ने मारपीट कर कमरे में बन्द कर दिया फिर उसके शरीर पर मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगा दी जिससे वह मर गई ।

परीक्षितगढ़ में ब्याही कुसुम नामक वधू के पिता ने विवाह में ५० हजार खर्च किया तो भी ससुराल वालों की उतने में तुष्टि न हुई । उनकी नई माँग बढ़ी और पूरी न होने पर लड़की की प्रतारणा आरम्भ कर दी तथा अन्ततः उसकी जान ले ली गई । मेरठ के प्यारेलाल शर्मा अस्पताल में कुसुम ने मजिस्ट्रेट के सामने कराहते हुए कहा—आज सुबह मुझे मेरी सास ने ऊपर मंजिल से चाय बनाकर लाने को कहा । मेरे रसोई में पहुँचते ही परिवार वाले पहुँच गये । मेरे मुँह में कपड़ा दूँसकर, हाथ-पाँव बाँध दिए, सब गहने उतारकर मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगा दी । जलने के समय-मेरे मुँह से कपड़ा निकल गया । मैंने बचाओ ! बचाओ ! चिल्लाया । पड़ौसी लोग आ गये । तब परिवार वाले मुझे निकालकर आग बुझाने लगे १७ जून १९८० को गर्भवती कुसुम विदा हो गयी । भाई की सूचना पर पुलिस ने सास-ससुर को पकड़ लिया और लोग फरार हो गये ।

इण्डियन एक्सप्रेस में छपे समाचारों के अनुसार दिल्ली नगर में ही ऐसी घटनाएँ आए दिन होती रहती हैं जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं—

भारत की शादी चार महीने पूर्व हुई थी । किन्तु जब से वह ससुराल आयी, उस दहेज के कारण तरह-तरह की यातनाएँ सहनी पड़तीं । उसके साथ अमानवीय बर्ताव किए जाते और समय-समय पर पीटी भी जाती । इन कुकृत्यों का उत्कर्ष गुलमोहर पार्क स्थित ससुराल में उसे जिन्दा जलाकर किया गया ।

२० वर्षीय गर्भवती ऊषा रानी ने अपने ससुराल वालों से तड़ आकर आत्महत्या कर ली । बताया जाता है कि इसके पीछे दहेज ही प्रमुख कारण था । ऊषा के माँ-बाप दहेज में पर्याप्त धन नहीं दे पाये, जिसके कारण उसे अपने सास व पति का कोप भाजन बनना पड़ता । अन्ततः उसने ८ जून को इन सबसे ऊबकर खुदकशी कर ली ।

पंजाबी बाग मुहल्ले में प्रेमलता नामक महिला भी इसी कुप्रथा का शिकार हुई । ३० मई की रात्रि को उसके पति और देवर ने उसे जलाकर मार डाला ।

कुसुम को भी इसी क्रूर प्रथा ने उदरस्थ कर लिया । दहेज की प्यासी उसकी सास ने मिट्टी का तेल छिड़क कर उसे मार दिया ।

मोर सराय, चाँदनी चौक की २० वर्षीय कान्ता को उसके पति ने छुरा से कतर-कतर कर २३ अप्रैल को मार डाला । बताया जाता है कि उसके बेरोजगार पति की टी० वी० और रेफ्रीजरेटर की माँग थी । चूँकि उसके ससुराल वाले उसकी माँग पूरी करने में असमर्थ थे, अतः उसने इसका प्रतिकार कान्ता की मौत के रूप में किया ।

सहारनपुर निवासी २५ वर्षीय रामा माहेश्वरी को भी इसी कुचक्र में पड़कर प्राण गँवाने पड़े । उसके देवर, ससुर और सास ने इस कुकृत्य में हिस्सा लिया । हत्या के बाद उसके शव को दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बिस्तर बन्द में लपेट कर छोड़ दिया गया ।

गीता मलिक, जो स्थानीय बाल भारती स्कूल में शिक्षिका थी और तीन बच्चों की माँ थी, इसी क्रूर प्रथा ने उसकी ७ जून ८२ को जान ले ली ।

दक्षिणपुरी दिल्ली में एक नव विवाहित भीना को रात को एक बजे के लगभग उसके पति डोरीलाल ने बन्द झोंपड़ी में मिट्टी का तेल छिड़क कर जला डाला । इसके कुछ घंटों के बाद उसकी सफदरजङ्ग अस्पताल में मृत्यु हो गई ।

मरने से पूर्व न्यायाधीश और पुलिस को भीना ने बताया कि उसके विवाह को अभी एक वर्ष ही हुआ है और तभी से उसका पति और सास उसे अपनी मायके से और अधिक दहेज लाने के लिए सताया करते थे ।

एक लोहे के व्यापारी और दो अन्य लोगों को उस समय गिरफ्तार किया गया जब वे व्यापारी की पत्नी की जली हुई लाश को कार में डालकर ले जाने का प्रयत्न कर रहे थे । दूसरी घटना के अनुसार अपनी मृत्यु से

पूर्व एक २० वर्षीय लड़की ने अधिकारियों को बताया कि उसकी सास ने उस पर मिट्टी का तेल डालकर जला दिया है। इस प्रकार अनेक घटनायें प्रतिदिन होती रहती हैं। इनमें कई दहेज के कारण की जाने वाली हत्याओं को आत्म हत्या कहकर उसका रूप बदल दिया जाता है।

अमृतसर में एक गर्भवती विवाहिता को उसके ससुराल वालों ने आग लगाकर मार डाला। पड़ोसियों ने उसकी चीखें सुनीं किन्तु घर वालों ने एक पारिवारिक घटना कहकर किसी को अन्दर आने नहीं दिया। इस घटना के दो दिन पश्चात उसके ससुराल वालों को पकड़ा गया।

राजधानी दिल्ली में दहेज से सम्बन्धित अपराधों में बड़ी भयानक वृद्धि हुई है। गत तीन सप्ताहों में ही कम से कम चार वीभत्स कांड हुए हैं, जिनके बारे में निश्चय पूर्वक कहा जा सकता है कि ये हत्यायें दहेज के कारण की गई हैं। इन हत्याओं में कुछ तो अत्यन्त ही आश्चर्य जनक नृशंस रूप से हुई हैं।

एक घटना के अनुसार जली हुई मृत महिला के पास माचिस व कुछ बोटलें रखी हुई पाई गयीं। उसके पति का अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। एक अन्य संवाद के अनुसार एक किशोरी को उसका पति उस्तरे से उसके प्राणांत होने तक चीरता ही रहा। ऐसी ही कई अन्य घटनायें प्रकाश में आई हैं। जिनके अनुसार जहर द्वारा अथवा जलाकर मारने के कुछ असफल प्रयास भी किये गये हैं।

इण्डियन एक्सप्रेस में छपे एक समाचार के अनुसार फिरोजपुर जनपद में जमैतावाला गाँव की एक नव विवाहित को गला दबाकर मार डाला गया। उसकी शादी के कुल चार महीने हुए थे। बताया जाता है कि इस हत्या के पीछे दहेज प्रमुख कारण था। लड़के द्वारा की गई मोटर साइकिल की माँग लड़की के माँ-बाप पूरा करने में असमर्थ थे, जिसकी प्रतिक्रिया स्वरूप लड़के ने अपनी पत्नी की हत्या कर डाली।

आये दिन इस प्रकार की अनेकानेक घटनायें घटती रहती हैं। समाज कल्याण मंत्रालय की ओर से किये गये एक सर्वेक्षण में पाया गया कि ६० प्रतिशत विवाहित युवक शादी को बाजारू सौदा मानते हैं। उनकी यह भी अवधारणा है कि विवाह-सूत्र में बंधने की यह सौदेबाजी समाज द्वारा अनुमोदित है।

कोटा के एक गरीब परिवार में पत्नी लड़की प्रमिला, रानी छीपा की शादी बड़ौदा में हुई। दहेज के लालची

ससुराल वालों ने लड़की को मार-पीट कर कूड़े के एक ढेर में जा पटका और आग लगा दी। कुछ देर बाद बेहोशी की स्थिति में प्रमिला को किसी प्रकार निकाल भी लिया लेकिन हत्यारों ने शमशान घाट पर जाकर उसका दाह संस्कार डीजल छिड़क कर किया। हत्या के समय लड़की ८ माह की गर्भवती थी।

नवभारत टाइम्स में प्रकाशित समाचार के अनुसार अलवर जिले के सुरेर नामक ग्राम में परिवार वालों ने नव विवाहित सोमोती नामक युवती की हत्या इसलिए कर दी कि वह दहेज में पर्याप्त धन नहीं लाई थी। हत्या करने वालों में उसका पति एवं सास-ससुर सम्मिलित थे।

दिल्ली में हरजीत कौर नामक २९ वर्षीय नव वधू को दहेज के लालची उसकी ६० वर्षीय ददिया सास ने मिट्टी का तेल छिड़क कर जिन्दा ही जला दिया। बाद में दोनों को पुलिस पकड़ ले गई और अब वे आजीवन कारावास की सजा भुगत रही हैं। मृतका की गोद में ९० मास का एक नन्हा मासूम बच्चा भी था।

रश्मि नामक एक २३ वर्षीया युवती को जली हुई स्थिति में दिल्ली में सफदरजङ्ग अस्पताल में भर्ती किया गया जहाँ तीन दिन बाद उसने अपना दम तोड़ दिया।

रश्मि के पिता ने पुलिस में रिपोर्ट की कि उसके दामाद राकेश ने, जिससे उसने छः वर्ष पूर्व अपनी बेटी का विवाह किया था, अपने साले की शादी से पूर्व एक स्कूटर की माँग की थी। ससुराल वालों के लिए तो रश्मि गेहूँ अपने माथके से लाती ही थी लोगों का कहना है कि राकेश कुमार गुप्ता अपनी पत्नी को बहुत मारता पीटता था। पिता से रश्मि ने मरते समय कहा बताते हैं कि मेरे दोनों बच्चों को इस घर से ले जाना वरना ये उन्हें भी नहीं छोड़ेंगे।

हलद्वानी के एक प्रोफेसर की पत्नी शकुन्तला श्रीवास्तव जब दहेज की माँग और मानसिक यन्त्रणाओं से तंग आ गयी तब अपनी सास की प्रेरणा के अनुसार उसने आत्म हत्या कर ली। इस कथित अपराध में उसकी सास को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया।

जली हुई अवस्था में नागरिक अस्पताल में भरती शकुन्तला ने मजिस्ट्रेट को दिये अपने बयान में दहेज के लिए सास एवं अन्य ससुराल वालों की ओर से तड़किये जाने का जिक्र किया था। इसके कुछ घंटों के बाद उसकी वहीं मृत्यु हो गयी।

३.५१ विवाहोन्माद : समस्या और समाधान

वह कुल मिलाकर एक माह से ज्यादा ससुराल में नहीं रह सकी थी । पति की ओर से तलाक और उसकी ओर से भरण-पोषण के दावों की वापसी पर एक लिखित समझौते के अन्तर्गत १५ दिन पहले ही उसे ससुराल वाले अपने घर लाये थे ।

जवाहर नगर (कानपुर) में एक २२ वर्षीय श्रीमती रानी को मृत्यु के मुख में इसलिए जाना पड़ा कि उसके पिता जीत बहादुर विवाह में दहेज नहीं दे सके । रानी के पिता ने पुलिस के समक्ष अपनी रिपोर्ट पेश करते हुए बताया कि मेरी बेटी को निर्ममता के साथ पीटा । रात को सोती हुई रानी के गुतांगों में जलती हुई कछली लगाई गई । जब उसने शोर किया तो मुँह में कपड़े रूस दिए और गला घोटकर मार डाला ।

दहेज की बकाया रकम न मिलने पर मनोरमा नामक १८ वर्षीय इन्दौर की लड़की को उसकी सास ने रात को सोते समय मिट्टी का तेल छिड़क कर जिन्दा जला दिया । घटना ११ जुलाई १९८० की है । पुलिस सूत्रों से पता चला है कि लड़की के बयान के अनुसार ५०० रु० की धन राशि उसके घर वालों को चुकाना बाकी था । पिता द्वारा उसे न चुकाये जा सकने के कारण उसे प्राण गँवाने पड़े ।

केन्द्रीय गृह मंत्रालय से प्रकाशित आँकड़ों के अनुसार भारत वर्ष में प्रतिदिन ७ युवतियाँ दहेज की बलिवेदी पर चढ़ा दी जाती हैं । १९७६ में इस अमानुषिक अत्याचार से मरने या मारे जाने वाली युवतियों की संख्या २६७० थी । १९७७ में यह संख्या बढ़कर २६१७ और १९७८ में ३००० के करीब पहुँच गई । अकेले दिल्ली में दहेज के कारण मृतक युवतियों की संख्या लगभग २००० थी । १९७५ में सिर्फ जलकर या जलाकर मारने वाली नवयौवनाओं की संख्या ६७० प्रकाश में आई, जबकि अगले वर्ष यही संख्या बढ़कर १०६४ हो गई थी । उस समय पत्नी को जलाकर मारने की सर्वाधिक संख्या महाराष्ट्र में थी । ये तो वे आँकड़े प्रस्तुत किए हैं जो पुलिस रिकार्ड में दर्ज हैं । जो प्रकाश में आने ही नहीं पाते, ऐसी दहेज हत्याओं या दहेज के कारण विवश होकर की जाने वाली आत्म हत्याओं के मामलों की संख्या इससे कहीं अधिक है । कितनी ही अविवाहित लड़कियाँ अपने अभिभावकों की परेशानियाँ, आर्थिक विपन्नता, उलझनों तथा दुःखों आदि को देखकर स्वयं आत्म हत्या कर लेती हैं या घर से भागकर असामाजिक तत्वों के हाथ पड़कर अपना जीवन नष्ट कर लेती हैं ।

प्रत्येक भावनाशील और मनुष्यता का दायित्व समझने वाले विचारवान को इस बढ़ती पैशाचिकता पर अधिक गंभीरता पूर्वक विचार करना होगा और आक्रोश को चर्चा का विषय मात्र न रहने देकर कुछ ऐसा उपाय करना होगा जिसमें इस कलंक से सदा सर्वदा के लिए पीछा छूट सके ।

दहेज का कलंक आखिर कब तक

शोभा सुबह का सारा काम आरम्भ करने के लिए बर्तन धीरे-धीरे रसोई में जमा रही थी कि सहसा रसोई गीली होने के कारण उसका पैर फिसला और हाथ के सारे बर्तन जमीन पर गिर गये । बर्तनों की आवाज सुनकर उसकी ननद बाहर निकल आयी और बिना उसकी चोट की ओर ध्यान दिये व्यंग कर कहना आरम्भ किया— “क्यौरी ! बाप ने दहेज में इतने सारे बर्तन लाके रख दिये हैं क्या ? जो रोज-रोज तोड़ा करती है । दहेज भी जितना ठहरा था पूरा नहीं दिया ऊपर से इस कुलक्षणी को भी हमारे गले बाँध दिया है जो रोज-रोज नुकसान किया करती है ।” कह कर शोभा की ननद ने चिल्ला-चिल्लाकर अपनी माँ तथा पिता को भी पास बुला लिया ।

मेरा पिता गरीब है वह इतना नहीं दे सकता तो व्यंग क्यों करती हैं कहकर शोभा रोने लगी । जबान लड़ाती है कहकर सास ने मारना आरम्भ कर दिया शोभा निरीह पिटते-पिटते जब थक गई तो उसने बचाव के लिए भागने का प्रयास किया तभी उसके ससुर ताराचन्द ने उसके सिर पर डन्डा दे मारा वह चक्कर खाकर गिर गई । सभी घर वालों ने जल्दी से उसे उठाया और तन्दूर में झोंक दिया ।

यह हृदय विदारक घटना दहेज की बलि वेदी पर चढ़ी किसी एक शोभा की नहीं वरन् ऐसी ही न जाने कितनी ही शोभाओं की घटना आये दिन समाचार पत्र में प्रकाशित होती रहती हैं ।

हाल में ही नई दिल्ली में प्रकाशित वीर अर्जुन में २४ जुलाई क्री एक घटना-जीत बहादुर की कन्या रानी का विवाह श्याम कृष्ण श्रीवास्तव के साथ हुआ था और शादी के बाद से ही उसका पति व सास दहेज की अदायगी की माँग करते आ रहे थे तथा रानी को उन्होंने पीटकर घर से भी बाहर निकाल दिया था । वह अपने पिता के घर चली गई । किन्तु भारतीय समाज की यह मान्यता

कि .पिता के घर से लड़की की डोली जाती है परन्तु समुराल से अर्थी ही जाती है को सम्भवतः सिद्ध करने वह फिर से उन्हीं भेड़ियों में रहने लगी और पिटती हुई अपनी बाकी जिन्दगी के पूरा होने का इन्तजार करने लगी और एक दिन जब रानी सोयी हुई थी उसके मुँह से कपड़ा दूँसकर जलती हुई कड़खी से दागा गया ।

माता-पिता न जाने कितने कष्ट सहकर भी अपने बच्चों को पढ़ा-लिखा कर उनके सुखी जीवन के सपने संजोया करते हैं । अपनी खून-पसीने की संचित राशि वे दूसरे को किस भाव से निछावर कर डालते हैं । इसके प्रति सम्मान भाव बढ़ाना ही चाहिए । जो माता-पिता अपनी कन्या को दे देते हैं उनके प्रति आभार मानने की अपेक्षा जब उस रत्न राशि की अवहेलना की जाती है तो उसे समाज की विडम्बना के अतिरिक्त और क्या कहा जा सकता है । आश्चर्य तो तब होता है जब उसके जीवन भर का साथ देने का वायदा करने वाला साथी ही ऐसा करता है ।

अभी कुछ दिन पूर्व एक घटना प्रकाश में आई कि दहेज की पूरी अदायगी न हो पाने के कारण एक महिला को उसके पति व अन्य भाइयों ने ही मारपीट कर कण्डों के भण्डार घर में डाल दिया और आग लगा दी बाद में बेहोशी की हालत में ठेल में डालकर शमशान घाट पर ले जाकर डीजल से दाह संस्कार कर दिया । हत्या के दिन लड़की ८ मास की गर्भवती थी ।

१२ जुलाई 'हिन्दुस्तान' में छपी इन्दौर की घटना जिसमें अठारह वर्षीय लड़की को उसकी सास ने दहेज के बकाया मात्र ५००० रुपये की खातिर उसे उस समय जिन्दा जला दिया जब वह गहरी नींद में सो रही थी ।

अपने माता-पिता का असीम प्यार छोड़कर दूसरे घर को अपना सर्वस्व मानकर आजीवन उसके लिए एकनिष्ठ बनी रहकर निर्विकार रूप से अपनी सेवाएँ देने वाली स्नेह की मूर्ति के लिए जितना भी सम्मान दिया जाय कम है । कम बिना पढ़े लिखे लोग दहेज की इस प्रचण्ड दावाग्रि से ही जले नहीं रहे वरन् पढ़े-लिखे और अपने को सभ्य सुसंस्कृत कहने वाले लोग जब इस आवरण में स्वयं जलने के साथ इस आग को कम करने की अपेक्षा बढ़ावा देते हैं तो उसका परिणाम भी उन्हें आत्म प्रताड़ना तो मिलती है । साथ ही जेल जाने जैसे उपहार भी मिला करते हैं ।

भेरठ के आयकर विभाग के एक वकील ने अपनी नवविवाहित तेईस वर्षीय पत्नी की पेट फाड़कर इसलिए

हत्या कर दी गई कि वह उपयुक्त दहेज अपने साथ न ला सकी । अभी उसकी शादी को कुछ ही मास हुए थे ।

दहेज के इस राक्षस के कोप भाजन का शिकार न जाने कितनी अभागी ऐसी और लड़कियाँ भी हैं जिनकी घटनाएँ प्रकाश में नहीं आ पाती । कितनी ही कन्याएँ ऐसी भी हैं जो अपने माता-पिता का स्वाभिमान नहीं गिरने देती और न ही स्वयं इस राक्षस से जूझ सकती हैं वे आत्म प्रताड़ना से पीड़ित होकर आत्म हत्या तक कर लेती हैं । समय-समय पर ऐसी घटनाएँ भी प्रकाश में आती रहती हैं ।

दहेज की मार केवल कन्या पक्ष को अकेली पड़ती हो ऐसी नहीं वर पक्ष को भी कम नहीं पड़ती वे भी दिखावे की मार से दुहरे मार खाये होते हैं । ऐसी कुरीति का बहिष्कार करना सामाजिक रूप से अवश्यमेव होना ही चाहिए । वर पक्ष वाले यदि यह विचार करने लगे कि जो लड़की दूसरे की आज अपने घर में बहू बनकर जायेगी । उसकी हर पीड़ा हर दर्द अपना ही होगा तब वे अपनी बहू को उसी रूप में देख पायेंगे और इस राष्ट्रीय समस्या का स्वतः समाधान होने लगेगा ।

दहेज भारतीय समाज के माथे पर एक ऐसा कलंक है जिसके रहते सामाजिक सुख शान्ति और प्रगति की कल्पना मृग मरीचिका के अतिरिक्त कुछ नहीं होगा । आत्माओं का करुण क्रन्दन यदि दाबा बन गया तो उससे निबटना कठिन पड़ेगा अतएव यह एक ऐसी अहं समस्या है जिसे सुलझाने के लिये हर व्यक्ति को उठ खड़ा होना चाहिये ।

दहेज प्रथा की बलिवेदी पर

कुछ समय पूर्व जहाँ शहनाइयाँ बज रही थीं—वहाँ अब मरण चीत्कारें सुनाई दे रही थीं । जहाँ, सन्ध्या समय ही बाजों की गूँज के साथ बारात चढ़ने वाली थी, वहाँ अब "राम नाम सत्य है" का शब्द सुनाई दे रहा था । जिस आँगन में बेटी की माँग में सिन्दूर भरा जाना था—वही उसी आँगन में माता का सुहाग सिन्दूर पुछ गया था ।

एक स्वाभाविक सा प्रश्न उठता है—“आखिर ऐसा हो कैसे गया ?” और इसका उत्तर—केवल तीन अक्षरों का है । उसका नाम है 'दहेज' ।

जी हाँ, नर पशुओं में प्रचलित दानवी प्रथा आज समाज के लिये नरमक्षी सिंहों तथा भेड़ियों से भी कहीं अधिक भयावह तथा हानिकार हो उठी है ।

जसीडीह के श्री देवीदयाल जी ने अपनी सुन्दर, सुशील कन्या को बड़े ही प्यार दुलार से पाला-पोसा था। कन्या सर्वगुण सम्पन्न—गृह कार्यों में दक्ष एवं स्वभाव से अत्यन्त मृदुल तथा सरल थी।

प्रत्येक अभिभावक यही चाहता है कि उसकी कन्या अच्छे से अच्छा घर तथा वर पाये। देवीदयाल जी ने भी 'अच्छे वर' की तलाश की तो कोई गुनाह नहीं किया। दर-दर भटके—ऊँचे से ऊँचे नखरों के आगे अपना शीश झुकाया—पर कहीं भी सुन्दर स्वस्थ शिक्षित तथा अच्छी आय वाला वर उन्हें आठ या दस हजार से कम में नहीं मिला।

चौंकिये मत। आज लोगों की मनोवृत्ति कुछ ऐसी ही बन गई है और वस्तुओं की तरह पढ़े-लिखे लड़कों की भी डिग्री के हिसाब से कीमतें ली जाती हैं।

देवी दयाल के पास अपना छोटा सा मकान था। जब कहीं बिना लेन-देन के सम्बन्ध तय नहीं हुआ तो लाचार होकर सोचा 'न होगा तो मकान को गिरवी रख देंगे' पर अपनी लाडली को सुख मिले ऐसा ही घर दूँदेंगे।

बारह हजार में मकान गिरवी रखा। पर महाजन ने उस समय पूरा रुपया नहीं दिया। कहा मेरे पास अभी इतना ही है। शेष विवाह के दो दिन पूर्व तक दे दूँगा।

जो मिला था, उस रुपये से देवी दयाल जी ने विवाह की प्रारम्भिक रस्में तथा नेग-चलन आदि सम्पन्न कर दिये। कुछ रुपया घर में खाने-पीने आदि की व्यवस्थाओं में व्यय हो गया, सोचा यह गया था, कि जो रकम उन्हें वर पक्ष वालों को दहेज के रूप में देनी थी—जो तय हुई थी। जिसके बल पर वे अपनी बी० ए० पास कन्या के लिए एम० ए० पास वर पा सके थे—उसका अधिकांश भाग—शेष धन राशि प्राप्त होने पर विवाह के समय चुका दिया जायेगा।

लेकिन विवाह का दिन आ गया और महाजन ने शेष रुपया नहीं दिया। वह भी विवश था। जिसने उसे देने का वचन दिया था—उसने उसे ही नहीं दिया था समय पर।

बारात आ गई समधी जी को स्थिति से अवगत कराया गया पर उन्हें कहीं विश्वास ? "रुपया मिलेगा तभी बारात चढ़ेगी।" उत्तर मिला।

देवी दयाल को कुछ न सूझा और गले में रस्सी बाँध कर बन्द कमरे में फाँसी लगा ली। दहेज प्रथा की

बलिवेदी पर—अपनी भेंट चढ़ा दी। आश्चर्य इसी बात का होता है कि ऐसी न जाने कितनी घटनाओं को देखकर भी—लोगों के हृदय परिवर्तित क्यों नहीं होते? कितने क्यों नहीं जागता ?

दहेज के पिशाच की चपेट में अध्यापक

रामपुर जिले के एक अध्यापक श्री रामनाथ पाठक को दहेज की चक्की में पिसकर पूरी तरह बर्बाद हो जाना पड़ा है। वह हायर सेकेन्ड्री में अध्यापक हैं और वेतन केवल दो सौ रुपये मिलता है। उनके दो लड़के तथा दो लड़कियाँ हैं। पाठक जी अध्यापक थे अतः शिक्षा का महत्व अच्छी तरह जानते थे। अतः लड़कों को ही नहीं लड़कियों की भी शिक्षा की व्यवस्था करदी। दोनों लड़कियों को इन्टर तक पढ़ाया। जब वे विवाह योग्य हुई तो वर की खोज दूर-दूर तक की गई, पर आज कल तो दहेज रूपी पिशाच ने प्रत्येक जाति और वर्ग में ऐसा अड्डा जमा लिया है कि निकलने का नाम तक नहीं लेता।

पाठक जी जहाँ गये, जिससे चर्चा की, बात हजारों से नीचे न उतरी। अल्प वेतन वाले अध्यापक से यह आशा कैसे की जा सकती है कि वह ४-६ हजार रुपया कुल शादी में खर्च कर देगा। वह तो परिवार का पालन-पोषण ही जैसे-तैसे कर पाते थे, पर इतनी रकम जोड़कर कहीं से रखते। लड़कियों की उम्र २२-२४ वर्ष हो गई। आखिर गाँव का ५ बीघा खेत ५ हजार रुपये में बेचना पड़ा। वैसे वह आध बटाई पर खेती करवाते थे, फसल पर थोड़ा बहुत अनाज घर पर आ ही जाता था पर अब एक बनी बनाई चीज से भी हाथ धो बैठे, और एक लड़की की शादी करदी। शादी तो दोनों ही साथ करनी थी पर पैसे की व्यवस्था न होने के कारण बेचारे एक ही शादी कर पाये।

एक शादी से मुक्त हुये थे कि तब तक दूसरी की चिन्ता लग गई। फण्ड से १५०० रुपये निकालकर व्यवस्था की, ५०० रुपये पहले के बैंक में जमा थे, पर इन दो हजार रुपये से क्या होने वाला था, इतने रुपये तो वर पक्ष को नकद ही देने थे। इसके बाद दो हजार रुपये की व्यवस्था उन्हें और कहीं से करनी थी अतः ब्याज पर रुपया उधार लिया। महाजन या व्यापारी का सूद घोड़े की चाल से भी तेज दौड़ता है। दो-चार साल

तक अगर उसका पैसा न चुका सका तो मूलधन से दुगुनी और तिगुनी राशि महाजन के बही खाते में हो जाती है। कर्जकी के हाथ तो पीले करने ही थे नहीं तो इस हिन्दू समाज में उनकी नाक कट जाती।

आज ब्याज सहित पाठक जी पर चार हजार का कर्जा है। शादी के बाद भी कन्या के पिता को मुक्ति कहाँ मिल पाती है। सैकड़ों खर्चिले अलन-चलन प्रचलित हैं जिनकी पूर्ति न करने पर कन्या को सताया जाता है और बुरा-भला कहा जाता है। कन्या भी बेचारी मुँह बन्द किये सुनती रहती है। वह जानती है कि यदि उसके घर में पैसा होता तो माता-पिता किसी लेन-देन में पीछे न रहते।

पाठक जी की कमर इन दो लड़कियों की शादी में ही टूट गई। ब्याज चुकना ही मुश्किल है। दोनों लड़कों की पढ़ाई बन्द कर देनी पड़ी है। कहाँ वह अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाने का स्वप्न देखते थे पर आज एक लड़का इन्टर तथा दूसरा मैट्रिक ही पास कर पाया है। अब उन्होंने दोनों लड़कों से नौकरी करके कर्ज चुकाने के लिए आग्रह किया है।

आज पाठक जी की वृद्धावस्था है फिर भी घरों पर जाकर ५०—६० रुपये महीने की द्यूशन भी करते हैं। कर्जदार बुरे-बुरे शब्द कहते और अपमानित करते रहते हैं। उनके पास तो यह समस्या इस विकराल रूप में खड़ी है कि कुछ समाधान ही नहीं मिल पाता। लड़कियों के जहाँ विवाह किये हैं वह अलग गाल फुलाये बैठे हैं। कभी-कभी पाठक जी अपने दिल की आग साथियों से उगलते हुए कह देते हैं कि यदि दहेज रूपी पिशाच का अस्तित्व न होता तो मेरा घर क्यों बरबाद होता। दहेज वाली धनराशि लड़कों की पढ़ाई में लगाकर उच्च शिक्षा दिला सकता था। परिवार का जीवन स्तर सुधरा रहता। मैंने तो अध्यापक की नौकरी ईमानदारी तथा सेवा की समझकर की थी पर यदि यह मालूम होता कि दहेज इस तरह परेशान करेगा तो किसी दफ्तर में बाबूगिरी करके नीति-अनीति दोनों प्रकार से कमाकर इकट्ठा करता और जीवन तो सुख से बीतता, आज तो इज्जत से जिन्दा रहना तक कठिन है।

दहेज की बलिवेदी पर दो आहुतियाँ

उस दिन पूना के सेसून अस्पताल में दर्शनार्थियों की इतनी भीड़ एकत्रित हो गई कि सँभालना कठिन हो गया।

व्यक्तियों का जमाव उस बीस वर्षीय शिक्षित कुमारी को देखने के लिए हुआ था जो अचेतन अवस्था में अस्पताल में भर्ती की गई थी, पर वहाँ उसे मृत्यु से बचाया न जा सका जिसने मृत्यु का स्वयम् आह्वान किया हो उसे जीवन दान दिया भी कैसे जा सकता था।

कोई-कोई मन चले कह रहे थे—कहीं इस कुमारी ने प्रेम की असफलता के कारण तो आत्महत्या नहीं करली। पर बात बिल्कुल दूसरी ही थी, उसने अपने जीवन की आहुति दी, समाज की निर्मम और कठोर कुपरम्पराओं को तोड़ने के लिए। दहेज के लालची पिताओं के हृदय परिवर्तन के लिए।

कन्या के पिता साधारण व्यापारी थे। वर पक्ष की ओर से दस हजार रुपये की नकद माँग की जा रही थी। आखिर पिता का जो हृदय ठहरा, वह अपनी सन्तान को सुखी देखने के लिए जो भी करे वह कम ही है। पिता इतनी बड़ी रकम दूसरों से कर्ज लेने के लिए प्रयत्नशील थे। पर चिन्तित इसलिए भी थे कि विवाह के बाद ब्याज सहित इसे वापिस कैसे किया जा सकेगा ?

पिता इस चिन्ता को अपने तक ही सीमित न रख सके। एक दिन दौड़घूप करते देख कन्या ने सारी वस्तुस्थिति का पता लगा लिया। उसने कहा 'पिताजी! अपने विवाह के लिए मैं आपको कर्जदार नहीं बनाना चाहती। आप कर्ज लेने के लिए परेशान न हों।'

“फिर यह विवाह कैसे होगा बेटी ! हमें कुछ तो करना ही होगा यदि बाहर से कर्ज नहीं लिया जाता तो तुम्हारी माँ का कुछ जेवर या जमीन आदि बेचनी ही पड़ेगी।”

“सब भगवान पूरा कर देंगे पिताजी !” और उसके बाद पिता-पुत्री में उस दिन कोई बात नहीं हुई। पिता भी दुकान पर चला गया और बेटी घर के कामों में उलझ गई।

पिता को इस रहस्य का पता कन्या द्वारा आत्महत्या करने से पूर्व लिखे गये एक संक्षिप्त पत्र से चला। जिसमें लिखा था “दहेज की बलिवेदी पर मैं स्वेच्छा से अपना जीवन त्याग रही हूँ इसके लिए कोई दूसरा जवाब नहीं है।”

और दूसरी घटना है झाँसी जिले के मऊरानीपुर कस्बे की। कन्या के द्वार पर विवाह की सारी तैयारियाँ हो चुकी थीं। सभी सजातीय और सम्बन्धी बारात के स्वागत की तैयारी में लगे हुये थे। कन्या अपने होने वाले पति

३.५५ विवाहोन्माद : समस्या और समाधान

की सलोनी कल्पनाओं में उलझी हुई थी। उसकी सहेलियाँ सुन्दरता में चार चाँद लगाने के लिए उसकी रूप सजा में व्यस्त थीं।

बारात की शोभा यात्रा निकल रही थी। आतिशबाजी और बैण्ड दर्शकों का मन मोह रहे थे। बारातियों के जलपान की व्यवस्था की जा रही थी। पण्डित पूजन की तैयारी कर रहे थे। महिलायें मङ्गल गीत गा रही थीं। बारात का जैसे ही घर पर आगमन हुआ। स्वागत के साथ एक दुखद समाचार सुनाया गया कि लड़की के पिता श्री मथुराप्रसाद, जिनकी आयु ५० वर्ष थी, ने फाँसी लगाकर आत्महत्या करली। इसका कारण यह था कि मथुरा प्रसाद दहेज में देने के लिए निश्चित रकम जुटाने में असमर्थ रहे थे। जिसने सुना एकदम अपने स्थान पर ही सन्न रह गया और लोगों के मुँह से यही निकला कि दहेज की दहकती ज्वाला ने एक वृद्ध पिता को भी अपने में समेट लिया।

आखिर इस विनाशकारी कुप्रथा का देश से कब अन्त होगा।

प्राणों का मूल्य-एक मोटर साइकिल

काशी चिल्ला रही थी। पर उसका मुँह कपड़े से बन्द कर दिया गया था सो आवाज बाहर तक नहीं पहुँच रही थी। मुहल्ले वालों को तब मालूम पड़ा जब सुबह हो गयी और काशी सो कर ही न उठी।

जी हाँ, यह घटना सत्य है और हम तथा आप जैसे आँख, कान, नाक वाले मनुष्य द्वारा ही इसका सूत्रपात हुआ। लेकिन काश.....कि आँख, नाक तथा कान के साथ सभी इन्सानों के हृदय तथा मस्तिष्क भी ईश्वर ने एक से ही बनाए होशे।

बात यों हुई कि काशी के माता-पिता ने एक वर्ष पूर्व ही काशी का विवाह बड़े ही उत्साह के साथ किया था। विवाह में पाँच सात हजार रुपया भी दिया था तथा अन्य सामान भी जो तीन चार हजार से कम का न था। रामनाथ-काशी के पिता—की एक छोटी सी कपड़े की दुकान थी और कोई सन्तान थी नहीं। सो जो कुछ था वह देने में कोई बात उठा न रखी।

फिर भी वर महोदय गुलाबचन्द की तृप्ति न हुई। मण्डप की गूँथ खोलने को जो नेग होता है—उस पर मोटर-साइकिल माँग ही तो बैठे। रामनाथ ने पहले तो

क्षमा ही माँगी। कहा भी कि हम पास का पैसा-पैसा व्यय कर चुके हैं। मकान भी किराए का है अन्यथा गिरवी ही रख देते किन्तु गुलाब न माना तो न ही-मंमं।

तब रामनाथ ने यही सोचकर कि कहीं इसकी प्रतिक्रिया हमारी बेटी के प्रति किये गये व्यवहार पर न पड़े उससे वायदा कर दिया कि “अभी तो नहीं कर सकते पर रुपया इकट्ठा करके आगे कभी खरीद देंगे।”

अभी एक वर्ष ही हुआ था! इस बीच गुलाब काशी से कई बार कह चुका था कि तुम अपने पिता से कहो कि वे शीघ्र ही मोटर साइकिल दिलवा दें।

काशी बेचारी क्या कहती। एक तो नारी सुलभ लज्जा, दूसरे वह स्पष्ट देख रही थी कि किस प्रकार उसके माता-पिता अपना पेट काट-काट कर उसी कार्य के लिए रुपया इकट्ठा कर रहे हैं। फिर भी अभी तक डेढ़ हजार से अधिक नहीं जुटा पाये थे वे! छोटी आमदनी थी फिर विवाह के पश्चात् तीज त्यौहार भी काशी के घर कुछ न कुछ भेजने का सिलसिला भी पर्याप्त व्यय ले लेता था।

उस दिन काशी के माता-पिता एक गमी में गये हुए थे। लाश रात को उठी नहीं सो रात भर वहीं बैठना पड़ा। इधर दैवयोग से उसी शाम को गुलाब आया। एकान्त पाया तो काशी से कहा “इस बार तो मैं मोटर साइकिल ले कर ही जाऊँगा। कह देना अपने पिता से।”

काशी ने समझाया—सारी स्थिति बताई। यह भी कहा कि वे लोग उसी के लिये चिन्तित हैं तथा रुपया इकट्ठा कर रहे हैं।

पर कहाँ? वह तो नर पिशाच ही था पूरा। कहने लगा कि “तो मुझे वह डेढ़ हजार रुपया ही देदें।” काशी ने कहा कि बिना माता-पिता की अनुमति के वह रुपया नहीं दे सकती। प्रातः उनके आने पर ही ले लेना।

पर गुलाब पर तो धन का भूत सवार था। इसी वादविवाद में उसने काशी को मारा। चिल्लाने पर मुँह में कपड़ा दूँस दिया और हाथ पैर बाँध दिए। डेढ़ हजार रुपया तो वह ले गया पर उसकी कीमत काशी को प्राणों से चुकानी पड़ी। रात भर में घुटन के कारण उसके प्राण पखेरू उड़ गये।

प्रातः जब माता-पिता लौटे, तो उनके हृदय पर क्या गुजरी होगी उसका सहज ही अनुमान लगाया जा सकता

है । इस दहेज के नाम पर धन के लालची समाज के लिये उनकी संतुप्त आत्माओं से कितने श्राप निकले होंगे भ्रमरान् ही जानता होगा ।

बहू से प्यारी मोटर साइकिल

रात के बारह बज गये लेकिन वर महोदय ने कौर न तोड़ा । सेनेटरी इन्सपेक्टर की पोस्ट मिल गई थी इसलिये लड़की वालों के लिए उनकी पोजीशन किसी गवर्नर से कम न थी । 'कलेवा रस्म' के समय मोटर साइकिल की जो माँग की तो फिर उससे एक कदम भी पीछे न हटे ।

कहानी नहीं यह उन लाखों घटनाओं में से एक सत्य घटना है जो हिन्दू जाति की विवाह-परम्पराओं का घृणित रूप प्रस्तुत करती है । देव गाँव के श्री शरमनलाल तिवारी के घर बारात आई थी । लड़की के पिता पहले ही दहेज में इतना दे चुके थे कि और कर्ज लेने की हिम्मत उनमें नहीं थी । होती भी तो देता कौन ? पहले ही पूरे पाँच हजार कर्ज ले चुके थे । ब्याह की सगाई, दहेज, कपड़ेलते, बर्तन भाँडे और १५० व्यक्तियों की लम्बी बारात की खातिरदारी में सबकुछ स्वाहा हो चुका था अब मोटर साइकिल के लिये ३-४ हजार रुपये और जुटाना उनके लिये १०० मन वजन का पत्थर सिर पर रखने के बराबर था जिसे वह कभी भी स्वीकार कर सकने की स्थिति में नहीं थे ।

बेचारों ने लड़के के पैर छुये, समधी की मित्रतें कीं । अब हमारा उद्धार कीजिये । हमारे पास जो कुछ था भेंट कर चुके, अच्छे या बुरे अब हम आपके सम्बन्धी हैं आप को हमसे इतनी भी सहानुभूति नहीं होगी क्या ?

समधी कहें या राक्षस—बजाय इसके कि उन्हें कुछ सान्त्वना देते—व्यंग मारा—तिवारी जी इतने गरीब थे तो किसी क्लर्क से लड़की ब्याह देते—सेनेटरी इन्सपेक्टर ऐसे नहीं मिल जाते, उनके लिये गाँठ खोलनी पड़ती है । और इसके बाद लड़के की ओर देखकर कहा—महाशय कलेवा करिये, यदि बारात के साथ मोटर साइकिल न पहुँची तो तिवारी जी के साथ हम निबटेंगे । लड़के ने हड़ार भरी जैसे बाप-बेटे दोनों एक ही जंगल से पकड़ कर आये हों । लड़की वालों ने सन्तोष की साँस ली चलो फिलहाल तो आफत टली ।

तिवारी जी ही ऐसे थे जो अब भी भारतीय समाज की इस दुर्दशा पर विचार मग्न थे । उन्होंने कहा कैसी

विडम्बना है हिन्दू समाज की—लड़की देते हैं, लड़की के साथ घर की सारी पूँजी भी दे डालते हैं, कपड़े लते देकर बारात को खिलाते हैं इस पर भी ये लड़के वाले यह नहीं सोचते कि यह भी आखिर मनुष्य है इसके पास बैंक नहीं कि हर माँगी हुई मुराद पूरी की जाती रहे । उनकी इस कुढ़न को कौन सुनता । अभागे हिन्दू समाज में आज कितने लड़की वाले इस तरह कुढ़ते और पिसते रहते हैं यह जानने के लिये किस लड़के वाले के पास समय है । स्वार्थी समाज को लोग लड़कियाँ देना ही बन्द कर दें तब पता चले कि लड़की वालों का संकट भी कोई संकट होता है ।

दूसरे दिन बारात विदा हुई, लड़की भी विदा हो गई, पर बारात वालों ने लड़की वालों से सीधे मुँह बात भी नहीं की । लड़का कहने को पढ़ा-लिखा था पर था पूरा पिशाच । जिसने उस कोमल कन्या का भी आदर नहीं किया । दुल्हन घर आई तो घर की महिलाओं ने कुछ और ही सलूक किया । उसके सब नये जेवर, कपड़े उतरवा कर पुराने कपड़े पहनने को दिये । एक महीने घर रही पर एक दिन भी लड़का पास नहीं आया । जैसी कुढ़ती गई थी वैसी ही कुढ़न लिये लौट आई । विदा होते समय सास ने कहा—दुबारा आना हो तो बाप से पहले मोटर साइकिल भिजवा देना ।

पिता ने बात सुनी, पुत्री का कष्ट उससे देखा न गया । कई दिन तक परेशान घूमा और अन्ततः विष खाकर आत्म-हत्या कर ली । उसका शीशी में बचा विष लड़की ने खाकर इस बेशर्म हिन्दू समाज से सम्बन्ध तोड़ लिया ।

सुनने में आया है कि लड़के वालों ने बहुत प्रयत्न किया पर किसी ने भी उसकी दूसरी शादी नहीं की इस चिन्ता में उसका दिमाग खराब हो गया । घर वाले भी अपनी करनी पर पछता रहे हैं पर इनके पछताने से क्या होता है जब तक दहेज और इस तरह की वैवाहिक कुरीतियाँ हिन्दू समाज में व्याप्त हैं ऐसी न जाने कितनी आत्म-हत्याएँ होंगी और उनका पाप उन लड़के वालों को मिलता रहेगा जो विवाह को आत्मिक सम्बन्ध न मानकर तिजारत बना रहे हैं ।

हत्या तो न होती ?

बच्चा तो डूब गया किन्तु धर्म पत्नी को मल्लाहों ने देख लिया और कूदकर उसे बचा लिया । बाद में महिला

३.५७ विवाहोन्माद : समस्या और समाधान

ने इस घटना का विवरण देते हुये बताया—हम अपने पति और बच्चे के साथ पुल पर घूम रहे थे पति ही बहलाकर लाये थे । पानी की धारा दिखाते हुये उन्होंने हमें जान-बूझकर पानी में धकेल दिया । बच्चा तो जल में ही डूब गया । मुझ अभागिन को न जाने क्यों बचा लिया गया । मर जाती तो उनका कंटक तो साफ हो जाता ।”

“कंटक कैसे ?” पूछने पर उस स्त्री ने आगे बताया—मैं अशिक्षित हूँ, माँ-बाप ने हमें नहीं पढ़ाया, इसका हमें स्वयं दुःख है पर पति के पास रहते हुये भी तो पढ़ाया जा सकता था । उसके लिये न तो उनके पास समय ही था न कोई प्रबन्ध । अपनी योग्यता जितनी है उनकी सेवा और देखभाल करती रही पर उनकी दृष्टि में कोई और पढ़ी-लिखी फैशन वाली, खूबसूरत छात्रा है वह इनसे शादी करना चाहती है ये भी उस पर आसक्त हैं । रास्ते का काँटा समझकर मुझे मार डालने के लिये ही इलाहाबाद दिखाने लाये थे । मेरी गोदी का बच्चा भी चला गया । अब मैं किसके आश्रित जीऊँ—”कहकर महिला फफक-फफक कर रोई । उस रुदन में भारतीय समाज की अनेक दुर्दशाएँ दृष्टिगोचर हो रही थीं । जिसे देखकर जान-समझकर भी हमारा भारतीय समाज उसे दूर करने के लिये तैयार नहीं होता ।

उचित तो यह था, विवाह के समय ही यह देख लिया जाता कि लड़के-लड़की क्या समान स्वभाव और गुणों के हैं ? यदि शिक्षा और रूप का अन्तर था तो पहले ही खूबसूरत, फैशन वाली पढ़ी-लिखी लड़की से ही शादी करनी थी । लड़की के घर वालों को भी क्या जरूरत थी कि लड़का बहुत पढ़ा-लिखा दूँदूँ । गाँव के किसी युवक किसान या कम शिक्षित ग्रामीण मास्टर से ही विवाह कर देते तो दोनों सुखी और सन्तुष्ट तो रहते । पर जाति-उपजाति और दहेज जैसी कुरीतियाँ जब तक हिन्दू समाज में बनी रहेंगी तब तक यह विषमतायें भी दूर नहीं हो सकतीं । क्योंकि समान गुण, स्वभाव और योग्यता की इनमें कोई आवश्यकता ही नहीं होती । केवल रुपये पैसे और ऊँची जाति का होने से ही, भावनाओं का सन्तोष नहीं लिया जा सकता ।

यदि सम्बन्ध हो गया था तो प्रोफेसर साहब अपना कर्तव्य मानकर यदि दो घण्टे प्रतिदिन भी देते तो दस वर्ष में पत्नी की योग्यता मैट्रिक के समकक्ष तो कर ही देते । पुत्र पैदा करने के लिये यदि समय निकल सकता था तो उसके लिये समय के अभाव का कोई कारण नहीं

हो सकता पर रंगीन मिजाज पाश्चात्य सभ्यता में ढले प्रोफेसर साहब के लिये पत्नी को पढ़ाना अपमान न हो जाता । विद्यालय की इयूटी से बचे हुये समय का अंधा उपयोग हो सकता था पर इस समय को वे रङ्गबाजी में बिताया करते थे । उसी का परिणाम था कि उनकी आंख अपनी धर्मपत्नी की ओर से फिर गई ।

यदि भारतीय समाज अपने इस पारिवारिक उत्तरदायित्व को पूरा नहीं कर सकते तो उन्हें अलग होने की छूट भी दी जा सकती है । लड़के का स्वभाव गरम हो जाये तो भलाई इसी में होती है कि उसको अलग कर दिया जाये यदि अपने आध्यात्मिक कर्तव्यों का पालन करने की गम्भीरता नहीं है तो तलाक प्रथा का समावेश भी कोई बुरा नहीं । लड़के-लड़कियों को इस तरह की छूट दी जा सकती है उससे कम से कम ऐसे जघन्य काण्ड तो रोके जा सकते हैं । अमेरिका इंग्लैण्ड जैसे पाश्चात्य देशों में दाम्पत्य सम्बन्धों की दुर्दशा कम नहीं है पर वहाँ इस तरह की हत्यायें नहीं होतीं । स्त्री और पुरुष पहले से ही तैयार रहते हैं । यदि आपस में मन नहीं मिलता तो अपने सम्बन्ध तोड़ लेते हैं । लड़कियों की शिक्षा बढ़ाकर उन्हें स्वावलम्बी तो बनाया जा सकता है पर विवाह हो गया है इसलिये गले में बँधी ही रहना चाहिये । इससे तो तलाक अच्छा है उससे कम से कम इस तरह की हत्यायें तो रोकी जा सकती हैं ।

दहेज के लालच में वधू को जला दिया

घटना चौरागढ़ की है । गनेशी का विवाह हुए अभी एक वर्ष भी न हो पाया था । दो माह ही हुए थे वधू का द्विरागमन हुए । तभी उसके मातृ पक्ष वालों को यह समाचार मिला कि धोती में आग लग जाने से उनकी कन्या की मृत्यु हो गई है ।

उन्हें तो खबर देर से मिली किन्तु कन्या के बड़े भाई का घर उसी गाँव के समीप था । अतः वे लोग तत्काल ही घटना स्थल पर पहुँच गये थे ।

जब लाश को बाहर लाया गया तो उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि लाश से जली हुई रस्सी के टुकड़े चिपके हैं । सन्देह बढ़ा और उन्होंने चुपचाप पुलिस को सूचना दी । पिता दूर रहते थे ।

लड़के के पिता बहुत बिगड़े कहने लगे—“आप हमारी बेइअती करते हैं । बहू हमारी जली है । पुलिस का क्या काम है ?”

किन्तु कन्या के भाई हजारा सिंह ने कहा—‘तुम्हारी बहू थी वह ठीक है लेकिन हमारी भी माँजाई बहन थी । हमें शक है कि उसे जान-बूझकर जलाया गया है ।’

जहाँ करुणाजनक मौत का सूनापन होना चाहिए था वहाँ अच्छा खासा हंगामा हो गया । जिसने सुना वही घटना स्थल पर पहुँच गया ।

तब उनके निकटवर्ती पड़ोसी ने साहस किया और बताया कि—“जलने के पूर्व चीखने की आवाज आते ही हमने पूछा क्या बात है तो कोई नहीं बोला और बन्द कमरे से आवाज आती रही । जब हम घर के अन्दर गये तब तक आग लग चुकी थी । बन्द कमरे में आग लगने का कोई कारण नहीं । जब कि उनके घर में स्टोव आदि भी न था और चौका उस कमरे से काफी दूर है ।”

तब तक लोग काफी संख्या में जमा हो गये थे । सभी ने कहा—“लाश नहीं उठने दी जायेगी । जब तक ये असली बात नहीं बताते ।”

बुढ़ा तो घाघ था । सो काबू में नहीं आया । किन्तु गनेशी को वास्तव में ही पत्नी के मरने के दुःख से मरने के कारण का अधिक दुःख था । पूछने पर उसने सारी घटना यों सुनाई ‘मेरे विवाह में जो तीन हजार रुपया मिला था वह इन्होंने अपने पास जमीन खरीदने को रख लिया है । पास वाले खेत ये बहुत दिनों से खरीदना चाहते हैं । हमारे पास अपना कुछ है नहीं । जमीन छै हजार की है । तीन हजार और चाहिये थे । सो ये मुझसे कई बार कहते रहे कि दूसरा ब्याह करलो तीन हजार और आ जायेंगे । पर मुझे यह उचित नहीं लगा कि एक पत्नी के रहते हुए मैं केवल पैसे के लिए दूसरा विवाह करूँ । मैंने साफ मना कर दिया । तब इन्होंने यह सोचकर कि इस बहू के रहते यह दूसरा विवाह करने को राजी नहीं होता तो क्यों न इसे ही समाप्त कर दिया जाये । और मेरी पत्नी को इन्होंने रस्सी से बाँधकर तेल छिड़ककर आग लगादी ।’

और सचमुच वह रोने ही लगा । नव-विवाहिता से यों बिछड़ना पड़ेगा यह उसने स्वप्न में भी न सोचा था ।

सत्य प्रगट हो चुका था । अब गनेशी के पिता की कोई बात विश्वास के योग्य न थी । उन्हें—उनकी

पत्नी को, जब जेल भुगतनी पड़ी तब मालूम पड़ा कुकृत्य का फल क्या होता है ।

और कन्या का भाई फिर भी सोच रहा था—“क्या कन्याओं की कीमत केवल दहेज का रुपया ही होता है?” समाज में फँसी इस विषयबल को जड़ से उखाड़कर फेकना ही होगा जिसके आगे कभी-कभी मनुष्य, मनुष्यता भी त्याग देता है ।

आप दहेज माँगेंगे, तो हम जेवर

देहली जैसे बड़े शहर में भला चार सौ रुपयों में क्या होता है । फिर परिवार में भी पाँच व्यक्ति हैं पूरे । केवल मकान किराया ही अस्सी रुपये है । ऊपर से ये कर्ज की समस्या प्राणों को और सुखाये डाल रही है । राजेश की तो नींद ही उड़ गई है । कभी पिताजी को भला-बुरा कहता है कभी समाज में फैली इस दहेज तथा शान-शौकत की मूर्खतापूर्ण विवाह पद्धति को ।

उस रात भी उसे अच्छी तरह नींद नहीं आई । आफिस से लौटते समय कपड़े वाले ने टोक दिया था । “शादी करके हमारी तो याद ही भूल गये बाबूजी ।”

सुबह हुआ तो पिताजी ने बताया कि कल जेवर वाला भी आया था । कहता था कि “या तो पैसे दो या फिर जेवर वापिस करो ।” राजेश के पिता दकियानूसी विचारों के पुराने व्यक्ति हैं । एक ही बेटा है । भला बिना अच्छा-खासा दहेज लिये शादी कैसे कर लेते ? पूरा दस हजार रुपया माँगा उन्होंने लड़की वालों से ।

लड़की वाले भी कम न थे । पुराने वकील थे । बोले “ठीक है हम दस हजार नकद देंगे । पर आप कितना जेवर लायेंगे ? तथा बारात भी खूब धूम-धाम से आनी चाहिए ।” बात ठीक थी एक तरह से उनकी भी । व्यय का स्तर समान ही होना चाहिए । राजेश के पिता को विवश होना पड़ा उन की बात मानने को । पर पास-पल्ले कुछ भी न था ।

बारात की साज-सजा, मैंहगा बैंड, आतिशबाजी—दिखावा—फुलवारी आदि में ही पर्याप्त रुपया व्यय हो गया । कुछ घर के मेहमानों की आवभगत तथा लेना-देना विदाई—नेग-चार आदि में । बारात का किराया ही १० हजार हो गया क्योंकि देहली से भोपाल काफी दूर है । लड़की वाले भोपाल में थे । मतलब ये था सारा रुपया विवाह होते-होते समाप्त हो गया और एक हजार कपड़े

३.५६ विवाहोन्माद : समाप्ता और समाधान

वाले का तथा ढाई-तीन हजार सुनार का देना रह ही गया।

सीमित आय में किशतों द्वारा भी चुकाना मुश्किल था। लोग तो तीन दिन की चहल-पहल करके खा पीकर मसखरी करते हुए चले गये। पर इस 'वाहवाही' का मूल्य राजेश को जेल की हवा खाकर चुकाना पड़ा।

कर्ज वाले अपना पैसा चाहते थे। देने की कोई व्यवस्था न थी। नई नवेली बहू के शरीर पर से जेवर उतारें भी तो कैसे? राजेश का मनोबल क्षीण पड़ा और जो न करना चाहिए था वह कर बैठा। उसने अपने आफिस के एकाउन्ट में हेरा-फेरी की और सरकारी पैसा लाकर कर्जा चुकाया।

फिर वही हुआ जो होना चाहिए था। नौकरी गई, जेल भुगतनी पड़ी। जिस सङ्कोच ने जेवर वापिस नहीं करने दिये, वह इतने विकट परिणाम लेकर उपस्थित हुआ। पत्नी ने अलग कहा कि "आप मुझे स्थिति बताते तो सही" पर बताने का ही साहस होता तो क्या वही साहस उस समय नहीं दिखाया जाता जब व्यर्थ के दिखावे तथा वाहवाही के लिये हजारों रुपया फूँक दिया गया?

ये गलत मान्यतायें—मूर्खतापूर्ण दिखावे के विवाह—अन्ध विश्वास तथा सड़ी-सड़ायी रूढ़ियाँ अब भी न जाने कितने परिवारों के लिये आये दिन सङ्कट उपस्थित करती रहती हैं।

आवश्यकता है कि इनके उन्मूलन के लिये साहसपूर्ण कदम उठाये जायें तथा विवाह जैसे धार्मिक कृत्य को एक अत्यन्त साधारण से समारोह के रूप में मना लिया जाय करे।

नारी का यह उत्पीड़न—अब समाप्त हो जाना चाहिए

प्रसिद्ध कवि—श्री जयशङ्कर प्रसाद ने अपने महाकाव्य 'कामायनी' में नारियों का मनोवैज्ञानिक चित्रण करते हुए एक स्थान पर श्रद्धा से, कहलवाया है—

“अवयव की सुन्दर कोमलता,

लेकर मैं सबसे हारी हूँ”

एक सीमा तक यह सत्य भी है। यों इतिहास में दुर्गावती-लक्ष्मीबाई तथा चाँद बीबी जैसे उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं, फिर भी इनकी संख्या उँगलियों पर गिनने योग्य ही है। नारी शरीर से प्राकृतिक रूप से ही, पुरुष की अपेक्षा दुर्बल है—यह एक सत्य है। किन्तु दूसरे क्षेत्र में—भावना—सद्गुण—हृदय की विशालता तथा आत्मा की उच्चता इन गुणों में नारी पुरुष से कहीं आगे है।

पर गुणों की परख करने के लिये विवेक पूर्ण चक्षु चाहिए—वे जिन पुरुषों के पास होते हैं—उनकी संख्या भी उँगलियों पर गिनने योग्य है। अधिकांश तो नारी को केवल एक सुन्दर—आकर्षक कलेवर ही मानते हैं। जिसे वे अपने आराम तथा सुविधाओं के लिये क्रय करके लाते हैं और समझते हैं कि ये तो हमारे सुखों की साधन—एक मशीन मात्र है—जिसे हम जब चाहे—अपनी इच्छानुकूल बटन दबाकर कार्य करवाने के अधिकारी हैं। न इसके दिल है—न दिमाग—न इसकी कोई स्वतन्त्र इच्छाएँ हो सकती हैं और न आकांक्षाएँ ही। हमारी आज्ञा मानना—हमारे इशारों पर कठपुतली की भाँति नाचते रहना ही इसका परम धर्म है।

और इसके विपरीत जब भी वह अपनी आवाज निकालने की कोशिश करती है—उसे उत्पीड़ित किया जाता है—दबाया जाता है—नृशंस व्यवहार किया जाता है और कभी-कभी तो उस निरीह की जीवनलीला ही समाप्त कर दी जाती है—जिन्दा ही चिता की ज्वालाओं में झोंक दिया जाता है। आपको शायद इन बातों का विश्वास न हो। तो आइये—कुछ समाचार देखें—जो समाज का यह वीभत्स चित्र हमारे सामने प्रगट करेंगे।

कानपुर के एक, बी० ए० में पढ़ रहे विद्यार्थी का विवाह उसके माता पिता ने कर दिया। लड़की तनिक कम शिक्षित थी। लड़के को चाहिए थी एकदम फिल्म तारिका जैसी सुन्दर-चंचल तथा स्मार्ट लड़की जो पढ़ी-लिखी भी कम से कम बी० ए० तक ही हो। बस वह नौका-विहार के बहाने उसे गङ्गाजी ले गया और बेचारी का जीवित ही जल-प्रवाह कर दिया। कुछ दिन पश्चात् लोगों ने सुना—उस युवक ने अपनी एक सहपाठिनी से कोर्ट मैरिज कर ली है।

जसपुरा ने एक धनी युवक की पत्नी एक आदर्श महिला थी। पति परायणा—सेवाभावी तथा कर्तव्य निष्ठ। किन्तु पति महोदय बड़े शहर में वकालत करते थे। उनकी इच्छा थी कि पत्नी साथ में क्लब जाये—वहाँ ट्रिंक करे पुरुष मित्रों से हैंसी-मजाक के वातावरण में सहयोग दे। पर पत्नी अपने सात्त्विक संस्कारों के कारण—और कुछ घर वालों की भी असहमति के कारण उक्त प्रकार का जीवन न अपना सकी। बस पति महोदय ने एक दिन चाय में घोलकर विष दे दिया। रातोंरात ही क्रिया-कर्म

हो गया । एक देवी—पाश्चात्य सभ्यता के अनुकरण की प्रवृत्ति की भेंट चढ़ गई ।

पटियाला की एक घटना है । एक सरस्वती नाम की नव-विवाहिता करवाचौथ के पश्चात् विदा होकर अपने श्वसुरालय आई । करवाचौथ पर उसके पितृगृह से जो उपहार भेजे गये थे वे इन लोगों के मनोनुकूल न थे । एक-एक करके सभी व्यक्तियों ने व्यंग गाली-गलौच तथा कटु से कटु शब्दों में अपना-अपना क्रोध व्यक्त किया । जब कई दिन तक यह सिलसिला चलता रहा तो आखिर एक दिन बेचारी से सहन न हुआ और वह कह बैठी “आप लोग मुझे कुछ न कहें । जितना उनसे बना उतना भेज दिया । अधिक कुछ चाहिये तो उन्हीं से कहिये मैं क्या कर सकती हूँ ।”

बस फिर क्या था । पाशविकता का वेग चौगुना हो गया और ‘जवान चलाने’ के आरोप में उसे इतना पीटा गया कि वह बेहोश हो गई । अस्पताल पहुँच कर तीन दिन पश्चात् बेचारी इस अन्ध परम्पराओं से ग्रस्त संसार को छोड़ गई ।

गोरखपुर से प्राप्त समाचार के अनुसार—एक मिडिल पास युवक का विवाह एक मैट्रिकुलेट लड़की से हो गया । कन्या का पिता अत्यन्त ही निर्धन था । दहेज की लम्बी रकम देकर अधिक पढ़ा-लिखा लड़का नहीं खरीद सकता था । बस पति महोदय को हमेशा यही डर बना रहता, कि यह अधिक पढ़ी-लिखी है । कहीं किसी अन्य से रागात्मक सम्बन्ध न जोड़ बैठे । वह उसकी प्रत्येक गतिविधि को शङ्का की दृष्टि से देखता । सहज बातचीत में भी गलत अनुमान लगाता और निराधार ही उसके चरित्र पर आक्षेप लगाया करता । बेचारी उकता गई—तो एक दिन मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगा ली । एक छोटा सा पत्र छोड़ा जिसमें लिखा था “मैं गृहस्थ स्त्री थी—वेश्या नहीं, आशा है अब तो आपको मेरे सच्चरित्र होने का विश्वास होगा ।”

हरदोई से प्राप्त एक समाचार के अनुसार वहाँ एक जग्गी नाम के युवक का विवाह हुआ । पत्नी के शरीर के प्रति अधिक आसक्ति के कारण वह दिन-दिन दुर्बल होता चला गया और उसे कई रोगों ने घेर लिया । दवा भी हुई—स्थाने दिवाने भी बुलाये गये और ओझा पण्डित भी । एक पंडित ने बताया “तुम्हारी पत्नी मंगली है—जब तक वह घर में रहेगी तुम स्वस्थ नहीं रह सकते ।” बस फिर क्या था । खाट से बाँध कर उसे रसोई में डाल

दिया गया और पन्द्रह दिन तक बिना अन्न पानी के रखा गया । बेचारी ने भूख तथा प्यास से तड़प-तड़प कर दम तोड़ दिया । खरीद कर लाये हुए पशु की भाँति अन्ध विश्वास की वेदी पर उसकी बलि चढ़ा दी गई ।

अभी दूँदें तो सहस्रों ऐसी घटनायें सामने आ जायेंगी जहाँ नारी को आत्मा विहीन एक इच्छाचालित यन्त्र मात्र समझा जाता है । ऐसी घटनायें सुनकर रोमान्च हो आता है । आवश्यकता है कि पुरुष वर्ग सब दिशाओं में उन्नति करने से पूर्व-नारियों के प्रति अपना दृष्टिकोण सुधारें उसे सहयोगिनी तथा अर्द्धांगिनी के रूप में ग्रहण करें । उसकी दुर्बलताओं के प्रति सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार अपनायें—उसके विकास में सहायक बनें तथा उसे भी एक निज की भावनाओं तथा विचारों वाला मानव समझें और कम से कम यह पशुता से पूर्ण कृत्य तो न करें जिसे देख-सुनकर मानवता लज्जित होती है क्योंकि साधारण स्तर के जीवन में नारी अभी आश्रित है—और पुरुष आश्रयदाता । नारी भोग्या है और पुरुष उपभोक्ता । संरक्षक तथा स्वामी ।

दहेज की बलिवेदी पर पारिवारिक जीवन की हत्या

पाँच वर्ष पहले की बात है मरथावा के श्री चन्दूलाल ने अपनी पुत्री देवकी की शादी धरौली निवासी श्री निगम प्रसाद के ज्येष्ठ पुत्र रामाधार के साथ की । इस विवाह में भी दहेज का जो लेन-देन हुआ वह हैसियत से बहुत बढ़चढ़ कर और विद्यमान सामाजिक दुष्प्रवृत्ति के रूप में ही हुआ । दोनों परिवार अब तक भी इसके भयङ्कर दुष्परिणाम भुगत रहे हैं, राम जाने आगे कब इन्हें इस चंगुल से मुक्ति मिलेगी ?

मध्यम श्रेणी के दोनों परिवार चाहते तो बहुत सादगी के साथ, कम खर्च में, बिना अधिक बारात बुलाये कम जेवर और थोड़े दिखावे में विवाहोत्सव सम्पन्न कर लेते और अपने पूर्व जीवन क्रम को जारी रखते । इससे घर-गृहस्थी का खर्च चलता रहता । बच्चों की शिक्षा-दीक्षा और उनके विकास की सुविधायें बनी रहतीं । दोनों समय भर पेट भोजन मिलता । समाज में उनका आदरणीय स्थान बना रहता किन्तु मिथ्या दम्भ और झूठी शान-शौकत प्रदर्शन की भावना में दोनों परिवारों की अर्थ-व्यवस्था और पारिवारिक सुख-सङ्गठन को रौंद कर नष्ट कर दिया ।

श्री निगम प्रसाद नहर विभाग के पतरौल हैं । साधारण कर्मचारी थे पर लड़का ग्यारहवीं कक्षा में पढ़

रहा था, सो एक दम मौंग बढ़ा दी। शादी २ हजार में तय की।

चन्दूलाल एक स्कूल में क्लर्क थे, बच्ची की अच्छी शादी करना चाहते थे पर जहाँ भी गये वहीं से लम्बी दहेज की माँगें आईं। साधारण आय थी पर सयानी लड़की को घर कब तक बैठते। बाप का बनाया घर था उसे ३ हजार में बेच दिया और शादी पक्की कर दी।

भारत भी बड़ी शौक-मौज की थी। कोई १५० भारती आये। खूब आतिशबाजी छूटी। नाच-गाने, लाउडस्पीकर, नेग-ठेगटे। तीन दिन तक इन्होंने अपने आपको यों समझा जैसे किन्हीं छत्रपतियों के घर उत्सव हो।

शान-शौकत, दिखावा-दम्भ और जो चहल-पहल थी वह सब भारत के साथ विदा हो गई। शेष रहा दुर्भाग्य, सो शादी वालों के मत्थे पड़ा। चन्दूलाल विवाह की चिन्ता से तो मुक्त हो गये पर अब किराये के मकान में रहना पड़ता है। ३० रु० प्रतिमास उसके देने पड़ते हैं फिर भी जगह की परेशानी रहती है। नौकरी की थोड़ी-सी आय से घर वालों का मुश्किल से गुजारा होता था। दो बच्चे हैं प्राइमरी के आगे पढ़ाया भी न जा सका, अब दोनों पिता के भाग्य को कोस रहे हैं। सम्पूर्ण परिवार की उन्नति तो दूर साधारण जीवन-क्रम को भी दहेज का अभिशाप खा गया।

दहेज पाकर निगम प्रसाद भी चैन से नहीं रहे। उन्होंने भी फालतू दिखावे की बन्दिश की थी इसलिये जितना दहेज मिला उससे अधिक कर्ज लेना पड़ा और नहीं तो क्या नाच-स्वॉंग, आतिशबाजी और जेवर मुफ्त आ जाते? शादी होकर आई, कोई एक वर्ष भी न हुआ था, लड़का अपनी गृहस्थी को लेकर अलग हो गया। अब उनके स्वयं के भी तीन लड़कियाँ हैं। पहले कर्ज का बोझ उतरा नहीं। रिश्तेदार पहले ही कर्ज दे चुके हैं। अब तो कोई देता ही नहीं, माँगते सब हैं। नौकरी का तिहाई ब्याज में चला जाता है। जो बचता है उससे घर वालों के पेट भरना ही मुश्किल है। उन्नति की बात और कर्ज चुकाने की बात तो सोची भी नहीं जा सकती। दूसरा बच्चा बीमार पड़ा, किसी ने इलाज को पैसे भी नहीं दिये, बेचारे की मृत्यु हो गई। कन्याओं का भार अभी आगे रखा ही है।

दहेज का दानव मनुष्य को किस हद तक बर्बाद कर सकता है, पाठक इसका अनुमान स्वयं करें, हम तो

केवल इतना कहेंगे कि साधारण रीति से, गरीब घर में सादगी से बच्चे या बच्ची की शादी कर दी जाये, पर जिस परिवार को सुरक्षित रहना हो वह न दहेज दे और न लें। यह दोनों महापाप हैं, इनके प्रत्यक्ष फल देखने के लिये अगले जन्म की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती।

दहेज प्रथा उन्मूलन का एक साहसिक प्रयास

सामाजिक कुरीतियों विरोध के अभाव में ही अपनी जड़ जमाये रहती हैं और भीतर ही भीतर समाज को खोखला बनाती रहती हैं। आये दिन उन पर चर्चाएँ होती रहतीं सामाजिक गोष्ठियों आयोजित होती हैं पर व्यावहारिक स्तर पर असहयोग, विरोध न प्रकट करने से उनका उन्मूलन सम्भव नहीं हो पाता—चुप बैठने से उल्टे उन्हें प्रथम ही मिलता है। थोड़े गिने-चुने व्यक्ति भी संगठित रूप से तनकर खड़े हो जाँय—विरोध और संघर्ष पर उतारू हो जायँ तो कोई कारण नहीं है कि उनका बहिष्कार न हो सके। इसका एक साहसिक और अनुकरणीय उदाहरण अल्लावलपुर (हरियाणा) के निवासियों ने प्रस्तुत किया।

दहेज की कुप्रथा भारत के अन्य प्रान्तों की भाँति यहाँ भी लम्बे समय से चली आ रही थी। अल्लावलपुर के नागरिकों को विरोध भरा कदम उठाने की प्रेरणा एक घटना से मिली। गाँव के ही एक किसान को अपनी दो लड़कियों के विवाह के लिए अपनी गुजारे की जमीन और मवेशियों को बेच देना पड़ा। भूखों मरने की स्थिति आ गई। इसी विषय पर स्थानीय एक चाय की दुकान पर गाँव के कुछ व्यक्तियों के बीच चर्चा छिड़ गई जिसमें कुछ युवक भी सम्मिलित थे। चर्चा में ही यह बात चल पड़ी क्यों न हम सब मिलकर अपने ही क्षेत्र में अपने स्तर पर दहेज प्रथा की समाप्ति के लिए प्रयत्न करें। यह निर्णय लिया गया कि इसके लिए अल्लावलपुर गाँव के सभी प्रतिष्ठित व्यक्तियों की गोष्ठी बुलाई जाय।

निर्धारित समय पर एक विशाल बैठक हुई जिसमें सभी 'पाल' एक तरह की जाति के लोग सम्मिलित हुए। लम्बे विचार-विमर्श के बाद सबने दहेज की कुप्रथा के विरोध में अपनी असहमति प्रकट की। साथ ही 'तेवतिया' बिरादरी के सभी प्रमुख व्यक्तियों ने शपथ ली कि वे अपने लड़के-लड़कियों के विवाह में किसी प्रकार का लेन-देन नहीं करेंगे।

इतने में एक ग्रामीण ने एक व्यावहारिक समस्या की और सबका ध्यान आकर्षित किया। उसने कहा—“हम दहेज नहीं लेंगे यह निर्णय तो ठीक है पर हम सबको अम्नी लड़कियों की शादी अपने ‘पाल’ में नहीं दूसरे पालों में करनी पड़ती है। इसलिए इस अभिशाप में उनकी भागीदारी एवं स्वीकृति के बिना दहेज प्रथा समाप्त का लक्ष्य कहाँ पूरा होता है? उठाई गई समस्या विवेक सम्मत थी। विचार-विनिमय के बाद अगली बैठक में दूसरे गाँवों के पालों को भी आमंत्रित किया गया। संख्या अधिक होने से ‘पलवल’ के आस-पास वाले १३०० गाँवों की सभा पलवल के ही एक हायर सेकेन्ड्री स्कूल के मैदान में आयोजित की गई। गाँवों के मुखियों एवं पंचों को इस रैली में अनिवार्य रूप से बुलाया गया।

बैठक में १३०० गाँवों के विभिन्न खण्ड बनाये गये तथा उनका प्रतिनिधित्व करने वाले ८२ व्यक्ति चुने गए। इस चयन का उद्देश्य था सम्बन्धित विषय पर एक स्थान पर बैठकर गम्भीरता से विचार करें तथा नया निर्धारण करें। एक खेमे में इन सबने विचार-विमर्श के बाद २६ व्यक्तियों की एक समिति बनाई जिसे यह अधिकार दिया गया कि जो भी व्यक्ति दहेज लेता अथवा देता है उसका पता लगाने एवं दण्ड देने की व्यवस्था बनायें। विवाह के अवसर पर लेन-देन की अधिकतम धनराशि १०१ रुपये निश्चित की गई। बारातियों की भीड़भाड़ व दावतों में होने वाले अपव्यय को बचने के लिए यह नियम बनाया गया कि शादियों में ११ व्यक्ति से अधिक नहीं जा सकेंगे। इस क्रान्तिकारी निर्णय और घोषणा के बाद उस क्षेत्र में दहेज प्रथा का उन्मूलन जड़ से हो गया।

कुरीतियों के उन्मूलन के लिए कानूनी सहयोग भी प्राप्त है। पर वह कारगर तभी हो सकता है जब व्यावहारिक स्तर पर विरोध करने का साहस जुटाया जाय। ‘अलावलपुर’ जैसे साहसिक और संगठित प्रयास दूसरे स्थानों पर चल पड़ें तो दहेज तो क्या प्रचलित प्रत्येक कुरीति का उन्मूलन सम्भव है।

दहेज लोलुप तो इसी प्रकार ठीक होंगे

जरहट (राज०) के एक शिक्षित नवयुवक दाऊदयाल ने अपने साहस के बल पर समाज सुधार का एक अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत कर रूढ़िवादियों को चेतावनी दे दी है कि वे शीघ्र ही अपना सुधार कर लें नहीं तो

आने वाली पीढ़ी को विद्रोह करने पर विवश होना पड़ेगा और रूढ़िवादी दुष्प्रवृत्तियों का क्या होगा, यह कुछ नहीं कहा जा सकता ?

घटना इस प्रकार सुनी गई है कि उक्त एम०ए० पास नवयुवक की बारात द्वार-चार के लिये तैयार हो रही थी कि सहसा उसका पिता आपे से बाहर चिल्लाता सुनाई दिया—“यह तो साफ़ धोखा है, मैं कदापि छः महीने के लिये नहीं ठहर सकता। अब यह विवाह नहीं हो सकता और बारात अभी वापस जायेगी।”

बाराती द्वार-चार के लिये तैयार होते-होते रुक गये। किसी को पता नहीं चल रहा था कि आखिर माजरा क्या है। बोहरा साहब क्यों और किससे नाराज हो रहे हैं। लोगों में एक विध्वंस जैसी उत्सुकता और बेचैनी फैल गई और वे पता लगाने को उद्यत हुए। तब तक देखा और सुना कि एक आदमी हाथ जोड़े हुए बोहरा साहब के पीछे गिड़गिड़ाता हुआ आ रहा है। यह बेटी का बाप था, कह रहा था—“समधी साहब मेरी प्रार्थना तो सुन लीजिये, मैं आपका एक-एक पैसा चुकता कर दूँगा।” बात यह हुई कि ग्यारह हजार तिलक में देने के बाद केवल दो हजार रुपये ही रह गये। उसने बहुत कुछ कोशिश की कि मकान पन्द्रह हजार में गिरवी रख जाये। लेकिन तेरह हजार से ज्यादा न मिल सके। सोचा था कि दो हजार आप सब की खातिरदारी करने के लिए रहने दूँगा और दो हजार से द्वार की शोभा करके आपके तेरह हजार पूरे कर दूँगा। लेकिन जरूरतमन्द को तो सब दबाते ही हैं। तेरह हजार से ज्यादा न मिल सके। आप प्रसन्नता से बेटा ब्याह ले जाइये, दो हजार का मैं देनदार सो छः महीने के भीतर ही चुका दूँगा। आप बारात द्वार पर लाइये मैं चल कर अगवानी की तैयारी करता हूँ।

किन्तु वर का पिता धनलोभी पिशाच था गरज कर बोला—“काम निकल जाने पर कौन अपना वचन पूरा करता है। मुझे जरा भी विश्वास नहीं। तेरह हजार अभी पूरे कर दो तब बारात द्वार पर जायेगी।”

कन्या के पिता ने फिर प्रार्थना की, बारात ले चलिये मेरी बदनामी हो रही है। बेटी का जीवन खराब हो जायेगा, कुल में दाग लग जायेगा। अब तो आखिर हम आपके सम्बन्धी हो चुके हैं। किन्तु वर के पिता का पत्थर हृदय न पसीजा और उसने बारात वापस चलने के लिए कह दिया। कन्या के पिता ने एक बार गीली आँखों से वर की तरफ देखा और कहा भगवान की इच्छा, कन्या का भाग्य है। मैं मजबूर हूँ कर भी क्या सकता हूँ।

इतना कह कर कन्या का पिता वापस जाने लगा। तभी एक आवाज उठी—“पिताजी आप निश्चिन्त रहिये, वर स्वयं अपने श्वसुर से कह रहा था—“सारी बारात चली जाये, पिताजी अभी चले जायें, मैं अकेला द्वार पर आता हूँ और अब एक छदाम लिए बिना ही विवाह करूँगा और हो सका तो आपका वह भी रुपया वापस कराऊँगा।”

पुत्र की वाणी में विद्रोह का भरपूर तेज था जो उसका पिता सहन न कर सका और अपनी सारी जिद भूल गया, समझौते के स्वर में बोला—“मैं तो, बेटा तुम्हारे ही हित के लिये लड़ रहा था।”

आखिर विवाह सम्पन्न हुआ। उसने घर पहुँच कर बाप से वह रकम वापस करा दी, जो श्वसुर ने मकान गिरवी रख कर दहेज में दी थी। वर की इस उदारता की हर व्यक्ति ने सराहना की और यह चर्चा दूर-दूर तक फैली हुई है। अब इस क्षेत्र के वृद्ध दहेज तय करने से पूर्व बार-बार यह सोचते हैं कि कहीं उनका लड़का भी विद्रोह न कर बैठे और जो बिना ठहराये मिल सकता है इससे भी हाथ न धोना पड़े।

दहेज मितेगा पर इस तरह

सामाजिक बुराइयों और कुरीतियों का उन्मूलन तभी हो सकता है जब उनका विरोधी-वातावरण उत्पन्न किया जाय एवं कुछ साहसी लोग उन्हें तोड़ने के लिये तत्पर हों। दहेज की बुराई को ही लीजिए यह एक बहुत बड़ी बुराई है। इसको मिटाने के लिए इस कुरीति पर अपनी स्वार्थपरता के कारण अड़े हुए लोगों को निरुत्साहित किया जाना आवश्यक है। अनीति के आगे सिर झुकाते रहने से तो वह और भी अधिक बढ़ेगी।

फीरोजाबाद श्रमिक बस्ती में एक सिंधी के यहाँ जयपुर से बारात आई। विवाह आरम्भ होने से कुछ घण्टे पूर्व ही लड़के वाले दहेज में लम्बी रकम माँगने लगे। लड़की वाले उतना देने में असमर्थ थे। पर लड़के वाले अपनी जिद पर अड़े ही रहे। उन्हें इस बात का भी रंज न था कि लड़की के भाई की अभी चार दिन पूर्व ही रेल से कटकर मृत्यु हुई है, ऐसे अवसर पर इन्हें इतना परेशान न किया जाय। लड़के वालों की हृदय हीनता पर क्षुब्ध होकर कन्या ने स्वयं ही वह विवाह करने से इनकार कर दिया और बारात को वापिस लौटना पड़ा।

कपूरथला के पास शाहकोट से एक बारात नकोदर गई थी। कन्यापक्ष ने वरपक्ष की दहेज की सब माँगों

को मंजूर किया, किन्तु दहेज में जो चीजें दी जा रही थीं उनसे वर को सन्तोष नहीं हुआ। उसने दहेज की चीजों को ठोकर मारना शुरू कर दिया। आखिर कन्या पक्ष का रोष का प्याला छलक आया। उसने लड़की को विदा करने से इन्कार कर दिया और बारात को बैरंग वापस जाना पड़ा। बात यहीं समाप्त नहीं हुई, लोगों ने वर के मुँह पर कालिख पोत दी और उसको गधे पर बिठाकर जुलूस निकालने की कोशिश की गई। वर को ऐसी शिक्षा मिली है कि जिसे वह जीवन भर नहीं भूल सकेगा।

रोहतक की खबर है कि नरवाना से ५ मील दूर खरल गाँव में वैश्य के यहाँ कैथल तहसील के किसी गाँव से बारात आई हुई थी। लड़की वाले ने बारात की खातिर करने में कोई कसर न रखी और काफी से ज्यादा दहेज भी दिया। विदा के समय ५ रुपये और गिलास प्रत्येक बाराती को भी दिये। लड़के वाले ने चाँदी के गिलास माँगे। लड़की वाले ने कहा हमारे पास इस समय चाँदी के गिलास नहीं हैं। लड़के वाला गिलास लेने की जिद पर अड़ा रहा। आखिर ग्राम की पंचायत ने दहेज इत्यादि सारा रख लिया और लड़की को भेजने से इन्कार कर दिया।

पटियाला के पास गाँव धनौर में मलार कोटला के एक अग्रवाल परिवार की बारात आई थी। वर ने अपने श्वसुर से माँग की कि उसे दहेज में स्कूटर दिया जाय। जब लड़की को पता लगा कि उसका पति स्कूटर के लिए जोर दे रहा है और समझाने का उस पर कोई असर नहीं हो रहा है तो उसने ऐसे लालची युवक से शादी करने से इन्कार कर दिया। मंगनी के समय जो चीजों का आदान प्रदान हुआ था वापस कर दी गई और बारात बिना वधू के वापस चली गई।

उत्तर प्रदेश के कस्बा मल्दा के कृषक युवक मोहनसिंह ने अपनी बहन की शादी एक डाक्टर लड़के से तय की। पहले तो बाप ने पच्चीस हजार नकद और अन्य सामान के दहेज की फरमाइश पूरी कराई। १० दिन पीछे फिर इनकार का पत्र भेज दिया। युवक फिर उसके घर पहुँचा। बाप ने दहेज में दस हजार अतिरिक्त की माँग की। मोहन सिंह बहुत परेशान हुआ किन्तु तभी उसे भीतर से किसी ने शक्ति दी। उसने दस हजार देना स्वीकार कर लिया। दहेज के लालचियों को तो मानो कामधेनु मिल गई। इस बार सास ने संदेश भेजा यदि परिवार की प्रत्येक महिला को साड़ी व अँगूठी न दी गई

तो विवाह न होगा। युवक ने उसे भी मान लिया। अभी बात पूरी भी न हो पाई थी कि डाक्टर साहब की भी फरमाइश पहुँच गई स्कूटर चाहिये। बाप दादों की जमीन बेचनी पड़ी पर युवक ने जुटाया वह भी।

आखिर बारात पहुँची। भौवरें पड़ गई पर अभी तक न नाश्ता न भोजन। युवक ने दो बोरे सत्तू और नमक भेज दिया साथ गाँव के हट्टे कट्टे लोगों को लेकर स्वयं भी जनवासे आ गया और बोला प्यारे बरातियो! घर में जो कुछ था सो सब हमारे इन रिश्तेदारों ने लूट लिया अब जिन्दगी भर हमें जो खाना है वही आप लोगों को खिलायेंगे बरातियों ने लड़के को उसके बाप को जी भर कर धिक्कारा और सत्तू खाकर ही भूख मिटाई। आखिरी समय तक बार-बार वही सत्तू और नमक खाने को दिये गये। बाप बहुत शर्मिदा हुआ उसने दहेज की राशि लौटा दी।

सीनोर के एक व्याह में तो वर ने स्वयं पिता के साथ असहयोग आन्दोलन छेड़कर अनुकरणीय उदाहरण दिया। लम्बा दहेज लेकर सम्पन्न विवाह के बाद जब बारात चलने लगी तो वर श्री वीरेन्द्र प्रताप ने अपने पिता से कहा—“पिताजी आपको मेरी कीमत मिल गई। मैं तो बिका हुआ हूँ जिन्होंने मूल्य चुकाया है अब उन्हीं के घर काम करूँगा।” लाख क्षमा माँगने पर भी वर बाप के साथ नहीं गया।

संस्थाओं, सभाओं तथा पंचायतों एवं व्यक्तियों द्वारा इन सामाजिक बुराइयों का उन्मूलन करने के लिए कुछ प्रयत्न किये भी जा रहे हैं। इन्हें प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।

अम्बाला के निकटस्थ गाँव शाहपुर के लोगों ने प्रतिज्ञा की है कि वे दहेज पर व्यर्थ खर्च न किया करेंगे। उन्होंने यह फैसला किया है कि वे विवाह में वर-वधू को नेशनल सेविंग सर्टीफिकेट देंगे।

मथुरा के चमेलीदेवी खण्डेलवाल गर्ल्स इन्टर कॉलेज के प्रांगण में देश के अनेक स्थानों से आये हुए ५० वर-वधुओं का एक साथ ही विवाह सम्पन्न हो गया। विवाह में यज्ञ आदि का त्रय अ. भा. खण्डेलवाल महासभा ने उठाया। इन वर वधुओं के माता-पिताओं को दहेज तथा दावत में एक पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ा। खण्डेलवाल सभा ने भरतपुर के कामा नगर में तथा आगरा में ऐसे सामूहिक विवाहों का आयोजन कराया जिसमें बिना किसी लेन-देन अथवा दहेज के केवल एक रुपया कन्यादान

में देकर विवाह कार्य सम्पन्न हुए। वर तथा वधू के माता-पिताओं को इन विवाहों में कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ा। इस अनुकरणीय उदाहरण की अन्य जातियों में भी बड़ी चर्चा है और वे भी इसी प्रकार की व्यवस्था करने की तैयारी कर रहे हैं।

रोहतक, करनाल, गुडगाँव, महेन्द्रगढ़, हिसार व दिल्ली प्रदेशों की जनता को एक सावदेशिक पञ्चायत सिसाना ग्राम में दो दिन तक चली। पंचायत ने निर्णय किया कि विवाह तथा अन्य धार्मिक व सामाजिक उत्सवों में व्यर्थ का व्यय न किया जायेगा पंचायत में २० हजार के लगभग व्यक्ति उपस्थित थे।

दिल्ली के एक धनी व्यापारी का लड़का गोपाल दास अपनी शादी से एक घण्टे पहिले ही गायब हो गया था। कई दिन बाद वह मिल गया लड़के ने इस प्रकार गायब होने का कारण बताया कि उसके विवाह पर लड़की वाले से बहुत बड़ी रकम दहेज में ठहराई गई थी। मुझे इससे बड़ा दुःख हुआ और सोचा कि इस अनर्थ को रोकने का उपाय अब मेरा गायब हो जाना ही ठीक हो सकता है, इसलिए मैं भाग खड़ा हुआ। लड़के ने कहा यदि दहेज न लिया दिया जाय तो मैं खुशी-खुशी यह शादी करने को तैयार हूँ।

जहाँ-तहाँ ऐसे ही साहस के परिचय कन्याओं ने भी दिये हैं और उन्होंने अपने घर वालों से कह दिया है कि वे आजीवन ब्रह्मचारिणी रह कर मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा करेंगी, पर दहेज के लोभी कसाइयों के यहाँ इस प्रकार तिरस्कारपूर्ण रीति से जाना पसन्द न करेंगी।

दहेज का उन्मूलन ऐसे ही साहसी शूरवीरों द्वारा हो सकना सम्भव है।

दहेज के बदले पिटाई

यमुना नगर से कुडमाला गई बरात को बिना दुलहन के ही वापिस जाना पड़ा। कन्या पक्ष ने दहेज में जितनी नकदी देने का आश्वासन दिया था उतनी देने में बेचारा असमर्थ रहा। आखिर गाँव का एक साधारण किसान जो अपने परिवार के सदस्यों को रूखी-सूखी खिलाकर साल के आखिर में हजार पन्द्रह सौ रुपये बचा भी ले तो उससे क्या होता है? बुआई के समय बीज और खाद आदि भी तो उसे उधार लेने पड़ते हैं जिसका भुगतान भी फसल कटते ही ब्याज सहित करना पड़ता है फिर गाँव का महाजन जो छोटे किसानों का आज भी बैंक बना हुआ है

३.१५ विवाहोन्माद : समस्या और समाधान

उन्हें भी तो पुराने ब्याज का हिसाब करके सन्तुष्ट करना पड़ता है ।

बात असल में यों हुई कि उसने ढाई हजार रुपये नकद देने का वायदा कर दिया था, यदि उसकी फसल अनुमान के अनुसार भरपूर हुई होती तो वह देने में कमी न करता वरन् सौ रुपये ज्यादा ही दे देता । पर भारतीय कृषि को क्या कहें ? वह तो पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर है । ओलों की हलकी बौछार आई और खेती में हजार रुपये का घाटा दे गई । फिर यह संकट अकेले उस पर तो आया न था, गाँव के अन्य किसानों को भी इस विपत्ति की चपेट को झेलना पड़ा था । अतः वह रुपया गाँव में माँगता भी किससे ?

प्रयत्न करने पर भी आखिर वह हजार रुपये का इन्तजाम नहीं ही कर पाया । बारात आ गई, दरवाजे पर जो हजार रुपये देने की बात थी, उसने समस्या उत्पन्न कर दी । जब उसने एक रुपया पाँच पैसे कपड़े के धान पर रख कर लड़के को देने चाहे तो उसने हाथ ही समेट लिया । पूरे गाँव के लोग दरवाजे पर एकत्रित थे, बाराती भी सब बैठे हुये थे । लड़की के पिता ने सजल नेत्रों से वर तथा उसके पिता के पैर पकड़ लिये और कहा, 'देने को जीवन भर है, यदि अभी किन्हीं मुसीबतों के कारण हजार रुपया नहीं दे पा रहा हूँ तो विश्वास रखो आगे चलकर उसकी पूर्ति कर दूँगा । जिसने लड़की दी भला वह क्या छिपाकर रखेगा ।'

गाँव के अन्य वृद्ध, समझदार तथा पंचायत के सदस्यों आदि ने भी काफी समझाने की कोशिश की, पर मामला वहीं का वहीं उलझा रहा । लड़के वाले इस जिद्द पर डटे थे कि हजार रुपये निकाल कर रखो जब दरवाजा हो तथा उसके बाद ही पाणिग्रहण आदि रस्मों के लिये दूल्हे को भेजा जाय । हजार रुपया किसी के पास होता तो रख जाता, इस प्रकार की पंचायत में सुबह के चार बज गये । बारातियों के लिए बना हुआ भोजन ठण्डा हो गया, सारे बाराती भूखे बैठे रहे, बाराती खा लें तो घरातियों को खाने को मिले । आखिर दोनों ही पक्षों के लोगों को भूखा रहना पड़ा ।

ऐसे अवसरों पर तो हर प्रकार के व्यक्ति एकत्रित रहते हैं, कुछ बात बनाने वाले होते हैं तो कुछ बिगाड़ने वाले भी । लड़के के दोस्त ने धीरे से कह दिया 'लौट चलो यार शादी और कहीं हो जायेगी' तब तक इधर से किसी ने नहले पर दहला मारते हुये अपनी बात जड़ दी

“जब शादी और कहीं हो सकती थी तो इसी गाँव में क्यों आये थे ?” फिर तो दोनों ओर से कहा सुनी शुरू हो गई । गाँव वाले बारातियों तथा दूल्हे के झिन्न के व्यवहार से वैसे ही नाराज थे । मामला बढ़ा तो हाथा-पाई पर नम्बर आ गया । कितने ही बाराती तो मौका पाकर भाग लिये । दूल्हा, उसके पिता तथा अन्य खास सम्बन्धी जो रह गये थे उन्हें गाँव वालों ने खूब पीटा । “पैसा दे रहे हैं, लड़की दे रहे हैं और साथ ही दहेज दे रहे हैं, फिर क्या इज्जत भी लेना चाहते हो” एक समझदार व्यक्ति ने बारातियों से कहा । पर उस भगदड़ में ऐसी बातों को सुनता ही कौन ?

बारातियों की अच्छी खासी पिटाई हुई और घायल अवस्था में सरकारी अस्पताल में भरती कर दिया गया । न दूल्हे को दुलहिन मिली और न पिता को दहेज की रकम, यहाँ तक कि बारातियों को भूखे ही जाना पड़ा । दहेज माँगने वाले निर्दयियों को ऐसी ही सजा हर जगह मिला करे तो मजा आये ।

गहरी छानबीन महंगी पड़ गई

दहेज की बात किसी तरह तय हो गई तब लड़के ने कहा—‘विवाह लड़की को देखकर करेंगे । पसन्द होगी तो बात पक्की—नहीं तो कोई और घर ।’ इनकी माँ जी ने भी कहा—‘हाँ हाँ काली कलूटी बहू भेज दी तो हम क्या कर लेंगे । पहले देख लेना अच्छा है ।’

वर द्वारा वधू का चुनाव भी लगभग दहेज जैसी ही समस्या होती जा रही है इस देश में । लड़का चाहे जैसा हो पर लड़की उसे 'हूर की परी' से कम न चाहिए । यह देश उष्ण कटिबन्ध में पड़ता है यहाँ के अधिकांश लोग साँवले होते हैं लोगों में अब इतनी समझ भी नहीं रही । फिर विवाह जिस मधुरता और दाम्पत्य प्रेम के लिए किये जाते हैं वह रंग-रूप और चमड़ी से थोड़े ही होता है । भावनाओं की—गुणों की—गहराई अब त्वचा की सफेदी से परखी जाती है तभी तो हमारे दाम्पत्य जीवन इतने असफल हो रहे हैं ।

लड़की के पिता ने जहाँ इतना सहा था, यह भी सह लिया—लड़की देखने की बात भी तय हो गई और तिथि भी । नियत दिन लड़का बड़े ठाट-बाट से लड़की देखने आ धमका । साथ में माँ और दो तीन बहनों की फौज भी ।

रिक्रूटिंग आफिसर जिस तरह फौजी जवान छोटता है वैसे ही हाथ, पाँव, नाक, आँख सबकी विधिवत जाँच की गई। लड़के का दिल उतने से भी नहीं भरा पृष्ठ—“कितनी पढ़ी हैं आप ?” “बी० ए०” लड़की ने उत्तर दिया। “गा भी लेती हैं ?”

“हाँ हाँ मुझे गायन और नृत्य दोनों आते हैं घर का काम-काज भी कर लेती हूँ।” लड़के का मन भर गया। उसने अपनी स्वीकृति दे दी।

पर उन्हें विदा किया जाये इससे पूर्व एक और झंझट आ टपका। लड़की बोली—“कष्ट न हो तो दो-चार बातों में भी आपसे पूछ लूँ ?” कुँवरजी थोड़ा ऐंठ में थे बोले—“हाँ-हाँ शौक से पूछिये ?”

“आपको भक्ति रस का कोई गीत आता है ?”

“भक्ति रस !.....भक्ति रस, नहीं जी और सिनेमा के तो बहुत गीत आते हैं पर भक्ति-वक्ति नहीं आती।” “आप कभी बाहर जाते या लौटकर आते हैं तब माताजी या पिताजी को प्रणाम करते हैं ?” लड़का सिटपिटया बोला—“नहीं जी अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं किया। बाय-बाय बोल भर लेता हूँ।” “कहीं आप सिगरेट तो नहीं पीते आपके ओठ काले हैं।” लड़की ने तीसरा प्रश्न किया।

“पीता तो हूँ पर बहुत कम” श्रीमान् जी ने थोड़ा झेंपते हुए उत्तर दिया।

“तो श्रीमान् जी ! आप मुझे पसन्द नहीं हैं कोई और घर जाकर दूसरी लड़की तलाश कीजिये।” यह कह लड़की वहाँ से चली आई और अपनी सहेलियों के साथ बात-चीत करने में लग गई। वरजी उनकी माताजी को अपनी फौज सम्भालते ही बना। बेचारी न कुछ बोल सकती थी न ही कुछ पूछ सकती थीं। चोट ठिकाने पर लगी थी सो रह रहकर उस दर्द को अनुभव करती अपना विस्तर बौंध रही थीं। घर में भी किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि वे उस समय लड़की को कुछ समझायें बुझायें। वह अपनी सहेलियों में मिली इस विजय का आनन्द लेती रही।

हँसी नहीं नई दिल्ली की यह सत्य घटना है जिसने विवाह जैसे पवित्र संस्कार को फूहड़ बनाने वालों के मुँह पर कसकर तमाचा लगाया है। ‘सुशीला’ नामक इस साहसी कन्या ने प्रतिज्ञा की है कि वह केवल उसी युवक से विवाह करेगी जो बिना दहेज विवाह के लिए तैयार होगा साथ में जिसका नैतिक आचरण भी सभ्य एवं शिष्ट होगा। ढोर के गले की घन्टी की तरह वह किसी के भी गले बँधने को तैयार नहीं।

कन्यायें यदि इस तरह साहस दिखा सकें तो विवाह में हो रही कुरीतियाँ एक दिन भी न टिकें। लड़कों को महसूस होना ही चाहिए कि विवाह में केवल लड़कियों की आवश्यकता नहीं उनकी भी आवश्यकता है।

दो हाथों की कमाई लाख हाथों से खाई

चमचमाती बिजलियों से जगमगाते सिनेमाघर—बड़ी बड़ी इमारतें तथा बड़े-बड़े बाजार चित्त को चलायमान भले ही कर दें—विस्मित तथा प्रफुल्लित भी कर सकते हैं—लेकिन आत्मा को सन्तोष, शान्ति तथा तृप्ति, मन्दिर का जलता हुआ एक छोटा-सा दीपक ही प्रदान करता है।

इसी प्रकार बड़े-बड़े धन कुबेर कई धर्मशालायें—अस्पताल तथा मन्दिर बनवाते हैं पर उनकी तुलना में श्यामो पिसनहारी का वह कुँआ कहीं अधिक प्रेरणादायक तथा जीवन को अनुप्रमाणित करने वाला है।

पचास लाख कमाये। वह भी अनीति तथा अनाचार का सहारा लेकर। तब कहीं एक लाख दान-दक्षिणा में लगा दिया। वह भी इस आशा से कि स्वर्ग में हमारी ‘सीट’ रिजर्व हो जायेगी।

किन्तु श्यामो ने जीवन में केवल पाँच सौ रुपये ही कमाये थे। वह भी चक्की पीसकर। और बचाये थे अपना पेट काटकर—मोटा गजी-गाढ़ा पहनकर। और वे सबके सब रुपये लगा दिये थे राहगीरों की तृषा तृप्त करने के लिये यह कुँआ बनवाने में। और वह भी निर्लस एवं निष्काम भाव से।

मुंगेर से भागलपुर जाने वाली सड़क पर यह कुँआ स्थित है इसे बने हुए लगभग सौ डेढ़ सौ वर्ष व्यतीत हो चुके हैं।

और उस निर्माण काल के भी साठ-सत्तर वर्ष पूर्व श्यामो ने आँखें खोलकर इस दुनिया को देखा था। पर कहीं देख पायी वह इस दुनिया को भी ?

बारह वर्ष की थी, तो ब्याह रचाया गया और तेरह वर्ष की हुई तो विधाता ने सुहाग छीन लिया। तब ही—जब कि वह सुहाग का अर्थ भी नहीं जानती थी।

ससुराल वाले चतुर थे। पता नहीं श्यामो कितनी लम्बी आयु लेकर आई है। अतः उसे नाना प्रकार से प्रताड़ित तथा लाञ्छित करके जीना दूमर कर दिया।

३.६७ विवाहोन्माद : समस्या और समाधान

नियति की मारी, तब माता-पिता के आश्रय में आ गई। तब न तो नारी शिक्षा का प्रसार हुआ था जो वह पढ़-लिखकर स्वावलम्बी बन जाती और न समाज स्त्रियों को इतनी स्वतन्त्रता ही देता था कि वे अपना बौद्धिक विकास कर सकें।

पर माता-पिता किसके सदा बैठे रहते हैं। श्यामो के माता-पिता भी स्वर्ग सिंघार गये और अब रह गये केवल दो प्राणी। श्यामो तथा उसका एक गूंगा-बहरा भाई। वह प्याऊ पर बैठकर पानी पिलाता रहता।

श्यामो ने विचार किया कि आयु की भार युक्त अवस्था यों बैठे-बैठे नहीं—कुछ काम करके ही काटनी चाहिए। साहस और धीरज को ही अपना सहयोगी बनाना चाहिए। तब श्रम को ही उसने अपना सहचर बना लिया। दो घंटा रात रहे वह उठती और दिन निकलते तक पाँच सेर अनाज पीस लेती। फिर नित्यकर्म से निवृत्त होकर कुछ देर ईश्वराध्या करती। फिर रोटी बनाकर अपने भाई को देती। वह सुबह जाकर सन्ध्या समय ही लौटता था अतः कुछ साथ भी रख देती।

जौ चने की रोटी तथा मिर्च खटाई की चटनी यही तो बनाना होता था। जीवन धारण किये रहने के लिये किसी प्रकार पेट भर लेना ही उद्देश्य था बस! भोजन से निवृत्त होकर फिर चक्की चलाने बैठ जाती और फिर पाँच सेर आटे का ढेर लग जाता। तब उठती और झाड़ू बुहारू करके सन्ध्या समय चरखा कातती। उसी से मोटा खद्वर बन जाता जिसे पहन कर दोनों भाई-बहन काम चला लेते थे। सन्ध्या समय अवश्य ही कुछ साग-सब्जी या दाल बन जाती। या फिर कोई उदार पड़ोसन एक आध लोटा मठ्ठा दे जाती तो दोनों उसका आनन्द ले लेते।

पिसाई की मेहनत का जो पारिश्रमिक मिलता वह इन मूल आवश्यकताओं के अतिरिक्त आराम अथवा ऐश की किसी भी साधन-साधना पर व्यय नहीं किया जाता। भाई भी पानी पीने वालों से जो पैसा या धेला पाता वह लाकर बहन के हाथ पर रखता।

और बहन? वह उन पैसों को जो नित्य की आवश्यकता पूर्ति से बच जाते, जतन से बचाकर रखती जाती। मुहल्ले में किसी को कष्ट होता, तो श्यामो ही सबसे पहले वहाँ दिखाई देती। किसी को पैसों की आवश्यकता होती तो श्यामो की वह मैली सी थैलिया झट से खुल जाती।

इसी एक निश्चित क्रम में उसकी किशोरावस्था गयी—यौवन बीता और बुढ़ापा भी पक गया। अब गूंगा भाई भी चल बसा और वह नितान्त एकाकी रह गयी।

अब उसने सोचा—पता नहीं मैं भी ऐसे ही न जाने कब इस संसार से विदा हो जाऊँ। उसके पास जमा की हुई पूँजी पाँच सौ रुपये की थी वह विचार करने लगी इसका क्या उपयोग किया जाय—जो इनके द्वारा अधिक से अधिक व्यक्ति लाभ उठा सकें। उसका 'अपना' कहने को तो कोई था ही नहीं। यों जितने भी परिचित पड़ोसी थे सभी उसके अपने थे। अब वह प्रत्येक मानव को अपनेपन की सीमा में बाँध लेना चाहती थी। उसके हृदय में निरन्तर यही भाव रहता कि उसके इस धन द्वारा अधिकतम व्यक्ति लाभान्वित हों।

सो उसने बड़े सोच-विचार के पश्चात मार्ग में यह पक्का कुँआ बनवाया। इस मार्ग में उस समय कोई पानी पीने का सर्वसुलभ साधन या सुविधा न थी। राहगीरों को प्यास से परेशान होकर इधर-उधर भटकना पड़ता था। यह कठिनाई श्यामो से अविज्ञात नहीं थी। समय सस्ता था तब। सो पाँच सौ रुपये में अच्छा-खासा पक्का कुँआ बनकर तैयार हो गया।

कुँए के आस-पास आम, नीम, पीपल तथा गूलर के कई पेड़ लगाये गये। श्यामो के सामने ही ये वृक्ष बड़े होने लगे थे। आज तो वे विशालकाय होकर इतनी अधिक शीतलता प्रदान करते हैं कि यात्रियों से लिये अच्छी-खासी धर्मशाला का कार्य करते हैं। यात्री आते-जाते अनायास ही वहाँ रुकते हैं। थोड़ा विश्राम करते हैं और कुँए का पानी पीकर अपनी तृषा मिटाते हैं।

इस कुँए का पानी भी असाधारण रूप से मीठा तथा शीतल है। पता नहीं ये विशेषता प्राकृतिक रूप से ही है, अथवा उसमें भी श्यामो के हृदय की मिठास तथा उसके उज्वल लोक-कल्याणकारी विचारों की शीतलता समा गई है।

अब भी श्यामो के सदाचारपूर्ण जीवन की तथा लोक मंगल के लिये किये गये इस त्यागपूर्ण कृत्य की गाथाएँ लोग आपस में कहते-सुनते रहते हैं। वह नहीं रही—किन्तु उसकी परमार्थ से भरी आत्मा का प्रकाश स्तम्भ वह कुँआ—उसकी एक अमिट स्मृति रेखा है।

एक गरीब, विधवा वृद्धा ने अपने जीवन की गाढ़ी कमाई का एक-एक पैसा यों प्रसन्नता के साथ लोक सेवा में लगा दिया। क्या आज समाज में ऐसे उदारचेता

मनुष्य अपनी कमाई का एक अंश ही लोकहित के लिये लगाने का साहस दिखा सकेंगे ? “पिसनहारी का कुँआ” यही सन्देश दे रहा है कि “दो हाथों से जुटाओ और सैकड़ों हाथों से लुटाओ ।”

दस हजार मिल गये-अब बहू की आशा न करें

बुरहानपुर निवासी श्री मुन्शीलाल जी अपने पुत्र का विवाह कर रहे थे । पूरा दस हजार रुपया तय किया था—विवाह में बाकी साज सामान सब अलग । पुत्र ने काफी प्रतिवाद किया । पर न माने । पत्नी ने कहा—“हम माँगकर छोटे क्यों बनें ? देने वाले का सम्मान तो सदा वैसे ही ऊँचा होता है । रुपया माँगकर हम कन्या तथा कन्या पक्ष दोनों की निगाहों में गिर जाते हैं । फिर विवाह तो दो परिवारों का एक त्रेह बन्धन होता है । उसे व्यापार का साधन क्यों बना रहे हैं ?”

पर उन्हें तो धुन सवार थी कि लोग वाहवाही दें, कि पुत्र का सम्बन्ध कितने ऊँचे घराने में किया है जो दस हजार रुपया नगद मिला है और पाँच छः हजार का दहेज अलग ।

पर जिसे वे ऊँचा घर समझ रहे थे—वे बेचारे बड़ी ही मुसीबत के मारे थे । कन्या उनकी योग्य, सुन्दर, सुशील तथा एम० ए० पास थी । पाँच कन्याएँ उनकी अल्पायु में ही स्वर्ग सिंघार चुकी थीं । अतः शीला पर—इस कन्या पर अत्यधिक स्नेह था । अच्छे से अच्छा वर ढूँढ़ कर पिता ने सम्बन्ध तय किया ।

पर आजकल दहेज की बढ़ती लोलुपता के युग में ‘अच्छे लड़के’ बिना अच्छी कीमत दिये मिलते कहीं हैं । सो अपना मकान अठारह हजार में गिरवी रखकर दस हजार में उन्होंने राजेश के साथ शीला का सम्बन्ध पक्का कर दिया ।

जब मुन्शीलाल जी यों न माने तो राजेश ने दूसरी ही युक्ति सोची । सम्बन्ध वह तोड़ना नहीं चाहता था क्योंकि कन्या अत्यन्त ही गुणवती थी ।

भारत गई । स्वागत-सत्कार भी खूब हुआ । दूसरे दिन जब विदा का समय आया तो राजेश ने कह दिया । “आप सब घर जाइये । मैं कुछ साल बाद आऊँगा ।”

इस बात से सारी भारत में तथा कन्या के घर वालों में सनसनी फैल गई मुन्शीलाल जी बोले—“दिमाग

खराब हो गया है क्या ?” तब राजेश ने कहा—“आपने अपने मन की बात पूरी कर ली । अब मुझे अपने मन की बात पूरी कर लेने दीजिए । मना करने पर भी आप दहेज तथा दस हजार रुपया लिये बिना न माने । आपको जो चाहिए था वह मिल गया । अब बहू मिलने की आशा करना व्यर्थ है और मैं जानता हूँ कि पिताजी ने (शीला के) अपना मकान गिरवी रखकर आपकी ये माँग पूरी की है । गिरीश अभी पढ़ ही रहा है । परिवार का सदस्य अब मैं भी बन गया हूँ उनका । जब तक कर्जा नहीं चुक जाता—मैं यहीं रहूँगा । पिता का उत्तराधिकारी पुत्र होता है । पिता के पाप का प्रायश्चित भी पुत्र को ही करना चाहिए ।”

उसका उत्तर सुनकर सभी स्तब्ध रह गये । सबने समझाया । शीला के पिता ने भी कहा—“हम अपना जैसा भी होगा करते रहेंगे । तुम्हें यों पिताजी से अलग नहीं होना चाहिए ।”

पर वह न माना । आखिर सब समझदार लोगों ने समस्या का दूसरा हल निकाला । मुन्शीलाल जी से कहा—“यदि आप दहेज में मिली रकम लौटाने को तैयार हों तभी हम राजेश को घर चलने को विवश कर सकते हैं ।”

मुन्शीलाल जी अब सारे दाव हार चुके थे । बेटे-बहू को नहीं खोना चाहते थे । अतः बोले—“जैसा तुम सबको दिखे वैसा करो ।”

दस हजार रुपया लौटाया गया । तब कहीं राजेश घर जाने को राजी हुआ । भारत में जितने भी व्यक्ति थे सभी ने रुपया दहेज में कीमती सामान न माँगने की बात समझी तथा कन्या पक्ष वालों की विवशता की अनुभूति की । आज के युवकों में ऐसे ही विवेक पूर्ण साहस की आवश्यकता है तभी इस दानवी कुरीति का अन्त किया जा सकता है ।

विवाह में वर के पिता का आदर्श

मेहदिया निवासी श्री उदयचन्द लाहिड़ी वर देखने के लिए कासिमगंज गये । जिस समय वे दरवाजे पर पहुँचे उस समय शहर में ही किसी काम से वर के पिता श्री बिहारी लाल जी संचेती बाहर थे । घर के दूसरे लोगों ने आवभगत की । उदयचन्द जी के साथ और भी कई

३.६६ विवाहोन्माद : सम्बन्ध और समाधान

व्यक्ति थे, सब लोग बैठ गये, एक व्यक्ति श्री संचेती जी को बुलाने के लिए भेज दिया गया ।

इधर विवाह-बारातों की चर्चा चल पड़ी । बात-बात में यह भी मालूम पड़ गया कि वे लोग जिस लड़के को देखने आए हैं उसके लिए पहले भी चार व्यक्ति आ चुके हैं जिसमें एक व्यक्ति डिप्टीमजिस्ट्रेट भी था, कन्यायें भी बी० ए० पास तक थीं और उन्हें दस हजार रुपये देने तक का आग्रह किया गया था, पर उन सभी सम्बन्धों को न जाने क्यों श्री संचेती जी इनकार ही करते रहे । यह ब्योरा जब लाहिड़ी जी ने सुना तो उन्होंने अपने साथियों से परामर्श किया कि जब इतने अच्छे सम्बन्ध, पढ़ी-लिखी लड़कियाँ और लम्बे दहेज को भी नहीं स्वीकार किया गया तो हमारी यहाँ कौन सुनेगा । बात भी इस हिसाब से ठीक ही थी । बिना किसी तरह की बातचीत किए चलने के लिए सभी उठ खड़े हुए, इधर संचेती जी भी आ गये उन्होंने सब को आदरपूर्वक बैठाया । घर गये और फिर कपड़े बदलकर बाहर सब लोगों से मिलने आये ।

आते ही पूछा—“भाई आखिर ऐसी क्या बात हुई जो आप लोग बिना मिले ही चल पड़े, यहाँ किसी से कोई झूल हुई क्या ?” कन्या पक्ष से लाहिड़ी के छोटे भाई ने कहा—“नहीं दाऊजी ! बात यह नहीं थी, हम लोगों को मालूम हुआ कि आपके यहाँ पहले बहुत अच्छे सम्बन्ध आये, दस हजार तक का दहेज आपने ठुकरा दिया जब कि हम लोग निर्धन हैं । कन्या भी कोई ६ वीं १० वीं तक ही पढ़ी है । न अधिक दहेज दे सकते हैं, न सुशिक्षित कन्या, पर हाँ उसे गृहस्थी के कार्यों में दक्ष अवश्य किया है ।”

एक हलकी मुस्कान बिखरते हुये—बिहारीलाल जी कहने लगे—“भाई सम्बन्ध रुपयों के लालच में वापस नहीं किये । हम सिद्धान्तवादी व्यक्ति हैं हमें न दहेज चाहिये न अधिक पढ़ी-लिखी कन्या । हमारी यह इच्छा थी कि बच्चे का विवाह धर्म संस्कार जैसा हो भले ही वह निर्धन परिवार में हो । हम अच्छे सम्बन्ध, सुशील कन्या की प्रतीक्षा करते रहे हैं । दहेज को तो मैं इस युग का पाप समझता हूँ । मैंने स्वयं अपनी बेटी का विवाह निर्धन परिवार में किया पर लड़का होनहार और सुशील था, इस समय नौकरी में ४५० मिलते हैं । धन तो कभी भी पैदा किया जा सकता है । प्राप्त धन खो सकता है, चोरी हो सकती है इसलिये धन का लालच तो विडम्बना मात्र है । मैंने अपने बच्चे की शादी बड़ी सादगी से करने का

निश्चय किया है । दहेज मुझे नहीं चाहिये पर मैं जेवर देना भी पसन्द नहीं करता । बड़ी बारात नहीं लाऊँगा, एक दिन ठहर कर विदा होगी, आतिशबाजी मैं बिलकुल नापसन्द करता हूँ ।” यह सब रूखी बातें भला वे ऊँचे तब के लोग कहाँ पसन्द करते ।

३ जून को विवाह सम्पन्न हुआ । सायंकाल ५ । बजे गौ-धूलि बेला में महिलाओं के मंगल गान के साथ वेदमंत्र बोले जाने लगे । पिता द्वारा प्रतिज्ञा-सूत्र का पठन, वर-वधू द्वारा प्रतिज्ञायें स्वीकार करना, वधू द्वारा माल्यार्पण तथा वर द्वारा वधू के मस्तक पर सिन्दूर धारण आदि मंगल धर्मकृत्य उल्लासपूर्ण वातावरण में सम्पन्न हुए । अनेक प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने वर-वधू को आशीर्वाद प्रदान किये । वर के पिता ने स्थानीय कन्या विद्यालय के लिये १००१ रुपया तथा ५०१ रुपया अन्य संस्थाओं के लिये आर्थिक सहयोग स्वरूप दान दिया । दहेज के नाम पर केवल १ रुपया और नारियल लिया । विवाह के उपरान्त ही भोज हुआ और प्रातःकाल बारात घर लौट आई । मेहदिया निवासियों में इस आदर्श विवाह की अभी भी चर्चा होती है । लोग कहते हैं—सभी लड़कों के पिता इस तरह के आदर्श प्रस्तुत करें तो विवाहों के अपव्यय और अन्य बुराइयों का अन्त ही हो जाय ।

पुत्र के साहस ने पिता का सुधार कर दिया

“पिताजी ! यदि यही बात है तो मैं अब आगे पढ़ने की इच्छा का त्याग कर दूँगा । इण्टर तो कर ही लिया है कहीं नौकरी कर लूँगा । किन्तु विवाह करूँगा तो बिना दहेज के ही करूँगा । यदि मेरा बी० ए० करना इस बात पर निर्भर है कि आप मेरे विवाह में जो दहेज कमायें उसी को मेरी आगे की शिक्षा पर व्यय करेंगे तो मैं बिना डिग्री के ही ठीक हूँ, ऐसे अनुचित काम में आपका सहयोग न कर सकूँगा ।”—युवक अम्बिकाप्रसाद ने पिता से कहने का साहस दिखलाया ।

युवक अम्बिकाप्रसाद के पिता साहबगंज के भरे पूरे लोगों में गिने जाते हैं । उनका लड़का इण्टर पास कर चुका था और बी० ए० के प्रथम वर्ष में पढ़ रहा था । लड़के की उम्र २२ वर्ष की थी । अच्छे घर का पढ़ा-लिखा लड़का था । लड़की वालों के दौरे शुरू हो गये । मगर सफलता किसी को न मिली । उनकी शर्त कठिन थी ।

उनका कहना था कि जो व्यक्ति मेरे लड़के की पढ़ाई में लगने वाले रुपयों और बी० ए० की पढ़ाई में लगने वाले सब रुपयों को देगा उसकी बेटी ही मेरी पुत्रवधू बनेगी। यह सब करीब १०-१५ हजार रुपयों का खर्च बैठता है। गरीब बेटियों के पिताओं के मुँह में इतने दौत कहाँ जो इस माँग को पूरा कर सकें।

अम्बिकाप्रसाद को पिता के इस शर्तनामे का पता था। किन्तु वह इस आशा में कुछ बोल न पाता था कि किसी दिन कन्याओं के गरीब पिताओं की मिश्रत से उन्हें दया आयेगी और अपनी शर्त छोड़ देंगे। भावुक और भोले अम्बिकाप्रसाद को क्या पता था कि दहेज के लालची लोग इतने अकरुणा के होते हैं कि कभी-कभी अयोग्य लड़कियों को अपने सुयोग्य लड़कों के गले से बँधवा देते हैं। बात यह कि विवाह तो लड़के का होगा, जिन्दगी उसकी बरबाद होगी—उनका क्या जायेगा? उन्हें तो रुपया मिल जाना चाहिए, बाकी लड़का अपना भरता भुगतता रहेगा। न जाने दहेज लेने वालों के हृदय से वात्सल्य का भाव कहाँ चला जाता है और कहाँ चली जाती है—पितृत्व की वह भावना जिससे वे न तो लड़के का हित-अनहित सोच पाते हैं, न पिता होने के नाते किसी गरीब की बेटी की ओर देख पाते हैं।

अम्बिकाप्रसाद की आशा बेकार गई। पिता का हठ न बदलना था और न ही बदला। उसने माता के जरिये अपना भाव पिता तक पहुँचाया भी, इस पर भी कोई फल न निकला। जिस दिन दहेज के विरोध में उसने पिता से पढ़ाई छोड़कर नौकरी कर लेने की बात कही उसके एक दिन पहले वह दशहरे की छुट्टी पर घर आया था और उसी शाम को एक लड़की वाला शादी का प्रस्ताव लेकर द्वार पर हाजिर हुआ था। विवाह की बातचीत के दौरान अम्बिकाप्रसाद ने जो दृश्य देखा उससे उसके हृदय पर गहरी चोट लगी और उसकी मानवता जाग उठी तथा पिता के सम्मुख स्पष्ट कहने पर विवश हुई।

युवक ने देखा कि प्रार्थी प्रार्थना करता हुआ रो रहा था और कहे जा रहा था—“कई वर्षों से मेरी बेटी के लिए लड़का खोज रहा हूँ। जहाँ जाता हूँ दहेज की रकम सुनकर प्राण सूख जाते हैं। घर में जो कुछ था वह दो बेटियों के विवाह में लगा चुका हूँ। अब मेरे पास कुछ भी नहीं रह गया। आप मेरा उद्धार कर लें। जो एक छोटा-सा खेत रह गया है उसे बेचकर कुँअर की

बी० ए० की पढ़ाई का खर्च दे दूँगा। पिछला खर्च मेरे यश की बात नहीं है। आप देवता है, दयावान हैं। बेटी आपके चरणों में आ जायेगी। सुख से रहेगी। हमारी आत्मा को सन्तोष रहेगा। बिटिया को नर्वी तक पढ़ा भी दिया है। उसने कुछ सिलाई-कढ़ाई का काम भी सीख लिया है। आप बी० ए० का खर्चा बतला दें, मैं कंगाल बनकर—अपने को बेचकर भी मुन्नी को आपके कुँअर को सौंपना चाहता हूँ। इस बुद्धापे में मेरी लाज रख लें। भगवान का दिया आपके पास सब कुछ है।”

बुद्धा रोता रहा और पिता बैठे सुनते रहे। बेटी के पिता की अनाथ, अपराधी तथा भिखारी जैसी मिश्रत का उन पर कोई प्रभाव न हुआ। और जब बोले तो समझाने लगे—“देखो भाई, इसीलिए तो कहा गया है कि सम्बन्ध बराबर वाले से ही ठीक रहता है। जब शर्त पूरी नहीं कर सकते तो बेटी को अच्छे घर देखने की कामना मत करो। अपने जैसा कोई घर देख लो और लड़की के हाथ पीले करके पाप काटो। मेरी पुत्रवधू वही बनेगी जो मेरी माँग का रुपया लेकर आयेगी।”

इस घटना से अम्बिकाप्रसाद आहत हो उठा और उसे न केवल अपने विचार की घोषणा ही कर दी बल्कि बूढ़े से प्रतिज्ञा भी कर दी कि वह हर कीमत पर उसकी बेटी से ही विवाह करेगा और एक पैसा खर्च नहीं होने देगा। जाइये, विवाह की तैयारी करिए। यदि कोई भी नहीं आयेगा तो मैं अकेला ही विजयादशमी के शुभ मुहूर्त पर आदर्श प्रथा से विवाह कर लूँगा। मैं अपने घर में इस दहेज प्रथा को पनपने न दूँगा?

पुत्र के इस अप्रत्याशित विद्रोह तथा दृढ़ता से पिता के बन्द पट आश्चर्यसहित खुले पर फिर भी उसने पुत्र की इस घोषणा को इस कान सुना, उस कान निकाल दिया। अम्बिकाप्रसाद की माता ने उनसे कहा कि लड़का हाथ से बेहाथ हुआ जा रहा है, आप क्या करने जा रहे हैं? दहेज का हठ छोड़ क्यों नहीं देते?

“वाह! यह भी तुमने खूब शिक्षा दी”—पति ने बड़े गुमान से उत्तर दिया—“अपने कुल की रीति छोड़ दूँ। पता है तुम्हारे विवाह में पूरा १५ हजार रुपया वसूल किया था मेरे पिता ने—अब तुम मुझसे बेटे की खूँडी शादी कर लेने को कहती हो। गाँव-बस्ती वाले क्या कहेंगे? समाज में नाक रह सकेगी? लड़का हाथ से बेहाथ होकर जायेगा कहाँ? जब तक मेरी इजाजत न होगी उसकी क्या मजाल कि विवाह कर ले? घर से

निकाल बाहर करूँगा । दर-दर भीख माँगता फिरेगा । एक तरफ धरी रह जायेगी यह सुधारवादिता और आदर्शवादिता ।”

अम्बिकाप्रसाद की माँ को पति की बात से बड़ा दुःख हुआ और उसे याद आया वह दिन जब दहेज की रकम चुकाने के लिए एक ओर मकान के बैनामे पर हस्ताक्षर कर रहे थे और दूसरी ओर आँखों से आँसू बहा रहे थे—मेरे पिताजी । वह विषण्णा होकर पति को उलाहना देती हुई बोली—

“क्या तारीफ की आप लोगों ने मेरे विवाह में दहेज की मोटी रकम लेकर । आपके घर तो १५ हजार रुपये आ गये लेकिन मेरे पिता तो उस बोझ को न सहकर कुछ ही समय में चल बसे । मैं तो ऐसे पैसे को शुभ नहीं मानती कि जिसके साथ किसी की आहें, आँसू अथवा मृत्यु का अभिशाप जुड़ा हो । मेरा कहा मानिये और हठ छोड़ दीजिए । लड़की पढ़ी-लिखी और सुशील है, विवाह कर लीजिए । समाज में इस अच्छे काम से नाक नीची नहीं, ऊँची ही होगी । जमाना बदल गया है । पढ़े-लिखे लड़के अब अपना अच्छा-बुरा सोचने लगे हैं । जरा सोचिये तो आपका ही लड़का है कहीं आपकी तरह ही जिद पर आ गया तो लेने के देने पड़ जायेंगे । उसकी जुवान खुल चुकी है । बूढ़े को वचन दे चुका है—कहीं ऐसा न हो कि आपको अपने बड़प्पन और गुरुता दोनों से ही हाथ धोने पड़ें ।”

अम्बिकाप्रसाद के पिता को अपनी पत्नी की सखिशा पर क्रोध आ गया और उन्होंने तमककर कहा—“जा, तू भी लड़के के साथ हो जा—देखूँगा यह शादी कैसे होती है? यों ही शादी कर लेना हैसी खेल नहीं । इसके लिए पैसे और चार भले आदमियों की भी तो जरूरत होती है ।”

दूसरे दिन विजयदशमी थी । लड़का निःसंकोच भाव से बाराती की तैयारी करने लगा । वह गाँव में चार-छः प्रगतिशील व्यक्तियों के पास गया और अपनी भावनाओं के साथ स्थिति बतलाई । हर भले आदमी ने उसके विचारों को सराहा और सहयोग देने का वचन दिया । नवयुवक मित्र तो रूढ़िवाद पर आदर्शवाद की विजय से फूले न समाते थे ।

अम्बिकाप्रसाद के पिता को जब लड़के की सफलता का पता चला तो वे जने-जने के पास दौड़े और कुलरीति, परम्परा और पुरातनता की दुहाई देते हुए बहुत कुछ

रोये-गाये, बके-झँके लेकिन उन्हें एक ही उत्तर मिला—लड़के के विचार अच्छे और ऊँचे हैं । उसका विरोध करना उचित नहीं । पिता अकेला पड़ गया—लेकिन हठ अब भी न छोड़ा और यह कह कर किरानाकशी कर ली—“एक छदाम भी न दूँगा, देखता हूँ कि बारात कैसे ले जायेंगे ।”

फिर भी कोई कठिनाई न आई और दस-पन्द्रह प्रगतिशील बराती अपने-अपने किराये-खर्चे पर आदर्श की रक्षा करके पुण्य कमाने चल दिये । पिता को निराशा तो हुई लेकिन फिर भी अड़े रहे—“जब मैं लड़के का पिता ही मण्डप में न हूँगा तब शादी होगी भी कैसे ?” बारात चली गई ।

दूसरे दिन बहुत से लोग अम्बिकाप्रसाद के पिता के पास आए और बोले—“अपनी बिगड़ी बात बनाओ और जाकर बेटे के विवाह में शामिल हो जाओ, नहीं तो विवाह तो होगा ही—आपको जीवन भर के लिए पश्चाताप और लोगों को कहने के लिए बात रह जाएगी ।”

अम्बिकाप्रसाद के पिता पूरी तरह हार चुके थे । निदान दूसरों पर अहसान रखते हुए दो और आदमियों को लेकर लड़की वाले के यहाँ गए । देखा, एक उनके लड़के का ही विवाह नहीं हो रहा है बल्कि अनेक वर-कन्याओं की शादी एक साथ सामूहिक रूप से किया गया है और सभी के अभिभावक बड़े हर्ष से उत्सव में भाग ले रहे हैं । अम्बिकाप्रसाद के पिता की सारी ग्लानि दूर हो गई और वे भी खुशी-खुशी अन्य अभिभावकों की पंक्ति में बैठकर फूलमाला तथा आदर-सत्कार के भागी बने ।

दहेज की परवाह न कर शादी की

कटक । एक युवक ने अपने पिता द्वारा इच्छित दहेज की जिद्द की परवाह न कर शादी करने का आदर्श उपस्थित किया । इस प्रकार युवक ने यह स्पष्ट कर दिया कि तरुण पीढ़ी राष्ट्रीय और सामाजिक एकता की रक्षा के लिए पूर्वाग्रहों पर चलने को आवश्यक नहीं मानती । यह विचारशीलता की बात हुई । अभिनव जागृति और संतोष की बात हुई ।

देखा गया है कि दहेज के लिए अब अधिकांश या तो घरों की अशिक्षित और वृद्ध महिलायें हठ करती हैं या अशिक्षित और महत्वाकांक्षी बुजुर्ग अभिभावक । दहेज प्रथा के दुष्परिणाम वर्तमान पीढ़ी से छुपे न रह सके । बहुत से लोग यद्यपि परम्पराओं को तोड़ने और बुराइयों

का साहस पूर्वक सामना करने से डरते हैं तथापि अनेक घटनाओं से पता चलता है कि अब जो शिक्षित और विचारशील पीढ़ी ऊपर उठ रही है उसमें वैवाहिक कुरीतियों के प्रति काफी रोष है। यह विवाहोत्सवों को कर्तव्य पालन के एक बहुत महत्त्वपूर्ण पर्व के रूप में देखना चाहती है, अविवेकपूर्ण, असंगत रूप में नहीं।

प्रस्तुत समाचार उपर्युक्त तथ्य की पूर्ण पुष्टि कर देता है। घटना इस प्रकार बताई जाती है कि—कटक जिले के जाजपुर कस्बे में निकटस्थ डुवरी गाँव से एक बारात आई। बारात के पहुँचते ही युवक के पिता ने अपने समधी (लड़की के पिता) को कहला भेजा कि जब तक साइकिल और घड़ी यहाँ नहीं पहुँचा देंगे मेरा लड़का शादी नहीं करेगा।

यह सुन कर लड़की का पिता घबरा गया। इधर लड़के को भी असमंजस हुआ कि घड़ी और साइकिल के लिए उसने कहा भी नहीं, इनकी कोई आवश्यकता भी नहीं है। आवश्यकता हो भी तो उन्हें खरीदना हमारा काम है। क्या नारी इतनी दयनीय है कि उसे स्वीकार करने के लिए शर्त जोड़ी जाये। कल जो मेरी धर्मपत्नी बनेगी उसके हृदय और मस्तिष्क में आज से ही दबाव डालने का यह स्वाँग भी खूब रहा। उसने मन ही मन अपने पिता, अपने समाज को खूब धिक्कारा।

इसी बीच लड़की का पिता भी वहाँ पहुँच गया। परिस्थिति युवक की परीक्षा-री लेने को आई थी। उसके विचारों का व्यावहारिकता से कितना मेल खाता है यह तोलना बाकी था। यह देख कर सभी पढ़े-लिखे स्थानीय और बारातियों को संतोष और प्रसन्नता हुई कि उस परीक्षा में युवक की जीत हुई।

लड़की के पिता ने समधी से बड़ी मित्रता की और यहाँ तक कहा—“मेरी आबरू मिट्टी में मिल जायेगी, देखो तंग न करो, आपको सुशील कन्या देकर और कुछ देने की शक्ति हममें कहाँ है?” पर लड़के का पिता बड़ा कठोर निकला। वह टस से गस न हुआ।

दूल्हा बना लड़का यह सब पास ही खड़ा सुन रहा था। उससे यह करुण क्रन्दन और अधिक न सुना गया। उसने पिता से साफ कह दिया—“गुझे ये चीजें नहीं चाहिये, मैं इन चीजों के बिना ही शादी करूँगा।” बुढ़ा अपना-सा मुँह लेकर रह गया और कुछ जवाब देते न बना। बारातियों ने भी अधिकांश वर-इच्छा का ही समर्थन किया और शादी बिना किसी दहेज या देन के हो गई।

यदि युवक में अपनी धर्मपत्नी और सम्बन्धियों के प्रति इतनी सहृदयता रही तो इस रिश्तेदारी में अटूट प्रेम और आत्मीयता होना स्वाभाविक ही रहा और नहीं तो दाम्पत्य-जीवन की पवित्रता, दृढ़ एकता और परस्पर विश्वास जीवित रखने के लिए भी यह आवश्यक है कि युवक दहेज का विरोध न करें। इस घटना से वे एक नेक शिक्षा ग्रहण करेंगे।

दहेज समस्या का समाधान इस तरह

विवाह जैसे पवित्र कार्य में आज दहेज सबसे बड़ी बाधा है। पिछले दिनों से सुशिक्षित परिवारों में यह धारणा बन गई है कि यदि अपनी कन्या को अधिक पढ़ाया लिखाया जाय तो उसकी योग्यता बढ़ जाने से विवाह के समय दहेज का सिर दर्द कुछ कम हो सकता है। पर अब अनुभवों के आधार पर यह धारणा मिथ्या सिद्ध होती जा रही है। अधिक पढ़ी-लिखी कन्याओं की शादी भी एक समस्या बन गई है और दहेज की माँग ऐसी कन्याओं के माता-पिता से अधिक की जाती है।

समाज के इस नासूर को वरपक्ष आसानी से दूर कर सकता है। लड़के के पिता द्वारा तय किये हुए दहेज अथवा धन को उसका बेटा ही लेने से इन्कार कर दे तो उस आदर्श परम्परा का अवश्य समाज पर प्रभाव पड़ सकता है। अपने देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री ने तो दहेज के उन्मूलन का दायित्व स्वयं पर डालते हुए कोई लम्बा-चौड़ा व्याख्यान नहीं दिया है और न कोई लेख माला प्रकाशित कराई थी वरन् अपनी ही करनी द्वारा लोगों को प्रेरित किया था और उनका वह आदर्श आज भी कोटि-कोटि व्यक्तियों को सन्देश दे रहा है।

यज्ञ-वेदी के समक्ष विवाह मण्डप में बैठे हुए शास्त्रीजी पंडित द्वारा बताया हुआ सारा कार्य बड़े धैर्य और गंभीरता से पूर्ण करते जा रहे थे। बीच-बीच में अवकाश पाते ही उनका मन दाम्पत्य जीवन की सुखद कल्पनाओं में तल्लीन हो जाता था। इसी बीच आँगन में चहल-पहल शुरू हो गई। देखते ही देखते तख्त बिछा दिये गये और उन पर कीमती सामान सजा दिया गया। सास, श्वसुर तथा अन्य सम्बन्धी उस सामान को व्यवस्थित रखवाने में

३.७३ विवाहोन्माद : समस्या और समाधान

इधर-उधर जुटे हुए थे। शास्त्रीजी पर न रहा गया उन्होंने पास में बैठे एक व्यक्ति से धीरे से पूछा। उसने उत्तर दिया—“यह आपको देने के लिए दहेज लगाया जा रहा है।”

शास्त्री जी विवाह मण्डप से उठकर बाहर आ गये। उन्होंने दहेज की कोई भी वस्तु लेने से इन्कार कर दिया। उनके श्वसुर ने समझाया “बेटा! यह सब स्वेच्छा से दिया जा रहा है। यदि तुम न लोगे तो हमारे परिवार की मान-हानि होगी।” शास्त्री जी की समझ में यह कुछ भी न आया उन्होंने स्पष्ट कह दिया—“दहेज जो मानवता के सिर पर एक कलंक है उसे मैं प्रोत्साहन नहीं देना चाहता। यदि यह वस्तुएँ न हटाई जायेंगी तो मैं विवाह न करूँगा।” शास्त्री जी के इस आग्रह पर उनके श्वसुर ने आगे कुछ कहना उचित न समझा, उन्होंने सोचा कि यदि मैंने अधिक जिद्द की और यह लड़का उठकर चल दिया तब तो मैं इस क्षेत्र में मुँह दिखाने योग्य भी न रहूँगा।

श्वसुर को दुःखी होते देख शास्त्री जी ने बड़े नम्र शब्दों में कहा “यदि आपको मेरे इस कार्य से दुःख हो रहा हो तो मेरे लिए दहेज के नाम पर एक चरखा और कुछ गज खांदी रख दीजिये।” और अन्त में ऐसा ही हुआ। शास्त्रीजी के सम्मुख एक-से-एक बढ़कर रंग-बिरंगी कीमती वस्तुएँ रखी थीं। एक ओर उनका मन उन वस्तुओं को प्राप्त कर जीवन को सुखी तथा सुविधा सम्पन्न बनाने की बात सोच रहा था और दूसरी ओर उनका विवेक उस सामान को न लेने के लिए आग्रह कर रहा था। आखिर उनके विवेक और साहस ने इस मोह पर विजय प्राप्त की। उनके देखते ही देखते वह सजा हुआ सारा सामान हटा लिया गया और विवाह जैसे धार्मिक और पवित्र कार्य को बड़ी सादगी से सम्पन्न करके विदा हुए।

शास्त्री जी का यह कार्य आज के नवयुवकों को दहेज की समस्या सुलझाने के लिए बार-बार प्रेरणा दे रहा है। यदि युवकों के द्वारा दहेज का विरोध हो तो यह कलंक वर्षों में नहीं वरन् कुछ दिनों में धुल सकता है।

बड़े भाई की भूल छोटे ने सुधारी

रतनपुर के भोपाल सिंह नेगी की कन्या का सम्बन्ध साम्भी के रईस चतुरी सिंह के जेष्ठ पुत्र शिवबहादुर के साथ निश्चित हुआ। लड़का साम्भी में ही एक होटल चलाता है। विवाह ५ हजार रुपये में निश्चित हुआ

उसके साथ कन्या पक्ष के लिए एक शर्त यह भी जोड़ी गई थी कि अगवानी के समय के लिए बढ़िया से बढ़िया बैण्ड बाजे का प्रबन्ध भी होना चाहिए।

लड़की के पिता को दहेज की रकम जुटाना ही कठिन था जब बाजे वालों से बात की तो पता चला कि अच्छा बैण्ड सात आठ सौ से कम में नहीं पड़ता था सो उनसे साधारण बाजा कर लिया।

बारात आई। लड़के का पिता तो कुछ न बोला पर लड़का साधारण बाजा देखकर आग-बबूला हो गया। जितना गरम हो सकते थे गरमाये। किसी तरह अगवानी हो गई तो भाँवरों के समय ही लेन-देन के मामले में चखचख हो गई। दो परिवारों को आत्मीयता के एक सूत्र में बाँधने वाला विवाह संस्कार अपने देश में ऐसा विकृत हो गया है कि एक प्रतिशत विवाह ही अधिक से अधिक बिना किसी झगड़े के सम्पन्न होते होंगे। लेन-देन वाले जितने भी विवाह होते हैं उनके प्रारम्भ और अन्त प्रायः झगड़ों में ही होते हैं कई बार तो उनके बड़े ही दुःखद परिणाम देखने में आते हैं तब यह लगता है कि क्या यही वह भारतीय विवाह है जिन्हें अपने आध्यात्मिक होने का इतना गौरव है।

तय यह था कि भाँवरों से पूर्व सारा दहेज चुका देना होगा पर श्री भोपाल सिंह परिस्थितिवश कुल रकम इकट्ठी नहीं कर सके। लड़के का मिजाज पहले ही गर्म था एक हजार रुपये कम देखकर उसका पारा सातवें आसमान पर चढ़ गया। उसे ऐसा अखरा जैसे १ हजार रुपये कम देखकर उसकी कीमत कम कर दी गई हो।

बारातियों ने बहुतेरा समझाया पर वह राजी न हुआ विवाह मंडप से यह कहकर बाहर निकल आया—जब तक कुल रुपये अदा नहीं होते भाँवरे नहीं होंगी, नहीं तो कोई और लड़का तलाश कर लो।

अधिकांश बराती इस पक्ष में थे कि जैसे भी हो अब विवाह कर लेने में ही अच्छाई है। अन्ततः सम्बन्धी होना ही है तो थोड़े से लालच के लिये क्यों झगड़ा किया जाय। लड़के के पिता को तो आपत्ति नहीं पर लड़का अपनी जगह से एक इंच भी न टसका।

बताते हैं इस पर उनके छोटे भाई रामबहादुर ने, जो इस वर्ष बी० ए० सी० फाइनल का छात्र है, समझाया “भैया मान लो तुम्हें अपनी बहिन का विवाह करना होता और कर्ज काढ़कर भी दहेज की रकम पूरी न कर सकते तो सोचिये तुम पर कैसे बीतती। जो मिला सो ठीक अब और अधिक तंग करना अच्छा नहीं।

छोटे भाई के उपदेश ने क्रोधाग्नि में उफान पैदा कर दिया। उसने झिड़ककर कहा—“तुम्हें इतनी हमदर्दी है तो खुद भाँवरें कर ले।” छोटा भाई बड़ी देर तक समझाता रहा पर जब वह बार-बार वही कटु शब्द कहता रहा तो छोटा भाई स्वयं जाकर मंडप में बैठ गया। गाँव वाले ठिठाई से पहले ही तंग आ चुके थे। विवाह की रस्म अदा की गई और भाँवरें छोटे भाई के साथ ही फेर दी गईं। बड़ा भाई वहाँ से खिसककर चुपचाप घर चला आया।

पता चला है कि अब उसने घर से बँटवारा कर लिया है और अब अकेला ही रहता है। छोटा भाई अपनी पत्नी के साथ सुखी जीवन बिता रहा है। जबकि उसकी शादी के लिए अब कोई नहीं आ रहा। सब कहते हैं दहेज के लोभ में कहीं वह पत्नी को ही न मार डाले।

वर पक्ष वाले भी कम परेशान नहीं

प्रसंग मुरार क्षेत्र का है। श्री बाँकेबिहारी अपने पुत्र का विवाह तय करके लौटे थे। पर उदास थे। पत्नी ने पूछा—“क्यों, बेटे का विवाह तय करके आये हैं और चेहरे से खुशी ही नहीं झलक रही?”

बाँकेबिहारी बोले—“हाँ बात तो कुछ ऐसी ही है। चिन्ता लग गई है कि रुपये का प्रबन्ध कैसे होगा।”

अब पत्नी आश्चर्य मिश्रित स्वर में बोली—“लोग तो कन्या के विवाह में पैसे के प्रबन्ध की चिन्ता करते हैं। आप तो बेटा ब्याह रहे हैं फिर भी चिन्तित हैं? क्या वे लोग कुछ न देंगे?”

तब बाँकेबिहारी ने बताया कि—वे लोग पाँच हजार देंगे नकद। इतना ही तय हुआ है। किन्तु उन्होंने भी कुछ शर्तें रखी हैं। कन्या के लिये दो सैट बनवाने होंगे आभूषणों के। जड़ाऊ अलग तथा सादा—जो वह रोज में पहन सके ऐसा अलग। पाँच हजार के लगभग तो इसी में लग जायेगा। फिर दरवाजे पर भी उनकी इज्जत रखनी पड़ेगी। सब बड़े-बड़े लोग आयेंगे। बैण्ड भी अच्छा होना चाहिए। आतिशबाजी व फुलवारी अलग। इतना तो वहीं हो गया। फिर बहू आने पर यहाँ बहू भोज देना पड़ेगा और अपने सम्बन्धीगण आयेंगे उनका खाना-पीना, आदर सत्कार तथा नेग, विदाई आदि सब अलग।”

दोनों ही गम्भीर थे। तभी उनका पुत्र अमल वहाँ आया। वातावरण की गम्भीरता को कृत्रिम मुस्कान में बदलती हुई माँ बोली—“आओ बेटा! तुम्हारे पिताजी आज तुम्हारा सम्बन्ध पक्का कर आये हैं।”

अमल बोला—“पर आप लोग बहुत गम्भीर तथा उदास लग रहे हैं।”

अब बाँकेबाबू ने उसे सारी परिस्थिति से अवगत कराया और कहा कि कुछ रुपये का प्रबन्ध वह अपने कार्यालय से ऋण लेकर करे।

अमल ने कहा—“यदि हम जान-बूझकर परेशानी मोल लें तो इसमें हमारा ही दोष है पिताजी! विवाह, वर तथा वधू का होना है, न कि दहेज और जेवर का। जरा सोचिये—आप इतने में ही परेशान हैं। तब लड़की के पिताजी कितने परेशान होंगे जिन्हें पाँच हजार नगद रुपये देना है, तीन-चार हजार का दहेज का सामान हो जायेगा, बारात का स्वागत सत्कार तथा नेग दस्तूर सभी कुछ करना होगा और उनके अपने घर का व्यय अलग। तब क्यों न हम सीधे सादे ढंग से ‘केवल विवाह’ कर लें। आडम्बरों को छोड़ दें। सारी समस्याएँ हल हो जायेंगी।

बाँके बाबू कुछ सोचते रहे फिर बोले—“पर लोग क्या कहेंगे? हमारी इज्जत क्या रहेगी?”

इस पर अमल बोला—“लोगों को तो कुछ न कुछ कहने की आदत ही होती है। उसके भय से हमें इन मूढ़ मन्यताओं को गले से न लगाये रहना चाहिये और रहा प्रश्न इज्जत का सो विवेक पूर्ण कार्यों से वह बढ़ती ही है—घटती नहीं।”

पिताजी ने स्वीकृति दे दी। लड़की के पिताजी के सामने जब यह बात आई तो वे भी बड़े प्रसन्न हुए। अंधा क्या चाहे दो आँखें।

शुभ मुहूर्त में आदर्श पद्धति से यज्ञीय वातावरण में विवाह संस्कार सम्पन्न हुआ। छोटी-सी बारात छोटा-सा मंगलमय आयोजन। केवल चार छोटे-छोटे आभूषण चढ़ाये गये। दोनों पक्ष, व्यर्थ की परेशानी तथा उलझनों से बच गये। कन्या पक्ष भी जेवर तथा धूमधड़ाके की माँग इसीलिये करता है कि उससे दहेज तथा अन्य मूल्यवान वस्तुओं की माँग की जाती है। पर यहाँ दोनों पक्षों के समक्ष अब ऐसी कोई समस्या शेष न रह गई थी।

बात पैसे की नहीं—सिद्धान्त की थी

इटावा के श्री जगदीशचन्द्र जी श्रीवास्तव ने बरातियों के दुराग्रह की उपेक्षा करते हुए अपने आदर्श की रक्षा करके एक अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया है।

उनकी कन्या का विवाह था। पुराने कायस्थ परिवारों में मद्य तथा मौस का प्रयोग अभी भी बहुतायत से होता है। आते ही बरातियों ने अपनी माँगें प्रारम्भ कर दीं। जिनमें अपने आपको वे किसी नवाब से कम नहीं समझ रहे थे। सारी बातें तथा आवश्यकताएँ तो जगदीशचन्द्र जी पूरी करते गये, किन्तु जब वर के पिता ने शराब की माँग की तो जगदीशचन्द्र जी ने उन्हें समझाने का प्रयत्न किया, वे बोले—“आप हमारे सम्मानीय अतिथि हैं। आपको किसी भी प्रकार का कष्ट न होने पाये यह हमारा उत्तरदायित्व तथा कर्तव्य है। आपको अप्रसन्न अथवा असन्तुष्ट करना भी हमारा उद्देश्य नहीं। किन्तु इस माँग को पूरा करने में हम अपने सिद्धान्तों से विवश हैं। शराब एक ऐसी वस्तु है जिसे पीकर व्यक्ति अपना विवेक एवं स्वास्थ्य खो बैठता है और विवाह जैसे धार्मिक तथा मंगलमय वातावरण में उसका प्रयोग करना मेरे विचार में ठीक न होगा। मैं आपसे भी यही प्रार्थना करूँगा कि इस प्रकार की घृणित वस्तु के लिए आप आग्रह न करें।”

पर उन्हें तो ‘वर के पिता’ होने का गर्व था। इस समय वे अपने आपको किसी गर्वनर से कम नहीं समझ रहे थे। कहने लगे—“आपने अपने दरवाजे पर हमारा अपमान किया है। हमें आप क्या समझते हैं? इन्तजाम नहीं कर सकते तो साफ मना कर दीजिये। हम अपने पास से मँगा लेंगे।”

पर वहाँ बात पैसे की नहीं सिद्धान्त तथा आदर्श की थी। जगदीशचन्द्र जी ने कहा—“बात पैसा व्यय करने की नहीं है। मैंने आप सबके लिये दूध का प्रबन्ध किया है। जितना पी सकते हों पियें। शराब का प्रयोग मेरे यहाँ न होगा। न मेरे पैसे से और न आपके पैसे से।”

अब तो समधी जी आपसे बाहर ही हो गये, और “बारात वापिस ले चलो” का आदेश दे दिया। उलझन बढ़ती देखी तब इधर के भी तथा उधर के भी सभी समझदार व्यक्तियों ने मिलकर उन्हें समझाने का प्रयत्न किया, पर उनका हठ टूटने का नाम न लेता था। तब

जगदीशचन्द्र जी से कहा गया कि आप ही मान जाइये किन्तु वे अपने सिद्धान्त पर अटल थे उन्होंने कहा—“मैं किसी भी शर्त पर शराब नहीं चलने दूँगा अपने यहाँ। भले ही बारात वापिस ले जायें वे।”

बात समझदारी की थी और औचित्य पूर्ण। यदि हठ ही किसी गलत बात को मान लेने की कसौटी हो तो उसे कभी भी स्वीकार न करना ही श्रेयस्कर है। सत्य तथा औचित्य जगदीशचन्द्र जी के पक्ष में था। तब सभी ने जगदम्बा प्रसाद जी को ही समझाने का भरसक प्रयत्न किया और बताया कि उनका हठ अनैतिक तथा अनुचित है। सिद्धान्त के आगे दुर्व्यसन के प्रति आसक्ति को अंत में हार माननी पड़ी और बारात वापिस नहीं गई। विवाह का शेष कार्यक्रम पूरा हुआ।

जब सारे बरातियों के समक्ष मेवा युक्त सुगन्धित दूध प्रस्तुत किया गया तो सभी ने उस आयोजन की तुलना शराब के दौर से की और पाया कि कहाँ वह दुर्गन्ध युक्त—मानव को पशु बना देने वाला लाल पानी और कहाँ यह सुगन्धित, तृप्ति कारक मधुर दिव्य पेय। श्री जगदम्बाप्रसाद जी ने विदा के समय अपने उस दुराग्रह के प्रति खेद प्रगट करते हुये जगदीशचन्द्र को गले लगा लिया।

अपने दाँव से अपनी हार

हिम्मत नगर से अमिलिया आई बारात लड़के को विवाहे बिना लौट गई। अब लड़की वाले फिर से दूसरा वर तलाश करने का कष्ट भुगत रहे हैं।

लोग कहते हैं विवाहों में दहेज के लिए लड़के वाले ही दोषी हैं लड़की का पक्ष कमजोर होने से उन पर कोई उँगली नहीं उठाता पर सच बात यह है कि दहेज और विवाहों में होने वाले अधाधुन्ध खर्च के लिये लड़की वाले लड़के वालों से कम दोषी नहीं। उनकी माँगें ठीक ऐसी ही होती हैं जैसे लड़के वाले दहेज माँगते हैं। सजधज की बारात, सोने चाँदी के जेवर, अंग्रेजी बाजे और नौटंकी नगाड़ों की फरमाइश तो आखिर लड़की वाले ही करते हैं लड़के वाले उसके लिये उन्हीं की चाँद गंजी करें—लम्बा दहेज वसूल करें तो उन बेचारों को ही क्यों सारा दोष दिया जाय ? क्यों न लड़की वालों की भी भर्त्सना की जाय ?

जो आवश्यक था सो मिल गया था। हिम्मत नगर के बाबू श्याम किशोर मिश्र के पुत्र चि० रामगोपाल मिश्र का सम्बन्ध अमिलिया निवासी हरिकीर्तन अग्रिहोत्री की

पुत्री कु० शीतला के साथ निश्चित हुआ था । श्री श्याम किशोर जी ने अपनी ओर से कोई लेन देन की बात नहीं की थी । लड़का शिक्षित है और काम से भी लग गया है और क्या चाहिये था पैतृक सम्पत्ति भी लड़के के पास पर्याप्त थी । हम विवाह सादगी से करेंगे श्री अग्रिहोत्रीजी ने अपनी ओर से ही प्रस्तावित किया था । श्री श्याम किशोर जी विवाहों में आदर्शवाद के कट्टर समर्थक हैं । उन्होंने सम्बन्ध तय होने के बाद बारात ऐसी सजाई कि उन पर भी बोझ न आये और लड़की वालों पर भी अतिरिक्त भार न पड़े ।

६०-६५ व्यक्तियों की हलकी सी बारात और सादे बाजे लेकर दरवाजे पर पहुँचे घर की स्त्रियों और कई सम्बन्धियों ने अच्छे बाजे और आतिशंबाजी न लाने पर बारात वालों की डटकर निन्दा की । झगड़ होते होते बची । किसी तरह जनवासे का प्रथम कार्यक्रम सम्पन्न हो गया ।

गाड़ी भाँवरों से पूर्व चढ़ौती पर अटक गई । दहेज की कोई बातचीत थी नहीं श्री मिश्र जी सादे वस्त्र और आभूषण भी नाम मात्र के लाये थे । महिलाओं में उसकी कानाफूसी प्रारम्भ हुई और आदमियों ने उसमें तूल बाँध दी । उन्हें चाहिये तो यह था कि जब इन बेचारों ने दहेज न लेने की दया दिखाई है तो क्यों उन पर व्यर्थ के कार्यों का बोझ डाला जाये पर वे इसे अपनी 'नाक' का सवाल मानकर स्वयं भी झगड़ पड़े ।

लड़के के पिता ने समझाया—“आपने ही तो कहा था विवाह सादगी से करेंगे । यह कोई लेन देन की बात तो है नहीं कि हम आपको ठगें, आप हमें ।” लड़की के पिता गर्म होकर बोले—“सादगी का यह मतलब तो नहीं कि आप हमारी गाँव भर के सामने नाक काट लें । आखिर हमारी भी गाँव में इज्जत है । साधारण स्थिति के घरों में अच्छे अच्छे जेवर आते हैं फिर आपकी हैसियत भी तो कम नहीं जो इने-गिने साधारण से जेवर लेकर चल दिये ।”

मिश्र जी ने तब भी सन्तुलन नहीं खोया । बोले—“भाई ले तो हम भी आते जेवर पर भूल की जो आपसे दहेज वसूल नहीं कर लिया ?” इस बात पर लड़की के पिता बहुत बिगड़े । घंटों मैं-मैं, तू-तू होती रही ।

मिश्र जी को लगा जैसे उन्होंने आदर्शवादिता के नाम पर कुछ भूल कर दी । उसे सुधार लेना ठीक समझकर उन्होंने कहा—आपका हमारा सम्बन्ध पहले ही इतना कटु

हो गया पीछे जाने क्या नौबत आये अभी तो भाँवरें भी नहीं पड़ीं । सम्बन्ध न करना ही अच्छा ।” यह कहकर वे वापस आ गये और बारात लौटाकर घर चले गये ।

अब लड़की के पिता फिर लड़के की तलाश में इधर-उधर मारे मारे डोल रहे हैं । वैसे लड़के के लिए कहीं भी ५-६ हजार से कम की माँग नहीं हो रही । पछता रहे हैं वही ब्याह कर लेते अच्छा था ।

लालची बाप को इस तरह अकल आई

काली बाबू ने परेशान होकर पत्नी से कहा, “आखिर कब तक प्रतीक्षा करें लड़की वालों की । किशोर पूरे बत्तीस वर्ष का हो गया । दो-चार वर्ष और ऐसे ही निकल गये तो फिर क्या विवाह-शादी होगा उसका ?”

पत्नी शारदा करुण स्वर में बोली—“मैंने तो कितना कहा था आपसे कि लड़की अच्छी देख कर तय कर लीजिये । पर आप को तो दहेज की लालसा ने वहाँ लाकर खड़ा कर दिया—जहाँ अब कोई लड़की वाला आता दिखाई नहीं देता है । अपने आप कहीं लड़की माँगने जाओ तो कितनी शर्म की बात है । लोग क्या कहेंगे । जब दरवाजे पर भीड़ लगी रहती थी तब तो नखरे नहीं मिलते थे और अब स्वयं ही लड़की ढूँढ़ते-फिरते हैं ।”

शारदा की बात सवा सोलह आने सही थी ! काली बाबू के दो लड़के हैं । बड़ा किशोर है जिसने एम० ए० किया है और राजकीय कर्मचारी है, काली बाबू रिटायर्ड मास्टर हैं । परेशानियों के बीच लड़कों को पढ़ाया तथा गृहस्थी की गाड़ी खींची ।

होना यह चाहिए था कि स्वयं अभावों की जिन्दगी जीने पर मनुष्य दूसरों की अभाव-ग्रस्तता को अनुभव करे और उसके प्रति संवेदनशील बने । पर इसके विपरीत काली बाबू की मनोभूमि उस शतरंज के प्यादे जैसी थी, जो फर्जी बनकर टेढ़ी चाल चलने लगता है । लड़का एम० ए० क्या हो गया कि वे सोचने लगे यह तो कोरा चैक है, चाहे जितने आँकड़े भर कर भुनाया जा सकता है ।

प्रारम्भ में कई लड़की वाले आये । किसी से दो हजार की बात हुई, किसी से तीन या चार की । बोली बढ़ी तो लालच भी बढ़ा । किन्तु प्रत्येक वस्तु की एक सीमा होती है । उसका उल्लंघन होने पर परिणाम निराशा जनक ही होते हैं ।

३.७७ विवाहोन्माद : समस्या और समाधान

बढ़ते-बढ़ते काली बाबू दस हजार तक आ गये। लड़की भी गोरी-कामकाज में निपुण—तथा बहुत पढ़ी लिखी चाहते थे। जब बात इतनी बढ़ी तो विनोद प्रिय लोगों को मखौल सूझने लगा। कई लोगों ने तो फर्जी लड़की वाले भेजे जो उन्हें पन्द्रह तथा बीस हजार तक देने की बात कर आये। किसी ने तो यह भी कहा कि “हम दस हजार नकद रुपया देंगे और लगभग इतने का ही सामान भी देंगे। पर आप उसे रखेंगे कहीं? पहले ऐसा करिये एक कोठी बनवा लीजिये।”

नतीजा ये, कि सम्बन्ध कहीं तय नहीं हो सका और किशोर की आयु बत्तीस वर्ष की हो गई। छोटा भाई भी अठ्ठाईस वर्ष का होकर ‘लाइन क्लियर’ होने की प्रतीक्षा में था।

अब जा कर कहीं काली बाबू की खुमारी उतरी। पर तब तक इधर भी हाट उठ चुकी थी। विवश हो गये तो अपने एक साथी मास्टर की कन्या से सम्बन्ध तय करना पड़ा जो अपने काले रंग तथा पिता की आर्थिक दुर्बलता के कारण अभी तक अविवाहित थी। आयु तीस वर्ष थी उसकी।

अब वे यह अनुभव कर चुके थे कि दहेज की बात देने वाले को तथा लेने वाले को—दोनों को ही कितना परेशान करती है। अतः छोटे लड़के प्रमोद के विवाह का प्रश्न जब आया तो उन्होंने प्रारम्भ से ही कहा कि “भई हमें लेना-देना कुछ नहीं है। बस कन्या कुशल तथा प्रियदर्शिनी होनी चाहिए।”

और लोग अब काली बाबू से मिलते हैं तो उनके सुधरे हुए विचारों की प्रशंसा करते हैं। ठोकर खाकर ही सही कोई कहता है “सुबह का भूला शाम को घर आ गया है। उसे भूला नहीं कहना चाहिए।”

दहेज लोलुप वर ऐसे ही ठीक होंगे

गुड़गाँव—तहसील रिवाड़ी के ग्राम माजरा सेराज से एक बारात जिला रोहतक के एक ग्राम में आई। विवाह की सभी रस्में ठीक से सम्पन्न हो गई पर चलते समय थोड़ी सी बात पर कहा-सुनी हो ही गई गाँव के कितने ही सम्प्रान्त व्यक्तियों ने दोनों पक्षों के लोगों को एकत्रित कर उस गुन्थी को सुलझाने की कोशिश की, पर वह कहीं सुलझ-पाई।

वर पक्ष अपने सम्मान तथा समाज में प्रचलित परम्पराओं हेतु विवाह में खर्च करने के लिये कई हजार रुपये की व्यवस्था हेतु विवश होता है। यदि बाजे, आतिशबाजी, जेवर और दावत के आयोजनों को समाप्त कर दिया जाये तो बहुत थोड़े रुपयों में शादी का पुनीत कार्य सम्पन्न हो सकता है। चढ़ावे के हजार पाँच सौ रुपये के कपड़े ले जाने से भी तो कोई लाभ नहीं। नित्य के जीवन में दस-दस और बारह-बारह रुपये की धोतियाँ ही मध्यम श्रेणी के परिवारों में पहनी जाती हैं सौ, दो सौ रुपये की साड़ियाँ दिखावे के लिए ले जाने के पीछे कोई मुख्य उद्देश्य भी तो नहीं दिखाई देता।

लड़के वाले जहाँ अपनी इज्जत के लिए बरबाद होते हैं वहाँ लड़की वालों की भी तमन्ना रहती है कि हमारे यहाँ बारात ऐसी शान से चढ़े कि आस-पास के दस-पाँच गाँव के लोग देखने आयें और सराहना करें। इस झूठी प्रशंसा के लिए कन्या पक्ष वालों को कितना मूल्य चुकाना पड़ता है इसे तो कोई भुक्त भोगी ही जानता होगा।

जितनी धनराशि तय हुई थी उतनी वर को न दी जा सकी। लड़की के पिता हाथ पैर जोड़ते रहे अपनी मजबूरी पर आँसू बहाते रहे पर उसका कोई असर नहीं हुआ। जिन साधनों से रुपया एकत्रित करने की योजना थी, निश्चित समय लड़की के पिता को शर्मिन्दा होना पड़ा और वायदे के अनुसार रुपये उधार न प्राप्त कर सका।

बारात की विदा हो गई। रास्ते में उन्होंने वधू को उतार दिया। बारातियों पर इतना भी नहीं बना कि वह इस कार्य का विरोध करते और समझाते बेचारी बहू की क्या गलती है जो दहेज में प्राप्त कम धनराशि के लिए यहीं से यातनायें दी जा रही हैं। आजकल बाराती भी लड़की वाले पर रोब दिखाने और अपने बड़प्पन का प्रदर्शन करने जाते हैं। उन्हें अपनी हँसी मजाक, खाने और घूमने से ही कहीं समय मिल पाता है। यदि दस पाँच बारातियों ने भी लड़के और उसके पिता से बहू को न उतारने के लिए निवेदन किया होता तो शायद उनकी इतनी हिम्मत न पड़ती।

गाँव वालों को जैसे ही इस घटना की जानकारी मिली उन्होंने तुरन्त बारात का पीछा किया और सारे बारातियों को घेर लिया। सभी का सामान छीन लिया गया। पूरा गाँव जहाँ जुड़कर आ गया हो वहाँ बीस-पच्चीस बारातियों की चल भी कैसे सकती थी? सभी लोग उस बहू को तथा समस्त बारातियों को अपने साथ वापस ले

आये । बारातियों को फिर उसी जनमासे में ठहरा दिया गया । आस-पास के कई गाँवों के मुख्य-मुख्य व्यक्तियों को बुलाकर पंचायत जोड़ी गई । पंचायत ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया । उसने यह निर्णय दिया कि घर के पिता कन्या पक्ष के सारे खर्च का अभी भुगतान करें कन्या के पिता को सारा खर्च दिलवाया गया और तब बिना बहू के उस बारात की विदा कर दी गई ।

खुशी खुशी आई हुई बारात बैरंग लौट गई और रास्ते में बहू को उतार कर शेष रुपया वसूल करने की योजना पूरी तरह असफल हो गई । दहेज लोलुप घर जब बांतों से न मानें तो ऐसे साहस पूर्ण कदम उठाकर ही उनकी अकल ठीक करनी चाहिए ।

विवाह का उद्देश्य सम्पत्ति प्राप्ति नहीं

रविशंकर महाराज निर्धनों को सवा सौ मन गुड़ बाँट रहे थे । एक बालिका को वह जब गुड़ की डेली देने लगे तो उसने लेने से इन्कार कर दिया । उन्होंने उससे गुड़ न लेने का कारण पूछा तो उस बालिका ने उत्तर दिया—“महाराज जी ! ईश्वर ने कार्य करने के लिए दो हाथ तथा प्रगति की ओर बढ़ने के लिए दो पैर दिये हैं । कोई कितना ही निर्धन क्यों न हो अपने एक पेट को दो हाथों के परिश्रम से भर सकता है । आपके द्वारा मुफ्त में दी गई वस्तु हमें स्वीकार न करनी चाहिये । मजदूरी से जो वस्तु प्राप्त हो उसे ही लेना चाहिए ।”

छोटी बालिका की यह बातें सुनकर महाराज दंग रह गये । उन्होंने पूछा—“अच्छा बेटी यह तो बताओ कि तुमने यह बातें किससे सीखी है ?”

“अपनी माँ से, महाराज जी ।”

“तो क्या तुम अपनी माँ से मुझे मिला सकती हो ।”

“क्यों नहीं ?” इतना कहकर बालिका आगे-आगे और महाराज पीछे-पीछे चलने लगे । थोड़ी ही देर में महाराज बालिका की माँ के पास पहुँच गये । उन्होंने पूछा—“देवी! तुमने अपनी बेटी को कोई वस्तु मुफ्त में न लेने की सीख क्यों दी ?”

“इसमें क्या हुआ महाराज ! जब भगवान ने हाथ-पैर दिये हैं तो मेहनत मजदूरी करके ही पेट भरना चाहिये । इसमें समझाने के लिये नई बात कौन-सी है ?”

“तुमने धर्म-शास्त्रों का भी अध्ययन किया होगा ।”

“नहीं महाराज मेरे लिये तो काला अक्षर भैंस बराबर है । स्कूल का मुँह तक नहीं देखा है ।”

“फिर तुम्हारी आजीविका कैसे चलती है ।”

“सब भगवान देने वाला है । सुबह उठकर जंगल लकड़ी बीनने चली जाती हूँ उन्हें रोज बेच देती हूँ जिससे माँ-बेटी गुजर चला लेते हैं । हमें किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है ।”

“और इस लड़की के पिताजी ।”

वह महिला उदास हो गई । सजल नेत्रों से बोली—थोड़ी जिन्दगी ही लेकर आये थे वे अतः युवावस्था में ही राम के प्यारे हो गये । मेरे लिये लगभग ३० बीघा जमीन तथा एक जोड़ी बैल अवश्य छोड़ गये थे । मैंने सोचा यह तो इस बेटी के पिता की सम्पत्ति है उस पर मेरा क्या अधिकार है । मैंने उसे प्राप्त करने या बढ़ाने में अपने पसीने का तो कोई योगदान दिया नहीं । यदि मैं वृद्धा होती अथवा हाथ, पैरों से लूली-लँगड़ी होती तो उस सम्पत्ति के सहारे अपने दिन काटती ।

मैं अपने गाँव में यह देख रही थी कि कितनी ही माँ बहिनें पानी भरने के लिए गाँव से बाहर लगभग एक मील दूर जाती-थीं । पेय जल की बड़ी समस्या थी अतः अपने सारे खेत तथा बैलों की जोड़ी गाँव के ही एक सेठ की सहायता से बेच दिये और सारा पैसा उन्हें देकर कुँआ बनवाने के लिए निवेदन कर दिया । वे बेचारे बड़े भले थे उन्होंने देखा कि मैं ईंट, पत्थर, गारा और मजदूरों आदि की व्यवस्था नहीं कर सकती तो उन्होंने ही अपना सारा समय लगाकर कुँआ बनवा दिया । भगवान भला करे उस सेठ का, कुँआ बनने के बाद कुछ रुपया बच गया तो अपने पास से थोड़ा लगाकर पशुओं को पानी पीने के लिए एक पक्की हौदी बनवादी । अब गर्मियों में गाँव के पशुओं के लिये भी पानी की समस्या हल हो गई ।

महिला की उपकारी भावना से महाराज बड़े प्रभावित हुये । उन्होंने कहा—“देवी सचमुच तुम्हें अब अन्य किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं । तुम धन से नहीं मन से धनी हो । तुमने इस समाज के सामने आदर्श उपस्थित कर दिया है कि विवाह सम्पत्ति के लिये नहीं किये जाते वरन् ईश्वर की, सत्य की प्राप्ति के मार्ग में अग्रसर होने के लिए ही तुमने वैवाहिक जीवन स्वीकार किया है ।”

विवाह सम्बन्धी कठिनाइयों का हल इस प्रकार होगा

हुसेनाबाद के श्री रामलाल यादव और भगवानदीन चौहान ने दहेज लोलुप लोगों को अपनी प्रगतिशीलता से ऐसा उत्तर दिया कि वे दोनों क्षेत्र के बुद्धिमान लोगों की सराहना के पात्र बन गये । उनका उत्तर है अन्तर्जातीय विवाह ।

श्री यादव तथा चौहान दोनों पास-पास गाँव के रहने वाले हैं और बहुत समय तक सहपाठी भी रह चुके थे । दोनों एक दूसरे की पारिवारिक स्थिति से भलीभाँति परिचित है । पढ़ाई समाप्त करने के बाद श्री चौहान तो अपने घर पर होने वाला खेती का काम देखने लगे । उनके खेती काफी रही है । किन्तु श्री यादव को नौकरी करनी पड़ी । उनके पास इतनी खेती नहीं है जिसके आधार पर तीन लड़कियों, दो लड़कों और खुद पति-पत्नी वाले बड़े परिवार का गुजारा किया जा सकता । उन्हें खेती के साथ नौकरी करने की भी आवश्यकता पड़ गई, जो श्री चौहान की सहायता से उन्हीं के गाँव में माध्यमिक पाठशाला में मिल गई । इस प्रकार उन दोनों का प्रायः नित्य ही मिलना होता रहता और पहले की मित्रता यथावत बनी चली आई- ।

श्री रामलाल यादव की लड़कियाँ समय पर सयानी हुईं और बड़ी लड़की विवाह योग्य हो गई । श्री यादव ने वर की खोज प्रारम्भ कर दी । जहाँ-जहाँ उनकी नजर में लड़के थे और जहाँ-जहाँ उनके मित्र चौहान ने बतलाये वे वहाँ-वहाँ गये और लड़की के विवाह का प्रस्ताव किया । श्री रामलाल को पूरी आशा थी कि जिस अपनी लड़की को पढ़ा-लिखा कर सुयोग्य बनाया है, उसके विवाह में कोई कठिनाई नहीं होगी । गुणवती कन्या से अपने लड़के का विवाह करना कौन पसन्द नहीं करेगा ? किन्तु उनकी यह आशा झूठ सिद्ध हुई । अड़चन आई किसी कुल अथवा कन्या के सम्बन्ध में नहीं, सो तो प्रायः पसन्द ही किये गये । अड़चन आई दहेज के सम्बन्ध में । श्री रामलाल जी जहाँ भी गये उनसे दहेज की इतनी रकम माँगी गई, जिसका प्रबन्ध वे अपनी जमीन और घर बेच कर भी पूरा नहीं कर सकते थे । श्री रामलाल जी को अपनी इस असफलता पर घोर दुःख हुआ ।

उन्होंने अपनी व्यथा अपने मित्र से कही । श्री चौहान उनकी स्थिति जानते थे, निदान वे भी उनके साथ वर की खोज में कई जगह गये । लोगों को उनकी हालत बतलाई । कन्या के रूप और गुण का बखान किया । पर सब बेकार रहा । कोई भी दहेज लिए बिना विवाह करने को तैयार न हुआ । श्री चौहान को समाज के इस अभिशाप से इतना खेद हुआ कि वे गहरे विचार में पड़ गये ।

बहुत प्रयत्न करने पर श्री रामलाल को एक वर साढ़े सात हजार रुपये में मिला । बेचारे तय कर आये । उनके पास अपनी जमीन बेचने के सिवाय और कोई चारा ही न था, निदान एक दिन अपने मित्र चौहान के पास गये और आँखों में आँसू भर कर कहा—भाई चौहान ! मैं तो एक लड़की के विवाह में ही बरबाद हो गया । आगे दो का क्या होगा ? भगवान जाने । साढ़े सात हजार में एक लड़का मिला है । अब आप हमारी मदद करिये । मेरी जमीन या तो बिकवा दीजिये या खुद आठ हजार में रहन रख लीजिये ।

श्री चौहान ने कहा—मैं आपकी अवश्य मदद करूँगा । आप लड़की का जन्म-पत्र मुझे दे जाइये । श्री रामलाल ने वैसा ही किया और इस बात से निश्चिन्त हो गये कि शायद उन्होंने कोई लड़का ठीक किया है । किन्तु अब उनके पास चौहान का यह सन्देश आया कि विवाह इन्हीं जाइों में होगा तैयारी करें । मेरा लड़का आपका लड़का है । मैं स्वयं बिना दहेज के अन्तर्जातीय विवाह की प्रथा का भी श्रीगणेश अपने परिवार में करूँगा, तो उनके हर्ष का ठिकाना न रहा ।

विवाह हो गया । सभी बुद्धिमान व्यक्ति उसमें सम्मिलित हुये और दोनों को इस शुभारम्भ के लिये भूरि-भूरि बधाई दी ।

सगाई—एक विचित्र व्यापार

घटना ग्वालियर शहर की है । काशीराम जी के सुपुत्र की सगाई चढ़ रही थी । गाजे, बाजे, धूम-धाम ऐसी थी जैसे सामान्य स्तर के परिवार में कहीं ब्याह ही हो रहा हो ।

तभी कुछ व्यक्ति आये और उस आनन्दप्रद वातावरण में जैसे रौद्र रस घुल गया । सभी के चेहरे तमतमा गये तथा लगता था कि अब हाथापायी होती है । वाग्युद्ध जोरों पर था ।

• बात यों हुई थी कि काशीराम जी के सुपुत्र डाक्टर हो गये थे आज कल पढ़े-लिखे लड़कों के अभिभावक यह समझते हैं, कि वह कोरा चैक है ।

समझिये चैक—मगर चैक भी एक ही बार तो भुनाया जा सकता है । पर काशीराम जी तो रोज ईद मनाना चाहते थे । यह उनके सुपुत्र की चौथी सगाई चढ़ रही थी ।

पिछली तीन बार वे अच्छे-अच्छे घरों में पुत्र का सम्बन्ध पक्का कर चुके थे । सगाई पर ढाई तीन हजार का माल ले लिया और पीछे कोई भी बहाना लेकर सम्बन्ध तोड़ दिया । एक जगह कह दिया “लड़के को लड़की पसन्द नहीं है ।”

दूसरी जगह कहा “भारत का मार्ग-व्यय—(जो लगभग दो हजार होता था) कन्या के जेवर—तथा वर के सभी बड़ों को सुन्दर पोशाक आपको देनी होगी । यह तय किए हुए सामान तथा निश्चित धनराशि के अतिरिक्त था— जो कन्या पक्ष वालों की शक्ति से बाहर था ।

तीसरी बार भी उन्होंने यही चाल खेली । सगाई लेकर बाद में कहा “लड़का डाक्टर है—मार्डन लड़की चाहता है । आप लड़की को सोसायटी में तथा क्लब में मूव करने योग्य सभ्यता सिखाइये अन्यथा हम दूसरा सम्बन्ध देखेंगे । कन्या पक्ष वाले सभ्य सांस्कृतिक परिवार के थे । उन्होंने कहा भी कि “कुमारी कन्या को हम कैसे क्लब जाने की ट्रेनिंग दे सकते हैं । यों वह काफी सभ्य तथा समझदार है ही । आपके घर आ जाये तो चाहे जहाँ ले जाइये ।”

पर उन्होंने न माना और सम्बन्ध तोड़ दिया । पहले वाले दो तो बेचारे सीधे-साधे थे । पर ये मिले जरा टेढ़े । उन्होंने सोचा ऐसे लालचियों ने ही समाज को गन्दा कर रखा है । इन्हें सबक सिखाए बिना काम न चलेगा ।

सो उन्होंने पूर्व के दोनों कन्या पक्ष वालों को बुलाया और क्रमबद्ध योजना बनाई । तीनों मिलकर काशीराम जी के यहाँ ठीक उस समय पहुँचे जब चौथी जगह की सगाई चढ़ रही थी ।

सभी सम्बन्धी तथा जाति के अग्रगण्य व्यक्ति उपस्थित थे ।

सबके सामने ही सेठजी का कच्चा चिट्ठा खोला गया । अब तो पिता पुत्र दोनों के मुँह पर हवाईयों उड़ रही थी । चौथी जगह से जो सम्बन्ध लेकर आये थे वे भी यह कहकर अपने सामान सहित वापस हो गये कि

जिसके लिए पैसे के समक्ष नैतिकता का कोई मूल्य नहीं वह हमारी कन्या को क्या सुखी रखेगा, अच्छा हुआ समय रहते पता चल गया ।”

जब यह फजीहत हुई तो डाक्टर साहब को भी बड़ी ग्लानि हुई । आखिर वह पढ़ा-लिखा युवक था । कब तक पिता की यह चालबाजियाँ सहन करता रहता । उसने साफ कह दिया “अब तो मैं किसी गरीब घर की कन्या से ही विवाह करूँगा ।” काशीराम जी भी अपने कृत्य पर पछता रहे थे । भरे समाज में इस प्रकार अपमानित होने पर ही ऐसे लोग सुधर सकते हैं ।

केवल सोचें नहीं-कुछ करें भी

शव कुए से निकाला जा चुका था । फूल सा सुन्दर तथा कोमल शरीर लहू-लुहान हो गया था । युवती नीलिमा का कुँए की दीवार से टकरा कर सिर फट गया था ।

घटना जैसलमेर की है । तात्कालिक उपचार के पश्चात् नीलिमा की स्थिति बोलने-चालने योग्य हुई और उसे घर ले जाकर आराम से लिटा दिया गया ।

भीड़ भी छट चली थी । कुछ व्यक्ति खड़े आपस में बातचीत कर रहे थे । रविबाबू बोले—“मरती नहीं, तो और क्या करती बेचारी ! रोज-रोज की मार खाने से तो पशु भी अधिक जीना नहीं चाहता । निर्दयी लोगों के बीच इतने दिन सब कुछ सहती रही यही क्या कम था ।”

तब पास ही खड़े मगनमल जी बोले—“आप तो अभी २-४ साल पहले यहाँ आये थे । हम तो इनके मकान से लगे हुए मकान में ही वर्षों से रह रहे हैं । लड़के का विवाह किया तो पूरे इक्यावन तोले सोना तथा दस हजार रुपया नकद लिया और क्या बेचारा अपने घर की ईंटें भी ढोकर दे देता ?”

अब रविबाबू की उत्सुकता जागृत हुई । बोले—“पर दहेज या लेने-देने से बहू को मारने का क्या सम्बन्ध ? मैं तो समझता हूँ कि बहू की छोटी-छोटी कमियों को लेकर ही ये अपने दुष्ट स्वभाव के कारण उसे परेशान करते रहे ।”

अब मगनमल बड़े ही गम्भीर होकर कहने लगे—“नहीं भाई ! बात ऐसी नहीं है । बहू तो सद्गुणों के हिसाब से साक्षात् लक्ष्मी है । लड़का पढ़ा-लिखा है । किन्तु शिक्षित होते हुये भी संस्कार तो आखिर माता-पिता के ही हैं । उसका कहना है कि मुझे तो अपने पिताजी से मोटरसाइकिल खरीदवा कर दो । वे बेचारे अभी विवाह

३.८१ विवाहोन्माद : समस्या और समाधान

में लिया हुआ ऋण भी नहीं चुका सके हैं। मैं उन्हें जानता हूँ। पहले का चुका नहीं है नया ऋण कौन देगा? सोना जितना घर में था वह सब इन्हें पहले ही दे चुके। अब इनकी ये फरमाइश कैसे पूरी करें? तो उनसे तो क्या कहें? बहू पर जोर डालते रहते हैं कि तुम अपने पिता से कहो—कहीं से भी दें, हमें तो मोटर-साइकिल चाहिये। बहू बेचारी कैसे कहे अपने पिता से—कि तुम्हारे पास सम्पत्ति नहीं रही। फिर भी चाहे स्वयं बिक जाओ, पर मेरे पति को मोटर-साइकिल खरीदकर दे दो।”

रविबाबू सुनते-सुनते बहुत गहरे डूब गये थे। भारी स्वर में बोले—“दहेज के इस दानव ने मनुष्य को पशु से भी गया बीता बना दिया है। लालच ने इतना अन्धा कर दिया है समाज को जो पैमे के सामने न बहू की कुछ कीमत है—और न मानवता की। समाज की सुख-शान्ति के अंकुर को ये राक्षसी प्रथा—कीड़ा बनकर खाये जा रही है। न जाने कितने अबोध-निरपराध कन्याओं को—इसके फलस्वरूप असहनीय यातनाएँ सहनी पड़ती हैं और कितनी आवेश में आकर अपने प्राणों की ही बलि चढ़ा देती हैं।”

मगनमल बोले—“और ये सब देख सुनकर भी हम आँख मूँदकर ऐसे बैठे हैं जैसे यह सामान्य बातें हों। यहीं इतनी भीड़ लगी रही। सामान्य शिष्टाचार तथा सहानुभूति सभी ने दिखाई—किन्तु मूलकारण को मिटाने का प्रयत्न कितनों ने किया?”

रविबाबू स्थिति को गम्भीरता को समझ रहे थे। उनका विवेक इस समय गहन विचार मंथन में डूब हुआ था। अब वे गम्भीर स्वर में बोले—“आप ठीक कहते हैं मगन बाबू! केवल पीड़ित के प्रति सहानुभूति प्रदर्शित कर देना ही पर्याप्त नहीं। समाज के इस कोढ़ को धो ही डालना होगा। आज मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि इसके लिये अपनी सम्पूर्ण शक्ति लगा दूँगा।”

और उस दिन से सचमुच ही वे इस दिशा में प्राणपण से जुट गये। वे लैक्चरार थे। विद्यार्थियों में सादा विवाह लेन-देन के आदर्श विवाहों के प्रति रुचि उत्पन्न करना तथा विचारस्थारा को इस ओर मोड़ देना ही अब उनके जीवन का लक्ष्य बन गया है। बड़ी सीमा तक सफलता भी मिली है।

दहेज खोरों की अक्ल यों ठिकाने लगेगी

२५ जून, ७० को पंजाब में एक जैन परिवार में विवाह था। विवाह तो सम्पन्न न हो सका उल्टे एक सनसनी खेज नाटकीय दृश्य प्रस्तुत हो गया। लड़की वाले के दरवाजे पर बारात जा चुकी थी। घराती बारातियों का स्वागत कर चुके थे। खाने के लिए पंगत बैठ चुकी थी। कुछ दूसरी बारी में बैठने की राह देख रहे थे। इसी समय पाणिग्रहण के मंडप के नीचे लड़के के पिता देन-लेन की सौदेबाजी में लगे हुए थे। लड़के के पिता की लालच से लार टपक रही थी। वह टेलीविजन सेट व फिएट कार के लिए लड़की के पिता पर दबाव डाल रहे थे। लड़की का पिता गिड़गिड़ा रहा था, अपनी मजबूरियाँ जाहिर कर रहा था। दूल्हा भी यह सब देख रहा था। सोचता था कि जो कुछ भी मेरे पिता कर रहे हैं, वह ठीक ही है क्योंकि वे अनुभवी हैं और जो कुछ भी कदम उठा रहे हैं, वह मेरे हित में ही है। लड़की के पिता एक वकील के मामूली मुहरिरे थे और पहले ही उन्होंने अपनी हैसियत से ज्यादा दहेज व उपहार का सामान जुटाया था। रेडियो, सिलाई मशीन, साइकिल, डाइनिंगसेट, सोफासेट, अलमारी आदि सभी कुछ था। लेकिन लड़के का अनुभवी पिता जानता था कि आखिरी बूँद तक तेल निकालने के लिए तिलों को बेरहमी से कसकर निचोड़ना होता है। इसी कशमकश और खींचातानी में लड़के के पिता अपने समधी को शब्द अपशब्द कहनी न कहनी सब कुछ कह गया और अन्त में अचूक रामबाण भी उसने छोड़ दिया। बोला—“अब आप कान खोलकर सुन लीजिये कि भाँवरें तब पड़ेगी जब कार व टेलीविजन का रुपया नगद मिल जाएगा।” लड़की सारी बातें सुन रही थी। अपने कारण पिता का इतना घोर अपमान और दुर्दशा उसे सहन नहीं हो रही थी। उसने पिताजी को अपने पास बुलाया और उन्हें अपना दृढ़ व अटल फैसला सुना दिया। वह बोली—“पिताजी, मैंने तय कर लिया है कि मुझे विवाह नहीं करना है।” सभी ने बहुत समझाया-बुझाया पर उसने किसी की एक न सुनी। दुलहिन के उसी साज-सिंगार में फिर वह धीरे से लड़के के पिता व बारातियों के सामने आई और मृदुल कण्ठ व विनीत स्वर में दोनों हाथ जोड़कर बोली—“मैं माफी चाहती हूँ, आप सब लोगों

से । मैंने निश्चय कर लिया है कि मुझे यह रिश्ता नहीं करना है । मैं बालिग हो गयी हूँ और मुझे कानूनी अधिकार है कि मैं इस मामले में आत्म-निर्णय कर सकूँ । मैं अपने पिताजी की इतनी बेइज्जती सहन नहीं कर सकती । इसलिये अब आप लोग अपने घर वापस चले जाइए ।” चारों ओर सन्नाटा छा गया । सब अवाक् देखते रह गये । ऐसा लगा कि जैसे लड़की ने लड़के के पिता और सब बारातियों के मुँह पर कसकर तमाचा मार दिया हो । लेकिन लड़की का क्रोध अभी शांत नहीं हुआ था । उसने बाद में कठोर शब्दों में लड़के वालों को खूब फटकारा । फिर दूल्हे मियां से उसने कहा—“मैं तो समझती थी कि मैं एक सुशिक्षित प्रोफेसर से सम्बन्ध कर रही हूँ । मुझे क्या पता था कि आप इतनी गिरी हुई स्वार्थी मनोवृत्ति के व्यक्ति हैं ।” अब तो पांसा पलट गया था । लड़के के पिताजी ढीले पड़ चुके थे । उन्हें बिना दुलहिन लिए घर जाना बहुत अपमान जनक महसूस होने लगा । उन्होंने सारी माँगें वापिस ले लीं । लेकिन लड़की उस से मस न हुई । अपने पितृ-पक्ष की ओर से आग्रह करने वाले आत्मीयजनों को भी उसने समझा दिया कि देखिए, यदि मैं आप लोगों की बात मान कर इनके साथ चली जाऊँ तो बाद में ये गिरी हुई मनोवृत्ति के लोग मुझसे गिन-गिनकर बदला लेंगे । अन्ततः बारात बिना दुलहिन के वापस चली गई । जो लोग खाना नहीं खा सके थे, वे भूखे चले गए । लड़के के मित्रों ने, जो कि बारात में आये थे, लड़के का फब्कियाँ कस कर खूब मजाक उड़ाया । उधर लड़की की सहेलियों ने उसके साहस की भूरि-भूरि प्रशंसा की । हम भी उस बहिन को प्रणाम करते हैं जिसने दुर्गा भवानी का प्रखर रूप प्रकट कर यह सिद्ध कर दिया कि नारी अबला ही नहीं है, सबला भी है । एक भारी कुरबानी देकर उसने उस लालची पिता को अच्छा सबक सिखा दिया ।

इसी किस्म की एक घटना कई वर्ष पहले कानपुर में भी हुई थी । यह घटना और भी सनसनी खेज है । वहाँ के एक सक्सैना परिवार में विवाह सम्पन्न हो चुका था । लड़की के विदा होने का समय था । दहेज पर विवाद खड़ा हो गया । बेटे के पिता ने धमकी दी कि यदि इच्छित वस्तुओं का या उसकी एवज में नगदी का इन्तजाम तुरन्त नहीं हो जाता तो हम लड़की को यहीं छोड़ जायेंगे । विवाद का जब कोई हल न निकला और

बात हद से गुजर गई तो लड़की का स्वाभिमान सोये हुए नाग की तरह फुसकार उठा । पिता बेचारा विदा के आँसू बहा रहा था और समधी के उस गिरे हुए व्यवहार से घोर संकट में पड़ा हुआ था । लड़की ने पिता से कहा—“आप बिल्कुल मत घबराइये । मैं इन लोगों के साथ हरगिज नहीं जाऊँगी ।” फिर बाहर आकर सरे-आम उसने अपना निर्णय सुना दिया । साथ ही यह सवाल भी किया कि क्या बारातियों में से कोई युवक मुझसे अभी आज ही विवाह करने को तैयार है ? जवाब में एक युवक सामने आया और नम्र भाव से बोला कि विवाह करने को तो मैं तैयार हूँ लेकिन आप तो सुशिक्षित एम० ए० है और मैं हूँ केवल मैट्रिक पास एक क्लर्क । लड़की ने कहा—“कोई परवाह नहीं है ! मैं कमाऊँगी और आपको पढ़ाऊँगी । आप चिंता न करें ।”

तुरन्त ही उस युवक के साथ लड़की की दोबारा भौंवरें पड़ गयीं और पहली बारात बिना दुलहिन के घर वापिस हो गई । इस बहन को बार बार प्रणाम ।

समाज में बार-बार ऐसी घटनायें होंगी, तभी इन लालची दहेज खोरों की अक्ल ठिकाने लगेगी । इसके लिए अब स्वयं लड़कियों को साहस से काम लेना होगा । तभी समाज को खोखला कर देने वाला यह महा रोग मिट सकता है ।

पढ़े-लिखे लड़के भी यदि उनमें कुछ भी स्वाभिमान है तो इन वर-बिक्री की घृणित और निर्दयतापूर्ण प्रथा को उखाड़ फेंकने का संकल्प करें और विवाह में पैसे का नहीं अपनी पसंदगी की, अपने विचार, स्वभाव और रुचि से मेल खाने वाली सुशील लड़की से ही बिना दहेज या ठहरौनी के विवाह करने का प्रण करें — समाज को इस महाभयंकर शोषणकारी राक्षसी प्रथा से बचाने का उत्तरदायित्व आज के पढ़े लिखे नवयुवकों पर ही है ।

नवयुवकों का ही यह कर्त्तव्य है कि मूढ़ता ग्रस्त ऐसे लोभी निर्दयी और मूढ़ पिताओं की जो दहेज के नाम पर समाज को नष्ट करने पर तुले हुए हैं । अनेक निरीह लड़कियों के जीवन को नीरस और दुःखद बना रहे हैं, उनकी अवहेलना कर दहेज प्रथा के विरुद्ध जरूर बोल दें और समाज से उसका मूलोच्छेद कर निरीह कन्याओं का उद्धार करें तथा देश के इस कलंक को सदा-सर्वदा के लिए मिटा कर रहें ।

जिन्हें इंसान की कद्र नहीं उनसे विवाह क्या ?

पहले तो वर महोदय भाग खड़े हुए, कि जब तक स्कूटर नहीं मिल जाता मैं भाँवर पर नहीं जाऊँगा और जब उन्हें किसी तरह मना कर लाया गया, तो कन्या ने साफ मना कर दिया कि मैं ऐसे 'धन के सौदागर' लड़के से शादी नहीं करूँगी ।

रही तो बात ऐसी ही कि नहले पर दहला पड़ा हो या ईंट का जवाब पत्थर से दिया गया हो ।

अम्बाला की है यह घटना । कन्या के पिता अत्यन्त साधारण आर्थिक स्तर के मनुष्य थे । कन्या को बी० ए० तक शिक्षा दिलाई थी । रंग रूप की भी अच्छी थी वह । घर के समस्त कार्य दक्षता के साथ कर लेती थी । अच्छे वर की खोज में वे काफी 'दिन परेशान रहे । किन्तु जहाँ भी जाते दहेज का दानव मुँह फैलाये सामने खड़ा मिलता लड़कियों की शिक्षा-दीक्षा तथा सद्गुणों की कोई कीमत ही नहीं जैसे ।

तीन चार वर्ष इसी प्रकार भटकते रहे । दो और भी कन्याएँ थीं । उनका भी विवाह आखिर ४-६ वर्ष बाद ही सही, करना तो था ही । लड़के भी दोनों अभी शिक्षा प्राप्त कर रहे थे । खर्चा बढ़ा हुआ और आमदनी सीमित ।

फिर भी समझदारी उन्होंने इतनी की थी कि और अन्य खर्चों में कटौती करके बच्चों को शिक्षा अवश्य दिलवाई थी । बड़ी कठिनाई थी सामने कन्या के विवाह की । ऐसी सुयोग्य गृहरत्ना का भाग्य आखिर किसी अयोग्य व्यक्ति के हाथों में भी तो नहीं सौंपा जा सकता था । निदान—लाचार होकर अपना रहने का मकान गिरवी रखा और विवाह का प्रबन्ध किया । पाँच हजार तो वे लोग पहले ही विभिन्न रस्मों पर ले चुके थे । शेष तीन हजार में बेचारों ने खाने-पीने का, बारात के स्वागत-सत्कार का

तथा अपने सगे सम्बन्धियों की आवभगत का प्रबन्ध किया था । स्थिति यह थी—कि विवाह के पश्चात् के सारे 'पेमेन्ट्स' भी हो पायेंगे या नहीं ।

इस परिस्थिति में जब भाँवर पर आने से वर ने इस बात पर मना कर दिया कि जब स्कूटर मिल जावेगा तब ही आयेंगे तब बेचारे उस पिता का हृदय वेदना से विदीर्ण हो गया । अपनी विवशता पर तथा समाज में फैली इस दहेज की कुरीति पर वह चाहे जितने आँसू बहाता समस्या का कोई निदान नहीं पा सकता था ।

जब वर महोदय रुठकर चले गये तो कुछ समझदार लोगों ने उन्हें जाकर मनाया और समझाया कि (कन्या पक्ष वालों की) उनकी स्थिति ऐसी नहीं है जो इस माँग को पूरा कर सकें । पर आखिर दूल्हा बने बैठे थे उस समय । कैसे मान लेते समझदारी की बात । तब बात बिगड़ती देखकर उसने वायदा किया गया कि कुछ दिनों में ही आपको स्कूटर दे दिया जावेगा । तब कहीं वे बड़े ही नाज-नखरों के साथ आये ।

इधर सारी बातों की सूचना कन्या को भी मिल चुकी थी । वह एक विवेकशील लड़की थी । उसने सोचा कि मैं इस कुरीति की बलि वेदी पर भेंट हो भी जाऊँ तो क्या ? अन्य पीड़ित लोगों को कुछ राहत तथा ऐसे नर पशुओं को कुछ शिक्षा मिलनी ही चाहिये ।

उसे जब विवाह मण्डप में लाया गया तो उसने साफ कह दिया कि धन ही जिसके लिए सब कुछ है, वह इन्सानों की कद्र नहीं कर सकता । अतः मैं आपके साथ विवाह नहीं कर सकती ।

समझाने वालों की सारी शक्ति यहाँ झुक गई पर वह अपनी बात पर ही अड़ी रही । गलत पक्ष को झुकाना सरल होता है । सत्य आसानी से नहीं झुकता । उसने शिक्षिका का पद ग्रहण कर लिया है और कहती है कि अब वह ऐसे ही युवक के साथ विवाह करेगी जो बिना रुपये पैसे के आकर्षण के विवाह करने को तैयार होगा ।

खर्चीली शादियाँ हमें दरिद्र और बेईमान बनाती हैं

विवाहों में अपव्यय की मूर्खतापूर्ण कुरीति

कोई भी समाज अपनी आन्तरिक स्थितियों के अनुसार ही उठता-गिरता है। मनुष्य के व्यक्तिगत उत्थान-पतन में जिस प्रकार उसकी अन्तर्भावनाओं का हाथ रहता है, उसी प्रकार समाज के उत्थान-पतन का मुख्य कारण उसके अन्दर प्रचलित प्रथा परम्पराओं, रीति-रिवाजों, विश्वासों, मान्यताओं एवं धारणाओं का अच्छा-बुरा होना ही होता है। जिस समाज की रीति-नीति, प्रथा-परम्पराएँ उपयुक्त, उपयोगी और विवेकसम्मत होंगी, वह समाज प्रगति-पथ पर आगे बढ़ता चला जायेगा। इसके विपरीत जिसकी रीति-नीति अन्धविश्वासों एवं मूढ़मान्यताओं पर आधारित होगी, वह समाज यथास्थान रुका हुआ सड़ता-गलता रहेगा।

आज अपना हिन्दू समाज न जाने कितनी प्रकार की कुप्रथाओं एवं मूढ़मान्यताओं का आगार बना हुआ है। इससे वह संसार के पिछड़े हुए समाजों में माना जाता है। अप्रगतिशीलता किसी भी समाज के लिये लज्जाजनक कलंक के समान है। प्रतिगामी अथवा प्रतिक्रियावादी समाज का संसार में कोई आदर नहीं होता, रूढ़िवादी और पिछड़ा हुआ होने से कोई उसका साथ करने को तैयार नहीं होता। उनकी अविवेकसम्मत रीति-नीति एवं प्रथा-परम्पराओं को देखकर बुद्धिमान लोग उसे मूर्ख अथवा असम्य समझते हैं और तदनुसार ही उसकी स्थिति के अनुरूप व्यवहार किया करते हैं।

संसार की इस उपेक्षा एवं असहयोग के कारण प्रतिगामी समाज बहुत हानि में रहता है। अनेक चतुर, चालाक एवं अग्रगामी समाज उसे सताने, दबाने, शोषित करने अथवा अन्य प्रकार से अपने प्रभाव में लेने का प्रयत्न किया करते हैं, जिससे कि उसके पराधीन हो जाने का भय रहता है। ऐसा शंकावित्त अथवा उपहासास्पद जीवन किसी भी समाज के लिये मरण के तुल्य ही है।

भारतीय समाज संसार के सारे समाजों से सदा ही अधिक प्रगतिशील रहा है और जब तक वह विवेकपूर्ण प्रगति-पथ पर चलता रहा मान-भर्यादा के उच्चतम शिखर पर प्रतिष्ठित बना

रहा। किन्तु ज्यों ही उसकी प्रगतिशीलता रूढ़ियों एवं अन्ध-परम्पराओं के अन्धकार में डूबी कि उसका पतन प्रारम्भ हो गया, जिसके फलस्वरूप वह न केवल हजार साल विदेशियों एवं परधर्मावलम्बियों का गुलाम ही बना रहा, बल्कि तरह-तरह की यातनायें एवं अत्याचार भी सहता रहा। पराधीनताकाल में आततायियों ने भारतीय समाज को आमूल मिटा डालने में कोई कसर नहीं छोड़ी। किन्तु भाग्यवश अथवा ईशइच्छा से उसमें समय दृष्ट महापुरुष उत्पन्न होते रहे, जो अपने ज्ञान, तप एवं आचरण के बल पर उसको सुरक्षा एवं स्वतंत्रता का उपाय बतलाते और पथ-प्रदर्शन करते रहे।

समय आया और बलिदानों द्वारा महामूल्य चुका कर भारत राजनीतिक दासता से मुक्त हुआ। चाहिये तो यह था कि वह स्वाधीन होने के क्षण से ही समाज में प्रचलित कुप्रथाओं, कुरीतियों एवं अन्ध-परम्पराओं के पीछे पड़ जाता और बहुत पहले ही अपने को साफ-सुथरा एवं स्वस्थ बनाकर संसार के किसी भी उन्नतिशील समाज के समकक्ष खड़ा हो जाता, किन्तु प्रमादवश वह ऐसा न कर सका। यह खेद का विषय है पर इससे भी अधिक खेद का विषय यह है कि वह आज भी अपनी अनुपयुक्त एवं हानिकर प्रतिगामिता को दूर करने के लिये उस उत्साह से तत्पर होता दिखाई नहीं दे रहा है, जिस उत्साह से होना चाहिये। वह तो लोहे पर लगी जंग की तरह कुरीतियों एवं रूढ़ियों से इस तरह चिपक गया है कि छूटना ही नहीं चाहता। आलस्य, अज्ञान अथवा अभ्यासवश जो अनुपयुक्त ढर्रा चला आ रहा है, उसे ही चलाये रहना चाहता है। ऐसी दशा में समाज की उन्नति होना तो दूर उल्टे उस स्थिति से भी नीचे गिर जाने की सम्भावना है, जो किसी प्रकार कठिन संघर्ष के बाद प्राप्त हो सकी है।

'उदीयमान भारतीय राष्ट्र को अपनी प्रगति के लिये बहुमुखी पुरुषार्थ करना पड़ेगा। राजनैतिक स्वतन्त्रता मिलने से तो उसे अपने आपको बनाने या बिगाड़ने मात्र का अधिकार मिला है। प्रगति तो हमारी कामना एवं बुद्धिमत्ता पर निर्भर करेगी। इसके लिये हमें सबसे पहले अपनी आन्तरिक प्रगति करनी होगी। यह सोचना होगा कि प्रगति के पथ पर अवरोध उत्पन्न करने वाली हमारी दुर्बलताएँ क्या-क्या हैं और उन्हें किस

४.२ विवाहोन्माद : समस्या और समाधान

प्रकार दूर किया जाये । जब तक इस प्रकार सोचना आरम्भ न किया जायेगा, तब तक कुछ काम बनेगा नहीं । निःसन्देह यदि भारतीय समाज को प्रगति करनी है, उन्नति एवं उत्कर्ष प्राप्त कर पूर्ववत् मान-सम्मान का अधिकारी बनना और भविष्य के भयों से मुक्त होना है तो आन्तरिक दुर्बलताओं और अनुपयुक्तताओं से होने वाली हानियों से सावधान होना ही होगा । साहस के साथ उन सारी रीति-नीतियों, प्रथा परम्पराओं, रूढ़ियों एवं मान्यताओं को बदल डालना है, जो जन्जीर की तरह उसकी प्रगति रोके हुए हैं ।

किसी भी समाज की उन्नति, प्रगति मुख्यतः दो बातों पर निर्भर करती है—निष्पक्ष एवं पूर्व अनाग्रही विचारकोण और अविवेकसम्मत प्रचलनों को बदल डालने का उत्साह । यह दो विशेषताएँ जो भी राष्ट्र अपने जीवन में विकसित कर लेता है, उसे उन्नति करते विलम्ब नहीं लगता फिर चाहे वह कितना ही पिछड़ा और गिरा हुआ क्यों न हो । जो राष्ट्र अथवा समाज अप्रगतिशील अथवा अवनत बना हुआ है निश्चय ही उसकी इस दुर्दशा का दायित्व उसकी उस गतिविधि अथवा नीति पर होगा, जिसे वह अपनाये हुए चल रहा है । जिस समय भी वह अपनी गतिविधि एवं रीति-नीति में उपयुक्त दिशा में सुधार कर लेगा, उन्नति की ओर चल पड़ेगा । स्वतन्त्र चिन्तन का आधार लेने पर वह हर बात की ठीक-ठीक विवेचना कर यह समझ सकेगा कि उस अवसर पर किस ओर न जाकर किस ओर चलना है और क्या छोड़कर क्या अपनाना है ?

वस्तुस्थिति का ठीक-ठीक स्वरूप समझ जाने पर उसे उसको छोड़ने अथवा ग्रहण करने का उत्साह होगा और तदनुकूल आचरण करने का साहस भी । सामाजिकजीवन में नव-चेतना का यह परिवर्तन आते ही ऐसा कौन-सा मूढ़ समाज होगा, जो अपनी उन अनुपयुक्तताओं को छाती से चिपटाये रहेगा, जो नागपाश की तरह उसके प्राणों की ग्राहक बनी हुई है । उसके उपचार एवं सुधार में वह ठीक उसी प्रकार तत्पर हो उठेगा, जिस प्रकार समझदार व्यक्ति किसी घातक रोग को दूर करने में लग जाता है ।

आज अपने भारतीय समाज में न जाने कितनी कुरीतियाँ, कुप्रथाएँ, अन्ध-परम्पराएँ एवं अनुपयुक्त मान्यताएँ उसी प्रकार लग गई हैं, जिस प्रकार किसी वृक्ष में दीमक लग जाती है, जो उसे चाट-चाट कर निर्बल बनाती रहती है । आज इस

बात की अनिवार्य आवश्यकता आ पड़ी है कि समाज के स्वस्थ सृजन के लिये उन विकृतियों को खोज निकाला जाये, जिनके कारण, किसी समय संसार के सर्वोच्च शिखर पर आसीन भारतीय समाज आज पतन के गहन गर्त में गिरा हुआ है और उनको दीमक की तरह झाड़-बुहार कर साफ कर दिया जाये ।

इस खोज का क्रम प्रारम्भ करने पर पता चलेगा कि भारतीय समाज की कुप्रथाओं में सबसे हानि एवं कष्ट कारक विवाहों के नाम पर होने वाली पैसे की बर्बादी है । किसी भी राष्ट्र अथवा समाज की दृढ़ता में आर्थिक आधार का बहुत महत्त्व है । संसार में किसी प्राचीनकाल में भले ही अर्थ का इतना महत्त्व न रहा हो, किन्तु आज का जीवन-क्रम अर्थ की ही धुरी पर घूम रहा है । अर्थ जीवन विकास में इतना नगण्य हेतु नहीं है कि उसे किसी प्रकार भी बरबाद कर देने में सोच-विचार ही न किया जाये । यह बात सही है कि चरित्र की महत्ता धन से कहीं अधिक है । पर यह भी झूठ नहीं है कि आर्थिक विपन्नता की यातना बहुधा चरित्र का अस्तित्व हिला दिया करती है । असाधारण आदर्श व्यक्तियों की बात तो निराली होती है, वे तो अपने आदर्शों में हिमालय की तरह अडिग होते हैं और यथासाध्य सबको ही इस प्रकार अडिग रहना चाहिये तथापि इतना तो मानना ही पड़ेगा कि साधारण गृहस्थ अथवा सामाजिकजनों का जिनका अधिकांश आधार अर्थ ही होता है, अर्थाभाव में हिल उठना कोई असम्भव बात नहीं है । गृहस्थ के लिये पैसे का अभाव इतनी बड़ी यातना होती है कि जिस से बचने के लिये वह एड़ी-चोटी का पसीना एक कर देता है । गृहस्थ जीवन में इतना महत्त्व रखने वाले पैसे को यदि अबुद्धिमत्तापूर्वक निरर्थक बरबाद कर दरिद्रता को आमन्त्रण दिया जाये, यह बात कुछ समझ में नहीं आती । यह तो अपने पैर में आप कुल्हाड़ी मारने अथवा अपनी सुख-शान्ति की जड़ आप काटने के समान ही जड़ता मानी जायेगी । ब्याह-शादियों में अन्धाधुन्ध अपव्यय करना इसी प्रकार की मूर्खतापूर्ण आर्थिक आत्म-हत्या है, जिससे बचे रहने में ही किसी भी गृहस्थ का कल्याण है ।

विवाह दो आत्माओं के मिलन का एक पुनीत अवसर है । जिसका उपक्रम धार्मिक आधार पर किया जाता है । दो प्राणी मिलकर एक नये समाज की रचना करने का व्रत

लेते हैं और दोनों पक्ष के लोग उस व्रत के साक्षी बनते हैं । साथ ही उनके सम्मिलन से यह भी स्पष्ट होता है कि समाज के अन्य लोग उनके इस व्रत की महानता समझते हैं, जिससे उनके द्वारा हर प्रकार की सहायता एवं सहयोग का आश्वासन ध्वनित होता है । इस प्रकार के गरिमापूर्ण अवसर पर जितनी सादगी एवं सच्चाई बरती जाए उतना ही उपयुक्त है । यह अवसर अधिक से अधिक पवित्र, आध्यात्मिक एवं धार्मिक भावों से ही परिपूर्ण रहना चाहिए । इसके स्थान पर जब विवाहों को आर्थिक प्रदर्शन का समारोह भर बना लिया जाता है तब उसकी सारी पवित्रता एवं मूल मन्तव्य ही नष्ट हो जाता है ।

लड़के वाला बड़े-बड़े बाजों-गाजों, हण्डा-बिजली आतिशबाजी तथा स्वाँग-तमाशों के साथ फूल-ठट्टी, सवारी-सजावट आदि का विभ्रमपूर्ण प्रदर्शन किया करता है । यद्यपि विवाह जैसे धर्म-अनुष्ठान में इस प्रकार के निरर्थक प्रदर्शनों की न तो आवश्यकता है और नहीं धर्म-शास्त्रों में विधान । किन्तु फिर भी लड़के वाले अपनी आर्थिक सामर्थ्य दिखाने और समाज के दूसरे लोगों की वाहवाही लूटने के लिये नितान्त निरर्थक कार्यों में पैसे की होली जलाया करते हैं । लड़की वाले के द्वार की शोभा करने के नाम पर वे जो पैसे खर्च करते हैं वह दहेज आदि के रूप में लड़की वाले से राजी या नाराजी के साथ वसूल किया करते हैं । लड़की वाला दहेज-भेंट आदि देने को विवश होता है तो लड़के वाले को गहना, कपड़ा आदि लाने को विवश करता है । इस प्रकार की यह आर्थिक व्यय की स्पर्धा न केवल दोनों पक्षों को आर्थिक संकट में ही डाल देता है बल्कि कभी-कभी सम्बन्धों को आजीवन के लिये कटु बना देता है ।

दुर्भाग्य से यह अमीरों एवं सामन्तों का अहंकार प्रदर्शन समाज में एक प्रथा बन गई है, जिसका पालन करना समाज के हर व्यक्ति के लिये आवश्यक-सा हो गया है । यदि वह ऐसा नहीं करता तो समाज में उसका अपमान होता है । लोग उसे अशिष्ट, कंजूस, दरिद्री, अभावुक आदि न जाने क्या-क्या कहने के साथ यहाँ तक कहने लगते हैं कि इसे अपने बेटे-बेटी के विवाह से प्रसन्नता नहीं हुई अन्यथा क्या यह इस प्रकार सून-सूना विवाह करता । इन्हीं अपवादों, व्यंग्यों एवं आलोचनाओं के डर से सर्वसाधारण को घर फूँककर तमाशा देखना पड़ता है जो किसी भी प्रकार उपयुक्त नहीं है ।

आज भारत की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि विवाह जैसे साधारण समारोह को आर्थिक होली का रूप दिया जाये । किन्तु परम्परावश लोगों को घर-द्वार बेच अथवा कर्ज लेकर ऐसा करने के लिये विवश होना पड़ता है । जिससे उनकी आर्थिक दशा इतनी दयनीय हो जाती है कि फिर या तो वे गृहस्थी चलाने के लिये अनैतिक साधनों का अवलम्बन लेकर बेईमानी, भ्रष्टाचार आदि करते हैं या परिवार के साथ स्वयं भूखों मरा करते हैं । इस प्रकार विवाह समारोह न केवल आर्थिक हानि ही करते हैं बल्कि चारित्रिक क्षति की भी स्थापना उपस्थित कर देते हैं । विवाह जैसा पुण्य कर्म अभिशाप सिद्ध होता है ।

विवाह समारोह के अवसर पर एक छोटा-सा, धर्मपरक उत्सव, हर्ष व्यक्त करने के लिये तो मनाया जा सकता है । किन्तु इस प्रकार की भयंकर आर्थिक उद्धतता सर्वथा अनुपयुक्त है । समाज की सम्पत्ति राष्ट्र की सम्पत्ति होती है । हर व्यक्ति को अपने पैसे को राष्ट्र की सम्पत्ति समझकर समझदारी से खर्च करना चाहिए, इस प्रकार बेकार के कामों में अपव्यय करना ठीक नहीं ।

शादियों में अनावश्यक अपव्यय

बुराइयाँ ऐसे विषवृक्ष की तरह हैं जो अपने आप नहीं मुझातीं । अनाचार के पेड़ पर छाई हुई अमरबेल की तरह जहाँ रहती हैं, वहीं से अपने लिए पोषण प्राप्त कर लेती हैं । उन्मूलन करना हो तो उसे जड़-मूल से उखाड़ना पड़ता है ।

कुछ समय पूर्व चीन अफीम के नशे में ग्रस्त था और जन-समुदाय अर्द्धमृतकों की, काहिल-अपाहिजों की तरह जी रहा था पर जब परिस्थिति बदली तो अभ्यस्तों की मनोदशा का ख्याल किए बिना उस कुरीति को हटा ही दिया गया । सुधारकों की कड़ाई प्रचलन के आगे झुकी नहीं । भारत में भी अब के कुछ पहले जमींदारी प्रथा का बोलबाला था । किसान मजूर था और जमींदार मालिक । मुनाफा मालिक का था और मजूर को पेट भरने जितना मिलता था । बँधुआ मजूरों की दशा तो और भी अधिक गई-गुजरी थी ।

समझा गया कि इस स्थिति के रहते अधिकांश जन-समुदाय को दुर्दशाग्रस्त ही रहना पड़ेगा । विवेक ने झकझोरा तो समाज के मूर्धन्य लोग इन कुप्रथाओं के विरुद्ध

परिवर्तन के लिए कटिबद्ध हो गये । परिणाम अच्छा ही हुआ । किसान अपने खेत के मालिक बने और स्थिति में उत्साहवर्द्धक परिवर्तन हुआ ।

ऐसी ही कुप्रथाओं में एक है—खर्चीली शादियों का प्रचलन । सवणों में लड़के बिकते हैं और असवणों में लड़कियाँ । घर बसाने में वे ही समर्थ होते हैं जो इस खर्च को वहन कर सकते हैं । कितनों की ही स्थिति ऐसी नहीं होती, उन्हें अविवाहित रहने के लिए विवश होना पड़ता है अन्यथा उन्हें घर, खेत, पशु, बर्तन आदि बेचकर खर्चीली शादी का साधन जुटाना पड़ता है । फलितार्थ यह होता है कि शादी के साथ ही गरीबी भी गले बँध जाती है और वह सहज पीछा नहीं छोड़ती, प्रायः जीवन भर बनी रहती है ।

तर्क की दृष्टि से सभी इस बुराई की निन्दा करते हैं और कहने को अधिकांश लोग यही कहते हैं कि यह बुराई दूर होनी चाहिए । किन्तु मनोबल के अभाव में जब अपनी बारी आती है तो आगे कदम नहीं बढ़ाते । वही करते हैं जो पुराना ढर्रा चल रहा है । सोचते हैं कि हम आगे बढ़कर सुधार-परिवर्तन करेंगे तो समाज में निन्दा होगी ।

समाज भी ऐसा है जिसमें हजार बुराइयाँ भरी पड़ी हैं, पर कोई किसी की रोकटोक नहीं करता फिर शादियों सम्बन्धी सुधार के समय 'समाज का भय' कैसे इतना बलिष्ठ हो जाता है जिसकी उपेक्षा नहीं बन पड़ती । वस्तुतः यह अपने ही मनोबल का अभाव है । समाज का गठन ऐसा कहाँ है जो किन्हीं बुराइयों को रोक सके और सुप्रचलनों को चला सके । एक ढर्रे का नाम ही समाज रह गया है ।

काम हर्ज की बुराइयों को कुछ दिन सहा भी जा सकता है, पर जिनसे हर किसी का सर्वनाश ही हो सका है उनके उन्मूलन में तो सामान्य विचारशीलों को भी आगे आना चाहिए, पर जो मूर्धन्य हैं, प्रतिभावान हैं, नेतृत्व की क्षमता सम्पन्न हैं, उन्हें तो सर्वप्रथम अग्रणी होना चाहिए । श्रेष्ठ कार्यों का शुभारम्भ जिस प्रकार श्रेय-सम्मान प्रदान करता है वैसे ही कुप्रचलनों का संहार भी गौरव प्रदान करता है । कभी जंगलों में तेंदुए, भेड़िये बढ़ जाते थे और वे वनवासियों के पशुओं, बच्चों को उठा ले जाते थे । प्रजा की पुकार पर जो योद्धा उनका पीछा करने और मार भगाने का साहस करते थे उनकी भी प्रशंसा होती थी । दुष्टता का उन्मूलन भी मनुष्य को पराक्रमी और यशस्वी बनाता है ।

इन दिनों हर दृष्टि से हानिकारक प्रथाओं में खर्चीली शादियाँ इतनी भयंकर हैं जिनकी तुलना विषधर सर्पो और खूँखार भेड़ियों से की जाय तो कुछ अत्युक्ति न होगी । इसे मिटता हुआ सभी देखना चाहते हैं पर आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं पड़ती । समय आने पर विरोध की आवाज भी बन्द कर लेते हैं, उसी ढर्रे पर लुढ़कने लगते हैं जिसमें हर दृष्टि से हर किसी का अनर्थ ही अनर्थ है ।

प्रश्न केवल हिम्मत करके आगे आने भर का है । समाज में अधिकांश लोग तम्बाकू पीते हैं पर जो नहीं पीते या छोड़ देते हैं उन्हें न कोई दण्ड देता है, न पुरस्कार । दो चार दिन अपनी रुचि और मर्जी की समीक्षा कर लेते हैं पर उस कथन में इतनी सामर्थ्य नहीं होती जो किसी का कुछ बिगाड़ सके । मौसाहार, मद्यपान जैसी प्रथाओं को कोई विरोधी रोक नहीं पाता तो किसी बुरी बात को छोड़ देने में कोई तूफान बरस पड़ेगा, ऐसी कोई बात नहीं है ।

सादगी के विवाहों का प्रस्ताव लड़के वालों की ओर से होना चाहिए । अभिभावकों को प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि हम अपने लड़के की शादी बिना किसी खर्च के करेंगे, इसी प्रकार विवाह योग्य लड़कों को भी प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि हम दहेज किसी भी अर्थ में स्वीकार न करेंगे । लड़की वालों में से काली कमाई वालों को छोड़कर हर कोई इस प्रस्ताव को स्वीकार करेगा । उसकी लड़की के हाथ पीले हो जायें और खर्च भी न करना पड़े इससे अच्छा सुयोग और क्या हो सकता है ?

लड़की वाले अमीर घर का लड़का ढूँढ़ने के फेर में अधिक दहेज देने के लिए बाधित होते हैं । उन्हें भी अपना दृष्टिकोण बदलना चाहिए और स्वर्गीय नेहरू का वह सूत्र याद रखना चाहिए कि "आराम हराम है ।" जिन घरों में नौकर सब काम करते हैं, उनके मालिक को और मालकिनों को दुर्बलता और बीमारियों का दण्ड भुगतना पड़ता है । परिश्रमी का शरीर भी स्वस्थ रहता है और दिमाग भी अधिक तीक्ष्ण एवं प्रखर रहता है । काम को दुर्भाग्य नहीं, सौभाग्य मानना चाहिए ।

अपनी लड़की किसी मध्यवर्ती परिवार में जाय, घर का काम-काज करे, पति के व्यवसाय में हाथ बँटाये तो यह उसके सौभाग्य का चिन्ह है । ऐसे घरों में प्रतिभावान लड़कियों की

इज्जत भी होती है और दहेज का सवाल भी प्रमुख नहीं होता । जितना पैसा लड़की के विवाह में लगाना हो उतना उसकी शिक्षा और तन्दुरुस्ती अच्छी बनाने में लगा देना चाहिए । लड़का ऐसा ढूँढना चाहिए जो परिश्रम की कमाई खाता हो और अपनी पत्नी को भी कमाने के लिए उत्साह प्रदर्शित करने में बुरा न मानता हो । प्रगतिशील व्यक्ति अपनी छियों को भी आगे बढ़ाते, ऊँचा उठाते हैं । उन्हें दबोच कर नहीं रखते ।

समाज में एक ऐसी नई पीढ़ी विकसित होनी चाहिए जो अमीरी की आरामतलबी से दूर हो और परिश्रम में गर्व-गौरव समझे । ऐसे वर्ग खर्चीली शादियों से बच सकते हैं । न उन्हें दहेज माँगने की जरूरत पड़ती और न जेवर चढ़ाने, बारात ले जाने की, धूम धमाके की ।

विवाह संसार भर में होता है पर उनका स्वरूप एक घरेलू उत्सव जैसा होता है । दोनों पक्षों के परिवारों के मुश्किल से बीस-तीस व्यक्ति ही उस उत्सव में सम्मिलित होते हैं और घण्टे आधा घण्टे का हर्षोल्लास मनाकर अपने घरों को वापिस चले जाते हैं । गिर्जे में शादी का प्रतिज्ञापत्र लिख लिया जाता है या अदालती रजिस्ट्री हो जाती है । फिर भारत पर ही क्या आसमान से आफत टूटती है कि उस सीधे से काम को इतना खर्चीला बनाकर अपना और सम्बन्धी का दिवांला पिटाया जाय?

विचारशील लोग अपने लड़के-लड़कियों की शादियों बिना धूमधाम के नितान्त सादगी के साथ करने लगे तो वह प्रचलन भी आसानी से चल पड़ेगा । बड़ों की देखा-देखी छोटों द्वारा नकल किए जाने की भेड़चाल ने ही खर्चीली शादियों का प्रचलन चलाया है । यदि वह प्रभावशाली वर्ग इस सन्दर्भ में सादगी अपनाने लगे तो उसी प्रकार की प्रथा चल पड़ने में भी देर न लगेगी ।

विवाहों में अनावश्यक अपव्यय क्यों करें

सामान्य स्थिति में किसी भी गृहस्थ के पास जाकर पूछिये कि क्या वह बच्चों की ब्याह-शादी में होने वाले अपव्यय को पसन्द करता है ? तो सौ में पिचानवै व्यक्तियों का यही उत्तर होगा कि "इस अपव्ययता के कारण बच्चों के शादी-ब्याह जान के लिए जंजाल बने हुए हैं । बच्चों के ब्याह योग्य अवस्था में आने से पहले ही उनके ब्याह के लिए पैसा जुटाने की चिन्ता

से दिन की भूख और रात की नींद चली जाती है ।"—तब भी लोग न जाने क्यों ब्याह-शादियों को सादे-सरल ढंग से नहीं करते ?

यद्यपि ब्याह-शादियों में इस प्रकार की अपव्ययता का कोई धार्मिक विधान नहीं है और न ऐसा कोई सामाजिक बन्धन ही है जिसका निर्वाह न करने से किसी को बहिष्कृत ही कर दिया जाये ! बन्धन है तो लोगों की रूढ़िवादी मनोवृत्ति का । चूँकि ब्याह-शादियों में प्रदर्शन एवं धूमधाम की प्रथा एक लम्बे समय से चली आ रही है इसलिए वह एक रूढ़ि परम्परा बनकर बन्धन बन गई है और लोग अभ्यास-वश वैसा करते और करने के लिए मजबूर होते चले जा रहे हैं ।

इच्छा न होते हुए भी लोग ब्याह-शादियों में पैसे की बरबादी करते रहते हैं । इसके पीछे अनेक कारण काम कर रहे होते हैं । पहला कारण तो संस्कारों की प्रेरणा है । शादी-ब्याह के अवसर आते हैं लोगों में अपव्ययता का एक जुनून, एक उन्माद-सा जाग उठता है, तब उन्हें याद ही नहीं रहता कि वे क्या कर रहे हैं ! ब्याह-शादियों के अवसर को वे खर्च करने का त्योहार मान लेते हैं । मन और मुट्ठी खोल कर खर्च करते हैं । पास नहीं होता तो वे कर्ज लेते हैं । घर-मकान बेचते व रहन करते हैं । मनुष्य कुल परिवार एवं सामाजिक वातावरण से संस्कार ग्रहण किया करता है । यह प्रक्रिया इतनी सहज एवं स्वाभाविक है कि प्रयत्न किये अथवा सीखे जाने बिना ही वह उन संस्कारों में दीक्षित हो जाता है जो कि फिर उनके लिए बन्धन जैसे बन जाया करते हैं । प्रथा-परम्पराओं की मान्यता भी ऐसे संस्कार ही होते हैं जिनसे प्रेरित होकर लोग न चाहते हुए भी वैसा करने को विवश होते हैं ।

किन्तु विवेकशीलता इसी में है कि मनुष्य कोई भी प्रथा परम्परा अपनाने से पूर्व उसके औचित्य एवं अनौचित्य पर विचार करले और जो कुछ उपयुक्त हो उसे ग्रहण कर बाकी को कूड़ा-कर्कट की तरह छोड़ दे । इतनी निर्बलता मनुष्य के लिए कदापि शोभनीय नहीं है कि उसका मन-मस्तिष्क महीन कपड़े की तरह परम्परागत रीति-रिवाजों में बिना सोचे-समझे रँग जाए । ब्याह-शादियों के अपव्ययतापूर्ण रीति-रिवाज परम्परागत रूढ़ियाँ हैं, इनमें न कोई औचित्य ही है और न उपयोगिता । उल्टी हानि ही हानि है । स्वतन्त्र चिन्तन के

बिना मनुष्य एक ऐसा यन्त्र बन जाता है जिसे कोई भी अच्छी-बुरी बात, उल्टा-सीधा वातावरण अपने अनुरूप संज्वालित कर सकता है। यह जड़ता है जो विवेकवान् मनुष्य के लिए लज्जा की बात है।

ब्याह-शादियों में अपव्ययता का कारण लोक-लज्जा का भय भी बतलाया जाता है। अनेक समझदार लोग यह कहते सुने जाते हैं कि—“शादियों में पैसे की बरबादी बुरी बात है, किन्तु क्या किया जाये लोकापवाद के भय से इच्छा न रहते हुए भी वैसा करना होता है ! यदि न करें तो लोग अँगुली उठाते हैं, आलोचना तथा मीन-मेख निकालते हैं। कंजूस, खसीस, असामाजिक, न्यारिया आदि न जाने क्या-क्या कहते हैं। इन्हीं कटुताओं से बचने के लिए भले आदमियों को ब्याह-शादियों के खर्चिले रीति-रिवाज पूरे करने होते हैं।”

गलती को सुधारने और नेक बात अपनाने में लोक-भय से विचलित हो जाना कायरता है। उचित-अनुचित के संग्रह त्याग में लोक-भय की बाधा उन्हीं को लगती है जो आंतरिक रूप से निर्बल होते हैं। लोक-भय का बहाना लेने वाले अधिकतर ऐसे लोग ही होते हैं, जिनकी आदर्शों के प्रति पूर्ण निष्ठा नहीं होती। हवा की चाल पर उड़ने वाले तिनकों की तरह जिधर अधिक लोग चल रहे होते हैं चल पड़ते हैं। इस प्रकार की अस्तित्वहीनता मनुष्यता के लिए कलंक की बात है। सत्य एवं उपयुक्त को स्वीकार करना और असत्य एवं अनुपयुक्त को त्याग देना ही विवेक का लक्षण है। बहुत लोग जिस गलत बात को कर रहे हैं इसलिए हमको भी करना चाहिये—इस प्रकार की विचारधारा उन्हीं लोगों की होती है, जिनके पास अपनी बुद्धि का संबल नहीं होता। पूरी दुनिया के एक ओर हो जाने पर भी असत्य एवं अहितकर के आगे सिर न झुकाना ही मनुष्यता का गौरव है। लोग बुरा न कहें, अँगुली न उठायें इसलिए हमें गलत बात को भी कर डालना चाहिये, यह कोई तर्क नहीं है। विवेक का तकाजा यही है कि उचित को स्वीकार करने के सिवाय और सब कुछ अस्वीकार कर दे। दुनिया के लोगों की ‘भेड़-चाल’ प्रसिद्ध है। वह स्वयं तो जिस खाई-खन्दक की ओर चलती है सो तो चलती ही रहती है, साथ में यह भी चाहती है कि दूसरे विवेकशील लोग भी उसका अनुगमन करें और यदि वे वैसा नहीं करते तो उनकी आलोचना करते हैं।

लोकापवाद से डरने वाले लोगों से पूछा जाये कि यदि एक बार बहुत से लोग उनसे यह कहें कि वे अपने घर में आग लगा लें—तो क्या वे अपवाद के भय से अपने घर में आग लगा लेंगे। निश्चय ही कोई ऐसा करने को तैयार न होगा। तब पता नहीं कि लोग ब्याह-शादियों के अपव्यय को असह्य एवं अनुचित मानते हुए वैसा करने से विरत क्यों नहीं होते। कहा जा सकता है कि लोक द्वारा घर में आग लगा लेने की माँग करना अनुचित होगी। इसलिए उसका मान जाना आवश्यक नहीं। यदि घर में आग लगाना उचित नहीं तो फिर पैसे की निरर्थक बर्बादी ही कहीं तक उचित है? घर की सारी धन-सम्पत्ति बेकार के ही हल्ला से उड़ा देना घर में आग लगाने के समान ही है। तब लोकापवाद की इस अनुचित माँग को क्यों पूरा किया जाता है? क्यों नहीं उसे, घर फूँक देने की माँग के समान ही अनुचित कह कर अस्वीकार कर दिया जाता है।

वास्तविक बात यह है कि ब्याह-शादियों में अपव्यय की अस्वीकृति में लोक-भय उतना सक्रिय नहीं होता जितना कि मनुष्य की बड़प्पन दिखलाने की लालसा! अनेक निर्बल-मना व्यक्ति प्रदर्शन द्वारा समाज में अपने को बड़ा सिद्ध करने का प्रयत्न किया करते हैं। यों तो प्रदर्शन करने का कोई अवसर मिलता नहीं। ब्याह-शादियों में अपनी इस हविश को अवश्य पूरा करने का प्रयत्न करते हैं। किन्तु इस प्रकार के लोग होते बड़ी ही हल्की मनोभूमि के व्यक्ति! ऐसे लोग सामन्तशाही के युग में रह रहे होते हैं और यह नहीं समझ पाते कि अब वह समय नहीं रहा जब पैसे का अपव्यय करने वाला बड़ा आदमी समझा जाता था। अब लोगों की चेतना आगे बढ़ गई है और मान्यताएँ बदल गई हैं। आज बड़प्पन का मानदण्ड सरलता, सादगी और सत्कर्म बन गये हैं। निःसन्देह यही मानदण्ड बड़प्पन का सही और उपयुक्त मानदण्ड है। अपव्यय में बड़प्पन अथवा इज्जत की कल्पना करना मरु-मरीचिका में जल देखने के समान है। आज के कठिन आर्थिक समय में बेकार के स्वाँग-तमाशों में पैसा बरबाद करना बड़प्पन नहीं ओछेपन का लक्ष्य है। जिसके पास पाप तथा हराम की कमाई बेकार पड़ी होगी, ब्याह-शादियों के प्रदर्शन में अन्धाधुन्ध खर्च कर सकता है। मेहनत-मजदूरी से खून-पसीना एक कर के पैसा कमाने वाले यदि इसको इस प्रकार बर्बाद करते हैं तो

उन्हें बड़ा आदमी तो क्या मूर्ख मनुष्य ही माना जायेगा । आज कठिनता के युग में जो निरर्थक कामों में पैसे की होली जलाते हैं, लोग उसकी आय में भ्रष्टाचार का माध्यम मान लेते हैं, उसकी नेक कमाई में सन्देह करने लगते हैं । यह कोई बड़प्पन की बात नहीं । पैसे का पैसा बरबाद हो और समाज में भ्रष्टाचार का सन्देह किया जाये—ऐसे काम करना किसी भी दशा में बुद्धिमानी न कहा जायेगा । आज इज्जत पैसा बरबाद करने में नहीं । मितव्ययता द्वारा खर्च कर के बचाने और उसे राष्ट्र, धर्म, समाज, सभ्यता, संस्कृति एवं अपने आप परिवार की उन्नति के साधनों में सदुपयोग करने में है । सम्मान, प्रतिष्ठा अथवा बड़प्पन का अधिकारी वही हो सकता है जो समाज की कुछ सेवा करता है, दीन-दुःखियों की सहायता कर परोपकार एवं परमार्थ का उत्पादन करता है । व्यर्थ विषयों में पैसा नष्ट करने वालों का प्रतिष्ठा पाने का स्वप्न कभी पूरा नहीं हो सकता । जो लोकमय के पीछे छिपे अपने इस अहंकार को नहीं देखते वे अपने विवेक और अपनी आत्मा को धोखा देते हैं ।

अनेक लोग ब्याह-शादियों में होने वाले अन्धाधुन्ध अपव्यय को प्रसन्नता की अभिव्यक्ति बतलाते हैं । उनका कहना होता है कि बच्चों के प्रति प्रेम के कारण, जब उनका विवाह होता है अभिभावकों को अतिशय प्रसन्नता होती है । यही कारण है कि वे उस अवसर पर खूब धूमधाम किया करते हैं । इस प्रकार का तर्क भी अपव्ययता के समर्थन में सारपूर्ण तथ्य प्रकट नहीं करता । बच्चों के शादी-ब्याह में प्रसन्न होना स्वाभाविक ही है । किन्तु उस प्रसन्नता को उचित नहीं कहा जा सकता जिसके प्रवाह में मनुष्य अपना विवेक बहा दे और निरर्थक कार्य करने लगे । यदि पैसा खर्च करने से ही हर्ष की अभिव्यक्ति होती है तो उसके लिए अनेक ऐसे तरीके मौजूद हैं, जिन्हें अपनाने से हर्ष भी प्रकट हो जाये, पैसे का सदुपयोग भी हो, प्रतिष्ठा प्राप्त हो । ढोल-ताँशे, गाजे-बाजे, धूम-धड़क्का, नाच-गाना, स्वाँग-तमाशे बिजली-बत्ती, आतिशबाजी, नेग-न्योछावर, दावत-ज्यौनार के बड़े-बड़े प्रबन्ध एवं आयोजन करने में पैसा खर्च करने के बजाय अन्धे, लूले, लैंगड़े, अपाहिज तथा असमर्थ व्यक्तियों का दुःख दूर करने, राष्ट्र, समाज, धर्म की उन्नति में सहयोग देने, अविद्या, गरीबी और बेकारी की समस्या का हल निकालने में उस पैसे का सदुपयोग किया जा सकता है । खुशी प्रकट करने का यह तरीका न केवल

सभ्यतापूर्ण ही बल्कि परमार्थ एवं पुण्यरूप होगा, जिससे आत्म-कल्याण के साथ वर-वधू के मङ्गल भविष्य की सम्भावना बढ़ेगी । बच्चों के शादी-ब्याह में होने वाले हर्ष की अभिव्यक्ति करने के यह सुशील तरीके छोड़कर नट, भौँड़ें अथवा स्वाँगियों, बहुरूपियों को लुटाना अथवा आतिशबाजी, बिजली और अन्य प्रकार के हुड़दंगों में गैवाना आज की बहुत बड़ी अबुद्धिमता मानी जायेगी ।

बहुत बार आदर्श विचार वालों को घर बड़े-बूढ़ों की जिद के सम्मुख झुकना पड़ता है । बाबा-दादी, नाना-नानी आदि गुरुजन अनुरोध करते हैं कि उनके नाती, पौत्र की शादी खूब धूम-धाम से की जाये । अपने अन्तिम दिनों में वे उस सुख, समारोह को आँख भरकर देख लें । यदि उन्हें पैसे की बचत के लाभ समझाये जाते हैं तो उनका उत्तर यही रहता है कि पैसा बच्चों से ज्यादा प्यारा नहीं है । वह तो फिर भी मिल जायेगा लेकिन ऐसी खुशी के अवसर बार-बार नहीं आते । यदि बड़े-बूढ़ों की बात नहीं मानी जाती है, तो वे नाराज होकर दुःख मानते हैं । उनकी अनुरोध रक्षा में सिद्धांतवादियों को भी कभी-कभी झुक जाना पड़ता है । यदि ऐसा न किया जाये तो अवज्ञा होने अथवा माँ-बाप को बच्चों पर इजारा दिखाने का उपालम्भ देते हैं ।

ऐसे समय पर अभिभावकों को किसी प्रकार समझाबुझा कर ठीक मार्ग पर ले आना चाहिये और यदि तरह-तरह से समझाने पर भी वे अपनी जिद नहीं छोड़ते तो वृद्ध-हठ, बाल-हठ के सिद्धांत के अनुसार अपने आदर्श की रक्षा करनी चाहिए । गुरुजनों की जहाँ हर उचित आज्ञा शिरोधार्य है वहाँ अनुचित अनुरोध अपेक्षणीय भी है । कोई जरूरी नहीं कि वृद्धों के बाल-हठ की रक्षा करने के लिए आर्थिक संकट लाकर परिवार का भविष्य धुँधला किया जाये । उनकी नाराजगी को भावुक दृष्टि से देखकर उचित, अनुचित की दृष्टि से न देखना चाहिए और कर्तव्य की कठोरता के नाते सहन कर लेनी चाहिए । आगे विवाह का वातावरण सिमट जाने पर सभी यथा-स्थिति में आकर प्रसन्न रहने लगेंगे ।

इस प्रकार विवाहों के अपव्यय के कारणों में लोकापवाद, बड़प्पन, प्रसन्नता अथवा बड़े-बूढ़ों की नाराजगी अथवा हठ आदि को जोड़ लेना उचित नहीं । यह सब कारण तथ्यहीन हैं । इनके पीछे कोई भी औचित्य नहीं है । इसका विशेष

४.८ विवाहोन्माद : समस्या और समाधान

कारण है अभिभावकों का स्वयं कमजोर तथा रुद्धिप्रेरित होना। देश, समाज, बच्चों तथा अपना हित देखते हुए विवाहों में व्यर्थ अथवा अपव्यय की विकृति का त्याग कर देना ही उचित एवं बुद्धिमत्तापूर्ण है।

ये खर्चीले हुल्लड़ व तमाशेबाजी अब बन्द हों

यह सोचना सर्वथा गलत है कि बारात की सजधज को उस क्षेत्र के सभी दर्शक ध्यानपूर्वक देखेंगे और इतना खर्च और धमाल होते देखकर प्रसन्न होंगे। सच तो यह है कि हर कोई इन दिनों अपने निजी कामों में इतना व्यस्त है कि निजी प्रयोजनों से ही सिर उठाकर दूसरी ओर देखने की फुरसत नहीं रहती। हाट-बाजारों में आये दिन मण्डलियाँ, जुलूस, बारात, विज्ञापन वाले, बाजीगर, मदारी, अपने-अपने ढंग के कौतुक करते हुए निकलते रहते हैं। उनके सम्बन्ध में अनेकों व्यस्त लोगों की एक ही भावना रहती है कि यह "हल्ला-गुल्ला" स्तर के लोग जितने जल्दी सामने से टलें उतना ही बेकार के सिर दर्द से पीछा छूटे।

फिजूलखर्ची करने वाले कभी भले ही अमीर समझे जाते हों और तब सम्भव है उन्हें कुछ मान मिलता हो, पर अब तो कोई उन्हें पैसे के नशे में चूर बदहवास के अतिरिक्त और कुछ नहीं समझता। बारात इस प्रकार का एक मूर्खतापूर्ण धमाल है, जिसका प्रचलन जितनी जल्दी बन्द किया जाय उतना ही अच्छा। समझा यह भी जाता है कि हमारी घनिष्टता कितने लोगों से है, यह जताने के लिए उन्हें बारात में इकट्ठे करके बेटी वाले के दरवाजे पर ले जाया जाता है। इस विभ्रम में फँसे लोग बारात में चलने को राजी करने के लिए दौड़-धूप करते रहते हैं। बार-बार चक्कर काटते हैं। खुशामद करते हैं। सवारी के लिए प्रबन्ध करते हैं। इतने पर भी उनका अहसान बना रहता है कि आपकी बारात की शोभा बढ़ाने के लिए हम अपना काम हर्ज करके गये थे। ऐसी मनःस्थिति में उनके अतिरिक्त नखरे रहें तो क्या आश्चर्य? उनकी आव-भगत में विवाह कृत्य को निबटाने के अतिरिक्त इन तथाकथित बड़े आदमियों के नखरे उठाने पर और भी अधिक ध्यान देना पड़ता है। यह सब प्रवंचना और विडम्बना ही है। प्रतिष्ठा बढ़ाने के नाम पर जहाँ भी ऐसे ढोंग रचे जाते हैं

वहाँ उनका मजाक ही बनता है। प्राचीनकाल के राजा-महाराजा छत्र चँवर लगाकर सजी-धजी सवारी पर निकलते थे। वह समय अब चला गया फिर भी उसकी लकीर पीटते रहने से क्या लाभ? कभी छत्र चँवर ओढ़कर गद्दीधारी महंत भी लोगों का ध्यान आकर्षित करने वाले आडम्बर बनाकर सवारी निकाला करते थे, पर अब तो वे लोग भी समय को समझ गये हैं और उन आडम्बरों को उतार फेंकने में ही अपनी खैर समझते हैं। ऐसी दशा में बारात के नाम पर चलने वाले खर्चीले हुल्लड़ भी जितनी जल्दी समाप्त हो जायें उतना ही यह माना जायगा कि लोगों ने समझदारी सीखी और समय को पहचाना।

विवाहों में बर्बादी का प्रतिरोध किया जाय

अपने देश में प्रचलित कुरीतियों, रुद्धियों और मूढ़ परम्पराओं में आर्थिक, सामाजिक एवं नैतिक दृष्टि से सर्वाधिक हानिकारक कौन-सी है? इसका उत्तर ढूँढना हो तो सहज ही विवाहों में होने वाले अपव्यय की ओर दृष्टि जाकर ठहर जाती है। यों तो कितनी ही कुरीतियाँ समाज को खोखली बना रही हैं किन्तु इसमें सबसे बड़ा योगदान वैवाहिक कुरीतियों का है।

आर्थिक आधार पर विवाह की विकृतियों का विश्लेषण किया जाय तो प्रतीत होगा कि यह मांगलिक अवसर प्रच्छन्न रूप से किसी परिवार को बर्बाद करने का ही अवसर अधिक होता है। यह आदर्शवादी मान्यता सही है कि जीवन के लिए पैसा ही सब कुछ नहीं है किन्तु साथ ही इस तथ्य को भी नकारा नहीं जा सकता है कि इस अर्थयुग में भी व्यक्ति, परिवार एवं समाज और राष्ट्र की जीवन व्यवस्था का आधार अर्थ से अनिवार्य रूप से जुड़ा हुआ है। आर्थिक स्थिति ठीक होने पर निर्वाह एवं विकास की व्यवस्था समुचित ढंग से पूरी होती रहती है और यदि वह लड़खड़ा जाय तो कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं। असाधारण आदर्शवादी महापुरुषों की बात अलग है। वे विपन्नता की स्थिति में भी अपने आदर्शों पर डटे रहते और अपनी मनःस्थिति को दृढ़ बनाये रखते हैं किन्तु सामान्य व्यक्तियों की यह स्थिति नहीं होती। आर्थिक सुदृढ़ता उनके सन्तुलन के लिए अनिवार्य होती है। प्रचलित विवाहों में यह

आधार एक प्रकार से चरमरा जाता है। अपव्यय के कारण दीर्घकालीन दरिद्रता पल्ले पड़ जाती है। प्रकारान्तर से व्यक्ति की गरीबी समाज और राष्ट्र को कमजोर बनाती है।

निश्चित ही विवाह दो आत्माओं के मिलन का एक पुनीत और पवित्र अवसर है। यह उपक्रम धार्मिक आधार पर सामाजिक वातावरण में सगे-सम्बन्धियों के बीच सादगी से सम्पन्न हो, यह उचित है और आवश्यक भी। वातावरण को अधिक से अधिक धार्मिक एवं आध्यात्मिक भावों से परिपूर्ण रखा जाना श्रेयस्कर है। किन्तु उसमें अर्थ की बर्बादी के प्रदर्शन से विवाह की गरिमा गिरती है। जो हर दृष्टि से हानिकारक है। विवाह एक ऐसा सहज धार्मिक कृत्य है, जिसमें दो आत्माएँ बँधकर सामाजिक एवं जीवन लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कटिबद्ध होती हैं। उसमें अस्वाभाविकता अथवा असामान्य जैसी कोई बात नहीं होती जिसके लिए प्रदर्शन से लेकर मिथ्या आडम्बर खड़ा करने के लिए अपव्यय का कलंक ओढ़ा जाय।

अन्य देशों में भी विवाह होते हैं किन्तु वे सामान्य ढंग से सम्पन्न होते हैं। छोटे से एक समारोह में प्रचलित स्थानीय कृत्यों के अनुसार दस-पाँच व्यक्तियों की उपस्थिति में वर-वधू दाम्पत्य जीवन के बन्धनों में बँध जाते हैं। जिसमें न तो किसी प्रकार की अस्वाभाविकता होती है और न ही किसी प्रकार का प्रदर्शन। सादगी भरे वातावरण में सामान्य ढंग से होने वाले विवाह न तो अभिभावकों के ऊपर किसी प्रकार का आर्थिक भार डालते हैं और न ही नवदम्पतियों के ऊपर। फलस्वरूप धन के अपव्यय की गुंजाइश नहीं रहती। किन्तु अपने देश की स्थिति इससे ठीक उल्टी है। विवाह के अवसर पर अधिक से अधिक खर्च करना यहाँ प्रतिष्ठा का प्रश्न माना जाता है। अपनी आर्थिक स्थिति अनुकूल न होते हुए भी कितने ही व्यक्ति कर्ज लेकर, सम्पत्ति गिरवी रखकर अथवा बेचकर अपव्यय की मूर्खताभरी परम्परा का अनुसरण करते हैं।

देश को स्वतन्त्र हुए ४७ वर्ष हो चुके। अनेकानेक राष्ट्रीय कार्यक्रमों के बावजूद भी वह स्थिति नहीं आ सकी है कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवन निर्वाह के आवश्यक साधन दिए जा सकें। पचास प्रतिशत आबादी अब भी गरीबी की रेखा

के नीचे है। उनमें से कितनों को एक समय ही रोटी मिल पाती है। अस्सी प्रतिशत जनता अब भी अशिक्षित है। अशिक्षा के कारण उन्हें कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में प्रतिवर्ष ३ खरब ७५ अरब की धनराशि विवाहोन्माद में फूँक देना कहाँ तक विवेकसम्मत है? अपने देश का सालाना बजट ६६ अरब ६० करोड़ रुपये है। विवाहों में प्रतिवर्ष अपव्यय की राशि वार्षिक बजट के चार गुने के करीब होती है। उपरोक्त अपव्यय की धनराशि को बचाकर यदि लघु उद्योगों में लगा दिया जाय तो कुछ ही वर्षों में पूरे देश की बेरोजगारी की समस्या का हल निकल सकता है।

एक विवाह में अपव्यय की धनराशि को यदि व्यक्तिगत प्रयोजन में ही लगा दिया जाय तो आमदनी का स्थायी स्रोत खुल सकता है। दोनों पक्ष के अभिभावक उक्त राशि को नवदम्पति के नाम जमा कर दें तो फिक्स डिपॉजिट में वह पाँच वर्षों में दूना अर्थात् बीस हजार और १० वर्षों में ४० हजार होगी जिसका ब्याज प्रति माह ३५० रुपये होगा। इस राशि से एक छोटे परिवार का खर्च आसानी से चल सकता है। विवाह के अवसर पर अभिभावक थोड़ा विवेक से काम लें तो नवदम्पति के लिए आय का महत्वपूर्ण स्रोत खोल सकते हैं। इस राशि को सुरक्षित रखकर १० वर्षों बाद एक दम्पति को ३५० रुपये की मासिक पेन्शन आजीवन मिलती रह सकती है तथा मूल धन पीढ़ी-दर-पीढ़ी काम देता रह सकता है।

यह तो विवाहोन्माद-अपव्यय का आर्थिक विश्लेषण हुआ। अपव्यय से होने वाली सामाजिक एवं नैतिक हानियों का लेखा-जोखा लिया जाय तो पता चलता है कि इस कुरीति ने भारतीय समाज को जर्जर बनाने में भारी योगदान दिया है। एक की देखादेखी दूसरा भी अनुकरण करता है। कितने ही व्यक्ति समाज में ओछे प्रदर्शन द्वारा प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए अनीति और बेईमानी का मार्ग भी अपनाते हैं। खर्च करने की स्थिति नहीं होती और भीतर इतनी दृढ़ता नहीं होती कि इस अपव्यय की परम्परा का विरोध करें। उनके समक्ष एक ही मार्ग बचता है अनीति का—बेईमानी का। कर्मचारियों में बढ़ती हुई बेईमानी का एक कारण यह भी अपव्यय की मूर्खता है।

भारतीय समाज गरीबी और दरिद्रता के रोग से जिस प्रकार संत्रस्त है उसके मूल में विवाह-शादियों में होने वाला अपव्यय भी एक महत्वपूर्ण कारण है। यह न केवल व्यक्तिगत दरिद्रता, दीनता उत्पन्न करता है वरन् समाज में अनैतिकता, भ्रष्टाचार और अव्यवस्था को भी जन्म देती है। अब समय आ गया है कि इसका सामूहिक विरोध किया जाय। समझाने पर भी जहाँ बर्बादी रुकती न दीखे ऐसे बर्बादी वाले आयोजनों में न तो स्वयं सम्मिलित हों और न ही अपने प्रभाव क्षेत्र के व्यक्तियों को सम्मिलित होने दिया जाय। अपव्यय के प्रति प्रतिष्ठा के स्थान पर अप्रतिष्ठा का बोध करा देने से कम में लोकप्रवाह को बदल सकना सम्भव नहीं है। सर्वत्र विरोध का यह क्रम चल पड़े तो समाज को जर्जर बना रहे इस प्रचलन को उखाड़ फेंकना असम्भव नहीं है।

खर्चीली शादियाँ परले सिरे की मूर्खता

संसार का वंश चक्र नर-नारी के सहकार पर निर्भर और गतिशील है। इसका विचारपूर्ण सुयोग संयोग विवाह कहलाता है। मनुष्यों में यह प्रथा सर्वत्र प्रचलित है। विवाह दुनिया भर में होते हैं इसलिए उन्हें सरलता और सादगी के साथ सम्पन्न कर लिया जाता है। वह कोई अनोखापन नहीं है, जिसके लिए धरती आसमान सिर पर उठाये जायें।

संसार में विवाहों के रस्म-रिवाज तो अलग-अलग तरह के हैं पर वे हैं सामान्य स्तर के और सादगी भरे ताकि गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले आसानी से उस कृत्य को बिना कोई अतिरिक्त कठिनाई उठाये सम्पन्न कर सकें।

अमीरों में भी फिजूलखर्ची को एक प्रकार की उद्वण्डता माना जाता है। ओछे लोग ही उपलब्ध पैसे की होली जलाते और तमाशा बनाते हैं। समझदार पैसे का महत्व समझते हैं। उसका उपयोग ऐसे कामों में करते हैं जिनसे अपनी, अपनों की तथा सर्वसाधारण की भलाई हो सके। इन प्रयोजनों से रहित धमाल स्तर के कृत्यों में पैसा उड़ाना पुराने समय में भी बुरा समझा जाता था। अब जबकि समझदारी की कसौटी हर काम पर लगाई जा रही है अपव्यय को और भी अधिक निन्दनीय ठहराया जाने लगा है।

अपव्ययों में नशेबाजी, फैशनपरस्ती, आवारागर्दी, अतिवादी विलासिता को गिना जाता है। इस प्रकार के प्रसंगों में जिन्हें पैसा उड़ते देखा जाता है उनकी निन्दा होती है। कहा जाता है कि हराम की कमाई ही बेदर्दी से खर्च की जाती है। इन मान्यता के अनुरूप पैसे की आतिशबाजी जलाने वालों को अनीति उपार्जनकर्ता माना जाता है। इनके प्रति दर्शकों में ईर्ष्या भी भड़कती है और निन्दा भी सहज ही होने लगती है। साम्यवादी प्रवाह का प्रभाव दूर-दूर तक पहुँचा है। राजा, सामन्त, जमींदार, साहूकार को उस लहर ने धराशायी कर दिया। सोचा जाता है कि पैसे का उपयोग अभावग्रस्तता को दूर करने एवं सख्तवृत्तियों को बढ़ाने में होना चाहिए। इसके स्थान पर जो उसे फूँकते, उड़ते, बर्बाद करते देखे जाते हैं, उनके प्रति समझदारी का सहज आक्रोश उभरता है। वह जमाना अब बहुत पीछे छूट गया जिसमें अमीरी को भाग्यवान होने का चिन्ह माना जाता था और उनकी फिजूल खर्ची को 'दरियादिली' के नाम से सराहा जाता था। अब तो बात ठीक इससे उलटी हो गई है।

ऐसे समय में विवाह-शादियों के समय आँखें मूँद कर पैसा उड़ाना कहीं भी, किसी को भी अखरने वाला लगता है। भले ही वह अनुभवकर्ताओं की अपनी जेब से खर्च न हुआ हो। बहुरूपिये अपने वास्तविक रूप से भिन्न प्रकार की शक्लें बनाते और बोलियाँ बोलते हैं। स्वाँग करने वाले शृंगार बदल कर वेश बदलते और अभिनय द्वारा दर्शकों का मनोरंजन करते हैं। बच्चे रामलीला देखकर भागते हैं वे वहाँ से कागज के गदा, खपच्चियों के धनुष और बन्दरों के मुखौटे खरीद कर लाते हैं। उन्हें दिखाते फिरने की उचक-मचक में खाना पीना तक भूल जाते हैं। ऐसी ही बालक्रीड़ा वे लोग करते हैं जो ब्याह-शादियों के सरंजाम जुटाते अथवा बारात में सजधज कर जाते हैं। वेश धारण की तरह उनके नखरे भी बदल जाते हैं और इस प्रकार ऐंठ-अकड़ की चाल-ढाल अपनाते हैं मानो कहीं से मुहर अशर्कियों का गड़ा हुआ खजाना उन्हें ही मिल गया हो। स्वाँग सभी ओछा बन जाता है पर तब तो हैंसी रोके नहीं रुकती जब गरीबों द्वारा अमीरी का प्रदर्शन करने के लिए शेर की खाल ओढ़कर गधे को साथियों के सामने बनराज होने की डींग हाँकते देखा जाता है। अपने विवाह-उत्सवों

की आदि से अन्त तक सभी हरकतें इसी प्रकार होती देखी जाती हैं। यह सारी खिलवाड़ पूरी तरह महँगी फिजूलखर्च में भरी-पूरी होती है, जिसका तात्पर्य इस प्रसंग में किसी भी प्रकार सम्मिलित होने वाले का अपनी औकात से अधिक खर्च करना और अन्ततः दिवालिया बनने की ओर घिसटना है।

सभी जानते हैं कि इस घोर महँगाई के जमाने में किसी भलेमानस का खर्च मुश्किल से चलता है। भोजन, वस्त्र और मकान खर्च ही इतना हो जाता है कि बच्चों की शिक्षा, दीक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलम्बन आदि के लिए जिन खर्चों की नितान्त आवश्यकता है उनमें भी कटौती करनी पड़ती है फिर अतिथि सत्कार से लेकर आकस्मिक खर्च, तीज-त्योहारों के खर्च इतने अधिक लगे रहते हैं कि कोई सदगृहस्थ अपनी गाड़ी मुश्किल से खींच पाता है।

औसत गृहस्थ को अपनी समर्थता के समय में साधारणतया पाँच लड़की-लड़कों के विवाह करने पड़ते हैं। वे सभी बढ़ती महँगाई के साथ अधिक खर्चीले होते जाते हैं। जिनके पास फालतू कमाई के स्रोत हैं उन्हें सूझता नहीं कि उस चोरी की आय का करें क्या? बैंक में डाल नहीं सकते। घर बनाने, व्यवसाय बढ़ाने में भी सरकारी जाँच-पड़ताल पीछे लगती है। इस प्रकार का जमा पैसा निकल भागने के लिए आतुर रहता है। विलासी अपव्ययों में शादियों की धूमधाम ही सरल पड़ती है। उसमें लोगों पर चींकाने वाले बड़प्पन की छाप ढालने का अवसर भी मिलता है और चाटुकारों द्वारा प्रस्तुत की गई वाहवाही में भी मन प्रसन्न होता है। ऐसा कुछ तो उन्होंने सुना-समझा नहीं होता कि अपने आवश्यक खर्च से बचा हुआ पैसा किन्हीं ऐसे सत्कर्मों में भी लगाया जा सकता है जिससे पिछड़ों को राहत मिले और सभ्रवृत्तियों के बढ़ाने में उपयोगी बन पड़े। कृपणता और अवांछनीयता की संयुक्त कमाई सभ्रयोजनों में लगने के लिए सहज तैयार नहीं होती। उसे दुर्व्यसनों से लेकर अहंकारी प्रदर्शन करने वाले ठाट-बाट ही रास आते हैं। इसके लिए शादियों में दरियादिली दिखाते हुए दोनों हाथ पैसा उलीचना सबसे सरल उपाय जान पड़ता है। वही होता भी है।

एक उक्ति है कि घोड़ी द्वारा पैरों में लोहे की नाल टुकवाते देखकर मेंढकी का भी मन नहीं माना। नकल उतारने के लिए उसका मन मचल उठा। उसने भी नाल ठोकने वाले के आगे पैर पसार दिये और कहा मैं क्यों घोड़ी से पीछे रहूँगी।

मैं भी नाल टुके पैरों से सड़क पर दौड़ लागाऊँगी। मना करने पर भी वह न मानी और पैरों के फटने के साथ जान भी गँवा बैठी।

विवाह-शादियों में भी ऐसा ही होता देखा गया है। फालतू पैसे वालों के ठाट-बाट के प्रदर्शन को देखकर गरीब लोग भी उनकी नकल बनाते हैं। कुटुम्बी, रिश्तेदार, सम्बन्धी, पड़ोसी समुदाय में भरे हुए मसखरे तो दूसरों का छप्पर जलने पर हाथ सेंकने की फिकर में रहते ही हैं। वे भी उकसाने में कमी नहीं रहने देते। औकात के भीतर रहने की बात करने पर व्यंग्य बचन बोलते, उपहास उड़ाते हैं। इस दबाव में असमर्थों को भी समर्थों के समतुल्य बनाने के लिए वैसा ही ठाट रोपना पड़ता है। कहना न होगा कि पहली शादी में ही घर की जमा पूँजी चुक जाती है और अगली शेष शादियों के समय साधन कहाँ से जुटाये जायें इसका उत्तर देने से अकल जवाब दे जाती है। बर्तन बेचने से लेकर कर्ज लेने तक के साधन जब समाप्त हो जाते हैं तो बेईमानी, चोरी, चालाकी का यदि अवसर बन पड़ता है तो उसे अपनाते हैं अन्यथा दरिद्रता के बीच पलने वाले बच्चे अविवाहित ही रह जाते हैं।

देश में प्रायः एक करोड़ विवाह हर साल होते हैं। उनमें महँगे-सस्तों को मिलाकर २५ हजार के लगभग खर्च आता है। इस प्रकार २५ हजार करोड़ की रकम प्रायः इस फिजूलखर्ची में नष्ट हो जाती है। जिसके चले जाने पर खुशहाली के सभी द्वार बन्द हो जाते हैं। थोड़ी बहुत कमाई बढ़ने के उपाय बन भी पड़े तो वे भी इसी अलाव में ईधन पड़ने की तरह कुछ और चमक-दमक दिखाकर समाप्त हो जाते हैं। दरिद्रता जहाँ की तहाँ बनी रहती है। प्रगति के कोई साधन बन ही नहीं पाते। पूँजी जुट न पाये तो किसी कारोबार का सुयोग कैसे बने? यह इतना बड़ा छिद्र है कि घड़े में कितना ही पानी क्यों न भरा जाय सभी फूटे पैंदे से होकर बह जायेगा। गरीबी भगाओ का लक्ष्य पूरा करने के लिए आर्जीविका बढ़ाना ही एक उपाय नहीं है। उसके साथ खर्चीली शादियों के प्रचलन को भी छेद बन्द करने की तरह समाप्त करना होगा।

विवाहों में अपव्यय की कुप्रथा बन्द हो

हमारे समाज की सबसे बड़ी कुरीति है—विवाह-शादियों के समय होने वाला अपव्यय। बेटे वाला चाहता है कि लड़की

वाले का घर-घूरा बिकवाकर जो कुछ उसके पास हो वह तथा कर्ज लेकर जितना भी वह इकट्ठा कर सके, दहेज के नाम पर वसूल कर ले। बेटी वाला भी कम नहीं, वह चाहता है कि लड़के की पढ़ाई में जिसने अपना घर खाली कर लिया है वह सेठ-साहूकारों की तरह सोने, चाँदी, हीरे, मोती के बहुमूल्य जेवर और रेशम मखमल के रईसों, अमीरों जैसे कपड़े लड़की के लिए चढ़ाकर अपनी आर्थिक स्थिति को नष्ट कर दे।

दोनों ही पक्ष अपनी शतरंज की चाल चलते रहते हैं। बेटे वाला चाहता है कि अधिक से अधिक दहेज मिले, ऐसा सम्बन्ध पक्का किया जाय और लड़की वाला उस घर को तलाश करता है जो अधिक जेवर चढ़ा सके। इस प्रतिस्पर्धा में दोनों पर भारी आर्थिक दबाव पड़ता है और एक-दो ब्याह-शादियों में ही आर्थिक दृष्टि से खोखले हो जाते हैं।

विवाह के उत्सव का व्यय-भार भी तो कम नहीं होता। बारात सजाने और ले जाने से बेटे वाले को और स्वागत-सत्कार में बेटी वाले को कमर तोड़ आर्थिक दबाव सहना पड़ता है। बाराती अपना काम छोड़ते हैं, सजधज के कपड़े-लत्ते बनवाने में पैसे खर्च करते हैं और जो बारात में ले गया है उस पर अहसान जताते हैं। बेटे वाला भी अपनी शोभा बनी देखकर बाराती का उपकार मानता है और उसे ले जाने में सवारी एवं अन्य सुविधाओं की व्यवस्था करता है। बेटी वाला अपनी सामर्थ्य भर प्रयत्न करते हुए भी उन्हें सन्तुष्ट नहीं कर पाता तो उसका चित्त भी दुःखी ही रहता है। बारात को ठहराने, खिलाने एवं स्वागत-सुविधा के साधन जुटाने में उसे कितनी चिन्ता और भाग-दौड़ करनी पड़ती है उसे भुक्तभोगी ही जानता है।

बहुमूल्य मिष्ठान्न, पकवानों की लम्बी-चौड़ी दावतें इस महँगाई के जमाने में कम पैसा नहीं काटती। बाजे-गाजे, आतिशबाजी, उपहार, अलन-चलन, नेग-जोग का ढोंग जितना निरर्थक होता है उतना ही खर्चीला भी। दोनों पक्ष से ऐसे उपहार भेजे जाते हैं जिनमें पैसा तो अन्धाधुन्ध खर्च होता है पर वे जगह घेरने और बेकार पड़े रहने के अतिरिक्त और किसी काम नहीं आते। विवाह से पहले और बाद में बेकार के इतने रस्म-रिवाज पूरे करने पड़ते हैं जिनमें विवाह के बराबर नहीं तो कुछ ही कम-बढ़ खर्च पड़ जाता है। बारात, दावत, उपहार, अलन-चलन, दहेज, जेवर, गाजे-बाजे आदि का खर्च

इतना बढ़ जाता है कि उन्हें पूरा करने में दोनों ही पक्ष दिवालिया हो जाते हैं।

प्रचलित रूढ़ियों के कारण हिन्दू के लिए 'विवाह' एक इतना बड़ा भार है कि उसे जीवन का अधिकांश भाग इसी की चिन्ता में घुलते हुए बिताना पड़ता है। सभी के घर में बच्चे होते हैं और सभी को विवाह करने पड़ते हैं। कोई गृहस्थ ऐसा नहीं जिसके कन्या, पुत्र न होते हों। लड़के के विवाह में तो ऐसा भी हो सकता है कि जेवर एक बहू का उतार कर दूसरी पर और दूसरी का तीसरी पर चढ़ा दिया जाय तो वक्त की शोभा हो जाती है और उसमें होने वाले खर्च की बचत हो जाती है। पर कन्या वाले को वह लाभ भी नहीं मिलता। लड़के वाला दहेज पाकर उस समय थोड़ा नफे में रहे तो भी उसे उस प्रथा से कुछ विशेष लाभ नहीं होता क्योंकि उसके घर में भी तो कन्या होती है, उसके विवाह में उसे भी अपना घर खोखला करना पड़ता है।

उँगलियों पर गिनने लायक चन्द अमीरों की बात छोड़िये। अधिकांश लोग निम्न या मध्यम श्रेणी के होते हैं। उनके लिए इस महँगाई और बेकारी के जमाने में अपनी गुजर करना ही कठिन पड़ता है। भोजन, वस्त्र, दवा, फीस, मकान किराया, अतिथि सत्कार, तीज त्यौहार जैसी दैनिक आवश्यकताओं को ही लोग मुश्किल से पूरा कर पाते हैं। ऐसी दशा में जब कई कन्या पुत्र विवाह के योग्य हो जाते हैं और उस कार्य के लिए बहुत धन जुटाने की आवश्यकता पड़ती है तब अभिभावकों की चिन्ता और परेशानी का कोई ठिकाना नहीं रहता।

कर्ज लेकर, जीवनोपयोगी वस्तुओं को बेचकर, बेईमानी, ठगी आदि जो भी उपाय सम्भव हो उसे अपनाकर विवाहों का खर्च अनिवार्यतः जुटाना पड़ता है। हिन्दू सारी जिन्दगी अपने बच्चों के विवाह शादी की चिन्ता में घुलता रहता है। उसका आधे से अधिक जीवन समस्याओं को सुलझाने में लग जाता है। आमदनी का प्रायः आधा खर्च उसी मद में चला जाता है। मजबूरी हर काम कराती है। ईमानदारी से पैसा नहीं मिलता तो बेईमानी करनी पड़ती है। हमारे समाज में फैली हुई बेईमानी और स्वार्थपरता का एक कारण यह भी है कि हर हिन्दू को अपने बच्चों के विवाह में खर्च करने के लिए बहुत पैसा चाहिए। ईमानदारी से तो गुजारे

के लायक सीमित आमदनी ही हो सकती है। अतिरिक्त धन जमा करना है तो चोरी, बेईमानी, ठगी, अनीति एवं शरीर और मन को घुला डालने वाली किफायतदारी के अतिरिक्त और कोई तरीका नहीं रह जाता। इस कुचक्र में पड़े हुए हम अपना शारीरिक, मानसिक, नैतिक एवं सामाजिक स्वास्थ्य संतुलन बुरी तरह खोते चले जा रहे हैं। विवाह की चिन्ता हर अभिभावक को चिन्ता की तरह जलाती रहती है।

कन्या और पुत्र में अन्तर इस विवाह में होने वाले अपव्यय ने ही प्रस्तुत किया है अन्यथा बच्चे और बच्ची में से किसी को सौभाग्य और किसी को दुर्भाग्य माने जाने का कोई कारण नहीं। लड़की की शिक्षा, दीक्षा, पालन-पोषण एवं मान सम्मान में इसलिए अन्तर किया जाता है, क्योंकि वह विवाह की खर्चीली प्रथा के कारण घर के लिए भार या कंटक सिद्ध होती है।

संसार भर के समस्त देशों और समाजों पर दृष्टिपात कीजिए, कहीं भी विवाह के नाम पर होने वाला अपव्यय दिखाई न पड़ेगा। विवाह एक साधारण-सी मानव-जीवन की स्वाभाविक घटना है। इस अवसर पर प्रसन्नता की अभिव्यक्ति के लिए छोटा उत्सव समारोह हो सकता है। सभ्य संसार में ऐसा ही होता भी है। असभ्य जंगली जातियों में भी इसे खर्चीला नहीं बनाया जाता। यह अभागी हिन्दू जाति ही है जिसमें विवाह के समय होने वाले थोड़े अमीरी के स्वांग को इतना महत्व दे रखा है, जिसके कारण उसका जातीय जीवन बुरी तरह नष्ट-भ्रष्ट हुआ जा रहा है।

हमारे समाज में अपनी उपजातियों में ही विवाह करने की प्रथा है। उस दायरे से बाहर रोटी-बेटी व्यवहार करना हेय माना जाता है। उपजातियों के सीमित दायरे में अच्छे लड़के ढूँढ़ना काफी कठिन पड़ता है। जहाँ अच्छे घर-घर होते हैं वहाँ नीलामी बोली इतनी ऊँची हो जाती है कि उस खरीद में सफल होना हर लड़की वाले का काम नहीं होता। 'जो बढ़े तो पावे' की नीति जहाँ अपना ली गई है वहाँ तो अमीर ही बाजी मार सकते हैं। यदि उपजातियों का दायरा बढ़ा होकर उस पूरी जाति तक बढ़ सका होता तो लड़के ढूँढ़ने की समस्या का आधा हल करने आप हो जाता। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र यह चार ही जातियाँ ब्रह्माजी ने बनाई थीं। वेद-शास्त्रों में इन चार का ही वर्णन मिलता है। उपजातियों

तो उनके निवास-स्थान को लेकर बन गई। मालवा में रहने वाले—मालवीय, कन्नौज के आस-पास रहने वाले कन्नौजिया, (कान्य-कुब्ज) सरयू किनारे रहने वाले सरयू पारीण, मिथिला प्रान्त में रहने वाले मैथिल कहलाये। इसी प्रकार अन्य कारणों को लेकर एक ही जाति की अनेक उपजातियाँ बन गई, इससे इनके वंश या मूलरूप में क्यों अन्तर आना चाहिए? उपजातियों का भेद छोड़कर यदि एक वर्ण के लोग अपने वर्ण में विवाह करने लगें तो इसमें किसी रूढ़ि का उल्लंघन भले ही होता हो धर्म और शास्त्र के अनुसार इसमें कुछ भी अनुचित नहीं है। ब्राह्मण यदि अन्य ब्राह्मणों में शादी करने लगे तो इसमें क्या अधर्म होगा? इसी प्रकार यदि क्षत्रिय, वैश्य, कायस्थ, स्वर्णकार आदि अपनी पूरी जाति में विवाह शादियों का दायरा बढ़ा लें तो उन्हें अच्छे लड़के बहुत जल्दी ढूँढ़ने में भारी सुविधा हो सकती है और उस विशाल क्षेत्र में सुधारवादी एवं प्रगतिशील ऐसे लोग भी आसानी से मिल सकते हैं जो आदर्श विवाहों के लिये खुशी-खुशी तैयार हो जायें।

विवाह को दहेज, जेवर और फिजूल खर्ची से मुक्त बनाने के लिये हमें एक संघर्ष करना पड़ेगा। इस संघर्ष की पूर्ण, सफलता उपजातियों के विस्तार पर ही निर्भर है। पर दोनों मोर्चों पर संघर्ष छेड़ना असामयिक होगा इसलिये अभी प्रारम्भ में इतना हो सके तो भी कम नहीं कि उपजातियों में ही प्रगतिशील लोगों को अपने विचार और परिस्थितियों के सम्बन्ध ढूँढ़ने की सुविधा हो जाय। यदि यह सुविधा सम्भव हो सकी तो आधा मोर्चा फतेह हो जाने का साधन बन जायेगा।

आमतौर से दहेज से खिलाफ बहुत कुछ कहा जाता है। उसकी भर पेट निन्दा की जाती है। पर इतने मात्र से काम नहीं चल सकता। दहेज की जड़ जेवर में है। लड़की वाला जेवर की माँग करेगा तो लड़के वाला दहेज भी जरूर माँगेगा। यदि बन्द होने होंगे तो दोनों एक साथ बन्द होंगे और यदि बने रहेंगे तो दोनों साथ-साथ चलेंगे। इस तथ्य को भली प्रकार समझते हुए हमें आदर्श विवाहों की भूमिका में इन दोनों ही कुप्रथाओं का उन्मूलन करने की बात लेकर चलना चाहिए। लड़के वाला न तो दहेज माँगे और न उसे दिया जाय। लड़की वाले को कुछ देना हो तो वह अपनी कन्या को स्त्री-धन के रूप में दे। उसका न तो दिखावा किया जाय और न चर्चा का विषय चलाया जाय। यह तो लड़की

४.१४ विवाहोन्माद : समस्या और समाधान

और उसके अभिभावकों के बीच निजी बात है उसमें लड़की के ससुराल वालों को कोई दिलचस्पी न होनी चाहिए । जो दिया गया है वह गुप्त रहे और उसे लड़की की निजी सम्पत्ति माना जाय । इसी प्रकार विवाह के अवसर पर लड़के वाला खादी की साड़ी और अँगूठी लेकर आवे । पीछे उन्हें अपनी वधू को कोई जेवर आदि देना हो तो विदा कराने पर अपने घर लेजा कर दें । लड़की वाले के दरवाजे पर उसका प्रदर्शन करने की कोई आवश्यकता न हो । शकुन के रूप में जहाँ आवश्यकता हो वहाँ एक रुपये का प्रयोग किया जाय ।

भारत में कम से कम आदमी जायें । इनकी संख्या इतनी कम हो जिसके बिना काम ही न चले । अधिक से अधिक २५ हो सकते हैं । बेटे वाले के सम्बन्धी व्यवहारी मित्र बहुत हों तो उनका सम्मान एवं प्रीतिभोज अपने घर पर वधू के घर आने पर उसके सम्मान में करना चाहिए । बेटे वालों के यहाँ उन्हें ले जाने की क्या जरूरत है ? हर कार्य में सादगी बरती जाय, मितव्ययिता का पूरा ध्यान रखा जाय और विवाह संस्कार शिक्षाप्रद एवं प्रेरणा देने वाले धर्म संस्कार के रूप में उत्साह एवं आनन्द के वातावरण से सम्पन्न किया जाय । छोटी-मोटी अन्य आवश्यक बातें स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार तय कर ली जायें उनके दिल में यही भावना रहनी चाहिए कि विवाह को अधिक से अधिक सादा और सस्ता बनाया जाय ।

विवाहों में होने वाला अपव्यय रोक जाय

आज सर्वत्र चोरी, चालाकी, बेईमानी, रिश्वत, भ्रष्टाचार, मिलावट, कम तोल, कम नाप जैसे आर्थिक अनाचारों का बोलबाला है । इसका एक बहुत बड़ा कारण विवाहों में होने वाले अपव्यय की पूर्ति के लिए किसी भी प्रकार धन जुटाने की विवशता भी है । प्रत्येक अभिभावक अपने बच्चों का विवाह करना चाहेगा । पर जब वह बिना प्रचुर धन खर्च किये हो ही नहीं सकता तो उसे नैतिक मर्यादाएँ तोड़कर अनैतिक उपार्जन का मार्ग अपनाना पड़ता है । इससे व्यक्तिगत और सामाजिक स्तर पर इतनी समस्याएँ जकड़ लेती हैं, जिनमें उलझकर प्रगति, समृद्धि और सुख-शान्ति की सारी सम्भावनाएँ समाप्त करनी पड़ती हैं ।

औसत परिवार इन खर्चीले विवाहों में अपनी आर्थिक व्यवस्था चौपट कर डालते हैं, एकदम निचुड़ जाते हैं । घर का निर्वाह ही मुश्किल हो जाता है, बच्चों की शिक्षा, दवा-दारू, आतिथ्य सत्कार, दान-पुण्य आदि का दरवाजा ही बन्द-सा हो जाता है । अर्याभाव में कृषि अथवा व्यापार के साधन न जुट पाने से हानि पर हानि होने लगती है ।

जिनके घर में भी कुछ नहीं है—बेईमानी से कमाने का अवसर भी जिनके पास नहीं है । मिल सके तो वे भारी ब्याज पर कर्ज लेते हैं और उसे चुकाते-चुकाते बर्बाद हो जाते हैं । चुका नहीं पाते तो तिरस्कार सहते हैं, लज्जित होते हैं, हर किसी की दृष्टि में जलील बनते हैं । अगले बच्चों के विवाह में तो नया कर्ज मिलने की सम्भावना ही समाप्त हो जाती है ।

जो कर्ज पाने का भ्रष्टाचार करने में सफल नहीं होते उनकी लड़कियाँ अविवाहित रह जाती हैं या फिर ऐसे बुड्ढे, बीमारों के गले मढ़ दी जाती हैं, जिनके यहाँ जाकर जन्म भर उन्हें रोते-कलपते दिन बिताने पड़ते हैं ।

इस दयनीय दुर्दशा उत्पन्न करने वाली परले सिरे की भूर्खता से हमें बचना चाहिए और इस भ्रष्ट परम्परा को अपनाने से इन्कार करने का साहस भरा निश्चय पहले से ही कर लेना चाहिए । बच्चों को समझा देना चाहिए कि यदि शालीनता और सज्जनता को अपनाने वाले लोग कहीं मिलेंगे तो उन्हीं के साथ सम्बन्ध जोड़ा जायेगा अन्यथा यदि सारा समाज मोहान्ध हो चुका हो तो फिर विवाह करके उस दुष्टता को और अधिक बढ़ाने से क्या लाभ ? इससे अच्छा तो अविवाहित रहना ही है । बच्चे यदि यह बात सुनते-समझते रहेंगे और भ्रष्ट परम्परा अपनाये बिना विवाह होना सम्भव न होगा तो भी अविवाहित रहकर जिन्दगी काट लेने के लिए तैयार रहेंगे ।

विचारशील लोगों को समय की स्थिति को समझते हुए बिना खर्च का सादगीपूर्ण रीति से विवाह आयोजन करने का सुदृढ़-निश्चय करके चलना चाहिए । जब अपना लड़का विवाह योग्य हो हमें उस उत्सव के अवसर पर किसी प्रकार का दहेज स्वीकार नहीं करना चाहिए । यदि कोई अपनी लड़की को कुछ विदाई उपहार देना चाहता है; तो वह विशुद्ध स्त्री धन के रूप में दे सकता है ।

बहुमूल्य वस्त्र आभूषण चढ़ाने, सजधज की बारात लाने, बाजे आतिशबाजी आदि में पैसा उड़ाने की कोई उपयोगिता

नहीं। इसे कन्या पक्ष अस्वीकार करे और कहे इस प्रकार गरीबों के लिए अमीरी का स्वाँग दिखाना किसी भी पक्ष का सम्मान नहीं बढ़ाता है। इसमें ओछेपन का उद्धत प्रदर्शन है, साथ ही दोनों पक्षों की बर्बादी। अस्तु, बुद्धिमत्ता का तकाजा यही है कि उसे अस्वीकार कर दिया जाय।

लड़के वाले दहेज और लड़की वाले बारात एवं जेवर को अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाये रहेंगे तो विवाहोन्माद का सर्वभक्षी असुर कभी भी नहीं मरेगा। इसे दोनों पक्षों के समान सहयोग से ही नष्ट किया जा सकता है। दहेज बन्द हो और जेवर, बारात जारी रहें यह नहीं हो सकता है।

शादियाँ खर्चीली न हों

यह कथन शत-प्रतिशत सही है कि—“खर्चीली शादियाँ हमें दरिद्र एवं बेईमान बनाती हैं” इस महँगाई के जमाने में ६६ प्रतिशत व्यक्ति अपना काम ज्यों-त्यों करके चलाते हैं। रोज कुआँ खोदने रोज पानी पीने की स्थिति रहती है। उचित आहार, शिक्षा, चिकित्साएँ भी भली प्रकार नहीं बन पातीं। ऐसी दशा में विवाहों के विभिन्न फालतू खर्चों के लिए पैसा निकालना कितना कठिन होता है यह कोई मुक्तमोगी ही समझ सकते हैं। ईमानदारी और परिश्रम की कमाई से इतना ही बन पड़ता है कि किसी प्रकार परिवार का निर्वाह होता रहे। यदि इस प्रकार के जीवन में बचत सम्भव रही होती तो लोगों ने घरेलू उद्योग चलाकर या बैंक में जमा करके उसके ब्याज से अधिक प्रगतिशील जीवन जीने का प्रबन्ध किया होता। पर देखा यह गया है कि न्यायोपार्जित आजीविका अपने देश में उतनी ही हो पाती है जिससे किसी प्रकार निर्वाह की गाड़ी धकेली जाती रह सके। जिन्हें अधिक पैसा चाहिए वे अनुपयुक्त आजीविका बढ़ाकर ही फिजूलखर्चों के लिए विलासी ठाठ-बाट के लिए पैसा कमा सकते हैं। ईमानदार व्यक्ति तो औसत नागरिक की तरह सादगी का जीवन जीता है और जो बच जाता है उसे पिछड़ापन दूर करने के परमार्थ प्रयोजनों में हाथों-हाथ लगाता रहता है। ऐसी दशा में शादियों के वर्तमान ढर्रे के अनुरूप उनमें अन्धाधुन्ध पैसा लगाना दरिद्र या बेईमान बनकर ही सम्भव हो सकता है।

विवाह-शादियाँ संसार के समस्त देशों में होती हैं। लड़के-लड़की जब वयस्क हो जाते हैं तो उसके परस्पर गठबन्धन हो जाते हैं। इस अनुबन्ध को सामाजिक मान्यता देने के लिए

सार्वजनिक घोषणा के रूप में छोटा धार्मिक कार्यक्रम भी हो जाता है। घरेलू उत्सव के रूप में गीत वाद्य जलपान की भी प्रक्रिया बन जाती है। इतने में ही सब कार्य सम्पन्न हो जाता है। कोई ऐसी धूमधाम कहीं भी नहीं होती जिसमें क्रय-विक्रय जैसा मोल-भाव करना पड़े और इतना धन जुटाना पड़े जो आवश्यक निर्वाह में कटौती किए बिना जुट सके। इस खर्चीले प्रचलन के रहते हुए सदा-सर्वदा दरिद्र अथवा बेईमान ही बने रहेंगे। प्रगति के लिए जो अतिरिक्त पूँजी जुटाई जानी चाहिए उसका प्रबन्ध कभी भी न हो सकेगा। इसका अर्थ हुआ कि अपना समुदाय सदा-सर्वदा पिछड़ेपन की लानत ही वहन करता रहेगा।

अनेकों पुरातन कुरीतियों को समय की माँग ने उखाड़कर फेंक दिया या फेंके जाने के निकट पहुँचाया जा रहा है। दास-दासी प्रथा, सती प्रथा, जमींदारी या भू-स्वामित्व, बेगार, राजतन्त्र, जातिगत छुआछूत आदि अनेकों कुप्रथाएँ या तो पूरी तरह मिट गयीं या अपनी अन्तिम साँसें गिन रही हैं। ऐसे परिवर्तन के समय में जबकि अनौचित्य को हर क्षेत्र से तिरस्कृत, वहिष्कृत किया जा रहा है। विवाह-शादियों की धूमधाम वाली प्रथा उसी प्रकार चलती रहे जैसी कि सामन्तवादी अन्धकार युग में चलती थी, तो इसे लज्जास्पद विडम्बना ही कहना चाहिये।

विज्ञ समुदाय में से प्रत्येक को इस अनौचित्य को अपनाये रहने पर उत्पन्न होने वाले दुष्परिणामों पर विचार करना चाहिए और उसे मल-मूत्र की तरह बिना विलम्ब लगाये त्याग कर देना चाहिए।

तर्क की दृष्टि से हर व्यक्ति स्वीकार करेगा कि खर्चीली शादियों की कोई तुक नहीं। किन्तु हैरानी यह है कि बेटी के विवाह का अवसर आने पर हर व्यक्ति सुधारवादी बन जाता है और इस कुप्रथा को कोसता है। किन्तु थोड़ा-सा समय बीतते देर नहीं होती कि अपने पक्ष में स्वार्थ का पलड़ा झुकते ही गिरगिट की तरह रंग बदलने लगता है। बेटे के विवाह का अवसर आने पर वही कल का समाज सुधारक आज रूढ़िवादी बन जाता है। प्रश्न तर्क या तथ्य का नहीं, विशुद्ध शुद्रता या दुष्टता का है। दूसरों के लिए कुछ और उपदेश दिया जाता है और अपनी बारी पर दूसरा तरीका अपनाने लगा जाय। यह दुरंगी चाल देर तक नहीं चल सकती।

व्यक्ति कुछ अच्छी कमाई का स्रोत खोज भी ले तो भी उपार्जन की हैसियत बढ़ते ही अधिक मात्रा में शादियों में खर्च बढ़ते चलने से जो कमाया था वह गँवा दिया जाता है। इस प्रकार आजीविका बढ़ने पर भी वह दिन कभी आने वाले नहीं जबकि बढ़त की पूँजी से कोई कारोबार बढ़ाया जा सके या खुशहाली का दिन ईमानदार रहते हुए भी देखा जा सके।

यह परिवर्तन कैसे हो ? इस प्रश्न के उत्तर में कुरीतियों के प्रति जमी हुई मूढमान्यता ही प्रधान कारण है। पुरातनपंथी हर प्रचलन को धर्म मानते हैं और उसे बदलने में पुरखों की अवमानना अनुभव करते हैं। इन्हें तर्क या तथ्य के आधार पर उस दूरदर्शी विवेकशीलता के लिए सहमत नहीं किया जा सकता जो समय को देखते हुए नितान्त आवश्यक हो गयी है।

सब लोग करें तब हम परिवर्तन को अपनायें यह कहते रहने से काम चलने वाला नहीं है। विचारवान्, भावनाशीलों को आगे कदम बढ़ाना होगा और अपना उदाहरण औरों के सामने उपस्थित करना होगा। जिसे प्रतिभावान आगे बढ़कर करने को तैयार हो जाते हैं। उसका अनुकरण अन्य दुर्बल मन वाले भी करने लगते हैं। अपना समुदाय ऐसे ही दुर्बल मन वालों से भरा पड़ा है, जिन्हें अग्रगामी उदाहरण चाहिए। इस आवश्यकता की पूर्ति साहसी विज्ञानों को ही करनी चाहिए। स्वयं आगे चलकर पीछे वालों के लिए पगडण्डी बनानी चाहिए।

इस सन्दर्भ में विवाह योग्य युवकों और युवतियों को पहल करनी चाहिए। उन्हें ऐसी प्रतिज्ञाएँ अपने सम्पर्क क्षेत्र में करनी और करानी चाहिए कि वे बिना धूमधाम और बिना देन-दहेज का विवाह ही करेंगे। भले ही उन्हें आजीवन अविवाहित ही रहना पड़े।

अच्छा हो यह कार्य अभिभावकों, गुरुजनों और समाज सुधारकों से आरम्भ किया जाय। प्रह्लाद ने पिता का, भरत ने माता का आदेश मानने से स्पष्ट इन्कार कर दिया था। अनौचित्य के लिए यदि परिवार के बड़े लोग आदेश देते या आग्रह करते हैं तो छोटों को पूरा अधिकार है कि उसे अमान्य कर दें। विवाह के लिए यदि परिवार के बड़े कहलाने वाले खर्चीली शादियों के लिए अनुबन्ध करते हैं, तो जिनका विवाह होने जा रहा है वे उसे कार्यान्वित करने से स्पष्ट इन्कार कर

सकते हैं। फिर भी अधिक उपयुक्त यही है कि ऐसा अवसर न आये और अभिभावक स्वयं ही यह निश्चय करें कि हम अपने बालकों का विवाह उन्हीं के यहाँ करेंगे जहाँ धूमधाम का, दहेज का, जेवर दिखाने का आग्रह नहीं।

ऐसा वातावरण बनाने के लिये प्रचलन चलाने के लिए विचारशीलों को जनचेतना उभारनी चाहिए। लेखनी, वाणी और प्रत्यक्ष प्रक्रिया द्वारा इस सम्बन्ध में आदर्शवादिता, विचारशीलता अपनाये जाने की हवा बनानी चाहिए।

बारात या विरोधी पर आक्रमण

जब मूल उद्देश्य भुलाकर किसी कार्य के किसी हिस्से को ही उद्देश्य समझ लिया जाता है, तब कैसी भूल-भूलैयाँ शुरू हो जाती है, इसका एक अच्छा उदाहरण आजकल की हमारी बारातें हैं। यदि किसी से सामान्यतः पूछा जाय कि भई, यह बारात किसलिये ले जा रहे हैं, तो सम्भवतः प्रश्नकर्ता का उपहास किया जाय और उसके होशो-हवाश में होने पर ही शंका की जाय। क्योंकि बारात का उद्देश्य तो मानो सभी जानते हैं—दो स्वतन्त्र व्यक्तित्व, जो अब एक होकर जीवन की अगली यात्रा आरम्भ करने वाले हैं, उनके इस मंगल संकल्प में उल्लासपूर्वक साक्षी रहें और इन दोनों व्यक्तित्वों से जुड़े लोगों-परिजनों में परस्पर परिचय की प्रगाढ़ता हो, स्नेह-सम्मान की वृद्धि हो, ताकि अभी जो अलग-अलग एक पक्ष के सुख-दुःख के साझीदार थे, वे भविष्य में संयुक्त रूप से दोनों के सुख-दुःख में सहभागिता का अनुभव करें। इसी पवित्र उद्देश्य से बारात जाती है।

परन्तु यथार्थतः आज स्थिति क्या है ? सामाजिक अभद्रता-प्रदर्शन की बदबूदार नाली में दिन-रात डूबने-उतराने के अभ्यस्त लोगों का ध्यान अपनी हरकतों के घटियापन की ओर नहीं जा पाता। लेकिन जरा कल्पना करें, इस विशद् आडम्बर से अनभिज्ञ कोई व्यक्ति यदि बारात के समाजशास्त्रीय अध्ययन के लिये प्रस्तुत हो और वह तटस्थ दृष्टि से, किसी बारात का आचरण देखे-परखे, तो वह किन निष्कर्षों पर पहुँचेगा ?

वह देखेगा कि बारात में शामिल हर बाराती अपने को अति विशिष्ट व्यक्ति मानता है और घराती लोगों को अपनी सेवा में प्रतिपल तत्पर देखना चाहता है। क्या यह दो परिवारों

के बीच आत्मीयतापूर्ण रिश्ते जुड़ने के लक्षण हैं ? या दूसरे पक्ष को हर प्रकार से अपमानित कर नीचा दिखाने को कटिबद्ध लोगों के जत्ये का व्यवहार है ? पानी, शर्बत, नाश्ता लाने में पलभर की भी देर हुई कि नुक्ताचीनी, चीख-पुकार, क्रोध-रोष प्रारम्भ । जैसे कोई नबाब या सामन्त अपने दासों से व्यवहार करे । क्या यह किसी निश्चित प्रयोजन के लिये एकत्र सभ्य-सुसंस्कृत लोगों का शील-सम्पन्न समूह है ? या उन्मादी लोगों का अहं प्रदर्शन का कार्यक्रम है, जिसमें एक ओर तो गरीब अमीरी का स्वाँग बनाने को बेचैन हैं, तो दूसरी ओर साधारण स्थिति के मनुष्य सामन्तों और नबाबों की मनोभूमि में विचर रहे हैं । कोई दूल्हे से कह रहा है “यार ! क्या तेरी ससुराल है । तेरी शादी न होती तो ऐसी बदइन्तजामी हम कभी भी न सहते ।” तो दूसरा लड़की के पिता या भाई से कह रहा है—“बाराती है या कहीं के लैठ इकट्ठे जुट गये हैं । ऐसा शोर मचाते हैं कि बस, जैसे पहली बार किसी बारात में गये हों ।” ऐसा उकसावा, ऐसी अकड़, ऐसा छिछोरा दर्प और जिस व्यवहार पर लज्जा से सिर नीचा कर क्षमा माँगनी चाहिये, उसी की ऐसी निर्लज्ज पुनरावृत्ति ।

इधर यदि एक भी बाराती की तनिक-सी भी उपेक्षा हो गई तो रोष भ्रमक रहा है, उधर अर्थहीन रीति-रिवाजों की तैयारी में घरवालों को सिर उठाने की फुरसत नहीं । अन्धाधुन्ध, अनावश्यक, बेसिर-पैर की भागदौड़ चारों ओर । ऐसी-ऐसी रस्में, जिनका मतलब कोई नहीं जानता, पर जिन्हें पूरा करने में घर भर को पसीना आ जाता है । गाजा-बाजा, आतिशबाजी, धूमधड़ाका, जैसे किसी जंगल में हाँका बोलकर जानवर निकालने के लिए भयानक शोर मचाया जा रहा हो । वर महाशय को बता दिया गया है कि दहेज की रकम तो तय नहीं है, इसलिये रिवाजों के समय कोर-कसर न रखना और श्रीमान वर अड़े बैठे हैं—स्कूटर मिलेगा, तभी कौर मुँह में जायेगा । स्कूटर के लिये कर्ज लेने वाले कन्या के पिता के मन में घृणा की लहरें उठ रही हैं और स्वयं कन्या अपने पिता के बोझ की बात जानकर तड़प रही है । लगता है, जैसे किसी ऐसी कुश्ती का दंगल है, जिसमें दोनों पक्ष ताक-ताक तक निषिद्ध रीति से ही बार करने को उतारू हैं ।

क्या यह कोई मांगलिक उत्सव कहा जा सकता है, जिसमें भाग लेने वाले दोनों पक्ष आवेश और उन्माद के साथ

सम्मिलत हों और विषाद तथा प्रतिशोध की अव्यक्त भावनाएँ लिये विदा हों ? यह कोई बुद्धिमत्तापूर्ण आयोजन है, जिसके स्वरूप का औचित्य किसी की भी बुद्धि में समझ में न आये, फिर भी लोग जिसे किये चले जायें ? इतना समय, श्रम, शक्ति एवं धन जिस आयोजन में लगाया जा रहा है, उसमें सम्पन्न किये जाने वाले रिवाजों-रस्मों, चित्र-विचित्र हरकतों का मतलब भी न समझें, तो उसे कोई बुद्धि-धारी मनुष्यों का ही कृत्य कहेगा ? क्या सचमुच बुद्धिसम्पन्न होने का दर्प पालने वाला मनुष्य ऐसे आयोजन भी कर सकता है, जिनके अर्थ ही उसे ज्ञात नहीं ? ऐसे काम में समय नष्ट कर सकता है और उसके लिये भाग-दौड़ करता रह सकता है, जिसकी उपयोगिता ही स्पष्ट न हो ?

मनुष्य अपने उत्सवों में विनोद-परिहास तथा शुभकामनाओं का आदान-प्रदान करते हैं । साथ ही कुछ रीति-रिवाज, रस्म-घलन, प्रतीक-कर्म भी कर लिये जाते हैं । लेकिन इतने तरह के टण्ट-घण्ट, जिनमें प्रतीक-पूजन ही प्रधान हो जायें और धन तथा समय का सर्वाधिक हिस्सा उन्हीं में खर्च हो जाये, मात्र हिन्दू ही अपने विवाह जैसे उत्सवों में करते देखे जाते हैं । उत्सवों का उद्देश्य सामूहिकता की भावना में वृद्धि हुआ करता है, किन्तु विवाहोत्सव के बाद वह प्रत्येक हिन्दू, जो इसका आयोजक होता है, गहरे अकेलेपन और अवसाद की ही अनुभूति करता है तथा समाज के प्रति उसके मन में कोसने-जैसा ही भाव आता है ।

बहुधा यह कहा जाता है कि हिन्दू-समाज संगठित होना नहीं जानता । यदि यह किन्हीं अंशों में सत्य भी है, तो इसका कारण यही है कि संगठन का उल्लास तो उसने कभी जाना नहीं, उसके जातीय मन में तो शताब्दियों से यही अनुभव घर किये हैं कि जन्म, विवाह, मृत्यु, किसी भी प्रमुख अवसर पर संगठित आयोजनों का एक ही अर्थ है—अपनी कमर तोड़ लेना और ऊपर से लोगों की आलोचना सुनना ।

समय आ गया है जब ऐसे विवेक-विरुद्ध कार्यों, ऐसी अंधी रूढ़ियों को पूरी तरह त्याग दिया जाय । इस सड़े ढर्रे पर लुढ़कते रहने से सिर्फ सड़ौध ही बढ़ने वाली है । जीवन ऐसी मूढ़ताओं से एक बोझ बनकर रह जाता है । निरर्थकताओं को प्रचलन के नाम पर ढोने का अर्थ है—कूड़ा-करकट ढोते

फिरना । इसे उतार फेंकने में ही बुद्धिमत्ता है । भला ऐसा भी कोई उत्सव होना चाहिये, जिसमें न केवल घर की सारी पूँजी चुक जाये, अपितु खेत, घर, जेवर बेचना पड़े और बाहर से कर्ज लेना पड़े तथा फिर उसका ब्याज चुकाते-चुकाते ही दम तोड़ देना पड़े और अगली पीढ़ियों भी उसी भार के नीचे दबी-दबी बढ़-पनप न पायें ? यह उत्सव है या पाप-कर्म ?

जो उत्सव उन्माद, तनाव, छल, मिथ्या-प्रदर्शन, शोषण और आपसी घृणा की प्रवृत्तियों को बढ़ाये, जिसमें भाग लेने वालों में मध्ययुगीन सामंती प्रवृत्तियाँ उभरती हों, जिसके आयोजक दिनों-महीनों ही नहीं, वर्षों तक कराहते रहते हों और जिसकी मार अरसे तक भीतर ही भीतर रह-रहकर सालती हो, वह उत्सव है या क्रूर युद्ध ? बारात के नाम पर ऐसे युद्धों का आयोजन बन्द होना चाहिए तथा विवाह मात्र एक घरेलू छोटे उत्सव के रूप में ही मनाया जाना चाहिए, जिसमें परिवार वाले या रिश्ते वाले नहीं, आत्मीयता के रिश्ते वाले सच्चे घनिष्ट और हितैषी लोगों को ही एकत्र होकर हृदय से वर-वधू को शुभाषीष देना चाहिए ।

शादी बनाम बर्बादी

भारतीय समाज में सबसे बड़ी कुरीति 'खर्चीली शादियाँ' हैं । इसमें बेटी वाले को दहेज, कपड़ा, दावत, अलन-चलन आदि के अनेक खर्च उठाने पड़ते हैं । वे सब मिलाकर इस महँगाई के जमाने में इतने बैठते हैं कि उन्हें ईमानदारी से परिश्रम की रोटी कमाने वाला पूरी नहीं कर सकता । जिसके घर में कई लड़कियाँ हैं, उसे तो उनके जन्म दिन से ही चिन्ता पड़ती है कि इनके विवाह का प्रबन्ध करने के लिए किस प्रकार जोड़ा बचाया जाय । उसके लिए कोई न कोई ऐसा उपाय ढूँढ़ना पड़ता है जिसे अनैतिक कहा जा सके ।

इस चिन्ता में लड़कियों की शिक्षा भी नहीं हो पाती । पढ़ी-लिखी लड़कियों के लिए पढ़ा लड़का चाहिए । भले ही वह कमता न हो तो भी अपनी अकड़ में लम्बी-चौड़ी माँग करता है । इस कठिनाई को ध्यान में रखते हुए लोग अपनी लड़कियों को पढ़ाने में हिचकते हैं । मन-चाहा दहेज जुटा पाने पर उन्हें बुरी तरह अपमानित होना पड़ता है । कई बार तो उस उत्पीडन में बेचारी अपने प्राण तक गँवा बैठती हैं ।

लड़के वाले इस कुचक्र में अपनी शेखी भर बंधार पाते हैं । पल्ले उनके भी नहीं पड़ता । दहेज में नकदी के रूप में

कुछ हाथ लग गया हो तो बात दूसरी है अन्यथा बाकी सारा काठ-कवाड़ घर घेरने और रखवाली करने के अतिरिक्त और किसी काम नहीं आता । जेवर, कपड़े, मिठाई, उपहार, फर्नीचर आदि सभी वस्तुएँ ऐसी हैं जिनकी साधारणतया कोई जरूरत नहीं । आजकल हर किसी के पास छोटे मकान हैं । इस दहेज में मिले कवाड़ खाने से जगह घिरती है । इन्हें बेचने में हेटी होती है । इस सिरदर्द को जिस-तिस को बाँट कर पीछा छुड़ाना पड़ता है ।

नकदी के रूप में कुछ मिले तो वह प्रीतिभोज, बारात, सजावट, कपड़ा, जेवर आदि के रूप में हाथों हाथ खर्च हो जाता है । सिर पर बदनामी का ठीकरा फूटने के अतिरिक्त और कुछ हाथ नहीं लगता । अब तो इस सम्बन्ध में सरकारी कानून भी इतने कड़े हो गये हैं कि किसी प्रकार सूचना पुलिस तक पहुँच जाने पर बुरी तरह हैरान होना पड़ता है और जो मिला था सो सब उसी झंझट में ठिकाने लग जाता है ।

मसखरे कुछ देर निंदा-प्रशंसा करें यह बात दूसरी है अन्यथा बुद्धिमानी की दृष्टि से बेटी वाला दया का पात्र और बेटे वाला निर्दयी समझा जाता है । ऐसी स्थिति में अकारण फँसना दोनों पक्षों के लिए अबुद्धिमत्तापूर्ण है ।

चूँकि प्रचलन सामन्तवादी युग से लेकर अब तक चला आ रहा है । इसलिए उसे तोड़ने में अड़चन जैसी तो मालूम पड़ती है । पर उसे चलाते रहने में लाभ रत्ती भर भी नहीं है । कुछ समय पूर्व गरीब होते हुए अमीरी का स्वँग बनाना मजेदार तो लगता था । पर अब वह बात भी नहीं । शादियों में पैसा उड़ाने वालों को प्रत्यक्ष न सही परोक्ष रूप से गालियाँ ही पड़ती हैं और बुद्धिहीन ही ठहराया जाता है ।

शादी में जिसे अपना पेट काटकर आडम्बर के लिए पैसा फूँकना पड़ा है वह उनके प्रति कभी सद्भाव नहीं रख सकते जिन्होंने कि इसके लिए विवश किया है । कन्या पक्ष के परिवार का प्रत्येक सदस्य इस खिचाई के कारण अपने लिए कुछ न कुछ असुविधा अनुभव करता है और उसका कारण बेटे वाले को मानता है । जिनके प्रति निर्दयी चोर-डाकुओं जैसा भाव हो उनके प्रति कोई बाहर से भले ही शिक्षाचार बरता जाता रहे किन्तु भीतर से जिस पर बीती है वह हर कोई जानता है कि यह रिश्ते में कोई भी क्यों न लगते हों । वस्तुतः पाषाण हृदय निर्दयी और लुटेरे हैं ।

इन परिस्थितियों में पत्नी, पति को भी लुटेरों का सरदार मानती है। यदि उसमें मनुष्यता होती तो अपने सास-सुसर का घर बिकवाने से इनकार कर सकता था और अनजाने पर अकेली ही उस सारी विपत्ति का अन्त करा सकता था। पर वह भी लालच और अहंकार में घिरा होने पर अधिक प्राप्त करने का ही हठ करता है। ऐसे विवाह किसी प्रकार हो तो जाते हैं, बेटी वाला पैसा भी किसी प्रकार जुटा लेता है। पर बदले में वह उन्हें सम्बन्धी नहीं लुटेरा और हृदयहीन ही मानता है। पत्नी विवशता में सुसराल चली तो जाती है और जैसे जैसे उन्हीं लोगों के बीच रहती है किन्तु यह नहीं हो सकता कि इन घावों के रहते वह उनसे सम्मान भरे प्रेम का व्यवहार भी करे। ऐसे फटे हुए मन की पत्नी या वधू को लेकर वे लोग भी वह नहीं पा सकते जो कि सहृदयों को सद्व्यवहार के बदले मिलना चाहिए।

पति-पत्नी के बीच कामकाजी-मतभेद तो चलते रहते हैं पर एक पक्ष जब दूसरे को अनैतिक और हृदयहीन माने तो फिर कैदी और जेलर जैसा निर्वाह तो हो सकता है किन्तु वह स्थिति नहीं बन सकती जिसे आलीयता, घनिष्टता या भाव संवेदना कहना चाहिए। यह न हो तो दाम्पत्य जीवन यौनाचार के निमित्त बना एक कानूनी ठेका भर रह जाता है। सच्चे प्रेम के लिए आवश्यक है कि साथी को नीतिवान या ईमानदार समझा जाय। इसके अभाव में तो घर-परिवार एक खाने-सोने की सुविधा वाली सराय भर रह जाती है।

खर्चिले विवाहों का नैतिक ही नहीं आर्थिक पक्ष भी है। जिसमें दोनों परिवारों पर आर्थिक भार पड़ता है जो बदले में मिलता है वह बिना उपयोगिता का ऐसा कूड़ा-करकट होता है जिसे हाथों-हाथ औना-पौना बेचकर कुछ पैसा भी खड़ा नहीं किया जा सकता है। जिस देश के अधिकांश निवासी गरीबी की रेखा से नीचे जीते हों। दरिद्रता, गरीबी, अशिक्षा, बीमारी आदि से ऊँचा उठने की सुविधा प्राप्त न कर पाते हों, उन लोगों के लिए इतना अपव्यय कमरतोड़ कठिनाई जैसा ही हो सकता है, हो भी रहा है। यदि यह शादियों का अतिरिक्त बोझ न लदे तो कम से कम इतना तो हो सकता है कि पेट भरा जा सके और रात को चैन की नींद सोया जा सके। पर निर्धनों को अपने कपड़े बर्तन बेचकर मनाया जाने वाला जश्न कितना भारी और कितना महँगा पड़ता होगा इसका भुक्तभोगी

के अतिरिक्त दूसरे लोग तो अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं। यदि शादियों कहर बनकर परिवारों पर न टूटती रहती तो स्थिति इतनी दयनीय न होती जितनी कि इन दिनों है।

नारी का सामाजिक दर्जा इसीलिए गया-गुजरा समझा जाता है कि पिता पक्ष उसे पराये घर का कूड़ा समझता है और उसके स्वास्थ्य, शिक्षा एवं प्रतिभा निखार पर कुछ खर्च करना या ध्यान नहीं देना चाहता। सुसराल वाले उसे पैर की जूती नहीं तो रोटी के मोल पर दिन भर काम करने वाली भली-बुरी सुनने वाली दासी भर मानते हैं जिसे मनचाहा व्यवहार न करने पर धक्का मारकर घर से निकाल बाहर किया जा सकता है और दूसरा विवाह किया जा सकता है।

ऐसी अनिश्चित और हेय स्थिति में पिंजड़े के पक्षी की तरह जिसे पराधीन जीवन जीना पड़ रहा हो उसके पेट से ऐसी सन्तान नहीं हो सकती जिसे व्यक्तित्वसम्पन्न या प्रतिभावान कहा जा सके। दीन-दुर्बल माताएँ अपने जैसे स्तर की सन्तान ही पैदा कर सकती हैं। इस प्रकार हमारा सामाजिक स्तर दिन-दिन गिरता ही जा रहा है। जिसका आर्थिक, सामाजिक, मानसिक स्तर गया-गुजरा हो ऐसी स्थिति में आधी जनसंख्या के रहने पर किसी देश का क्या उत्कर्ष और भविष्य हो सकता है ?

शादियों की शोभा सादगी से ही है

संसार में सरलता और सादगी, सभ्यता, शिष्टता एवं सज़नता की निशानी है। इसके विपरीत आडम्बर, प्रदर्शन और टीम-टाम अपरिमार्जित रुचि और असंस्कृत स्वभाव का घोटक है।

कारण स्पष्ट है कि अधिक आडम्बर बनाने वाले और टीम-टाम करने वाले अवश्य ही अपनी कोई छाप, रौब-दाव दूसरों पर डालने की इच्छा रखते हैं। अवश्य ही वे जो नहीं हैं, वह बनना चाहते हैं। इस प्रकार उनमें एक मिथ्या तत्व का भाव रहता है जो किसी प्रकार सभ्यता का चिन्ह नहीं है।

आडम्बर अथवा प्रदर्शन करने वाला व्यक्ति और कोई छाप भले ही न डालना चाहे किन्तु यह अवश्य चाहता है कि देखने वाले लोग उसे अमीर और बड़ा आदमी समझें। थोड़ी देर के लिए अपनी हैसियत अथवा औकात के बाहर कोई आडम्बर बनाकर बड़ा आदमी नहीं बन सकता। इस प्रकार झूठा आडम्बर करने से मनुष्य की अपनी मूर्खता एवं हीनता ही प्रकट होती है।

सभ्यता तो इस बात में है कि बहुत कुछ बड़ा और अमीर होने पर भी आदमी साधारण सर्वसामान्य की तरह अपने को समाज में उपस्थित करें। इसके विपरीत कुछ न होते हुए भी अपने को बहुत कुछ दिखाने का प्रयत्न करना अभद्रता के अतिरिक्त क्या कहा जा सकता है।

यह बात निश्चय है कि सादगी और सरलता जीवन भर निर्माई जा सकती है, जबकि कृत्रिम आडम्बर दो दिन भी नहीं। आडम्बरी की जब पोल खुल जाती है तब वह दूसरों की ही नहीं अपनी दृष्टि में भी हेय हो जाता है।

भारत के अर्थशास्त्रियों ने अन्वेषण करके जो निष्कर्ष निकाला है उसके अनुसार भारतीयों की औसत आय सात आने प्रतिदिन आँकी गई है। अब इस छोटी-सी आय में, इस महँगाई के समय में यदि कोई बड़ा आयोजन करता है अथवा आडम्बरपूर्ण समारोह मनाता है तो उसे बुद्धिमान कहा न जा सकेगा। इस प्रकार के आडम्बरी लोगों का जीवन ईमानदारी का नहीं होता, या तो वे अपने इस आडम्बर के लिए बाल-बच्चों का पेट काटते हैं अथवा पैसे के लिए अनुचित उपाय काम में लाते हैं, जो न केवल असभ्यता है बल्कि एक नैतिक, सामाजिक एवं राष्ट्रीय अपराध भी है और जब कभी वे कानूनी शिकंजे में आते हैं, तो उनकी सारी शेखी और प्रदर्शनवादिता धरी रह जाती है। उन्हें तरह-तरह से अपमानित एवं लांछित होना पड़ता है।

आडम्बरप्रिय एवं प्रदर्शनवादियों का खर्च कभी पूरा ही नहीं होता। वे जो कुछ इस कठिन समय में कमा पाते हैं सब बात की बात में दिखावे और टीमटाम करने में बर्बाद कर देते हैं और फिर आवश्यकता के समय दूसरों के आगे हाथ फैलाते और दौंत निकालते फिरते हैं। इस प्रकार का ओछापन समाज में सभ्यता के दायरे में नहीं रखा जा सकता।

भारतीयों की इस विकृत मनोवृत्ति के साथ-साथ उनके कुछ सामाजिक कृत्य भी ऐसे होते हैं, जिससे आडम्बर पूर्ण प्रदर्शन को एक आवश्यकता माना जाता है। उनमें से एक हिन्दू समाज का विवाह कृत्य भी है।

यद्यपि विवाह एक ऐसा सामान्य सामाजिक कृत्य है जो कि धार्मिक विधि से पूरा किया जाता है। नर-नारी का सम्बन्ध सदा के लिए दृढ़ तथा चिरस्थायी बनाने के लिए इसे एक

विशुद्ध सामाजिक कृत्य न मानकर धार्मिक कृत्य भी माना गया है। धर्म को साक्षी बना लेने से नर नारी की आत्माएँ सदा ही एक-दूसरे से बँधे रहने के लिए प्रयत्नशील रहती हैं। धर्म के साथ विवाह जैसा सामान्य कृत्य जीवन का एक महत्त्वपूर्ण अंग बन जाता है।

सादगी एवं सरलता संसार के किसी भी धार्मिक कृत्य के लिए पहली एवं महत्त्वपूर्ण शर्त है। धर्म कृत्यों को भी खर्चीला बनाया होता तो वह न तो साधारण के करने योग्य रह जाते और न किसी की उनमें श्रद्धा रहती। साथ ही जो धर्म मनुष्य को सुख-शान्ति एवं संतोष देने वाला और उत्पत्ति एवं विकास के अवसर देने वाला होता है, वह एक ऐसा कृत्य बन जाता है जिसे मानने में मनुष्य की आर्थिक स्थिति ही बिगड़ जाती और तब उसे सुख शान्ति मिलने के बजाय घोर असन्तोष एवं दुःख, कष्टों का पात्र बनना पड़ता।

सामाजिक कृत्यों का विधान करने में मनीषियों ने यह कदापि नहीं चाहा कि कोई भी सर्वमान्य सामाजिक कृत्य अथवा व्यवहार इस प्रकार खर्चीला बनाया जाय कि हर आदमी उसे न कर सके। क्योंकि सारे सामाजिक कार्य एक समान सबके लिए करणीय हुआ करते हैं। यदि उनको नियमपूर्वक खर्चीला बनाया जाय तो वह कार्य केवल अमीर आदमी कर सकते हैं। जबकि समाज की एकरूपता के लिए यह आवश्यक रहता है कि हर सामाजिक कार्य हर व्यक्ति समान रूप से सरलता एवं सुविधापूर्वक कर सके।

इसलिए विवाह के मूल विधान में कोई भी ऐसा आयोजन नहीं है कि जिसे पूरा करने में किसी को बहुत अधिक खर्च करना आवश्यक हो। किन्तु सामाजिक कूटनीतियों ने हिन्दू समाज के विवाह जैसे सामान्य कृत्य को इतना खर्चीला बना दिया है कि इसको पूरा करने में अच्छे-अच्छे परिवारों की आर्थिक स्थिति भयावह रूप से बिगड़ जाती है। विवाहों के खर्चीलेपन के कारण ही समाज के सामान्य लोग इसे समय पर कर भी नहीं पाते। उनके लड़के-लड़कियाँ अनावश्यक समय तक कुँवारे बैठे रहते हैं जिसके फलस्वरूप न जाने कितने प्रकार की बुराइयाँ पैदा हो जाती हैं।

विवाहों में होने वाला अन्धाधुन्ध खर्च उसके किसी मूल विधि-विधान के कारण नहीं है। इसका कारण लोगों का अहंकार एवं दम्भजन्य आडम्बर ही है जिससे प्रेरित होकर

लोकप्रदर्शन मात्र के लिए ही अपने पैसे की होली आप जला डालते हैं । विवाह विधान में कोई भी ऐसा निर्देश नहीं है जिसे पूरा करने के लिए बहुत अधिक पैसा खर्च करने की जरूरत पड़े ।

मनुष्य को उत्सव एवं समारोह मनाने का एक चाव होता है और निःसन्देह विवाह उस चाव को पूरा करने के लिये एक अवसर होता है । किन्तु जब तक यह चाव, चाव तक ही रहता है तब तक तो ठीक रहता है, किन्तु जब यह अपनी मर्यादा से बाहर होकर शान, शेखी-आडम्बर और प्रदर्शन का रूप धारण कर लेता है तो खुशी का कारण न रहकर गले की फाँसी बन जाता है ।

विवाह का आडम्बर एवं प्रदर्शनवाद आज हिन्दू समाज की आर्थिक कमर तोड़ता चला जा रहा है । एक-दूसरे की देखी-देखा लोग अपनी स्थिति के बाहर विवाह में खर्च करते हैं और समझते हैं कि बड़ा ही सराहनीय काम कर रहे हैं । विवाहों में इस प्रकार स्पर्धावश अधिक खर्च करने की मनोवृत्ति बड़ी घातक है ।

इस खर्चले आडम्बर से दुःखी होकर भी लोग इसे करते ही जा रहे हैं । इसमें उनके सामने कोई धार्मिक अथवा सामाजिक मजबूरी नहीं है फिर भी उन्हें बाध्य होकर ही ऐसा करना पड़ता है । एक तो उनका खुशी मनाने का शौक उन्हें मजबूर करता है, दूसरे यदि वह आडम्बरपूर्ण आयोजन न करें तो लोग उसें कंजूस कहते और धूम से बेटे या बेटी का विवाह न करने का लांछन लगाते हैं । यदि कोई इस लांछन की परवाह न करे और बच्चों का विवाह सादे और सरल ढंग से करे तो ऐसा कोई नियम नहीं है कि वह समाज से निकाल दिया जाय अथवा लोग उससे रीति व्यवहार छोड़ दें । तब भी वह इन लांछनों से अपने अहं पर चोट होते देखकर मजबूर जैसा वैसा करने को तैयार होता है ।

विवाह के सम्बन्ध में हिन्दू समाज से ऐसी अहंकार पूर्ण प्रदर्शन की मनोवृत्ति दूर होनी चाहिए और इस धर्म पूर्ण सामाजिक कृत्य को सादगी एवं सरलता पूर्वक किया जा सके, जिससे एक दिन की अनावश्यक खुशी के लिये जीवनभर कष्ट न उठाना पड़े और जो गरीब झूठे सामाजिक लांछन के डर से समय पर अपने बच्चों की शादी-ब्याह पैसे की कमी के कारण नहीं कर पाते वे भी खुशी-खुशी उनका विवाह समय

पर कर सकें । विवाह एक मानसिक अथवा आर्थिक परेशानी का कारण न बनकर ठीक-ठीक खुशी का हेतु बना रहे ।

अब आडम्बर के स्थान पर सादगी को सराहनीय स्थान दिया जाना आवश्यक है । यही युग की माँग है और समाज की आवश्यकता है ।

मितव्ययी आदर्श विवाहों का प्रचलन अत्यावश्यक

क्या व्यक्ति, क्या समाज और क्या राष्ट्र सबकी प्रगति का भौतिक आधार अर्थ ही है । अर्थहीनता की दशा में इनमें से कोई भी भौतिक प्रगति अथवा उन्नति नहीं कर सकता । अर्थ के आधार पर ही मनुष्य की जीविका चलती है, जोकि जीवन गति की ही पूरक है । जब कोई व्यक्ति, समाज अथवा राष्ट्र अपनी आर्थिक समस्याओं में ही उलझा रहता है, तब वह संसार में होने वाली प्रगति का अनुसरण नहीं कर सकता और जो प्रगतिहीन है, वह किसी प्रकार की सुख-शान्ति नहीं पा सकता । अर्थ पर ही मनुष्य के भौतिक एवं आत्मिक विकास का होना निर्भर है । अस्तु, आज ही नहीं, संसार के प्रगतिशील राष्ट्र सदा से अपनी आर्थिक उन्नति की ओर समुचित ध्यान देते चले आ रहे हैं, आगे भी देते रहेंगे ।

आर्थिक उन्नति के अनेक साधन होते हैं । उत्पादन एवं व्यवहार-व्यवसाय इसकी उन्नति के प्रमुख उपाय हैं । किन्तु इसके साथ यह भी न भूल जाना चाहिए कि मितव्ययता एवं किफायतशारी भी आर्थिक उन्नति का एक महत्वपूर्ण साधन है । एक ओर से अर्थागमन का मार्ग खोला जाये और दूसरी ओर उसके निकल जाने का भी मार्ग बना दिया जायेगा तो वह फूटे पात्र में दूध दुहने के समान ही होगा । एक ओर से पैसा आयेगा और दूसरी ओर से निकल जायेगा । इस प्रकार आपके लाख साधन इकट्ठे कर लेने पर भी जब तक धन के दुरुपयोग का नियन्त्रण न किया जायेगा, आर्थिक उन्नति में स्थायित्व न आ सकेगा । इसलिये अर्थागमन के साधन जुटने के साथ ही अपव्ययता का मार्ग भी बन्द करना होगा ।

अपने समाज में विवाह के नाम पर अपव्ययता का अभिशाप बुरी तरह फैला हुआ है और पूरे का पूरा समाज इसकी चक्की में बुरी तरह पिसा जा रहा है । हिन्दू समाज में व्यवसाय, व्यापार, उद्योग धन्धों की इतनी कमी नहीं है,

जितना कि यह गरीब बना हुआ है। यदि इस समाज के पास कारोबार के साधन बहुत अधिक संख्या में नहीं हैं, तो इतने कम भी नहीं हैं कि जिसके कारण पूरा समाज नंगा-भूखा दीखता है।

आय के साधन होते हुए भी अपने समाज की गरीबी का एक मुख्य हेतु अनेक ऐसी कुरीतियाँ एवं प्रथाएँ भी हैं, जिनमें अतोल धन खर्च करना पड़ता है। उनमें से विवाह के नाम पर चलने वाली कुरीतियाँ भी हैं। विवाहों में धूम-धाम, रोशनी, आतिशबाजी, बाजा-गाजा, साज-बनाव करने में इतना खर्च किया जाता है कि एक-दो विवाह करने के बाद ही कोई भी सामान्य परिवार कंगाल बन जाता है, कर्जदार हो जाता है, जिससे उसे और उसके ब्याज चुकाने में ही सारी कमाई लगने लगती है, जिससे परिवार की उन्नति का हर मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। तब यह तो स्वयंसिद्ध ही है कि जहाँ उन्नति एवं विकास का मार्ग अवरुद्ध हो जायेगा वहाँ अन्य उन्नतियों तो दूर, आर्थिक उन्नति भी नहीं हो पाती।

यदि औसत लगाया जाये तो पता चलेगा कि अपने समाज में एक विवाह में ३०-३५ हजार रुपया सहज ही खर्च करने पड़ते हैं। इस प्रकार जिस परिवार में तीन शादियों भी करनी हुईं तो उसे औसतन एक लाख रुपया तो खर्च करना ही पड़ेगा। किसी साधारण परिवार से इतना रुपया निकल जाना कोई साधारण बात नहीं है। जिस देश के लोगों की औसतन आय ६०-७० रुपया प्रतिदिन हो, उसे जब शादी-व्याह के नाम पर इस प्रकार का इतना बड़ा दण्ड भुगतना पड़ता है, तब उस पर एक स्थायी कंगाली आने के अतिरिक्त और क्या हो सकता है ?

यह लाख रुपये का औसत व्यय तो केवल एक व्यक्ति के परिवार का है। इसी प्रकार यदि एक कुटुम्ब का हिसाब लगाया जाये, भाई-भतीजे, चाचा-ताऊ के बच्चों का हिसाब लगाया जाये तो यह व्यय कई लाखों की संख्या में पहुँच जायेगा। इस प्रकार जिस समाज के एक मध्यम कुटुम्ब में लाखों की रकम ब्याह-शादियों के नाम पर बर्बाद हो जाये, उसकी आर्थिक स्थिति किस प्रकार ठीक रह सकती है ? उसका गरीब, कंगाल और भुखमरा होना सहज स्वाभाविक ही है। इस प्रकार इन साधारण आँकड़ों के प्रकाश में यदि एक विशाल दृष्टिकोण से देखें तो पता चलेगा कि अपने समाज में

करोड़ों-अरबों की सम्पत्ति ब्याह-शादियों के नाम पर होने वाली कुरीतियों को पूरा करने में स्वाहा हो जाती है।

यदि विवाह के नाम पर चलने वाली अपव्यय की कुरीतियों को रोक दिया जाये तो कहना होगा कि कुछ एक वर्षों में ही हमारा समाज, हमारा राष्ट्र आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में बहुत कुछ प्रगति करता दिखाई देने लगे।

आज हमें जो योजनाएँ पूरी करने और अन्य साधनों को जुटाने के लिये विदेशों से कर्ज लेना पड़ता है, वह न लेना पड़े और इसके कारण जो अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपने ऋण-दाताओं के अनुचित दबाव को सहना पड़ता है, वह न सहना पड़े। इस प्रकार कहना न होगा कि केवल शादी-ब्याहों में होने वाले अपव्यय को रोक देने से ही हमारे राष्ट्र की बहुत-सी समस्याएँ हल हो सकती हैं, राष्ट्रीय गौरव बढ़ सकता है।

आर्थिक हानि के अतिरिक्त अपने समाज को अन्य और भी तरह की अनेक हानियाँ होती हैं। इसी प्रकार की अपव्ययतापूर्ण कुरीतियों के कारण घबड़ा कर बहुत से हिन्दू नित्य ही ईसाई एवं मुसलमान होते चले जा रहे हैं, जिससे अपने समाज की संख्या दिन पर दिन घटती और परकीय समाज की संख्या बढ़ती चली जाती है। अन्य समाज के लोग भी जो अपने समाज में शामिल नहीं होते, उसका कारण भी विवाह आदि के नाम पर अनावश्यक अनुपयोगी एवं असहनीय कुरीतियाँ ही हैं। इस प्रकार हम अपनी इन कुरीतियों के कारण अपने समाज की कितनी हानि कर रहे हैं, इसका अनुमान लगा सकना भी कठिन हो रहा है। किन्तु सामने खड़ी हुई भयावह परिस्थितियाँ एवं आर्थिक कंगाली फिर भी इसका कुछ अनुमान दे ही रही हैं। अपने समाज की रक्षा करने और उसकी उन्नति के लिये आज हमको अपने समाज से कुरीतियों एवं हानिकारक प्रथा-परम्पराओं को निकाल फेंकना ही होगा। नहीं तो, वह समय दूर नहीं, जब हिन्दू समाज इतना गिर जायेगा, इतना निकम्मा हो जायेगा कि फिर उसका उठ सकना कठिन ही नहीं, असम्भव ही हो जायेगा।

कुटुम्ब पीछे लाखों का धन बचाने के लिये जो सबसे सरल उपाय है, वह है—आदर्श-विवाहों का प्रचलन ! यदि मितव्ययी आदर्श-विवाहों का प्रचलन प्रारम्भ हो जाये तो बिना कोई अन्य साधन जुटाये प्रति परिवार कम से कम आठ-दस हजार की बचत होना निश्चित हो जाये और यह बचत बेटे-पोतों

में चलती हुई कुछ ही समय में लाखों में पहुँच जाये और इतनी बड़ी अहैतुक आय किसी भी परिवार को उन्नति के चरम-शिखर पर पहुँचा देने के लिये कम न होगी ।

जिस प्रकार नकद रुपया मिलने और किसी कार-रोजगार में लाभ होने से आय बढ़ती है, उसी प्रकार अपव्यय से बचाये हुए धन को भी एक अतिरिक्त आय ही माना जाता है । जब तक सादगीपूर्ण आदर्श-विवाहों का प्रचलन नहीं होता, हर परिवार को आठ-दस हजार का प्रबन्ध करना ही होगा और उसे विवाह के नाम पर फूँक देना होगा । यदि उसे इस प्रबन्ध अथवा विवाह के लिये बचाये हुए पैसे को खर्च करने की मजबूरी न हो तो यह पैसा उसकी आय के रूप में उसके पास बना रहेगा । यही नहीं, जब इतनी बड़ी रकम किसी कार-रोजगार को बढ़ाने में लगा दी जायेगी, तब तो कुछ ही समय में उससे होने वाली आय का ठिकाना ही न रहे । यह सुविधा जब हर परिवार उठाने लगेगा तब सहज ही सोचा जा सकता है कि अपने समाज की आर्थिक दयनीयता कितनी जल्दी दूर हो जायेगी ?

यदि एक बार भी यह मान लिया जाय कि विवाहों में होने वाले खर्च की मजबूरी से ही लोग पैसा बचाते हैं, वैसे बचाने योग्य आमदनी आज के कठिन दिनों में किसे होती है? तब भी तो बच्चों का पेट काट कर, उनकी शिक्षा में न्यूनता करके धन बचाने की कठिनाई है, उससे तो छुटकारा मिल ही जाये और जब निश्चिन्ततापूर्वक परिवार खायेगा, पहनेगा और बच्चों की समुचित पढ़ाई-लिखाई होने लगेगी तो परिवार का विकास आप से आप ही होने लगेगा । जिस परिवार के लोग प्रसन्न, स्वस्थ एवं शिक्षित होंगे, उसकी आय बढ़ते और गरीबी दूर होते क्या देर लगेगी ? अस्तु, आज समय का सबसे बड़ा तकाजा है कि महँगी विवाह-पद्धति बन्द की जाये और आदर्श-विवाहों का प्रचलन किया जाये ।

विवाह परम्परा में शालीनता का अभिनव समावेश

भारतीय समाज में विवाह एक समस्या बनकर रह रहा है । अन्य देशों में, सम्प्रदाय-समुदायों में भी शादियाँ होती हैं । वह प्रकृति प्रेरणा और समाज व्यवस्था की सहज आवश्यकता है । इसकी व्यवस्था बनती है और एक छोटे

पारिवारिक उत्सव की तरह उसकी पूर्ति हो जाती है । अनावश्यक धूमधाम की कहीं कोई आवश्यकता नहीं समझी जाती । अस्तु, उनके लिए विवाह किसी प्रकार की चिन्ता का कारण नहीं बनता । समयानुसार यह छोटे से घरेलू उत्सव बिना किसी प्रकार का सिर दर्द उत्पन्न किये सहज स्वभाव होते हैं । न उनमें अनावश्यक श्रम समय खर्च होता है और न पैसे की बर्बादी करनी पड़ती है । संसार भर में यही प्रचलन है ।

मात्र भारतीय समाज ही इसका अपवाद है । उसमें इसे किला जीतने जैसा पुरुषार्थ माना जाता है । लोग संतोष की साँस खींचते हुए कहते हैं हमने परिवार में इतने विवाह निपटा लिए । प्रकारान्तर से इसका मतलब होता है वैतरणी पार करने जैसी सफलता उपलब्ध करना । सम्बन्ध तलाश करने से लेकर साधन जुटाने तक की मंजिल इतनी लम्बी और इतनी खर्चीली है कि उसे जुटाते-जुटाते मध्य वृत्ति के मनुष्य की कमर टूटने लगती है ।

इस घोर महँगाई के जमाने में किसी सद्गृहस्थ के लिए यह भारी पड़ता है । आमदनी और खर्च का तालमेल बिठाना ही जब कठिन पड़ता है तो इतनी बचत कैसे हो, जिसे शादियों के अवसर पर होली की तरह निर्दयतापूर्वक फूँका जा सके । जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो दो समस्याएँ सामने आती हैं । एक तो उपयुक्त सम्बन्ध ढूँढना । दूसरा खर्च के लिए पैसा जुटाना । दोनों ही काम एक से एक अधिक कठिन हैं । ढूँढने कहीं जाया जाय ? अपरिचितों का परिचय कैसे प्राप्त हो ? फिर लड़की वाले से सीधे मुँह बात कौन करे ? जहाँ जाया जाय वहीं उपेक्षा, तिरस्कार और नखरे । सरल स्वभाव का व्यक्ति तो इस जंजाल को समझ तक नहीं पाता और निराश होकर चल देता है । दो-चार जगह ऐसे ही ठनगन और मोल-भाव से असली मूल्य से चौगुनी-छैगुनी माँग को देखकर इतना,साहस ही नहीं होता कि काम की बात कैसे की जाय और सही निष्कर्ष तक कैसे पहुँचा जाय । कहीं लड़की नापसन्द कहीं लड़का बेकार । ऐसे ही दिन गुजरते रहते हैं । लड़कियाँ बड़ी होती रहती हैं और अधिक बड़ी होने पर उनके लिए लड़के मिलने कठिन हो जाते हैं । पैसा न जुटा पाना भी वह संकट है जिससे लड़कियों को या तो आजीवन कुमारी रहना पड़ता है या फिर अनमेल विवाह के बन्धन में बँधना पड़ता

है। जो किसी प्रकार साधन जुटाते हैं वे ऋणी बनकर या घर की पूँजी समाप्त करके दुःख-दारिद्र्य के दिन गुजारते हैं। शेष बच्चों के शिक्षा, स्वास्थ्य तथा स्वावलम्बन की समस्या इस स्थिति में और भी अधिक जटिल हो जाती है। चतुर लोग बेईमानी का आश्रय लेकर इस खाई को पाटते हैं। बेईमानी व्यक्ति का मूल्य गिराती है। अप्रामाणिक बनकर कुछ समय ही थोड़ा बहुत कमाया जा सकता है। भविष्य में तो बदनामी होने पर उसका अवसर भी चला जाता है। शादियों के लिए धन जुटाने में अधिकांश व्यक्तियों को बेईमान और दरिद्र बनना पड़ता है। साथ ही मनोव्यथा नौचती और रक्त सुखाती है सो अलग।

ऐसे भाग्यशाली अपने समाज में कठिनाई से दस-पाँच फीसदी होंगे जिन्हें लड़की लड़के ढूँढ़ने और मनमानी धनराशि जुटाने में कोई कठिनाई नहीं पड़ती। इनके लिए भी इतना तो होता ही है कि वह पूँजी होली फूँकने की तरह सदा-सर्वदा के लिए नष्ट हो जाने के कारण अपने लिए सन्तान के लिए या समाज के लिए उसका लाभ मिलने का अवसर पूरी तरह समाप्त हो जाता है।

खर्च की दृष्टि से कन्या पक्ष और वर पक्ष को प्रायः समान रूप से बर्बादी का भार उठाना पड़ता है। लड़की वाला दहेज में नकदी तथा अनावश्यक वस्तुएँ देता है। बारात के स्वागत तथा खर्चिले धूमधाम में उसे पैसा लगाना पड़ता है। बेटे वाले को वधू के लिए जेवर कपड़ों का, बारात ले जाने का, दावत का तथा दूसरे अलग-अलग कामों का बोझ उठाना पड़ता है। दहेज से मिला अनावश्यक सामान घर की जगह घेरे में पड़ा रहता है नकदी जितनी मिलती है उससे दूनी खर्च हो जाती है। नफे में कोई बेटे वाला नहीं रहता। लगाना उसे भी जेब से ही पड़ता है। ऐसी दशा में घाटे के शिकार दोनों ही पक्ष होते हैं। यदि यह राशि, उन्हीं के अपने-अपने घरों में रही होती तो उनकी सम्पन्नता बढ़ती। उनके या औरों के काम आती। किन्तु धूमधाम में नष्ट हो जाने पर तो उसका अस्तित्व ही नष्ट हो गया। धनी हो या निर्धन अपव्यय की बर्बादी तो सभी के लिए अभिशाप सिद्ध होती है।

जन-साधारण की आर्थिक कमर तोड़ देने वाले अभिशापों में शादियों का अपव्यय सर्वप्रथम है। इसके बाद नशेबाजी

का नम्बर आता है। आलस्य-प्रमाद में उत्पादन घटता है। कौशल और पुरुषार्थ के अभाव में प्रगति रुकती है। अपव्ययों की बर्बादी से दरिद्रता बढ़ती रहती है, पिछड़ापन परिपक्व होता है। औसत नागरिक की एक चौथाई आमदनी शादियों एवं अन्य कुरीतियों में नष्ट हो जाती है। बचत का अंश इतना ही हो सकता था। उसे व्यवसाय में लगाकर निर्वाहक्रम शान्ति से चल सकता था और प्रगति की सम्भावना बढ़ सकती थी किन्तु उस बर्बादी को क्या कहा जाय जिसने यह सभी सम्भावनाएँ समाप्त कर दीं।

इन छिद्रों को बन्द किया जाना चाहिए। लेख, भाषण, प्रस्ताव अपनी प्रभावी सामर्थ्य खो चुके हैं। अब कुछ ठोस कदम उठाने चाहिए अन्यथा इस बर्बादी के साथ-साथ पनपने वाली अनैतिकता, उद्विग्नता एवं अव्यवस्था की भी निरन्तर बढ़ोत्तरी होती रहेगी। इस स्थिति में अपने देशवासियों का भविष्य क्रमशः अधिक अन्धकारपूर्ण ही बनता जायेगा। समय रहते इसकी रोकथाम की ही जानी चाहिए। चालीस करोड़ हिन्दुओं में औसत पाँच के हिसाब से आठ करोड़ परिवार होने चाहिए। इनमें से हर परिवार पीछे देर सबेर में तीन विवाह होने की बात सोची जानी चाहिए। इनमें औसत पाँच हजार का व्यय माना जाय तो आठ करोड़ × पाँच हजार चार खरब रुपया बर्बाद हो सकता है। इतनी पूँजी बच सकती तो निश्चय ही अपना देश जापान, अमेरिका, रूस, जर्मनी, इंग्लैण्ड जैसे सुसम्पन्न देशों की गणना में आ सकता है।

प्रगतिशील जातीय सम्मेलनों में यह सभी सम्भावनाएँ भरी पड़ी हैं। जिनमें उपयुक्त जोड़ ढूँढ़ने से लेकर नितान्त सादगी के वातावरण में ऐसी शादियों का प्रचलन सन्निहित है जिसमें घरेलू तीज-त्योहारों में अधिक खर्च न पड़े। ढूँढ़ने की परेशानी और खर्चने की बर्बादी से यदि बचा जा सके तो समझना चाहिए कि जन-साधारण का आधा चिन्ता भार समाप्त हो गया। इसे दैवी अनुकम्पा और चमत्कारी सिद्धि उपलब्धि से किसी प्रकार कम नहीं समझा जा सकता है।

योजना यह है कि जिस प्रकार इस वर्ष (१९८०) जातियों के मेले कुम्भ पर्व से शुरू हो रहे हैं उसी प्रकार बिना कुम्भ के भी हर साल गर्मी की छुट्टियों में हुआ करें। वे लोग सपरिवार आया करें जिनके लड़की-लड़के विवाह योग्य हो गये। इस मेले में सभी लोग मिशन के होंगे इसलिए खुले मन से चर्चा

चलाने में, आवश्यक बातें पूछने बताने में किसी प्रकार का संकोच न होगा। पीछे-पीछे पूछते फिरने और वस्तुस्थिति का पता लगाने में जासूसी करने की तनिक भी आवश्यकता न पड़ेगी। तथ्य शीशे की तरह स्पष्ट होने से हों या ना का निश्चय करने में तनिक भी देर न लगेगी। एक से पट्टी न बैठे तो दूसरे दस से चर्चा चलाने में कोई अड़चन भी नहीं है। लड़की-लड़के साथ होंगे तो उनकी पसन्दगी जानने का भी अवसर मिल जायेगा। घरों पर लड़की देखने जाने और पीछे मना करने पर जो असमंजस होता है उसकी इस मेले में जाने वालों को कोई आवश्यकता न पड़ेगी। कई प्रान्तों में कई जातियों में ऐसे जातीय मेले इसी उद्देश्य को लेकर लगते हैं और वे अपने प्रयोजन में पूरी तरह सफल होते हैं। सैकड़ों सम्बन्ध इसी अवसर पर पके होते हैं। यही आवश्यकता इन मेलों से पूरी हुआ करेगी।

अभी कुछ समय तक हरिद्वार में ही यह मेले लगेंगे। पीछे हर जाति के प्रगतिशील संगठन बना दिये जायेंगे और वे अपने-अपने क्षेत्रों में ही इन मेलों को लगाने की व्यवस्था किया करेंगे। इससे दूर जाने में किराया-माड़ा खर्च करने की आवश्यकता न पड़ेगी। समीपवर्ती लोग बैलगाड़ियाँ लेकर इन मेलों में सपरिवार पहुँच जाया करेंगे। अपने हाथ भोजन पकाने का प्रबन्ध रहेगा। गायत्री यज्ञ और युग-निर्माण सम्मेलन होगा। साथ ही पारस्परिक परिचय, कुरीति उन्मूलन एवं सुरीति सम्बर्द्धन के निर्धारण प्रचलन की पृष्ठभूमि बनती रहेगी। यह आयोजन हर क्षेत्र में हर जाति के होंगे और उनमें विवाह समस्या का समाधान तथा अन्य प्रकार का भविष्य निर्धारण इसी अवसर पर भली प्रकार बनता रहेगा।

इस कठिनाई से सभी परिचित हैं कि बिरादरी क्षेत्रों में आजकल ऐसे पंच चौधरियों की ही भरमार है जो थोड़े धनी या प्रभावशाली होने के अतिरिक्त पके रूढ़िवादी भी हैं। इन्हीं के दबाव से दहेज, धूमधाम, मृतक भोज आदि की कुरीतियाँ जड़ जमाये बैठी रहती हैं। जातीय सम्मेलनों में भी इन्हीं का बोलवाला रहता है। सम्मान के लिए इन्हें बुलाया गया तो अपने बातूनीपन और अभ्यस्त चौधराहट के आधार पर कुछ न कुछ विग्रह खड़ा किये बिना न रहेंगे। कुछ लोगों का अपना महत्त्व प्रदर्शन करना ही लक्ष्य होता है। उन्हें प्रमुखता मिलनी चाहिए। भले ही वे इसे पदसम्मान के रूप में पायें अथवा

विग्रह खड़ा करने वाले अडंगेबाजी के रूप से पायें। ऐसे लोग इस प्रयास के लिए सदा सिरदर्द रहेंगे। इनसे चापलूसी, उपेक्षा या खुले विरोध के रूप में किस तरह निपटा जाय यह स्थानीय पारस्थितियों पर निर्भर है। हर हालत में इन आयोजनों पर प्रगतिशील लोगों का ही अधिकार रहना चाहिए अन्यथा इन पंच चौधरियों के माध्यम से फिर प्रतिगामिता पिछली खिड़की से घुस पड़ेगी और सारा गुड़ गोबर हो जायेगा।

उपयुक्त जोड़े तलाश करने में उपजातियों के बन्धन थोड़े शिथिल करने पड़ेंगे अन्यथा बहुत छोटी-छोटी उपजातियों का संख्या क्षेत्र होने के कारण अच्छे लड़के मिलते नहीं, मिलते हैं तो बोली बढ़ते-बढ़ते वे बाबा के मोल बिकने लगते हैं। इस कठिनाई का एक हल यह भी है कि अभी जातियों के अन्तर्गत ही विवाह सीमित रहने की बात हो तो वह बनी भी रह सकती है। किन्तु उपजातियों के बन्धन तो शिथिल करने ही चाहिए। उदाहरण के लिए, कायस्थों में श्रीवास्तव, भटनागर, सक्सेना, निगम आदि कितने ही विभाग हैं। आमतौर से अपने ही वर्ग में लोग शादियाँ करते हैं। अब आत्मभाव का दायरा बढ़ना चाहिए और इन वर्गों के बीच शादियों का क्रम चल पड़ना चाहिए। यही प्रतिबन्ध अन्य जातियों में भी है। ब्राह्मणों में सैकड़ों जातियाँ एवं उपजातियाँ हैं वे सभी आपस में रोटी-बेटी का व्यवहार करें। क्षत्रियों, वैश्यों आदि के सम्बन्ध में भी यही बात है। हिन्दू धर्म को वर्णाश्रम धर्म कहा जाता है उसमें चार ही वर्ण हैं। प्रचलित उपजातियों का कोई कारण या इतिहास नहीं है। स्थान व्यवसाय, पद, शिक्षा आदि के आधार पर उपजातियाँ चल पड़ी मालूम पड़ती हैं। अब इस अनावश्यक और अकारण विभाजन के बन्धन टूटने चाहिए। इस आधार पर हर समुदाय अपने सदस्यों की संख्या अधिक बढ़ती देखेगा और उस विस्तृत दायरे में उपयुक्त सम्बन्ध ढूँढ़ने में ह्र कोई सुविधा अनुभव करेगा।

प्रगतिशील जातीय संगठनों के प्रभाव क्षेत्र में जो शादियाँ हों वे नितान्त सादगी के साथ बिना दहेज के होंगी। मात्र ढूँढ़ने भर की सुविधा जातीय मेलों में मिली और विष वृक्ष जहाँ का तहाँ खड़ा रहा पर्दे के पीछे लेन-देन होता रहा और घुमा-फिरा कर अपव्यय का वही पुराना सिलसिला चलता रहा तो समझना चाहिए कि इस प्रयास का मूल उद्देश्य ही समाप्त

हो गया । हमारा लक्ष्य दूँहने में सरलता उत्पन्न करना भर नहीं दहेज और अपव्यय को जड़-मूल में उखाड़ फेंकना है । सम्मेलन के संचालकों का इस ओर पूरा ध्यान होगा कि लोग लड़की के समय गौ का और लड़के के समय भेड़िये का पार्ट अदा न करने लगे । आमतौर से यही होता है कि लोग कन्या की शादी बिना दहेज की करना चाहते हैं और लड़के का समय आने पर हुण्डी भुनाना चाहते हैं । चाहे वह अगले हाथ से मिले चाहे पिछले से । इस दोगली नीति के कारण ही विवाहों में सुधार का प्रयत्न सदा असफल होता रहा है ।

अब की बार सारा दबाव लड़के वालों पर पड़ना चाहिए । प्रगतिशील संगठनों का एक भी सदस्य ऐसा न हो जो लड़के की हुण्डी भुनाये । बेटे के घाटे की बेटे से पूरा करने की छूट किसी को भी नहीं मिलनी चाहिए अन्यथा यह सारा प्रयत्न शादियों की ऐजेन्सी बनकर रह जायेगा । उनसे सामाजिक क्रान्ति का उद्देश्य किसी भी प्रकार पूरा न हो सकेगा । हमें इस सम्मेलन शुभारम्भ की प्रक्रिया के प्रति उत्साही तो होना चाहिए पर साथ ही यह न भूल जाना चाहिए कि विवाह-शादियों के क्षेत्र से प्रगतिशीलता का समावेश तभी माना जायेगा जब दहेज, जेवर और धूमधाम के तीनों दैत्यों को एक साथ मारा जाय । रावण-कुम्भकरण-मेघनाद तीनों का वध एक साथ ही हुआ था । इनमें एक भी जीवित रहता तो शेष दो का वध निरर्थक ही जाता । उत्पात ज्यों का त्यों बना रहता । इसलिए लंका की समूची असुरता को जड़-मूल से उखाड़ा गया है ।

विवाह एक नये गृहस्थ का नई पीढ़ी एवं नई परम्परा का शुभारम्भ है । इस श्रीगणेश का समय धार्मिकता एवं आदर्शवादिता की भावनाओं एवं परिस्थितियों से भरा होना चाहिए । आरम्भ अन्त तक फलता है । बीजारोपण सही परिस्थितियों में सही ढंग से होगा तो अच्छी फसल मिलेगी । आसुरी रीति नीति और उद्धत आचरण से भरे आज के विवाह समारोह अपने समय पर तो सर्वनाश करते ही हैं उनका विष बीज चिरकाल तक बना रहता है । घाव इतने गहरे होते हैं कि उन दोनों परिवार में ही नहीं पति-पत्नी के बीच भी अन्तर्न में घृणा के बीज भरे रहते हैं । अनीतिपूर्वक पीड़ित किया गया व्यक्ति देर तक विक्षुब्ध बना रहता है और प्रकट में कुछ न कह पाने पर भी असहयोग, विरोध एवं प्रतिशोध के तत्व सँजोये रहता है । इन दिनों जिस स्तर के विवाह होते हैं ।

उनसे उस नये बसने वाले परिवार में भावनात्मक उत्कृष्टता के तत्व जम ही नहीं सकते । इसके बिना गृहस्थ सराय जैसा उथला रह जाता है और दम्पति जीवन में यौनाचार जैसी क्षुद्र-लिप्साओं की लैंगड़ी-तूली विसंगति ही शेष रह जाती है ।

विवाहोन्माद से होने वाली आर्थिक बर्बादी भर दीखती है । पर उससे भी अधिक भयंकर इसके भावनात्मक आघात को बहुत कम लोग समझ पाते हैं । इसे जाना और जनाया जाना चाहिए । इतना ही नहीं वह मार्ग भी खोजना चाहिए जिस पर चलकर जनसमाज को सर्वतोन्मुखी विनाश से बचने और शान्ति एवं प्रगति का जीवन जीने का अवसर मिल सके । विवाह का महत्व समझा जाय तो उसके साथ सद्भावनाओं के समावेश का महत्व भी समझाया जाना चाहिए और यदि यह समझ में आ जाय तो उन परिस्थितियों को बदलना चाहिए जो इस पुण्य-प्रयोजन में विष घोलती और उसकी प्रतिक्रिया असंख्य दुष्परिणामों के रूप में प्रस्तुत करती है ।

सादगी और सज्जनता के वातावरण में विवाह परम्परा के प्रचलन का प्रयास युग परिवर्तन के सन्दर्भ में एक अति महत्वपूर्ण कदम है । इसे उठाने के लिए इस मिशन के प्राणवान परिजनों को ही पहल करनी चाहिए । कुम्भ पर्व पर सम्पन्न होने वाले प्रगतिशील जातीय सम्मेलनों का स्वरूप भले ही सामान्य हो पर उसके पीछे सन्निहित प्रयोजन इतना महान है कि उसमें आर्थिक, सामाजिक, नैतिक और भावनात्मक प्रगति एवं सन्तुलन के समस्त तत्वों की झँकी भली प्रकार होती है ।

आरम्भ हर काम का कष्टसाध्य होता है । ढाँचा खड़ा करने में भारी सूझ-बूझ का प्रयास—पुरुषार्थ का साधन एवं सहयोग जुटाने का प्रमाण परिचय देना पड़ता है । इन आयोजनों को सफल बनाने के लिए भी यही करना होगा । जहाँ जन-जन के मन-मन की बात है । पर इसकी कहीं चर्चा तक नहीं है, जिसका स्वरूप कभी सामने आया ही नहीं, उसमें कोई सम्मिलित ही कैसे हो ? उसमें सहयोग कैसे दें यह प्रथम परिचय ही कठिन है । मिशन के प्रयास और जन-साधारण की जानकारी के बीच जो खाई है उसे पाटा जाना चाहिए । यह कार्य प्राणवान प्रतिभाएँ ही कर सकती हैं । जो किया जा रहा है वह बहुत ही शानदार है । उसकी पूर्ति के लिए सर्वप्रथम काम एक ही है कि सर्वसाधारण को इस प्रयास का परिचय कराया जाय—कुम्भ पर्व के साथ इस अभिनव प्रयास

में सम्मिलित होने के लाभों की ओर ध्यान आकर्षित किया जाय । जो प्रभावित और सहमत दिखाई पड़ें उन्हें साथ लाने का प्रयत्न किया जाय । यह नये लोगों की बात हुई । पुरानों को तो आना ही चाहिए । अग्रणी तो उन्हें ही बनना है । अपना परिवार २४ लाख का है । यदि अन्य लोग भी आयें और अपने ही लोग मिल-जुल कर अपने बल-बूते—अपने भीतर ही इस प्रतिपादन को व्यवहार में उतार लें तो अन्य लोग अनायास ही खिंचते और प्रभावित होते चले आयेंगे ।

कुम्भ पर्व के इन आयोजनों को एक प्रकार से देश व्यापी शुभारम्भ का शंखनाद कहना चाहिए । यह प्रथम आयोजन है । इसके अन्तर्गत भविष्य में हर क्षेत्र में छोटे-बड़े आयोजन होंगे और वे तब तक चलते ही रहेंगे जब तक कि विवाह संस्था में प्राचीनकाल जैसी पवित्रता और शालीनता का समावेश पूरी तरह नहीं हो जाता ।

दरिद्रता और बेईमानी छोड़नी हो तो खर्चीली शादियाँ बन्द करें

इन दोनों इस तथ्य को भली प्रकार अनुभव किया जा रहा है कि अपने देश की कठिनाइयों का प्रमुख कारण सामाजिक दुर्दशा है । उसी के कारण जीवन और समाज के विभिन्न क्षेत्रों में अगणित समस्याएँ और विपत्तियाँ उत्पन्न होती हैं । प्रचुर प्रकृति सम्पदा, उच्चस्तरीय दार्शनिकता, महान सांस्कृतिक परम्परा के रहते हुए भी पिछले हजार वर्षों से चली आ रही दुर्दशा का और कोई कारण नहीं । प्रमुख बाधा एक ही है सामाजिक विशृंखलता । मध्यकालीन अन्धकार युग के अन्यान्य अभिशाप तो एक-एक करके दूर हो गये पर सामाजिक विकृतियाँ अभी भी दीमक, घुन, विषाणुओं की तरह अपनी परोक्ष विनाश लीला यथावत् जारी रखे हुए हैं । इनका निराकरण न हो सका तो प्रगति के सभी प्रयत्न निरर्थक होते रहेंगे । फूटे पैदों के बर्तन में न पानी टिकता है न दूध । गाय कितनी दुधारू क्यों न हो जब दोहनी के पैदों में छेद ही छेद होंगे तो काम धेनु पालने पर भी श्रम गँवाने और शुद्ध रहने के अतिरिक्त और कुछ पल्ले न पड़ेगा । सामाजिक कुरीतियाँ हमारा श्रम, समय और धन तो बर्बाद करती ही हैं साथ ही नैतिक दृष्टि से भी जर्जर बनाती हैं । जो कुप्रथाएँ इन दिनों प्रचलित हैं वे यथावत् बनी रहें तो निश्चित रूप से हम कभी

भी न नीतिवान बन सकेंगे और न साधन सम्पन्न । शिक्षा और उपार्जन के सहारे प्रगति की जो योजनाएँ बनेंगी उनकी उपलब्धियाँ उन्हीं कुरीतियों के गर्त में गिरती और नष्ट-भ्रष्ट होती चली जायेंगी ।

कुरीतियों के असुर सम्प्रदाय में इन दिनों सबसे घातक है—विवाहोन्माद । शादियों पर जो पैसा और समय बर्बाद होता है उसकी तुलना उन्मादियों के आत्मदाह से ही की जा सकती है । अपव्यय के अन्य तरीके भी ऐसे हैं जिनसे अनेक प्रकार की हानियाँ होती हैं । इतने पर भी उनका विनाश क्षेत्र सीमित रहता है, नशेबाजी जैसे दुर्व्यसनों को इन्हीं में गिना जा सकता है किन्तु सबसे बुरी किस्म का अपव्यय वह है जो शादियों की धूमधाम और सौदेबाजी में किया जाता है । प्रचलन में सम्मिलित हो जाने और प्रतिष्ठा का प्रश्न बन जाने से उसका दुष्परिणाम और भी अधिक बढ़ गया है । धनी लोग व्यक्तिगत विलास की तरह कुछ भी करते रहते पर इस अपव्यय को अनिवार्य न बनाया गया होता तो बात दरगुजर हो सकती थी, किन्तु आज तो स्थिति दूसरी ही है । शादी का अर्थ ही पैसे की होली जलाना होता है । भले ही कपड़े, किताब और आटा बेचकर उसके लिए ईंधन खरीदा गया हो । इस अनिवार्यता के दबाव से उन्हें जीते जी कोल्हू में पिसना पड़ता है । जो रोज कुआँ खोदते और रोज पानी पीते हैं, कई शादियाँ जिन्हें करनी हैं और आजीविका निर्वाह जितनी आमदनी ही हैं उन पर इस कुप्रथा के कारण क्या बीतती है उसे भुक्तभोगी ही जानते हैं । इस तथ्य को हजार बार समझा और लाख बार समझाया जाना चाहिए कि “खर्चीली शादियाँ हमें दरिद्र और बेईमान बनाती हैं ।” दरिद्र इसलिए कि औसत भारतीय की आमदनी कठिनाई से इतनी जुट पाती है कि किसी प्रकार संयुक्त परिवार के लिए पेट भरने और तन ढकने का काम चल सके । होली जलाने को पैसा कहाँ से आये ? उसे उन नसों में से निचोड़ना पड़ता है जिसके सहारे निर्वाह का ढाँचा खड़ा हुआ था । उपयोगी सामान बेचकर, बच्चों की शिक्षा, रुग्णों की चिकित्सा रोककर, कर्ज लेकर ही इसकी पूर्ति करनी पड़ती है । ब्याज देने से लेकर—आवश्यक प्रयोजनों से वंचित रहने की व्यथा आये दिन शूल जैसी छिदती है । इसकी अन्तिम परिणति वह होती है जिसमें हँसता-हँसता परिवार मरणासन्न की तरह रोते-कलपते दिन काटता है ।

चतुर लोग इस होली के लिए ईंधन जुटाने का दूसरा तरीका अनीति के रूप में अपनाते हैं । सरकारी-कर्मचारी

रिश्तत लेते, व्यापारी हेराफेरी करते और उचके जेब काटते पाये जाते हैं। इसमें उनकी आदत ही नहीं विवशता भी छिपी होती है। घर में बैठे जवान लड़के-लड़कियों की शादियों आखिर किस प्रकार की जायें? पैसे के बिना कोई रास्ता नहीं और इतना पैसा ईमानदारी से मिल सकने की कोई सम्भावना नहीं, ऐसी दशा में बेईमानी ही एकमात्र उपाय रह जाता है। इस तथ्य को हजार बार परखा और हर बार सही पाया जा सकता है कि खर्चीली शादियाँ हमें दरिद्र और बेईमान बनाती हैं।

हर कोई जानता है, चाहता है कि भारतीय समाज पर इस चढ़े हुए कलंक और लदे हुए अभिशाप से जितनी जल्दी छुटकारा मिल सके उतना उत्तम। किन्तु ढर्रे को तोड़ने और नया प्रचलन आरम्भ करने का साहस कहीं से भी उभरता दिखाई नहीं पड़ता। वस्तुतः यह काम एक का नहीं समुदाय का है। एक हिम्मत दिखाने भी लगे तो उसे दरिद्र कृपण बनना और जन-जन का व्यंग्य उपहास सहना पड़ता है। ऐसी दशा में आगे कौन बढ़े—म्याऊँ का मुँह कौन पकड़े? उत्तर में यही कहा जा सकता है यह कार्य किसी बड़े समुदाय द्वारा संगठित रूप से आरम्भ करने का है। कठिनाई आरम्भ की है पीछे तो अनुयायियों की कमी नहीं रहती। अग्रगामी आगे बढ़ते हैं तो भले या बुरे कामों के समर्थक सहयोगी प्रशंसक अनुगामी असंख्यो मिल जाते हैं। भेड़चाल में एक के पीछे पूरे झुण्ड के चल पड़ने की बात प्रसिद्ध है, भले ही उन्हें किसी खड्डे में ही क्यों न गिरना पड़ता है। मनुष्य समाज में भी यही प्रचलन है। फैशन से लेकर दुर्व्यसनों तक के पीछे अन्धानुकरण के अतिरिक्त और कोई लाभ या तर्क नहीं है। खर्चीली शादियाँ भी ऐसी ही परम्परा बन गई हैं। इस कुप्रथा को न छोड़ते बनता है और न अपनाते। सौंप, छहूँदर की सी गति हो रही है। खौलता दूध न पीते बनता न उगलते। छोड़ें तो उपहास बनता है और रिश्ता नहीं निभता, अपनाये तो लाए कहाँ से? इस असमंजस में किन्हें किस प्रकार निपटना पड़ा इसका दर्द भरा इतिहास यदि छप सका तो प्रतीत होगा कि जन-जीवन एवं समाज संतुलन को अस्त-व्यस्त, नष्ट-भ्रष्ट करके रख देने में इस कुप्रथा का कितना बड़ा हाथ है।

स्थिति का विवेचन और विरोध बहुत समय से होता चला आया है पर उससे कुछ बना नहीं। लेख, भाषण और

प्रस्ताव के पुलन्दे कबाइखानों और कूड़ेदानों के पेट में समा गये। कुम्भकरणी यथास्थिति के कानों पर जूँ नहीं रेंगी। समय आ गया है कि बड़ा कदम उठाया और कड़ा रुख अपनाया जाय। यह कार्य जिस प्रयास के सहारे सम्भव हो सकता था उसे ही इन दिनों अपनाया गया है। प्रगतिशील जातीय सम्मेलनों को इसी रूप में देखा और इसी प्रयोजन के लिए बुलाया गया समझा जाना चाहिए।

उग्र अतिवादी समाज सुधार को एक क्षण में कर डालने की आतुरता में बातें बड़ी-बड़ी करते हैं और जाति-पाँति से लेकर समस्त कुरीतियों को एक बार में ही मिटा डालने की बात कहते हैं। पर स्थिति को देखते हुए एकबारगी इतनी छलौंग इन्हीं दिनों लगा सकना सम्भव नहीं दीखता। सुधार की क्रमिक प्रक्रिया अपनाते हुए एक-एक कदम बढ़ाते हुए उस लक्ष्य तक पहुँच सकना सम्भव है जिससे प्रस्तुत खाई को पाटा जा सके। उछलकर छत पर पहुँचना कठिन है, सीढ़ियों पर एक-एक पैर उठाते हुए उस ऊँचाई तक पहुँच सकना सरल है। हम इन दिनों बालकों की स्थिति में रह रहे हैं। व्यापक क्षेत्र में दुस्साहसपूर्ण परिवर्तन कर सकना एकबारगी सम्भव न हो सकेगा। दो-चार अपवादों से कुछ बनता-बिगड़ता नहीं। सुधार तो प्रवाह की तरह चलना चाहिये और प्रयास ऐसा होना चाहिए जो परिस्थितियों के साथ तालमेल खा सके और जनमानस के गले उतर सके। इस प्रकार कछुए की चाल से सुनिश्चित गति से चलते हुए खरगोश की उछलकूद को पीछे छोड़ा जा सकता है।

प्रगतिशील जातीय सम्मेलनों को हरिद्वार कुम्भ पर्व पर आयोजित इसी दृष्टि से किया गया है कि सामाजिक कुरीतियों से एक-एक करके जूझने के लिए कारगर कदम उठाया जा सके। वर्तमान परिस्थितियों में जनसाधारण की मनःस्थिति अपनी-अपनी बिरादरी में विवाह-शादी करने की है, यदि कुरीतियों को हटाया जा सके तो इसमें भी कुछ हर्ज नहीं। एक प्रकार के प्रथा-प्रचलन वाले लोग आपस में अपेक्षाकृत अधिक अच्छी तरह घुलमिल जाते हैं। फिर अभी असवर्ण विवाहों में एक कठिनाई यह रहती है कि उनके बालकों के विवाह-शादी के अवसर पर कठिनाई उठानी पड़ती है। उन्हें प्रचलित समाज में उपयुक्त स्थान नहीं मिल पाता। सभी

कठिनाइयों से एक साथ जूझने की अपेक्षा एक-एक कदम उठाना अधिक व्यावहारिक है। इसलिए अभी जाति-पाँति के सम्बन्ध में इतना सुधार ही कामचलाऊ माना जा सकता है कि उपजातियाँ अपने से मिलती-जुलती बड़ी जाति में अपना दायरा बढ़ावें। इतने से भी आधी कठिनाई हल हो सकती है, अभी तो थोड़ी संख्या वाली छोटी उपजातियों में अच्छे स्तर के जोड़े मिलना अति कठिन पड़ता है और उपयुक्त लड़कों के दाम प्रतिस्पर्धा में आसमान तक चढ़ जाते हैं। इतनी ऊँची बोली बोलना सामान्य लोगों के बस की बात नहीं रहती। फलतः सुयोग्य लड़कियों को भी अयोग्य लड़कों के गले बँधना पड़ता है। यदि उपजातियों का क्षेत्र बढ़ जावे तो ढूँढ़-खोज सरल पड़ेगी जैसे कि मंडी में अनेक दुकानें रहने पर आवश्यक वस्तु बिना कठिनाई के मिल सकती है। प्रगतिशील जातीय सम्मेलनों में भारतीय समाज के विभिन्न घटकों को इस निर्णय पर पहुँचना है कि शादियों के लिए उपजातियों का दायरा बढ़ाया जायेगा। संकीर्ण सीमा बंधन की जकड़न को थोड़ा ढीला किया जायेगा, इतना बन पड़े तो शादियों में ढूँढ़-खोज की जो कठिनाई रहती है उसमें भारी राहत मिल सकती है।

इन सम्मेलनों को एक दूसरा निर्णय यह करना है कि शादियों में होने वाले अपव्यय को घटाया और मिटाया जायेगा। बारातें इधर से उधर लिये फिरना, अपने सम्बन्धी का, बारातियों का समय और धन बर्बाद करना किसी भी दृष्टि से बुद्धिमत्तापूर्ण नहीं है। शादियाँ संसार भर में होती हैं। उन्हें किला जीतने या पहाड़ उठाने जैसा अद्भुत नहीं बताया जाता और न होश-हवास खो बैठने की आवश्यकता समझी जाती है। तीज-त्योहारों की तरह विवाह भी एक घरेलू उत्सव है जिसमें वधू के घर आने पर वर पक्ष के लोग अपने मित्रों को जलपान पर बुला सकते हैं, इसी प्रकार वर के सुसराल पहुँचने पर वहाँ के लोग अपने मित्रों को स्वागत के लिए बुला सकते हैं और छोटी चाय पार्टी कर सकते हैं। बारातों का हज़ूम इधर से उधर मारा-मारा फिरे और अकारण हुड़दंग खड़ा हो इसकी उपयोगिता आवश्यकता किसी भी प्रकार समझ में आने योग्य नहीं है। हर बुद्धिमान इसकी निरर्थकता को समझेगा और स्वीकार करेगा कि वरपक्ष के दस-बीस निजी परिवार के लोग शादी के लिए जायें और वधू को लेकर हैंसते-हँसाते लौट आयें।

क्या दिया गया क्या लिया गया, इस प्रसंग में न तो कोई प्रदर्शन हो न आग्रह। दहेज वस्तुतः अभिभावकों और कन्या के बीच की निजी उपहार व्यवस्था है, इसमें ससुराल वालों को न तो रुचि लेनी चाहिए और न हस्तक्षेप करना चाहिए। समय-कुसमय के लिए विवाह के अवसर पर नववधू को जो धन, सुरक्षित निधि के रूप में मिलता है वही दहेज है। पुराने समय में जेवर आदि के रूप में दिया जाता था। अब सर्वोत्तम तरीका लम्बे समय के लिए उस राशि को बैंक में जमा कर देने और हर पाँच वर्षों में उसे ब्याज समेत दूना बनाते चलने का तरीका ही है। यह दहेज लड़की को अपने अभिभावकों से ही नहीं ससुराल वालों से भी मिले। वे जो जेवर चढ़ाना चाहते हैं उतनी राशि नववधू को सुरक्षित धन के रूप में दें। दोनों पक्षों का दिया हुआ दहेज विशुद्ध रूप से कन्या की निजी और सुरक्षित सम्पत्ति मानी जाए। इसमें हिस्सा बँटाने को ससुराल के लोग किसी प्रकार का प्रयत्न न करें। दिखावा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिये। अमुक चीजें देने का रिवाज है, इस दृष्टि से कुछ भी देना आवश्यक नहीं, आवश्यकता को देखते हुए ही ऐसा सामान दिया जाए जिसकी विवाह के उपरान्त अतिरिक्त आवश्यकता पड़ेगी। जो चीज घर में मौजूद है उन्हीं को और अधिक मात्रा में देकर घर घेरने की क्या आवश्यकता है। यदि जाते ही अलग गृहस्थी नहीं बसाना है और संयुक्त परिवार का अंग बनकर लड़की को रहना है तो विचारपूर्वक देखना चाहिये कि विवाह के कारण किन वस्तुओं की अनिवार्य रूप से आवश्यकता पड़ेगी। उपहार की वस्तुएँ उसी दृष्टि से दी जानी चाहिये। दिखावा तो उसका भी नहीं होना चाहिये। मोटे रूप से यही वह सुधारवादी आदर्श विवाहों का प्रचलन है जिन्हें करने के लिए प्रगतिशील जातीय सम्मेलन में सम्मिलित होने वाले को अपनी मनोभूमि बनाकर आना चाहिये। इन्हीं विषयों पर चर्चा हो, जोर दिया जाए, सहमत किया जाए और प्रचलन को अपने ही लोगों से आरम्भ करने का प्रयास किया जाए।

युग निर्माण परिवार के सदस्यों की संख्या २० लाख से ऊपर है उसमें हर जाति, उपजाति के विचारवान लोग मौजूद हैं, हर समुदाय के हजारों-लाखों व्यक्ति मौजूद हैं। अन्य लोगों की प्रतीक्षा किये बिना यह समुदाय अपने लोगों से ही इस सुधारवादी प्रचलन का श्रीगणेश कर सकता है। जब तक प्रचलन सामान्य न हो जाय तब तक आदर्श उपस्थित करने

और जन-जन में उत्साह भरने की दृष्टि से सामूहिक विवाहों के आयोजन हर क्षेत्र में होते रह सकते हैं। इन आयोजनों में उपस्थित लोग अनुकरण की प्रेरणा प्राप्त करते हैं और चर्चा का विषय बन जाने से असंख्यों को वैसा सोचने और साहस जुटाने का अवसर मिलता है।

यही हैं वे तथ्य, जिन्हें अपनाने को युग निर्माण परिवार के सदस्यों को इन प्रगतिशील जातीय सम्मेलनों में आग्रहपूर्वक बुलाया गया है। यहाँ तक बात ध्यान रखने योग्य है कि अपने समाज में धूर्तता चरम सीमा पर है। सुधारवादी प्रयासों में भी दुरभिसंधियों की घुसपैठ होती है। प्रत्यक्ष रूप से आदर्श विवाह का श्रेय पाना और गुप-चुप सौदा पटा लेना, खर्च से बचना और घड़ा भर लेना भी चतुरता का एक नया हथकण्डा है। अन्यत्र लोग यह भी करने लगे हैं पर अपने समुदाय में ऐसी धूर्तता नहीं अपनाई जानी चाहिए।

इस प्रयास में लड़के वालों को पहल करनी है, आम तौर से हर व्यक्ति लड़की की शादी के समय 'गौ' बनता और सुधारवाद की दुहाई देता पाया जाता है। लड़के की बारी आने पर खूनी पंजे निकालता है और सुधारवाद का दबाव पड़ने पर सौ तरह के बहाने बनाकर पीछा छुड़ाता है। यह दुहरे मुखौटे पहनने की नीति ही इस पुण्य प्रचलन में सबसे बड़ी बाधा है, इन सम्मेलनों में आने वाले अधिकतर ऐसे लोग हो सकते हैं जो सस्ते मोल में महँगा लड़का खरीदने की आशा लेकर चले हों। इसमें हर्ज नहीं। किन्तु पहल तो लड़के वालों को करनी होगी। सभी लोग अपनी लड़कियों के लिए वर ढूँढ़ेंगे और लड़कों की चर्चा इसीलिए छिपायेंगे कि उस हुण्डी को अन्यत्र भुनाया जा सकता है। ऐसी दशा में बात बनेगी नहीं। यदि ऐसा ही होता रहा तो सहृदय और भावुक मारे जायेंगे, धूर्त नफे में रहेंगे। लड़की तो सस्ते में निपटाई, लड़के का पूरा मोल वसूल कर लिया। ऐसी दशा में लड़के वाले पर दुहरी मार पड़ेगी। लड़के पर कुछ मिला नहीं, लड़की के समय देना पड़ा यह विसंगतियाँ जब तक बनी रहेंगी तब तक अभीष्ट उद्देश्य की पूर्ति न हो सकेगी और नियोजित सम्मेलन मखौल बनकर रह जायेंगे। उनकी सफलता इस बात पर निर्भर है कि सुधारवादी अपने लड़कों को आगे रखें। लड़की की चर्चा पीछे करें। सब लोग यदि अपनी-अपनी लड़कियों की ही बात करेंगे तो आखिर उन्हें लड़के मिलेंगे

कहाँ से? सदाशयता के सहारे ही यह सुधारवाद सफल हो सकता है। दो चेहरे पहनने की नीति से ही अब तक इस प्रयास को असफल बनाये रखा है, स्थिति वैसी ही बनी रही तो परिणाम निराशाजनक ही होंगे।

यहाँ इस तथ्य को अधिक अच्छी तरह समझा जाना चाहिये कि लड़के वाले खर्चीली शादियों का आग्रह करके दुहरे घाटे में रहते हैं। बंदनामी तो उठाते ही हैं। जेवर, बारात, दावत आदि में जो खर्च करते हैं वह मिलने वाली नकदी से कहीं अधिक होता है। कन्या पक्ष से प्रायः ऐसा कवाड़खाना ही उपलब्ध होता है जिसका घर घेरने या जहाँ-तहाँ छितरा देने के अतिरिक्त और कोई उपयोग नहीं। जो चीजें बेची नहीं जा सकती, नकदी के रूप में घूमने वाली पूँजी नहीं बन सकती, वे अर्थशास्त्र की दृष्टि से हानिकारक हैं, क्योंकि उनके रखने में जगह धिरती है और पुराने होते चलने के साथ-साथ उनकी कीमत तथा उपयोगिता घटती है।

युग निर्माण परिवार के परिजन बहुत समय से समाज निर्माण की सत्परम्पराएँ प्रचलित करने की आवश्यकता समझते रहे हैं उन्हें कुरीतियों के विरुद्ध संघर्ष करने के लिये कितने समय से प्रशिक्षित, सहमत और उद्यत किया जाता रहा है। अब समय आ गया है कि उस दिशा में ठोस कदम उठाया जाए। प्रगतिशील जातीय सम्मेलनों का इस वर्ष इसी दृष्टि से शुभारम्भ किया गया है कि अपने देव परिवार में अपव्यय-रहित आदर्शों सहित विवाह-शादियों का प्रचलन चल पड़े। समय बदलने ही वाला है श्रेष्ठ परम्पराएँ चलेंगी ही। स्रष्टृत्वियाँ पनपेंगी ही, अच्छा हो उनका नेतृत्व और श्रेय-सौभाग्य अपने देव परिवार के परिजन ही प्राप्त कर सकें।

अवांछनीय तत्त्वों को न आदर दीजिए, न समर्थन कीजिए

समाज के वर्तमान प्रवाह को बदलने में हमारी आदर दृष्टि और प्रशंसा पद्धति क्रान्तिकारी भूमिका प्रस्तुत कर सकती है। जिस प्रकार हमारा मतदान सरकार को बदल सकता है, अवांछनीय तत्त्वों को उसमें से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक सकता है उसी प्रकार हमारा आदर दान समाज में दुष्ट प्रवृत्तियों को विकसित भी कर सकता है।

किसी को सम्मान देने का अर्थ होता है उसे उत्साहित करना । उसे इस बात के लिए और भी दृढ़ संकल्प कर देना कि वह अपनी वह स्थिति हर प्रकार से बनाये रखे जिससे उसे आदर प्राप्त हुआ है । अब मानिए हमने किसी पदस्थ अथवा धनाढ्य का बाहरी आडम्बर देखकर आदर सम्मान दिया और उसने वह स्थिति दुष्टता, प्रवंचना अथवा अनीतिमूलक उपायों से प्राप्त की है, तो क्या हमारे दिये आदर-सम्मान से वह उनका सार्वजनिक समर्थन नहीं समझेगा तथा उनको बनाए अपनाए रखने में और दृढ़तावान् न हो जायेगा । इतना ही नहीं वह अपनी उन गतिविधियों को और अधिक बढ़ा देगा जिससे कि उसमें हास न आये और वह उनके आधार पर अधिकाधिक सम्मान पाता रह सके । इस प्रकार हम, ऊपरी आडम्बर देखकर किसी गलत व्यक्ति को आदर देकर दुष्प्रवृत्तियों को प्रोत्साहित करने के दोषी बन जाते हैं । इसके विपरीत यदि हमारी आदर-बुद्धि विवेकपूर्ण भूमिका प्रस्तुत करे तो कुमार्ग पर चलने वाले कितने ही कदमों को रोककर उन्हें नई दिशा दी जा सकती है और इस प्रकार समाज के अवांछनीय प्रवाह को बहुत कुछ रोका जा सकता है ।

जहाँ समाज में दुष्प्रवृत्तियों की बहुतायत है वहाँ सत्प्रवृत्तियों का भी सर्वथा अभाव नहीं है । शहर-शहर, गाँव-गाँव और मोहल्ले-मोहल्ले में दो एक व्यक्ति ऐसे मिल ही सकते हैं जो ईमानदारी, सत्यनिष्ठा तथा सदाचार का जीवन व्यतीत करते हों । अनीति से धनवान् बनने की अपेक्षा नीतिपूर्वक चलते हुए निर्धनता में ही संतुष्ट हों । यदि ऐसे आदर्श सामान्यजन को आगे लाया और उनका सार्वजनिक, चाहे साधारण ही सही, सम्मान किया जावे तो क्या साधारण लोगों को सत्पुरुष बनने का प्रोत्साहन नहीं मिलेगा और क्या अनीति से धनवान् बने व्यक्तियों पर आत्म-ग्लानि की प्रतिक्रिया नहीं होगी ? क्या उन्हें इस पश्चाताप के साथ अपना अनीति-अर्जित वैभव तुच्छ नहीं दीखने लगेगा कि यदि धर्म खोकर धन कमाने के बजाय हमने सदाशयता का संघय किया होता, धनातंक से प्रभावित करने के बजाय यदि लोगों को सत्कर्मों तथा सदाचार से द्रवित किया होता तो क्या आज मैं बहिष्कृत होकर इस प्रकार से वंचित बना रहता ? निश्चय ही उसे ऐसी प्रतिक्रिया होगी और उसकी विचारधारा तथा दृष्टिकोण बदलेगा ।

किन्तु कहाँ, हम अपनी आदर दृष्टि को ठीक दिशा में कहाँ ले जाते हैं और कहाँ अपने आदर का अनुदान ठीक व्यक्ति को देते हैं ? हम तो बच्चों की तरह लोगों का आडम्बर और टीमटाम देखकर विस्मित हो उठते हैं और मूर्खों की तरह अपने आदर के फूल अपावन प्रतिमाओं पर चढ़ाने लगते हैं । अब बहुत हो चुका, हमको निश्चय ही अपनी इस हीन तथा अयुक्त आदर प्रवृत्ति का परिवर्तन कर ही डालना चाहिए । इससे समाज का बड़ा हित होगा और हम श्रेय तथा पुण्य के भागी बनेंगे ।

समाज में सत्प्रवृत्तियों को आदर नहीं मिल रहा है, उनका प्रोत्साहन नहीं किया जा रहा है । लोग चाहते हैं कि वे अनीतिपूर्वक धनवान् बनने के बजाय नीतिपूर्वक निर्धन बने रहें । किन्तु लोग उन्हें असफल मानते मूर्ख तथा अज्ञानी समझते हैं । फलतः वे सारे अंकुर कुंठा की आग में झुलस कर नष्ट हो जाते हैं जिनमें आगे चलकर सत्कर्मों के फल-फूल खिलते और जिनकी सुगन्ध एवं उपयोगिता समाज का वातावरण सुरभित कर देती । ऐसी निर्धनतामूलक नीति को भला कोई क्यों पसन्द करेगा जिसका आदर होना तो दूर उल्टे तिरस्कार ही हो । यह बात सही है । आदर पाना कोई अनिवार्य आवश्यकता जरूर नहीं है, तब भी कोई अवज्ञा तथा अनादर तो पाना नहीं ही चाहेगा । हमारे दोषपूर्ण दृष्टिकोण निर्धनता को अनादर तथा अवज्ञा से देखते हैं फिर चाहे उसका करना किसी का संतोष, त्याग तथा सदाचार के प्रति निष्ठा ही क्यों न हो । हमें अपने इस दोषी दृष्टिकोण को बदलना ही होगा और समाज के हित में शुभांगिनी असम्पन्नता को भी आदर देना होगा । तभी समय का प्रवाह समाज की शुभ रचना की ओर मुड़ सकना सम्भव होगा अन्यथा नहीं ।

लोग समाज की सेवा करना चाहते हैं और करते भी हैं, ईमानदार रहना चाहते और रहते भी हैं, भोले-भाले और सज्जन बनना चाहते हैं और बनते भी हैं किन्तु समाज न तो उन्हें कोई प्रोत्साहन देता है और न उनकी सदाशयता की प्रशंसा करता है और यहाँ तक उन्हें मान्यता, अथवा प्रामाणिकता तक नहीं मिलती, निदान इस उपेक्षा से वे लहलहाते अंकुर उसी प्रकार मुरझा जाते हैं जैसे खाद-पानी के अभाव में उभरता हुआ पौधा यथास्थान कसमसा कर रह जाता है । ठीक है समाजसेवी तथा सद्भावियों को सत्कार की भूख नहीं रखनी

चाहिए, यह उनकी व्यक्तिगत आत्मोन्नति का साधन है ऐसा समझना चाहिये और आदर मिलता है या नहीं, मान्यता प्राप्त होती है या नहीं इस बात से उदासीन रहकर अपने पुण्य पथ पर चलते ही रहना चाहिए। यह उनकी अपनी बात है, किन्तु हमारा तो कर्तव्य है कि हम ऐसे सत्पुरुषों का सम्मान करें और उन्हें उचित आदर-मान्यता देकर अपनी गुण ग्राहकता प्रकट करें और यह प्रमाणित करें, वे जो कुछ कर रहे हैं उससे समाज का, हम सबका हित होता है और उसके लिए हम आभारी एवं कृतज्ञ हैं। आप जीवन पथ के साहसी सिपाही हैं जो चारों ओर के दूषित वातावरण में भी अपनी नेकी को सुरक्षित रखे हुए चले जा रहे हैं।

लोगों का अनीति पर न चलना प्रत्यक्षतः अपनी, समाज, देश और संसार की महान सेवा ही मानी जायेगी क्योंकि उससे स्वयं को तो आत्म-संतोष होगा ही दूसरों को भी सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलेगी। उसी प्रकार दूसरों को सन्मार्ग पर चलाने और कुमार्ग से विरत रहने की प्रेरणा देना भी एक बड़ी समाज सेवा है, जिसे हम सब बड़ी सरलता से कर सकते हैं। उसका उपाय है सदाशयताओं को आदर देना और कुप्रवृत्तियों को हतोत्साह करना।

जिन लोगों ने उत्तराधिकार, अकस्मात् संयोग अथवा गलत उपायों से कोई बड़ी सम्पत्ति पाली है, बड़प्पन प्राप्त कर लिया है, उन्हें अपनी आदर श्रद्धा के फूल चढ़ाने के बजाय यदि उन लोगों की प्रतिष्ठा की जाये जिन्होंने अभाव से संघर्ष करते हुए बाधाओं एवं विपत्तियों से जूझते हुए जीवन के उन आदर्शों तथा मानवीय मूल्यों की रक्षा की है तो कोई कारण नहीं कि समाज की अनुचित दिशा में बहती हुई धारा शुभ एवं उज्ज्वल दिशा की ओर न मुड़ने लगे। जो लोग निन्दनीय उपायों से उन्नति कर रहे हैं, गर्हित प्रकारों से धन-सम्पत्ति बटोर रहे हैं, आतंक द्वारा अपना प्रभाव फैला रहे हैं, प्रपन्च एवं आडम्बरों द्वारा पद पा रहे हैं वह हमारी आदर भावना के अधिकारी किस प्रकार हो सकते हैं? और यदि होते हैं तो मानना होगा कि हम स्वयं भी उसी प्रकार के व्यक्ति हैं। किसी बात अथवा काम के समर्थन से भी मनुष्य का अन्तःकरण तथा आचरण विदित हो जाया करता है। अनुचित कार्यों का समर्थन उन्हें बढ़ावा देने वाला ही सिद्ध होता है। हमारा समर्थन उचित तथा अच्छी बातों को ही प्राप्त होना चाहिए।

यदि हम भले कामों और भले व्यक्तियों को प्रशंसा-प्रतिष्ठा देना शुरू कर दें तो कोई कारण नहीं कि समाज शीघ्र ही भलाई की दिशा में अग्रसर न हो उठे।

मनुष्य का मूल्यांकन उसकी प्रत्यक्ष सफलता से नहीं उसके उन्नत गुण, कर्म, स्वभाव से करना चाहिए। यदि प्रत्यक्ष सफलता ही आदर-सम्मान की सच्ची कसौटी मानी जाये तो शिवाजी, राणाप्रताप, वंदा वैरागी, गुरु गोविन्द सिंह, लक्ष्मीबाई, सुभाष चन्द बोस, चन्द्रशेखर आजाद और रामप्रसाद विस्मिल जैसे लोग किसी प्रकार भी उस पर खरे नहीं उतरते। इन महान व्यक्तियों ने जीवन में न जाने कितनी असफलताएँ देखीं और उस माने में अन्त तक असफल ही रहे। किन्तु क्या समाज इनका आदर नहीं करता इनको प्रतिष्ठा की दृष्टि से नहीं देखता। कदाचित ही कोई ऐसे मोटी बुद्धि वाले लोग हों जो इनका मूल्यांकन असफलता की तुला पर करते हों, यदि कोई ऐसा करते हैं तो वे स्तरीय व्यक्ति नहीं माने जा सकते उन्हें छोटी बुद्धि तथा तुच्छ मानसिक स्तर का ही मानना पड़ेगा। सफलता का मापदण्ड विजय-पराजय अथवा धन-दौलत नहीं, बल्कि वे कर्तव्य हैं जिनका किसी ने आपत्ति तथा हानि की स्थिति में ही निष्ठापूर्वक पालन किया है।

सफलता की अपेक्षा नीति श्रेष्ठ है। अपने आपको नीति पर चलाते हुए यदि असफलता भी मिलती है तो वह गौरव की ही बात है और यदि अनीतिपूर्वक इन्द्रासन भी प्राप्त होता है तो वह गर्हित ही है। सफलता न मिलने से भौतिक-जीवन के उत्कर्ष में कुछ बाधा पड़ सकती है किन्तु उससे समाज का जो हित होगा उससे जो आत्म-गौरव तथा आत्म-सन्तोष मिलेगा वह कुछ कम मूल्यवान् नहीं है। अनीतिपूर्वक सफलता पाकर लोक-परलोक, आत्मसन्तोष, चरित्र, धर्म तथा कर्तव्यनिष्ठा का पतन कर लेने की अपेक्षा नीति की रक्षा करते हुए असफलता को शिरोधार्य कर लेना कहीं ऊँची बात है। अनीतिमूलक सफलता अन्त में पतन तथा शोक-सन्ताप का ही कारण बनती है। रावण, कंस, दुर्योधन जैसे लोगों ने अधर्मपूर्वक न जाने कितनी बड़ी-बड़ी सफलताएँ पाईं किन्तु अन्त में उनका पतन ही हुआ और पाप के साथ लोकनिन्दा के भागी बने। आज भी उनका नाम घृणापूर्वक ही लिया जाता है।

यदि ऐसे लोगों की सफलताएँ जनता का समर्थन पाती रहतीं, लोग उनकी पूजा-प्रतिष्ठा करते रहते तो उनका पतन

उतना जल्दी न होता, जितना जल्दी हुआ । संसार न जाने कब तक उनके अत्याचारों का शिकार बना रहता और समाज उनके उत्पीड़न से त्राहि-त्राहि करता रहता । किन्तु जनसाधारण से लेकर सभासदों तक ने उनका समर्थन नहीं किया, उनकी प्रवृत्तियों की प्रतिष्ठा नहीं की, उनके कार्यों की प्रशंसा नहीं की, जिसका फल यह हुआ कि बहुत बड़ी शक्ति तथा अनन्त साधन होते हुए भी उन्हें पराजित होकर समाज से हटना ही पड़ा ।

इसके विपरीत दयनीय पाण्डवों के सदाचरण की जन-जन ने प्रशंसा की, उन्हें अराजत्व की स्थिति में भी प्रतिष्ठा प्रदान की, उनका समर्थन किया जिसका फल यह हुआ कि उनका उत्कर्ष हुआ । लोगों ने सत्कर्मों तथा सदाशयता की महिमा समझी और अनाचार तथा अनीति का युग शीघ्र ही सदाचार तथा सदाशयता के युग में बदल गया सब ओर सुख-शांति विराजमान हो गई ।

यह निर्विवाद सत्य है कि यदि आज हम सब आडम्बर तथा अनीतिमूलक उन्नति, उत्कर्ष अथवा धन-वैभव की प्रतिष्ठा व प्रशंसा छोड़कर सत्पुरुषों, सत्कर्मों तथा सदाशयता का आदर-सम्मान करने लगे, निर्धन सदाचारियों और असफल कर्तव्यनिष्ठा का भी मूल्य आंकन करने लगे तो शीघ्र ही समाज का आमूल काया-कल्प हो जाये, इसमें कोई संदेह नहीं ।

विवाह के विकृत मानदण्डों को बदलना ही होगा

समय का प्रवाह अब विवाह के विकृत मानदण्डों को बदलकर ही रहेगा । चारों ओर आए दिन इसकी साक्षियाँ देखी जा सकती हैं और जिनकी दृष्टि-बिल्कुल ही संकीर्ण अर्थों में वर्तमान तक ही सीमित नहीं है, जो इतिहास और समाजों के उतार-चढ़ावों की घटनाओं को भी जानते-समझते हैं, वे अब इन रूढ़ियों को अपरिवर्तनीय नहीं मानते अपितु इनका विनष्ट होना सुनिश्चित समझ रहे हैं । अतः आवश्यकता संतुलित दृष्टि से विचार कर नए मानदण्डों के प्रचलन की है । क्योंकि विकृत प्रचलनों के प्रति विद्रोह तो आए दिन सर्वत्र उभरता देखा जा सकता है, किन्तु नए प्रचलनों का आधार विनिर्मित करने के प्रयास देखने को नहीं मिलते । विकृतियों के शीघ्र नष्ट न होने का एक बड़ा कारण प्रभावी विकल्प का विद्यमान न होना भी है । क्योंकि समाज बिना रीति-रिवाजों के कदापि नहीं रह सकता ।

विवाह के मूल अभिप्राय यदि सुरक्षित नहीं रखे जा सके, तो विवाह संस्था के प्रति भारतीय-जनमानस में आज भी जो सम्मान सुरक्षित है, वह अधिक दिन और टिकने वाला नहीं । क्योंकि शिक्षा और समझदारी के विकास के कारण अब कोई भी पक्ष आँख मूँदकर, चुपचाप किन्हीं व्यवस्थाओं को पवित्र स्वीकार करने की स्थिति में नहीं है ।

अभी पिछले ही दिनों दिल्ली में घटी एक घटना ऐसी ही विवेक जाग्रति का एक उदाहरण है । ब्रिटेन में रह रही एक भारतीय कन्या के अभिभावकों ने कन्या के विवाह के लिए दिल्ली के अखबार में विज्ञापन दिया । ज्योतिषियों को जन्मपत्री दिखाकर, मुहूर्त-विचार, गुण-विचार आदि करते रहने का समय और आकर्षण अब जागरूक वर्ग के यहाँ शेष है नहीं, इसलिए अब तो समाचार पत्र ही ज्योतिषियों का और लड़का-लड़की दूँदने-खोजने वाले सम्बन्धियों-नातेदारों का आधा दायित्व निभाने लगे हैं ।

कन्या ब्रिटेनवासिनी है, यह पढ़-जानकर सैकड़ों विदेश-गमनार्थी, पाणि-प्रार्थी, डाक्टरों-इन्जीनियरों ने विज्ञापन के उत्तर में अपने को प्रस्तुत करते हुए निर्दिष्ट पते पर पत्र भेजे । माँ-पिता ने दामाद के चयन में जब बिटिया की भी पसन्द जाननी चाही, तो वे उसके अप्रत्याशित उत्तर से अवाक् रह गए । उसने स्पष्ट कर दिया कि मैं इनमें से एक से भी विवाह नहीं करूँगी । क्योंकि इनके सभी के पत्र पढ़ने के बाद, मुझे सबमें एक ही चाह झाँकती दिखी कि वे विदेश में बसने का अवसर पाकर चूकना नहीं चाहते । वे विदेश-लोभी मुझमें मेरे व्यक्तित्व की विशेषताओं में कोई रुचि नहीं रखते । इनकी विदेश जाने की ललक पूरी हो गई तो फिर इन्हें मुझमें क्या रुचि रह जायेगी ? ये तो वहाँ के रंगीन वातावरण में ही डूबते चले जायेंगे । मुझे तो ऐसा व्यक्ति चाहिए जो मेरे गुणों के आधार पर मुझसे विवाह का आकांक्षी बने ।

दिल्ली की ही एक अन्य खबर यह है कि वहाँ विगत वर्ष एक माह में तीन महिलाओं की हत्या उनके अपने ही सम्बन्धियों ने कर दी । तीनों अलग-अलग हत्याओं के पीछे कारण एक-जैसे ही थे । उनके ससुराल पक्ष के लोग दहेज में कम सामान लाए जाने से असन्तुष्ट थे । ये तो देश की राजधानी के मामले थे, सो प्रकाश में भी आए, इन्हें लेकर आवेश-आक्रोश की अभिव्यक्ति हुई । सुदूर गाँवों में तो ऐसी

घटनाएँ आए दिन होती ही रहती हैं। हाँ, इस बार यह जरूर हुआ कि दिल्ली की घटनाओं ने संगठित जन-आक्रोश को जन्म दिया और बढ़ते हुए जनमत के दबाव से सरकार को एक नया कदम उठाने का विचार करना पड़ा कि संसद में ऐसा विधेयक लाया जाय, जिसमें दहेज एक ऐसा अपराध घोषित हो, जो पुलिस हस्तक्षेप के योग्य है। अभी तक ऐसा नहीं था और सूचना मिलने पर भी पुलिस दहेज देने-लेने के विरुद्ध कुछ नहीं कर सकती थी। इस कानून के बन जाने पर भी पुलिस कितना क्या कर पाएगी यह तो आगे ही ज्ञात होगा। किन्तु ऐसा लगता है कि विवाह के अवसर पर भिक्षा पात्र लेकर खड़े हो जाने वाले लड़कों को जब कन्याएँ स्वयं ही अस्वीकार करने लगेंगी और यह प्रवृत्ति बड़े पैमाने पर फैल जायेगी, तभी शायद इन भिखारियों में आत्मग्लानि का भाव पैदा हो। कितना अच्छा हो, यदि यह स्थिति आने के बहुत पहले ही विवाह के अभिप्राय को ठीक से समझा जाय और उसका नया स्वस्थ सामाजिक स्वरूप विकसित किया जाय।

जब तक विवाह के इस मूल प्रयोजन के अनुरूप उसका सामाजिक स्वरूप नहीं विकसित होगा कि दो मित्र साथ-साथ रहकर जीवन की नाव खे सकें और समस्वराता के साथ आदान-प्रदान के भाव से जीवन-यात्रा में आगे बढ़ें, तब तक विवाह एक ऐसी कामचलाऊ व्यवस्था मात्र ही बना रहेगा जो चल तो रही है, पर जिसके कल्पुर्जे ढीले हो चुके हैं और घिस चुके हैं।

दाम्पत्य-जीवन की सफलता गुण-कर्म-स्वभाव की समरचना पर ही आश्रित है और रहेगी। इससे कम में बात बनेगी नहीं। मन ही न मिला तो एक ही घर में साथ रहने से भी क्या बनता है? चूहे-बिल्ली भी तो कई घरों में साथ-साथ रहते हैं।

आज से सुशिक्षित माता-पिता लड़की के समान ही घर दूँढ़ने की सतर्कता बरतते भी हैं। वे मात्र भौतिक समानता, धन, आजीविका, रहन-सहन के स्तर की समानता तक ही देख और सोच पत्ते हैं। किन्तु समानता के ये आधार बहुत ही उथले हैं। स्वभाव और गुण-कर्म की विषमताएँ ऐसी भौतिक समानताओं को निरर्थक बना देती हैं।

लड़कियों के माता-पिताओं को यह सदैव याद रखना चाहिए कि उन्हें कन्यादान करना है। दान सदैव सत्पात्र को

किए जाने पर ही लाभप्रद होता है, यह तथ्य सर्वविदित है। कन्या का दान उसे ही करना चाहिए, जिसे कन्या की सर्वाधिक जरूरत है। जिसे कन्या से अधिक दहेज की वस्तुओं और सुविधाओं की जरूरत है, उसे कन्या दान देने का कोई औचित्य नहीं। अपितु ऐसा करने में दोष ही है। यदि उस व्यक्ति को दान देने का आकर्षण मन में उमड़ता ही है तो उसे यों ही वस्तुएँ दान में दे दें। पर कन्या देने का तो कोई तुक ही नहीं। कन्या उसे दें, जिसे उसकी जरूरत है। जो अपने आत्मिक विकास के लिए, जीवन-यात्रा में साहचर्य के लिए उसकी अत्यधिक आवश्यकता अनुभव करे, वही कन्यादान का पात्र है।

खुद लड़कों को तथा उनके माता-पिता को तो यह तथ्य अब समझ ही लेना चाहिए कि सामाजिक जागरूकता के विकास के इस क्रम में, उनकी संकीर्णता उन्हें बाहर निन्दा और अवमानना का पात्र बनायेगी तथा घर के भीतर कलह-कटुता का कारण बनेगी। सुख-चैन से वे भी बैठ नहीं पायेंगे। इसलिए धन रूप या अन्य कोई भौतिक आकर्षण अपनी पसन्द का आधार न रखें अन्यथा हर हालत में पछतावा ही हाथ लगेगा। रूप और धन के मापदण्ड ओछे एवं छोटे हैं। गुण-दोषों के आधार पर लिए गए निर्णय ही ठीक उतरते हैं।

यों सच बात तो यह है कि रूप-धन के आधार पर की गई परख तो ओछी है ही, गुण-स्वभाव के आधार पर की गई परख भी अधूरी है। विवाह की सफलता का एकमात्र सूत्र है—विवाहाकांक्षी में दूरदर्शिता और सदाशयता का, सद्भाव और सन्तुलन का होना। ताकि तालमेल बिठाने के प्रयास कभी भी छोड़े न जाएँ। उदारता, विश्वास, आत्मीयता की सघन संवेदनाएँ जहाँ हैं, वहीं विवाह-संस्था में प्रवेश की पात्रता मानी जानी चाहिए। इस दुनिया में कोई भी सुख बिना कुछ भी मूल्य चुकाए नहीं मिलता। विवाह सुख की कीमत चुकाने को तैयार लड़के-लड़कियों को ही विवाह-संस्था में, गृहस्थाश्रम में प्रवेश करना चाहिए। वे लड़के जो विवाह को दहेज के नाम से मुफ्त का माल बटोरने, यौन-सुख के लिए एक चेतन मशीन प्राप्त करने और उस पर अधिकार प्रदर्शन कर अपनी आत्महीनता की भावना को हल्की करते रहने के लम्बे समय

के बन्दोबस्त का बढ़िया अवसर समझते हैं, उन्हें यह भली-भाँति समझ लेना चाहिए कि यह सब बिल्कुल मुफ्त में नहीं मिल सकता। इसकी प्रतिक्रिया में, उनकी जीवन-सहचरी के मन में उनके प्रति तिरस्कार की भावना दृढ़ होगी। पहले ही वह उसे सामान्यतः वाणी से प्रकट न करे, पर गृहस्थ-जीवन में इस आन्तरिक अवज्ञा और कटुता की छाप पड़नी अवश्यम्भावी है। साथ ही, पत्नी को अपने से हीन स्तर का समझने की कुटिल एवं अन्यायपूर्ण भावना पति की आत्मा को भी पतित बनाती है और वह समाज में व्याप्त इसी तरह की अन्य विषमताओं, विसंगतियों, अन्यायों के विरुद्ध विद्रोह-प्रतिरोध का साहस जुटा पाने में असमर्थ रहता है तथा इस प्रकार उस तेजस्विता से वंचित ही रहता है, जो मनुष्य की गरिमा है। इसी प्रकार जो लड़कियाँ विवाह को खाने-पीने, मौज-मजा मारने, पहनने-ओढ़ने, घूमने, मनोरंजन करने की सुनिश्चित व्यवस्था समझती रहती हैं, उनका भ्रम तो विवाह के कुछ ही दिनों बाद चकना-चूर हो जाता है, महत्वाकांक्षाओं की क्षुद्रता के कारण वे उस ढर्रे से भिन्न किसी जीवन-क्रम की कल्पना भी तो नहीं कर पाती और रोती-झींकती वहीं पड़े रहने के सिवाय और कुछ उन्हें सूझ ही नहीं पाता।

अतः आवश्यकता विवाह के इन प्रचलित विकृत मानदण्डों को यथाशीघ्र बदलने की और नए स्वस्थ सन्तुलित यथार्थपरक मानदण्डों को अपनाने की है। तभी विवाह संस्था सार्थक और सुखद सिद्ध होगी।

इन घातक परम्पराओं का उन्मूलन आवश्यक है

विवाह भारतीय संस्कृति में दो आत्माओं के गठबन्धन का पुनीत संस्कार माना गया है। इस अवसर पर नाच, गाने, दहेज, आतिशबाजी आदि के प्रचलन का कोई औचित्य नहीं है, इनसे आये दिन भयंकर दुर्घटनाएँ हो जाती हैं।

विवाह के अवसर पर चली आ रही यह खर्चीली कुप्रथाएँ मध्यकालीन युग की देन हैं। राजा, सामन्त एवं रईसों ने अपने वैभव, बड़प्पन एवं अहम् का प्रदर्शन करने के लिए इन भौंडे आयोजनों की परम्परा डाली थी।

बदलते हुए समय ने करारी ठोकर मारी। न राजा रहे न सामन्त और न ही उनकी जागीर, परन्तु उनके द्वारा प्रचलित की गई कुप्रथाएँ आज भी चली आ रही हैं। अभी भी इन प्रथाओं का एक बड़े जन-समूह द्वारा अनुगमन किया जाना अविवेक का घोटक है। जन-मानस का ध्यान इस ओर आकर्षित करना होगा। विवाह जैसे शुभ-संस्कार जिसके द्वारा दो पुनीत आत्माओं के नये जीवन का अध्याय शुरू होता है, इन कुपरम्पराओं से विग्रह, विद्वेष एवं दुर्घटनाओं की ही वृद्धि होगी।

घटना म० प्र० के जौसवाला गाँव की है। उस गाँव में यादव परिवार की एक बारात आयी थी। वर पक्ष वालों ने अपनी झूठी शान दिखाने के लिए लगभग पाँच सौ रुपये की आतिशबाजी की सामग्री की व्यवस्था कर रखी थी। आतिशबाजी शुरू हुई। गाँव वाले तथा बाराती उसे देखने में मग्न थे, इतने में एक गोला ऊपर छूटा, परन्तु ऊपर उठने के बाद फटा नहीं, ज्यों का त्यों भीड़ के बीच में वापिस गिरा। धरती से टकराने के साथ तीव्र धमाका हुआ। १० व्यक्ति घायल हुए, जिनमें २ की मृत्यु तत्काल हो गई, तीन का हाय एवं पैर काटना पड़ा, पाँच को सामान्य चोटें आयीं।

मनोरंजन का मानव-जीवन में महत्त्वपूर्ण स्थान है। परन्तु वह रचनात्मक होना चाहिए। विवाह जैसे शुभ अवसर पर कवि सम्मेलन, अच्छे अभिनय अथवा संगीत का कार्यक्रम रखा जा सकता है। धन के सदुपयोग एवं मनोरंजन के साथ ही साथ लोगों को इससे दिशा भी मिलती है, इसके विपरीत तो ऐसे ही जीवन संकट उत्पन्न होगा।

अधिकांश लोगों में यह मान्यता बनी हुई है कि विवाह के अवसर पर अधिक से अधिक व्यक्तियों को साथ लेकर जाना चाहिए जिससे लोगों के मन में अपने बड़प्पन की धाक जम सके। इस उपहासास्पद एवं सस्ती मान्यता से लड़की पक्ष पर अनावश्यक आर्थिक दबाव पड़ता है और सम्मान के स्थान पर विषम विडम्बनाएँ उत्पन्न हो जाती हैं।

समाज की उतनी क्षति बाह्य-आक्रमणकारियों, आतंकवादियों एवं चोर, डाकुओं से नहीं हुई जितनी इन कुप्रथाओं द्वारा हुई है। विवाह के अवसर पर उद्भूत अपव्यय से लेकर अनेक धिनौने रीति-रिवाजों ने समाज को खोखला बना दिया है। फिर भी न जाने जन-विवेक क्यों सोया पड़ा

है। इसके भयंकर परिणामों को देखते हुए भी विचारशील वर्ग तक में विरोध करने एवं तोड़ने के लिए आगे आने का साहस कम दिखाई पड़ रहा है। कितने परिवार दहेज रूपी दावानल में जल गये, कितनों की गृहस्थियाँ तहस-नहस हो गईं, कितनी कुमारियों ने इसी सम्भावित अत्याचार के लकवा से डरकर आत्म-हत्याएँ कर लीं। फिर भी समाज अन्धा, बहरा बना हुआ उसको अपना ही जा रहा है, यह मानवता एवं उसके विवेक के ऊपर लगा हुआ कलंक है। इस दिशा में यदि अधिक उपेक्षा बरती गयी तो इससे अनेक परिवार एवं गृहस्थ नष्ट होते रहेंगे ?

दहेज की प्रथा से वर-पक्ष वाले भी लाभ में नहीं रहते, कभी-कभी तो भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

देहली के पाँच व्यक्तियों के एक परिवार के लड़के का विवाह अभी शीघ्र ही सम्पन्न हुआ था। पिता ने लड़की पक्ष से दस हजार रुपये दहेज की माँग की। लड़की के पिता ने इस शर्त पर उसी अनुपात में जेवर की पूर्ति होनी चाहिए, दहेज देना स्वीकार कर लिया। बारात के सज-धज एवं जेवर के लिए अतिरिक्त कर्ज लेना पड़ा। वेतन चार सौ रुपये मासिक, ऊपर से कर्ज। दिल्ली जैसे शहर में खर्चा। कुल मिलाकर लड़के का मानसिक सन्तुलन बिगड़ गया। कर्जा चुकाने के लिए उसने एकाउण्ट में हेरा-फेरी की। परिणामस्वरूप नौकरी गई तथा जेल जाना पड़ा।

दहेज रूपी असुर से किस प्रकार भारत की ललनाओं को आत्म-हत्या जैसे कृत्य के लिए विवश होना पड़ा। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण आये दिन घटित होती रहने वाली घटनाओं से मिलता है।

जैसलमेर के एक गाँव में कुएँ से युवती का शव निकाला गया। उसका मासूम, निर्जीव चेहरा किये गए अत्याचार की कहानी बता रहा था। युवती का विवाह दो वर्ष पूर्व सम्पन्न हुआ था। कन्या के पिता ने दहेज भी सामर्थ्य भर दिया था, परन्तु लड़के ने बाद में मोटर-साइकिल की अतिरिक्त माँग की। वह निरन्तर दो वर्षों से लड़की को पिता से मोटरसाइकिल माँगने के लिए विवश कर रहा था—इसके लिए उसने लड़की को प्रताड़ित भी किया। इससे परेशान होकर लड़की ने छुटकारा पाने के लिए आत्महत्या का माध्यम अपनाया एवं कुएँ की शरण ली।

दहेज के इस दानव ने मनुष्य को पशु बना दिया है। लालच ने उसे इतना अन्धा बना दिया है कि पैसे के समस्त मानवता एवं बहू की कोई कीमत नहीं रही। समाज की सुख-शान्ति को यह प्रथा कीड़ा बनकर खाये जा रही है। न जाने कितनी निरपराध कन्याओं को असहनीय यातनाएँ सहनी पड़ रही हैं और कितनों को तो अपने प्राणों की आहुति तक देनी पड़ रही है।

कुछ वर्ष पूर्व मेरठ जिले के एक गाँव में एक युवती की हत्या हुई थी। दो वर्ष पूर्व उसका विवाह सम्पन्न हुआ था। विवाह में दहेज कम प्राप्त होने के कारण उसके पति, सास, ससुर सभी नाराज रहते थे तथा उसे सभी मारते-पीटते रहे ? लड़के की दूसरी शादी घरवालों ने बड़ी रकम मिलने के कारण तय कर ली, उसके लिए उन्होंने बहू को रास्ते से हटाना आवश्यक समझा। एक दिन पति, ससुर तथा सास ने मिलकर लड़की का गला दबाकर हत्या कर दी।

विवाह की इन कुपरम्पराओं से हमारे समाज की नैतिकता और प्रतिष्ठा को भारी आघात पहुँच रहा है तथा समाज हर दृष्टि से कमजोर होता जा रहा है ? समय की माँग यह है कि इन प्रथाओं का कड़ा विरोध जन-सामान्य द्वारा होना चाहिए अन्यथा समाज व्यवस्था और पारिवारिक शालीनता को भारी क्षति पहुँचती चली जायेगी और उसके घातक परिणाम सामने आवेंगे।

विवाह वैभव प्रदर्शन का साधन नहीं

पंजाब के महाराजा रणजीतसिंह ने मार्च, १८३७ में अपने सोलहवर्षीय पौत्र नैनिहाल सिंह का विवाह इस धूम-धड़ाके व शान से किया कि वह एक ऐतिहासिक विवाह बन गया। महाराजा के ऐश्वर्य और शाही खर्च को देखकर अँग्रेज अतिथियों की आँखें फटी की फटी रह गयीं। पर क्या इतनी शान और मुक्त हस्त खर्च से सम्पन्न किया गया यह विवाह सफल हुआ ? इसका उत्तर नकारात्मक ही है।

पंजाब भारत का सबसे उपजाऊ प्रदेश था। इसके शासक महाराजा रणजीत सिंह का वैभव निश्चय ही अपार होना चाहिए। पर उसका अर्थ यह तो नहीं होता कि उसका यों प्रदर्शन किया जाय। सिख मत के संस्थापक गुरु नानक विवाह को अल्पतम खर्च में होने वाली पवित्र भावनात्मक

संस्कार बनाना चाहते थे और वैसे ही उन्होंने अनुयायियों को निर्देश भी दिये थे । महाराजा रणजीत सिंह यों बड़े वीर और चतुर थे पर वे भी वैभव प्रदर्शन की इस महत्वाकांक्षा के शिकार हो ही गये, जबकि विवाह की सफलता के साथ प्रदर्शन और धूम-धड़ाके का कोई सम्बन्ध नहीं होता ।

विवाह में पाँच लाख अतिथि आमंत्रित किये गये थे जिनमें भारत के अँग्रेज गवर्नर जनरल के प्रतिनिधि सर हैनरी फेन और आगरा के गवर्नर सर चार्ल्स मेटकाफ सपलीक आये थे । अतिथियों के स्वागत के लिये वर के चाचा हरेक स्थान पर मूल्यवान वस्त्र व रत्नाभूषण पहने हजारों नौकर-चाकरों के साथ उपस्थित थे । वे उन्हें अमृतसर तक ले गये ।

दो मील दूर वर के पिता खड्ग सिंह भी उसी शान शौकत के साथ खड़े थे । उन्होंने प्रत्येक अतिथि को पाँच-पाँच हजार चाँदी के सिक्कों की एक-एक थैली भेंट की । लाहौर के राम बाग में जहाँ अतिथियों को ठहराया गया था वहाँ की शान ही निराली थी । बहुमूल्य शालों से फर्श सजाये थे । अतिथियों के लिए चाँदी के पायों के पलंग थे । गद्दे तकियों की तो कोई गिनती ही नहीं थी । प्रधानमंत्री ध्यानसिंह व उनके पुत्र हीरासिंह बड़ी कुशलता से सारा प्रबंध कर रहे थे । अतिथियों और जागीरदारों की ओर से ५० लाख रुपये वर को भेंट में मिले ।

विवाह के इस शानदार आरम्भ से ही अनुमान लगाया जा सकता है कि यह विवाह कितना शान-शौकत और धूम-धड़ाकेपूर्ण रहा होगा । कुँवर नौनिहाल सिंह का विवाह सम्बन्ध महाराजा रणजीत सिंह ने अपने ही एक जागीरदार श्यामसिंह अटारी वाला की पुत्री से निश्चित किया था ।

श्यामसिंह ने दहेज में ११ हाथी, १०० घोड़े, १००१ गायें, १००१ भैंसें, १००१ ऊँट तो दिये ही थे, प्रत्येक की पीठ पर कुछ न कुछ मूल्यवान वस्तु भी लदी हुई थी । सोने-चाँदी के सैकड़ों बर्तन, कई कीमती आभूषण, अनेक जोड़े कीमती शाल, अनगिनत लिहाफ व बिछौने दिये गये । महाराजा रणजीत सिंह को एक लाख रुपये अलग भेंट दिये गये ।

महाराजा रणजीत सिंह ने दस लाख रुपये दान-दक्षिणा में दिये, विवाहोपरान्त । बारात वापस लाहौर लौटी तो नगर दुल्हन की तरह सजाया गया । विवाह सम्पन्न होने के पन्द्रह दिन बाद ही कोई अतिथि वापस लौट सका तब तक उसका खूब स्वागत-सत्कार हुआ ।

इतनी धूमधाम से सम्पन्न यह विवाह सभी के लिए अभागा सिद्ध हुआ । विवाह के समय प्रदर्शित वैभव ने अँग्रेजों को ललचा दिया । वे येन-केन प्रकारेण पंजाब को हस्तगत करने का प्रयास करने लगे । उसमें वे सफल भी हो गये । रणजीत सिंह के मरते ही पंजाब अँग्रेजों के अधिकार में चला गया । विवाह के दो वर्ष बाद ही डोगरा प्रधानमंत्री ध्यानसिंह ने षड्यंत्र रचकर नौनिहाल सिंह की हत्या कर दी ।

एक महाराज द्वारा विवाह में प्रदर्शित वैभव उसके लिये और विवाहित दम्पतियों के लिये दुर्भाग्यपूर्ण ही रहा । यदि प्रदर्शन को महत्त्व न देकर विवाह संस्कार के पीछे निहित उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए उसे अल्प व्यय में भावनात्मक संस्कार के रूप में ही सम्पादित किया जाता तो सम्भव था कि इतना अनिष्ट न होता ।

आदर्श विवाहों की ओर बढ़ते चरण

विवाह-शादियों का स्वरूप समाज को लँगड़ा बनाने वाली कुरीति से बदलकर समाज को पुष्ट बनाने वाला आदर्श संस्कार जैसा बने यह बात विचारशील के मस्तिष्क में उठती है । युग-निर्माण अभियान के अन्तर्गत इस महत्त्वपूर्ण आवश्यकता की पूर्ति के लिए भी प्रयास प्रारम्भ किया गया है । विवाह-शादियों के सम्बन्ध में लोगों की मान्यताएँ तथा विचार विचित्र हो चुके हैं । उनको सही स्वरूप समझाने में विवाह सम्बन्धी ट्रेक्टरों ने प्रभावशाली कार्य किया है । युग-निर्माण परिवार किसी कार्य को प्रारम्भ करने के पूर्व उसके लिए उपयुक्त भूमिका एवं वातावरण बना लेता है । ट्रेक्टरों के पठन-पाठन, प्रसार एवं विचार मंथन द्वारा कई क्षेत्रों में उपयुक्त वातावरण बन गया है । भले ही उसका क्षेत्र अधिक विस्तृत नहीं है किन्तु उतने से कार्य प्रारम्भ किया जा सकता है । यह समझ कर परिजनों ने अपनी-अपनी शक्ति अनुसार कार्य प्रारम्भ कर दिये हैं । उनमें से कुछ सूचनाएँ यहाँ प्रकाशित की जा रही हैं ।

उज्जैन में श्री मोतीलाल स्वर्णकार ने अपनी पुत्री मनोरमा का विवाह आदर्श पद्धति से किया । वर पक्ष की ओर से भी पूरा सहयोग रहा । सादगी से सारी रस्मों के साथ-साथ विवाह संस्कार प्रभावशाली ढंग से किया गया । देवास के श्री यमुना शङ्कर जी शास्त्री ने जो तपोभूमि में कई शिविरों में रहकर मिशन की राजनीति का अध्ययन कर चुके हैं, उक्त कार्य कराया । वर एवं कन्या ने तो विवाह सम्बन्ध की गम्भीरता एवं अपने

कर्तव्यों का महत्त्व समझा ही, उपस्थित समुदाय भी मुग्ध हो गया। उक्त संस्कार देखकर सबके मुँह से यह निकला कि—“विवाह संस्कार क्या है यह तो आज समझ आया।” उज्जैन स्वर्णकार समाज के अध्यक्ष श्री केशरीमल जी ने समाज से अपील की कि भविष्य में सभी विवाह संस्कार इसी ढंग से कराये जावें। २०० नर-नारियों में से अनेक व्यक्तियों ने अपने बच्चों का विवाह इसी प्रकार कराने की अपनी इच्छा प्रगट की। वास्तव में यह समाज की आज की महत्त्वपूर्ण आवश्यकता है। सही जानकारी न होने एवं थोड़े साहस के अभाव में लोग पुरानी परम्परा के भार के बीच दबे बैठे हैं। ऐसे कार्यक्रम होते देखकर सभी का साहस बढ़ना स्वाभाविक है।

इसी प्रकार की सूचना सुल्तानपुरा से प्राप्त हुई। वहाँ कलेक्टरेट के आफिस सुपरि० श्री शुभ करणसिंह ने अपनी कन्या का विवाह संस्कार इसी प्रेरणाप्रद ढंग से कराया। विवाह समारोह के होहल्ला में भाग लेकर भौंवर के समय सो जाने वाले परिजनों के लिए यह एक नया प्रसंग था। विवाह कर्मकाण्ड के साथ मन्त्रों के एवं क्रियाओं से सम्बन्धित भावों की व्याख्या सुनकर सबको रोमाञ्च हो आया। उन्हें लगा कि वास्तव में विवाह संस्कार के नाम पर अभी तक तो खिलवाड़ ही किया जाता रहा है। उपस्थित समुदाय में सभी व्यक्ति प्रसन्न एवं उत्साहित थे। ऐसे संस्कार कराने एवं उनमें उपस्थित होने के लिये लोगों ने उत्साह प्रगट किया। केवल दोनों पक्षों के पण्डित उदास थे। उन्हें लग रहा था कि कदम-कदम पर मिलने वाले दस्तूर सारे के सारे छूट गये। किन्तु श्री शुभकरण जी ने उन्हें भी उनका भाग देकर सन्तुष्ट कर दिया।

केवल कन्या पक्ष ही इसके लिए पहल कर रहा हो ऐसी बात नहीं है। छेगाँव (पश्चिम निमाड़) में श्री तुलसीराम यादव का विवाह उनके परिजनों ने इसी ढंग से किया। सारा विवाह पूर्ण सादगी से हुआ किन्तु फिर भी सम्मिलित होने वालों का कथन था कि “ऐसा भव्य विवाह पहले कभी देखने को नहीं मिला।” और बात सच भी है। बड़े-बड़े भव्य समारोह हो जाते हैं किन्तु विवाह संस्कार की भव्यता तो दूर उसे ठीक से कराया गया या नहीं, इस ओर किसी का ध्यान भी नहीं जाता है।

यह हवा चली है, बढ़ेगी भी तथा समाजगत दोषों एवं कुरीतियों को उड़ा ले जावेगी ऐसी आशा है।

आदर्शवादी परिवारों में विवाह का आदर्श

पृथ्वीपुर (उ० प्र०) शाखा के सदस्य श्रीयुत राजेन्द्र प्रसाद शर्मा के आदर्श विवाह का विस्तृत समाचार प्राप्त हुआ है। विवाह के पहले तो चर्चा आलोचनात्मक थी, पर अब विवाह के पश्चात् उसका रूप प्रशंसात्मक हो गया।

जब राजेन्द्र के विवाह की चर्चा घर में चली तो राजेन्द्र ने स्पष्ट कह दिया कि वह विवाह से पूर्व अपनी भावी पत्नी से कुछ विचार-विमर्श करना चाहेगा।

बात कुछ असंगत थी किन्तु साथ ही विवेकपूर्ण भी। आखिर जिन्हें जीवन भर मिलकर एक गाड़ी को ढोने जाना है—एक नये संसार की सृष्टि करना है—दुनिया वालों के समक्ष एक इकाई के रूप में अपने आपको प्रस्तुत करना है, यदि विवाह से पूर्व एक-दूसरे का दृष्टिकोण जान लें तो कई समस्याओं का अन्त स्वतः ही हो जाता है।

तब एक दिन राजेन्द्र अपनी बड़ी बहिन के साथ उमा—भावी पत्नी के घर गया। उनके भी घर के सभी सदस्य उपस्थित थे। वह परिवार भी मिशन से प्रभावित है। औपचारिक बात-चीत के पश्चात् राजेन्द्र ने पूछा “आप ने सिलाई का डिप्लोमा किया है। क्या आप उसका उपयोग प्रशिक्षण केन्द्र खोलना पसन्द करेंगी?”

उमा ने झिझकते हुए कहा, “यह मेरे लिये प्रसन्नता का विषय होगा। किन्तु एक सुझाव मेरा भी है। इसके खोलने में जो व्यय होगा उसका भार अतिरिक्त व्यय के रूप में घर वालों पर न पड़े तो अच्छा है। आजकल सोने-चाँदी के जेवरों में धन राशि केन्द्रित न करके यदि उसी पैसे का यह सदुपयोग हो जाय तो अधिक उत्तम है।”

राजेन्द्र के घर की स्थिति सामान्य ही थी। वास्तव में रुपया किसी एक ही मद पर व्यय किया जा सकता था। राजेन्द्र इस बात से सहमत होते हुए बोला “तो क्या आप को आभूषणों के प्रति कोई आसक्ति नहीं?”

उमा ने कहा, “उपयोगिता बड़ी वस्तु है। आसक्ति कोई भी हो सीमित ही अच्छी होती है।

इस पर सभी हैंस पड़े। वातावरण बड़ा ही उत्साहपूर्ण था। राजेन्द्र ने उमा की माँ से भी यही कहा, “दिखाने में तथा व्यर्थ के रीति-रिवाजों में आप भी बिल्कुल ही धन का दुरुपयोग न करें। प्रत्येक रस्म केवल एक रुपये से ही की जायेगी।”

तब वे बोलीं लेकिन हमारी अपनी इच्छायें भी तो हैं। जो कुछ पान फूल बनेगा वह दिये बिना हमें आत्म-सन्तोष कहीं मिलेगा ?

अब राजेन्द्र की बड़ी बहिन शांता ने कहा, “आप का कहना भी ठीक है माता जी ! उसके लिये हम आप से यही निवेदन करेंगे कि उमा की रुचि की दैनिक उपयोग में आने वाली दो-तीन वस्तुएँ आप खरीद लें। आप की इच्छा भी पूर्ण हो जायेगी और धन का अनुपयोगी वस्तुओं में दुरुपयोग भी न होगा।”

अब राजेन्द्र ने उमा से पुनः कहा, “आप जानती हैं हम लोग मध्यम श्रेणी के व्यक्ति हैं। पिताजी का साया हमारे ऊपर है नहीं। मेरे एक छोटा भाई तथा एक बहिन और है अभी। इन सब की शिक्षा-दीक्षा तथा विकास का उत्तरदायित्व मुझ पर ही है और भविष्य में यह सब दोनों के प्रयत्न तथा सहमति से ही सम्भव है। क्या आप यह उत्तरदायित्व उठाने में प्रसन्नता अनुभव करेंगी।”

पर उत्तर दिया उमा की माँ ने “ऐसी बात न कहें आप। उमा संकीर्ण मनोवृत्ति की नहीं। हमने उसे ऐसी शिक्षा दी है कि वह किसी को पराया समझ ही नहीं सकती।”

राजेन्द्र ने कहा “आप मेरी बात का गलत अर्थ न लगाएँ माँ जी ! मैं तो समझता हूँ कि वर की विशेषताओं के साथ—घर की स्थिति के विषय में भी कन्या की पूरी जानकारी तथा उसकी सहमति आवश्यक है। मैं इस विषय में उमाजी के विचार भर जानना चाहूँगा।”

एक क्षण के मौन के पश्चात् उमा ने कहा, हिन्दू कन्या का अस्तित्व विवाह के पश्चात् वर के साथ ही नहीं परिवार के साथ भी एकाकार हो जाता है—ऐसी मेरी मान्यता है। सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सँभालते हुए मुझे उतनी ही प्रसन्नता होगी जितनी किसी को भी अपना कर्तव्य पूरा करके हो सकती है।

सभी उमा के इस स्पष्ट उत्तर से प्रसन्न हुए ! शांता ने कहा, “इसी प्रकार यदि बैंड-आतिशबाजी आदि का जो निरर्थक

व्यय है, उसे भी किसी उपयोगी कार्य में बदल दिया जाय तो बहुत अच्छा होगा।”

उमा की माता ने कहा उद्देश्य विवाह होना है। वह यज्ञ के पवित्र तथा सुरुचिपूर्ण वातावरण में सम्पन्न होगा ही। इन बेकार के आडम्बरों को तो अब छोड़ ही देना चाहिए। इस व्यय को आप विवाह के समय उपस्थित स्वजनों में साहित्य वितरण के कार्य में प्रयुक्त करें तो बहुत अच्छा होगा।

राजेन्द्र प्रसन्न होता हुआ बोला, “आपने बहुत ही उपयोगी बात कही है माँ जी !”

इसी प्रकार अन्य सब बातें भी सभी ने मिलकर तय कर लीं। उनमें प्रमुखतः यही तय हुआ कि बारात आवेगी। यहाँ तथा विवाह संस्कार के पश्चात् केवल जलपान होगा। उसके पश्चात् सभी विदा हो जावेंगे केवल वर के परिवार के सदस्य रह जावेंगे जो भोजन करेंगे तथा रात्रि में ही कन्या को लेकर चले जावेंगे। कन्या पक्ष पर न्यूनतम व्यय भार डाला जावेगा। दहेज में एक घरेलू ज्ञान मन्दिर का साहित्य तथा कुछ अत्यन्त सादे वस्त्र मात्र होंगे।

विवाह की तिथि निश्चित हो गई। पावन बसन्त पञ्चमी! किन्तु जब इस विचार-विनिमय की चर्चा लोगों तक पहुँची तो सब अपनी-अपनी विचारधारा के अनुकूल आलोचना करने लगे। किसी ने कहा यह भी कोई शादी है, लड़का लड़की विवाह से पहले ही बात-चीत कर लें। किसी-किसी ने तो यहाँ तक कहा ऐसी बेशर्म लड़की क्या घर में निभेगी, जो माँ तथा बड़ी नन्द के सामने ही फटाक जवाब दे अपने होने वाले पति को।

तो किसी ने कहा, “यह भी कोई ब्याह है ? गाजा न बाजा, आये दूल्हा राजा”

किन्तु दोनों पक्ष हैंसकर ही इन कटुक्तियों को टालते रहे और विवाह का शुभ दिन आ पहुँचा। मीड़ आशा से कुछ अधिक ही थी। सभी उत्सुक थे इस बिना दान दहेज—बिना जेवर—बिना नेग-दस्तूरों पर थैली लुटाने वाली तथा बिना शोर-शराबे की शादी देखने के लिये।

किन्तु जब मंगलमय यज्ञीय वातावरण में विवाह होते देखा तो सभी प्रसन्न हुए। उससे भी अधिक प्रसन्नता सब को हुई दोनों परिवारों का मंगल मिलन देख कर। सभी एक-दूसरे से बहुत ही प्रसन्न सन्तुष्ट तथा तृप्त थे। परस्पर स्नेह भरे व्यवहार का आदान-प्रदान वातावरण को अधिक

उल्लासपूर्ण बना रहा था । कहीं कोई शिकवा शिकायत नहीं थी । कहीं कोई कटुता नहीं थी । कम व्यय और इतना अच्छा सत्परिणाम । सभी को जैसे एक नयी दृष्टि ही मिली हो । उपस्थित जन-समूह में कई व्यक्तियों ने मन ही मन कहा हम भी अपने बच्चों का ऐसे ही विवाह करेंगे ।

उमा और राजेन्द्र का दाम्पत्य जीवन भी विवाह की तरह आदर्श ढंग से प्रारम्भ हो गया है । राजेन्द्र अपनी नौकरी कर रहे हैं, उमा ने भी घर पर सिलाई की कक्षाएँ चालू कर दी हैं । अपने-अपने स्थान पर दोनों कर्तव्यरत हैं । मन में सौहार्द और प्रेम का सागर लहराता है जिसके प्रभाव से घर का वातावरण स्वर्गमय बनता जा रहा है । चूँकि विवाह के साथ अथवा बाद में किसी प्रकार की कटुता पैदा होने का प्रसंग खड़ा होने नहीं दिया गया था, दोनों पक्षों ने अपने अन्तःकरण खोल कर एक-दूसरे के सामने रख दिये थे और सिद्धान्त के नाते एक-दूसरे को स्वीकार किया था, इस कारण किसी को किसी के सम्बन्ध में निराशा या शिकायत का प्रश्न ही नहीं उठता । एक-दूसरे की कर्तव्यनिष्ठा को सराहते हुए सभी आनन्दित होते रहते हैं ।

ऐसे उदाहरण जितनी अधिक संख्या में समाज के सामने आयेंगे उतनी ही तीव्रता से वैवाहिक कुरीतियाँ स्वतः समाप्त होती चली जायेंगी ।

उत्साहवर्द्धक आदर्श विवाह

राधवपुर (म० प्र०) से गायत्री परिवार के संयोजक श्री रामबिहारी चतुर्वेदी ने दहेज प्रथा तोड़कर शादी करने का एक शुभ समाचार भेजा है । वहाँ के मुहल्ले बजरिया में खरबदा से बारात आई थी । कायस्थों की शादी, जो दहेज प्रथा के लिए अब काफी बदनाम हो गये हैं । चार छह हजार से तो कम में बात ही नहीं करते । जब आदर्श रूप में कम खर्च में सम्पन्न हुई तो उस क्षेत्र के लिए एक स्थायी स्मृति छोड़ गई । लड़के के पिता सेवा मुक्त तहसीलदार हैं, आर्थिक स्थिति अच्छी है । लड़का भी उच्च पद पर नौकरी कर रहा है फिर भी लड़की वालों से उन्होंने एक भी पैसा न लिया । वरन् जब लड़की के पिता शादी तय करने गये तो तहसीलदार साहब ने स्पष्ट शब्दों में कह भी दिया था कि हम लोग शिक्षित हैं, हर अच्छाई और बुराई को जानते हैं । अतः हमारा कर्तव्य यह

है कि विवाह के समय ही नहीं वरन् सदैव परम्पराओं के स्थान पर विवेक को महत्त्व दें तो हम अनावश्यक खर्चों को काफी मात्रा में कम कर सकते हैं ।

लड़की की तरफ से दहेज के रूप में कोई रुपया नहीं दिया गया और न तहसीलदार साहब जेवर लाये । वह तो बहू के लिए आवश्यक वस्त्र लाये थे । बारात का द्वाराचार शाम को ५ बजे हो गया जिससे विद्युत प्रकाश, शोभायात्रा तथा आतिशबाजी का खर्च बच गया । बारातियों की संख्या भी केवल १५ थी अतः यथाशक्ति उनका सत्कार किया गया ।

दूसरे दिन प्रातः वैदिक पद्धति से गायत्री परिवार के पुरोहित द्वारा पाणिग्रहण-संस्कार सम्पन्न कराया गया । विवाह की धूमधाम और गाजे-बाजे से वैसे भी दूर-दूर तक खबर फैल जाती है फिर भी नगर के सम्भ्रान्त व्यक्तियों, उनके परिचित तथा रिश्तेदारों को खासतौर से आमन्त्रित किया गया था । चतुर्वेदी जी ने एक-एक मन्त्र की जब व्याख्या की तो सभी लोग बहुत प्रभावित हुए और अधिकतर लोगों ने यह इच्छा प्रकट की, कि भविष्य में उनके यहाँ भी गायत्री परिवार के कार्यकर्ता विवाह संस्कार करवायें तो बहुत ही अच्छा रहे ।

वर और कन्या की कौन कहे उनके माता-पिता तथा वृद्ध परिजन तक अनेकों रीति-रिवाजों के बारे में नहीं जानते । शादी के समय पंडित जी मन्त्र पढ़ते जाते हैं और अनेकों विधि-विधान सम्पन्न करा लेते हैं पर न वर-वधू को वे सब बातें स्पष्ट होती हैं और न वहाँ मण्डप में बैठने वालों को, अधिक पूछताछ करें तो पंडित जी इतना कह देते हैं कि यह शास्त्र का विधान है । कुछ अधिक कहते ही अँग्रेजी शिक्षा, फैशन और आधुनिकता पर पंडित जी की छींटाकसी शुरू हो जाती है । पर यहाँ जब चतुर्वेदी जी ने प्रत्येक बात को विस्तार से समझाया तो विवाह की सात्विकता वाली बात सबकी समझ में आई ।

विवाह के बाद बारातियों को भोजन खिलाकर विदा कर दिया गया । बारातों में प्रायः काम वालों को नेग देने तथा अलन-चलन में लेन-देन करने की छोटी-छोटी बातों पर भी झगड़ा हो जाता है । दोनों ही पक्ष के व्यक्ति चलते समय एक-दूसरे को लूटने की कोशिश करते हैं और काम वालों के लिये रुपये देने की एक लम्बी सूची प्रस्तुत करते हैं । जिसमें दस-बीस रुपये के पीछे झगड़ा हो जाता है । किन्तु यहाँ तो

दोनों ने ही यह तय कर लिया कि अपने काम वालों को वह स्वयं भुगतान करें ।

विवाह में एक विशेष बात यह भी रही कि उपहार के रूप में बर्तन तथा दैनिक उपयोग की अन्य जो वस्तुएँ आगन्तुकों अथवा घर वालों की ओर से दी गईं उनका कोई दिखावा नहीं हुआ । आशा है कि उस क्षेत्र में कायस्थ ही नहीं वरन् अन्य लोग भी इस आदर्श विवाह का अनुकरण करेंगे ।

बिना खर्च का विवाह

यहाँ श्री पी० डी० गुप्त ने अपने पुत्र राकेश एम० ए० के विवाह में केवल एक रुपया दहेज के रूप में लेकर जो आदर्श उपस्थित किया है उसकी सब जगह सराहना की जा रही है । यदि वह चाहते तो आसानी से कई हजार रुपया नकद और जेवर का सामान ले सकते थे । जब कन्या के पिता दामोदरदास गुप्त अपनी कन्या के लिये वर की तलाश में गुप्तजी के घर पहुँचे तो वह उनकी बातों से बहुत ही प्रभावित हुए और आधे घण्टे में सम्बन्ध तय करके घर लौट आये ।

आजकल प्रत्येक कन्या पक्ष को अपनी कन्या की शादी के लिए कितने ही घरों का चक्कर लगाना होता है और कितने ही लड़कों से मोल-भाव करना होता है । पर जब दामोदर जी ने अपनी कन्या के रंग, शिक्षा तथा अन्य योग्यताओं के सम्बन्ध में पूरी जानकारी दे दी तो अन्त में उन्होंने अपनी आर्थिक स्थिति तथा शादी में खर्च की जाने वाली अनुमानित राशि भी बता दी ।

“भाई साहब ! रुपये लेने-देने की यहाँ कोई शर्त नहीं है । यदि आपको राकेश पसन्द हो तो शादी तय होने में कोई कठिनाई न आयेगी । आप उसकी शिक्षा और नौकरी आदि आवश्यक बातों से संतोष कर लीजिये, फिर शादी की बात तय हो जायेगी ।” वर के पिता ने अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा ।

दामोदरदास तो पिछले एक वर्ष से शादी के लिये परेशान थे । उन्हें जिस किसी ने लड़का बताया वह वहीं गये पर दहेजलोलुप वर पक्षों की लम्बी-चौड़ी माँग पूरी करने के लिये उनके पास रकम कहीं थी । मध्यम श्रेणी का व्यक्ति अपने स्तर की ही शादी कर सकता है । राकेश को तो वह पहले ही देख चुके थे और उसके बारे में उनके एक स्थानीय मित्र द्वारा सारी जानकारी भी मिल चुकी थी । वह तो शादी के लिए तैयार ही थे ।

अन्त में वह शादी तय हो गई, वर पक्ष ने केवल एक रुपया तथा थोड़े से फल लेकर शादी का सगुन करा लिया और पूरी शादी बहुत थोड़े से खर्च में सम्पन्न हो गई । बारात में केवल ११ व्यक्ति थे । बाजे, आतिशबाजी तथा दिखावट के सारे खर्चों को समाप्त कर दिया गया था । जेवर के नाम पर कन्या के लिए केवल अँगूठी ले जाई गई थी । दैनिक जीवन में पहने जाने वाले अच्छे वस्त्र चढ़ावे के रूप में ले गये थे । दोनों ओर से शादी में पूरी सादगी रखी गई, न कहीं फिजूलखर्ची थी और अन्त तक न किसी को शिकायत करने का अवसर आया । कन्या के यहाँ जो मेहमान आये थे, उन्होंने भी अपने उपहारों का कोई प्रदर्शन न किया । उस सामान को इकट्ठा करके वर पक्ष को सुपुर्दगी में दे दिया गया, जिसे उन्होंने बाद में देखा ।

अभिनव विवाह, जिसने एक नया आदर्श रखा

इलाहाबाद शहर की एक घटना के अनुसार श्री विमल प्रकाश जी के पाणिग्रहण संस्कार के उपरान्त उन पर तथा उनकी पत्नी श्रीमती विभा पर इतनी अधिक पुष्प वर्षा हुई कि वे दोनों उससे आच्छादित हो गये ।

आप समझेंगे कि वे या तो नेता होंगे या अभिनेता । क्योंकि स्वागत समारोहों तथा पुष्पमालाओं से आजकल इन दो का ही सबसे अधिक गहरा नाता रिश्ता है ।

पर बात ऐसी नहीं है । श्री विमल प्रकाश कुलश्रेष्ठ एक घनाद्वय पिता के पुत्र हैं । उनके पिता श्री सत्यप्रकाश कुलश्रेष्ठ अपने समय के रईसों में थे और वे आज भी काफी धनवान हैं ।

विमल ने जब से इण्टरमीडिएट पास किया तभी से उसके सैकड़ों रिश्ते आने लगे थे । एक से एक अच्छे घरों के तथा पैसे वालों के । किन्तु विमल ने साफ मना कर दिया था कि वह अपनी शिक्षा पूर्ण होने तक विवाह नहीं करेगा । कई कन्या पक्ष वालों ने तो यहाँ तक कहा कि “अभी केवल सम्बन्ध ही पक्का कर लें । विवाह पीछे होता रहेगा ।” आखिर कौन रईस न चाहेगा कि उसकी कन्या उसी के समान धनवान घर की स्वामिनी बने ।

पर विमल के मन में कुछ और ही था । वह आदर्शवादी विचारों का एक विवेकशील युवक था । जब उसने एम० ए०

की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण कर ली, तो घर वाले भी नित्य ही पीछे पड़ने लगे कि “अब तो विवाह के लिए ‘हाँ’ कर ही दो ।”

विमल ने ‘हाँ’ तो की किन्तु एक शर्त के साथ कि वह “निर्धन परिवार की शिक्षित कन्या से ही विवाह करेगा ।”

माँ ने सुना तो कहने लगी “जब हमारे घर भगवान का दिया सब कुछ है तब हम क्यों लें किसी गरीब घर की लड़की । उसे बड़े आदमियों में उठने-बैठने का भी ढंग नहीं होगा ।”

पिताजी ने सुना तो पारा एकदम गरम हो गया ‘क्या हमारी नाक ही कटवाकर रहोगे तुम ? हमें क्या काले कुत्ते ने काटा है जो भिखमंगों से अपना रिश्ता जोड़ें । खानदान की इज्जत भी तो आखिर कोई चीज होती है ।’

किन्तु विमल अपने निश्चय पर दृढ़ रहा । उनके पिता ने तैश में आकर एक कन्या पक्ष वालों से कहला भेजा कि वे शाम को आकर बात पक्की कर जायें । इनके यहाँ से गत तीन वर्षों से बात चल रही थी । वे नकद पचास हजार रुपये, एक कार, फ्रिज तथा और न जाने क्या-क्या दे रहे थे । किन्तु कन्या केवल मिडिल तक ही पढ़ी थी । सत्यप्रकाश जी का ख्याल था कि उनका लिहाज करके विमल सामने कुछ न कह सकेगा और मान जायेगा ।

किन्तु युग की चाल बदल देने वालों का साहस कुछ निराले ही ढंग का होता है । विमल ने उनके समक्ष भी अपना मन्तव्य स्पष्ट कर दिया । उनके जाने के पश्चात् पिता बहुत बिगड़े कि “हमारी बेइज्जती की तुमने दूसरों के सामने । तुम अभी घर से निकल जाओ ।”

विमल को जैसे मुक्ति ही मिल गई । कुछ दिन में ही उसने अपनी स्वतन्त्र व्यवस्था बना ली । आजीविका का साधन भी मिल गया और तब एक अत्यन्त निर्धन परिवार की बी० ए० तक शिक्षा प्राप्त युवती से विवाह तय कर लिया, एक पिता ने छोड़ दिया था तो क्या ? सारा बुद्धिजीवी समाज उसके साथ था । विवाह का दिन निश्चित हो गया । उसके अपने कालेज के सारे मित्र तथा प्रोफेसर आये । कन्या की सखियाँ तथा प्राध्यापिकाएँ व सगे-सम्बन्धी । अब जिस कालिज में वह अध्यापक हुआ था उसका पूरा स्टाफ । करीब ३०० अतिथि थे । वैदिक रीति से विवाह सम्पन्न हुआ । सबके जलपान तथा विवाह का सामान कुल मिलाकर मुश्किल

से ५०० रुपये का व्यय हुआ और उपहारस्वरूप समस्त अतिथियों ने अपने आशीर्वाद के प्रतीक पुष्प तथा पुष्पमालायें पहनाईं केवल । जिनसे वे ढक गये—मानो उनके इस साहसपूर्ण कार्य के लिये बुद्धिशील समाज आभार प्रकट कर रहा हो और वे आभार से दबे जा रहे हों ।

बीस पैसे में विवाह इस तरह हुआ

भवानीपुरा के श्री राजनाथ ने अपना विवाह केवल बीस पैसे में ही सम्पन्न किया । सुनकर आश्चर्य होता है । एकाएक विश्वास भी नहीं होता !

बात यों हुई कि राजनाथ के पिता जरा लालची स्वभाव के पुराने रूढ़िवादी व्यक्ति थे । लड़का एम० ए० पास करके लैक्चरार हो गया था । विवाह के लिए कई कन्या पक्ष वाले आ ही रहे थे । जो भी आता उसी से आठ या दस हजार से नीचे बात ही न करते । राजनाथ ने समझाया भी कि “जब हमारी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं कि हम एक विवाह में दस-बारह हजार रुपया व्यय कर सकें । फिर हम क्यों दूसरे को तंग करें, रुपया माँगकर । विवाह दो आत्माओं का मिलन है, न कि दो परिवारों के आर्थिक टकराव का प्रदर्शन ।

पर वे कहाँ मानने वाले थे । आखिर पुत्र के विरोध पर भी उन्होंने पाँच हजार पर ‘सौदा’ तय कर लिया । पर लड़की वाले भी कम नहीं थे । उन्होंने भी इनसे वायदा ले लिया कि “लड़की के लिये चार हजार से कम का जेवर नहीं आवेगा । बारात भी खूब धूम-धड़ाके से आनी चाहिए आखिर हमारे दरवाजे की भी तो शोभा होनी चाहिए ।”

ताव-ताव में इन्होंने स्वीकार कर लिया । अब नित्य ही यही एक बात घर में चर्चा का विषय बन गई । उधर से पाँच हजार मिलने थे सो चार का तो जेवर हो गया । एक हजार दिखावे तथा बाजे-गाजे के लिये हो गए । अब कीमती कपड़े, रेल किराया, अपने घर का खाना-पीना दावत, मेहमानों का स्वागत-सत्कार—विदाई—नेग-चलन आदि के लिये चार-पाँच हजार ही और चाहिए था । घर में मुश्किल से एक-डेढ़ हजार का प्रबन्ध था । शेष के लिये वे नित्य ही राजनाथ के पीछे पड़ते—“बेटा कुछ इन्तजाम करो । किससे उधार लें ? मैं तो पेंशनर हूँ मुझे कौन देगा ? न हो तो अपने ऑफिस से ही ले लो । धीरे-धीरे वेतन में कटता रहेगा ।”

पर राजनाथ कुछ और ही सोच रहा था। “बेकार की बातों के लिये ध्वंश के प्रदर्शन तथा अवांछनीय उन्माद के लिये क्यों इतना रुपया स्वाहा किया जाय। विवाह के पश्चात् जो दिन प्रसन्नता तथा निश्चिंतता में बीतने चाहिए वे कर्ज चुकाने की चिन्ता तथा घर की आर्थिक तंगी में बिताना कहाँ की विवेकशीलता है? क्यों न इन अन्ध परम्पराओं का अन्त ही कर दिया जाये?”

अभी तक वह यह सोच ही रहा था कि बड़ों की बात मानना सन्तान का धर्म है और उसने मानी भी थी। किन्तु उसे भगवत् गीता का वह वचन भी याद था कि “गलत बात चाहे अपना स्वजन ही क्यों न कहे, नहीं माननी चाहिए। सदा विवेकपूर्ण मार्ग ही ग्रहण करना चाहिए।” एक दिन जब पिताजी ने जोर देकर कहा कि “अब तो कुछ भी करो रुपया लाकर दो। सारी व्यवस्थायें जुटानी हैं।” तो उसने स्पष्ट कह दिया कि वह कर्जा नहीं लेगा और न ही झूठी शान-शौकत का विवाह करके गलत मान्यताओं का निर्वाह करेगा।

और उसी दिन वह स्वयं कन्या के पिता से मिला। सारी स्थिति बताई और कहा कि वह उससे विवाह करना चाहते-हो तो सीधे-सादे ढंग से करना होगा। वे तैयार हो गये। तब वर-कन्या दोनों एक मन्दिर में गये। दस-दस पैसे की दो मालाएँ लीं और ईश्वर की साक्षी में एक-दूसरे को माला पहना कर विवाह कर लिया। बाद में सभी ने उसके इस साहस की प्रशंसा की, जिसकी वजह से दोनों पक्षों का मिलाकर कुल 95-20 हजार रुपया बर्बाद होने से बच गया।

विवेकपूर्ण विवाह इस तरह सम्पन्न हुआ

सभी आश्चर्य से अभिभूत हो उठे, जब उन्होंने सुना कि—“सक्सेना जी के होने वाले बहनोई विवाह के पूर्व ही उनके घर आये हैं—और वह भी विवाह सम्बन्धी बात-चीत तय करने।”

प्रसंग ग्वालियर शहर का है। चिरंजीत के ऊपर दो बहिनों के विवाह का उत्तरदायित्व था। योग्य वर की खोज कर ही रहे थे सब। तभी किन्हीं सम्बन्धी के द्वारा सर्वेश को—जो देहली में एम० ए० में शिक्षा प्राप्त कर रहा था उस समय पता लगा कि अत्यन्त सामान्य आर्थिक स्थिति के हैं ये लोग और विवाह भी आखिर करने ही हैं बहिनों के।

उसने पत्र व्यवहार द्वारा सम्पर्क स्थापित किया। चिरंजीत देहली गया और कन्या का तथा परिवार का समस्त विवरण बताया। कन्या बी० ए० कर चुकी थी। स्वभाव से सुशील नम्र और उदार। गृह कार्यों में दक्ष। एकदम गोरा नहीं पर साफ गेहुँआ रंग। चिरंजीत तीन सौ रु० मासिक पाता था। घर में कोई पैतृक सम्पत्ति न थी।

सर्वेश ने सब कुछ समझा और सुना। यद्यपि उसके पिताजी ख्याति प्राप्त डाक्टर थे और उसका सम्बन्ध सम्प्रान्त परिवार में ही करना चाहते थे, तथापि सर्वेश के अपने कुछ अलग ही सिद्धान्त थे। उसने सोचा विवाह तो करना ही है फिर क्यों न किसी ऐसी कन्या से ही किया जाय जो अर्थाभाव के कारण अपने अनुरूप वर पाने का सौभाग्य न पा सकी हो। उसने चिरंजीत को पूरा आश्वासन दिया कि वह अवश्य यहाँ विवाह करेगा केवल एक बार कन्या को देख लेना चाहता था।

और चिरंजीत को जिस बात ने सबसे अधिक प्रभावित किया वह थी सर्वेश की स्वावलम्बन की प्रवृत्ति। यद्यपि पिता सम्पन्न थे तथापि वह अपना व्यय स्वार्जित धनराशि से ही पूरा करता। इसके लिये उसे पढ़ाई से बचे समय में परिश्रम भी करना पड़ता। वह एक अच्छा रेडियो मैकेनिक और इसी माध्यम से उपार्जन करता था।

निश्चित तिथि पर वह ग्वालियर आया और कन्या को देखकर स्वीकृति दे दी। अब विवाह सम्बन्धी विचार-विमर्श होना शेष था।

चिरंजीत ने कहा भी कि—“इसके लिये मैं आपके पिताजी के पास कब जाऊँ?”

किन्तु सर्वेश ने बताया कि—“वे मेरी मान्यताओं तथा सिद्धान्तों को अच्छी तरह जानते हैं। मैं जो कुछ निर्णय करूँगा उसे वे मान लेंगे। यद्यपि उनके विचार मुझसे भिन्न हैं, लेकिन मुझे अपनी राह चलने में वे कभी नहीं रोकते।”

और विवाह का जो स्वरूप तय हुआ वह इस प्रकार था—निश्चित तिथि पर सायंकाल बारात आवेगी जिसमें दस व्यक्ति होंगे। शाम को भोजन तथा तत्पश्चात् पाणिग्रहण संस्कार। प्रातः छह बजे विदा। देहज अथवा उपहार के नाम पर केवल कुछ कपड़े वर कन्या को तथा नित्य के उपयोग की दो या तीन वस्तुएँ जिनकी कीमत दो सौ से अधिक नहीं होगी। प्रत्येक शुभ अवसर पर केवल एक-एक रुपया। वर की ओर से भी दो या तीन हल्के-से आभूषण तथा वस्त्र।

बैण्ड की जगह शाहनाई की मधुर ध्वनि । न इधर महँगी तथा अनावश्यक वस्तुओं का अम्बार और न उधर कोई गाजे-बाजे या मूल्यवान आमूषणों का अपव्यय और इसी प्रकार वह ब्याह सम्पन्न हुआ । सबने देखा, सराहा और कहा कि—“काश, ऐसे ही ब्याह होने लगें, तो समाज से दहेज का दानव तथा व्यर्थ के प्रदर्शन का बोझ—दोनों नष्ट हो जायें ।”

जो लोग उस समय सर्वेश के आने की चर्चा करके व्यंग्य हैंसी हैंस रहे थे—वे ही अब उसकी प्रशंसा करते नहीं थक रहे थे । आगे बढ़ने वाले कदमों को साहस भरना ही पड़ता है । पीछे चलने वाले तो अपने आप अनुकरण करने लगते हैं ।

अनुकरणीय आदर्श विवाह

झालावाड़ (राजस्थान) के निवासी श्री नवलकिशोर माथुर के सुपुत्र चि० रामस्वरूप माथुर ने श्री सुन्दरलाल श्रीवास्तव की सुपुत्री आरती श्रीवास्तव से अन्तर्वर्गीय विवाह कायस्थ सभा की नियमावली के अनुसार करके नव-युवकों के लिए अनुकरणीय आदर्श उपस्थित किया है ।

कायस्थ समाज जैसे भी पढ़े-लिखे व्यक्तियों का समाज है । फिर भी दहेज प्रथा अपने विकराल रूप में यहाँ अड्डा जमाये हुए है । दहेज के दानव से प्रत्येक लड़की वाला परेशान है । चार-छह हजार रुपये से नीचे तो आजकल कोई बात ही नहीं करता । पहले यह सोचा गया था कि यदि कन्याएँ शिक्षित होंगी तो दहेज कम देना पड़ेगा, पर अब तो यह आशा भी धूमिल हो गई क्योंकि यह भी एक मान्यता है कि कन्या से वर अधिक शिक्षित होना चाहिए । ऐसा सोचकर उससे अधिक पढ़ा-लिखा वर ढूँढना पड़ता है और दहेज में कई हजार रुपये देने पड़ते हैं । दहेज के लिए कानून बन गया पर जहाँ उसे तोड़ने वालों का बाहुल्य हो वहीं बेचारे कानून की भी क्या चले ?

मुँहमाँगा दहेज न दे सकने के कारण पच्चीस-पच्चीस और तीस-तीस वर्ष की कन्याएँ विवाह के लिए घर में बैठी हुई हैं । अनेक सभाएँ दहेज के लिए नियम बनाती हैं और प्रस्ताव पास करती हैं पर यह दहेज-दानव टस से मस नहीं होता । इन सभाओं के पदाधिकारी स्वयं दिखावे का ढोल पीटते रहते हैं और अपना नम्बर आने पर चुपचाप सौदा तय करके काम बना लेते हैं ।

सुन्दरलाल श्रीवास्तव झालावाड़ कायस्थ सभा के मुख्य सचिव हैं । इन्होंने सोचा कि यदि अवसर आने पर मैं स्वयं ही पीछे हट जाऊँगा तो सभा के पद को घेरने से क्या लाभ है ? फिर एक-एक जाति के अन्दर भी कई-कई उपजातियाँ हैं यदि इन सबमें पारस्परिक विवाह होने लगें, तो क्षेत्र के बढ़ जाने से कन्याओं और वरों की किसी प्रकार से कमी न रहे और न दहेज के लिये उतनी बढ़-चढ़कर माँग की जाय ।

युवक रामस्वरूप माथुर और उनके पिताजी नवल-किशोर माथुर दोनों ही नवीन विचारधारा के पोषक हैं । रामस्वरूप के सम्मुख एक ओर दहेज का लालच था और दूसरी ओर आदर्श की स्थापना । दोनों ही दृश्य बारी-बारी से उनके मस्तिष्क में आते और चले जाते, अन्त में उनकी विवेकशीलता जाग्रत हुई, उन्होंने सोचा कि दहेज में दो-चार हजार रुपये का सामान या नकदी मिल भी जाये तो उससे क्या होता है । मुझे पर्याप्त आय प्रतिमाह होती है एक साथ नहीं तो धीरे-धीरे करके मैं अपनी आवश्यकता की वस्तुएँ खरीद लूँगा । अपनी आवश्यकता के लिए मैं अपने पिताजी से कह सकता हूँ न कि दिखावट के सामान के लिए दूसरे के सामने अपना हाथ पसारूँ । सचमुच उस युवक ने बड़ी समझदारी का कार्य किया । ऐसे युवक आगे बढ़कर जब तक सदियों से चली आ रही कुपूरम्पराओं को तोड़ने का साहस नहीं दिखाते, तब तक दहेज हो या मृत्युभोज जनता का रक्त चूसते ही रहेंगे ।

दोनों पक्ष धनीमानी हैं पर दरवाजे पर केवल ग्यारह रुपये ही भेंट स्वरूप दिये गये । वैवाहिक कार्यक्रम बड़ी सादगी से सम्पन्न हुआ । इस प्रकार के आदर्श विवाह यदि सभी जगह होने लगें तो अन्य लोगों को भी उसका अनुकरण कर पुरानी परम्परा को तोड़ने का साहस हो सकता है क्योंकि यहाँ तो यह स्थिति है कि जिधर ढाल होती है उधर ही पानी बहने लगता है । जहाँ दहेज रहित विवाहों की हवा चली कि फिर एक के बाद दूसरे और तीसरे विवाह होने लगेंगे । नई और पुरानी दोनों ही पीढ़ियों में दहेज के प्रति क्षोभ है पर उस कुरीति को आगे बढ़कर कौन तोड़े ? मुहल्ले वाले क्या कहेंगे ? परिवार के लोग क्या धारणा बनायेंगे ? इस तरह की कल्पना के भूत दिमाग में आते हैं और कोई कार्य नहीं करने देते ।

मानवीय सहृदयता का प्रतीक आदर्श विवाह

धौलपुर (राजस्थान) के एक सम्पन्न सेठ के पुत्र की शादी फतेहपुर (उत्तर-प्रदेश) में सादगी और बिना लेन-देन के एक निर्धन परिवार की कन्या के साथ सम्पन्न हुई ।

यह विवाह मानवीय सहृदयता के आदर्श प्रतीक के रूप में सम्पन्न हुआ । विवाहों में दहेज, अलन-चलन, भेंटें, कलेवा वे लोग माँगते हैं दरअसल जिनमें न कोई विचार है न भावना । यदि लोग यह सोचा करें कि लड़की वालों पर दहेज का बोझ डालना मानवीय दृष्टि से कहीं तक उचित है तो उनकी करुणा, दया और समाज के प्रति कर्तव्य की भावनाएँ भी उमड़ें । दूसरे का कष्ट दूसरे की कठिनाई न अनुभव करने का ही नतीजा होता है कि लोग दहेज के रूप में शोषण करते हैं और सामाजिक अर्थ-विषमता उत्पन्न करने में सहयोग देते हैं । थोड़ा-सा भी सहृदय अन्तःकरण हो तो दहेज की दुष्प्रवृत्ति का परित्याग कोई बड़ी भारी बात नहीं है । बड़प्पन, सिर नीचा होने का भय केवल आडम्बर है, उससे लोगों की आत्मिक दयनीयता ही व्यक्त होती है ।

कहते हैं वर-पक्ष के कुछ लोग लड़की को देखने और उसकी गोद भरने के लिए फतेहपुर गये । सामान्य लोगों की तरह उनकी भी दहेज की माँग थी । लड़की तो पसंद आ गई पर बात रुपयों के लिए अटक गई । सेठ जी हजारों पर थे और बेचारे लड़की के पिता मुश्किल से अपने परिवार की गुजर करते थे, उन्होंने किसी तरह पेट काट कर बच्ची को पढ़ा तो दिया था पर दहेज देने की सामर्थ्य उनमें न थी ।

इस बात को लेकर मुहल्ले के कुछ उत्साही और दयावान लोग सेठजी के पास जाकर बोले—सेठजी मनुष्य दहेज से सुखी नहीं होते । गृहस्थी के लिये सुशील और कार्यकुशल कन्या चाहिये सो ईश्वर की कृपा से आपको सुयोग्य बहू मिल रही है । आप विवाह कर लीजिये । रुपये की आपको क्या कमी । कमी हो भी तो इनके दहेज से आपकी जिन्दगी बसर नहीं होगी और इन बेचारों के ऊपर कर्ज चढ़ जायेगा । एक सम्बन्धी होने के नाते क्या वह आपको अच्छा लगेगा ?

सेठ जी ! विचारवान थे, उन्होंने सोचा बात सही है आज नहीं तो कल यह हमारे सम्बन्धी होंगे । बोझ डालना

या कर्ज के लिए विवश करना सम्बन्ध नहीं शत्रुता की तरह है । यह लोग कष्ट पायें यह कहीं तक ठीक है ? उनकी भावनाएँ उमड़ पड़ीं । सम्बन्ध बिना किसी दहेज के स्वीकार कर लिया ।

यही नहीं उन्होंने कहा—हम घर लौटेंगे, घर वाले, बिरादरी के दूसरे लोग हम पर दबाव डालेंगे कि दहेज लो, बड़ी बारात ले चलो, बाजे-गाजे, आतिशबाजी का प्रबन्ध करो तो फिर इन पर नहीं मुझ पर भी तो बोझ पड़ेगा इसलिये जब वैवाहिक पवित्रता और आदर्श की ही बात चल पड़ी है तो आप लोग अभी प्रबन्ध कर दीजिये हम बच्चे का विवाह यहीं कर लेने के लिये तैयार हैं ।

सेठ जी की उदारता से सब की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा । सब लोग अपने-अपने काम में जुट गये और शाम तक विवाह का सारा प्रबन्ध कर लिया गया ।

गौधूली की पुण्य बेला में वर और वधू को अत्यन्त सादगी के साथ दाम्पत्य सूत्र में बाँध दिया गया । लड़की वालों ने सेठ जी की सहृदयता के लिये हार्दिक कृतज्ञता प्रकट की ।

जैसी कि आशा थी, घर वाले व सम्बन्धियों ने पहले तो विरोध किया पर जब उन्होंने देखा कि इस तरह दोनों पक्ष आर्थिक बोझ और अनेक परेशानियों से बच गये तो लालाजी की सूझ-बूझ की सबने प्रशंसा की ।

सजीव गुड़िया का विवाह

घटना बुलन्दशहर की है । वहाँ के श्री चन्दूमल सेठ काफी पैसे वाले हैं । उनकी लड़की ने गुड़े गुड़िया का ब्याह रचाया । उसकी गुड़िया थी और सेठजी के एक मित्र की बच्ची का गुट्टा । पैसा पास में हो पर उसका सही और सार्थक उपयोग करने की सदबुद्धि न हो तो उसे दुर्भाग्य ही कहना चाहिए । काम तो बच्चों का था किन्तु वह बड़ों का भी मनोरंजन का साधन बन गया ।

बाकायदे टीका चढ़ा । तिथि निश्चित की गई । तेल, हल्दी, मेंहदी, महावर सब हुआ । इधर भी और उधर भी सारे पड़ोसी तथा मिलने वाले आमन्त्रित किये गये । बारात चढ़ी और बढ़िया दावत दी गई । केवल जेवर लिली ज्वेलरी के चढ़ाये गये । इधर से भी दहेज में सब समान छोटा-छोटा

ही दिया गया । फिर भी कुल मिलाकर (दोनों ओर का) लगभग दो हजार रुपया व्यय हुआ ।

चन्दूलाल जी की कोठी के एक हिस्से में श्री ज्ञानचन्द्र सिंह रहते हैं । वे हिन्दी के प्रोफेसर हैं तथा बड़े ही विचारशील व्यक्ति हैं पर दुर्भाग्य से उनके कोई सन्तान नहीं । उनकी पत्नी बड़ी भावुक हैं । इस प्रकार का आयोजन देखा तो उनके मन में भी कुछ सोया हुआ जाग पड़ा । पतिदेव से बोली—“अपने कोई बाल बच्चा तो है नहीं । क्यों न हम भी गुठ्टे गुड़ियों का ब्याह करके ही माता-पिता बनकर कुछ करने का अरमान पूरा करें ?”

तब श्री ज्ञानचन्द्र जी ने उन्हें समझाया कि “ये तो सरासर पैसे की बरबादी है । धन का उपयोग सदा सार्थक कामों में ही करना चाहिए । तुम्हारे यदि सन्तान नहीं है तो ऐसी सन्तानों की भी कमी नहीं जिनके ऊपर माता-पिता का साया नहीं है । निर्जीव गुठ्टों के ब्याह में पैसा खर्च करने से तो अच्छा है कि हम ऐसे ही किसी अनाथ बच्चे का ब्याह कर दें । जहाँ दो हजार वहाँ चार हजार । काम तो विवेकपूर्ण होगा ।”

पत्नी को बात जँच गई । अब वे सदा इसी दिशा में सोचने लगीं । कुछ दिन बाद उनके घर एक लड़की आई । मुहल्ले में ही सोमनाथ जी रहते थे जिनका देहान्त इसी वर्ष एक बस दुर्घटना में हो गया था । परिवार में पत्नी थी पौंच बच्चे थे जो सभी अभी शिक्षा प्राप्त कर रहे थे । सबसे बड़ी ये कन्या थी—शोभा ! अब जीविका की समस्या सामने थी, इसीलिए वह आई थी कि कहीं नौकरी लगवा दें । ज्ञानचन्द्रजी वह १७ वर्षीया युवती बी० ए० प्रीवियस की छात्रा थी । ज्ञानचन्द्र जी की पत्नी को उसके प्रति बड़ी सहानुभूति उमड़ी, वे शोभा की माँ से भी मिलीं तब मालूम पड़ा कि शोभा का विवाह भी तय हो गया है पर अब उसके पिताजी की मृत्यु हो जाने से अच्छी खातिर और शोभा न हो सकने की आशंका से लड़के वाले सम्बन्ध करने में आना-कानी कर रहे हैं ।

घर आकर उन्होंने ज्ञानचन्द्र जी से सारी बात बताई । दोनों के मन में एक ही बात एक साथ उठी । पर फूटी ज्ञान के मुँह से पहले “लो भगवान ने तुम्हारी इच्छा पूरी कर दी ।”

और शीला उस रात भर न जाने कौन-कौन से मधुर स्वप्नों में खोई रही । दूसरे दिन वह शोभा के घर गई ।

आत्मभाव नित्य प्रति बढ़ता ही गया । तब एक दिन शीला ने शोभा की माँ से अपना मन्तव्य प्रगट कर ही दिया—“बहिन! शोभा के ब्याह की चिन्ता मत करना अब आप । वह आज से हमारी बेटी है । लड़के वालों को आप कहला दें कि वे ब्याह करें यहीं । जो कुछ कहा गया था सब कुछ दिया जायेगा ।”

शोभा की माँ अश्रु पूरित नेत्रों से और सभी परिचित लोग विस्मय विस्फारित दृष्टि से देखते रहे और विवाह का सारा व्यय श्री ज्ञानचन्द्र जी ने उठाया । विदा के समय शीला को लगा जैसे वह अपनी बेटी की ही विदा कर रही हो । घर आने पर ज्ञानचन्द्र ने चुटकी काटी “यह सजीव गुड़िया का ब्याह ही अच्छा रहा न ?” शीला अपने पूर्व के अज्ञान पर शर्मा गई ।

बिना खर्च का विवाह

कन्या का विवाह सादगी से करने का विचार था । संयोगवश पास के ही गाँव में एक परिवार ऐसा मिल गया जो सब प्रकार सुयोग्य था । हम लोगों के साथ पूर्व परिचय भी था । लड़का सुयोग्य और दान-दहेज की कोई माँग नहीं ।

विवाह की निश्चित तिथि में जब मात्र महीना रह गया तो पड़ोसी और रिश्तेदारों को आश्चर्य हुआ कि धूमधाम की पूर्ण तैयारी क्यों नहीं हो रही है ।

जब बताया गया कि इस विवाह में कोई बारात नहीं आनी-जानी है । बाजे, आतिशबाजियाँ जैसी फिजूलखर्चियाँ भी नहीं होनी हैं और न दावत में इष्ट-मित्रों को बुलाया जाना है । सब कार्य पूर्ण सादगी से परिवार उत्सवों की तरह होने वाले हैं । दोनों परिवार मिल-जुलकर एक दिन में सब कार्य पूरा कर लेंगे । बाहर के किसी मेहमान को उसमें सम्मिलित करने का विचार नहीं है ।

इस निश्चय को सुनकर दोनों ही पक्षों के सगे-सम्बन्धी आश्चर्य में रह गये । ताने देने लगे । उद्दण्डता बरतने और परम्परा तोड़ने का आरोप लगाने लगे । कितनों ने ही इसमें अपना व्यक्तिगत अपमान समझा । वे कहते सुने गये कि हमारे परिवारों में जब विवाह हुए थे तब इन्हें सम्मानपूर्वक उसमें सम्मिलित किया था । बारात में भी ले गए थे । पर अब यह लोग हमारा अपमान कर रहे हैं, बेकार अपनी समझ

का तिरस्कार कर रहे हैं। भविष्य में इन परिवारों का एक प्रकार से बहिष्कार ही किया जाए और किसी उत्सव, आयोजन, प्रीतिभोज में सम्मिलित न किया जाय।

यही धमकी, यही समस्या दोनों पक्षों के सामने थी। यदि उन सबको बुलाया जाता और पुराने ढर्रे से विवाह किया जाता तो बारात ले जाने, धूम-धाम मचाने, कीमती जेवर-कपड़े बनवाने, कीमती ज्यूनार करने, दूर-दूर के रिश्तेदारों-सम्बन्धियों को भी बुलाने तथा उन्हें विदाई देने का इतना बड़ा खर्च सामने था जिसका सामना करना हमारे लिए किसी भी प्रकार सम्भव नहीं था। हम दोनों पक्ष किसी प्रकार गुजारा ही करते हैं। हजारों की बर्बादी करने के लिए कर्ज ही लेना पड़ता और उसे चुकाने में ब्याज देते-देते ही ढेर हो जाता।

इन सब बातों पर हम दोनों पक्षों ने गम्भीरतापूर्वक विचार किया और इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि विवाह हम दोनों को शान्तिकुञ्ज हरिद्वार में चलकर ही करना चाहिए और इन सभी उलझनों और झंझटों से बच जाना चाहिए।

निश्चय यही हो गया। लड़के के माँ-बाप और भाई-बहिन ही बारात में आये। सब लोग शान्ति कुञ्ज पहुँचे। लड़की तथा लड़की के भाई-बहिन और माता-पिता भी गये थे। शान्तिकुञ्ज के आश्रम भोजनालय में ही दो दिन भोजन करते रहे। बारात-घरात के लोगों का मुँह मीठा करने के लिए कुछ मिठाई मँगाई और स्टोव पर चाय बनाई। इसके अतिरिक्त विवाह के सारे साधन वहाँ थे ही। रेल भाड़े के अतिरिक्त और कोई खर्च नहीं हुआ। वापिस लौटने पर वर पक्ष वालों ने बहू के हाथ का भोजन कराने के लिए पराठें बनवाये जिन्हें सभी मित्र-पड़ोसियों ने खाया। जो पहले नाराज होते थे वे यह देखकर प्रसन्न हुए और अपने यहाँ भी यही रीति-रिवाज अपनाने के लिए विचार करने लगे।

आदर्श विवाहों की ओर

बढ़ते कदम

कहावत है, यथा राजा तथा प्रजा ! राजा तो अब रहे नहीं। तात्पर्य यही, कि किसी भी संस्था-संगठन अथवा दल का जैसा संचालक होगा—अथवा यों कहें कि संचालक का जैसा आचरण होगा, अनुयायी भी उसी स्तर के होंगे। अतः यदि वास्तव में ही कोई अपनी मान्यताओं, आदर्शों तथा

सिद्धांतों को दूसरों पर प्रतिरोपित करना चाहता है तो स्वयं उसे अपने जीवन में पहले उतारना होगा सब कुछ। तभी उसका अनुकरण दूसरे करेंगे।

इस दिशा में सक्रिय कदम उठाया है, डांडेली की 'माहेश्वरी विवाह सुधार समिति' के प्रमुख कार्यकर्ता श्री मदनलाल भराणी ने ! उन्होंने अपने द्वितीय पुत्र का विवाह आदर्श पद्धति से किया है। पुत्र बी० कॉम० की परीक्षा उत्तीर्ण कर चुका था। कई स्थानों से बड़े-बड़े सम्बन्धों के प्रस्ताव थे। एक से एक सुन्दर, सुशिक्षित कन्याएँ। हजारों की संख्या में रुपया देने वाले कन्या के पिता ! अतुल दहेज सामग्री।

किन्तु श्री मदनलाल जी ने सोचा, यदि हम लोग भी अंधपरम्पराओं को, रूढ़िवादी मान्यताओं को गले से लगाये यों ही बैठे रहेंगे—तो समाज की दशा कैसे सुधरेगी ? यदि विवाह को मात्र दो आत्माओं के मंगल मिलन का धर्मानुष्ठान न मानकर खेल तमाशे का, अपने मन की भड़ास निकालने का अवसर मात्र माना गया, तो दिन पर दिन इस आग में झुलसते मानव समाज का क्या अन्त होगा ? यदि साहसपूर्वक विधि का विधान बन गई इन अन्धी रूढ़ियों का अन्त न किया गया—तो आने वाले नये युग की दीवारों की नींव किन आधारों पर रखी जा सकेगी, उन पत्थरों का सृजन करना ही होगा जो नये भवन का भार उठा सकने में समर्थ हों।

और उन्होंने साहसपूर्वक कुछ आत्मीय स्वजनों का विरोध होते हुए भी चि० अरुणकुमार का विवाह अत्यंत ही सादगी से श्री रामेश्वर जी टुवाजी—जो अजमेर के निवासी ही—की कन्या कु० निर्मला के साथ सम्पन्न किया। श्री रामेश्वर जी ने भी साहस दिखाया और समाज में आगे बढ़कर नवीन आदर्श स्थापित किया।

दोनों सम्बन्धियों में फिजूलखर्ची रोकने तथा मुद्रा का विनिमय कम से कम करने की जैसी होड़ सी लगी हुई थी। श्री रामेश्वर जी ने मुद्दे में हजारों रुपयों के स्थान पर केवल एक सौ एक रुपया ही भेजा। किन्तु श्री भराणी जी ने केवल एक रुपया ही अपने पास रखा शेष समिति द्वारा 'राजस्थान अकाल पीड़ित सहायता कोष' में दान दे दिया।

सगाई मिलनी में भी केवल चार व्यक्तियों के लिये केवल चार ही रुपये स्वीकार किये गये । समस्त अवसरों पर मुद्रा विनिमय का यही हाल रहा ।

बारात में केवल पन्द्रह व्यक्ति थे । कुछ बच्चे ! वातावरण में न कहीं शोर-शराबा न कहीं हल्ला-हंगामा ! सब कुछ बड़े ही सीधे-सादे ढंग से सादगी के साथ सात्विक वातावरण में सम्पन्न हो गया ।

ऐसे विवाहों की परम्परा एक बार चल पड़े तो लेन-देन की घृणित रूढ़ि से, तड़पता समाज छुटकारा पा जाय और दहेज के दानव का संहार हो सके ।

बड़ी बारात अभिशाप सिद्ध हुई

मेंहगाँव (राजेन्द्रनगर) । ग्रामीणों और बारातियों के बीच झगड़ा हो जाने से एक बाराती की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई । पाँच अन्य को बाद में पुलिस गिरफ्तार कर ले गई । संघर्ष का कारण बारातियों द्वारा लड़कियों के साथ अभद्र मजाक करना बताया जाता है ।

बारात ले जाना वैसे भी लड़की वालों के ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ डालना है । दहेज के कारण बेचारे पहले ही टूटे हुए होते हैं उन पर सौ-दो सौ व्यक्तियों की जेवनार देने पर पूरे एक वर्ष के लिये घर के लोगों का अन्न बर्बाद हो जाता है । आर्थिक स्थिति चरमर कर डालने में दहेज की तरह ही बारातियों का ले जाना भी हम भारतीयों के लिए एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है ।

अच्छा तो यह हो कि सगे-सम्बन्धी ही जायें, घरवार के दस-पाँच आदमी एक पुरोहित और एक नाई कुल १० या १२ आदमी चले जायें और एक धर्मानुष्ठान की तरह विवाह करा लायें । पर यदि शोभा ही बनानी हो तो अधिक से अधिक २०-२५ आदमी भी हो सकते हैं ।

इससे अधिक आदमी ले जाने का क्या औचित्य है? तीन दिन तक फालतू पड़े रहने और ढूँस-ढूँस कर खाने के अतिरिक्त भी-भला इनका कोई उपयोग होता है ? झूठा व्यवहार जताना समाज के लिए ही नहीं अपने लिए भी धोखा ही है । बारातियों में उच्छृङ्खलता की आम मनोवृत्ति देखने को मिलती है उससे क्या बाहरी, क्या स्वयं बारात ले जाने वाले कोई नहीं बच सकते । बाराती बेहद लफंगे और गँवार होते हैं, जो एक

पवित्र अनुष्ठान में सम्मिलित होकर कुत्सित धारणाएँ रखते और दुर्व्यवहार करते हैं ।

बताते हैं पहले दिन अगवानी के समय से ही बारात वालों ने लड़कियों से छेड़खानी और शब्दकसी शुरू कर दी । गाँव वालों ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया । दूसरे दिन भी यह उच्छृङ्खलता जारी रही । एक दूकान के पास खड़े कई बाराती पहले तो उसे ही परेशान करते रहे फिर उधर से आने वाली कुछ औरतों के साथ कंकड फेंकने, सिगरेट फेंकने जैसे अभद्र व्यवहार किए । ग्रामीण भी आखिर कब तक सहन करते । पहले तो लड़की वालों के द्वारा शिकायत भिजवाई । पर "खाली दिमाग शैतान का घर" वाली कहावत थी । न कोई काम न काज, मुफ्त का बड़प्पन ऊपर से सेवादारी । बाराती अपने को बादशाह समझते थे । हुल्लड़बाजी कम न की । तीसरे दिन सबेरे से ही उन्होंने जोर पकड़ा, इधर कुछ ग्रामीण नवयुवक इकट्ठे हुए और उन्होंने दो-चार की पिटाई कर दी । संघर्ष यहाँ तक बढ़ा कि लाठी, डण्डे की नौबत आ गई, एक का सिर फंट गया और शाम तक मृत्यु हो गई ।

उस वर और वधू पर भला इसका क्या प्रभाव हुआ होगा जो इस अवसर पर एक अत्यन्त पवित्र और उत्तरदायित्वपूर्ण सम्बन्ध के लिए एकत्रित हुए थे । विवाह तो अखाड़ा हो गया, हुल्लड़बाजी का पर्व बन गया ।

हम सबक लें इस घटना से और निश्चय कर लें कि इस दहेज की कुप्रथा को तोड़ना ही अनिवार्य नहीं फालतू की बारात ले जाना भी पाप है । इस पाप को भी समाज के सिर से उतारने में ही कल्याण है ।

ब्याह में धूमधड़ाका न हुआ तो क्या हुआ ?

रमेश की शादी की तिथि अचानक दो महीने आगे बढ़ा दी गई । वह भी निश्चित तिथि से केवल एक दिन पूर्व । ठीक तो है; जब वर की माँ ही अत्यन्त घायल अवस्था में अस्पताल में भेजी गई हो तो कैसे ब्याह ? और कैसी खुशी ?

घटना ग्वालियर शहर की है । मुन्शी कालका प्रसाद जी के सुपुत्र रमेश का विवाह होने जा रहा था । जब तक दिखावा, शान-शौकत, बाजे-गाजे तथा धूम-धड़ाका न हो तब तक क्या पता पड़े कि कहीं शादी हो रही है ? मुन्शीजी का

कुछ ऐसा ही विचार था । दूसरे दिन बारात चढ़नी थी । एक दिन पूर्व ही मण्डप वाले दिन आतिशबाजी वाला सामान तैयार करके दे गया । दो डले भरें हुए थे । आँगन में ही एक ओर रखवा दिये गये । उनके दामाद श्रीगिरिजा सहाय ने कहा भी था कि “ये फिज़ूलखर्ची आज की भयानक महँगाई में बन्द की जानी चाहिए । इतना पैसा यदि आप किसी दूसरे उपयोगी कार्य में व्यय करें तो अधिक उपयुक्त होगा ।”

पर मुन्शीजी के सिर पर तो झूठी शान का भूत सवार था । कहने लगे “वाह भाई—यह भी कोई बात है । चुपचाप गूँगों की तरह जाकर किसी की लड़की को उठा लाओ । जरा शोर-शराबा भी तो होना चाहिए जो मालूम पड़े कि कोई दिल वाला आ रहा है बेटा ब्याहने ।”

गिरिजासहाय जी ने बहुत समझाया पर वे न माने । उन्होंने यह भी कहा कि “इसमें जरा-सी भी असावधानी से कई बार बड़ी-बड़ी दुर्घटनाएँ तक हो जाती हैं ।

पर उन बेचारों की कौन सुनता वहाँ तो झूठी वाह-वाही लूटने की और झूठे प्रदर्शन द्वारा ‘बड़ा’ बनने की धुन सवार थी । दैवयोग से, जहाँ वे डले रखे थे वहाँ पर कुछ औरतें बैठी बातें कर रहीं थीं जिनमें रमेश की माँ भी थी । सर्दी के दिन थे । तीसरा प्रहर हो चला था । किसी ने कहा “एक सिगड़ी उठा लाओ तापेंगे । सर्दी लग रही है ।” और हवा के एक झोके के साथ पाँच फुट दूर रखी सिगड़ी में से चिनगारियाँ उचटीं और डले में रखी आतिशबाजी में जा समाई ! कुछ पल भी न लगे और भड़भड़ाती हुई सारी आतिशबाजी आग उगलने लगी ! औरतें चीत्कार करती हुई भागीं फिर भी किसी का हाथ, किसी का पैर, किसी का मुँह झुलस ही गया । रमेश की माँ वहीं सो रहे अपनी लड़की के बच्चे को उठाने के उपक्रम में लग गई । सो उनके कपड़ों में ही आग लग गई । एकदम ही सब दौड़ पड़े । किसी प्रकार बचा लिया गया और अस्पताल पहुँचाया गया । अब कहीं की शादी ! लड़की वाले को कहलवा दिया गया कि शादी दो महीने बाद होगी जब रमेश की माँ ठीक हो जायेंगी ।” उस बेचारे का कितना पैसा व्यर्थ गया जो सारी व्यवस्थाएँ जुटाने में व्यय हुआ था । मुन्शीजी का भी काफी नुकसान हुआ । इलाज में पैसा लगा । कष्ट तथा परेशानी उठायी वह अलग ।

विवाहों को रचनात्मक दिशा दी जाय

विवाहों का जो रूप आजकल प्रचलित है उसकी हानियों से हम भली प्रकार परिचित हैं । किन्तु उन हानियों का बखान कर लेने से, उनका रोना रोते रहने भर से तो काम नहीं चलने का । हमारे आध्यात्मिक विकास से लेकर भौतिक प्रगति तक में बाधक इस भयंकर दोष को दूर करना ही पड़ेगा । आध्यात्मिकता की दिशा में अनैतिक रहकर नहीं बढ़ा जा सकता । यह कुरीति हमसे कदम-कदम पर अनैतिक आचरण कराती है । यही नहीं समाज में शिक्षा, संयम, धन एवं स्नेह का सन्तुलन भी इन्हीं के कारण बार-बार बिगड़ता रहता है, बन नहीं पाता । इन्हें न हटाया गया तो गीता-रामायण के आदर्श धरे रह जायेंगे । सामूहिकता, अर्थशास्त्र तथा बौद्धिक विकास के सिद्धान्तों का ज्ञान निरर्थक होता रहेगा ।

इस स्थिति से समाज को उबारा ही जाना चाहिए । इसके लिए परामर्श, उद्बोधन, प्रेरणा, प्रतिरोध तथा संघर्ष तक के सभी क्रम जो भी अपनाने पड़ें अपनाये जाने चाहिए । समाज के विभिन्न वर्ग के व्यक्तियों पर विभिन्न ढंग से प्रभाव डाला जाना सम्भव है । विवाहों की विकृतियों में नष्ट होने वाली जनशक्ति तथा योग्यता सही दिशा में लगायी जा सके इसलिए हर सम्भव प्रयास करना हर व्यक्ति का पुण्य कर्तव्य है ।

विचारशील वर्ग तथा नयी पीढ़ी को इसके लिए जागरूक और प्रोत्साहित किया जाना चाहिए । नयी पीढ़ी पर विश्वास किया जा सकता है, उन्हें केवल सही दिशा दी जाये । वे जिसे ठीक समझते हैं उस पर दृढ़ रहने की क्षमता उनमें है, भले ही दुनिया उसे गलत कहे, उपहास करे । न्याय का आग्रह करने की दृढ़ता उनमें है । स्कूलों, कालेजों में, विद्यार्थियों वयस्कृं में यह हवा, यह फिजॉ पैदा की जाय कि वे विवाहों को आदर्श ढंग से करने का आग्रह कर सकें । उन्हें प्रकाद जैसा बनाया जाय । पिता का, बुजुर्गों का अपमान वे न करें, अपने सेवा कर्तव्य का पालन भी करते रहें किन्तु उनके अनैतिक दबाव को न मानें । अपने आदर्श आग्रह पर डटे रहें ।

युग निर्माण योजना ने ऐसे साहित्य बड़ी संख्या में छपा है जिसके आधार पर उन्हें इस परिवर्तन की आवश्यकता,

४.५० विवाहोन्माद : समस्या और समाधान

उपयोगिता तथा सार्थकता समझाई जा सकती है। अभी ऐसा साहित्य और भी रोचकता तथा प्रखर रूप में तैयार करके प्रकाशित किया जा रहा है। ऐसे उपन्यास भी तैयार किए जा रहे हैं जिन्हें पढ़कर उनके अन्दर कुछ कर गुजरने का जोश पैदा हो जाय।

हर विचारशील तथा जीवित सामाजिक चेतना वाले व्यक्ति को इस कार्य के लिए आगे आना चाहिए। समाज में आदर्शवादी व्यक्तियों का अभाव नहीं है। उन्हें सही दिशा, प्रत्यक्ष कार्यक्रम नहीं दिया जाता इसीलिए उनकी कार्यक्षमता तथा आदर्श प्रेम का प्रमाण समाज को नहीं मिल पाता। विवाहों को आदर्श ढंग से करके समाज के धन, सद्भाव तथा सन्तुलन को बनाये रखने के लिए ५० प्रतिशत युवक वर्ग थोड़े से प्रयास से ही आगे आ सकता है। जो आदर्श का दम भरने वाले लोग हैं, वे किसी भी सम्प्रदाय या संगठन से सम्बन्धित हों उन्हें सचेत किया जाय। यदि उनमें थोड़ा भी जीवन है तो इस कार्य में उन्हें इसका क्रियात्मक प्रमाण देना चाहिए। अपने बच्चों, परिचितों के विवाह आदर्श ढंग से करने के लिए वे अपने प्रभाव का उपयोग करें।

जनसाधारण में शान-शौकत के इस भौड़े प्रदर्शनों में शामिल न होने का संकल्प जगाया जाय। जहाँ आवश्यक कार्यों के लिए पैसे की आवश्यकता है वहाँ पागलपन में व्यर्थ की बर्बादी न होने देना एक बड़ी महत्त्वपूर्ण समाज सेवा है। लोग ऐसे प्रकरणों में शामिल होने से इनकार कर दें।

लड़के वाले दहेज क्यों माँगें? जिसने अपनी पाली-पोसी कन्या दे दी उस पर धन देने का दबाव क्यों दिया जाय? बरातों में खराब करने के लिए समय और साज-सज्जा में खर्च करने के लिए लोगों के पास पैसा कहाँ है। वर के साथ एक दो मित्र जाकर विवाह सम्पन्न करा लायें, वधू सहित लौटकर आने पर उनके सम्मान में एक जलपान कार्यक्रम रखकर हर्षोल्लास से प्रकट कर लेने में क्या कठिनाई है। लड़की वाले भी अपने दरवाजे पर घूमघड़ाके का तथा बैण्ड-बाजे के नाम पर लड़के वालों का निरर्थक खर्च क्यों करवायें? जेवर अपनी बहू को जितना उनके पास हो सकेगा यह पहनायें परन्तु उसके लिए दबाव क्यों दिया जाय?

यह सब क्रम बन्द करना दोनों ही पक्षों के लिए लाभप्रद है। दहेज में जो सामान दिया जाता है वह अधिकांश निरर्थक

भार बढ़ाने वाला होता है। दोनों पक्षों को अपने परिवार के उपयोगी खर्चों तथा सन्तुलन की उपेक्षा करके उनकी व्यवस्था करनी पड़ती है। इस ओछे प्रदर्शन का प्रभाव समाज पर भी गलत पड़ता है। लोग उसी प्रकार की नकल करने में बड़प्पन समझते और बरबादी के रास्ते पर बढ़ते चलते हैं।

इन सब से बचने का एक बड़ा प्रभावशाली तथा व्यावहारिक ढंग सामूहिक विवाह है। आदर्श के निर्वाह का प्रयास करने वालों को समाज के अनेक तत्त्व विचलित करते हैं। सामूहिक कार्यों में ऐसे तत्त्वों की आवाज कारगर नहीं हो पाती। हर्षोल्लास का वातावरण सहज ही बन जाता है तथा लोगों को न तो उसका अभाव ही खटकता है और न उसके लिए कुछ खर्च करने की आवश्यकता पड़ती है। दिखावा, दहेज, चढ़ावा आदि के निरर्थक प्रसंग अपने आप ही दूर जा पड़ते हैं।

आदर्श की पुकार सुनने वाला विवेकशील व्यक्ति समाज में नहीं, ऐसी बात नहीं। युग निर्माण परिवार के आह्वान पर अधिकांश सामूहिक यज्ञों के साथ आदर्श विवाह सम्पन्न होने लगे हैं। उनमें उत्साह, रोचकता खर्चीले विवाहों से कम नहीं होती—पर खर्च नहीं के बराबर होता है। हजारों व्यक्ति संस्कार के साथ पारिवारिक आदर्शों का शिक्षण प्राप्त करते हैं तथा भावपूर्ण मनोभूमि से वर-वधू को आशीर्वाद देते हैं। इस ढंग से विवाह सम्पन्न कराने वालों तथा उस आयोजन को देखने वालों की समझ में संस्कार का यथार्थ स्वरूप सामने आ जाता है तथा इस पद्धति के प्रति आत्मीयता का भाव बढ़ जाता है।

सामूहिक विवाहों में ज्योतिष तथा मुहूर्तों की लगड़म-झगड़म भी आड़े नहीं आती। शुभ पर्व पर, यज्ञीय वातावरण में देव शक्तियों की उपस्थिति में संस्कार शुभ ही माना जाता है। सामूहिकता के अनुकरण की वृत्ति भी उभरती है। इस आदर्श का निर्वाह अकेले करने में संकोच लगता है वही सामूहिकता में सहज हो जाता है।

जो व्यक्तिगत रूप से सम्पन्न हैं वे विवाह सामूहिक धार्मिक समारोह का रूप देकर करें। अन्य गरीबों को उसका लाभ मिल सकता है। वर-वधू को हजारों व्यक्तियों की शुभकामनाएँ मिल सकती हैं। धन को निरर्थक प्रदर्शन में खर्च न करके क्षेत्रीय सम्मेलन करके, यज्ञ करके लोगों में

सुविचारों का बीजारोपण करते हुए विवाह संस्कार कराना सर्वथा उचित है ।

इसके लिए प्रगतिशील जातीय संगठन भी बनाये जायें; सम्बन्धों की सीमा बढ़ाई जाय । पहले चरण के रूप में उपजातियों के बन्धन तोड़ कर विवाह किए जायें । कम से कम ब्राह्मण-ब्राह्मणों, क्षत्रिय-क्षत्रियों आदि में तो भेद न किया जाय । वैश्य, उसमें भी अग्रवाल, उसमें भी केवल अमुक क्षेत्र के रहने वाले में ही सम्बन्ध किया जाने का आग्रह वर-कन्या का सही चुनाव भी नहीं होने देता तथा इस दिशा में एकदम बहुत बड़े आदर्श का प्रयास करने की अपेक्षा प्राथमिक व्यावहारिक कदम उपजातियों की सीमा तोड़ना भर काफी है । ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, कायस्थ आदि में परस्पर भेद न किया जाय । स्थान-स्थान पर निवास करने के जैसे सामान्य आधारों पर यह वर्गीकरण हुए हैं । कन्नौज में रहने वाले कान्यकुब्ज कहलाते हैं । अब वे जब स्वयं सारे देश में बैठ गये तो सारस्वत और नार्मदिय का भेद क्यों ? इसी प्रकार अन्य वर्णों को खण्ड-खण्ड में आवरण रूप से बाँट दिया गया है । प्रगतिशील जातीय संगठनों द्वारा उपजातियों की सीमा तोड़कर सम्बन्ध करने के निर्णय लिए जायें तथा साहसी युवक-युवतियाँ और अभिभावक इस कार्य में आगे आयें तो यह निरर्थक ढाँचा जरा-सी देर में टूट कर गिर पड़े ।

इस कार्य को दिखावे के रूप में नहीं रचनात्मक ढंग से करने की आवश्यकता है । वैचारिक स्तर पर यह बात लोगों की समझ में आती जा रही है केवल झिझक छोड़कर कुछ साहसी आगे बढ़ें तो अधिकांश पीछे-पीछे चल पड़ेंगे । विचार क्रान्ति की पृष्ठभूमि पर यह सफलता असंदिग्ध रूप से पायी जा सकती है । यह सब कदम मजबूती से आगे बढ़ें तो विवाह में निरर्थक रूप से व्यय होने वाली धनराशि तथा जन-शक्ति देश का कायाकल्प कर सकती है ।

आनन्द विवाह—एक अनुकरणीय प्रथा

पंजाब के नामधारी गुरु रामसिंह जी ने सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में कई सुधार किए । उन्होंने इस सम्बन्ध में गहन चिन्तन किया । लोग चाहते हुए भी धर्माचरण नहीं कर पाते तथा उसमें निहित आदर्शों को आत्मसात् नहीं कर पाते इसका कारण उन्हें समझ में आया वह था सामाजिक रीति-रिवाजों का बाधक होना । इस प्रकार के रीति-रिवाजों में विवाह प्रमुख था ।

विवाह का उद्देश्य तो जीवन को सरस, सुखमय और सार्थक बनाने के लिए दो सहधर्मियों को मिलाना तथा एक-दूसरे के प्रति आस्थावान रहने की शपथ लेना है । प्राचीन भारत में इसी प्रकार विवाह होते थे । कर्म-काण्ड तो अब भी उसी प्रकार किये जाते हैं पर उनमें भावना रूपी प्राण नहीं रहे, उन्हें गौण स्थान मिलने लगा प्रमुख स्थान अपव्यय ने ले लिया । इस अपव्यय में होड़ होने लगी तो उपार्जन में अनैतिकता बढ़ी, धर्म का उल्लंघन हुआ ।

उन्होंने इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए 'आनन्द विवाह' का प्रचलन किया । यह कम से कम व्यय की प्रभावशाली विवाह पद्धति है । सामूहिक रूप से किसी पर्व त्यौहार तथा शुभ दिन पर अनेकों जोड़ों का विवाह एक साथ कराया जाता है ।

विशाल प्राङ्गण में हवन का आयोजन किया जाता है । जिसमें आस-पास के गाँवों के लोग भी पर्याप्त मात्रा में भाग लेते हैं । हवन के समय सभी जोड़े एक साथ 'सप्तपदी' की रस्म पूरी करते हैं । प्रभाव पूर्ण रीति से अग्नि देवता को साक्षी रखकर एक-दूसरे के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाने की शपथ लेते हैं ।

धर्मानुष्ठान जैसा आयोजन इन नव-विवाहितों के ही नहीं दर्शकों के मन पर एक स्थायी प्रभाव डालता है । जो विवाहित हैं उन्हें अपने कर्तव्यों की फिर से याद आती है तथा वे स्थायी बनते हैं । जिन्हें विवाह करना है वे भी विवाह की जिम्मेदारी तथा महत्त्व को समझने का अवसर पाते हैं ।

इस विवाह आयोजन में विवाह करने के इच्छुक वर कन्याओं के लिये नियम बँधे रहते हैं । कन्या की आयु १४ वर्ष से कम नहीं होना चाहिए । घूँघट निकालने वाली कन्या को इसमें सम्मिलित नहीं किया जाता । कन्या को आभूषण कतई नहीं पहनने चाहिए । आभूषण, लेन-देन, दहेज आदि सब वर्जित होते हैं । विवाह सम्पन्न होने के पश्चात् वह सीधे ससुराल चली जाती है ।

इस विवाह से समाज में एकता की भावना का विकास होता है । इतने वर-वधू अपने परिवार के लोग मित्र परिजन जब एक स्थान पर एकत्रित होते हैं तो उन पर एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव यह होता है कि वे इस विशाल समुदाय को अपना परिवार समझने लगते हैं ।

इस अवसर पर 'कड़ाह' प्रसाद व हवन के खर्च के लिए केवल सवा रूपया एक जोड़े से लिया जाता है। अधिकतम सीमा तेरह रूपए है।

इस पद्धति के अनुसार सर्वप्रथम छोटे जिला फिरोजपुर में ३ दम्पतियों का विवाह सम्पन्न कराया गया। इस आदर्श पद्धति से लोग बहुत प्रभावित हुए। ऐसे विवाहों की संख्या निरन्तर बढ़ती गई। विगत वर्षों में इस प्रथा के अनुसार सैकड़ों विवाह सम्पन्न हुए हैं।

ऐसे आदर्श विवाहों के प्रचलन से ही हमारा समाज प्रगति कर सकता है। वर-वधू का जीवन सुख-पूर्ण हो सकता। आज विवाह के मूल उद्देश्यों को ताक में रखकर दहेज तथा झूठी शान के प्रदर्शन के आधार पर जो खर्चिले विवाहों का प्रचलन हो रहा है। वह भारतीय परम्परा तथा संस्कृति के सर्वथा विपरीत है। हमें गरीब तथा अनैतिक बनाने का यह भी एक कारण है। क्यों न इस प्रकार के सामूहिक विवाहों का सर्वत्र प्रचलन कर करके इस विभीषिका से मुक्ति पाई जाय।

आदर्श विवाहों के सामूहिक आयोजन

रुद्धियों, परम्पराओं, मान्यताओं एवं रीति-रिवाजों का सम्बन्ध समाज से ही होता है—व्यक्ति विशेष से नहीं। इसीलिये, जब किन्हीं गलत परम्पराओं, रुद्धियों अथवा अन्य मान्यताओं को बदलकर उनके स्थान पर नई विवेकपूर्ण विचारधारा प्रस्तुत करनी हो—तब सामूहिक स्तर पर किये गये प्रयत्न ही अधिक उपयोगी तथा प्रभावशाली सिद्ध होते हैं।

दहेज प्रथा—आज एक ऐसी महामारी का रूप धारण कर चुकी है, जो लगभग प्रत्येक जाति में ही फैलकर अनिष्टकारी परिणाम उत्पन्न कर रही है। इसके उन्मूलन के लिये दरभंगा जिले (बिहार प्रान्त) के मैथिल ब्राह्मणों द्वारा आयोजित सम्मेलन विशेष प्रशंसनीय प्रयत्न है। दूर दूर से लोग आते हैं और डेरों में रहते हैं। सम्मेलन का स्वरूप एक जातीय मेले जैसा हो जाता है।

इसमें विशेषतः ब्याह-शादी से सम्बन्धित समस्याएँ ही निबटाई जाती हैं। जिनके अविवाहित पुत्र तथा कन्याएँ होते हैं वे परस्पर बात-चीत द्वारा एक-दूसरे के परिचय में आते हैं और सम्बन्ध पक्के कर लेते हैं। वर तथा कन्याएँ वहीं होते

हैं। यों देखने दिखाने की समस्या भी हाल ही वहीं पर हल हो जाती है। सभी व्यक्ति सपरिवार आते हैं। अतः घर के सभी परिजनो के वहाँ रहने के कारण बात पक्की होते देर नहीं लगती।

सामूहिक वातावरण भी कुछ अधिक उत्साहप्रद होता है। सभी विवाह बिना किसी लेन-देन या ठहराव के होते हैं। इसी समय कई सामूहिक विवाह भी होते हैं। एक साथ एक ही आयोजन में सैकड़ों व्यक्ति अपने उत्तरदायित्वों से छुटकारा पा जाते हैं तथा जातिगत सभी मूर्धन्य व्यक्तियों के समक्ष, कार्य ससम्मान सम्पन्न होता है। किसी बड़े या छोटे की भावना नहीं होती।

इसी प्रकार का सामूहिक जातीय मेला मध्य प्रदेश के सोनागिरि नामक स्थान में भी प्रतिवर्ष सम्पन्न होता है। यह जैन मताबलम्बियों द्वारा आयोजित होता है। दूर-दूर से लोग इसमें भाग लेने आते हैं। इसमें भी बिना किसी ठहराव के अनेक व्यक्ति अपने पुत्र तथा कन्याओं के विवाह तय करते हैं।

सेवक संघों द्वारा ठहरने की समुचित व्यवस्था की जाती है। तम्बुओं में लोग ठहरते हैं। यहाँ छोटे-बड़े का कोई भेदभाव नहीं होता। लोग आपस में परिचय प्राप्त करते हैं। योग्य वर तथा कन्याओं का चुनाव बड़े ही आनन्दपूर्ण तथा उत्साहवर्द्धक वातावरण में होता है। कुछ विवाह पहले से भी तय कर लिये जाते हैं तथा यहाँ केवल वे ही व्यक्ति विवाह करने आते हैं।

सामूहिक रूप से एक ही विवाह मण्डप में अनेक जोड़ों का पाणिग्रहण संस्कार होता है। इस समय परस्पर किसी भी प्रकार के लेन-देन या प्रदर्शन की कड़ी मनाही होती है। जो सम्पन्न हैं और अपनी कन्याओं को बहुमूल्य उपहार देना ही चाहते हैं वे अपने घर जाकर व्यक्तिगत रूप से ही दे सकते हैं।

इस प्रकार विवाह-शादियों में फिजूल में होने वाले खर्च से लोग अनायास ही बच जाते हैं। इस प्रकार के अभियान प्रत्येक जाति में बड़े स्तर पर चलाये जाने चाहिए, तभी इस महँगाई के युग में सामान्य स्तर के व्यक्तियों को कुछ सुविधा तथा शान्ति की साँस मिल सकेगी।

विवाहदिन उत्सवों की परम्परा प्रचलित की जाय

जन्म-दिन की तरह ही विवाह-दिन की महत्ता है। जन्म लेकर एक इकाई के रूप में मनुष्य का अवतरण होता है। विवाह करके एक नई सृष्टि का सृजन करता है। परमात्मा सृष्टि के आरम्भ में अकेला ही था उसे आत्मविस्तार की इच्छा उपजी, यह इच्छा ही उसकी पत्नी, सहयोगिनी शक्ति बनकर सामने आई और दोनों ने मिल कर यह जड़-चेतन विश्व बनाकर खड़ा कर दिया।

ठीक इसी प्रकार जन्मता मनुष्य अकेला ही है। पर उसकी जब आत्मविस्तार की इच्छा होती है तो वही कामवासना—जोड़े के साथ रहने की इच्छा के रूप में प्रकट होती है। इस आवश्यकता और आकांक्षा की प्रबलता को समझते हुए सम्बन्धी कुटुम्बी लोग विवाह की व्यवस्था बनाते हैं।

विवाह होना वस्तुतः एक प्रकार से नया जन्म है। एक व्यक्तित्व दूसरे में घुल-मिल कर अपने बारे में नये ढंग से सोचना शुरू करता है। अपनी तथा अपने साथी की स्थिति का शारीरिक, मानसिक स्थिति और आवश्यकता का मूल्यांकन करते हुए वर्तमान और भविष्य का निरूपण करता है। अपनी प्रकृति और प्रवृत्ति को इच्छाओं को आवश्यकताओं को एक सम्मिलित सत्ता के रूप में नियन्त्रित, परिवर्तित और विकसित करता है। इसे वस्तुतः एक प्रकार से मानसिक और पारिवारिक स्थिति का कायाकल्प ही कहना चाहिए। पारस्परिक स्नेह-सद्भाव का रंग-बिरंगा प्रवाह अभिनव उमंगों के रूप में जो हर्षोल्लास उत्पन्न करता है सो अलग।

इसके बाद बच्चे गोदी में आते हैं पर उनकी समस्याओं समेत व्यक्ति का व्यक्तित्व एकाकी रह ही नहीं जाता। वह एक सम्मिलित परिवार की एक छोटी इकाई भर रह जाता है। परिवार की आवश्यकता उसकी अपनी निजी की आवश्यकताएँ बन जाती हैं और उन्हें पूरी करने के लिए वह उसी प्रकार सचेष्ट रहता है जिस प्रकार कि कोई एकाकी व्यक्ति अपने शरीर के अंग-प्रत्यंगों की आवश्यकता और व्यथा को सम्भालने के लिए प्रयत्नशील रहता है। अकेले जन्म ले लेने से व्यक्ति को एक छोटे समाज-परिवार के रूप में विकसित कर देने की

स्थिति वस्तुतः जीवन का कायापलट कर देने जैसी घटना है। प्रचलन के ढर्रे में वह सामान्य मालूम तो पड़ती है पर गम्भीरतापूर्वक विचार करने पर वस्तुतः वह अत्यधिक महत्वपूर्ण जीवन के स्वास्थ्य को बदल डालने वाली एक क्रान्तिकारी घटना ही कही जायेगी।

विवाह का अति स्थूल और अति भीड़ा प्रयोजन काम-तृप्ति और भोजन व्यवस्था की सम्भावना भर माना जाता है और इस प्रयोजन के लिए आमतौर से लोग रंग-रूप परखते हैं और कुशलता को देखते हैं। हिन्दुस्तान में धन दहेज भी जुड़ गया है। पर यदि थोड़ी गम्भीरता से देखा जाय तो इसे जीवन यज्ञ कहा जाना चाहिए, जिसमें दो आत्माएँ एक-दूसरे के लिए समर्पित होकर एक नई रासायनिक प्रक्रिया उत्पन्न करती हैं। त्याग और बलिदान का यह स्वाभाविक किन्तु अद्भुत कार्य है। इसके साथ-साथ ऐसे अनेक कर्तव्य और उत्तरदायित्व दोनों के कंधों पर आते हैं जो न केवल घर-परिवार को सँभालने की दृष्टि से आवश्यक हैं, वरन् वे इसलिए और भी अधिक महत्वपूर्ण हैं कि आत्मसुधार, आत्मनिर्माण एवं आत्म विकास के लिए उनमें वे कड़ियाँ जुड़ी हुई हैं, जो व्यक्तियों को अवांछनीय प्रवृत्तियों से रोक कर आदर्शवादिता और उत्कृष्टता की ओर बलपूर्वक घसीटती हैं।

पत्नीव्रत और पतिव्रत पालन करने के लिए विवाह के बाद विवश होना पड़ता है। साथी का नियंत्रण और निरीक्षण, रोष एवं अवरोध इस बात के लिए एक प्रबल बंधन बनकर खड़ा होता है कि समाज की पवित्रता बनाने की पुण्य-प्रक्रिया को तोड़ने का अवसर ही न मिले। अविवाहित के ऊपर उतने कड़े प्रतिबंध और नियंत्रण की देखभाल घर कुटुम्ब के लोग भी नहीं कर सकते, जितनी कि पति-पत्नी आपस में स्नेह या रोष का उपयोग करके उच्छृंखलता को रोक लेते हैं।

अपनी इच्छा सुविधा विवाहित जीवन के उपरान्त गौण करनी पड़ती है और स्त्री बच्चों को प्रमुखता देनी पड़ती है। इसे आत्म-त्याग, परमार्थ, सेवा भाव, उदारता, संयम आदि कुछ भी नाम दिया जा सकता है। इस दिशा में जितना अभ्यास गृहस्थ में बन पड़ता है, एकाकी जीवन में उतना अवसर नित्य निरन्तर कहाँ रहता है। स्त्री-बच्चों को सुव्यवस्थित, सुसंस्कृत, सद्गुणी बनाकर समाज के लिए अपनी सर्वोत्तम कृतियाँ श्रेष्ठ नागरिक श्रद्धाञ्जलि के रूप में प्रस्तुत

४.५४ विवाहोन्माद : सम्पत्ता और समाधान

करते हुए राष्ट्र देवता के चरणों में प्रस्तुत करना—गृहस्थ जीवन में ही सम्भव होता है। सहिष्णुता, समन्वय, निर्मल विनोद, मितव्ययता, व्यवस्था, सुरक्षा आदि कितने ही सद्गुण इसी गृहस्थ की पाठशाला में सीखने-अभ्यास में लाने और विकसित करने का अवसर मिलता है। परिवार एक छोटा समाज या नन्हा सा राष्ट्र है। उसके सुविकसित और सुसंगठित रखने के लिए प्रत्येक सद्गृहस्थ को उसी स्तर की अपनी योग्यताओं और गतिविधियों को विनिर्मित करना पड़ता है। जिस तरह कि किसी बड़े राज्य के शासक को करना और बनना होता है।

गृहस्थ अगणित कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों से भरा हुआ है। यदि उन्हें ठीक तरह निवाहा जा सके तो घर को एक छोटे स्वर्ग के रूप में विनिर्मित किया जा सकता है और उसमें रहने वाले प्रत्येक कुटुम्बी को स्वर्ग में निवास करने का देवोपम आनन्द उपलब्ध कराया जा सकता है। सुयोग्य गृहस्थ वस्तुतः एक छोटे स्वर्ग का निर्माता और संचालक ही कहा जा सकता है। इसके विपरीत यदि आवश्यक जिम्मेदारियाँ नहीं निवाही जा रही हों—स्वार्थपरता, संकीर्णता, दुष्टता और भ्रष्टता का वातावरण बनाकर रखा गया हो तो नरक की दुर्गंध और व्यथा को अन्यत्र ढूँढ़ने जाने की जरूरत नहीं है वह पूरी तरह अपने घर-परिवार में ही प्रस्तुत मिल जायेगी।

विवाह से बढ़कर न कोई बुद्धिमानी है न मूर्खता। न उससे अधिक कहीं सुख है न दुःख। उसके बराबर न कोई पुण्य है और न पाप। यह परस्पर विरोध परिवार संचालन की नीतियों पर निर्भर है। आदर्शवादिता और कर्तव्यपरायणता का समुचित समन्वय करके रखा जाय तो गृहस्थजीवन आत्म-विकास और लोक-कल्याण का अति महत्वपूर्ण माध्यम सिद्ध होगा। इसके विपरीत गैर जिम्मेदारी और दुष्टता का समावेश होने से उसमें पतन और पाप की भी कमी नहीं रहती।

विवाह संस्कार का महत्व इसलिए माना गया है कि उस समय वर-वधू को कुछ संकल्प करने पड़ते हैं, व्रत लेने पड़ते हैं और वचन देने पड़ते हैं कि हम दोनों साथी उन सभी आदर्शों का नियम और नियंत्रणों का पालन करेंगे जो विवाह की पवित्रता और सफलता को सुस्थिर और सुविकसित बनाये रखने के लिए आवश्यक हैं। यह दाम्पत्य जीवन के पारिवारिक कर्तव्यों को अति गम्भीरतापूर्वक समझाने, उनके आजीवन

पालन करने की जिम्मेदारी उठाने की सच्चे मन से घोषणा करना ही विवाह संस्कार का मूलभूत उद्देश्य है। यह शपथ संस्कार, समारोहपूर्वक देवताओं की साक्षी में सम्भ्रान्त, सज्जनों और आत्मीयजनों की उपस्थिति में किया जाता है ताकि इन सब की उपस्थिति की साक्षी की बात सदा स्मरण रहे और जब कभी पैर लड़खड़ाने लगे तो सँभल जाने की अन्तः प्रेरणा उठ खड़ी हुआ करे।

अब विवाह संस्कार भी एक रूढ़ि परम्परा भर बन गया है। बाराती-सम्बन्धी लोग शान-शौकत और खातिर दावत के फेर में रहते हैं। पण्डित लोग किसी की समझ में कुछ न आने वाले कर्मकाण्ड संस्कृत भाषा में उच्चारण करके पूरा करा देते हैं और विवाह की लकीर पीट दी जाती है। न उस समय विवाह की जिम्मेदारियाँ ठीक तरह वर-वधू को समझाई जाती हैं और न आगे कभी उस प्रशिक्षण का अवसर आता है। इसे एक दुर्भाग्य की बात ही कहा जायेगा कि जिस विवाह संस्कार के लिए इतनी धूमधाम और तैयारी की जाती है, उसका मूल प्रयोजन कोई सोचता-समझता तक नहीं। वस्तुतः विवाह संस्कार के अवसर पर लोगों की उपस्थिति इसलिए आवश्यक मानी जाती है कि न केवल वर-वधू वरन् और सब उपस्थित विवाहित-अविवाहित लोग भी अपने-अपने विवाहों के साथ जुड़े हुए कर्तव्य, उद्देश्य और क्रिया-कलापों को गंभीरतापूर्वक समझें और उसके लिए सावधानी बरतें।

पर अब तक तो हर बात में स्थिति एक प्रकार से उलटी ही हो रही है। विवाह कृत्य होते रहते हैं और वर-वधू उस कौतुक-कौतूहल को आश्चर्यपूर्वक देखते रहते हैं। उनकी समझ में कुछ भी नहीं आता कि यह क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है इसी प्रकार बाराती लोग उस कृत्य को अरुचि का झंझट भी मानते हैं और नियत समय पर उपस्थित भी नहीं होते। अन्य हास्य-विनोदों में लगे रहते हैं। फलस्वरूप किसी को वह लाभ मिल नहीं पाता जिसके लिए यह संस्कार समारोह आयोजित किया गया था। इस शिक्षण के अभाव में अब उन आदर्शों और कर्तव्यों को भी एक प्रकार से विस्मरण के गर्त में ही डाला जा रहा है जिनके ऊपर की विवाह की सफलता निर्भर है।

इस कमी को पूरा करने के लिए प्रथम कार्य तो यह किया जाय कि विवाह संस्कारों के अवसर पर कर्तव्यों की

शिक्षा का समुचित प्रबन्ध रहे । युग निर्माण योजना की विवाह संस्कार पद्धति में उन सभी बातों का समावेश है । दान-दक्षिणा किसी को भी दी जाय पर संस्कार के साथ जुड़ा हुआ प्रशिक्षण कोई सुयोग्य व्यक्ति ही करें ताकि न केवल वर-वधू वरन् उपस्थित लोग भी उस महान कृत्य का आदर्श, उद्देश्य और कर्त्तव्य भली प्रकार समझ सकें । उपस्थित विवाहित लोगों को तथ्य निरीक्षण करने और दाम्पत्य जीवन में चल रही-भूलों को सुधारने का अवसर मिले । इसी प्रकार जिनके विवाह अभी नहीं हुए हैं उन्हें पहले से यह समझना और जानना चाहिए जिसको अपनाये बिना विवाह हर दृष्टि से निरर्थक और कष्टदायक सिद्ध होता है ।

ऐसे प्रशिक्षण कर्त्ता अब हैं नहीं, तैयार करने पड़ेंगे । इसी प्रकार रूढ़िवादियों को इसके लिए सहमत करना पड़ेगा कि इस कर्मकाण्ड के पण्डित के अतिरिक्त शिक्षा व्याख्या के लिए उपयुक्त व्यक्तियों को भी आमंत्रित किया जाय ।

इसके अतिरिक्त एक और सरल उपाय इस प्रयोजन को पूरा करने का है कि व्यक्ति अपना विवाह-दिन भी उत्सव समारोह के साथ उसी तरह मनाते रहा करें जिस तरह कि जन्म-दिन मनाने की प्रथा-परम्परा प्रचलित की गई है । जन्म-दिन निस्संदेह हर व्यक्ति के लिए एक ईश्वरीय वरदान है । मनुष्य जन्म परमात्मा की सबसे बड़ी देन है । जो सौभाग्य सुअवसर किसी प्राणी को नहीं मिला उसे पाकर मनुष्य को कृतकृत्य होना चाहिए । भगवान को धन्यवाद देने के लिए और अपने इस सौभाग्य का सदुपयोग करने के लिए आवश्यक प्रेरणा ग्रहण करना जन्म-दिन उत्सव का उद्देश्य है । ठीक इसी प्रकार समाज के अनुपम उपहार—विवाह के प्रति—उन सब का धन्यवाद दिया जाना चाहिए जिनके सहयोग से यह सुअवसर मिला । उस साथी के प्रति हृदय खोलकर परस्पर आभार प्रदर्शित करना चाहिए जिस त्याग, बलिदान, आत्म-समर्पण में जीवन क्रम में अभिनव सम्भावनाओं की धारा ही बहा दी । यह धन्यवाद, आभार प्रदर्शन और कृतज्ञता की अनुभूति के लिए विवाह-दिन उत्सव भी प्रत्येक दम्पति द्वारा मनाये जाने लगे तो उपेक्षित और विस्मृत विवाहोद्देश्य के प्रति नये सिरे से जानकारी और सतर्कता आरम्भ हो सकती है और उसका परिणाम परिवार में एक नये आनन्द-उल्लास का संचार कर सकता है । भूलें सुधारने की प्रेरणा मिल सकती है ।

जिस तरह जन्म-दिन, सामूहिक जप, हवन, पूजा, उपचार, कृत्याकृत्य, संगीत, प्रवचन आदि के वातावरण में उस सन्दर्भ में बनी हुई संस्कार पद्धति के अनुसार मनाये जाते हैं, मित्र, पड़ोसी-कुटुम्बी, सम्बन्धी आमंत्रित किये जाते हैं और प्रसाद-उपहार का क्रम चलता है, आशीर्वाद, अभिवादन चरण-स्पर्श की प्रथा पूरी की जाती है, उसी प्रकार विवाह दिन उत्सव के अवसर पर भी उपर्युक्त प्रकार की व्यवस्था की जानी चाहिए ।

जन्म-दिन के अवसर पर जिस तरह मनुष्य जीवन की उपयोगिता और उसे सार्थक बनाने की रीति-नीति प्रवचनों में बताई जाती है और वह व्यक्ति आत्मचिन्तन के साथ-साथ भावी गतिविधियों को परिष्कृत करने की रूप-रेखा बनाता है । ठीक उसी प्रकार विवाह-दिन पर उन सारी प्रतिज्ञाओं को पति-पत्नी द्वारा दुहराया जाना चाहिए जो विवाह के समय की गई थीं । किन्हीं विज्ञ वक्ता का यह कार्य होना चाहिए कि वह गृहस्थ जीवन की महत्ता और उसके साथ जुड़े हुए आदर्शों एवं कर्त्तव्यों का बोध कराये । इस प्रवचन में उपस्थित अन्य व्यक्ति भी अपने बारे में विचार कर सकते हैं कि वे इस संदर्भ में कोई भूल तो नहीं कर रहे हैं कोई त्रुटि तो नहीं रख रहे हैं । इस प्रकार उन्हें भूल सुधारने की और अविवाहितों को भविष्य में इन जिम्मेदारियों को वहन करने के लिए तैयार रहने की प्रेरणा मिलती है । विवाह दिवसोत्सव हर्षोल्लास भरा व्यक्तिगत जीवन का पर्व-त्योहार ही है । उसे मनाकर प्रसन्नता की, सौभाग्योदय की अनुभूति तो करनी ही चाहिए । साथ ही उन शिक्षाओं को पुनः स्मरण करने की दुहराने की और भविष्य में उन्हें पूरी तरह पालन करने की योजना भी बनानी चाहिए ताकि परिवार को स्वर्ग बनाने में जो भूलें रह रही हैं इन्हें सुधारा जा सके । उपस्थित लोगों को भी समान रूप से यह महत्वपूर्ण शिक्षण मिलने का सहज ही सुअवसर मिल जाता है ।

रेडियो का, बन्दूक का, लाइसेन्स हर साल नया कराना पड़ता है । दिवाली पर हर साल मकान की सफाई करानी पड़ती है । विवाह का लायसेन्स भी हर साल नया कराना चाहिए और जिस तरह व्यापार का पिछले वर्ष के नफे-नुकसान का लेखा-जोखा लिया जाता है उसी प्रकार विवाह की पिछले दिनों की स्थिति का जायजा लिया जाना चाहिए और अवरोधों

का निवारण-निराकरण तथा आगे भविष्य के लिए सुव्यवस्था अपनाने की रूप-रेखा निश्चित की जानी चाहिए । इसके लिए विवाह-दिन ही सर्वोत्तम अवसर है । इस दिन पति-पत्नी लम्बा विचार-विनिमय करके पिछले वर्ष की भूलों के लिए परस्पर क्षमा माँग सकते हैं और एक-दूसरे के अनुकूल बनने तथा व्यवहार एवं कर्तव्य में जिससे जो भूलें रहती हों उन्हें सुधारने के लिए नये साहस और नये उत्साह के साथ अग्रसर हो सकते हैं ।

व्यक्ति और समाज के बीच की एक महत्वपूर्ण कड़ी है—परिवार । उसे एक तरह से उपेक्षा के गर्त में ही डाल दिया गया है । हर व्यक्ति अपने-अपने निजी सुख-दुःख की बात तो सोचता है और अच्छी स्थिति प्राप्त करने के लिए जो सम्भव है सो करता है । इसी प्रकार देश, धर्म, समाज,

संस्कृति को अग्रगामी बनाने के लिए भी लाखों-करोड़ों सन्त-महात्मा, ब्राह्मण-पुरोहित, नेता, विद्वान, शासक, लेखक आदि अपने-अपने ढंग से प्रयत्नशील हैं । किन्तु परिवार संस्था तो एक प्रकार से उपेक्षित ही पड़ी है । जबकि उसमें सुव्यवस्था बरते जाने से व्यक्तिगत जीवन क्रम में भारी परिष्कार हो सकता है और समाज एवं राष्ट्र को समुन्नत बनाने के लिए भारी योगदान मिल सकता है ।

दाम्पत्य जीवन और गृहस्थ जीवन की अस्त-व्यस्त व्यवस्था में, उच्च आदर्शों का—प्रथा-परम्पराओं का समावेश करने के लिए, एक सुव्यवस्थित लोकशिक्षण की आवश्यकता है और इस प्रयोजन की पूर्ति 'विवाह' दिन उत्सव मनाये जाने की परम्परा चलाकर बड़ी खूबी और अच्छाई के साथ पूरी की जा सकती है । इस दिशा में पूरे मनोयोग के साथ प्रयत्नशील होना चाहिए ।



विवाहों के आदर्श और सिद्धान्त

विवाहोत्सव के लिए बुद्धि बेच क्यों दी जाय ?

किसी जीवित समाज और सजीव राष्ट्र को यह रीति-नीति अपनानी ही पड़ती है कि वह अपनी आन्तरिक दुर्बलताओं को समझे और उन्हें सुधारने के लिए साहसपूर्वक प्रयत्न करे । जिनमें यह प्रवृत्ति विकसित नहीं हुई, जिन्हें ढर्रे का जीवन जीते रहने की आदत है वे पिछड़ जाते हैं । समय उन्हें पीछे छोड़कर बहुत आगे बढ़ जाता है और उन्हें अपनी भूल पर पछताते रह जाना पड़ता है ।

परिस्थितियों का सुधारना-बिगड़ना विचारों के उत्कृष्ट-निकृष्ट होने पर निर्भर है । मनुष्य की ६० प्रतिशत शक्ति उनके भीतर चेतन प्रदेश में भरी पड़ी रहती है । आदमी जैसा सोचता है, वैसा ही उसकी चेष्टाएँ होती हैं और जैसी चेष्टाएँ होती हैं वैसी ही साधन-सामग्री मिल जाती है और वैसी ही परिस्थितियाँ बन जाती हैं । व्यक्ति तथा समाज के उत्थान-पतन की यही परिपाटी रही है और रहेगी । सैकड़ों वर्षों से चीन अफीमची बना चला आ रहा था, वहाँ लोगों को यह लत थी, जिसके कारण वे अपना बहुत कुछ गँवा चुके थे । उनसे अपने आपको सुधारने एवं बदलने का क्रम बनाया तो पिछले ३० वर्षों में उस पिछड़े हुए देश ने आशातीत प्रगति करके दिखाई । अमेरिका सौ वर्ष पहले कहाँ था ? रूस की पचास वर्ष पूर्व क्या स्थिति थी ? इंग्लैण्ड की तीन सौ वर्ष पूर्व क्या परिस्थितियाँ थीं ? अफ्रीका के नवोदित राष्ट्रों ने तीस वर्षों में कितनी मंजिल पार करली, इन तथ्यों को इतिहास के विद्यार्थी भली प्रकार जानते हैं । प्रगति का आकांक्षी प्रत्येक समाज अपने को आन्तरिक दृष्टि से, भावनात्मक दृष्टि से समर्थ बनाने का प्रयत्न करता है । उस दिशा में उसे जितनी सफलता मिलती है, उतनी ही उसकी प्रगति भी सम्भव होती चली जाती है ।

विवेकशीलता आवश्यक—

उदीयमान भारतीय राष्ट्र को अपनी प्रगति के लिए बहुमुखी पुरुषार्थ करना पड़ेगा । राजनैतिक स्वतन्त्रता मिलने से तो उसे अपने आप को बनाने या बिगाड़ने मात्र का अधिकार

मिला है । प्रगति तो हमारी कामना और बुद्धिमत्ता पर निर्भर करेगी । इसके लिए हमें सबसे पहले अपनी आन्तरिक प्रगति करनी होगी । यह सोचना होगा कि प्रगति के पथ पर अवरोध उत्पन्न करने वाली हमारी दुर्बलताएँ क्या-क्या हैं और उन्हें किस प्रकार दूर किया जाय ? जब तक इस प्रकार सोचना आरम्भ न किया जायगा तब तक कुछ काम बनेगा नहीं । आर्थिक प्रगति एक बहुत ही गौण बात है । दुर्गुणी व्यक्ति, आर्थिक उन्नति होने पर अपनी मूर्खताओं का और भी अधिक उग्र, और भी अधिक भौंडा प्रदर्शन करते हैं, फलस्वरूप वे अधिक मात्रा में उपलब्ध धन से अधिक जल्दी सत्यानाश ही करते हैं ।

हमें प्रगति की ओर अग्रसर होना हो तो उन कारणों को खोज निकालना चाहिए, जिन्होंने किसी समय संसार के सर्वोच्च शिखर पर विराजमान भारतीय समाज को आज दयनीय दुर्दशा के गर्त में धकेल दिया है । इन दुर्बलताओं में सबसे बड़ी दुर्बलता यह है कि हम स्वतन्त्र चिन्तन की क्षमता खो बैठे हैं । गुण-दोष की दृष्टि से किसी बात पर विचार करने की हमारी सामर्थ्य नष्ट हो गई है । वह साहस नहीं रहा जिसके आधार पर हम भूलों को सुधार सकें । जिस गलत रास्ते पर चल रहे हैं उसी पर चलते जाते हैं । जानते हुए भी कि गलती हो रही है, उसे सुधारने का प्रयत्न न किया जाय, अनुपयुक्त लगने वाला ढर्रा भी न बदला जाय, तो यही समझना चाहिए कि इस समाज की स्वतन्त्र चेतना चली गई एवं प्रौढ़ता उदय नहीं हुई । ऐसे लोग सपने भले ही बड़े-बड़े देखते रहें, कुछ दूर भी आगे तक बढ़ सकेंगे उसमें सन्देह ही किया जायगा ।

स्वतन्त्र चिन्तन का और अनौचित्य को बदलने का साहस-यही दो विशेषताएँ संसार के सजीव राष्ट्र को अपने भीतर उदय करनी पड़ी हैं, तभी वे बहुमुखी प्रगति की ओर अग्रसर होने में सफलता प्राप्त कर सकेंगे । हमें भी इसी मार्ग पर चलना पड़ेगा । अपने पिछड़ेपन को छाती से चिपकाये रहने से तो हम दुर्दशाग्रस्त ही बने रहेंगे । प्रगतिशील संसार हमारी मूढ़ता का उपहास करता हुआ आगे निकल जायगा और हम जिस-तिस पर दोषारोपण करते हुए बैठे-बैठे दुर्गति का रोना ही रोते रहेंगे ।

५.२ विवाहोन्माद : समस्या और समाधान

आन्तरिक दुर्बलताओं को सम्झें—

आन्तरिक दुर्बलताओं में सामाजिक अस्तव्यस्तताओं के कारण होने वाली हानियों पर विचार न करना और जो विचार आवें भी उन्हें कार्य रूप में परिणत करने का साहस न करना हमारी एक बहुत भारी त्रुटि है। बेशक प्रबल मनस्वी लोग, परिस्थितियों को बदल डालते हैं, पर साधारण जनता परिस्थितियों की गुलाम होती है। भेड़चाल चलने वाले लोग ही अधिक होते हैं। इसलिए प्रबुद्ध चेतना सम्पन्न देशभक्त लोग सदा ही यह विचार करते हैं कि समाज में विकासोन्मुखी स्वस्थ परम्पराएँ प्रचलित रहें। अनुपयुक्त प्रथाओं को हटाने के लिए सदा से मनीषी, दूरदर्शी एवं अग्रणी लोग समय-समय पर प्रबल प्रयत्न करते रहते हैं कि विकृतियों के कारण जन-साधारण के चरित्र पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव को रोका जा सके। आज इसी प्रकार के प्रबल प्रयत्नों की पुनः आवश्यकता उपस्थित हो रही है। नैतिक और भावनात्मक दृष्टि से हमारे पिछड़ेपन का एक बड़ा कारण हमारी सामाजिक स्थिति है। औसत व्यक्ति को परम्पराओं के ढर्रे पर चलना पड़ता है। उस ढर्रे के दबाव में नैतिक और बौद्धिक उज्वलता से भी उसे हाथ धोना पड़ता है। अतएव विचारशील लोगों के लिए यह आवश्यक ही होता है कि वे उन रूढ़ियों से लोहा लें, जो राष्ट्र को खोखला करने के लिए जिम्मेदार हैं।

भारतीय समाज पुराना है, पुराने मकान में लोनी भी लग जाती है और उसके गिर पड़ने का खतरा भी उत्पन्न हो जाता है। बुद्धिमान लोग समय रहते उसे सुधारने का प्रयत्न करते हैं। आज हमारे समाज रूपी भवन में अनेक स्थानों पर ऐसे गड्ढे और खोंतर उत्पन्न हो गये हैं जिनकी मरम्मत अनिवार्य रूप से आवश्यक हो गई है। राष्ट्र को दुर्बल बनाने वाली कितनी ही सामाजिक कुरीतियों ने हमें घेर रखा है और वे प्रगति के पथ पर भारी चट्टानों की तरह अड़कर बैठ गई हैं। आज उनका हटाया जाना समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। प्रस्तुत सामाजिक बुराइयों के रहते हम न तो समर्थ बन सकते हैं और न सशक्त। जब तक वे हमारी बर्बादी का संरंजाम जुटाये बैठी रहेंगी तब तक आगे बढ़ सकना सम्भव भी कैसे होगा ?

कुरीतियाँ और अन्धपरम्पराओं का बाहुल्य—

हमारे समाज में भी कितनी ही कुरीतियाँ, अन्धपरम्पराएँ और अनुपयुक्त मान्यताएँ घुसी बैठी हैं, उन सभी का सुधार

आवश्यक है। सभ्य समाज की रचना तभी हो सकती है जब उसमें सभ्य प्रथा-परम्परा प्रचलित हों। उन कुप्रथाओं में सबसे अधिक कष्टदायक, सबसे अधिक बर्बादी उपस्थित करने वाली कुप्रथा विवाहों के नाम पर होने वाली पैसे की बर्बादी को ही माना जा सकता है। किसी रोगी के शरीर में कई रोग होने पर भी सबसे पहले उस रोग की चिकित्सा करनी पड़ती है जो प्राणघातक संकट उपस्थित किये हुए है। प्राण बच जाने पर धीरे-धीरे उसके मंद रोगों का भी उपचार होता रहता है।

स्पष्टतः विवाह एक धर्म-कृत्य है। दो प्राणी मिल कर नये समाज की रचना करते, परस्पर विलय द्वारा मानव जीवन की एक विशुद्ध शक्ति उत्पन्न करने के लिए व्रतधारण करते हैं। इस अवसर पर 'शपथ ग्रहण' जैसा एक छोटा आयोजन हो, संक्षिप्त-सा समारोह भी मनाया जाय तो उसका महत्व समझ में आता है, पर जब उसका असर इतना भयानक बन जाय, भार इतना बढ़ जाय कि उसे सँभालते न बन पड़े तो निश्चय ही एक चिन्ताजनक बात है। शादी आज एक बर्बादी का कारण बनी हुई है। बार-बार विचार करने पर भी ऐसी कोई उपयोगिता सूझ नहीं पड़ती जिसके लिए कि इतना खर्चीला आडम्बर खड़ा किया जाय। गरीब देश के गरीब लोगों को अपने उत्सव-समारोह भी गरीबों की तरह ही करने चाहिये, ताकि उनकी आर्थिक स्थिति पर अनावश्यक दबाव न पड़े। पर दुर्भाग्य से आज ऐसी प्रथा-परम्पराएँ प्रचलित हैं जिनके कारण हर व्यक्ति को अपनी सामर्थ्य से कहीं अधिक पैसा इस झंझट में अकारण बर्बाद करना पड़ता है। यह बर्बादी व्यक्तियों एवं परिवारों की अत्यन्त महत्वपूर्ण आवश्यकताओं से भी उन्हें वंचित रहने के लिए विवश करती है।

विचारणीय बात यह है कि क्या इन परिस्थितियों को ऐसा ही बना रहने दिया जाय ? क्या इस बर्बादी का ढर्रा ऐसे ही चलता रखा जाय ? उत्तर में विवेकशीलता यही कहेगी कि जो रीति-रिवाज हर दृष्टि से ओछे, गिरे, निकम्मे एवं मूर्खतापूर्ण हैं, उन्हें झाड़-बुहार कर कूड़े-करकट के ढेर में फेंक दिया जाना चाहिए। सादगी से कम खर्च में यदि विवाह किये जाने लगे तो उसमें किस की क्या हानि होगी ? किस का क्या बिगड़ जायगा ? स्पष्ट है कि हानि का तो प्रश्न ही नहीं, हर दृष्टि से लाभ ही लाभ है।

सरल और सादा विवाहोत्सव—

यदि सीधे, सरल ढंग से पूर्ण सादगी के साथ, छोटे पारिवारिक उत्सवों की तरह विवाह-शादी होने लगे तो इसमें

किसी का कुछ भी अहित नहीं, वरन् सब को सब प्रकार की सुविधा ही रहेगी। कन्या के अभिभावकों को घर में बच्ची जन्मने पर जो क्षोभ होता है, वह फिर क्यों होगा। वे लड़का उत्पन्न होने की तरह लड़की के जन्म की भी खुशी मनावेंगे। जब विवाह के लिए जोड़ना जमा करना ही नहीं है तो वे अपनी बच्चियों के स्वास्थ्य-वर्धन एवं शिक्षा-व्यवस्था में उस पैसे को लगाने के लिए खुशी-खुशी तैयार होंगे। जब यह प्रथा मिट जायगी कि अच्छे लड़के अधिक पैसे देने पर ही मिलें तो स्वभावतः यह प्रतियोगिता शुरू होगी कि सुयोग्य कन्या को सुयोग्य वर प्राप्त करे। ऐसी दशा में प्रत्येक अभिभावक अपनी कन्या को अधिक सुयोग्य बनाने की प्रतिस्पर्धा में उतरेगा। यह स्वस्थ प्रतियोगिता, लड़कियों के भविष्य को उज्ज्वल बनायेगी, नये सुसंस्कृत परिवारों का विकास करेगी तथा राष्ट्र की प्रगति में हर दृष्टि से सहायक होगी। सुयोग्य लड़कियाँ अपनी विशेषताओं के आधार पर पति के घर में सम्मान प्राप्त करेंगी।

आज पशुओं की तरह बहुओं का जो उत्पीड़न होता है उसके मूल में उनकी अयोग्यता ही होती है। अपने जीवन का भार स्वयं वहन कर सकने की क्षमता न होने से ससुराल ही उनके गुजारे का एकमात्र सहारा रह जाता है। बड़े से बड़ा उत्पीड़न सहने पर भी पशु की तरह उनके लिए यही एकमात्र आधार रहता है। लोग उनकी इस कमजोरी को समझते हैं और इसी कारण उन्हें दहेज आदि न मिलने पर अनावश्यक ढंग से सताने का साहस करते हैं। बेकार भार की तरह उसे मैके वालों के मत्थे मढ़ देते हैं। परित्यक्ताएँ केवल आजीवन औसू बहाते रहने और अपने दुर्भाग्य का रोना रोते रहने के अतिरिक्त और कुछ नहीं कर सकतीं। यह दुर्गति केवल इसलिए होती है क्योंकि उनकी शिक्षा एवं योग्यता नहीं के बराबर होती है। यदि वे सुयोग्य, सुशिक्षित रही होतीं तो ससुराल वाले भी उनकी उपयोगिता समझते और तिरस्कार करने का भाव भी मन में न लाते। कदाचित्त ऐसा कोई संकट भी आता तो। कम से कम अपने पैरों पर खड़े होकर अपना निर्वाह कर सकने में तो समर्थ रही होतीं।

उसे उपयोगी कार्यों में लगाने—

दहेज के लिए पैसे बचाने से निवृत्त अभिभावक स्वभावतः अपनी बच्चियों के भविष्य के बारे में सोचेंगे और

जो पैसा उन्हें विवाह में लगाना था उसे कन्याओं की योग्यता बढ़ाने में व्यय करेंगे। इस दृष्टिकोण के कारण जिन लड़कियों को सुयोग्य बना दिया गया। वे पिता के दिये हुए इस अनुदान को आजीवन अपने साथ रखे रहेंगी। ससुराल वाले भी उसे छिन न सकेंगे। बच्ची अपने अभिभावकों की बुद्धिमत्ता एवं उदारता के आधार पर कितनी अधिक संतुष्ट रही होगी, जबकि दहेज के नाम पर दिये गये पैसे में से उसके हाथ छदाम भी नहीं रहती। कदाचित्त उसे किसी संकट में फँसना पड़ा तो पिता के द्वारा विवाह में खर्च की हुई सम्पत्ति तो दूसरों को मनोरंजन का आधार बन कर कहीं अन्यत्र चली गई होती है। बेचारी लड़कियाँ तो उस अनुदान से भी कोई लाभ नहीं उठा पातीं, उन्हें सब प्रकार खाली हाथ ही रह जाना पड़ता है। यदि यह दहेज अनुदान उन्हें अपनी प्रतिभा विकसित करने के रूप में मिल गया होता तो वे कितनी प्रसन्न होतीं, यह कहने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। हर मुसीबत के समय उनकी यह सुयोग्यता उनके लिए वरदान बनी सहायक बनी हुई होती। तब तिरस्कार भी उन्हें कहीं किसी का न सहना पड़ता।

कन्या का पिता दहेज की चिन्ता से मुक्त रहे तो मानसिक शान्ति एवं निश्चिन्तता बनी रहने से वह दस साल अधिक जी सकता है। बच्ची के जन्म से लेकर विवाह ही नहीं, उसके पीछे भी बहुत दिन तक तंग करने वाले 'अलन-चलन' से और अपने घर में लड़की के सम्मानपूर्ण स्थान बना लेने तक कन्या के अभिभावकों को चिन्ता-आशंका ही बनी रहती है। यदि घटना क्रम अनुपयुक्त दिशा में घूमा तो उनकी चिन्ता बढ़ती ही है। उस उद्वेग में सचमुच बहुत खून सूखता है, आयुष्य घटती है, शरीर दुर्बल होता है और कितने ही प्रकार के रोग खड़े हो जाते हैं। यदि सादगी वाले, बिना लेने-देने के विवाहों की परिपाटी प्रचलित हो जाय तो क्यों किसी को ऐसी चिन्ता करनी पड़े और क्यों अपना खून जलाना पड़े। जो मस्तिष्क चिन्ता में घुलता है वही यदि परिवार की उन्नति का चिन्तन करने में लोकपरलोक की रचनात्मक व्यवस्था बनाने में लगे तो दृश्य दूसरे ही प्रकार के दिखाई देने लगे। चिन्ता यदि निश्चिन्तता में बदल जाय और मन आशंकाओं से घिरा न रहकर उत्साह-उल्लास में रहे तो मनुष्य अपनी और अपने परिवार की प्रगति के लिए बहुत कुछ कर सकता है।

५.४ विवाहोन्माद : समस्या और समाधान

आज योग्य से योग्य कन्याओं के गरीब अभिभावक यह कल्पना नहीं कर सकते कि उनकी लड़की अच्छे परिवार में योग्य लड़का प्राप्त कर सकेगी। क्योंकि वह जानता है कि उसे लड़के केवल अमीर लोग ही अपनी बच्चियों के लिए प्राप्त कर सकते हैं। किन्तु जब लेन-देन का झंझट न रहेगा तो गरीब घर की कन्या के लिए योग्य लड़का प्राप्त होने की आशा की जा सकती है। तब गरीबों और अमीरों की जो प्रथक-प्रथक बिरादरियाँ बनी हुई हैं वे भी झीनी पड़ने लगेंगी।

आडम्बर क्यों पूजा जाय ?

कन्या का पिता यदि कुछ देना चाहता है तो वह पैसा धूम-धाम के निरर्थक आडम्बर में खर्च क्यों हो ? वह लड़की या लड़के की शारीरिक, मानसिक या आर्थिक स्थिति सुधारने में खर्च क्यों न हो ? अपने हाथ से भी गया, दूसरे के हाथ भी न रहा, बीच की निरर्थक 'धूम-धाम' खून-पसीने की कमाई को चाट गई इसमें किसकी, क्या बुद्धिमता रही ?

इसी प्रकार लड़के वालों ने यदि विवाह की धूम-धाम को अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न न बनाया होता तो उन्हें कन्या पक्ष की आर्थिक बर्बादी का कलंक न ओढ़ना पड़ता। समझदार लोगों द्वारा उन्हें निष्ठुर, 'लालची', पुत्र-विक्रेता आदि घृणित स्तर का व्यक्ति न समझा गया होता। जिस प्रकार लड़की वाले दहेज देते हैं उसी प्रकार लड़के वालों को कीमती जेवर, कीमती कपड़े, कीमती सौगात, कीमती धूमधाम बनानी पड़ती है। यदि इसमें किफायत की जाय तो कंजर, लालची, कंगाल कहलाते और नाक कटने का खतरा फिर उपस्थित हो जाता है। इसलिए उन्हें भी उस मुफ्त के माल की होली जलाने के अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं रह जाता। कमाई के रूप में उसे घर में, जमा करना सहज नहीं होता। कहते हैं कि बिल्ली खाती नहीं तो लुट्टका जरूर देती है। भीतर ही भीतर चिढ़ा हुआ बेटी वाला प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रयत्न ही करता है कि यह पैसा रहने इस अहंकारी के पास भी न पावे। इसलिए वह भी तभी संतुष्ट होता है जब दायजे को होली बनाकर पूरी तरह फूँक दिया जाय। कीमती जेवर, कपड़ा आदि बहू के लिए संचित धन भले ही मान लिया जाय। जब कभी बेचने का अवसर आता है तो नाममात्र को पैसे लौटते हैं। सच तो यह है कि उसे बेचने में भी नाक कटती है। वह पैसा तो एक दिखावे का खिलौना मात्र बनकर मनोरंजन जैसा ही रह जाता है। जो धन किसी के काम आता, किसी का सहाय

बनता उसे इस प्रकार नष्ट करके घर के अभिभावकों ने किस बुद्धिमानी का परिचय दिया, कहा नहीं जा सकता।

निरर्थक भ्रम-जंजाल—

एक भारी भ्रम, यह उपज पड़ा है कि ज्यादा धूमधाम करने, बिजली की रोशनी जलाने, बड़ी-बड़ी दावत करने से समाज में इज्जत बढ़ती है, बड़ा आदमी माना जाता है, उस आयोजन में सम्मिलित रहने वाले प्रसन्न होते हैं। पर थोड़ी गंभीरता से देखा जाय तो यह तीनों ही बातें सर्वथा निरर्थक, भ्रमपूर्ण एवं निर्मूल सिद्ध होती हैं। अधिक आमदनी करने वाले को चालू मान्यता के अनुसार बड़ा आदमी माना जा सकता है, उस पैसे को किसी उत्पादक कार्य में लगाना ही बुद्धिमानी या बड़प्पन का चिह्न हो सकता है, पर जो कोई ऐसे कार्य करने लगे जिससे थोड़ी-सी चहल-पहल के नाम पर बहुत-सा धन नष्ट हो जाय, उस कार्य की कभी कोई विचारशील व्यक्ति सराहना नहीं कर सकता। वह पैसा किसी सार्वजनिक लोकोपयोगी कार्य में लगा दिया गया होता, दीन-दुखियों के काम आता या अपने ही परिवार की प्रगति में लगता, उद्योग-धन्धों में पूँजी बन जाता तो प्रशंसा की बात कही जा सकती थी। न स्वार्थ में लगा, न परमार्थ में, अविचारियों की तरह धूम-धड़कके में उड़ा दिया गया इसे कौन समझदार व्यक्ति उचित बतावेगा। अनुचित कार्यकलाप करने वाले सच्चे अर्थों में न प्रशंसा प्राप्त कर सकते हैं, न बड़प्पन ही, अविवेकी वर्ग के दूसरे मूसलचन्द वाहवाही दे रहे हों तो ऐसी झूठी बेजड़बुनियाद की प्रशंसा से बुद्धिमानों की फटकार अधिक अच्छी हो सकती है।

कोई जमाना रहा होगा जो धन उलीचने को प्रशंसा की बात माना जाता रहा होगा। सामंती युग में शायद लुटेरे लोग अपने धन, अपनी सफलता का भौड़ा प्रदर्शन करने के लिए बेसिर-पैर के कामों में ऐसे उद्धत प्रदर्शन करते रहे होंगे। उस समय की दबी-पिसी जनता शायद उस रौब-दाब के आंतक में इसे बड़प्पन का चिह्न भी मान बैठती रही हो पर आज स्थिति दूसरी है। बच्चा-बच्चा अर्थशास्त्र के सिद्धान्तों को समझता है और मितव्ययता का, धन के सदुपयोग का प्रतिपादन करता है। इन दिनों पैसा उछालना, उसका उद्धत प्रदर्शन करना अनुचित एवं अबुद्धिमतापूर्ण माना जाता है। ऐसे काम करने वालों को बेईमानी से धन कमाने वाला माना जाता है

और कहा जाता है “हराम की कमाई बेरहमी से फूँकी जा रही है।” सच तो यह है कि इन अपव्ययकर्ताओं के प्रति लोगों में घृणा के भाव जाग्रत होते हैं और समझा जाता है कि लोकोपयोगी कार्यों में एक पैसा खर्च न करके इस उद्धतपन में जो इतना धन उड़ा सकता है उसे दुष्टात्मा, निष्ठुर हृदय, अहंकारी एवं अविवेकी होना चाहिए। अपना पैसा खर्च हुआ और हर समझदार ने घृणा की दृष्टि से देखा, तो इसमें क्या बुद्धिमान्नी रही, क्या बड़प्पन मिला? बेवकूफों का बड़प्पन लूटना हो तो वह इससे भी सस्ते तरीकों में मिल सकता है। ऐसी बुद्धि के लोग तो नाच-तमाशा ठान देने या भाँग, गाँजा पिला देने से भी प्रशंसा कर सकते हैं। इनके लिए इतना खर्च करने की भी क्या जरूरत है?

बड़ी दावत-महँगी ज्यौनार—

बड़ी दावतें देने वाले यह सोचते हैं कि जिन्हें हमने निमंत्रित किया है वे बहुत प्रसन्न होंगे। पर सच बात यह है कि आज के व्यस्त जीवन में भोजन के लिए दूर-दूर जाना और उसमें बहुत-सा समय नष्ट करना, किन्हीं फालतू आदमियों को ही पसन्द हो सकता है। आमतौर से लोग निमंत्रण स्वीकार करते हुए प्रीतिभोजों में इसलिए जाते हैं ताकि जिसने बुलाया है वह बुरा न माने। यदि उसे यह निश्चित हो जाय कि बुराई न मानी जायगी तो कम ही लोग ऐसे होंगे जो केवल भोजन के लिए अपना कीमती खर्च करने दूर-दूर तक जावें।

परस्पर मिलन के अवसर तभी आवें जब महँगी ज्यौनार की व्यवस्था हो, यह भद्दा तरीका है। इससे तो कोई व्यक्ति जीवन में एक दो बार भी अपने सब मित्रों को एकत्रित न कर सकेगा। करेगा तो अपना आर्थिक संतुलन खोवेगा। इसलिए यदि मित्र मिलन के अवसर पर भोजन आवश्यक ही हो तो वह स्वल्पाहार जलपान के रूप में हो सकता है। इसमें धन और समय की बर्बादी बचती है और मित्रों का मिलन भी जल्दी-जल्दी एवं बिना किसी कठिनाई से हो सकता है। विवाहों में लम्बे-चौड़े प्रीतिभोजों की जो प्रथा आजकल प्रचलित है उसे एक कुरीति ही माना जायगा। बड़े प्रीतिभोजों पर जगह-जगह सरकारी प्रतिबन्ध भी लग रहे हैं। अन्न की कमी और समय की आवश्यकता ने बड़ी दावतों को एक अवांछनीय समाज विरोधी कार्य ठहराया है। ऐसा कार्य करते हुए कोई व्यक्ति अपनी प्रशंसा या बड़ाई पाना चाहता है तो समझना

चाहिए कि उसे बदलते हुए जमाने का अभी तक तनिक भी ज्ञान नहीं हो पाया। वह दो सौ वर्ष पुरानी दुनिया में रह रहा है और प्रतिष्ठा पाने के लोभ में ऐसा कार्य कर रहा है जिसमें उल्टी उसकी निन्दा एवं अप्रतिष्ठा बढ़ जाय।

बारात में अधिक आदमी ले जाने की धुन में कई लोग रहते हैं, तथा कथित बड़े आदमियों को बारात में ले जाने के लिए दौत निकालते, नाक रगड़ते फिरते हैं। सोचते हैं, बड़े आदमी बारात में जायेंगे तो बेटी वाले यह समझेंगे कि इतने मित्र इनके बड़े-बड़े आदमी हैं तो यह भी बड़े आदमी ही होने चाहिए। यह सस्ती तरकीब, सामने वाले को बहकाकर अपने बड़े बनने की सोची जाती है। पर यह चालाकी चूँकि हर व्यक्ति अपने लड़के के विवाह में करता है इसलिए उसकी असलियत सभी को मालूम रहती है और कोई भ्रम में नहीं पड़ता। सभी जानते हैं कि खाते-पीते, झूठ के पदों पर बैठे हुए लोगों को बड़ी खुशामद से लाया जाता है और वे बड़ा एहसान जताते हुए आते हैं। उनकी खातिर-खुशामद में दोनों पक्ष परेशान हो जाते हैं। फिर भी मेहमानदारी में कोई कमी रह गई तो उनका पारा गरम होते देर नहीं लगती। इस प्रकार का व्यर्थ झंझट पालने में झूठ-मूठ मन बहलाने वाला बड़प्पन कोई प्राप्त करना चाहता हो तो कर ले, विचारशीलता की दृष्टि से उसका मूल्य कौड़ी भर भी नहीं आँका जा सकता है।

अहंकार और आडम्बर का छोरापन—

बढ़िया कपड़े पहनकर, बढ़िया सवारियों में बैठ कर, बढ़िया बाजे बजवाते हुए लोग बाजार में होकर निकलते हैं और समझते हैं कि बारात की चढ़ाई में न जाने हम क्या इन्द्र रूप बने हुए हैं और देखने वाले न जाने हमारे दर्शन करके क्या मंत्रमुग्ध होते होंगे। पर सही बात यह है कि सिनेमा वालों से लेकर बीड़ी के विज्ञापन के बाजे रोज ही सड़कों पर धूम-धड़ाके निकलते हैं। इनमें से एक से एक छोटे एक से एक बड़े होते हैं। लोगों को इतनी फुरसत कहाँ जो इन्हें गौर से देखें और इनकी निन्दा, प्रशंसा में अपना समय खराब करें। हर व्यक्ति अपने काम में व्यस्त है। कौतूहल की दृष्टि से कोई किसी धूमधाम पर एक नजर डाल ले तो बात दूसरी है, पर यदि किसी ने यह समझ रखा है कि हमारी सजावट सवारी को देखकर लोग मंत्रमुग्ध हो रहे होंगे और प्रशंसा के पुल बाँध रहे होंगे तो यही कहना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति को जन-मनोवृत्ति का तनिक भी ज्ञान नहीं है।

५.६ विवाहोन्माद : समस्या और समाधान

बड़प्पन प्राप्त करने, प्रशंसा लेने, सम्मानित होने या लोगों की आँखों में अपना महत्व बनाने की दृष्टि से यह तरीके बिलकुल बचकाने और उपहासास्पद हैं, जिन्हें लोग आजकल विवाह-शादियों के अवसर अपनाते हैं और मन ही मन झूठ-मूठ प्रसन्न होकर अपने आपको धोखा देने की कोशिश करते हैं। यह बाल क्रीड़ाएँ अब छोड़ दी जानी चाहिए। क्योंकि समय अब अधिक बुद्धिमत्ता का आता चला जा रहा है। अब लोग यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाना पसन्द करते हैं। वस्तुस्थिति को समझने और उपयोगिता को ध्यान में रखने की चेष्टा की जाती है। इस आधार पर जब भी विचार किया जायेगा तब विवाह के नाम पर धन उलीचने की विडम्बना सर्वथा निस्सार, ओछी बुद्धि की उपज तथा उपहासास्पद प्रतीत होती है। जो लोग इतने छोटे प्रहसन मात्र से बड़े आदमी बनने के सपने देखते हैं, उन्हें नहीं मालूम कि इस युग में बड़प्पन पाना इतना सस्ता नहीं रह गया है। उसके लिए अधिक प्रतिभा, अधिक उदारता एवं अधिक साहस का परिचय देना पड़ता है।

यदि बड़प्पन ही अभीष्ट हो तो आदर्शवादी विवाह की प्रक्रिया अपनाकर अपनी दूरदर्शिता एवं समझदारी का परिचय देना चाहिए। कुछ दिन बाद निस्संदेह यह प्रचलन सारे समाज में होने वाला है। हर समझदार व्यक्ति बिलकुल सादगी एवं कम खर्च के संक्षिप्त समारोह के रूप में शादी का आयोजन करना पसन्द करेगा। जो धन उलीचना भी चाहेंगे, उन्हें लू-लू बनाया जायगा, बेचारे प्रतिष्ठा तो किस मुँह से प्राप्त करेंगे। ऐसी दशा में कोई वज्रमूर्ख ही आज जैसी हरकतें करना पसंद करेगा। वह समय दूर नहीं है। इन पंक्तियों का लेखक यह सुनिश्चित भविष्यवाणी करना चाहता है और सर्वसाधारण को बताना चाहता है कि वह दिन बिलकुल ही दूर नहीं, जब सर्वत्र बिना खर्च के अति सादगी से होने वाले विवाहों की परिपाटी चल रही होगी। उस दिन को आने में जितने दिन की देर है उतने दिन तक बड़प्पन प्राप्त करने का यह अवसर किसी भी ऐसे साहसी व्यक्ति को मिल सकता है जो इस सत्यानाशी कुप्रथा को तोड़ने में अग्रणी बनने का साहस कर सके।

सादगी क्यों न अपनायें ?

सादगीपूर्ण आदर्श विवाह रचाने में अपना पैसा बचता है, अपने रिश्तेदार का पैसा बचता है, दोनों पक्षों में असाधारण प्रेमभाव बना रहता है, वधुएँ उदार लोगों के प्रति हार्दिक

सम्मान का भाव रखती हैं। जो पैसा इस बर्बादी से बचा उसका उपयोग बच्चों का भविष्य उज्वल बनाने में हो सकता सम्भव होता है और सबसे बड़ा लाभ यह मिलता है कि समाज सुधारक, विवेकशील, सहृदय, एवं उदारचेता श्रेष्ठ सत्पुरुष के रूप में अपना व्यक्तित्व जनसाधारण के सामने आता है और इस सराहनीय साहस के लिए हर सुनने-देखने वाले का मस्तक श्रद्धा से नत हो जाता है। जिस बड़प्पन को प्राप्त करने के लिए अपने और दूसरे के घर में आग लगाई गई थी, उसे प्राप्त करने का उससे सस्ता, इससे सुन्दर, इससे लाभदायक, इससे उत्तम नुस्खा और कोई हो नहीं सकता।

हिन्दू जाति की सुकुमार कलियाँ-सयानी कन्याएँ उस दिन की प्रतीक्षा में आँखें पसारे बैठी हैं जब इस भारत भूमि में ऐसे नररत्न उत्पन्न होंगे जो उस हत्यारे विवाहोन्माद से समाज का पिण्ड छुड़ाने के लिए आगे बढ़कर अपनी महानता का परिचय देंगे। वस्तुतः लड़कियों के गले में फाँसी के फंदे की तरह यह अनाचार नागपाश बनकर लिपटा हुआ है। उनकी सारी प्रगति, सारी सुख-शान्ति इसी डाकिन ने रोककर रख दी है। जो कुप्रथा की पूतना को मार सके, इस ताड़ना को भगा सके, इस सूर्पनखा की नाक काट सके वह निश्चित रूप से नर नारायण की तरह वन्दनीय माना जायगा। भारतीय कन्याओं की आत्माएँ उसकी शतशत आशीर्वादों द्वारा पूजा करेंगी। जब किसी वध्वी का जन्म दहेज संबंधी कठिनाई न रहने पर अभिशाप न गिना जायगा, वह दिन कितना सुन्दर होगा? जब अभिभावकों को कन्या के विवाह के लिए धन जुटाने की चिन्ता से मुक्त होकर शान्तिपूर्वक उनके शरीर और मन को समुन्नत करने में सारा ध्यान लगाने का अवसर मिलेगा तब नये युग का सूत्रपात हुआ प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देने लगेगा।

हिन्दू समाज के मुख पर से विवाहोन्माद की कलंक कालिमा धोने के लिए जो शूरवीर आगे बढ़ सकेंगे उन्हें राष्ट्र की अन्तरात्मा युगपुरुष कहकर ही पुकारेगी। सती प्रथा को बन्द कराने वाले राजा राममोहनराय संसार के महान पुरुषार्थियों एवं लोकसेवियों में अनन्त काल तक स्मरण किये जाते रहेंगे। विधवा विवाह को कानूनी मान्यता दिलाने वाले ईश्वरचन्द विद्यासागर भारत के सुधार आन्दोलन में सदा स्मरणीय बने रहेंगे। पाखंड खंडन के लिए स्वामी दयानन्द द्वारा किये गये

समयलों को सदा सराहा जायगा । बाल विवाह रोकने के लिए प्रयत्न करने वाले श्री हरविलास शारदा का नाम उनके द्वारा सुनिश्चित 'शारदा एक्ट' के साथ चिरस्मरणीय बना रहेगा । गाँधीजी के हरिजन आन्दोलन के लिए मानवता उनकी ऋणी रहेगी । भगवान बुद्ध द्वारा देवताओं के नाम पर किये जाने वाले नृशंस पशु वध को रोकने वाला अहिंसा अभियान, जब तक पृथ्वी कायम है तब तक श्रद्धापूर्वक स्मरण रखा जायेगा ।

जन-नेतृत्व कर सकने वाले शूरवीर—

जिन्होंने जन साधारण को नेक राह दिखाई, अनुपयुक्त मार्ग से विरत किया, उनसे बहती हुई धारा को मोड़ देने के समान साहसपूर्ण कार्य किया है, ऐसे साहसी शूरवीर, विवेकशील और दूरदर्शी आत्माओं को युग पुरुष न कहा जाय तो और क्या कहा जायेगा ? जिन्होंने स्वयं कष्ट सहे उन प्रवाह मोड़ने वाले महामानवों को अपने समय की अंधी-भेड़ों का विरोध भी सहना पड़ता है । वे उन्हें हानि पहुँचाने और अपमानित करने में भी नहीं चूकते । किसी-किसी को तो प्राणों से भी हाथ धोना पड़ा है । ईसामसीह, सुकरात, गान्धी, केनैडी, दयानंद आदि कितने ही स्पष्ट वक्ता लोकनायकों ने अपना बलिदान देने में भी संकोच नहीं किया है । छोटे-मोटे विरोध और कष्टों का तो हर सुधारक को सामना करना पड़ा है । सत्य और न्याय की रक्षा के लिए जो लोग साहसपूर्वक कदम उठाते हैं उनकी उज्वल कीर्ति चिरकाल तक अक्षय बनी रहती है । आज ऐसा ही अवसर है जब हम में से कोई भी इस प्रकार का श्रेय एक छोटा-सा साहस प्रदर्शित करके प्राप्त कर सकता है ।

आत्म-हत्या करने वाले को हाथ पकड़ कर रोक लेने वाला साहसी कहलाता है और प्रशंसा का पात्र बनता है । आज हमारा समाज विवाहोन्माद जैसी छुरी से अपना गला आप रेत कर आत्महत्या करने पर उतारू हो रहा है, उसका हाथ पकड़कर रोकने की साहसिक क्षमता जो लोग प्रदर्शित कर सकते हैं, वे लोग सेवकों की, युग प्रवर्तकों की अग्रिम श्रेणी में गिने और स्मरण किये जा सकेंगे । ऐसा साहस प्रदर्शित करने के सुअवसर बार-बार नहीं आते । स्वाधीनता संग्राम लड़ने में जिन लोगों ने साहस दिखाया उन्होंने राष्ट्र को आड़े समय में काम आने के आत्मसंतोष का लाभ उठाया, उनमें से कई तो उस त्याग का भौतिक लाभ भी उठा रहे हैं ।

अब वैसा अवसर दूसरों को नहीं मिल सकता । समय चला गया । अब स्वाधीनता संग्राम का सैनिक कहलाने का अवसर चला गया । इसके लिए कोई पश्चाताप करना चाहे तो भले ही करता रहे पर जो श्रेय सत्याग्रही सेना के सैनिक प्राप्त कर चुके वह दूसरों को नहीं मिल सकता । गीताकार के शब्दों में "सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते बुद्धपीड्यशम्" कोई भाग्यवान शूरवीर ही ऐसा अवसर पाते हैं । जो समय चूक जाते हैं उन्हें उस सौभाग्य से वंचित रहने के लिए आजीवन पश्चाताप करना पड़ता है ।

अवसर न चूका जाय—

अब ऐसा अवसर फिर आ पहुँचा । राजनैतिक स्वाधीनता संग्राम की तरह एक दूसरा सामाजिक स्वाधीनता संग्राम लड़े जाने का बिगुल बज गया । विजय निश्चित रूप से विवेक रूप अर्जुन की होनी है । कुरीतियों का घटाटोप अन्धकार जो आज काली घटाओं की तरह छाया हुआ है, अगले ही दिनों कौरवों की सेना की तरह विनष्ट होने वाला है । लोकमत इन मूढ़ता भरी रुढ़ियों के प्रति अत्यन्त शुब्ध है । हर एक को उनके द्वारा संत्रस्त होना पड़ रहा है । विशुब्ध लोकमत का उफान उमड़ती हुई नदियों के किनारे पड़े हुए झाड़-झंखाड़ों की तरह इन अन्ध-परम्पराओं को भी बहा ही ले जाने वाला है । यह भवितव्यता सुनिश्चित है । प्रश्न केवल इतना भर है कि बन्द फाटक के द्वार कौन खोले ? अग्रणी बनकर अन्धी भेड़ों का मार्ग-दर्शन कौन करे ? जो कोई यह साहस कर सकेगा, वह इस सामाजिक क्रान्ति का अध्वर्यु बनकर अपने लिए वैसा ही श्रेय, सुअवसर प्राप्त करेगा जैसा कि अग्रिम पंक्ति में चलने वाले शूरवीर सदा से प्राप्त करते रहे हैं । पिछली पंक्ति में चलने वालों को भी अनुकरण तो बदली हुई प्रथाओं का ही करना पड़ेगा पर तब वे श्रेय सुअवसर से वंचित ही हो चुके होंगे । गीता के सौभाग्यवान् क्षत्रियों में गिने जाने लायक सम्मान वे पिछलग्गू लोग कहाँ से प्राप्त कर सकेंगे ?

बड़प्पन प्राप्त करने की आकांक्षा जिनके भीतर सचमुच ही काम कर रही हो, उनके लिए आज जैसा सस्ता सुअवसर शायद ही फिर कभी मिल सके । स्वतन्त्रता संग्राम में कष्ट सहकर लोग श्रेय प्राप्त करने के अधिकारी बने थे, आज सामाजिक क्रान्ति में अग्रणी बनने का कदम उठाने में ऐसा कोई जोखिम नहीं । इससे तो दुहरा लाभ है । अपना खर्च

५.८ विवाहोन्माद : समस्या और समाधान

बचता है, रिश्तेदार को सन्तोष रहता है, वधू कृतज्ञ बनती है, बेकार के झंझटों से छुटकारा मिलता है, आत्मसन्तोष मिलता है, विज्ञ समाज में सराहना होती है और साथ ही समय को बदलने वाले साहसी शूरवीरों में अपनी गणना होने लगती है। आज की स्थिति में प्रत्येक बुद्धिमान को इस प्रकार का सहज सुअवसर प्राप्त हो सकता है, इस अँधेरी में एक छोटा-सा दीपक भी श्रेय ले सकता है। कल जब बड़े विवेक का प्रचण्ड सूर्य चमकेगा और यह अन्ध-परम्पराएँ एक आश्चर्य भरी कौतूहल चर्चा का विषय मात्र बनकर रह जायेंगी तब दीपक जैसा साहस करने का किसी ने प्रयत्न किया भी तो उसकी न कोई महत्ता रहेगी, न उपयोगिता।

उपयुक्त समय आज है उसे चूकना नहीं चाहिए। शब्द-वेधी बाण का निशाना मुहम्मद गौरी के दरबार में लगाने का मौका जब पृथ्वीराज को मिला तो कवि चन्द्र वरदाई ने “मत चूके चौहान” की सामयिक चेतावनी दी थी। पृथ्वीराज ने अवसर को पहचाना और दुश्मन के ऊपर सीधा निशाना साध लिया। आज हर समझदार के लिए ‘मत चूके चौहान’ की सामयिक चुनौती दशों दिशाओं से प्रतिध्वनित हो रही है, जो चाहे निशाना साध सकता है और युगान्तर प्रस्तुत करने की भूमिका का ‘हीरो’ बन कर चमक सकता है। अगले दिनों तो इस मंच का जब पटाक्षेप हो जायगा तब यदि कोई चेता तो इसमें उसकी कोई विशेषता न मानी जायगी। हवा के झोंकों के साथ तो तिनके उड़ते ही फिरते हैं; प्रशंसा उनकी है जो बहते हुए प्रवाह को मोड़ने का साहस दिखा सकें।

बड़प्पन बड़े कामों से मिलता है—

बड़प्पन का सच्चा अर्थ जिन्होंने समझा हो, उन्हें उसकी प्राप्ति के लिए बड़े आदमियों जैसे कदम भी उठाने चाहिए। अपना और अपने रिश्तेदारों का पैसा फूँक देना यह कोई बड़प्पन का काम नहीं। यह तो एक विशुद्ध बेहूदगी है, जिसे कोई सिरफिरा भी आसानी से कर सकता है। जो ऐसी हरकतें करते हुए बड़प्पन लूटने के फेर में पड़े हुए हैं उन भोले लोगों की बुद्धि पर तरस ही खाया जा सकता है। इतना सस्ता बड़प्पन होता तो उसे अब तक हर कोई लूटकर भाग गया होता। बड़े आदमी बड़ी अकल रखते हैं, दूर की सोचते हैं और बड़े उद्देश्य के लिए बड़े कदम उठाते हैं, जिनमें ऐसा साहस न हो उन्हें बड़े बनने की, बड़ाई लूटने की हविस भी

छोड़ देनी चाहिए। अच्छा हो वे इसके लिए अपने पैसे की व्यर्थ बर्बादी न करें क्योंकि उन्हें अभीष्ट बड़प्पन तो इस तरह मिलने वाला है नहीं, गाढ़ी कमाई का पैसा और हाथ से चला जायगा। इस तरह वे दुहरे घाटे में रहेंगे।

अपने पिछड़े समाज को गतिशील बनाने के लिए, निराशा में आशा का संचार करने के लिए मनस्वी और साहसी प्रबुद्ध लोगों की आज अत्यधिक आवश्यकता है। अपने घर से सुधार का शुभारम्भ करके इस राष्ट्रीय आवश्यकता की पूर्ति में महत्वपूर्ण योग दे सकते हैं। जहाँ लड़की वालों को लड़के के लिए दहेज देने की प्रथा है, वहाँ यह साहस लड़के वालों को करना चाहिए और जहाँ लड़के वालों को धन राशि लड़की के अभिभावकों को देनी पड़ती है, वहाँ पर आगे लड़की वालों को चलना होगा। जो वसूल करता है, जो नफे में रहता है, उसी को त्याग करना चाहिए। जिसे देना पड़ता है वह तो खुशी-खुशी सुधार के लिए तैयार हो जायेगा क्योंकि उसका आर्थिक लाभ न देने में ही है। लाभ के लिए लोग बुरे से बुरे काम करने को तैयार हो जाते हैं फिर सुधार पद्धति अपनाने में तो उनको आपत्ति हो ही क्या सकती है? यों सहमति दोनों की ही आवश्यक है पर जिसका पलड़ा भारी है उसकी प्रतिज्ञा आसानी से निभ सकेगी। जो विवश है, उसे उपयुक्त अवसर न मिलने पर विचलित भी होना पड़ सकता है। पर जिसे लेना ही है, वसूल ही करना है वह चाहे तो उदारतापूर्वक अपने त्याग की घोषणा कर सकता है। उसकी इच्छा आसानी से निभ जायगी, इसलिए अगला कदम उसी को उठाना चाहिए।

आगे कदम कौन बढ़ावे ?

वसूल करने वाले पक्ष को यह निश्चय कर लेना चाहिए कि वह आदर्श रीति से विवाह करेगा। देन, दहेज को स्वीकार न करेगा। प्रदर्शन तो उसका हर्गिज भी किसी प्रकार न होगा। कोई अभिभावक अपनी बच्ची या वधू को कुछ देना चाहे तो विवाह के बाद किसी प्रसंग पर कुछ दे सकते हैं पर उसका प्रदर्शन विवाह संस्कार के अवसर पर नहीं होना चाहिए। उस समय पूर्ण सादगी का वातावरण रहना चाहिए और वह समारोह इतने कम खर्च में होना चाहिए कि उसका अनुसरण गरीब लोग भी करना चाहें तो आसानी से कर सकें।

कई अमीर आदमी यह कहा करते हैं कि—“उनके पास बहुत पैसे हैं, वे खर्च कर सकते हैं, फिर विवाह जैसे खुशी

के अवसर पर उसे खर्च क्यों न करें ? गरीब लोग हमारी नकल क्यों करते हैं ? वे अपनी औकात एवं हैसियत के अनुसार कम खर्च की शादी क्यों नहीं करते ? हमें अपनी लड़की को कुछ देना है तो क्यों न दें ?” उयले तर्क की दृष्टि से उनकी बात ठीक जैचती है पर थोड़ी गम्भीरता से सोचने पर इस प्रतिपादन की निस्सारता स्पष्ट हो जाती है । बात यह है कि जन-साधारण में विवेकशील कम और अन्धानुयायी अधिक होते हैं । लोक-मानस का ढर्रा यह है कि बड़े आदमी जो करते हैं छोटे लोग उसकी नकल करने से रुक नहीं सकते । रामलीला के दिनों में काली, हनुमान, राक्षस आदि बनने वालों की नकल उसे देखकर आने वाले उतारते ही हैं । वे खेल-खेल में वैसी ही लीलाएँ करते हैं । मुँह पर लगाने वाले चेहरे-मुखोटे, तीर-कमान, गदा-मुद्गर आदि के जो कागज के खिलौने वहाँ बिकते हैं उन्हें खरीद लाते हैं और उनके सहारे घरों में रामलीला का खेल खेलने लगते हैं । बड़ों का अनुकरण करने की बालबुद्धि आमतौर से पाई जाती है । इस दुर्बलता को हटाना कठिन है ।

किसी जमाने में राजमुकुट पहनकर राजा लोग विवाह-शादियों के लिए बन्दूक, तलवारों के साथ सेना साथ लेकर गाजे-बाजे के साथ जाया करते होंगे । आज मुद्दतें बीत जाने पर भी, परिस्थितियाँ बिलकुल बदल जाने पर भी इसी की नकल बनती चली आ रही है । दूल्हा मुकुट पहन कर, हाथ में कटार, तलवार लेकर चलता है, मानो वह राजा हो और किसी की बेटी लड़ाई में जीत कर लाने वाला हो । बन्दूकें भी शादियों में इसीलिए लोग ले जाया करते होंगे । आवाज करने वाले धूरगोले, बन्दूकों की आवाज उसी सामंत काल की किसी परिपाटी का अनुकरण है । उन दिनों विवाहों के अवसर पर लड़ाई-झगड़े का वातावरण होता होगा और बन्दूक बारूद का खुल कर प्रयोग होता होगा । अब लोग यह नहीं सोचते कि दूल्हा जबकि राजा या राजकुमार नहीं है तो उसे वैसा ही मुकुट के धरने की क्या जरूरत ? इसी प्रकार प्रेम मिलन में एवं धर्म कृत्य में बन्दूक, बारूद का क्या उपयोग ? जनता में इतनी समझ रहा करे तो उसे जनता क्यों कहें ? उसके लिए तो लकीर का फकीर होना—बड़ों की नकल उतारना यही धर्म-शास्त्र होता है । इसी को वह रिवाज, प्रथा या परम्परा मान बैठती है । बच्चे बड़ों की नकल करते हैं, इसी प्रकार जिनका समाज में कुछ स्थान है, जिन्हें बड़ा समझा जाता है

उनकी नकल उतारने में ही छोटे लोग लगे रहते हैं । बाराती लोग अपनी हैसियत से अधिक के कीमती कपड़े इसीलिए पहनते हैं कि उन्हें समाज में बड़े माने जाने वाले अमीरों का अनुकरण करने के अतिरिक्त बड़प्पन की और कोई बात सूझती ही नहीं ।

समर्थ लोग अधिक संयम कर लें—

अँग्रेज चले गये पर अभी तक हम उनकी पोशाक पहनते और बोली बोलने की नकल उतारते हुए बड़प्पन अनुभव करते हैं । पान, बीड़ी, शराब आदि व्यसनो का प्रचलन इसीलिए अधिक हुआ है कि इन बातों के करते हुए लोग बड़प्पन का अनुभव करते हैं । बड़े आदमियों में ऐसी लतें बहुत होती हैं, ओछे लोग उनके गुणों को तो अपना नहीं पाते दुर्गुणों की नकल करने लगते हैं । इसलिए बड़े कहलाने वाले आदमियों की यह सामाजिक एवं नैतिक जिम्मेदारी है कि वे कोई ऐसा काम न करें, जिसका अनुकरण करने पर सर्वसाधारण को आपत्तियों में फँस जाना पड़े । सौभाग्य या दुर्भाग्य से आज धनी लोगों को ही बड़ा माना जाता है, इसलिए उनके कन्धे पर यह जिम्मेदारी आ जाती है कि वे अनुकरणप्रिय जनता को बर्बादी से बचाने के अपने कर्तव्य का ध्यान रखें और ऐसा कोई काम न करें जिससे बौद्धिक दृष्टि से बच्चों को, जन-साधारण को—अनुकरण करने की हिर्स पैदा होने पर आपत्तियों का सामना करना पड़े । सामाजिक कर्तव्यों का अमीर लोगों से यही तकाजा है कि वे अधिक सुधारी हुई, अधिक संयत एवं अधिक आदर्श गति-विधियाँ अपनावें ताकि उनका अनुकरण करके लोग अपना अहित करने से बचे रहें ।

कन्या को जो देना हो, विवाह के बाद भी—बिना प्रदर्शन के भी दिया जा सकता है । उसे कौन रोकेगा और क्यों रोकेगा ? बाप बेटी के बीच में कितना ही बड़ा आदान-प्रदान हो, इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है ? आपत्ति उद्भूत प्रदर्शन पर है जिसके कारण देखा-देखी कुरीतियाँ चल पड़ती हैं और एक छप्पर से दूसरे छप्पर में आग लगने की तरह पूरे समाज का नाश होता है । अमीर लोग अपने धन को किसी भी प्रकार खर्च करें उसे कौन रोकेगा, पर उन्हें भूल न जाना चाहिए कि उनकी यह उद्भूत स्वच्छंदता, समाज के लिए गलत आदर्श प्रस्तुत करने वाली होने के कारण विक्षोभ का कारण ही बनेगी और वे जो प्राप्त करना चाहते हैं, उसकी अपेक्षा घाटे में ही रहेंगे ।

आज लोगों के विचार करने का तरीका बदल गया है। धनी लोगों के प्रति जन-साधारण का सम्मान घट रहा है और द्वेष बढ़ रहा है। साम्यवादी विचारधारा किस-न-किसी रूप से हर मस्तिष्क को प्रभावित कर रही है। उसने धनियों को चोरों की पंक्ति में ले जाकर बिठा दिया है। आज आर्थिक तंगी से ग्रस्त सभी लोग प्रायः इसी तरह सोचते हैं कि गरीबी फैलाने वाले यह अमीर लोग ही हैं। चाहे किसी की कमाई ईमानदारी की ही क्यों न रही हो पर समझा यही जाता है कि उसने दूसरों का खून चूसकर यह जमा किया है। इस विचारधारा ने धनी और निर्धन के बीच एक वर्ग-विद्वेष उत्पन्न कर दिया है। ज्वालामुखी फटा भले ही नहीं पर आग भीतर ही भीतर सुलग रही है। मजदूर-मालिकों में आये दिन होने वाले संघर्षों में यही भावना काम करती है। ऐसे कठिन समय में किसी अमीर के लिये भी यह उचित नहीं कि वह अपने पैसे का उद्भूत प्रदर्शन करे। उससे उसके विरुद्ध अधिक ईर्ष्या, अधिक द्वेष का वातावरण उत्पन्न होगा। हर कर्मचारी अधिक वेतन बढ़ाने की माँग करेगा, चन्दा वसूल करने वाले अधिक दान की माँग करेंगे, सरकारी कर्मचारी अधिक टैक्स लादेंगे। वे यही सोच सकते हैं कि जो व्यक्ति विवाह-शादियों के नाम पर इतना धन स्वाहा कर सकता है, उसके पास बहुत कुछ दौलत-धन होना चाहिए। इसलिए अधिक वसूल क्यों न किया जाय? जब असमर्थता बताई जाती है तो यही प्रश्न पूछा जाता है कि जब आप शादियों में इतना उड़ा सकते हैं तो इन उपयोगी कामों में क्यों खर्च नहीं कर सकते?

धन का उद्भूत प्रदर्शन अहितकर—

धन का उद्भूत प्रदर्शन, उसकी होली जलाना, किसी व्यक्ति के लिये आज के युग में प्रशंसा की बात नहीं हो सकती वरन् इसके विरुद्ध एक घृणा एवं द्वेष भरा वातावरण उत्पन्न करती है। ऐसी दशा में उन्हें ठण्डे मस्तिष्क से सोचना चाहिए कि वे जिस धूम-धमाके को अपनाते हैं वह उनके लिये हितकर है या अहितकर? उससे उनका बड़प्पन बढ़ेगा या विरोधी वातावरण बनेगा। जो न सोच सके न उसकी बात दूसरी है पर जिन्हें भगवान ने बुद्धि दी है उन्हें तो सोचना ही चाहिए कि विवाहों में मोटी रकमें फूँकने का उनका उत्साह उचित है या अनुचित? जो बात अनुचित हो, हानिकारक हो, उसे तो छोड़ना ही चाहिये। चूँकि रिवाज ऐसा है इसलिये हम

हानिकारक ही रीति-नीति अपनाये ही रहेंगे, यह न तो कोई तर्क है और न समझदारी का चिह्न।

धनियों से लोकमत की माँग यह है कि अपने अनावश्यक पैसे को लोकहित के कामों में लगा दें और स्वयं मध्यम श्रेणी के व्यक्तियों जैसा जीवन व्यतीत करें। इस नीति को अपनाने पर ही उनके विरुद्ध उमड़ती हुई ईर्ष्या रुक सकती है। जो ऐसा न कर सकें उन्हें आग में घी डालने का काम तो नहीं ही करना चाहिए। शादियों के उद्भूत आचरण में पैसा फूँकना निश्चित रूप से ऐसी नासमझी का काम है जिससे इनके अधिक स्वार्थी, अधिक अनुदार, अधिक अहंकारी होने की मान्यता जनसाधारण में बनती है। अब वह समय नहीं रहा जब लोकमत की सर्वथा उपेक्षा की जा सके। जिस लोकमत के द्वारा शासक बदल सकते हैं उसके द्वारा किसी की हानि भी हो सकती है। खर्चीला विवाह करते समय अमीरों को भी इन सब बातों पर विचारना चाहिए, अन्यथा वे दुहरे-तिहरे घाटे में रहेंगे और सामाजिक सूझ-बूझ न दिखा सकने की भूल पर किसी दिन बुरी तरह पश्चाताप करेंगे।

आदर्श विवाहों की दूर-दर्शिता अपनाने के लिये हममें से हर किसी को उद्यत होना चाहिए। यह समय की पुकार है। युग की आवश्यकता है। बुद्धिमानी का तकाजा है, अर्थशास्त्र का निष्कर्ष है। इसी में व्यक्ति का लाभ और इसी में समाज का हित है। जो उचित है, उपयुक्त है उसे अपनाते में अनावश्यक विलम्ब क्यों किया जाय?

किसी सजीव राष्ट्र, जीवित समाज एवं प्रबुद्ध व्यक्ति का चिह्न यह है कि वह स्वतन्त्र चिन्तन कर सकने से साहस का परिचय दे। अपनी आंतरिक दुर्बलताओं को तलाश करे और उन्हें उखाड़ फेंकने के लिये तत्पर रहे। मूढ़ता का यही चिह्न माना जाता है कि वह न कोई बुरी बात छोड़ने देती है और न अच्छी बात सीखने देती है। जड़ता से प्रगति रुद्ध होती है। हमें आज जड़ता ने घेर रक्खा है। मानसिक कुण्ठा से ग्रस्त व्यक्ति एवं समाज, दुर्दशाग्रस्त स्थिति में ही पड़े रहते हैं। हमें वस्तुस्थिति को समझना चाहिये और यदि अपने अस्तित्व की रक्षा करनी है, तो जीवितों की तरह सोचने और बुद्धिमानों की तरह सचेष्ट होने को तत्पर होना चाहिए। यदि हम ऐसा कर सकें तो निश्चित रूप से पहला कदम यही उठाना पड़ेगा कि सामाजिक कुरीतियों का कूड़ा-करकट झाड़-बुहार

कर साफ करें। सफाई के लिये सबसे पहले झाड़ू हमें सत्वानाशी विवाहोन्माद पर ही लगानी पड़ेगी, क्योंकि यही सबसे अधिक हानिकारक, कष्टदायक और अबुद्धिमत्तापूर्ण है।

विवाहों का वातावरण धर्मानुष्ठान जैसा रहे

विवाह मानव जीवन का एक सर्वोत्कृष्ट यज्ञ है। दो आत्माएँ अपना स्वतन्त्र अस्तित्व खोकर परस्पर एक दूसरे में विलीन होती हैं और उस संगम से एक सम्मिलित शक्ति का अभिनव आविर्भाव होता है। गंगा और यमुना के मिलन स्थल को संगम कहते हैं। जिस स्थान पर यह पुण्य प्रयोजन पूर्ण हुआ है वहाँ तीर्थराज प्रयाग अस्तित्व में आया। उस पावन भूमि का दर्शन करने मात्र से भावुक भक्त अपने को धन्य मानते हैं। दो नदियों का मिलन निश्चय ही महत्त्वपूर्ण है। मिलन की महिमा असामान्य है। दो के मिलने से तीसरी एक नई ही प्रबल शक्ति का आविर्भाव होता है। निर्जीव पड़ी हुई दो ऋण एवं धन विद्युतधाराएँ जब परस्पर जुड़ती हैं तो प्रचण्ड विद्युत प्रवाह तत्काल आविर्भूत हो उठता है। रासायनिक पदार्थों के मिलने से कितने नये तत्व विनिर्मित होते हैं उसे कौन नहीं जानता। दिन और रात्रि के मिलन की संध्या कितनी पवित्र होती है, इसके माहात्म्य से हर धर्मप्रेमी भलीभाँति परिचित है। चतुर माली जानता है कि दो पौधों की कलम आपस में जोड़ देने से जो 'कलमी पौधा' बनता है उसके फल-फूल कितने परिष्कृत होते हैं।

यह जड़ वस्तुओं के मिलने की बात रही। चैतन्य आत्माओं का मिलन और भी सामर्थ्यवान होता है। अर्जुन और कृष्ण ने मिलकर महाभारत जीता। राम और लक्ष्मण की जोड़ी असुरता को परास्त करने में समर्थ हुई। यह तो मिलन मात्र हुआ। 'विलय' इससे भी ऊँची वस्तु है। एक आत्मा का दूसरी में लय हो जाना, अपने स्वतन्त्र अस्तित्व को समाप्त कर एक दूसरे के व्यक्तित्व में घुल जाना मानव प्राणी के द्वारा हो सकने वाले उत्कृष्ट आध्यात्मिक पुरुषार्थ का प्रमाण है। इसीलिए शास्त्रकारों ने इसे मनुष्य प्राणी द्वारा हो सकने वाला सर्वोत्कृष्ट पुण्य परमार्थ एवं यज्ञ कहा है। कन्यादान करते हुए माता-पिता अपने को पुण्यवान हुआ मानते हैं। रुपये-पैसे के द्वारा हो सकने वाले दानों से इसकी कोई तुलना

नहीं हो सकती। विवाह के समय पर दूसरे सम्बन्धी भी कन्यादान की रस्म में सम्मिलित होते हैं, उस समय यथाशक्ति प्रतीक दक्षिणा देकर कन्यादान के पुण्य में भागीदार बनते हैं।

विवाह एक उत्कृष्ट-यज्ञ—

विवाह यज्ञ देवताओं की उपस्थिति में, पंच परमेश्वर की साक्षी में, यज्ञाग्नि को मध्यस्थ बनाकर सम्पन्न किया जाता है, ताकि उसके पवित्र प्रयोजनों को वर-वधू आजीवन निवाहते रह सकें। जिस प्रकार कोई राष्ट्रपति या मन्त्री अपने पद का उत्तरदायित्व ठीक तरह निवाहने की शपथ, प्रधान न्यायाधीश द्वारा ग्रहण करता है उसी प्रकार आचार्य एवं पुरोहित वर-वधू को भी समाज-निर्माण की एक नई धारा प्रवाहित करते हुए धर्म-कर्तव्यों का पूरी तरह पालन करने की शपथ दिलाते हैं। वस्तुतः यह बहुत ही धार्मिक एवं मार्मिक अवसर है। इस धर्मानुष्ठान के अवसर पर अधिक से अधिक पवित्र, अधिक से अधिक धार्मिक वातावरण रखा जाना चाहिए। प्राचीनकाल में वैसा ही रखा भी जाता था। विवाह को विशुद्ध रूप में एक धर्मकृत्य माना गया है। उसकी प्राचीन व्यवस्था बिलकुल इसी रूप में बनी हुई भी है।

विवाह एक नये परिवार का सृजन करता है। विशाल मानव समाज के अन्तर्गत एक स्वतन्त्र घटक अस्तित्व में आता है। यह घटक अपनी स्वतन्त्र सृष्टि निर्माण करता है। विवाह का गुरुतर उत्तरदायित्व शिरोधार्य करने के उपरान्त वर-वधू का सम्मिलित अस्तित्व एक नये गृहस्थ के रूप में परिणत होता है और वे नव निर्माता—स्वतन्त्र सृष्टा के रूप में विकसित होते हैं। उन्हें अपने प्रजनन कार्य द्वारा सृष्टि निर्माण का वैसा ही उत्तरदायित्व उठाना पड़ता है जैसा स्वयंभू मनु एवं शतरूपा रानी ने—ब्रह्मा एवं सावित्री ने उठाया था। गृहस्थ जैसे जहाज का लंगर उठाने और पतवार सँभालने का गुरुतर कार्य अनुभवहीन वर-वधू करने के उद्यत होते हैं तो स्वभावतः उन्हें ईश्वरीय सहायता की आवश्यकता अनुभव होती है। विवाह का धर्मानुष्ठान करते हुए वे परमेश्वर से उसी क्षमता की याचना करते हैं। उनकी श्रद्धा-भावना के अनुरूप यह वरदान उन्हें मिलता भी है। जिन घड़ियों में इन दो आत्माओं और परब्रह्म परमात्मा के बीच दिव्य आदान-प्रदान हो रहा होता है उसे लौकिक भाषा में 'विवाह संस्कार' कहते हैं।

५.१२ विवाहोन्माद : समस्या और समाधान

पवित्रता अक्षुण्ण रखी जाय—

यह अवसर अधिकाधिक पवित्र, आध्यात्मिक एवं धार्मिक भावनाओं से ओत-प्रोत हो, यही शास्त्र मर्यादा है। शुभ कार्य शुभ वातावरण में ही होने चाहिए। अशान्ति, विक्षुब्ध एवं अस्त-व्यस्त वातावरण में ऐसे पवित्र प्रयोजन का ठीक तरह पूरा हो सकना सम्भव नहीं इसलिए प्राचीन परिपाटी के अनुसार यह प्रयत्न किया जाता है कि वह धर्मानुष्ठान अधिक से अधिक सात्विकता, प्रेम, पवित्रता, स्नेह, सौजन्य एवं सद्भावना के वातावरण में सम्पन्न हो। उस आयोजन में जो भी व्यक्ति सम्मिलित हों, एक यज्ञ होता का कर्तव्य निवाहें और यह प्रयत्न करें कि वातावरण की सात्विकता एवं पवित्रता जितनी अधिक बढ़नी सम्भव हो उतनी बढ़े। कारण यह है कि इस अवसर पर सूक्ष्म प्रभाव पति-पत्नी के जीवन पर आजन्म बना रहता है। यदि विवाह के समय द्वेष-दुर्भाव का वातावरण रहा तो उसकी अमित छाप पति-पत्नी के अन्तःकरण पर आजीवन किसी न किसी प्रकार बनी रहेगी।

गर्भाधान के समय पति-पत्नी के मन में जैसे भाव रहते हैं, सन्तान के मानसिक संस्थान पर वैसे ही भावों की अमित छाप रहती है। आरम्भ काल का असर अन्त तक बना रहता है। इसलिए हमारे तत्त्वदर्शी ऋषियों ने यह धर्म परम्परा बनाई है कि कोई भी शुभ कार्य आरम्भ करते समय उसका श्रीगणेश धार्मिकता, पूजा एवं सात्विकता के सौम्य वातावरण में सम्पन्न किया जाय। मकान बनाते समय नींव रखते हुए भूमि पूजन की प्रथा प्रचलित है। षोडश संस्कारों का आधार यही है। बच्चे का नामकरण करते समय, अन्न खिलाना आरम्भ करते समय, स्कूली पढ़ाई शुरू करते समय, जनेऊ पहनाते समय एक मंगल उत्सव पूजा-उपचार के साथ किया जाता है। बहुत से अच्छे स्कूलों में बच्चे पढ़ाई आरम्भ करते समय सामूहिक प्रार्थना करते गाते और तत्पश्चात् पढ़ाई आरम्भ करते हैं। बड़े कार्यों में आरम्भ में उद्घाटन समारोह होते हैं। प्रातः काल जगने पर ईश्वर का नाम लेकर दिन आरम्भ करते हैं। दुकानदार दुकान खोलते समय भगवान का नाम स्मरण करते हैं। आमतौर से यह परम्परा प्रत्येक शुभ कार्य के सम्बन्ध में चली आ रही है कि धार्मिक मंगलाचरण पूर्वक अच्छे कार्यों का आरम्भ किया जाय। विवाह मानव जीवन की एक विशिष्ट उल्कान्ति है। इस अवसर पर एक भावनापूर्ण धर्मानुष्ठान होना

ही चाहिए। इसी प्रयोजन की पूर्ति के लिए विवाह संस्कार के समय होने वाले पुनीत धर्मकृत्य की एक यज्ञीय विधि व्यवस्था का आयोजन किया जाता है।

गरिमा गिरने न दी जाय—

होना यह चाहिए कि यह अवसर अधिक से अधिक श्रेष्ठ, सात्विक एवं धार्मिक बनाया जाय। इसी से विवाह संस्कार का मूल प्रयोजन पूरा हो सकता है। इसके विपरीत यदि तामसिक, आसुरी वातावरण बना दिया गया तो देवताओं का आह्वान, ईश्वरीय वरदान, शपथ समारोह, पुण्य मंगलाचरण एवं धर्मानुष्ठान का उद्देश्य ही नष्ट हो जायगा। फिर वह आयोजन एक मखौल मात्र बनकर रह जायगा। आसुरी आरम्भ उस प्रयोजन को अन्त तक आसुरी ही बनाये रहे तो इसमें आश्चर्य ही क्या है? कहते हैं कि जिस कार्य में प्रारम्भ में ही क्लेश खड़ा हो जाय तो उसका शगुन बिगड़ जाता है और वह कार्य असफलता की ओर ही चलता है। विवाह के समय का वातावरण यदि आसुरी है तो उसकी छाया वर-वधू के अन्तर्मनों पर फोटोग्राफी के प्लेट की तरह पड़ेगी, उसका बुरा असर एक प्रकार से स्थायित्व की जड़ें ही जमाता चला जायगा, जिसका परिणाम उस पुण्य-प्रयोजन को नष्ट करने वाला ही सिद्ध होगा। यह पुण्य उत्सव किया इसलिए जाता है कि प्रणय सूत्र में बँधने वाले दोनों प्राणी उस शुभ वातावरण में अपनी जीवन-यात्रा आरम्भ करते हुए उल्लसित भावनाएँ लेकर आगे बढ़ें। पर यदि स्थिति उल्टी हो जाय और उस अवसर पर असुरता का साम्राज्य छाया रहे तो निश्चित रूप से उत्सव का उद्देश्य ही नष्ट हो जायगा। इतना ही नहीं उसका प्रतिकूल-हानिकारक परिणाम उत्पन्न होगा। आसुरी उत्सव की अपेक्षा तो बिना किसी आयोजन के वह कार्य कर लिया जाता तो अधिक अच्छा रहता।

आज विवाहोत्सवों का जो स्वरूप है उस पर हमें गम्भीरतापूर्वक विचार करना होगा कि उनका स्वरूप ब्रह्म विवाह का है या असुर विवाह का? शादियों के अवसर पर समारोह का जो स्वरूप रहता है उसमें सात्विकता की मात्रा अधिक रहती है या असुरता की? आयोजन में भाग लेने वाले व्यक्तियों के मन में धार्मिकता एवं सद्भावना भरी है या कुटिलता का बाहुल्य रहता है? इन प्रश्नों के उत्तर पर ही यह निर्णय

किया जा सकेगा कि विवाहोत्सव सफल हुआ या नहीं ? उसमें लगी हुई शक्ति सार्थक हुई या नहीं ?

उल्टी दिशा और उल्टे कदम—

इस कसौटी पर कसते हुए आज के विवाहोत्सव उल्टी दिशा में चलते, उल्टा वातावरण उत्पन्न करते प्रतीत होते हैं। उस अवसर पर धर्म बुद्धि जाग्रत करने वाले मंगल गीत गाये जाने चाहिए जैसा कि तीर्थ, कथा, यज्ञ, आदि के अवसर पर गाये जाते हैं। पर देखा यह जाता है कि महिलाएँ अश्लील, कामोत्तेजक, व्यंग्य, अपशब्द भरे गंदे और फूहड़ गीत उस समय बड़े उत्साह के साथ गाती हैं। यों यह आचारण किसी भी समय असभ्य ही कहा जायगा, महिलाओं की शील, संकोच, सदाचार एवं मर्यादाओं का यह घृणित उल्लंघन है। विचार भी एक प्रकार का कार्य ही है। जो कार्य शरीर में होते हैं वे पहले मन में ही तो आते हैं। शरीर के पाप की तरह मन के पाप भी नरक को ले जाते हैं। सच तो यह है कि पाप-पुण्य का मूल्यांकन शरीर से नहीं मन से किया जाता है। मन में पाप समाया रहे और शरीर धर्मात्मक आडम्बर बनाये रहे तो भी मनुष्य पापी ही माना जायगा। इसके विपरीत यदि भूल या विवशता से शरीर से कोई पाप बन पड़े किन्तु मन उसका विरोधी हो, भीतर ही भीतर उस कार्य से घृणा रहे तो शरीर से बन पड़ा पाप भी मन की पवित्रता के कारण क्षम्य माना जायगा।

गन्दे गीतों में, अश्लीलता, कामुकता, व्यभिचार जैसी दुष्टवृत्तियों का चित्रण, समर्थन एवं प्रोत्साहन भरा रहता है, इसलिए उसकी गणना पाप में ही क्री जायगी। जो महिलाएँ उन्हें गाती हैं वे अनजाने ही अपने शील-सदाचार पर छिंटे लगाती हैं। नारी का शील और सम्मान उसकी पवित्र धरोहर है। लज्जा ही उसका प्राण है। निर्लज्ज बनकर तो वह उसके उच्च स्तर से नीचे ही गिरती है। कोई बहिन जो शब्द अपने भाई से, कोई माता अपने बच्चे से, कोई पुत्री अपने बाप से जो बातें निःसंकोच नहीं कही जा सकतीं, उसे वे परपुरुषों के आगे निर्लज्जतापूर्वक गायें तो उसमें उनकी प्रत्यक्ष मानहानि है। इसमें उनका गौरव बढ़ता नहीं घटता है। अपने शील-सदाचार से वे एक सीढ़ी नीचे ही उतरती हैं। भावना गन्दी करके अपने पुण्य पतिव्रत की गरिमा को कम ही करती हैं।

गन्दे गीतों का कुप्रभाव—

सुनने वालों के मनोभावों को विकृत करने में गन्दे गीतों को एक हद तक दोषी ही माना जायगा। ऐसे गायन कामुकता भड़काते हैं, गाने वाली महिलाओं की ओर पाप दृष्टि से देखने और पाप बुद्धि से सोचने की प्रेरणा देते हैं। यह पतन का मार्ग है। विवाह जैसे धर्मानुष्ठान के अवसर पर ऐसा कलुषित वातावरण बनाया जाना उचित नहीं। ऐसे पर्व पर तो धर्म बुद्धि उत्पन्न करने वाले सद्भावोत्सादक गीत गाये जाने चाहिए। यह प्रसंग इस प्रकार के दुर्बुद्धि कुचन बोलने का कदापि नहीं। इसलिये प्रत्येक विचारशील व्यक्ति का कर्तव्य है कि शील, शिष्टाचार और सभ्यता को तिलांजलि देने वाले इन कुचनों का, गन्दे गीतों का प्रचलन रोके। छोटे बच्चों के कोमल हृदय पर इस प्रकार के गाने बहुत बुरा असर डालते हैं, उनके मन में छोटी आयु में ही कुसंस्कार जमने लगते हैं। इस प्रकार गीत गाने वाली महिलाएँ नहीं जानतीं कि वे अनजान में ही क्या कह और क्या कर रही हैं। जिन बच्चों को उन्हें शील और सदाचार सिखाना चाहिए था वे ही यदि उनको दुराचार और अश्लीलता अपनाने की प्रेरणा देंगी तो यह एक प्रकार से विषपान कराने के समान ही होगा।

नारियों के सम्मान पर आघात पहुँचाने वाले कुचन कहते हुए कभी-कभी पुरुष वर्ग लोगों को सुना जाता है। ऐसे लोगों की सभ्य समाज में घृणापूर्ण भर्त्सना की जाती है। उन्हें ओछा, शोहदा, आवारा, असभ्य, गुण्डा आदि शब्दों से तिरस्कृत किया जाता है। भारतीय नारी से कोई ऐसे दुर्व्यवहार की आशा नहीं कर सकता। उनकी मान-मर्यादा के अनुकूल ऐसा ओछापन हो भी नहीं सकता। गन्दी बात गद्य में कही गई है या पद्य में, एक ने कही है या कई ने मिलकर कहीं गाई है, इससे वस्तुस्थिति में कोई अन्तर नहीं आता। बुरी बात हर हालत में बुरी है। बुराई छोटी है इसलिये उसकी उपेक्षा हो, यह कोई कारण नहीं। छोटी बीमारी उपेक्षा करने पर बढ़ती और प्राणघातक संकट उत्पन्न करती है। चिनगारी छोटी भले ही हो पर उसमें बड़ा खतरा सदा ही विद्यमान रहता है। विवाहों को यदि असुर विवाह नहीं बनाना है, उनका धर्मानुष्ठान स्वरूप सुरक्षित रखना है तो हमें अपनी बहिन-बेटियों को यह समझाना ही चाहिए कि वे अनजाने में साधारण हैंसी

५.१४ विवाहोन्माद : समस्या और समाधान

मजाक मानकर एक भयंकर बुराई अपना बैठी हैं, जिसे उन्हें तत्काल छोड़ देना चाहिये । इससे उनके शील-सदाचार पर छींट न लगेगी । बच्चों पर कुप्रभाव न पड़ेगा, बाहर के लोग दुर्बुद्धि से उनके बारे में न सोचेंगे और विवाह का पवित्र वातावरण गन्दा न होगा । इतनी बुराइयाँ बचती हैं और इससे गाने वालों की कोई क्षति नहीं होती तो फिर छोड़ने में अनावश्यक विलम्ब क्यों किया जाय ?

महिलाएँ आसानी से समझ सकती हैं—

सभ्य समाज का निर्माण करने के लिए हमें विवाहों को धर्मानुष्ठान का रूप देना ही होगा, इसकी पवित्रता को अक्षुण्ण रखना ही होगा । सामाजिक उत्कर्ष के लिये विवाहों की उत्कृष्टता का कार्य आरम्भ करना होगा । इसके लिये सबसे छोटा, सबसे हलका, सबसे पहला कदम यह होना चाहिये कि उसे हम अपने घरों से आरम्भ करें । महिलाएँ बहुत ही सहृदय और सज्जन प्रकृति की होती हैं, फिर अपनी बहिन-बेटियों के बारे में तो कहना ही क्या है । उन्हें चिढ़ाया न जाय तो वस्तुस्थिति समझा देने पर वे आसानी से किसी भी बुरी बात को छोड़ सकती हैं । गंदे गीत गाने को उन्होंने कौतुहल मात्र समझ कर ही अपनाया होता है । यदि उन्हें पता चल जाय कि यह कोई बुराई है और बड़ी बुराई है तो वे आसानी से उसे छोड़ देंगी । हमें अपनी सुधारवादिता यहीं से आरम्भ करनी चाहिए । छोटा आसान प्रश्न सफलतापूर्वक पहले हल कर लेने पर परीक्षार्थी की हिम्मत बढ़ जाती है और वह अगले कठिन प्रश्नों को भी हिम्मत के साथ हल करता चला जाता है । हमें भी यही नीति अपनानी चाहिये और अपने प्रभाव में जितने भी विवाह होते हों, उनमें गंदे गीत बन्द कराने चाहिए । यह कार्य महिलाओं से लड़-झगड़ कर, कटुवचन कड़कर नहीं, वरन् प्रेम, समझदारी और कारण बताकर, उन्हें सहमत बनाकर करना चाहिये । प्रचारक की बुद्धिमत्ता इसी में परखी जाती है । परिस्थितियों के अनुसार ऐसी तरकीब अपनानी चाहिए कि विरोध कम से कम बढ़े और सफलता अधिक आसानी से मिल जाय । यों हर सुधारक को कुछ तो बुरा बनना ही पड़ता है, इसके बिना कोई परिवर्तन सम्भव नहीं, पर ध्यान यही रखा जाय कि कटुता द्वेष की सीमा तक न पहुँचने पाये । विरोधी को प्रेम एवं तर्क से परास्त कर

सकने की बुद्धिमत्ता किसी सुधारक की सर्वोत्तम सफलता मानी जाती है ।

मंगल गीतों का सृजन—

किसी वस्तु को हटाने के साथ-साथ उसके स्थान पूर्ति की भी व्यवस्था करनी चाहिए अन्यथा रिक्तता एक अलग ही प्रकार की बुराई बनकर प्रकट होती है । हमें अच्छे गीतों का संग्रह करना चाहिए और उन्हें महिलाएँ सीख सकें ऐसा प्रबन्ध करना चाहिए । शिक्षित, मिलनसार एवं सम्पर्क रखने के स्वभाव की महिलाएँ इस कार्य को आसानी से कर सकती हैं । पुरुष भी अपने घरों की महिलाओं को तो मंगल गीत सिखा ही सकते हैं । हर घर में यदि ऐसा प्रशिक्षण चल पड़े तो विवाह-शादियों के अवसर पर उपस्थित जनसमूह को प्रेरणाप्रद विचार महिलाओं द्वारा गाये जाने वाले गीत-मंगलों के माध्यम से मिल सकते हैं । यह सुधरा हुआ गायन क्रम उस अवसर को एक धर्म प्रचार के रूप में परिणत कर सकता है । भावनापूर्ण नव-निर्माण के गीत गा सकने वाली महिलाएँ अपने स्थान पर अच्छे धर्मोपदेशकों की आवश्यकता पूर्ण कर सकती हैं ।

हमारे देश में कवियों व भजन निर्माताओं की कमी नहीं । उन्हें सुझाया जाय तो आसानी से वे इस बात के लिए ऐसे गीत बनाने के लिये तत्पर हो सकते हैं । भारत में यों राज्य मान्यता प्राप्त भाषाएँ १४ हैं । पर बोलचाल की दृष्टि से देहाती क्षेत्र में सौ-सौ, दो-दो सौ मील के अन्तर से भाषा में अन्तर होता चला जाता है । देहाती क्षेत्र में अपने प्रदेश की भाषा ही लोकप्रिय होती है महिलाएँ उसी प्रकार के गीतों को पसन्द करती हैं जो उनकी स्थानीय भाषा में बने हुये हों । भारत अभी इतना अशक्त नहीं हुआ है कि उसमें क्षेत्रीय भाषाओं में प्रेरणाप्रद गीत बना सकने वाले कवि न मिलें । हमें इसके लिये प्रयत्न करना चाहिये और ऐसे गीत लिखने, छपाने और सिखाने का व्यापक प्रबन्ध संगठित रूप से करना चाहिये । बात छोटी-सी है । यों देखने में इसका महत्व भी कम ही मालुम पड़ता है पर विचार के इस छोटे से सुधार एवं परिवर्तन से भी भविष्य में होने वाले बड़े परिवर्तन और बड़े सुधारों की पृष्ठभूमि प्रस्तुत हो सकती है । मानस को बदलने की दिशा यदि सुधारात्मक तथ्य की ओर मुड़ सके तो क्रमशः

विकसित ही होती जाती है और वह छोटा शुभारम्भ भी मंगलमय महान सत्परिणाम का रूप धारण कर सकता है, हमें यही करना भी चाहिये ।

मखौलबाजी बन्द की जाय—

विवाहों के अवसर पर दूसरा सुधार जो हमें करना है वह 'मखौलबाजी' बन्द करने का होना चाहिए । इस मंगलमय अवसर पर उपस्थित लोगों के बीच श्रद्धा, स्नेह, सौजन्य, सम्मान और सद्भाव का व्यवहार होना चाहिए, पर देखा यह जाता है कि कन्या और वर पक्ष के लोग उन दिनों कुछ ऐसी मखौल करने के 'मूड़' में आ जाते हैं कि उससे परस्पर तिरस्कार एवं असद्भाव का सृजन होता है । अतिथियों को भारतीय संस्कृति के अनुसार देव माना गया है । "अतिथि देवो भव" की श्रुति यह बताती है कि हमें अपने घर आये हुए मेहमानों के प्रति कितना शिष्ट एवं सौजन्यपूर्ण व्यवहार करना चाहिये । विवाह तो यज्ञ है । उस अवसर पर भोजन ही मीठे नहीं वरन् समस्त वातावरण, समस्त व्यवहार इतना मधुर, इतना शालीनतापूर्ण हो कि उस सम्मेलन में सम्मिलित प्रत्येक व्यक्ति यह अनुभव करे कि थोड़े समय के लिए ही सही पर उसका निवास देव समाज के बीच हो रहा है ।

देखा यह जाता है कि शादियों में क्या कन्या पक्ष वाले, क्या वर पक्ष वाले आपस में मखौल, मजाक की अति कर देते हैं और वह अनभ्यस्त व्यक्ति को बहुत ही छछोरी, ओछी एक फूहड़ प्रतीत होती है । मजाक एक उत्कृष्ट कला है । उसे कर सकना किन्हीं विरलों के लिए ही सम्भव होता है । आमतौर से लोग फौश, फूहड़, गन्दे, अपमानजनक, कटु एवं चिढ़ाने वाले मजाक करते हैं । यह ओछा तरीका है । इसमें मजाक करने वाले का ओछापन टपकता है । इससे कटुता बढ़ती है । जिसे चिढ़ाया गया है, वह भले ही ऊपरी मन से हैस दे पर भीतर ही भीतर उसे बुरा अवश्य लगता है । स्वल्प समय के लिए—स्नेह, सौजन्य प्राप्त करने की आकांक्षा से एकत्रित हुए स्वजन-सम्बन्धी यदि भीतर ही भीतर क्रुद्ध हों और दुर्भावना बढ़ाएँ तो इसमें कोई बुद्धिमत्ता की बात नहीं । द्रोपदी ने कौरवों से ऐसा ही चिढ़ाने वाला अपमानजनक मजाक किया था— "अन्धों के अन्धे ही होते हैं ।" यह शब्द उसने सम्भवतः मखौल मनोरंजन की दृष्टि से ही कहे थे, पर कौरवों

को वे चुभ गए और उस चुभन ने, द्रोपदी को भरी सभा में अपमानित करने से लेकर सत्यानाशी महाभारत रच जाने तक दुष्परिणाम ही दुष्परिणाम उत्पन्न किए ।

पान में नीला रंग रखकर खाने वालों का मुँह नीला कर देना, भोजन के लिए परोसी गई वस्तुओं में मिर्च भर देना, ठण्डाई में भंग मिला देना, बैठने की चट्टाई में धोती का कुर्ता बाँध देना ताकि उठते समय वह बिछावन में साथ में उठ चले, जूते छिपा लेना, कपड़ों पर रंग डालना, हल्दी के थापे लगा देना, बैठने के पटले के नीचे सरसों बिछा देना ताकि बैठने वाला पटले के फिसल पड़ने पर गिर पड़े, कुरूप या विकलांग आगन्तुकों की नकल उतारना, उन्हें अपशब्द कहना, एक दूसरे को अश्लील वाक्य कहना या व्यंग्य करना आदि बातें विवाह-शादियों में आमतौर पर चलती रहती हैं । विचारपूर्वक देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि यह कुरीतियाँ भी उतनी ही हेय एवं लज्जाजनक हैं जितनी कि स्त्रियों द्वारा गन्दे गीत गाने की बुराई ।

ओठे मजाक, उच्छृंखल मखौल—

रंग, हल्दी, छाछ आदि उँडेल कर जिनके कपड़े खराब किए गए हैं वस्तुतः उन्हें आर्थिक चोट पहुँचती है । उत्सवों में आमतौर से कुछ अच्छे या कीमती कपड़े ही पहनकर लोग जाते हैं । वे यदि इस प्रकार गन्दे कर दिए जाएँ तो सभ्य समाज में उपयोग हो सकने लायक वे बहुत प्रयत्न से तभी हो पाते हैं जब रंग हलका हो । उस समय तो वह कपड़ा एक तरह से बेकार ही हो गया । दूसरे अच्छे कपड़े उसके पास न हों तो उन्हें ही पहने रहना पड़ता है । यदि रंग पक्का हुआ जैसे हल्दी आदि का आमतौर से होता है तो उसका छूटना कठिन होता है और कीमती कपड़ा एक प्रकार से बेकार ही हो जाता है । यह आर्थिक चोट खाकर वह व्यक्ति भीतर ही भीतर तिलमिलाता है । बाहर से सूखी हैंसी भले ही हैंसता रहे पर भीतर की उसकी कुढ़न उस मंगलमय वातावरण को कलुषित ही कर देती है । ऐसा उच्छृंखल मखौल करने वाले थोड़ा अपना मनोरंजन तो कर लेते हैं पर वे नहीं जानते कि जिसके साथ मजाक किया गया है उसे कितना बुरा लगा है ।

अन्य सभी मखौल लगभग इसी प्रकार के हैं, उन्हें करने वाला थोड़ा अपना मनोरंजन कर लेता है पर दूसरा तिरस्कृत होता है । ऐसे मजाक बहुत उत्कृष्ट लोग ही कर सकते हैं,

५.१६ विवाहोन्माद : समस्या और समाधान

जिसमें विनोद भी हो जाय और किसी को बुरा न लगे । हमारा स्तर ओछा है, इसलिए किसी को तिरस्कृत करके ही अपना मनोरंजन करने की बात से आगे हमारी सूझ-बूझ बढ़ नहीं सकती । गन्दे मखौल, केवल दुर्भावना ही पैदा कर सकते हैं । उद्वृण्डता, सज्जनता की विरोधी वृत्ति है । यज्ञ में सौम्य एवं शिष्ट व्यवहार ही ग्राह्य है । उस आयोजन में सम्मिलित प्रत्येक व्यक्ति को एक दूसरे के प्रति ऐसा उत्कृष्ट व्यवहार करना चाहिये ताकि वह वैसा ही आह्लाद, वैसा ही आनन्द, वैसा ही संतोष लेकर विदा हो जैसा कि यज्ञीय धर्मकृत्य में सम्मिलित होने के उपरान्त उपलब्ध होना चाहिए । विनोद मनोरंजन के, ऐसे तरीके भी हो सकते हैं, जो सभ्य, शिष्ट तथा सभी के लिए प्रसन्नतादायक हों । घटिया किस्म के ओछे मखौलों का बाहुल्य रहने से तनाव ही पैदा होता है । यज्ञ आयोजन में ऐसी स्थिति उत्पन्न करना सर्वथा अवांछनीय है । इसलिए जो अति उत्साही लड़के, इस प्रकार की उच्छृंखलता करने पर उतारू हों, उन्हें समझा-बुझाकर रोकना चाहिए । जरूरत पड़े तो कड़ा विरोध भी करना चाहिए । उच्छृंखलता हर समय बुरी है । विवाह जैसे सौम्य अवसर पर तो वह और भी बुरी है । बुरी बातें मीठे या कड़ुए ढंग से रोकी ही जानी चाहिए ।

अश्लीलता की असुरता—

विवाहों के अवसर पर हर्षोल्लास का वातावरण बनाया जाना चाहिए पर वह सर्वथा निर्दोष, सात्विक, सद्भावनापूर्ण एवं सत्परिणाम उत्पन्न करने वाला होना चाहिए । असुरता की प्रवृत्तियाँ उत्पन्न करने वाला मनोरंजन उस अवसर पर किस काम का जिस पर कि दो आत्माएँ आत्मविलय का महान व्रत ग्रहण करने के लिए देवताओं की साक्षी में एक महान सामाजिक उत्तरदायित्व वहन करने का श्रीगणेश करने जा रही हैं । विवाहों में वेश्या नृत्य का रिवाज कुछ दिन पहले तक बहुत था । बारातों में कई-कई रंडी जाती थीं और उनकी कामुकता भड़काने वाली महफिलें कई-दिनों तक डटी रहती थीं । वासना की आग लगाने के लिए यह दुर्भाग्यपूर्ण आयोजन अत्यन्त घातक ही सिद्ध हो सकते हैं । आज की परिस्थितियों में लोगों के मनोविकार वैसे ही अपने भयावह स्तर पर पहुँच चुके हैं । ब्रह्मचर्य नष्ट करने पर लोग इतनी बुरी तरह उतारू हैं कि स्वास्थ्य और दीर्घ-जीवन की बाजी लगाकर उनसे अस्वस्थता, दुर्बलता एवं अकालमृत्यु का वरण उत्तम समझा लिया है ।

गुप्त और प्रकट, प्राकृतिक और अप्राकृतिक रीति से समय-कुसमय लोग अपने शरीर और मन को खोखला बनाने को जीवन स्वत्व को निचोड़ते रहते हैं । अश्लील पुस्तकों से, अश्लील चित्रों से, अश्लील फिल्मों से, अश्लील वातावरण से मनोविकारों की सत्यानाशी आग पहले ही भयानक रूप से भड़क रही है । फलस्वरूप यौवन आने से पूर्व ही बुढ़ापा आ घेरता है । साहस, पुरुषार्थ, पराक्रम, शौर्य जैसे मनोबल के साथ रहने वाले सदगुण ब्रह्मचर्य के साथ अविच्छिन्न रूप से सम्बन्धित है जिनका जीवन स्वत्व ओजस्, कुसमय ही अमर्यादित रूप से नष्ट हो गया उनमें यह मनोवांछित विशेषताएँ रहेंगी ही कहाँ से ? इनमें तो भीरुता, निराशा, चिन्ता, उद्विग्नता, उदासी, अस्थिरता जैसी मानसिक दुर्बलताएँ ही जड़ जमाये बैठी होंगी । आज हमारी यही स्थिति है । कामुकता की आग भीतर ही भीतर इस भयावह रूप से भड़क रही है कि उसने हमारे शरीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को चौपट करके रख दिया है ।

संयम और सदाचार पर पलीता—

अब रही-सही कमी की पूर्णरूपेण इन् वेश्यानृत्यों से पूरी हो जाती है । जब नासमझ लोग निर्जीव तस्वीरों को देखकर विचलित हो जाते हैं और संयम खो बैठते हैं तो प्रत्यक्ष, सजीव, कामुकता भड़काने वाले आयोजनों का कितना भयावह दुष्परिणाम हो सकता है यह कल्पना कर सकना कुछ कठिन बात नहीं है । नासमझ और भावुक लोगों की कमी नहीं, बड़ी आयु के लोगों में भी अन्य बहुत से व्यक्ति इसी स्तर के पाये जाते हैं । फिर छोटी आयु के किशोरों का तो कहना ही क्या है । वेश्या नृत्य उनके संयम, सदाचार पर पलीता रखने का काम करता है । यह भड़की हुई आग अविवाहितों को कुचेष्टा करना सिखाती है, विवाहितों को मर्यादाओं का उल्लंघन करना सिखाती है । पत्नीव्रत धर्म का पालन और ब्रह्मचर्य की रक्षा सम्बन्धी आत्मसंयम दुर्बल पड़ता है और व्यभिचार की अनैतिक प्रवृत्ति भड़कती है । यह भड़कन अपना प्रभाव आरम्भ में छोटे रूप से दिखावे तो भी उस मोड़ पर मुड़ा हुआ व्यक्ति इस पतन पथ पर चलते-चलते कभी सर्वनाश के गर्त में भी जा गिर सकता है । आमतौर से ऐसा होता भी है ।

इतना महँगा मनोरंजन प्रत्येक दृष्टि से अविवेकपूर्ण ही कहा जायगा । जो लोग ऐसे आयोजनों को प्रोत्साहित करते

हैं वें नहीं जानते कि अपनी आँखें सेकने के छोटे से लाभ के लिए वे कितने लोगों का कितना अहित करते हैं । कितने सदगृहस्थों में दुराचार की प्रवृत्ति का प्रवेश कराते हैं, कितने निर्दोष जीवनों को कलुषित बनाते हैं । कितने शरीरों को खोखला और कितने मनो को पतनोन्मुख बनाकर राष्ट्र की, मानवता की कितनी बड़ी कुसेवा की जा रही है । इसे यदि इन नासमझ लोगों ने समझ पाया होता तो शायद ही विवाहों में वेश्या नृत्य का समर्थन करते ।

अपने बच्चों, परिजनों और स्वजन-संबंधियों को कोई समझदार व्यक्ति जहर खिलाना पसन्द न करेगा और न आत्महत्या करने की प्रेरणा ही देगा । पर वेश्या नृत्य के आयोजन द्वारा प्रकारान्तर से यंही घृणित कार्य किया जाता है । जिन लोगों ने इस कामुकता भड़काने वाले आयोजन को देखा-सुना है वे दुर्बुद्धि की ही शिक्षा प्राप्त करेंगे । कुमारगामी बनने का वह प्रभावशाली प्रशिक्षण कभी निष्फल नहीं जाता । सदुपदेश का प्रभाव निष्फल हो सकता है पर असंयम भड़काने वाली उस आग में झुलसे बिना बाहर निकल सकना कठिन है । लगभग आत्महत्या जैसा यह घृणित आयोजन विवाह-शादियों के समय तो और भी हेय है । कारण कि उस समय तो पत्नीव्रत एवं पतिव्रत की प्रतिज्ञाएँ ली जाती हैं । वर-वधू की ही नहीं, उस पुण्य अवसर पर साथियों की मनोभूमि भी उसी प्रकार की होनी चाहिए । उस धर्मानुष्ठान से भरा वातावरण ऐसा होना चाहिए जिससे दाम्पति-जीवन की पवित्रता उच्च-स्तरीय वातावरण विनिर्मित हो सके । इसके विपरीत यदि व्यभिचार समर्थक वातावरण बनाया जाय तो यह उस पुनीत संस्कार के उद्देश्य से सर्वथा प्रतिकूल बात होगी । एक ओर अग्नि की साक्षी से दाम्पति जीवन को आजीवन परम पवित्र बनाये रखने की प्रतिज्ञा का वातावरण बनाने का धर्मकृत्य चले और दूसरी ओर उससे सैकड़ों गुनी प्रभावशाली उसी आदर्श को चकनाचूर करने वाली दृष्टवृत्ति खड़ी कर दी जाय तो उस विसंगति को एक भयानक विडम्बना ही कहा जायगा ।

पिछड़ेपन की निशानी—

जैसे-जैसे समझदारी और हया-शर्म बड़ रही है । वैसे-वैसे लोग इस बुराई को घटाते जा रहे हैं । अब सभ्य समाज की बारातों में वेश्या नृत्य नहीं होते । पर अभी भी पिछड़े लोगों और पिछड़े इलाकों में यह प्रथा मजबूती से जड़ जमाये हुए है । गँवई-गँवारों में अभी भी इसे एक शान या शेखी की बात समझा जाता है । समझदार लोगों से अपना

सम्पर्क रहने से हम समझते थे कि यह प्रथा अब समाप्त हो चुकी है, पर गतवर्ष उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में, राजस्थान में तथा मध्य प्रदेश में दौरा का अवसर मिला तो पता चला कितने ही देहातों में अभी भी यह प्रथा पूरे जोर-शोर से प्रचलित है । वहाँ के लोग इसे राजा-रईसों जैसी शान समझते हैं । कुछ समय पहले अमीर-उमराव लोगों के दरबारों में ऐसे नाच-मुजरे ठने रहते थे । उन बेचारों को दुर्बुद्धि खा गई पर उनके यह नये उत्तराधिकारी उस शान को कायम रखना चाहते हैं । ऐसे आयोजन करते समय वे अपने को भी उन्हीं दिवंगत अमीर-उमरावों की श्रेणी में गिने जाने की कल्पना कर लेते हैं और एक मिथ्या अभिमान में मन बहला लेते हैं । दूसरे लोग उन्हें भले ही खिलौने समझें पर वे स्वयं को बड़े ठाट-बाट का जरूर अनुभव कर लेते हैं । यह बचकानापन कितना धन की बर्बादी करता है और कितना दुष्प्रणिणाम उत्पन्न करता है, उसे वे यदि किसी प्रकार जान पायें तो निश्चय ही वें वेश्या नृत्य के समर्थक न रह कर घोर विरोधी बने होते । पर उस दुर्भाग्य को क्या कहा जाय, जिसने समझदार माने जाने वाले लोगों को भी इतनी भयानक नासमझी में जा फँसाया ।

दूसरे समयों में ऐसी बुराइयों को किसी प्रकार सहन भी किया जा सकता है पर विवाह जैसे अत्यन्त सम्वेदनशील धर्मकृत्य के अवसर पर वेश्यानृत्यों का आयोजन करके उसके मूल उद्देश्य एवं आदर्श को तो नष्ट नहीं ही होने देना चाहिए । बुराई प्रच्छन्नरूप धारण कर दूसरे प्रकार से प्रकट होने जा रही है, इस खतरे से भी हमें सावधान रहना चाहिए । लड़कों को नारी रूप में नचाकर वेश्यानृत्य की दुष्प्रवृत्ति को सभ्य-समाज में भी फिर सजीव किया जा रहा है । बारातों की चढ़ाई के समय बैण्डबाजे के साथ-साथ ऐसे नृत्यों का प्रचलन बढ़ रहा है । महफिल भी उन्हीं से सजने लगी है । कहीं-कहीं कृष्ण, गोपी रास जैसे आवरण उढ़ाकर उन्हीं कुचेष्टाओं को सामने लाया जाता है ! जो भी हो, हमें यह ध्यान रखना ही होगा कि दाम्पति जीवन की पवित्रता पर किसी प्रकार का आँच लाने वाला कोई प्रदर्शन, मनोरंजन इस पुण्य धर्मानुष्ठान से सर्वथा दूर ही रखा जाय ।

नशेबान्नी का दौर -दौरा—

दुर्भाग्य का अन्त यहीं तक नहीं होता । कोढ़ में खाज की तरह अन्य अनेकों दुष्प्रवृत्तियाँ इसी अवसर के लिये तैयार बैठी रहती हैं । बीड़ी, सिगरेट की धूम रहती है । देहातों में तरह-तरह की डिजायन के हुकों की नुमायश लगी रहती है ।

५.१८ विवाहोन्माद : समस्या और समाधान

यज्ञ हवन तो पण्डित लोग नाम-मात्र का करते हैं पर तम्बाकू यज्ञ अखण्ड रूप से होता रहता है । जिसे देखो वही मुफ्त की बीड़ी, सिगरेटों को सुलगाये धुँआ उड़ता रहता है । रेलगाड़ी की तरह हर मुँह से दुर्गन्धपूर्ण धुँआ उड़ता दिखाई पड़ता है । जो पीने के आदी नहीं हैं, वे भी दूसरों की देखा-देखी उसी भेड़चाल में चलने लगते हैं । ज्यौनार में अधिक मिष्ठान्न-पकवान्न खा सकने के लालच से भंग घुटती है और पी-पी कर लोग नशे में धुत्त बने फिरते हैं । अपशब्द बोलते, अस्त-व्यस्त घूमते और उन्मादी बने फिरने वाले बाराती अपनी क्षुद्रता का भौड़ा प्रदर्शन करते हैं ।

कई जगह तो शराब का भी दौर चलता है । पिछड़ी जातियों में यह रिवाज बेतरह है । आदिवासी एवं अछूत जातियों के लोग बाजार में खरीदी हुई और घर पर बनाई हुई देशी शराब मिले बिना विवाह की सार्थकता ही नहीं समझते, उनकी दृष्टि में मानो विवाहोत्सव कोई मद्योत्सव ही होता है । औंधे मुँह पड़े हुए, पागलों की तरह कुचेष्टाएँ करने में न जाने उन्हें क्या मजा आता है । राजपूती शान बघराने वाले लोग भी ऐसी ही कुचेष्टाएँ करते देखे जाते हैं । नशेबाजी आसुरी व्यसन है । असुरों की आकृति सामान्य मनुष्यों जैसी ही होती थी, पर वे अनुचित आचरण करने के कारण हेय दृष्टि से देखे जाते थे । उनका काला मुँह चित्रित किया जाता था । व्यभिचार, नशेबाजी और मौँसाहार असुरता के यह तीन लक्षण प्रमाण रूप में बताये गये हैं । विवाह तो देव आयोजन है उसमें आसुरी वातावरण की भरमार कर दी जाय तो उसे फिर धर्मकृत्य के नाम से भी क्यों पुकारा जाय, फिर तो उसे चाण्डाल-चौकड़ी का धूम-धमाका कहना चाहिये ।

अपवित्र मौँसाहार—

इसी प्रकार मौँसाहार वाली बात भी है । धर्म कृत्यों में दयालुता, उदारता, सदाशयता की प्रधानता रहती है । विवाह विशुद्ध रूप से एक धर्म आयोजन है । उस अवसर पर देवताओं की स्थापना, यज्ञ का आयोजन, वेद-पाठ तथा दान-पुण्य का बाहुल्य रहता है । अनेक संस्थाओं, साधु-ब्राह्मणों को दान दिये जाते हैं । कितनों को ही भोजन कराया जाता है । ताकि सबके आशीर्वाद से वर-वधू का कल्याण हो । ऐसे अवसर पर मौँसाहार करना, इसके लिए निर्दोष प्राणियों की हत्या करना एक प्रकार से वर-वधू पर अभिशापों की वर्षा कराना है । जिन निरीह प्राणियों को विवाह में मौँस परोसे

जाने के कारण अपने प्राण गँवाने पड़े, उनकी मर्मान्तक पीड़ा, बिना दुष्परिणाम उत्पन्न किये नहीं रह सकती । यदि दान-पुण्य का परिणाम शुभ होता है तो हत्या जैसे आसुरी कृत्यों का परिणाम अशुभ भी होना ही चाहिये । मंगल कामना के लिए किये गये शुभ आयोजन में यदि अमंगल करने वाले, हत्या जैसे दुष्कर्म सम्मिलित रखे जाएँ तो अभीष्ट परिणाम कभी भी नहीं हो सकता । जिस प्रकार वह बेचारे निरीह प्राणी प्राण गँवाते हुए, शाप देते हुये विदा हुए हैं, उसी प्रकार जिनके लिये यह आयोजन किया गया है उनको भी आजीवन हाहाकार करते रहने, अशांत जीवन बिताने का अभिशाप वहन करना पड़ता है । परमात्मा की इस सृष्टि में प्रत्येक व्यवस्था न्यायपूर्वक चल रही है । सताने वाले को सताये जाने का ही दण्ड मिलता है । जिन देवताओं को यज्ञ, हवन, पूजन, दान आदि सत्कर्मों से प्रसन्न करने को बुलाया गया है, वे जब इन यजमानों का वास्तविक स्वरूप देखेंगे, मदिरा-मौँस की कुचेष्टाओं में निरत पावेंगे तो वे क्या प्रसन्न होंगे ? क्या वरदान देंगे ? उन्हें तो उलटे पैरों क्रुद्ध विक्षुब्ध होकर ही लौटना पड़ेगा । असुरों का आचरण करके देवताओं को प्रसन्न कर सकना भला सम्भव भी किस प्रकार हो सकता है ?

पाप यों सर्वत्र ही सदा ही बुरे होते हैं पर यदि उन्हें तीर्थ स्थान पर, देवमन्दिर में किया जाय तो वे अधिक घृष्टतापूर्ण माने जाते हैं और शास्त्र विधान के अनुसार उनका दण्ड और भी अधिक चौगुना, सौगुना मिलता है । कारण स्पष्ट है । धर्म प्रयोजनों के लिये विनिर्मित माध्यमों को अपवित्र करना, उनकी कीर्ति एवं प्रतिष्ठा में धक्का लगाना, दुहरा अपराध है । अन्यत्र किए हुए पाप की अपेक्षा धर्म व्यवस्था के क्षेत्र में, पापों प्रवृत्तियों का आरोपण एक अतिरिक्त धर्मघात पाप बन जाता है । मौँसाहार कोई अन्य समय में अन्यत्र करे तो बात दूसरी है, पर यज्ञ की पवित्रता को नष्ट करना उसी प्रकार का है जैसा कि ताड़का, मारीच आदि विश्वामित्र के यज्ञ को दूषित करने के लिये किया करते थे । वर-वधू के कल्याण के लिये आयोजित यज्ञ में मौँसाहार जैसी वस्तुओं की माँग जो लोग करते हैं । उसकी व्यवस्था बनाते एवं प्रेरणा करते हैं वे नहीं जानते कि वे क्या करने जा रहे हैं, यह स्पष्टतः एक देव अपराध-धर्म अपराध है । यज्ञ की पवित्रता नष्ट करने वाली कुचेष्टा है । धर्म कृत्यों के अवसर पर तो यह अनैति एवं

दुष्प्रवृत्ति संयम में कर दी ही जानी चाहिये। एक-दो दिन इस अभक्ष को वे न खायें तो कुछ बिगड़ नहीं जायगा, उसका शरीर कुछ घट नहीं जायगा, पर इतने मात्र संयम से एक धर्मकृत्य की पवित्रता नष्ट होने से बच जायगी।

धार्मिक वातावरण गन्दा न किया जाय—

जो घोर मौसाहारी हैं उन्हें भी वस्तुस्थिति समझ कर विवाहों के अवसर पर मौसाहार न करने की बात समझाई जा सकती है। यदि उनमें थोड़ा भी विवेक शेष होगा तो वे उसे मान भी लेंगे। एक से एक बढ़िया, एक से एक उत्तम, एक से एक स्वादिष्ट भोजन इस संसार में मौजूद हैं। उन्हें खाना और खिलाया जा सकता है। खिलाने वाले का धर्म भी यही है कि वे अपने अभ्यागतों को वह वस्तु खिलावें, जिससे उनके शरीर, मन और आत्मा को सुख मिले। मौसाहार शरीर को रोग, मन को दुष्टता और आत्मा को दुर्गति ही प्रदान करता है। इस दुष्परिणाम का एक भाग उसे भी भुगतना पड़ता है जिसने इस प्रकार की सुविधा एवं व्यवस्था की है। बारात वाले यदि मौसाहार की माँग करें तो भी कन्या वालों का कर्तव्य है कि अपने तथा उनके अकल्याण का ध्यान रखते हुए सन्निपात के रोगी द्वारा माँगे गये भोजन न देने की तरह उस माँग को पूरा करने से इन्कार कर दें। किसी के बुरा-भला मानने की बात सोचने की अपेक्षा उसका हित-अहित सोचना अधिक उपयुक्त है। अपनी ओर से किसी कन्या वाले को ऐसा प्रस्ताव करना ही न चाहिए। कन्यादान जैसा सर्वोत्तम धर्म-कृत्य करते समय ऐसी अनीतिमूलक कुचेष्टाएँ करने से दूध में मक्खी पड़ जाने की तरह उसका महत्त्व और माहात्म्य ही नष्ट हो जाता है।

विवाहोत्सव की महिमा, गरिमा एवं उत्कृष्टता को हमें समझना ही चाहिए। उसे एक खिलवाड़ या मखौलबाजी की दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए। एक महँगा मनोरंजन मात्र बनाकर उसे रख दिया जाय तो यह गलती की बात होगी। एक नये परिवार की रचना, समाज के एक अभिनव घटक का अभिवर्धन, दो आत्माओं का विलय, राष्ट्र में एक विशिष्ट इकाई का उदय होना, अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। इतने महान कार्य का श्रीगणेश, शपथ ग्रहण समारोह यदि धार्मिक वातावरण में, दैवी-तत्त्वों के सान्निध्य में न होगा तो फिर उसकी महत्ता ही कुछ न रहेगी। इसलिये इस उत्सव

को उसकी गरिमा के अनुरूप अधिक से अधिक सात्विक बनाया जाना चाहिए। गीत, मंगल, व्यवहार, शिष्टाचार, विनोद-मनोरंजन, आहार-विहार कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए, जिसमें असुरता का समावेश हो। असुरता के अन्तराल में विक्षोभ भरा रहता है। उससे दुर्भाव बढ़ते हैं, वातावरण गन्दा होता है, इसकी काली छाया विवाह के उद्देश्य को ही नष्ट कर देती है और उसके ऊपर एक ऐसा सूक्ष्म प्रभाव डालती है जिससे विवाह की उज्वल सम्भावनाएँ अन्धकार में परिणत हो जाती हैं। आरम्भ में संस्कार अपने जो प्रभाव छोड़ते हैं वे अन्त तक अपना बुरा फल उत्पन्न करते रहते हैं। फलस्वरूप वर-वधू को और उनमें सम्बन्धित अन्य व्यक्तियों को सदा इस बात के लिये पश्चाताप करते रहना पड़ता है कि उन्होंने क्यों विवाह के समय सात्विक वातावरण बनाने की आवश्यकता न समझी और क्यों, असुरता को खुल खेलेने के लिये अवसर दिया।

महत्ता को समझें और उसे गिरने न दें—

आज विवाह एक भौंड़ा मनोरंजन, प्रहसन मात्र रह गया है। उसमें जमा होने वाले भी विचित्र-विचित्र खोपड़ी के होते हैं। अपने-अपने स्तर के अनुसार व्यवस्थायें सुझाते हैं। सबको खुश कर सकना कठिन है। हमें अपनी स्वतंत्र बुद्धि का भी कुछ उपयोग करना चाहिए और क्या उचित—क्या अनुचित है, इसका निर्णय अपनी विवेकशीलता के आधार पर करना चाहिये। दूसरों की खुशी या नाखुशी पर यदि अपनी स्वतन्त्र चेतना को बेच दिया जाय तो फिर किसी उचित निर्णय पर पहुँच सकना कठिन होगा। जितने सिर उतनी बातें। हवा के हर झोंके के साथ हम उड़ते फिरें तो पथभ्रष्ट तिनके की तरह किधर के भी न रहेंगे। विशेषतया ऐसी परिस्थितियों में जबकि चारों ओर फैली हुई भ्रष्टता के विरुद्ध ही हमें लोहा लेना है, गन्दगी बूहारकर स्वच्छता को लाना है, खासतौर से स्वतन्त्र निर्णय करने पड़ेंगे और उन पर मजबूती से अड़ा रहना पड़ेगा।

कोई भी भला-बुरा निर्णय ऐसा नहीं हो सकता जिससे सब लोग सहमत हों। दो रायें बनी ही रहती हैं कुछ यों कहते हैं, कुछ त्यों बताते हैं। अन्त में सबका नहीं किसी एक पक्ष का ही सुझाव मानना पड़ता है। आमतौर से बहुमत में मूर्ख होते हैं। दुनिया में बेबकूफों की तादाद अधिक और बुद्धिमानों की कम है। इसलिये यह जरूरी नहीं कि जिस बात के पक्ष

५.२० विवाहोन्माद : सभस्या और समाधान

में अधिक लोग हों, उसे करना ही चाहिये । सदा औचित्य का ध्यान रखना चाहिये, जो उपयुक्त है उसी को मानना चाहिये । विवेक की कसौटी जिस तथ्य को सही और ठीक सिद्ध कर दे उसी को मान्यता देनी चाहिये । विवाह-शादियों में एकत्रित अनेक लोगों की सम्मतियाँ एवं रुचियाँ भी अनेक होती हैं । उनसे दिग्भ्रान्त नहीं होना चाहिए । निर्णय हमें अपनी स्वतन्त्र बुद्धि से आदर्श एवं औचित्य को ध्यान में रखते हुये करना चाहिए इस दृष्टिकोण को यदि हम अपना सकें तो निश्चय ही इस निष्कर्ष पर पहुँचना पड़ेगा कि विवाह एक विशुद्ध धर्मानुष्ठान है । एक पुनीत यज्ञ है । इसलिये इस अवसर पर वैसा ही वातावरण बनने दिया जाय जो ऐसे शुभ सत्कर्म के उपयुक्त हो । गन्दे गीतों का गायना जाना, अशिष्ट मखौल होना, माँसाहार, नशेबाजी, शराबखोरी, वेश्यानृत्य एवं अश्लील मनोरंजन, जैसे अनुपयुक्त कार्यों को इस अवसर पर सर्वथा बहिष्कृत ही रखा जाय । इसके स्थान पर ऐसे आयोजन किये जाएँ जिससे सन्मार्ग पर चलने की स्फूर्ति एवं प्रेरणा प्राप्त होती हो । विवाह की उद्देश्य पूर्ति के लिये इन बातों को सावधानी और दृढ़ता के साथ ध्यान में रखा जाना चाहिए ।

सामयिक परिवर्तन की आवश्यकता—

दहेज से लेकर अश्लील गीत गाने तक विवाह के अवसर पर अनेकों प्रथाएँ ऐसी हैं जिन्हें अनुपयुक्त एवं अवांछनीय ही कहा जायगा । उनसे अनेक प्रकार की हानियाँ हैं । जिनसे व्यक्ति को परेशानी बढ़े और समाज का अहित हो ऐसी कुरीतियों का परित्याग करना ही उचित है । कई व्यक्ति इन रीति-रिवाजों को ही धर्म मानते हैं और उन्हें छोड़ने में अधर्म होने की कल्पना करते हैं, यह भूल है । धर्म मानवीय चरित्र से सम्बन्ध रखता है । सद्भावना और सत्कर्मों को धर्म कहा जाता है । रीति-रिवाज तो सुविधा की दृष्टि से बनाई जाती हैं । यदि समयानुसार किन्हीं प्रथाओं की उपयोगिता बदल जाती है तो उनके बदलने में संकोच करने जैसी कोई बात नहीं हो सकती ।

कुछ वर्ष पूर्व स्त्रियाँ घाघरा पहनती थीं, कई दृष्टियों से वह अनुपयोगी प्रतीत हुआ । साड़ी पहनने में सुविधा दिखाई दी । फलस्वरूप वह परिवर्तन हो गया । घाँघरा पहनने का रिवाज बदलकर धोती पहनने की प्रथा बदल जाने से न कोई हानि हुई और न अधर्म हुआ । इसी प्रकार कुछ वर्ष हुए पुरुष बगलबन्दी, जैसे तनीदार कुर्ते पहनते थे, अब वह रिवाज

बदल गया और कुर्ता, कमीज, कोट पहने जाने लगे । इसमें किसी का कुछ हर्ज नहीं हुआ और न धर्म को हानि पहुँची । यही दृष्टिकोण प्रथाओं के परिवर्तन करने के सम्बन्ध में रहना चाहिए ।

बदली हुई परिस्थितियों के अनुसार जो लोग अपनी कार्य पद्धति में आवश्यक हेर-फेर करते रहते हैं वे बुद्धिमान कहलाते हैं । जाड़े में पहने जाने वाले ऊनी कपड़ों की गर्मी की ऋतु में उपयोगिता नहीं रहती । बरसात के लिए बहुत ही सहायक सिद्ध होने वाला छाता, जाड़े के दिनों में निरुपयोगी होता है । किसी जमाने में भारत सम्पन्न था । धनधान्य की तनिक भी कमी न थी, आवश्यकता से वह कहीं अधिक था, ऐसी दशा में तब चाहे जिनता धन, चाहे जिस काम में, खुशी-खुशी खर्च किया जा सकता था, पर आज वैसी स्थिति नहीं रही । अब अभाव एवं तंगी का जमाना है । इन दिनों अन्न का एक-एक दाना बचाने की बात सोचनी पड़ रही है । किसी जमाने में भूमि अधिक और मनुष्य कम थे, तब अधिक सन्तान होना वरदान था । अब जनसंख्या का भार धरती माता सहन नहीं कर पा रही है, ऐसी दशा में संतानोत्पादन घटाने की बात हर समझदार व्यक्ति सोचने लगा है । युद्ध के दिनों में पुरुषों के मारे जाने और स्त्रियों के बढ़ जाने पर बहुपत्नी प्रथा एक आपत्ति धर्म के रूप में अपनाई जाती थी । आज परिस्थिति बदल जाने से उसी प्रथा को हानिकारक एवं अमान्य ठहराया गया है । इसी प्रकार यवन-काल के आतंक से जब हिन्दू स्त्रियों का सतीत्व सुरक्षित न था तब पर्दा प्रथा एवं बाल विवाह का प्रचलन किया गया था, पर अब वैसी स्थिति न रहने से न पर्दा की आवश्यकता समझी जाती है और न बाल विवाह की, वरन् इन दोनों को ही हानिकारक माना जाता है ।

समय के अनुसार बदलना आवश्यक है । आज की परिस्थितियाँ पुराने समय से भिन्न हैं, इसलिये हमें अपने रीति-रिवाजों में भी आवश्यक हेर-फेर करना होगा । धर्म अबाधित है, नैतिक आचरण की मर्यादाएँ सनातन हैं । उनमें हेर-फेर नहीं होना चाहिए पर रीति-रिवाज तो विशुद्ध रूप से सामयिक सुविधा की दृष्टि से बनाई जाती हैं । समय-समय पर उनमें आवश्यक हेर-फेर होता रहेगा, आगे भी वैसी ही आवश्यकता बनी रहेगी । आज भी हमें समयानुसार परिवर्तन करने के लिए प्रस्तुत होना ही चाहिए ।

क्या विधवा विवाह शास्त्र विरुद्ध है ?

इस पृथ्वी पर लगभग छह अरब मनुष्य रहते हैं। वे पाँच महाद्वीपों और सैकड़ों छोटे-बड़े राष्ट्रों में बँटे हैं। तीन हजार से अधिक मत-मतान्तरों के वे अनुयायी हैं। पर किसी भी देश में, किसी भी धर्म में ऐसा नियम-विधान नहीं है जो समर्थ व्यक्तियों को, अपने समकक्ष साथी के साथ गृहस्थ जीवन बिताने पर कुछ रोक लगाता हो। विधवा या विधुर भी सामान्य नागरिकों की तरह आखिर मनुष्य ही हैं। उनका कोई ऐसा अपराध नहीं, जिससे उनका यह मानवीय अधिकार छीन लिया जाय। संसार के सभी देशों में, सभी धर्मों में इस बात की छूट है कि विधुर पुरुष या विधवा स्त्री यदि विवाह की आवश्यकता अनुभव करते हों और अपने को उस उत्तरदायित्व के उठा सकने में समर्थ समझते हों तो खुशी-खुशी विवाह कर लें। उनका विवाह भी कुमार-कुमारियों की तरह उचित और न्यायानुमोदित माना जायगा! इस विश्वव्यापी मानवता के कारण सारी पृथ्वी पर कहीं भी इस तरह का प्रश्न नहीं उठता कि विधवा का विवाह किया जाय या नहीं? संसार में अन्यत्र कोई इस प्रश्न को उठावे या ऐसी चर्चा करे तो उसे मूर्ख बतायेंगे और कहेंगे कि ऐसे स्पष्ट मानवीय अधिकारों के सम्बन्ध में भी भला कोई प्रतिबन्ध हो सकता है? भला यह भी कोई चर्चा का विषय है?

कोई पुरुष या स्त्री, आजीवन ब्रह्मचारी रहे, सदा कुमार रहे यह उसकी इच्छा का विषय है। कोई पुरुष या स्त्री विधुर या विधवा होने के उपरान्त शेष जीवन ब्रह्मचर्यपूर्वक बिताने यह उनकी आदर्शवादिता और प्रशंसा है, उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती। यह स्वेच्छा का विषय है। पर इस पर प्रतिबन्ध लगाना सर्वथा अन्याय है। मानवीय अधिकारों का स्पष्ट हनन है। यदि कोई प्रतिबन्ध लगाना हो तो नर और नारी दोनों पर समान रूप से लगाना चाहिए, क्योंकि दोनों ही समान रूप से मनुष्य हैं। कानून को—न्याय को स्त्री-पुरुष का भेद नहीं करना चाहिए। एक पत्नी के मर जाने पर पुरुष दूसरा विवाह न करे और एक पुरुष के मर जाने पर स्त्री दूसरा विवाह न करे, यदि ऐसा प्रतिबन्ध लगाया जाय तब भी एक बात समझ में आती है कि जो कुछ भला-बुरा

प्रचलन हो उस समाज के सभी व्यक्ति समान रूप से उसका परिणाम भोगें। पर जब ऐसा पक्षपातपूर्ण प्रचलन देखा जाय कि पुरुष तो विधुर होते चलने पर कई-कई विवाह करते चले जायें और स्त्री के विधवा होने पर ऐसा कठोर प्रतिबन्ध लगा दिया जाय कि वह पुनर्विवाह की बात सोच ही न सके। तो उस प्रतिबन्ध को सर्वथा पक्षपातपूर्ण कहा जायगा और यह माना जायगा कि नारी को पददलित करने के उपरान्त उसकी दुर्बलता का अनुचित लाभ उठाया गया। उसे अकारण उत्पीड़ित किया गया।

जो लोग धर्म की दुहाई देकर विधवा का विरोध करते हैं, उन्हें जानना चाहिए कि उनने जितना जाना है धर्म उससे कहीं बड़ा है। प्रचलित रूढ़ियों की उलटी-सीधी वकालत करते रहना ही यदि धर्म होता हो तो ऐसा धर्म इन धर्म-ध्वजियों को ही मुबारक रहे। यदि न्याय, औचित्य एवं सदाचरण का नाम धर्म है तो उसका स्वरूप समझने और पालन करने के लिये हम सभी को तत्पर होना चाहिए। मध्यकालीन सामन्तवादी आतंक के दिनों, जब सर्वत्र अन्याय का ही बोलबाला था लिंग-भेद और जाति-भेद को बढ़ावा मिला। कुछ जातियाँ सवर्ण कहकर देवता बना दी गईं और कुछ जातियों को पददलित करके पशु से भी गये-बीते स्तर पर पटक दिया गया। इसी प्रकार पुरुष देवता बन बैठा और स्त्री उसके पैर की जूती—क्रीतदासी बन गई। इस अनीति के समर्थन में जहाँ-तहाँ प्रमाण भी धर्मग्रन्थों में ढूँंसे गये। फिर भी धर्म का शाश्वत प्रवाह उतने मात्र में दूषित नहीं हो सकता था। भारतीय धर्म और संस्कृति की मूल मान्यता जाति-भेद और लिंग-भेद के माध्यम से किसी को ऊँचा या नीचा ठहराने की कदापि नहीं। धर्म समता और न्याय का ही पोषक हो सकता है। अतएव शास्त्रों में ऐसे प्रमाणों का भी बाहुल्य बना ही हुआ है जिसमें जाति और लिंग भेद के आधार पर किसी प्रकार की असमानता न होने देने का निषेध एवं सम्यता का समर्थन है। विधवा विवाह के सम्बन्ध में भी ऐसी ही बात है। धर्म की दृष्टि से विधवा विवाह और विधुर विवाह दोनों का स्तर एक है। इसलिये वैसा ही मत भी व्यक्त किया गया है।

जिस जमाने में हम रह रहे हैं, इसमें धरों का वातावरण वैसा नहीं, जिसमें कोई वयस्क आयु की विधवा ब्रह्मचर्य पर

५.२२ विवाहोन्माद : समस्या और समाधान

अटूट आस्था बनाये रह सके । प्राचीनकाल में यह प्रथा थी कि जिस घर में कोई प्रौढ़ महिला विधवा हो जाय तो उस घर के सभी नर-नारी ब्रह्मचर्य से रहने लगते थे, ताकि उस घर का वातावरण ऐसा संयमपूर्ण रहे कि विधवा को भी उसी ढाँचे में ढल जाना कठिन प्रतीत न हो, आज विधवा के ससुराल और मैके वाले सभी सपलीक व्यक्ति, फिर वे चाहे अघेड़ या वयोवृद्ध ही क्यों न हो चले हों, कामुक जीवन व्यतीत करते हैं, विलासिता पूर्ण वेशविन्यास बनाते, हँसी-मजाक करते, गीत गाते और सिनेमा आदि देखते हैं । इसी तरह के उत्तेजक वातावरण में रहने पर किसी वयस्क विधवा के मन में सांसारिकता उत्पन्न न होना, वह पार्वती बनी बैठी रहेगी, ऐसा सोचना वास्तविकता की ओर से आँख बन्द कर लेना ही कहा जायगा ।

अनुचित प्रतिबन्ध अवांछनीय रास्ता ढूँढ़ता है और उससे दुःखदायक परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं । गुप-चुप होने वाले व्यभिचार की रोमांचकारी बढ़ोत्तरी होती है । विधवाओं को बहकाने, फुसलाने वाले दुराल्माओं की अपने समाज में कमी नहीं । निकटवर्ती सम्बन्धी तक इस पाप-पड्डू से हाथ धोने में नहीं चूकते फिर बाहर वालों का तो कहना ही क्या । गुप्त रूप से होने वाली भ्रूण हत्याओं से भारतीय समाज बुरी तरह अभिशापित है । घरों को छोड़कर भाग खड़ी होने वाली, ठोकर खाते-खाते अन्ततः वेश्या या विधर्मी बन जाने वाली विधवाओं की संख्या कम नहीं । इस सन्दर्भ में कुछ न कहना ही उत्तम है, यदि इस सँझाध भरी विभीषिका की अधिक चर्चा की जायगी और जो स्थिति है उसका नग्न स्वरूप दिखाया जायगा तो पाठकों का हृदय विदीर्ण होने लगेगा । अन्याययुक्त प्रतिबन्ध यही कर सकते हैं, यही कर भी रहे हैं ।

विधुरों पर प्रतिबन्ध नहीं । फलस्वरूप वे कुमारियों से विवाह कर लेते हैं । अधिक आयु के वर और अल्पायु की वधू वाले अनमेल विवाह, वृद्ध विवाह, कन्या विक्रय इसी प्रतिबन्ध की विकृतियाँ हैं । इससे विधवाओं की संख्या और अधिक बढ़ती है । बड़ी आयु के विधुर जल्दी मरेंगे भी और अपने पीछे, विधवाओं की संख्या छोड़ेंगे ही । इस कुचक्र में विधवा समस्या और अधिक उलझती चली जाती है । अनमेल विवाहों के दुहरे दुष्परिणाम होते हैं, इसलिए उनसे दूनी

विकृतियाँ, दूनी मुसीबतें बढ़ती हैं, फलस्वरूप समाज और भी अधिक गहरे गर्त में गिरता चला जाता है ।

सीधा और सही तरीका यह है कि संसार के सभी देशों और जातियों की तरह सवर्ण हिन्दुओं में भी विधवा विवाह का प्रचलन हो । विधुर विधवाओं से ही विवाह कर सकें । कुमारी से उनका विवाह न होने दिया जाय । इस प्रकार लाखों गृहस्थ जीवन विश्र्वलित होने से बच जायेंगे । विधवाओं के निर्वाह का भार उनके मैके या ससुराल वालों पर पड़ता है, उससे झल्लाते और तिरस्कार करते रहते हैं । सताते और उत्पीड़न देते हैं । यदि विधवा का विवाह प्रचलन हो जाय तो अन्य देश समाज वालों की तरह विधवा को भी अपना नया घर बनाने की सुविधा मिल जाय । बड़ी आयु के विधुर भी अपने अभाव की पूर्ति कर सकें । दोनों के पास बच्चे हों तो वे भी मारे-मारे फिरने की अपेक्षा, उस नये सुव्यवस्थित परिवार में रह कर अपनी शिक्षा, आजीविका, समुन्नति, देखभाल आदि की सुविधा पा सकें तथा अपना भविष्य उत्तम बना सकें । इसमें किसी की हानि कुछ नहीं, लाभ सब प्रकार है ।

पति या पत्नी के मरने के बाद उसकी स्मृति में फिर विवाह न करना एक बहुत ऊँचा आदर्श है । वैसा ही घर-गृहस्थ को छोड़कर तप करने या संन्यास धारण करके वैरागी जीवन बिताना । जो इसे निवाह सकते हों प्रसन्नतापूर्वक निवाहें । पर जो औसत दर्जे के, सामान्य स्तर के नर-नारी हैं और विवाहित जीवन से लाभ समझते हैं, उन्हें यह नहीं सोचना चाहिए कि वे पुनर्विवाह करके कोई अधर्म, पाप या शास्त्र मर्यादा के विरुद्ध कोई काम कर रहे हैं । पतिव्रत और पत्नीव्रत जन्मजन्मान्तरों तक निभाया जा सके तो आदर्श है । पर यह वह साथी के जीवित रहने तक भी पूर्ण श्रद्धा और सच्चाई के साथ निभ सके तो भी उसे भूरि-भूरि प्रशंसा के योग्य ही माना जायगा । दूसरा विवाह दूसरा जोड़ा बनाना पड़े तो उनके बीच भी पतिव्रत एवं पत्नीव्रत उतनी ही उत्तमता एवं आदर्शवादिता के साथ निवाहा जा सकता है जैसा कि पूर्व साथी के साथ उसे निवाहा गया था ऐसी नर-नारियों के पतिव्रत धर्म एवं पत्नीव्रत धर्म में रती भर आँच नहीं आती ।

सवर्ण हिन्दुओं में लाखों की संख्या में विधवाएँ हैं, उनमें से आधी तो ऐसी हैं जिनको बालविवाह के राक्षस ने अबोध

अवस्था में ही विधवा बना दिया । इतनी बड़ी संख्या में असन्तुष्ट, दुःखी, उर्पीडित, मन मसोस कर रहने वाली अथवा अनैतिक प्रपंच में फँसी हुई महिलाएँ किसी समाज के लिये समुचित अभिशाप हैं । उनकी आहों से ऐसे समाज जलते और डूबते ही हैं । हिन्दू समाज को इन दिनों ऐसा बहुत कुछ ईश्वरीय दण्ड सहन करना पड़ रहा है । अच्छा हो हम अनीतिमूलक परम्पराओं को त्यागें और हर नर-नारी को उसके मानवोचित अधिकारों का उपभोग करने दें । विधवा या विधुर विवाह ऐसे ही प्रश्न हैं जिन पर समाज का कोई अनुचित प्रतिबन्ध नहीं होना चाहिए । इसे व्यक्तिगत स्वतन्त्रता एवं आवश्यकता का विषय मानकर उन्हीं लोगों की मर्जी पर छोड़ दिया जाना चाहिए जिनसे कि इसका सीधा सम्बन्ध है । दूसरे लोग धर्म की परम्परा की निरर्थक बातें उठाकर इस संदर्भ में अडंगा उपस्थित न करें यही उचित है ।

कानूनी प्रतिबन्ध तो इसमें कुछ है नहीं । भारतीय संविधान तथा न्याय कानून से इस प्रकार की पूरी-पूरी छूट है कि कोई विधवा अपनी इच्छानुसार पुनर्विवाह कर सके । ऐसे विवाहों को वही मान्यता एवं आदर प्राप्त है जो कुमार और कुमारी के विवाह को होता है ।

वेदों में विधवा विवाह—हमने इस सम्बन्ध में वेद, स्मृतियों, पुराणों के प्रमाणों को देखा है उनसे यही स्पष्ट प्रतीत होता है कि पुराने समय में विधवा विवाह की कोई ऐसी खास समस्या लोगों के सामने नहीं थी और जिन स्त्रियों के पति असमय में मृत्यु को प्राप्त हो जाते थे, यदि उनकी अवस्था और स्थिति गृहस्थ-जीवन व्यतीत करने की होती थी तो वे स्वाभाविक रूप में वैसा कर सकती थीं । वेदों में इस प्रकार नियम के प्रचलित होने के उदाहरण मिलते हैं जिनमें से कुछ नीचे दिये जाते हैं—

**इयं नारी पतिलोकं वृणाना नि पथत उप त्वा मर्त्यं प्रेतस्म ।
धर्मं पुराणमनुपालयन्ती तस्यै प्रजां ब्रविजं चेह भेहि ।।**

(अथर्व १८-३-१)

अर्थात्—“हे मनुष्य, यह जो मरे हुए पति की स्त्री तेरी भार्या है, वह पतिगृह की कामना से मरे पति के उपरान्त तुझको प्राप्त होती है । इस प्रकार वह प्राचीन सनतान धर्म का पालन कर रही है । उसके लिये तू इस लोक में स्थान देकर सन्तान और धन को प्राप्त कर ।”

**उदीर्ष्य नार्यभि जीवतोकं गतासुमेतमुप शेष एहि ।
इस्तग्राभस्य दिविधोस्तवेवं पत्युर्नित्यमभि सं बभूव ।।**
(ऋग्वेद १०-१८-८)

अर्थात्—“हे नारी ! तू इस मृत पति के पास पड़ी है । अब यहाँ से उठ और जीवित पुरुषों का विचार करके इस पाणिग्रहण करके पुनर्विवाह करने वाले पुरुष को जाया-भाव से (पत्नी के समान) प्राप्त हो ।

**अपोरचक्षुरपतिन्वेषि शिवा पशुभ्यः सुमनाः सुवर्चाः ।
वीरसूर्देवकाम्य स्योना शं नो भव दिपदे शं क्षुत्पदे ।।**
(ऋग्वेद १०-८५-४४)

अर्थात्—“अच्छे नेत्रों वाली, पति की अविरोधी, मंगलकारिणी पशुओं के लिये, प्रसन्नचित, शुभ गुणयुक्त, वीर पुत्रों को उत्पन्न करने वाली यह स्त्री दूसरे पति की कामना करती हुई हमारे मनुष्य तथा पशुओं के लिये कल्याणकारी हो ।”

इन वेद मन्त्रों से यह प्रकट होता है कि प्राचीन काल में स्त्रियों को बड़े सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था । वे ही पशुओं की अच्छी तरह देखभाल करके घर वालों के भोजन आदि की व्यवस्था करती थीं और वे ही सन्तानोत्पादन द्वारा जाति की रक्षा के लिये वीर पुत्रों को जन्म देती थीं । इसलिए जो स्त्रियाँ कम आयु में किसी कारणवश पतिहीन हो जाती थीं वे सामान्यतया अन्य पुरुष के साथ गृहस्थ जीवन बिताने लग जाती थीं । उस समय यह कार्य स्वाभाविक रूप से बिना किसी हलचल या विचार-विमर्श के स्वतः ही सम्पन्न हो जाता था । इसके लिये न प्रमाणों की आवश्यकता होती थी, न शास्त्रार्थ की कठिन यात्रा, अभियानों और जंगली जातियों के साथ संघर्ष करके आर्य संस्कृति का संसार के दूर-दूर देशों में प्रसार करने वाले उन पुरुषार्थी और साहसी लोगों के लिए यह एक आवश्यकीय कार्यप्रणाली थी ।

स्मृतियों में पुनर्विवाह का विधान—पर जब समाज का अधिक विस्तार हो गया, बड़े-बड़े नगर और ग्राम बस गये, लोग तरह-तरह के व्यवसाय करके जमीन, जायदाद, धन, सम्पत्ति एकत्रित करने लगे तब यह स्थिति बदल गई । तब विवाह समस्या पर मुख्यतः उत्तराधिकार की दृष्टि से विचार किया जाने लगा—कि किसी व्यक्ति के उपरान्त उसकी सम्पत्ति का उत्तराधिकारी कौन बनेगा ? इसके लिये स्मृतियों में जिन

५.२४ विवाहोन्माद : समस्या और समाधान

पुत्रों तथा अन्य उत्तराधिकारियों का वर्णन किया है उनमें एक 'पौनर्भव' (पुनर्विवाह की हुई स्त्री से उत्पन्न) भी माना गया है। इसका वर्णन करते हुए 'मनुस्मृति' में कहा गया है—

या पत्या वा परित्यक्ता विधवा वा स्वेच्छया ।
उत्पादयेत् पुनर्भूत्वा स पौनर्भव उच्यते ॥

(मनु० ६-१७५)

इसका अर्थ मनुस्मृति के प्रमुख प्राचीन टीकाकार कुल्लूक भट्ट ने इस प्रकार किया है—“जो स्त्री भर्ता से त्यागी हुई हो या जो विधवा हो गई हो, वह अपनी इच्छा से फिर भार्या बनकर (पुनर्विवाह करके) जिस पुत्र को उत्पन्न करती है वह उस व्यक्ति का पौनर्भव पुत्र ही कहलाता है ।”

यह 'पुनर्भू' का विषय केवल 'मनुस्मृति' में ही नहीं वरन् अधिकांश स्मृतियों में पाया जाता है और उससे यही प्रकट होता है कि उस समय अन्य विवाहों की तरह विधवाओं के पुनर्विवाह भी आमतौर से होते थे और उसके लिये सामाजिक तथा राजकीय दृष्टि से आवश्यकता समझकर नियम बनाये गये थे। 'याज्ञवल्क्य स्मृति' जो हिन्दू-जाति के दायें भाग का निर्णय करने में विशेष रूप से प्रामाणिक मानी जाती है, इस सम्बन्ध में कहती है—

अक्षता वा क्षता चैव पुनर्भूः संस्कृता पुनः ।
स्वैरिणी या पतिं हित्वा सवर्ण कामतः श्रयेत् ॥

अर्थात्—“अक्षतयोनि या क्षतयोनि जिसका पुनः विवाह संस्कार होता है 'पुनर्भू' होती है और जो कामवश पति को त्यागकर दूसरे सवर्ण का आश्रय लेती है, वह स्वैरिणी कही जाती है ।”

'नारद स्मृति' में तो इस विषय को बड़े स्पष्ट और विस्तृत रूप से लिखा गया है। उसमें कई प्रकार के पुनर्विवाहों का वर्णन करते हुए बारहवें अध्याय में कहा है—

कन्यैवाक्षतयोनिया पाणिग्रहणदुषिता ।
पुनर्भूः प्रथमा प्रोक्ता पुनः संस्कार कर्मणा ॥४६॥
देशधर्मानुवेक्ष्य स्त्री गुरुभार्या प्रदीयते ।
उत्पन्नसाहसान्यस्मैसा द्वितीया प्रकीर्तिता ॥४७॥
असत्सु देवेषु स्त्री बान्धवैर्याःया प्रदीयते ।
सवर्णायसापिण्डाय सा तृतीया प्रकीर्तिता ॥४८॥

अर्थात्—“जो कन्या अक्षतयोनि हो और पाणिग्रहण संस्कार के बाद ही विधवा हो गई हो तो पुनः संस्कार कर्म होने से वह 'पहली-पुनर्भू' कही जाती है। जिस कन्या को

व्यभिचार आदि का दोष लग गया हो, उसका देश काल का विचार करके माता-पिता अन्य के साथ विवाह कर देते हैं तो वह 'दूसरी-पुनर्भू' होती है। अपना देवर न रहने पर जिस स्त्री को कुटुम्बीजन किसी सवर्ण व्यक्ति के साथ विवाहित कर देते हैं वह 'तीसरी-पुनर्भू' होती है।

वशिष्ठ जी भी बाल-विधवा के विवाह का समर्थन करते हैं। वे पति के संग न रहने वाली विवाहिता को कन्या के ही समान बतलाते हैं—

अग्निर्वाचा च दन्तावां श्रियेताऽऽदी बरो वीदि ।
न च मन्त्रोपनीता स्यात्कुमारी पितुरेव सा ॥
बताञ्चेत्प्रस्ता कन्या मन्त्रैर्यदि न संस्कृता ।
अन्वस्ये विधिवदेया यथा कन्या तथैव सा ॥

(वशिष्ठ स्मृति अ० १७)

अर्थात्—“यदि जल लेकर संकल्प की गई हो या वचन से दान की गई हो (अर्थात् 'वाग्दत्ता' हो, पर मन्त्र से संस्कार न हुआ हो) तो वह कुमारी पिता की ही है। यदि वर मर जाय तो उसका विधिवत् दूसरे के साथ विवाह कर देना चाहिए। जैसी कन्या होती है वैसी ही वह भी है ।”

कात्यायन स्मृति में लिखा है—

वरयित्वातु यः कश्चित्प्रणाशयेत्पुरुषो यदा ।
रक्तांगमांस्त्रीमतीत्य कन्यङ्गये वरयेद्वरम् ॥

अर्थात्—“यदि कोई व्यक्ति कन्या का वरण करके लापता हो जाय तो कुछ समय पश्चात् कन्या दूसरे वर से विवाह कर ले ।”

'नारद स्मृति' का कथन भी लगभग ऐसा ही है—

प्रतिगृह्य च यः कन्यां नरो देशान्तरं ब्रजेत् ।
त्रिनृतून समतिक्रम्य कन्यान्यं वरयेद् वरम् ॥

अर्थात्—“यदि कन्या का वरण करके वर विदेश चला जाय तो कन्या बहुत दिन व्यतीत हो जाने पर दूसरे वर को वरण कर ले ।”

अनेक पण्डित नामधारी सामान्य विधवाओं के विवाह की तो क्या बात केवल वाग्दान (सगाई) हो जाने के पश्चात् भी कन्या का दूसरे वर के साथ विवाह करना धर्म विरुद्ध बतलाकर 'पुनर्विवाह' के नियम की जड़ ही काट डालने की चेष्टा करते हैं। उनके लिये ये अनेक स्मृति वचन ध्यान देने योग्य हैं। इनमें जो 'वरण' करने का जिज्ञासा आया है, उसका आशय केवल वाग्दान वाली कन्याओं से ही नहीं है वरन् पूर्णरूप

से विवाहित कन्याओं से भी है। इस बात का स्पष्टीकरण सनातन धर्म के प्रसिद्ध माननीय ग्रन्थ निर्णयसिन्धु के इस उद्धरण से हो जाता है—

“यत्तु नारदः उद्वाहिताऽपि सा कन्या नोचेत् सम्प्राप्त मैथुना ।
पुनः संस्कार मर्हेत यथा कन्या तथैव सा इति ।
यत्तः कात्यायनः वरो ययन्य जातीयः पतितः बन्नीव एव वा ।
विकर्मस्यः सगोत्रोवावासो दीर्घामयोऽपिवा ।
ऊद्गाऽपिदेया सान्यस्मै सहाभरण भूषिताः ।”

अर्थात्—“नारद ने कहा है कि यदि ब्याही कन्या भी पति से सम्भोग न किये हो तो फिर वैसे ही विवाह का संस्कार पा सकती है जैसे कुमारी कन्या। कात्यायन ने कहा है कि यदि (धोखे से) पति अन्य जाति का निकल आवे, नीच कर्म करने वाला हो, पतित हो, दास हो, बहुत दिन का रोगी हो, जातिच्युत हो, नपुंसक हो तो उस ब्याही कन्या को भी वंख और आभूषण के साथ दूसरे से विवाह कर देना चाहिए।”

विधवा विवाह के सम्बन्ध में सबसे स्पष्ट निर्णय ‘पाराशर स्मृति’ का है। इस स्मृति को कलियुग के लिये विशेष रूप से व्यवहार्य बतलाया गया है और शास्त्रीय व्यवस्था की आवश्यकता पड़ने पर पण्डित लोग प्रायः उसका प्रमाण दिया करते हैं। इस स्मृति का आरम्भ भी इसी प्रकार हुआ है कि अनेक मुनि-ऋषि मिलकर व्यास देव के पास गये और उनसे कलियुग के धर्मों के विषय में पूछा। व्यास जी ने कहा—कि मैं इस विषय को भली प्रकार नहीं जानता, इसके लिये हमको पिताजी (महर्षि पाराशर) के पास चलकर जिज्ञासा करनी चाहिए जो त्रिकालदर्शी हैं। इस पर सब मिलकर बदरिकाश्रम में निवास करने वाले श्री पाराशर जी के आश्रम में पहुँचे और उनसे कलियुग के धर्मों के वर्णन करने की प्रार्थना की। यही पाराशर-स्मृति की भूमिका है, जिससे प्रतीत होता है कि उसके रचयिता को अन्य युगों की अपेक्षा कलियुग की परिवर्तित प्रवृत्तियों का विशेष रूप से ध्यान था उन्होंने इस तथ्य को स्वयं प्रकट भी कर दिया है—

कृते तु मानवो धर्माच्छेतायां गौतमः स्मृतः ।

द्वापरे शाङ्खलिखितः कलौ पाराशरः स्मृतः । ।

अर्थात्—“सतयुग में ‘मनुस्मृति’ के नियमों के अनुसार व्यवहार किया जाता था, त्रेता में गौतम स्मृति माननीय थी, द्वापर में शंख और लिखित का धर्मशास्त्र काम में लाया जाता था और कलियुग के लिये पाराशर की स्मृति आचरणीय है।”

पाराशर ने कलियुग की विशेष परिस्थिति पर विचार करते हुए यह निष्कर्ष निकाला है कि इस समय मनुष्य धर्म के सूक्ष्म रूप को भूलकर स्थूलवादी बन जायेंगे और अपने प्रत्यक्ष लोभ को देखकर ही कार्य करने लगेंगे। विवाह के सम्बन्ध में भी उनका दृष्टिकोण प्रमुख रूप से शारीरिक सम्बन्ध तक सीमित हो जायगा और पारलौकिक जीवन का महत्व वे भूल जायेंगे। इसलिये उन्होंने पतिहीन स्त्रियों के पतित होने के खतरे को अनिवार्य रूप में देखा और स्पष्ट शब्दों में यह आदेश दिया—

नष्टे मृते प्रव्रजिते बन्नीवे च पतिते पत्नी ।

पञ्चस्वापत्सु नारीणां पतिरन्यो विचते । ।

अर्थात्—‘पति के खो जाने, मरने, सन्यासी बन जाने, नपुंसक या पतित हो जाने की पाँच आपत्तियों में स्त्रियों को दूसरा पति कर सकने का अधिकार है।’

बौधायन धर्मशास्त्र भी एक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है, जिसमें धार्मिक प्रश्नों का समाधान विस्तारपूर्वक और प्रामाणिक ढंग से किया गया है। उसके रचयिता ने वर्तमान समय में होने वाले स्त्री सम्बन्धी अपराधों को ध्यान में रखते हुए ‘चतुर्थ प्रश्न’ में यह नियम बतलाया है—

बलाच्चेत्प्रग्रहता कन्या मन्त्रैर्यदि न संस्कृता ।

अन्यस्मै विधिवद्देया यथा कन्या तथैव सा । । १५ । ।

निसृष्टायां हुते वापि यस्ये भर्ता श्रियेत सः ।

सा चेदक्षतयोनि स्याद् गतप्रत्यागता सती ।

पौनर्बिन विधिना पुनः संस्कारमर्हति । । १६ । ।

अर्थात्—यदि किसी कन्या को जबरदस्ती ले जाया गया हो और यदि मन्त्रों से उसका संस्कार न हुआ हो तो उसका विवाह विधिपूर्वक किसी दूसरे के साथ कर देना चाहिए, क्योंकि उसमें और कन्या में किसी तरह का भेद नहीं होता। । १५ । । और उसका विवाह संस्कार हो गया हो, पर उसका पति मर जाये और तब तक वह अक्षतयोनि हो अथवा पति-गृह आई-गई भी हो, तो भी उसका पुनर्विवाह की विधि से संस्कार किया जाना चाहिए। । १६ । ।

स्मृतिशास्त्रों ने केवल पति के मरने से विधवा होने वाली स्त्रियों का ही उल्लेख नहीं किया है वरन् जो व्यक्ति स्वेच्छा से या किसी प्रकार आपत्तिग्रस्त होकर परदेश जाकर लापता हो जाय तो कुछ वर्ष तक उसकी प्रतीक्षा करने के पश्चात् स्त्री को दूसरा विवाह करने का अधिकार माना गया है। इस

५.२६ विवाहोन्माद : समयस्या और समाधान

विषय में कई स्मृतियों में विवाह करने के समय का निर्धारण किया गया है । 'नारद स्मृति' का मत इस प्रकार है—

अष्टौ वर्षाण्युदीक्षेत ब्राह्मणं प्रोषितं पतिम् ।
अप्रसूता तु चत्वारि परतोऽन्यं समाभेयत् ॥
क्षत्रिया षट् समास्तिष्ठेदप्रसूता समात्रयम् ।
वैश्या प्रसूता चत्वारि द्वे समे अप्रजावसेत् ॥
न शूद्राया स्मृतः कालोनय प्रोषित योषिताम् ।
जीवितः श्रूयमाने तु स्वदेशे द्विगुणो विधिः ॥
प्रजाप्रक्षौ तु भूतानां दृष्टिरेषा प्रजायतेः ।
अतोऽन्यगममे स्त्रीणामेवं दोषो न विद्यते ॥

अर्थात्—“जिस ब्राह्मण वर्ण की स्त्री का पति विदेश जाकर लापता हो जाय तो वह आठ वर्ष तक पति के लौटने का रास्ता देखे । इसके पश्चात् अन्य पति का आश्रय ले सकती है । सन्तान वाली क्षत्रिय वर्ण की स्त्री छह वर्ष तक का रास्ता देखे और जिसकी सन्तान उत्पन्न न हुई तो वह तीन वर्ष तक प्रतीक्षा करे । वैश्य वर्ण की प्रसूता स्त्री—चार वर्ष तक और अप्रसूता दो वर्ष तक ठहरे । शूद्र स्त्रियों के लिये समय का कोई प्रतिबन्ध नहीं है । यह नियम विदेश चले जाने वाले पतियों की स्त्रियों के लिए है । यदि पति का जीवित रहने का समाचार मिल जाय तो इससे दूना समय तक ठहरकर पति के लौटने की प्रतीक्षा करनी चाहिए, अर्थात् ब्राह्मणी को १६ वर्ष और ८ वर्ष, क्षत्रिय को १२ वर्ष और ६ वर्ष, वैश्य स्त्री को ८ वर्ष और ४ वर्ष तक राह देखनी चाहिए ।”

इतना ही नहीं यदि कोई अयोग्य कुलशील व्यक्ति का किसी प्रकार का छल, कपट करके, कोई जाल रचकर किसी कन्या से विधि-पूर्वक विवाह कर ले तो भी उसका पता लगने पर उस विवाह को अमान्य किया जा सकता है और उस कन्या का विवाह दूसरी बार किया जा सकता है । इस विषय में 'शातातप स्मृति' का कथन है—

वरश्चेत्कुल शीलाभ्यां न युज्येत कथं चन ।
न मन्त्रः कारणं तत्र न च कन्यानृतं भवेत् ॥
समाकृष्य तु तां कन्यां बलादक्षतयो निकाम् ।
पुनर्गुणवते दशादिति शातातपोऽब्रवीत् ॥

अर्थात्—“यदि वर कुल और शील में योग्य न हो तो मन्त्रों द्वारा पाणिग्रहण हो जाने पर भी विवाह वैध नहीं माना जायगा और न उससे कन्या को कोई दोष लगता है । ऐसी अवस्था में यदि कन्या अक्षतयोनि हो तो उसे जबर्दस्ती छीनकर

उसका दुबारा विवाह कर देना चाहिए, यह शातातप ऋषि का मत है ।”

पुराणों में विधवा विवाह का उदाहरण—वेद और स्मृतियों के पश्चात् धार्मिक जनता में पुराणों का सम्मान किया जाता है । यद्यपि पुराण धार्मिक कथाओं और उपाख्यानो के संग्रह रूप में ही हैं, तो भी अनेक व्यक्ति उनमें स्थान-स्थान पर निहित सिद्धान्तों तथा नियमों को भी अकाट्य मानते हैं । इतना ही नहीं जो सज्जन अपने को 'पौराणिक' कहते हैं वे तो यह दावा करते हैं कि वेद और स्मृति यद्यपि उच्च स्थान रखते हैं, पर उनका युग अब व्यतीत हो गया है और यह पौराणिक युग है । यद्यपि पुराणों में नियमबद्ध रूप से इस सम्बन्ध में कोई विधान नहीं पाया जाता, पर अनेक उपाख्यानों से यह प्रकट होता है कि उस समय विवाह के सम्बन्ध में स्त्रियाँ आजकल की तरह पूर्णतया पराधीन नहीं थीं और विधवा होने पर परिस्थिति के अनुसार विवाह भी कर सकती थीं । इस सम्बन्ध में 'पद्म-पुराण' भूमि खण्ड अध्याय ८५, दिव्यादेवी का उपाख्यान इस विषय पर स्पष्ट रूप से प्रकाश डालता है जो इस प्रकार है—

प्लक्षद्वीपे महाराज आसीत्पुण्यमतिः सदा ।
दिवोदासस्तु धर्मात्मा तत्सुतासीदनुपमा ॥ ५० ॥
तस्यापत्यं समुत्पन्नं नारीणामु तमं तदा ।
गुणरूपसमायुक्ता सुशीलाचारुमंगला ॥
दिव्यादेवीति विख्याता रूपेण प्रतिमा भुवि ॥ ५१ ॥
पित्रादिनां किं तासां तु रूपतास्यमंगला ।
प्रथमेवपसिताचावर्तते चारुमंगला ॥ ५२ ॥
सतां दृष्ट्वा दिवोदासो दिव्यादेवीं सुतातदा ।
कस्मै प्रदीपते कन्यामुबरायमहात्मने ॥ ५३ ॥
इति विन्तापरो भूत्वा समालोक्य नृरोत्तमः ॥
रूपदेशस्य राजानं समालोक्य महीपति ॥ ५४ ॥
चित्रसेनं महात्मानं समाहूय नरोत्तमः ।
कन्याददौ महात्माऽसौ चित्रसेनायधीमते ॥ ५५ ॥
तस्या विवाहकाले तु संप्राप्ते समये नृप ।
मृतोऽसौ चित्रसेनस्तु कालधर्मणैवैकिल ॥ ५६ ॥
दिवोदासस्तु धर्मात्मा चिन्तयामास भूपतिः ।
सुब्राह्मणान्समाहूय प्रच्छन्पुनन्दनः ॥ ५७ ॥
अस्याविवाहकाले तु चित्रसेनो दिव्यगतः ।
अस्यास्तु कीदृशं कर्म भविष्यति वदंतु मे ॥ ५८ ॥

॥ ब्राह्मणाःऊचुः ॥

विवाहोद्दृश्यते राजनूकन्यायास्तुविधानतः ।
 पतिर्भृत्युंप्रयातस्यानोचेत्सर्गं करोति च ॥५६॥
 महाविध्याधिनाग्रस्यांगकृत्वाप्रचायिताय
 प्रव्राजितो भवेदारानुभर्मशास्त्रेषु हृदयते ॥६०॥
 अनुव्राहितायाः कन्याया उद्वाह क्रियते बुधैः ।
 न स्यान्न स्वला यावदन्वेषति विधीयते ।
 विवाहं तु विधानेन पिता कुर्यान्न संशयः ॥६१॥
 एवं राजा समादिष्ट धर्म शास्त्रं बुधैर्जने ।
 विवाहः क्रियतामस्या इत्युच्यते द्विजोन्तमः ॥६२॥
 दिवोदास स्तु धर्मात्मा द्विजवाक्यप्रणोदित ।
 विवाहार्थं महाराजा उद्यमं कृतवानृषः ॥६३॥
 पुनर्दत्ता तुदानेन दिव्या द्विजोत्तमाः ।
 रूपसेनायपुण्याय तस्मै राज्ञे महात्मने ।
 मृत्युधर्मं गतो राजा विवाहे तु महीपति ॥६४॥
 यदा यदा महाभाग दिव्या देव्या भूपितः ।
 भर्ता च म्रियते काले प्राप्ते लघ्नस्य सर्वदा ॥६५॥
 एकविंशति भर्तारः काले काले मृतापितः ।
 ततो राजा महादुःखी संजातलघ्नात विक्रमः ॥६६॥
 समालोच्य समाहूय समासं च सप्तत्रिभिः ।
 स्वयं वरे महा बुद्धिचकार पृथिवीपतिः ॥६७॥
 पक्ष्मद्वीपस्य राजनः समाहूता महात्मना ।
 स्वयं वरार्थमाहूतास्तथा ते धर्मतत्परा ॥६८॥

(पद्म पुराण, भूमि खंड अध्याय ८५)

अर्थात्—“लक्ष द्वीप में सदा पुण्यमति, सत्यधर्म में परायण प्रसिद्ध महाराज दिवोदास रहता था । उसके उसी समय स्त्रियों में उत्तम गुण और रूपयुक्त, सुशील, चारु, मंगल, संसार में विख्यात रूपवाली ‘दिव्यादेवी’ नाम की कन्या ने जन्म लिया । जब पिता ने देखा कि यह पूर्ण युवती, रूप और लावण्य से युक्त और सुन्दर हो गई है, तब वह यह सोचकर कि यह कन्या किसे विवाही जाय, चिन्ता करने लगा । उसने रूपदेश के राजा चित्रसेन को उपयुक्त देखकर उसी के साथ दिव्यादेवी का विवाह कर दिया । उसके विवाह यज्ञ के समय ही काल-धर्म से राजा चित्रसेन की मृत्यु हो गई । तब धर्मात्मा दिवोदास ने ब्राह्मणों को बुलाकर पूछा—“इसके विवाह के समय ही चित्रसेन का देहान्त हो गया, अब आप बतायें कि मुझे क्या करना चाहिए ।”

ब्राह्मणों ने उत्तर दिया—“कन्या का विवाह तो विधि के अनुकूल हो सकता है, यदि उनका पति मर जाय और पति

के साथ उसका संग न हुआ हो या पति को महारोग लग जाय, ऐसा धर्मशास्त्र में लिखा है । विवाहिता कन्या का बुद्धिमान लोग फिर दूसरे के साथ विवाह कर देते हैं ।

यह उपाख्यान बहुत बड़ा है, पर ऊपर दिये गये वर्णन से यह सिद्ध होता है कि पद्मपुराण के रचयिता की दृष्टि से अक्षतयोनि विधवाओं का विवाह सर्वथा धर्मानुकूल था । उस अवसर पर ब्राह्मणों ने महाराज को वही व्यवस्था दी जो ‘पाराशर’ आदि स्मृतियों में पाई जाती है कि यदि विवाह हो जाने पर भी कन्या का पति किसी प्रकार शीघ्र ही मर जाय या किसी अन्य प्रकार से उससे वियुक्त हो जाय तो उसका पुनर्विवाह कर देना चाहिए ।

महाभारत में स्वयं अर्जुन द्वारा एक विवाह किये जाने का वर्णन है—

अर्जुनस्य सुतः श्रीमानिरावाणामधीर्यवान् ।

स्तुषायां नागराजस्य ज्ञातपार्श्वेन भीमता ॥७॥

ऐरावतेन सादत्ता अनपत्ययामहात्मना ।

पत्यो हते सुपर्णेन कृपणादीनचेतना ॥८॥

अर्थात्—“नागराज की कन्या से अर्जुन का एक बलवान् पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम इरावान था । उसका विवाह ऐरावत के साथ हुआ था, पर जब उसे सुकर्ण ने मार डाला तो नागराज ने उसका पुनः विवाह अर्जुन के साथ कर दिया ।”

इस प्रकार की कथाएँ प्राचीन ग्रन्थों में अनेक स्थानों पर पाई जाती हैं । महाभारत में स्पष्ट रूप से नियोग का भी विधान है । उसके कथनों के आधार पर तो समस्त पांडव नियोग द्वारा ही उत्पन्न हुए थे और सम्भवतः इसी कारण कौरवों ने उनको राज्य दिये जाने का इतना अधिक विरोध किया था और भीष्म पितामह भी उनका प्रकट रूप में समर्थन नहीं कर सके थे ।

विधवा की वर्तमान दुर्दशा और उनकी समस्या—उपर्युक्त शास्त्रीय विवेचन के साथ हमको अपने देश के ऋषि महर्षियों के इस सिद्धान्त का भी ध्यान रखना चाहिये कि सामाजिक और व्यक्तिगत आचार-विचार की प्रथाओं में समयानुसार परिवर्तन अथवा सुधार किया जाना अनुचित नहीं । यदि मध्यकाल में किन्हीं कारणों से विधवा-विवाह हीनता की दृष्टि से देखा जाने लगा, तो यह इस बात का प्रमाण नहीं कि देश

५.२८ विवाहोन्माद : समस्या और समाधान

और समाज की स्थिति में घोर परिवर्तन हो जाने पर भी हम उसी एक प्रथा को ज्यों का त्यों मानते रहें। उस काल में अपने यहाँ संयुक्त परिवार की प्रथा बहुत व्यापक रूप में प्रचलित थी। एक-एक ग्रामीण परिवार में पचास-पचास और सौ-सौ व्यक्ति तक एक चूल्हे पर रोटी खाते थे और सब एक कृषि कार्य में ही संलग्न रहते थे। उस समय इतने बड़े परिवारों में सधवा-विधवा सभी तरह की स्त्रियाँ रहती थीं और सम्मिलित परिवार की सदस्या होने के कारण वे भी भरण-पोषण की अधिकारिणी मानी जाती थीं। पर वर्तमान समय में समाज का आर्थिक संगठन इतना बदलता जाता है कि अधिकांश नवयुवक राजी से या नौकरी आदि की परिस्थितियों के कारण अन्य सम्बन्धियों से पृथक होकर अपनी गृहस्थी अलग ही बसा लेते हैं। शीघ्र ही उन पर दो-चार बच्चों के पालन-पोषण और शिक्षा दिलाने आदि का बहुत बड़ा भार आ जाता था। ऐसी परिस्थिति में उनसे यह आशा करना कि वे अपनी किसी विधवा बहिन या चाची, ताई का जन्म भर भरण-पोषण करते रहेंगे निरर्थक ही है। जो लोग अपने पालन कर्ता सगे माता-पिता की भी किसी प्रकार की सहायता नहीं दे पाते या देना नहीं चाहते उनसे पास या दूर के रिश्ते की विधवाओं की सहायता की क्या उम्मीद की जा सकती है।

इस प्रकार आजकल हिन्दू समाज के उच्च वर्णों में एक तरफ तो विधवा स्त्रियों को पुनर्विवाह से रोक दिया गया है। सदा किसी न किसी के आश्रित रहने का नियम बना दिया और दूसरी तरफ उनको सब प्रकार के आर्थिक अधिकारों अथवा स्वतंत्रतापूर्वक अपने व्यवस्था करने की सुविधा से भी वंचित कर दिया, इसका अर्थ इसके अतिरिक्त और क्या हो सकता है कि ऐसी स्त्रियाँ घोर कष्ट में जीवन बितायें, सम्बन्धियों द्वारा लांछित की जायें और असमय में ही इस दुनिया को छोड़ कर चल दें। ऐसी भाग्यशालिनी विधवाएँ सैकड़ों में से दो-एक ही होती हैं जिनका वैधव्य-काल सुख-शांति पूर्वक व्यतीत होता है अन्यथा घर वाले उनको भार स्वरूप ही समझते हैं और उनकी खुलेतौर पर निन्दा और भर्त्सना की जाती है। अगर विधवा युवती हुई तो प्रत्येक व्यक्ति उसके चरित्र को सन्देह की दृष्टि से देखता है और अनेक नीच प्रकृति के व्यक्ति तो धोखाधड़ी की बातों से उनको फुसलाकर और भ्रष्ट करके बाद

में मँझधार में छोड़ देते हैं। यदि ऐसी स्त्री का पति विवाह के बाद शीघ्र ही कम आयु में मर गया हो तो घर के सभी लोग-उसे अभागी या कुलच्छनी कहकर उसका मुँह देखना भी बुरा समझते हैं। ऐसी स्त्रियों की घरों में जो दुर्दशा होती है उसका वर्णन कर सकना भी कठिन है। उनको प्रायः घर की सब प्रकार की सेवा-टहल करनी पड़ती है और बदले में रूखा-सूखा बचा हुआ भोजन और उपेक्षापूर्ण व्यवहार सहन करना पड़ता है।

इस दुर्व्यवस्था का क्या परिणाम होता है यह किसी से छिपा नहीं है। इन्हीं में से कितनी ही स्त्रियाँ घर से बाहर निकल जाती हैं और वेश्यालयों में पहुँचकर घोर निकृष्ट जीवन व्यतीत करने की बाध्य होती हैं। कुछ विधवाओं के सम्बन्धी स्वयं उनको ले जाकर काशी, वृन्दावन आदि जैसे तीर्थ स्थानों में छोड़ आते हैं जहाँ या तो उनको भिक्षा माँगकर रहना पड़ता है या दुराचार का जीवन बिताना पड़ता है। उनमें से कुछ चौका-बर्तन की मजदूरी जैसा काम कर लेती हैं और कुछ किसी प्रकार प्राण देकर सांसारिक कष्टों से छुटकारा पा जाती हैं।

ऐसी अव्यवस्था किसी भी समाज के लिये कल्याणकारी नहीं समझी जा सकती। जिस देश या समाज में एक दो करोड़ स्त्रियाँ इस प्रकार का भार स्वरूप या निरर्थक जीवन व्यतीत करती हों, तो वह पतन की ओर अग्रसर होगा ही। यदि उनको किसी भी उपयोगी कार्य में लगाया जा सके तो उससे समाज की प्रगति और वृद्धि में सहयोग मिलना अवश्यम्भावी है। यह आजकल हिन्दू समाज ने विधवाओं के प्रति जैसी मनोवृत्ति अपना रखी है, उसमें उनका स्वतन्त्रतापूर्वक निर्वाह करना भी अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता। इस प्रकार लोगों ने अपनी विवेकहीनता से विधवाओं की समस्या को ऐसा जटिल बना दिया है जिससे उनको कष्टपूर्ण जीवन बिताना पड़ता है और समाज की भी हानि होती है। एक ऐसी प्रथा को जिसके कारण किसी का लाभ न हो और व्यक्ति तथा समष्टि सभी का अकल्याण होता हो 'धर्म' मान लेना किसी समझदार आदमी का कार्य नहीं हो सकता।

प्राचीन समय में विधवाओं की जो समस्या केवल युवती विधवाओं के सदाचार पालन की दृष्टि से विचारणीय मानी जाती थी वह आजकल आर्थिक संगठन के परिवर्तित हो जाने

से भरण-पोषण की निगाह से भी कठिन बन गई है। समाज के हितैषियों को इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिए। प्राचीन मनीषियों ने इसकी युक्ति-युक्तता पर विचार करके आवश्यक परिस्थितियों में उसका विधान कर दिया था और वर्तमान देश-काल में इसकी बुराइयों को हम स्वयं अपनी आँखों से देख रहे हैं। तब कोई कारण नहीं जान पड़ता कि इस विषय में हठधर्मी से काम लेकर समाज-सुधार के एक आवश्यक कार्य का विरोध किया जाय।

प्रचलन कैसे हो ?—आमतौर से लोग अपने घरों की विधवाओं के सम्बन्ध में यह घिसा-पिटा रिकार्ड दुहराते हैं कि—“लड़की कहती है कि ईश्वर की मर्जी भरे को विधवा रखने की है तो उसे कौन टालेगा ? दूसरा विवाह कर लूँ और वह भी मर जाय तो फिर क्या करूँगी ?” यह उत्तर घर वाले अपनी मर्जी चलाने पुनर्विवाह होने पर अपनी प्रतिष्ठा घटने के भय से गढ़ लेते हैं। बेचारी विधवा सबके सामने कुछ कह तो सकती नहीं और न अभिभावकों की इसी तोतारटंत, मनगढ़न्त का खण्डन ही कर सकती है। अतएव घर वाले लड़की का बहाना लेकर वस्तुतः स्वयं उसे रोकते रहते हैं।

यदि लड़की को जरा जोर देकर इस ढंग से समझाया जाय कि घर के लोग वस्तुतः उसके विवाह के पक्ष में हैं और उसमें कुछ भी अनुचित नहीं समझते तो यह निश्चित है कि ६६ प्रतिशत विधवाओं का उत्तर विवाह के पक्ष में ही होगा। कदाचित् ही कोई मना कर पावे। लड़की की इच्छा जानने में किसी को कोई कठिनाई नहीं हो सकती। समर्थन के पक्ष में अपने विचार व्यक्त करते चलिये प्रसन्नतापूर्वक वह सहमति का मत व्यक्त कर देगी। पूछने का ढंग औंधा हो तो बेचारी आखिर क्या कहे ? घर वालों की मर्जी जो है होगा तो वही, फिर वह अपनी बात क्यों गँवावे, तब उसे वैसा ही 'ना' का उत्तर देना पड़ेगा जैसा कि घर वाले वस्तुतः उसके मुँह से निकलवाना चाहते हैं। यदि उसकी मर्जी जाननी है तो वाक् छल से उन्हें भ्रमाया न जाय।

चूँकि पिछले दिनों सवर्ण हिन्दुओं में इस सम्बन्ध में कठोर प्रतिबन्ध रहा है। उसे तोड़ने और सहज स्थिति लाने के लिए आरम्भ में कुछ साहसपूर्ण कदम उठाने पड़ेंगे। जो विधुर दुबारा विवाह करने वाले हैं उन्हें विधवा विवाह का ही संकल्प करना चाहिए। दूँद-तलाश करने पर वे उपयुक्त सम्बन्ध

अवश्य प्राप्त कर लेंगे। पिछले दिनों इस सम्बन्ध में पुरुष जाति ने जो अनीति बरती है इनका प्रायश्चित्त करने के लिये कुछ आदर्शवादी कुमार युवकों को आगे आना चाहिए और विधवा से ही विवाह करके अपना आदर्श उपस्थित करना चाहिए।

पुनर्विवाह की उपयोगिता धर्म-प्रतिबन्ध भ्रान्ति का निवारण और मानवोचित अधिकारों की प्रतिष्ठापना सम्बन्धी विचारशीलता से जितने अधिक लोगों का मस्तिष्क प्रभावित किया जा सके-उतना ही भारतीय धर्म और संस्कृति की अधिक सेवा होगी। सामान्य स्थिति आ जाने पर फिर इस प्रकार के आन्दोलन की आवश्यकता न रहेगी। अभी प्रारम्भ में तो इस सम्बन्ध में बहुत बड़े प्रयत्न करने और साहसपूर्ण कदम उठाये जाने की आवश्यकता रहेगी।

बाल-विवाह का अभिशाप

हमें अपनी सन्तान के विवाह का शौक तो रहता है पर ज्ञान नहीं। विवाह की अन्य सारी परम्पराएँ और रस्में भी नितान्त आडम्बरपूर्ण होती हैं, पर सबसे खतरनाक यह है कि बालक-बालिकाओं के विवाह इतनी छोटी उम्र में हो जाते हैं जब उन्हें सांसारिक अवस्था गृहस्थ आदि का तो क्या स्वयं अपने आपका भी अच्छा ज्ञान नहीं होता। अधिकांश बालक-बालिकाओं के विवाह १४ वर्ष के भीतर हो जाते हैं। उस समय तक उनका बौद्धिक विकास हो पाता है, न शारीरिक परिपक्वता ही आ पाती है। ८ से ११ वर्ष तक की उम्र के लड़के-लड़कियों की शादी का अनुपात सर्वाधिक है। कुछ इलाकों में तो ५-५, ७-७ वर्ष और कहीं-कहीं तो १-२ वर्ष की उम्र में ही शादियाँ हो जाती हैं। ऐसे भी मूढ़ दम्पति मिलेंगे जो गर्भ में ही बालक-बालिका होने का पूर्व अनुमान लगाकर सम्बन्ध प्रकाश कर डालते हैं।

ब्रिटिश शासन के समय में ही कई भारतीय समाज-सुधारक इस बात के लिए प्रयत्नशील रहे कि विवाह की योग्य आयु सरकार द्वारा निर्धारित रहे। सन् १९२७ में श्री हरीसिंह गौड़ और इसके बाद रायसाहब हरबिलास शारदा ने ऐसे प्रस्ताव सरकार के सामने प्रस्तुत किये जिससे विवश होकर सरकार ने १९२८ में 'जोशी कमेटी' के नाम एक जाँच आयोग नियुक्त किया। एक अँग्रेज डाक्टर महिला को छोड़कर

इसके सभी सदस्य भारतीय थे। सभापति श्री मोरोपन्त जोशी, भूत-पूर्व स्वराष्ट्र मन्त्री सी० पी०, दो जज और चार वकील थे। इस प्रभावशाली समिति ने एक वर्ष तक सारे भारतवर्ष का दौरा किया, चार सौ गवाहों के बयान लिये, ८००० प्रश्न गवाहों से किये। इसके बाद जो रिपोर्ट प्रकाशित की गई वह भारत के वैयक्तिक जीवन के कुछ दर्दनाक पहलुओं पर प्रकाश डालती है। जोशी रिपोर्ट का पृष्ठ १२० बहुत ही मार्मिक है वह इस प्रकार है—

“बाल्यावस्था में मातृत्व एकविडम्बना है। इसके कारण सैकड़ों माताओं और बच्चों की हत्या होती है। अनेक बाल-विवाहिताओं का स्वास्थ्य जन्म भर के लिये बिगड़ जाता है, यह सारे राष्ट्र के स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाली बात है। हमें कानून द्वारा बन्द की गई सती प्रथा से बाल्यावस्था में विवाह का कुप्रभाव समाज के सारे ढाँचे पर दिखाई देता है। अगर स्त्री जीवित रहती है तो वह ३० वर्ष की आयु में ही पूर्ण वृद्धा-सी दिखाई देने लगती है। उसका सारा जीवन दुःखमय बन जाता है, इस कुप्रथा की बलि चढ़ जाता है। इस कुप्रथा का प्रभाव इतना चुपचाप होता है कि लोग समाज पर इसके दूषित प्रभावों के विषय में कल्पना तक नहीं कर पाते। अगर सती प्रथा को रोकने के लिए कानून बना था तो मनुष्यता और सामाजिक न्याय की दृष्टि से इस कुप्रथा को रोकने के लिए कानून और भी उचित है।”

कच्ची उम्र में कामसेवन के कारण कर्मिका प्रबल हो उठती है जिससे लड़के-लड़कियाँ अपना जीवनरस अनावश्यक मात्रा में नासमझों की तरह नष्ट करते हैं। फलस्वरूप थोड़े ही दिनों में उन्हें क्षय अथवा कोई हृदय रोग जैसी बीमारी हो जाती है और उनकी अकाल मृत्यु हो जाती है। रोगों की रोकथाम के लिए भारी अर्थ और अस्पताल व्यवस्था करनी पड़ती है, जिससे राष्ट्र का आर्थिक ढाँचा प्रभावित होता है और अप्रत्यक्ष रूप से यह दबाव देश के हर नागरिक पर आ पड़ता है।

बाल-विवाह से उत्पन्न भीषण स्थिति का वर्णन करते हुए लेडी हार्डिंग्स मेडिकल कालेज दिल्ली की प्रिन्सिपल डॉ० जे० जे० कैम्पवेल एम० डी० ने लिखा है—“मैंने १२ वर्ष की लगभग १००० हिन्दू बालिकाओं को प्रसव की अवस्था में देखा है। उनके दुष्परिणामों के विषय में जितना कहा जाय

कम है। अनेक को क्षय आदि रोग हो जाते हैं। हड्डियों के नर्म हो जाने के कारण मुझे २७ लड़कियों के पेट चीर कर बच्चे निकालने पड़े। पहले प्रसव के बाद ही लड़कियाँ १०-५ वर्ष अधिक आयु की मालूम पड़ने लगती हैं। इनके बच्चे छोटे और अस्वस्थ रहते हैं।”

वीनेन्स मेडिकल सर्विस की चीफ मेडिकल आफिसर डॉ० ए० सी० स्टाक ने लिखा है—“दिल्ली के अस्पताल में कई १२ वर्ष की लड़कियाँ देखीं, जिसके पति ३० के ऊपर थे। एक दस की बच्ची तो बिल्कुल पागल हो गई थी। कई लड़कियों के शारीरिक आघात बहुत बुरे थे। कोई ऐसी न थी जिसके अंग से खून न निकल रहा हो।” स्टाक की राय में हिन्दुओं में लड़कों की अपेक्षा लड़कियों के विवाह बहुत छोटी आयु में कर दिये जाते हैं। डॉ० दुबे हेल्थ आफिसर लखनऊ ने भी इसी तरह का मूल्यांकन किया है। उनका कथन है—“१० से १५ वर्ष तक की लड़कियाँ-लड़कों से दूनी संख्या में मरती हैं इसका कारण पर्दा और बाल-विवाह है। घरों में लड़कियों की दशा बहुत शोचनीय है। आठ-नौ वर्ष की आयु से ही उन्हें बाहर जाने की अनुमति नहीं मिलती। अज्ञान बाल्यावस्था में अति सम्भोग तथा सफाई आदि की कमी ही उनकी मृत्यु के कारण हैं।”

डॉ० एडिथ घोष कलकत्ता ने लिखा है—“एक २२ वर्ष की स्त्री को आठवीं बार गर्भवती होते देखा। इसके पहले एक २१ वर्ष की मद्रासिन के सातवाँ बच्चा होते देखा। उसने कहा मेरा मर जाना अच्छा है। मेरे हर साल बच्चा पैदा होता है। कुछ महीनों बाद वह दुर्बलता से मर ही गई। पूर्ण और परिपक्व उम्र में ब्याही स्त्रियाँ इतनी सक्षम हो जाती हैं कि उन्हें अधिक बच्चे हों तो भी वे पौष्टिक आहार द्वारा अपने स्वास्थ्य को संरक्षित रख सकती हैं, पर छोटी आयु की माताओं को पौष्टिक आहार भी लाभदायक नहीं होता, उनका स्वास्थ्य गिरता ही चला जाता है।”

मद्रास की सिस्टर सुब्बाराव से जब यह पूछा गया कि—“क्या आप कह सकती हैं कि हिन्दुओं में १५ वर्ष की आयु से पहले लड़की से सहवास किया जाता है?” तो उन्होंने उत्तर दिया—“६६ प्रतिशत लड़कियों का यही होता है। १४ से कम उम्र की भी लाखों लड़कियाँ पत्नी बनाकर सहवास के लिए विवश की जाती हैं। लड़कियों को १०-११ वर्ष की

आयु में ही शादी करके ससुराल भेज दिया जाता है। बेचारा लड़कपन तो जानती ही नहीं। सासों इनके साथ ऐसा व्यवहार करती हैं मानो वे पूरी आयु की स्त्रियाँ हों। उन्हें घर का काम करना पड़ता है, इससे उनके गर्भाशय में खराबी आ जाती है और दूसरी तकलीफ भी हो जाती है। मैंने एक ऐसी लड़की को देखा जिसके साथ ११ वर्ष की आयु में सहवास किया गया था। उसे प्रातःकाल ५ बजे से १० बजे रात तक घर का काम करना पड़ता था। वह चार बार अस्पताल में आई, पर उसका पति पूरा इलाज हुए बिना ही उसे वहाँ से निकाल ले जाता था।”

मद्रास लेजिस्लेटिव कौंसिल की डिप्टी प्रेसीडेन्ट डॉ० मुथुलक्ष्मी रेड्डी ने अपना अनुभव बताते हुए कहा—“अपनी सोलह वर्ष की प्रेक्टिस में मैंने १२ से १५ वर्ष तक की अनेक लड़कियों का प्रसव कराया है। मुझे उन अभागी माताओं पर बड़ा तरस आता है, जो बार-बार के प्रसव, गर्भपात आदि के कारण बीमार रहती हैं। इस करुणाजनक स्थिति से नारी को निकाला जाना बहुत आवश्यक है।”

‘एज ऐट मैरिज ऑफ वुमेन’ समिति के लिए तैयार किये गये अपने निबन्ध में कुमुदिनी डांडेकर ने लोमहर्षक उदाहरण प्रस्तुत किये हैं, जिनसे अल्पायु प्रजनन के वीभत्स परिणामों पर से पर्दा उठता है, उन्होंने एक ११ वर्षीय कन्या के प्रसव का दृश्यांकन करते हुए लिखा है जिस समय यह बालिका-वधू अस्पताल में भयंकर चीखें निकाल रही थी उस समय लगता था, कहीं दीवारें चरमरा कर बैठ न जायें। किसी तरह आपरेशन से बच्चा निकाल लिया गया, लड़की भी बच गई किन्तु अब वह समाज के अभिशप्त रूप में थी अर्थात् वह जीवन भर के लिए विकसित हो गई थी। ऐसी अर्द्धमृत और विकसित नारियों से भरा हिन्दू समाज किस तरह सौंसे ले रहा है, इसकी कल्पना करने भर से आँखों में आँसू आ जाते हैं।

महिला डॉ० मैकफेल लिखती हैं—“चालीस वर्ष में मैंने तेरह से चौदह वर्ष तक की न जाने कितनी लड़कियों को प्रसव कराया है। अनेक लड़कियाँ तो दर्द के मारे पागल अथवा अन्य बीमारियों से ग्रसित होकर किसी तरह रोते-कलपते जीवन व्यतीत करती हैं।” इसी तरह का विचार दार्जिलिंग की महिला डॉ० एन० एच० ब्लेवर ने भी प्रकट किया है। उन्होंने

यह बताया है कि अनेक लड़कियाँ प्रसव काल में मर गईं अथवा आपरेशन द्वारा बच्चा निकालना पड़ा। पहले प्रसव के बाद ही लड़कियाँ दस-पन्द्रह साल अधिक आयु की मालूम होने लगती हैं। उनके बच्चे औसत बच्चों की तुलना में छोटे और अस्वस्थ रहते हैं। इनकी भयानकता से अन्य बाल माताओं की दशा भी दयनीय एवं द्रावक हो जाती है। इतनी जल्दी उन्हें विवाह बन्धनों में बाँध देने के अर्थ है देवदारु के वृक्ष की जड़ें काटते रहकर उन्हें छोटा ही बनाने की परिस्थितियों उत्पन्न करना। स्वामी रामतीर्थ ने जापान में जब देवदारु के छोटे-छोटे वृक्ष देखे तो उन्होंने बागवान से यही पूछा कि इन वृक्षों का विकास कैसे अवरुद्ध किया गया। मैंने तो हिमालय में इसके बड़े लम्बे-लम्बे वृक्ष देखे हैं।

बागवान ने स्वामीजी को बताया था कि—“इन वृक्षों की पौध गमलों में उगायी गयी है और इस कारण इनकी जड़ें छोटी ही रह जाती हैं।” “स्वामी रामतीर्थ ने इसी अवसर पर कहा था, कि आप के यहाँ तो वृक्षों को ही छोटा रखते हैं पर यह मेरे देश का दुर्भाग्य है कि वहाँ आदमियों को भी छोटा बना दिया जाता है। बचपन में ही जीवन के गम्भीर दायित्वों से लाद कर।” उनका इशारा बालविवाह की ओर ही था।

कानूनों के बावजूद १९०१ से १९३१ तक के सर्वेक्षण से पता चलता है कि उक्त अवधि में भारत वर्ष में पंजाब ही एक प्रान्त ऐसा था जहाँ कन्याओं के विवाह की आयु सबसे अधिक १४ वर्ष की थी। शेष समूचे देश में कन्याओं की आयु का औसत १२ वर्ष से कम ही रहा। कुछ विवाह तो १८ माह तक की लड़कियों के भी हुए। ७ से ६ वर्ष की आयु की लड़कियों की संख्या ही देश में बीस हजार के ऊपर थी, उसी से अपने समाज की चिन्ताजनक परिस्थितियों का पता चलता है। ग्रामीण क्षेत्रों का तो सामान्य औसत कभी भी इससे आगे नहीं बढ़ पाया। शहरों में शिक्षा के विकास के साथ-साथ लोगों को वह भूलें अनुभव में आई, पर अशिक्षा के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में यह समस्या अभी तक भी पाँव फैलाये बैठी है। उसके लिए स्वयंसेवी और समाजनिष्ठ संगठन जब तक व्यापक कदम नहीं उठाते, लोगों को शिक्षित करने का क्रम नहीं अपनाते तब तक समस्या का समाधान सम्भव प्रतीत नहीं होता।

‘सर्वे रिपोर्ट आन रोल्स एण्ड इन्टीट्यूड्स टु बीमेन’ समिति के लिये तैयार किये गये अपने एक लेख में नीरा देसाई ने अपने शहरी क्षेत्रों के सर्वेक्षण और सम्पन्न ग्रामीण परिवारों के अध्ययन के अनुभव बताते हुये लिखा था कि उन सब परिवारों के सदस्यों के सुझाव जिनसे मैं मिलने गई—लड़कियों के विवाह १६ वर्ष से कम उम्र में कतई न करने के पक्ष में थे । कुछ का अभिमत तो २४ वर्ष तक की आयु के लिए भी था । आयु १६ वर्ष से कम न करने की मान्यता उन सबने ऐसी माताओं के स्वास्थ्य में पड़ने वाले दबाव के अनुभव से बनाई थी ।

कम उम्र की लड़कियों का विवाह कर देने और उन पर असमय में ही प्रजनन भार पड़ने का दुष्परिणाम स्वास्थ्य की नींव खोखली कर लेने और आजीवन दुःख दुःख सहने के रूप में सामने आता है ।

अनेक प्रकार की शारीरिक, मानसिक हानियों में एक यह है कि उन्हें गर्भपात का वह कष्ट सहना पड़ता है जो स्वाभाविक प्रजनन की अपेक्षा कहीं अधिक कष्टदायक और हानिकारक होता है ।

भारतीय सांख्यिकी संस्थान के डॉ० काविल पकवासी और अजीत हल्दर तथा कलकत्ता विश्वविद्यालय के डॉ० जे० आर० बनर्जी ने कलकत्ता के सरकारी अस्पताल के आँकड़ों के आधार पर जो अध्ययन किया है उससे चौंकाने वाले तथ्य सामने आते हैं ।

तेरह वर्ष की आयु से लेकर २५ वर्ष की आयु के बीच जिन्हें गर्भधारण करना पड़ा उनमें से ३४ प्रतिशत को गर्भपात हो गया । परिपक्व आयु की वे महिलाएँ जिनकी आयु २५ वर्ष से अधिक थी-उन्हें मात्र ६ प्रतिशत को गर्भपात का कष्ट सहना पड़ा ।

बड़ी आयु में भी गर्भपात की कठिनाई उन्हीं को अधिक भुगतनी पड़ती है, जिनके विवाह कच्ची आयु में हो गये और प्रजनन अंगों के परिपुष्ट होने से पूर्व ही जिन्हें गर्भधारण का भार वहन करना पड़ा ।

रजोदर्शन और डिम्ब कीटाणुओं का आरम्भ भारत जैसे गर्म देशों में तेरह-चौदह वर्ष की आयु में हो जाता है । उस स्थिति में गर्भ धारण हो तो सकता है, पर उसका प्रतिफल सन्तोषजनक होना किसी भी प्रकार सम्भव नहीं है । शरीर

विकास की दृष्टि से लड़की लड़कों की आयु में कोई विशेष अन्तर नहीं होता । दोनों की शैशव-किशोरावस्था और युवावस्था की आयु लगभग एक जैसी है । प्रजनन के योग्य परिपक्वता उनमें २५ वर्ष से कम उम्र में नहीं आती । यों असमय में ही उत्पादन करने लग जाएँ तो लड़के या लड़की किशोरावस्था में भी माँ-बाप बन सकते हैं ।

भली प्रकार पके हुए बीज से जो पौधे उत्पन्न होते हैं उनके सही रीति से फलने-फूलने की आशा की जा सकती है । कच्चे फल तोड़ लिए जाएँ और उनके बीजों को बोया जाय तो निराशाजनक परिणाम ही सामने आवेंगे । अंकुर उगेंगे भी वह परिपुष्ट वृक्ष बन नहीं सकेंगे ।

लड़कियों को किशोरावस्था के आरम्भ में ही रजोदर्शन होने लगता है । इतने भर से यह अनुमान लगा लिया जाता है कि वे विवाह योग्य हो गईं । वस्तुतः यह नितान्त भ्रम है । आरम्भ और परिपक्वता का अन्तर न समझने से इस प्रकार की भ्रान्ति उत्पन्न होती है । लड़कियों की विवाह योग्य आयु पिछले दिनों १४ वर्ष मानी जाती रही है । इससे कम आयु में विवाह करने पर कानूनी प्रतिबन्ध था । अब वह आयु १८ वर्ष की है । लड़कों की आयु अधिक रखी गई है । पिछले दिनों १८ वर्ष थी और अब इसे बढ़ाकर २१ वर्ष किया जा रहा है । यह अन्तर सम्भवतः लड़कों की वरिष्ठता और लड़कियों की कनिष्ठता की मान्यता के कारण है । लड़की से लड़का अधिक बढ़ा होना चाहिए और अधिक आयु का भी यह अपने समाज की एक मान्यता परम्परा भर है । प्रजनन शास्त्र के तथ्य पर इन परम्पराओं को मान्यता नहीं देते । उनके आधार पर लड़कों की तरह लड़कियों के पाणिग्रहण में प्रवेश की आयु वह होनी चाहिए जिसमें वे किशोरावस्था समाप्त करके युवावस्था की परिपक्वता प्राप्त कर लें । निश्चय ही यह आयु पच्चीस वर्ष से पूर्व नहीं हो सकती । इससे कम उम्र की लड़कियों के ऊपर गृहस्थ का भार लादना निश्चय ही उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करना है ।

महाभारत में एक स्थान पर उल्लेख है कि धनोपार्जन योग्य होने पर ही विवाह करना चाहिए अन्यथा अपरिपक्व वीर्य से उत्पन्न सन्तानें अत्यधिक क्षीण और असमर्थ होती हैं ।

बीज के अनुरूप ही फसल मिलती है । छोटी आयु में ही अपने शरीर को निचोड़ना शुरू करने से कभी परिपुष्ट, सुन्दर

और नीरोग सन्तान की कल्पना करना हास्यास्पद है। ऐसी सन्तानें, कमजोर, बीमार, अल्पायु, मन्दबुद्धि तथा अर्द्धविक्षित ही होंगी। पीढ़ियाँ एक के बाद एक क्रमशः दुर्बल ही होती चली जायेंगी। इस कुप्रथा के शिकार लड़के प्रसव-पीड़ा में तो नहीं मरते, पर उनकी भी कम दुर्दशा नहीं होती। रुग्ण शरीर, रुग्ण पत्नी और रुग्ण सन्तान को लेकर वे एक भयावह अभिशाप के रूप में आजीवन रोते-कलपते रहते हैं।

समाज में आज कितनी विधवाएँ बाल विवाह के कुत्सित परिणाम भुगत रही हैं, उसकी व्याख्या की जाये तो सारा संसार रो उठे। हमारा हिन्दू समाज ही ऐसा अभाग्य है जो 'बाबा वाक्यं प्रमाणम्' की मान्यता लिये बैठा है। अपनी बुद्धि, विवेक से काम लेना सीखा ही नहीं। किसी ने सनक में आकर कह दिया कि बालिकाओं का पिता के घर में रजस्वला होना पिता के लिए पाप है। फिर क्या? विचार न किया, न समझा और अन्ध परम्परा चल पड़ी। बाल विधवाओं के कारण सामाजिक जीवन में दुराचरण और व्यभिचार पनपने लगा। इनकी संख्या इतनी अधिक है कि केवल पश्चाताप करना ही पर्याप्त न होगा अपितु, समाधान ढूँढना पड़ेगा।

इस प्रकार की अनैतिकता से भावी पीढ़ियाँ भी प्रभावित होती हैं। अतः यह एक प्रकार का राष्ट्रीय और जातीय अपघात है कि बालक-बालिकाओं पर छोटी अवस्था में उतना बड़ा भार लाद दिया जाय जिसका वे क-ख-ग भी न जानते हैं। सन्तानोत्पत्ति के लिए एक आयु निश्चित है। उससे कम में कभी स्वस्थ सन्तान पैदा नहीं हो सकती। कम उम्र के बालक-बालिकाएँ जिन्हें सन्तानोत्पत्ति का सामान्य ज्ञान भी नहीं होता प्रायः वासना के शिकार हो जाते हैं। वैसे ही उनके बच्चे भी कच्ची शारीरिक तथा मानसिक स्थिति के होते हैं। महात्मा गाँधीजी बहुत दिनों तक वीर्य रोगों से पीड़ित रहे। वे यह अनुभव करते थे कि इसका कारण उनकी छोटी अवस्था में शादी होना ही था। अपने एक संस्मरण में उन्होंने बताया कि—“मुझे तब सिर्फ इतना मालूम था कि विवाह होता है तो बाजे बजते हैं और खेलने-कूदने के लिए एक लड़की मिल जाती है। विवाह में और कुछ होता है उस अवस्था में मैं यह विचार भी कैसे कर सकता था? मेरी जैसी दशा आज हिन्दू समाज में हजारों लड़कों की है, जिसकी ५ और १५

साल के भीतर शादी हो जाती है और फिर घरों की अनपढ़ स्त्रियाँ उन्हें गृहस्थी सिखाती हैं। नासमझी में काम ऐसे ही होते हैं जैसे एक बन्दर ने कहीं से एक उस्तरा पा लिया, दाढ़ी बनाने के अनुकरण में उसने अपनी गर्दन काट ली। छोटी उम्र में शादी-शुदा बच्चों का भी ऐसा ही होता है।”

शास्त्रीय आदेश और सम्मतियाँ—हिन्दू धर्म के मूलाधार ग्रन्थ ऋग्वेद का कथन है—

तमस्मेता युवतयो युवानं

मर्मृज्यमानाः परि यन्त्यापः।

स शुक्लेभिः शिक्वभी रेवदस्मे,

दीदायानिष्पो घृतनिर्णिगन्सु।।

(ऋग्वेद २-३५-४)

अर्थात्—‘जिनके हृदय शुद्ध, निर्मल और पवित्र हों तथा जिनकी आयु पूर्ण हो चुकी हो उन युवा और युवतियों को पाणिग्रहण करना चाहिए। शारीरिक शक्तिधारी पुरुष विवाह करके परिवार को सतेज बनायें।

विवाह का उद्देश्य यौन सदाचार तो है ही पर यह बहुत मामूली कारण है। विवाह का मुख्य उद्देश्य ऋषि ने इस सूक्त में सन्निहित किया है। परस्पर अभावों की पूर्ति करते हुए पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय जीवन को समुन्नत बनाना ही विवाह का उद्देश्य होता है। यह तभी सम्भव हो सकता है जब (१) पूर्ण अर्थात् परिपक्व आयु के युवक-युवतियों का पाणिग्रहण हो। (२) उन्हें गृहस्थ धर्म का पूर्ण ज्ञान हो अर्थात् बौद्धिक परिपक्वता भी उनमें होनी चाहिए। (३) हृदय शुद्ध, निर्मल और पवित्र हों—यह तभी सम्भव है जब लड़के-लड़कियाँ प्रारम्भ में ब्रह्मचर्यपूर्वक विद्याध्ययन करें और जब उनमें मानसिक, शारीरिक तथा आत्मिक प्रौढ़ता आ जाय तब विवाह करें। इस शास्त्रीय आदेश का पालन करें तो बाल-विवाह का फिर कोई आधार न रहेगा।

मनुस्मृति के अनुसार—“युवकों को ब्रह्मचर्यपूर्वक विद्या ग्रहण करके, दान, विजय, वाणिज्य तथा मजूदरी से धन प्राप्त करने के बाद विवाह करना चाहिए।” इसके अनुसार भी वयस्क-विवाह की ही पुष्टि होती है। वेदव्यास जो भारतीय संस्कृति के मूल स्तम्भ माने जाते हैं उन्होंने भी लिखा है—“अपरिपक्व वीर्य से जो सन्तान उत्पन्न होती है, वह यही नहीं कि आप अयोग्य और असमर्थ हो किन्तु उसकी जो आगे

५.३४ विवाहोन्माद : समस्या और समाधान

की सन्तान होती है वह भी अधिक क्षीण और बलहीन होकर उस जाति-सत्ता एवं उसके चरित्र को संसार से गिरा देती है।” इस कथन की सार्थकता आज भारतीय जीवन में स्पष्ट देखी जा सकती है।

वात्स्यायन का मत—“गुणों से युक्त होने पर भी जो माता-पिता के आधीन हो उसे स्वयं विवाह न करना चाहिए। निर्बल का विवाह नहीं करना चाहिये। अगर निर्बल विवाह करेंगे तो देश में दुर्बल नागरिक अधिक हो जायेंगे और वे देश की रक्षा नहीं कर सकेंगे।”

महात्मा गाँधी ने एक ऐसे व्यक्ति से कहा था, जिसने बाल विवाह किया था—“तुमने अज्ञान में बाल-विवाह कर पाप किया है तथापि अब भी जब तक तुम्हारी पत्नी और तुम प्रौढ़ नहीं हो जाते, जब तक उसे शिक्षा न प्राप्त हो जाय तब तक तुम शुद्ध ब्रह्मचर्य धारण करके उसे स्वयं अथवा दूसरे के द्वारा सुशिक्षित करो और मातृ-पद की योग्यता प्राप्त करा दो। यह काम जब तक तुम नहीं करोगे तब तक बाल-विवाह के पातक से कदापि मुक्त नहीं हो सकोगे।”

इस प्रकार के शास्त्रीय आदेश और सदसम्मतियों के आधार पर विवाह योग्य उपयुक्त आयु महापुरुषों ने निर्धारित की। सर्वप्रथम स्वामी दयानन्द ने ऐसी व्यवस्था बनाई, उन्होंने लिखा है—“शास्त्रोक्त नियम और सृष्टिक्रम को देखने और बुद्धि से विचार करने से यही सिद्ध होता है कि २५ वर्ष से कम आयु वाला पुरुष और १८ वर्ष से न्यून स्त्री कभी गर्भाधान करने के योग्य नहीं होते। इस नियमों से विपरीत आचरण करते हैं वे दुःख के भागी बनते हैं।” विवाह की सात्त्विक परम्परा पर प्रकाश डालते हुए धर्मप्राण महामना मदनमोहन मालवीय ने लिखा है—“२१ वर्ष से कम के बालक तथा १८ वर्ष से कम अवस्था की कन्या का विवाह कदापि नहीं होना चाहिए।” स्वामी विवेकानन्दजी की दृष्टि में—“शारीरिक उन्नति के लिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि कन्याओं के विवाह की आयु १६ वर्ष से किसी भी अवस्था में कम न हो। अल्पायु में विवाह से स्त्रियों का स्वास्थ्य गिरेगा और सन्तान भी निर्बल होगी। इससे भी भयंकर परिणाम यह होगा कि देश में बाल विधवाओं की संख्या बढ़ेगी तो हमारे नैतिक जीवन का अभिशाप बढ़ेगा।” इस तरह समाज हितैषी पुरुषों द्वारा

विवाह सम्बन्धी सीमाएँ निश्चित करने के प्रयास किये गये। ब्रह्म समाज ने भी इसका प्रसार किया है। यवन शासन काल में ऐसी दुर्घटनाएँ बढ़ीं जिनके कारण कुछ आचार्यों ने धर्म के अनुसार बालिकाओं के विवाह बहुत जल्दी कर देने के नियम बनाये थे। इनका तात्कालिक औचित्य भले ही रहा होगा पर अब उनकी सार्थकता किसी भी दृष्टि से नहीं।

बाल-विवाह का इतिहास तथा औचित्य—सिन्ध, पंजाब, गुजरात तथा मद्रास आदि प्रान्तों में अभी उतनी छोटी उम्र के बच्चों के विवाह नहीं होते जितना अन्य प्रान्तों में। इस प्रकार की रीति-भिन्नता यह स्पष्ट कर देती है कि बाल विवाह प्रथा बहुत प्राचीन नहीं है। जानकार लोगों का मत है कि भारतीय जीवन में यह बुराई उस समय इन प्रान्तों में प्रविष्ट हुई जब मुसलमानों का साम्राज्य और शक्ति इस देश में बढ़ी। हिन्दुओं की नीतियाँ और जातीय स्वाभिमान इतना मजबूत था कि उन्होंने यह कभी स्वीकार नहीं किया कि उनकी लड़कियाँ विधर्मियों को विवाही जायें जबकि मुसलमान हिन्दुओं के साथ सम्बन्ध स्थापित करना चाहते थे। इससे प्रतिद्वन्द्विता उत्पन्न हुई। साम्राज्य के अधिपति होने के कारण मुसलमानों ने शक्ति के जोर से हिन्दुओं की लड़कियों से विवाह करना चाहा। पूर्ण आयु की लड़कियों को वह जबरन पकड़ ले जाते थे या अपहरण कर लेते थे। धर्म और स्वाभिमान की रक्षा के लिये तब आचार्यों को नियम बदलने पड़े और उन्हें विवश होकर यह कहना पड़ा कि आठ-दस और तेरह वर्ष की कन्याओं का विवाह किया जाना चाहिये। उस समय कन्या गौरी हो जाती है जो विवाह योग्य मानी जाती थी। जो माता-पिता १० वर्ष की आयु तक कन्या की शादी नहीं कर देंगे उन्हें घोर-पातक लगेगा। और भी तरह-तरह के प्रतिबन्ध लगाये गये, फलस्वरूप १४ वर्ष के लड़कों और १० वर्ष की लड़कियों के विवाह जोर प्रकड़ गये। कहीं-कहीं तो कम से कम उम्र में लड़कियों का विवाह पुण्य समझा जाने लगा। अफसूत वर्ग कुछ हीन पड़ता था अतः विधर्मियों को उन पर जोर दिखाना भी सरल हुआ, फलस्वरूप उनमें तो १-१ वर्ष की आयु में ही विवाह का प्रचलन हो गया। पर यह सब तात्कालिक व्यवस्था थी और उसका एकमात्र आधार यही था कि किसी तरह अपनी बेटियों की रक्षा हो।

यह बात तब ठीक थी । धर्म-मर्यादाओं की रक्षा के लिये और-और तरह की हानियाँ उठाना उचित था, पर अब वह युग नहीं रहा । आज की सामाजिक या राष्ट्रीय स्थिति ऐसी नहीं कि कोई किसी पर जोर दिखलाये । फिर कोई कारण नहीं कि अभी भी बालकों के छोटी उम्र में विवाह हों और उनकी शारीरिक तथा मानसिक परेशानियों बढ़ाई जाएँ । सामाजिक तथा राष्ट्रीय अव्यवस्था को बढ़ाने का अब कोई औचित्य नहीं रहा । विवाह उसी समय होने चाहिये जब नये दाम्पत्य-सूत्र में बँधने के लिये बच्चों में सब प्रकार की प्रौढ़ता आ जाये । कच्ची उम्र में शादियों करके पागल के हाथ तलवार देने की नासमझी अब हम लोगों को नहीं करनी चाहिये ।

उलटा तर्क, उलटी मान्यता—बाल विवाह के पक्ष में कुछ लोग यह तर्क रखते हैं कि लड़कियों को अपना परिवार छोड़कर दूसरे परिवार में जाना पड़ता है और विवाहोपरान्त उन्हें अपने आपको दूसरे परिवार के अनुरूप ढालना पड़ता है । अतः यदि विवाह कम उम्र में कर दिया जाय तो वह स्वयं उसी परिवार के अनुरूप ढलेगी, उन्हें ढालने की आवश्यकता न पड़ेगी और पड़ेगी भी तो कम उम्र में विचारों में परिवर्तन कर दूसरे परिवार के अनुरूप ढालने में सुविधा होती है । क्योंकि कम उम्र में बच्चों के विचारों व संस्कारों को मोड़ने में सुविधा होती है । किन्तु यह केवल कोरी बकवास है और फिर ऐसा कहने वाले परिवार भी वही हैं जो बच्चों में संस्कार डालना नहीं जानते, उन्हें समान स्तर पर चलाना नहीं चाहते अपितु केवल बहुओं पर आदर्श वधू के संस्कार के नाम पर उन्हें जिन्दगी भर के लिए चौका, चून्हे और घूँघट में बन्द रखना चाहते हैं, जबकि आज के युग में कोई भी स्त्री-पुरुष उनकी इस मान्यता को मानने के लिए तैयार नहीं है ।

दूसरा सबसे प्रबल तर्क कन्याओं के अभिभावकों का है कि आज यदि हम अधिक उम्र में लड़की की शादी करना चाहेंगे तो अच्छे वर को पाने के लिए लड़कियों की पढ़ाई पर व्यय करना पड़ेगा और स्वाभाविक है कोई भी खाते-पीते घर का अच्छा लड़का बड़ी उम्र में बड़ी कक्षा तक अवश्य पहुँच जायेगा और तब तक उसके विवाह की दहेज की रकम भी उसकी शिक्षा के अनुरूप बहुत बढ़ चुकी होती है । फिर अधिक उम्र तक लड़की को घर में रखने पर समाज ताने देना प्रारम्भ कर देता है । तब कन्या के अभिभावकों को आँख

मूँद कर अपने अन्य बच्चों व परिवार के भविष्य की चिन्ता किये बिना पैतृक जायदाद बेचकर, सामर्थ्य से अधिक पैसा दहेज में देकर कन्या की शादी करनी पड़ती है अथवा कन्या का भविष्य बिगाड़ कर किसी अयोग्य व्यक्ति से आँख बन्द कर शादी करनी पड़ती है । जबकि उसी घर में उसी होनहार विरवान (पहले लड़के) के साथ यह बचपन में अपनी लड़की की शादी करते तो उन्हें न तो अपनी लड़की को पढ़ाने की आवश्यकता पड़ती और न उस लड़के की पढ़ाई पर खर्च किया पैसा ब्याज सहित दहेज की रकम में जुड़ा होता । यह भी बाल विवाह के समर्थकों द्वारा अधिक प्रस्तुत किया जाने वाला तर्क है ।

बाल विवाह के पीछे एक प्राचीन मान्यता यह रही है कि जल्दी विवाह कर देने पर लड़कियाँ शीलवान बनी रहती हैं । बड़ी आयु में विवाह से चारित्रिक पतन की सम्भावना रहती है । वास्तविकता इससे भिन्न है । खतरा आयु से नहीं, वातावरण से सम्बन्धित होता है । छोटे बच्चे भी कुमार्गगामी हो सकते हैं । दूषित वातावरण में रहना पड़े तो क्या गृहस्थ, क्या विधवा, क्या वयस्क, क्या अवयस्क सभी में चरित्रहीनता का खतरा बना रहता है । यह विचार करना भ्रम होगा कि अविवाहित दुराचारी हो जाते हैं और विवाहित सदाचारी बने रहते हैं । बाहरी प्रतिबन्धों की अपेक्षा मानसिक प्रतिबन्ध ही सदाचारी बना सकते हैं । जल्दी विवाह करने की ललक छोड़कर अपने बालकों को मनस्वी और चरित्रवान बनाने के लिए उपयुक्त वातावरण एवं प्रशिक्षण देना चाहिए । इसके अभाव में विवाह होने पर भी पतनोन्मुख होने से बचने की सम्भावना नहीं है । अतः बाल-विवाह के सम्बन्ध में इस दलील को भी वजनदार नहीं कहा जा सकता ।

दूसरी ओर इस प्रकार के विवाद के विरोधियों द्वारा इसका सम्बन्ध जनसंख्या से जोड़कर एक भिन्न प्रकार का विकल्प रखा जाता है कि एक बहुत बड़ी उम्र तक लड़के-लड़कियों का विवाह ही न किया जाय । और विवाह तब किया जाय जब उनके यौवन का उफान शांत हो जाय वह स्वयं इतने विवेकी हो जाएँ कि सन्तानोत्पादन में अधिक उत्साह न दिखायें तब सम्भव है कि वह केवल वंश परम्परा को चलाने के लिए कम से कम सन्तान पैदा करेंगे । किन्तु

इसके साथ ही इसके दुष्परिणामों की ओर भी किसी ने देखा है ? किसी ने यह भी सोचा है कि 'कोई व्यक्ति जरूरत से अधिक न खा ले, इसलिए उसे तब तक भूखा रखा जाय जब तक कि उसकी भूख न मर जाय ।' यदि ऐसा किया गया तो भूखा व्यक्ति भूख मिटाने के लिए गलत रास्ते पर भी जा सकता है, तब उसका क्या परिणाम होगा ?

जहाँ हम विदेशों के उदाहरण देते हैं कि अमुक देश में तीस वर्ष या चालीस वर्ष में लड़कियों की शादी होती है वहाँ पर यह भूल जाते हैं कि पहले तो उन देशों में प्रौढ़ होने की आयु हमारे देश की अपेक्षा अधिक है, इसके बावजूद भी उन देशों का नैतिक स्तर कितना गिर चुका है ? और वहाँ पर ही सबसे अधिक अवैध व अनैतिक सन्तानें पैदा होती हैं और उन देशों के सामने यह एक भयानक समस्या बन गई है । मैं बाल विवाह का समर्थक कतई नहीं हूँ किन्तु फिर भी एक उचित आयु व स्तर पर लड़के-लड़कियों का विवाह कर ही दिया जाय, इससे सहमत भी हूँ ।

आज पहले का समय नहीं है कि जब माता-पिता को न तो बच्चों के पढ़ाने के विषय में सोचना था, न उनके भविष्य के बारे में अन्य कोई चिन्ता करनी थी । उनका भविष्य निश्चित था, पैतृक व्यवसाय करना । उसका लक्ष्य स्थिर था, स्तर स्थिर था । उस समय माँ-बाप बच्चों की जल्दी शादी कर उम्मीद हो जाना चाहते थे । किन्तु आज समय बदल रहा है, परिस्थितियाँ बदल रही हैं, युग बदल रहा है । आज सबसे पहली समस्या है बच्चे के भविष्य को बनाने की, पढ़ाने-लिखाने की, उसको नौकरी या व्यवसाय में लगाने की । आज की महँगाई के युग में जहाँ अपने परिवार का भरण-पोषण करने में ही परेशानी है वहाँ पर एक नया परिवार और खड़ा कर लेना एक विपत्ति मोल लेना है । हाँ मैं इसे नया परिवार ही कहूँगा, क्योंकि आज शादी होते ही संयुक्त परिवार के विघटन का रिवाज चल पड़ा है और जहाँ इस रिवाज को तोड़ने में जबरदस्ती की जाती है वहाँ पूरे परिवार का जीवन, वैमनस्य के कारण नरक बन जाता है । यह हुआ बाल विवाह का दुष्परिणाम ।

इस सम्बन्ध में यह कहना उचित है कि अब युग बदल रहा है । योग्य लड़कियों को योग्य वर तथा योग्य वरों को योग्य वधू न मिलने के कारण परिवार में सामंजस्य स्थापित

नहीं हो पाता है कि पति-पत्नी के विचार परस्पर मेल न खाने के कारण जीवन नरकतुल्य हो जाता है । साथ ही साथ बाल-विवाह का यह सामान्य दोष है कि विवाह के पश्चात् अधिकांश लड़कियों की शिक्षा का क्रम समाप्त हो जाता है और कई प्रखर प्रतिभाशाली लड़कियाँ भी आगे पढ़ नहीं पातीं और उनका उज्वल भविष्य धूमिल हो जाता है । हमें यह सोचकर कि अपनी लड़की को अधिक पढ़ाने पर हमें पढ़ाई के व्यय के साथ ही साथ इसकी शादी का व्यय भी पहले की अपेक्षा अधिक उठाना पड़ेगा, लड़कियों के भविष्य को बिगाड़ना नहीं चाहिए । यदि लड़की पढ़-लिखकर योग्य व प्रतिभाशील बन गई तो भले ही किसी सेठ की सेठानी न बन सके वह किसी योग्य पति की योग्य पत्नी बन ही सकती है, जहाँ उसे पहले से अधिक सुख मिलेगा और सन्तुष्टि मिलेगी । आज भी गुण और योग्यता को गुणी और योग्य व्यक्ति पैसा से अधिक महत्त्व देते हैं और ऐसे व्यक्ति समाज में बहुत हैं भी । अतः हमें चाहिये कि अपने बच्चों को चाहे वह लड़के हों या लड़कियाँ, पहले उन्हें योग्य बनायें फिर उनको उचित जीविका उपार्जन में समर्थ बनाने के बाद ही उनका विवाह करें ।

बाल-विवाह से उत्पन्न संकट—आजकल बाल विवाह से उत्पन्न दो संकट और हैं जो पति-पत्नी से आपस में विक्षोभ और असन्तुष्टि का वातावरण पैदा करते हैं । पहली समस्या तब उत्पन्न होती है जब बचपन में शादी हो जाती है और अपने भावी जीवन में पत्नी अनगढ़ और रूढ़िवादी ही बनी रहती है और पति पढ़-लिखकर अधिक पढ़े लिखे या बुद्धिजीवी वर्ग में सम्मिलित हो जाता है वहाँ पर पत्नी अपने प्रगतिशील पति का सभा सोसायिटी में साथ नहीं दे पाती, उसके मित्रों व मित्रों की महिलाओं व परिवारों के साथ उठने बैठने में, बात करने में एक झिझक, हीनता और परेशानी महसूस करती है । साथ ही साथ पति महोदय को अन्य पढ़ी-लिखी आधुनिक महिला के साथ बात करते देखकर ही बौखला जाती है, और चूँकि उसके अन्दर यह बात पहले से ही बैठी रहती है कि वह पति के अनुकूल अपने आपको ढाल नहीं पा रही है अतः वह तुरन्त सन्देह व अविश्वास की शिकार बन जाती है । दूसरी ओर पति महोदय पहले से ही अपनी पत्नी की अयोग्यता के कारण उस पर झुँझलाये रहते हैं । परिणाम यह होता है कि

दोनों में सन्देह, अविश्वास व घृणा की भावना बढ़ने लगती है और जिन्दगी नरक बन जाती है ।

उससे भी बड़ी समस्या वहाँ पर उठ खड़ी होती है जब शादी बचपन में दो शिक्षित परिवारों के लड़के व लड़की के साथ होती है और लड़की शान्त व उच्च विचार की प्रतिभाशाली है और पढ़ने में तेज है और अपनी प्रतिभा के बल पर अच्छी श्रेणी में उच्च शिक्षा प्राप्त करती है और बचपन में जिसके साथ उसकी शादी होती है वह महाशय कालेज में पहुँचने के पहले ही दादागिरी शुरू कर देते हैं । पढ़-लिख कुछ पाते नहीं, स्वयं बर्बाद होते हैं और उस प्रतिभाशाली लड़की की पढ़ाई पर प्रतिबन्ध लगाकर उसकी प्रतिभा को निखरने से रोक देते हैं, तब लड़की तो जिन्दगी भर रोती ही है और उन पति-पत्नी के साथ उनके माता-पिता अलग रोते हैं कि कहाँ हमने बचपन में शादी करके यह विभीषिका उत्पन्न की ।

इसके अतिरिक्त एक समस्या और भी हमारे समाज में बहुत ही परेशान किये है, वह है विधवा विवाह की समस्या । ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जहाँ पर लड़का लड़की का आठ-दस वर्ष की आयु में विवाह कर दिया गया और साल दो साल बाद लड़के का किसी दुर्घटना वश देहान्त हो गया तो फिर कन्या जिसने शैशव से किशोर अवस्था में ही कदम नहीं रखा है, समाज में विधवा घोषित कर दी जाती है और तब उसका न तो सास-ससुर के घर में गुजारा होता है और न माँ बाप के यहाँ । जहाँ उसे एक ओर पति को खाने वाली डायन कहकर कलंकित और तिरस्कृत किया जाता है और दूसरी ओर समाज के विषधर चारों ओर से उसे डसने दौड़ते हैं । आज यद्यपि विधवा विवाह के प्रयास चल पड़े हैं किन्तु वह अभी व्यापक और सफल नहीं हो सके हैं और जहाँ पर पहले से ही विधवा विवाहों की एक समस्या है वहाँ पर इस ओर इस समस्या को और अधिक बढ़ाने वाली सम्भावना को प्रोत्साहन नहीं मिलना चाहिए ।

इसके अतिरिक्त इस सत्य से भी मुँह नहीं मोड़ा जा सकता कि बाल विवाह से ही बहुत ही कम उम्र में सन्तान पैदा होना प्रारम्भ हो जाता है, जिससे पति-पत्नी का स्वास्थ्य तो चौपट होता है ही है साथ ही साथ असमय में परिवार बढ़ने से उनकी परेशानियाँ भी बढ़ जाती हैं । जब वह स्वयं का बोझ उठाने में भी समर्थ नहीं होते, उन्हें बच्चों का भी बोझ उठाना पड़ता है । वह स्वयं अनुभवहीन होते हैं । वह स्वयं अपना भविष्य नहीं बना पाते, वर्तमान ही नहीं बना पाते, उनके ऊपर बच्चों का भविष्य बनाने का भार ऊपर से आ

पड़ता है और चूँकि वह अपने उत्तरदायित्वों को निभाने में समर्थ नहीं हो पाते जिसका बहुत ही दुष्परिणाम उन्हें व उनकी सन्तानों को भोगना पड़ता है ।

इसके अतिरिक्त अपनी पूरी उम्र में पहुँचते-पहुँचते परिवार भी इतना बढ़ जाता है कि उतने बड़े परिवार का बोझ उठाना भी एक समस्या बन जाती है और बड़े परिवार की बुराइयों से आज हर व्यक्ति परिचित है । इससे वह विभीषिका उत्पन्न होती है, जिससे आज न केवल भारत देश बल्कि पूरी दुनिया में भयानक समस्या खड़ी हो गई है ।

अतः इन भयानक परिणामों को देखते हुए यह स्पष्ट है कि आज बाल विवाह को पूर्ण रूप से समाप्त किया जाय और लड़के-लड़कियों के विवाह तभी किये जाएँ जब वह अपने उत्तरदायित्वों को पूर्ण करने में समर्थ हो गये हों । साथ ही साथ अपनी आजीविका के सम्बन्ध में पूर्ण रूप से आत्म-निर्भर हो गये हों । जहाँ एक ओर वह माँ-बाप पर भार न बनेंगे और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं करने में समर्थ होंगे वहाँ पति-पत्नी अपने उत्तरदायित्वों को निभा सकेंगे वहीं दूसरी ओर बड़ी उम्र में बेमेल शादियों की सम्भावनाएँ भी नहीं रहती हैं । अतः उनके जीवन में सामंजस्य, सहिष्णुता प्रेम का वातावरण होगा और वह एक सुखी आदर्श गृहस्थ जीवन का आनन्द लेने में समर्थ हो सकेंगे ।

सामाजिक क्रान्तियाँ बनाम जन्म-श्रद्धा—सन् १९२८ में श्री हरविलास शारदा ने एक प्रस्ताव पेश किया जिसमें लड़कियों के विवाह की आयु बढ़ाकर १४ वर्ष करने को कहा गया था । इस पर देशवासियों का अभिमत जानने के लिये एक कमेटी नियुक्त की गई थी । कमेटी ने ४०० गवाहों की गवाहियाँ लेकर उस प्रस्ताव की सिफारिश की थी, उसके फलस्वरूप १९२९ में यह बिल शारदा-एक्ट के नाम से कानून बन गया ।

पर जनता और समाज किसी तथ्य की वास्तविकता को न समझें तो ऐसे पचास कानून भी लोगों का भला नहीं कर सकते । सन् १९३२ में जब कानून की प्रगति के बारे में ब्रिटिश पार्लियामेन्ट में पूछ-ताछ की गई तो भारत के सामाजिक मामलों के मन्त्री ने यह बताया कि अगस्त १९६२ तक २ वर्ष ५ माह के भीतर शारदा-एक्ट तोड़ने के अभियोग में ४६६ मुकदमे चलाये गये जिनमें से १६७ को दण्ड दिया गया, २०७ छूट गये, ६२ चल रहे थे । सफल होने वाले मामलों में से केवल १७ को कैद की पूरी या अधूरी सजा दी गई । इस

५.३८ विवाहोन्माद : समस्या और समाधान

प्रकार के दण्ड से अन्ध-विश्वासी जनता पर भला क्या प्रभाव पड़ता?

इसी सन्दर्भ में मन्त्री महोदय ने आगे बताया कि—कानून बनने के बाद उसे लागू करने के लिए ६ मास का समय दिया गया । इतनी छोटी अवधि में ही हिन्दुओं में ५ वर्ष से कम उम्र के लड़के-लड़कियों की २० लाख से भी अधिक शादियाँ की गईं । बधुओं की संख्या २१ लाख से बढ़कर ८० लाख हो गई । इसी आयु की बाल-विधवाओं की संख्या भी १५००० से बढ़कर ३१००० हो गई । यह मुकदमे जो २ वर्ष ५ माह की अवधि में चलाये गये वह भी किन्हीं बड़े साहसी, प्रभावशाली अथवा सरकारी कर्मचारियों द्वारा है । आम-जनता ने तो परस्पर सहयोग ही नहीं किया अर्थात् कानून बनाने का कोई लाभ नहीं हुआ और शादी करने का आयु-सम्बन्धी पूर्व क्रम ही बेरोक-टोक चलता रहा ।

सरकार भी क्या करे—शारदा-एक्ट बनकर तैयार हो गया, आज भी वह धारा अदालत में काम करती है, पर जन-सहयोग के बिना कानून से सामाजिक व्यवस्था की रक्षा करना कठिन ही नहीं असम्भव-सा हो जाता है । शारदा-एक्ट के सबसे पहले मामले में ही यह बात स्पष्ट हो गई । एक अपराधी ने गाँव के चौधरी की बात न सुनकर अपनी दस वर्ष की पुत्री का विवाह कर दिया । उसे एक मास की सजा मिली पर कुछ अफवाहों के कारण अशान्ति पैदा होने के भय से सरकार घबरा गई । अन्त में मुजरिम को रिहा कर दिया । कानून बनने के पाँचवें दिन ही १५००० मुसलमानों की उपस्थिति में एक ११ वर्षीय मुसलमान के लड़के की शादी दिल्ली की जामा मसजिद में हुई । डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से इन लोगों पर मुकदमा चलाने के लिये आग्रह किया गया पर उसने कुछ न किया । मद्रास में मुंसिफ ने स्वयं बाल-विवाह किया जिस पर वहाँ के कलक्टर ने उसे बरखास्त कर दिया पर बाद में सरकारी आज्ञा पर उसे फिर से बहाल कर दिया गया । अदालतों ने भी इस प्रकार दण्ड-प्रक्रिया को ढीला कर दिया । बंगाल में ४५ और ५० वर्ष के दो मुसलमानों ने २ और ५ वर्ष की बालिकाओं के साथ जायदाद पर कब्जा करने के लिए विवाह किया । उन पर केवल १५० रुपया जुर्माना किया

गया । अधिकतम १००० रुपया जुर्माना व १ मास की कैद होती तो भी मुसलिम भाई उसके लिए तैयार थे । कानून का यह ढीलापन आखिर क्या प्रभाव उत्पन्न कर पाता ।

ऐसे ही कुछ मुकदमे सामाजिक संस्थाओं ने शहरों में चलाये । बम्बई में युवक संघ ने एक १२ वर्षीय बीमार बच्चे का विवाह रुकवाया इसकी पहली स्त्री जीवित थी । वह विवाह ब्रिटिश-भारत की कानूनी सीमा से बाहर कर लिया गया । कुछ ही दिनों में वह लड़का दो बाल-विधवाओं को छोड़कर मर गया । गुजरात में 'समाज सुधार समिति' ने कई मुकदमे सफलतापूर्वक चलाये, उनमें से दो में चालीस-पेंतालीस वर्ष के बुद्धे ६ वर्ष की बालिकाओं के साथ विवाह करने को तैयार थे । नासिक में एक पड़ोसी की शिकायत पर एक दस वर्ष की ब्राह्मण कन्या का विवाह एक चालीस वर्ष के लूले-लैंगड़े के साथ होने से रुकवाया गया । परन्तु इस तरह के न तो साहसी व्यक्तियों का बाहुल्य तब था, न अब है और न ऐसी प्रभावशाली समितियाँ ही हैं । शारदा-एक्ट आज भी यथावत् कायम है पर अब तो उसके उल्लंघन करने वालों के समाचार भी अखबारों में देखने को नहीं मिलते, जबकि प्रतिवर्ष हजारों लाखों की संख्या में बाल-विवाह होते हैं । ऐसा सब इसलिये होता है कि कानून के प्रति लोगों में आन्तरिक श्रद्धा नहीं होती । हिन्दू-समाज को तो अपनी रूढ़िवादिता के लिए अपवाद ही मानना चाहिए । सैकड़ों बाल-विवाह आँखों के सामने होते हैं, उनमें सम्प्रान्तजन भी सम्मिलित होते हैं पर कोई भी जन व्यक्ति उनका प्रतिवाद नहीं करता । उच्च वर्ण के ब्राह्मणों में दहेज न दे पाने के कारण हजारों बालिकाओं की ८ से १० वर्ष की आयु में ४० और ५० वर्ष के बुद्धों के साथ दूसरी शादियाँ होती हैं उन पर किसी प्रकार का मामला-मुकदमा नहीं चलता । जहाँ यह बुराई है कि लोग बाल-विवाह को पाप नहीं मानते वहाँ कायरता और धँसी हुई है । कानून बना है पर लोग इसका प्रयोग करने से भी डरते हैं । करें भी तो सामाजिक विरोध को कौन रोके ?

विचार और दृष्टिकोण बदलें—हिन्दू समाज अशिक्षित और अधिकांश अनपढ़ है । दकियानूसी विचार वाला होने का यह भी एक कारण है । वे विवाह के वास्तविक उद्देश्य को समझ नहीं पाते । किसी ग्रामीण से पूछा जाय कि विवाह क्यों किया

जाता है ? तो वह यही कहेगा “बच्चा पैदा करने के लिए ।” माना सामाजिक शृंखला को जीवित रखने के लिए सन्तानोत्पत्ति भी विवाह का उद्देश्य है पर उसे भी नितान्त कर्तव्य पूर्ण ढंग से पूरा किया जाना चाहिए । विवाह का उद्देश्य इससे भी बढ़कर सामाजिक विकास और धार्मिक अपूर्णता को पूर्ण करना है । इस बात की सर्वांगपूर्ण जानकारी लोगों को मिले और उसके साथ ही बाल-विवाह के दुष्परिणाम लोगों को समझाये जायें तो सम्भव है कि लोग कानून की यथार्थता को अनुभव करें और उस पर चलने के लिए कार्यक्रम बनायें । इसका सबसे सुन्दर तरीका विवाह संस्कारों का शुद्ध रूप से प्रचलन और इन अवसरों पर लोगों को उसके उद्देश्य और शिक्षा से अवगत कराना ही हो सकता है । जन-आन्दोलन थोड़े से आदर्श विवाह करा देने, पर्चे बाँटने अथवा भाषण देने से सफल नहीं हुआ करते, वरन् उसकी सफलता के लिए लोगों की आन्तरिक भावनाओं का जागरण और उनकी सहानुभूति प्राप्त करना आवश्यक होता है । लोग यह अनुभव करें कि बाल-विवाह का अपघात अपने ही बालक-बालिकाओं पर होता है, उससे अपने ही समाज और राष्ट्र की हानि है तो यह सम्भव है कि वे इधर से अपना रुख विमुख करें अन्यथा कितने ही कानून क्यों न बनाये जाएँ उनसे कोई लाभ नहीं हो सकता । कानून बनाकर लोगों को डराया जा सकता है । डरे व्यक्ति को समझाना और भी कठिन होता है अतः हमारी समाज-सुधारक व्यवस्था का रूप यह होना चाहिए कि लोग उन बुराइयों को अनुभव करें, जो हमारे हिन्दू समाज को जकड़े हुए हैं और जिनके कारण युवक-युवतियों का विकास नहीं हो पाता । इस सबका सर्वोत्तम उपाय विवाह-संस्कारों को शुद्ध और अधिक मात्रा में प्रसारित करना ही हो सकता है । इससे लोगों को सोचने और विवेकपूर्वक विचार करने का अवसर उपलब्ध होगा ।

यह कुप्रथा मिटनी ही चाहिए—राष्ट्र के नव-निर्माण के विविध प्रयत्न चल रहे हैं । शिक्षा, रोग-निवारण, समृद्धि आदि कई क्षेत्रों में हमारी उल्लेखनीय प्रगति हो रही है पर यदि हमारा समाज रूढ़िवादी सिद्धान्तों और हीन-संस्कारों से विमुक्त न हुआ तो विकास की अनेकानेक योजनाओं से भी कुछ लाभ न होगा ।

चिकने लट्ठे पर चढ़कर फिर नीचे सरक आने वाले बन्दर की सी दशा रहेगी ।

भावी पीढ़ी के निर्माण का दायित्व वर्तमान नागरिकों पर है । कल के बच्चे स्वस्थ, शिक्षित, सदगुणी, सदाचारी हों इसकी तैयारियाँ आज से ही प्रारम्भ करेंगे तो ठीक रहेगा । जिस प्रकार समाज के अन्य दोष-दूषणों को मिटाने के लिए हम कटिबद्ध हुए हैं उसी प्रकार विवाहों में प्रचलित कुरीतियों और अन्धपरम्पराओं को भी दूर करना हमारा पवित्र कर्तव्य है । दाम्पत्य-जीवन की पवित्रता पर ही समाज की सुव्यवस्था का भवन विनिर्मित होता है तो उसे सुदृढ़ करने में हमें संकोच न होना चाहिए । बाल-विवाह के दुष्परिणामों को ध्यान में रखकर उसे हटाने में पीछे न हटना चाहिए ।

१८ वर्ष की लड़की और २१ वर्ष के लड़के का जोड़ा उपयुक्त है । शास्त्र की भी यही आज्ञा है । इस आयु-सीमा में एक-दो वर्ष का अन्तर तो किया जा सकता है, आयु और भी अधिक हो जाय तो और भी उत्तम है । किन्तु १८ वर्ष से कम आयु की लड़की और २१ से कम आयु के लड़कों का विवाह तो किसी भी दृष्टि से युक्ति-युक्त नहीं । छोटी आयु में शादी होने के दुष्परिणाम ऊपर देख चुके हैं । सामाजिक जीवन में इस विशृंखलता का विष किस तरह फैला है इसे भी हम लोग समझ रहे हैं तब फिर सामाजिक जीवन में कठिनाइयाँ उत्पन्न करने और राष्ट्रीय विकास की गति अवरुद्ध करने की बदनामी मोल न लेनी चाहिए । पाश्चात्य देशों की नजर में जितना गिर चुके उतना ही बहुत है अब तो सँभलने और ऊपर उठने का अवसर है । हमारे ऊपर किसी का साम्राज्य, शक्ति अथवा संस्कृति का अधिकार या प्रतिबन्ध नहीं अपने भाग्य के निर्माता अब हम स्वयं हैं । इसलिए अब कुरीतियों को अपनाये रखकर अपनी सामाजिक स्थिति को बिगाड़ने में हमारी शोभा नहीं । इस तथ्य की वास्तविकता को हम स्वयं समझें, औरों को समझायें । बाधाओं को दूर कराने के प्रयत्नों के लिए मनुष्यों की कल्पना शक्ति और भावुकता को जाग्रत करने की आवश्यकता है । यह कार्य शिक्षितों और समाज-सेवियों को करना चाहिए । आवश्यकता पड़े तो विरोध का साहस भी होना चाहिए । कानून तो ऐसे लोगों के साथ है ही । नवयुवकों को यदि बाल-विवाहों को रोकने के लिए साहस और

संघर्ष करना पड़े तो वह भी बुरा नहीं पर जन-भावनाएँ स्वयं ही उसकी निरर्थकता को समझ सकें तो यह सबसे अच्छी बात होगी। इसके लिए विचार प्रसार एवं तर्कपूर्ण समाधान की आवश्यकता होगी, उसके लिए अब समाज सुधारकों को प्रयत्नशील होना पड़ेगा।

बाल विवाह के दुष्परिणाम निस्संदेह उसके शिकार दम्पतियों तथा समाज को भी खोखला करते हैं। कहा नहीं जा सकता कि इस परम्परा के कितने घातक परिणाम होते हैं। चुकी हुई जीवनीशक्ति वाली इकाइयाँ स्वयं क्या प्राणवान बन सकती हैं तथा क्या समाज को सशक्त बना सकती हैं।

इस परम्परा को रोकने के लिए किया यह जाना चाहिए कि अपने सम्पर्क और प्रभाव क्षेत्र के जो जन यह मूढ़ता करते दिखाई दें, समझदार व्यक्ति उन्हें रोकें और समझायें कि ऐसा कर वे अपने आपको उत्तरदायित्वों से मुक्त हुआ हल्का भले ही अनुभव करें लेकिन वस्तुतः वे अपनी सन्तानों के स्वास्थ्य, जीवन और भविष्य की हत्या कर रहे हैं? यह सन्तानों को जीवित ही मार देने वाला हत्या से भी अधिक जघन्य अपराध है।

विवेक और औचित्य के प्रति जिनमें तनिक भी आस्था है, उन्हें इसके लिए आसानी से समझाया और मनाया जा सकता है और जो नहीं मानते उनके प्रति सामूहिक असहयोग, भर्त्सना और उपेक्षा जैसा वातावरण भी निर्मित किया जाय तो अनुचित नहीं। कहा जा चुका है कि बाल-विवाह को रोकने के लिए कानून बना हुआ है? परन्तु कानून बन जाने मात्र से ही कोई औचित्य और विवेकपूर्ण परिपाटी प्रचलित नहीं होती। उसके लिए तो समाज में उपयुक्त वातावरण भी बनाया जाना आवश्यक है।

छोटी उम्र के थोड़े समझदार बच्चों को उनके अभिभावकों द्वारा विवाह के लिए मजबूर करने पर भी असहयोग और विरोध की प्रेरणा दी जा सकती है। वस्तुतः छोटे वे ही नहीं हैं जो मात्र दस वर्ष के ही हों। उनकी भी गणना छोटों में की जा सकती है जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, जो अभी अपने पैरों पर खड़े नहीं हैं, जिनके रोजगार और व्यवसाय की अभी कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे युवक जो स्वयं के भरण-पोषण में ही अभी असमर्थ हैं, दूसरे साथी का बोझ कैसे उठा सकते हैं।

समाज की अन्य कुरीतियों के साथ निबटते समय यह ध्यान रहे कि देश में समर्थ, स्वस्थ और योग्य नागरिकों की आवश्यकतापूर्ति के लिए युवक-युवतियाँ निश्चित आयु से कम उम्र में विवाह न करें। अधिक से अधिक ब्रह्मचर्य का पालन करने पर ही उनमें योग्य नागरिकों को जन्म देने वाली तेजस्विता आ सकती है, तभी समाज, देश और राष्ट्र सशक्त व समर्थ बन सकेगा। इसके लिए जागरूक विचारशील और कर्मठ समाजसेवियों को आगे आना चाहिए।

भारतीय समाज को दुर्बल और खोखला बनाने में इन मूढ़परम्पराओं का ही प्रमुख हाथ है। ब्रह्मचर्य से रहित युवक जिस देश और जाति में होंगे उस देश और जाति को रोगों की नियति ही भोगनी पड़ेगी। आज हमारे देश को कई समस्याओं और विकृतियों का सामना तथा शिकार होना पड़ रहा है तो इसका कारण मूलतः हमारी मूढ़मान्यताएँ और मूढ़परम्पराएँ हैं।

बाल-विवाह जैसी अन्य और भी कई परम्पराएँ हैं जिन्हें विवेक की कसौटी पर कसा जाय तो लगता है कि ये सब सिरफिरे मस्तिष्क में ही पनपती और फलती फूलती हैं। किसी काल में किन्हीं परिस्थितियों में इनका चाहे जितना महत्त्व रहा हो न तो वे परिस्थितियाँ अब रही हैं और न ही वह काल, फिर भी उस मुर्दा शरीर को गले से चिपटाये रहना पागलपन नहीं तो क्या है। समय, समाज और वर्तमान परिस्थितियों का तकाजा है कि हम जागें और आँखें खोलकर उन्मीलित नेत्रों से अपनायी जा रही इन रीतियों का तिरस्कार करें, इन्हें तिलाञ्जलि दें—तभी हमारा व्यक्तिगत और सामाजिक कल्याण सम्भव होगा।

उच्च शिक्षित कन्या की विवाह-समस्या एवं उसका हल

शिक्षित कन्याओं की विविध समस्याएँ—

शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति के शरीर, मस्तिष्क और चरित्र का सही दिशाओं में विकास है। अशिक्षित व्यक्ति को स्वयं अपनी मानसिक और नैतिक शक्तियों का ज्ञान नहीं होता। पढ़-लिखकर आदमी ज्ञान और अनुभव इकट्ठा करता है, समाज में प्रतिष्ठित जीवन जीता है, उसके आचरण में पवित्रता आती है, मन में महानता और आत्मा में प्रकाश आता है। संक्षेप

में शिक्षा मनुष्य के सर्वांगीण विकास का साधन है। सद्ज्ञान से मनुष्य के गुण निखर उठते हैं।

मामूली अवस्था में ऊँचे उठकर उन्नतिशील जीवन जीना, शत्रुत्व की निंघ कोटि से विकसित होकर मनुष्य का सभ्य और समुन्नत-जीवन जीना पढ़ने-लिखने का मूलभूत उद्देश्य है।

इस संसार में अल्प-विकसित और निर्बल प्राणियों के लिये कोई स्थान नहीं है। समाज कमजोर व्यक्तियों को, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष जीवित नहीं छोड़ना चाहता। प्रकृति के आघात भी निर्बल प्राणियों पर ही होते रहते हैं। कमजोर तो मरकर मौत के मुँह में चले जाते हैं या मजबूत जानवर निर्बलों को खा जाते हैं।

जीवन जीने के लिये ताकत चाहिए। यह ताकत मनुष्य के ज्ञान-वर्द्धन से आती है। जो ज्ञानवान् है, आगा-पीछा, अच्छाई-बुराई, समझता है, भले-बुरे में विवेक कर सकता है, वह जीवित रह जाता है। मूर्ख और अशिक्षित मामूली से आघात से नष्ट हो जाता है।

कन्याओं की शिक्षा आज भी उपेक्षित है—

हमारे समाज में सामान्यतः लड़कों को तो खूब पढ़ाते-लिखाते और सुशिक्षित बनाते हैं, उनकी शिक्षा पर खुले दिल से व्यय करते हैं, किन्तु बेचारी लड़कियों पर कुछ खर्च नहीं करते। लोग उन्हें मामूली फीस दे और किताबें खरीद कर स्कूल, कॉलेज तक नहीं भेजना चाहते। वे उन्हें निरक्षर मूर्ख और पिछड़ी हुई रखकर जल्दी से जल्दी विवाह कर उत्तरदायित्व से मुक्त होना चाहते हैं। जल्दी विवाह से और जल्दी बड़ी संख्या में बाल-बच्चे उत्पन्न होने लगते हैं और बेपट्टी अशिक्षित पिछड़ी हुई कन्याओं के निर्बल कन्धों पर गृहस्थी की भारी जिम्मेदारी आ जाती है, जिसका वहन करना उनके लिए एक बड़ी समस्या हो जाती है। उनका जीवन जिन्दा नर्क ही होता है।

लेकिन नारी एक जानवर नहीं है, जिसका काम सिर्फ सन्तानोत्पादन या महज सेवा-चाकरी करना ही हो। वह पुत्र की तरह गुणविधा सम्पन्न होकर जिम्मेदारी के कार्य कर सकती है।

यदि उसे विकसित किया जाय, उसकी शिक्षा सही दिशाओं में की जाय, तो वह पुरुष की पूरक है। पति की सबसे बड़ी ताकत है। सुशिक्षित अर्धांगिनी के बिना मनुष्य

का जीवन अपूर्ण है। समझदार, विकसित, सुशिक्षित नारी ही उसे पूर्ण करती है। दुःख-सुख में वही साथी होती है।

महादेवी वर्मा के शब्दों में, “नारी केवल माँस पिण्ड की संज्ञा नहीं है, आदिम काल से आज तक विकास पथ पर पुरुष का साथ देकर उसकी यात्रा को सफल बनाकर उसके अभिशापों को स्वयं झेलकर और अपने वरदानों से जीवन में अक्षयशक्ति भर कर मानव ने जिस व्यक्तित्व चेतना और हृदय का विकास किया है, उसी का पर्याय नारी है।”

मानव जाति का उज्वल भविष्य नारी का ऊँचा स्तर उठाये जाने पर निर्भर है। वही माता के रूप में निर्मात्री, पत्नी के रूप में शक्ति, भगिनी के रूप में शालीनता और पुत्री के रूप में मधुरिमा बनकर नर को सजीव, सशक्त, सज्जन और सहृदय बनाती है। नारी की प्रसुप्त गरिमा जाग्रत करने के लिये उसकी अलौकिक विशेषताओं और विभूतियों को जगाया जाना आवश्यक है। इस जागरण का प्रथम सोपान शिक्षा है। यों आज की शिक्षा के साथ कितने एक दोष दुर्गुण भी जुड़ गये हैं और उनसे सतर्क रहने की आवश्यकता है, पर इतना सब होते हुए भी शिक्षा के बिना कोई गति नहीं। शिक्षित नारी में भी दोष होना सम्भव है पर समग्र रूप से नारी को विकसित करने के लिये शिक्षा की उपेक्षा करके नहीं चला जा सकता। नारी शिक्षा एक ऐसा तथ्य है जिसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। प्रगति के द्वार उसके बिना आबद्ध ही बने रहेंगे।

जीवन विकास की आवश्यक जानकार, गृहस्थ संचालन की क्षमता और पारिवारिक तथा सामाजिक जीवन को सुसम्पन्न बनाने के लिए जिस बौद्धिक कुशलता की आवश्यकता है, उसके लिये शिक्षा अनिवार्य रूप से आवश्यक है। समय की पुकार है कि इस दिशा में लड़कों से भी अधिक अवसर लड़कियों को मिलना चाहिए। इसका एक कारण तो यह है कि अगला समय नया युग नारी के नेतृत्व का आ रहा है। पुरुष ने अपनी उद्वण्डता से समाज में दुष्टता को ही बढ़ाया है। नारी की करुणा, कोमलता को जब नेतृत्व का अवसर मिलेगा तब सर्वत्र ममता और मानवता की धाराएँ बहेंगी और समस्याओं का हल ‘जिसकी लाठी उसकी भैंस’ के आधार पर न होकर ममता और करुणा के आधार पर होगा, नारी में वे विशेषताएँ हैं जिनके आधार पर वह हर क्षेत्र में कुशल नेतृत्व कर सके

उसे अपना उचित योगदान दे सकने को क्षमतायुक्त बनाने के लिए शिक्षा का अधिकाधिक अवसर मिलना चाहिये ।

दूसरा कारण यह है कि भौतिकवादी लोलुपता एवं कामुकता अब दम्पति जीवन के आधारभूत आदर्शों में आग लगाने पर तुल गई है । पलीव्रत धर्म एक मखौल बनता जा रहा है । सिनेमा ने कला के हर माध्यम ने जिस पैशाचिक वितृष्णा को जगाया है, उसने हर पढ़े-लिखे लड़के को ऐसी स्थिति में डाल दिया है कि वह कभी भी पत्नी के साथ विश्वासघात करके उसे बीच में दे डाले । ऐसे उदाहरण औंधी-तूफान की तरह बढ़ते जाते हैं जिससे योरोप की तरह जल्दी-जल्दी पत्नियों बदलने के शौकीनों ने अपनी धर्मपत्नी को निरीह और अनाथ बनाकर खून के आँसुओं से जिन्दगी भर रोने के लिये विवश कर दिया । इस बढ़ती हुई दुष्प्रवृत्ति के दिनों में हर सयानी लड़की का भविष्य खतरे में है और उसे इस योग्य बनाया जाना चाहिये कि बीच नदी में धकेल दिये जाने पर भी वह तैरकर पार हो सके ।

तीसरा कारण यह है कि आज की महँगाई में एक सुखी और सुविकसित गृहस्थ सँजोने के लिये केवल पुरुष की कमाई ही पर्याप्त नहीं । पत्नी को भी उपार्जन में योगदान देना आवश्यक हो गया है और यह कार्य केवल शिक्षित नारी ही कर सकती है । ऐसे असंख्य कारणों को देखते हुए हर अभिभावक का कर्तव्य है कि अपनी लड़कियों को उच्च शिक्षा दिलाने के लिये लड़कों से भी अधिक सुविधा उन्हें प्रदान करें ।

इस तथ्य को अनेक अभिभावक स्वीकार करते हैं और अपनी बच्चियों को पढ़ाते भी हैं । पर उस संदर्भ में उन्हें एक नई कठिनाई का सामना करना पड़ता है । अपने देश में रिवाज है कि “कन्या की अपेक्षा वर अधिक शिक्षा वाला और अधिक आयु वाला होना चाहिये ।” इस मान्यता के अनुसार लड़की जितनी अधिक पढ़ती जाती है उसी अनुपात से अधिक शिक्षित लड़के की जरूरत पड़ती है । पढ़े-लिखे लड़कों का बाजार उनकी शिक्षा के हिसाब से महँगा होता जाता है और फिर क्रमशः कन्या के पिता को उतनी कीमत चुका सकना कठिन पड़ता है । दूसरी दिक्कत यह पड़ती है कि उच्च शिक्षा प्राप्त करने पर लड़का ढूँढ़ते-ढूँढ़ते देर हो जाती है और बड़ी उम्र की लड़कियों को उनसे अधिक आयु के लड़के मिलने कठिन हो जाते हैं । कुछ समय तक अपने देश में बाल-विवाह का

रिवाज था, अब कुछ सुधार हुआ है तो भी आमतौर से बीच-पच्चीस वर्ष की आयु में लड़कों के विवाह हो जाते हैं । इससे अधिक आयु के कुँआरे लड़के जहाँ-तहाँ ही देखे जाते हैं । बड़ी आयु के मिलते हैं तो ३-४ बच्चों के बाप विधुर होते हैं । इन दो कठिनाइयों के कारण सुशिक्षित कन्याओं के विवाह की समस्या अति जटिल होती जाती है और ऐसे उदाहरण तेजी से बढ़ते जाते हैं जिससे उपर्युक्त दो उलझनों का हल न निकलने के कारण हजारों सुशिक्षित कन्याओं को कुँआरी रहने के लिये विवश होना पड़ा और वे उच्च शिक्षा को अभिशाप अनुभव करने लगीं ।

इस कठिनाई के डर से या तो लड़कियों को कम पढ़ा-लिखा कर छोटी आयु में ही विवाह कर देना पड़ेगा या फिर कोई दूसरा हल निकालना पड़ेगा । विवेक की दृष्टि से कन्याओं को उच्च शिक्षा का अवसर मिलना नितान्त आवश्यक है । किसी भी कारण उस अवसर को खोया नहीं जाना चाहिए । हमें उस दृष्टिकोण को बदलना चाहिये ताकि वे सुयोग्य, सुशिक्षित कन्याएँ वर प्राप्त कर सकें । इसी प्रकार क्या शिक्षित वर से इतनी हानि हो सकती है कि वह कुछ कम कमाये । इसके अतिरिक्त छोटी आयु, कम शिक्षा का वर से दाम्पत्य जीवन पर किसी प्रकार का कोई बुरा असर नहीं पड़ने वाला है । अधिक पढ़ा, अधिक बुद्धिमान, अधिक समर्थ और अधिक कमाऊ वर जिस प्रकार से पत्नी के लिये लाभदायक है उसी प्रकार अधिक वयस्क, अधिक शिक्षित और अधिक सुयोग्य और अधिक कमाऊ पत्नी का सीधा लाभ पति को मिलना चाहिये ।

कन्या को उच्च शिक्षा दिलाने के साथ-साथ यह मनोभूमि भी हमें तैयार करनी चाहिये कि लड़की से कम उम्र और कम शिक्षा वाला लड़का ढूँढ़ने में कोई ऐतराज नहीं होना चाहिये । लड़कों को यह बात सोचनी चाहिये कि अपने से बड़ी आयु और बड़ी शिक्षा वाली लड़की प्राप्त करना यह उसके गौरव, सौभाग्य एवं उज्वल भविष्य का चिन्ह है, इससे उन्हें अपनी हेटी नहीं प्रतिष्ठा अनुभव करनी चाहिये । लड़की कुछ अधिक कमा सके और लड़का कुछ कम कमाये तो दाम्पत्य जीवन की एकता को देखते हुए इससे कुछ बनता-बिगड़ता नहीं । दहेज में रकम पाने की अपेक्षा, सुशिक्षित, कमा सकने योग्य लड़की

वह जायदाद है जो हर महीने ब्याज-भाड़े की तरह आमदनी दे सकती है ।

सुशिक्षित नारी ही धरती को स्वर्ग बना सकती है—

इसमें सन्देह नहीं कि नारी इस धरती पर स्वर्ग की किरण है, पर यह बात सुशिक्षित और समझदार नारी के सम्बन्ध में ही कही जा सकती है । उजड़, मूर्ख और बे पढ़ी-लिखी औरत तो जी का जञ्जाल बन जाती है । सुशिक्षित और ज्ञानवती नारी स्वर्गीय ज्योति की साकार प्रतिमा है । शिक्षा उसे सुसंस्कृत, मृदुभाषिणी और देवी स्वरूपा बनाती है । ज्ञान से उसकी गुप्त शक्तियाँ निखर उठती हैं । अच्छी पुस्तकें उसकी वाणी और चरित्र को समुन्नत बनाती हैं ।

शिक्षा नारी की गुप्त शक्तियों का उसी प्रकार विकास करती है, जिस प्रकार पुरुष का । दोनों के मस्तिष्क एक प्रकार के हैं । उनमें सोचने, चिन्तन, विचारने और कल्पना इत्यादि की समस्त शक्तियाँ एक-सी हैं । सभी के लिए समान रूप से मस्तिष्क और चरित्र को समुन्नत करने की भारी सम्भावनाएँ निहित हैं ।

क्या नौकरी ही समस्या का हल है—

जो लड़कियाँ दाम्पत्य-जीवन में बँधना नहीं चाहतीं, जिनका उद्देश्य सांसारिक जीवन में ऊँचा है, जो साहित्य, कला, संगीत, प्रशासन, नेतृत्व, इन्जीनियरिंग या सरकारी नौकरी में जाना चाहती हैं (ऐसी लड़कियों की संख्या बहुत कम है) उन्हें विवाह में कोई विशेष दिलचस्पी नहीं होती । वे पुरुषों की तरह अपने काम में ही रुचि रखती हैं । वही उनका जीवन-लक्ष्य है । यों कहिए कि वे एक सामाजिक जीव हैं । बच्चों और पारिवारिक जीवन से उनका कोई सम्बन्ध नहीं है । ऐसी कई उच्च-शिक्षित कन्याएँ सरकारी दफ्तरों में क्लर्क या मामूली अफसर, अध्यापिकाएँ या प्रोफेसर बनी हुई मिलेंगी । इनका दैनिक कार्य दफ्तर में जाने की तैयारी से प्रारम्भ होता है, दिन भर आफिस के छोटे-बड़े मामलों की परेशानियों से भारी-भारी रहती हैं । वे दफ्तर में रखी मशीनों की तरह हैं, जो बिना हृदय और स्पन्दन के फाइलों और मसलों का बोझ खींचे जाती हैं ।

लेकिन यह शिक्षित लड़कियाँ ऊपरी मन से ही कहती हैं कि वे गृहस्थ जीवन में नहीं पड़ना चाहतीं । मनोवैज्ञानिक दृष्टि से पढ़-लिख कर सुशिक्षित बन जाने के कारण वे मन ही

मन रंगीन कल्पनाओं में गगन-विहार किया करती हैं । वे चाहती हैं कि उनकी शिक्षा के कारण उन्हें अधिक वेतन पाने वाले अमीर परिवार, इन्जीनियर, डाक्टर, प्रोफेसर या पूँजीपति मिलें, जिससे वे जीवन का आनन्द उठा सकें । जीवन में स्वयं आगे परिश्रम न करना पड़े । शिक्षा के बदले उन्हें ऐश्वर्य प्राप्त होता रहे ।

वर पक्ष वालों की अर्पणोत्सुप दृष्टि—

आज के बेकारी और आर्थिक मन्दी के युग में अमीर परिवार और उच्च वेतन पाने वाले सरकारी या गैरसरकारी कर्मचारी बहुत कम हैं । उनका चुनाव जिस पद्धति से किया जाता है, वह इतना कठोर है कि उसमें सफलता पाते-पाते बहुत से व्यक्ति तो पीछे ही छूट जाते हैं । थोड़े से भाग्यशाली व्यक्ति अपनी प्रतिभा तथा अधिकतर शिफारिश के कारण ऊँची स्थितियों में पहुँच पाते हैं । इन उच्च अधिकारियों की माँगों और महत्वाकाँक्षाएँ अजीब-अजीब होती हैं । वे पत्नी के रूप में सौन्दर्य और आकर्षण की चलती-फिरती प्रतिमा चाहते हैं । एक ऐसी सुन्दरी हो जिसे समाज देख-देख कर प्रशंसा करता रहे और मित्र इत्यादि तारीफ के पुल बाँधते रहें । पत्नी के सौन्दर्य के कारण हर कहीं उनकी पूछ हो । कुछ दहेज के रूप में इतनी ऊँची माँगें पेश करते हैं कि सामान्य आर्थिक स्थिति का पिता उसे पूर्ण करने में नितान्त असमर्थ होता है । फिर उनकी माँग की कोई सीमा नहीं । दस, बारह, पन्द्रह-हजार नगद, स्कूटर, मोटर, कोठी, जेवर, जायदाद हर चीज को माँग जा सकता है । वर के पिता गिद्ध की तरह अमीर पैसे वाली पार्टियों पर ही आँखें लगाये रहते हैं । उनका दृष्टिकोण यह होता है कि अधिक से अधिक रुपया या वस्तुएँ किस पार्टी से वसूल की जा सकती हैं । बेचारी उच्च शिक्षित कन्या की शिक्षा को किंचित् भी ध्यान में नहीं रखा जाता । कौन सोचता है कि कन्या ने दिन-रात जाग कर कठोर अध्ययन किया है, संयम से काम लेकर अपनी मानसिक और चारित्रिक योग्यताएँ बढ़ाई हैं । कहीं-कहीं तो वह वर महोदय से भी अधिक शिक्षित हैं । उनकी योग्यता और बुद्धि वर से उच्चकोटि की हैं ।

कन्याओं की गस्त धारणाएँ—

शिक्षित कन्या समझती है कि उसकी पढ़ाई के बदले समाज में उसे बहुत-सी सहूलियतें मिलेंगी । समाज उसे यश, प्रशंसा और प्रतिष्ठा देगा । किसी अमीर परिवार या उच्च

अफसर से तुरन्त विवाह हो जायगा । इस समृद्ध जीवन की कल्पना में वे अपना जीवन-स्तर (स्टैन्डर्ड) भी बहुत ऊँचा कर लेती हैं । इनके वस्त्र इतने कीमती होते हैं कि एक मास का पूरा वेतन ही एक पोशाक को बनवाने में खर्च हो जाता है । पाउडर, क्रीम, इत्र-फुलेल, सेन्ट और फैशन की असंख्य चीजों का व्यय एकदम कमर तोड़ने वाला होता है । एक बार ऊँचा स्तर उठने पर फिर उसे नीचे लाना कठिन हो जाता है । फिजूलखर्ची, शेखीखोरी और विलासिता में बहुत-सा समय और धन नष्ट हो जाता है । यदि शिक्षित कन्या चाहे तो वह अपना स्टैन्डर्ड और आदतें नीचे नहीं ला पाती । वह सीधा-सादा आडम्बर-विहीन जीवन बिता नहीं पाती । यही आधुनिक शिक्षा की कमजोरी है । इस शिक्षा ने युवतियों को कृत्रिम और बनावटी जीवन में बाँध दिया है । स्वास्थ्य को खोखला कर दिया है और आकांक्षाओं को इतना ऊँचा उठा दिया है कि उनका पूरा होना किसी प्रकार सम्भव नहीं हो पाता है ।

उनका भौतिकवादी दृष्टिकोण बदलना चाहिए—

शिक्षा का अर्थ यह नहीं कि कन्याएँ केवल आडम्बर-युक्त फैशनेबिल खर्चीला जीवन ही व्यतीत करें । निरन्तर वेशभूषा तथा सुस्वादु व्यञ्जन के उलटफेर में ही बँधी रहें । भौतिक सम्पदाओं के ही सुख स्वप्न देखती रहें । “खाओ, पीओ, मौज उड़ाओ” की पद्धति में ही इस बहुमूल्य जीवन को लगाये रखना और जीवन के अन्य उत्कर्ष और आनन्द से मुँह मोड़े रहना शिक्षित कन्या की बुद्धिमानी नहीं कहला सकती । जितना समय कृत्रिम फिल्मी अभिनेत्रियों जैसे निरर्थक प्रपंच में लगाया जाता है, उसका चौथाई भी यदि उपयोगी कामों में खर्च किया जाय, तो आन्तरिक आनन्द मिल सकता है ।

शिक्षित कन्या के लिये यह समझना गलत है कि पढ़-लिख कर हमें जीवन का ऐश और आराम ही मिलेगा, रूपवान, धनवान्, विद्वान् और चरित्रवान् पति मिलेगा, समस्त भौतिक सुख, सुविधाएँ मिलेंगी । शिक्षा तो क्षमता और गुप्त प्रतिभा को बढ़ाने का एक साधन है । उससे संयम और सुरुचि विकसित होती है । शिक्षित होकर भी सामान्य और अपने से कम पढ़े-लिखे पति से तालमेल बैठाना पड़ सकता है । बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र और दक्षिण में बहुत सी कन्याएँ बहुत

पढ़ी-लिखी होती हैं, उनका रंग प्रायः सांवला होता है और देखने में भी वे अधिक आकर्षक नहीं होतीं । वे सब कैसे यह आशा कर सकती हैं कि उन सब के लिए ही अमीर या ऊँचे अफसर ही पति के रूप में प्राप्त होंगे ।

ऐसी आदतें झली जाएँ, जो पूरे जीवन निभ जाएँ—

शिक्षित कन्या ऐसी आदतें विकसित करें, जो अन्त तक निभ सकें । गरीबी रहे या अमीरी आये, वह अन्त तक उन्हें चला सके । उन्हें वे सीधी-सादी आदतें डालनी चाहिये, जो सामान्य स्तर की हों । आज की भीषण महँगाई में महज सुन्दर दीखने की लालसा उन्हें चौपट न कर दे । उच्चशिक्षित चाहे काली कुरूप हो, शृंगार प्रसाधनों द्वारा लोगों की आँखों को धोखा देकर अपनी अस्वस्थता, दुर्बलता एवं कुरूपता को छिपाने का उपहासास्पद प्रयत्न न किया करें ।

नारी की शोभा उसके शील, चरित्र और सादगी में है, न कि शृंगार और टीपटाप में । वेशविन्यास तथा आकृति की बाहरी सजावट तभी तक उचित मानी जा सकती है, जब तक कि वह सुरुचिपूर्ण हो । सज्जनाता और उज्वलता दिखाये ।

पाश्चात्य ढंग से उच्छृंखल फैशन और छछोरे ढंग का भड़कीला ठाटबाट बनाना पश्चिम में शायद ठीक माना जाता हो, क्योंकि वहाँ शारीरिक आकर्षण ही दाम्पत्य-जीवन का, प्रेम का आधार रह गया है । वहाँ की नारियाँ इसी कृत्रिम आकर्षण से अपने डूबते-उतरते गृहस्थ-जीवन को खे पाती हैं ।

पर हम भारतीयों की स्थिति सर्वथा भिन्न है । भारतीय नारी का आदर्श यह आज्ञा नहीं देता कि शिक्षित कन्याएँ ऐसा फैशन बनाकर बाजार में निकलें, जिन पर गन्दे लोगों को लांछन भरी कुदृष्टि डालने का मौका मिले । उन्हें उच्छृंखल नहीं बनना है वरन् शील और संकोच की मर्यादाओं का पालन करना है । सादगी और सुरुचि में उनका विशिष्ट सौन्दर्य है । भौंडे शृंगार साधनों के फेर में पड़कर अपना धन और गौरव गँवाते रहने की भूल हमारी शिक्षित कन्याओं को कदापि न करनी चाहिए । उन्हे पाश्चात्य रंग-बिरंगी मेम नहीं बनना है । साध्वी भारतीय नारी, हिन्दू-संस्कृति की मूर्तिमती प्रतिमा का आदर्श सामने रखना चाहिए ।

विवाह में भी दृष्टिकोण बदलने की आवश्यकता—

आधुनिक युग में पुराने वैवाहिक तरीके और चुनाव बदल रहे हैं । दकियानूसी जीर्ण परम्पराएँ त्याग देनी होंगी

और ऐसे उपाय सोचने पड़ेंगे, जो सुविधाजनक, व्यावहारिक और सस्ते हों। जन्मपत्रियों का मिलान, उम्र के बारे में अधिक मीन-मेख, जाति-पाँति के झमेले, पुरानी वृद्धाओं के सौ-साल पुराने मापदण्ड अब काम न देंगे। अब तो सुशिक्षित कन्या का जीवन-स्तर, सामाजिक स्थिति, रुचि, शिक्षा और स्वभाव आदि के अनुसार रिश्ते तय करने होंगे। जबरदस्ती कन्या को वर के साथ बाँध देने से उसका जीवन नष्ट हो जायगा। दहेज और रुपये के आधार पर किये गये विवाह निश्चय ही असफल रहेंगे। नारी-पुरुष की शारीरिक, मानसिक रुचि और स्वभाव के आधार पर ही सफल विवाह होंगे, चाहे उनमें जाति, वर्ग, धर्म, आयु कुछ भी क्यों न हों।

यह भी जरूरी नहीं कि नये विवाहों में पुरुष ही कमाकर खिलाये और घर के बाहर की सैकड़ों जिम्मेदारियाँ सँभाले। सुशिक्षित नारी सामाजिक उत्तरदायित्व सँभाल सकती हैं, जबकि पति पारिवारिक जीवन की देखभाल की जिम्मेदारी ले सकता है। पत्नी की उम्र पति से अधिक भी रह सकती है। दोनों अन्तरजातीय विवाह भी कर सकते हैं। जाति-पाँति सामाजिक स्तर तथा देश की संकीर्णताएँ भी दूर हो सकती हैं। समझदार और सुशिक्षित नारी स्वयं भी सुयोग्य और निभाने वाला पति ढूँढ़ सकती है। कम से कम व्यय में सफल विवाह सम्पन्न हो-सकता है। अपंग और विधवाएँ भी समझदार तरीकों से सफल विवाह कर सकती हैं, क्योंकि विवाह एक प्रकार की जीवन-व्यापी लम्बी मित्रता ही तो है।

मामूली वर भी सफल दाम्पत्य जीवन बना सकते हैं—

आमतौर पर वर अधिक शिक्षित, सशक्त, कमाने वाला और परिवार की गाड़ी खींचने वाला सक्रिय सदस्य होता है। बाहरी जीवन का सारा बोझ उसी के कंधे पर आ पड़ता है। वह सुबह से शाम तक जीविका उपार्जन के जाल में बँधा रहता है। दूसरी ओर उसकी पत्नी घर के अन्दर का समस्त कार्य चलाती है। ठीक समय पर भोजन देना, घर की सफाई, बच्चों की देखभाल आदि कम शक्ति वाले कार्य पत्नी को ही करने होते हैं। इन साधारण कामों की वजह से वह बाहरी दुनियादारी की मुसीबतों से पूर्ण सुरक्षित भी रहती है।

लेकिन यह भी हो सकता है कि नारी कमाये और उसका पति घर और परिवार की समस्त देखभाल करे। यदि पति

घर को सुचारु रूप से सँभालता है और पत्नी काफी कमा कर ले आती है, तब भी गृहस्थी अच्छी तरह चल जायगी। **पढ़ी-लिखी कन्याओं को नये खतरों का सम्मन्ध करने को तैयार रहना चाहिए—**

आज के सभ्य और विकसित कहे जाने वाले जमाने में भी शिक्षित कन्याओं का बिना रूप-रंग, गौर वर्ण और उचित दहेज के विवाह नहीं होता है। यदि दुर्भाग्य से रंग सौवला या शरीर मोटा हुआ, तो और भी अधिक कठिनाई है। तनिक-सी भी कुरूपता होते ही, विवाह असम्भव हो जाता है। पढ़ी-लिखी मामूली लड़की को ब्याहने के लिए दहेज की और लड़की की ओर से जेवर की माँग की जाती है। दोनों ओर से दिवालिया बनने की नौबत आ जाती है। कितने ही परिवार इस विडम्बना की वेदी पर अपना सर्वस्व स्वाहा कर इतनी दयनीय आर्थिक स्थिति को पहुँच जाते हैं कि अपने शेष परिवार के लिए उचित शिक्षा, चिकित्सा और निर्वाह के उचित साधन जुटाना भी शक्य नहीं रहता।

ईमानदारी की आमदनी से इस महँगाई के जमाने में परिवार की मामूली गुजर चलना कठिन हो रहा है, तब विवाह-शादियों में फूँकने के लिए होली जितना धन कहाँ से जुटाया जाय ?

खर्चीले विवाहों की व्यवस्था बनाने के लिए औसत हिन्दू को या तो बुरी तरह अपने बच्चों का पेट काटना पड़ता है या फिर चोरी, बेईमानी का पैसा कमाने का मार्ग अपनाया पड़ता है। दोनों ही रास्ते दुष्परिणाम उत्पन्न करते हैं।

ग्रेजुएट कन्या का इन्टर पास एकाउन्टेन्ट से विवाह—

शिक्षित कन्याएँ अब ऐसे विवाह पसन्द करती हैं, जिनमें अपव्यय एक पैसे का न हो; दहेज जेवर तथा निरर्थक धूमधाम का सर्वत्र बहिष्कार किया जाय पचास-सौ रुपये जितने स्वल्प व्यय में विवाहों का आयोजन खूबसूरती से निपट जाय। दोनों पक्षों में किसी पर अनुचित भार न पड़े। ऐसे कितने ही विवाह पिछले दिनों शांतिकुंज एवं 'गायत्री तपोभूमि' मथुरा में सम्पन्न हुए हैं। एक उदाहरण दुर्ग (म० प्र०) का है।

बेमेतरा (दुर्ग) निवासी श्री प्रभाकर कृष्ण ठोके का विवाह श्रीमती कलावती ठोके के साथ बहुत ही सात्विक एवं भावनात्मक वातावरण में सम्पन्न हुआ था। वधू-पक्ष से दो, कन्या-पक्ष से दो, दोनों ओर से एक-एक पुरोहित इस प्रकार

५.४६ विवाहोन्माद : समस्या और समाधान

बहुत कम लोग इस आयोजन के लिए आये थे । स्वामी प्रेमानन्द ने विवाह संस्कार कराया था । उपस्थित आश्रमवासियों तथा कार्य-कर्ताओं ने पुष्प-वर्षा कर वर-वधू को आशीर्वाद दिया था । पुरानी खर्चीली रूढ़ियों में से एक को भी पास न फटकने दिया गया था । कन्या बी. ए., बी. एड. अच्छे वेतन पर अध्यापिका हैं, वर इन्टर पास बैंक में एकाउन्टेन्ट हैं । वेतन भी पत्नी से कम पाते हैं ।

यह विशेष परम्परा का प्रचलन है । अब तक यही प्रथा रही है कि लड़की की अपेक्षा लड़का अधिक आयु का, अधिक शिक्षित तथा अधिक ऊँची आजीविका कमाने वाला होना चाहिये । यह गलत मान्यता उच्च शिक्षित लड़कियों को अविवाहित रहने के लिये विवश कर देता है । उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लालच में अक्सर लड़कियों की आयु बड़ी हो जाती है । अच्छे लड़के ढूँढ़ने में भी अभिभावकों को बहुत समय लगता है । अधिक आयु के लड़के मिलते नहीं । जो मिलते भी हैं, वे बहुत दहेज माँगते हैं या विधुर होते हैं । इस झंझट में लड़कियाँ और अधिक बड़ी हो जाती हैं । तब दहेज आदि की व्यवस्था करने पर भी उपयुक्त लड़के नहीं मिलते । हार कर सुशिक्षित कन्याओं को अविवाहित रहने के लिए विवश होना पड़ता है ।

जैसा ऊपर वाले विवाह से स्पष्ट है, इस प्राचीन मान्यता को बदला जाना चाहिए कि कन्या से वर की आयु बड़ी होनी चाहिए । हो तो कोई हर्ज नहीं, पर ऐसा कोई बन्धन नहीं होना चाहिए । इसी प्रकार कन्या की शिक्षा से वर अधिक शिक्षित या अधिक कमाऊ ही हो, यह बात भी जरूरी नहीं रहनी चाहिए साधारणतः बीस वर्ष की आयु में कन्या और पच्चीस वर्ष की आयु में लड़का विवाह के योग्य हो जाता है । इसके बाद दोनों की आयु में समानता अथवा थोड़ी न्यूनाधिकता हो तो कोई हर्ज नहीं । यदि लड़की किसी नौकरी पर लगी है और अधिक पैसे कमाती है, तो इस बात में भी कोई संकोच नहीं किया जाना चाहिए कि लड़का कुछ कम कमाता है । नारी को झिन और नर को श्रेष्ठ मानने का मिथ्या अहंकार ही प्रचलित रूढ़िवादिता का आधार है अन्यथा वस्तुतः दोनों में से कोई भी आय, शिक्षा या आजीविका में कुछ आगे-पीछे रह सकता है । इसमें कोई बेइज्जती की बात नहीं है । देन-दहेज अपव्यय आदि की मूर्खता को हटाने की दृष्टि से भी यह विवाह

नया पथप्रदर्शन करने वाला है । उसमें लड़की की शिक्षा की अधिकता और लड़के की शिक्षा कम होने का तनिक भी ख्याल रखने की आवश्यकता नहीं समझी गई है ।

सैकड़ों विवाहों में शिक्षित और अल्प-शिक्षित व्यक्तियों में जीवन-भर निभाव और मित्रता चली है, उन्होंने एक दूसरे की कमजोरियाँ भूलकर एक दूसरे को सँभाला है, प्रोत्साहन दिया है । उसी प्रकार अब सुशिक्षित कन्याएँ अल्प-शिक्षित पतियों को प्रेम और आकर्षण से ऊँचा उठा सकती हैं और सफल सृष्टि कर सकती हैं । विवाह हो जाने पर न कोई छोटा है, न कोई बड़ा । दोनों पक्ष एक दूसरे में इतने घुलमिल जाते हैं कि जाति, वर्ग, उम्र, धर्म, शिक्षा तथा देश आदि की भिन्नता कोई मतलब नहीं रखती । अच्छे विवाह का आदर्श है—जीवन-साथी के साथ निभाव । प्रतिकूल परिस्थितियों में भी उसे आगे बढ़ाना, प्रेम पूर्वक उसकी त्रुटियों को दूर करना, सुख, दुःख और हानि-लाभ में मुस्तैदी से जिन्दगी की गाड़ी खींचना । पति-पत्नी दोनों में से जो भी अधिक समझदार होगा, वही कम समझदार की सहायता कर सकता है ।

विवाहों के आदर्श और सिद्धान्त—

आदर्श विवाहों के लिए यह आवश्यक है कि उनका निश्चय एवं निर्धारण आदर्शवादी सिद्धांतों के आधार पर किया जाय । केवल रीति-रस्म तो सुधरे हुये ढंग से कर ली जाएँ और उस सम्बन्ध को निश्चय करने में गलत दृष्टिकोण को मान्यता दी जाये, ऐसा नहीं होना चाहिए । रस्म का उतना महत्त्व नहीं जितना उसके मूल आधार का, इसलिए उसके सम्बन्ध में भी हमें अपनी मान्यताएँ परिमार्जित कर लेनी चाहिए और उसी आधार पर जहाँ उपयुक्तता हो वहाँ सम्बन्ध निश्चित करना चाहिए ।

समान जोड़े ढूँढ़ें—

गुण, कर्म, स्वभाव की दृष्टि से, शारीरिक और मानसिक दृष्टि से उपयुक्त जोड़े ही ढूँढ़ने चाहिए । अनमेल विवाह दुःखदायक सिद्ध होते हैं । बच्चों की अभिरुचि और आकांक्षा का ध्यान रखते हुए उनका जोड़ा चुना जाय । रूप की अपेक्षा गुणों को प्रधानता दी जाय । लड़कियाँ धनी घरों में ही दी जाएँ यह दृष्टिकोण छोड़कर अब सुयोग्य लड़के ढूँढ़ने की बात ध्यान में रखनी चाहिए । धन का स्थायित्व पहले भी कम था,

पर अब तो उसका मूल्य, महत्त्व एवं स्थायित्व बुरी तरह गिर रहा है। धनी घर के अयोग्य लड़कों की अपेक्षा गरीब घर के सुयोग्य बच्चे हर दृष्टि से अच्छे रहते हैं। लड़की की जिन्दगी किसी परिवार की सम्पन्नता के आधार पर नहीं, लड़के की सुयोग्यता के आधार पर ही सुखी हो सकती है। इसलिए सम्पन्नता पर नहीं, लड़के की प्रतिभा एवं सज्जनता पर ही विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। लड़की की योग्यता-अयोग्यता के अनुरूप ही लड़के ढूँढ़े जाएँ। धन के प्रलोभन से अयोग्य कन्याओं को सुयोग्य लड़कों के साथ बाँधने में सफलता मिल भी जाय तो भी वह एक तरह की असफलता ही मानी जायगी, ऐसे जोड़े कम ही सुखी रह पाते हैं।

यथासम्भवं विवाह निश्चित करने से पूर्व वर कन्या को एक दूसरे के विषय में जानकारी दे देनी चाहिए और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उनकी सहमति भी लेनी चाहिए उनकी इच्छा के विपरीत सम्बन्ध कदापि न किये जाएँ। दहेज आदि की कठिनाइयों के कारण कई बार लड़कियाँ बड़ी हो जाती हैं और उपयुक्त लड़के नहीं मिलते। ऐसी दशा में अधिक आयु के वर ढूँढ़ लिये जाते हैं। कई बार तो वे ढलती आयु के भी होते हैं। ऐसे सम्बन्ध सर्वथा हेय हैं। विधुर व्यक्तियों के विवाह यदि आवश्यक ही हों तो विधवाओं के साथ किये जाने चाहिए। जो नियम स्त्री के लिए है वही पुरुष के लिए भी होना चाहिए, विधवा और विधुरों की नैतिक, धार्मिक एवं सामाजिक स्थिति एक समान है। प्रतिबन्ध और सुविधा दोनों को समान होनी चाहिए। यदि विधवा होने पर स्त्री का विवाह अनुचित है तो वैसा ही प्रतिबन्ध विधुरों पर भी रहना चाहिए। यदि विधुरों को दूसरा विवाह करने की छूट है तो वैसी ही छूट विधवाओं के लिए भी रहनी चाहिए। न्याय सब को समान मिलना चाहिए। बन्धन सब पर समान रहने चाहिए। बेचारी नारी दुर्बल है, असहाय, पराधीन है, इसलिए उस पर कठोर प्रतिबन्ध रहें और पुरुष चूँकि समर्थ है इसलिए उसे अतिरिक्त सुविधा मिले यह किसी भी प्रकार न्यायसंगत नहीं होगा ?

न्याय का इनन न हो—

न्याय की तुला सबके लिए समान रहनी चाहिए। नर और नारी ईश्वर की दो भुजाएँ हैं, दो आँखें हैं। उसने दोनों को समान बनाया है और सत्तान अधिकार दिये हैं। नर नारी

के बीच जो लिंग भेद है उसका अर्थ दोनों की अपूर्णता को मिलने पर एक संयुक्त पूर्णता बनाने की कलात्मक व्यवस्था मात्र है। इससे उनके सामाजिक एवं मानवीय अधिकारों में कोई अन्तर नहीं आता। विवाह का निश्चय करते समय इस तथ्य को पूरी तरह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि किसी पक्ष के साथ अन्याय न होने पावे। अधिक आयु के पुरुष जिनकी पत्नी छोटे बच्चे छोड़कर मरी है, उन्हें यदि विवाह आवश्यक ही हो तो अपनी जोड़ी की विधवा तलाश करनी चाहिए, निस्सन्तान विधुर निस्सन्तान विधवाओं से और सन्तान वाले पुरुष सन्तान वाली विधवाओं से विवाह करें तो और भी न्यायोचित होगा। यदि पुरुष की पिछली सन्तान का नई पत्नी पालन कर सकती है, तो सन्तान वाली विधवा के बच्चों का पालन उसके दूसरे पति को क्यों नहीं करना चाहिए ?

विशेषाधिकार भोगने सबको अच्छे लगते हैं। अतिरिक्त सुविधाएँ जिन्हें मिली हुई हैं उन्हें छोड़ते हुए बुरा लगता है। यही बात विधुर पुरुषों के विवाह के सम्बन्धों में भी है, वे स्वभावतः कुमारी कन्याओं से विवाह करना चाहते हैं। यह न्यायोचित नहीं। आयु में अधिक अन्तर होने से वधू के विधवा होने का खतरा स्पष्ट है। उसकी छोटी सन्तानों को इसका दुःख आमतौर से भोगना पड़ता है। वैधव्य का जीवन आज के दिनों में कितना कष्टमय होता है, इसे कौन नहीं जानता। यह उचित नहीं कि कोई पुरुष अपनी सुविधा के लिए अपनी भावी पत्नी को वैधव्य की आग में झोंक देने और उसे अनाथ बनाकर छोड़ जाने की तैयारी करे। ऐसे अनीति-पूर्ण आधार पर स्थापित किया गया दाम्पत्य जीवन कभी सुख-शान्तिमय नहीं हो सकता, इसका प्रत्यक्ष अनुभव इस प्रकार के अधिकांश विवाहों के परिणाम को देखकर भली प्रकार जाना जा सकता है। स्त्री यह निरन्तर अनुभव करती रहती है कि उसके साथ अत्याचार हुआ। उस अत्याचार को भले ही वह विवशता में सहन करती रहे पर भीतर ही भीतर उसके मन में प्रतिहिंसा की आग जलती रहती है, फलस्वरूप ऐसे विवाह कभी सफल नहीं हो सकते।

विधुर और विधवाओं की समस्या—

आदर्श विवाहों का आयोजन करने से पूर्व यह बात भली प्रकार देख ली जानी चाहिए कि जोड़ा ठीक मिला या नहीं। यदि जोड़ी गलत ढंग से मिलाई गई है तो फिर संस्कार

६.४८ विवाहोन्माद : समाप्त और समाप्त

को सुधरे हुए ढंग से कर देने का भी कोई मूल्य नहीं रह जाता। हमें पूरा ध्यान उपयुक्त जोड़े मिलाने पर देना चाहिए। विधुरों के कुँवारियों के साथ विवाह होने की प्रचलित परिपाटी के कारण हिन्दू समाज में विधवाओं और अनाथों की संख्या बेतरह बढ़ती चली जा रही है, इन विधवाओं की जो दयनीय दुर्दशा होती है वह किसी से छिपी नहीं। परिवारों में जो स्वार्थ-संघर्ष चल रहे हैं उसमें किसी स्त्री के विधवा होते ही उसके कुटुम्बी यह प्रयत्न करते हैं कि उसके पति की सम्पत्ति के वे संरक्षक बनकर हड़प लें और उसे दाने-दाने को मुहताज बना दें। फिर बेचारी विधवाएँ समाज में पग-पग पर तिरस्कृत जीवन व्यतीत करती हैं, उनका किसी शुभ कार्य में सम्मिलित होना अशुभ माना जाता है। परिवार वाले उसे अभागिन, पापिन मानते हैं और समय-समय पर तिरस्कृत पददलित करने में चूकते नहीं। उनके असहाय, अनाथ बच्चे भी तिरस्कृत जीवन और अन्याय सहन करते हुए व्यतीत करते हैं। इनका प्रभाव उनके मन को आजीवन छोटा बनाये रहता है।

विधवाओं की अन्धाधुन्ध वृद्धि बन्द की जानी चाहिए। अनाथों की संख्या से हिन्दू जाति को भर देने की प्रचलित कुप्रथा को रोकना चाहिए। यह न्याय की पुकार है। मानवीय अधिकारों का प्रश्न है। परिपाटी जो भी हो यदि वह मानवता और नैतिकता के आदर्शों के विपरीत है तो उसे बदला ही जाना चाहिए। अब समय आ गया है कि विवाह सम्बन्ध निश्चित करने से पूर्व विधवा विधुर की बात को ध्यान में रखें। वृद्ध विवाहों को, अनमेल विवाहों को रोकें। लड़कियों में ऐसा साहस उत्पन्न किया जाना चाहिए कि उन्हें विधुरों के साथ विवाहा जा रहा हो तो इसे अनीति मानकर उस बन्धन में बँधने से इंकार कर दें। सामाजिक कार्यकर्ताओं को इस प्रकार के अवसरों पर प्रतिरोध करना चाहिए। कानूनी बन्धन भले ही न हों पर न्याय की पुकार तो सबसे बड़ी है। उसकी महत्ता सरकारी नियमों और प्रचलित परम्पराओं की तुलना में असंख्य गुनी अधिक है। अनीति का हर जगह, हर पंहुलू से विरोध होना चाहिए, फिर चाहे वह विवाह के नाम पर ही क्यों न की जा रही हो।

बाल विवाह सर्वथा अनुपयुक्त—

बाल विवाहों के बारे में पहले ही कहा जा चुका है कि वे प्रत्येक दृष्टि से अनुचित हैं। कौतुक प्रिय अभिभावक अपने

बच्चों का जल्दी विवाह कर जल्दी विवाह की जिम्मेदारी से छुटकारा पाना चाहते हैं और जल्दी विवाहोत्सव देखने का आनन्द लेना चाहते हैं, तो यह उनकी बच्चों जैसी अधीरता ही मानी जायगी। पिछड़े हुए लोगों में यह प्रथा अभी भी बहुत है। गोदी में खेलने वाले दुधमुँहे बच्चों तक के हजारों विवाह इस देश में होते हैं। शहरी शिक्षित वर्ग में परिपक्व आयु के बच्चों के विवाह होने लगे हैं, पर भारत की अधिकांश जनता गाँवों में रहती है। वहाँ शिक्षा का प्रकाश भी कम ही पहुँचा है। वहाँ के पिछड़े वर्ग में ऐसी कुरीतियाँ अलग ही चलती हैं। इस दुर्भाग्यपूर्ण अन्धकार में बाल विवाह के नाम पर असंख्य बच्चों के शारीरिक और मानसिक सर्वनाश के आयोजन होते रहते हैं। इस अज्ञान एवं अनौचित्य को रोका ही जाना चाहिए। ऐसा वातावरण बनाया जाना चाहिए, जिससे इस प्रकार की खिलवाड़ रुक सके।

मध्यकाल में जिन दिनों विधर्मी आतताइयों का भारत पर शासन था और वे किसी भी सुन्दर लड़की का बलात् अपहरण कर ले जाते थे, उस आपत्तिकाल में समाज के बुद्धिमान लोगों ने आपत्ति धर्म के रूप में बाल विवाह का प्रचलन किया था। 'शीघ्र बोध' जैसी सामान्य पुस्तकों में ऐसे श्लोक भी लिख दिये गये थे, जिनके अनुसार आठ दस वर्ष तक के बच्चों का विवाह उचित ठहरा दिया गया था। समय के अनुरूप वह व्यवस्था उत्तम थी और अपने समय में इस व्यवस्था ने धर्म रक्षा में बड़ा योग भी दिया। अतएव उस सामयिक सूझ बूझ की प्रशंसा ही करनी चाहिए। पर अब वैसी परिस्थितियाँ नहीं रहीं। अब अपनी बहिन-बेटियों के अपहरण का कोई खतरा नहीं, ऐसी दशा में उस आपत्ति धर्म को अपनाये रहने की कोई आवश्यकता नहीं। बुखार चला जाय तो भी कुनैन का इन्जेक्शन लेते रहने की कोई उपयोगिता नहीं। जो लोग धर्म समझकर छोटी बच्चियों का विवाह करते जाते हैं वे भारी भूल करते हैं। भारतीय धर्म में वयस्क युवक-युवतियों के विवाह का ही विधान है, उसमें छोटे बच्चों की शादी कर डालने की कहीं कल्पना भी नहीं है। इस खिलवाड़ को धर्म मानने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

अनमेल विवाह न होने पावें—

कुमारी लड़कियों को वृद्धों के हाथों बेचे जाने में कई बार तो धन के लोभी कन्या माँस विक्रेता हृदयहीनों की दुर्बुद्धि

भी काम करती है। जिन्हें लालच के आगे दीन-धर्म, न्याय-अन्याय कुछ भी नहीं सूझता वे लालच के आगे वशीभूत होकर अपनी माँ, बहिन, पत्नी, लड़की, धर्म, ईमान, न्याय, नीति सब कुछ बेच सकते हैं। ऐसे नरपशुओं की गति-विधियाँ समाज का वातावरण विषाक्त करती हैं। इसलिए उनका कड़ा प्रतिरोध करना चाहिए। कई बार तो दस-दस बारह-बारह वर्ष की बच्चियों के विवाह पचास-पचास साठ-साठ वर्ष के बूढ़ों तक के साथ होते देखे गये हैं। इन नरमेधों से 'विवाह' शब्द भी कलंकित होता है। प्रयत्न यह करना चाहिए कि लूट, अपहरण, हत्या, बलात्कार जैसे अपराधों की तरह इन्हें भी रोकने का प्रयत्न किया जाय। यद्यपि ऐसी घटनाएँ कम ही होती हैं पर सारे समाज में एक भी ऐसा अपराध होना असह्य हो जाना चाहिए।

कन्या-विक्रय की दुष्ट-वृद्धि से वृद्ध विवाह कम ही होते हैं। फिर भी उनकी बहुत बड़ी संख्या जो देखने में आती है, उसका कारण अभिभावकों की दहेज सम्बन्धी मजबूरी होती है। आर्थिक स्थिति ठीक न होने से दहेज की लम्बी-चौड़ी माँगें पूरा कर सकना एक सामान्य स्तर के व्यक्ति के लिए कठिन होता है। यह कन्या के उपयुक्त वर ढूँढता रहता है, एक जगह सफलता नहीं मिलती तो दूसरी जगह, दूसरी जगह व्यवस्था न बनने पर तीसरी जगह ढूँढता है। इस प्रकार तलाश करने में दिन बीतते रहते हैं और लड़कियाँ बड़ी होती रहती हैं। धीरे-धीरे वे काफी बड़ी हो जाती हैं। जबकि समाज की प्रचलित परम्पराओं में आमतौर से बीस वर्ष के भीतर लड़कियों के विवाह हो जाते हैं। लड़कियों की आयु कुछ ही बड़ी हो गई तो उससे छोटी आयु का तो क्या बराबरी का लड़का भी मिल सकना कठिन हो जाता है।

वर-वधू में आयु का अन्तर—

प्रचलित मान्यताओं के अनुसार लड़के से लड़की को कई वर्ष का छोटा होना आवश्यक है। बराबर की या बड़ी लड़की से विवाह करना बुरा माना जाता है। पुरुष स्त्री पर समुचित शासन कर सके यह बात आयु में छोटे रहने पर ही ठीक तरह बनती है। इसलिए रिवाज यही है कि वधू, वर से कई वर्ष छोटी हो। आर्थिक स्थिति ठीक न होने पर लड़के तलाश करते-करते जिनकी लड़कियाँ बाइस-चौबीस वर्ष के लगभग आ पहुँचीं, उनके लिए अब आर्थिक संकट का ही

नहीं, बड़ी आयु का लड़का मिलने का भी प्रश्न सामने आ खड़ा होता है और गुत्थी दुहरी उलझ जाती है। कन्या को कुँवारी रखना कोई पसन्द नहीं करता। उसका विवाह होना चाहिए, फिर चाहे वह बड़-पीपल के साथ ही क्यों न हो, इस मजबूरी में भी अनेक बार सयानी लड़कियों का विवाह ढलती आयु के वयोवृद्धों या विधुरों के साथ करना पड़ता है। अधिकांश वृद्ध विवाह इस आधार पर होते देखे गये हैं। लड़की अभिभावकों के मन में कन्या विक्रय जैसी दुर्बुद्धि रती भर नहीं होती। जो बन पड़ता है, सो देते ही हैं। ऐसा विवाह करने की मजबूरी पर दुःख तथा लज्जा भी अनुभव करते हैं, पर उन्हें और कोई मार्ग नहीं दीखता। जब सारे द्वार बन्द दीखते हैं तो विवशता में उन्हें यही करने के लिए बाध्य होना पड़ता है।

इस दुहरी आपत्ति का मुकाबला दुहरे साहस के साथ किया जाना चाहिए, दहेज की कुरीति का उन्मूलन करने के साथ-साथ ऐसी विवशताओं का हल निकालने के लिए हमें अपने दृष्टिकोण में यह सुधार भी करना चाहिए कि लड़के से लड़की थोड़ी बड़ी भी हो तो इसमें कुछ हर्ज नहीं। आमतौर से वर बड़ा और वधू छोटी होती है। इस छोटे बड़े होने का कोई प्रतिकूल प्रभाव दाम्पत्य जीवन पर नहीं पड़ता। फिर यदि वधू थोड़ी बड़ी है और वर कुछ वर्ष छोटा हो तो इससे क्या आपत्ति आ सकती है? वर, वधू पर शासन करे यह इच्छा एक तो वैसे ही सामन्त वादी है, फिर उसकी आयु के कुछ वर्ष छोटे-बड़े होने से कोई सम्बन्ध नहीं। यह तो प्रतिभा और गुणों का प्रश्न है। फिर पति-पत्नी तो दोनों एक ही रथ के दो पहिए हैं। किसी को किसी पर शासन नहीं करना है। कोई किसी को दबाकर रखने की इच्छा क्यों रखे? दोनों प्रेम, सद्भाव और विचार-विनिमय पूर्वक ही अपने गृहस्थ जीवन को सफल बनाते हैं। उनमें किसी का कुछ वर्ष छोटा बड़ा होना भी बाधक नहीं हो सकता।

सहृदयता और उदारता की आवश्यकता—

जहाँ कन्या के अभिभावकों को उस दूसरी मजबूरी में फँसा देखा जाय वहाँ सहृदय, उदार एवं विचारशील लोगों को दुहरी सहानुभूति करनी चाहिए। साहसी अभिभावक एवं साहसी नवयुवक ऐसे विवाह स्वीकार कर लें। इससे उस लड़की को बूढ़े के साथ विवाह जाने से बचाया जा सकेगा।

वृद्ध विवाह का, अनमेल विवाह का मौखिक विरोध करने से काम न चलेगा। उसका व्यावहारिक हल भी सोचना पड़ेगा। लड़की सयानी हो जाने के कारण जहाँ दूसरी मजबूरी आ खड़ी हुई है, वहाँ तो वृद्ध विवाह रोकने का एक ही तरीका है कि उनके सामने दूसरा विकल्प प्रस्तुत किया जाय अन्यथा विरोध निरर्थक है। जब रास्ता कोई दूसरा है नहीं तो आखिर हो क्या? ऐसी लड़कियाँ आजीवन कुमारी रहने का निश्चय कर सकती हैं। पर उनमें से कोई विरली ही ऐसा साहस कर पावेंगी। अभिभावकों के सामने इस तरह के प्रसंगों पर कुछ कह सकने की हिम्मत लड़कियों को कहाँ होती है? भीतर ही भीतर वे भले कुदृती रहें बाहर तो एक भी शब्द मुँह से नहीं निकाल पातीं। घर वाले जो करें वही उन्हें मानना पड़ता है। ऐसी दशा में उन आदर्शवादी व्यक्तियों पर दुहरा उत्तरदायित्व आता है। उन्हें यदि ऐसी बच्चियों को बूढ़ों के गले मढ़े जाने में कुछ दर्द होता हो तो उसके लिए कुछ त्याग करना चाहिए और वर से बड़ी वधू न हो—इस मान्यता की भी उपेक्षा कर देनी चाहिए। जो दहेज न लेने जैसा साहस कर सकते हैं, उनसे इस प्रकार से दूने साहस की अपेक्षा भी की जा सकती है। बचन शूर न रहकर जो कर्मवीर बन सकें उन्हीं की आदर्शवादिता सच्ची एवं सराहनीय मानी जा सकती है।

एक विचारणीय विकल्प—

सुशिक्षित लड़कियों के सामने यह प्रश्न और भी उग्र रूप से आता है। ग्रेजुएट बनते-बनते उनकी आयु बड़ी हो जाती है। दो चार वर्ष लड़के ढूँढ़ने में और लगे, पर सफलता न मिली तो आयु अट्ठाईस-तीस के करीब जा पहुँचती है। बिना पढ़ी लड़कियों के लिए बिना पढ़े लड़के कम दहेज में भी मिल जाते हैं, यदि उससे अधिक शिक्षित और सुयोग्य लड़के चाहिए तो ऐसी जगह दहेज की दूनी-चौगुनी ही माँग होती है। जिन अभिभावकों के लिए सामान्य स्तर का विवाह करना भी कठिन है, वे इन सुशिक्षित लोगों की धन की माँग कहाँ से पूरी करें? कन्या की पढ़ाई तो किसी प्रकार पूरी करा दी, अब विवाह के लिए इतना खर्च कहाँ से आवे। फिर उनसे बड़े कुमार लड़के कहाँ से मिलें? इस दुहरी समस्या में उलझी हुई लड़कियों को अध्यापिका आदि की नौकरी करते हुए आजीवन कुँवारी रहने को विवश होना पड़ता है। ऐसी

लड़कियों की बहुत बड़ी संख्या हमारी जानकारी में है, जिन्हें स्वेच्छा से नहीं मजबूरी से कुँवारी बनने के लिए विवश होना पड़ रहा है।

इस उलझन को हल करने में जहाँ सहृदय सुधारवादी युवकों को त्याग एवं साहस प्रदर्शित करना आवश्यक है, वहाँ इन लड़कियों को भी साहसी और त्यागी बनना चाहिए। वे अपने से कुछ कम आयु के और कुछ कम पढ़े-लिखे लड़के आसानी से प्राप्त कर सकती हैं। जिस प्रकार सुयोग्य पति का लाभ अयोग्य पत्नी उठाती है, उसी प्रकार इस बात में क्यों अड़चन होनी चाहिए कि सुयोग्य पत्नी का लाभ उससे कम योग्यता वाला पति उठावे? सुशिक्षित वधू अपने पति की शिक्षा सम्बन्धी कमी को आसानी से पूरा कर सकती है। उसी प्रकार यदि वह कुछ कम कमाता है तो स्वयं अधिक पैसे की नौकरी द्वारा परिवार का खर्च चलाने में सहयोग कर सकती है।

पुरुष जाति द्वारा प्रचलित की गई स्वार्थपूर्ण मान्यता का शिकार कम से कम सुशिक्षित लड़कियों को तो नहीं होना चाहिए कि वधू से वर अधिक बड़ा या अधिक योग्य होना आवश्यक है। यदि वधू अधिक सुयोग्य एवं बड़ी हो तो इसमें किसकी क्या और क्यों हानि हो सकती है? पति-पत्नी में भावनात्मक समानता एवं एकता होनी चाहिए। फिर उनमें से कोई कुछ छोटा-बड़ा हो तो इसमें किसी का कुछ बिगड़ता नहीं है। यह मान्यता यदि पनप जाय तो आज की उन अगणित सुशिक्षित कुमारी लड़कियों के विवाह की समस्या सुलझ जाय जिनके लिए उनसे अधिक आयु के सुयोग्य एवं सस्ते लड़के मिल सकना कठिन हो रहा है।

उपहास और विरोध से न डरें—

समाज की अभिनव रचना के लिए हमें कितनी ही प्रचलित मान्यताओं में उलट-फेर करना होगा। लोग उपहास करेंगे, नाराज होंगे, रोड़े अटकावेंगे सो तो होना ही है। लोग तो आखिर लोग ठहरे। उन्हें विवेक से नहीं, जो है सो रहे, इसी से प्रेम है। गन्दा रहने वाले को जब साफ रहने के लिए कहा जाता है तो आमतौर से वह इस बात का बुरा मानता है और जैसी भी उसकी स्थिति होती है, उसके अनुसार-उस-सुझाव देने वाले को नीचा दिखाने का भी प्रयत्न करता है। इस मानव स्वभाव का आखिर कोई क्या करे? वह तो रहेगा

ही या जो कुछ चल रहा है उसे ही ठीक माना और सहा जाय। अन्यथा यदि सुधारना ठीक जँचता हो तो इसके अतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं कि लोगों का उपहास, तिरस्कार एवं विरोध सहने के लिए तैयार रहा जाय। लोगों को समझ आती तो है पर आती तब है जब कि अपनी मूर्खता में जो कमी रह गई थी, उसे भी पूरा कर लेते हैं।

ईसामसीह की मान्यताओं का उस जमाने में हर किसी ने विरोध किया था। सारे जीवन के प्रयत्न से उन्हें कुल मिलाकर १३ अनुयायी मिले थे। जिनमें से एक ऐसा खोटा निकला जिसने ३० रुपये पाने के लालच में अपने गुरु को पकड़वाकर फौसी लगवा दी। पर बात सच थी इसलिए लोगों ने देर-सबेर से मानी। आज एक तिहाई संसार उस ईसा के उपदेशों का अनुसरण करता है, जिसके जीवन में हर कोई उसका विरोधी था। सुकरात से लेकर गाँधी तक हर किसी सुधारक को लोगों के विरोध, उपहास एवं उत्पीड़न का सामना करना पड़ा है। जो इससे डरता हो उसे सुधारक नहीं बनना चाहिए और न युग परिवर्तन जैसे महान तथ्य की कल्पना ही करनी चाहिए। चट्टानों से टकराकर नदी की तरह बहने में जिन्हें मजा आता हो, नवनिर्माण की बात सोचना और उसके लिए साहस करना उन्हीं के लिए उपयुक्त है। प्रचलित सिद्धान्तों का जन्मदाता 'रूसो' और साम्यवादी सिद्धान्तों के निर्माता 'कार्लमार्क्स' अपने जीवन में सिर्फ पागल कहे जाते रहे। आज दुनिया के करोड़ों लोग उनकी मान्यताओं का अनुसरण कर रहे हैं। लोगों की इस प्रवृत्ति को बदला नहीं जा सकता। वे विरोध करेंगे ही। न करें तो फिर लोग नहीं रहेंगे। फिर तो उन्हें विवेकशील और दूरदर्शी कहा जाने लगेगा। लोगों को इतनी भारी चीजों का वजन उठाना कभी स्वीकार नहीं होता। वे बदलते तो हैं पर तब जब जमाना उनका साथ छोड़कर तेजी से बदलता चला जाता है। हमें अपने नवनिर्माण की मान्यताओं को प्रचलित करते हुए भी इसी प्रकार की आशा रखनी चाहिए और उसके लिए आवश्यक धैर्य एवं मनोबल एकत्रित करना चाहिए।

दर्जा किसका बड़ा किसका छोटा ?

यह माना जाना सही नहीं है कि लड़की वाले का दर्जा छोटा और लड़के वाले का दर्जा बड़ा होता है। इसलिए लड़की वाले को ही-लड़के वाले के सामने गिड़गिड़ाते रहना चाहिए

और वे जो झिड़की दें, अपमान करें उसे विनीत भाव से सहन करते रहना चाहिए। यह पद्धति न तो उचित है और न न्यायसंगत। लेने वाले से देने वाले का दर्जा सदा ऊँचा रहता है। लोकाचार में यही रीति-नीति देखी जाती है कि कोई किसी को कुछ अनुदान, उपहार प्रदान करे तो लेने वाले को कृतज्ञता प्रकट करते हुए उस उदारता का आभार मानना पड़ता है। छोटी-छोटी सहायताएँ हम जिनसे प्राप्त करते हैं, उन्हें धन्यवाद देते हैं। फिर अपनी आत्मा—पुत्री को बिना कुछ लिए आजीवन सेवा-सहायता के लिए प्रदान करने वालों का दान तो बहुत ही बड़ा है। जीवन का अधूरापन दूर करने वाली, अपूर्णता को पूर्ण करने वाली जीवन-सहचरी का कितना मूल्य हो सकता है, इसका अनुमान लगा सकना भी कठिन है। जड़ वस्तुओं की कीमत रुपये-पैसे में आँकी जाती है, इतना बड़ा उपहार बिना किसी प्रतिफल की कामना किये जिसने प्रदान किया है, उसके उपकार के बदले में कृतज्ञता, बड़प्पन और आदर के भाव रखना तो दूर, उल्टा उन्हें छोटा समझें तथा अपमानजनक व्यवहार करें यह कहाँ की मनुष्यता है ?

देखा गया है कि वर पक्ष के लोग उचित-अनुचित माँगों कन्या पक्ष वालों के सामने रखते रहते हैं और वह यदि किसी कारणवश उन्हें पूरा नहीं कर पाते तो रुष्ट होकर बैठ जाते हैं। हर घड़ी असाधारण सम्मान चाहते हैं। उनकी इच्छा आवभगत में राई-रत्ती भी कमी रह जाती है, तो आगबबूला होते और अपमानजनक व्यवहार करते हैं। ऐसे दृश्य घर-घर आये दिन देखने को मिलते रहते हैं। जिनमें लोग ससुराल वालों के ऊपर शनि, राहू की तरह छा जाते हैं और उन्हें परेशान करते देखे गये हैं। इन अडंगेबाजी के पीछे लोगों की यह मान्यता काम कर रही होती है कि लड़की वालों का दर्जा बहुत नीचा और लड़के वालों का बहुत ऊँचा है। लड़के वालों ने उनकी कन्या स्वीकार कर बहुत बड़ा उपकार किया है। उसके बदले में अब वे अपनी राजा देवताओं जैसी पूजा कराना अपना अधिकार मान बैठे हैं। उनकी इच्छानुकूल कोई साधन नहीं जुटते तो वे इसी को अपना अपमान मानकर अशिष्ट व्यवहार करने पर उतारू हो जाते हैं।

अनुपपुक्त मान्यताएँ बदलें—

विचारणीय बात यह है कि क्या उपर्युक्त प्रकार की मान्यता उचित कहलाये जाने के योग्य है ? उत्तर नहीं में ही

मिलेगा । उदारदानी होने से निश्चित रूप से कन्या-पक्ष के लोग अधिक सम्माननीय हैं । चाहिए तो यह कि उनके प्रति अधिक कृतज्ञता और उदार भरा विनीत व्यवहार किया जाय । इतना न बन पड़े तो यह उल्टी मति तो छोड़ ही दी जानी चाहिए कि वर पक्ष के लोगों को देवता की तरह पुजते रहने का जन्म सिद्ध अधिकार है । कोई अपनी ओर से अपनी परिस्थिति के अनुसार किसी की आवभगत करे यह एक दूसरी बात है, आम तौर से लड़के वालों का आदर लड़की वाले भरसक करते भी हैं । जिसकी जितनी सामर्थ्य है उसमें वह कमी भी नहीं रहने देता, पर लड़के वालों का अपने लिए देव पूजा जैसी माँग करना सर्वदा अनुचित है । विवाह सम्बन्धी सभी कुरीतियों का अनौचित्य त्यागा जाना चाहिए । जबकि हम मान्यताओं का संशोधन करने चले हैं तो इस रीति नीति को भी सुधारना चाहिए कि लड़की वालों को हेय एवं अनादर की दृष्टि से देखा जाय, छोटा समझा जाय और उनके सामने अपने लिए अवांछनीय माँग रखी जाय ।

कन्या पक्ष का दर्जा ऊँचा है । यह दाता पक्ष है इसलिए न्यायतः उनके प्रति सच्चमुच्च-सम्मान प्रदर्शित किया जाय । जामाता तथा उसी के संकक्ष रिश्ते के बच्चों को अपने स्वसुर के प्रति पिता जैसा ही वरन् उससे भी कुछ अधिक सम्मान करना चाहिए । साला, बहनोई, सगे भाइयों जैसे भाव रखें और कन्या तथा वर के पिताओं को, सम्बन्धियों को, सहोदर भाइयों की तरह प्रेम भाव रखना चाहिए । कोई किसी से सम्मान की माँग न करे, वरन् अयाचित रूप से प्रदान करे । जितना आदर मिले उससे कृतज्ञतापूर्वक स्वीकार करे और उससे कम ही शिष्टाचार वरते जाने की माँग करता रहे । दोनों पक्ष जब ऐसा आत्मीयतापूर्ण व्यवहार रखेंगे तभी दोनों परिवारों में सद्भाव, सौजन्य बढ़ेगा और इसका प्रभाव प्रति-पत्नी के सद्भावों पर पड़ने से गृहस्थ जीवन की सफलता बढ़ चलेगी ।

समृद्धों की ओर न वीरें—

इस परिवर्तन की बेला में यह भी ध्यान रखा जाय कि अपने स्तर के लोगों में ही सम्बन्ध किये जाएँ विशेषतया लड़का ढूँढ़ते समय यह ध्यान तो रखा ही जाय कि वह अधिक समृद्ध परिवार का न हो । कारण कि समृद्धि के वातावरण में पले हुए लड़कों के दिमाग में अमीरी की बू छाई रहती है । उनमें

अहंकार, व्यसन आदि कई तरह की बुराइयाँ पाई जाती हैं । फिर इस जमाने में पैतृक समृद्धि का कोई ठिकाना नहीं । सरकार कानून मृत्युकर आदि के नाम पर लड़कियों को बाप की जायंजाद में हिस्सेदार बनाकर स्थाई सम्पत्ति को छिन्न-भिन्न करने की व्यवस्था बना रही है । इसलिए समृद्ध लोगों के यहाँ मन चलाकर उनके लड़कों के भाव नहीं बढ़ाना चाहिए । इसी प्रकार जो लड़के अधिक शिक्षित हैं, उन्हें उसी स्तर की लड़कियों के लिए छोड़ देना चाहिए । सामान्य शिक्षा, सामान्य रंग-रूप एवं सामान्य परिवार की लड़की को यदि उसके अभिभावक अपनी सारी आर्थिक क्षमता नष्ट करके किसी प्रकार इन तथाकथित ऊँचे स्तर के लड़कों के साथ ब्याह भी दें तो उस बेचारी को न सम्मान ही मिलता है न आराम, वरन् कठिनाई ही अधिक पड़ती है ।

आजकल नीलामी बोली बहुत बढ़ रही है । तथाकथित बड़े कहे जाने वाले लोगों के यहाँ शादी वालों की जो भीड़ लगती है, उससे उनके मिजाज ऊँचे चढ़ते हैं और इस धक्का-मुक्की में वे लोग पिस जाते हैं, जिन्हें अन्तिम बोली अपने नाम समाप्त करनी पड़ती है । अच्छा हो वह व्यक्ति अपने स्तर का या अपने छोटे स्तर का लड़का ढूँढ़े । वास्तविक सम्पत्ति प्रतिभा या सज्जनता है । उसी स्तर पर लड़की की परख होनी चाहिए और यदि आमदनी कम है तो भी उन्हें प्राथमिकता देनी चाहिए । क्योंकि प्रतिभावान लड़के छोटी स्थिति से ही आगे बढ़कर उन्नति कर सकते हैं । जो सज्जन स्वभाव के हैं उनके साथ पत्नी गरीबी में भी अमीरी का आनन्द पा सकती है, अच्छा हो हम गरीब लड़के ढूँढ़े और जो पैसा विवाह में खर्च करना हो वह उनकी शिक्षा या प्रगति में लगाकर स्वावलम्बी बनाने का प्रयत्न करें । इसमें उदारता भी है और पैसे का सदुपयोग भी ।

रंग-रूप नहीं गुण-कर्म—

आजकल लड़की और लड़कों के रंग-रूप पर बहुत ध्यान दिया जाता रहा है । विशेषतया लड़कियों की पसंदगी उनके रंग-रूप के आधार पर की जाने लगी है । यह दृष्टिकोण एक सामाजिक संकट के रूप में उभरता चला जा रहा है और उसके अनेकों दुष्परिणाम हो रहे हैं तथा होने जा रहे हैं । भारत की जलवायु गरम है । यहाँ पंजाब के उत्तरी भाग तथा कश्मीर को छोड़कर शेष सब प्रान्तों में मध्यम रंग के स्त्री-पुरुष पाये

जाते हैं। इनमें काले रंग वालों की भी कमी नहीं। दक्षिण भारत में तो अधिकांश लोग काले होते हैं। उत्तर तथा मध्य भारत में भी इनकी संख्या कम नहीं। हमारे देश में तीन चौथाई मनुष्य ऐसे हैं जिन्हें सिनेमा एक्टर की कसौटी पर रखा जाय तो उन्हें काले-कलूटे ही कहना पड़ेगा। क्या पुरुष, क्या स्त्रियाँ सभी पर यह बात लागू होती है। भारत योरोप नहीं है जहाँ गोरे-चिट्टे या नखशिख तक सुन्दर स्त्री-पुरुषों का बाहुल्य हो। ऐसी दशा में यदि रूप रंग की सुन्दरता को ही लड़कियों की पसंदगी की कसौटी बनाया गया तो भारी मुसीबत खड़ी हो जायगी। बहुत थोड़ी लड़कियाँ उस दृष्टि से उपयुक्त बैठेंगी और शेष सब को रद्दी की टोकरी में डालने लायक ठहराया जाने लगेगा। फिर उन बेचारियों का क्या होगा? उनका विवाह कहाँ होगा, कौन करेगा?

“रूप के आधार पर जीवन-साथी की पसंदगी” यह एक खतरनाक खेल है। इसमें गुणों की उपेक्षा और उन्हें गौण समझने की भावना छिपी हुई है। कम रूपवती किन्तु गुणवती के स्थान पर सुन्दर किन्तु गुणहीन को महत्त्व मिलने लगा तो यही कहा जायगा कि हमने आध्यात्मिक आदर्शों का परित्याग कर पूर्णतया भौतिकवादी दृष्टिकोण स्वीकार कर लिया है। आत्मा के स्थान पर चमड़ी को प्रधानता दी जाने लगी है। अभी तो यह माँग लड़कों की ओर से उठी है, वे सुन्दर गोरी, चिट्टी लड़कियों की माँग कर रहे हैं, फिर थोड़े ही दिनों में उसकी प्रतिक्रिया सामने आवेगी। लड़कियाँ भी यही सीखेंगी और जो लड़के अधिक सुन्दर होंगे उन्हें ही पसन्द किया जायगा। काले कुरूप लड़कों का विवाह होना कठिन हो जायगा।

खतरनाक प्रतिक्रिया का ध्यान रहे—

कुछ दिन पूर्व एक समाचार ‘युग निर्माण योजना’ पत्रिका में छपा था। एक लड़का बहुत ही रूपवती लड़की से शादी करना चाहता था। स्वयं देखकर पसंद करने की ठान ठानी थी। कई लड़कियों को उसने देखा और रद्द किया, अन्त में एक सुन्दर लड़की उसे पसन्द आई और स्वीकृति दे दी। सम्बन्ध पक्का करने के लिए एक बड़ी संख्या में सम्प्रान्त सज्जन इकट्ठे हो गये। उसी समय लड़की ने कहलवा दिया कि लड़का कुरूप है इसलिए मुझे पसन्द नहीं। उपस्थित लोगों

ने समझाने की बहुत कोशिश की कि वर पसंद कर ले, पर उसने यही कहा जब चमड़ी ही सब कुछ है और उजली चमड़ी न होने के कारण इन महाशय द्वारा कई लड़कियों को रद्द किया जा चुका है तो मैं ही चमड़ी का महत्त्व कम क्यों मानूँ? और जबकि यह लड़का मुझसे कम सुन्दर है तो मैं इसके साथ विवाह क्यों करूँ? लड़की की बात तर्क युक्त थी, उसे लड़के की क्षुद्रता पर क्षोभ भी था, इसलिए बहुत कोशिश करने पर भी वह सहमत न हुई और अन्त में लड़के को लज्जित होकर वापिस लौटना पड़ा। साथी लड़के उसे चिढ़ाया करते कि “परी बीबी ढूँढने से पहले अपने मनहूस चेहरे को भी यार दर्पण में देखकर गये होते।”

इस बात का आश्चर्य और भी अधिक है कि कुरूप लड़के भी रूपवती लड़कियाँ माँगते हैं। यह प्रवृत्ति बढ़ती गई तो थोड़े दिन में भारत भी योरोप हो जायगा। रूप यौवन के प्यासे, गुण-कर्म को महत्त्व देने वाले लड़के लड़की अतृप्त फिरते रहेंगे। उन्हें अधिक रूप की प्यास अपने जोड़े के साथ संतोषपूर्वक न रहने देगी और अन्त में हमारा गृहस्थ जीवन भी योरोपवासियों की तरह नरकमय बन जायगा। सच तो यह है कि यहाँ स्थिति और भी खराब होगी, क्योंकि यहाँ तो अधिकांश लोग काले कुरूप ही पैदा होते हैं। उन्हें उपेक्षित और तिरस्कृत श्रेणी में रखा गया तो फिर कैसी विषम विभीषिका उत्पन्न हो जायगी, उसकी कल्पना करना भी कठिन है। चन्द रूपवन्तों को छोड़कर प्रत्येक कुरूप लड़के और लड़की को भारी संकट का सामना करना पड़ेगा।

‘रूप परी’ और सुगृहिणी—

पिछले दिनों लड़कियों का कुल-शील परखा जाता था। पुरोहित लोग जाकर लड़की-लड़कों के सम्बन्ध में आवश्यक जानकारी प्राप्त कर आते थे, संतोषजनक सुयोग्य होने पर विवाह कर दिये जाते थे और वे विवाह सब प्रकार सफल भी होते थे। वर-वधू अपने जोड़े को विशुद्ध धर्म कर्तव्य समझकर बड़े आनन्दपूर्वक आजीवन निवाहते रहते थे। तब रूप की नहीं, साथी को निवाहने के धर्म कर्तव्य पालन करने की दृष्टि रहती थी। अब उस आधार को बदला जा रहा है। अब जिस प्रकार वासनात्मक कामुक दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है तो रूपवती रमणी की आकांक्षा भी जगी है, तदनुसार हर

किसी को परी की रट लगी है। इस बदलाव को लड़कियाँ भी अनुभव कर रही हैं और वे उस दृष्टि में फिट बैठने के लिए रूपवती दिखाई पड़ने के लिए भड़कीला केश विन्यास बनाने का प्रयत्न कर रही हैं। रूप तो बदला जा नहीं सकता, जैसा ईश्वर ने दिया है, वैसा ही रहेगा, अब कुरूपता को सुन्दरता में कैसे बदला जाय ? उपाय एक ही रह जाता है, केश विन्यास। समय की माँग को उपयुक्त बनाने के लिए इसके अतिरिक्त और बेचारी करें भी क्या ?

हमें उचित परिवर्तनों का ही समर्थन करना चाहिए। नई पीढ़ी के लड़कों का परिवर्तन हर दृष्टि से खतरनाक है। यह उनकी दूषित दृष्टि का परिचायक है। विधावती, गुणवती, शालीन लड़की ढूँढ़ने की बात समझ में आती है, पर रूपवती ढूँढ़ना और शक्ल-सूरत के आधार पर पसन्दगी निर्धारित करना ऐसा दृष्टिकोण है, जिसके कारण उनका विवाह कभी भी असफल सिद्ध हो सकता है। धन को चंचल बताया गया है पर रूप उससे भी अधिक चंचल है। फिर गृहस्थी के काम-धन्धों में फँसी हुई दो-तीन बच्चों की माँ तीस वर्ष तक पहुँचते-पहुँचते रूप यौवन खो बैठती है। तब यह लड़के उन्हें नापसन्द कर सकते हैं और दूसरी नई खोज आरम्भ कर सकते हैं। भोगवादी दृष्टिकोण अपनाकर हमने जीवन की, समाज की हर समस्या को उलझा दिया है। अब विवाह जैसे पवित्र आदर्श को भी उसी कीचड़ में धँसा दिया जायगा तो हमारा ईश्वर ही रक्षक है। योरोप में शिक्षा का बाहुल्य नारी की स्वतन्त्रता और सबको काम-धन्धा मिल सकने की सुविधा रहने से पति की आँखों से उतरी हुई उपेक्षित नारी कम से कम अपने पाँवों पर तो कभी भी खड़ी हो सकती है। भारत में वह सुविधा भी नहीं है। रूप के प्यासे पति की आँखों से जब वह उतरेगी तो बेचारी क्या करेगी ? यह यहाँ के लिए एक जटिल प्रश्न है।

पसंदगी का सही आधार—

लड़के, लड़की को और लड़की, लड़के को पसन्द करें तो उसमें गुण, कर्म, स्वभाव की परख की जानी चाहिए। इस दृष्टि से एक दूसरे को देखें परखें तो भी हर्ज नहीं। पर ऐसा कहाँ होता है ? दस-पाँच मिनट में ऐसा सम्भव भी नहीं। मात्र उसे देखा ही जा सकता है। फोटो मँगवाने से लेकर नाचगान करने तक सौन्दर्य की परख ही आज कल शिक्षित

वर्ग में चल पड़ी है। यह परख थोड़ी देर में भी हो सकती है, यही आज होता भी है। लड़के अब माँ-बापों पर विश्वास नहीं करते। वे समझते हैं कि उनकी परख पुराने ढंग की होगी, स्वस्थ और सुशील देखकर पसन्द कर लेंगे ! सिनेमा की नटनियों को जिस दृष्टि से पसन्द किया जाता है वह उनके पास न होने से वे सोचते हैं कि उनकी पसन्दगी पर्याप्त नहीं, यह परख हमें स्वयं ही करनी चाहिए। इस प्रकार के आग्रह जहाँ भी हों वहाँ उनके दाम्पत्य जीवन में आगे चलकर कभी भी नापसंदगी का संकट उत्पन्न हो सकता है। इसलिए जहाँ इस बात पर बहुत जोर दिया जा रहा हो वहाँ उसे 'कुपात्रता' मान लेना चाहिए और अपनी लड़कियों को उस संकट में फँसने से बचाया जाना चाहिए।

गुण को विवाह का आधार माना जायगा तो गुण बढ़ेंगे। यह प्रतिस्पर्धा उचित है, इसमें व्यक्ति और देश की भलाई है। रूप की माँग बढ़ेगी तो ईश्वर की रचना तो बदली न जा सकेगी। आँखों को धोखा देने वाला उद्धत वेशविन्यास बढ़ेगा, जिसकी खर्चीली आदत और दूषित दृष्टि का किसी गृहस्थ की आर्थिक और चारित्रिक स्थिति पर बुरा प्रभाव ही पड़ेगा। समय रहते हमें इस उद्धत् दृष्टिकोण को सुधारना चाहिए और यदि सम्भव हो तो आदर्शवादी युवकों को इससे भिन्न दृष्टिकोण अपनाकर अपनी आन्तरिक महानता का परिचय देना चाहिए। सुन्दर लड़के काली-कलूटी लड़कियाँ पसन्द करें, सुशिक्षित लड़के अशिक्षित लड़कियाँ ढूँढ़ें और अमीर-गरीबों के घरों में अपनी पसन्दगी ढूँढ़ें। इससे निराशों में आशा का संचार होगा और उपकृत पक्ष उनकी महानता का आन्तरिक श्रद्धा के साथ आदर करेगा। जहाँ इस प्रकार की कृतज्ञता एवं श्रद्धा का समावेश हो सके वहाँ उसे किसी गृहस्थ की परिपूर्ण सफलता का सुनिश्चित आधार माना जा सकता है। आध्यात्मिक आदर्शवादी दृष्टिकोण जीवन के हर क्षेत्र को सफलता से परिपूर्ण कर सकता है। वह दाम्पत्य जीवन को स्वर्गीय प्रसन्नता से परिपूर्ण कर सकता है। हमें नई पीढ़ी को-विशेषतया लड़कों को यही सिखाना चाहिए कि वे रूप की प्यास, भोग की तृष्णा से बचें और साथी के उपयुक्त न होने पर उसे अपने अनुरूप बनाने की आदर्शवादिता का उदाहरण प्रस्तुत करें।

यह सामान्य व्यवहार की बात है कि लड़के और लड़की अपनी स्थिति के अनुरूप जोड़ा तलाश करें। अपनी स्थिति

से ऊँची जोड़ी तलाश करना अनुचित है। काले कलूटे या मध्यम वर्ग के लड़के यदि बहुत सुन्दर लड़की ढूँढते हैं, कम पढ़े अधिक शिक्षित वधू प्राप्त करना चाहते हैं तो वह अवांछनीय माँग है। इसी प्रकार यदि अशिक्षित और कुरूप लड़कियाँ अपने से ऊँचे गुण, कर्म, स्वभाव के लड़कों की माँग करें तो यह उनका अन्याय है। सामान्य व्यवहार यह है कि दोनों पक्ष समान स्तर की माँग करें और उसी से सन्तुष्ट हो जाएँ।

जब उच्च आदर्श का प्रश्न सामने है तो इस तरह सोचना चाहिए कि अपनी अपेक्षा दूसरे साथी को गिरी हुई स्थिति का होने पर भी स्वीकार किया जाय और अपनी विशेषता के लाभ से उसे लाभान्वित होने का अवसर दिया जाय। इससे दूसरा पक्ष उस त्याग एवं उदारता से प्रभावित होकर कृतज्ञ बना रहता है और उस त्याग के बदले में दाम्पत्य जीवन में अधिक सरसता एवं सुखद स्थिति का लाभ प्राप्त होता है। रूपवान विद्वान लड़के यदि कुरूप एवं अशिक्षित लड़की स्वीकार कर उन्हें अपनी श्रेष्ठता से लाभान्वित करें तो निश्चय ही पत्नी की अधिक श्रद्धा उन्हें प्राप्त होगी। यह एक उदार व्यवहार भी माना जायगा। इसमें त्याग भी है और पिछड़े हुआँ को ऊँचा उठाने की सद्भावना एवं सज्जना भी। ऐसी सज्जना की सर्वत्र प्रशंसा की जायगी। त्याग एवं उपकार की वृत्ति को लेकर कोई कदम बढ़ाया जाय तो उससे आत्म-संतोष भी मिलता है और प्रतिक्रिया भी मंगलमय होती है।

यही बात लड़कियों के बारे में भी है। वे सुन्दर, शिक्षित सुयोग्य हैं तो वैसा साथी पाना उनका अधिकार है। पर यदि वे आदर्शवादिता की दृष्टि से अपनी श्रेष्ठता चरितार्थ कर सकें तो उन्हें अपनी अपेक्षा घटिया श्रेणी के पति स्वीकार करके अपनी विशेषताओं से उन्हें लाभान्वित करना चाहिए। कम रूपवान, कम शिक्षित, कम योग्य पतियों को कितनी ही विदुषी महिलाओं ने वरण किया है और अपनी श्रेष्ठता का लाभ देकर पतियों की प्रगति में आशाजनक योगदान दिया है। आदर्शवादिता का ऐसा मार्ग अपना लेने पर उन्हें भी त्याग के फलस्वरूप उपलब्ध होने वाले आत्मसंतोष का लाभ मिलता है, यह कृतज्ञ पति अपेक्षाकृत उनके लिए अधिक सहायक एवं सद्भावना सम्पन्न भी रहता है। इस प्रकार की उदारता जिस पक्ष ने भी की होगी वह अपनी श्रेष्ठता का समुचित प्रतिफल भी प्राप्त करेगा।

विवाहों की पूर्व तैयारी इन्हीं आदर्शों के अनुसार होनी चाहिए। यदि आधार सही होगा तो उसके परिणाम भी अच्छे होंगे। आदर्शवादी सिद्धांतों को अपनाकर जिन विवाहों का निश्चय निर्धारण किया गया होगा, वे आदर्श परिणय कहलावेंगे और आदर्श विवाह भी कहे जायेंगे।

आदर्श विवाहों की रूपरेखा—

विवाहों का स्वरूप सर्वथा एक विशुद्ध धर्म-संस्कार जैसा होना चाहिए। जिस प्रकार नामकरण, अन्न-प्राशन, मुण्डन, विद्यारम्भ, यज्ञोपवीत, वानप्रस्थ आदि षोडश-संस्कार होते हैं, उसी प्रकार का एक धर्म-कृत्य विवाह भी है। उसे इसी रूप में देखा, समझा जाना चाहिए और उसके आयोजन में इसी बात का ध्यान रखना चाहिए।

अपने बच्चे सबको प्रिय हैं, उनकी उन्नति का जब कभी कोई अवसर आता है, तब उनके सम्बन्धी, अभिभावक स्वभावतः प्रसन्न होते हैं और उस प्रसन्नता की अभिव्यक्ति को छोटे समारोह का रूप भी देना चाहते हैं। इसमें कुछ हर्ज भी नहीं। षोडश-संस्कारों की रचना भारतीय संस्कृति में इसी दृष्टि से हुई है कि उनके आधार पर हर व्यक्ति के जीवन में ऐसे अवसर बार-बार आएँ, जिनमें प्रसन्नता की अभिव्यक्ति सम्भव हो सके। प्रसन्नता एक अच्छाई है, जिसका प्रभाव अच्छा ही होता है। इसलिए उसका औचित्य भी है और उपयोगिता भी, पर साथ ही यह भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि वे उत्सव अपनी परिस्थिति के अनुकूल एवं सीमा के अन्तर्गत ही हों। अपनी हैसियत का ध्यान न रखकर जब ऐसे आयोजन किए जाते हैं, तब उन्हें अविवेकपूर्ण ही माना, कहा जाता है।

हैसियत और औकात का ध्यान रखें—

भारत की राष्ट्रीय आय बहुत ही कम है। औसत भारतीय की आमदनी इतनी कम है कि उसमें गुजर-बसर ही मुश्किल से हो पाती है। स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग एवं अन्य जीवनोपयोगी आवश्यकताएँ भी आर्थिक कठिनाई के कारण पूरी नहीं हो पातीं। फिर मंहेंगे उत्सव-आयोजनों का तो कोई तुक ही नहीं रह जाता। हर गृहस्थ में कई-कई बच्चे होते हैं और उनके कोई न कोई संस्कार आये दिन करने-कराने पड़ते हैं, इसलिए यह ध्यान रखना चाहिए कि वे संक्षिप्त, हलके और कम से कम खर्च में सम्पन्न हो सकने वाले हों। ऐसी ही

५.५६ विवाहोत्सव : समस्या और समाधान

स्थिति में उनका आनन्द भी है। यदि वे असहनीय, भारी हो जाएँ, तो उनमें आनन्द कहाँ रहेगा ? फिर तो वे एक विपत्ति का रूप धारण कर लेंगे। आज ऐसा ही हो रहा है। दुर्भाग्य से विवाहोत्सव इतने खर्चीले और भारी हो गये हैं कि उनमें आयोजनकर्ताओं को आनन्द तो क्या आता है, उल्टे विपत्ति में फँस जाते हैं।

आज कुछ ऐसी ही स्थिति बन गई है। एक भेड़-चाल ऐसी चल पड़ी है कि विवाहों में जो जितना अधिक अपव्यय करे, उसे उतना ही अमीर या इज्जतदार माना जाय। यह मान्यता आदि से अन्त तक गलत है। इसके पीछे न कोई तर्क है, न तथ्य। फिर भी चूँकि पिछले दिनों से एक ढर्रा बना चला आ रहा है इसलिए उसी लकीर को पीटना पड़ता है। लोगों में यह साहस नहीं रह गया है कि जो अनुपयुक्त है, अनुचित है उसे सुधारें, बदलें। गलत रास्ते पर चलने वालों को पीछे लौटना ही चाहिए। यदि वे पीछे लौटने में संकोच करें और जिधर चल रहे थे, उधर ही कदम बढ़ाते रहें तो उन्हें अधिक हानि ही होती रहेगी। आमतौर से हर विचारशील व्यक्ति अब यह मानने लगा है कि विवाहों में होने वाला अपव्यय सर्वथा अवांछनीय है। उसे बन्द किया जाना चाहिए, पर वैसा-करने की हिम्मत नहीं पड़ती। भय यह रहता कि लोग न जाने क्या कहेंगे ? हँसी होगी, इज्जत घटेगी आदि-आदि। अब समय आ गया है कि इस मानसिक दुर्बलता को छोड़कर युक्तियुक्त मार्ग अपनाने का साहस करना ही चाहिए।

विवाह का वास्तविक स्वरूप—

विवाह क्या है ? इसका स्वरूप हमें अपने मस्तिष्क में ठीक तरह जमा लेना चाहिए। दाम्पत्य जीवन की आवश्यकता वयस्क आयु का एक साधारण-सा तकाजा है। उसके निर्धारण में आवश्यक सावधानी बरती जानी चाहिए, पर उत्सव इतना ही छोटा और सादा रखना चाहिए जिससे दोनों परिवारों के ऊपर कोई आर्थिक दबाव न पड़े और न इतना हुल्लड़ हो जिसकी दौड़-धूप में घर के लोगों को होश-हवास खोकर व्यवस्था बनाने में मरते-खपते रहना पड़े।

विवाह एक धार्मिक आयोजन है। देवताओं की साक्षी में, अग्नि भगवान को मध्यस्थ बनाकर दो आत्माएँ अपने व्यक्तित्वों की भिन्नता-स्वतंत्रता समाप्त करके एक सम्मिलित

सत्ता का सृजन करती हैं। यह एक प्रकार से दो प्राणियों का भावनापूर्ण आध्यात्मिक विलयन है, उसे आत्ममेध यज्ञ भी कह सकते हैं। तत्त्वतः यह एक यज्ञ है। कर्मकाण्ड की दृष्टि से वह एक धर्मानुष्ठान है। इसलिए इस अवसर पर सारा वातावरण ऐसा बनाया जाना चाहिए जो उपर्युक्त प्रयोजन के अनुकूल पड़ता हो। विवाह के दिन वर-कन्या को उपवास करना पड़ता है। जो कन्यादान करते हैं वे भी उपवास करते हैं। यज्ञ-मण्डप बनाया जाना, कलशवेदी की स्थापना, यज्ञ आयोजन, वेद मन्त्रों का पाठ-यह सब धर्मानुष्ठान की ही तो व्यवस्था है। जो बात जैसी है उसे वैसे ही ढंग से मनाया जाना चाहिए। सबसे अधिक ध्यान इसी बात पर दिया जाना चाहिए कि प्रस्तुत धर्मानुष्ठान पवित्रतम धार्मिक वातावरण में सम्पन्न हो। सारा कर्मकाण्ड विधिवत् पूर्ण हो। वर-कन्या विवाह के प्रयोजन, आदर्श एवं उत्तरदायित्वों को पुरोहितों द्वारा सुनें, समझें और परिपूर्णनिष्ठा के साथ उन्हें पालन करते रहने की अन्तःकरण की गहन श्रद्धा के साथ प्रतिज्ञा करें। जिस प्रकार कोई मंत्री या राष्ट्रपति जब अपने पद पर आसीन होता है तो उसे धर्मपूर्वक शपथ लेनी पड़ती है, विवाह को इसी प्रकार का एक शपथ संस्कार कहा जा सकता है। इसका आयोजन, विधान एवं कार्यक्रम वस्तुस्थिति के अनुरूप ही होना चाहिए।

सुसज्जित मण्डप और यशोय वातावरण—

विवाह मण्डप बढ़िया ढंग से सजा हुआ हो। पत्ते और पुष्पों से उसके खम्भे सजाकर मनोरम बनाये जाएँ। लक्ष्मी के स्वागत में होने वाली एक छोटी दिवाली की तरह दीपकों की जगमग ज्योति जले। धूपबत्तियों का सुगन्धित धुआँ चारों ओर फैला हो। महापुरुषों के चित्र और आदर्श वाक्यों से वह स्थान सुशोभित रहे। स्वच्छता और सुसज्जा की उत्साहवर्द्धक व्यवस्था हो। झण्डियाँ, बन्दनवार लटक रहे हों। सुयोग्य विद्वान-पण्डित उस संस्कार को कराने के लिए नियुक्त हों। विधिवत् पूजन हवन ही नहीं, मन्त्रों की व्याख्या-विवेचना भी प्रभावशाली ढंग से कर सकें। उपस्थित नृ-नारी सात्विक, स्वच्छ वस्त्र पहने, चन्दन आदि लगाये, उसी स्थिति में हों जिसमें कि धर्मानुष्ठान में भाग लेने वालों को होना चाहिए। बीड़ी-तम्बाकू की अपवित्र नशेबाजी उस स्थान पर सर्वथा निषिद्ध हो।

यह बातें ऐसी हैं जिन पर सब से अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। वर-कन्या उस अवसर पर विशुद्ध भारतीय वेष-भूषा धारण किए हुए हों। वे ही तो यज्ञ के यजमान हैं। यज्ञकर्ता को धार्मिक उपकरण-वस्त्र परिधान धारण करने पड़ते हैं। उन्हें उसी सुसजा में होना चाहिए। विवाह होने तक वे दोनों ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारिणी होते हैं इसलिए उस समय तक उनके वस्त्र भी उसी परम्परा के अनुसार रहने चाहिए। विवाह के बाद ही वे गृहस्थ बनते हैं, इसलिए संस्कार के उपरान्त ही सुसजित वस्त्र पहने जाते हैं। कई अँग्रेजी पढ़े-लिखे लड़के विवाह के समय भी साहबी ठाठ-बाट धारण किए रहना चाहते हैं, यह उचित नहीं। आखिर हम भारतीय हैं। अपनी सभ्यता और संस्कृति के प्रतीक परिधानों की इतनी उपेक्षा न करनी चाहिए कि उन्हें धर्म-कृत्यों के समय भी धारण करने में संकोच किया जाय। ऐसी हठ करने पर भी वे अँग्रेज न कहला सकेंगे। संस्कार के अवसर पर भारतीय वेश-भूषा में ही वर-वधू को रहना चाहिए। धोती, कुर्ता, जाकिट, कोट, बढिया पोशाक हैं। पीले रंग के होने पर वे और भी सुहावने लगते हैं। पैण्ट, टाई, टोप जैसी पोशाक इस समय न तो सुन्दर लगती है और न सुविधाजनक रहती है। अपनी संस्कृति का तिरस्कार तो इसमें प्रत्यक्ष ही है।

उपहासास्पद बुढ़िया-पुराण—

विवाहों का जितना शास्त्रीय विधान है, उससे दूना-चौगुना विधान इन दिनों 'बुढ़िया-पुराण' का चल रहा है। 'टुन-मुन-चुन-मुन' इतने अगढ़ जंजाल, रीति-रिवाज विवाहों से जुड़ गये हैं कि उन्हें देखकर हैरत होती है। हर बिरादरी में, हर क्षेत्र, प्रदेश में सर्वथा भिन्न प्रकार के ऐसे विचित्र-विचित्र रिवाज विवाह-शादियों में जुड़े हुए मिलते हैं कि उनका आधार समझने में बुद्धि चक्कर खाती है। उन विचित्रताओं और विविधताओं को एक जगह संग्रह किया जाय तो कौतूहल का पारावार न रहे।

यह अलन-चलन कैसे चल पड़े, किसने बनाए, इसका कुछ पता नहीं चलता। शास्त्रों में तो इनका कोई जिक्र है नहीं, कुछ इतिहास का आधार भी सूझ नहीं पड़ता, हो सकता है कि कोई विलक्षण बात कभी किसी कारणवश करनी पड़ी हो और उसके पीछे वालों ने इसे पुरखों की परम्परा मानकर अनुकरण करना शुरू कर दिया हो। कहते हैं कि एक बार

किसी के यहाँ शादी थी, मेहमानों के लिए पकवान्न बने थे। घर वालों को एक तरकीब सूझी कि बिल्ली को पकड़ कर नाद के नीचे बन्द कर दिया। दावत समाप्त होने पर इसे निकाल लिया जाना था, पर काम-धन्धे में उसकी बात भूल में पड़ गई, बिल्ली दम घुटकर मर गई। जब बदबू घर में आई और जिस समय वधू की आरती उतारी जा रही थी, तब बिल्ली की याद आई तो उसी समय उसे पूँछ पकड़कर घसीटते हुए बाहर फेंक दिया गया। बहू ने यह बात उस घर की परम्परा मान ली और इस बात को याद रखे रही। बहुत दिनों बाद जब उसके बेटे की शादी हुई और वधू के घर में आने का समय आया तो उसने भी एक बिल्ली पकड़वा कर नाद के नीचे बन्द करके मरवाई और जिस समय वधू ने घर में प्रवेश किया ठीक उसी समय इस मरी बिल्ली की पूँछ पकड़कर घसीटवाते हुए घर से बाहर निकाला गया। कहते हैं कि यही रीति इस कुटुम्ब की बन गई और जब किसी का विवाह होता तो नाद के नीचे बन्द करके बिल्ली मारने और उसे पूँछ पकड़कर बाहर फेंकने की रस्म जरूर पूरी की जाती थी।

ऐसे ही अगणित उपहासास्पद रिवाजों की शादियों के साथ एक लम्बी शृंखला बन रही है। घर की स्त्रियाँ इसका बहुत ध्यान रखती हैं, चाहे कुछ भी हो जाय, उनमें से किसी भी रस्म में चूक नहीं होनी देती। कोई बात छूट जाय तो अनिष्ट की आशंका करती हैं और सिर पर आकाश उठा लेने जैसा कुहराम मचाती हैं। अपने वर्ग की रीति-रिवाजों को जो जितना अधिक जानती हैं, वही बुढ़िया शादियों में पंच-चौधरी बनी बैठी रहती है और सारा ढर्रा उसी के अनुशासन में चलता है। कब, किस समय, क्या कौन रस्म किस प्रकार पूरी की जाय इसका उन्हें पूरा-पूरा ध्यान रहता है। लाल-बुझकड़ भी इस विधा में पारंगत होते हैं और वे अपनी जानकारी को किसी बड़े विज्ञानवेत्ता की खोज से कम गौरव की नहीं मानते। वे भी यही प्रयत्न करते हैं कि कोई राई-रत्ती रस्म किसी भी कारण पूरी होने में कमी न रह जाय। यदि कहीं कोई भूल हो जाय तो फिर उनका विरोध भी देखते ही बनता है।

इन जंजालों से पिण्ड घुड़ाएँ—

कहना न होगा कि इस 'अलन-जंजाल' में कितना समय, कितना धन, कितना मस्तिष्क बर्बाद होता है, कितनी व्यर्थ की

५.५८ विवाहोन्माद : समस्या और समाधान

चीजें इकट्ठी करनी पड़ती हैं और कितनी परेशानी उठानी पड़ती है। उपयोगिता उनकी किसी भी दृष्टि से नहीं। शास्त्रों में उन बातों की कोई चर्चा नहीं। प्राचीन काल में ऐसे प्रचलनों का कहीं जिन्न नहीं मिलता, न घटना का यह अस्थानुकरण दिखाई पड़ता है। उन दिनों जैसे ही कितने आवश्यक कार्य सामने रहते हैं। पैसे की भी तंगी रहती है। यदि इन जंजालों को घटाने या हटाने के लिए बुद्धिया-बुद्धों को मनाया जा सके, तो समय और पैसे की बहुत बचत हो सकती है और बेकार की परेशानी से बहुत कुछ छुटकारा पाया जा सकता है। प्रयत्न ऐसा ही करना चाहिए और जितना इन जंजालों से पिण्ड छुड़ाया जाना सम्भव हो सके छुड़ाया जाना चाहिए।

अन्य धर्मों में उनके समाज की परम्पराएँ 'एकरूपता' पर आधारित हैं। रीति-रिवाज, नियम-उपनियम, व्यवस्थित रीति से बने हुए हैं, इसलिए उनकी भावनात्मक एकता अक्षुण्ण बनी रहती है। हमने हर परिवार की, हर बिरादरी की रिवाज अलग-अलग प्रकार की बना रखी हैं, इससे भावनात्मक एकता को भारी आघात पहुँचता है। यह स्थिति आज नहीं तो कल सुधारनी पड़ेगी। सारे हिन्दू समाज में एकरूपता, एकनिष्ठा, एक पद्धति का प्रचलन करना पड़ेगा। अतएव आज जबकि नव-निर्माण का कार्य विवाहों की सुधार प्रक्रिया से आरम्भ किया जा रहा है तो उचित यही है कि शादियों की रस्मों में एकरूपता लाई जाय। समय और धन का अपव्यय रोकने के लिए ऐसे कदम उठाये जाने आवश्यक हैं।

सगाई-पक्की की रस्म—

विवाह पक्का करते समय की एक रस्म उचित है। लड़के के हाथ पर फल, पुष्प, मिष्ठान्न आदि मांगलिक पदार्थ एवं दक्षिणा के रूप में एक रुपया रखा जाना चाहिए। तिलक, पुष्प-माला आदि से वर-पूजन करने का रिवाज है। यह प्राथमिक रिवाज उत्तम है। इसी के बदले में लड़की को पक्की करने की स्वीकृति के रूप में वर-पक्ष की ओर से भी कन्या-पूजन की रस्म पूरी की जा सकती है। इसमें भी लगभग वे ही वस्तुएँ होनी चाहिए जो लड़के को दी गई हैं। इसके समारोह का आयोजन भी लगभग उसी प्रकार से होना चाहिए।

दूसरी रस्म विवाह से लगभग एक महीने पूर्व हो सकती है। इसे पीत-पत्रिका, मंगल-पत्रिका आदि कह सकते हैं।

उसमें विवाह सम्बन्धी सारी सूचनाएँ लिखी हों। ऐसी सूचनाएँ दोनों ओर से भेजी जा सकती हैं। यदि पक्की होने की पहली रस्म के बाद अधिक दिन विवाह न हो और उस समय विवाह की तिथि आदि का निश्चय न हो सके, तो ही इस रस्म को अलग से करने की आवश्यकता है अन्यथा उसी समय इन मंगल सूचनाओं का लिखित परिवर्तन हो सकता है। हल्दी, केशर, चन्दन आदि के मंगल चिन्ह लगाकर हरी दूब के साथ कलावा से बँधी हुई यह मंगल-पत्रिका जाती है। आमतौर से कन्या पक्ष वाले वर-पक्ष के लिए इस प्रकार की पत्रिका भेजते हैं और वह मंगलाचरणपूर्वक लड़के के हाथ पर रखकर उपस्थित लोगों को सुनाई जाती है। इसमें इतनी बात और बढ़ाई जा सकती है कि वैसी ही मंगल-पत्रिका लड़के की ओर से लड़की वालों के लिए प्रत्युत्तर स्वरूप भेजी जाय, जो उस रस्म के साथ लड़की के घर उपयोग में लाई जाय, जैसी कि लड़के वालों के यहाँ हुई थी। दोनों ओर से पुष्प, फल, मिष्ठान्न, नारियल, अगरबत्ती, एक रुपया दक्षिणा जैसे छोटे उपहार भेजे जा सकते हैं। प्रथम रस्म जहाँ मौखिक स्वीकृति थी वहाँ इस दूसरी रस्म को लिखित, स्वीकृति एवं कार्यक्रम निर्धारण प्रक्रिया कह सकते हैं। प्रथम रस्म के बारे में यह भी हो सकता है कि यदि स्थान दूर हो तो उसे डाक, पार्सल द्वारा भेजकर भी आदान-प्रदान का कार्य किया जा सकता है।

बारात की संख्या सीमित रहे—

विवाह के लिए वर-पक्ष के लोग बारात की संख्या कम से कम लेकर जाएँ। केवल अत्यन्त आवश्यक, महत्त्वपूर्ण एवं निजी परिवार के व्यक्तियों को ही बारात में जाना चाहिए। इसमें कुटुम्बी, रिश्तेदार या अत्यन्त घनिष्ठ मित्रों को ही होना चाहिए। अक्सर बड़े आदमियों या उजले कपड़े वालों को बारात की शोभा बढ़ाने के लिए खुशामदें करके लोग बारात में चलने के लिए तैयार करते हैं। बड़ी मुश्किल से, बहुत अनुनय-विनय के पश्चात् वे अनिच्छा होते हुए भी इसलिए तैयार हो जाते हैं कि न जाने पर बुराई बँधने की आशंका है। इस प्रकार भर्ती के लोगों से बारात में भीड़ बढ़ा लेने से कुछ लाभ नहीं। उन लोगों का अहसान एवं हर्ज होता है। अपना खर्चा बढ़ता है, बेटी वाले की परेशानी बढ़ती है। इन सब असुविधाओं का कुछ ध्यान न रखते हुए, इस अन्न संकट तथा

महंगाई के जमाने में बारात की संख्या बढ़ाना सर्वथा अनुचित है । साधारणतया २० व्यक्तियों तक की बारात पर्याप्त होनी चाहिए, हो सके तो इसमें भी कमी करनी चाहिए ।

प्रीति-भोज में सुधार की आवश्यकता—

बारात अधिक हो जाने का एक कारण यह भी है कि विवाह से पूर्व वर-पक्ष के लोग अपने यहाँ बड़ी दावतें करते हैं और उस दावत में आये हुए लोगों से शिष्टाचारवश यह भी कहना पड़ता है कि आप लोग बारात में चलें । उनमें से कितने ही लोग उसे शिष्टाचार न समझ कर वास्तविक अनुरोध समझ कर तैयार हो जाते हैं । एक को चलते देखकर दूसरे को भी उत्साह आ जाता है और वह भी तैयार हो जाता है । फलस्वरूप बारात की संख्या बढ़ जाती है । होना यह चाहिए कि विवाह से पूर्व प्रीतिभोज न किया जाय । यदि उसकी कोई आवश्यकता ही प्रतीत हो तो वह एक छोटे रूप में तब हो सकता है, जब वधू घर में आ जाय । वधू के स्वागत में किया गया यह स्वागत-समारोह स्वल्पाहार के रूप में हो । उसे वर-वधू परोसें । आगन्तुक लोग प्रचलित 'मुँह दिखाई' प्रथा को कुछ और सुधरा रूप देकर हल्के-हल्के उपहार वधू को दें तो उत्तम हो । यह कार्य फूलों से भी चल सकता है । आजकल 'मुँह दिखाई' में रुपये-जेवर वधू को दिये जाते हैं और उसे सगे-सम्बन्धी ही देते हैं । इसमें इतना सुधार होना चाहिए कि आगन्तुक अपनी प्रसन्नता की अभिव्यक्ति में हलके और सस्ते उपहार दें । ताकि किसी पर आर्थिक दबाव भी न पड़े और वधू को अधिक लोगों का सम्मान, आशीर्वाद इन उपहारों के प्रतीक रूप में मिल सके । अच्छा हो यह उपहार अच्छी पुस्तकों के रूप में हो ।

लड़की वालों के यहाँ प्रीतिभोज नहीं होना चाहिए । घर में ठहरे हुए मेहमानों या कार्यकर्ताओं को रोटी खिलाना दूसरी बात है, पर दावतों की कोई उपयोगिता नहीं, बारात का भार ही काफी होता है । यदि अपने पक्ष के लोगों की भी दावत करनी पड़े तो भार और भी अधिक बढ़ जायगा । कन्या के विवाह में सहयोग सभी को करना चाहिए । उन्हीं में से एक सहयोग यह भी है कि स्वयं उसके यहाँ भोजन न करके तथा अपने अन्य साथियों को भी ऐसी प्रेरणा करके कन्या के पिता का आर्थिक भार यथासम्भव बढ़ने नहीं देना चाहिए । अच्छा हो लोग कन्या के विवाह में भोजन करना अनुपयुक्त और अनावश्यक मानने लगे ।

वर की सवारी पहले बहुत सज-धज के साथ निकला करती थी, पर अब समझदार लोगों ने बहुत कुछ सुधार कर लिया है । घोड़ा-ताँगा या ऐसी किसी सवारी पर दूल्हा को बिठा लेते हैं । पीछे बाराती लोग पैदल चलते हैं । कहीं-कहीं सब बाराती सवारी में बैठते हैं । जहाँ जैसी सुविधा हो वहाँ वैसी सुविधाजनक सस्ती व्यवस्था बना लेनी चाहिए । इस शोभा यात्रा में बाजा बजाने वाले साथ रखने हों तो उनके सदस्यों की संख्या कम ही रखनी चाहिए । आतिशबाजी, फूलपट्टी, कागज के हाथी, घोड़े आदि खर्चिले प्रदर्शन बेकार हैं । वेश्या-नृत्य तो अब गण-गुजरे जमाने की बात हो गई पर नया रिवाज जहाँ-तहाँ यह चला है कि लड़कों को नारी वेश-भूषा में सजाकर वेश्या-नृत्य की आवश्यकता पूरी करते हैं । यह अश्लीलता विवाह जैसे धर्म संस्कार के अवसर पर सर्वथा अवाञ्छनीय ही मानी जानी चाहिए ।

पिछले जमाने में बारात कई-कई दिन ठहराने का रिवाज था, पर अब समय की बर्बादी और अनावश्यक खर्च को रोकने की दृष्टि से यही उचित समझा जाता है कि बारात कम समय ठहरे । पास की बारात हो तो एक दिन, दूर की हो तो दो दिन ठहरना पर्याप्त है । इससे अधिक बारातों को न तो ठहरना चाहिए और न ठहराया जाना चाहिए ।

ज्यौनारों में सादगी—

दावतों में खाद्य पदार्थों की किस्में अधिक बढ़ने देने से कुछ लाभ नहीं । स्वास्थ्य, व्यवस्था एवं खर्च इन तीनों ही दृष्टि से सादगी तथा सात्विकता की दृष्टि से बनाया गया भोजन ही अच्छी ज्यौनार कहला सकता है । खाद्य-संकट और चीनी की कमी का ध्यान रखते हुए दो-तीन से अधिक मिठाइयाँ न बनानी चाहिए । अधिक संख्या में मिष्ठान्न, पकवान् से उनकी तादाद इतनी हो जाती है कि उन सबको खा सकना सम्भव नहीं होता । फलस्वरूप वे बचती और बर्बाद होती हैं । आज ऐसी बर्बादी का समय नहीं । खाने वालों से अनुरोध किया जाय कि वे उतनी वस्तुएँ लें जितनी खा सकें । परोसने वालों से कहा जाय कि वे प्रेम आतिथ्य तो दिखावें पर बर्बादी जरा भी न हो, इस चतुरता के साथ परोसें । अन्न की बर्बादी आज की स्थिति में राष्ट्र द्रोह के समान है । अन्न देवता का जूठन के रूप में तिरस्कृत करना धार्मिक दृष्टि से अभिनन्दनीय नहीं है । मेहतर को जूठन देने की उदारता दरसाने के स्थान पर

और भी अधिक उदारता के साथ अच्छा शुद्ध भोजन देना चाहिए ।

ज्यौनार के समय बहुत जगह महिलाएँ अश्लील एवं अनैतिक गाने गाती हैं । इससे गाने वाली महिलाओं का गौरव एवं शील घटता है । नवागन्तुक अतिथियों, बारातियों से अश्लील एवं उपालम्भ भरे मजाक करना, भद्दे गाने गाना भला यह भी कोई भलमनसाहत की बात नहीं है । ऐसी ओछी बातें सभ्य समाज में अशोभनीय ही मानी जाएँगी । बारातियों के साथ मजाक में उनके कपड़ों पर रँग डालना, हल्की के थोप लगाना, मुँह रँग देना, भद्दे मजाक करना जैसे उच्छृंखल और अशिष्ट व्यवहार करना रोक ही दिया जाना चाहिए । मजाक करना एक ऐसी कला है जिसे कोई शिष्ट ही इस प्रकार कर सकते हैं कि किसी को चिढ़ाये बिना प्रसन्नता प्रदान की जा सके । फूहड़ मजाक में चिढ़ाने और अपमानित करने का पर्याप्त आधार रहता है । फूहड़ मजाक से मनोमालिन्य और दुर्भाव भी बढ़ते हैं, अनेक बारातों में मजाक-मजाक में ही लड़ाई खड़ी होती देखी गई है । मौस, मदिरा, भाँग, गौंजा आदि नशीले पदार्थों से इस पवित्र वातावरण को गन्दा नहीं करना चाहिए । लाउडस्पीकर बजाना हो तो कुरुचिपूर्ण रिकार्डों को न बजाने की हिदायत पहले से ही कर देनी चाहिए ।

रीति-रिवाजों का औचित्य देखा जाय—

भारत आने से लेकर उसके विदा होने तक पग-पग पर रस्म-रिवाजों का जंजाल चलता रहता है । यह ढोंग भरी कृत्रिमता बन्द होनी चाहिए । सम्माननीय अतिथियों के अपने घर आने पर जिस प्रकार पुष्पमाला, गुलदस्ता, शरबत, दूध, जलपान, स्नान आदि की सुविधाएँ प्रस्तुत करते हैं वैसी ही भारत की खातिर की जानी चाहिए । पग-पग पर नेग-जोग कभी किसी को रुपया, किसी को कपड़ा, किसी को क्या, किसी को क्या का जंजाल बात-बात पर खींचतान और मन-मुटाव पैदा करने का कारण बनता है । यह औपचारिकता न बरती जाय तो ही दोनों पक्षों में आत्मीयता भरे स्वामाविक स्नेह-सम्बन्ध स्थिर रह सकते हैं ।

गोधूलि बेला सर्वोत्तम—

विवाह का शुभ समय गोधूलि बेला है । सायंकाल सूर्य अस्त होने का समय इस संस्कार के लिए सर्वोत्तम है । बहुत रात गये विवाह संस्कार होने में (१) बारात की चढ़नी रात

में होने से रोशनी आदि का खर्च बढ़ता है । (२) भोजन करने में अनावश्यक विलम्ब होता है । (३) सारी रात बेकार में ही जागते हुए बीत जाती है । (४) संस्कार का धर्मानुष्ठान देखने एवं शिक्षाओं को सुनने बहुत कम लोग वहाँ बैठ पाते हैं, अधिकांश तो थके-मँदि सो ही जाते हैं । (५) अधिक रात गये विवाह का यज्ञ करने से उसमें कीड़े-मकोड़े गिरने का डर रहता है । (६) वर-कन्या अलसाये-उनींदि रहते हैं ।

इन सब अड़चनों को हटाने के लिए गोधूलि बेला हर विवाह के लिए उपयुक्त शुभ घड़ी हो सकती है । दिन और रात्रि की सन्धि बेला सन्ध्या में परम शुभ एवं सात्विक तत्वों का बाहुल्य रहता है, जिसमें लगन ढूँढ़ने आदि का झंझट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती । हर वर-कन्या के लिए हर महीने, हर विवाह में गोधूलि बेला परम शुभ मुहूर्त माना जा सकता है । सूर्य अस्त होने के दो घण्टे पूर्व से कार्य आरम्भ करके सूर्य अस्त होते समय तक या उसके कुछ उपरान्त तक विवाह कार्य समाप्त कर लिया जाय तो उसे गोधूलि बेला कहा जायगा । यह ऐसा उपयुक्त समय है, जिसमें सब लोग आनन्द समारोह व उत्साहपूर्वक भाग लेने का लाभ उठा सकते हैं ।

विवाह का शुभ मुहूर्त—

विवाह की तिथियाँ कब निश्चित हों, इसके सम्बन्ध में यह अधिक उत्तम होगा कि मांगलिक पुण्य पर्वों के चिर-प्रचलित शुभ दिन अपनी सुविधानुसार नियत कर लिए जाएँ । किस लड़की-लड़के के लिए कौन-सा दिन या सालग उपयुक्त पड़ता है, इस झंझट में पड़ने की अपेक्षा ऐसा दिन क्यों न खोजा जाय जो सभी के लिए सब प्रकार से शुभ होता हो और जिसे प्रत्येक उत्तम कार्य के लिए बिना किसी को पूछे उपयोग कर लेने की परम्परा प्रचलित हो । अभी भी यह प्रथा सब जगह चल रही है कि ग्रह-गणित के कारण किसी का विवाह-मुहूर्त न बन रहा हो तो कार्तिक की देव-उठनी एकादशी, माघ की वसन्त पंचमी, वैशाख की अक्षय तृतीया या आषाढ़ की मद्र नवमी को बिना सूझ विवाह कर लिए जाते हैं और उनके बारे में यही मान्यता रहती है कि ग्रह गणित के अनुसार विवाह में कोई अशुद्धि भी रही होगी तो इन पर्वों पर करने से वह सहज ही दूर हो जायगी । इन पर्वों के दिनों में किसी अशुभ ग्रह का प्रभाव विवाह-कर्त्ताओं पर नहीं पड़ता ।

यह मान्यता बहुत सुविधाजनक है । ज्योतिष का ग्रह-गणित तो ठीक होना नहीं, उल्टे लोगों को भ्रम-जंजाल में

पड़कर अपनी सुविधा का समय और गँवा देना पड़ता है । ज्योतिष का वैज्ञानिक दृष्टि से अन्वेषण करने वाले अब हमारे देश में बहुत कम रह गये हैं । 'सूर्य-सिद्धान्त' 'ग्रह-लाघव' आदि ग्रन्थों में ग्रहचार की जो पद्धति निर्धारित है वह एक मोटा गणित है । कालान्तर में उसमें फर्क पड़ता रहता है, जिसे विज्ञ व्यक्तियों को समय-समय पर ठीक करते रहना चाहिए । यदि वह ठीक न किया जाय तो उसमें भारी अन्तर पड़ जाता है । आजकल शुक्र और गुरु का उदय-अस्त जिन दिनों पञ्चागों में लिखा मिलता है आँखों से देखने पर वे नक्षत्र १५-१५ दिन आगे-पीछे, उदय-अस्त होते देखे जाते हैं । यह अन्तर इसलिए पड़ता है कि ग्रहों की जो चाल ज्योतिष ग्रन्थों में निर्धारित है, वह मोटा हिसाब है, वस्तुतः ग्रहों की ठीक चाल जानने के लिए उससे कहीं सूक्ष्म गणित एवं अधिक सूक्ष्म जानकारी की आवश्यकता है । इसके बाद भी जो अन्तर छूट जाता है, उसे सौ, दो सौ वर्ष बाद नक्षत्रों की चाल को आँखों से देखते हुए ठीक किया जाना चाहिए, परन्तु यह होता नहीं, फलस्वरूप ज्योतिष का वर्तमान विधान उतना सही नहीं रह गया है, जिस पर पूर्ण विश्वास किया जा सके । दूसरे जिस समय बच्चा पैदा हुआ था, उसका ठीक समय न जानने से भी इष्ट गलत हो जाता है और गलत इष्ट के आधार पर ज्योतिष गणना ठीक बैठना सम्भव नहीं । तीसरे जो पंचांग आजकल बनते हैं वे स्थानीय नहीं होते वरन् दूर-दूर के प्रान्तों की 'पलभा' लेकर बनाये गये होते हैं । भारतवर्ष में ही सूर्य उदय-अस्त में एक घण्टे से अधिक का अन्तर पड़ जाता है फिर जहाँ विवाह हो रहा है, वहाँ की 'पलभा' लेकर पंचांग नहीं बना है, तो वहाँ के लोगों के लिए उससे न तो इष्ट ठीक बनेगा और न ग्रह-गणना ही ठीक हो सकेगी । ऐसी संदिग्ध स्थिति में पड़ी हुई वर्तमान ज्योतिष गणना पर हमें इतना अधिक निर्भर नहीं रहना चाहिए कि सुविधा के उपयुक्त समय को छोड़कर वर्षों शादी रुकी पड़ी रहने दी जाय और शुभ-अशुभ के वहम में पड़े हुए समय नष्ट करते रहा जाय ।

दस सर्वसुलभ शुभ मुहूर्त—

प्रचलित परिपाटी के अनुसार तीन पर्व ऐसे माने गये हैं जिनमें विवाह करना हर किसी के लिए शुभ हो सकता है । इन तीन पर्वों की तुलना के ही कुछ और भी पर्व हैं, उनका उपयोग भी इसी विश्वास और इसी विधान के अनुसार प्रसन्नतापूर्वक किया जा सकता है । (१) कार्तिक सुदी ११

को देवोत्थान, (२) आश्विन सुदी पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा (३) मार्गशीर्ष सुदी ११ को गीता जयन्ती (४) माघ सुदी ५ को वसन्त पंचमी (५) फाल्गुन वदी १३ को शिव-रात्रि (६) चैत्र सुदी ६ को रामनवमी (७) चैत्र सुदी पूर्णिमा को हनुमान जयन्ती (८) वैसाख सुदी ३ को अक्षय तृतीया (९) ज्येष्ठ सुदी १० को गायत्री जयन्ती (१०) आषाढ सुदी ६ को भद्र नवमी । यह दस पर्व ऐसे हैं जिनमें सूर्य, बृहस्पति, चन्द्रमा का चौथा, आठवाँ, बारहवाँ आदि का होना कुछ भी अशुभ नहीं माना जाता । इसलिए यह ठीक ही होगा कि इन्हीं पर्वों में से कोई शुभ दिन अपने विवाह संस्कार के लिए ठीक कर लिया जाय ।

वर-कन्या के गुण, कर्म, स्वभाव प्रत्यक्ष मिलाने चाहिए । यह कार्य पंचांग के आधार पर नहीं, बुद्धि, बल, विवेक देखभाल और खोजबीन से ही सम्भव हो सकता है । इस अनुकूलता को हमें स्वयं तलाश करना और मिलान करना चाहिए । जन्म-पत्रियों के झंझट से कितने ही सुयोग्य सम्बन्ध अस्वीकृत होते और अयोग्य सम्बन्ध जुड़ जाते देखे गये हैं । 'मंगली' कहे जाने वाले लड़की-लड़कों की तो और भी आफत आती है । उसी तरह की कुण्डली वाली जोड़ी ढूँढ़ने में वर्षों लग जाते हैं और सब दृष्टियों से उपयुक्त सम्बन्ध इसी बहम में पड़े हुए छोड़ दिये जाते हैं । अब समय आ गया है कि हम अनावश्यक भाग्यवादिता, शंकाशीलता और मानसिक दुर्बलता से छुटकारा पा लें । लड़की, लड़कों का चुनाव कुण्डलियों के आधार पर नहीं, उनके गुण, कर्म, स्वभाव के आधार पर करें । इसी में भलाई है और इसी में बुद्धिमानी ।

नेग चुकाने का अवांछनीय-रिवाज—

पिछड़े हुए इलाकों में एक बड़ा भद्दा रिवाज 'नेग चुकाने' का होता है । लड़की वालों के कर्मचारी नाई, धोबी, कुम्हार, मनिहार, पण्डित आदि को जो पारिश्रमिक दिया जाता है वह सब लड़के वालों से 'नेग' के रूप में माँग कर लेते हैं । यह कितनी अनुपयुक्त बात है कि काम करे किसी का, उसकी मजदूरी दे कोई । जिन कर्मचारियों ने जिनका काम किया है उसका पारिश्रमिक उन्हीं से मिलना चाहिए । रिवाज चला आ रहा है, इसलिए औचित्य को भुलाया नहीं जाना चाहिए । नेग न लड़की वालों को लड़के वालों से माँगने चाहिए और न लड़के वालों को लड़की वालों से । अपने कर्मचारियों को स्वयं

५.१२ विवाहोन्माद : समस्या और समाधान

सन्तुष्ट करें। छोटे-छोटे कामों पर हर बार नेग चुकाई का बखेड़ा रहना अनुचित है। पण्डित लोग तो हर पूजन के हर क्रिया-काण्ड में हर बार नेग माँगते हैं और उनके लिए बार-बार झगड़ते रहते हैं। यह बड़ा भौंड़ा प्रदर्शन है। इसी प्रकार अन्य कर्मचारी भी, पानी पिलाने का नेग, पंखा करने का नेग, पैर धोने का नेग आदि का झंझट खड़ा करते हैं। इस माँग-जाँच से चतुरतापूर्वक बच निकलने की कला जिन्हें नहीं आती वे बहुत घाटे में रहते हैं इसलिए इस मंगतापन के जंजाल से निपटने के लिए कोई घिसा-पिटा पुराना पंच-चौधरी खोजना पड़ता है। नहीं तो मुसीबत आ जाय। यह अशिष्ट पद्धति बन्द होनी चाहिए। यदि वर-पक्ष कन्या-पक्ष के या कन्या-पक्ष वर-पक्ष के कर्मचारियों को कुछ देना चाहें तो यह विदाई के समय उपहार के रूप में हो सकता है। नेग-जोग की वर्तमान प्रथा तो बन्द ही होनी चाहिए।

सार्वजनिक सत्कार्यों के लिए दान

कुरीतियों में बर्बाद होने वाला पैसा बचाया जाना चाहिए। खुशी की अभिव्यक्ति के लिए पैसा खर्च करने के लिए अनेक उत्तम रास्ते मौजूद हैं। सत्कार्यों के लिए उदारतापूर्वक दान दिया जा सकता है। समाज और संस्कृति को ऊँचा उठाने के लिए चल रहे सामूहिक सभ्यत्वों के लिए दान करना, यही तो वास्तविक 'पुण्य' है। प्राचीनकाल में ब्राह्मण स्वयं एक सार्वजनिक संस्था होते थे, उन्हें जनता द्वारा जो दान प्राप्त होता था, उनका न्यूनतम अंश अपने निर्वाह के लिए रखकर शेष सारा ही लोकहित के लिए चलने वाले 'गुरुकुल' आदि कार्यों में लगा देते थे। आज वह पद्धति नहीं रही। दान के नाम पर जिसे जो पैसा मिल जाता है, वह उसकी निजी सम्पत्ति बन जाता है और वह उसको निजी लाभ के लिए प्रयुक्त करता है। यह पद्धति दान नहीं रही, भिक्षा हो गई। दान सार्वजनिक कार्यों के लिए लिया और दिया जाता है। भिक्षा व्यक्तिगत उपयोग के लिए। दान सुयोग्यों के हाथ सँपा जाता है। भिक्षा असमर्थों को दी जाती है। विवाहों के अवसर पर सार्वजनिक सत्कार्यों के लिए दान की प्रथा चलनी चाहिए। कन्या-दान बहुत बड़ा लाभ है। इसे प्राप्त करने के उपरान्त वर-पक्ष को उसका प्रतिदान करना चाहिए। वे अपनी जितनी उदारता और अमीरी इस संदर्भ में दिखाना चाहें दिखा सकते हैं। लड़की वालों को भी जहाँ

इतना खर्च किया है वहाँ सार्वजनिक कार्यों के लिए भी दान के बजट में कुछ गुञ्जायश रखनी चाहिए। शादियों में हर फिजूलखर्ची घटाई जानी चाहिए। एक पाई का भी अपव्यय न होने देने का ध्यान रखना चाहिए। साथ ही यह भी ध्यान रखना चाहिए कि इस अवसर पर अधिकाधिक खर्च करने और अपनी उदारता, अमीरी प्रदर्शित करने का एक महत्त्वपूर्ण अवसर भी है और वह है सार्वजनिक हित के कामों में दान। इस मद में बरती जाने वाली अनुदारता को उदारता में परिणत किया जा सके तो विवाह व्यक्तिगत खुशी के माध्यम ही न रहकर सार्वजनिक प्रसन्नता एवं प्रगति के आधार भी बन सकते हैं।

दहेज बन्द किया जाय—

विवाह बिल्कुल सादगी के साथ धर्मानुष्ठानों के वातावरण में सम्पन्न होने चाहिए। लोभ-प्रलोभन को उससे हजारों कोस दूर रखना चाहिए। इस यज्ञ-कृत्य को धन्धे की निकृष्ट श्रेणी में परिणत नहीं होने देना चाहिए। एक रुपया पूजा का प्रतीक दक्षिणा के रूप में नियत मांगलिक अवसरों पर लिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त कोई आर्थिक आदान-प्रदान नहीं होना चाहिए। सगाई पक्की होने के अवसर पर या दूसरे अन्य अवसरों पर कुछ उपहार देने के जो रिवाज हैं, वे भी खर्चीले नहीं, प्रतीक रूप ही होने चाहिए। पुष्प-हार, फल, पुस्तकें आदि वस्तुएँ उतनी मात्रा में दी जा सकती हैं, जो उस हर्षोत्सव में उपस्थित लोगों को थोड़ी-थोड़ी वितरित की जा सकें। चाँदी के बर्तन, सोने के जेवर, अनावश्यक मात्रा में ढेरों मिठाइयाँ, नकदी की मोटी रकमें आदि वस्तुएँ आजकल दहेज के नाम पर ली जाती हैं और उनका गाजे-बाजे के साथ दिखावा होता है। मनमर्जी की चीजें नहीं होती तो निन्दा की जाती है और लौटा देने की धमकी दी जाती है। कई बार तो जो कमी अनुभव की गई है उसकी दबावपूर्वक पूर्ति कर ली जाती है। यह धन्धेखोरी अब विवाहों में से हटा ही दी जानी चाहिए।

चालबाजी नहीं वास्तविकता चाहिए—

लड़की वाला अपनी मर्जी से जो चाहे सो भेजे, हम कुछ माँगते थोड़े ही हैं। इस वाकूछल में कितनी वास्तविकता है। इस तथ्य को अब हर कोई समझ गया है। असलियत को अपनाना चाहिए और दहेज के नाम पर जो कुछ दिया जाता

है, 'उसे रस्म-रिवाज के रूप में लेने से बिल्कुल और सीधा इन्कार कर देना चाहिए। रस्म-रिवाज बिल्कुल हलके और सस्ते हों, उनका अनुकरण करने में किसी भी औसत आय वर्ग वाले को कोई कठिनाई न पड़े, रिवाज इतना ही रहना चाहिए। हमारे देश में मानसिक दुर्बलता और अशिक्षा बहुत है, इसलिए एक-दूसरे की देखादेखी बहुत करते हैं। दहेज का बढ़ा-चढ़ा रूप दूसरों के अनुकरण का निमित्त बनता है और उससे एक-दूसरे की प्रतिस्पर्धा खड़ी हो जाती है। अतएव रिवाज के रूप में विवाह पूर्णतया सादगी के साथ, कम से कम खर्च में और बिना दहेज के होने चाहिए।

लड़की का पिता अपनी पुत्री को विदाई उपहार के रूप में कुछ दे सकता है और वह विशुद्ध रूप से 'स्त्री-धन' के रूप में उस लड़की के अधिकार या उपयोग की वस्तु होनी चाहिए, जो आड़े समय में उसके काम आने के लिए सुरक्षित रहे। इसे दिखाने, पूछने या प्रदर्शन करने की तनिक भी आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। यदि ऐसा अनुदान दिया ही जाना हो तो विवाह के कुछ दिन बाद देना चाहिए ताकि उन दिनों उसे चर्चा का विषय न बनाया जाय।

लड़के के लिए उपहार के रूप में वस्त्र, अँगूठी, कलम, घड़ी, पुस्तकें आदि छोटी उपयोगी चीजें ही रहनी चाहिए। यह विशुद्ध उपहार है जिन्हें कृतज्ञतापूर्वक शिरोधार्य करना चाहिए। वर का मोटर-साइकिल आदि के लिए माँग करना अपने को ससुराल वालों के सामने भिक्षुक की स्थिति में रखना है, जो किसी भी स्वाभिमानी के लिए सर्वथा अनुपयुक्त है। बाप ने जैसे लम्बी रकम का दहेज वसूल किया था, उसमें जो कमी रहे उसे बेटा वसूल करे यह घृणित बात है। समझदार युवकों को ऐसी माँग कदापि नहीं करनी चाहिए।

फर्नीचर, रेडियो, बड़े-बड़े बर्तन आदि वस्तुएँ एक की देखा-देखी दूसरे देते हैं, लोग यह नहीं देखते कि वहाँ उनका उपयोग है या नहीं? वस्तुएँ ऐसी देनी चाहिए जिसका उस घर में कोई विशेष उपयोग हो। कूड़े-करकट की तरह भार रूप में कोई वस्तुएँ कहीं पड़ी रहें और देने वाले प्रदर्शन के लिहाज से उन चीजों को खरीदने में बहुत धन व्यय करें तो इसमें क्या बुद्धिमत्ता रही। भले ही कम चीज दी जाय, भले ही उनकी संख्या कम हो, पर जो कुछ दिया जाय वह इस

बात का ध्यान रखकर दिया जाय कि जहाँ वह भेजी जा रही है, वहाँ उसका विशेष उपयोग होगा। किसान परिवार के लोगों को सोफासैट देने की अपेक्षा एक गाय दे देना कहीं उत्तम है।

लड़की वाले जेवर न माँगे—

लड़के वाले जिस प्रकार दहेज माँगते हैं, प्रकारान्तर से लड़की वालों की भी लगभग वैसी ही माँग रहती है। कीमती जेवर और कीमती कपड़ों में लगभग उतना ही पैसा लग जाता है, जितना कि दहेज में दिया जाता है। लड़के वालों द्वारा दहेज माँगे जाने का एक कारण यह भी है कि उन्हें जेवर कपड़े की मँगी माँग पूरी करने के लिए जो धन चाहिए वह कहाँ से लावें? दहेज की माँग द्वारा वे उस आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। आखिर लड़के वाले भी तो गरीब ही होते हैं। लड़कों के भरण-पोषण एवं शिक्षण में उन्हें भी अपना घर खाली कर देना पड़ता है। विवाह की खर्चीली व्यवस्था, बारात की शोभा-सजा, अनेकों ऊल-जलूल संराजाम, जेवर, कपड़े, नेग आदि में उन्हें भी लड़की वाले के बराबर ही पैसा खर्च करना होता है। इसके लिए वे यह सहज तरकीब ढूँढ लेते हैं कि वह रकम लड़की वालों से वसूल कर ली जाय। सच बात यह है कि बचता उन्हें भी कुछ नहीं। जो मिला था वह सारा का सारा ही उस होली में स्वाहा हो जाता है और कभी-कभी तो घर से भी कुछ लगाना पड़ता है।

जब तक यह समस्या न सुलझेगी तब तक दहेज की माँग भी बन्द न होगी। लड़के वाले यह कैसे स्वीकार करेंगे कि उन्हें मिलेगा तो कुछ नहीं, पर जेवर आदि के नाम पर भारी व्यय उन्हें करना पड़े। तब तो आज जो कठिनाई लड़की वालों के सामने है वही कल लड़के वालों के सामने उपस्थित हो जायेगी। तब वे नकदी न सही जेवर देकर लड़की खरीदे जाने के उत्पीड़न के विरुद्ध अपनी शिकायत प्रस्तुत करेंगे। अतएव दोनों ओर के सन्तुलन का ध्यान रखा जाना चाहिए। दहेज विरोधी आन्दोलन की सफलता इस बात पर निर्भर है कि कीमती जेवर एवं रानियों जैसे कपड़ों तथा लड़के वालों के ऊपर भार बने हुए अलन-चलनों का बोझ भी हलका किया जाय।

वर-पक्ष की ओर से सादे-दैनिक उपयोग में आ सकने योग्य कपड़े तथा एक अँगूठी इतना जेवर दिया जाय। उसका

५.१४ विवाहोन्माद : समस्व और समाधान

प्रदर्शन बिल्कुल न हो । यह एक मंगल प्रतीक मात्र माना जाय । वधू को कोई विशेष जेवर आदि उपहार देना ही हो तो विवाह के समय नहीं वरन् बाद में दिया जाय, ताकि उन दिनों वह चर्चा या प्रदर्शन का विषय न बन सके । जेवर आदि का विवाह से कोई सम्बन्ध नहीं होना चाहिए । यह अपनी आर्थिक सुविधा एवं अभिरुचि की स्वतंत्र बात है । इसे जब सुविधा हो तब किया जा सकता है । विवाह के दिनों वर-पक्ष की ओर से अँगूठी लड़की के लिए और कन्या पक्ष की ओर से एक अँगूठी वर के लिए हो तो इतना ही जेवर पर्याप्त माना जाय । इस सम्बन्ध में भी उतना ही स्पष्ट आन्दोलन और प्रतिबन्ध होना चाहिए तभी आदर्श विवाहों की परिपाटी का प्रचलन सम्भव होगा । अब तक देहेज के विरोध में तो बहुत कुछ कहा जाता रहा है, पर जेवर चढ़ाने की उतनी ही घातक कुप्रथा पर किसी ने ध्यान नहीं दिया । इसी से एकपक्षीय सुविधा की माँग कार्यान्वित न हो सकी । सफलता तभी मिलेगी जब अपव्यय से दोनों पक्षों को समान रूप से राहत मिले । लड़के वालों को देहेज माँगने से इनकार करना चाहिए और लड़की वालों को जेवर चढ़ाने से । सादगी दोनों ओर से अपनाई जानी चाहिए ।

भारत की विदाई के समय बारातियों को चाँदी के बर्तन आदि देने का रिवाज चल पड़ा है, यह उचित नहीं । उपहार में पुस्तकें देनी चाहिए ताकि उनकी आन्तरिक समृद्धि बढ़े । यदि पैसा ही देना हो तो एक रुपया दक्षिणा का प्रतीक रहना पर्याप्त है । चाहे समधी हो, चाहे समधिन, बाराती हो या दूल्हा ? जब कमी भेंट-उपहार का अवसर आवे तो दक्षिणा का प्रतीक प्रतिनिधि एक रुपया ही माना जाना चाहिए । भेंट उतनी ही पर्याप्त है ।

आदर्श विवाह वह है जिसमें कन्या-पक्ष और वर-पक्ष दोनों यह मानकर चलते हैं कि अपना एक परिवार अब दूना हुआ । दो कुटुम्बों में स्नेह, सौहार्द्र, आत्मीयता एवं महान आध्यात्मिक आदर्श है । दोनों के जीवन में इस आत्म-समर्पण से एक बड़े अभाव की पूर्ति होती है ! इस आत्मोत्सर्ग का कुछ तो प्रभाव लड़की और लड़के के कुटुम्बों पर भी पड़ना चाहिए । उनके बीच आत्मीयता, एकता, सहानुभूति एवं सम्मान का भाव जितना बढ़ेगा, उतना ही वह विवाह सफल माना जायगा । लड़की-लड़कों का तो गठ-बन्धन हो गया, पर

दोनों परिवार एक दूसरे से अलग-अलग खिंचे-खिंचे ही बने रहे तो समझना चाहिए कि विवाह का उद्देश्य अपूर्ण ही रह गया ।

आमतौर से यह देखा जाता है कि वर, लड़की की अपेक्षा अपने को बहुत अधिक उत्कृष्ट एवं उसका अधिपति मानता है । वधू को पैर की जूती मानता है और उस पर उचित-अनुचित हर प्रकार का शासन करना अपना अधिकार समझता है । ठीक इसी प्रकार वर का कुटुम्ब कन्या के कुटुम्ब से अपरिमित सम्मान एवं अपरिमित अनुदान माँगना अपना अधिकार मानता है । इस आतंकवादी नीति का कोई औचित्य नहीं । इससे कटुता, घृणा एवं द्वेष की वृद्धि होती है, खाई चौड़ी बनती है । विवाह के अवसर पर सारे झगड़ों के मूल में यह अहंकार ही काम करता है । अहंकार और परायेपन का जहाँ कहीं भी बाहुल्य होगा वहाँ द्वेष, दुर्भाव बढ़ेंगे ही ।

विवाह का आनन्द तभी है, जब वर-वधू में ही नहीं, दोनों कुटुम्बों में भी असीम आत्मीयता का उदय हो । दोनों पक्ष दूसरे पक्ष की कठिनाई का ध्यान रखें और उसे सरल बनाने के लिए जो कुछ संभव हो पूर्ण सद्भावना के साथ करें । लड़के वालों पर इस सम्बन्ध में अधिक जिम्मेदारी है । उसे कन्या-पक्ष के लोगों के द्वारा कन्या देने की उदारता के लिए हृदय से कृतज्ञ होना चाहिए । अपनी ओर से कुछ भी ऐसा न कहना या माँगना चाहिए, जिससे उनकी कठिनाइयाँ बढ़ें । आर्थिक दबाव उस पर नहीं ही बढ़ने देना चाहिए । इसलिए अपनी ओर से ऐसे सुझाव देने चाहिए जिससे कम से कम खर्च में काम चले । आत्मीयता की परख त्याग की कसौटी पर होती है । वर-पक्ष वालों के लिए विवाह के अवसर पर यही अग्नि-परीक्षा उपस्थित होती है । उन्हें अपनी उदारता और सद्भावना प्रदर्शित करने में कोई कमी न रहने देनी चाहिए । व्यवस्था या सुविधा में जो कमी कन्या-पक्ष से रह जाय उसकी ओर ध्यान ही नहीं देना चाहिए ।

अपव्यय का कुचक्र तोड़ डालें

विवाह-शादियों के अवसर पर किया जाने वाला अन्धाधुन्ध व्यय किसी भी दृष्टि से उचित नहीं ठहराया जा सकता । किसी जमाने में खुशी प्रकट करने का तरीका पैसा उलीचना रहा होगा, पर आज वैसी स्थिति नहीं है । एक तो

वैसे ही सर्वसाधारण के ऊपर आर्थिक संकट छाया होने से व्यर्थ कार्यों के लिए पैसा बचता ही नहीं, फिर यदि बचे भी, तो उसका उपयोग विवेकपूर्वक होना चाहिए। विवाह करने में खुशी होती है, ठीक है, खुशी हो, पर इसका अर्थ यह तो नहीं है कि खुशी में अन्धा होकर अपने कपड़े ही फाड़ने लग जाय, अपने ही बाल नॉचने लग जाय।

खुशी के समय धन खर्च करने की स्थिति या इच्छा हो तो प्रसन्नतापूर्वक वैसा करना चाहिए। इसके लिए अनेक विवेकसंगत मार्ग मौजूद हैं। ऐसे अगणित असमर्थ व्यक्ति इस संसार में मौजूद हैं, जिन्हें आपत्तिग्रस्त, दुःखी जीवन व्यतीत करना पड़ता है, उनके कष्टों को हलका करने के लिए कुछ सहारा देकर हम अपनी खुशी का एक अंश उन्हें दे सकते हैं। अन्धे, लंगड़े, कोढ़ी, अपाहिज, अनाथ, अपढ़, दीन-दुःखी व्यक्ति इस संसार में कम नहीं, उनके लिए हमारा दिया हुआ एक पैसा भी बड़ा सहारा बन सकता है। खुशी के अवसर पर हम जितना चाहे इन लोगों के लिए दान कर दें। अशिक्षा, गरीबी और बीमारी से अगणित व्यक्ति दुःखी हैं। विद्या प्राप्ति के साधन बढ़ाकर, आजीविका कमाने के साधन बढ़ाकर, चिकित्सा की सुविधाएँ उत्पन्न कर, गिरे हुए को उठाने में, दुखियों को सुविधा पहुँचाने में जितनी मर्जी हो पैसा खर्च कर सकते हैं। देश, धर्म, समाज और संस्कृति की गिरी स्थिति को ऊँची उठाने के लिए अनेकों सत्रवृत्तियों का बढ़ाया जाना आवश्यक है, उसके लिए जितना भी धन दे सकना सम्भव हो देना चाहिये। खुशी मनाने के ऐसे अनेक सराहनीय तरीके हो सकते हैं, जिनमें विवाह की खुशी सार्थक हो सकती है।

निरर्थक हुत्सङ्गवाजी—

बेकार की धमाचौकड़ी मचाना, निरर्थक तमाशा खड़ा करना और पैसे की होली फूँकना, यदि यही खुशी मनाने का तरीका हो तो फिर 'उन्माद' किसे कहेंगे? आपके पास हराम की, पाप की अन्धाधुन्ध कमाई बेकार पड़ी हो वह ऐसे ऊटक-नाटक रचें तो बात कुछ समझ में भी आती है। जिसने कमाने में पसीना नहीं बहाया है, वह उसको बेरहमी से फूँक भी सकता है। पर जिसने मेहनत-मजदूरी से कमाया हो उसके लिये यह बात कैसे उचित ठहराई जायगी कि अपनी, अपने परिवार की, अपने राष्ट्र की महत्त्वपूर्ण आवश्यकताओं की उपेक्षा करके बेकार की धमाचौकड़ी में अपने खून-पसीने का धन बरबाद करे।

मनुष्य आखिर विचारशील प्राणी है। उपयोगिता, अनुपयोगिता का निर्णय करने की क्षमता भी उसमें है। फिर न जाने शादी के दिनों में वह अपनी सारी समझ कहाँ गिरवी रख आता है? छोटी-छोटी बातों में सावधानी बरतने वाला, साग-भाजी खरीदते समय किफायत और चतुराई बरतने वाला, मिट्टी की हाँडी लेते समय ठोक-बजा लेने वाला समझदार मनुष्य उन दिनों इतना धन, इतनी आसानी से, इतने बेकार तरीके से बरबाद कर बैठता है, यह एक असाधारण आश्चर्य की बात है। इस औघड़ करनी में एक भारी मनोवैज्ञानिक भूल रहती है। समझ लिया यह जाता है कि जो विवाह-शादियों में जितना अधिक खर्च करता है, उसे लोग उतना ही अमीर या बड़ा आदमी मानेंगे। उसकी इज़त बढ़ेगी। पर सच्चाई इससे बिल्कुल विपरीत है। बुद्धिहीनों की बात जाने दीजिये, वे दिन को रात भी समझ सकते हैं, पर जिसमें थोड़ी भी विचारशीलता बाकी है वह ऐसे अपव्यय से घृणा ही करेगा और जो इस प्रकार पैसा उलीच रहा है उसकी समझदारी अथवा नेक कमाई के बारे में सन्देह ही व्यक्त करेगा। आज कोई व्यक्ति उद्धत आचरण करके इज़त नहीं प्राप्त कर सकता। इज़त प्राप्त करने के लिए दूरदर्शिता एवं आदर्शवादिता का मार्ग ही अपनाना पड़ता है।

अपव्यय में इज़त की मृगतृष्णा—

अपव्यय में इज़त पाने की लालसा मृगतृष्णा मात्र है। इस मान्यता को जितनी जल्दी बदल दिया जाय उतना ही उत्तम है। कई ऐसे व्यक्ति जो स्वयं वैसा खर्च कर चुके हैं दूसरों को भी वैसी ही सलाह देते देखे गये हैं। शायद वे सोचते हैं कि दूसरे यदि आदर्शवादी बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके अपनाने लगे तो उनकी पिछली करतूतों को नालायकी या मूर्खता ठहराया जायगा। इसलिये "कोढ़ी मरे संगती चाहे" वाली कहावत के अनुसार उसी रास्ते पर चलने वालों की संख्या बढ़ाना चाहते हैं और जो भी उनके प्रभाव में आता है, जो भी उनकी सलाह मानता है उसे यही सिखाते हैं कि वह भी उन्हीं की तरह उल्टी चाल चले। ऐसे सलाहकार मुफ्त में ही आदेश-निर्देश देने को हर जगह मौजूद रहते हैं और अकारण ही इस बात का प्रयत्न करते हैं कि उनकी उल्टी सलाह भी मानी जाय। न मानने पर नाराज होते हैं और अडंगे अटकाते हैं। ऐसे लोगों

५.११ विवाहोन्माद : समस्या और सम्मान

में आमतौर से वयोवृद्ध लोग होते हैं, जो अधिक आयु होने के आधार पर अपनी समझ को भी बढ़ी-चढ़ी मानते हैं। घर की बूढ़ी स्त्रियाँ भी प्रायः इसी ढर्रे पर चलती हैं। उनमें जो कुछ देखा-सुना है वही उनके लिए पत्थर की लकीर की तरह सुनिश्चित है। वे अपने आस-पास हुल्लड़बाजी के रूप में ही शादियों का सरंजाम जुटता देखती आ रही हैं इसलिए उनके लिए वही सनातन सत्य है। बेचारी यह कल्पना भी नहीं कर सकती कि बिना हुल्लड़ का भी कोई विवाह हो सकता है। उनका सीमित मस्तिष्क सीमित दायरे में सोचने के लिये मजबूर है।

आदर करें पर अनुचित न स्वीकारें—

प्रश्न यह है कि क्या वर्तमान विषम स्थिति को इसीलिए ज्यों की त्यों रहने दिया जाय कि उसे यह तथाकथित 'बड़े-बूढ़े' बदलना पसन्द नहीं करते? 'बड़े-बूढ़े' तो लड़कियों को पढ़ाना भी पसन्द नहीं करते, उनकी बात मानें तो आपको अपनी बच्चियों का स्कूल जाना बन्द करना पड़ेगा। उनका दस बारह वर्ष की उम्र में ब्याह करना पड़ेगा क्योंकि बड़े-बूढ़ों के जमाने में ऐसा ही प्रचलन था। ऐसी अनेक बातें हैं कि इनके बारे में हमें विवेक को अधिक महत्त्व देना पड़ता है और पुरानी मान्यताओं की, पुराने लोगों की उपेक्षा करनी पड़ती है। उनके सम्मान की पूरी-पूरी रक्षा की जानी चाहिए उनकी सेवा में, सुविधा में तनिक भी त्रुटि न होनी चाहिए, उनकी उचित इच्छाओं और आज्ञाओं का श्रद्धापूर्वक पालन करना चाहिये, पर यदि वे अपनी ही तरह आपको भी हुल्ला पीने की लत लगाना चाहें तो उचित यही होगा कि आप मधुरता एवं नम्रतापूर्वक उनके परामर्श को मानने में अपनी विवशता व्यक्त कर दें। बच्चों के जल्दी विवाह की इच्छा आमतौर से बड़े-बूढ़ों की रहती है, घर में लड़का बड़ा होने लगे तो घर में बहू देखने के लिये उनकी बड़ी लालसा उठती है। इच्छा की अवज्ञा करना अखरेगा अवश्य पर इसके लिए विवेक की भी तो हत्या नहीं की जा सकती। भले ही वे नाराज हों। आपकी चले तो घर के लड़कों का विवाह तभी होने दें जब वे अपनी शिक्षा पूरी कर लें, शरीर से समर्थ हो जायें और कुछ कमाने की स्थिति में पहुँच जायें। हो सकता है इस सम्बन्ध में घर के बड़े-बूढ़ों से खींचतान रखनी पड़े पर इस अवज्ञा में न तो

कर्तव्य की हानि है और न धर्म की। नासमझी की बात चाहे बच्चे की हो, चाहे बूढ़े की उपेक्षा करने योग्य ही है। बूढ़ों की हर बात माननी ही चाहिए। यह न कोई तर्क है, न धर्म, न कर्तव्य। हमें केवल विवेक एवं औचित्य को ही शिरोधार्य तथा स्वीकार करना चाहिए।

बड़े-बूढ़े सहृदय ही होते हैं। उनकी विचारणा एवं मान्यता सीमित रहने के कारण वे अपनी बात को ठीक मानते हैं, इसलिए उस पर जोर देते हैं पर उनमें विवेक का सर्वथा अभाव नहीं होता, जब परिस्थितियाँ और मजबूरियाँ ठीक तरह नम्रतापूर्वक उनके सामने रखी जायें तो वस्तुस्थिति पर विचार भी करते हैं और थोड़ी अधिक अनुनय-विनय करने पर औचित्य के पक्ष में झुक भी जाते हैं। समय के साथ समझौता करने के लिए हर किसी को मजबूर होना पड़ता है। आयु के साथ-साथ जिनका अनुभव भी बढ़ा-चढ़ा है वे इस तथ्य को समझते हैं और इस बात पर जोर नहीं देते कि जो कुछ उन्होंने देखा, सुना या किया है और लोगों को वही सब करते रहना चाहिए। जब अनेक बातों में वे नरम हो जाते हैं, तो भावना एवं नम्रतापूर्वक वस्तुस्थिति समझाने पर वे इस बात के लिए भी नरम या सहमत हो सकते हैं कि वर्तमान परिस्थिति में विवाह-शादियों को बिना धूम-धाम के, सरलता एवं सादगी के साथ किया जाना उचित है। बात को बढ़ा दिया जाय या उन्हें चिढ़ा दिया जाय तो वे किसी काम को अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाकर अड़ते और हठ करते देखे गये हैं, पर जब ऐसी परिस्थिति न बनने दी जाय और उनके बड़प्पन की रक्षा करते हुए वस्तुस्थिति की पेचीदगी समझा दी जाय वे नरम भी हो जाते हैं और अपने विचार भी बदल देते हैं। इन अवसरों पर उनकी सहृदयता का लाभ उठाना चाहिए। थोड़ी नाराजी सहनी पड़े तो भी यह आशा रखनी चाहिए कि धूप-छाँह की तरह वह थोड़े समय की है। कोई वृद्ध पुरुष अपने बच्चों पर देर-तक अप्रसन्न नहीं रह सकते। देर-सबेर में उन्हें मना ही लिया जाता है।

आदर्श के प्रति आस्था रखें—

हमें अपनी मान्यता पर आस्था उत्पन्न करनी होगी। स्वयं को समझा लिया जाय तो बाकी सबको समझाना सरल हो जाता है। अपना ही निश्चय अधूरा और विश्वास दुल-मुल

हो तो फिर हवा में लड़ने वाले पत्रों की तरह पक्ष-विपक्ष की सलाह मिलने पर कभी ऐसे, कभी वैसे विचार बदलते रहेंगे और निष्कर्ष पर पहुँचना कठिन हो जायगा। पर यदि यह मान्यता मजबूत कर ली जाय कि अपनी, अपने परिवार की, समाज की कुशल इसी में है कि शादियाँ सादगी के साथ ही की जाएँ, तो सारी कठिनाइयाँ सरल हो जाती हैं। सलाह सबसे लेना कोई जरूरी नहीं। सलाह देने की पात्रता जिनमें हैं उन्हीं का परामर्श उपयोगी होता है। मुकदमे में वकीलों की और बीमारी में डाक्टरों की सलाह पर घर के बड़े-बूढ़ों या रिश्तेदारों की अपेक्षा अधिक ध्यान देना पड़ता है। इसी प्रकार प्रथा-परम्पराओं की उपयोगिता-अनुपयोगिता सम्बन्ध में भी विवेकशील दूरदर्शी लोगों के निष्कर्ष को ही महत्त्व देना चाहिए।

“अधिक अपव्यय में अधिक इज़त” का सिद्धान्त अब सर्वथा गलत, सर्वथा अबुद्धिमत्तापूर्ण सिद्ध हो चुका है। भ्रान्त मान्यता को जितनी जल्दी छोड़ दिया जाये उतना ही उत्तम है। अब मूल्यांकन बदल रहे हैं। सादगी के साथ सम्पन्न होने वाले विवाहों में ही अब इज़त है। इस रीति-नीति को अपनाने में ही अपने विचारों की, अपनी आत्मा की, अपने विवेक की और अपने साहस की इज़त है। पैसे बचें और इज़त मिले तो उस रीति-नीति को अपनाने में संकोच क्यों किया जाय? मानवीय विवेक अगले दिनों इस प्रकार के औघड़ आचरणों को ठुकरा देने ही वाला है। समय रहते हम इस परिवर्तन में अग्रणी रहें तो लोग सेवा भी होगी और इज़त भी मिलेगी।

अनुपयुक्त अस्तव्यस्त—

भारतीय जीवन की गतिविधियाँ, हमारी सामाजिक परिस्थितियाँ अनेक दिशाओं में अस्त-व्यस्त एवं अनुपयुक्त बनी हुई हैं। इन्हें सुधारना ही उड़ेगा। यह सुधार हमें विवाहों के नाम पर प्रचलित खर्चीली एवं त्रासदायक परम्पराओं में परिवर्तन करके आरम्भ करना चाहिए। आगे और भी कदम उठाने होंगे ताकि नैतिक, सांस्कृतिक, शारीरिक, मानसिक, राजनैतिक दृष्टि से हम सुविकसित एवं सुसम्पन्न बन सकें। परिवर्तन का प्रत्येक कार्य कष्टसाध्य होता है। मनुष्य का स्वभाव भूत-प्रिय है। जो होता चला आया है वह चाहे अनुपयुक्त ही क्यों न हो लोगों को पसन्द आता है। नया चाहे वह कितना ही युक्तियुक्त एवं उपयोगी क्यों न हो उसे लोग नापसन्द करते हैं, सैकड़ों मीन-मेख निकालते हैं और जहाँ

तक बनता है उसे प्रचलित न होने देने का प्रयत्न करते हैं। मानव-स्वभाव का यह दोष उसकी प्रगति में सब से अधिक बाधक रहा है। इसी अड़चन के कारण संसार के समस्त सुधारकों को परम्परावादियों का विरोध सहना पड़ा है और कितनों को ही तो इस विरोध में अपने प्राण गँवाने पड़े हैं।

ईसामसीह को फाँसी दी गई, सुकरात को जहर पीना पड़ा, मंसूर को शूली दी गई, दयानन्द ने विष खाया इस प्रकार कितनों ने ही हैंसते-हँसते अपने जीवन खोये। बुद्ध, शंकराचार्य, राममोहन राय, ईश्वरचन्द्र विद्यासागर, महात्मा गाँधी, महर्षि कर्वे आदि हर सुधारक को अपने समय के परम्परावादियों द्वारा अगणित प्रकार के उत्पीड़न सहने पड़े। बड़ा काम करने वाले बड़े व्यक्तियों को बड़े कष्ट सहने पड़ते हैं। उसी अनुमान से छोटा साहस करने वालों को भी उपहास एवं विरोधों का सामना करना पड़ा है। यह साहस न होने के कारण ही लोग कुरीतिजन्य अत्याचारों और हानियों को सहन करते रहते हैं। जिस प्रकार अनीतियों का मुकाबला करने में शौर्य की जरूरत पड़ती है, इसी तरह कुरीतियों का प्रतिरोध करने के लिए भी साहस चाहिये। बहुसंख्यक लोग कायर और भीरु प्रकृति के होते हैं और किसी भी प्रकार झंझट में पड़ने से बचने की कोशिश करते हैं। हो सकता है कि वे प्रत्यक्ष लड़ाई-झगड़े से बचे रहें, पर परोक्ष रूप से यह भीरुता उनके लिये इतने संकट उत्पन्न करती रहती है, जो प्रत्यक्ष झगड़ा सहन करने की अपेक्षा कई गुने कष्टदायक होती है। कुरीतियों के आगे, सामाजिक मूढ़ता के आगे सिर झुका देने से तात्कालिक झंझटों से बचाव भले ही हो जाय, पर उनके द्वारा होने वाली हानियों से बचना सम्भव नहीं, जो झंझटों का मुकाबला करने की तुलना में कहीं अधिक त्रास देती हैं।

हम न भीरु बनें, न कायर—

हमें न भीरु बनना चाहिये और न कायर, सत्य और विवेक को ही स्वीकार करने के लिए अड़ जाना चाहिये। जो सिद्धान्ततः गलत है और व्यावहारिकता हानिकारक है, उसे स्वीकार करना मानवीय विवेक का तिरस्कार करना है हमें शान्तिप्रिय होना चाहिये पर वह शान्ति अनीति या मूढ़ता के आगे नाक रगड़ते रहकर नहीं खरीदी जा सकती। शान्ति की रक्षा के लिए यदि अशान्ति का सामना करना पड़े तो भी उसे करना चाहिये। हमें चुनौतियों से भागना नहीं चाहिये वरन्

उन्हें स्वीकार करना चाहिये । अनुपयुक्त प्रतिरोधों का मुकाबला करने में ही पौरुष है । जो असत्य है जो अहितकर है, उसके आगे सिर नहीं झुकाना चाहिये फिर चाहे इसका परिणाम कुछ भी क्यों न हो । सारी दुनिया यदि अनीति की समर्थक बन जाय तो भी हम एकाकी उसका विरोध करते रहें । जीवन शूरीयों की तरह जिया जाना चाहिए । उसमें साहसी शूरीयों की प्रतिभा होनी ही चाहिए, चूँकि बहुत लोग मूर्खता का, अनीति का मार्ग अपनाये हुए हैं इसलिए हमें भी अपनाना चाहिए, यह कोई तर्क नहीं । मानवीय विवेक की पुकार यही है कि हम सत्य के अतिरिक्त और सब कुछ अस्वीकार कर दें और इस साहस के बदले में जो कठिनाइयाँ आयें उन्हें पौरुष का पुरस्कार मानकर हैंसते हुए गर्व और गौरव के साथ शिरोधार्य करें ।

मानव जाति का गौरव ऐसे ही नर-रत्नों से समुज्वल होता है । हमें कायरों की कलंकित पारिपाटी नहीं अपनानी चाहिये, वरन् मनस्वी, सत्यनिष्ठा और साहसी शूरीयों के कंटकाकीर्ण पथ पर चलने का अभ्यास करना चाहिये । आज ऐसे ही नर-रत्नों की आवश्यकता है । दिशाएँ उन्हीं को पुकार रही हैं । हमें अपने समय की इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए अग्रसर होना ही चाहिए । युग-प्रवर्तकों की एक साहसी सेना आज माता भारती का मुख समुज्वल करने के लिए अपेक्षित है । अवसाद के सन्नाटे को चीरते हुए हमें ही इस आवश्यकता को पूरा करना चाहिए । नीतिकार ने धुँआ देकर घण्टों जलने की अपेक्षा प्रकाशवान लपटें उठाकर क्षण भर जलने वाली अग्नि को सराहा है । हम सत्य, न्याय और विवेक का गौरवान्वित करने के लिए यदि विरोध-प्रतिरोधों का सामना करते हुए मर मिटें तो ऐसा ज्वलन्त जीवन अभिनन्दनीय एवं अनुकरणीय ही माना जायगा । उलझनें हर एक के सामने रहती हैं, संकट और कष्ट हर किसी को सहने पड़ते हैं, यहाँ निरापद जीवन किसी का नहीं, फिर हम क्यों कठिनाइयों से घबरायें ? सत्य का प्रतिपादन करने के लिए यदि अविवेकी लोगों का, दिग्भ्रान्त जनसमूह का उपहास या विरोध सहना पड़ता है, तो उससे हमें विचलित क्यों होना चाहिए ?

समस्या की गंभीरता और पेचीदगी—

प्रश्न तीन दिन के उन्माद की औघड़ता का नहीं है, यदि बात इतनी ही होती तो उसे सहन किया जा सकता है । होली

के दिनों में लोग उन्मादियों जैसा आचरण करते हैं, उसे सहन किया जा सकता है । क्योंकि उसके कोई दूरगामी परिणाम नहीं होते । विवाहोन्माद के सम्बन्ध में बात ऐसी नहीं है । उसकी प्रतिक्रिया समस्त राष्ट्र पर, समस्त जाति पर होती है और उसके दुष्परिणाम बड़े करुणापूर्ण संकट उत्पन्न करते रहते हैं । भारतीय नारी को तब तक सम्मान नहीं मिलेगा जब तक यह दहेज प्रथा जिन्दा है । लड़की का पिता उसे दुर्भाग्य का तकाजा, ऋण-भार एवं ईश्वरीय कोप ही मानेगा । ससुराल वाले उसके साथ कुबेर का खजाना न आने पर नाक-भीं ही चढ़ाते रहेंगे और उससे नफरत ही करते रहेंगे । नई बहू में यदि राई-रत्ती भी नुक्स हो तो ससुराल का हर व्यक्ति उसकी मौत की कामना करेगा ताकि उसके मर जाने पर दूसरे विवाह में फिर उतना ही लाभ हो सके । नई बहू आती और मरती रहे तो इन दहेज व्यवसायों के लिये एक लाभदायक धन्धा ही बना रहे । इन परिस्थितियों में बेचारी नारी को किससे, कहाँ से सम्मान की आशा करनी चाहिए ?

भारतीय नारी को हेय स्थिति तक पहुँचा देने का अधिकांश दोष इस खर्चीली विवाह पद्धति को है । सुयोग्य से सुयोग्य लड़की यदि निर्धन घर में जन्मी है और उसका बाप दहेज के लिए प्रचुर धन नहीं जुटा सका है, तो उस अभागिन को किसी ऐसे सुविकसित परिवार में जाने का अवसर नहीं मिल सकता, जहाँ जाकर वह उस परिवार को अपनी प्रतिभा से जगमग कर सकती थी । आर्थिक बर्बादी का करुण चित्र सामने है । प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से जितने सरकारी टैक्स हमें देने पड़ते हैं, उतना ही अर्थ दण्ड विवाहों के नाम पर लगता है । अमीरों की बात जाने दीजिए, मध्यम स्तर का परिवार इसी भार से पिस जाता है । जिस पैसे से घर के लोगों का स्वास्थ्य, शिक्षण, कारोबार पनप सकता था और वे अच्छा जीवन बिता सकते थे, वह पैसा जब शादियों के उन्माद में उड़ गया तो प्रगति की आवश्यकताएँ कहाँ से पूरी होंगी? कई बार तो कर्ज का कुचक्र पीछे के लिए रह जाता है और सारा परिवार उसमें बेदर्री के साथ पिसता, कराहता रहता है । कितने अभिभावक चिन्ता में घुलते हुए अकाल मृत्यु के ग्रास बनते हैं, कितनी अबोध बालिकाओं का जीवन खाई-खड्डों में गिर कर चकनाचूर होता रहता है । इस औघड़ हंगामे में फूँकने के लिए, पैसा जुटाने के लिए कितनों को कितनी अनीति

की कमाई करने के लिए विवश होना पड़ता है, वह कोई छिपी बात नहीं। सारे संसार के सभ्य समाजों के सामने हिन्दू समाज की स्थिति ऐसी ही कुरीतियों के कारण उपहासास्पद बनी हुई है। इस समाज में प्रचलित रिवाजों की जब अन्य प्रथाओं से तुलना करते हैं तो कई बार क्रोध एवं आवेश में यह सोचना पड़ता है, कि क्यों न ऐसे पाखण्डी समाज को तिलांजलि दे दी जाय ? हिन्दू समाज की संख्या दिन-दिन घटती जा रही है। उसके सदस्य तेजी से ईसाई, मुसलमान बनते चले जा रहे हैं। अन्य धर्मों में से भी क्या कोई हिन्दू धर्म में लौटता है ? इस प्रश्न का स्पष्ट उत्तर है—नहीं। जिस समाज में ऐसी अविवेकपूर्ण प्रथाएँ प्रचलित हों, जहाँ विवाह जैसी एक छोटी-सी प्रक्रिया लोगों के लिए जीवन-मरण की पहेली बन बैठी हो, उस समाज में आना भला कोई अन्य धर्मावलम्बी क्यों पसन्द करेगा ?

विवेकशीलता को चुनौती—

ये परिस्थितियाँ हर विचारशील व्यक्ति के सामने चुनौती के रूप में प्रस्तुत हैं और चाहती हैं कि उनका हल ढूँढा जाय। हमें इसको ढूँढना ही चाहिये। जैसा कुछ चल रहा है वैसा ही चलता रहे यह उचित न होगा। उलझनों को सुलझाने में असमर्थता प्रकट कर हमें अपने मानसिक दिवालियापन का परिचय नहीं देना चाहिये। जो लोग जीवन-मरण जैसे महत्त्वपूर्ण समस्याओं को सुलझाने में समर्थ न हो सकें, उसके लिए प्रयत्न करने तक का साहस जिनमें न हों, उन्हें जीवित कहलाने का अधिकार नहीं। आटा खाने और टट्टी फिरने की चलती-फिरती मशीन का नाम मनुष्य नहीं है। ऐसे तो कीड़े-मकोड़े भी मौत के दिन पूरे कर लेते हैं। मनुष्य में अपनी कुछ विशेषताएँ हैं, और कुछ जिम्मेदारियाँ। उन्हें जो पूरा नहीं करते वे नर-पशु ही कहे जाते हैं। 'जीवित मृतक' भी उन्हें कहा जा सकता है। प्रस्तुत समस्याओं को हल करने की चेष्टा करने या उनकी बात सोचने से यदि हम इनकार करते हैं तो अपनी गणना भी इसी श्रेणी में हो सकेगी। क्या यही हमारे गौरव के अनुरूप है ? क्या इसी घृणास्पद स्थिति में पड़े रहना हमारे लिये उचित है।

हमें चुनौतियों का सामना करना ही चाहिये। समाज को नया मोड़ देने में सामयिक आवश्यकता को पूरा किया ही जाना चाहिए। यदि इतने आगे न बढ़ना चाहें तो भी अपनी

निज की, अपने परिवार की, अपने स्वजन-सम्बन्धियों की धिन्ताओं को हलका करने और समस्याओं को सुलझाने के लिये इस दिशा में कुछ सोचना एवं कुछ करना ही चाहिये। हम में से प्रत्येक के बच्चे हैं, आज नहीं तो कल उनके विवाह का प्रश्न सामने आवेगा ही। अपने अतिरिक्त अपने भाई, भतीजे, रिश्तेदार, कुटुम्बी, मित्र, परिचितों के भी बच्चे हैं। समस्याएँ सबके सामने एक-सी हैं। यदि हम ऐसा वातावरण विनिर्मित कर सकें तो अपने और अपने से सम्बन्धित इस समुदाय की एक बहुत बड़ी सेवा-सहायता कर सकते हैं। कभी अपनी थोड़ी बचत कर लेते हैं या अपने स्वजनो-सम्बन्धियों को कुछ लाभ पहुँचा देते हैं, तो स्वभावतः बड़ी प्रसन्नता होती है। लाभ पहुँचाने का यह तरीका बहुत ही उपयुक्त एवं सरल है। हर विवाह में दो-चार हजार तो खर्च होते ही हैं और अपने से सम्बन्धित लोगों के यदि १०-२० विवाहों में भी आदर्श विवाहों वाली व्यवस्था बन जाती है तो समझना चाहिए कि लाख, पचास हजार का लाभ इस छोटे से समुदाय को हो गया। भले ही यह पैसा नकदी के रूप में अपनी जेब से न दिया गया हो, पर उन्हें लाभ तो हो ही गया। भगवान भी किसी को नकदी नहीं देते जिन्हें लाभ देना होता है उनके लिये कोई साधन ही सुलभ कर देते हैं। आदर्श विवाहों के उपयुक्त वातावरण बनाकर हम भी ऐसे ही साधन-स्रोत उत्पन्न करते हैं।

जनता की भेड़वाल—

बुराईयों की तरह अच्छाईयों का भी अनुकरण किया जाता है। जनता अन्धी भेड़ों की तरह है। जिधर झुण्ड चलता है उधर ही उनके पैर उठने लगते हैं। हवा में उड़ते हुए तिनकों की तरह लोग उधर ही दौड़ने लगते हैं, जिधर अधिक हुल्लड़ होता है। अभी विवाह-शादियों में अधिक खर्च करना इज्जत की बात समझी जाती है, क्योंकि बहुत लोग वैसा करते हैं। तर्क या तथ्य भले ही कुछ न हो पर 'हवा का रुख' यह एक ही कारण लोगों को किसी दिशा में बहा ले जाने के लिए पर्याप्त है। थोड़ा प्रयत्न करके यदि पानी का बहाव मोड़ दिया जाय तो उस पर तैरने वाले बुलबुले—लोग फिर उसी दिशा में तेजी से दौड़ते नजर आवेंगे। सादगी की परम्परा चल पड़ने से आदर्श विवाहों की जब धूम हुई तो फिर लोगों को उसी में 'इज्जत' अनुभव करते देर न लगेगी। तब

५.७० विवाहोन्माद : समस्या और समाधान

सारे समाज की कितनी बड़ी आर्थिक बचत होगी, कितनी सुविधा रहेगी, इसकी यदि ठीक तरह कल्पना की जा सके तो प्रतीत होगा कि इस प्रकार का मोड़ देने वाले व्यक्ति कितने बड़े पुण्यात्मा होने का श्रेय प्राप्त करेंगे ।

हर व्यक्ति को अपने निज के बच्चों के विवाह करने ही पड़ते हैं । औसतन तीन-चार बच्चों का विवाह हर व्यक्ति को करना पड़ता है । अमीरों की बात नहीं करते, मध्यम श्रेणी के व्यक्ति को इनमें दस बारह हजार के करीब जरूर लगाना पड़ता है । एक परिवार में कई व्यक्ति सम्मिलित रहते हैं । सभी के बच्चे होते हैं । सभी के विवाह होते हैं । सम्मिलित कुटुम्ब में यदि तीन भाई, चाचा, भतीजे, ताऊ आदि का भी औसत माना जाय तो उसमें से एक पीढ़ी में धीरे-धीरे करके तीस-चालीस हजार रु० निकल जाता है । यों यह रकम इकट्ठी एक बार में नहीं की जाती इसलिए पता नहीं चलता । फिर भी वस्तुस्थिति ज्यों की त्यों रहेगी । उतना खर्च तो हर हालत में होगा और उसी घर में होगा । यदि यह पैसा बचा होता और परिवार की आवश्यक प्रगति में लगा होता तो निश्चय ही वह कुटुम्ब आज की अपेक्षा कहीं अधिक समृद्ध, कहीं अधिक सुसंस्कृत, स्वस्थ, सुविकसित बन गया होता ।

यदि आदर्श विवाहों का प्रचलन हो सके तो समझना चाहिये कि प्रत्येक व्यक्ति के पीछे दस बारह हजार एवं प्रत्येक परिवार के पीछे तीस-चालीस हजार की बचत हो गई, बचत हुई—मानो आदमनी बढ़ी । नकद अनुदान मिलने से नई कमाई होने से भी वही लाभ होता है, जो उतनी बचत हो जाने से । यदि कोई व्यक्ति वर्तमान विवाह कुरीतियाँ रहते अपने पास से इतना रुपया नकद प्रत्येक परिवार को दान करे तो उसका जो लाभ मिलेगा, ठीक उतना ही लाभ तब भी मिल सकता है जबकि अपने पास से भले ही कुछ न दिया जाय पर सादगी के विवाहों की प्रथा-परम्परा चला दी जाय । दोनों ही स्थितियों में प्रत्येक परिवार का लाभ बिल्कुल समान होगा ।

इसके बिना प्रगति असम्भव—

कारण एक ही है—हमारी सामाजिक कुरीतियों का भारी अपव्यय । जिस अनुपात से फसल के दाम बढ़े हैं उससे कहीं अधिक अनुपात से विवाह-शादियों का खर्च बढ़ गया है । मृत्युमोज आदि और भी कई कुरीतियों के खर्च पहले से अनेक गुने बढ़े हैं । जिस प्रकार गाय के धन का दूध शाम को

ग्वालिन दुह लेती है, उसी प्रकार थोड़ी-सी अर्थ सुविधा जब तक जमा हो पाती है, तब तक शादी सामने आ खड़ी होती है और अपव्यय की कुमति ग्वालिन बनकर सब कुछ निचोड़ ले जाती है । जब तक यह सिलसिला चलता रहेगा, आर्थिक समृद्धि की आशा नहीं की जा सकती । यदि इन कुरीतियों का उन्मूलन कुछ समय पहले कर लिया गया होता तो आज देश की आर्थिक स्थिति कितनी समुन्नत होती, इसकी कल्पना करना भी कठिन है । तब हम पंचवर्षीय योजनाओं का लाभ अब से बहुत पहले बिना किसी बाहर वाले का ऋण, अनुदान लिये ही प्राप्त कर चुके होते ।

आर्थिक प्रगति की निस्सन्देह बड़ी आवश्यकता है । व्यक्ति और समाज की उन्नति में धन का निस्सन्देह बड़ा योग है । आर्थिक उन्नति से भौतिक एवं आत्मिक विकास के साधन उपलब्ध होते हैं । अतएव इस में दो मत नहीं हो सकते कि व्यक्ति और राष्ट्र की आर्थिक स्थिति समुन्नत होनी चाहिए और उसके लिये उत्पादन-व्यापार आदि बढ़ाने के जो भी उपाय सम्भव हों वे काम में लाए जाने चाहिए । साथ ही यह न भूल जाना चाहिए कि आमदनी बढ़ाने के साथ-साथ खर्च पर नियन्त्रण रखने का तथ्य भी महत्त्वपूर्ण है । आमदनी बढ़े पर खर्च उससे भी अधिक बढ़ जाय, तब आर्थिक उन्नति कैसे सम्भव होगी ? खर्च वे ही उचित ठहराए जाते हैं जो उपयोगी कार्यों में लगें । अनुपयोगी निरर्थक कार्यों में खर्च हुआ पैसा एक प्रकार से नष्ट होने के बराबर है । शादियों में जो पैसा लगता है, उसका तीन चौथाई भाग ऐसी ही निरर्थक बातों में खर्च होता है, जिसका जीवन की प्रगति से तनिक भी सम्बन्ध नहीं होता, अतएव वह अपव्यय ही गिना जायगा ।

गलत तर्क, व्यर्थ कुतर्क—

कहा जाता है कि आतिशबाजी आदि बनाने वालों को पैसा मिलता है । ऐसे तो नशीली चीजें बनाने और पाने में भी पैसा किसी को मिलता ही है । चोर और जेबकट जो छीन ले जाते हैं वह पैसा भी किसी को मिला ही । इस तर्क के अनुसार तो भले और बुरे कामों में कोई अन्तर ही न रह जायगा । यह तर्क नहीं कुतर्क है । पैसे का वितरण तो होना चाहिए पर उसके पीछे उत्पादन एवं उपयोगिता के तथ्य भी रहने चाहिए । मनोरंजन भी आवश्यक हो सकता है, पर उसकी एक छोटी एवं हलकी मर्यादा है । इतना भारी मनोरंजन

जो आर्थिक कमर तोड़ डालने जितना भारी बन जाय, किस काम का ? गाजे-बाजे, आतिशबाजी, सजावट, बारात ज्यौनार, मिठाइयाँ, अनुपयोगी इधर से उधर मारा-मारा फिरने वाला सामान आदि हर चीज पर निगाह डाली जाय तो सहज पता चलेगा कि इस पैसे के द्वारा कोई ऐसा काम नहीं हुआ जिससे किसी को कोई उलझी हुई समस्या सुलझती, किसी की प्रगति में सहायता मिलती । लकीर पीटने में जितना धन और समय नष्ट होता है, उसे देखते हुए इसमें बर्बादी के अतिरिक्त और कोई सार नहीं है । घर में कुर्सी-पलङ्ग आदि कामचलाऊ हों और दूसरा फिर कोई उन्हीं चीजों को दे दे तो अर्थशास्त्र की दृष्टि से वह घर में नया कूड़ा-कचरा जमा हुआ ही माना जायगा । उपयोगिता सिर्फ उस वस्तु की होती है जिसके बिना कुछ काम रुका पड़ा है । प्रदर्शन के लिये जमा किये गए आडम्बर दीखने में चाहे कितने ही महँगे एवं सुन्दर क्यों न दीखें, वस्तुतः उनकी उपयोगिता नहीं के बराबर है । उनका आदान-प्रदान आर्थिक सदुपयोग नहीं कहा जा सकता ।

अब तक लड़की वाले दहेज की निन्दा और लड़के वाले समर्थन करते रहे हैं । चूँकि लड़की पक्ष गरजमन्द होता है इसलिए उसे लड़के वालों की इच्छा के आगे सिर झुकाना पड़ता है और जैसा वे कहते हैं वैसा मानना पड़ता है । इन परिस्थितियों में दहेज बन्द कैसे हो सकता है ।

सही तरीका यह है कि आन्दोलन में अग्रणी वर-पक्ष के लोग हों । लोभ त्यागने में ही उनकी आदर्शवादिता है । लड़की वाला चाहे कि मैं दहेज न दूँगा तो उसकी लड़की को स्वीकार करने वाले न मिलेंगे । पर यदि लड़के वाले चाहें कि उन्हें बिना दहेज लिये विवाह करना है तो उनकी इच्छानुसार चलने के लिए लड़की वाले आसानी से मिल जायेंगे । आजकल वर-पक्ष और कन्या-पक्ष की तुलना चूहे-बिल्ली से की जाती है । चूहा अहिंसा की माँग करे तो उसकी इच्छापूर्ति कठिन रहेगी । पर यदि बिल्ली अहिंसक बनना चाहे तो उसके रास्ते में कोई कठिनाई नहीं है । लड़के वाला यदि साहसपूर्ण घोषणा करे कि वह अपने सुयोग्य लड़के को गरीब घर में विवाहेगा तो वह बात आसानी से बन जायेगी ।

अपना आन्दोलन त्याग की कसौटी पर ही आगे बढ़ता है । इसलिये इसमें पहल लड़के वालों को करनी होगी । हममें से जिनके लड़के हैं वे अभी आगे कदम बढ़ावें और दूसरों

को भी अपना अनुकरण करने की प्रेरणा दें । लड़की वालों को पीछे की पंक्ति में रखा जा सकता है । क्योंकि वे बेचारे मजबूर हैं । उपयुक्त लड़का न मिलेगा तो उन्हें विवशता से अपनी प्रतिज्ञा तोड़नी भी पड़ सकती है, पर धनी लड़के वाले यदि गरीब की अयोग्य कन्या भी ले लेंगे तो उनके घर आकर वह सहज ही शिक्षित एवं योग्य बन सकती है ।

स्वस्थ परम्पराएँ आरम्भ करें—

यह उचित ही नहीं, आवश्यक भी है कि देश, धर्म, समाज और संस्कृति को प्राप्त करने वाला प्रत्येक विचारशील एवं भावना सम्पन्न व्यक्ति स्वस्थ परम्पराओं की नींव रखने और कुरीतियों के उन्मूलन के लिये आगे बढ़कर काम करे । इसके लिए वातावरण बनाने की आवश्यकता है । एक आदमी की मान्यता सुधर जाने से काम न चलेगा क्योंकि समस्या वैयक्तिक नहीं सामाजिक है । उसे सुलझाने के लिए सामूहिक प्रयत्नों की, सामूहिक विचार निर्माण की आवश्यकता पड़ेगी । जिनके मन में यह विश्वास जम जाय कि विवाहों का सादगी के साथ ही होना उपयुक्त है, उनका कर्तव्य है कि ऐसे ही आस्थावान अन्य अनेक व्यक्ति बनाने का प्रयत्न करें ।

यह प्रयत्न पहले विचार-निर्माण से आरम्भ होना चाहिए । ये विचार बीज हैं और कार्य पौधा । बिना विचारों की परिपक्वता के कोई कार्य पहले तो आरम्भ ही नहीं होता, यदि किसी सामयिक कारण या दबाव से वह हो भी जाय तो उसमें स्थायित्व नहीं होता । कितने ही लोग लड़कियों के विवाह के समय अपनी दीनता प्रकट करते और दहेज आदि का विरोध करते देखे गये हैं, पर जब उन्हीं के लड़के विवाह योग्य हो जाते हैं, तो पिछली बात भूलकर लम्बी रकमें ऐंठने की तरकीबें ढूँढ़ते हैं । इसी प्रकार कई लड़की वाले स्वयं तो कम खर्च करना चाहते हैं पर लड़के वाले से जेवर आदि में बहुत खर्च कराने की इच्छा करते हैं । इसी प्रकार कई लड़के वाले जेवर, कपड़ा आदि का भार लड़की वाले पर डालना चाहते हैं और इस बहाने लम्बी रकम वसूल करने की पेशकश बनाते हैं । दहेज के नाम पर नकदी न माँग करके आदर्शवादी बने रहना चाहते हैं और नाक घुमाकर पकड़ते हुए लौलच भी पूरा कर लेना चाहते हैं । इन दाव-पेचों से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सकता । हमें वस्तुस्थिति की जड़ तक पहुँचना होगा और

लोगों को यह बताना पड़ेगा कि इस विष-वृक्ष के पत्ते तोड़ने से नहीं, जड़ काटने से काम चलेगा ।

दाबपेच की चतुरता निरर्थक—

जिस प्रकार 'वोट' माँगने आने वालों को खुश करने के लिये सभी से हाँ कह देने के झूठे वादे करना लोग सीख गये हैं उसी प्रकार लड़के वाले शिष्टाचार के तौर पर यह कहने के अभ्यस्त हो गये हैं कि "लड़की वाले अपनी मर्जी से जो चाहे सो दें, हम ठहराते या माँगते नहीं हैं ।" यह कथन शिष्टाचार भर का होता है । दूसरे आदमी लगे रहते हैं, जो मोल-भाव करके गुपचुप सौदा पटाते हैं । जहाँ सौदा पट गया वहाँ 'हाँ' कह दी, जिनसे नहीं पटा उन्हें कोई मजबूरी बताकर विदा कर दिया । विवाह शादियों के विज्ञापन पत्र-पत्रिकाओं में छपते रहते हैं उनमें लिखा होता है—"दहेज की कोई शर्त नहीं ।" यह शब्द केवल शिष्टाचार मात्र के हैं । वास्तविकता यह देखी जाती है कि वे तरकीब से कसकर मोलभाव करते हैं और मोटी मछली पकड़ने को सुधरे ढंग का जाल बिछाये रहते हैं । कई व्यक्ति सोचते हैं कि लड़कों की जानकारी संग्रह करने या उनका विज्ञापन छपने से शायद लड़की वालों को कुछ सहायता मिले । जानकारी मिल जाने से भी क्या कुछ प्रयोजन सिद्ध होने वाला है ? किसी भी कॉलिज में जाकर किसी भी बिरादरी के लड़कों की लम्बी लिस्ट एक घण्टे में तैयार की जा सकती है । इससे उन्हें क्या राहत मिली जो ऊँची बोली लगाने की स्थिति में नहीं है ?

विचारों का प्रसार आवश्यक—

उपाय एक ही है, वह यह कि ऐसे विचारों के अधिकाधिक व्यक्ति तैयार किये जाएँ जो सिद्धान्ततः विवाहों में होने वाले अपव्यय को अवांछनीय एवं अनैतिक मानते हैं । जिनका विश्वास हो कि इस कुप्रथा के कारण समस्त राष्ट्र को भारी क्षति पहुँचती है और समस्त समाज कलंकित होता है । ऐसे व्यक्ति एक सामयिक अनिवार्य आवश्यकता के रूप में इस समस्या को हल करने के लिए उद्यत हों । व्यवहारतः उन्हें यह परम्परा अपने घर में आरम्भ करनी चाहिये । अब वह जमाना नहीं रहा जब बातें बनाकर दूसरों को प्रभावित किया जा सकता था । बुरी बातें तो कह-सुन के भी सिखाई जा सकती हैं पर अच्छी बातें तो तभी कोई सुनता या मानता है जब कहने वाला स्वयं भी उसे कर रहा हो । आदर्श विवाहों

की आवश्यकता अनुभव करने वालों को उसका शुभारम्भ अपने घर से ही आरम्भ करना होगा ।

दहेज विरोधी आन्दोलन कार्यान्वित करने के लिये यह आवश्यक है कि इस प्रौढ़ विचारधारा से अधिकाधिक लोगों को परिचित कराया जाय और साथ ही विचार-विनिमय करते रहकर उन्हें इसके लिए तैयार किया जाय कि इस आदर्श को स्वयं अपनाने के लिए भी तत्पर हो सकें । ऐसे लोगों की संख्या जितनी बढ़ेगी सफलता की आशा उतनी ही उज्वल होती चलेगी ।

जिनकी अन्तरात्मा में यह विवेक जाग्रत हो कि दलदल में फँसे हुए अपने समाज के उद्धार के लिए कुछ करना उनकी भी जिम्मेदारी है, उन्हें अपने लिए एक कर्तव्य निर्धारित कर लेना चाहिए कि कुछ समय विचार-विस्तार की, ज्ञान दान की परमार्थ साधना में लगाया जाय । आज धन बाँटने की, उतनी आवश्यकता नहीं जितनी विचार दान की । मानव समाज प्रेरणाप्रद सुलझे हुए विचारों के अभाव में पतित स्थिति में गिरा पड़ा है । उसका उत्थान और किसी माध्यम से नहीं, केवल विचार-क्रान्ति से सम्भव होगा । भावनाशील देशभक्तों के लिए एक ही सर्वोपरि परमार्थ हो सकता है कि वे अपने परिचय क्षेत्र में विचार क्रान्ति के बीज बोएँ और निष्ठावान किसान की तरह तब तक धैर्यपूर्वक प्रयत्न करते रहें जब तक कि वह बीज अंकुरित होकर हरी भरी लहलहाती फसल के रूप में परिणत न हो जाय ।

अगला कदम स्वयं उठावें—

जिन लोगों को अपने विवेक एवं साहस पर विश्वास है उन्हें सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन के लिए साहसपूर्ण कदम उठाने चाहिए । पिछड़े हुआँ को आगे बढ़ाने, प्रेरणा देने एवं उत्साह उत्पन्न करने के लिए सदा से साहसी लोगों को आगे कदम बढ़ाने पड़े हैं । विवेकशील, प्रबुद्ध व्यक्तियों पर जननेतृत्व की जिम्मेदारी रहती है । कई व्यक्ति उपदेश देने मात्र से जनता द्वारा बहुत कुछ करा लेने की आशा करते हैं और स्वयं उस कसौटी पर कसे जाने से बचते हैं । यह तरीका निरर्थक सिद्ध हो चुका है । स्कूली शिक्षा जबान से कहकर दूसरों को दी जा सकती है । कला-कौशल सिखाने का काम वाणी से चल सकता है । पर जहाँ तक त्याग एवं साहसपूर्ण कदम

उठाने की प्रेरणा का सम्बन्ध है, वहाँ दूसरे तभी प्रभावित होते हैं जब पहला कदम स्वयं उठाया जाता है ।

जो उपदेश दिया जा रहा है वह वाणी से निकल रहा है या अन्तःकरण से, इसकी यही परख रही है कि उपदेशकर्ता ने उन विचारों को स्वयं कार्यान्वित करना आरम्भ किया या नहीं ? प्रभाव उथले विचारों का नहीं, गहरे विचारों का पड़ता है । संसार में नशेबाजी, व्यभिचार, जुआ, विलासिता, धूर्तता आदि अगणित बुराइयाँ इसलिए तेजी से फैली हैं कि उनके 'उपदेश' वाणी से कम और आचरण से अधिक दूसरों को अपनी आस्था का प्रमाण देते हैं । लोग दूसरों के चरित्र एवं कर्तव्य से ही शिक्षा ग्रहण करते हैं । एक का उदाहरण देकर दूसरों को उसका अनुकरण करने की इच्छा उत्पन्न होती है । बुरे आचरण वाले व्यक्तियों की देखा-देखी अगणित व्यक्ति बुरे बनते चले जा रहे हैं । यदि कोई बुरी बात कहें तो, पर स्वयं वैसा न करें तो शायद उसका बुराई फैलाने का प्रयत्न भी निष्फल चला जाय । यही बात अच्छाइयों पर भी लागू होती है । अब तक के हमारे धर्म-प्रचार एवं समाज-सुधार के प्रयत्न इसलिए निरर्थक सिद्ध होते रहे हैं कि हमने दूसरों को तो बहुत कुछ कहा पर स्वयं तदनु रूप आचरण करने से हिचकते रहे ।

यदि हम समाज सुधार की आवश्यकता वस्तुतः अनुभव करते हों, कुरीतियों के कारण होने वाली हानियाँ यदि वस्तुतः अखरती हों, तो अपनी मान्यता की सच्चाई का भी प्रमाण देना चाहिए और वह प्रमाण यही हो सकता है कि मान्य आदर्शों को कार्यान्वित करने की पहल स्वयं करें । दूसरों को साहसिक कदम उठाने की प्रेरणा देने में हम तभी सफल होंगे जब पहले स्वयं वैसा आचरण कर दिखावें । साहसी व्यक्ति ही दूसरों में साहस उत्पन्न कर सकता है । हमें वाक्शूर नहीं कर्मनिष्ठ बनना चाहिए ।

आज साहसी लोगों की आवश्यकता है । उनका 'रौब' ही नव-निर्माण की आवश्यकता पूरी करेगा । यदि कोई अगला कदम उठाने का साहस न कर सके फिर यह प्रयास असफल ही रहेगा । हर आदमी दूसरों के आगे बढ़ने की आशा करे और स्वयं पीछे रहना चाहे तो काम कैसे चलेगा ? नेतृत्व के लिये आखिर किसी को तो आगे बढ़ना ही पड़ेगा । यह पहल स्वयं हमें ही करनी चाहिए । नेतृत्व में अवश्य ही कुछ कठिनाइयाँ उठानी पड़ेंगी पर साथ ही श्रेय भी उन्हें ही मिलता

है जो अपने में दूसरों की अपेक्षा कुछ अधिक विशेषता सिद्ध करते हैं । साहसी होने में खतरा तो अवश्य है पर संसार के श्रेष्ठ व्यक्तियों की श्रेणी में गिने जाने योग्य भी केवल वे ही हुए हैं, जिन्होंने औचित्य के पक्ष में साहसपूर्ण कदम उठाये और अनौचित्य से टकराने में जो खतरा रहता है, उसका हँसते हुए मुकाबला किया । संसार में ऐसे ही साहसी शूरवीरों का अभिनन्दन किया जाता रहा है । यों पेट भरने और बच्चे पैदा करने के गोरखधन्धे में मकड़ी की तरह ताना-बाना बुनते हुए अगणित नर-कीट जन्मते और मरते हैं, उनके जीवन का क्या मूल्य ? वे निरर्थक ही जन्मे और निरर्थक ही जिये । सार्थकता केवल उनके जीवन की है जो अपने साहस, शौर्य, विवेक के द्वारा जन-साधारण को श्रेय पथ पर अग्रसर कर सकने में समर्थ हो सकें ।

एक दूसरे को प्रेरणा दें—

यह पुस्तक जो आपके हाथ में है, उस दृष्टि से अतीव उपयोगी सिद्ध हो सकती है । उसे अधिकाधिक लोगों को पढ़ाया जाना चाहिए । इसके लिए घर-घर जाना पड़ेगा और जो पढ़ सकते हैं उन नर-नारियों को आज की इस सर्वोपरि समस्या से परिचित कराना पड़ेगा । जो पढ़ नहीं सकते उन्हें सुनाया जाय । युग सन्देश को कथा-पुराणों की तरह पढ़ा-सुना जाने लगे तो भी बहुत कुछ हो सकता है । बात करने की आदत सबको होती है, जिन्हें अभ्यास कम हो उन्हें प्रयत्नपूर्वक उसे बढ़ा लेना चाहिए और यह चेष्टा करनी चाहिए कि अपना कोई परिचित व्यक्ति नव-निर्माण की इस विचारधारा से अपरिचित न रहे । इस आन्दोलन को सार्थक बनाने के लिए व्याख्यानदाता और उपदेशकों की उतनी आवश्यकता नहीं, जितनी व्यक्तिगत प्रयत्नों द्वारा एक दूसरे को सहमत, प्रभावित, प्रोत्साहित एवं कटिबद्ध करने की । हम चाहें तो कुछ को तो इस प्रौढ़ विचारधारा के प्रभाव क्षेत्र में ला ही सकते हैं । इस प्रकार यह आन्दोलन द्रुतगति से जड़ पकड़ते हुए आश्चर्यजनक परिवर्तन का रूप धारण कर सकता है ।

आदर्श विवाहों का प्रचलन इस आधार पर होना चाहिए कि इस धर्म संस्कार के लिए जो कुछ उपयोगी एवं आवश्यक है वही विधान काम में लाया जाय । इस संदर्भ में जुड़े हुए रीति-रिवाज इतने अधिक हैं कि उन पर अलग-अलग विचार नहीं किया जा सकता । उन सभी को एक ओर कूड़े-कचरे

की तरह बुहार फेंकना होगा और ऐसी परिपाटी का प्रचलन करना होगा जिसके अनुसार उल्लास एवं सुविधा के वातावरण में यह धर्म-कृत्य तो पूरा हो जाय पर किसी पक्ष पर किसी प्रकार का अनुचित भार रती भर भी न पड़े ।

आदर्श विवाहों का प्रचलन कैसे हो ?

इस युग की यह निर्विवाद आवश्यकता है कि हम भारतीय अपने विवाह-शादियों में होने वाले अनावश्यक अपव्यय को जल्द से जल्द बन्द करें । हमारी औसत आमदनी इतनी नहीं है जिसमें कि मनुष्य की तरह ठीक प्रकार जिया जा सके । यदि किसी की कुछ आमदनी अच्छी हो भी तो उसको उचित है कि अपने और अपने परिवार की प्रगति के आवश्यक कार्यों में उसका उपयोग करे ।

स्वास्थ्य बिगड़े पड़े हैं, पौष्टिक आहार और अच्छी चिकित्सा के बिना हम में से अधिकांश व्यक्ति दुर्बलता और अस्वस्थता के शिकार हैं । शिक्षा वृद्धि के साधन-सुविधा जुटाये बिना हमारा बौद्धिक स्तर गया-गुजरा ही बना रहेगा । आजीविका में वृद्धि के लिए कुछ नये उद्योग आदि आरम्भ करने या वर्तमान साधनों को सुधारने, बढ़ाने के लिए पूँजी चाहिए । फिर देश, धर्म, समाज, संस्कृति की स्थिति भी दयनीय है, उन्हें सुविकसित बनाने के लिए आर्थिक योगदान करना हमारा नैतिक कर्तव्य है । इन सब आवश्यकताओं की पूर्ति हम कहाँ कर पाते हैं ? उचित आवश्यकताएँ पूरी करने के लिए हमारी आर्थिक स्थिति अब की अपेक्षा बहुत अच्छी होनी चाहिए । अभाव के कारण प्रगति का मार्ग बहुत हद तक अवरुद्ध ही पड़ा रहता है और किसी प्रकार जिन्दगी के दिन पूरे करना ही वर्तमान स्थिति एवं साधनों में सम्भव हो पाता है । समृद्ध, सुविकसित जीवन की आकांक्षा पूरी करने की व्यवस्था आर्थिक कठिनाइयों बनने ही नहीं देती ।

गाढ़ी कमाई का खेदजनक अपव्यय—

इन अभावग्रस्त परिस्थितियों में बुद्धिमत्ता का तकाजा एक ही है कि हम अपनी गाढ़ी कमाई का एक-एक पैसा उचित आवश्यकताओं की पूर्ति में खर्च करें । अपव्यय को अपना घोर शत्रु समझें और निरर्थक खर्च की जो बात दिखाई पड़े उसे तुरन्त रोके । इस बचत पर ही हमारी प्रगति की सम्भावनाएँ

निर्भर हैं । जब हम फिजूलखर्ची में अपनी गाढ़ी कमाई फूँकते रहेंगे तो स्वभावतः स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यवसाय, परमार्थ आदि आवश्यक कार्यों की दिशा में हमें वंचित ही रहना पड़ेगा । आर्थिक दुर्दशाग्रस्त व्यक्तियों के लिए अपव्यय की भूल करना एक प्रकार से आत्महत्या के बराबर है ।

इसे दुर्भाग्य ही कहा जायगा कि अभावग्रस्त, दयनीय स्थिति में गुजारा करने वाले भारतीय विवाह-शादियों के नाम पर अपनी आमदनी का एक-तिहाई भाग स्वाहा कर दें । गरीब आदमी जब अमीरी का स्वाँग रचता है तो उसके फूहड़पन पर किसे तरस न आवेगा । हमारी मानसिक स्थिति वस्तुतः बड़ी दयनीय है । जिन दिनों घर में विवाह-शादी होते हैं, उन दिनों नकली अमीरी प्रदर्शित करने के ऐसे-ऐसे नाटक रचते हैं, जिन्हें थोड़ी विवेकशीलता की दृष्टि से देखा जाय तो उस भौंड़ी सूझ-बूझ पर घृणा ही व्यक्त की जा सकती है । जिस समाज के लोगों का व्यक्तिगत एवं सामाजिक जीवन इतनी गई-गुजरी दयनीय स्थिति में पड़ा हो, वे विवाह जैसी बिलकुल सामान्य-सी बात पर इतना पैसा उड़ावें तो उनकी समझदारी में कौन सन्देह न करेगा ?

परम्पराओं के नाम पर हम जिस जंजाल में फँसे गये हैं अब उससे छुटकारा पाना ही उचित है । प्रत्येक विचारशील दूरदर्शी और देशभक्त व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि वह साहसपूर्वक आगे बढ़कर लोगों के मस्तिष्क में मकड़ी के जाले की तरह फैले हुए इस भ्रम की सफाई करने का प्रयास करे । बाहरी शत्रु उतनी हानि नहीं पहुँचाते जितने भीतरी भ्रम-जंजाल । विवाहों में होने वाला अपव्यय एक प्रकार का आर्थिक उन्माद है । आज यह बुराई छूत के रोगों की तरह सारे समाज को ग्रसित किए बैठी है । उसका उपचार न करना एक भयानक बात होगी । मनस्वी व्यक्तियों ने साहसपूर्वक आगे बढ़कर बड़ी से बड़ी समस्याओं के हल निकाले हैं । कड़ी से कड़ी कठिनाइयों को परास्त किया है । फिर क्या हम इतना भी न कर सकेंगे कि अपने जमाने की एक विशुद्ध मूढ़ता को ललकारें और उसे जन-जीवन का सत्यानाश कर डालने से रोके ।

बीमारी और उसका उपचार—

बीमारी केवल अविवेकशीलता, मूढ़ता, अन्धपरम्परा एवं भीरुता की है । यों उससे दुःखी हर व्यक्ति है । वह उसकी

व्यर्थता एवं हानि को भी समझता है, पर मनोबल एवं विवेक के अभाव में कर कुछ नहीं पाता । असहाय बना एक चलते हुए ढर्रे का अंग मात्र बनकर रह जाता है । इस मानसिक दुर्दशा से समाज का पिण्ड छुड़ाया ही जाना चाहिए अन्यथा वह बौद्धिक दुर्बलता अनेक क्षेत्रों में बढ़ती, पनपती रहेगी और आर्थिक ही नहीं प्रत्येक क्षेत्र में हमें प्रतिगामी एवं दीन-हीन ही बनाये रहेगी ।

जिस बात को हम अनुपयुक्त समझते हैं उसे ही कुड़मुड़ाते हुए करते भी रहें यह मानवीय विवेक एवं साहस का खुला तिरस्कार है । इसी को आत्म-हनन कहते हैं । आत्महत्यारे को शास्त्रों में महापातकी बताया गया है । सभी पापों का दण्ड मिलता है फिर इस महापातक का क्यों न मिलेगा ? भारतीय समाज को अनेक प्रकार के शोक-सन्तापों का सामना करना पड़ रहा है, इसका एक कारण हमारा यह महापातक भी है, जिसके कारण हम अनुपयुक्त जैचने वाली विवाहोन्माद जैसी भयानक कुरीति को हटाने का न तो साहस करते हैं और न प्रयत्न । संसार के श्रेष्ठ पुरुषों ने अपने जमाने की, अपने समाज की भयानक कठिनाइयों को परास्त किया है और अवरुद्ध प्रगति-पथ को खोलने के लिए प्राणों की बाजी लगाकर भी बहुत कुछ किया है । एक हम हैं जो छुट-पुट कुरीतियों को हटाने के लिये भी कुछ नहीं कर पाते । जिन मूढ़ताओं के विरुद्ध आज सारा मानव समाज विरुद्ध-रुद्ध हो उठा है, उसे हटाने-मिटाने को तो एक हल्का-सा आन्दोलन, छोटा-सा संगठन एवं थोड़ा-सा पुरुषार्थ पर्याप्त हो सकता है । यदि हम इतना भी न जुटा सकें तो इतिहासकारों की दृष्टि से अपनी गिनती असहाय, दीन-हीन, कायर लोगों में ही होगी । क्या यही कलंक-कालिमा मुँह पर पोते इस संसार से विदा होना हमारे लिए उचित है ?

इनसान की तरह रहें, इन्सान की तरह सोचें—

हमें इनसानों की तरह रहना और तो इनसान की तरह सोचना भी होगा और वह परम्परा अपनाने का साहस करना होगा जिसे अपने समय में विवेकशील पुरुषार्थी एवं देशभक्त लोग अपनाते रहे हैं । ऐसे लोगों को सदा से अपने सीमित दायरे से आगे की बातें सोचनी पड़ती हैं और व्यक्तिगत स्वार्थों से आगे बढ़कर बिगड़ी हुई परिस्थितियों को बनाने के लिए कुछ करना पड़ता है । हमें बहुत कुछ करना है । इस सड़ी-गली

दुनिया को बदल कर एक नये प्रगतिशील एवं सुविकसित संसार का निर्माण करना है । भावी पीढ़ियों के लिए हमें यही उपहार एवं अनुदान छोड़ जाना चाहिए । अपने मतलब से मतलब रखने वाले घृणित लोगों की श्रेणी में गिने जाने वालों की पंक्ति में हमें नहीं ही खड़ा होना चाहिए । स्वार्थ के साथ परमार्थ का समन्वय करते हुए जीवन की गतिविधियाँ विकसित करने का मानवोचित साहस हमें करना ही चाहिए ।

जिनमें ऐसा विवेक एवं साहस जाग्रत हो सके उनका कर्तव्य है कि आगे बढ़कर आर्य और 'नवनिर्माण' के महत्त्वपूर्ण कार्यों में से एक अत्यन्त आवश्यक कार्य 'विवाहोन्माद का उपचार' अपने हाथ में लेने का प्रयास करें ।

इस दिशा में सबसे प्रधान, सबसे आवश्यक जो कहना है, वह यह है कि इन भावनाओं को कार्य रूप में जन-मानस में जाग्रत करने का प्रयत्न किया जाय । किसी सभा में प्रस्ताव पास कर देने, भाषण दे डालने या लेख लिखने के सस्ते तरीके से इस सत्यानाशी की जड़ की तरह चिरकाल से जमी बैठी मूढ़ता का उन्मूलन सम्भव न होगा । इसके लिए घर-घर, मनुष्य-मनुष्य के पास जाना होगा और उसे समझाना होगा कि साधारण-सी दीखने वाली यह कुरीति कितनी घातक, कितनी भयानक एवं कितनी कष्टकारक है ? जिस बुराई के लोग अभ्यस्त हो जाते हैं वे उसकी हानियों को भी भूल जाते हैं । भारतीय समाज को इस कुरीति से होने वाली हानि का इतना अभ्यास हो गया है कि नशेबाजी में स्वास्थ्य, धन, यश, बुद्धि सब कुछ खो बैठने पर भी उसे छोड़ने की बात न सोचने वालों की तरह उसे यह विचार तक नहीं होता कि उसे छोड़ा जाना चाहिए या छोड़ा जा सकता है । हमने एक प्रकार से इस बुराई के साथ समझौता कर लिया है और ऐसा मान लिया है मानो वह भी हमारे जीवन का एक अंग है । यह स्थिति बदली जानी चाहिए । जब तक किसी बुराई के दोषों को गहरी दृष्टि से न देखा-समझा जाय, तब-तक उसकी हानि समझ में नहीं आती और उसे छोड़ने की इच्छा भी नहीं होती । अतएव पहला काम यही करने का है कि लोगों को वस्तुस्थिति से परिचय कराया जाय और उनमें इस प्रकार आत्महत्या न करने के लिए साहस पैदा किया जाय ।

स्त्रे ने बाल्लों को जगाया जाय—

इस प्रयोजन की पूर्ति के लिए अनेक छोटी पुस्तिकाएँ लिखी गई हैं । इन पुस्तिकाओं में कुल मिलाकर वह प्रेरणा मौजूद है, जिसे पढ़ने-सुनने से उनीदे पड़े लोगों की आँखें खुल

सकती हैं। सोने वालों को जगाना हमारा पहला काम होना चाहिए। उपरोक्त पुस्तक माला जितने अधिक लोगों को पढ़ाई जा सकती है, पढ़ानी चाहिए। जो पढ़े-लिखे नहीं हैं उन्हें सुनाने का प्रबन्ध करना चाहिए। प्राचीनकाल की सन्त परम्परा में 'अलख-जगाने' की एक साधना थी। जिसके अनुसार साधुओं को दरवाजे-दरवाजे पर धार्मिक सन्देश देने के साथ ही भिक्षा माँगने जाना पड़ता था। भारत में अब विचारशील सन्त नहीं रहे। इसलिए उस कार्य को हम में से प्रत्येक को करने के लिए अलख जगाने को कटिबद्ध होना चाहिए।

उक्त पुस्तिकाएँ उस व्यक्ति के द्वारा लिखी गई हैं जिसके जी में अपने समाज को प्रबुद्ध, समृद्ध, सशक्त एवं सुसंस्कृत बनाने की आग निरंतर जलती रहती है, जो हनुमान की तरह अपनी पूँछ में आग लगाकर मूढ़ता की लंका को जला डालने के लिए आतुर हो रहा है। जिस कसक, तड़पन और टीस के साथ यह पन्ने लिखे गये हैं, उनमें वह क्षमता होनी चाहिए कि पढ़ने-सुनने वाले को कुछ तो प्रभावित कर सकें। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं कि जो इन विचारों को पढ़ेगा-सुनेगा उसमें वह साहस और विवेक उत्पन्न होगा जिसके आधार पर जो उचित है उसे अपनाने की तत्परता उत्पन्न हो सके। जो कमी रह जाय वह उस व्यक्ति को पूरी करनी चाहिए, जो अलख जगाने की पुण्य प्रक्रिया सम्पन्न करने के लिए तत्पर हुआ है।

आप अपना कुछ समय नियमित रूप से इस सभ्यत्व में लगाने के लिए निर्धारित कर लें। छुट्टी का दिन इस कार्य के लिए पूरा लगाया जा सकता है। आजीविका सम्बन्धी काम पूरा करने के उपरान्त कुछ समय जन-सम्पर्क के लिए, विचार-प्रसार के लिए निर्धारित किया जा सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि अपना काम-धन्धा करते हुए सम्पर्क में आने वाले लोगों को इस विचारधारा को पढ़ने या समझाने के लिये प्रोत्साहित किया जा सके। दुकानदार, चिकित्सक, वकील, अध्यापक, सरकारी कर्मचारी आदि कितने ही वर्ग ऐसे हैं जिन्हें दिनभर लोगों के साथ सम्पर्क रखना पड़ता है। वे लोग अपने काम-काज की बातें करने के साथ-साथ इस विचारधारा को पढ़ने-सुनने के लिए सम्पर्क में आने वाले व्यक्तियों को आसानी से प्रोत्साहित कर सकते हैं। जनसम्पर्क का कोई न कोई उपाय हमें निकालना ही चाहिए। लोगों को

यह पुस्तकें, पढ़ने-सुनने के लिए तत्पर करने के अतिरिक्त, उन्हें व्यक्तिगत रूप में चर्चा करते हुए बहस एवं विचार-विनिमय करते हुए, आवश्यक प्रोत्साहन देना चाहिए। यह व्यक्तिगत प्रोत्साहन जब तक न मिलेगा, विचार-विनिमय द्वारा शंकाओं का समाधान और भ्रान्तियों का निवारण न किया जायगा, तब तक केवल पढ़ने-सुनने मात्र से ही अभीष्ट प्रयोजन पूरा न होगा।

विचारधारा का व्यापक विस्तार—

यों यह विचारधारा सर्वसाधारण तक पहुँचाये जाने योग्य है। जिनके बाल-बच्चे हैं, चाहे छोटे हैं चाहे बड़े, आज नहीं तो कल उन्हें विवाह करने ही होंगे। इसके लिए उनका मस्तिष्क पहले से ही साफ रहना चाहिए। कन्याओं के अभिभावकों को जो पैसा विवाह में लगाना है वह कन्या की शिक्षा में खर्च कर देने के लिए कहना चाहिए। लड़के वालों को धूम-धाम की अपेक्षा सादगी के वातावरण में विवाह करना चाहिए और अपने से गरीब घर की लड़की लेने की बात सोचनी चाहिए। जिन्हें अभी हाल में विवाह करने ही नहीं हैं, वे भी इस तरह सोचना आरंभ कर दें तो समय पर यह पूर्व निर्मित मनोभूमि बहुत उपयोगी सिद्ध होगी और उसके कारण वे अभी से अनावश्यक चिन्ताओं से छुटकारा पाकर निश्चिन्त रहेंगे। जिनके बच्चे विवाह योग्य हैं वे अपनी मान्यता आदर्श विवाहों के अनुरूप बना लेंगे तो उससे उन्हें अपने विचारों के अनुकूल सम्बन्ध ढूँढ़ने की चिन्ता होगी और इस ढूँढ़-खोज के प्रयत्नों में इस विचारधारा की चर्चा होने लगेगी। प्रयत्न करने पर उपयुक्त संयोग मिलेंगे।

इस सम्बन्ध में सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि एक पक्ष तैयार होता है तो दूसरा उसके अनुकूल स्थिति और अनुकूल विचार का नहीं मिलता। लड़की वालों को यह कठिनाई विशेष रूप से होती है। वे इच्छित स्थान पर कन्या देने के लिए अपनी सामर्थ्य से बाहर खर्च करने को भी तैयार हो जाते हैं। लड़के वालों की जो स्थिति आज है यदि वे बिना खर्च का विवाह करना चाहें और अपने से गरीब घर की लड़की लेने को तैयार हों तो उन्हें तनिक भी कठिनाई सामने न आवे। इसलिए इस सम्बन्ध में पहला कदम लड़के वालों को ही उठाना होगा।

होता यह है कि जब किसी को लड़की ब्याहनी होती है तब वह सुधारवादी बनता है, दहेज की निंदा करता है और आदर्श विवाहों का समर्थन करता है, पर जब उसका लड़का विवाह के योग्य होता है तो सारे आदर्श सिद्धान्तों को तिलाञ्जलि देकर धन का लालच और इज्जत का प्रश्न सामने आ खड़ा होता है। तब पिछले आदर्शवादी विचारों को बदलते देर नहीं लगती। कुछ दिन पहले का विरोध आज के समर्थन में बदल जाता है। यह दुर्गुणी नीति बड़ी घातक है। इसी के बरते जाने से अभी तक कोई ठोस सुधार कार्य इस दिशा में हो सकना सम्भव नहीं हुआ।

वर पक्ष की जिम्मेदारी—

आदर्श विवाहों की सफलता की तीन-चौथाई जिम्मेदारी लड़के वालों पर और एक-चौथाई लड़की वालों पर है। लड़की वालों पर तो इतना ही जोर डालें कि वे वर पक्ष के द्वारा होने वाली धूम-धाम में अपनी रुचि या प्रसन्नता व्यक्त न करें वरन् उसे निरुत्साहित करें। दूसरी जो थोड़ी कठिन अड़चन उन्हें पार करनी है वह है अपनी लड़की के लिए जेवर और कीमती कपड़ों के न होने पर भी प्रसन्नता व्यक्त करना। उन्हें इसी के लिए जोर देना चाहिए ताकि लड़के वालों पर अनावश्यक भार न पड़े और वे दहेज न मिलने पर भी कोई विशेष कठिनाई अनुभव न करें। यदि वे इतनी बात के लिए सहमत हो जाते हैं तो समझना चाहिए कि उनसे अपने हिस्से की सुधारवादिता पूरी कर ली।

लड़के वालों को कुछ अधिक साहस करना पड़ता है। उन्हें दहेज का प्रलोभन त्यागना पड़ता है। जेवर बनवाने में पैसा तो एक प्रकार से बेकार ही पड़ जाता है, पर इतना सन्तोष रहता है कि वह घर में मौजूद है और रुपये के स्थान पर आठ-दस आने तो उसे बेचकर प्राप्त किए ही जा सकते हैं। इतना प्रलोभन भी छोड़ सकना थोड़े अधिक साहस की बात है। यों परोक्ष रूप में कमी न कमी लड़की का पिता अपनी बच्ची को कुछ न कुछ उपहार देता ही है और वह आमदनी आखिर फिर से आ ही जाती है भले ही उस खींचतान की तुलना में थोड़ी कमी ही क्यों न रहे? इस कमी की पूर्ति शादी में होने वाली धूम-धाम घट जाने से भी पूरी हो जाती है। इसलिए वस्तुतः लड़के वाले को भी कोई खास घाटा नहीं रहता। फिर भी चूँकि मनोवैज्ञानिक दृष्टि से लड़के वाला अपने

आप को लाभ प्राप्त करने वाला सोचता है और जब उसे उसकी पूर्ति होती नहीं दिखती तो उसे कुछ झटका-सा लगता है, चाहे वह झूठा ही क्यों न हो। यह एक विचार तो है ही और वास्तविकता न सही, कल्पनात्मक ही सही, लालच तो लालच ही है। उसे छोड़ने के लिए कुछ साहस तो चाहिए ही। इसलिए यह आन्दोलन लड़के वालों की सहमति से ही चल सकता है। हमारे प्रचार आन्दोलन का लक्ष्य प्रधानतया लड़के वालों को इस उदारता के लिए तैयार करने का होना चाहिए। क्योंकि अधिक श्रम उसी में पड़ेगा। लड़की वालों को तो आसानी से सहमत किया जा सकता है।

अविवाहितों को आवश्यक प्रेरणा—

भारत में अभिभावकों की सहमति ही विवाह के निश्चय का प्रधान माध्यम होती है। इसलिए उनको सहमत कर लेने से आन्दोलन की सफलता बहुत कुछ सम्भव हो सकती है। किन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि केवल उन्हीं तक प्रयत्न सीमित रखना चाहिए। यह आन्दोलन सोलह वर्ष से अधिक आयु के लड़कों में भी फैलाया जाना चाहिए। क्योंकि नवयुवकों में प्रलोभन का कम और आदर्शवादिता का अंश ज्यादा रहता है। वे हर बात में उतना लालच करने के अभ्यस्त नहीं होते, जितनी कि ढलती आयु वाले। आदर्शवादी विचारधारा का प्रभाव शुद्ध और सरल हृदय पर अधिक पड़ता है। बालक अपेक्षाकृत अधिक निर्मल होते हैं। हर बात में दाव-घात सोचने की धूर्तता उनमें उतनी नहीं होती जितनी कि बड़ों में। बड़े जहाँ धूमधाम में अपने सरीखे पुरान-पंथियों की प्रशंसा में 'इज्जत' सोचते हैं वहाँ लड़कों को आदर्श के लिए कष्ट सहने और त्याग करने का शौर्य दिखाने में सन्तोष होता है। उत्सर्ग एवं बलिदान का जितना माद्दा नए रक्त में रहता है उतना पुराने लोगों के ठण्डे खून में नहीं रहता। विवाहोन्माद के निराकरण के लिए आदर्श विवाहों के रूप में सामाजिक क्रान्ति उपस्थित करने के लिए जिस साहस एवं शौर्य की अपेक्षा है, वह युवकों में प्रचुर मात्रा में प्राप्त हो सकता है। इसलिए इसे आन्दोलन का लक्ष्य बनाये रहना चाहिए। उसकी उपेक्षा करके केवल अभिभावकों को सहमत करने के प्रयास तक सीमित रहने से काम न चलेगा। हमें अधिक आशा नई पीढ़ी के नये रक्त से ही करनी चाहिए।

स्कूल-कॉलेजों में इस आन्दोलन को फैलाने के लिए विशेष रूप से प्रयास किया जाना चाहिए। अध्यापक वर्ग चाहे तो इस दिशा में बहुत काम कर सकता है। उपरोक्त ट्रेक्ट माला में १० पुस्तिकाएँ लिखी गई हैं। एक-एक करके दस को बाँट दी जाएँ और एक दिन पढ़ने के लिए कहा जाय। दूसरे दिन एक की पुस्तक दूसरे को और दूसरे की तीसरे को पढ़ने के लिए परिवर्तित कर दी जायें। इस प्रकार दस दिन में दस लड़के एक सैट से लाभ उठा सकते हैं। तीन दिन में तीस लड़के। इस प्रकार एक सैट को भी कई महीने घुमाते रहने से बहुत से लड़के एक वर्ष में इन्हें पढ़ सकते हैं। अच्छा हो एक अध्यापक अपनी पुण्य कमाई में से कुछ बचत कर दस-पाँच सैट खरीद लें-या कई अध्यापक एक-एक सैट अपने पास रखें और उन्हें मिला-जुलाकर पढ़ाया जाय तो यह प्रचार कार्य और भी जल्दी हो सकता है। कोई उदार व्यक्ति अपनी ओर से इस साहित्य को छात्रों को पढ़ने के लिए मँगा दें और उन्हें अध्यापकों द्वारा या सीधे समाजसेवियों द्वारा अपने सहपाठियों को पढ़ाया जाय तो प्रस्तुत विचारधारा अविवाहित लोगों को हृदयंगम कराने में बड़ी सहायता मिल सकती है।

नवयुवक आगे बढ़ें—

जिस छात्रों ने इन विचारों को पढ़ लिया है, उनकी विचार गोष्ठियाँ बुलाई जायें और उन्हें प्रेरणा दी जाय कि नारी जाति के प्रति अपनी श्रद्धा एवं उदारता प्रदर्शित करने के लिए समाज को एक प्राण-घातक दलदल में से निकालने के लिए थोड़ा साहस दिखाने के लिए कटिबद्ध हों। इस तरह की गोष्ठियों में भावनाशील युवकों को साहित्य, भाषण, परामर्श एवं विचार-विनिमय के माध्यम से यदि प्रभावित किया जाय तो उनमें से अधिकांश ऐसे होंगे जो बिना दहेज का सादगी सम्पन्न आदर्श विवाह करने के लिए सहमत हो सकें।

जो सहमत हो जायें उनसे प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर कराने चाहिए। इस प्रकार के प्रतिज्ञा पत्र समाजसेवी व्यक्ति अपने यहाँ छाप सकते हैं। जहाँ छपे हुए न हों वहाँ लिखकर भी काम चलाया जा सकता है। यह प्रतिज्ञा आन्दोलन तेजी से चलाया जाना चाहिए। जिन लड़कों ने स्वयं हस्ताक्षर किए हैं उन्हें अगला कदम यह भी उठाने के लिए प्रेरित करना चाहिए कि वे अपने साथी-सहपाठियों को प्रभावित कर उनसे भी इसी प्रकार की प्रतिज्ञा करा लें। इस प्रकार एक से दूसरे

को, दूसरे से तीसरे को प्रेरणा मिलती रहे तो धीरे-धीरे यह आन्दोलन समस्त शिक्षा संस्थाओं में फैल सकता है। अध्यापक वर्ग को इसमें थोड़ी-सी अभिरुचि लेने के लिए तत्पर किया जा सके तो लाखों छात्र इसके लिए तैयार हो सकते हैं। सुधारवाद की यह चिनगारियाँ इस तरह बिखेरी जाएँ तो वे वर्तमान कुरीतियों के कूड़े-करकट को जलाकर भस्म कर डालने वाली दावानल के रूप में परिणत हो सकती हैं।

जो लड़के प्रतिज्ञा करें, उनमें सच्चाई, साहस और दृढ़ता भी होनी चाहिए। गुपचुप हस्ताक्षर तो कर दें पर जब वह बात घर वालों के सामने जावे तो झिझक, संकोच और डर से बात से मुकरने के लिए तैयार हो जायें या छोटी-सी झिड़की पड़ते ही अपना वचन तोड़ दें तो ऐसी कमजोरी से कुछ काम न चलेगा। प्रतिज्ञा करते समय उन्हें इस हद तक दृढ़ हो जाना चाहिए कि वे आदर्श की रक्षा के लिए प्रह्लाद की तरह बड़े से बड़े कष्ट, अपमान एवं दण्ड सहने को तैयार हों। आजीवन अविवाहित भले ही रह जायें पर प्रतिज्ञा कदापि न तोड़ेंगे, यह दृढ़ता जिनमें होगी वे अन्त तक अपने वचन पर आरुढ़ रह सकेंगे। इसलिए प्रतिज्ञाकर्त्ताओं में दृढ़ता कूट-कूट कर भरी जानी चाहिए। इस आन्दोलन में सभी अविवाहित युवक भाग ले सकते हैं, भले ही वे पढ़ रहे हों पढ़ाई छोड़ चुके हों। सामाजिक क्रान्ति में आवश्यक साहस दिखाने और त्याग करने के लिए नई पीढ़ी का यदि ठीक ढंग से आवाहन किया जा सके तो आशाजनक प्रत्युत्तर मिलेगा। संसार के युवक आग से खेलने और मौत से जूझने की बहादुरी दिखा रहे हैं, तो क्या भारतीय युवक मूढ़ता भरी कुरीति को ठुकरा देने का भी साहस न कर सकेंगे? विश्वास करना चाहिए कि इनकी ओर से उत्साहवर्द्धक उत्तर मिलेगा।

नये रक्त को नवयुग की चुनौती

जो युवक प्रतिज्ञा करें उन्हें पूरी जिम्मेदारी, सच्चाई और बहादुरी के साथ ही वैसा करना चाहिए। उन्हें अपने अभिभावकों को अपने निश्चय की नम्र किन्तु दृढ़ शब्दों में सूचना दे देनी चाहिए ताकि समय आने पर अनावश्यक झंझट पैदा न हो। जब अभिभावक जान लेंगे कि लड़का अविवाहित रहने तक का त्याग करने के लिए तैयार है तो उन्हें नरम होना ही पड़ेगा। वे आदर्श विवाह की ही व्यवस्था करेंगे। जो

कार्य प्रस्तावों और लेखों द्वारा नहीं हो सकता, वह दृढ़प्रतिज्ञ लड़कों के कठोर निश्चय द्वारा सहज हो सकता है। अपने बच्चों की इच्छा और खुशी के लिए अभिभावक जब बड़े से बड़ा कष्ट सहते हैं, त्याग करते हैं, तो क्या घृणित कुरीति को त्यागने के लिए तैयार न होंगे? होंगे, अवश्य होंगे, बच्चों की प्रतिभा में यदि दृढ़ता और सच्चाई होगी तो अभिभावकों को सहमत होने में देर ही कितनी लगेगी।

राष्ट्र का 'नवनिर्माण' करने के लिए नवयुवकों को कितने ही प्रकार के संघर्ष करने हैं। आज जीवन के हर क्षेत्र में अनीति एवं अव्यवस्था छाई हुई हैं। गरीबी, बीमारी, अशिक्षा, अनैतिकता, अधार्मिकता, नशेबाजी, उच्छृंखलता, अनीति, संकीर्णता आदि अगणित दुष्प्रवृत्तियों से अगले दिनों लोहा लेना पड़ेगा। क्रान्ति के लिए सामाजिक कार्य के लिए नई पीढ़ी के कंधों पर अत्यन्त महत्त्वपूर्ण जिम्मेदारियाँ आई हैं। राजनैतिक क्रान्ति करने वाले वीर, बलिदानी फौसी, गोली, जेल, आर्थिक बरबादी आदि सहते हुए अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करके विदा हो गये। वे नई पीढ़ी पर उपरोक्त तीन क्रान्तियों का भार सौंप गये हैं, जो पिछली पीढ़ी के शहीदों की अपेक्षा कहीं अधिक कठिन एवं महत्त्वपूर्ण हैं। यदि सामने प्रस्तुत कर्तव्यों की चुनौती को स्वीकार करने से नई पीढ़ी इन्कार करेगी तो उसे दसों दिशाएँ धिक्कारेंगी। भीरुता और कायरता का निन्दित जीवन तो गीताकार ने मृत्यु से भी बुरा बताया है। भारत का नवयुवक इस पंक्ति में खड़ा होना पसन्द न करेगा। उसे अपने समय की चुनौतियाँ स्वीकार करनी ही पड़ेंगी। इसी दिशा में एक छोटा-सा प्रयोग (रिहर्सल) यह आन्दोलन है। बिल्ली घायल चूहे को मुँह से छोड़कर अपने बच्चे को शिकार करने की शिक्षा देती है। उसी प्रकार नई पीढ़ी के लिए यह आन्दोलन का छोटा-सा प्रयोग अभ्यास मात्र है। जो अत्यन्त कोमल हृदय अभिभावकों तक को सही मार्ग अपनाने के लिए बदल न सके, भला वे अगले महत्त्वपूर्ण कार्यों की भूमिका कैसे सम्पादित करेंगे? अगले दिनों जिस नर-रत्नों की, महापुरुषों की राष्ट्र को आवश्यकता पड़ेगी, जो राष्ट्र का सही नेतृत्व करेंगे उनके प्रतिभा एवं साहस की यह छोटी-सी कसौटी मात्र है। इस पर तो भारत का हर युवक खरा उतर ही सकता है।

लड़कियाँ भी पीठे न रहें—

लड़कियों को आज जिस स्थिति में रहना पड़ता है उससे वे बहुत दबी-भिंची हुई हैं। इसलिए सबसे तो वैसी आशा नहीं की जा सकती, पर जो सुशिक्षित एवं साहसी कुमारियाँ हैं, वे अविवाहित रहने का खतरा उठाकर यह प्रतिज्ञा कर सकती हैं कि यदि बिना देहेज स्वीकार करने वाले लड़के न मिलें तो वे आजीवन कुमारी रहने का त्याग करके भी धन-लोलुप, वर-विक्रयी लोगों के घर में न जाना ही श्रेयस्कर समझेंगी। देहेज की वेदी पर हर वर्ष सैकड़ों विवाहित लड़कियों का रोमांचकारी उत्पीड़न एवं बलिदान होता है। जीवित चमड़ी उतारने जैसा त्रास विवाह होने के उपरान्त वे सह सकती हैं, तो अविवाहित रहने में अपेक्षाकृत कम खतरा है, उसे तो उन्हें हँसते हुए उठाना चाहिए। हत्यारे देहेज का पिशाच सहस्रों लड़कियों का गरम-गरम खून पी चुका, अब थोड़ी-सी लड़कियाँ अविवाहित रहकर भी इस पिशाच का खप्पर भर सकें तो इनके त्याग से समाज के कर्णधारों की आँखें खुलेंगी ही, आत्महत्या से यह तरीका उत्तम है। जिनके अभिभावक अधिक चिन्तित हैं, उनकी कन्याएँ इस प्रकार साहसिक कदम उठाकर ब्रह्मचर्यपूर्वक पवित्र जीवन रखने की प्रतिज्ञा करते हुए स्वावलम्बी जीवन व्यतीत कर सकती हैं।

कह नहीं सकते बेचारी लड़कियाँ इस प्रकार का साहस कर सकेंगी या नहीं, पर यदि उनमें से थोड़ी-सी भी कर सकें तो उनकी प्रतिज्ञा समाज में तहलका मचाने का तो आधार बन ही सकती है और उनके इस त्याग से इस दुर्बुद्धि के पिशाच का मरण दिन अपेक्षाकृत अधिक निकट आ सकता है। प्रतिज्ञा आन्दोलन लड़कियों के लिए भी लड़कों की ही तरह खुला रहना चाहिए। अध्यापिकाएँ तथा समाजसेवी महिलाएँ स्त्रियों में यह प्रचार कर सकती हैं।

प्रचार और प्रोत्साहन—

पुरुषों और महिला अभिभावकों में भी यह प्रतिज्ञा आन्दोलन चलना चाहिए। जिनके बच्चे या बच्चियाँ हैं वे उनका विवाह काल आने से पूर्व ही यदि यह प्रतिज्ञा कर लें कि हम आदर्श विवाह करेंगे तो उनके मस्तिष्क में एक निश्चित बात जमी पड़ी रहेगी और समय पर उपयुक्त तरीका अपनाने में कठिनाई न होगी। इसलिए पुरुषों में पुरुष और महिलाओं में महिला इस प्रकार का हस्ताक्षर आन्दोलन चलाने के लिए

घर-घर अलख जगाते हुए भ्रमण कर सकते हैं। ध्यान रखने की बात इतनी ही है कि बिना अच्छी तरह समझे या समझाये, हड़बड़ी में जल्दी-जल्दी हस्ताक्षर कराने की उतावली नहीं करनी चाहिए। पहले आवश्यक साहित्य पढ़ा, पढ़ाया और सुनाया जाय, विचार-विनिमय करके सहमत किया जाय और जब आवश्यक विचार परिवर्तन हो जाय तभी किसी से प्रतिज्ञा पर हस्ताक्षर कराना चाहिए। दृढ़ता के साथ परिपक्व मन से की हुई प्रतिज्ञा का ही कुछ महत्त्व है और वही कुछ निमती भी है।

जब कभी जहाँ भी आदर्श विवाह हो तब उनका प्रचार एवं सार्वजनिक अभिनन्दन करने का प्रयत्न करना चाहिए ताकि जिन लोगों ने साहसपूर्ण कदम उठाये हैं उन्हें प्रोत्साहन मिले। यह प्रचार विज्ञापन इसलिए भी आवश्यक है कि अधिकाधिक लोगों को उसकी जानकारी मिले और वे भी अनुकरण करने के लिए प्रेरणा प्राप्त कर सकें। कुछ दिन उपरान्त तो यह एक बिल्कुल साधारण स्वभाविक बात हो जाने वाली है, पर अभी तो आदर्श विवाह का आयोजन एक बड़े साहस, त्याग एवं आश्चर्य का विषय माना जायगा। इसलिए उसे अपनाने में लोगों को काफी झिझक एवं हिचकिचाहट होगी। उस मानसिक दुर्बलता को दूर करने के लिए वैसे उदाहरणों का प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। ऐसे साहसपूर्ण प्रयासों की जानकारी अधिक लोगों को मिले, यही तो प्रचार का उद्देश्य है।

सामाजिक कुरीतियों को कुचलते हुए, प्रतिक्रियावादियों का उपहास, व्यंग्य एवं विरोध सहते हुए जिन लोगों ने इस प्रकार का साहस प्रदर्शित किया है, लोगों की परवाह न करते हुए, विवेक को महत्त्व दिया है, निस्संदेह वे साहसी, शूर, आदर्शवादी और नेतृत्व कर सकने की क्षमता सम्पन्न व्यक्ति थे। उनकी प्रशंसा और प्रतिष्ठा होनी ही चाहिए। जहाँ वीर पूजा नहीं होती, वह भूमि वीरविहीन हो जाती है। इसलिए प्रयत्न यह किया जाना चाहिए कि इन आदर्शवादी विवाहों को, उनके संयोजकों को, विवेकशील एवं संप्रान्त लोगों का समर्थन, सहयोग, सद्भाव एवं आशीर्वाद प्राप्त हो।

अभिनन्दन एवं आशीर्वाद—

ऐसे अवसरों पर सम्प्रान्त लोगों को आग्रहपूर्वक आमन्त्रित करना चाहिए और उन्हें अधिकाधिक संख्या में

एकत्रित करना चाहिए। ऐसे उत्सवों में जो सञ्जन आशीर्वाद एवं समर्थन देने आये हों—उनमें से जो भाषण कर सकते हों, वे खड़े होकर अपने विचार व्यक्त करें। दो-दो फूल मालाएँ लेकर सभी आगन्तुक आवें और दोनों ओर के अभिभावकों को पहनावें, जिन्होंने यह साहस प्रदर्शित किया। छपे अभिनन्दन पत्र भेंट करने की व्यवस्था हो सके तो और भी उत्तम है। उस नगर में या आसपास जो सार्वजनिक संस्थाएँ हों वे भी अपनी ओर से अभिनन्दन करें। 'युग निर्माण' शाखाओं को तो विशेष उत्साहपूर्वक ऐसे आयोजनों का अभिनन्दन करना चाहिए। जहाँ जुलूस सम्भव हों, वहाँ वह भी निकाले जायें और लाउडस्पीकर से इस विवाह की विशेषता जनता को बताई जाय। आशीर्वाद देने आने वाले व्यक्ति भोजन स्वीकार करें। इलायची जैसा छोटा सत्कार ही पर्याप्त माना जाय।

आदर्श विवाहों की ख्याति दूर-दूर तक फैलानी चाहिए ताकि वैसा करने का उत्साह दूसरे लोगों में भी उत्पन्न हो। हमारे देश में अभी विवेकशीलता जाग्रत नहीं हुई है, हर बात भेड़ियाधसान की तरह एक-दूसरे की देखा-देखी होती है। लोग चाहते हुए भी किसी सुधार को साहस के अभाव में अपना नहीं पाते, पर जब उन्हें पता लगता है कि ऐसा तो अन्य कितने ही लोग कर रहे हैं, तब उनकी हिम्मत बढ़ जाती है और वे भी वैसा ही करने को उद्यत हो जाते हैं। इसलिए प्रत्येक शुभ कार्य का अधिकाधिक प्रचार होना चाहिए। विशेषतया आदर्श विवाहों की ख्याति दूर-दूर तक अवश्य फैलाई जानी चाहिए।

समाचार पत्रों में ऐसे समाचार अवश्य भेजे जायें। 'प्रज्ञा अभियान' पाक्षिक में ऐसे समाचार बहुत प्रेम और उत्साहपूर्वक छापे जाते हैं। जिन अभिभावकों का वर-वधू के विशेष साहस से वह शुभ कार्य सम्भव हुआ हो, उनके फोटो भी छापे जाते हैं। 'प्रज्ञा अभियान' पाक्षिक नहीं पहुँचते वहाँ दूसरों के द्वारा उन विवाहों के समाचार घर-घर पहुँचाये जा सकते हैं और भी जो तरीके ऐसे समाचारों को दूर-दूर के प्रदेशों तक अधिक जनता तक पहुँचाये जाने के लिए संभव हों, वे सभी काम में लाने का प्रयत्न करना चाहिए।

सामूहिक विवाहों की आवश्यकता—

यह और भी अच्छा हो, यदि एक स्थान पर एक साथ कई आदर्श विवाह हों। दस पुनीत पर्वों पर विवाह करने में

ग्रह गणित सम्बन्धी कोई अड़चन नहीं रहती । इसी प्रकार गोधूलि बेला की लग्न भी सबके लिए शुभ है । अतएव एक ही दिन एक ही समय कई विवाह साथ-साथ होने का 'सामूहिक विवाह आयोजन' बहुत ही प्रभावशाली एवं आकर्षक बन सकता है । ऐसे कई आयोजन हमने देखे हैं । कई वर्ष पूर्व फिरोजाबाद (आगरा) में माथुर वैश्यों के सात विवाह एक साथ, एक विशाल सम्मेलन में सम्पन्न हुए थे । विवाह मण्डप अलग-अलग बने थे । सब पर अलग-अलग पण्डित काम करते थे । केन्द्रीय व्यवस्था वेदी में लाउडस्पीकर द्वारा मंत्रोच्चारण तथा निर्देश होता था । सब विवाह मण्डपों पर क्रिया-काण्ड उसी निर्देश के अनुरूप एक साथ होते थे । मण्डप बहुत ही सुसज्जित ढंग से सजे हुए थे । देखने में सारा दृश्य बड़ा ही मनोरम था । विभिन्न संस्थाओं ने एक स्थान पर बिठाकर वर-वधू को पुष्पहार पहनाये, उनके अभिभावकों को अभिनन्दन-पत्र भेंट किए । लगभग १० हजार नर-नारी एकत्रित थे । दृश्य ऐसा भावनापूर्ण था कि हर व्यक्ति नये युग के आगमन की झँकी कर रहा था । हत्यारे दहेज तथा सत्यानाशी विवाहोन्माद से छुटकारा पाकर जब हिन्दू जाति अपने मुख की कालिमा धो सकेगी, वह दिन सबको निकट ही दिखाई पड़ रहा था । दहेज और जेवर आदि सभी जंगालों से मुक्त पूर्ण सादगी के साथ होने वाले आदर्श विवाहों को यदि इस प्रकार सामूहिक आयोजनों के रूप में कर सकना सम्भव हो सके तो वह कितना अधिक प्रेरणाप्रद होगा ?

झाँसी के गायत्री यज्ञ के अवसर पर एक आदर्श विवाह सब प्रकार की कुरीतियों से मुक्त होकर सम्पन्न हुआ था । गायत्री यज्ञ जैसे धर्मानुष्ठान के साथ विवाहों का सम्पन्न होना सब दृष्टि से मंगलमय होता है । विवाह के कर्मकाण्ड की प्रेरणाप्रद व्याख्या समेत लाउडस्पीकर पर जो विवेचना हजारों व्यक्तियों ने सुनी उससे उपस्थित लोगों ने पहली बार जाना कि आखिर विवाह क्या है ? विवाह के अन्त में वर-वधू को एक उच्च मंच पर बिठाकर उनका सार्वजनिक अभिनन्दन किया गया । मनों पुष्पहारों में उन्हें इस तरह लाद दिया गया था कि केवल चेहरा ही चमकता था । प्रभावशाली व्यक्तियों ने आदर्श विवाह की उपयोगिता ऐसे भावनापूर्ण ढंग से समझाई कि उपस्थित लोगों में से पचासों व्यक्तियों ने उसी समय

सार्वजनिक घोषणा की कि वे अपने लड़कों के विवाह आदर्शवादी सिद्धान्तों के अनुसार करेंगे । वह अवसर भी ऐसा था जब कि जनता में उत्साह फूट पड़ रहा था । नवयुग की झाँकी हर लड़की के पिता की आँखों में एक चमक पैदा कर रही थी ।

ऐसे सामूहिक आयोजनों के साथ आदर्श विवाहों की व्यवस्था यदि बन सके और प्रचार, अभिनन्दन आदि का सुव्यवस्थित आयोजन हो सके तो उसका आशातीत प्रभाव पड़ता है । ऐसे आयोजनों को गायत्री यज्ञ का रूप दिया जा सकता है और उसे व्यक्तिगत न रखकर सार्वजनिक समारोह मनाया जा सकता है । इससे उसका महत्त्व और भी अधिक बढ़ सकता है । जहाँ इस प्रकार की सम्भावना हो वहाँ ऐसी व्यवस्था बनाने का प्रयत्न अवश्य करना चाहिए । पंजाब में सिखों के, बिहार में मैथिल ब्राह्मणों के और मध्य प्रदेश में जैन समाज के कुछ ऐसे जातीय मेले होते हैं, जिनमें उस प्रान्त के लोग सपरिवार पर्याप्त संख्या में आते हैं और उन मेलों में जहाँ धर्म प्रचार, कुरीति-उन्मूलन, संगठन आदि सम्बन्धी भावनाएँ विकसित होती हैं वहाँ बहुत बड़ी तादाद में सामूहिक विवाह भी होते हैं । कम खर्च में सारी प्रक्रिया निपट जाती है और उपस्थित लोगों को आवश्यक प्रकाश प्रोत्साहन भी प्राप्त होता है । इस व्यवस्था का अनुकरण जहाँ कहीं भी सम्भव हो सके किया ही जाना चाहिए । आदर्श विवाहों के प्रचलन में उनके सामूहिक आयोजनों की श्रृंखला बहुत ही प्रभावशाली सिद्ध हो सकती है ।

प्रतिरोधात्मक तैयारी—

एक ओर जहाँ विचार-विस्तार एवं रचनात्मक कार्यों के लिए हमें अधिकाधिक प्रयत्न करना चाहिए, वहाँ दूसरी ओर निषेधात्मक आन्दोलन की भी तैयारी करनी चाहिए । अनुपयुक्त कार्यों को रोकने के लिए उनका विरोध करना भी आवश्यक होता है । बेशक इसमें कटुता बढ़ने और झंझट खड़ा होने का खतरा मौजूद है, पर आखिर यह भी तो उठाना ही पड़ेगा । क्रान्तियाँ इतनी सरल नहीं होतीं । उनमें जड़ता और मूढ़ता भी कम नहीं रहती, वह ऐसी कठोर भी हो सकती हैं कि विवेक, तर्क, विनय आदि का उस पर कुछ भी प्रभाव न पड़े और चिकने घड़े की तरह सब कुछ सुन-समझ लेने पर भी अपनी हठवादिता को छोड़ने को तैयार न हों । कई लोग ऐसे

अहंकारी होते हैं जो अपने लोभ और हठ को किसी के कहने-सुनने या बताने समझाने से छोड़ने के लिए टस से मस नहीं होते । ऐसे लोगों की कठोर मनोभूमि विरोध-प्रतिरोध की भाषा ही समझ सकती है । उन्हें जब यह प्रतीत होता है कि हमारे विरुद्ध घृणा और तिरस्कार का वातावरण बन रहा है, बदनामी फैल रही है तो वे नरम हो जाते हैं । दुराग्रही व्यक्ति वस्तुतः कायर होते हैं । विवेकशील तो समझ की बात, न्याय, बुद्धि से स्वीकार कर लेते हैं, पर अहंकारी एवं अविवेकियों को केवल डर ही झुका सकता है । इसलिए हमें उस पक्ष का भी निर्माण करना चाहिए जिसके प्रभाव से अवांछनीयता को दृढ़तापूर्वक पकड़े हुआ के दुराग्रह को भी बदलने के लिए पुनर्विचार करने का अवसर मिल सके ।

हर जगह धर्म सेना का गठन होना चाहिए । कुछ लोग स्वयं-सेवक बनें और समय आने पर अपना समय लगाने तथा विरोध करने पर उत्पन्न होने वाली प्रतिक्रिया स्वरूप को कष्ट हानि या अपमान सहना पड़े, उसे सहन करने के लिए प्रसन्नतापूर्वक तैयार रह सकें ।

सत्याग्रही का रण कौशल—

इस मोर्चे पर युद्ध नीति के सभी पहलुओं को अपनाया जाना चाहिए और संघर्ष इस ढंग से इतनी मात्रा में उत्पन्न करना चाहिए जिससे द्वेष-दुर्भाव अधिक न बढ़ने पावे और प्रयोजन भी एक सीमा तक पूरा हो जाय । थोड़ी कटुता जो उत्पन्न होती है, उसे हँसमुख लोग आसानी से सुधार-सँभाल सकते हैं । अवसर आने पर गले में बड़े पोस्टर लटकाकर शान्त प्रदर्शन के रूप में कुछ स्वयंसेवक उन आयोजनों के प्रवेश द्वार पर खड़े हो जायें और उसमें सम्मिलित होने वालों को अपना मन्तव्य समझाते रहें तो यह मौन विरोध भी बड़ा कारगर हो सकता है । संभवतः इस बार तो वह आयोजन किसी प्रकार पूरा हो जायगा पर दूसरे लोग जो इसमें सम्मिलित हुए हैं, यह शिक्षा लेकर अवश्य जायेंगे कि पैसा खर्च करने, परेशानी उठाने पर भी यदि निंदा होती है तो ऐसे काम को क्यों किया जाय ? अपव्यय का उद्देश्य दूसरों के द्वारा प्रशंसा प्राप्त करना होता है, यदि वह न मिले, उल्टे बदनामी फैले तो लोग उसे छोड़ना ही पसन्द करेंगे । इसलिए कुरीतियाँ अपनाने वालों में विरोध और निन्दा होने का भय उत्पन्न किया जाना चाहिए । इसका एक उपाय गले में बड़े पोस्टर लटकाकर

एक जट्ये के रूप में उस कुरीति आयोजन के प्रवेश द्वार के समीप मौन रूप से खड़े रहने पर भी बहुत कुछ लाभ हो सकता है । अपने उद्देश्य को समझाने वाले पर्चे भी यदि वे लोग अपने आस-पास जमा होने वाले लोगों को वितरित करते रहें तो इसका प्रभाव और भी अधिक हो सकता है ।

युद्ध विवाह, अनमेल विवाह जैसे अनैतियुक्त कार्यों के लिए तो सत्याग्रह करना एवं सरकारी सहायता लेना भी आवश्यक है । बहुत छोटे बच्चों के बाल-विवाहों में बाल-विवाह निरोधक कानून की सहायता लेकर उन्हें रुकवाया जा सकता है । ५० से अधिक व्यक्तियों के प्रीतिभोजों पर बहुत जगह कानूनी प्रतिबन्ध है । ऐसी बातों को रोकने के लिए कानूनी दण्ड का संकेत कर देने मात्र से लोगों की हवा बिगड़ने लगती है । प्रदर्शनों और पर्चों में यदि यह संकेत कर दिया जाय तो अपराधी लोग डर जाते हैं, उन्हें भय लगता है कि कहीं यह प्रदर्शन करने वाले कोई कानूनी बखेड़ा खड़ा न कर दें । भले ही कुछ किया न जाय, पर आधा सुधार तो डरा देने मात्र से हो सकता है । दहेज विरोधी कानून अभी कुछ समय पूर्व ही पास हो चुका है । उसकी धाराएँ दहेज लेने और देने वालों को जेल भिजवा सकती हैं । अभी तक इस कानून की समुचित जानकारी लोगों को नहीं हो पाई है । अच्छा हो उसका स्वरूप जनता को समझाया जाय और उन्हें अपराध करने का दण्ड मिलने की आशंका से डराया जाय । इस तरह भी प्रतिरोध बहुत अंशों तक सफल हो सकता है । इसके अतिरिक्त स्थिति के अनुरूप अन्य उपाय भी सोचे जा सकते हैं । इन उपायों को कार्यान्वित करने के लिए निर्भीक किन्तु नम्र प्रकृति के सत्याग्रही धर्म सैनिक हर जगह बनने और आगे बढ़ने चाहिए ।

वैयक्तिक प्रतिरोध एवं सुधार प्रयास—

वैयक्तिक रूप से विरोध की प्रक्रिया भी चलती रहनी चाहिए । हममें से जिसका प्रभाव जहाँ हो वहाँ उस प्रभाव का उपयोग करके इन कुरीतियों को घटाने-मिताने का प्रयत्न करना चाहिए । अपने घर, कुटुम्ब, मित्र एवं रिश्तेदारी में तो ऐसा सुझाव अधिक जोर देकर भी दिया जा सकता है । यदि वे न मानें तो अपने असहयोग की, उस विवाह में सम्मिलित न होने की बात भी कही जा सकती है । असहयोग वहीं करनी चाहिए जहाँ यह आशा हो कि इस दबाव से वे लोग

पुनर्विचार कर सकेंगे । जहाँ ऐसी आशा न हो वहाँ उन आयोजनों में सम्मिलित होकर अपनी विचारधारा के पक्ष में जितना भी वातावरण बन सके उतना बनाना चाहिए । रूठ बैठना या ऐसे पुराने ढर्रे के विवाहों से असहयोग करते रहना, उनमें न जाना ठीक नहीं, वरन् ठीक यह है कि भीतर घुसकर थोड़ा-बहुत जो कुछ सुधार सम्भव हो कराया जाय अन्यथा प्रतिपक्षी प्रचार किया ही जाय ।

सामाजिक क्रान्ति एक प्रकार की ठण्डी लड़ाई है । जहाँ तक हो सके सिर फुटौवल की तो नौबत नहीं ही आने देनी चाहिए । आ ही जाय तो स्वयं सहना चाहिए, सामने वालों को तनिक भी चोट नहीं पहुँचने देनी चाहिए, क्योंकि उत्पीड़न सहने वाले के पक्ष में ही लोक-मत बनता है और उसे ही सहानुभूति मिलती है । यह उपलब्धि अपने शरीर को कष्ट भले ही दे, पर लक्ष्य की पूर्ति में सहायक ही बनेगी । दूसरों को चोट पहुँचाकर हम जनता की सहानुभूति खो सकते हैं । इसलिए जहाँ संघर्ष की, आक्रमण की सम्भावना हो वहाँ सत्याग्रही के लिए आवश्यक उपरोक्त तथ्य को पूरी तरह ध्यान में रखे रहना चाहिए । सामाजिक क्रान्ति की लड़ाई में सत्याग्रही की रीति-नीति अपनाकर ही हमें चलना चाहिए, क्योंकि सफलता की अधिक सम्भावना इसी पर निर्भर रहेगी ।

‘न कुछ’ से ‘कुछ’ अच्छा—

शिक्षा की दृष्टि से हम जितने पिछड़े हुए हैं, विवेक की दृष्टि से उससे भी अधिक पिछड़े हुए हैं । लगभग १७ प्रतिशत शिक्षित अपने देश में हैं, पर विवेकवान उससे चौथाई भी नहीं । दूरदर्शिता और स्वतन्त्र चेतना के आधार पर किन्हीं समस्याओं पर विचार कर सकने की क्षमता जिनमें मिल सके ऐसे लोग उँगलियों पर गिनने लायक हैं । अधिकांश जनसमूह तो अपने देश में ऐसा ही है जिसके लिए प्रचलित ढर्रा ही सब कुछ है । वही उनका सनातन धर्म है । उसी में गर्व और सन्तोष मिलता है । भेड़ों की तरह एक जिधर चले, उधर ही औरों का चल पड़ना अपनी परम्परा भी बन गई है इसी के आधार पर अनेक अन्धविश्वास ऐसे ही बनते, बढ़ते, पनपते रहते हैं । अगणित कुरीतियाँ भी अपने समाज में ऐसे ही जन्मी और बढ़ी हैं ।

अब जबकि ‘नव-निर्माण’ की चुनौती सामने प्रस्तुत है, इस विषम परिस्थिति को बदलना ही पड़ेगा । वर्तमान कुरीतियों को न सहन किया जा सकता है और न उन्हें प्रचलित रहने

दिया जा सकता है । यह परिवर्तन होना अनिवार्य रूप से आवश्यक है । उलट-पुलट का समय सदा कठिनाइयाँ सहने और संघर्षों में उलझने के लिए अपने आपको तैयार करना होगा । हर गाँव आज कुरीतियों का गढ़ बना हुआ है, पंच-चौधरी की तूती बोलती है । वे अपनी आयु के जितना ही अपनी समझ को भी बड़ी मान बैठे हैं । रुढ़ियों को सुरक्षित रखने की ठेकेदारी मानो उन्होंने ही ले ली हो । विवेकसम्मत विचारधारा का जहाँ भी जब भी प्रचलन होता है तभी वे विरोधी बनकर सामने आते हैं ।

ऐसी दशा में सुधार के लिए प्रयत्न करने वालों की हिम्मत टूटने लगती है । इस स्थिति में हमें बचना चाहिए । यह भी हो सकता है कि जहाँ परिस्थितियाँ अधिक प्रतिकूल हों, वहाँ दहेज उन्मूलन जैसा बड़ा कदम उठाने के अपेक्षा छोटे-छोटे सुधार कार्य आरम्भ किए जायें । किस स्थान पर क्या कुरीतियाँ प्रचलित हैं, वह देखना स्थानीय लोगों का काम है । छोटी कुरीतियाँ जो वैसे भी मरणोन्मुख या उपेक्षित हो चुकी हैं, उन्हें हटाने के लिए लोगों को सहमत कर लेना कुछ अधिक कठिन नहीं पड़ता । आरम्भ ऐसे छोटे सुधारों से किया जा सकता है । विवाहों में आतिशबाजी चलने से पैसा भी खर्च होता है और आग लगने का डर भी रहता है । ऐसी छोटी बुराइयाँ एक ही झटके में बिना अधिक संघर्ष के आसानी से दूर कराई जा सकती हैं । उन्हें हटाने के प्रस्ताव आसानी से पास कराये और कार्यान्वित किए जा सकते हैं ।

विवाहों में बारात की संख्या कम होना, कम संख्या में मिठाई परोसी जाना, गन्दे गीत न गाया जाना आदि सुधारों में अधिक कड़ा विरोध नहीं सहना पड़ता । सुधारक जहाँ अपना संगठन एवं समर्थन कमजोर देखें वहाँ ऐसे छोटे-छोटे सुधार आरम्भ कराने के लिए तो प्रयत्न कर ही देना चाहिए । सुधार की ओर मनोवृत्ति झुके, अन्धपरम्पराओं के विरुद्ध सोचने के लिए मस्तिष्कों में साहस उत्पन्न हो तो अगले दिनों बड़े कदम भी उठाये जाने सम्भव हैं । जहाँ परिस्थितियाँ प्रतिकूल हों वहाँ धीमी गति से भी चला जा सकता है । पूरा न सही अधूरा ही सही, न कुछ से कुछ अच्छा । स्थिति के अनुरूप हमें कुछ तो प्रयत्न हर हालत में करना चाहिए । सुधार की दिशा में उठते हुए धीमे कदम भी अगले दिनों छोटी चिनगारी से बढ़कर दावानल बनने की तरह समयानुसार आशाजनक परिणाम उपस्थित कर सकते हैं ।

परमपूज्य गुरुदेव की अभिनव पाँच स्थापनाएँ

युगदृष्टा के स्तर की अवतारी सत्ता के रूप में परमपूज्य गुरुदेव ने अपने अस्सी वर्ष के जीवनकाल में जितना भी कुछ किया, उसकी मिसाल कहीं देखने को नहीं मिलती। करोड़ों व्यक्तियों के मनों का निर्माण, उनके सोचने के तरीके में बदलाव एवं युग निर्माण की पृष्ठभूमि बनाकर रख देने का कार्य इन्हीं के स्तर की सत्ता कर सकती थी, जो लाखों वर्षों में कभी-कभी धरती पर आती है। उनके द्वारा की गयी स्थापनाओं का जब प्रसंग आता है तब ईट-गारे-चूने-सीमेंट से बने भवनों से पहले उनकी स्नेह-संवेदना से सिक्त हुए, ममत्व में स्नानकर उनके अपने हो गये लाखों व्यक्ति दिखाई पड़ते हैं, जिनने उनके एक इशारे पर अपना सब कुछ उनको अर्पित कर दिया। स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में कभी ऐसा ही वातावरण भारत के कोने-कोने में दिखाई देता था, जब हर घर से सत्याग्रही निकलकर आ रहे थे। भावनाओं का आवेग चिरस्थायी नहीं रहता। वे ही लोग जो कभी राष्ट्र निर्माण के लिए अपना सब कुछ छोड़, पढ़ना-लिखना छोड़ देश को आजाद बनाने के लिए कूद पड़े थे, कभी गड़बड़ाने न पाएँ, उसी के लिए बापू ने आजादी के बाद काँग्रेस भंग कर देने व सभी को एक आदर्श स्वयं-सेवक की तरह दरिद्र नारायण का उत्थान कर राष्ट्र निर्माण में लग जाने की सलाह दी थी।

सभी इस तथ्य को जानते हैं कि ऐसा नहीं हुआ, राष्ट्र का कीर्ति-स्तम्भ रूपी वह महापुरुष भी एक वर्ष के अंदर ही शहादत को प्राप्त हो चला गया। गिने-चुने उनके आदर्शों पर चलने वाले रह गये, अवसरवादियों को राजनेतृत्व भाने लगा एवं राष्ट्र आजाद होकर भी उनके हाथ में आ गया जो ब्रिटिश तो नहीं थे किन्तु, उसी रंग में रंगे सत्ता के उन्माद में काम करने वाले शासक थे- सृजेता नहीं। जिंदा रहा तो मात्र बापू का दर्शन बुनियादी आधार पर टिका- मानव को बनाने का तंत्र-आश्रम तंत्र जो सेवाग्राम-साबरमती आश्रम के रूप में कार्य करता रहा और वह भी शीर्ष-पुरुष के न रहने, बिनोवाजी के चले जाने के बाद अस्तित्व व महत्व की दृष्टि से गौण हो गया। परमपूज्य गुरुदेव ने अपनी दिव्य-दृष्टि से यह सब पूर्व में ही देख लिया था कि कोई भी भव्य निर्माण, आश्रम या तंत्र बनाने से पूर्व राष्ट्र को सांस्कृतिक, भौतिक, आध्यात्मिक आजादी दिलाने वाले अगणित व्यक्ति तैयार करने पड़ेंगे। १९११ में आज से ८४ वर्ष पूर्व वि.संवत् २०८६ में जन्मे, राष्ट्र की आजादी में उन्मत्त बने श्रीराममत्त कहलाने वाले, आचार्यश्री ने पहले स्वयं को तपाया, वैचारिक क्रान्ति के निर्माण का आधारभूत तंत्र स्वयं व परमवंदनीया माताजी के रूप में खड़ा किया, 'अखण्ड ज्योति' पत्रिका अपनी लेखनी से लिखी, ममत्व भरी चिट्ठियों व छोटी-छोटी एक आने की किताबों से जन-जन के मन को छुआ, तब जाकर अपने एक लक्ष के २४ गायत्री महापुरश्चरणों की पूर्णाहुति पर उन्होंने गायत्री तपोभूमि, मथुरा की स्थापना की बात १९५२-५३ में सोची। सबसे पहली मंत्र दीक्षा वहीं पर १९५३ में दी व यह मानते हुए कि बिना आध्यात्मिक आधार बनाये, मनोभूमि में, भावनाओं के स्तर पर बदलाव लाये कोई क्रान्ति सफल नहीं हो सकती, धीमी खुराक देते हुए हर व्यक्ति को गायत्री व यज्ञ के तत्त्वदर्शन से जोड़ते हुए चले गये। गायत्री परिवार रूपी विराट वृक्ष का मूल आधार वह स्थापना है जो जन-जन के मनों में पहले हुई- उनकी भाव संवेदनाओं के उदात्तीकरण के रूप में सम्पन्न हुई व उनके अंदर अपनी गुरुसत्ता को त्याग करने की, यज्ञीय जीवन अपनाने की प्रेरणा बलवती होने लगी। उन्होंने सर्वमेध के रूप में अपना सर्वस्व बलिदान एवं नरमेध के रूप में अपने आप को समाज के हित न्यौछावर करने की भावना से दो यज्ञ किये। अपनी जर्मींदारी के बाण्ड बेचकर एवं परमवंदनीया माताजी के कीमती सोने के जेवर (ढाई सौ तोले) बेचकर जो स्वेच्छा से सम्पन्न हुआ, एक स्थापना भवन के रूप में जो हुई- वह थी गायत्री तपोभूमि, मथुरा जो वृन्दावन रोड पर ऋषि दुर्वासा की जन्मस्थली पर बनी आज से ४२ वर्ष पूर्व १९५३ में। प्रारंभिक स्थापना यों अखण्ड ज्योति संस्थान को माना जा सकता है जहाँ अखण्ड दीपक अपनी जन्मभूमि आँवलखेड़ा से जो वहाँ से मात्र ४० मील दूर थी, स्थापित किया गया था एवं प्रारंभिक तप-तितिक्षा वहीं पर १९४१ से, तपोभूमि की स्थापना से भी १२ वर्ष पूर्व आरम्भ हो गयी थी। इस प्रकार जन-जन के मनों का निर्माण उनके अंतःस्थल में प्रवेश कर उनके अंदर देवत्व के जागरण की ललक पैदा करने वाली पृष्ठभूमि पर स्थापनाओं का क्रम बना। किराये की ऐसी हवेली जिसे भुतहा हवेली कहा

व्यक्तियों ने आकर उनके स्पर्श से नये प्राण पाये तथा उनके व परमवंदनीया माताजी के हाथों से भोजन-प्रसाद पाकर उनके अपने होते चले गये। हाथ से बने कागज पर छोटी ट्रेडिल मशीनों द्वारा यहीं पर अखण्ड ज्योति पत्रिका छपी जाती थी व छोटी-छोटी किताबों द्वारा लागत मूल्य पर उसे निकालने योग्य खर्च निकलता था। बगल की एक छोटी-सी कोठरी में जहाँ अखण्ड दीपक जलता था, आज पूजाघर विनिर्मित है। पूरी बिल्डिंग को खरीद कर उनके सुपुत्र ने एक नया आकार व मजबूत आधार दे दिया है किन्तु यह कोठरी अंदर से वैसी ही रखी गयी है जैसी पूज्यवर के समय में १९४२-४३ में रही होगी। तब से लेकर आगामी ३० वर्ष का साधनाकाल-लेखनकाल पूज्यवर का इसी घीयामण्डी के भवन में छोटी-छोटी दो कोठरियों में गहन तपश्चर्या के साथ बीता। तपोभूमि निर्माण की पृष्ठभूमि यहीं बनी, १९५८ में सहस्र कुण्डी यज्ञ की आधारशिला यहीं रखी गयी, यहीं सारी योजना बनी एवं विधिवत-गायत्री परिवार बनता चला गया। रोज आने वाले पत्रों को स्वयं परमवंदनीया माताजी पढ़ती जाती एवं पूज्यवर इतनी ही देर में जवाब लिखते जाते, यही सूत्र संबंधों के सुदृढ़ बनने का आधार बना। हर परिजन को तीन दिन में जवाब मिल जाता, शंका-समाधान होता चला जाता एवं देखते-देखते एक विराट गायत्री परिवार बनता चला गया। गायत्री महाविज्ञान के तीनों खण्ड, युग निर्माण परक साहित्य, आर्ष-ग्रन्थों के भाष्य को अंतिम आकार देने का कार्य यहीं सम्पन्न हुआ। जनसम्मेलनों, छोटे-बड़े यज्ञों एवं १००८ कुण्डी पाँच विराट यज्ञों में पूज्यवर यहीं से गये एवं विदाई सम्मेलन की रूपरेखा बनाकर स्थायी रूप से इस घर से १९७१ की २० जून को विदा लेकर चले गये। इस संस्थान के कण-कण में जहाँ आज १० लाख से अधिक संख्या में हिन्दी सहित सभी भाषाओं में अखण्ड ज्योति पत्रिका के प्रकाशन, विस्तार, डिस्पैच आदि का एक विराट तंत्र स्थापित है, परमपूज्य गुरुदेव की चेतना संव्याप्त अनुभव की जा सकती है। भले ही बहिरंग का कलेवर बदल गया हो, अंदर प्रवेश करते ही परमपूज्य गुरुदेव व परमवंदनीया माताजी की सतत विद्यमान प्राणचेतना के स्पन्दन वहाँ विद्यमान हैं, यह प्रत्यक्षतः देखा जा सकता है।

गायत्री तपोभूमि, मथुरा को परमपूज्य गुरुदेव की चौबीस महापुरश्चरणों की पूर्णाहुति पर की गयी स्थापना माना जा सकता है, जिसे विनिर्मित ही गायत्री परिवार रूपी संगठन के विस्तार के लिए किया गया था। इसकी स्थापना से पूर्व चौबीस सौ तीर्थों के जल व रज को संग्रहीत करके यहाँ उनका पूजन किया गया, एक छोटी किन्तु भव्य यज्ञशाला में अखण्ड अग्नि स्थापित की गयी तथा एक गायत्री महाशक्ति का मन्दिर विनिर्मित किया गया। चौबीस सौ करोड़ गायत्री मंत्रों का लेखन जो श्रद्धापूर्वक नैष्ठिक साधकों द्वारा किया गया था, यहाँ पर संरक्षित कर रखा गया है। पू. गुरुदेव की साधनास्थली व प्रातःकाल की लेखनी की साधना की कोठरी यदि अखण्ड ज्योति संस्थान में थी तो उनकी जन-जन से मिलने, साधनाओं द्वारा मार्गदर्शन देने की कर्म-भूमि गायत्री तपोभूमि थी। यहीं पर १०८ कुण्डी गायत्री महायज्ञ में १९५३ में पहली बार पूज्यवर ने साधकों को मंत्र दीक्षा दी। यहीं पर १९५६ में नरमेध यज्ञ तथा १९५८ में विराट सहस्रकुण्डी यज्ञांशुयोजन सम्पन्न हुए। श्रेष्ठ नररत्नों का चयन कर गायत्री परिवार को विनिर्मित करने का कार्य यहीं व्यक्तिगत मार्गदर्शन द्वारा सम्पन्न हुआ। हिमालय प्रवास से लौटकर पूज्य आचार्यश्री ने युग निर्माण योजना के शत-सूत्री कार्यक्रम एवं सत्संकल्प की तथा युग निर्माण विद्यालय के एक स्वावलम्बन प्रधान शिक्षा देने वाले तंत्र के आरम्भ होने की घोषणा की। यह विधिवत् १९६४ से आरम्भ किया गया एवं अभी भी सफलतापूर्वक चल रहा है। जिस कक्ष में परमपूज्य गुरुदेव सभी से मिला करते थे, अभी भी यहाँ देखा जा सकता है। भव्य निर्माण परमपूज्य गुरुदेव की १९७१ की विदाई के बाद यहाँ हो गया है किन्तु, कण-कण में उनकी प्राणचेतना का दर्शन किया जा सकता है। विराट प्रज्ञानगर, युग निर्माण विद्यालय, साहित्य की छपाई हेतु बड़ी-बड़ी ऑफसेट मशीनें तथा युग निर्माण साहित्य जो पूज्यवर ने जीधन भर लिखा, उसका वितरण-विस्तार तंत्र यहाँ पर देखा जा सकता है।

शान्तिकुंज, हरिद्वार ऋषि परम्परा के बीजारोपण केन्द्र के रूप में १९७१ में स्थापित किया गया था, जब परमपूज्य गुरुदेव मथुरा स्थायी रूप से छोड़कर परमवंदनीया माताजी को अखण्ड ज्योति दीपक की रखवाली हेतु यहाँ छोड़कर हिमालय में चले गये। गुरुसत्ता के निर्देश पर वे पुनः एक वर्ष बाद लौटे व तब शान्तिकुंज को उनसे एक बड़ा विराट रूप देने, सभी ऋषिगणों की मूलभूत स्थापनाओं को यहाँ साकार बनाने का निश्चय किया। इससे पूर्व परमवंदनीया माताजी ने २४ कुमारी कन्याओं के साथ अखण्ड दीपक के समक्ष २४० करोड़

जाता था, में अखण्ड दीपक की स्थापना, उसके समक्ष तप, अखण्ड ज्योति संस्थान, घीयामण्डी, मथुरा के रूप में विकसित हुआ एवं एक और दूसरा निर्माण मथुरा में ही गायत्री तपोभूमि के रूप में हुआ जो कि ३ मील दूर वृन्दावन रोड पर १९५३ में बनाई गई। १९५३ में क्रमशः सुसंगठित गायत्री परिवार के बनने की प्रक्रिया चल पड़ी।

इस प्रारंभिक भूमिका को समझने के बाद ही परमपूज्य गुरुदेव की पाँच मूल स्थापनाओं एवं बाद में देश के कोने-कोने में बनी भव्य इमारतों के रूप में शक्तिपीठों, प्रज्ञा संस्थानों, भारत व विश्वभर में घर-घर में स्थापित स्वाध्याय मण्डलों व गायत्री परिवार की शाखाओं, प्रज्ञापीठों, चरणपीठों का महत्त्व समझा जा सकता है। नहीं तो जैसे अन्यान्य आश्रम-संस्थान बनते हैं, ऐसे इनका भी वर्णन किया जा सकता था व यह कहा जा सकता था कि यह वैभवपूर्ण स्थापनाएँ पूज्यवर ने कीं। उनमें यदि प्राण फूँके गये हों, प्राणवान व्यक्ति वहाँ रहते हों व उस शक्ति के महा-अवसान के बाद भी वे सतत् उसी दिशा में चल रहे हों तो माना जाना चाहिए कि प्रारंभिक पुरुषार्थ जो किया गया, वह औचित्यपूर्ण था।

परमपूज्य गुरुदेव की महत्त्वपूर्ण पाँच स्थापनाएँ इस प्रकार हैं—

(१) युगतीर्थ आँवलखेड़ा (२) अखण्ड ज्योति संस्थान, घीयामण्डी, मथुरा (३) गायत्री तपोभूमि, मथुरा (४) शान्तिकुंज, गायत्री तीर्थ, सप्तसरोवर, हरिद्वार तथा (५) ब्रह्मवर्चस शोध संस्थान, सप्तसरोवर, हरिद्वार।

युगतीर्थ आँवलखेड़ा का नाम सबसे पहले इसलिए लिखा कि यहीं पर वह युगपुरुष संवत् १९६८ की अश्विन कृष्ण त्रयोदशी तिथि के दिन, ब्राह्ममुहूर्त में, जो अंग्रेजी तारीख से २० सितम्बर, १९११ के दिन आती थी, में जन्मा। एक श्रीमंत ब्राह्मण परिवार में, जहाँ धन की कोई कमी नहीं थी, पूरा परिवार संस्कारों से अनुप्राणित, पिता भागवत के प्रकाण्ड पंडित, बहुत बड़ी जागीर के मालिक। आज जहाँ पूज्यवर की स्मृति में एक विराट स्तंभ की, एक चबूतरे की तथा उनके कर्तृत्व रूपी शिलालेखों की स्थापना हुई है— वहाँ पूज्यवर ने शरीर से जन्म लिया था। समीप बनी दो कोठरियाँ जो काल प्रवाह के क्रम में गिर सी गयी थीं, जीर्णोद्धार कर वैसी ही निर्मित कर दी गयी हैं—जैसी उनके समय में थीं। जन्मभूमि का कण-कण उस दैवीसत्ता की चेतना से अनुप्राणित है। उनके हाथ से खोदा कुँआ जिसे पूरे गाँव का एकमात्र मीठे जल वाला कुँआ माना गया— वह अभी भी है, उनके हाथ से रोपा नीम का पेड़ एवं वह बैठक जहाँ स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में सब बैठकर चर्चा करते थे, आज भी उन दिनों की याद दिलाते हैं। पास में ही दो कोठरियाँ हैं जिनमें से एक कक्ष में वह स्थान है जहाँ दीपक के प्रकाश में से सूक्ष्म शरीरधारी गुरुसत्ता प्रकट हुई थी तथा जिसने उनके जीवन की दिशाधारा का १९२६ के बाद के क्रम का निर्धारण कर दिया था। यह सब देखकर मस्तिष्क-पटल पर वह दृश्य उभर आता था, जिसे गुरुसत्ता ने कभी देखा था व जो गायत्री परिवार की स्थापना का मूल आधार बना। आँवलखेड़ा में ही उनकी माताजी की स्मृति में स्थापित माता दानकुँवरि इंटर कालेज है जो उनके द्वारा दान दी गयी जमीन में प्रदत्त धनराशि द्वारा विनिर्मित है। १९६३ से चल रहे इस इंटर कालेज से कई मेधावी छात्र निकल कर आत्म-निर्भर बने हैं व उच्च पदों पर पहुँचे हैं।

१९७९-८० में गायत्री शक्तिपीठ एवं कन्या इंटर कॉलेज की स्थापना का ताना-बाना बुना जाने लगा जो एक विशाल शक्तिपीठ तथा आसपास के दो सौ ग्रामों की बालिकाओं के पठन-पाठन की व्यवस्था करने वाले, उन्हें सुशिक्षित, संस्कारवान, आत्मावलम्बी बनाने वाले कन्या महाविद्यालय का अब रूप ले चुका है। प्रथम पूर्णाहुति हेतु इसी भूमि की जो शक्तिपीठ-जन्मभूमि-ग्रामीण क्षेत्र के चारों ओर है, इसीलिए चुना गया कि यहाँ से उद्भूत प्राण ऊर्जा से यहाँ आने वाला हर संकल्पित साधक अनुप्राणित होकर जाए व राष्ट्र के नव-निर्माण की सांस्कृतिक व भावनात्मक क्रान्ति की पृष्ठभूमि रख सके। यहाँ पूज्यवर १९३६-३७ तक ही रहे, कुछ दिन आगरा रहकर १९४०-४१ में मथुरा चले गये, जहाँ दो-तीन मकान बदलने के बाद वर्तमान मकान किराये पर लिया जिसे आज अखण्ड-ज्योति संस्थान कहते हैं।

अखण्ड ज्योति संस्थान, घीयामण्डी, मथुरा में स्थित है। परमपूज्य गुरुदेव सीमित साधनों में अपने अखण्ड दीपक के साथ यहीं रहने लगे एवं यहीं से क्रमशः आत्मीयता विस्तार की जन-जन तक अपने क्रान्तिकारी चिंतन के विस्तार की प्रक्रिया 'अखण्ड ज्योति' पत्रिका, जो आगरा से ही आरम्भ कर दी गयी थी, की 'गायत्री चर्चा' स्तम्भ व अन्यान्य लेखों की पंक्तियों के माध्यम से सम्पन्न होने लगी। व्यक्तिगत पत्रों द्वारा उनके अंतःस्थल को स्पर्श कर एक महान स्थापना का बीजारोपण होने लगा। यहीं पर अगणित दुःखी, तनावग्रस्त

गायत्री मंत्र का अखण्ड अनुष्ठान आरंभ कर दिया था। पूज्यवर ने प्राण प्रत्यावर्तन सत्र, जीवन साधना सत्र, वानप्रस्थ सत्र आदि के माध्यम से विभिन्न क्षेत्र में सक्रिय कार्य करने वाले कार्यकर्ता यहाँ गढ़े। यह सत्र शृंखला कल्प साधना, संजीवनी साधना सत्रों के रूप में तब से ही ९ दिवसीय सत्रों व एक माह के युग शिल्पी प्रशिक्षण सत्रों के रूप में चल रही है, अभी भी अनवरत उसमें आने वालों का ताँता लगा रहता है। पहले से ही सब अपनी बुकिंग इसमें करा लेते हैं।

शांतिकुंज को गायत्री तीर्थ का रूप देकर सप्तऋषियों की मूर्तियों की स्थापना १९७८-७९ में की गयी, एक देवात्मा हिमालय विनिर्मित किया गया एवं यहाँ सभी संस्कारों को सम्पन्न करते रहने का क्रम बन गया जो सतत् चल रहा है। नित्य यहाँ दीक्षा, पुंसवन, नामकरण, विद्यारम्भ, यज्ञोपवीत, विवाह, श्राद्ध-तर्पण आदि संस्कार सम्पन्न होते हैं। इस बीच परमवंदनीया माताजी ने जागरण सत्र शृंखलाएँ सम्पन्न करना आरम्भ रखा। देव कन्याओं को प्रशिक्षित कर पूरे भारत में जीप टोलियों में भेजा गया। इनके माध्यम से तीन वर्ष तक भारत के कोने-कोने में तुमुलनाद होता रहा।

शांतिकुंज का गायत्री नगर जो आज एक विराट् स्थापना के रूप में, एक एकेडमी के रूप में नजर आता है व जिसमें एक बार में एक साथ दस हजार व्यक्ति एक साथ ठहर सकते हैं, १९८१-८२ में बनना आरम्भ हुआ। विलक्षण, दुर्लभ जड़ी-बूटियों के पौधे यहाँ लगाये गये तथा प्रखर प्रज्ञा-सजल श्रद्धा रूपी तीर्थस्थली का पूज्यवर ने अपने सामने निर्माण कराया। यहीं उनके निर्देशानुसार उनके शरीर छोड़ने पर दोनों सत्ताओं को अग्नि समर्पित की जानी थी। स्वावलम्बन विद्यालय से लेकर एक विशाल चौके का निर्माण एवं गायत्री विद्यापीठ से लेकर भारत के सभी सरकारी विभागों के प्रशिक्षण के तंत्र की स्थापना यहाँ पर की गयी है एवं यह एक जीता-जागता तीर्थ अब बन गया है, जहाँ पर उज्ज्वल भविष्य की पूर्व झलक देखी जा सकती है। कम्प्यूटरों से सज्जित विशाल कार्यालय से लेकर पत्राचार विद्यालय जहाँ नित्य हजारों पत्रों के द्वारा पूरे तंत्र का मार्गदर्शन किया जाता है, यहाँ की विशेषता है। www.awgp.org

ब्रह्मवर्चस शोध संस्थान परमपूज्य गुरुदेव की अभिनव पाँचवीं स्थापना है, जहाँ पर विज्ञान और अध्यात्म के समन्वय का अभिनव शोध कार्य चल रहा है। इसे १९७१ की गायत्री जयंती पर आरम्भ किया गया था। वर्तमान शांतिकुंज- गायत्री तीर्थ से आधा किलोमीटर दूरी पर गंगातट पर स्थित यह संस्थान अपनी आकर्षक बनावट के कारण सहज ही सबके मनो को मोहकर आमंत्रित करता रहता है। इसमें तीन मंजिलों में प्रथम तल पर एक विज्ञान के उपकरणों से सुसज्जित यज्ञशाला विनिर्मित है तथा चौबीस कक्षों में गायत्री महाशक्ति की चौबीस मूर्तियाँ बीजमंत्रों व उनकी फलश्रुतियों सहित स्थापित हैं। द्वितीय तल पर एक वैज्ञानिक प्रयोगशाला है, जहाँ ऐसे उपकरण स्थापित हैं जो यह जाँच-पड़ताल करते हैं कि साधना से पूर्व व पश्चात्, यज्ञादि मंत्रोच्चारण के पूर्व व पश्चात् क्या-क्या परिवर्तन शरीर-मन की गतिविधियों व रक्त आदि संघटकों में देखने में आये। इनके आधार पर साधकों को साधना संबंधी परामर्श दिया जाता है। यहाँ पर वनौषधियों का विश्लेषण भी किया जाता है तथा यज्ञ ऊर्जा-मंत्र शक्ति का क्या प्रभाव साधक की मस्तिष्कीय तरंगों, जैव विद्युत आदि पर पड़ा, यह देखा जाता है। विभिन्न प्रकार के मनोवैज्ञानिक परीक्षण भी यहाँ किये जाते हैं। तृतीय तल पर एक विशाल ग्रंथागार स्थापित है, जहाँ विश्वभर के शोध प्रबंध वैज्ञानिक अध्यात्मवाद पर एकत्रित किये गये हैं। यहाँ प्रायः ४५००० से अधिक ग्रंथ हैं, जिनमें कई पुरातन पाण्डुलिपियाँ हैं। यह अपने आप में एक अनूठा संकलन है जो और कहीं एक साथ देखने में नहीं मिलता।

परमपूज्य गुरुदेव की उपरोक्त पाँच स्थापनाएँ किसी को भी यह परिचय दे सकती हैं कि किस विलक्षण दृष्टांतर की वह महासत्ता थी जो हम सबके बीच अपना लीली संदोह रचकर चली गयी। प्रत्यक्ष तो यह केन्द्रीय पाँच स्थापनाएँ नजर आती हैं किन्तु ४८०० से अधिक अपने भवनों वाले प्रज्ञा संस्थान ४०००० से अधिक प्रज्ञामण्डल व स्वाध्याय मण्डल तथा अगणित गायत्री परिवार की शाखाएँ यदि इनमें मिलाई जाएँ तो इनका मूल्य राशि में आँका नहीं जा सकता। यही वह सब है जो उस महापुरुष को एक अवतारी स्तर की सत्ता के रूप में प्रतिष्ठापित करता है व जिसके कर्तृत्व पर श्रद्धावनत होने का मन करता है। □□□

पं. श्रीराम शर्मा आचार्य का जीवनदर्शन : समग्र वाङ्मय

परमपूज्य गुरुदेव पं. श्रीराम शर्मा आचार्य ने जीवन भर जो अपनी लेखनी से लिखा, औरों को प्रेरित कर उनसे सृजनात्मक लेखन करवाया, पुस्तकों-पत्रिकाओं में जो प्रकाशित हुआ, समय-समय पर उनसे अमृतवाणी के माध्यम से जो विचारों की अभिव्यक्ति की, विचारसार व सूक्तियाँ जो वे लिख गये या अनायास कभी कह गये तथा पत्रों के माध्यम से जो अंतरंग स्पर्श जन-जन को दिया, वह समग्र इस वाङ्मय के खण्डों में हैं। जिनके नाम इस प्रकार हैं :-

१. युगद्रष्टा का जीवन-दर्शन

- समग्र वाङ्मय का परिचय
२. जीवन देवता की साधना-आराधना
३. उपासना-समर्पण योग
४. साधना पद्धतियों का ज्ञान और विज्ञान
५. साधना से सिद्धि-१
६. साधना से सिद्धि-२
७. प्रसुप्ति से जाग्रति की ओर
८. ईश्वर कौन है, कहाँ है, कैसा है ?
९. गायत्री महाविद्या का तत्त्वदर्शन
१०. गायत्री साधना का गुह्य विवेचन
११. गायत्री साधना के प्रत्यक्ष चमत्कार
१२. गायत्री की दैनिक एवं विशिष्ट अनुष्ठान-परक साधनाएँ
१३. गायत्री की पंचकोशी साधना एवं उपलब्धियाँ
१४. गायत्री साधना की वैज्ञानिक पृष्ठभूमि
१५. सावित्री, कुण्डलिनी एवं तंत्र
१६. मरणोत्तर जीवन : तथ्य एवं सत्य
१७. प्राणशक्ति : एक दिव्य विभूति
१८. चमत्कारी विशेषताओं से भरा मानवी मस्तिष्क
१९. शब्द ब्रह्म-नाद ब्रह्म
२०. व्यक्तित्व विकास हेतु उच्चस्तरीय साधनाएँ
२१. अपरिमित संभावनाओं का आगार मानवी व्यक्तित्व
२२. चेतन, अचेतन एवं सुपर चेतन मन
२३. विज्ञान और अध्यात्म परस्पर पूरक
२४. भविष्य का धर्म : वैज्ञानिक धर्म
२५. यज्ञ का ज्ञान-विज्ञान
२६. यज्ञ : एक समग्र उपचार प्रक्रिया
२७. युग-परिवर्तन कैसे और कब ?
२८. सूक्ष्मीकरण एवं उज्ज्वल भविष्य का अवतरण-१
२९. सूक्ष्मीकरण एवं उज्ज्वल भविष्य का अवतरण-२
(सतयुग की वापसी)
३०. मर्यादा पुरुषोत्तम राम
३१. संस्कृति-संजीवनी श्रीमद्भागवत एवं गीता
३२. रामायण की प्रगतिशील प्रेरणाएँ
३३. षोडश संस्कार विवेचन
३४. भारतीय संस्कृति के आधारभूत तत्व
३५. समस्तु विश्व को भारत के अजस्र अनुदान
३६. धर्मचक्र प्रवर्तन एवं लोकमानस

३७. तीर्थ सेवन : क्यों और कैसे ?
 ३८. प्रज्ञोपनिषद्
 ३९. नीरोग जीवन के महत्त्वपूर्ण सूत्र
 ४०. चिकित्सा उपचार के विविध आयाम
 ४१. जीवम शरदः शतम्
 ४२. चिरयौवन एवं शाश्वत सौन्दर्य
 ४३. हमारी संस्कृति : इतिहास के कीर्ति स्तम्भ
 ४४. मरकर भी अमर हो गये जो
 ४५. सांस्कृतिक चेतना के उन्नायक : सेवाधर्म के उपासक
 ४६. भव्य समाज का अभिनव निर्माण
 ४७. यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, रमन्ते तत्र देवता
 ४८. समाज का मेरुदण्ड सशक्त परिवार तंत्र
 ४९. शिक्षा एवं विद्या
 ५०. महापुरुषों के अविस्मरणीय जीवन प्रसंग-१ www.awgp.org
 ५१. महापुरुषों के अविस्मरणीय जीवन प्रसंग-२ www.vicharkrantibooks.org
 ५२. विश्व वसुधा जिनकी सदा ऋणी रहेगी
 ५३. धर्मतत्त्व का दर्शन व मर्म
 ५४. मनुष्य में देवत्व का उदय
 ५५. दृश्य जगत् की अदृश्य पहलियाँ
 ५६. ईश्वर विश्वास और उसकी फलश्रुतियाँ
 ५७. मनस्विता प्रखरता और तेजस्विता
 ५८. आत्मोत्कर्ष का आधार- ज्ञान
 ५९. प्रतिगामिता का कुचक्र ऐसे टूटेगा
 ६०. विवाहोन्माद : समस्या और समाधान
 ६१. गृहस्थ : एक तपोवन
 ६२. इक्कीसवीं सदी : नारी सदी
 ६३. हमारी भावी पीढ़ी और उसका नवनिर्माण
 ६४. राष्ट्र समर्थ और सशक्त कैसे बने ?
 ६५. सामाजिक, नैतिक एवं बौद्धिक क्रान्ति कैसे ?
 ६६. युग निर्माण योजना-दर्शन, स्वरूप व कार्यक्रम
 ६७. प्रेरणाप्रद दृष्टान्त
 ६८. पूज्यवर की अमृतवाणी (भाग एक)
 ६९. विचारसार एवं सूक्तियाँ (प्रथम खण्ड)
 ७०. विचारसार एवं सूक्तियाँ (द्वितीय खण्ड)
- वाङ्मय के आगे प्रकाशित होने वाले ३८ खण्ड निम्न विषयों पर होंगे—**
७१. मनोविकारों की मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि
 ७२. तनाव के कारण एवं उनके निवारण

७३. चिन्तन का विधेयात्मक-निषेधात्मक स्वरूप
७४. पुरुषार्थ और मानवी जिजीविषा
७५. संकल्प बल का अनुठा प्रभाव
७६. बाल-विकास के विविध सोपान
७७. बाल मनोविज्ञान का सही उपयोग
७८. पारिवारिकता में सुसंस्कारों का योगदान
७९. पारिवारिक पंचशील और परिवार-निर्माण
८०. व्यक्तित्व के विकास की प्रक्रिया
८१. विचार-विज्ञान का महत्त्व
८२. सामाजिक समस्याएँ और उनका समाधान
८३. समाज-निर्माण के विभिन्न चरण
८४. सामाजिक जीवन में सदगुणों की भूमिका
८५. नर-नारी की सामान्य समस्याएँ और उनका समाधान
८६. नारी जागृति की बाधाएँ एवं उनके निराकरण के उपाय
८७. पारिवारिक जीवन: एक तप-साधना
८८. दाम्पत्य जीवन के संयुक्त दायित्व
८९. नीति-विज्ञान और नैतिकता
९०. कृषि, व्यवसाय और उद्योग की उन्नति के आधार
९१. पूज्य गुरुदेव के स्फुट विचार
९२. पूज्यवर की अमृतवाणी-२
९३. पूज्य गुरुदेव की दिव्य अनुभूतियाँ
९४. पूज्य गुरुदेव के लिखे स्मरणीय पत्र
९५. तंत्र महाविज्ञान विवेचन
९६. मंत्र महाविज्ञान विवेचन
९७. महापुरुषों के प्रेरक जीवन-प्रसंग
९८. प्रेरणाप्रद कथा एवं गाथाएँ
९९. हृदयस्पर्शी विविध कथाएँ
१००. शान्तिकुंज का प्रज्ञा अभियान
१०१. युग निर्माण मिशन का क्रमिक इतिहास
१०२. वेद-सार-चिन्तन
१०३. पुराण-शोध-सार
१०४. उपनिषद् और आरण्यकों की दार्शनिक विषयवस्तु
१०५. काव्य-गीत-मंजूषा
१०६. मिशन के रचनात्मक कार्यक्रमों का क्रमिक इतिहास
१०७. मिशन की लोक-व्यवहार संहिता
१०८. गुरुदेव की अपने आत्मीय जनों से अपनी बातें